

DUE DATE SLIP**GOVT COLLEGE LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

अतएव उनका उपयोग करके मस्थान का कार्यकुशलता एवं उत्पादन को अधिकतम किया जाता है। विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों एवं विद्वानों ने वैज्ञानिक प्रबंध की श्रम श्रम परिभाषाएं दी हैं—

1. टेनर ने स्वयं लिखा है कि प्रबंध की रूप में जानने की कला है कि क्या कार्य किया जाना है और उसके कर्म का सर्वोत्तम तरीका कौनसा है। उन्होंने निम्ना है प्रबंध का मुख्य उद्देश्य मानिका हेतु अधिकतम सम्पत्ता के साथ साथ श्रमिकों हेतु सम्पत्ता प्राप्त करना है। टेनर आगे वैज्ञानिक प्रबंध के विषय में लिखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध यह पक्के रूप में मानकर चलता है कि दोनों (श्रमिकों व मालिकों) के वास्तविक हित एक एवं समान हैं क्योंकि मालिकों की सम्पत्ता लम्बे समय तक बिना श्रमिकों की सम्पत्ता के चल नहीं सकती है। इसलिए यह सम्भव है कि श्रमिकों को जो वह चाहता है—ऊँची मजदूरी—दी जानी चाहिए एवं मालिकों को जो वह चाहता है—निम्न श्रम लागत—दी जानी चाहिए।¹

2. प्रो माशल क अनुसार यह (वैज्ञानिक प्रबंध) मुख्य रूप से एक बड़ व्यवसाय की कमचारी व्यवस्था की एक विधि है जिसका उद्देश्य अपने अधिकतम कमचारियों के दायित्वों की सीमा को घटाकर उनकी कार्य कुशलता बढ़ाना है तथा साधारण शारीरिक क्रियाओं के सम्बंध में दिए गए प्रादेश पर विवेकपूर्ण अध्ययन करना।

3. लायड डॉड एवं लिच (Lloyd Dodd & Lynch) के अनुसार विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक प्रबंध की कार्य प्रणाली श्रमिकों कच्चे माला मशीनों तथा पूँजी के प्रयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है और इसके द्वारा उत्पादन की समस्त क्रियाओं पर—कारखाने के स्थानांतरण एवं संरचना से लेकर वस्तुओं के अंतिम वितरण तक नियंत्रण करती है।

4. पी ड्रकर (P F Drucker) के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का काम कार्य का संगठित अध्ययन कार्य का सरलतम भागों में विश्लेषण और प्रत्येक भाग को श्रमिकों द्वारा निष्पादन करने हेतु व्यवस्थित सुधार करना है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध प्रबंध समस्याओं के हल का मानवीय दृष्टिकोण है जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान विश्लेषण नियम, सिद्धांतों एवं परिणामों पर आधारित है। इसका प्रमुख उद्देश्य 'सूक्ष्मतम' यथ पर अधिकतम लाभों को प्राप्त करना होता है।

वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएँ

(Characteristics of Scientific Management)

विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई प्रबंध की परिभाषाओं से प्रबंध की अंशकित विशेषताएँ मालम होती हैं—

प्रशासनिक सिद्धान्त एवं प्रबंध
(Administrative Theories and Management)

14 नियोजित व्यवस्था—वैज्ञानिक प्रबंध में नियोजित एवं निश्चित योजना पायी जाती है। इन निश्चित योजना के द्वारा विभिन्न कार्यों को निश्चिन्न तरीका द्वारा सम्पादित किया जाता है। समस्त कार्य याज्ञनावद्ध तरीके से होते हैं।

15 वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग—वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत घटनाओं पर स्थितियाँ आदि के विषय में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इन तथ्यों का अवलोकन किया जाता है तथा फिर विश्लेषण करके इनके विषय में प्रयोग किए जाते हैं। इसके पश्चात् नियम व सिद्धांत बताकर उनको व्यवहार रूप में परिणत किया जाता है।

16 मानवीय दृष्टिकोण—वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत मानवीय सम्बंधों पर विशेष जोर दिया जाता है क्योंकि बिना अच्छे मानवीय सम्बंधों के कार्य भी मर्याद विभिन्न स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकता। प्रबंध श्रमिकों को व्यापारिक वस्तु न समझकर उसे मानवीय साधन समझा जाता है।

17 साधनों का अधिकतम उपयोग—वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कच्चे मानवीय व भौतिक साधनों का योजनाबद्ध तरीके से कार्य का आवण्टन करके उनकी विभिन्न क्रियाओं का समन्वय नियमन व नियंत्रण इस स्तर में किया जाता है कि कार्य कुशलता से वृद्धि को एवं साधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।

18 निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति—वैज्ञानिक प्रबंध में किसी भी मर्याद के लिए हुए प्रत्येक कर्मचारी निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समस्त शक्ति को जुटाया जाता है।

19 श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी की व्यवस्था—वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों को उनकी योग्यतानुसार कार्य दिया जाता है तथा जो श्रमिक कुशलता से कार्य करता है उस प्रासाहन देन हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी दी जाती है। इससे कार्यकुशल श्रमिकों को और अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।

20 श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण—वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत एक ही कार्य को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक भाग का विभिन्न श्रमिक समूहों द्वारा पूरा करवाया जाता है तथा प्रत्येक विभाग हेतु विशेषज्ञ नियुक्त करके उत्पादन करवाया जाता है। इससे उत्पादन बढ पमान पर होता है जिससे बढ पमाने की मित्प्रयतिताएँ प्राप्त होती हैं।

21 प्रमाणीकरण—वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक कार्य का प्रमाण निश्चित कर दिया जाता है। इसी प्रकार वस्तु का मात्रा, प्रकार, किस्म, भार आदि भी प्रमाणीत होता है। इससे कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा हो जाता है।

22 सहकारिता—वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध में सफलता लाने हेतु पूजा व धर्म में सुधार के स्थान पर उनमें सहयोग व पारस्परिक स्नेह की भावना उत्पन्न करना है। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित सर्वोपरि माना जाता है। इसमें सामूहिक प्रयत्नों से सामूहिक श्रिता का पूरा किया जा सकता है।

प्रस्तावना

प्रस्तुत पुस्तक प्रशामनिक सिद्धांत एक प्रबंध हिन्दी माध्यम से लिखी गई एक सरल एवं सुबोध कृति है। प्रशासन एवं प्रबंध का क्षेत्र भारत में अभिजात वर्ग का एकाधिकार क्षेत्र रहा है और इस कारण हिन्दी माध्यम से इस विषय पर लेखन एवं साहित्य नही के बराबर है। प्रस्तुत कृति उस दृष्टि से एक अभाव की पूर्ति करता है। आशा है पाठक जगत इसका स्वागत करेगा।

प्रभदत्त शर्मा

परम्परागत प्रबंध (Traditional Management)

प्रत्येक युग की प्रबंध व्यवस्थाएँ उस युग की सम्यता आर्थिक सामाजिक राजनीतिक एवं जीवन मूल्यों से प्रभावित हुई हैं। उसके परिणामस्वरूप विभिन्न युगों में विभिन्न प्रबंध व्यवस्थाओं का विकास हुआ है। 1 वीं शताब्दी की प्रबंध व्यवस्थाएँ परम्परागत प्रबंध (Traditional Management) के नाम से पुकारी जाती हैं।

परम्परागत प्रबंध व्यवस्था वह व्यवस्था है जो कि समयोत्तीत (Out of date) हो गई है तथा इसके अंतर्गत अपनाई जा वाली विधियाँ पद्धतियाँ सिद्धांत एवं नियम समय बीतने के साथ साथ बदल नहीं पायी हैं। ये सभी व्यवस्थाएँ धार्मिक सिद्धान्तों एवं विधियों पर आधारित न होकर व्यक्तिगत सिद्धांतों एवं व्यवहारों पर आधारित हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा हितों का अधिक ध्यान रखा गया है। इसीलिए हमें अंगूठा के नियम (Rule of Thumb) पर आधारित प्रबंध व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें प्रबंध व्यवस्था की सभी समस्याओं पर परम्परावादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें सामूहिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत हितों का अधिक ध्यान रखा जाता है। प्रबंधक नकीर का फकीर रहता है। वह बदलती हुई परिस्थितियों में भी प्रबंध के नियमों विधियों सिद्धान्तों व व्यवस्थाओं में काँच परिवर्तन नहीं करता है।

परम्परागत प्रबंध अप्रगतिशील अमानवीय एवं अव्यवहारिक होता है। इसमें श्रमिकों के कष्टों की दृष्टाएँ असन्तोषजनक होती हैं उनको प्रत्याभवा मजदूरी नहीं दी जाती है श्रमिकों के कल्याण एवं श्रमिक क्षतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं होती है। प्रबंधक तानाशाह होता है सभी अधिकारों तथा दायित्वों का कर्तव्यकरण एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। कर्मियों के घण्टे नम्बे होते हैं तथा श्रमिकों को एक प्रापारिक वस्तु मानकर उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार इस प्रबंध व्यवस्था में व्यक्तिगत हित (अधिकतम लाभ प्राप्त करना) को अधिक महत्त्व दिया जाता है। विकासशील देशों में अभी भी परम्परागत प्रबंध पाया जाता है क्योंकि इन देशों में भौतिक साधनों की कमी है। यहाँ के प्रबंधकों में मानसिक क्रांति उत्पन्न नहीं हुई है। अब भी प्रबंध के क्षेत्र में व पुराने विचार पाए जाते हैं। धार्मिक प्रगति भी इन देशों में पूर्ण रूप से नहीं हो पायी है तथा कर्मचारियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु उचित व्यवस्था इन देशों में पूर्ण रूप से विकसित नहीं की जा सकती है। जैसे-जैसे भौतिक साधनों की पूर्ति में वृद्धि हो सकेगी तथा समय के अनुरूप प्रबंधकों में मानसिक क्रांति उत्पन्न होगी तो धीरे-धीरे धार्मिक प्रबंध के सिद्धान्तों एवं विधियों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सकेगा।

प्रशासनिक सिद्धान्त एवं प्रबंध

(Administrative Theories and Management)

लेखन/सम्पादन

चन्द्रा पटनी

एम ए (राजनीति एवं अर्थशास्त्र)



भूमिका

डा० प्रभुदत्त शर्मा

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष राजनीति विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

कॉलेज बुक डिपो

83 त्रिपोलिया बाजार (आतिश गट व पास)
जयपुर-2 (राजस्थान)

विचारधारा को एक निराशावृत्ति घेरना बनकर विगोच किया है। उनका अनुसार श्रमिका को एक सक्रिय एवं उत्तम यी बनाकर उद्योग के द्वारा प्रबंध का कार्य सौं सकते हैं। उसमें सम्मान का कार्य ठीक तग से चलेगा।

(iv) समन्वित दृष्टिकोण का अभाव (Lack of an Integrated Approach)—वैज्ञानिक प्रबंध के अन्तर्गत समय अध्ययन गति अध्ययन चक्रान अध्ययन धारिका अथवा अलग प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक कार्य का अलग से प्रावृष्टि कर लिया जाता है। लेकिन कार्य तथा उसकी प्रत्येक क्रिया के बारे में अलग प्रयोग समयों पर किए जाते हैं। इससे प्रति घण्टा उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन दोषकारण में उत्पादन कम पाता है। अतः इन विभिन्न कार्यों एवं इनकी श्रियाएँ में समन्वय किया जाना अनिवार्य है।

(v) प्रो टनर ने वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना करते हुए लिखा है कि उसके अन्तर्गत कार्य करने वालों का मोचन वाता स पृथक कर दिया गया है। एक पक्ष कार्य का सोचने (Thinking) का कार्य करना है तथा दूसरी ओर कार्य करने वाल (Doing) हात है। इन दोनों को पृथक कर देने से कार्य उचित समय पर श्रौर में रूप में पूरा नहीं किया जाता है। यह उसी प्रकार अनुचित है जव खान का कार्य (Function of Eating) एक शरीर द्वारा किया जाए तथा पचाने का कार्य (Function of Digesting) दूसरे शरीर से किया जाए। जिस प्रकार भावन खान व उस पचाने के कार्य का पृथक नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार प्रबंध के सावृ सम्बन्ध कार्य (Function of Thinking) का कार्य करने व कार्य (Doing Function) से पृथक करना उचित नहीं होगा। दोनों में धनिष्ठ सम्बन्ध है तथा एक दूसरे का सफलता हेतु दोनों में पारस्परिक एवं निवृट्ट का सम्बन्ध होना चाहिए।

4 औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा आलोचना (Criticism by Industrial Psychologists)—टनर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना औद्योगिक मनोवैज्ञानिक द्वारा निम्न आशय पर का गई है—

(i) वैज्ञानिक प्रबंध के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को कार्य एक दिष्ट हुए ढंग से करना पड़ता है ता कि सर्वत्र समान तरीका लागे। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि मनुष्य कर्मचारी व श्रमिक सर्वत्र समान तरीका से कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक श्रमिक की शक्ति का कार्य करने का ढंग आदि अलग-अलग होते हैं। सम सम श्रमिका की कार्यशुद्धता एक मात्र नहीं रहती जा सकती है।

(ii) यंत्रिक दृष्टिकोण (Mechanical Approach)—वैज्ञानिक प्रबंध के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक एक मशीन का घुम मान बनकर रह जाता है। एक मशीन साधक के सक्रिय एवं प्ररित सामूहिक सदस्या के रूप में वह कार्य नहीं कर पाता है। श्रमिका का मानवीय साधन वाद में सम्बन्ध जाता है तथा उत्पादन का

TOPICS FOR STUDY

Public Administration as a Social Science Development of the Discipline of Public Administration in India Contemporary Approaches to the Study of Public Administration Behavioural Systems and Structural-functional Approaches Its relation to Political Science Economics Sociology Law and Psychology

Concepts of Formal Organisation Unity of Command Chief Executive Division of Work Hierarchy Span of Control Line and Staff with special reference to the contributions of Gulick Urwick and Mooney

Scientific Management—Contributions of Taylor and Fayol Organisation Analysis—Chester Barnard

Hawthorne Experiments—Concepts of Informal Organisation Motivation Morale with special reference to the contributions of Elton Mayo McGregor Likert

Administrative Behaviour—Decision Making (H. Simon) Concept of Management and its Techniques—Authority Leadership Supervision and Control Co-ordination Communication Public Relations Centralisation Decentralisation

Delegation Participative Management Group Dynamics

Modern Aids to Management—Automation Cybernetics PERT CPM

○ PUBLISHERS

All Rights Reserved with the Publisher
P. B. H. D. B. College Book Depot, T. P. 12 (N. at Ash Ghat) Jaipur 2
Printed at M. S. Prakashan, Jaipur

जटिल संगठना में व्यक्ति को योगदान के लिए प्रोत्साहित करने की है तथा इनमें स्वामित्व के लिए समय उपलब्ध बन जाता है। यह समय कबन एक ही स्तर के अधीनस्थ संगठना में ही नहीं होता वरन् उच्चतर एवं अधीनस्थ संगठना के बीच भी होता है।

औपचारिक संगठनों का जन्म और विकास (The Origin and Growth of Formal Organisations)— संगठना का इतिहास इतिहास से भी पुराना है। उसके बारे में हम कुछ पता नहीं है कि प्रारम्भ में संगठन किस प्रकार जन्मा होगा यह हम भ्रम में डालता है उसे देख कर अनुमान लगा सकते हैं। भ्रम यदि हम नए संगठना का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि उनका जन्म इन चार में से किसी एक प्रकार से हुआ है—

(1) **अचानक (Spontaneous)**— इस प्रकार से अनेक संगठना का जन्म होता है। यह तब बनता है जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ बिना किसी नेतृत्व के प्रथम पहल के किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। अनेक पारिवारिक संगठन इसके उदाहरण हैं। दुष्काल के समय ऐसे संगठन बन जाते हैं। ऐसे संगठन अधिकतर अल्पजीवी होते हैं किन्तु हजारों में एक संगठन दीर्घजीवी भी हो जाता है।

(2) **संगठन के लिए एक व्यक्ति के प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम**— अधिकांश सभ्यता प्रकृति के संगठन में प्रसारित होते हैं। यह एक व्यक्ति एक उद्देश्य लेकर चलता है इसे वह अन्य को बनाता है तथा उन लोगों को उस उद्देश्य देने के लिए प्रेरित करता है।

(3) **किसी बड़े संगठन द्वारा अलग से एक छोटे संगठन की रचना**— कोई संगठन अपने एक सदस्य को नया संगठन बनाने को भेज देता है। व्यक्तिगत विशेषताओं द्वारा वह नए संगठन का प्रसार इसी रूप में हो सका। बाणिज्यिक संगठना में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। इनके द्वारा एक व्यक्ति को दूरस्थ प्रदेश में शाखा कार्यालय खोलने को भेजा जाता है।

(4) **विद्रोह या बाहरी ताकत के कारण वर्तमान संगठन में हुए अंतरापथ**— परिणामस्वरूप वर्तमान काल में विद्यमान अनेक संगठनों का जन्म इसी प्रकार से हुआ है। जब बहुत समय तक एक संगठन कार्य करता है तो उसके संगठन कार्य तथा संस्था बन जाते हैं और अन्त में उसका विभाजन कर नए संगठन बनाना आवश्यक हो जाता है। यह रचना विकास के परिणामस्वरूप हुई लेकिन समयपूर्व उद्देश्यों के कारण या बाहरी दबाव के कारण भी ऐसा हो सकता है। फूट जाने और **राज्य** की नीति पर चलने वाली उच्च शक्ति द्वारा भी ऐसे संगठन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के संगठना को तो नया संगठन कहना भी अधिक तब संगठन प्रतीत नहीं होता।

दो शब्द

'प्रशासनिक सिद्धान्त' एवं प्रबंध आज एक स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। राजनीति, कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान सभी में उसके अपने संबंध हैं तथा सभी पर उसका अपना प्रयत्न एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव भी। प्रशासनिक सिद्धान्त एवं प्रबंध को आज के विकासशील दशक में या जनसंख्या प्रगति एवं आर्थिक समायाजन का शस्त्र अविनाश माना जाना गया है। त्रिघनिक युग के समाजशास्त्रियों ने विद्याधिया का चिन्तन और व्यवहार की आचरण सम्बन्धी नई शिक्षाएँ दी हैं और जस जस प्रशासनिक सिद्धान्त विकसित होता है प्रशासनिक शास्त्र कसोटिका पर कस जाना गया है वैसे वैसे ही समूह मानव में सम्बंध अपना सामूहिक आचरण के मानवनातिक सिद्धान्त लोक प्रशासन पर लाये हो उसके अपने बनने जा रहे हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था एवं मानव मूल्या के निरन्तर बदलाव के इस संक्रमण युग में प्रशासनिक सिद्धान्त एवं प्रबंध निश्चय ही शाश्वत परीक्षण एवं प्रयोग का विषय बन चुका है। उसके नियम बढ़ते एवं बढ़ते जान का विस्तार उसका वैज्ञानिक अध्ययन चाहता है जिससे उसकी कलात्मकता में उपयोगिता एवं आचरणिकता का समन्वय हो सके।

प्रशासनिक सिद्धान्त एवं प्रबंध में एक बुद्धि उठनी उभरती नहीं रहता का चित्रण है। भावी प्रशासन की भाषा (हिन्दी) के सामाजिक ज्ञान भण्डार में या तो एक प्रकार के प्रयत्न नगण्य हैं या शत्रुता की सहायता में किए गए केवल जड़ अनुवाद हैं जो हिन्दी की सेवा के स्थान पर उस पर किया गया अहसान माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह प्रयत्न जसा भी है ईमानदारी से किया गया सिद्धांत ज्ञान भण्डार की अभिवृद्धि का प्रयत्न है। प्रयत्न के पाछे यदि कोई प्रेरणा है तो केवल हिन्दी माध्यम का वह विद्यार्थी जगत है जिस बिना अग्रणी पढ़ाए जागे अग्रजा अर्थ पढ़ने का उपदेश दते हैं। निश्चय ही हम उन अग्रजा अर्थों के ऋणी हैं जिनसे हमने स्वतंत्रतापूर्वक यथाम्थान उधार लिया है।

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में मरे गुरुवर डा. प्रमदत्त शर्मा एवं डा. हरिश्चन्द्र शर्मा की पुस्तक में सहायक सामग्री ली गई है जिनके प्रति मैं विज्ञान लेखिका एवं प्रकाशिका की हार्दिक आभारी हूँ।

सकता है। यह मित्रतापूर्ण हो सकता है अथवा शत्रुतापूर्ण भी सकता है। जन्म चाह कस भी आता हो किन्तु यह सम्पन्न अन्त सम्पन्न तथा सामूहिकरण प्रभावित व्यक्तियाँ व अनुभवदा दृष्टिकोण तथा भावनायाँ को बढ़ा देते हैं। कभी कभी हम यह पता रहता है कि हम प्रभावित हो रहे हैं। भौंड म रह कर हम दंगत हैं कि दूसरा पर भी यह प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हम स्वयं पर या अन्य पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाए नहीं देता। अनौपचारिक संगठन का अर्थ बताते हुए चेस्टर बर्नार्ड न लिखा है कि यह व्यक्तिगत सम्पर्कों एवं अन्तःक्रिया तथा योगों का संगठन समुच्चय का सङ्घन योग है।¹ यद्यपि सामान्य अथवा समुक्त उद्देश्य का इस परिभाषा से बाहर रखा गया है किन्तु ऐसे संगठन का यह परिणाम हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनौपचारिक संगठन अनिश्चित और सरचनाहीन होता है। इसका कोई निश्चिन्त उपसम्भार न होता। यह दूर दूर स्थित एक प्रकारहीन भी सम्भार जा सकता है। अनौपचारिक संगठन एक समाज का भाग होता है या एक राज्य का हो सकता है। जिन्हें भी अनौपचारिक संगठन होत हैं उनसे सम्बन्धित अनौपचारिक संगठन भी होते हैं।

अनौपचारिक संगठन के परिणाम (Consequences of Informal Organizations)—अनौपचारिक संगठन के प्रभाव दो प्रकार के होते हैं—(क) इनके द्वारा कुछ दृष्टिकोण समक रीति रिवाज आदतें एव साम्याएँ स्थापित की जाती हैं तथा (ख) यह ऐसी परिस्थितियाँ बना सकता है जिससे अनौपचारिक संगठन जन्म ले सकें।

अनौपचारिक संगठन का नैतिक सामान्य प्रभाव यह है कि इनसे रीति रिवाज प्रथाएँ लोक रीतियाँ, साम्याएँ, सामाजिक मानक एवं आदर्श जन्म लेते हैं जो सामान्य समाज शास्त्र सामाजिक मनोविज्ञान तथा सामाजिक मानव शास्त्र के विषय हैं। इन संगठनों के कार्य अचरित अथवा गर बुद्धिपूर्ण होते हैं तथा लोगों के आदतों के परिवर्तक होते हैं। हमारी और अनौपचारिक संगठन के कार्य उन गहन तार्किक होते हैं। अनौपचारिक संगठन एक प्रकार से ऐसी स्थिति रचते हैं कि इसके पत्रस्वरूप अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है। अनौपचारिक संगठन में जो सहयोग का आधा आदर्शयक होती है उसके लिए पहले से सम्पर्क तथा प्रारम्भिक अन्तःक्रियाएँ बाँझनीय हैं। यह बात तब अधिक स्पष्ट हो जाती है जबकि अनौपचारिक संगठनों का जन्म अचानक होता है। अनौपचारिक संगठन किसी न किसी रूप में अनौपचारिक संगठन की स्थापना पर दबाव डालते हैं तथा बिना अनौपचारिक संगठन की स्थापना के य अधिक समय तक नहीं चल सकते। परिवार के रूप में गठित अनौपचारिक संगठन प्रथम श्रेणी तथा घमके जटिल अनौपचारिक संगठनों के कारण

1 By informal organizations I mean the aggregate of the personal contacts and the associated grouping of people
—Chester B. Bernard, op. cit. p. 115

अनुक्रमिका

लोकप्रशासन एक सामाजिक विज्ञान भारत में लोक प्रशासन के अनुशासन का विकास

(Public Administration as a Social Science Development of Discipline of Public Administration in India) लोक प्रशासन का अर्थ (2) लोक प्रशासन का क्षेत्र (6) लोक प्रशासन की प्रकृति एक सामाजिक विज्ञान (10) लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान के रूप में (13) लोक प्रशासन का महत्त्व (17) लोक प्रशासन और विकासशील समाज भारत के विशेष संदर्भ में (22) भारत में लोक प्रशासन व अनुशासन का विकास (29) ब्रिटिश प्रभाव और लोक प्रशासन के विशेष लक्षण (59) भारत में लोक प्रशासन के विशेष लक्षण (62)

लोक प्रशासन के अध्ययन के समकालीन दृष्टिकोण—यवहारवादी व्यवस्थावादी और संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से उसका सम्बंध (Contemporary Approaches to the Study of Public Administration Behavioural Systems and Structural Functional Approaches—Its Relation to Political Science Economics Sociology Law and Psychology)

परम्परावादी अथवा संगठनात्मक दृष्टिकोण (65) यवहारवादी दृष्टिकोण (69) व्यवस्थावादी दृष्टिकोण (74) संगठनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण (75) लोक प्रशासन में मानव तत्व (77) लोक प्रशासन का अर्थ सामाजिक विज्ञान में सम्बंध (79) लोक प्रशासन और राजनीति (79) लोक प्रशासन और कानून (84) लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र (85) लोक प्रशासन और मनोविज्ञान (87) लोक प्रशासन और इतिहास (88) लोक प्रशासन और समाज शास्त्र तथा कुछ अन्य विज्ञान (89)

किन् प्रकार धारम्भ हो जाता है मानि धाते विचारणीय समस्या ३ । यापारिक एवं प्रशासकीय सगठना क विधाना न अनेक प्रयोगा द्वारा इन समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयत्न किया है । इन प्रयोगों का आधार पर उत्पन्न कुछ निष्पत्ति निकाले हैं । इन निष्पत्तियों न सगठन के स्वरूप एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित विचारों तथा धारणाओं न श्रांतिकारी परिवर्तन कर लिया है ।

मानवीय व्यवहार स्कूल को मानवीय सम्बन्ध नेतृत्व व्यावहारिक विज्ञान के नाम से भी पुकारा जाता है । मानवीय व्यवहार विचारधारा मनोवैज्ञानिक सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय उपन्यासों का प्रबन्ध शोध न लागू करती है (मनो तथा वज्र के शब्दा न भौतिक धरा की धारणा सामाजिक धर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं) । मानवीय व्यवहारशास्त्रियों की धारणा है कि मानि श्रमिक काय पर सतुष्ट हैं तो उत्पादन स्वतः ही अधिक होने लगता है । अन्वितगत एवं सामाजिक व्यवहार का श्रमिकों एवं कामचारियों की धारणा उत्पादकता सम्प्रवण और नियंत्रण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है ।)

सगठन की शास्त्रीय विचारधारा (The Classical Theory of Organization) औपचारिक सगठन (Formal Organisation) का समर्थन करती है जबकि सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (Socio Psychological Theory) प्रयत्न मानव-सम्बन्ध विचारधारा (The Human Relation Theory) अनौपचारिक सगठन (Informal Organization) पर धन देती है । राधिका वज्र न निता है हम मानवीय समस्याओं का समाधान प्रविशयत गर मानव ध उपकरण द्वारा गर मानवीय तथ्या एा श्रमिकों के सन्धन मे करते हैं । मेरा नामा ध मत है कि मानवीय समस्याओं का समाधान भी मानवीय होना चाहिए । सर्वप्रथम हम देखते हैं मानवीय समस्या को समझ लेना चाहिए और त पश्चात् उम उमी रूप न धन करना सामाना चाहिए न किसी धर्य तरीके से । मानवीय समस्या का मानवीय समाधान क लिए मानवीय तथ्या और श्रमिकों तथा मानवाय उपकरणों की आवश्यकता जाती है । सामाजिक न विज्ञानि या मानव सम्बन्ध विचारधारा क सार का प्रकट करते हुए या प्रवर्धनी ध । मधुवर्गिन निता है कि हमके द्वारा मनुष्या मानवीय धारणाओं और शास्त्रीय विचारधारा क अनुरूप सिद्धांता की अपेक्षा अनौपचारिक समूह काय वृद्धि पर विशेष धन दिया जाता है । मधु विचारधारा औपचारिक न धागत स्वरूप का श्रमिकधार करती है और उमके धान पर सगठन क दिन प्रतिदिन की काय प्रणाली न मधुवर्गिनी है । उम विचारधारा की धारणा है कि सगठनात्मक व्यवहार कापी जटिल जाता है और उमके कायगत रणिया पर विभिन्न निशांता न धर्य प्रभाव पड़ता है । अतः सगठनात्मक समस्याओं क विश्लेषण और समाधान के लिए मनुष्य की वैयक्तिक प्रकृति का धान परमावश्यक है । "स विचारधारा - मानव सम्बन्ध विचारधारा सामाजिक

- 3) औपचारिक संगठन की व्यवस्थाएँ आदेश की एकता मुख्य कार्यपालिका काय का विभाजन पद सीपान नियंत्रण का क्षेत्र (Concepts of Formal Organisation Unity of Command Chief Executive Division of Work Hierarchy Span of Control) 91
- संगठन का महस्व (91) संगठन का प्रय एवं प्रवृत्ति (95) संगठन सिद्धान्त और दृष्टिबान (99) औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन की व्यवस्थाएँ (116) आदेश या नियंत्रण की एकता (123) मुख्य कार्यपालिका (126) काय का विभाजन (134) पद सीपान या क्रमिक प्रवृत्ति (135) नियंत्रण क्षेत्र (14)
- 4) मूल और स्टाफ - गुर्विक उर्विक और मूने के योगदान के विरोध सहित 151
- (Line and Staff with Special Reference to the Contributions of Gulhc Urwick and Mooney)
- स्टाफ अभिकरण अथ (152) स्टाफ का वर्गीकरण (154) स्टाफ की प्रवृत्ति और काय (156) स्टाफ का संगठन म रथान असका प्रभाव (160) गद्दन अभिकरण (161) स्टाफ तथा गद्दन का स वक्षा म विरोध एवं गतिरोध (162) सधर्ष कम करने का उद्य (167) सामन तथा स्टाफ अभिकरणों की वास्तविकता (168) संगठनात्मक इत्याद्या की महस्वपूर्ण कतिपय कथाएँ (170)
- 5) वैज्ञानिक प्रबन्ध टेलर तथा फयोल का योगदान ✓ 75
- (Scientific Management Contribution of Taylor and Fayol)
- वैज्ञानिक प्रबन्ध का अर्थ (175) वैज्ञानिक प्रबन्ध की विशेषताएँ (176) वैज्ञानिक प्रबन्ध के लक्ष्य एवं उद्देश्य (178) वैज्ञानिक प्रबन्ध का क्षेत्र (179) परम्परागत प्रबन्ध (180) वैज्ञानिक प्रबन्ध एवं परम्परागत प्रबन्ध में अन्तर (181) वैज्ञानिक प्रबन्ध प्राप्तान को प्रभावित करने वाली विचारधाराएँ (182) हेनरी फयोल का योगदान (183) टेलर का योगदान (190) टेलर तथा फयोल—एक तुलनात्मक अध्ययन (194) वैज्ञानिक प्रबन्ध के सिद्धान्त (196) वैज्ञानिक प्रबन्ध के मूल आधार (208) वैज्ञानिक प्रबन्ध का नाम (210) वैज्ञानिक प्रबन्ध की प्राप्ति (213)

की जा सकती। अतः मेरे ध्यान रखना चाहिए कि पाश्चात्य देशों में अनौपचारिक संगठन काफी भीमा तक अनौपचारिक होता जा रहा है। लेकिन भारत जस विकासशील देश में ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि पाश्चात्य देशों में संगठनात्मक प्रवाह की गति घड़ी तीव्र रही है। भारत जैसे देशों में उसकी तीव्रता में घीमापन है निर्बलता है। पाश्चात्य देशों में उदाहरण के लिए चाय के बन्द अनेक सपठनात्मक समस्याओं के समाधान का काम करते रहते हैं। लेकिन भारत में शायद ही ऐसे काम इनके द्वारा किए जाते हैं।

सामाजिक मनोवैज्ञानिक या मानवशास्त्री दृष्टिकोण अथवा विचारधारा को विस्तार से समझने के लिए हुए पूयक के श्रेणी शीपको के अन्तर्गत मानवयुक्ति-विकी विशेषताओं संगठन से भावनात्मक मानवीय व्यवहार और सामाजिक वातावरण संगठन में सामाजिक सम्बन्ध मानव सम्बन्धों की प्रकृति और संगठन मानव सम्बन्धों पर हाथों प्रयोगों और कुछ अन्य प्रयोगों पर विचार करना होगा।

अनौपचारिक संगठन (Informal Organisation) की अवधारणा पर पूर्व अध्याय में अनौपचारिक संगठन के प्रसंग में विचार कर चुके हैं। संकेत रूप में यह पुनः दोहरा सकते हैं कि अनौपचारिक संगठन यह मानकर चलता है कि कार्य करने वाले मनुष्यों के पक्षों का संगठन के स्वरूप एवं व्यवहार पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। एक प्रभावी अध्ययन में प्रकार व्यवहार कर सकता है कि उसके अधीन कार्य करने वाले लोग केवल आशाकारी मानकर चलकर रह जाए। इसके विपरीत कभी-कभी अधीनस्थ कर्मचारी भी इतना प्रभावशाली पक्षों वाला बन जाता है कि अध्ययन की शक्तियों का प्रयोग उस कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की सेवा अधिक मापवान है तो उसे स्थान देने में सपठना के अनौपचारिक रूप में तदनुकूल परिवर्तन भी किया जाता है। कोई भी अनौपचारिक यात्रा चाहे वह रिक्तियों भी योग्यता एवं कुशलता के साथ बनायी जाए उस समय तक महत्व नहीं रखती जब तक कि परिवर्तित वातावरण एवं परिस्थितियों में अनुसर वह अपने अपने समायाचित न कर ले। दूसरे शब्दों में अनौपचारिक संगठन को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए यादा बहुत अनौपचारिक बनना पड़ता है। अनौपचारिक व्यवहार प्रायः अनौपचारिक संगठन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है।

मानव सम्बन्धों पर कुछ प्रयोग एल्टन मयो के निष्कर्ष

(Some Experiments on Human Relations)

Conclusions of Elton Mayo

(मानव व्यवहार पर उसके चरित्र सादर भावनात्मक रूप में सहाय व्यवस्था आदेश परम्परा एन एस ही अन्य तत्त्वों का जो प्रभाव पड़ता है वह संगठन में भी उसकी विभागीय को एक तवीन पाठ देने का कारण बन जाता है।)

- ⑥ चेस्टर बर्नार्ड का संगठन विरलक्षण ✓ 220
 (Organisation Analysis—Chester Barnard)
 व्यक्ति और संगठन (210) औपचारिक संगठन की परिभाषा
 (221) अनौपचारिक संगठन (224)
- 7 हाथान प्रयोग—अनौपचारिक संगठन की व्यवस्था अभिप्ररण ✓
 एटन मेयो मन्त्रालय तिकट के योगदान के विशेष सन्दर्भ में
 अनुशासन 227
 (Howthorne Experiment Concept of Informal Organi-
 sation Motivation—Morale with Special Reference to
 Elton Mayo Mc Gregor Likert)
 मानव सम्बन्ध दृष्टिकोण अनौपचारिक संगठन पर वन अथवा
 संगठन का सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अनौपचारिक संगठन
 पर वन (228) मानव सम्बन्ध पर कुछ प्रयोग एटन मेयो के
 निष्कर्ष (231) हाथान प्रयोग (232) वैज्ञानिक प्रबंध एवं मानव
 सम्बन्ध की तुलनात्मक विशेषताएँ (240) औपचारिक एवं
 अनौपचारिक मायताओं के बीच मर्म (243) मानव सम्बन्ध
 वादियों की संरचनावादियों द्वारा आलोचना (243) संगठन के प्रति
 एक सतुलित एवं पूर्ण दृष्टिकोण (246) अभिप्ररण अथवा
 परिभाषा (248) अभिप्ररण के तत्त्व या विशेषताएँ (250)
 अभिप्ररण के उद्देश्य (252) अभिप्ररण का मुद्दा समस्या की
 अनिवायताएँ (252) अभिप्ररण के प्रकार (253) राष्ट्रीय मर्म
 आयोग तथा भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा प्ररण
 व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सिफारिशें (256) अभिप्ररण का मन्त्रत्व
 (258) अभिप्ररण प्रक्रिया (258) अभिप्ररण योजना शुरू करने
 की वांछनीय शर्तें (261) अभिप्ररण के सिद्धान्त अथवा अभिप्ररण
 सम्बन्धी विचारधाराएँ (263) आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का
 सिद्धान्त अथवा अभिप्ररण का मैन्सो का सिद्धान्त (264)
 अभिप्ररण आरोग्य सिद्धान्त अथवा अभिप्ररण का हजबग का
 सिद्धान्त (269) अभिप्ररण तथा एक्स एच वार्ड का सिद्धान्त
 अथवा अभिप्ररण का मैकग्रगर का सिद्धान्त (271) अभिप्ररण का
 मर्म सिद्धान्त (275) अभिप्ररण के सत्य अथवा विधि (281)
 मनोबल अथवा परिभाषाएँ (286) मनावन की विशेषताएँ
 (288) मनावन महत्त्व एवं प्रभाव या परिणाम (289) मनोबल
 को प्रभावित करने वाले तत्त्व अथवा मनोबल के निर्धारक
 तत्त्व या घटक (292) मनावन के मर्म (294) मनोबल
 के प्रकार (295) मनावन के विकसित करें (296) मनोबल का

प्रयोगात्मिक नतीजा बना हुआ था। उस समय में उसे सत्य प्रमाण मान लिया जाता था और उससे सगठन के छात्रों का पूरी तरह धपना रखा था। उसका मुभावा पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाता था। इस प्रकार का एक समूह पर उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। वह काय का सम्बन्ध करना ही सामान्य रचना था तथा एक ही माता सगठन के अन्य कार्यकारियों के सामने वह धाने समान बनना बत जाना था। उस पर उससे एक सामाजिक समझ के रूप में काय करने में मदद की जायगी थी। इस अध्ययन में यह दिखा दिया कि एक पारमैत्रिक धपन समूह पर प्रभाव प्रभाव नहीं था और उसे समान के उन छात्रों को मानकर चलना पड़ता था जिन पर नियंत्रण रखने की उससे धपना की जाती थी। छात्र के प्रयोग में यह स्पष्ट कर दिया कि यदि एक पारमैत्रिक धपन आयकी माय तथा धपन पर ही सत्य बनाता चाहता है तो उस धपन नेतृत्व का प्रयोग मानव सम्बन्ध का अनुसार करना होगा।

एक समूह पर नेतृत्व के प्रभाव का विशद अध्ययन निम्नलिखित द्वारा किया गया था।¹ यह अध्ययन ब्रिटिश के निर्देशन में सन् 1930 में प्रारम्भ किया गया था। तीन प्रकार के नेताओं का बचाव के बला तथा उदाय के चार बनना के निर्देशन का काम सौंपा गया। उनमें से एक नेता सत्तावादी (Authoritarian) था। उसे समूह क्रियाओं का निर्देशन करना था। प्रजातन्त्रिक नतीजा को निर्देशनकारी सुझाव देने से धपनको का प्रोत्साहन देना था तथा समझ में भाग लेना था। तीसरे प्रकार का नेता यत्तिवादी विचारों का था। इसका काम था समूह के सदस्यों में ज्ञान का प्रसार करना। उसने समूह के कार्यों में बहुत कम भाग लिया तथा भावनात्मक रूप से बहुत कम सम्बद्ध रहा।

उस प्रयोग का लक्ष्य था कि विभिन्न समूहों के सामान्य वातावरण का परीक्षण किया जाय तथा यह देखा जाय कि नेता के परिवर्तन से समूहों तथा उनके प्रतिक्रियात्मक सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह भी मान्य करना था कि नेतृत्व के विभिन्न प्रकारों ने समूह के कार्यों को किस प्रकार प्रभावित किया। समूह के सदस्यों में उच्च स्तर की लोकप्रियता शक्ति एवं बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित की। प्रयोग के समय धपन वाता का मूल्यांकन किया गया। उदाहरण के लिए यह जानने की चेष्टा की गई कि जब नेता अपना छोड़कर चला जाता था तो समूह के सदस्य किस प्रकार व्यवहार करते थे। प्रयोग के परिणाम स्वरूप भारी धपन सामने आया। प्रजातन्त्रात्मक नेतृत्व के अधीन रहने वाले समूह में आपसी सम्बन्ध बहुत गहरे और मित्रतापूर्ण हो गए तथा उसके सदस्य समूह के

1 R Lippitt and White, An Experimental Study of Leadership and

का माप (298) मनोबल और अभिप्ररणा (300) मनावन और उपायनता (301) मनोबल को नष्ट या प्रभावित बनाने वाले कारक (302) भारतीय साम्प्रदायिक मनोबल को प्रभावित करने वाले कारक (302)

8

प्रशासनिक व्यवस्था—निर्णय प्रक्रिया (एच साइमन)

(Administrative Behaviour – Decision Making Simon)

प्रशासनिक व्यवहार (305) प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया (312) निर्णय प्रक्रिया प्रकृति एवं क्षेत्र (31) निर्णय प्रक्रिया अथवा एच एच एच (314) निर्णय प्रक्रिया के तत्व या अंग (320) निर्णय करने की प्रक्रिया के चरण (321) प्रथम चरण समस्या को पहचानना समस्या और स्वीकार करना (322) निर्णय कस नियोजे जाए (322) निर्णय कस नियोजे जाए (338) निर्णय के प्रकार (339) निर्णय करने की समस्याए एवं सीमाए (343) निर्णय करने का आधारभूमि (347) निर्णय प्रक्रिया के प्रभावक तत्व (352) निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन का एक प्रतिमान माडल (361) निर्णय प्रक्रिया और हरबर्ट साइमन (366)

9

प्रबंध की अवधारणा और उसकी प्रविधियाँ

(Concept of Management and Its Techniques)

प्रबंध का अर्थ एवं अवधारणा (373) प्रबंध की विशेषताए (376) प्रबंध की प्रकृति (378) प्रबंध का क्षेत्र (389) प्रबंध के सिद्धांत (391) प्रबंध विज्ञान की आवश्यकता (394) भारत में प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्त्व (396) प्रबंध की सीमाए (402) प्रबंध के स्तर (403) प्रबंध का प्रशासन एवं समन्वयन में अंतर (405)

10

सत्ता
(Authority)

सत्ता की प्रकृति (412) सत्ता का अर्थ (412) सत्ता के कार्य (42) सत्ता के स्रोत (428) निरंकुश बनाम प्रजातान्त्रिक सत्ता (428) सत्ता के भेद (430) सत्ता का भाराण (435)

11

नेतृत्व
(Leadership)

नेतृत्व की आवश्यकता और महत्ता (439) नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकृति (441) नेतृत्व से सम्बन्धित विचारधाराए (447) नेतृत्व की

05

37

411

439

किया जाएगा। दूसरे प्रप को प्रबन्ध न परिवर्तन की आवश्यकता समझाई उनका प्रभाव समझाए और उनसे यह कहा कि वे कुछ प्रतिनिधि चुन लें जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण करने में सहायता कर सकें। तीसरे प्रप को भी दूसरे की भांति यह बताया गया कि परिवर्तन हो रहा है तथा क्या हा रहा है किन्तु इस प्रप के सभी सदस्यों से यह कहा गया कि नए कामों का रूप एवं योजना निर्माण तथा पुनः प्रशिक्षण काम में सहायता देने के लिए योगदान दें।

प्रयोग के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन का समूह न पुनः प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की योजना बनाने जैसे कामों में योगदान किया था व बड़ी जल्दी ही परिवर्तन के साथ समाप्तोक्ति हो गए जबकि प्रथम समूह के मजदूर ऐसा न कर सकें। दूसरे तथा तीसरे समूहों ने अपने उत्पादन का बड़ा हिस्सा जबकि पहला प्रप ऐसा नहीं कर पाया उसका उत्पादन घटने लगा। तृतीय समूह न जिनका पूरा योगदान था द्वितीय की तुलना में मजदूरी काम किया। इसके अतिरिक्त प्रथम समूह में मनव बर्तनाइया आया तथा घटनाएँ घटीं जबकि शेष दो प्रपा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

बाद में प्रथम समूह के साथ एक दूसरा प्रयोग किया गया। प्रथम की वार इस समूह के लोगों का उनका कार्य बदलने के लिए बाध्य किया गया किन्तु प्रथम उन्होंने पुनः प्रशिक्षण की योजनाएं एवं अन्य कार्यक्रमों में बसा ही सक्रिय भाग लिया जसा कि तृतीय प्रप के जगह न पूर्व प्रयोग में लिया था। परिणाम प्रभावित रहा। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई तथा समूह के सदस्यों के मन में सन्तुष्टि बढ़ा। इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो गया कि पहले उनके द्वारा परिवर्तन का जो विरोध किया गया था यह इस समूह के सदस्यों के व्यक्तित्व के कारण नहीं हुआ था। संचार का महत्त्व (Importance of Communication)

अनेक प्रयोगों तथा मेलों और लेखों के लेखों द्वारा मानवीय सम्बन्ध के अस्तिमोक्षण न विभिन्न स्थितियों के बीच संचार पर बहुत जोर दिया। यह कहा गया कि सभठन के निम्न कमचारियों को यह बताया जाए कि निश्चित कार्य क्यों किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न लेने की प्रक्रिया में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लेने के महत्त्व पर विशेषकर उन विषयों में जो उनको प्रभावित करते हैं जोर दिया गया। नेतृत्व के प्रजातन्त्रात्मक स्वरूप का समर्थन किया गया क्योंकि इसमें संचार व्यवस्था अधिक सक्रिय होती है अधिकारिक लोग भाग ले सकते हैं और साथ ही यह स्वेच्छाचारी न होकर वायव्य होती है तथा मजदूरों के बल काय से ही नहीं उनकी समस्याओं से भी सम्बन्धित रहती है।

इन प्रयोगों न बहुत समय तक अनेक विचारों का ध्यान प्राकृतिक किया तथा लोकप्रिय साहित्य में इनका पर्याप्त प्रकाशन किया गया। मानव सम्बन्धों के इनसे निष्कर्ष निकाले गए। कई हजार कार्यपालिकाओं ने तथा निम्न स्तरों के सुपरवाइजरों

आवश्यकताए (452) नेतृत्व के प्रकार (455) नेता के काय (462)
 नतृत्व व आवश्यक गुण (469) गावी नेतामा का विकास (474)
 नतृत्व व स्वल्प अथवा श्रुतिर्पा (476)

12 पयवेक्षण एव नियन्त्रण

482 ✓

(Supervision and Control)

पयवेक्षण का अर्थ (482) पयवेक्षक व काय (483) पयवेक्षक कौन
 हैं (484) पयवेक्षण कस करे (485) अन्तरे पयवेक्षक की
 विशेषताए (487) नियन्त्रण अर्थ (488) नियन्त्रण प्रवस्था व
 आवश्यक तत्व (490) नियन्त्रण प्रक्रिया (491) नियन्त्रण की
 विशेषताए (493) नियन्त्रण का महत्त्व (494) नियन्त्रण के प्रकार
 (495) नियन्त्रण का क्षेत्र (497) नियन्त्रण का विस्तार (499)
 नियन्त्रण व सिद्धान्त (505) नियन्त्रण की तकनीकें विधिया
 साधन अथवा उपकरण (507) नियन्त्रण की सीमाए (515)

13 समन्वय

516

(Co ordination)

समन्वय का अर्थ (517) समन्वय का सहयोग (519) समन्वय का
 महत्त्व अथवा समन्वय क्या किया जाए (520) समन्वय की प्रकृति
 (522) समन्वय की तकनीक अथवा विधिया (523) समन्वय की
 पूर्व शर्तें (528) क्या समन्वय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है (532)
समन्वय क सिद्धान्त (534) समन्वय क रूप (535) समन्वय की
 बाधाए (536) समन्वय और नियन्त्रण (538)

14 सम्प्रण अथवा सन्देशवाहन

542

(Communication)

सम्प्रण का अर्थ (543) सम्प्रण क उद्देश्य (546) सम्प्रण का
 संगठन एव क्षेत्र (547) सम्प्रण के माध्यम (551) सम्प्रण की
 प्रभावशीलता को बढ़ाने वाले तत्व (552) सम्प्रण की कठिनाइया
 या उसकी प्रभावशीलता को घटाने वाले तत्व (553) सम्प्रण के
 प्रकार (556) मौखिक लिखित एव सांकेतिक सम्प्रण (556)
 औपचारिक एव अनौपचारिक सम्प्रण (561) नीच की ओर
 ऊपर की ओर एव समतल सम्प्रण (563) औद्योगिक सम्प्रण
 की प्रासंगिकता (564)

15 लोक सम्पक

568

(Public Relations)

लोक सम्पक की व्याख्या (569) सूचना प्रचार और लोक सम्पक
 (570) प्रशासन और लोक सम्पक (572) लोक सम्पक स्थापित

आधारित होना चाहिए और य श्रमिका क लिए लाभप्रप्त होनी चाहिए। श्रमिका को इस बात का स्पष्ट भान होना चाहिए कि उह पारितोषण दिया गया है अथवा क्या नहीं दिया गया है ?

अवित्तीय अभिप्रेरणण (Non monetary Motivation) के दनिव अभिप्रेरणण होनी हैं जो श्रमिका की आवश्यकताओं को सतुष्ट करती हैं। श्रमिका के लिए मुष्ण अपरिहाम है किंतु यह भी आवश्यक है कि उनकी मनोवचानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की सतुष्टि हो अत प्रवचका को चाहिए कि श्रमिकों को इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अभिप्रेरणण दें। यदि एक ओर मुष्ण के रूप म वित्तीय अभिप्रेरणण दी जाए और दूसरी ओर मनोवचानिक तथा सामाजिक सतुष्टि क लिए अवित्तीय अभिप्रेरणण भी दी जाए तो दाना के संयोग स औद्योगिक उत्पात्कता की समस्या का प्रभावी समाधान निव न सकता है। अवित्तीय अभिप्रेरणण श्रमिका का मुष्ण म न दी जाकर अथ किसी रूप म दी जाती हं। वस प्रकार की अभिप्रेरणणों क पत्रस्वरूप श्रमिका की अनुपस्थिति और प्रत्यावरण म कमी आती है तथा प्रवचक एवं पयवचक अपने नेतृत्व के उत्तरदायित्वो का आसानी स निर्वाह कर सकते हैं। काय भाषा म सुधार होने स स्वस्थ मनोवचानिक वातावरण का विकास हाता है जिसस उद्योग म शान्ति की स्थापना होती है और उत्पादन क्रियाए अधिक गतिशील बनती हैं। अवित्तीय अभिप्रेरणणों क प्रमुख प्रारूप हैं—भय का अभाव नौकरी की सुरक्षा किए गए कार्यो क दारे मे मायता प्रवच म सभामिता पदान्ति क अवसर अधिकार का प्रत्यायोजन अज्ञान नेतृत्व काय म गव भावना की अनुभूति उपनम म कमचारी की बयक्तिक स्थिति क प्रति आदर कमचारियों को सम्मति देने का अधिकार सामाजिक प्रतिष्ठा प्रशसा या दण आदि।

(स) यक्तिगत एवं समूह अभिप्रेरणण (Individual and Group Incentives) के रूप म भी वित्तीय और अवित्तीय दोनों प्रकार हो सकती हैं। व्यक्तिगत अभिप्रेरणण म किसी कमचारी अथवा श्रमिक को काय के प्रति अधिक प्रोत्साहित करने क लिए यक्तिगत रूप म अभिप्रेरणण दी जाती हैं। इन अभिप्रेरणणों क मुख्य उदाहरण हैं—प्रशसा पत्र प्रमाण पत्र सम्मान विकास के अवसर नौकरी की सुरक्षा आदि। समूह अभिप्रेरणण जसा कि नाम से स्पष्ट है किसी समूह स सम्बन्ध रखती है अर्थात् व अभिप्रेरणण किसी एक कमचारी को न दी जाकर सभी कमचारियों को (समूह को) दी जाती है। इनक मुख्य उदाहरण हैं—लाभ महभागिता सुझाव यवस्था समितियों का निधारण विभागीय पारितोषण अधिकलाभाश आदि।

किसी भी उद्योग म चाह वह निजी क्षेत्र का हा चाह राक क्षेत्र का यक्तिगत अभिप्रेरणणों स अनेक लाभ प्राप्त हात हैं यथा—कमचारी को अधिक काय करने

करने व माध्यम (574) भारत में लोक सम्पत्क मशीनरी (574)
सरकारी नाक सम्पत्क म सामान्य विचारणीय ब तें (576)

- 580
- 16) केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण ✓
(Centralization Decentralization)
केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अर्थ (580) विकेंद्रीकरण और
प्रयायोजन म अंतर (583) विकेंद्रीकरण क रूप या प्रकार
(584) अधिकार सत्ता व विकेंद्रीकरण का मापन के निधारक तत्व
(585) विकेंद्रीकरण क सिद्धान्त (590) विकेंद्रीकरण के लाभ
(591) विकेंद्रीकरण की सीमाएं एवं कठिनाइयाँ (592) - छापी
का केंद्रीकरण (593) विकेंद्रीकरण क लाभ (593) केंद्रीकरण
के दाप (595) उद्योग का फनाव और विकेंद्रीकरण (598)
विकेंद्रीकरण क कारण (599)
- 602
- 17) प्रयायोजन या भारापण ✓
(Delegation)
प्रयायोजन अथवा भारापण की प्रक्रिया (603) प्रयायोजन अथवा
भारापण का महत्व (604) प्रयायोजन अथवा भारापण क
सिद्धान्त (605) प्रयायोजन अथवा भारापण क दाप
(606) सत्ता के प्रयायोजन क रूप (607) प्रयायोजन की
सीमाएं (610) सत्ता का प्रयायोजन कैसे किया जाए? उदाय (613)
प्रयायोजन की बाधाएं (615) एक अर्द्धा प्रयायोजन (18)
- 621
- 18) सहभागी प्रबंध समूह गतिशीलता ✓
(Participative Management Group Dynamics)
सहभागी प्रबंध (621) सहभागी प्रबंध की आलाचना (622)
समूह गतिशीलता की अवधारणा (624)
- 627
- 19) प्रबंध के आधुनिक प्रसाधन आटोमेशन साइबरनेटिक्स ✓
(Modern Aids to Management Automation
Cybernetics)
आटोमेशन (627) साइबरनेटिक्स (628) पट (629) सी पी एम
(632) पट एवं सी पी एम का प्रयोग (633)
- प्रनाबली
(University Quest o.s.)
- 635

भय एवं दण्ड का सिद्धान्त आधुनिक युग में उचित नहीं समझा जाता। यह सिद्धांत औद्योगिक क्रांति के प्रारम्भिक चरणों में जब श्रमिक शोषण की शक्ति में भटकते-फिरते थे और नूना मरत थे बड़ा सफल सिद्ध हुआ और स्वीडिश पत्रकारियों की शोषक प्रवृत्ति का उदाहरण मिला। उस समय श्रमिकों को दशा इतनी दीनी होती थी कि वे एकत्र-जवाबी प्रवृत्ति बचस्य के प्रति आक्रान्त न उठकर चुपचाप काम करते रहते थे। आज भी यद्यपि अनेक विद्वान् एवं परम्परागत सिद्धांतों का समर्थन करते हैं तथा अविज्ञानता मायमत्त यत् ही है कि भय एवं दण्ड में श्रमिकों काय के लिए अभिप्ररित न होकर हताशाहित होते हैं। इस सिद्धांत को प्रयोग में लाने से कमचारियों और श्रमिकों को काय क्षमता तथा उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यत् एक ऋणात्मक अभिप्ररणा (Negative Motivation) है जिसका उपयोग यथासाध्य नहीं किया जाता चाहिए।

(7) पुरस्कार सिद्धांत (Reward Theory)—यस सिद्धांत का प्रतिष्ठान्त धार्मिक प्रवृत्ति के ज मदाता एक डब्ल्यू टेलर ने किया था। उसके अनुसार पुरस्कार तथा काय की उत्तम दशाएँ कमचारियों का समर्थन देती हैं तथा प्रमत्तचित्त तथा सत्तुष्ट कमचारियों अधिक काय करने के लिए अभिप्ररित होते हैं। कमचारियों को जितना अधिक पुरस्कृत किया जाएगा उतना ही अधिक काय करने का प्रेरित होगा। टेलर ने इसी विचार के आधार पर विभेदात्मक मजदूरी पद्धति (Differential Piece Rate System) के अनुसार मजदूरी सुगठान का सुझाव दिया था। पुरस्कार सिद्धांत में कार्यों के विशिष्टीकरण, विश्वीकरण और यत्नीकरण पर ध्यान दिया जाता है ताकि मानवीय प्रयास का अधिकतम उपयोग हो सके। टेलर ने यह भी विचार प्रकट किया कि मीट्रिक अभिप्ररणा संस्था में कायरेत व्यक्तियों काय के प्रति इच्छा और उत्साह आसक्त करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है और पद वृद्धि के लिए उत्साह का आधार बनाना चाहिए।

आधुनिक प्रवृत्ति विद्वानों के मतानुसार पुरस्कार एक उत्तम तत्व तो है किंतु अभिप्ररणा का साधन नहीं। यह शक्ति का कवन सत्तुष्ट प्रदान कर सकता है उस अभिप्ररणा प्रदान नहीं कर सकता। पीटर एफ ल्वर के शब्दों में मीट्रिक पुरस्कारों से सत्तुष्ट अभिप्ररणा के लिए पर्याप्त नहीं है। आज के युग में अर्थोत्कृष्ट अभिप्ररणा का भी उतना ही महत्त्वपूर्ण ध्यान है जितना कि मीट्रिक अभिप्ररणा का।

(8) 'करट तथा स्टिक' सिद्धांत (Carrot and Stick Theory of Motivation)—यह सिद्धांत भय एवं दण्ड तथा पुरस्कार विचारों का परिवर्तित और मशालित रूप है जो इस बात पर बल देता है कि दण्ड तथा पुरस्कार दोनों का संयोजन से कमचारियों को अभिप्ररित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार विनाय काय के लिए कमचारियों को पुरस्कृत किया जा सकता है पर माय ही

1

लोकप्रशासन एक सामाजिक विज्ञान, भारत में लोक प्रशासन के अनुशासन का विकास

(Public Administration as a Social Science
Development of Discipline of Public
Administration in India)

लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केन्द्र बिंदु है।¹ विकासशील और विकसित दोनों ही प्रकार के देशों के लिए मुनियोजित और सुदृढ़ लोक प्रशासन अनिवार्य है। एक पुलिस राज्य के क्षेत्र से निकल कर राज्य सभ्यता या-ज्यो कल्याणकारी राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करती जा रही है लोक प्रशासन का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। डिमॉक (Dimock) ने ठीक ही लिखा है कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यावहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर छा चुका है तथा वह हमारी सभ्यता का मूलधार बन गया है। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्य समाज का अंग है जिसमें राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया है जिस हम प्रशासी राज्य (Administrative State) कहते हैं।

जटिल समाज की चुनौतियाँ जैसे जैसे लोक प्रशासन पर नए उत्तरदायित्व डालती हैं वस-वस ही यह एक अध्येयन विज्ञान (Academic Discipline) के रूप में ब्यस्क हाता हुआ प्रबंध विज्ञान (Management Science) की ओर उन्मुख हो रहा है। दूसरे शब्दों में जिस तरह लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से पृथक हुआ उसी तरह विशिष्टकरण के प्रभावों ने प्रबंध विज्ञान का लोक प्रशासन से पृथक कर दिया है।

लोक प्रशासन आज के समाज में एक ऐसी गत्यात्मक शक्ति है जिसमें लोगो द्वारा प्रभावित होने का लचीलापन भी है और लोगो का नतुब करन की क्षमता भी। इस समाज की एक अत्यधिक स्थाई शक्ति कहा जा सकता है क्योंकि राजनीतिक सरकारें बदलती रहती हैं पर प्रशासन उस दृष्टि से कल्पित ही बदलता

तथा भरावा हो सकत हैं। एसी स्थिति में संगठन के निष्पत्तियों की सीमा अधिक है और संगठन जितना विशाल और जितना महत्वपूर्ण एवं सावजनिक कार्य करता है उतना ही उसके निर्णय कार्य जटिल होते च जाते हैं। संगठनात्मक दृष्टि से ना संगठन का निर्णयकारी यंत्र जिस प्रकार का तन स्थापित करता है वह निष्पत्त प्रक्रिया की बनाविकता एवं निष्पत्त की गुणात्मकता और गभीरता में प्रभावित करता है। संगठन की कुछ उपनिष्पत्तियां होती हैं जिन्हें सादमन न गिवन्स (Givens) का नाम दिया है। इसी प्रकार नीति और नेतृत्व में कुछ शुद्ध (Shoulds) होते हैं और गिवन्स तथा शुद्ध (Givens and Shoulds) में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तारतम्य बढना पड़ता है। इस तानमल को बढाने में जो प्राकृतिक काम में आई जाती है उसे ही निर्णय प्रक्रिया कहते हैं। इन निष्पत्त प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं जो तांत्रिक रूप में एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और इनकी उद्देश्यपरकता इस प्रक्रिया को बनाविक बनाती है।

निष्पत्त लेने की प्रक्रिया के चरण

(The Steps of Decision Making Process)

निष्पत्त प्रक्रिया प्रशासन को अनुशासित करने वाली एक राजनीतिक प्रक्रिया का प्रतिबिम्ब मान कही जा सकती है। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक निष्पत्त एक या कुछ धोड़ से व्यक्तिगत हैं वहाँ प्रशासन का निर्णय क्षम भी सीमित प्रथवा बढ हा सकता है। इसी तरह जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था (Open Decision Model) उन्मुक्त निर्णय प्रक्रियाओं को जन्म देती है। विलसन और एलेक्सिस ने इन गुण और उन्मुक्त प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाओं का गम्भीर अध्ययन किया है और उनकी मायता है एक सीमित निर्णय प्रक्रिया (Closed Decision Model) में जबकि निर्णायक तत्त्व (i) विकल्पों के ज्ञान (ii) विकल्पों की प्राथमिकता के नियम, और (iii) उत्पादन माय परिणाम प्राप्ति को अधिकतम बन्नाने के प्रयासों पर नियंत्रण करते हैं। इसके विपरीत एक बहुवचनकारी खुल प्रतिमान (Multiple Choice Open Model) में उद्देश्य पूर्वपरिभाषित नहीं मान जाते और विकल्पों की खोज तथा प्राथमिकता के निष्पत्त भी हर बार विचार विनिमय और परिस्थितियों के सद्म में बदलते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, निष्पत्त का उन्मुक्त प्रतिमान मानव ज्ञान और आचरण की प्रुष्ठभूमि पर अधिक उल देता है जबकि बढ प्रतिमान में उपयोगिता के प्रसूचक (Utility Index) कुछ ऐसे स्वयं सिद्ध मूल्य होते हैं जो यह मानकर चलते हैं कि निष्पत्तकर्ता उपयोगिता का सही अर्थ जानता है। प्रशासन की दुनिया में उन्मुक्त निष्पत्त प्रतिमान इसलिए अधिक लाकप्रिय होत जा रहे हैं क्योंकि वे निष्पत्त प्रक्रिया की यथाप्यताओं तथा निष्पत्तकर्ताओं की क्षमताओं में परिचित करके निष्पत्त प्रक्रिया के अध्ययन में अधिक गहन अन्वेषण और तत्त्वों की समपता का बोध करा पाते हैं।

है। यह कानून में कोई प्रतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक देश का जीवन उसका प्रशासन के गुणों के अनुरूप बन जाता है और कोई भावकल्याणकारी राय जिसकी आर्थिक व्यवस्था राजनाबद्ध है और जिसका सविधान गणतन्त्रीय है विस्तृत तथा एकीकृत ढांचे वाले प्रशासन के बिना नहीं चल सकता।¹

लोक प्रशासन का अर्थ

(Meaning of Public Administration)

लोक प्रशासन की व्याख्या संकुचित और व्यापक दोनों ही रूपों में की गई है। इसका अर्थ के स्पष्टीकरण और विवेचन के लिए यह स्वाभाविक है कि लोक एव प्रशासन दोनों शब्दों में निहितार्थ दूढ़ जाए। लोक या पब्लिक शब्द की व्याख्या तीन अर्थों में की जा सकती है। प्रथम तो वह जो व्यक्तिगत नहीं (Non Private) है दूसरे ऐसा विषय जो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को छूता हो अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो तथा तीसरे ऐसा कार्य जो चाहे एक हा या कुछ व्यक्तियों का ही प्रभावित कर किंतु वह प्रभाव इतना गम्भीर हो कि सारा समाज उसकी उपेक्षा न कर सके। इस प्रकार पब्लिक शब्द व्याख्या की दृष्टि से कठिनाई होती हुए भी मोटे तौर पर समाज के उन कार्यों को अपनाने में समाविष्ट करता है जो मूलतः सामाजिक हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का भोजन करना उसका प्राइवेट कार्य है किंतु यदि वह जहर खाकर आत्महत्या करता है तो यह तुरन्त सार्वजनिक बन जाएगा।

प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द Administer का हिंदी रूपांतर है और यह अंग्रेजी शब्द लैटिन भाषा के Ad + ministrare शब्दों की संधि से बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ है काम करवाना (Getting things done)। प्रत्येक प्रशासक स्वयं तो कार्य करता ही है किंतु उसे प्रशासक इसलिए कहा जाता है कि वह औरों से भी काम करवाता है। दूसरे शब्दों में प्रशासन चक्रान्त के लिए जब काम करवाया जाता है तो स्वाभाविक है कि उन कार्यों के लिए योजनाएं (Planning) बनाई जाए योजनाओं की क्रियाविधि के लिए संगठन (Organisation) स्थापित किए जाए उन संगठनों में कर्मचारियों (Staffing) की नियुक्ति की जाए फिर उन्हें दिशा निर्देश (Direction) दिए जाए उनके कार्यों का समायोजन (Co-ordination) किया जाए और अंत में प्रतिवेदन (Reporting) व्यवस्था और बजट (Budget) प्रणाली द्वारा उन्हें नियंत्रित किया जाए। इस सारे उपक्रम को प्रशासन की तकनीकी भाषा में पासडकोरब (POSDCORB) कहा जाता है। उद्देश्य का दृष्टि में प्रोसेड्यूरिज (POSDCORBING) प्रशासन और इन तरह व्यापक अर्थ में उसे

हा नहीं रखती तो इस विधा में उसे घाते नहीं बनाया चाहिए। यदि कानून के अनुसार वह हुए बना तो सकती है किन्तु इसके लिए उस उच्च अधिकारिया प्रथम अधीनस्थ पचायतों से पूछना चाहिए तो ऐसी स्थिति में कोई नियम लेने से पूर्व उस अपनी इन सीमाओं के अनुसार व्यवहार करना होगा। इन वधानिक सीमाओं पर विचार करने के अतिरिक्त वह पचायत समिति यह भी देखेगी कि क्या उसका बजट इतना है कि हुए बनवाए जा सकें। उसकी शक्ति पर किसी प्रकार की सीमाएँ न हों पर भी यदि समिति का बजट पर्याप्त न हो तो वह किसी प्रकार का नियम नहीं से सकती। यदि बजट में कमी घन है कि हुए बनवाए जा सकें तो नियमित द्वारा तीसरी बात यह जाएगी कि क्या वह व्यवहार लोकाचार (Mores) के अनुरूप रहेगा। यदि गाव की अशिक्षित और रूढ़िवादी जनता यह कहे कि अमुक स्थान पर अथवा अमुक समय में या अमुक रूप से हुए का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए तो उस समिति का नियम तब समय में सारी बातें ध्यान में रखनी होगी और उचित निर्णय यथासम्भव इनके अनुरूप रहेगा। लोकाचार के विरुद्ध लिए गए नियमों का विरोध का कारण बनता है। इसके फलस्वरूप लोक प्रशासन जन-निराशा से वंचित हो जाता है और जन विरोध के कारण प्रपयश का भंग भी बनता है।

जो हुए बनाए जाने हैं उनका किन्ता महत्व होगा वे जनता के लिए कितने उपयोगी होंगे जिस स्थान पर उन्हें निर्मित किया जा रहा है क्या वहाँ पानी निकलेगा यदि दूसरे स्थान पर उन्हें खोना जाए तो क्या अधिकतम जनता लाभान्वित ही सहेगी अर्थात् वे ता से सम्बन्धित त ही की जानवरी करत क परचाह ही समिति को अन्तिम नियम लेना चाहिए। तथ्या की जानकारी ऐतिहासिक सन्दर्भ में की जा सकती है। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि पहले जब हुए बनाए गए थे तो वे क्या खोदे थे और उनका उपयोग कितना हुआ। कुछ खुदान में समिति के सम्स्या का किन्ता उ साह है तथा गाव व ना म व किन्ता मोरेल उ पत्र कर सकत है। इसके अतिरिक्त नवीन कुआँ के निर्माण से भविष्य किम प्रकार उ बल वनेगा इस सम्बन्ध में अनुमान किया जाता भी जरूरी है। जब से क यत्रम की क्रियाचित किया जाएगा तो उच्च अधिकारी लबाव समूह एवं अधीनस्थ अधिकारी आदि का जो प्रभाव पड़ेगा उसके सम्बन्ध में भी पहले से सावधानी जरूरी है। स प्रकार पचायत समिति द्वारा किया जान वाला निर्णय अनेक तत्वों को ध्यान में रखन पर जात दता है। इन सब तत्वों के आधार पर किया गया निर्णय कानून पर आधारित न रहकर वास्तविकता के धारान पर नाया। भारतीय प्रशासन की आनीचता करत समय प्राय यह कहा जाता है कि उसका गरा लिए जाने वाले निर्णय विषयपरक (Subject) अधिक होते हैं साथ ही वे जाति धर्म भाषा प्रदेश की सीमाओं में वक्ष कर पक्षप तपूर्ण बन जाते हैं।

निर्णय लेने के तरीके का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यवहारवादी या द्वारा प्रस्तुत

उद्देश्य प्राप्त और उद्देश्य निधारण (Goal getting and Goal setting) की एक कला और विज्ञान कहा जा सकता है।

उपयुक्त दृष्टिकोणों में से किसी की भी पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती। डिमाक तथा कार्निग का क्या है कि अध्ययन के रूप में प्रशासन उन सरकारी प्रयासों के प्रत्येक पहलू का परीक्षण करता है जो कानून और लोकनीति का अनुसरण करने के लिए किये जा रहे हैं। एक प्रक्रिया के रूप में इसमें व सभा चरण सम्मिलित हैं जो कार्य सत्यान अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने से अपना अंतिम अट रक्षी जान तक निर्धारित करता है (विन्सु इसमें कार्यक्रम के निर्माण में उस संस्थान का भाग यदि कोई हो तो भाग्य रूप से सम्मिलित है) एवं व्यवसाय के रूप में यह विज्ञान मानवजनिक संस्थान में दूसरों के कार्यों का संगठन और संचालन करता है।¹

सारांश यह है कि वास्तव में दोना शब्द (लोक-प्रशासन) मित्रकर सामाजिक जीवन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में लोक प्रशासन का नाति निर्माण और नीति क्रियाविति का अर्थ स्पष्ट करत हैं। उदाहरणार्थ विन्सु (Wilson) की परम्परागत भाषा के अनुसार लोक प्रशासन कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित प्रयोग (A detailed and systematic application of law) का ही दूसरा नाम है। विन्सु का यह परिभाषा कानून के प्रयोग और उसमें विस्तार तथा व्यवस्था पर बल देती है और कि विन्सु कानून को नीति का पर्यायवाची मानता है। एक अन्य लेखक पिफ्नर (Piffner) भा लोक प्रशासन का निश्चित उद्देश्य की पूर्ण क्रिया करने की एक प्रणाली बतलाता है।² उन ही शब्दों की परिभाषा जो बहुत उम्ब समय से आधारभूत परिभाषा मानी जाती है लोक प्रशासन का इन शब्दों में प्रस्तुत करती है— लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएँ सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य वृद्ध सत्ता द्वारा निर्धारित लोकनीति का पूर्ण करना अथवा लागू करना (The fulfilment or enforcement of public policy) होता है।³ हर्बर्ट सांमन (Simon) तो लोक प्रशासन को राष्ट्रीय राजकीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्याकारी शाखाओं की सभी गतिविधियों का पर्यायवाची मानता है।⁴ लोक प्रशासन का कुछ और प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसमें सम्बन्धित कार्य अथवा स्थानीय शासन की क्रियाएँ सम्मिलित हैं।⁵ —पर्सो मर्कवरीन

1 Quinn *Administrative Theory and Practice* p. 100
 2 W. Wilson *The Study of Administration* Political Science Quarterly 1941 pp 481-566 See also *Political Science Quarterly* Vol 12 pp 197-231 1887
 3 J. M. Piffner and Presthus *Public Administration* p. 3
 4 L. D. White *Introduction to the Study of Public Administration* p. 1
 5 Simon and Others *Public Administration* p. 7
 6 Percy McQueen *Journal of Public Administration* Vol III p. 281

प्रथम, यह एक अधीनस्थ तथा उसके अध्यक्ष के बीच की क्रिया हो सकती है। ऐसा तब होता है जब एक कार्यकर्ता के मन में कोई सुझाव उत्पन्न होता है और वह उस अपने अध्यक्ष को देना चाहता है। दूसरे, यह अधीनस्था के एक समुदाय तथा उनके अध्यक्ष के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का रूप धारण कर सकता है। यह उस स्थिति में होता है जब अध्यक्ष अपने अधीनस्था का एक साथ ही एक सामान्य समस्या पर उचार करन के लिए या कुछ सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करे।

यद्यपि टेलिनबाम तथा मासारिक यह मानते हैं कि तीसरे साधन पर अधीनस्था के योगदान की सम्भावना नहीं है किंतु फिर भी साइमन एवं उनका अनुयायी का यह मत भी उल्लेखनीय है कि कोई भी अध्यक्ष जब निर्यात लेता है तो उस पर संगठन के कार्यकर्ताओं एवं बाह्य परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव प्रायः अप्रत्यक्ष होता है और कभी कभी यह अध्यक्ष की इच्छा से भिन्न प्रथवा विपरीत भी होता है। इस प्रकार व योगदान को एकांगी होने के कारण सही शर्तों में योगदान नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों ही सम्बंधित पक्ष समान रूप से रुचि नहीं लेते।

प्रजातंत्रात्मक प्रक्रिया के सम्भावित लाभ

(The Possible Advantages of the Democratic Pattern)

निर्यात लेने की वह व्यवस्था जिसमें उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारी सहयोगपूर्वक कार्य करते हैं तथा सामर्थ्य व अनुसार योगदान करते हैं अपने कुछ लाभ रखती है। यही कारण है कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के सुझावों को सुनने के लिए उत्सुक रहता है तथा कई बार स्वयं पहले करके निर्यात की प्रक्रिया में उच्च योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है। योगदानपूर्वक एक सामूहिक रूप से लिए गए निर्यातों का महत्त्व एवं उपयोगिता का आधार वह आवश्यकता है जिसके अनुसार एक अध्यक्ष को दौढ़िक निर्यात लेना चाहिए तथा लिए गए निर्यात के सम्भावित परिणाम अधिक से अधिक वांछनीय एवं कम से कम अवांछनीय हों। निर्यातों के सतत में कम से कम जोशिम उद्धान की दृष्टि में अध्यक्ष यह उचित समझता है कि संगठन के अग्र्य सदस्यों को यथासम्भव योगदान प्राप्त करता रहे।

टेलिनबाम तथा मासारिक ने प्रजातंत्रात्मक प्रणालियों के रूप में योगदान के विभिन्न लाभों का वर्णन किया है जो मुख्य रूप से इस प्रकार हैं—

✓ रक्षित रुचि—जब अधीनस्थ कार्यकारी में अनुभव करते हैं कि संगठन के निर्यातों में उनका भी कुछ भागदान है तो संगठन के कार्यों में वे अधिक से अधिक व्यक्तित्वगत ध्यान लेते रहते हैं और पूर्ण रुचि व साथ उनको सफल बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं। उनके परिणामस्वरूप संगठन के कार्यों के परिणामों की

प्रशासन का सम्बंध कार्य करने से है। ताक प्रशासन प्रशासन विज्ञान

का वह अंश है जिसका सम्बंध शासन से है और इसका सम्बंध मूलतः कार्यकारिणी से है। यही कारण है कि कार्यकारिणी ही शासकीय कार्यों का करने के लिए उत्तरदायी होती है। हालांकि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से भी सम्बंधित कुछ समस्याएँ लोक प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं।¹

—सूचक गुणिक

✓ प्रशासन का कार्य करना है और जिस प्रकार राजनीति विज्ञान नीतियों के निर्माण हेतु जनता की इच्छा को समर्थित करने के सर्वोत्तम साधनों की खोज करता है उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान उन नीतियों के क्रियान्वयन की सर्वोत्तम रीतियों की खोज करता है।²

—मरमन

लोक प्रशासन का कार्य जनता के प्रयत्न में समन्वय की स्थापना करना कार्य करना है ताकि वह अपने निश्चित उद्देश्य अथवा ध्येयों की प्राप्ति करने के लिए मिलकर कार्य कर सकें। प्रशासन में उन क्रियान्वयन का मर्म वेश होता है जो अधिक प्राविधिक अथवा वशपिक होती हैं यथा—सावजनिक स्वास्थ्य की चिंता और कार्यजात का निर्माण आदि। उसमें हजारों और लाखों कार्यकर्त्ताओं के कार्यों का प्रबंध निवेशन और अधीक्षण भी निहित है। इसी में उनके प्रयत्न में व्यवस्था और क्षमता आती है।³

—पिप्पलर

प्रशासन का सम्बंध सरकार के क्या तथा कस से है। क्या का अर्थ विषय-वस्तु से है अर्थात् एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जो प्रशासकों का कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। कस प्रबंध की तकनीकी है अर्थात् वे सिद्धान्त जिनके अनुसार सहकारी योजनाएँ सफल बनाई जाती हैं। दोनों ही अपरिहार्य हैं और दोनों के मिलने से ही प्रशासन की स्थापना होती है।⁴

—निम्कर

लोक-प्रशासन बहुरूपीय है और इसका परिभाषा करना अत्यन्त कठिन है। सरकार के बदलते हुए कार्यों के सन्तुलन में ही इसे समझा जा सकता है। —मल्लन

ताक प्रशासन की ये परिभाषायें कुछ व्यापक तथा कुछ सकीण दृष्टिकोणों लिए हुए हैं। कुछ परिभाषायें लोक प्रशासन की प्रवृत्ति के बारे में सकीण विदुषों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण वाली हैं और कुछ ऐसी हैं जो प्रशासन की प्रवृत्ति और क्षेत्र दोनों के सम्बंध में व्यापक राय कायम करती हैं। लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण वाली परिभाषायें आज ज्यादा माय्य हैं क्योंकि लोक प्रशासन का हम किसी भौतिक विज्ञान की भाँति सुनिश्चित तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते और न ही उसकी सवमाय्य स्पष्टतम सीमा रेखा खींच सकते हैं।

1 L. Gull & L. Urwick Papers on the Science Administration p 191

2 Journal of Public Administration Vol I No 3

3 Pitts & Public Administration p 6

4 American Political Science Review Vol XXXI pp 31-32

3 **यावपूर्ण व्यवहार (Just Behaviour)**—जब किसी अधिकारण को क्षतिगत रूप से मनुष्या की क्रियाओं का नियमित करना होता है तो उसका नियम यावपूर्ण व्यवहार का कुछ मापण स्थापित किए जाते हैं। सरकारी व्यवस्था में यही वह मौलिक सिद्धांत होता है कि जब सरकार नियमन करती है तो ऐसा करने समर्थ वह शक्ति के अधिकारों का यथोचित सम्मान देती है। नियम बनाने एवं उनका लागू करने का तरीका स्वयंपूर्ण नहीं होना चाहिए वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुकूल ही होना चाहिए। कमचारियों पर लागू होने वाले नियम यावपूर्ण तथा समान होने चाहिए। उनमें किसी के प्रति पक्षपात नहीं भलबना चाहिए। प्रत्येक प्रत्येक विभागों में एवसा कार्य करने वाले दो कमचारियों को समान बतन प्राप्त होना चाहिए।

4 **व्यक्तिगत मूल्य (Personal Values)**—ऊपर जिन मूल्यों का बखान किया गया है वे सगठनात्मक हैं क्योंकि वे सगठन का लक्ष्य प्राप्त की आर सकेत करते हैं। इनके अतिरिक्त कमचारों के व्यक्तिगत मूल्य भी नियम का प्रक्रिया पर बहुत प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए उसके कार्य की गति इस बात से भी तय की जाएगी कि उसमें सामर्थ्य कितनी है तथा वह स्वयं कितना उसाह करता है? व्यक्ति सगठन का नियम का प्राय अपन लक्ष्य का आधार पर चयन प्रथवा अचयन रूप से मूलांकन करता रहता है जैसे—वहन वृद्धि या पेशेवृत्ति अत्रोनस्व तथा उच्च अधिकारियों का साथ सम्बन्ध भौतिक आराम तथा वसी प्रकार का प्रत्येक नाम। ये व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करते रहते हैं।

एक सगठन का अस्तित्व एवं सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होनी है कि उसके कमचारी एवं भागीदार पर्याप्त रूप से सगठन के मूल्यों का अनुभार काम करें। सगठन का व्यवहार में व्यक्तिगत मूल्य तब बीच में आते हैं जब व्यक्ति का व्यवहार सगठन के मूल्यों की मांगों के साथ सघषपूर्ण है। उदाहरण के लिए एक निरीक्षक किसी व्यक्ति का अनुत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति में इसलिए रख सकता है क्योंकि वह उसका मित्र है। सकारात्मक रूप से सगठन यह प्रयास करता है कि कमचारी अपने व्यक्तिगत मूल्यों को सगठन के मूल्यों का अनुरूप ढाले। इसके लिए यह उन लोगों को पारितोषिक एवं नाम प्रदान करता है जो सगठन के मूल्यों का आगे बढ़ते हैं और उस व्यवहार के लिए दण्ड देता है जो इन मूल्यों के साथ सघष करता है। योग्यतापूर्ण कार्य करने का ही का बतन बना दिया जाता है अधिक उत्पादन करने वाले को अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है—ये सभी उन भौतिक प्रकार के उदाहरण हैं जो कमचारियों को सगठन द्वारा प्राप्त होते हैं। लोक प्रशासन के सुप्रसिद्ध विचारक बर्नार्ड (Chester I Barnard) का कहना है कि सगठन द्वारा व्यक्ति के लिए प्रदान किए जाने वाले मुख्य प्रकार के निम्नलिखित हैं—

(1) भौतिक लाभ—चयन प्रथवा सामान।

वास्तव में लोक प्रशासन की सभी परिभाषाओं में आज नीति और उसकी क्रियाविधि पर बल दिया जाना लगा है। नीति मन्व किमी उद्देश्य के परिप्रभ्य में बना जाती है तथा नीति के क्रियाव्ययन में गतिविधियाँ और कायन्म हान स्वाभाविक हैं। अतः लोक प्रशासन का सम्बन्ध उद्देश्य, नीति और गतिविधि तीनों से है। तीनों में तानमेल विज्ञान लोक प्रशासन है। जो लोग लोक प्रशासन की नीति विज्ञान (Policy Science) मानते हैं वे उस राजनीति (पालिटिक्स) के समीप रहे जाते हैं और उनके मत में मात्रा और विधायक भी लोक प्रशासनक हैं। उन तरह के दृष्टिकोण का प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण (Integral View of Administration) कहा जाता है। इसके विपरीत जो लोक प्रशासन में केवल उच्च प्रकार के नियमों को ही मन्व दत्त है वे प्रशासन को एक प्रबंध-कला की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें लोग का वे प्रशासक कहना चाहते हैं जो लोकीकी दृष्टि में कार्य करवाने में वैज्ञानिक दक्षता रखते हैं। उन प्रकार की विचारधारा को प्रशासन का प्रबंधात्मक दृष्टिकोण (Managerial View of Administration) की संज्ञा दी गई है।

मोटे तौर पर लोक प्रशासन सावजनिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में पाँच बातों से सम्बन्धित है। पहला प्रशासन-यन्त्र या मशीन जिसे लोक प्रशासन के विद्यार्थी सगठन (सिद्धान्त) का नाम देते हैं। दूसरे व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी जिनकी समस्याएँ लोक प्रशासन में कर्मचारी व्यवस्था (Personnel Administration) के नाम से जानी जाती हैं। तीसरा वित्त (Money) जिसकी व्यवस्था का नियंत्रण और सञ्चालन वित्त प्रशासन (Financial Administration) कहा जाता है। चौथा प्रशासन में कुछ मायने में सभी और ज्ञान होना कि वह आज के प्रबंध विज्ञान (Management Science) के अन्तर्गत कार्याध्ययन (Work Study) पद्धति अध्ययन (Method Study) तथा सामग्री-व्यवस्था (Materials Management) कहते हैं। अन्त में प्रशासन में कार्य करने की कुछ प्रणालियाँ और पद्धतियाँ होती हैं जिन्हें प्रबंधात्मक तकनीक (Managerial Techniques) के नाम पर आज के प्रबंध वैज्ञानिक माडर्न की संज्ञा देते हैं। सावजनिक विज्ञान और वैज्ञानिक कार्य प्रणालियों का एक उद्देश्यपरक सम्बन्ध और समुचित अनुवाद लोक प्रशासन का आज के युग का महत्त्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान सिद्ध करता है। लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है एक प्रवसाय है मानवीय आचरण में सम्बन्धित सामाजिक गतिविधि है और कुछ मिलाकर एक ऐसी प्रक्रिया है जो राजनीति का एक अविभाज्य अंग है। वह सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और उसका प्रतीक भी माना जाता है। लोक प्रशासन में मानव आचरण का सामूहिकता के सदन में देखा जा सकता है और इस दृष्टि से नवृत्त सम्प्रदाय निरूप प्रक्रियाएँ

अ वीकार कर लिया है ता वह गति सम्भवत एक लम्बे भाषण द्वारा अ य समस्या के विकारो स अपनी सहमति स्पष्ट करेगा। यदि उसको राय अ य समस्या क विपरीत है तो वह शायद चुप रहगा तथा कुछ बेचनी का अनुभव करेगा। इसी प्रकार सम्मेलन के दूसरे स या की स्थिति का निर्धारण बहुत कुछ आ शक अचनन एवं अर्बौद्धिक पक्तिगत तक्ष्या ारा किया जाता है। सम्मेलन म प्रस्तुत प्रस्तावा क लाभ त। यानि अतिगत लाभ यानि क सम्म म तय कित जात हैं। किसा भी सम्मेलन क परिणाम बहुत कुछ तम बात स निश्चित किए जात है कि उसकी प्रक्रिया म भाग लन वाल सदस्य सतुष्ट ये अथवा असतुष्ट।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्ररणाए

(Some Important Factual Motives)

सगठन म प्रशासकीय निणय तते समय जिन तथ्य प्ररणाया का प्रभाव अधिक पता है उनका वर्गीकरण करना बडा कठिन है। प्रशासन म बाह्यनीय तथ्यगत पान की विभिन्नता उननी ही यापक होनी चाहिए जितनी सरकार द्वारा किया की जानी हैं अथवा जितने प्रकार की तकनीकी का यह प्रयोग करगी। योग्यता एवं ज्ञान द्वारा एक कमचारी विभिन्न स्थितियों क साथ सम्पक बनाए रख सकता है तथा उन पर विचार कर सकता है। यह योग्यता एवं ज्ञान तत्कालीन स्थितियों क प्रति प्राप्त ेन वाली सूचना स भिन है। एक जगलात अचिकारी को ज्ञान की आग बुझाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस पट्टे कि वह वास्तविक आग का सामना करे इस बात की सूचना होनी चाहिए कि आग का गयी है यह स्थिति भयानक है हवा तथा मौसम की स्थिति कसी है यानि। इस प्रकार तथ्य प्ररणाए मुख्य रूप से दो भागो म विभजित हो जाती है—प्रथम समस्या का सामना करने की कमचारी की योग्यता एवं ज्ञान द्वितीय उस समस्या स सम्बन्धत विभिन्न सूचनाए।

सगठन क कमचारियों द्वारा य दोना प्रकार की प्ररणाए भिन भिन रूप म प्राप्त की जाती है अत इनके बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। यानि क स्थायी योग्यता एवं कुशलता विकसित करना चाहते हैं ता व ऐसा प्रति नए एवं अनुभव क आधार पर ही कर सकते हैं। दूसरी ओर वे घटनास्थल की सूचना प्रत्यक्ष निरीक्षण अथवा द्रत संचार माध्यम स ही प्राप्त कर सकत ह। अनेक सरकारी अभिकरणा मे कुछ विनिष्ट इकाइया होती हैं जिनका काय यह देखना होता है कि कमचारियों का उनके काय स सम्बन्धत सनी सना सूचना प्राप्त होनी रहे। प्रति नए इकाइया सनकी योग्यता एवं ज्ञान का विकास करती हैं बुद्धिपूर्ण इकाइयाँ सामयिक सूचना एकत्रित एवं प्रसारित करनी हैं। य दाना ही यान्या सनिक सगठनो म पर्याप्त सन्धिय रहती है किंतु अधिकांश बह नामरिक सगठनो म भी य व्यवस्था हाती है।

कमचारियों क व्यवहार का प्रभावित करने वाग अनेक तथ्या म ये

उत्तरक शक्तिवर्ण और मनावन सिद्धान्त प्रशासन का पाठ्यपुस्तका म स्थान पात रहे ३ ।

लोक प्रशासन का क्षेत्र ✓

(Scope of Public Administration)

नाक प्रशासन क क्षेत्र क विषय म शक्तिवर्ण उनन ही भिन्न है जितने कि वतमान जीवन म लोक प्रशासन की भूमिकाओं के विषय म । राजनीति विज्ञान की भांति लोक प्रशासन क क्षेत्र की सीमा रेखा निर्धारित करना भी अत्यंत दुष्कर कार्य है क्योंकि—(1) लोक प्रशासन एक नया विषय है तथा एक इमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान के रूप म उसका जन्म हाल ही क वर्षों की घटना है । यद्यपि संयुक्तराज्य अमेरिका म इस विषय का काफी विकास हा चुका है तथापि भारत जस विकासशील दश से अभी यत् विषय ज्ञान के एक पृथक शास्त्र क रूप म गत दशक म ही स्थान पा सका है । (2) लोक प्रशासन का एक विकासशील शास्त्र है तथा नाक-क-याणकारी राज्य के क्षेत्र विस्तार क साथ ही नाक प्रशासन का क्षेत्र भी निरन्तर परिवर्तन परिवर्धन का आर गतशील है । (3) लोक प्रशासन क अन्तगत प्रशासन की परिभाषा पर वि जाना म अभी तक मतक्य नहीं हो पाया है । कुछ विचारक प्रशासन क एकीकृत शक्तिवर्ण क समर्थक हैं तो अन्य विचारक प्रबंधात्मक शक्तिवर्ण के । इन प्रकार जना प्रथम मत के अन्तगत लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है तथा दूसरी विचारधारा उसे सीमित रूप मे प्रस्तुत करती है । लोक प्रशासन क क्षेत्र क सम्बन्ध म मुख्यत तीन प्रकार की विचारधारायें प्रचलित हैं—

✓ पोस्टकोरब (POSDCORB) विचारधारा

2 पाठ्य विषय की विचारधारा

3 समाजशास्त्रीय एवं मनावज्ञानिक विचारधारा ।

✓ पोस्टकोरब विचारधारा

नाक प्रशासन के परम्परावादी तत्वक जिन् सकोण विचारधारा का पौरव कहा जाता है नथर गुलिक क पोस्टकोरब (POSDCORB) का ही नाक प्रशासन का प्रमुख और एकमात्र क्षेत्र मानत है । पोस्टकोरब की रचना कुछ प्रसिद्धी श ने के प्रथम अक्षर का मितान म हने और य अक्षर निम्नलिखित क्रियाया का बोध करात है—

P (Planning)—याचनाय बनाना या नियोजन करना । धमरे ज्ञान म इसका आशय है—कार्यों की रूपरेखा तयार करना एवं निश्चिन ध्यय की प्र ति के लिए नीतियां का निर्धारित करना ।

O (Organization)—संगठन अर्थात् अधिकारी वम क एक एम स्थाया नाच का निर्माण करना जिमक द्वारा निश्चिन उद्देश्य के लिए काम क उप विभागा

सत्ता और शक्ति (Authority and Power)

सत्ता भी शक्ति बहुत कुछ मितन जुनन शक्त है। सभी-कथा इनका पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। लक्ष प्रश्न नाम की भाषा में यह दाना शब्द अपना विशेष अर्थ रखते हैं और एक-दूसरे के प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन दोनों में एक स्पष्ट अंतर यह होता है कि सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी है जबकि शक्ति (Power) का रूप कानूनी नहीं आवश्यक नहीं है। शक्ति (Power) के बारे में अपने अध्ययन के आधार पर लॉसवेल (Lasswell) ने अपने विचार विस्तारपूर्वक प्रकट किए हैं। वे अपनी पुस्तक पावर (Power) में शक्ति-परिवार (Family of Power) में शक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं। उनके बयानानुसार शक्ति और कुछ न होकर बस एक प्रभाव है। शक्ति के कार्यों पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। ये सभी प्रभाव शक्ति-परिवार के सदस्य हैं। जब शक्ति का कानून का रूप दे दिया जाता है तो वह सत्ता (Authority) बन जाती है। सत्ता का अर्थ उस विद्वत् है जहाँ पर नियम लिए जाते हैं। जब हम वास्तविक व्यवहार का निर्णय करते हैं तो हमका यह ज्ञान नहीं रहता कि यथायथ में नियम कौन न रहा है। प्रशासनिक नियमों पर अनेक एम. वा. शी प्रभाव पड़ते हैं जिनको प्रायः न खोजा जा सकता है और न अनुभव किया जा सकता है। सत्ता की परिभाषा देते हुए कई विचारक यह मानते हैं कि सत्ता कानूनी रूप में नियमों के शक्ति है। ✓

परम्परावादी विचारधारा में आज्ञा देने का अधिकार और आज्ञायानन का कर्तव्य जमीन में स्थापित की गई था उनमें शक्ति का कानूनी रूप प्रकट होता है। जब औपचारिक (Formal) रूप में एक शक्ति का आज्ञा देने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है तो उसमें कानूनी स्वाकृति भक्तता है। महा सामाजिक तथा अनौपचारिक सत्ता का कोई अन्तर्वे नहीं रहता। पर जहाँ नहीं होता कि जिस व्यक्ति का आज्ञा देने का अधिकार प्रदान किया गया है उसमें आज्ञा देने की सामर्थ्य भी हो। आज्ञा देने की सामर्थ्य का अर्थ कहा जा सकता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति के पास सत्ता है उसमें शक्ति का ज्ञान आवश्यक नहीं है। कई बार कुछ लोग शक्ति का प्रयोग बिना किसी सत्ता के भी करते हैं। शक्तिविहीन सत्ता के व्यवहार की तुलना एक बठपुतली से की जा सकती है। बठपुतली का जो भाग लगे लाता है वह देखने वाले का तात्पर्य प्रतीत होता है कि स्वयं बठपुतली ही उस करती है किंतु यथायथ में उनका व्यवहार का सूत्रधार का अर्थ शक्ति होता है। उस उदाहरण में बठपुतली के पास सत्ता है पर शक्ति नहीं। जब सगठना का हम अध्ययन करते हैं तो ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं जबकि पद-सापान के उच्च अधिकारी जिनको औपचारिक रूप में अधिकार मित होता है उनका प्रयोग

की व्यवस्था की जाए उह क्रमबद्ध किया जाए उनकी व्याख्या की जाए और उनमें समन्वय स्थापित किया जाए।

S (Staffing)—कामिक संगठन या कर्मचारियों की व्यवस्था करना। दमर शक्तों में उपयुक्त शक्तियाँ को विभिन्न पदाँ पर नियुक्त करना उनको प्रशिक्षण देना तथा उनके लिए कार्य करना अनुकूल शर्तों का निर्माण करना अर्थात् मनुष्य का कामिक प्रबंध।

D (Directing)—निर्देशन करना। कामका प्रभिप्राय है मनुष्य मनुष्यों को निर्णय देना उनको अनुकूल कर्मचारियों को विशिष्ट एवं सामान्य आदेश तथा सूचनाएँ देना तथा उनका नियंत्रण करना।

Co (Co-ordinating)—समन्वय करना अथवा कर्मों के विविध अंगों का परस्पर सम्बन्ध करना और उनमें समन्वय स्थापित करना अर्थात् उनमें परस्पर शक्ति (Overlapping) तथा सुषुप्त को बचाना।

R (Reporting)—प्रतिबन्धन या रिपोर्ट तयार करना अर्थात् प्रशासकीय कार्यों की प्रगति के बारे में उन लोगों को सूचनाएँ देना जिनके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है तथा निरीक्षण अनुभवों का अभिलेखन अर्थात् द्वारा इस प्रकार की सूचनाओं का संग्रह करना।

B (Budgeting)—बजट तयार करना या वित्तीय प्रणाली। कामका अंतर्गत शामिल हैं—वित्तीय योजना तयार करना हिमाय विभागीय स्तर पर प्रशासकीय विभागों का वित्तीय माध्यमों द्वारा अपने नियंत्रण में रखना अर्थात्। वित्तीय अपने व्यापक अर्थ में सम्पूर्ण वित्त प्रशासन को समाहित करता है।

पोम्बेकाव विचारों का माध्यम कि योजना संगठन कर्मचारियों का निर्देशन कार्यों का समन्वय तथा नियंत्रण रिपोर्ट बजट की तयारी अर्थात् व मौलिक बातें हैं जिनका ज्ञान किमा भी प्रशासक के लिए अनिवार्य है और यदि पाठ्यक्रमों का ज्ञान प्रक्रियाओं का मौलिक ज्ञान किमा व्यक्ति का है तो वह सभी प्रकार के संगठनों में किमा भी प्रकार के क्षेत्र का प्रशासन देना सकता है। व प्रक्रियाएँ अथवा प्रक्रियाएँ प्रशासन अर्थात् प्रबंध के सम्पूर्ण क्षेत्र पर समान रूप में लागू होती हैं। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन को एक विशिष्ट मनुष्यकी ज्ञान मानता है जो इस दृष्टि से प्राथमिक तथा पारिवारिक एन्मिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत का क्षेत्रीय न मानकर पद्धतीय मानता है। पोम्बेकाव का ज्ञान प्राणमन का क्षेत्र मानने वाला जूथर गुलिक का ज्ञान बात पर आधारित है कि लोक प्रशासन एक विश्व स्तर का ज्ञान है जिनमें एक विज्ञान की तरह पढ़ा जाता चाहिए। आज सभी विशिष्टीकृत ज्ञान के विचारों को लेकर प्रबंध विज्ञान (Management Science) काय बढ रहा है। पोम्बेकाव विचारों को प्रशासन का अधिनायक मानता है तथा अमेरिका में प्रशासन मनुष्यकी अध्ययन में एक पीढ़ी से भी अधिक समय से यह विचार विज्ञान प्रभावशाली रहा है।

किन्ती सगठन म विनयना का उभ प्राप्त करन के लिए एक मौखिक कथन यन् उठायो जा सकता ह कि विनयन का सत्ता क औपचारिक पन्थापान म उच्च स्तर प्रदान कर दिया जाए अर्थात् उस एक मनी कुर्सी पर बठा दिया जाए जहाँ स उमक निगया का सगठन क मर मन्स्य स्वीकार कर सकें। जिन साठना का प्रक्रिया (Process) क जाधार पर गलिन किया जाता ह उनम यन् गुण अपन आव आ जाता है जब विनिन्ना स सम्बन्धित मभी निगय एक न विभाग मराने लिए जात है ता यह सम्भव हा जाना है कि निगय न का काय म प्रकार निश्चित कर दिया जाए जिसम आवश्यक तकनीकी याम्यना नी गता हा सक। जब रियर लिए जात ह तो उन्म अनक प्रकार की तकनीकी सहायता की आन्वयकता जाता है। यह सहायता उस समय प्राप्त नी हा सकती जब निगया का सन्धार मत्ता क आपचारिक पन्थापन तक हा सीमित रह। माइमन का मत है कि निगय न म मभा प्रकार की विनयनता का नाम उठान के लिए यन् आन्वयक न कि मत्ता का औपचारिकता स मुक्त किया जाए। दवावा का मत्ता (Authority of Sanctions) को भाति विचरा की सत्ता (Authority of Ideas) को भी सगठन का सम्बन्ध करत क्षेत्र (Area of Acceptance) कता है जबकि बर्नार्ड (Bernard) न उपना का क्षेत्र (Zone of Indifference) कतकर पुनाग है। यदि उच्च अधिकार द्वारा लिए गए निगय नस क्षेत्र स बाहर है ता उनका स्वीकार नही किया जाएगा। यही कारण है कि जब सत्ताय री उच्च आधिकारी अन अधीनस्थ का आना दता है तो नस बात का ध्यान रखता ह कि आना इस क्षेत्र स बाहर न हा। अधिकारिया का दाना नगिया क क्षेत्र का सम्बन्ध कतकर न्य क्षेत्र क अन्तगत ही रह सकता है। अधीनस्थ अधिकारिया की स्वीकृति का यह क्षेत्र प्रत्यक सगठन म एक जसा नही होना और न ही एक सगठन म भी सदाव एक जसा हाता है। स्वीकृति क क्षेत्र का स्वरूप एव आकार निश्चित करन म अनक बाहरी दवावा एव तथा का प्रभाव रहता है।

परिस्थितियों का प्रभाव

(The Influence of Circumstances)

सगठन किन परिस्थितिया म काय कर रहा है तथा उमक यवना क नियम किस प्रकार क हैं, आति वार्ते भी यह निश्चित करन म महत्वपूर्ण योग दना है कि सत्ता का प्रभाव किना महत्वपूर्ण हागा। उन्तरण के लिए म एक एस मन्शन को ले सकते हैं कि जिसकी मन्स्यता स्वच्छा पर आधारित है तथा जिसक नदया का मनी प्रकार परिभाषित नहीं किया गया है। म प्रकार के सगठन म स्वीकृति का क्षेत्र अत्यन्त सीमित हाता है। इमक विपरीत स्थिति सनिक सगठन म पाई जाता है। अनिक सगठन म व्यवहार की परम्पराए तथा उनम सम्बन्धित दवावा की

पोस्टकाबवाणी यह दृष्टिकोण आज अनवरत दृष्टियों से अमाय अथवा अपूर्ण समझा जाता है—

प्रथम तो यह दृष्टिकोण इतना मकील है कि इस पर लोक प्रशासन शास्त्र में प्रकट होने वाला अथ पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता। पोस्टकाब की प्रक्रियाएँ तो परिवार मना चर्च स्थानीय इकाइयाँ आदि कहीं भी देखी जा सकती हैं। अतः संगठन चलान का यह विशय तान लोक प्रशासन नहीं हो सकता।

दूसरे इस मकील क्षेत्रवादी दृष्टिकोण में यह दुबलता है कि सदन का ध्यान नहीं रहता। लोक प्रशासन में लोक हित लोक-कल्याण एवं लोक-उद्देश्य का ध्यान पोस्टकाब गतिविधियाँ के लिए आवश्यक है। अतः सत्तम से बाहर मौलिक ज्ञान अपूर्ण एवं हानिकारक न हो सकता है। पोस्टकाब दृष्टिकोण लोक-उद्देश्य की चर्चा नहीं करता। अतः यह इसी तरह लोक प्रशासन का सम्पूर्ण क्षेत्र नहीं है जसे माना की तयारी करन मात्र का यात्रा नहीं कहा जा सकता।

तीसरे मानव सम्बन्ध दृष्टिकोण में लक्ष्य का कहना है कि पोस्टकाब का लोक प्रशासन कहना प्रशासन का एक अत्यन्त निर्जीव शुष्क मृत निरवप्रस्तुत करना है। हाथान प्रयोग (Hawthorne Experiments) के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह मिथ्या शीकृत जाना जा रहा है कि प्रशासन एक मानवीय कला है एक सामाजिक विज्ञान है जिसकेवल नट (Nut) और बोट (Bolt) का रूप नहीं लिया जा सकता। वस्तुतः पोस्टकाब की क्रियाएँ प्रशासन नहीं बल्कि औजार मात्र हैं।

पाठ्य विशय सम्बन्धी विचारधारा

जा लेखक पोस्टकाब को बहुत संकुचित क्षेत्र मानते हैं उनकी यह मान्यता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र विषय की दृष्टि से निर्धारित किया जाना चाहिए तकनीक की दृष्टि से नहीं। लुइस मेमम (Lewis Memam) एक ऐसा ही लेखक है जो एक कच्ची की दा फलका (Blades) की तरह लोक प्रशासन के क्षेत्र में विषय और तकनीक दोनों को स्थान देता है। उसका कथना है कि किमी भी अभिकरण द्वारा प्रभावपूर्ण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन कबल तभी सम्भव है जब उसकी विषय-वस्तु का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। प्रशासन का मुख्य तत्त्व सजातीय क्रियाएँ (Like activities) हैं जो जनता के लिए व्यापक और विविध सेवा प्रस्तुत करती हैं जैसे—कानून एवं प्रवस्था शिषा स्वास्थ्य कृषि सामाजिक सुरक्षा आदि। अतः महत्वपूर्ण कार्य अथवा यथापक सेवाएँ पोस्टकाब प्रक्रियाओं में सम विष्ट नहीं होती।

पाठ्य विषय सम्बन्धी विचारधारा अथवा यथापक-क्षेत्र के समथक लोक प्रशासन को नीति विज्ञान मानते हैं और विषय की दृष्टि से उसे विस्तृत कर सरकार की कार्यकारिणी के समक्ष बना देते हैं। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र का सरकार की सम्पूर्ण गतिविधियाँ तक (Government in action) व्यापक बना

प्रतिबंध लग रत है जिनका अनुहरना करने पर उसका प्रभाव ना समाप्त हो ही जाता है साथ ही उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। वर्तमान युग में अनेक तत्त्वान सत्त की स्थिति पर आतिवागी प्रभाव लग है। उन प्रभावा क परिणामस्वरूप सत्ता प्रकृति अपने पूर्ववतिया में बरत कुछ बरत चुकी है। सत्ता के विक्रीकरण की आवश्यकताएँ न सत्ताधी की स्वायत्ता की प्रकृति पर जा अनुशय लग ए है। उनक कारण उसकी शक्तिया पर अनेक सामाज स्थायित्व गी गई है। मध्य अधिधारिया क बढत हुए उत्तरत्यापि वा श्व कार्यो क फलस्वरूप य भी अनुशयक हा गया है कि व अधी सत्ता का हस्तान्तरण करे। हस्तान्तरण श्रवा प्रय यानत (Delegation) की प्रक्रिया में सत्ताधी की शक्ति अपने कार्यो का सम्पन्न करत में अधीनस्थवा का सक्रिय मन्थाग माँगना है औ य मन्थाग जिस रूप में लिया जाता है उस पर मानव-सम्बन्धा का भारी प्रभाव रता है।

हस्तान्तरित सत्ता का प्रयोग करत समय अथवा सत्ताधी की आनामा का पालन करने समय संगठन क सत्तवा द्वारा जा व्यवहार किया जाता है व बरत कुछ मन वागिक तत्त्वा से प्रभावित रहता है। इसका अर्थ य है कि व युग में स वैदिक प्रकृति का नहीं होना। किसी ना परिस्थिति में वैदिक आध र पर अधीनस्था जन वाता वाय क्वल एव ही होता है। पराप्त विचार विमो क वा उन एक क प को करने का िणय लिया जाता है तथा वही सभी सदस्य गण सम्मन किया जाता चाहिए। संगठन क वास्तविक व्यवहार का दर्शन पर नाता है कि उनका व्यवहार प्राय वैदिक विचारों में पर ट जाता है। वास क य करने लगत है जिनका का वैदिक वाय नहीं बताया जा सकता। जब सत्ता की व्यवस्था का एक संगठन में स्थापित किया जाता है तो प्राय मानवीय व्यवहार क स वैदिक एव मनावन निव पहलू पर गान नहीं लिया जाता। कई दिवारका का य मन है कि एव शक्ति व अभय शक्ति क निष्ठा का स्वीकार करना है तथा उसकी आनामा का पालन करता है तब उसका व्यवहार में विचलन स कि श प्रर का सम्भव नहीं रहता। मनाविन कवल उस क्षेत्र का निश्चिन करने में महत्वपूर्ण भाग लेता है जिसमें सत्ता का पालन किया जा सकता है किंतु सत्ता का पालन करत समय अथ क वा व्यवहार कसा गारा हम बात से मनावन न का सम्भव नहीं होता।

सत्ता एक मनाविन क मध्य स्थित सम्बन्धा पर उक्त दिवार अधि क लायक व माय नहीं लिखाइ देत। एक कारण यह है कि यदि हम सत्ता का पृथक् कर देता में स्थिति का स्पष्टकरण कस किया जा सकता है जबकि उ व पता धकी क आदेश का अनुग-अनुग व्यस्था की जाती हैं तथा उनका अधीनस्थ पदाधिकारिया द्वारा विभन रुना में सम्भन जाता है। उनको मन स्थिति क आधा पर ही इस बात का निष्ण किया जाता है कि सत्ता क आदेश को निमाविन करत समय व

दिया जाता है। ये गतिविधियाँ अधिकतर वायव्यारिणी से सम्बन्धित हैं किन्तु विधायिका 'वायपालिका और जनता से उनका सम्बन्ध भा लोक प्रशासन के विषय है। लोक प्रशासन को इस तरह राजनीति और सरकार के निकट लाने वाले ये विचारक मानते हैं कि नीति विज्ञान हान के कारण लोक प्रशासन तीन प्रकार के कार्य करता है—पहला यह नीति निर्माण राजनीतिज्ञों का सामग्री प्रदान करता है, दूसरे यह नीति निर्माण और कार्यान्वयन में रिक्रता को भरता है, एक तीसरे, एक प्रक्रिया के रूप में यह अनवरत रूप में नीति का प्रभावित करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन का ध्यान केवल शुष्क तकनीक के ज्ञान तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका ध्यान नीति निर्माण और व्यवहार से सम्बन्धित सभी गतिविधियों को गहराई में समझना और परतना है।

समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक विचारधारा

सम दृष्टिकोण के समकालीन लेखक इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वे लोक प्रशासन का अध्ययन समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक ढंग में करने लगे हैं। आज का लोक प्रशासन तकनीक तथा विषय का ज्ञान मात्र न रहकर उन समग्र परिस्थितियाँ और वातावरण को भी अपने में सम्मिलित करता है जिनके अन्तर्गत शासन प्रक्रिया चलती है। फ्रैंक रिम जो परिस्थिति विज्ञान सम्बन्धी (Ecological) अध्ययन का प्रवर्तक है कहता है कि लोक प्रशासन का श्रुत-व्यवस्था, मन्त्र-यवस्था राजनीति संस्कृति तथा प्रतीक आदि को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। तुलनात्मक प्रशासन के क्षेत्र में हैडी एवं स्टोक (Heady and Stoke) के प्रपलन आज लोक प्रशासन की संस्कृति अथवा संस्कृति से आबद्ध लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं पर बताने हैं। अन्वेषण मनोबल मानव-सम्बन्ध प्रशासकीय नेतृत्व आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी समाजशास्त्रीय स्थितियाँ के सन्दर्भ में ही ठीक प्रकार विवेचना की जा सकती है।

वास्तव में पोस्टकाब और पाठ्य विषय सम्बन्धी दाना ही विचारधाराएँ एक दूसरे की विरोधी न होकर पूरक हैं। पाठ्यकाब का विचार प्रशासन के नैतिक पहलू पर और विषयवस्तु वाला विचार प्रशासन के व्यावहारिक पहलू पर जोर देता है। लोक प्रशासन के पूरा चित्र के लिये इन दोनों का होना समान रूप से आवश्यक है। यह कहना चाहिए कि लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र पाठ्यकाब की धुरी से प्रारम्भ होकर एक अन्तर्गत दुस्त के रूप में ज्ञान की समाजशास्त्रीयता का अपने में आविष्ट करने लगा है। लोक प्रशासन आज काम, कर्मचारी का तकनीकी ज्ञान तो बताना ही है किन्तु ये तकनीक किन क्षेत्रों में किन स्थितियों में प्रभावशाली होता है—यह भी इसके क्षेत्र का एक अंग है। जो पोस्टकाब प्रणाली पुलिस प्रशासन पर लागू होती है वह विकास प्रशासन पर लागू नहीं होती। उस तरह विकास प्रशासन का जो स्वरूप पाकिस्तान में या थाइलैण्ड में है वह बताना और अर्थज्ञानना से भिन्न है।

बवस तथा बरिट (Bavelas and Barret) ने अनेक प्रयोगों के आधार पर यह बताया है कि सूचना के प्रदान प्रणम की विभिन्न परिस्थितिया का नेतृत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनका मत है कि यदि संगठन के सभी व्यक्ति सूचना क प्रदान प्रदान का समान रूप से अवसर प्राप्त कर सकें तो कोई नया पया नहीं हो सवगा किन जो व्यक्ति अधिक अधिक सूचना प्राप्त कर सकता है वह कभी न कभी एक नेता बन जाएगा और इस प्रकार व्यक्तिवा का वह समूह भी अपने आपको इस प्रकार व्यवस्थित कर सगा कि वह नेता बन सकता। बवस तथा बरिट क प्रामुख्यत मजदूरों के स्तर पर किए गए थ जिह हम प्रबन्ध स्तर पर जो का लो रागू नहीं कर सकत। प्रबन्धात्मक स्तर म नेतृत्व के विकास के लिए परिस्थितिया बनन म संगठन की संरचना और सता क निर्धारण का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। कई बार संगठन की संरचना एसी होती है जिसम अधीनस्थ अधिकारी स उसके निम्न कार्यकर्ताओं द्वारा सहायता की प्राया की जाती है। इस प्रकार की परिस्थिति के निर्माण म अधीनस्थ को नया बनने का अवसर प्राप्त होता है। गुण्टज तथा ओनेल (Koontz and O'Donell) न इस प्रकार की स्थितिया को नेतृत्व के अवसर प्रदाय करने का सिद्धान्त (The Principle of Leadership Facilitation) कहा है।¹

3 अनुयायी विचारधारा (The Follower Theory)

यह नेतृत्व से सम्बन्धित तीसरी विचारधारा अनुयायिया क गुणा पर जा र देती है। एक नेता के आवश्यक गुणा पर विचार करते समय यह देखना चाहिए कि उस निन रागा का नेतृत्व करना है उनका यकिनत्व कमा है उनकी यकिनमत विषयपता क्या हैं आदि। नेतृत्व किए जाने वात यनिता का भी अध्ययन किया जाना बहरी है। सनफोर्ड (Sanford) का यह कहना विकृत सही है कि एक व्यक्ति क रूप म यह एक अनुयायी ही होता है जो नेता को समझता है जो परिस्थितिया को समझता है और जो अतिम रूप स नेता को स्वीकार या अस्वीकार करता है। अनुयायी क समझन क अभिप्राय दृष्टिकोण आदि का यह विश्लेषण करने म बहुत महत्वपूर्ण याग रहता है कि वह क्या समझता मार उसक स व थ म क्या प्रतिनिधता करेगा। दूसरे रागा म यह कहा जा सकता है कि एक नेता के व्यक्तित्व गुण वास्तव म चाहे कुछ भी हा किन्तु उस नेता बनान म सहाई अभिमत स भी हो सकता है जब अनुयायिया द्वारा उनकी स्वीकार कर लिया जाए। नेतृत्व क लिए उपयुक्त परिस्थितिया अनुयायिया द्वारा बना दी जाती हैं। अनुयायी

1 *Harold K. Bavelas and Cy IOD n H P a p l s of Management pp 297*

2 *Filmore H S nford Lead hip Id r i d i a t i o n and Acc p t o c e - In d 434*
Group Leadership and Motivation edited by H. J. G. etzkow n

लोक प्रशासन का क्षेत्र आज अपने ज्ञान की वृत्तान्विता के विस्तार के लिए सम्यक् धाराओं अन्तर्-सम्बन्धों परिणामों और उनसे जन्म लेने वाली प्रक्रियाओं का भी अपने क्षेत्र के अन्तर्गत मानता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र का यह विस्तार तीन चरणों में हुआ है। पहला तकनीकी ज्ञान दूसरा विषय सम्बन्धी ज्ञान एवं तीसरा सार्वजनिक और अन्तर्-सम्बन्ध विषयक ज्ञान। मगठन नौकरशाही सर्वोच्च की समस्याओं तथा वित्त प्रशासन का जब लोक प्रशासन के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है तो उनका यह अध्ययन केवल सिद्धांतिक न हाकर इस दृष्टि से किया जाने लगा है कि जन सिद्धांत पर राजनीतिक सांस्कृतिक तथा ऐतरीय विषय के विशिष्टीकरण का क्या प्रभाव पडा है। कुल मिलाकर लोक प्रशासन का क्षेत्र आज इतना विस्तृत हो गया है कि उसमें आज सरकार की सारी गतिविधियाँ और राजनीति के सारे अन्तर्-सम्बन्ध समा जाते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से आज व्यक्तिगत तथा मावजनिक प्रशासन (Private and Public Administration) का अन्तर भी गौण होता जा रहा है। फेलिक्स ए नीग्रो (Felix A Nigro) ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का सारांश निम्नानुसार देने की चेष्टा की है—

लोक प्रशासन

- (1) सरकारी ढाँचे में एक सहकारी वर्गीय प्रयत्न है
- (2) यह सरकार की तीनों शाखाओं (वायपालिका व्यवस्थापिका वायपालिका) तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है
- (3) यह सरकारी नीति के निर्माण में मन्त्रवृत्त योगदान देता है और इस तरह राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग है
- (4) यह नीति प्रशासन से अधिक मन्त्रवृत्त है और बहुत कुछ उनमें भिन्न भी
- (5) अध्ययन एवं प्रयोग के क्षेत्र में नाल ही के वर्षों में यह मानवीय तत्त्व सम्बन्धी दृष्टिकोण में बहुत प्रभावित हुआ है तथा
- (6) समाज की सेवाएँ प्रदान करने में यह अनेक निजी व्यक्तियों और वर्गों में प्रच्छिन्न रूप में सम्बन्धित है।

लोक प्रशासन की प्रकृति एक सामाजिक विज्ञान

(Nature of Public Administration Social Science)

सामाजिक विज्ञान की दुनिया में यह विद्या प्रत्येक अध्ययन विषय के सम्बन्ध में चलता है कि उसे क्या माना जाय या विज्ञान। वास्तव में समस्या क्या बनाम विज्ञान न हाकर क्या और विज्ञान होना की पूरकता को सिद्ध करने की है। ऐसी

को महत्त्व देने वाली विचारधारा द्वारा परिस्फुरितवाणी दृष्टिकोण के महत्त्व को नहीं भुनाया जाता किन्तु इसका कहना है कि 'यत्किंगत गुरा एव अनुकूल परिस्थितियां व साधन-साध अनुयायियों की आवश्यकताओं को भी नटृत्व की मायता में सम्मिलित कर लेना चाहिए। हमें के शांति में अनुयायियों की आवश्यकताओं का सन्तोष प्रकट करने की मायता का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।'¹

डेविस कीथ (Devis Keith) आदि लेखकों ने स्पष्ट किया है कि अनुयायियों का चरित्र एवं दृष्टिकोण नेताओं के भाग्य का निर्णायक होता है। नेता और अनुयायी के बीच का सम्बन्ध एक परिवर्तनशील सम्बन्ध है अर्थात् यह तभी तक रहता है जब तक कि अनुयायी का स्वायत्तबुद्धि होता है। अनुयायी नेता को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सव्यथ साधन समझता है। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है वह उसका सहारा ढूँढता है। एक समूह के सत्य अपने नेता का अनुगमन इसलिए करता है क्योंकि उन्हें ऐसा करने से सन्तोष तथा अवलम्ब मिलता है। कोई भी व्यक्ति-समूह 'ता' के बिना एक इकाई के रूप में कार्य नहीं कर सकता।

किसी भी व्यक्ति का जब एक व्यक्ति-समूह नेता मानता है तो ऐसा वह (यदि नहीं करता कि उस व्यक्ति में बुद्धि व न कुशलता आदि विशेषताएँ हैं) अर्थात् कारण यह है कि नेता के व्यक्तिगत गुणों का माध्यम से उस समूह को अपनी आवश्यकताओं की सिद्धि दिखाई देनी है। व्यक्ति का स्वायत्तबुद्धि दृष्टिकोण जो जीवन की एक वास्तविकता है प्रायः उस यह मोहन के लिए प्रेरित करता है कि यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो हमें उसे इसमें क्या फल पड़ता है। जब तक उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता एक मनुष्य के हित-साधन में सन्तोष प्रदान नहीं करती तब तक वह उसका महत्त्व मानने के लिए तयार नहीं होता। सगठन के जीवन में भी इन सभी बातों का पूरा प्रभाव रहता है और इसलिए यदि कोई व्यक्ति नेता बनना चाहता है तो उसे अधिकारिक तौरों के स्वार्थों को सन्तोष करने की विशेषता का विकास करना होगा। एक व्यक्ति दूसरे के साथ किस प्रकार के सम्बन्ध रखेगा इसका निश्चय हमें बताना होता है कि वह व्यक्ति पहले व्यक्ति के कितने काम निकाल सकता है। अनुयायियों के दृष्टिकोण से अनुसार एक व्यक्ति के नेता बनने के आधार पर उस समूह के सदस्यों से एक सम्झौता किया जाता है। इन सम्झौतों के अनुसार सभी सन्तोष यह स्वीकार करते हैं कि अनुकूल व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा उनकी आवश्यकताओं को अधिक पूरा कर सकता है अतः उस नेता बनाया जाना चाहिए। नेता का उदय एक दूसरे रूप में भी हो सकता है जब एक व्यक्ति अपने कार्यक्षमता एवं नीतियों को क्रियावित करने के लिए यह आवश्यक समझ कि उसे नेतृत्व

कोई कला नहीं है जिसका कोई वैज्ञानिक नियम न हो और सभी प्रकार के सामाजिक कोणक बनाकार सिद्ध किया जा सकता है। तानमहून स्थापय बना का प्रथम प्रदर्शन है यह कहना उतना ही सही है जितना यह कि ताजमहल अभियांत्रिकी विज्ञान का चमत्कार है। अग्लो-14 दशक पर जाता है तो वह विज्ञान की उपलब्धि है किंतु उन्ने वहा तक ने जान बल चलायानी बनातिक न कलाकार अधिक हैं। मशीनकार का भी मशीन के स्वयं का अनुशासन बनातिक रूप में सीखना पड़ता है।

लोक प्रशासन कला के रूप में

डा फाइनेर मोरिस कोहन प्राणिक विचारानुसार लोक प्रशासन का एक विज्ञान नहीं माना जा सकता। पद्याधवाणी विचारक के रूप में डा फन डी ह्वार्ट का यह कर्ता है कि लोक प्रशासन प्रथम में विज्ञान है अथवा कला, यह बात भविष्य के निगम के लिए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि यह एक विवक्षित अभ्ययत है जिसका वैज्ञानिकता समय के साथ बढ़ती जा रही है। एल उविन ने प्रशासन को एक कला माना है और उनका कर्ता है कि अथ कलाप्रा की भांति प्रशासन का कलाप्रा का भी खरीदा नहीं जा सकता। वस्तु स्थिति यह है कि लोक प्रशासन सर्व से एक कला विशेष के रूप में जाना माना जाता रहा है। लोक प्रशासन को उच्चतम कला की श्रेणी दी जा सकती है और उसके लिए वही तक दिए जा सकते हैं जो राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान अथवा सिद्ध विज्ञान मानने के तम में अरस्तू न दिए थे। एक प्रशासन का कुशल प्रताप के लिए अनिवाय है कि विशेष कौशल का विकास किया जाए। धनुर्विद्या चित्रकारी-मूर्तिकला तथा ऐसी ही अन्य कलाओं की भांति प्रशासन को भी सीखा जा सकता है। नौटिक्य का अयनास्त्र भक्तियवारी का सिद्धि अशुभ फलन का आइने अन्वरी आदि रचनाए प्रशासन के माय की उत्पन्नता का दूर करने में महत्वक हारर प्रशासकीय कुशलता का विकास करता है। आन्व टवीन ने माना है कि संक्षेप में प्रशासन एक सुंदर कला है।

लोक प्रशासन का जब कला कहा जाता है तो उसमें पांच बातें निहित होती हैं—

पहला कला एक व्यक्तिगत, व्यक्तिक, असामाय्य और अनूठा अनुभव है। कलाकार के मज्जात हाता है उस जगह दूसरा नहीं हाता और जिसकी प्रतिभा प्राकृतिक रूप से निष्ठा विनय में मुडती है। इसी प्रकार लोक प्रशासन के मज्जात में है। प्रशासन के कितने ही नियम बना लिए जाए प्रशासन एक सभी कला है जिस कुछ लागू औरों की तुलना में अधिक प्रवृत्ता से सम्पादन करेय।

दूसरा कला में सत्यम शिवम मन्त्रम की अभिव्यक्ति हाती है और यह विधान चला है कि कला कला के लिए है अथवा समाज के लिए है। लोक प्रशासन की श्रितिया मय है उसके उद्देश्य शिव (कल्याणकारण) है और...

सौन्दर्य उमे कलात्मकता देता है। प्रशासन प्रशामन के लिए है या जनता के लिए है यन् विवाद प्रशासन को एक तथा कला मिद करता है जो यथार्थो-मुख प्राशवाद की ओर संवत करती है।

तीसरा प्रयेक कला म एक सृजनात्मक अभिव्यक्ति हानी है (Art is a creative beauty)। कला निर्माण है सृजन और सृजन तारा उन्नत कृतियों का परिणय क। ज्ञ मकती है। लोक प्रशामन बाह कितना ही भौतिक एवं समाज की जड बानो स मन्वीघन हो उसका मुख्य उद्श्य एक नए समाज का रचना करना या उसके निर्माण मे अपना याग देना है। प्रशासक का मुख एक कलाकार का मुख है और उमे अपन काय मे बसा ही सन्तान मिलना है जसा एक कलाकार को अपनी कला का देखकर मिलता है। यन् प्रशासक तारा बनाए गए नियम अथवा सिद्धान्त व्यवहार म उपयोगी और सफ न सिद्ध होते हैं तो यन् उमक लिए गौरव की बात है।

चौथा कला सिदान्त और व्यवहार के अतमन्व-घ का बोध है। कला म अमृत म मृत रूप की अभिव्यक्ति हानी है। लोक प्रशासन भी अमृत सिदान्त और व्यवहार की सामाजिक दुनिया क बीच पाई जान वाली स्थिति का अध्ययन है। वन् व्यवहार स सिदान्त बनाता है और सिदान्त को व्यवहार म लागू करता है। यन् मानव जगत् लोक प्रशासक का लिए एक प्रयोगशाला है जहा मानव व्यवहार और स्वभाव का अयन करत हुए आवश्यकता और परिस्थितियों क अनुकूल लोक प्रशासन द्वारा नियम अथवा सिदान्त बनए जात हैं और तब फिर उन नियमा अथवा सिदान्तो को मन्वीघन मानव समाज पर व्यवहार म लागू करने का प्रयत्न किया जाता है।

पाचवां प्रत्येक कला का अपना एक माध्यम एक साधन होता है। उदाहरणार्थ, चित्रकला का साधन रंग, संगीत का साधन स्वर, साहित्य का शब्द तथा भाव है। प्रशासन रूपी कला के भी तीन मुख्य साधन हैं—मन्वप्रथम वह स्वय को सगठन द्वारा पकट करता है तत्पश्चात् वन् स्वय को सगठन के उद्द्यो द्वारा प्रकट करता है और फिर स्वय का इती योगो क सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश द्वारा स्वरूप प्रदान करता है। जिस प्रकार प्रयत्न यत्ति के लिए अपनी दृष्टि स मगीन चित्रकला शिल्पकला आदि की शक्तियों और स्वरूप म परस्पर भिन्नता होनी है अथवा ये सब एक नसरे से कम या अधिक पृथक होत हैं उसी प्रकार शासन की शक्तियों और स्वरूपों म भी सबन एकरूपता नहीं पई जती।

इस तरह प्रशासन को एक कला कहना न असमति है और न ही अतिशयोक्ति। उद तक नह मन्व-जीवन क एक भय है उद तक उपकरी कलात्मकता किसी न किसी रूप म विद्यमान रहेगी। विवाद यह हो सकता है कि यह कितने प्रशा म कला है या कौन सी कला है। किन्तु उसके कला होने स नकारा नहीं जा सकता। अत आइवे टोड के अनुसार यदि मिट्टी अथवा रंगो से बनी कृति कलाकृति है यदि

स्वरा व आपसी सगुणन क उचार-चत्वाव का संगीत कहत है यदि शब्दों और भावा के सचयन का नाम साहित्य है—और ये सभी ललित कलाएँ हैं तो हम उस मम को भी ललित कला का सना देन का पूरा अधिकार है जो व्यवस्था सम्बन्धी क्षेत्र का, सायक त्ग स व्यक्तिया और अलग-अलग समूहा के निक्ट लाता = 1

लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान के रूप में

लोक प्रशासन एक कला शत हुए भी एक विज्ञान है, और य प्रश्न प्राय अधिक विवादाल्य है। लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान के रूप में नकारना पूरण भ्रामक और गलत होगा। इसका वनानिकता को सिद्ध करने के लिए यह देखना होगा कि विज्ञान और वनानिकता क्या है।

विज्ञान एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जिसकी तकनीक भी विज्ञाप हो सकती है। सभी ज्ञान को मोटे रूप में तीन समूहा में बाटा जा सकता है। एक पदार्थ का ज्ञान जिस पदार्थ विज्ञान (Natural Science) कहा जाता है। दूसरा मानव जीवन का ज्ञान जिसे मानविकी (Humanities) कहत हैं। तीसरा सामाजिक ज्ञान, जिस समाज विज्ञान (Social Science) की मज्ञा दी जाती है। एक विज्ञान में मुख्य रूप में तीन विशेषताएँ होती हैं—(1) वह ज्ञान का एक व्यवस्थित भण्डार ज्ञान है (2) उसका परिणाम अथवा निष्कप सावदशिक, सावकानिक एवं शाश्वत होत है, तथा (3) उसकी अध्ययन विधि परिणामात्मक एवं निश्चयात्मक होती है। यह उ लेखनीय है कि कोई भा विज्ञान अपनी पूरा ता में शत प्रतिशत विज्ञान नहीं होता किन्तु वह अपनी वनानिकता का निरन्तर प्रयोग द्वारा बना सकता है।

वज्ञानिक निष्कर्षों में कुछ विशेषताएँ आवश्यक मानी जाती हैं जस—सम्बन्धिता सावकालिकता भविष्यवाणी करन की क्षमता निश्चितता प्रदर्शनशीलता मून-तटस्थता सृजनशीलता और परिणामात्मकता। इस प्रकार क निश्चया तक पहुचन के लिए विज्ञान जिस विशेषण-पद्धति का अनुकरण करता है उम वज्ञानिक पद्धति कहत हैं और इस वज्ञानिक पद्धति में मुख्य चरण होत हैं—अवधारणा, निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग, मत्यापन, पुष्टिकरण समीकरण आदि। इस तरह विज्ञान सार रूप में नवीनता को निरन्तरता के साथ तटस्थतापूर्वक की गई शाध है। चाद के घरातल पर चट्टानें है यह निष्कप भा वज्ञानिक है और जिस पद्धति से यह निकाला गया है वह भी वज्ञानिक है। औरजब सन् 1707 में मरा यह निष्कप भी कुछ अशा में वज्ञानिक है पर उतना वज्ञानिक नहीं जितना चट्टतल पर चट्टाना का पाया जाना। चिकित्सा विज्ञान आज भी मनुष्य की मोत या इलाज के बारे में वसी भविष्यवाणी नहा कर सकता जसी अपाला के ग्राउण्ड क्प्टोल के वज्ञानिक कर सकते हैं। फिर भी चिकित्सा कम वज्ञानिक नहा है।

इस प्रकार का भी सामाजिक विज्ञान उतना सुनिश्चित नहीं हो सकता जितना भौतिक विज्ञान। यथायथा और पूर्वानुमान की क्षमता जितनी भौतिक विज्ञान में पाई जाती है उतनी सामाजिक विज्ञान में नहीं। सामाजिक विज्ञान को अपने तत्वों पर इतना अधिक नियंत्रण प्राप्त नहीं होता कि वह उन्हें जिस प्रकार चाहे प्रयोग कर सके। राजनीति विज्ञान में ऐसा कोई सुनिश्चित सिद्धान्त नहीं है जिसका अनुसरण कर निरपवाद रूप से क्रतियों को टाला जा सके अथवा निर्वाचनों में बहुमत प्राप्त किया जा सके। लोक प्रशासन के पास भी ऐसा कोई पूरा निश्चित सिद्धान्त नहीं है जिनके द्वारा सर्व इच्छानुसार परिणाम निकारा जा सके। यही कारण है कि प्राकृतिक विज्ञानवेत्ता और उसके समकक्ष लोक प्रशासन को अथवा अन्य सामाजिक अध्ययन को विज्ञान मानने से इंकार करते हैं। इसके विपरीत सामाजिक अध्ययन का विज्ञान मानने वाला का तर्क है कि पूर्ण निश्चितता और यथायथा विज्ञान की सही कसौटी नहीं है बल्कि किसी भी अध्ययन की वैज्ञानिकता मूलतः उस बात पर निर्भर है कि वह अध्ययन में किस सीमा तक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर सकता है। जिस किसी भी अध्ययन में वैज्ञानिकता पद्धति का प्रयोग सम्भव है उसे विज्ञान कहा जायगा। निश्चय ही वह भौतिक विज्ञान की भांति सुनिश्चित विज्ञान नहीं है और सामाजिक विज्ञान अथवा बहुत कुछ अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में आएगा। सामाजिक विज्ञान की विषयवस्तु मानव है और यद्यपि मानव-स्वभाव का विश्लेषण करता उतना सरल नहीं है जितना भौतिक पदार्थों का तथापि मानव-स्वभाव के बारे में भी मोट तौर पर कुछ सांख्यिक निष्पन्न निकाला जा सकता है। यदि ऐसा न होता तो सामाजिक व्यवहार का वर्तमान समूचा आधार ही समप्त हो जाता। आशय यह है कि मानव स्वभाव का और इसी कारण प्रशासकीय व्यवहार का भी वैज्ञानिक रूप में वर्गीकरण तथा अध्ययन सम्भव है और उसके बारे में सामान्य निष्पन्न निकाला जा सकता है चाहे वे भौतिक विज्ञान के सूत्रों की भांति शन प्रतिशत सही न हो तथापि सभावनाओं के रूप में उनकी उपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता।

लोक प्रशासन को समाज विज्ञान मानने के समय यह प्रश्न उठता है कि निष्पन्न एवं पद्धति की दृष्टि से वह कितना अशुद्ध वैज्ञानिक है अथवा वैज्ञानिक हो सकता है। एक समाज विज्ञान होने के कारण यह तो मानकर चलना होगा कि वह भौतिक शास्त्र या रसायनशास्त्र नहीं बन सकता किंतु यह कहना भी सही नहीं है कि उसके निष्पन्न और नियम उतने ही अराजकतावादी हैं जस—पिकासो की चित्रकला। लोक प्रशासन के सारे लेखक इस दृष्टि से तीन विचार-वर्गों में बाँटे जा सकते हैं। कुछ लोग तो यह मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है ठीक ऐसा ही जस बहुत से प्राकृतिक विज्ञान हैं और मरसन, बर्नार्ड तथा वियर इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। दूसरे कुछ लेखक जिनमें ब्राडो और वानास प्रमुख हैं मानते हैं कि

लोक प्रशासन कभी विज्ञान नही बन सकता। इस बारे में मार प्रदाय निरर्थक है। तीसरे विचार बग में आज के अधिकतर लेखक आते हैं जिनका मान्यता है कि हम विज्ञान नहीं है लेकिन हाकर रहग और यह सम्भव है। जुविक टेलर साइमन पिफनर रिगज ग्रान्टि लेखको ने अपनी "म मान्यता के लिए कबल तक ही नहीं लिए है अपितु वनानिक शोध में लोक प्रशासन का पहले से अधिक वनानिक बनाया है।

पहला विचार-बग यह मानता है कि विज्ञान एक सापेक्ष स्थिति है। जतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान रसायन शास्त्र कभी नहीं बन सकत किन्तु तुलना के आधार पर वनस्पति विज्ञान को नकारना न उचित है और न सम्भव है। लोक प्रशासन की भी एसी ही सापेक्ष स्थिति है। इसके अपने सिद्धान्त हैं सद्धान्तिक वनानिक प्रणाली है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग हो रहे हैं। यह एक निरीक्षणमक सामाजिक विज्ञान है और बयड क शब्द में यह उस प्रकार क अनुभूत नियमों को समर्पित कर चुका है जो व्यवहार में सही हैं और भविष्यवाणी की क्षमता रखत हैं। हम विचार बग के तक हैं कि हम एक अधविकसित विज्ञान हैं। वनानिक अवधारणा लोक प्रशासन की दुनिया में तजी से प्रविष्ट हो रही है। है और चाहिए दोनों की हा दृष्टि से लोक प्रशासन में आशातीत प्रगति हुई है।

लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने वाला दूसरा विचार-बग अधिकतर वहां तक जाता है कि अधिकतर सभी ममान विज्ञानों के विरुद्ध लिए जा सकते हैं। इन लेखकों का कर्ना है कि—(1) लोक प्रशासन का क्षेत्र वतनी विविधताएँ लिए हुए है कि वनानिक पद्धतियाँ इसमें प्रयुक्त ही नहीं हो सकतीं। (2) यदि लोक प्रशासन में कुछ वनानिक सिद्धान्त प्रतिपादित कर भी लिए जा तो न उन पर सहमति हो सकेगी और न वे प्रयोग में ही आ सकेंगे। (3) लोक प्रशासन अपने आपकी मूल्या से कभी स्वतंत्र नहीं कर सकेगा और चाहिए विज्ञान अपने आप में अविराध है। (4) जैसे जैसे लोक प्रशासन विकसित होगा सामाजिकता के अवैदिक आचरण उस वनानिकता का दुनिया से उतनी ही दूर ल जायेंगे। कुन मितकर इन लोगों का तर्क है कि लोक प्रशासन के निष्कय अवनानिक हैं और इसका पद्धति में भी वनानिकता नहीं है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन की दुनिया में सिद्धान्त अव्यावहारिक हैं और व्यवहार कभी सिद्धान्त के अनुरूप नहीं आता। अतः वनानिकता का सारा उपक्रम एक निष्फल चेष्टा है जिसका परिणाम तुच्छताओं पर धन शक्ति और सत्ता का अपव्यय करना होगा।

जा तब तीसरे विचार-बग में आते हैं वे आशावादी कमठ एक उद्यमशील समाज-वनानिक है। इन लोगों का कर्ना है कि हम निकट भविष्य में विज्ञान के लिए बनने जा रहे हैं कि—

लोक प्रशासन के पास आज अध्ययन के नए यंत्र आते जा रहे हैं जिससे हमारी परीक्षण विधियाँ अधिक प्रभावी बन सकेंगी। जिस तरह चन्द्र यात्रा आने

इसलिए सम्भव बन सकी है कि आस्ट्रो फिजिक्स के पास कम्प्यूटर जन्म विनियोग यंत्र है। लोक प्रशासन में पिछले पचास वर्षों में जो शोधकाय हुआ है उसने इस अध्ययन को नया यंत्र प्रदान किए हैं।

2/ यदि हम आज के लोक प्रशासन साहित्य की तुलना उन शोध निष्कर्षों से करें जो ह्याइट और विनाबी के आरम्भिक प्रयास में प्रतिपादित किए गए हैं तो मालूम होगा कि वनानिकता की दिशा में हम काफी बढ़ चुके हैं। हरबट साइमन की पुस्तक Administration Behaviour और Models of Men ऐसे शोध प्रयास हैं जिनमें लोक प्रशासन की वैज्ञानिक अध्ययन विधि और वनानिक निष्कर्ष स्पष्टता एवं निश्चितता से निखरे हैं।

3/ प्राकृतिक विज्ञानों की दुनिया में ज्ञान और शास्त्रों की जो अतर्निभरता बहुत पहले से चली आ रही है आज सामाजिक विज्ञानों में भी पदा हाने लगी है। समाज शास्त्र मनोवैज्ञानिक व्यवसाय के सिद्धान्त आज लोक प्रशासन के परिणामों और प्रयोगों में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। जैसे जैसे यह बहु-अध्ययनवादी दृष्टिकोण (Multi-disciplinary approach) विकसित होता है लोक प्रशासन के ज्ञान की गहनता विश्वनीयता एवं मौलिकता बढ़ती है। यह मायता तकसगत प्रतीत होती है कि समाजशास्त्र से अपनी वैज्ञानिक प्रणाली उधार लेकर लोक प्रशासन अधिक शीघ्र अपनी वैज्ञानिकता का विकास कर सकेगा।

सभी विज्ञान विकास का प्रणाली से ज्ञान-संचय करते हुए अपनी आज की वैज्ञानिकता के स्तर पर आए हैं। अभी हाल के प्रयोग परीक्षण एवं मनीयताओं ने लोक प्रशासन के अध्ययन शास्त्र को अभूतपूर्व ढंग से प्रगतिशील बनाया है। प्रसिद्ध वनानिक सिद्धान्तशास्त्रियों की भाँति आज लोक प्रशासन शास्त्रियों का दम धम आ रहा है। शोध के नए नए माडल (Model) आविष्कृत किए जा रहे हैं और गणितीय पद्धतियों से परिमाणत्मक अध्ययन बहुत कुछ आगे बढ़े हैं। Field Research के क्षेत्र में मात्रा और मात्रो अध्ययन विकसित हुए हैं और प्रबंध तकनीक (Management Technique) की दिशा में तो Work Study Methods Study PERT Systems Analysis Linear Programming आदि विस्मयकारक वैज्ञानिक तकनीक प्रकाश में आई हैं जिनके कम्प्यूटरी प्रयोग से अकल्पित और बीज गणित जैसे समीकरण बनने लगे हैं। आज का लोक प्रशासन विज्ञापक डाक्टर अथवा इंजीनियर की तरह एक सलाहकार (Consultant) बन चुका है। गत तीन दशकों की लोक प्रशासन की प्रगति और उसके अध्ययन की दिशा में जो उत्साहवर्धक है कि तकनीक और अध्ययन विधियों की दृष्टि से लोक प्रशासन और सामाजिक विज्ञानों के समकक्ष आ चुका है और शायद शीघ्र ही आगे निकल जाएगा। अध्ययन विधि का वैधानिकता निष्कर्षों को अपने आप ही अधिक वनानिक बनाना और उस तरह भविष्य में वह निश्चय गमनीय लगता है जब

लोक प्रशासन के क्षेत्र में साइमन रिजर्व बोर्डर ला प्लेनर सायस आदि के अनुयायी अपनी इन शोधा को आगे बढ़ाते हुए लोक प्रशासन का एक अद्विष्ट विज्ञान का स्तर तिनवा सके और सामाजिक ज्ञान होने हुए भी लोक प्रशासन प्राकृतिक ज्ञाना जसा लगने लगे ।

लोक प्रशासन का महत्त्व (Importance of Public Administration)

वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यावहारिक रूप में हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर छा चुका है । यह हमारी सभ्यता का मूल आधार बन गया है । लोक प्रशासन आधुनिक सभ्य समाज का अंग है । उस समाज के उस स्वरूप में जन्म लिया है जिसे हम प्रशासकीय राज्य की संज्ञा देते हैं । समाज की नयी या चुनौतियाँ लोक प्रशासन पर नए नए उत्तरदायित्व डाल रही हैं अतः लोक प्रशासन आज समाज की एक गतिमान शक्ति बन चुका है । इसका प्रशासकों के लिए महत्त्व है समाज के लिए महत्त्व है छात्रों के लिए महत्त्व है और हमारी सभ्यता के लिए महत्त्व है । यह ठीक ही कहा गया है कि आधुनिक औद्योगिक एवं नगरीय सभ्यता की जटिलताओं में राज्य के कार्यों में कल्पनातीत वृद्धि कर दी है एवं आज हम एक ऐसी अवस्था में पहुँच गए हैं जहाँ समाज के नगभ्रम सम्पूर्ण जीवन का अन्तर्गत भाग बन गया है । समाज का हित अधिकाधिक मात्रा में शासन प्रबंध की कुशलता पर निर्भर होता जा रहा है और प्रबंधन यक्तियों के अनगणित कार्यों पर निर्भर नहीं रहा है । यह शासन प्रबंध ही लोक प्रशासन है । यदि लोक प्रशासन असफल हो जाए तो आधुनिक समाज और सभ्यता का समूचा महल बालू की भाँति ढूँढ़ जाएगा । चाहे जो बयान दे ही निया है कि प्रशासन के विषय में अधिक महत्त्वपूर्ण अर्थ कोई विषय नहीं होता । सभ्य शासन तथा भेद विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासकीय दक्षता, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सकें । प्रो डानहमन तो यहाँ तक कहा है— यदि हमारी सभ्यता असफल हुई तो उसके लिए प्रशासन की असफलता प्रमुख रूप से उत्तरदायी होगी । ✓

लोक प्रशासन की बहुमुखी उपयोगिता और इसके महत्त्व का विवेचन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अनन्तानुसार करना उपयुक्त होगा—

(1) प्रशासन राज्य के स्वरूप का एक विनिष्ट भाग—पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में राज्य का कार्य अधिक जटिल हो गए हैं जिसके परिणाम के रूप में राज्य की विभिन्न नीतियों का सामाजिक साथ व्यवहार में आने के लिए प्रशासकीय विज्ञान के रूप में स्वतंत्र चिंतन की आवश्यकता भी विद्वसित हुई । राज्य का कार्य क्षेत्र के अनुरूप प्रशासकीय विज्ञान न राज्य को समाज सेवा का उचित माध्यम

दिखनाया। समय-समय पर राज्य अपनी समस्याओं को सुनभान के प्रयत्न में विभिन्न प्रयोग करता रहा। ये प्रयोग प्रायः अनजाने में ही प्रशासकीय विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्त बन गए और जब जिस तरह से राज्य के विभिन्न अंग व्यवस्थापिका, नायकारिणी तथा 'यायपानिका आदि की विवेचना होती है उसी तरह से प्रशासकीय भाग की भी विवेचना होता है प्रशान्त भी राज्य का स्वरूप के विशिष्ट भाग के रूप में स्वीकृत है। यह प्रशासकीय विज्ञान की मायता का ही परिणाम है कि 'शासन के कार्य में सलग्न व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार चुना जाता है।

(2) लोक प्रशासन का व्यक्ति के लगभग सम्पूर्ण जीवन से सम्बंध— आज तक प्रशासन ने व्यक्ति और समाज के सम्पूर्ण जीवन का आच्छादन कर लिया है। एक विद्वान् लेखक का शब्दों में— आधुनिक समाज में पानने से लेकर चिता तक जीवन के प्रत्येक भाग पर व्यक्ति लोक प्रशासन से सम्बंधित रहता है। सत्य तो यह है कि गभवती महिलाओं की सुखा की व्यवस्था करके लोक प्रशासन व्यक्ति के जन्म से पहले से ही उसमें रुचि लेने लगता है तथा उसकी मृत्यु के बाद तक उसमें रुचि सता रहता है जब वह उसकी मृत्यु का सरकारी अभिलेख में उल्लेख करता है उसके अवयस्क बच्चा की देख रक्ष भी करता है। जन्म होते ही उसका उल्लेख सरकारी अभिलेख में कर दिया जाता है प्रसव तथा बाल कायाण केन्द्र में बच्चे के जीवन के प्रारम्भिक कुछ सप्ताहों तक उसकी माँ तथा उसके स्वयं के जीवन की देख रक्ष रखी जाती है तथा उसके बाद टीका लगाने वाला सरकारी कमचारी उसका टीका लगाता है। जब बालक कुछ बड़ा हो जाता है तो वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा संचालित विद्यालय में जाता है। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् वह अपना जीवन व्यवसाय प्रारम्भ करता है। बहुत से लोगों को लोक सेवाओं में रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना रहती है तथा अल्प लागत यापार उद्योग अथवा अल्प किसी व्यवसाय का आश्रय लेते हैं। इन सब व्यवसायों पर राज्य किसी न किसी रूप में नियन्त्रण करता है। हमारे भोजन और जल की शुद्धता हमारे चारों ओर की स्वच्छता हमारी सड़कों की अच्छी दशा गम व विजनी आदि की व्यवस्था का दायित्व स्थानीय अधिकारियों पर रहता है। करदाता की हसियत से तथा लोक प्रशासन द्वारा जुटाए जाने वाली अनेक वस्तुओं और सेवामा के उपभोक्ता के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति उससे घनिष्ठ रूप से सम्बंधित है। जब हमारे ऊपर बेरोजगारी अभाव प्राकृतिक सङ्कट महामारी तथा युद्ध आदि का प्रकोप होता है तो हम लोक प्रशासन से सहायता की अपेक्षा करते हैं। वास्तव में यह कल्पना नहीं की जा सकती कि यदि लोक प्रशासन से प्राप्त सुविधाएँ और संरक्षण समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन की क्या स्थिति हो। इतना तो निश्चित है कि वह सम्यक् जीवन की अवस्था नहीं होगी।

(3) प्रशासकों के लिए भ्रष्टाचार—राज्य के कार्यों को चलाने का भार प्रशासकों पर है। प्रशासक राज्य के विविध कार्यों को तभी सफलतापूर्वक सम्पन्न

कर सकत = जत्र उ ह प्रशासन का समुचित ज्ञान हो । तत्र प्रशासन उ ह य ज्ञान प्रधान करवा ह । लोक प्रशासन क सम्भीर अर्थप्रदा म बे यज्ञ मील पात = कि प्रशासनिक कठिनायों का सामना वसे किया जाए प्रशासनिक नानिदा म मम न्य वस बगया जाए कमचारिया का अनुशासन म वस खा जाए । सचार् माधनी की प्रभावशाली कम बनाया जाए भादि । लोक प्रशासन प्रशासका का नगृत्व का सिद्धांत ३ । यह प्रशासका और कमचारिया के बीच माननीय सम्बन्ध की स्थापना का पाठ पढ़ता ह । यह प्रशासका का प्रशासनिक सिद्धांत का ज्ञान देना है अत वे प्रशासक कुशल बन पाते ३ ।

(4) नीति को व्यावहारिक ज्ञान पहचानने वाले यत्र — यह मानकर कि प्रशासन नीति का अनुयायी होता है डमक वर्तमान महत्त्व का ज्ञान सहज ही अनुमान लगा सकत हैं । नीति केवल सभारण नियमों की रूप रखा प्रस्तुत करती है किंतु लोक प्रशासन सामाजिक आवश्यकता और आर्थिक बचत की दृष्टि से एस निरूप्य सता ह । नीति का व्यावहारिकता प्राप्त होती है उसम बदलती हुई परिस्थितिया उपकरण आदि क अंतरा का प्रशासन अपने कौशल से सम्भावता बनता है यदि ये एसा न करे तत्र या ता नीतियाँ असफल होगी अथवा प्रत्येक समस्या के लिए नीति निर्धारण क स्तर पर लौटकर पुन विबचना करवा आवश्यक होगा—एसा करने से समय का तथा रस का अपव्यय हो अधिक होगा । अपने एस स्वरूप व लिए प्रशासन म योग्य निष्पन्न का महत्त्वपूर्ण माना गया है । प्रशासन समाज मे सीधा सम्बन्ध रखता है समाज परिवर्तनशील है अतिए प्रशासन म नीति तना लचीलापन होना चाहिए कि वह समय के अनुरूप बन सके समय के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का दृष्टि से ज्ञान प्रशासन को ढाजते रहना चाहिए क्योंकि राज्य के अर्थ अगा की जनता से इस प्रकार का दैनिक सम्बन्ध नहा है । व्यवस्थापिका म जनता क प्रतिनिधियों क रहने के बाद भी यह वाय उसक लिए आसान नहीं रहता है क्योंकि उ ह प्रशासकीय तकनीक की जानकारी उचित रूप से नहीं रहती इसलिए प्रशासन स्वयं जनता का अभिरुचि और उसक होने वाले परिवर्तन और आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है । अपने कार्यों क प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है उस ज्ञान के लिए वे विशेष प्रयत्नशील रहते हैं ।¹ जनतांत्रिक उद्देश्यों को जनता तक पहुँचाने का उत्तमार्थित्व प्रमुख रूप से प्रशासन का हो जाता ह राज्य का जनतांत्रिक स्वरूप राज्य की नीतियों म परिलक्षित अवश्य होता है किंतु वास्तविक जनतांत्रिक उपला व प्रशासन क द्वारा ही होती है ।

(5) सामाजिक व्यवस्था स्थिरता और प्रगति की महान शक्ति—लोक प्रशासन सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने म भारी योग

देता है। आज के युग में भोजन, जल, प्रकाश, स्वास्थ्य, निवास जसी प्राथमिक आवश्यकताओं की व्यवस्था कुशलतापूर्वक तभी सम्भव है जबकि लोक प्रशासन संचालित रहे। लोक आज जीवन के सभी क्षेत्रों में लोक प्रशासन की सहायता के आकांक्षी हैं। इस प्रकार यह आज के युग की सामाजिक व्यवस्था का अन्तर्गम भाग बन चुका है। समाज का स्थिरता और हता प्रदान करने वाली यह एक प्रमुख शक्ति है। सामाजिक जीवन में परिवर्तनों और उद्वेग पुनर्स्थापना का चक्र चलता रहता है। नासत्य आदि के कारण सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती दिखाई देती है। सरकारें प्रायः दिन बदलती रहीं हैं, किन्तु इन सब परिस्थितियों में शासन का ढाँचा समाज को स्थिरता प्रदान करता है। लोक प्रशासन पुरातन और नवीन के बीच समुचित सम्बन्ध स्थापित करता है। इस प्रकार यह समाज का बिखरने से बचाव है। लोक प्रशासन सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता लाकर सामाजिक प्रगति का लिए सही आधारभूमि तैयार करता है। यह सामाजिक प्रगति के स्वस्थ कारकों का प्रोत्साहन देता है। लोक प्रशासन की कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उन्नति के नए नए दर खुलते रहते हैं। बाधाओं का निराकरण होता रहता है। इसमें सन्देह नहीं कि एक कुशल और स्वस्थ लोक प्रशासन सामाजिक प्रगति का मापदण्ड है।

(6) सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति—लोक प्रशासन स्वस्थ सामाजिक परिवर्तनों की प्रेरणा देता है। सर जोशिया स्टेम्प के अनुसार प्रशासकीय कर्मचारी समाज का प्रेरणा देने वाले होते हैं। वे हर स्तर पर उसका मांग दर्शन करते हैं उस प्रोत्साहन और परामर्श देते हैं।

(7) समस्याओं के समाधान में सहायक—लोक प्रशासन का सम्बन्ध विभिन्न कार्यों और समस्याओं को हल करने से है ताकि निर्धारित उद्देश्य पूरे हो सकें। समस्याओं के समाधान में जागरूक रहने के फलस्वरूप ही लोक प्रशासन अपने महत्त्व को बनाए रखता है। क्या हम इस दृष्टि से लोक प्रशासन के ऋणी नहीं हैं कि वह बरोजगारी के निदान और याविक समस्याओं के समाधान के प्रति सदैव उत्सुक रहता है।

(8) स्थायी सेवा संगठन—सरकार चाहे उसका राजनीतिक स्वरूप कुछ भी हो सदैव परिवर्तनशील है। इसके विपरीत लोक सवक अर्थात् लोक प्रशासन के कर्मचारी स्थायी संगठन के अंग होते हैं अतः सरकार की परिवर्तनशीलता से उत्पन्न कु प्रभावों से वे प्रशासन में व्यवस्था नहीं मानते। वे केवल सेवा के लक्ष्य को पूरा करते हैं बल्कि वास्तविक सेवा कार्यों को सम्पन्न करते हैं।

(9) अधिकारों और प्रभुता के बीच सम्बन्ध लाने वाली शक्ति—लोक प्रशासन का महत्त्व इस दृष्टि से भी है कि यह अधिकारों और प्रभुता के बीच सम्बन्धकारी शक्ति है। राज्य की प्रकृति अपनी सत्ता को अधिकाधिक बढ़ाने और

प्रदर्शित क की होती है। लोकनायिक मायनामो न राय की प्रभुपता व सिद्धान्त को स्वीकार किया है लेकिन राय की असीमित शक्ति नागरिकों के लिए चरमदम खतरा भी हो सकती है। लोक प्रशासन प्रभुपता को निरकुश सिद्धांत और नागरिक अधिकारों के बीच उचित समायोजन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह पारम्परिक विरोधा का काम करके सन्तुष्टि के तत्त्वों को प्रबल बनाता है।

(10) छात्रों के लिए उपयोगिता—लोक प्रशासन का अध्ययन छात्रों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। छात्र ही देश के भावी नागरिक हैं। वे ही देश के भावी प्रशासक हैं। लोक प्रशासन का अध्ययन उन्हें सर्वाधिक ज्ञान प्रदान करता है जिसका व्यवहार में उपयोग वे भविष्य में कर सकते हैं। इसके अध्ययन से छात्रों में उन गुणों को सीखने की प्रेरणा प्राप्त होती है जो प्रशासकों के लिए समाज सेवकों के लिए आवश्यक है।

(11) युद्धकाल में लोक प्रशासन का महत्व—आधुनिक युग समग्र युद्ध का युग भी है और आधुनिक युद्धों में देश की प्रतिरक्षा के लिए देश की सम्पूर्ण जनशक्ति और उसके समस्त साधनों का संगठन नियमित आवश्यक होता है। उस युद्धकाल में व्यय का दायित्व भी लोक प्रशासन के कंधों पर है। शान्तिकाल में जो कार्य योजनाएँ उपलब्ध और प्रबल के लिए छोड़ दिए जाते हैं युद्धकाल में उनी में से अनेक को लोक प्रशासन के अधीन कर लिया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के समय यह भारत प्रशासन पर उच्च दिया गया था कि वह वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन वितरण और उपयोग तथा व्यापार एवं विनियोग के सामान्य मार्गों पर विभिन्न प्रकार के आवश्यक नियंत्रण तथा परामर्श के निष्कर्षों को लागू करे।

(12) संस्कृति और प्रशासन का सम्बन्ध—संस्कृति एवं प्रशासन के पारस्परिक सम्बन्ध को मायता देते हुए वास्तव में निम्नलिखित है— प्रशासन का एक ऐसे महत्वपूर्ण आविष्कार अथवा उपाय के रूप में निर्धारित किया जा सकता है जिसके माध्यम से विषय समाज में सम्यक् मनुष्य प्रदान संस्कृति का विनिर्गत कराने का प्रयास करता है। कुछ अमेरिकी विद्वानों के मतानुसार उनका समाज आज प्रबलकीय क्रांति (Managerial Revolution) के दौर से गुजर रहा है। जेम्स स्नहम के मतानुसार उदभूत समाज (Emerging Society) का मुख्य गुण उसका प्रबलकीय स्वभाव है और प्रबलकीय आधुनिक समाज पर एक प्रकार से अपना अधिकार अथवा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। एक अमेरिकी मिनेट्रा राफ फ्लेण्ड्स ने तो यहाँ तक कहा है कि आधुनिक आर्थिक प्रणाली का पूँजीवाद के स्थान पर प्रबलकीय (Managerism) काल अघिक उपयुक्त होगा।

आज यह लगभग सर्वमान्य मत है कि आधुनिक समाज में लोक प्रशासन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है परन्तु उस महत्व की मात्रा के सम्बन्ध में विद्वानों में अन्वय मतभेद नहीं है। हनरी फ्रान्क का मत है कि प्रशासकीय प्रक्रिया सचन पाई जानी है।

और सभी व्यवसाय में उस सर्वाधिक मूल्य वृद्धि तब माना जाता है, अतः प्रशासन एक वैज्ञानिक अध्ययन की अव्यक्ति आवश्यकता है। पाण्डित्य विचारों के मतानुसार प्रशासन का मुख्य काम समाज में यथास्थिति का स्थापन रचना है जबकि उसी समय न भिन्न ब्रह्मस एम्स का विश्वास है कि प्रशासन का महत्व इस लिए है कि उमक माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सुगम बनाया जा सकता है। ज. जम्म वनरुन का मत है कि प्रशासनको अथवा प्रबंधकों को हाया में आज इतनी अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है कि हम उमके लिए प्रवर्तनीय क्रान्ति की सलाह देना जायुक्त है तथा चा. प. 90 मैरियम ने इस मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि प्रशासन को मानवीय प्रविधा (Human Technology) के विज्ञान की अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए जिसे द्वारा मनुष्य ने जटिल वातावरण के साथ अपना अनुकूलन स्थापित किया है।

यद्यपि यह स्थापित करना संभव है उपर्युक्त होगा कि लोक प्रशासन केवल वर्तमान समय जीवन का संरक्षक ही नहीं है बल्कि वह सामाजिक परिवर्तन और सुधार संस्थापन का एक शक्तिशाली अंग भी है। लोक प्रशासन एक ऐसी सामाजिक शक्ति है जो इन उच्च स्तर अनुमरण करने के साथ ही-साथ उमका माय मन भी करता है। लोक प्रशासन एक पराक्षर स्त्री ही नहीं है बल्कि प्रयास एवं सतिय शक्ति भी है जो आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के निवारण के लिए प्रयत्नशील है। अतः लोक प्रशासन एक एक समाजवादी समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है जो क्षुधा और निधनता से मुक्त होगा जिसमें शिक्षा के अन्तर्गत सबको सुलभ भाग जिसमें अस्पृश्यता का अन्त हो जाएगा स्त्रियों का पुत्रों के सामाजिक स्तर और अधिक वृद्ध अन्तर्गत सुखम भाग एक जापक सर्वतोमुखी आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा तथा अर्थात् विषमताओं के स्थान पर समानताओं और लोक न्याय प्रस्थापना होगी। हम यह नहीं भूलना चाहिए कि आधुनिक राज्य के लक्ष्य में मूलभूत परिवर्तन पदा जाने के पत्रस्वस्व तो-प्रशासन के उद्देश्यों में ही नूतन प्रवृत्तियों का उन्मूलन हुआ है और नवीन लोक प्रशासन समाजसे निकटता पर अत्यधिक धन देता है तथा लोक प्रशासन और सामाजिक समस्याओं में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण सम्बन्ध जोड़ता है। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्यता का हृदय (Heart of Modern Civilization) है। यह समाज की एक अत्यधिक स्थायी शक्ति है। लोक प्रशासन को असफलता का अर्थ है कि वर्तमान समाज और सभ्यता का सम्पूर्ण ढांचा बिखर जाना।

लोक प्रशासन और विकासशील समाज- भारत के विषय सन्दर्भ में

(Public Administration and Development Societies
with Special Reference to India)

विकासशील समाजों के सन्दर्भ में लोक प्रशासन की भूमिका को यदि

क्रान्तिकारी को मना दें तो कोई प्रतिशयोक्ति न होगी। चुस्त दृढ़ उत्तरदायित्व पूर्ण जन-समस्याओं के प्रति जागरूक और प्रबल रूप में जन हित राक्षी है तो विकासशील समाज की समृद्धि और प्रगति के लिए खुलते जाएंगे और वे तेजी से विकसित समाज की श्रेणी में आ खड़े होंगे। इन समाजों में लोक प्रशासन जितना होता होगा प्रगति की रचना भी उतनी ही ढीली और विकसित समाज की श्रेणी में आ खड़े होने का माग भी उतना ही लम्बा होगा। विकासशील समाज में गम्भीर आर्थिक राजनीतिक सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएँ विद्यमान हैं। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है अतः बचत नहीं हो पाती। बचत न होने से पूँजी का वाछित निर्माण नहीं होता फलस्वरूप आर्थिक विकास के क्रियाकलाप गति नहीं पाते। प्रति व्यक्ति आय कम होने से देश में उपभोग की मात्रा कम होता है परिणामतः घरेलू बाजार का क्षेत्र सीमित रहता है अल्पतया देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आय कम होने से बचत और पूँजी निर्माण को आघात पहुँचता है और माँग तथा उपभोग के कम होने से पूँजी विनियोग के प्रति कोई प्रेरण नहीं रह पाता। नधु-धन पर उत्पादन काय हानि से बड़े उत्पादन का बचन सम्भव नहीं हो पाती। समुचित आर्थिक रचना का अभाव विभिन्न आर्थिक समस्याओं को विपन्न बना रहता है। आर्थिक विकास अवरूढ़ होने से देश में बेरोजगारी की समस्या गुन्तर जाती जाती है। विकासशील देशों में विभिन्न सामाजिक समस्याओं से भी ग्रसित रहते हैं यथा जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या का निम्न गुणस्तर होना सामाजिक और स्वास्थ्यगत बाधाएँ तथा स्त्रियाँ कुशल मानवियों का अभाव आदि। विकासशील देशों की प्रमुख राजनीतिक समस्याओं में एक राजनीतिक अस्थिरता निवाजन के प्रति उदात्तता अधिका के तोपण व व घन आदि को न मकत हैं। राजनीतिक अस्थिरता एक ओर तो आर्थिक सामाजिक विकास के लिए बाधा और स्याही नातियों को अवरोध करती है दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को निबल बनाती है। विनामतीय समाज प्रशासनिक दृष्टि से प्रायः बहुत अकुशल अर्थानिक और शिक्षण हुए हुए हैं। देश की गरीबी और अशिक्षा जनता में चारित्रिक स्तर को कम बना उठने देती फलस्वरूप कुशल और ईमानदारी प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या भी घटती रहती है और राष्ट्रिय हितों की अपेक्षा निजी हितों को अधिक मन्त्र दिया जाता है अज्ञान का कारण देश में अस्थिर चिन्तन का प्रचलन रहता है और समाज में एक घुन उग जाता है। एक अतिरिक्त प्राथमिकता की समस्या भी बनती रहती है। देश के सन्तुलित विकास के लिए विकास कार्यक्रमों का प्राथमिकता का प्रप देन की समस्या विद्यमान रहती है। इन विभिन्न समस्याओं के अतिरिक्त विकासशील देश या समाज और भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं।

इन समस्याओं के प्रकाश में विकासशील समाजों में लोक प्रशासन का महत्त्व और दायित्व स्वतः स्पष्ट है। एक कुशल सन्निध्य और दृढ़ श्रमिकी लोक प्रशासन इन समस्याओं के निदान में बहुत कुछ सहायक हो सकता है। लोक प्रशासन का काम नीतियों को अमली जामा पहनाना है। सरकार नीति निर्धारण कर देती है लेकिन इन नीतियों का क्रियान्वित करने का भार अन्ततोगत्वा लोक प्रशासकों पर होता है। यदि नीतियाँ कोरी कागजी रह जाँए तो उनका कोई महत्त्व नहीं है यदि नीतियों का क्रियावयन ढीला ढाला होगा तो वाञ्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेगा हम लक्ष्य राशि से दूर रहने और यदि नीतियाँ का क्रियावयन गलत ढंग से किया गया तो उन निश्चित रूप से पथभ्रष्ट हो जाँएंगे। दूसरी ओर यदि लोक प्रशासन नीतियों को सही रूप में लागू करता है प्रभावी ढंग से उन्हें अमली जामा पहनाता है जनता को नीतियों के प्रति विश्वास में लेकर आगे बढ़ता है तो सभी चुनौतियाँ और समस्याओं का मुकाबला करते हुए देश और समाज तेजी से आगे बढ़ता है। इस प्रकार विकासशील समाजों में समृद्धि और प्रगति की वास्तविक बुज्जी लोक प्रशासन के हाथ में है।

विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका को हम अधिक स्पष्टता के साथ निम्न बिन्दुओं में समाहित कर सकते हैं—

(1) विकासशील समाजों में प्रशासन का मुख्य कार्य आर्थिक जीवन को नियमित और नियंत्रित करना है। वह अतिक्रम के सम्बन्धों को उस प्रकार नियमित करता है कि मानव श्रमकों का शापण नहीं कर सकेगा। सरकार नीति बना देती है किन्तु प्रशसक उस नीति को लागू करते हैं। उपभोक्ताओं के हित में एकाधिकारियों के कार्यों पर अक्रुश रखा जाना है। हानिकारक तथा अस्वस्थकर वस्तुओं के उपयोग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था की जाती है।

(2) भारत जैसा विकासशील देश अथवा समाज में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है अतः सावजनिक उपक्रमों का प्रभावी प्रशासन लोक प्रशासन का एक गुंत्तर दायित्व है। सावजनिक उपक्रमों से आशय उन औद्योगिक संस्थाओं से है जिन पर राज्य का स्वामित्व होता है और जिनका प्रबध व संचालन राजकीय प्रशासन द्वारा किया जाता है। लोक प्रशासन को सावजनिक उपक्रमों सम्बन्धी नीति का ध्यान रखते हुए यह दृष्टता होता है कि अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम शिखरों पर प्रभावी नियंत्रण रह सके एवं दायित्व एक अक्षिण उपलब्ध हो सके जिससे आगे आर्थिक विकास के लिए धन मिल सके। सावजनिक उपक्रमों के मुख्यतः चार रूप प्रचलित हैं—विभागीय उपक्रम सावजनिक नियम सावजनिक कम्पनियों एवं बोर्ड द्वारा प्रबध। इन विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में नीति और ढाँचे के अन्तर्गत लोक प्रशासन अपनी भूमिका निभाता है।

() विकासशील समाजों में यह अधिक आवश्यक है कि लोग प्रशासन चुस्त कृत-परायण और सक्रिय बना रहें। विकासशील देशों की अपनी अपनी प्रत्येक समस्याएँ हैं अतः विकसित देशों की तुलना में लोक प्रशासन का दायित्व उन देशों में अधिक है। यह आवश्यक है कि प्रशासक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ समझौते का व्यवहार करें उन्हें अपनी टीम का साथी मानकर चलें। यह आवश्यक है कि लोक प्रशासन दक्षता और अनुशासन का पूरा ध्यान रखे।

(4) विकासशील समाजों में आर्थिक नियोजन का सर्वोपरि महत्त्व है जिसका मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक और कल्याणकारी कार्याधियों द्वारा तीव्र गति से प्रगति करना है और उस चुनौती का मुकाबला लोक प्रशासन का करना होगा। इसके लिए प्रायः योजना आयोग और सम्बन्धित मशीनरी का गठन किया जाता है जो लोक प्रशासन का ही एक भाग है। आर्थिक नियोजन एक ऐसी चुनौती है तथा ऐसा प्रयोग है जिसकी सफलता असफलता पर न केवल भारत में बल्कि सम्पूर्ण एशिया और अफ्रीका में लोकतांत्रिक भाविष्ट टिका हुआ है। आर्थिक नियोजन सम्बन्धी सभी नीतियों को प्रभावकारी रूप से लागू करना लोक प्रशासन का ही काम है। यदि लोक प्रशासन कृत-परच्युत और उदासीन है तो योजनाएँ क्रियावित्त नहीं हो सकेंगी आर्थिक नियोजन का मूल उद्देश्य नहीं हो सकेगा और देश और समाज का पिछड़ापन बना रहेगा तथा सम्पूर्ण साधना का अप-यय होगा।

(5) विकासशील समाजों में लोक प्रशासन को भावनात्मक रूप से जनता के निकट आकर जनता का विश्वास जीतना चाहिए। भावनात्मक कुण्ठा की गाँठ पड़ी रहने पर लोक प्रशासक अपनी भूमिका निवाह नहीं कर सकते। भारत में प्रशासन स्तरीयता प्राप्ति के बन्त पहले स्थिर हो चुका था किन्तु भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता के बाद जिन परिवर्तनों को मानना चाहिए था वे अभी तक नहीं आसक हैं। इसी का कारण है कि न तो प्रशासन जनता का विश्वास प्राप्त कर पाया है और न ही जनता प्रशासन को अपना हिता का व्यावहारिक रूप देने वाली सत्ता के रूप में ही स्वीकारता है नतीजा कि बीच में एक एसी दरार है जो प्रशासन के पूरे काम को उपरान्त नष्ट करने देती है। यह ठीक है कि पिछले वर्षों में जितनी सामाजिक सेवाओं का संगठन हुआ है उससे जनता की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास हो रहा है किन्तु इनकी कार्यावली में अपनी अधिक प्रक्रिया की जटिलता है कि ये वास्तव में जनता की अपनी सेवाएँ बनने में अभी तक असमर्थ हैं। प्रशासक वास्तव में एक जनसर्वक है इस भावना में व्यावहारिकता की आवश्यकता है इस प्रयत्न की आवश्यकता है जिसमें जनता निरन्तर आकर प्रशासन से लाभ उठा सके यह सब क्रान्तिकारी परिवर्तन का अपेक्षा रखते हैं। प्रशासन की शृंखला में जगह जगह व्यक्तिगत और विभागीय स्तर पर भावनात्मक कुण्ठा की गाँठ पड़ी हुई है जिससे बिना आम-तोष घबरा आम-प्रगमा के कोई भी नये नये प्रयोग नहीं हो सकते हैं।

सामान्य रूप से होना चाहिए उसमें ग्राम की दलीयें कायप्रक्रिया—प्रतिष्ठा अथवा प्रतिष्ठा के दृष्टि चला करते हैं।

(6) भारत विकासशील देश में अग्रणी है जहाँ पंचायत राज की स्थापना और स्थानीय शासन के विस्तार के कारण लोक प्रशासन का प्रभाव और उत्तरदायित्व में काफी विस्तार हुआ है। संविधान के अनुसार स्वायत्त शासन को राज्य सूची में रखा गया है। ग्राम को शासन की इकाई माना गया है और यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की स्थापना राज्य सरकार का पवित्र कर्तव्य होगा। जनसंख्या प्रभिवृद्धि के साथ साथ नगरीय ग्रामीण स्थानीय शासन का महत्व बढ़ रहा है और फलस्वरूप राज्य प्रशासन का महत्व भी। स्थानीय स्वायत्त शासन जन कल्याणकारी है और अपने सीमा क्षेत्र का उत्तम न करें इसके लिए राज्य प्रशासन का नियंत्रण और अस्तक्षेप आवश्यक है। लोक प्रशासन के नियंत्रण और अस्तक्षेप की प्रवृत्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे पंचायती राज संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ सके वे स्वयं को निष्क्रियता से मुक्त करें और जनता के धन का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित हो। पंचायती राज संस्थाओं में जनता के धन का अपव्यय न हो सके इसके लिए लोक प्रशासन का प्रभावी अनुशासन अपेक्षित है। किसी भी प्रणाली में नियंत्रण एवं मूल्य की आवश्यकता सर्वत्र है। सुरक्षा और बचाव की कुशल एवं प्रभावशील पद्धति न केवल लोकतंत्र तथा राज्य का यापक विधि की दृष्टि से ही अपितु पंचायती राज संस्थाओं के हित में भी आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाएँ प्रशासन के अर्थात् अग्रणी के रूप में विकसित होनी चाहिए और राष्ट्रीय नीतियाँ तथा राज्य के सांविधानिक दायित्वों का इनके द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

(7) भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन को यह समझ कर चलना चाहिए कि आर्थिक विकास किसी भी व्यवस्था में समग्र विकास की दृष्टि से केवल साधन ही सकता है साध्य नहीं। विकास की समग्रता सामाजिक परिवर्तन की साक्षरता की अपेक्षा रखती है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि योजनाबद्ध आर्थिक विकास उस प्रकार सन्तुलित किया जाए कि पूरा का पूरा समाज राजनीतिक आधुनिकीकरण के माध्यम से वांछित सामाजिक परिवर्तन की ओर अग्रसर हो सके। सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं से अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण विकास तथा प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन की लक्ष्य प्राप्ति इस दृष्टि से सम्पन्न हो सके कि आर्थिक विकास सार्विक हो और राजनीतिक आधुनिकीकरण व्यवस्था को अपने गंतव्य की ओर ले जा सके। ये तीनों ही कार्य राजनीतिक व्यवस्था का सम्मुख नर्तक चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं और प्रशासक को भी एक नया सौदम प्रदान करते हैं। इन लक्ष्यों की सम्प्राप्ति के लिए प्रशासन का भी यह समझना होगा कि चाहे उसकी पदान्तरिक स्थिति कुछ भी हो उसका दृष्टान्त उसका परिवेश तथा उसके तत्त्व पहले जैसे नहीं रह

सकत। कल्याणकारी राज्य सामाजिक धर्म निरपेक्षतावाद समाजवाद और सविधान क प्रति प्रतिबद्धता आज लोक सेवा के दान के रूप में भारतीय सविधान की आत्मा में अन्तर्निहित है। इसी प्रकार पंचायती राज विरोधी दल चुनाव आयोग पाठशाला की रिट प्रवस्था के परिवर्धन में भारतीय सविधान की जनतांत्रिक सीमाएँ चाहे प्रशासन को हस्तक्षेप लगे किंतु उनका विद्यमान होना अनिवार्य है।

(8) भारत जिस विकासशील देश में प्रशासन में शासक मंत्री और प्रशासकीय लोक सेवक के मध्य सम्बन्ध को इस प्रकार में विकसित करना होगा कि शासक दल के बदलते रहने से प्रशासकीय दक्षता एवं तटस्थता में कोई गम्भीर व्यवधान न पड़े। संसदीय व्यवस्था में यह तो मानकर ही चलना होगा कि विभिन्न प्रकार के विरोधी लक्ष्य प्रशासन में आयेंगे। उनकी बदलती हुई विरोधी नीतियाँ को क्रियावित् करन में क्या उसकी तटस्थता एवं अनाम स्थिति राजनीतिक व्यवस्था को सहाय्य हो सकती है। यदि तटस्थता जनतंत्र अथवा विकास प्रशासन में सम्भव नहीं है तो क्या प्रतिबद्ध प्रशासन ही भारतीय प्रशासन के सम्मुख एक मात्र विकल्प है? फिर प्रतिबद्धता भी किसकी और किसके प्रति? इन प्रश्नों का समुचित उत्तर ही भारत में लोक प्रशासन की भूमिका का वैधानिक परिमोदन कर सकेगा।

(9) जनतंत्र के बढते हुए प्रसार ने भारत में विकासशील समाज में समाजवाद एवं कल्याणकारी राज्य के नारे को शक्ति दी है। सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक विकास के नए क्षेत्र विकास प्रशासन के नाम से उभर कर सामने आए हैं। इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भारतीय लोक प्रशासन का प्रतिष्ठित प्रशासन की कार्य कुशलता एवं उपायकता के साथ प्रतियोगी बनना पड़ेगा। पुरानी विभागीय पद्धति एवं नौकरशाही का तंत्र चरमरा कर टूट रहा है और भावजनिक उद्यम (पब्लिक एंटरप्राइज) के क्षेत्र में नए-नए प्रशासनिक प्रयोग किए जा रहे हैं। जनतंत्र का यह समाजवादी दबाव भारतीय प्रशासन की रीति नीतियाँ एवं कामिक षय आदि के प्रशासन में नई चुनौतियाँ जगता है। जनतंत्र की मांग है कि इस क्षेत्र का प्रशासन सांख्यिक हित में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के अनुस्यू संचालित किया जाए।

(10) विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की अपनी औपनिवेशिक कार्य प्रकृतियाँ से बाहर निकल कर जनतंत्रमक चुनौतियों के बीच में कार्य करना सखेगा। इसके लिए उसे बदलते समाज की बदलती आकांक्षाओं के साथ समझौता करना होगा। चुने हुए प्रतिनिधियों राजनीतिक विरोधियों एवं उदासीन जनसाधारण के बीच रहते हुए उस ऐसी भूमिका निभानी होगी जो सभी को सन्तुष्ट भी रख सके और साथ ही साथ व्यवस्था एवं विकास के प्रशासन में तालमेल भी बिठा सके।

(11) विकासशील समाज सत्रमण के दौर में गुजर रहे हैं और लोक प्रशासन सत्रमण की चुनौती का तभी स्वीकार कर सकता है जबकि

मावजनिक लोक प्रतिमा सुधरे। जनता के साथ उसके वर्तमान शत्रुता अथवा कटुता के सम्बन्धों का यदि भारतीय प्रशासन ठीक करना चाहता है तो उसे अपनी कामकुशलता एवं जन सेवा का स्तर ऊँचा करना होगा। जनसाधारण प्रशासन की अपना मित्र केवल उनी स्थिति में स्वीकार कर सकता है जबकि उमङ्गा औपनिवेशिक स्वरूप एवं काय प्रणालियाँ जनतात्रिक उद्देश्य की अनुरूपता में बदल।

(12) भारत जैसे विकासशील देश में विकास और आयोजना न प्रशामन को अधिक प्रशामन और विकास प्रशासन (डबलपमेट एडमिनिस्ट्रेशन) के नए नाम क्षेत्र दिए हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन एक और जबकि समाजवाद और सधवा की धृतीतियों के साथ जुड़ा है तो दूसरी ओर उसका राजनीतिक प्रशासन जनतात्मकता के कारण काफी जटिल बनता जा रहा है। लोक प्रशासन को देश के राजनीतिक तंत्र में रहते हुए नए क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करना होगा। सदियों में पिछड़ और रूढ़िवा से ग्रस्त विकसमशील समाजों में लोक प्रशासन को भीमित निष्क्रिय अवस्था में निकल कर विशाल सक्रिय और विस्तृत प्रशासन का रूप लेना होगा। लोक प्रशासन को ऐसा आकार और स्वरूप ग्रहण करने में सर्वाधिक शक्तियों का सहयोग देना होगा। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि नए परिवेश के अनुसार लोक प्रशासन का उन्मत्त किया जाए। जहाँ राजनेताओं को लोक प्रशासन का अनुप्रति करना है वहाँ यह भी आवश्यक है कि लोक प्रशासन राजनेताओं का सन्योगी एवं अनुगामी बने। जन प्रतिनिधियों को परामर्श देने के साथ साथ वह उनका मानाकारी भी हो और जनतात्रिक के सभी उपायों के उत्तर में अनुशासित आचरण करे।

(13) विकासशील समाजों में बढ़ती हुई जनमस्या के साथ नई-नई समस्याएँ जन्म ले रही हैं और जब तक लोक प्रशासन मजबूत और प्रगतिशील नहीं होता तब तक इन समस्याओं का सामना नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ यदि पुराने प्रशासन शिथिल और उदासीन है तो चोरियाँ डाकूजमियाँ तथा अज्ञान और विभिन्न प्रकार के अपराधों का वर्ना स्वभाविक है। यदि पुराने प्रशासन मजबूत व सत्य परायण और चुस्त है तो अपराधों पर प्रभावी रोक लग सकेगी और जनता में असुरक्षा की भावना नहीं पनपेगी।

इस प्रकार विकसमशील समाजों में लोक प्रशासन के दायित्व गुरुतर हैं उनके भूमिका अत्यन्त अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम भारत का लें तो विगत कुछ दशकों में—भारतीय राजनीति का एक ऐसा मद्भ और संयोग रत्न है कि प्रशासनिक विकास राजनीतिक विकास के साथ मेल नहीं खा सका है। एक ओर जनतात्रिक जागरण और विकास की आकांक्षाओं ने परम्परावादी प्रशासन के ढाँचे पर नए उत्तराधिकार डाले हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक दबाव व कारण चलते हुए केवल राज्य सम्बन्धों के तनाव ने प्रशासन को एक विषम स्थिति में खिंचा—छाँटा है और राज्य के स्तरों पर नीति निर्माण के

प्रश्न राजनीतिक निर्धारण के प्रश्न बने रहे हैं किन्तु फिर भी नीति और प्रशासन में किसी एक की महत्ता कम नहीं की जा सकी। जैसे-जैसे सरकार अधिक जटिल बनती जा रही है वैसे वैसे नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रशासनिक महत्त्व उतना ही बढ़ता जा रहा है। सांविधानिक तान पर जब भी कोई सकट आता है तो प्रशासन से नयी-नयी धरे माए की जाने लगती हैं। राजनीतिक परिवर्तन की आधी में उसकी भूमिका क विषय में नए नए दशन दिए जाते हैं किन्तु भारतीय प्रशासन स्वयं अपनी सीमा रेखाएं बनाने और पहचानने के प्रयास में दिगर्भित सा लगता है। उसकी नयी भूमिका उसक सांविधानिक परिप्रक्ष्य का एक सम्यक् परीक्षण चाहती है। भारतीय प्रशासन को भारतीय संविधान में प्रस्थापित ससदीय जनतंत्र और सधवाद परिप्रक्ष्य में समझने एवं विशेपित करने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय प्रशासन को जनतन्त्रात्मक सीमाओं को पहचानते हुए केंद्र राया क बदलते हुए सदीय परिवर्तन में प्रशासन की भूमिका को मूयाकित किया जाए।

भारत में लोक प्रशासन के अनुशासन का विकास (Development of Discipline of Public Administration in India)

संक्षिप्त पुरान भारत क इतिहास में जिस प्रकार अनेक प्रकार के शासन और राजनीतिक व्यवस्थाएं आईं और गए उसी प्रकार अनेक अपने प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उतार चढ़ाव भी मिनता रहा। भारतीय इतिहास का हिंदू युग जिस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से उत्तम और विकसित माना जाता है उसा प्रकार हिंदू युग का प्रशासन भी भारतीय इतिहास का एक गौरवपूर्ण पृष्ठ है। मध्य युग में अलाउद्दीन खिलजी शरशाह और अकबर जैसे कुत्र प्रसिद्ध नाम हैं जिन्होंने मुगलकालीन प्रशासन को स्थापित किया सुभ बनाया और उसमें कितने ही नये प्रयोग भी किए। अश्रज जब भारतदप में आए तो मुगल शासन की तरह मुगल प्रशासन भी पतनीमुख होने क साथ साथ अस्त-पस्त स्थिति में था। बंगाल में दावांगी अधिकार प्राप्त करने के समय से लेकर 1857 तक कम्पनी शासन ने अपने आपको एक ऐसी स्थिति में पाया जिसमें मुगलकालीन प्रशासन उनके अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य क अनुरूप नहीं था। 1758 से 1947 तक राउन की सरकार ने ससदीय संस्थाओं को संवधानिक सीमाओं में रखते हुए विकसित करने क अनेक प्रयत्न किए जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रशासन का भी राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की दृष्टि से एक नया प्रयोग क्षेत्र माना जाने लगा।¹

1 पी डी शर्मा बी एम शर्मा नीतम शर्मा भारत में लोक प्रशासन (भारतीय प्रशासन का इतिहास) पृष्ठ 13

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय प्रशासन में विकास और सुधार की प्रक्रिया जारी रही और एक स्वतंत्र विकासशील देश की आवश्यकताओं के अनुरूप उसे ढालने का प्रयत्न किया गया। पुरानी विरासत को नए परिवेश में सजोने के प्रयत्न चलते रहे और आज भी जारी हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारतीय प्रशासन के विकास का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि भारत पहला स्वतंत्र देश है जिसने प्रशासन के जरिए आर्थिक विकास करते हुए प्रशासनिक ढाँचे में विस्तार और विविधता लाकर भी उस ढाँचे को बनाए रखने और इस प्रकार विस्तृत होने वाले प्रशासन का ससंगीय लोकतंत्र तथा आर्थिक विकास के साथ तानमेन बनाए रखने का अर्थ नव वतन देशों की तुलना में विशेष सफल प्रयास किया है। इन तीनों कसौटियाँ पर आधारित भारतीय प्रशासन की सफलता एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों के लिए अनुकरणीय है। अनेक कमियाँ के बावजूद भारतीय प्रशासन में सतुलन वचलपन कायम समता आदि के विशिष्ट गुण विद्यमान हैं और संकट काल में तथा विशिष्ट अवसरों पर भारतीय प्रशासन ने अपनी काय समता का जो परिचय दिया उसे विश्व के अग्रणी देशों ने भी सराहा है। समयानुसार सभी स्तरों पर प्रशासन को पुनर्गठित करने और सावने-सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है और ऐसी उपाय किए जाते हैं कि उसकी काय समता और काय बढावा में ठोस विकास हो।

विरासत और निरंतरता

भारतीय प्रशासन अपने वर्तमान रूप में विरासत और निरंतरता का फल है। यद्यपि इसके विकास की कल्पना किसी-न किसी रूप में सुदूर अतीत से जुड़ी हुई है तथापि मुख्यतः यह ब्रिटिश काल की देन मानी जानी चाहिए। बी. सुब्रह्मण्यम् के अनुसार वर्तमान प्रशासनिक प्रक्रिया का सिलसिला सद्दिया तक विचारों का रहा, न कि साक्षात्कारों का। सस्थागत सिलसिला अंग्रेजों के शासन काल की देन है।

प्रशासनिक प्रक्रिया का सिलसिला अंग्रेजों के शासनकाल से स्वतंत्र भारत तक अक्षुण्ण रहा है। कुछ ने इगकी निंदा की है कुछ ने सराहना। ऐसे भी विद्वान् हैं जिनका यह दावा है कि यह सिलसिला ब्रिटिश के अयणास्त्र से प्रशासनिक सुधार आयोग तक लगातार चला आ रहा है। यह सिलसिला सद्दिया तक विचारों का था न कि सस्थानों का। जसाकि चीन के मैडरिनेट में है। यह सस्थागत सिलसिला अंग्रेजों के शासन में मुख्यतः वकीलों शिक्षकों असैनिक कमचारियों जैसे शिक्षित भारतीय पदावर लोगों के मध्यम वर्ग के उदय से बना रहा। सबप्रथम इस वर्ग में अधिकांशतः शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में निर्मित विशिष्ट सांस्कृतिक वर्ग के लोग थे। इस वर्ग के लोगों ने हिंदू तथा मुगल काल से चले आ रहे विचारों का सिलसिला बनाये रखा। किंतु यह पाश्चात्य पाश्चात्य व्यावसायिक मध्यम वर्ग की प्रकृति थी यद्यपि काफी समय तक पाश्चात्य देशों की तरह यहाँ व्यावसायी औद्योगिक मध्यम वर्ग का अस्तित्व नहीं रहा।

इस मध्यम वय न प्रशासन और राजनीति दाना न इस सिलसिले को दा प्रकार से बनाये रखा। इस वय के कुछ सदस्या न नाक सेवाया और व्यवसाया म प्रवश किया तथा कुछ न आरम्भ स ही राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता प्राप्ति की। अतः राजनीतिक एव प्रशासनिक क्षेत्रा के सभी स्तरों पर नना एक स्तर को सामान्यतया समझत थे। अपने आप ता इमते केवल एक कारनस्मियन म यर्वाँय राजनीतिक नेतृत्व ही उत्पन्न होता किन्तु विवेकानन्द और तिलक द्वारा शुरू किय गये आधुनिकता का पुट नित्ये हूण धार्मिक पुनरुत्थान ने कठोर तपस्या और आम समय का महत्त्व बताया और गाँधीजी न सावजनिक जीवन म इसके अपनाय जाने पर विशेष बल दिया तथा मध्यम वय के राष्ट्रवादिया को जन नेतृत्व की ओर प्रेरित किया जिससे इम वय की राजनीति म प्रमुखता बनी रही। परिणामतः भारतीय राजनीति न नेतृत्व न लोक सवायो और मतदाताया के बीच किसी भी अय विकामशील देश की अपेक्षा अधिक प्रभावी मयस्थना का काम किया है। प्रशासन इसके माध्यम स जनता की मांगा और दबाव के प्रति उचित रूप स सम्बेदनशील रह सका है। यह तजानिया जस अफ्रीकी देशा की तरह के अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रवग के निता अथवा चीन जस पूणतया सद्घातिक प्रवेश क बिना ही सम्भव हुआ है।

अशत इसी से प्रशासनिक ढांचे मे कमबडता बनी रही किन्तु इसक कुछ अय कारण भी थे। जिला कन्वर्टरी तथा म तानया के विभागा और नाक निगमा का पुराना संग्रहित ढांचा अभी भी लाभप्रद समझा गया और सन् 1947 मे एस मग करने का अर्थ होता अघकार मे छुलगाँ गगाना। दूसरे देश के विभाजन क कारण एसा प्रयास करन के लिए समय भी नही मिला। साथ ही बुद्धिमत्ता इसी म समझी गई कि अशत राजनीतिको और असनिक कमचारिया के बीच परस्पर आदान प्रदान द्वारा सामने आए और अशत प्रशासनिक सुधार समितिया और आयोगो द्वारा सुझाए गए सशोधन करक इसी ढांचे का उपयोग किया जाय। आर्थिक विकास भी बतमान तत्र के माध्यम से ही प्राप्त करने का प्रयास किया गया यह योजना आयोग की एकमात्र नयी विशेषता थी।¹

भारतीय लोक प्रशासन की सस्थागत निरंतरता चाह मुत्यत अप्रजी शासन की देन हो लेकिन यह भी सय है कि अनेक बतमान प्रशासनिक सस्थाया स प्राचीन भारतीय किसी न किसी रूप म परिचित थे। ईसा से लगभग 5000 वय पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत विकसित थी और विज्ञानो का अनुमान है कि उस समय क धम निरपक्ष राय मे प्रशासन का रूप सुविकसित रहा होगा। मोहनजोदडो और हडप्पा के अवशयो से जात होता है कि उस समय अनेक स्वतंत्र

1 की सुब्रह्मण्यम भारतीय पशासन (प्रकाशन विभाग भारत सरकार)

समुदाय की अपेक्षा एक केन्द्रीकृत राज्य था।¹ 3000 ई. पूर्व में यहाँ नगरपालिकाएँ सुस्थापित हो चुकी थीं। भारतीय प्रशासन का यह प्रागतिहासिक विवरण यद्यपि अधिक निश्चित नहीं है तथापि इसे अतीत के गौरव की एक उत्सवनीय भाँकी प्रवण्य माना जा सकता है।

ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से भारतीय लोक प्रशासन के विकास को प्राचीन काल राजपूत काल सतनत काल मुगल काल ब्रिटिश काल और स्वातंत्र्योत्तर काल में विभाजित किया जा सकता है।

प्राचीनकालीन प्रशासन

प्राचीन काल में विभिन्न समया में विभिन्न प्रशासन प्रचलित रहे। सिंधु घाटी सभ्यता काल के प्रशासन के बारे में हमारा ज्ञान अधिकतर अनुमान पर आधारित है। खुदाई में प्राप्त प्रवणियों से विद्वानों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साम्राज्य व्यवस्थित और सुशासित थे। पुरोहित लोग शासन करते थे जो सुभर और अकाल के पुरोहित राजाओं के समान थे। राज्य का स्वरूप मुख्यतः केन्द्रीकृत था और नगरपालिका शासन में ज्ञान अपरिचित नहीं था।

ऋग्वेदिक काल में भारतीय प्रशासन का स्वरूप राजतन्त्रात्मक ही था। राज्य और राजा को जन कल्याण साधक माना जाता था। प्रजाधर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले राजा और पदाधिकारी पदच्युत किये जा सकते थे। राजा अपने विभिन्न मंत्रियों के परामर्श से शासन काम चलाता था। मंत्रियों में सबसे प्रमुख स्थान पुरोहित का था। राजदरबार में गाव के हिता और निवासियों का प्रतिनिधित्व ग्रामाण नामक पदाधिकारी करता था। सभा और समिति नामक जनसंस्थाएँ भी थीं। समिति सम्पूर्ण प्रजा की संस्था थी और राजा का निर्वाचन करती थी। सभा समिति से छोटी संस्था थी जिसकी सहायता से राजा दैनिक राज्य-कार्य करता था तथा अभियोगों का निराकरण करता था। इन दोनों संस्थाओं का राजा के ऊपर बड़ा नियंत्रण था। यह निराकरण आगे चलकर धीरे धीरे क्षिणित हो गया।

उत्तर ऋग्वेदिककाल में राजा का पद पतक हो गया और राजा बहुत-कुछ स्वतन्त्र हो गया फिर भी वह निरकुश नहीं था। अभी उसके निर्वाचन का सिद्धांत नष्ट नहीं हुआ था और उसके उत्तराधिकारी पर राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव रहता था। शासन के संचालन में राजा प्रतिष्ठित मंत्रियों की एक परिषद् की सहायता लेता था। प्रधानमंत्री की मुख्यामाध्य कहा जाता था। सभा समिति और मंत्रिपरिषद् का राजा पर प्रभाव था। राज्य की शासन व्यवस्था का सुविधाजनक बनाने के लिए जनक विभाग की रचना की गई थी यथा—वित्त विभाग निरीक्षण विभाग आरक्षण और सभा विभाग। स्थानीय शासन का कार्य नगर एक विशेष मंत्री

1 A L B Sharma The Wonder That was India 1954 p 15

2 R Chandra The Heritage 1961 p 99

वर्ण करता था। उसका मुख्य काम ग्राम और विश्व के अधिकारियों पर नियन्त्रण रखना और उनके पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करना था।

महाकाय काल में राज्य अधिकशासक राजतन्त्रात्मक थे पर बुद्ध राज्य गणतन्त्रात्मक भाँ थे। राजा विश्वामित्र का प्रयास प्रायः नती करता था क्योंकि सामन्तों की सहायता से उच्च कुलीनों की शक्तों का उस पर काफी प्रभाव होता था। राजा की मर्यादा और पद प्रदर्शन के लिए केन्द्रीय प्रशासन में भी सम्मिलित थी—मन्त्रिपरिषद् और सभा। केन्द्रीय प्रशासन लगभग 18 विभागों में विभक्त था। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य का कई काइयों में बाँटा जाना था। मन्त्रिमण्डल का प्रारम्भ था। 10, 20, 100 और 1000 ग्रामों के पृथक् पृथक् अधिकारियों द्वारा शासित थे जिन्हें क्रमशः ग्रामिक, विश्वामित्र शतग्रामी और अधिकारिता कहा जाता था। जनपद काल (6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व) में भी राजतन्त्र प्रचलित था किन्तु जनक जनपदों में गणतन्त्रात्मक शासन भी था। भारत कई राज्यों में बँट चुका था तथा विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति अपनी सीमा पर पहुँच चुकी थी। राजतन्त्रात्मक जनपदों में राज्य का अंतिम अधिकार राजा का था मन्त्रिमण्डल था जबकि गणतन्त्रात्मक जनपदों में राजसत्ता गण अथवा समूह में निहित होती थी।

मौर्य काल में राजा ही साम्राज्य का प्रमुख होता था और कार्यकारी अधिकार एक विनायी शक्तियों अंतिम रूप से उन्हीं में निहित थे। चन्द्रगुप्त मौर्य (322 ईसा पूर्व—298 ईसा पूर्व) एक कुशल सामानायक और विजयता होने के साथ ही एक उत्तम शासक भी था। चन्द्रगुप्त के शासन का स्वरूप प्रबुद्ध राजतन्त्र (Enlightened Despotism) था। पूरी सत्ता राजा के अधीन थी किन्तु राजा का ध्येय प्रजा का अधिक से अधिक कल्याण करना था। प्रजा का कल्याण में ही राजा अपना हित समझता था। राजा का सर्वोच्च अधिकार था। राजा अन्तर्गत राज्य नती सभाल सकता था। उसके सहायता के लिए मन्त्रिपरिषद् तथा सुनियोजित अधिकारी बगैरे हाता था। मेगस्थनीज ने राजा के परामशदाताओं में (i) मन्त्रिगण (ii) यायाधीश (iii) सनापति व (iv) कापाध्यक्ष का उल्लेख किया है। कोटिय ने राजाधिकारियों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। उनके वर्णनात्मक म 19 तीर्थों (उच्च अधिकारियों) का उल्लेख है—(1) मन्त्री—राजा का सर्वोच्च परामशदाता (2) पुरोहित—यह भी राजा को राज्य-कार्यों तथा धार्मिक कार्यों में परामशदाता था (3) सनापति—सेना का अध्यक्ष (4) युवराज—राजा का उत्तराधिकारी तथा परामशदाता (5) दीवारिक—मुख्य स्वागन्त अधिकारी तथा द्वार रक्षक (6) अन्तर्वेशिक—अन्तर्पुर का रक्षक (7) प्रशास्त्रि (राष्ट्रपाल)—पुनिस का सर्वोच्च अधिकारी (8) समाहर्ता—आय-संग्रहक (9) सन्निधाता—कोपाध्यक्ष (10) प्रदेष्टि—क्षेत्रीय अधिकारी अथवा दण्डनायक (11) नायक—पदल सेना का मुख्य अधिकारी अथवा नगर कोतवाल (12) यावहारिक—

‘यायाधीन’ (13) नगर निरीक्षक—स्थानीय निकाय का अधिकारी (14) यासरा अध्यक्ष—उद्योग तथा वापार का अधीक्षक (15) अंतर्धान—सीमा सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारी (16) कमान्डर—खानों का अध्यक्ष (17) महापौर—नगर का सर्वोच्च अधिकारी और (18) सार्विक—वन विभाग का अध्यक्ष। इनमें से प्रथम चार अधिकारी मंत्रिमण्डल के अन्तर्गत सन्स्य थे जिनसे राजा मन्स्वरुण विषयों पर परामर्श लेता था और अन्य 14 विभागाध्यक्ष थे जिनसे भी राजा समय समय पर परामर्श लेता था। इनका बहुत ऊँच वनन दिये जाते थे। समूचा राज्य प्रान्तात्म विभक्त था। प्रांतपति विश्वस्त तथा अधिकतर राजकुमारों के व्यक्ति होते थे। प्रान्त क्षेत्रों में विभक्त थे। क्षेत्र का मुख्य अधिकारी प्रदेश का होता था। वह समय प्रशासन कर वसूली तथा शान्ति व सुरक्षा की देखभाल करता था। उसका दण्डनायक (Magistrate) के अधिकार भी होते थे। क्षेत्र ग्रामों में विभक्त था। ग्राम का अधिकारी गाँव होता था। 10 ग्रामों पर एक सग्रहक तथा 200 ग्रामों पर एक खावटिक होता था। 400 ग्रामों का अधिकारी गोलमुक्त कहलाता था तथा 800 ग्रामों पर एक स्थानीय होता था। ग्राम प्रशासन की इकाई थी तथा गाँव प्रशासन की रीढ़ था। गाँव ग्राम की जनगणना करता था जिसमें जाति तथा आय-व्यय के साधना का भी उल्लेख होता था। यह अधिकारी वतमान पटवारी के समकक्ष था।

गोयकावती नगर-व्यवस्था की विदेशियों तक न बल्लत प्रामा की है। पाटलिपुत्र की नगरपालिका का प्रशासन 30 सन्स्य की एक परिषद् के हाथ में था। यह परिषद् छह समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में पाँच सन्स्य होते थे। पहली समिति उद्योग और शिप की तथा दूसरी विदेशियों की देखभाल करती थी। तीसरी समिति सम्पत्ति का लखा जाया रखती थी और जनगणना की व्यवस्था करता थी। चौथी समिति वापार पर नियंत्रण रखती थी माप-तोच का नियमन करती थी और बिन्नी की वस्तुओं पर राज्य की माहुर लगाती थी। यह एक प्रकार से बिन्नी का लाइसेंस था। पाँचवीं समिति व्यापारियों तथा न्याय माहल का निरीक्षण करती थी तथा छठी विक्रय कर वसूल करती थी। सब समितियाँ अपना अपना कार्य पृथक् पृथक् करती थी किन्तु कुछ कार्य विभिन्न समितियों के सहयोग तथा परामर्श से ही होते थे जैसे सार्वजनिक भवनों की देखभाल तथा बाजार बन्दरगाहों तथा घम स्थानों की रक्षा का कार्य आदि। कौटिल्य ने भी नगर व्यवस्था का वर्णन किया है किन्तु उसमें समितियों का उल्लेख नहीं किया है। उसमें उन सब कार्यों से सम्बन्धित अधिकारियों का वर्णन किया है। कौटिल्य के प्रशासनिक विधिदिन होता है कि नगर चार बाडों में बाँटा जाता था। प्रत्येक बाड एक स्थानीय के अधीन होता था। प्रत्येक बाड को उपबाडों में बाँटा जाता था जो गाँव के समूहों होते थे। गाँव अपने-अपने कार्य करने वाली पृथक् तथा उनकी सम्पत्ति की व्यवस्था

जानकारी रखता था। नगर में आग से रक्षा के लिए व्यवस्था होनी थी तथा सड़क का सफाई करने पानी के लिए नालियाँ का प्रबंध निषिद्ध वस्तुओं की बिक्री पर रोक आदि सभी के लिए नियम थे।

राज्य की सारी आय नियमित अनुमान पत्र (बजट) के अनुसार खर्च होता थी। राज्य की मुख्य मदें ये थीं—राज परिवार धार्मिक कृत्य सना दौलत रक्षा वेतन भत्ता शिक्षा वृत्ति दान यानायात सिंचार्थ भवन निर्माण और अय वेकापकारी काय। राजस्व विभाग का संचालन समाहर्ता करता था और उसकी अधीनता में कई अध्यक्ष थे जस—शुल्काध्यक्ष सूनाध्यक्ष (सूत और कपड़ के निरीक्षक) सीताध्यक्ष (सरकारी खेती के निरीक्षक) सुराध्यक्ष सूनाध्यक्ष (बूबट वान के अध्यक्ष) गणिकाध्यक्ष मुनाध्यक्ष आकराध्यक्ष (खान के निरीक्षक) पण्डायन (दुकान के निरीक्षक) आदि। एक विषय (जिला) के राजस्व अधिकारी को युक्त कहाँ थे। युक्त कमी कमी राज्य की आय को गुप्त रूप से गबन भी कर जाते थे।

गुप्तकालीन साम्राज्य और प्रशासन मौर्यकाल के समान वृद्धित और गठित नहीं था। गुप्त साम्राज्य का स्वरूप बहुत कुछ मण्डन व्यवस्था पर आधारित था और बहुत से सामंत राजा गुप्तों की अधीनता में साम्राज्य के विभिन्न भागों में शासन करते थे। गुप्तकाल में एकतांत्रिक शासन प्रणाली पूर्ववत् थी राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था और राज्य की अन्तिम सत्ता उसके हाथ में थी। मौर्यकाल की भाँति ही गुप्तकाल में भी मंत्रि परिषद् की प्रथा थी किंतु उसकी रचना और कृत्यों के बारे में पूरा उल्लेख नहीं मिलता। गुप्त काल का प्रशासन डा पाण्डेय के अनुसार इस प्रकार था—सचिव दिग्विहिक (सचिव और युद्ध के मंत्री परारारष्ट मंत्री) अक्षपटलाधिकृत (राजकीय वागज पत्र के मंत्री) आदि मंत्रियों का पता उत्कीर्ण लखा से लगता है। उनकी सहायता से सम्राट शासन करता था। मंत्रियों का पत्र प्रायः राजाओं के समान होता जा रहा था। उस समय का विशेष राजनीतिक पारिस्थिति में कई मंत्रियों के हाथ में शासन और सना दोना के अधिकार होते थे। सारा कर्णाय शासन कई विभागों में संगठित था जिसका प्रबंध मंत्री आमात्य कुमारामात्य युवराज-कुमारामात्य आदि अधिकारी करते थे। सारा गुप्त साम्राज्य शासन की सुविधा के लिए कई इकाइयाँ में बँटा हुआ था। सबसे बड़ा विभाग प्रांत था जिसको देश या मुक्ति कहते थे। प्रांतीय शासक भौतिक भागपति गाँव, उपरिब मन्त्राज और राजस्थाना कलाते थे। प्रांत से छोटा क्षेत्र प्रदेश कहलाता था जो राजद्वार की कमिश्नरी के बराबर था और इसमें छोटा विभाग विषय कहलाता था जो जिले के समकक्ष था। विषयों के ऊपर विषयपति कुमारामात्य अथवा महाराज शासन करते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था जिसका मुख्य अधिकारी ग्रामिक महत्तर अथवा भोजक होता था। प्रादेशिक और स्थानीय शासन संचालन के लिए विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। नगर शासन के सम्बंध में राजधानी में विषयपति की सहायता के लिए एक परिषद्

थी। भूमि का ऋण विक्रय परिवर्तन आदि इसी के अन्तर्गत होता था। गाँव का प्रबंध करने के लिए भी एक परिषद् होती थी जिसका प्रमुख ग्रामिक महत्तर अथवा भाजक होता था। मौर्यों के बाद विदेशी आक्रमण के शांत होने पर गुप्ताने एक निश्चिन्त याज्ञना क अनुभार आश्रय शासन पद या की वास्तव में स्थापना की जिसमें प्रजा मुखी और समृद्ध थी।

राजपूतकालीन प्रशासन

राजपूत काल में राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का ही बांजबाला था। राजपूत वंश परम्परागत होता था। राजा को परामर्श देने के लिए मन्त्रिमण्डल का व्यवस्था थी मन्त्री अपने अपने विभागों का प्रबंध करते थे। प्रशासन से नाक हिन का आशा की जाती थी लेकिन शासक वंश की स्वच्छाचारिता बढ़ती जा रही थी। गणतन्त्र समाप्त प्रायः ही रह गया। मन्त्री पद भी वंशानुगत हो चला था। केन्द्रीय शासन सुगठित नहीं था क्योंकि प्रांतीय शासन पर उन सामन्तों का ही अधिकार होता था जो प्रायः स्वतन्त्र रूप से शासन करते थे। जागीर प्रथा के प्रचलन से सामन्तों के अधिकारों में भारी वृद्धि हो रही थी। प्रायः युवराज अथवा राजकुल के व्यक्तियों को ही प्रांतीय शासक बनाया जाता था। प्रांतीय शासन भी अनेक विभागों में विभक्त होता था। प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था जिसके अधीन बहुत से कमचारी होते थे। ग्राम पंचायतों का महत्त्व घट गया था उन पर भी सामन्तों का अधिकार था। साम्राज्य प्रांतों तथा अधिष्ठातृ और ग्रामों में विभक्त होता था—इस प्रकार शासन-पद्धति गुप्तकालीन शासन पद्धति के आधार पर थी। शासन के मुख्य विभागों का ढांचा भी मुख्यतः गुप्तकालीन था किन्तु उनमें अन्वयस्था और विशुद्धता आ गई थी। शासन की सुविधा हेतु समितियों का निर्माण किया जाता था और उन्हें विविध कार्य सौंपे जाते थे। नगर प्रबंध के लिए पट्टनाधिकारी होता था जिसे उन सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता था जो आधुनिक नगरपालिका के प्रशासक करते हैं।

सुल्तनकालीन प्रशासन

सुल्तनत काल (1206-1526 ई.) का प्रशासन मूलतः सैनिक प्रशासन था। दिल्ली के सुल्तान निरकुश स्वैच्छा शासक थे फिर भी सर्वाधिक निरकुश शासक भी शासन का सम्पूर्ण कार्य प्रवृत्ता नहीं कर सकता था। उसे किसी न किसी कारणवश अपने अमीरों और सरदारों के सक्रिय समर्थन पर निर्भर रहना होता था। दिल्ली के सुल्तानों को अपने शासन के आरम्भ से ही अधिकारियों की एक व्यवस्थित शृंखलायुक्त एक शासनतन्त्र की व्यवस्था करनी पड़ी। अपने अनुभव और तकनीकी ज्ञान के कारण राज्य के लिए उनकी सेवाएं बहुमूल्य थीं और कोई भी शासक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकता था। यद्यपि ये अधिकारी किसी प्रकार भी सुल्तानों के अधिकारों को प्रतिबन्धित नहीं करते थे बल्कि सुल्तानों की

योग्य अधिकारियों के परामर्श से कुछ न कुछ मागदशन ग्रहण करत थे और नीतियां का निधारण करत समय उनके परामर्श को ध्यान में रखत थे। मंत्रिया की संख्या निश्चित नह थी। एक मंत्री के अधीन प्राय एक से अधिक विभाग होते थे। सबसे बड़ा मंत्री वजीर कहलाता था। वह प्रधानमंत्री या और उसकी स्थिति राजा तथा प्रजा के बीच की थी। वजीर सरकार की सम्पूर्ण मशीनरी का अध्यक्ष हाता था उसका न्यायालय दीवान ए विजारत कहलाता था और उसका सहायता के लिए अधिकारियों की एक शृंखला होती थी। प्रगत मंत्रियों के अतिरिक्त राजधानी में और भी पदाधिकारी होते थे जो या तो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष होने या अथवा उनका सम्बंध मुख्यतया मुल्तान के सरल प्रबंध में हाता था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य प्रान्तों में विभक्त था। प्रांतीय शासकों को सूबेदार कहा जाता था। प्रत्येक प्रान्त में केन्द्र की ही भांति विभिन्न विभाग थे। प्रांत शाका में बंट हुए थे जिनके प्रधान शिकदार कर्तात थे। शिका को सरकारों में सरकारों का परगना में और परगना को ग्रामों में बांटा जाता था। नगर प्रशासन कर्तीयकृत नौकरशाही द्वारा संचालित था किंतु गांवों में अभी भी स्वायत्तता थी। स्थानीय शासन की पुरातन परम्पराए प्राय प्रचलित थी।

मुगलकालीन प्रशासन

मुगलकाल में सम्राट ही सम्पूर्ण शासन और राज्य का एकछत्र स्वामी होता था। शासन पूर्णतः केन्द्रीकृत था किन्तु प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रांतीय और स्थानीय शासन की व्यवस्था थी। केन्द्रीय शासन में सम्राट और मंत्रियों मन्मन्तित थे। मंत्रियों का स्वतंत्र अस्तित्व कुछ भी नही था वे सम्राट का मर्जी के खिन्ने थे। सम्राट स्वच्छाचारी थे तथापि प्राय प्रजा के हित का ध्यान रखत थे। अकबर न जनहित का सर्वोपरि महत्त्व दिया किंतु औरगज़ब जैसे सम्राट न जनहित की उपमा की। प्रशासनिक विषयों पर प्राय सम्राट मंत्रियों से परामर्श लत थे उनके विचारों का प्राय आदर भी करते थे किन्तु अंतिम निर्णय उनका अपना हाता था। मोरटे के अनुसार— कभी कभी सम्राट मंत्रिमण्डल के परामर्श पर अपना निर्णय बदल भी लेता था किंतु मन्त्रिमण्डल सम्राट की किसी बात का मानने के लिए विवरा नही कर सकता था। केन्द्रीय शासन में साधारणतया मंत्रियों की संख्या 4 से 6 तक थी पर उनकी सहायता के लिए कुछ निम्नस्तराय मंत्रा भी हात थे प्रमुख मंत्री थे— वजीर (प्रधानमंत्री) दीवान (उपमंत्री) मोरबख्शी (सना मंत्री) मुख्य सदर (धर्मार्थ विभाग का अध्यक्ष) हान-आमान (घरनू विभाग का अध्यक्ष) बाजी उनकजा (मुख्य न्यायाधीश) माहतामिन् (जन आचरण की देख रेख करने वाला मंत्री)। मुगल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त थे जहाँ केन्द्र की तरह ही शासन चलता था। सूबेदार प्रांत का सबसे

बड़ा अधिकारी होता था जिस सिपहमातर या नाजिम भी कहा जाता था। सूबेदार की नियुक्ति और पद-युक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। प्रान्त प वह सम्राट का प्रतिनिधि था। प्रांत के वित्तीय विभाग का मुख्य अधिकारी दीवान होता था। दीवान और सूबेदार एक-दूसरे की गतिविधियों पर निगाह रखने थे और सम्राट को दाना से प्रांतीय मामला के बारे में प्रत्येक प्रयोग रिपोर्ट प्राप्त जाती थी। सदरकाजी बरशी तथा कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे। प्रत्येक प्रान्त अनेक सरकारी अथवा जिला में विभक्त होता था। फौजदार सरकार का कायपालक अधिकारी था। उसकी स्थिति आधुनिक जिलाधीश जैसी थी। उसके अधीन सना का एक टुकड़ा भी रहती थी। पुनिम व्यवस्था के लिए सरकार के विभिन्न नगरों में कौन्वान रहते थे। परगना नगर की इकाई थी। परगना के मुख्य अधिकारी शिक्दार शामिल कानूनों आदि होते थे। शिक्दार मुख्य कायपालक था जिसकी स्थिति बहुत-कुछ आधुनिक तहसीलदार जैसी थी। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई था, परगना गाँव में विभाजित थे। गाँव का प्रबंध पंचायतें करती थी। गाँव की सफाई सुरक्षा शिक्षा मिर्चाइ भगदो के फल प्राप्ति का भार उन्हीं पर था। गाँव के तीन महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे—मुखद्म गाँव की रख भाल करता था पटवारी लगान वसूल करता था और चौधरी पंचायतों की सहायता से भ्रमण सुलभता था। सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक गाँव में एक चौकीदार भी हुआ था।

ब्रिटिश काल में प्रशासन का विकास

भारत में ब्रिटिश प्रशासन का बीजकाल में प्रारम्भ 1600 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के साथ हुआ। प्रारम्भ में उसका उद्देश्य भारत में व्यापार करना था पर धीरे-धीरे उसने सक्रिय राजनीति में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ में उसका प्रादेशिक महत्वाकांक्षाएँ बलवती हाना गन् और सीध ही वह इस देश में एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन गई। सन् 1772 में 18-8 का युग ऐसा रहा जिस हमारी सरकार के काल का प्रारम्भ है। कम्पनी का शासन तो रहा ही, किन्तु ब्रिटिश संसद भी भारतीय प्रशासन सम्बन्धी मामलों में अधिकारिक शक्ति लेने लगी। सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम ने एक जबरदस्त परिवर्तन का आधार तयार कर दिया और सन् 1858 से भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का शुरुआत हो गयी। भारत सरकार का मंचालन कम्पनी से प्राउन के नियम में आ गया।

हालाँकी ही इस समय लिखा है कि भारत में तोर प्रशासन तबसा मुगल युग में था और जिस प्रकार की स्थिति में अज्ञानता उस सन् 1947 में छाड़ उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि वह एक जिला आधारित प्रशासन था, जिसमें प्रतिष्ठा और पद साधन वेतन स्तर आदि के मारी प्रन्तरा के साथ कर्णिय प्रशासन और राज्य-स्तरीय प्रशासनो के लिए दो भिन्न भिन्न दिशाएँ उभरी। राजस्व और व्यवस्था इन प्रशासन के मूल आधार रहे और विकास काय का प्रशासन इन्हीं में

समाविष्ट रहा। अंग्रेजी युग के इस इतिहास का निम्न छ भाग म विभाजित कर
 एक एक विकास जम बनाया जा सकता है—


- 1 सवधानिक सरकार
- 2 केनीय सचिवालय
- 3 लोक सेवायें
- 4 राजस्व और आय प्रशासन
- 5 वित्तीय प्रशासन एक
- 6 स्थानीय स्वराय ।

1 सवधानिक सरकार—प्रारम्भ म भारत म ईस्ट इण्डिया कम्पनी अपनी
 मनमानी करती रनी । कम्पनी के शासन की सधानिक और यावहारिक आधार पर
 कठर आलोचनाए हुइ जिसक फलस्वरूप ब्रिटिश ससद ने अनक नियमनकारी
 विधयक पास किय । सन् 1773 क र्गूलटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश समद न कम्पनी
 क शासन म हस्तक्षेप कर बाधपानिका और व्यवस्थापिका सम्बन्धी अनक महत्त्वपूर्ण
 परिवर्तन किय । दम्बई और म्पास का प्रसीडसी को कलकत्ता प्रसीडसी क अधीन
 कर लिया गया जिसका प्रशासन एक गवर्नर जनरल और चार पापदा को सीपा गया
 सपरिषद् गवर्नर जनरल का कम्पनी क सर सनिक सवका क निण आयादेश जारी
 करन को शक्ति दी गई । इन अध्यादेशा पर नव निर्मित सर्वोच्च न्यायालय का
 प्रतिबन्ध रखा गया जिसक यायाचीशा की नियुक्ति जाउन गारा की जाती थी । इस
 अधिनियम गारा भारतीय प्रशासन का दायिक कम्पनी और ब्रिटिश सरकार के बीच
 बट गया । नवीन व्यवस्था म कभी कभी गवर्नर जनरल अपनी परिषद् क सम्मुख
 शक्तिमान सिद्ध होना या जबकि अनक बार परिषद् को सर्वोच्च न्यायालय गारा
 निष्क्रिय बना लिया जाता था । इसी आधार पर भारतीय सवधानिक सुधार की
 रिपोर्ट (1918) न सन् 1773 क अधिनियम का प्रशासनिक यत्र क प्रारम्भिक
 सिद्धान्ता का हननकता बनाया । पिटस अधिनियम सन् 1784 द्वारा छ आयुक्ता
 का एक नियंत्रक मण्डल स्थापित हुआ जिस कम्पनी क निदेशका का नियंत्रण करन
 की शक्ति मौल्य गयी । सन् 1786 क अधिनियम — द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद्
 स अधिक शक्तिया प्रदान का गई और उस मुख्य सेनापति बनाया गया । सन् 1793
 813 1833 1853 और 1854 के धात्र अधिनियमो न प्रशासन का इष्टि स
 महत्वपूर्ण परिवर्तन किय । कम्पनी गारा कलकत्तर का पद रखा गया जो राज
 एकान्त करने और गावा क प्रशासन क निण उत्तरदायी था । वह सचिवालय और
 सर्वोच्च पुलिस अधिकारी भी था । बाद म कानवानिस न राज व प्रशासन को
 दायिक एक पुलिस कार्यो स पृथक कर लिया फिर भा कनवन्रा क हाथो म शक्ति
 कटिन हाती गई । सन् 1857 के बाद राजस्व पुलिस और मजिस्ट्रेट क कार्य
 कलकत्तर के नियंत्रण म आ गय । वन् जिले का कर्तव्यता बन गय । सन् 186 म
 एक नागरिक न सजाक रूप म कटा कि नित्राधीन सारे दिन प्रतिबन्ध न । रहना

और सारी रात पत्र व्यवहार करता है। पायली के कथनानुसार 'भारत में एक अत्यंत कर्मिष्ठ शासन का आविर्भाव इन्हीं अधिनियमों का फल था।'¹

सन् 1833 के अधिनियम ने व्यापार पर कम्पनी ने एकाधिकार को समाप्त किया और इसकी यावसायिक गतिविधियाँ को पूरा रोक दिया। अधिनियम ने केन्द्रीय प्रशासन की स्थापना की। सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने यह स्पष्ट कर दिया कि कम्पनी का प्रशासन एवं नीतियाँ असन्तोषजनक थीं। फलतः भारत सरकार का संचालन कम्पनी से काउन ने ले लिया। अब ब्रिटिश संसद ने एक नए बिल एक अनक महत्वपूर्ण अधिनियम बनाये जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं—

(क) 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रथम नियंत्रण में ले लिया। अब उसकी बागडोर साम्राज्यीक विक्टोरिया के हाथों में आ गई तथा समस्त वर्धनिक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ भारत सचिव तथा उसकी परिषद् में केन्द्रित हो गई। भारत में सत्ता का केन्द्रीयकरण गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद् में निहित हो गया। इसका प्रयोग अनेक शासन अधिकारियों द्वारा किया जाना लगा। इस प्रकार शासन नीकरशाही में परिणत हो गया जिसका संगठन एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था (Hierarchy) के रूप में किया गया। निम्न अधिकारी अपने-अपने उच्च अधिकारियों के अधीन रह कर एजेंट के रूप में कार्य करते थे। यह श्रेणीबद्ध संगठन इस प्रकार था—



पायली के कथनानुसार ऊपर से नीचे तक समस्त व्यवस्था एक तंतु के साथ मानी जुड़ी हुई थी और प्रति केंद्रित थी और इसका व्यवहार इस्पात के

दार्जिली की तरफ ध्यान था। इसमें निरंकुश शासन के सभी चिह्न विद्यमान थे। देशी रियासतों का शासन भी इसका अपवाद नहीं था।¹

महारानी विक्टोरिया ने 1 नवम्बर 1858 को एक घोषणा प्रसारित की जिसमें ब्रिटिश सरकार की भारत सम्बन्धी भावी योजनाओं का उल्लेख था।

(ख) 1861 के भारत परिषद् अधिनियम द्वारा व्यवस्थापिका और कायपालिका के संगठन में अनेक मन्त्रव्यवस्था परिवर्तन हुए। इससे पहले भारत प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की स्थापना हुई। ये मन्त्र मन्त्र मन्त्र नहीं थीं और इनके अधिकार अत्यंत सीमित थे। ये सरकार की व्यवस्थापिका समिति मात्र थीं। एबनर जनरल को काय सदान के लिए नियम बनाने की शक्ति सीपी गई, उसका प्रयोग करके लार्ड कैनिंग ने कार्यपालिका परिषद् की मंत्रिमण्डल बनाने की दिशा में उन्मुखीय काय किया।

(ग) सन् 1892 के भारत परिषद् अधिनियम से केन्द्रीय और प्रांतीय परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई, व्यवस्थापिकाओं की सदस्य संख्या और शक्तियाँ का भी विस्तार हुआ।

(घ) सन् 1909 के भारत परिषद् अधिनियम द्वारा कायपालिका और व्यवस्थापिका में मन्त्रव्यवस्था परिवर्तन हुए। इससे यद्यपि व्यवस्थापिकाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई तथापि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा और कायपालिका का व्यवस्थापिका पर नियंत्रण कायम रहा। उत्तर प्रदेश सरकार स्थापित नहीं की गई। इसकी साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति प्रजातंत्र विरोधी और देश में फूट डाने वाली थी। इससे सवर्ण प्रशासन का स्तर नाचा हुआ। जनता की राजनीतिक भावनाएँ सन्तुष्ट नहीं हो सकीं। लोक सेवाओं में अधिक भारतीयों को प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ। कायपालिका पर संसदीय नियंत्रण स्थापित न हो सका और स्थानीय निकायों पर सरकारी नियंत्रण में बनी रही। प्रशासन अत्यंत धीमा और दब्यु बन गया।

(ङ) सन् 1919 के मोण्टेग्यू रिपोर्ट सुधार भारत के प्रशासनिक विकास में विशेष महत्त्व रखते हैं। इससे पहले भारतीय प्रशासन की तीन मुख्य विशेषताएँ थीं—केन्द्र में सत्ता का केन्द्रीकरण विधायी कार्यों पर कायपालिका का नियंत्रण और सम्पूर्ण भारतीय प्रशासन का अन्तिम दायित्व ब्रिटिश संसद के हाथ में। 20 अगस्त 1917 का भारत अधिनियम 1919 न घोषणा की दिशा में प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों का अधिकतम अधिक सहभाग दिया जायगा और स्वशासन की

1. In the early days of the British administration in India, the system of direct rule was followed. The British Government in London exercised direct control over the administration of India. The Indian Councils Act of 1861 provided for the establishment of Indian Councils in each province. These councils were advisory in nature and had no real powers. The British Government continued to exercise direct control over the administration of India until 1919. The Montagu-Chelmsford Report of 1919 recommended the introduction of a system of indirect rule in India. This system was based on the principle of devolution of powers to the Indian people. The Government of India Act of 1919 implemented these recommendations. It provided for the establishment of provincial legislatures and the introduction of a system of responsible government. The British Government continued to exercise direct control over the administration of India until 1947. The Government of India Act of 1950 provided for the establishment of a democratic system of government in India. This system was based on the principle of universal suffrage and the separation of powers. The Indian people have since then enjoyed a system of democratic government.

सत्याग्रहों का स्वयं विकास किया जायगा। तदनुसार सन् 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में स्वशासन की स्थापना के लिए उच्चतम बंधन उठाये।

मन प्रांतों में द्वय शासन की स्थापना का। स्वयं नौकरशाही और राजाज्य को परस्पर आश्चर्यजनक रूप में मिलाया गया। एकामक सरकार होते हुए भी प्रांतीय एवं प्रांतीय सरकारों के साथ स्वयं निश्चित कर दिए गये। द्वय शासन के अंतर्गत प्रांतीय सरकार के दो भाग हुए। एक भाग पूरात नौकरशाही के अधीन था और दूसरे को कुछ सीमा तक लाक्षणिक बनाया गया। गवर्नर का अमाधारण शक्तियाँ सौंपी गईं। प्रांतों का पहल की अपेक्षा अधिक अधिकार दिए गए। सुरक्षित विषयों पर गवर्नर और उसकी परिषद् का एकाधिकार रखा गया किंतु हस्तांतरित विषयों में उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप गए। केंद्र की कार्यपालिका परिषद् में भारतीयों को स्थान दिया गया।

(च) सन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों में स्वायत्त सरकार और केंद्र में द्वय शासन की स्थापना की। इसने देश में सधामक व्यवस्था का समर्थन किया। प्रांतीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति समस्त प्रांतीय विषयों तक व्याप्त हो गई। प्रांतों की आय के प्रमुख स्रोत भूराजस्व आबकारी कर वृषि आय पर कर भूमि और भवना पर कर परिसर पर कर आदि निश्चित किए गए। गवर्नर की शक्तियों का तीन भागों में विभाजित किया गया—स्वच्छता से काम में ली जाने वाली शक्तियाँ, मन्त्रिमण्डल नियंत्रण की शक्तियाँ और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की मला से काम में आने वाली शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में उस पर्याप्त अधिकार थे।

ब्रिटिश संसद् द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों का यदि सम्भारता से विश्लेषण किया जाए तो जसा कि डा. पी. डी. गमा ने लिखा है स्वयं सारे स्वयं विकास में तीन विशेषताएँ दिखायी देंगी—

1/ भारत में प्रतिनिधित्वपूर्ण मन्त्रिमण्डल की स्थापना और उनकी सम्पूर्ण मर्याद और प्रकृति का नैतिक विकास।

2/ स्वयं सम्प्रदाय के माध्यम में शासन का जनतन्त्राकरण और उत्तरदायित्व की प्रकृति का विकास।

3/ भारतीय शासन का भारतीयकरण और भारतीयों को प्रभावशाली ढंग में शासन में लिए जाने वाले अवसरों की वृद्धि।

स्वयं ताना प्रतिक्रिया में जो मन्त्रिमण्डल नीति सम्बन्धी थी भारतीय प्रशासन का अन्तर्गत रूप में प्रभावित किया—

(1) मन्त्रिमण्डल नीतियों ने उच्च सवाधानों को भारत में ही के अधीन रखकर विशेष सुविधाएँ प्रदान और सुरक्षाएँ दिए जो विकास के साथ स्वयं ताना प्रतिक्रिया में प्रभावित किया—

(ii) मेवाघ्रा को विशेष भूमिका मीपी गड और उनके हिता की रक्षा गवनर जनरल के बिीप उत्तरदायित्व व्रज ।

(iii) इन सरम्पण और विशेषाधिनारा की नीति न भारत म के दीकृत अखिन भारतीय मवाघ्रा को जम दिया ता केनीय और प्रातीय सवाघ्रा मे भिन प्राज भी विद्यमान है ।

(iv) अग्रजा प्रशासन स्थायित्व और व्यवस्था को महत्त्व देता था, अत साम्राज्यवादी हिता की रक्षा के लिए एक सुन्न नौकरशाही उसका आधार स्तम्भ बनी और सपूण प्रशासन व्यवस्था केन्द्रित रही।

(v) वांग्रेस की मागा के फलस्वरूप सभी अधिनियमा म वस बात का सिद्धान्तत स्वीकार किया गया कि प्रशासन का भारतीयकरण एक अनिवार्यता है और उत्तरदायी शासन की प्रतिया का विकास किन प्रकार सम्भव है ।

इन सब बानो न प्रशासन का एक सुगठित नौकरशाही के रूप म प्रस्तुत किया और यह रूप स्वतंत्र भारत का विरासत म मिला जिसम समपानुकूल सुधार किए गए और वश के नतुत्व का यह प्रयत्न रहा कि प्रशासन वास्तविक अर्थों म जनसेवक बन सक।

कनाय सचिवालय—ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का जो प्रशासनिक एघना दी उसका तान म केनीय सचिवालय की एक विशेष भूमिका थी। कम्पनी शासन म बगाल के गवनर जनरल के अधीन केनीय सरकार का सचिवालय गठित किया गया जिसम सन् 1833 के चाटर अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रित-प्रयत्ता की दृष्टि स बुद्ध परिवर्तन किये गए। सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि राजस्व और वित्त विभागा का मिलाकर एक विभाग बना लिया गया। सन् 1843-1855 और 1862 से 1909 तक सचिवालय म विभागा का गठन-पुनर्गठन होता रहा। अन्त नय विभागा का निर्माण हुआ। सन् 1919 से 1947 तक का समय केनीय सचिवालय म विभिन्न सुधारा के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रहा। सन् 1919 का स्मिथ कमटो के सुभाव पर सचिवालय का जो पुनर्गठन हुआ उसम 11 विभाग रखे गये जिनके नाम थे—

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 गृह विभाग (Home) | 2 विदेश विभाग (Foreign Affairs) |
| 3 वित्त विभाग (Finance) | 4 सना विभाग (Army) |
| 5 वाणिज्य विभाग (Commerce) | 6 उद्योग विभाग (Industries) |
| रफ विभाग (Railways) | 8 शिक्षा तथा स्वास्थ्य |
| 9 नाक निमाण विभाग (P W D) | (Education & Health) |
| 10 व्यवस्थापन विभाग (Legislative Department) | |
| 11 राजस्व तथा कृषि विभाग (Revenue and Agriculture) | |

वाक के वरों म सचिव समिति, हालर समिति और मन्मदल समिति ने केनीय सचिवालय के सुधार के लिए और भी सुभाव प्रस्तुत किये। द्वितीय महायुद्ध

के कारण जब स्थिति नाजुक हो गई तो सन् 1945 में सचिवालय का पुनर्गठन आवश्यक समझा गया। इससे पूर्व सन् 1941 में ही नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) सूचना तथा प्रसारण (Information & Broadcasting) तथा भारतीय समुद्र पार (Indian Overseas) विभाग स्थापित किये जा चुके थे। युद्ध के कारण सुरक्षा समन्वय (Defence Co-ordination) का तथा विभाग खुला और युद्ध आपूर्ति मण्डल (War Supply Board) गठित किया गया। सन् 1942 में खाद्य विभाग स्थापित हुआ और उद्योग (Industries) तथा नागरिक आपूर्ति (Civil Supplies) को फिर से एक कर दिया गया। सन् 1944 में योजना तथा विकास (Planning & Development) नामक विभाग बना जो इस बात का परिचायक था कि ब्रिटिश शासन अपनी नीतियां में तेजी से परिवर्तन कर रहा था। युद्ध के बाद यद्यपि सचिवालय में और भी सामान्य परिवर्तन किये गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालयों का विभाजन था। इस मंत्रालय का जन्म भी इसी समय हुआ। 15 अगस्त 1947 को सत्तान्तरण के समय नयी विन्ती के तहत सचिवालय में 19 विभाग थे जिन्हें पुनर्गठित करने और सुधारने के लिए स्वतंत्र भारत की सरकार ने श्री गिरिजाशंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में सचिवालय पुनर्गठन समिति (Secretarial Reorganisation Committee) की स्थापना की।

लोक सेवाएँ — ब्रिटिश शासन काल में लोक-सेवाएँ सचिवालय से अधिक तीव्र गति में बढ़ती हैं।¹

भारतवर्ष की वतपान लोक-सेवाओं का विकास मुगलकालीन प्रशासन में दूढ़ जा सकता है। यद्यपि मुगल शासकों ने अखिल भारतीय सेवाओं के काइरा का गठन नहीं किया था किन्तु केन्द्रीय प्रतिरक्षा व्यवस्था उस युग में भी थी और राजस्व, समाज कल्याण तथा शान्ति एवं व्यवस्था अदि क्षेत्रों में कुछ शाही लोक सेवाएँ बहुत पहले ही गठित हो चुकी थीं। मुगल सूवेदारों ने कितनी ही प्रकार का स्थानीय लोक सेवाएँ बनाई और विकसित की तथा उन्हें कार्यों शक्तियां विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों से भी अभिमन्त्रित किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उदय में अपने कम्पनी संवक चुनते समय अत्यन्त सावधानी बरती किन्तु सुसंगठित काइर प्रणाली का अभाव के कारण उस शताब्दी का आचार सत्ता ने सारी व्यवस्थाओं को लट प्रथा में बदल डाला। इसका अतिरिक्त कम्पनी एक वारिष्णिक समस्या थी और वारिष्णिक नौकरियों की प्रकृति योग्यता पर आधारित प्रशासकीय सेवाओं के विवाह में एक भारी बाधा सिद्ध हुई। फिर भी वारन हस्टिंग्स तथा लॉर्ड क्लाइव जैसे उदार उदारों ने नौकरशाहों की वसूली तथा शान्ति और

1. पी. डी. शर्मा जुलाई 1975 का राजशासन समीक्षा में प्रकाशित लेख भारतीय लोक सेवा संरचना की विसंगतियाँ पृष्ठ 14-17

व्यवस्था की स्थापना के क्षेत्र में लाकू मेथाग्रा की आधारशिला रखकर अत्यंत ही स्पृहणीय प्रारम्भिक कार्य किया। सन् 1781 की वे गीकरण योजना में अनुमार राजस्व मण्डल (बोर्ड ऑफ रद यू) का गठन हुआ। 6 वर्ष बाद सन् 1787 में एक नया योजना के अंतर्गत जिला कान्ट्रोलर के पद में जिला ग्राहक मजिस्ट्रेट तथा याचक प्रशासन का कार्य एकीकृत किया गया। सेटनकार के अनुसार कानडागिस वाड ने सत्ता की सीमाओं को परिभाषित किया। याचक की भ्रष्टाचार तथा के विरुद्ध नियमित अपील की व्यवस्था की पद्धतियाँ निर्मित का और राजस्व पुनित तथा दीवानी और फौजदारी याचक क्षेत्र में भारतीय लोक सेवाओं का स्थापना की।

वाड बलजली ने अपने वाक प्रशामको का बड़ी सावधानी से चयन कर उन्हें फोट विनियम कॉलेज में प्रशिक्षणार्थ भेजा। मुनरो माल्कम मटकाफ एलफिस्टन तथा अन्य कितने ही गणमाय लोक सवको ने 19वीं युग में वाड बलेजली के अधीन अपना करियर प्रारम्भ किया। उन सुयोग्य सवको ने स्थायी प्रशासन के क्षेत्र में ऐसी नयी और गौरवशाला परम्पराओं की सृष्टि की जिनके महत्त्वपूर्ण परिणाम आगामी पीढ़ी के लिए अथवा उपयोगी सिद्ध हुए। इस समय तक भारतवर्ष के प्रोपनिवेशित प्रशासन में वेस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा क्वेनेटेड (प्रसविद) और अक्वेनेटेड (अप्रसविद) का प्रकार की सवा व्यवस्थाएँ जन्म ले चुकी थी। अप्रसविद (अक्वेनेटेड) लोक सवा की आवश्यकता कम्पनी प्रशासन में इसलिए अनुभव की कि कम्पनी के राजनीतिक कार्य बढ़ते जा रहे थे और लाकू विलियम बटुक उदार भारतीयकरण की नीति के प्रवर्धन पापका में स एक था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मनोनयन नीति का दुस्प्रयोग जब एक आण्टाचार काण्ड के रूप में कम्पनी प्रशासन को बदनाम करने लगा ता सन् 1854 में सर चार्ल्स वड ने वाड मकाल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर स्थिति को सामान्य बनाने की काशिश की। इस समिति ने उन नियमों तथा उपनियमों की व्यवस्था की जिनके अनुसार क्वेनेटेड (प्रसविद) लोक सवा सामान्य उन्मुक्त प्रतियोगिता के लिए खान दी गई। फलतः हलीबरी की कॉलेज जो अब तक भर्ती और प्रशिक्षण का केन्द्र था सन् 1885 में बंद कर लिया गया।

सन् 1858 में कम्पनी शासन के अंत और उसके स्थान पर ब्रिटिश शासन का सरकार की स्थापना ने प्रशासन तंत्र को सरकार बना दिया। सर एडमंड हलट के शासन में उच्च भारतीय प्रशासनाधिकारी वास्तव में भारत के मानिक (प्रोन्नत) बन गए। किसी सत्ता के प्रति उत्तरदायी होने के स्थान पर वे स्वयं को आपस में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी समझने लगे। इस मनावृत्ति का एक परिणाम यह निकला कि भारतीय प्रशासन में उच्च सवाओं के भारतीयकरण की माँग उठने लगी। सन् 1886 से 1923 तक जिन शाही आयागों की नियुक्ति हुई वे भारतीय वाक-सेवाओं के इतिहास में तीन चरण कहे जा सकते हैं। प्रथम आयाग

न (जिस एचीमन प्रायाग 1886 भा कहा जाना है) भारत सरकार को यह सलाह दी कि वह स्टूट्यूटरी निविल मविस् (मविधिक नागरिक सेवा) व्यवस्था को समाप्त कर प्रातीय नाक सेवाया का गठन कर। अयाग न कवेनेट लोव सेवाया म भर्ती के लिए व्यवस्था द्वारा भारतवष म साहाय्य साथ प्रतिगोणी परी त के प्रस्ताव को अस्वीकार किया किंतु उसकी अ न सिफारिशा के आधार पर भारत सरकार न कम्पनी सेवायो न चल आ रहू कवेनेट तथा अ कवेनेट के भ को समाप्त कर इम्पीरियन (साहायिक) और पार्वसियल (प्रातीय) नाक सेवायो से दो नये कारो का गठन किया। इसरा आयोग, जिस एस्लिगटन आयोग के नाम से अधिक जाना जाता है सन् 1917 म गठित हुआ। इस आयोग न इगल और भारत म साथ साथ ली जम्ने वाली प्रतिगोणिना भर्ती परीक्षाया की राष्ट्रिय माग को स्वीकृति दी। इसने यह भी अनुशसा की कि भारतीय उच्च लोक सेवाया म 25 प्रातशत पद भारताया के लिए सुरक्षित रख जायें और उन सुरक्षित पदा पर चुन जान बाल कुछ भारतीय प्रयक्ष भर्ती व्यवस्था द्वारा लिए जाय और शप का प्रातीय नाक सेवाया म स पनागत किया जाए। आयाग न इम्पीरियन और प्राविसियन लोक सेवाया व गठन पर बत ही नहीं दिया बकि उनक सम्भवा के विकास के लिए भी निशा निर्देन प्रस्तुत किये। सन् 1923 म रायन कमाण्ड (जिस ना आयाग के नाम स जाना जाता है) गठित किया गया। उस आयाग के अध्यक्ष ना आक फन म बने। नी की यह निश्चित मायना थी कि यह शासन व्यवस्था व अतगत जो विषय अस्तान्तरित प्रातीय विषय हैं उनके प्रशासन का चलान वाली प्रातीय लोक सेवायो पर राजनीतिक नियन्त्रण का कठोर बनाया जाये। अतशा नी आयाग की सिफारिशा के फलस्वरूप ही भारतीय लोक सेवायो म भारतीयकरण की प्रक्रिया के दा भिन्न भिन्न टप सामन आय। एक आई.सी.एस म भारतीय करण और दूसरा के द्वीय सेवाया म भारतीयकरण। सन् 1919 का भारत सरकार अधिनियम वह पहला कानूनी पत्र था जिसने ब्रिटिश क्राउन की अतशा नी सेवाया का एक निश्चित एव सुस्पष्ट वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस अधिनियम के अनुसार जिन सेवायो और विभागा क सदस्य स्थायी तथा प्रयक्ष रूप से मुप्रोम गवर्नमट के अधीन ये उह अधिध्य में सेंट्रल सर्विसेज या कन्द्रीय सेवायें कहा गया। इस प्रकार की सेवायें थी—रेनव कस्टम ब्राडिट एण्ड प्रकाउटस तथा मिलिट्री अकाउंटस। इसा प्रकार इन अली क विभागा म डाक्टर विभाग के कम्पानी आद्य हैं जिह इम्पीरियल सर्विस का स्तर तहो दिया गया। अय इम्पीरियल सेवाया का फिर स नामकरण किया गया और उह अखिन भारतीय सेवाया की सना दी गई। ये आल इण्डिया सर्विसेज थी। इण्डियन सिविल सर्विस (आई सी एस) इण्डिया पुलिस (आई पी) इंडिया सर्विस आक अजीनिस तथा

प्रभिभावकत्व में अपनी अपनी काय करती थी। प्रांतीय सवाधा के नाम उनक प्रपन प्रांता के नाम पर रखे गये जस बम्बई मिडिल मैजिस्ट्रेट मन्स सिविल मैजिस्ट्रेट इत्यादि। सामान योजना के अनुसार प्रस्तावित इन सघीय और प्रांतीय नगर सवाधा के अधिकारों और विशेषाधिकारों का सन् 1935 के भारत अधिनियम में कादूनी रूप दिया गया और इन सवाधा के कमिया की पत्रोपति बतनमान प्रशासन के सेवानिवृत्ति की शर्तों इत्यादि की व्यवस्था का सुरक्षित बनाया गया। इसी अधिनियम ने सघीय तथा प्रांतीय नोक-सेवा आयोगों का गठन किया जिनका कार्य ताना प्रकार की नगर सवाधा के विभिन्न क्षेत्रों में वार्षिक अभिररणा के रूप में काय करते रहना था।

नगर सवाधा का ब्रिटिशकालीन यह सक्षिप्त विवरण नगर सेवाओं के गठन के विषय में निम्नलिखित निष्कर्षों की प्रार सक्त करता है—

1 बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारतवर्ष में नोक सेवाओं का जा सगठन हुआ और जमी प्रकृति विकसित होकर सामान्य आर्थिक उत्पन्न राजस्व बसूती तथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने के साम्राज्यवादी हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं निगाहक तत्व रहे।

2 औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में सघीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस के नोकरों की प्रवृत्ति न जन्म निषय उससे तीन प्रकार की नगर सवाधा उत्पन्न कर सामान्य आर्थिक—(i) अखिल भारतीय सवाधा (ii) केन्द्रीय सवाधा तथा (iii) प्रांतीय सवाधा। अखिल भारतीय सवाधा से यह अपभवा ही जाता था कि वे लाकृत नात्मक तथा सघीय व्यवस्था के प्रयोग में अपनी विशेष भूमिका निभायेंगी।

3 साम्राज्यवादी युग में विकास और कल्याण सम्बन्धी गतिविधियाँ के अभाव में तथा औपनिवेशिक सरकार के राजस्व तथा मजिस्टरी के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण केन्द्र तथा प्रांत दोनों ही स्तरों पर तकनीकी एवं विशेषज्ञ नोक सवाधा या तो जन्म ही नहीं ले सकी अथवा अधीनस्थ स्तरों में रहते हुए अपने अपने शकिकाल में ही बनी रहनी ली।

प्रांता का पुनगठन—ब्रिटिश युग में विभिन्न राजनीतिक और घर राजनीतिक कारणों से तीन प्रकार की राजनीतिक इकाइयों का जन्म हुआ—(1) गवर्नर के प्रांत (2) लैफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत एवं (3) चीफ कमिश्नर के प्रांत। गवर्नर के प्रांतों में गवर्नर की महायता के लिए कौंसिलें होती थीं जबकि शेष दो प्रांतों का प्रशासन डिप्टी कौंसिलर के चलाया जाता था। भारत में प्रांतों का निर्माण तीन प्रसीडेंसी टाउन के विस्तार के साथ प्रारम्भ हुआ जो बाद में बम्बई, बंगाल और मन्स के मुख्य प्रांत कहलाये। ब्रिटिश शासन के प्रसार के साथ साथ नये प्रांतों का निर्माण शुरू हुआ जिसमें आगरा आंध्र प्रोवेंस बंगाल असम बिहार उड़ीसा

पञ्जाब यू पी सी पी और सिंधु के नाम उल्लेखनीय हैं। अंग्रेजों ने बड़ (Major) तथा छोटे (Minor) प्रांतों का नाम दिया और इनके सत्त्वावधान में सम्पूर्ण जिला प्रशासन का निर्माण किया। प्रान्तीय स्तर पर विभिन्न समितियाँ नियुक्त हुईं जिन्होंने अन्तर्गत अन्तर्गत प्रान्तों में प्रशासनिक संगठन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 1935 के अधिनियम ने भारतीय मानचित्र को बदला। स्वतंत्रता प्राप्ति तक काँग्रेस भाषायी प्रांतों का प्रशासन के जनतंत्रिय साधन मानती रही और स्वतंत्र भारत की सरकार ने भारतीय संविधान में ए. बी. सी. रा. में बँटे हुए भारतीय मानचित्र को फजल और घायोग 1955 का सिफारिश पर भाषायी ढंग से पुनर्गठित किया जिसके फलस्वरूप आंध्र महाराष्ट्र हरियाणा आदि नये राज्य बने।

वित्त प्रशासन—वित्त प्रशासन का विकास का इतिहास भारत में केन्द्र राज्य सम्बन्ध का इतिहास है। सन् 1858 से 1919 तक के काल में देश में जिस के द्विकृत व्यवस्था ने जन्म दिया, उसके अन्तर्गत वित्त का विकेंद्रित करना उगभग असंभव था। 1919 से 1947 के बीच विकेंद्रीकरण के किन्तों ही प्रयागों के बावजूद व्यवहार में प्रान्तीय सरकारों की स्थिति के द्वीय सरकारों के एजेंट की बनी रही और के द्विकृत व्यवस्था में कोई दरार नहीं आयी।

राजस्व और वाय प्रशासन—अंग्रेजों ने जब देश का शासन सम्भाला तो उन्होंने मुगल व्यवस्था के द्वारा और राजस्व वसूरी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विकसित किया। इन सिद्धांतों को विकसित करने के लिए उन्होंने दो मुख्य तत्त्व निर्धारित किये— एक तो यह कि राजस्व व्यवस्था ऐसी न हो कि वह सन् 1857 जसी राजनीतिक अस्थिरता और गंदरी की स्थिति को लोहरा में, दूसरी यह कि राजस्व प्रशासन में भारतीय ग्रामीण जीवन कृषि व्यवस्था उत्पादन स्थिति और आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सिद्धांतों का निर्धारण और निरूपण किया जाय। अंग्रेजों ने राजस्व प्रशासन के लिए इस बात को भी महत्वपूर्ण माना कि सभा प्रान्तों में छान छोट स्तर पर एक ऐसा प्रशासनिक संगठन खड़ा किया जाय जिसमें यायालयों का एक पद-सोपान हो और यह प्रशासनिक संगठन राजस्व प्रशासन की नीतियों का क्रियान्वित कर सकें।

अंग्रेजों ने भारत में राजस्व प्रशासन के दो मुख्य सिद्धांत प्रतिस्थापित किये—
 (1) उन्होंने सम्पत्ति जसी सस्या को कानून के माध्यम से भूमि के साथ जोड़ा। जमीन पहले केवल एक जमीन मात्र थी वह राजस्व नियमों के अन्तर्गत भू सम्पत्ति के रूप में कानूनी सुरक्षा का विषय बनी। (2) उन्होंने कृषकवर्ग के अधिकारों की सम्पत्ति के माध्यम से व्याख्या की और कृषकों के माल गुजारी या दीवानी अधिकारों

को सुरक्षित करने के लिए राजस्व विधि (Revenue Laws) राजस्व अधिकरण (Revenue Courts) तथा राजस्व यायाधीन (Revenue Magistrates) की व्यवस्था की। नीचे कूस्तर पर मुगलकालीन पर्यायी गिरदावर कानूनगो तहसील-दार के पद यथावत ही बन रहे। किन्तु उनके ऊपर कूस्तर पर राजस्व अधिकारियों का एक श्रेणी और ऊंचा पद सोपान खड़ा कर दिया गया और उनका नये कानून और नयी नीतियाँ की क्रियावित्ति का कार्य सौंपा गया। राजस्व मण्डल का नया प्रांतीय संगठन अस्तित्व में आया और डिबोजनन कमिश्नरों के माध्यम से जिन्हा स्तर पर पर्यवेक्षण का कार्य चलता रहा। राजस्व प्रशासन की भाँति याय प्रशासन भी भारतीय और ब्रिटिश पद्धतियाँ तथा संस्थाओं का सम्मिश्रण था। सन् 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रजों ने याय व्यवस्था पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया था। उन्होंने मुगलकालीन परम्पराओं को सुरक्षित रखा हुआ उसमें याय के अंग्रजी सिद्धांतों को मूधन का कोशिश की। होल्ड मैजिस्ट्री नामक एक अंग्रज भाई सी एम अधिकारी ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदा की। उसने कुछ सिद्धांत निर्धारित किये जिनके आधार पर भारत में याय प्रशासन का विकास दो दिशाओं में हुआ—

- (1) ग्रीक और फीजियारी याय को अलग अलग प्रणालियों के रूप में अलग अलग कानूनों और प्रक्रिया विधियों के रूप में सुधार एवं विकसित किया गया।
- (2) भारत जैसे कानूनी विभिन्नता के देश में जहाँ घम जाति क्षेत्र सम्बन्धी विभेदपूर्ण परम्पराओं और कानूनों का जाल फला हुआ था उन्होंने कानून के परिष्करण और एकीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल की जिससे कालांतर में कानून के शासन का सिद्धांत जन्म ले सका।

83496 169
—————
1243

सन् 1935 तक भारत का याय प्रशासन स्वतंत्र यायपालिका के सिद्धांत की अवहलना करता रहा किन्तु सन् 1935 के अधिनियम में पहली बार यह स्वीकार किया गया कि केन्द्रीय तथा प्रांतीय याय व्यवस्थाएँ पृथक् की जाएँ और सघीय यायालय जैसी स्वनय अस्तित्व वाली संस्था भारत में स्थापित की जाय।

याय प्रशासन के एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में पुलिस प्रशासन भी रहा। अंग्रजों ने जान-बूझकर पुनिम प्रशासन को उगभग अतिकसित स्थिति में रखा। सन् 1857 की क्रान्ति के बाद अंग्रजों ने पुनिम व्यवस्था को सम्भालने की दिशा में गम्भीरतापूर्वक सोचा और सन् 1861 का पुनिम अधिनियम पार कर एक महत्त्वपूर्ण पद्धत की पुलिस को लक्ष्मीय नियम प्रदान कर अंग्रजों ने उन्नत सिद्धांतों को प्रोत्साहन दिया लेकिन दूसरी ओर उनसे यह मजबूरी भी बनी रही कि वे द्राय पुलिस संगठन जैसी चीज भारत जैसे विशाल देश में यावहारिक नहीं थी। अंग्रजों ने भारतीय पुनिम को ग्रामीण व्यवस्था के साथ मिलाकर देखा और पन्त भारतीयों के स्वाधीनता सयाम की प्रगति के साथ साथ पुनिम प्रशासन में इतिहास का अग्रगण्य सङ्घर्ष में देखा गया—

(1) पुलिस सिविल प्रशासन या कन्वक्टर के अधीक्षण (Supervision) में काम करे और कानून तथा व्यवस्था का अधिकारी पुलिस अधीक्षक न होकर जिलाधीश को माना जाय।

(2) पुलिस की प्रक्रियाओं को पाय प्रशासन की प्रक्रियाओं के साथ मिलित भारतीय अधिनियम आई पी सी और पी सी और इण्डियन ऐक्ट्स एक्ट के अन्तर्गत सुनियोजित किया जाय।

(3) पुलिस प्रशासन में नीचे के स्तर पर स्थानीय और उच्च स्तर पर आई पी एल की तुलना में कम योग्य अग्रजा को जो मानसिक की प्रेरणा शारीरिक दृष्टि से अधिक कुशल थे लिया गया।

पुलिस प्रशासन को जानबूझकर अपरिबन्धित रखना अग्रजा की नीति थी और यही कारण था कि सो वष के अन्दे इतिहास में पुलिस का प्राधुनिकीकरण विशेषीकरण तथा जनतंत्रीकरण सम्भव नहीं हो सका। पुलिस प्रशासन के वष यूरोपीय प्रा तीय अग्रपर सर्वोर्निट और लोअर सर्वोर्निट के रूप में चलते रहे और प्राता के शु मन्त्रालय इनका प्रशासनिक उत्तरदायित्व सम्हाले रहे यहाँ तक कि बड़ शहरों की पुलिस भी बहुत कम विशेषज्ञ पुलिस बन सकी।

स्थानीय प्रशासन—अग्रजा के भारत आगमन के समय तक मुगल-इतिहास की केन्द्रीकृत परम्पराओं के कारण स्वराज जसी समस्याएँ उगभग नष्ट हो चुकी थी। अग्रजा अपने देश में स्थानीय स्वराज को समर्थक रहे थे लेकिन भारत में उनके सामने दुविधा यह थी कि यदि स्थानीय स्वराज को विकसित किया जाय तो उसके कान्स्वरूप होने वाले जन जागरण पर साम्राज्यवाद नहीं चल सकता।

ब्रिटिश शासन काल में भारत में स्थानीय स्वराज का विकास उठे ढग से हुआ। यह गवर्नो के बदले पहले शहरों में शुरू हुआ। वह कुछ क्षेत्रों में पूर्ण विकसित होकर बाद के युग में धीरे धीरे विकसित हुआ। उसमें अग्रजी राजनीति के सिद्धांत और भारतीय जावन की जाति धर्म की विशेषताएँ आपस में टकराती रहीं और वह विकेन्द्रीकरण के विश्वास और केन्द्रीकरण की आवश्यकताओं के बीच झूलता रहा। फिर भी यह कहना अयुक्ति नहीं होगी कि आज जो भी स्थानीय स्वराज्य भारत में विकसित हो गया है उसका पूरा अय अग्रजा को ही दिया जाना चाहिए। प्राथिक समझायेँ स्थानीय जातिवाद भारतीयकरण की नीतियाँ जिला प्रशासन का सदम इसका विकास का दम घोटते रहे कि तु इन सब बाधाओं के बावजूद कुछ तत्त्व इसे प्रागे बढ़ाते रहे। भारत में स्थानीय स्वराज्य का विकास तीन युगों से गुजरा। पहला सन् 1857 से 1892 तक दूसरा सन् 1892 से 1919 तक और तीसरा सन् 1919 से 1947 तक। पहले युग में कम्पनी शासन ने जो थोड़ी बहुत मेयर कोर्ट और म्युनिसिपल मजिस्ट्रेटों की स्थापना स्थापित की उन्होंने बलकता बम्बई और मद्रास शहरों में काफी सफलतापूर्वक कार्य किया। सन् 1892 तक इन तीनों बड़ शहरों में स्थानीय स्वराज का विकास उत्साहवर्धक

रहा। लॉर्ड रिपन का वायसरायराल भारत में स्थानीय स्वराय का स्वराकाल था। उसी के समय में चुनाव सिद्धान्त के साथ-साथ देश के अल्पमूलक प्रांतों में स्थानीय स्वराय का जन्म हुआ और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। सन् 1909 के विकेंद्रीकरण प्रतिवेदन में रिपन की नीति का समाप्त करने का कोशिश की और सन् 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के मातृ प्रांतों में अल्प जातियों का भारतीयों में अविश्वास काफी बढ़ गया और स्थानीय स्वराय के विकास की गति रुक गया। सन् 1909 से 1947 के काल में स्थानीय स्वराय के विकास को कोर उल्लेखनीय गति नहीं मिली। आंग्लों के बाद स्थानीय स्वराय के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बदल उठाये गये हैं।

इस प्रकार भारतीय प्रशासन का विकास ब्रिटिश शासन की नीति और लक्ष्यपूर्ण देश और प्रांतों की परिस्थितियों की अलग-अलग प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग हुआ स्वतंत्र भारत के प्रशासन की स्थिति तक पहुँचा। अंग्रेजों जो प्रशासन का एक नया कानूनी ढांचा लेकर हिन्दुस्तान आये थे, अपने साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए हिन्दू समाज की जातिवादी एवं परिवार-यंत्रस्था के साथ कोर्न छेड़छाड़ करना नहीं चाहते थे। इसी प्रकार साम्राज्यवादी शासन में यह भी सम्भव नहीं था कि प्रचलित मुगलकालीन नीकुरमाही या सामन्तवादी प्रशासनिक ढांचे को समाप्त कर कोई नया प्रयोग किया जाय। फलस्वरूप अंग्रेजी जीवन ढांचा और प्रशासन की मायताओं का भारतीय प्रशासन में हिन्दू एवं मुगल ढांचा के साथ प्रयोग किया गया। परिणाम यह निकला कि इस विकास क्रम में निकल कर आने वाला भारतीय प्रशासन तीनों व्यवस्थाओं की अछाड़ियाँ ग्रहण करने के स्थान पर अंतर्विरोधों में फँस कर रह गया। भारतीय प्रशासन के विकास के इतिहास में साम्राज्यवाद की अखण्डता बनाए रखना अंग्रेजी शासन के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी सिद्ध हो सकता था इसीलिए विकास के इतिहास में एक केन्द्रित प्रशासन (Centralized Administration) तथा जिला प्रशासन पर अधिक बल रखा और विकास प्रशासन (Development Administration) का नाम तक सुनने को नहीं दिया। सन् 1857 के तयकथित गठर के पश्चात् अंग्रेजों ने यह कोशिश की कि भारतीय उच्च समाज पर योग्य अंग्रेज युवकों का बचस्व बना रहे और राष्ट्रीयतावादी भारतीयकरण की माँग को प्रशासनिक समाज के निम्न स्तर पर धीरे-धीरे खपाया जाय। उन्होंने समाज की न कब्रों भारतीयों को प्रशासनिक प्रशिक्षण देने का ही सच नहीं बल्कि समय-समय पर उन्हें कॉलेजों में मनोनीत कर राजनीतिक सामंजस्य को भी प्रोत्साहित किया। नीकुरमाही प्रशासकों की स्वामिभक्तिपूर्ण यह राजनीतिक भूमिका एक और आ दोलना का कारण बनी तो दूसरी ओर तक यह कहा गया कि भारतीय सेवाओं को अनाम बनाम एवं तटस्थ भाव से प्रशासन चराने का कार्य एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तक के द्वारा भारतीय सेवाओं के उच्च भारतीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे भारत की राष्ट्रीय राजनीति

मे तटस्थ रहें और समिभक्ति से वाय करें किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि अग्रज घाई सी एस अधिकारी अपने देश की साम्राज्यवादी राजनीति के प्रति तटस्थ होकर निरपेक्ष हो जाय।

अग्रज जब भारत में प्रशासनिक संगठन एवं सेवाओं के विकास में लगे हुए थे तब उनका एक प्रयास यह भी था कि प्रशासन के माध्यम से वे अपनी सैनिक एवं कूटनीतिक विजय को भारतीय जनता की दृष्टि में उचित स्थान दिनायें। इस दृष्टि से उन्होंने सारे देश में एक ही कानून व्यवस्था को स्थापित किया जो आज कानून का शासन कहलाती है। अग्रजा ने सारे देश के लिए कानून का पजीकरण किया प्रादेशिकता का सम्मान करते हुए कुशलता एवं मितप्रयता के सिद्धांतों को प्रशासन में बढ करने के लिए मनोबल से प्रयोग किये और व्यक्तिगत सेवा और स्वामिभक्ति की संस्कृति में अनुबंध सेवाओं (Contract Services) के ढांचे को विकसित किया। इस संदर्भ में उनका मत था कि उनका अर्थ था किंतु सुधा एवं विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि भारतीय समाज में एक अग्रजी पद लिये शहरी मध्यम वर्ग को पदा कर उन्हें सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित करने के लिए प्रेरित किया जाय। शासक और शासित के बीच का यह प्रशासकीय भारतीय मध्यम वर्ग धीरे धीरे अग्रजी व्यवस्था का आधार-स्तम्भ बना और इसका सहारा लेकर जहां एक ओर प्रशासन में योग्यता और भारतीयकरण के सिद्धान्त पनपे नही दूसरी ओर एक ऐसी अग्रजातांत्रिक नौकरशाही का विकास हुआ जिस वर्तमान परिवर्तित स्थिति से तालमेल बठाने में आज भी कठिनाइयाँ घा रही हैं।

संक्षेप में ब्रिटिश काल में भारतीय संविधान और प्रशासन के विकास का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के परिवेश में विकसित होने वाली प्रवृत्तियों के प्रभाव और उपलब्धियों का इतिहास है। प्रशासन के माध्यम से अग्रजों ने अपनी जीत का औचित्यपीकरण (संज्ञिटीमाइजेशन) किया साम्राज्यवाद को सोचा और साथ साथ अपने राजनीतिक दशन के आधार पर नयी संस्थाएँ बनायीं और मुगल कालीन संस्थाओं का नवीनीकरण किया। मुगल युग में जो प्रशासन क्रियात्मक रूप में बे-कौशल था वह धीरे धीरे अग्रज युग में भौगोलिक एवं कार्यात्मक रूप से (योग्यात्मक-ली एण्ड फकशनरी) के-द्रीकृत बना। सेवाओं में विशेषीकरण पनपा और प्रशासनतंत्र सरकारी व्यवस्था के वायक-रापो के साथ 'तना-यापक' बना कि स्थानीय 'बा-याँ' और संस्थाएँ बोना बन कर रह गयी। विकास के उत्तरवादी सिद्धांतों के बावजूद भी भारतीय समाज भारतीय प्रशासन से अछूता एवं पृथक रहा जिसने पनस्वरूप भारतीय प्रशासन एक दूसरे से निकटता में सम्बन्धित होते हुए भी अपनी अलग अलग दुनियाओं में जीते और सोते रहे। आज भी भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह जिस समाज का प्रशासन बन रहा है उसका सच्चे अर्थों में प्रतिनिधि बन और उसके प्रति प्रभावी रूप से अपना सही उत्तरदायित्व निभा सके।

स्वातंत्र्योत्तर प्रशासन

15 अगस्त 1947 को भारत दासता की जजीरा से मुक्त हुआ। 25 जनवरी 1950 का स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने तक भारत पर शासन ब्रिटिश पद्धति पर ही (जिस स्वतंत्रता के पूर्व था) चलता रहा। केन्द्रीय प्रशासन 1935 के अधिनियम के अनुसार जारी रहा। 26 जनवरी 1950 का स्वतंत्र भारत का संविधान के लागू होने के पश्चात् भारतीय प्रशासन के मूल में मूलभूत बान स्पष्ट हुई।

प्रथम केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर संसदीय प्रकार के नाकतंत्र की स्थापना और निर्वाचित विधानमण्डल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व।

द्वितीय संघात्मक गामन परणारी जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियाँ का विभाजन इस तरह कि केंद्र शक्तिशाली बना रहे और संघटन में राज्यों के प्रशासन का भी अपन हाथ में लें।

भारत की सांविधानिक व्यवस्था से यह स्पष्ट हो गया कि हमें पूर्व अनुभव और प्रणालियों का आधार पर बसट मिस्टर ग्रान्थ को प्रमुख प्राथमिकता देकर ब्रिटिश पद्धति की संस्थात्मक सरकार को स्वीकार किया है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् का विधान महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमें अपने देश को वस्तुतः और विश्वास प्राप्त कर वही देश के वास्तविक प्रशासन को संचालित नियंत्रित और निर्देशित करता है। संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्तियाँ यद्यपि राष्ट्रपति में निहित हैं तथापि संविधान की विभिन्न धाराएँ यह भी सुनिश्चित कर देती हैं कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट के समरूप औपचारिक प्रमुख के रूप में प्रशासन की और मंत्रिपरिषद् के परामर्श में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के प्रमुख के रूप में सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्यपालिकाय प्रशासन का नतुरत करेगा। ब्रिटिश मन्त्रीय प्रणाली की भाँति व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखेगी अर्थात् प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद् अपने समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से ज़िम्मेदारी के प्रति उत्तरदायी होंगे। इंग्लैंड की भाँति भारत में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य शक्तियों के पृथक्करण का अभाव है।

राष्ट्रपति की स्थिति सांविधानिक अध्येक्ष की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है शासन का प्रधान नहीं। शासन का समस्त कार्य प्रधानमंत्री और उसके सहयोगियों के हाथ में है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सहायता और मंत्रणा से करता है और मंत्रिपरिषद् नाकसभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी है। सांविधानिक प्रधान होने का यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रपति के पद का कोई महत्त्व ही नहीं है। वह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। वह सरकार

द्वारा शासन संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह दलगत राजनीति से ऊपर रहकर और एक निष्पक्ष व्यक्ति होने के नाते मंत्रि-परिषद् के निर्णयों पर काफी प्रभाव डाल सकता है और समय-समय पर प्रधानमन्त्री का उचित सलाह दे सकता है। ये सब बातें बहुत हद तक उसके व्यक्तित्व पर आधारित हैं।

भारत में प्रशासन की धुरी प्रधानमन्त्री है जो अपने सहायियों की सहायता में वायपालिका और संसद् दोनों का वास्तविक नेतृत्व करता है। प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् ही राज्य को चलाने वाला यंत्र है और यही वह धुरी है जिसके चारों ओर सरकारी चक्र घूमता है। मंत्रि-परिषद् के सदस्य तीन श्रेणियों में विभक्त हैं—मंत्रि मण्डलीय अथवा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमन्त्री। कैबिनेट मंत्री मन्त्री-परिषद् के सबसे मुख्य सदस्य होते हैं। उनकी समिति को मंत्रि मण्डल अथवा कैबिनेट (Cabinet) कहा जाता है जो मंत्रि-परिषद् की धुरी होता है। मंत्रि मण्डल स्तर का मन्त्री किसी एक मंत्रालय का प्रमुख होता है और कितनी ही बार एक ही मन्त्री को एक से अधिक मंत्रालयों का प्रमुख नियुक्त कर दिया जाता है। कभी-कभी किसी मन्त्री को बिना विभाग का मन्त्री (अविभागीय मन्त्री) भी बना दिया जाता है। राज्य स्तर के मन्त्री को या तो किसी विभाग का प्रमुख बना दिया जाता है अथवा किसी मंत्रिमण्डल स्तर के मन्त्री के साथ सहयोग के लिए रख लिया जाता है। उपमन्त्री को प्रायः स्वतंत्र उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाता। वह मंत्रिमण्डल के स्तर के मन्त्री या राज्य मन्त्री को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है।

मंत्रि मण्डल सम्पूर्ण देश के सुप्रबंध के लिए उत्तरदायी है। मंत्रि मण्डल द्वारा नीति निर्धारित कर चुनने के उपरान्त सम्बद्ध विभाग उस निर्धारित नीति की क्रियाविधि या तो उचित विधि के अनुसार करते हैं अथवा संसद् को नया विधेयक प्रस्तावित करते हैं। मंत्रि मण्डल ही संसद् का वायवानी करने का आदेश देता है और जब तक संसद् का अन्तिम मंत्रिमण्डल के प्रति निर्णयान्तक तक तक मंत्रिमण्डल अपनी प्रतिष्ठित नीति संसद् से स्वाकार करता देता है। मंत्रिमण्डल के सदस्य अपने-अपने विभागों का प्रबंध करते हैं और अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं। मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण नियुक्तियों के सम्बन्ध में परामर्श देता है या निवारण करता है और इस परामर्श अथवा निवारण को ठकुराया नहीं जाता। सरकार के विभिन्न विभागों में तानमेल बढ़ाना मंत्रिमण्डल का ही काम है। मंत्रिमण्डल राष्ट्रीय नीतियों का निश्चित करने वाली देश के सर्वोच्च प्राधिकारियों का नियुक्त करने वाली शासकीय व्यवस्था के आपसी भगडा का निपटारा करने वाला तथा सरकार के विभिन्न विभागों में तानमेल रखने वाली महत्वपूर्ण संस्था है।

मंत्रिमण्डल के पास काय भारत में अत्यधिक होना है कि वह शासन की

धारीकिया पर ध्यान नहीं दे पाता अतः उसे परामर्श देने के लिए दो प्रकार के स्टाफ अभिकरण हैं—मन्त्रिमण्डलीय समितियाँ और मन्त्रिमण्डलीय सचिवानय । मन्त्रिमण्डलीय समितियाँ दो प्रकार की हैं—स्वाई (स्टिचिंग) तथा तदय (एडहाक) । स्थायी समितियाँ में प्रतिरक्षा वित्तीय प्रशासनिक संगठन ससर्तीय एवं विधि सम्बन्धी समितियों की गणना होती है । तदय समितियाँ का निर्माण समयानुसार तब किया जाता है जब वह आवश्यक और नवीन समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं । विभिन्न मन्त्रालयों विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियाँ हैं जो मन्त्रालयों और ससद दोनों के बीच विचार विमर्श के लिए एक मंच का काम करती हैं ।

मन्त्रालय अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर सरकार की नीति के निर्माण के लिए और उस नीति के निष्पादन तथा उसके पुनरीक्षण के लिए जिम्मेदार होता है । सामान्यतः भारत सरकार का एक सचिव एक मन्त्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है । वह अपने मन्त्रालय के भीतर नीति और प्रशासन सम्बन्धी सभी मामलों के बारे में मन्त्री का मुख्य सलाहकार होता है । जहाँ किसी मन्त्रालय में काम का मात्रा इतनी अधिक हो कि एक सचिव से सम्भाले न सम्भवती हो वहाँ एक या अधिक उपभाग बनाए जा सकते हैं और प्रत्येक उपभाग के प्रभारी एक या अधिक विशेष सचिव अतिरिक्त सचिव या सयुक्त सचिव नियुक्त किए जा सकते हैं । एने मामलों में विनाय सचिव अतिरिक्त सचिव या सयुक्त सचिव को उसके उपभाग का परिधि में आने वाले कार्यों के सम्बन्ध में काम करना और जिम्मेदारी उठाने की अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दे दी जाती है परन्तु कुन मिलाकर मन्त्रालय के प्रशासन का सामान्य उत्तरदायित्व प्रायः सचिव का ही रहता है । कुछ मन्त्रालयों में विशिष्ट सचिव भी हो सकते हैं जिन्हें किसी विशेष विभाग का उत्तरदायित्व दिया गया होता है । विशिष्ट सचिवों का मन्त्री से सीधा सम्बन्ध होता है ।

मन्त्रिमण्डलीय सचिवानय के अंतर्गत कार्यात्मिक विभाग सार्विकी विभाग और मन्त्रिमण्डलीय कार्य विभाग हैं । मन्त्रिमण्डलीय कार्य विभाग उच्चतम स्तर पर निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया में सम्बन्धित करने का महत्वपूर्ण भूमिका अना करता है और प्रधानमन्त्री के निर्देश के अनुसार काम करता है ।

केन्द्रीय सरकार में विभागीय संगठन को सरासरी रूप में तीन श्रेणियों एवं मेश्वरी न निम्नानुसार प्रस्तुत किया है—

भारत सरकार की प्रकृति तथा कार्य मन्त्रालयों में विभाजित है । सरकारी कार्य विभाग के सम्बन्ध में अनुच्छेद 77 (2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य सम्बन्धी नियमों के अंतर्गत किया जाता है एवं प्रधानमन्त्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है । इसमें प्रत्येक मन्त्री को सीधे गण कार्य विशेष रूप में निश्चित कर लिए जाते हैं और एक पूरा मन्त्रालय या किसी मन्त्रालय का एक या अधिक में अधिक विभाग होते हैं । केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों की संरचना त्रि-स्तरीय (Three tier)

है। इसमें (1) राजनीतिक णिप पर मंत्री होता है जिसकी सहायता के लिए एक या अधिक राज्यमंत्री उपमंत्री या सदसदीय सचिव होते हैं (2) सचिवालयीय-संगठन तथा मन्त्रालय स मलग्न कार्यालय जिसका प्रमुख सचिव होता है और जो स्थायी कर्मचारी होता है और (3) मन्त्रालय के अधीन विभाग या विभागों का कायपालक संगठन (Executive Organization) जिनके सर्वोच्च अधिकारी को महानिदेशक (Director General) महानिरीक्षक (Inspector General) आदि नामा में पुकारा जाता है।

जन्म सरकारी नीतियां क निष्पादन क लिए कायकारी निर्देशन के विवेकी करण तथा क्षेत्रीय अभिकरणा की स्थापना की आवश्यकता होती है वनी मन्त्रालय स अधीन सहायक संगठन भी होते हैं जो सलग्न तथा अधीन कार्यालय कह जाते हैं। सम्बद्ध मन्त्रालया द्वारा निर्धारित ये सलग्न कार्यालय नीतियां के परिपालन के लिए आवश्यक कायकारी निर्देश देन के लिए उत्तरदाया हात है। य तकनीकी सूचना क भण्डार क रूप स भी काय करते हैं तथा मन्त्रालय का सम्बन्धित प्रश्ना के तकनीकी मामलो स मनरा देत हैं। अधीन कार्यालय क्षेत्रीय विभाया या अभिकरणा के रूप स जो सरकारा निरूया के विस्तृत निष्पादन के लिए उत्तरदायी होत है काय करत है। सामान्यत वे किसी सलग्न कार्यालय क निर्देशन स काय करत हैं या जहाँ सन्निहित कायकारी निर्देश वन्त अधिक नहा होता वन्त स सीधे मन्त्रालय के अधीन काय करते हैं।

मंत्री मन्त्रालय का राजनीतिक तत्व है। उसका सहायता के लिए आवश्यक क्तानुसार राज्यमंत्री उपमंत्री तथा सदसदीय सचिव नियुक्त किए जाते हैं। य राजनीतिक अधिकारी मन्त्रिमण्डल स परिवर्तन के साथ ही बदलत हैं वनी पदाधि स्थायी नहीं होती। इन राजनीतिक तत्वो का भाग्य निश्चय हा उस राजनीतिक दल के भाग्य स जुड़ा रहता है जिसस क सम्बन्धित हात हैं। सत्ताधारी दल के अधःस्थ हात का अर्थ है राजनीतिक तत्व—मंत्री तथा उसके अर्थ राजनीतिक स योगिया का निष्पादन। मंत्री विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष होता है। वह विभाग की नीति का ध्यापक रूप से निर्धारण करता है और विभागो स उत्पन्न विशेष नीति विषयक मामला को निश्चित करता है। मन्त्रा इस महत्त्वपूर्ण काय का स पालन ताक-सवा के स्थायी कर्मचारिया का विशेष सहायता के बिना अकेले नहीं कर सकता। ताक-सवा क कर्मचारी सान्ख्यिकी तथा अर्थ प्रकार की आवश्यक सूचना उभ प्रदात करत है। विभाग की व्यापक नीति का निर्धारण करने के अतिरिक्त उसके निष्पादन पर मन्त्रा साक्षात् दृष्टि की रहना के अपने अधीन प्रशासन का गति प्रदान करना उसका ही काय है। प्रशासकीय व्यवस्था स कुछ निश्चित विषयना अन्तर्निहित होने के कारण उसके कर्तव्य का यह पक्ष काफी महत्त्वपूर्ण होता है। अन्त स मन्त्री अपने विभाग के विद्या-कलापा तथा नीतियो के

निए ममद क समक्ष उत्तरदायी हाता है। समन्वय प्रजातन्त्र का एक मवधानिक मिद्वान्न मन्त्री का होना हाता है।

विभाग के काय सचालन के सम्बन्ध म उपमन्त्री का प्राय कोई विशिष्ट प्रशासकीय उत्तरदायित्व नही होता।

मन्त्री विभाग का अध्यक्ष अवश्य हाता है किन्तु विभाग का प्रधान तो सचिव हा हा। राजनीतिक प्रधान क प्रधान विभाग का सचिवालयीय संगठन काय करता है। सचिवालय प्रशासन का मस्तिष्क है जो सम्पूर्ण शासकीय क्रिया-कलापो को सचानित तथा नियन्त्रित करता है। सचिवालय ही दग कमचारी प्रान करता है जी नीतिया तथा क्रियाया क प्रभावगाली दग पर क्रिया-व्ययन के निए अपरिहाय होते हैं। जब कोई नीति स्वीकार की जाती है ता उस नीति के निष्पादन पर निरन्तर ध्यान रखना सचिवालय का ही काम है। सचिवालय का प्रधान सचिव हाता है जो विभाग क सम्पूर्ण प्रशासनिक क्रिया-कलापा तथा नातिया पर परामश देने के लिए मन्त्री का प्रधान परामशदाता होता है। उसका क्तव्य है कि वह विषय के सभी सम्बद्ध त था का मन्त्री क सामन उपस्थित करे ताकि मन्त्री उस पर ठीक निगय दे सक। यह आवश्यक है कि वह अपन मन्त्रा का सम्पूर्ण सूचना दता रह।

विभाग क सचिवालयीय संगठन म दा प्रकार क कमचारी काय करत हैं—

(1) अधिकारी दग और (2) अधीनस्थ-दग। पहल दग म सचिव उपसचिव तथा अव्वरमसचिव आते हैं। यन् विभाग बडा है तो मयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव भी हात हैं जिन्हें विभाग क किसी अग का काम सौपा जाता है। वे अपन उस अग म आन वाल सभा विषया क सम्बन्ध में मन्त्री स माधा सम्पक रखत हैं। समुक्त सचिव या अनरिक्त सचिव का स्तर उगभग सचिव क स्तर क समान होता ह। व कायभार स दवे सचिव का भार ँका करत हैं। समुक्त तथा अतिरिक्त सचिव स आशा की जाती है कि महत्त्वपूर्ण मामला पर मुख्य सचिव स परामश नन रह।

अधिकारी दग प्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service) के सन्स्य हाते हैं। पहले ँमे भारतीय नागरिक सेवा (Indian Civil Service) कहत थ। इन अधिकारिया की भरती केन्तीय सरकार ँारा विभिन्न ँारो की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) ँणिया म स पढाविधि प्रणाली के अन्नगत की जाती है।

सचिवालय क अधीनस्थ कमचारी दग म लिपिक-दग ँाना ह। उमम उच्च व निम्न वर्गीय होते हैं। व निम्न वर्गीय लिपिका की भरती प्रतियोगी परीक्षाया क ँारा की जाती है तबकि उच्च-वर्गीय लिपिका की भरती आशिक रूप म भिन्न ँणाम पदात्रति भा रीति म अर्थात् निम्न-वर्गीय लिपिको म म और आशिक रूप म प्रतियोगी परीक्षाया ँारा की जाती है।

सचिवालय मंत्री को परामर्श देता है अतः वह मंत्री का परामर्शदाता होता है। उसके द्वारा नीति विन्यास में मंत्री की सहायता की जाती है अतः व्यवहार में सचिवालय नीति अभिकरण की अपेक्षा मंत्रणा अभिकरण ही अधिक है। नीति का निष्पादन निष्पादकीय संगठन का दायित्व होता है जिसका अपना प्रधान होता है और जो सचिवालय के विरुद्ध अधीन होता है। सचिव जो सचिवालय का प्रमुख होता है नीति विन्यास में मंत्री का प्रधान परामर्शदाता होता है। विभाग का कार्यपालकत्व एक पृथक संगठन होता है जो स्वयं विभाग कहलाता है। इसका अपना प्रधान अधिकारी होता है। सचिवगण मंत्रियों के सहायक हैं विभाग के प्रधान उनके हाथ होते हैं। ये प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदित नीति तथा कार्यक्रम का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त वे विभागों का प्रशासन चलाते हैं और अपने क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर सचिवालय का तकनीकी मंत्रणा भी देते रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उनके तथा सचिवालय के बीच पूर्ण सद्भाव रहना चाहिए कि तु व्यवहार में विभाग के कार्य संचालन में सचिवालय में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण सद्भावना का अभाव दिखाई पड़ता है।¹

भारत में केन्द्रीय सरकार के विभागों की संख्या 1962 में 35 थी जो वर्ष 1975 में 53 हो गई। 1952 में भी मंत्रालयों और विभागों की संख्या 53 ही थी।

विकास के समस्त दायित्व आज भी लोक सेवा के सहारे मुख्यतः राज्य पर है। देश में यादिक प्रगति के शीघ्र पर सर्वोच्च वायानय है और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च वायानय की व्यवस्था की गई है। सविधान में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की तरह सब और राज्य के लिए दोहरी वायानयिका की व्यवस्था नहीं है। प्रयुक्त एक ही शाय भ्रूलला सब और राज्य ने वायानयों का प्रशासन करती है। इस एकल वायानय व्यवस्था ने भारत में वायानय क्षेत्र अधिकार सम्बन्धी एकता स्थापित कर दी है साथ ही समूचे देश के लिए एकल वायानय कवय (Cadre) की भी स्थापना कर दी है। उच्चतम वायानय द्वारा जारी किया गया एक लेख (Writ) में कवन समूचे देश में के द्वीय राष्ट्रीय तथा स्थानीय क्षेत्रों पर लागू होता है वरन् विधि के प्रत्येक क्षेत्र—सांविधानिक विधानी फौजदारी (दण्ड) आदि में लागू होता है।

केन्द्रीय प्रशासन के लिए भारत में कुछ के द्वीय सेवाएँ अलग से रखी गई हैं यथा रेवे सेवाएँ आयकर सेवाएँ डाक एवं तार सेवाएँ आधिकारी सेवाएँ आदि। ये सेवाएँ केन्द्रीय मूची व विषयों के प्रशासन के लिए विशेष रूप से स्थापित की गई हैं।

भारत में प्रशासन का विकास की प्रक्रिया जारी है अभी हम किसी निश्चित बिंदु पर आकर नहीं पावें हैं परिस्थितियाँ और आवश्यकतानुसार पुनसंगठन और परिवर्तन के तौर चलते रहते हैं।

ब्रिटिश प्रभाव और देन (British Impact and Its Legacies)

भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश योगदान की आर सञ्चन करते हुए बी पी मनन ने लिखा है— 1765 जब कम्पनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया तभी से यहाँ ऐसी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का विकास होने लगा जो भारत के लिए अज्ञात थी। भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव और ब्रिटिश देन का बहुत कुछ अनुमान ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन का विकास से हा जाता है तथापि अधिक स्पष्टता के लिए अलग अलग बिंदुओं में निम्नलिखित प्रकार से संयोजन करना उपयुक्त होगा—

1 ब्रिटिश शासन में भारत का राजनीतिक दृष्टि से संगठित और एकीकृत किया गया। यह ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का ही प्रभाव है कि सम्पूर्ण देश का शासन प्रशासन एक सूत्र में बंधा हुआ है।

2 अधिनियम द्वारा जा अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था वह स्वरूपा में संसार के अन्य संघों से भिन्न था। भारतीय संसद विधान में भी जिस संघ की स्थापना की गई वह एक अनायास ही संघ है। साथ ही भारतीय संघ स्वरूपा में काफी सीमा तक अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ के अनुरूप है।

3 अधिनियम द्वारा शक्ति विभाजन करते हुए तीन विधायक सूचियाँ तैयार की गई थी—महाय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। नवीन संविधान में भी इसी प्रकार का शक्ति विभाजन किया गया है। शक्तियों के विभाजन का आधार भाग बराबर वही है जो 1935 के अधिनियम के लिए अपनाया गया था।

4 अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में कानून का अधिकार शक्तिशाली बनाने की व्यवस्था की गई थी और गवर्नर जनरल का प्रांतीय क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की इतनी अधिक शक्ति दी गई थी कि वह उसके बल पर संघात्मक सरकार का एकात्मक स्वरूप में बनाने लगा था। नवीनतम संविधान में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है और स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की आपात्कालीन घोषणा द्वारा संघीय संविधान का एकात्मक रूप दिया जा सके।

5 अधिनियम का तरह भारतीय संविधान में भी वही प्रकार के संरक्षण (Safeguards) की व्यवस्था की गई है जिनमें से कुछ चुनाव आयोग, अल्पसंख्यक वर्गों के धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषा सम्बन्धी अधिकार आदि के रूप में हैं। सर्वोच्च न्यायालय को निम्न स्तर के न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का अधिकार और केंद्रीय सरकार को राज्य सरकारों के शासन का कतिपय अवस्थानों में अपने

अधिकार में होने की व्यवस्था आदि भी भारतीय संविधान में दिए गए कुछ संरक्षण हैं।

6 ब्रिटिश अधिका वेस्ट मिस्टर नमून पर ही भारतीय संविधान में एक मंत्रि परिषद् की व्यवस्था की गई है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है और यह मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति का उसके कार्यों का प्रयाग में सहाय तथा सहाय्य देती है। अर्नेस्ट ब्राकर का कथन है कि वास्तविक और नाम मात्रा कायपालिका की दृष्टि से ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का निचाड़ है। भारत में भा राष्ट्रपति के रूप में ब्रिटिश सम्राट की भाँति नाम मात्रा कायपालिका तथा प्रधानमंत्री और मंत्रि परिषद् के रूप में वास्तविक कायपालिका की स्थापना की गई है।

7 ब्रिटिश-काल में केंद्रीयकरण की जिस प्रवृत्ति ने जन्म लिया उससे तीन प्रकार की लोक सेवाएँ उभर कर सामने आयी—अखिल भारतीय सेवाएँ, केन्द्रीय सेवाएँ तथा प्रांतीय सेवाएँ। स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक कार्य में तीन प्रकार की अस्त-व्यस्त और बिखरी हुई लोक सेवाओं के साथ प्रारम्भ हुआ। ये सेवाएँ अपने विभिन्न कार्यकारी क्षेत्रों में कार्यरत थीं और इन्हें एक दूसरे के कार्य तथा पग की दृष्टि से पूरक तथा समानांतर भी नहीं कहा जा सकता। इनमें से कुछ विशेष सेवाओं की ऐतिहासिक उपयोग ने प्रमुखता की स्थिति में आ खड़ा किया और उनमें एग्जिक्टिव जनरलिस तथा प्रशासनिक हेजिमेंटी की परम्पराएँ विकसित हुई। वीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में तकनीकी लोक सेवाओं का अभाव अथवा महत्वपूर्ण स्थिति एक सावदेशिक स्थिति थी और भारत में भी ये सेवाएँ केवल वही कारण गौरवपूर्ण नहीं बन सकी क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने तात्कालिक सभ्यता थी और न ही आत्मघातक प्रवृत्ति की विनाशशील गतिविधियों में कोई रुचि देती थी अतः भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने प्रशासनिक क्षेत्र के अविच्छिन्न करने की बात कम स्वतंत्रता थी। देश के विभाजन ने इस बात का और भी अधिक आवश्यक बना दिया कि प्रशासनिक क्षेत्र में यथास्थिति रखकर आग बढ़ा जाए। डा. भीमराव अम्बेडकर सरदार बलभभाई पटेल लोकशाही के नये अभिभावक बने और देश की राजनीतिक और सहायक व्यवस्था में परिवर्तन करने के उपरान्त भी भारत के गणतन्त्रवादी संविधान में यह नियम लिया गया कि ईडियन मिनिस्टर ऑफिस तथा इण्डियन पुलिस मिनिस्टर नाम की अखिल भारतीय सेवाओं को कायम रखा जाए। परिणामस्वरूप अखिल भारतीय सेवाएँ केन्द्रीय सूची सार्वभौम शिष्टाचार में प्रवेश पा सकी और राज्य सभा को यह अधिकार दिया गया कि यदि वह उचित समझे तो 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा भविष्य में नई अखिल भारतवर्षीय सेवाएँ गठित कर सकती है।¹

8 ब्रिटिश शासन काल में अखिल भारतीय स्तर पर एक कुशल प्रशासनिक संगठन की रचना की गई और सदिया वायु देश में कानून के शासन का शीर्षक हुआ।

9 अंग्रेजों ने भारत में जनतन्त्रात्मक सरकार का बहुमूल्य परम्पराएँ डाली और उन्हें अपनी विरासत के रूप में छोड़ गए।

10 1947 में जब हम आजादी मिताता भारत की तक सेवारत एक बहुत अती और सुविधापूरण स्थिति में थी। नदन में रहन वाला भारत मत्री उनका सरक्षक था और उह स्टीलफ में की सना दी जाती थी। शांति यवस्था राजस्व और यायिक प्रशासन में निपुण जनरलिस्ट प्रशासन सारे भारत में फला हुआ था और अखिल भारतवर्षीय के ीय प्रान्तीय तथा अधीनस्थ सवाग्रा का चार वर्गों में वर्गीकरण स्थापित हो चुका था।

11 भारत में से विशाल राय में जहा राजकीय इकाय्या यूरोप क अनक सावभौम राष्ट्रीय रायों से भी क्षेत्रफल में बनी है जिला प्रशासन जसी क्षेत्रीय इकाय्या का अपना महत्व है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत में जिला यवस्था मध्यकालीन प्रशासनिक यवस्था का आधार थी और लगभग तीन शताब्दी तक फल अंग्रेजी प्रभाव एव शासन के युग में भी इस यवस्था ने प्रशासनिक क्षमता एव राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपनघिया अर्जित की। अंग्रेजों युग में यह यवस्था किने ही प्रयोगा एव नीति विषयक उतार चढावा से गुजरा है और स्वातंत्र्योत्तर भारत में आन भी यह धारणा प्रशासन के सभी स्तरों पर समान रूप से पाई जाती है कि भारतीय प्रशासन का यह मेरुदण्ड अभी काफी लम्ब समय तक आधारभूत प्रशासन के रूप में चलता रहना चाहिए।

12 भारत में वर्तमान में स्थानीय स्वशासन का जो ढांचा या सयत्र प्रचलित है वह लगभग उसी रूप में चल रहा है जसा ब्रिटिश काल में प्रचलित था। यद्यपि स्थानीय शासन सस्थाग्रा की स्थिति सत्ता और दायित्वा में एक मौनिक अंतर आया है और स्थानीय शासन सस्थाग्रा का स्वरूप वास्तविक रूप में ताकताधिक हो गया है तथापि उसका ढांचा ब्रिटिशकाल के ढांचे पर ही आधारित है और शहरी एव ग्रामीण स्थानाय सस्थाग्रा का जाल मारे देश में सत्ता का विकर्णीकरण करने के लिये बिछाया गया है।

13 प्रशासन में सचिवालय और निदेशालय प्रणाली तथा लोक सवा में सामायन की प्रधानता ब्रिटिशकाल से अब तक गिरन्तर जारी है।

कुन मिताकर यह कना जा सकता है कि भारत में वर्तत कुल ब्रिटिश नमून की शासन पन्ति को अपनी परिस्थितिया और आवश्यकताग्रा के अनुरूप ढालकर स्वीकार किया गया है। भारतीय प्रशासन का जो स्वरूप आज हमारे सामने है

यह एक लम्बी विकास यात्रा का परिणाम है और उस पर ब्रिटिशकालीन प्रशासन की गहरी छाप है। तथापि यह सुनिश्चिन्त है कि परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया जारी है ताकि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे की क्षमता में वृद्धि होती रहे। परिवर्तन अभी तक रुकने वाली एक प्रक्रिया है और यह सदैव चलती रहेगी।

भारत में लोक प्रशासन के विशिष्ट लक्षण

1 भारत में लोक प्रशासन कानून पर आधारित है। सारे काम कानून की अधिकार सीमा के भीतर ही होने चाहिए। यद्यपि इस बात का देखना है कि प्रशासन कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। कानून का उल्लंघन करने वाली कार्यवाहियों को प्राधान्य अथवा धोषित कर सकता है।

2 भारत में संसद इंग्लैंड की पार्लियामेंट की भाँति सावधानी सत्ताधारी सत्ता नहीं है। फलतः इनके कानून बनाने की अधिकार सीमा पर संवैधानिक नियंत्रण है। संविधान की सीमा के भीतर संसद कानून बनाने को सक्षम है। यदि संसद चाहे तो एक विशिष्ट प्रक्रिया से संविधान में संशोधन भी कर सकती है पर संविधान की धाराओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि कभी संसद ऐसा करती है तो उसे उच्च अथवा उच्चतम प्राधान्य असंवैधानिक धोषित कर सकता है।

3 लोक प्रशासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लोकसभा तथा राज्य-सभा में तो जनता के प्रतिनिधियों के सामने सरकार को अपनी नीति के सम्बन्ध में सफाई प्रस्तुत करनी होती है।

4 प्रशासन की व्यवस्था सधामक है। भारत में राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को भिन्न कर बना है। राज्यों तथा केन्द्र के बीच प्रशासनिक विषयों के बंटवारे के लिए संविधान में तीन सूचियों—यथा केन्द्र-सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है। यहाँ शक्ति का बंटवारा इस प्रकार है कि केन्द्र अधिक शक्तिशाली बन गया है।

5 लोक प्रशासन सरचना कर्मचारी वर्ग एवं स्वभाव की दृष्टि से असैनिक है। सैनिक एवं असैनिक प्रशासन अलग अलग रखा जाता है। सैनिक अधिकारी असैनिक विभागों में नहीं रखे जाते।

6 यहाँ प्रशासन का आधार विधि का शासन है। सभा के लिए एक ही प्राधान्यकरण तथा एक ही दण्ड विधान है। जिन देशों में प्रशासनिक संविधि की प्रथा होती है वहाँ प्रशासनिक वर्ग के लिए प्राधान्यकरण तथा कानून व्यवस्था होती है।

7 यहाँ कुछ अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया गया जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service) भारतीय पुलिस सेवा

(Indian Police Service)। इन सेवाओं के सदस्यों का चयन कर्णीय नोक-सवा आयोग करती है। इनकी सेवा शर्तों के नीचे सरकार निर्धारित करती है। भारतीय प्रशासकीय सेवा के सदस्यों का राय के सभी पदा पर एकाधिकार होता है तथापि ये अधिकारी रायों में काम करते हैं पर राय सरकार इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। यदि उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो तो यह कर्णीय सरकार द्वारा नोक सवा आयोग के परामर्श से ही की जा सकती है।

8 लोक प्रशासन अत्र विद्यमान का क्षेत्र बनना जा रहा है। राजकीय सेवाओं में जिन व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है वे आजीवन बर्ती रहते हैं। आज शायद ही कोई ऐसा प्रवसाय है जिसके विशेषणों की सरकार में आवश्यकता न हो।

9 प्रशासकीय व्यवस्था में सिद्धान्त एवं प्रवहार में अन्तर है। सिद्धान्त रूप से तो राष्ट्रपति में सारी कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं। मन्त्रिमण्डल का कार्य सहायता एवं परामर्श देना है। वस्तुतः स्थिति यह है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है। कार्यपालिका शक्तियाँ मन्त्रिमण्डल तथा प्रधानमन्त्री के हाथों में निहित हैं। कानूनी दृष्टि से विभागीय प्रशासन में प्रत्येक निम्न मन्त्री मन्त्रालय का ही होता है पर वास्तविकता यह है कि मन्त्रियों के नाम से उच्च पदाधिकारी निम्न होते हैं। कर्णीय सरकार तो मन्त्रियों को निम्न का पना तब चलता है जबकि ससद में प्रश्न पूछे जाते हैं या समाचार-पत्रों में आलाचना होती है।

10 लोक प्रशासन यापक स्तर पर चलाया जाता है। प्रजातंत्र के विकसित होने एवं सरकार द्वारा नई जिम्मेदारियाँ को अनेक ऊपर ले लेने के कारण प्रशासन का काम बहुत अधिक हो गया है।¹



1 वी एम मिन्हा नाक प्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवहार पृ 154-55

लोक प्रशासन के अध्ययन के समकालीन दृष्टिकोण—
व्यवहारवादी व्यवस्थावादी और सरचनात्मक—
कार्यात्मक दृष्टिकोण, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र,
समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से उसका सम्बन्ध

(Contemporary Approaches to the Study of Public
Administration—Behavioural Systems and Structural
Functional Approaches—Its Relation to Political
Science Economics Sociology Law and Psychology)

अब सामाजिक विज्ञान की भाँति लोक प्रशासन के लिए भी यह प्रश्न मूल महत्व का है कि उसका अध्ययन किस दृष्टि एवं विधि से किया जाय। मौलिक शोध द्वारा सामान्य नियमों का विकास करना (High level generalisation) किसी भी गम्भीर अध्ययन का उद्देश्य होता है। लोक प्रशासन का चाहे किसी भी दृष्टि या किसी भी अध्ययन प्रणाली के माध्यम से देखा परखा या विश्लेषित किया जाए उसके अध्ययन-सम्बन्धी दृष्टिकोण (Approaches) में दो आवश्यकताएँ बरतनी आवश्यक हैं—(1) एक तो यह दृष्टिकोण रहस्यात्मक (Mystical) अंतर्ज्ञानपरक (Intuitive) अथवा विशुद्ध विचारपरक (Normative) कम और प्रयोगात्मक (Experimental) अनुभवपरक (Pragmatic) एवं यावहारिक (Empirical) बुद्धि पर आधारित अधिक हो तथा (2) अध्ययन की पूर्णता के हित में दृष्टि इतनी व्यापक एवं गहन हो कि वह विशेषीकरण के साथ साथ व्यवस्था की समग्रता का आभास दे सके और इस तरह विवेच्य विषय को विभिन्नताओं के सन्दर्भ में आकलन करे। अध्ययन विधियाँ दृष्टि की मूल मायताओं पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए यदि दृष्टि विधिपरक (Legal) या संरचनात्मक (Structural) है तो अध्ययन विधियाँ ऐतिहासिक (Historical) या वर्णनात्मक (Descriptive) होंगी। यदि दृष्टि व्यवहार और आचरण (Behaviour) पर बतती है तो पद्धतिगत प्रयोगात्मक तथा निरीक्षणपरक (Observational) आदि होंगी। आज के नए शाधकता लोक प्रशासक में सभी दृष्टियों और विधियों को सामान्यीकृत करना चाहते हैं जिसके फलस्वरूप उनकी चुनौतियाँ अधिक गम्भीर हों।

नाक प्रणामन के अध्ययन क्षेत्र में कुछ निम्नलिखित प्रमुख दृष्टिकोण रहे हैं—

- (क) परम्परावादी अथवा संरचनात्मक दृष्टिकोण (Traditional or Structural Approach)
- (ख) व्यवहारवादी दृष्टिकोण (Behavioural Approach)
- (ग) व्यवस्थावादी दृष्टिकोण (Systems Approach) एवं
- (घ) संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण (Structural Functional Approaches)

(क) परम्परावादी अथवा संरचनात्मक दृष्टिकोण

परम्परावादी या संरचनात्मक दृष्टिकोण को ह्यूटिन्सॉन और एण्डरसन के युग का दृष्टिकोण माना जाता है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जबकि लोक शासन का विज्ञान जन्म ले रहा था इन लेखकों ने युग की अनुरूपता से वर्गनामकता स्वीकार की और एक कानूनी दृष्टि से प्रशासन प्रक्रिया को देखते हुए वर्गनामकता औपचारिकता ऐतिहासिकता एवं वचारिकता का प्रधानता दी। परम्परावादीयों की यह दृष्टि यह मानकर चलती थी कि लोक प्रशासन की मूल समस्याएँ संगठन के कानूनी ढाँचे में जन्म लेती हैं जो संगठन के अंतर्मुखों को औपचारिकता से प्रस्तुत कर उनकी समस्याओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण के लेखक संगठन के सिद्धान्त, संगठनात्मक विविधताएँ एवं संगठन की आवश्यकताएँ आदि प्रश्नों का केन्द्रीय बनाकर चले हैं। इतिहास और कानून इनके दो प्रमुख स्रोत हैं और उनमें अपनी सामग्री लेंते हुए वे वर्गनामकता और औपचारिकता का प्रधानता देते हैं।

इस तरह इस परम्परावादी दृष्टिकोण का संरचनात्मक (Structural) वैधानिक (Legal) औपचारिक (Formal) ऐतिहासिक (Historical), विग्रह विचारामक (Normative) तथा वर्णनात्मक विवर्णित दृष्टिकोण (Descriptive Prescriptive Approach) कहा जाता है। इस स्कूल के लेखकों ने प्रत्यायोजन पर्यवेक्षण नियंत्रण सेवा नौकरशाही आदि के सिद्धान्तों को इस तरह देखा है जैसे वे ढाँचे के प्रश्न हों और यदि ऐसा कर लिया जाए तो ऐसा अपने आप ही जाएगा। वास्तविक के इस उपदेशों की तरह यह दृष्टि समस्याओं का सरलीकरण करती है और संस्थाओं के बाहर देखने को तयार नहीं है। गुणिक उचित मूल्य फल आदि लेखकों ने अपने संगठनात्मक दृष्टि और मानचित्र प्रस्तुत किए हैं और कानूनी ज्ञान को प्रशासनिक ज्ञान का पर्यायवाची समझा है।

इस दृष्टिकोण की पाँच दुर्बलताएँ रही हैं—

1. प्रथम तो यह लोक प्रशासन के क्षेत्र को घटाना सही नहीं मानता है कि उस एक पृथक अध्ययन शास्त्र बहना कठिन होगा।

2 दूसरे वर्गन पर कर्त्तव्य अध्ययन इतना सतही (Superficial) लगत है कि इनमें विवेचना और विश्लेषण (Analysis) का अभाव खटवता है।

3 इन अध्ययनों में यथ की प्रति आशंकादिता है जो यह मानकर चलती है कि व्यक्ति एक वस्तु ही तक एवं विवेक-समर्थ आचरण करने वाला प्राणी है।

4 फलस्वरूप इस दृष्टि में समस्याओं को न चनकर स्वयं को कदम उपदेश तक ही कर्त्तव्य रखा है।

5 नाक प्रशासन का एक बहुत बड़ा मानवीय एवं सामाजिक पहलु इस दृष्टि के क्षेत्र में इसलिए ओझल रहा कि यह कानून और वर्गन की सीमा रखाओं के बांध था। कुल मिलाकर यह दृष्टि जटिल प्रशासनिक समस्याओं का सरल सकीय एवं चिह्नवाणी मानकर देखने का प्रयत्न है जो आज की जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण नहीं कर सकती।

परम्परावादी दृष्टिकोण के अनुसार नाक प्रशासन के अध्ययन के लिए जो पद्धतियाँ अपनाई जाती रही हैं उनमें मुख्य य हैं—

- (1) वधानिक पद्धति (Legal Approach)
- (2) ऐतिहासिक पद्धति (Historical Approach)
- (3) विषय-वस्तु पद्धति (Subject matter Context) एवं
- (4) वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Approach)।

(1) वधानिक पद्धति (Legal Approach)—यूरोप के जर्मनी बेल्जियम फ्रांस आदि वस्तु से देशों में लोक प्रशासन का अध्ययन वधानिक अथवा विधान शास्त्रीय दृष्टि से किया गया है। इन देशों में लोक विधि (Public Law) का सांविधानिक (Constitutional) और प्रशासकीय (Administrative) विधि में विभाजित किया गया है तथा लोक प्रशासन का अध्ययन प्रशासकीय विधि के आधार पर किया जाता है। सांविधानिक विधि का उद्देश्य मौलिक रूप से सरकार के तीनों अंगों का अलग अलग वर्गन कर उनके आपसी सम्बन्धों की आपक व्याख्या प्रस्तुत करना है जबकि प्रशासकीय विधि का सम्बन्ध राज्य स्थानीय शासन संस्थाओं सांविधानिक विधानों तथा सरकार के विभिन्न विभागों के संगठनाचार्यों उनके सह सम्बन्धी तत्त्वा आदि की व्याख्या करने से है। इस प्रकार फ्रांस जर्मनी बेल्जियम आदि राष्ट्रों में प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन मुख्यतः प्रशासकीय सत्ता एवं उनकी प्रक्रियाओं के वधानिक या कानूनी आधारों तक ही सीमित रहा है। फ्रांस में प्रशासकीय वचनारियों के प्रशिक्षण के समय वधानिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। एंग्लण्ड और अमेरिका में भी लोक प्रशासन के अध्ययन की वधानिक पद्धति को काफी समर्थन मिला है और इसीलिए प्रशासकीय विधि तथा प्रशासकीय विषय का अध्ययन आरम्भ हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियामक अभिकरणों

(Regulatory Agencies) द्वारा उनकी प्रक्रियाओं में सम्बन्ध में बहुत कुछ वैधानिक दृष्टिकांश अपनाया गया है।

समकालीन नतीजें कि लोक प्रशासन का वैधानिक ढांचे में काम करना होता है और उस ढांचे को समझने के लिए अथवा उस पर प्रकाश डालने के लिए वैधानिक दृष्टिकोण उपयोगी है तथापि इस पद्धति अथवा दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दावा यह है कि इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टियों की उपस्था की गई है। समकालीन पृष्ठभूमि का मूल्यांकन परियोजना करने के फलस्वरूप प्रशासन का वैधानिक अध्ययन एक ही शुष्क औपचारिक तथा दृष्टिकोण से बन जाता है। प्रशासकीय कार्य-विधि और व्यवहार के सजीव अर्थों की परीक्षा मूल्यों पर आधारित है।

(2) ऐतिहासिक पद्धति (Historical Approach)—ऐतिहासिक ज्ञान किसी भी प्रशासन के अध्ययन के लिए मूल्यवान है। जो प्रशासन भूकालीन प्रशासकीय समस्याओं के अनुभवों से लाभ उठाता है वह सुगमता से सफलता की ओर अग्रसर होता है। प्रायः हर राष्ट्र का प्रशासन प्राचीन परम्पराओं से बहुत कुछ प्रभावित रहता है और उन परम्पराओं का तब तक न तो समझा जा सकता जब तक कि इतिहास का ज्ञान न हो अथवा ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन न किया जाए। बहुत सी आधुनिक प्रशासकीय समस्याओं का समाधान इतिहास द्वारा संचित प्रशासकीय अनुभवों में अन्तर्निहित है। इतिहास बतलाता है कि अनेक वर्तमानकालीन प्रशासकीय समस्याओं और व्यवस्थाओं को किस प्रकार आरम्भ किया गया और विकास के किन चरणों को पार करत हुए उन्हें वर्तमान रूप दिया जा सका। कौटिलीय अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन शासन पद्धति और प्रशासकीय समस्याओं का विस्तृत सूचना प्राप्त होती है ता प्राक्काल की दि. फडरलिस्ट्स (1948) तथा नैफरमैगियस (1951) में अमेरिका के प्रथम चारों ओर के अमेरिकी संघ प्रशासन का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में ऐतिहासिक ज्ञान की अनुपस्थिति में प्रशासन का अध्ययन अपूर्ण रहता है।

प्रशासन का ऐतिहासिक पद्धति में मिलती जुलती वैधानिक अथवा सस्मरण-आत्मक पद्धति (Biographical Method) है जिसका आशय है विस्तृत एवं निपुण प्रशासकों के अनुभवों और कार्यों के अभिलेखों के अध्ययन प्रणाली। ये सस्मरण-आत्मक स्वयं-उद्घोषित निवेदन अथवा दूसरों से यह निश्चित है कि उनके अध्ययन से प्रशासकीय समस्याओं तथा निष्पत्तियों प्रक्रियाओं का बहुत कुछ वास्तविक और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। यद्यपि सस्मरण-आत्मक पद्धति ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से उपयुक्त है और अंग्रेज में आज भी लोकप्रिय है तथापि इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें राजनीतिक प्रभाव का आधिक्य पाया जाता है। ये सस्मरण

है। इस बात से बचने के लिए वर्तमान समय में प्रशासकीय अनुभव प्राप्त लोग अपने अनुभवों को इस प्रकार लेखबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं जो लोक प्रशासन विज्ञान की प्रगति में सहायक हो सकें। भारत जैसे नव स्वतंत्रता प्राप्त देश के लिए यह एक बहुत बड़ी सेवा होगी कि देश के प्रशासकीय संगठन के निर्माता अपने प्रशासकीय जीवन के अनुभवों को स्वयं लेखबद्ध करें। वे तालुकरों से अपने अनुभव लिखबद्ध किए हैं और उनकी पुस्तक हमारे वर्तमान तथा भावी प्रशासकों के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

(3) विषय वस्तु पद्धति (Approach from the Subject Matter Context)—इस पद्धति के अन्तर्गत प्रशासन के किसी सामान्य सिद्धान्त का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि विशिष्ट सेवाओं अथवा कार्यक्रम विशेष के अध्ययन पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरणार्थ शिक्षा, प्रतिरक्षा, पुलिस, राजस्व का निर्धारण एवं संग्रह आदि विशिष्ट विभाग पृथक पृथक रूप से अध्ययन की विषय-वस्तु बनते हैं। इंग्लैंड, भारत आदि में इस पद्धति का प्रयोग इन विशिष्ट सेवाओं के अध्ययन के लिए काफी समय से किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लम्बे अर्से से स्थानीय प्रशासन की समस्याओं का अध्ययन इसी पद्धति से होता रहा है और हो रहा है। वहाँ की कर्पोरल और राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी प्रशासन के अध्ययन अथवा भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है। इस अध्ययन-पद्धति में अन्तर्निहित दशा यह है कि संगठन और प्रशासन कक्ष प्राप्ति के दो प्रभावशाली साधन हैं तथा प्रयोगों से पृथक करके उनका अध्ययन उपयोगी नहीं होगा। विशिष्ट सेवाओं अथवा विभागों द्वारा जो अभिलेख, सॉफ्टवेयर, शोध, आयोगों के प्रतिवेदन आदि रखे जाते हैं उनसे सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त होती है जिसके आधार पर प्रशासन के स्वरूप पर अच्छा प्रकाश डाला जा सकता है। इस क्षेत्र में गौम एव वॉकर की पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड दि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एथीकल चर एक अच्छी पुस्तक है और उसका प्रकाशन के द्वारा विभागीय अथवा अन्तर्विभागीय प्रशासकीय सेवाओं और कार्यक्रमों के अध्ययन पर और भी बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं।

(4) वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Method) एवं व्यवहारवाद (Behaviouralism)—लोक प्रशासन के अध्ययन में वैज्ञानिक प्रबंध (Scientific Management) आन्दोलन लोक प्रशासन की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों और मापताओं के अनुसार करना चाहता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस पद्धति को नाकीप्रय बनाने का प्रथम प्रयत्न फ्रेडरिक टेलर (F. W. Taylor) को है। अतः इसे टेलरवाद (Taylorism) भी कहा जाता है। टेलर के अनुसार निजी उद्योग के क्षेत्र और लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यकुशलता सम्बन्धी समस्याएँ समान

आग्रह काम करने के एक ही सर्वोत्तम तरीके पर है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के कार्य के प्रबन्ध के लिए सर्वोत्तम विज्ञान वनानिक आधार पर खोजे जा सकते हैं।

काफी लम्बे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इस विचारधारा को पर्याप्त समय मिलने के लिए लोक प्रशासक कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत अथवा निजी प्रशासन का भाँति वैज्ञानिक विचारधारा का प्रयोग किया जा सकता है तथा उससे वारे में बहुत कुछ सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादन सम्भव है। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उन कार्यों का विश्लेषण किया जाता है जो जनता के सम्मुख रखे गए हों उनके साथ व्यक्तियों का तालमेल ठाया जाता है उनका साथ तथा में सम्बन्धित व्यापक अनुभवों का सम्पर्क स्थापित किया जाता है और तत्पश्चात् नवत्व आत्म आदि के द्वारा लक्ष्य के एक समूह से दूसरे समूह में सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। यह वैज्ञानिक प्रबन्धना कार्यकुशलता को मुख्य लक्ष्य के रूप में ग्रहण करने पर प्रशासन का ऐसी तकनीकी समस्या मानता है जो मूल रूप में समविभाजन के कार्यों के विशेषीकरण में सम्बन्धित है।¹ लोक प्रशासन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग का आशय यह है कि पर्यवेक्षण प्रकार विश्लेषण आदि को अपनाकर सामाजिक विज्ञानों का निरूपण किस सामान्य रूप में किया जा सकता है। टेलरवादी दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मानवीय तत्व के महत्त्व की उपेक्षा कर दी गई है। अन्तर्वेद की कक्षा को डागत करते हुए उर्विक न लिखा है कि यह बात अधिकाधिक स्पष्ट रूप से अनुभव की जा रही है कि कार्य कार्य में व्यक्ति की गति और कार्यों का व्यवस्थित तथा परस्पर सम्बन्धित करने की समस्याओं का साथ ही एक चौथी समस्या वर्ग (Group) के रूप में ही गतिशील तथा शक्तिशाली बनाने की है। प्रबन्ध का यह चौथा पहल सम्भवतः इन चारों सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण और जटिल है।

(ख) - व्यवहारवादी दृष्टिकोण

(Behavioural Approach)

व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक दृष्टि है न कि एक समग्र दृष्टि बना जाता है। परम्परावादी दृष्टि केवल लोक प्रशासन में ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए अपनी अपूर्ण और अपर्याप्त पाई गयी कि उनमें अधिक व्यावहारिक एवं उपयोगी ज्ञान की खोज होना स्वाभाविक था। दुर्गर विश्व युद्ध के असफल लोक प्रशासन के लक्ष्य यह अनुभव करने लगे कि लोकप्रियता में काम नहीं चलेगा जो ज्ञान के नाम पर स्वयं मिद्ध धार्मिक प्रस्तुत करती है। हरवट मान्यता न ही लोक प्रशासन

1 W. Lido Op cit pp 47-61

2 L. F. Urwick The Pattern of Management pp 50-51

की नीकोत्तिया (Proverbs of Administration) नाम से एक लेख भी लिखा और यह कहा कि बलनात्मक दृष्टि आवश्यक होने हुए भी पर्याप्त न है।¹²

सांभलन के पीछे-पीछे 'नान मदन बीनर सायस हेडी स्टोकस रिम्ल आदि दजना मन्स्वपुण लेखक लोक प्रशासन को 'यवत्वारवादी चशम से देखने के लिए आगे गए। उन्होंने औपचारिक दृष्टि को अस्वीकार नहीं किया बल्कि उसमें व्यवहारवादी मायनाएँ जोड़कर उसे पूर्ण बनाने की दिशा में पल की। अतः 'यवत्वारवादी दृष्टि परम्परावादी दृष्टि का स्थान नहीं लेती बल्कि उसकी पूरक है जिसका अग्रह है कि लोक प्रशासन के अध्ययन में विनाप वन वस बात पर लिया जाना चाहिए कि प्रशासनिक संगठन में मानवीय 'यवत्वार का स्वरूप क्या आता है और विभिन्न प्रकार के संगठन किस प्रकार अपनी गतिविधियाँ संचालित करते हैं।) 'यवत्वारवादीयों का मत है कि विभिन्न प्रकार के संगठनों में मानवीय व्यवहार और आचरण का निष्पन्न पराक्षण तथा अध्ययन सम्भव है। 'यवत्वारवादीयों का यह भी मत है कि प्रशासनिक संगठनों की 'यवत्वारिक गतिविधियों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करके प्रशासन और संगठन के बारे में निश्चित रूप से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।¹³

द्वितीय में 'यवत्वारवादी दृष्टि की मूल मायनाएँ चार हैं जिनका ईस्टन डहन कटलिन आदि सायसास्त्रियों ने विस्तार से विवचन किया है—

1 प्रथम तो 'यवत्वारवादी यह मानते हैं कि अध्ययन की इकाई (Unit of Conceptualisation) जब तक बहुत विशाल (Macro) रहेगी तब तक अध्ययन गहन नहीं बन सकेगा। अतः हम विशालता को विशेषीकरण की दृष्टि से तोड़कर सूक्ष्मता (Micro) की इकाई में परिवर्तित किया जा चाहिए। उदाहरण के लिए किसी भी भीमकाय संगठन का वर्णन करने से साथ-साथ यदि यह अध्ययन किया जाए कि इस संगठन में पथवर्धन प्रक्रिया किन किन तत्त्वों से बाधित होती है तो अध्ययन अधिक सादक और उपयोगी होगा। व्यवहारवादी दृष्टि से छोटे छोटे विषयों पर गम्भीर अध्ययन और विश्लेषण का प्राथमिकता दी है।

2 'यवत्वारवादी दृष्टि अध्ययनों की बर्णनात्मकता की बजाय बची समर्थक है। सांभलन ने चाँहिए स परमाणु हथियार है पर शासन को आधारित करने का बीड़ा उठाया था। सभी व्यवहारवादी यह मानते हैं कि 'लोक प्रशासन एक बर्णनात्मक वादिक उद्यम और उसकी अध्ययन विधियाँ में जानूनी जान सं अधिक यह आवश्यक है कि अवधारणाएँ एवं निष्कर्ष स्वाया निश्चिन्त एवं मातृदशिक बन सकें। यत्नाम विज्ञान की विस्तृत प्रणाली जैसे प्रयोग, अर्थीकरण, मायानन आदि का लोक प्रशासन के सिद्धांतों परीक्षण के लिए उचित उपयोग एवं व्यावहारिक मानन है। 'यवत्वार

वादी दृष्टि की मायता है कि चाक प्रशासन के क्षेत्र में यदि ज्ञान का आगे बढ़ना है तो उस व्यावहारिक प्रशासन की कुशलता के लिए निरंतरता से संप्रहीत करना है ता वनानिक अध्ययन विधि कठोरता से लागू की जानी चाहिए। चूंकि यह ज्ञान का गहराई सच्चाई एवं निष्पक्षता से परीक्षण कर विश्वसनीय बनानी है। इस दृष्टि में व्यापारवादी, निरीक्षणवादी, अनुभववादी एवं प्रयोगवादी शोधकर्ता की कोटि में आते हैं।

3 व्यवहारवादी सन्तिता यह चान्ता है कि ज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि में मचित एवं सुरक्षित यह ज्ञान भण्डार एक मदन विशेष को ध्यान में रखकर आग बनाया जाए। तमर ज्ञान में इस ज्ञान की समग्रता एवं सच्चाई उस बात पर निर्भर करेगा कि वह ज्ञान के अग्र पन्ना में कितना सम्बन्धित है। उदाहरण के लिए चाक प्रशासन के क्षेत्र में किसी भी निष्पक्ष का परीक्षण इस मन्त्र में किया जाना चाहिए कि राजनीति मन्त्रिज्ञान समाजशास्त्र आदि अग्र अध्ययन क्षेत्रों में चाक अनुसंधान उभ कितना स्वीकार्य मान सकेंगे। स्पष्ट ज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टि अतन्निभता और अतन्ग्रध्ययन सम्बन्धी ज्ञान की एक समन्वित दृष्टि है। एक और चयकि यह चक प्रशासन का अन्तर्शास्त्रीय (Inter-disciplinary) अग्रपदन माननी है ता हमरी और इसकी मायता यह भा है कि चक प्रशासन एक स्वतन्त्र एवं स्वशासित विज्ञान (Autonomous discipline) है वनानिक पद्धति अपनाने के बाद व्यवहारवादी के लिए अन्तर्निभरता की दृष्टि से ज्ञान की समग्रता को देखना और स्वीकार करना स्वाभाविक था।

4 व्यवहारवाद एवं अनुभवमूलक सिद्धान्त का प्रणयन करना चान्ता है। अनुभव निराकरण प्रयोग सन्मनान परिस्थिति विवचन आदि के आधार पर सम्पूर्णता का गन्तना में विशेषण करत वाले व्यवहारवादी यह मान कर चलते हैं कि चाक प्रशासन एक स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में अपनी स्वतन्त्र विचारधारा का आविष्टन कर सकता है।

जम प्रकार विशेषण गहनता वनानिक विधि एवं अतन्मन्त्र धा का उपयोग में ज्ञान वादी व्यवहारवादी दृष्टि 1960 के आसपास अग्रत चरमोत्थप पर थी। अमरिकी राजनीति मन्त्रिज्ञान जीवन प्रणाली तथा विज्ञान बनने के स मान न इसक विज्ञान में सहायता की। चाक प्रशासन के अध्ययन का इसमें भाने में भाइकी चारिकता से चावहारिकता एकाग्रता से समग्रता तथा वर्गन में चित्रण का आर मोग। जम जम जम अग्रयना का आर बनना गया उनकी दुबनता भा सामन आन गयी। इस दृष्टि पर नी यह अग्रियाग गगाया गया कि (1) यह मूय-उत्थप (Value Neutral) नहीं है अत वनानिक नहीं चा सकी (2) अत प्रयोग और परीक्षण में स्वनी सामाए है कि हमके ज्ञान की गहराई और सके निष्पक्ष सवसाय बन सकना सम्भव नहीं है (3) स्वयं प्रवारावादी का व्यवहार या

आचरण आलोचना में परे नहीं रहा है एवं (4) उनके अध्ययन-यंत्र आज चाहें कितने भी विकसित हो चुके हों सामाजिक जीवन के क्षेत्र में उनकी गति प्रभावशीलता एवं उपयोगिता सीमित एवं अपूर्ण है।

व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव प्रशासन के अध्ययन में प्रयुक्त की जाने वाली कुछ अथवा पद्धतियाँ ये हैं—

- (1) मनोवैज्ञानिक पद्धति (Psychological Approach) एवं
- (2) परिमाणात्मक मापक पद्धति (Quantitative Measurement Method)।

मनोवैज्ञानिक पद्धति (Psychological Approach)—लोक प्रशासन के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग का जय मिस फॉलेट को प्राप्त है। इस पद्धति में अनन्तित ज्ञान यह है कि प्रशासन मानव-व्यवहार में सम्बन्धित है अतः मनोविज्ञान द्वारा उसे अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। मनोविज्ञान मानवीय आचरण का विज्ञान है और मानव प्रशासन का सम्बन्ध भी आचरण से है। अतः मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग से उसके विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। मिस फॉलेट ने बताया है कि व्यक्तियों और समूहों की इच्छाएँ उनके पुरातन और नवतक मूल्य प्रशासन के भीतर उनके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। मनोविज्ञान हमारे जीवन में अत्यन्त घुल मिल गया है कि बहुत-सी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समस्याओं का समाधान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। प्रशासन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों और समूहों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ केवल स्वरूप प्रशासन के आचरण एवं प्रकार के अनौपचारिक संगठन का निर्माण हो जाता है तो औपचारिक संगठन को संगठित करने केवल उसका पुरस्कार बन जाता है बल्कि इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर जाता है कि उनकी अवहेलना करने पर प्रशासन स्वयं सफल हो सकता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति से प्रशासन आवश्यक रूप से मानव समूहों की समस्या है। यात्रात्मिक प्रशासन के क्षेत्र में तो मनोवैज्ञानिक पद्धति अत्यन्त ही उपयोगी सिद्ध है। इसके फलस्वरूप समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा विकसित पायी है जिसे औद्योगिक मनोवैज्ञान (Industrial Psychology) कहा जाता है।

परिमाणात्मक मापक पद्धति (Quantitative Measurement Method)—जिसे भी क्षेत्र में मनुष्य वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति के क्षेत्र पर निर्भर है कि उसमें तथ्यों और परिणामों की सांख्यिक माप (Quantitative Measurement) की कौन-कौन सी गुणज्ञान है। जो प्रशासन मूलतः एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें गुणात्मक परंपरा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अतः इसमें परिमाणात्मक मापक पद्धति का बसा प्रयोग नहीं हो सकता तथा औद्योगिक विज्ञान के क्षेत्र में ही हो सकता है।

उदाहरणार्थ शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन केवल सफल विद्यार्थियों के आधार पर नहीं किया जा सकता बल्कि उनके गुणात्मक पहलू पर भी विचार करना होता है। तथापि लाक प्रशासन के दो क्षेत्रों में परिमाणमक मापक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है—(1) जब प्रशासनिक सम्बन्ध में जनमत अथवा उसकी प्रतिक्रिया जाननी हो तथा (2) जब किसी प्रशासकीय अभिकरण के कमचारियों की संख्या और वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में निर्णय करने की दृष्टि से उनके कायभार का परिमाण करना हो।

प्रशासकीय नीतियों और कार्यवाहियों के बारे में जनमत जानने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जनता का मत नहीं लिया जाता बल्कि किसी विशेष नीति से प्रभावित माने जाने वाले भाग में से कुछ भाग के मतों का नमूने के तौर पर संग्रह कर लिया जाता है और उसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि प्रशासकीय कार्यक्रम का कौनसा अंश जनता को अप्रिय लगेगा जिसे हटा देना चाहिए। इस प्रकार के मत प्रतिक्षण अथवा मत संग्रह (Opinion Sampling) के द्वारा प्रशासकीय कार्यक्रमों के पुनर्गठन, संशोधन अथवा परिवर्तन में काफी सहायता मिलती है।

कायभार के परिमाण के लिए परिमाणमक पद्धति का प्रयोग वहाँ अधिक सम्भव है जहाँ काय काफ़ी माना में एक ही प्रकार का हो और उस बराबर दाह्रया जाता हो जब टाइमिंग और फ़ार्मिंग का काय। काम की कुल मात्रा को एक कर्मचारी द्वारा अपेक्षित दैनिक काय का मात्रा से विभाजित करके यह मालूम किया जाता है कि कुल कितने कमचारियों की आवश्यकता होगी। समय के साथ-साथ प्रशासन के क्षेत्र में परिमाण के सूक्ष्म साधनों का भी तेजी से विकास होता जा रहा है। इस दिशा में अमेरिका में भारी प्रगति हुई है। लागत-नखाविधि (Cost Accounting) से यह पता लगा लिया जाता है कि प्रशासन की प्रत्येक इकाई की क्या लागत आणगी। एक ही प्रकृति के विभिन्न प्रशासकीय अभिकरणों के प्रति इकाई की लागत की तुलना करके उनमें से प्रत्येक की तुलनामक कार्यभारों का बहुत कुछ मनी खान प्राप्त कर लिया जाता है। विभिन्न सवाभ्रा जन्म नगरपालिका सवाभ्रा के पारिमाण के विषय में नए नए मिद्धन्ता का आधिकारिक ज्ञान लगा है। रिन्त तथा सामन्त न इस पद्धति का विशेष समर्थन किया है तथापि इस बारे में स्टो द्वारा किए गए प्रमाण अधिक सफल सिद्ध नहीं हुए हैं। उनका विचार है कि शिक्षा अथवा इस प्रकार का नई सवाभ्रा के लिए का आवश्यकताएँ म प दाजना तयार करने की दिशा में अभी मापक शोध और चिन्तन की आवश्यकता है।¹

(ग) व्यवस्थावादी दृष्टिकोण (Systems Approach)

शमरीकी सामाजिक विज्ञान में 1970 में एक उत्तर-व्यवहारवादी नाति (Post Behavioural Revolution) का धीमरण हा चुका है। 'व्यवहारवादी' के विरुद्ध आज औचित्य (Relevance) और उद्देश्यहीनता (Goallessness) के तारे उगाए जा रहे हैं। लोक प्रशासन की दुनिया में भा एमा उगतता है कि यदि परम्परावादी दृष्टि थीमिस (Thesis) थी तो 'व्यवहारवादी' दृष्टि न एणाथीमिस (Anti thesis) की भूमिका निभाइ है और आज मिथीसिस (Synthesis) क रूप में नाना दृष्टिया के समन्वय में एक सगठनात्मक प्रकार्यात्मक या व्यवस्थावादी दृष्टिकोण (Structural Functional or Systems Approach) जन्म ले रहा है। 1970 के बाद का लोक प्रशासन सगठन की ही मिनी जुली मायताओं के सन्तर्भ में नीकरणा विकास प्रशासन मनोबल एवं उत्प्रेरक साधना का अध्ययन की धार प्रवृत्त ले रहा है।

परम्परावादी एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण से भिन्न व्यवस्थावादी दृष्टि (Systems Approach) एक एनी दृष्टि है जो 'व्यवस्था' को केन्द्रीय तत्त्व मानकर उसी के चारों ओर अपने अध्ययन का मातक बनाना चाहती है। व्यवस्थावादी दृष्टि लोक प्रशासन को एमा सुनियोित एवं गतिशील यंत्र मानती है जिसका अछाषन उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसे एक मंत्रकार अथवा सांकेतिक का किया जा सकता है। वार का एक मिस्त्रम नोना है। किमी भी मिस्त्रम में निम्न विज्ञपताएँ मोटे तौर पर देनी जा सका हैं—

1. सिस्टम एक उद्देश्य विज्ञप का यान में रखकर अपनी सगठन रचना एवं 'सूत्र' रचना निर्धारित करता है।

2. सिस्टम में विभिन्न अंग विज्ञेीकृत रूप से अलग अलग काय करत हैं किंतु उनका समग्र काय सिस्टम का गति देना और उद्देश्य तक पन्चना है।

3. सिस्टम में प्रकृत्यात्मक विभागीकरण (Functional Specialisation) के साथ साथ एक गम्भीर प्रकार की अन्तर्निम्नरता होती है और एक अंग की आवश्यकता से अधिक उन्नता सारी व्यवस्था (System) का नाड सकती है। यन्त्राकार व्यवस्थावादी दृष्टिकोण (System Approach) के अनुसार न चने ता वन सुकाम-ीक वन सकना है पर एन न्वा में सूत्र के सिस्टम का जन्नीना वा दगा।

4. सिस्टम एक गतिशात्र (On going Process) प्राँषया नाना है। उसमें क्रिया प्रतिक्रियाएँ और उनका अन्तर्सम्बन्ध अधिक मन्वपूण होते हैं। सिस्टम की गति की र्थ माग है कि समग्रता और प्रक्रिया का कुल मिनाकर उसकी प्रभावशीलता की दृष्टि में आका जाए।

5 सिस्टम के चयन के लिए कुछ इन-पुट्स (Inputs) डालना पड़ता है जो एक प्रक्रिया विशेष में निरन्तर कर आउट-पुट (Output) में बदल जाते हैं। उदाहरणार्थ कार में इन-पुट के रूप में डाला गया पेट्रोल कार के सिस्टम में गुजर कर यात्रा की दूरी के रूप में आउट-पुट देता है और इस प्रक्रिया में स्वयं नष्ट न जाता है। इस प्रकार राजनीति और प्रशासन में कुछ इन-पुट्स डाली जाती हैं जो समाज उत्थान सुरक्षा आदि के रूप में आउट-पुट बनकर व्यवस्था में निकलती हैं।

इस तरह व्यवस्थावादी दृष्टि न केवल बहाना है न प्रवृत्त एवं आचरण का परीक्षण। यह लोक प्रशासन के ढांचे और अधिकारिणा को उस प्रक्रिया और अर्थनिष्पत्ति के मद्देन में देखती है जो नियोजित कार्य का भूमिका निभा रहे हैं। व्यवस्थावाद (System) में मांग्यता प्रभावकारिता और क्षमता (Efficiency Effectivity and Capacity) तीन विशेषताएँ का होना जरूरी है। यह यह आवश्यक नहीं कि तीनों ही एक साथ मिल सकें। एक अच्छे सिस्टम में तीनों स्तरों पर ये तीन प्रभाव माप जा सकते हैं। लोक प्रशासन का निम्नतम स्तर प्रभावकारी मन्त्रालय कार्यकुशल और शासक स्वस्थ उत्पादकता का पावक होना चाहिए। लोक प्रशासन के प्रवर्ध क्षेत्र में आज व्यवस्थावादी अध्ययन एवं विश्लेषण की घूम है। अध्ययन के विचार में यह दृष्टि मापक अधिक उपयोगी एवं अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं प्रवृत्तपरक है।

इस तरह लोक प्रशासन का क्षेत्र जिस तरह विस्तृत होना जा रहा है और इसकी अध्ययन विधियों में वैज्ञानिकता पनप रही है इसकी दृष्टियाँ परिपक्व एवं प्रौढ़ बनती जा रही हैं। वैसे यही सामाजिक विज्ञान में प्रक्रिया में गुजर रहा है किन्तु लोक प्रशासन एक व्यवहारिक विषय अधिक ज्ञान के कारण उन नए विशाल क्षेत्रों और दृष्टियों से अधिक अर्थोक्ति हुआ है। सगठनात्मक प्रणाल्यात्मक दृष्टिकोण (Structural Functional Approach) तथा व्यवस्थावादी विश्लेषण (System Analysis) कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो लोक प्रशासन के विकास का वास्तविकता के स्तर में उदात्त विस्तार एवं विवेचना के स्तर पर पहुँचाने हैं। इन दृष्टियों सभी प्रयोग कुशल और जल-जलें व्यवहारण (Automation and Cybernetics) का युग प्रगति करवाएँ दृष्टिकोणों के प्रयोगों की उपयोगी सम्भावनाएँ आने की नहीं बल्कि अनुभव भी मिलीं।

(घ) सगठनात्मक ढाँचात्मक दृष्टिकोण

(Structural Functional Approach)

सामाजिक विश्लेषण में इन दृष्टिकोणों का प्रयोग टाल्कॉट पारसॉन (Talcott Parsons) राबर्ट मर्टन (Robert Merton) मरियन लेवी (Marian Levy) गैब्रियल आल्मोंड (Gabriel Almond) डेविड एप्टर (David Apter)

आदि विभागों द्वारा किया गया है। इस दृष्टिकोण में सामाजिक संगठन के रूप तथा कार्यो के आधार पर उस व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। संगठन (Structures) मूल अथवा अमूल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मूल संगठनात्मक सरकारी विभाग तथा ब्यूरो आदि का नाम लिया जा सकता है तथा अमूल संगठनों में सत्ता का विश्लेषण आदि बातें आती हैं।

लोक प्रशासन में इस दृष्टिकोण का उल्लेख सर्वप्रथम 1955 में डवाइट वाल्डो (Dwight Waldo) ने किया था। उन्होंने इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला था। प्रो. रिक्स को वाल्डो का विचार अच्छा लगा और उन्होंने दो वर्ष बाद ही इस दृष्टिकोण के आधार पर अपना कृषि आर्थिकी (Agraria Industrial) मान्य प्रस्तुत किया। उसके बाद रिक्स तुलनात्मक लोक प्रशासन में इस दृष्टिकोण के प्रमुख प्रयोगकर्ता बन गए।

यह दृष्टिकोण व्यवस्था विश्लेषण का नाम से भी जाना जाता है। इसकी मान्यता है कि लोक प्रशासन की व्यवस्था का संगठन (Structure) होता है। यह गतिशील मशीन का समकक्ष होता है। इसके द्वारा समग्र रूप में कुछ कार्य किए जाते हैं तथा उसके विभिन्न अंग प्रयोग भी अपने स्थान और क्षमतानुसार अपना अपना कार्य करते हैं। ढाँच का समग्र रूप ही व्यवस्था है। यह व्यवस्था ही इस दृष्टिकोण में अध्ययन का केन्द्रीय तत्व मानी जाती है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों की मान्यता है कि लोक प्रशासन एक सुनियोजित एवं गतिशील यंत्र है तथा इसका अध्ययन उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार एक मोटर कार या सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। मान नीजिण मानकर एक व्यवस्था है। वह जिन पहलुओं पर ध्यान है कि प्रथम क्रम में धिमाकार आदि मानकर बनती हैं उनमें से प्रत्येक का अपना विशेष कार्य होता है। जब ये सभी अंग अति भरता एवं सामूहिकता में कार्य सम्पन्न करते हैं तो उसे संगठनात्मक कार्य (Structural Function) कहा जाता है। इसका विश्लेषण और विश्लेषण करना ही संगठनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है। प्रत्येक व्यवस्था की रूप में कुछ विशेषताएँ होती हैं। ये इस प्रकार हैं—

(क) प्रत्येक व्यवस्था का विशेष उद्देश्य होता है। उसी के अनुसार वह अपने संगठन की रचना एवं पुनर्रचना करती है।

(ख) व्यवस्था का विभिन्न अंग प्रयोग अपना विशेष कार्य सम्पन्न करते हैं। किंतु वे कुल मिलाकर व्यवस्था की गति देते हैं तथा उस उद्देश्य तक पहुँचाने में सहायता करते हैं।

(ग) व्यवस्था में कार्यात्मक विश्लेषण रहने से भी विभिन्न अंगों में अतिभरता रहती है। किन्तु भी एक अंग में आवश्यकता से अधिक बर्तना होने पर पूरी व्यवस्था टूट जाती है। यदि सांख्यिकी की धन जरूरत में अधिक तन्वी से धूमन

लगता साइकिल चढ़ना बंद हो जाएगा। स्पष्ट है कि व्यवस्था में आत्मनिर्भरता विशेषीकरण मत्यात्मकता चेतना का एक व्यवस्थित आदि विशेषताएँ हैं।

व्यवस्था विश्लेषण में विषय-वस्तु का कब-कब मान ही नहीं किया जाता बल्कि व्यवहार तथा आचरण का परीक्षण भी किया जाता है। सम-ताक प्रशासन के ढाँचे तथा अधिकारियों को उन क्रियाओं और अन्तर्निर्भरता के सम्बन्ध में देखा जाता है जो नियोजित कार्य की भूमिका निभा रहे हैं। व्यवस्था की तीन विशेषताएँ मानी जाती हैं—प्रभावशीलता (Effectivity), कार्यकुशलता (Efficiency) तथा उपादेयता (Efficacy)। ताक प्रशासन में निम्न स्तर पर प्रभावशीलता ही चाहिए मध्य स्तर पर कार्यकुशलता और उच्च स्तर पर उपादेयता रहनी चाहिए। एक अच्छी व्यवस्था में इन तीनों का उपयुक्त अनुपात रखा जाता है। ताक प्रशासन की विभिन्न समस्याओं पर आजकल व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार विचार किया जाता है। फलतः इन दिनों प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक व्यवस्था अध्ययन एवं विश्लेषण किए गए हैं।

समकालीन कार्य-मूलक दृष्टिकोण मूल्य-तटस्थ अथवा मूल्य-स्वतंत्र (Value neutral or Value free) दृष्टिकोण है। बाद में लोक प्रशासन के विभिन्न विचारकों का ध्यान इस ओर गया। जब तुलनात्मक लोक प्रशासन में यह दृष्टिकोण अपनाया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि पश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के व्यवहार एवं संस्थाएँ सवश्रुष्ठ नहीं हैं। प्रत्येक देश की अपनी सामाजिक रूप-रचना के सन्दर्भ में ही वहाँ की प्रशासनिक समस्याओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

लोक प्रशासन में मानव तत्व

(Human Factor in Public Administration)

लोक प्रशासन मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए है अतः इसमें मानवीय तत्व के अध्ययन का केन्द्रीय महत्त्व होता है। यह लोक-हित, लोक-कारण, लोक-उद्देश जैसे बिंदुओं को अपने आवरण में समेटे हुए है और मानव सम्बन्धों से किसी भी रूप में पीछे हटने पर यह प्रशासन का एक अत्यन्त निर्जीव और शुष्क सा मृत चित्र रह जाएगा। प्रशासन एक मानवीय कला है, एक सामाजिक विज्ञान है। यद्यपि यह सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का संचालक स्त्रान आधार और माग निमाता है लोक प्रशासन की असत्य ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें मानव-मनाविज्ञान के समुचित अध्ययन के अभाव में अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता। यदि लोक प्रशासन के सफल और सजाव बनाना है तथा उसका समस्याओं का निदान करना है तो उसमें मनुष्य के व्यवहार की विभिन्न परिधियों के प्रसंग में देखना होगा।

लोक प्रशासन के सन्दर्भ में मानवीय तत्व के दो मुख्य रूप हैं—

- (1) प्रशासन और उसके कार्यकर्ताओं (उसमें काम करने वाले कर्मचारियों) के बीच सम्बन्ध एवं
- (2) प्रशासन अर्थात् प्रशासक और प्रशासिता के बीच सम्बन्ध।

नाक प्रशासन एवं विशाल संगठन हे जा परिभाषात्मक अथवा प्रमाणीकृत प्रणालियों और रीतियाँ काम करता है पर आवश्यक है कि इन औपचारिक प्रक्रियाओं और प्रबंध प्रवर्तन आदि की समस्याओं का प्रति मानव प्रयत्नों का बीच एक सतुलन बना रहे। सतुलन की यह समस्या अपने आप में विपरीत है क्योंकि मानव तब यत्नीकृत नहीं हो सकता। वह एक ऐसी वस्तु जिसका उपेक्षित विषय जानें अथवा मुनायें जान का भय धना रहता है। यह सम्भव है कि प्रशासकीय अथवा अन्य कोई भी विशाल न संगठन अतः अपने सन्ध्यों के लिए पक्षित हीनता का रूप धारण कर ले और संगठन के प्रत्येक सदस्य की स्थिति यान क पहिए का नाजो जमी हो जाए। इस प्रकार की सम्भावना अथवा एस स्क्वै का सभी उन्मूलन किया जा सकता है जब संगठन में उक्तियों को मायता देते हुए यत्किणत कार्यों को सामाजिकता मन्धयोग और मृजन के माग पर लाया जाए। म्मानवान का भी यान रचना आवश्यक है कि प्रबंध निरीक्षण आदि के सदन में एस कर्म न उठाए जाए जिनस संगठन के कायकर्ता संगठन तथा उसके उद्देश्यों में अगनी एकात्मकता हो वठें। प्रयास सदन यही होना चाहिए कि समादेश और

की आवश्यकताओं का सामाय टाचे के अतगत कायकर्ताओं अथवा

॥ क साथ प्रभावशाली सचार और सम्बन्ध को सव कायम रखा जाए।

नोक प्रशासन स्वयं ही एक सामूहिक मानवीय क्रिया है अतः सामूहिक सम्बन्धों का शासकीय धार शासितों के सम्बन्धों का आधार क्या हो व्यक्ति उन अ वश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करे आदि विषय नोक प्रशासन के लिए विचारणीय है। लोक प्रशासन चाह कितना ही भौतिक एवं समाज के जड पदार्थों स सम्बन्धित हो उनका मुख्य उद्देश्य एक नए समाज की रचना करना या उसके निर्माण में अपना योग देना है। प्रशासक का मुख एक कलाकार का मुख है जिस अपने काय से ही सन्ताप मिल सकता है। दूसरे शब्दों में प्रशासन की सफलता और कायकुशलता की कसौटी यह है कि वह शासितों के साथ कस रचनात्मक और सजीव सम्बन्ध बनाए रखता है। नाक प्रशासन में लोगों के प्रति सेवा का भाव निहित है और यदि शासक और शासितों के सम्बन्ध एकाकार नहीं होंगे तो बाँधित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। प्रशासका स अपश्चित है कि वे अपने को सेवक मानकर चलें स्वामी नहीं। साधारण जनता ही इन्हें प्रशासक बनाती है और उनका यह कर्तव्य सीपती है कि वे जनता के हित में प्रशासकीय कर्तव्य का निर्वाह करें एवं नोक-क्याणकारी शासन की स्थापना करें। साधारण जनता ही सभी विदुषा अथवा दाता का कन्स्यल है प्रशासन नहीं। अतः यह आवश्यक है कि प्रशासका का जनसाधारण के प्रति मन्वीपूर्ण तथा समानता का व्यवहार रहे। नाक प्रशासन सम्यता और सम्य जीवन का रक्षक है सामाजिक परिवर्तन और

भी जानती है और उनका नवृत्त्व भी करती है। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों में वस्तुस्थिति का एक सही चित्र प्रस्तुत होता है कि—

अन्तिम विश्लेषण में प्रशामन अर्थ बहुत सी चीजों की भाँति एक मानवाय समस्या है। हमें मनुष्यों के साथ व्यवहार करना होता है न कि आकाश की किमी तालिका के साथ। प्रशासन उसका सम्पर्क में आने वाला लोग के वार में विचार कर सकता है उनके सम्बन्ध में एक निष्कप निदान करता है जो मुख्यतः व्यापक तो है किन्तु जिनमें मानव-त्व का भुला दिया गया हो अन्त में आप चाहे किमी भी विमर्श में कार्य कर रहे हों अन्तिम में मनुष्यों की ही समस्या है और यही हम उन्हें मुला दत्त है हम वास्तविकता से दूर जा गिरते हैं। प्रशासन का उद्देश्य तो कुछ प्राप्त करना ही है न कि प्रक्रिया के कुछ विशेष नियमों का अनुसरण करते हुए नरगिस के पीछे के समान पूर्ण सतोष करके शीशमन्त्र में बैठ हुए आनन्द का जीवन बिताना। मनुष्य मान और उसका क्याण ही वास्तव में प्रशामन की कसाटी है।

लोक प्रशासन का अर्थ सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध

(Relation of Public Administration with other Social Sciences)

प्रशासन, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, कानून, समाजशास्त्र आदि विषय किमी प्रकार भा एक दूसरे से संबंधा असम्बद्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में इन विषयों में परस्पर अनेक अन्तर होना ही सम्बन्ध के सूत्र प्रयत्न है। लोक प्रशासन सामाजिक जीवन को व्यवस्थित और गतिशील रखने वाली शक्ति है तो इतिहास सामाजिक जीवन के अतीत की दिव्यचिन्ता को प्रस्तुत करता है और लोक प्रशासन की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि के निर्माण में सहायक होता है। जो लोक प्रशासन इतिहास की चेतावनी की उपेक्षा करता है उसकी सफलता सदिग्ध रहती है। राजनीति शास्त्र सामाजिक जीवन के वर्तमान और अतीत के राजनीतिक स्वरूप और विज्ञानों की व्याख्या करता है तथा लोक प्रशासन का आधार राजनीति विज्ञान पर स्थिर है। अर्थशास्त्र सामाजिक जीवन के आर्थिक तथ्या व्यवस्थाओं और सैद्धान्तिकों का प्रस्तुत करता है ता कानून सामाजिक जीवन के वैज्ञानिक स्वरूप से सम्बद्ध है तथापि हम यह न भूलना चाहिए कि ये सामाजिक विज्ञान परस्पर सम्बद्ध होते हुए भी उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता (Independent Status) है।

(क) लोक प्रशासन और राजनीति

(Public Administration and Politics)

(सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में राजनीति और लोक प्रशासन का सबसे अधिक सम्बन्ध है तथा दोनों एक दूसरे का अत्यधिक प्रभावित करते हैं।)

प्रारम्भिक विचारका न राजनीति और लोक प्रशासन का एक दूसरे से पृथक् करने की चेष्टा की थी लेकिन आज यह दृष्टिकोण अ व्यावहारिक माना जाता है। आज लगभग सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि राजनीति और प्रशासन म चाली समय का साथ ही दोनों एक दूसरे से पृथक् नहीं रह सकते। एक दूसरे में अलग रहने पर दोनों ही अपूर्ण रहेंगे एक के सहयोग के बिना दूसरा निष्क्रिय बन जायेगा।)

परम्परागत दृष्टिकोण—प्राचीन विचारका म बुना विलसन ने मकी एताानी दृष्टिकोण अपनात हुए राजनीति और प्रशासन के बीच मौलिक भेद बतलाया और कहा प्रशासन राजनीति से बाहर है। प्रशासनिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न नहीं है। यद्यपि राजनीति प्रशासन के लिए काय निर्धारित करती है तथापि इसका यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वह प्रशासकीय तत्वा में हर पर या हस्तक्षेप कर सके।) लशली न भी यह माना कि प्रशासन एक तकनीकी अधिकारी का धन है एक राजनीतिज्ञ का नहीं। प्रो गुन्नाउ के अनुसार प्रशासक का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो राजनीति से सम्बंधित नहीं है। (वास्तव म यह विचार-व्य राजनीति को सत्ता का विधान मानते हुए मूल रूप से नीति निर्धारक कला मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन केवल सरकारी कर्मचारियों का क्षेत्र है जिनकी अपनी भूमिका इतनी सीमित होती है कि वे नीति निर्माण म कार्य महत्वपूर्ण भाग न लेते। उनकी भूमिका का निर्धारण राजनीति द्वारा होता है वे राजनीतिज्ञा के प्रति निष्ठावान् रहते हैं।)

प्राधुनिक दृष्टिकोण—आज इस प्राचीन अथवा परम्परागत दृष्टिकोण का अ व्यावहारिक माना जाता है। यह मान लिया गया है कि राजनीति और प्रशासन प्रकाश तथा छाया की भाँति एक दूसरे में अदृश्य रूप से समाविष्ट रहते हैं। व्यावहारिक धारणा के रूप म दोनों के मध्य भेद है, लेकिन दोनों एक दूसरे से पृथक् नहीं किए जा सकते। प्रशासन के सहयोग के बिना राजनीति द्वारा निमित्त नीतियाँ को क्रियान्वित करना दुष्कर है और इसी प्रकार यदि राजनीति द्वारा नीतियों का निर्धारण न हो तो प्रशासन के पथभ्रष्ट हो जाने का भय है। इसलिए लथर गुन्निव की मायता है कि राजनीति को प्रशासन से और प्रशासन को राजनीति से पृथक् नहीं किया जा सकता। यदि प्रशासकों पर से नियंत्रण हटाकर उन्हें अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया तो इसका अर्थ होगा घड़ी को पीछे की घोर धुमा देना और उस बहुमूल्य धन को फेंक देना जो मानव-जाति ने दीर्घकालीन संघर्ष के बाद प्राप्त की है। राजनीतिज्ञ और प्रशासक म अनेक अंतर बतलाए जा सकते हैं—एक अस्थायी है तो दूसरा स्थायी एक दलीय राजनीति से सम्बंधित है तो दूसरा तटस्थ एक सामान्य व्यवसायी-वृत्ति है तो दूसरा विशेषज्ञ एक सजायक है तो दूसरा निष्पादक एक नियंत्रक है तो दूसरा

परामशदाता, आदि कि तु य सभा अन्तर मन्त्रागक ह, प्रकारात्मक नही। य अ नर प्रशासन और राजनीति का एक दूसरे से अलग नहा करत। दोनों के बीच अन संधि स्थित है कि उह अलग अलग सीखचा म वाधना गन्त हागा। याने दावा का अलग किया भी जाए ता भी दाना की सीमा रेखाए अन्क स्थाना पर दाना मिती हुई हागी कि एक स्पष्ट विभाजक रखा खीचन का प्रयत्न अन्वाचारिक हागा। दान की खाल निकालना हागा।

राजनीति और प्रशासन का परस्पर सम्बन्ध और प्रभाव—राजनीति और प्रशासन के सम्बन्धा पर विचार करत समय वास्तव म किसी भा अन्विवादी दार्ष्टिकण स बचत हुए दानो के बीच सन्तुलन की स्थापना की जाना चािण। य एम पी शमा का अभिमत ह कि राजनीति और राजनीतना का प्रशासन के प्रापक उद्देश्या की परिभाषा और राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की चेष्टा तन ही नीमित रहना चाहिए। य राजनीतिक सत्ता ही प्रशासन की चालन शक्ति है और प्रशासन का कार्यक्षेत्र नीतिया के निर्माण के त्रिय तथ्य के सूचवाय ज्ञान, सुभावन बन, आलाचनाय करत तथा उनक निर्माण के पश्चात उनका त्रियावित करत तन हा हाना चाहिए। जब तक यह सिद्धान्त बुनियादी रूप म माय ह कि नीतिया के विषय म अन्तम निर्णय सत्ताधारो राजनीतिज्ञ के हाथ म रहना तब तक राजन का किसी प्रकार का काई पतरा नो ह। औ जय तक राजनीतिज्ञ यह स्वाकार करने के निय तयार रहता ह कि यह नीतिया के त्रियावयन के विषय म विशयन नहा है तन तक प्रशासन का भी किमी प्रकार के अतिनमण का भय नो है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि दाना के बीच कुछ उभयनिष्ठ क्षेत्र भा है औ राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक के कार्यक्षेत्रा के मध्य एक निश्चित विभाजक रखा खीचना सम्भव नही ह। इतना ही नही कुछ देशा म विशेष प्रकार के ऐतिहासिक तथ्या और परम्पराया के कारण य उभयनिष्ठ क्षेत्र आधक विस्तृत हा सकत ह परंतु इस आधार पर राजनीति और प्रशासन के मन् को पूरा तरह समाप्त नही किया जा सकता। स्वस्थ परम्पराया का निर्माण करन के लिए दाना के मध्य भेद की उपक्षा करने के स्थान पर उस ध्यान म रखना अधिक लाभदायक हागा।

राजनीति और प्रशासन के बीच आन्वारिक व्यवस्था के विकास म स्वस्थ परम्पराए प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। दोनों परस्पर से याग करत हुए सधय की सम्भावना का दान सकत हैं। ब्रिटन की व्यवस्था का बडा अन्दा उन्हाहरण है। वहाँ मन्त्रिमण अन्त अघोनम्य प्रशासनिक अन्विचारिया तारा अपने विचारका की मुक्त अभिव्यक्ति का न कवल महन करत हैं बन्कि उम आन्श्यक भी मानत ह। दूसरी ओर प्रशासकीय अधिकारी भी अन्त राजनीतिक अ यक्षा द्वारा निर्धारित नीतिना को पूरी लगन के साथ त्रियावित करत हैं चाने आन्वारिक अन्व्याया म

उन नीतियां से व असहमत रहे हा । भारत म भी राजनीतिना और प्रशासकीय अधिकारिया के बीच सहयोग व सून प्रशामनीय रह है ।

पिफनर ने राजनीतिक और प्रशासकीय अधिकारिया व बीच दस भेद गिनाए है जिह अपन हिंदी अनुवाद मे डा एम पी शर्मा ने इस प्रकार उक्त किया है—

राजनीतिक अधिकारी	प्रशासकीय अधिकारी
1 अव्यवस थी (Amateur)	1 व्यवसायी (Professional)
2 अप्राविधिक (Non technical)	2 प्राविधिक (Technical)
3 दलीय (Partisan)	3 निदलीय (Non Partisan)
4 अस्थायी (Temporary)	4 स्थायी (Permanent)
5 घनिष्ठ मानवजनिक सम्पर्क	5 विरत सावजनिक सम्पर्क
6 घनिष्ठ विधायी सम्पर्क	6 विरत विधायी सम्पर्क
7 मुख्य नीति निमाता	7 गौण नीति नर्माता
8 निर्णय बहुल (More Decisions)	8 परामर्श-बहुल (More Advisory)
9 अधिक मम-यकारी	9 अधिक क्रिया बधन
10 लोकमत से प्रभावित	10 अध्यायन और अनुमध न क आधार पर एकत्रित प्राविधिक तथ्या से प्रभावित

पिफनर व विवरण के आधार पर प्रशासकीय और राजनीतिक अधिकारिया क कार्यों की सूचिया बनाई जा सकती है । पर य काय राजनीति और प्रशासन को एक-दूसरे से अलग नही करते, बल्कि दोनों के सहयोग से ही उन कार्यों का स पादन सम्भव है । राजनीतिक अधिकारी अथवा मंत्री चुनाव के दौरान जनता को लिए गए वचना को पूरा करन के लिए नीतिया बनात है और दखत है कि उह सही रूप म तजी स लागू किया जा रहा है । अत नीतिया के क्रिया बधन के सिद्धांते म व प्रशासकीय कार्यों म मोट तार पर अधी नग व सक्त है समस्यजनक प्रशासकीय प्रश्ना पर वे निर्णय ले सक्त है और इसी प्रकार प्रशासकीय अधिकारिया की नियुक्ति व बारे म भी उनका मत मह वपूर्ण हा सक्ता है । उनका यह अधिकार अपेक्षित है कि वे प्रशासकीय विभाग स सम्बन्धित प्रत्येक जानकारी प्राप्त करें और आवश्यक हान पर जांच भी करा सक । राजनीतिज्ञो को यह अधिकार भी होना चाहिए कि सावजनिक और व्यक्तिगत शिवायता का दूर कराने के लिए प्रशासन म हस्तक्षेप कर सकें । पर इस सब के बावजू उनसे यही आशा की जाती है कि व प्रशासनिक क्षेत्र मे यथासम्भव कम स कम हस्तक्षेप करये अपने अधीनस्थ प्रशासकीय अधिकारिया पर भरोसा रखेंगे, आवश्यक होने पर उनसे परामर्श लेंगे और उनसे परामर्श को सावधानोपूर्वक विचार करन के बाद स्वीकार करन म सकोच नही करेंगे । प्रशासन के प्रति प्रवृत्त म वे चिन्चिन्पन और अधय का प्रदर्शन नही करये । अपी शक्ति का दुरुपयोग करके वे प्रशासन म गनत काम नही कराएंगे । प्रशासकीय

अधिकारिया का भी कर्तव्य है कि वे आवश्यक आकृत, सूचनाएँ प्राप्ति नुटाकर प्रस्तावित नीतियाँ के व्यापक अर्थों प्रभावाँ और परिणामों के बारे में विस्तृत विवरण तयार कर अपने राजनीतिक समस्या का सहयोग देंगे। वे राजनीतिक अध्यक्षा की नीतियाँ पर स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार प्रकृत कर सकें किन्तु एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद उन नीतियों को समानदारी से लागू करेंगे।

राजनीति और प्रशासन के वाचस्पत्य का दृष्टि से हम यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ प्रशासकीय क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियाँ या स्वविवेक से नीतियों के निर्माण का भी अधिकार होगा। किन्तु यह अपभ्रंश है कि एनी नीतियों के निर्माण नहीं किया जाएगा ता राजनीतिक अध्यक्षा का अतिमास टकराना हो। अथवा सरकार का सुचारु रूप से संचालन कठिन हो जाएगा। पुँश्च यह भी आवश्यक है कि प्रशासन के स्वतन्त्र नियम का पालन किया जाय अथवा राजनीतिक अध्यक्षा और अथ उच्च अधिकारी प्रधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मीन सम्बन्ध स्थापित न करें अपितु समुचित माध्यम द्वारा (Through Proper Channel) से सम्पर्क स्थापित करें। अथवा राजनीति का भी उच्चतर अधिकारी प्रधीनस्थ कर्मचारियों के साथ प्रथम उच्च अधिकारी (Immediate Official Superior) के द्वारा ही सम्पर्क स्थापित करें। यन्ति सम नियम का अवहलना की गता गता पाप्यराए विकसित गी और इस प्रशासकीय अधिकारियों की सत्ता तथा प्रतिष्ठ का सम पट्टवन का सम्भावनाएँ भा प्रबल होगी।

समाशत यह कहा जा सकता है कि चाहे राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से भिन्न लगे तथा इनमें कार्यों का अलग-अलग विभाजन हो लकिन उनकी निकटता अतिनिम्नता और अयायान्त्रितता से प्रकार नता किया जा सकता। डा प्रभुल्ल शर्मा के अनुसार दाना का घनिष्ठता तीन तथ्या से स्पष्ट है—

✓1 राजनीतिक व्यवस्था प्रशासन के लिए बाड बाह्य अथवा अलगत चाज नहा है। राजनीति समाज का मूल ढाचा प्रस्तुत करता है और प्रशासन समी घर में उसका द्वारा निर्धारित सगत भूमिका निभान के लिए उसका एक एजेंट मान है।

✓2 जा प्रशासन अपने आप का अराजनीतिक ज्ञान का दावा करता है वह कुल मितकर एक राजनीति विराधा प्रशासन है ता या तो राजनीतिक उद्देश्या की प्राप्ति का अवरोध करता है या उसे नौकराही के पिडर में जकट कर प्रभावहीन बनाने की चष्टा करता है।

✓3 सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएँ राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हाता हैं। उदाहरणार्थ अमेरिका जनतन्त्रात्मक व्यवस्था में जिन प्रशासनिक कर्तव्य भूमिका मिला है उसे रूस की व्यवस्था अपने प्रशासन में प्रविष्ट नहीं हान देगा।

दास्तव में राजनीति ताक प्रशासन का नियंत्रित करना है किन्तु बदल में

यह भी सही है कि लोक प्रशासन राजनीति का दिशा निर्देश देता है। लोक सम्बन्ध के विवेचन में हम अतिवादी दृष्टिकांश के स्थान पर समतुलित दृष्टिकांग निश्चित करना चाहिए। प्रशासन द्वारा राजनीति को सम्मान देना चाहिए और राजनीति द्वारा प्रशासन का। राजनीति को प्रशासन को अपन हाथा का खिलौना मानकर चलन की मनोवृत्ति में बचना चाहिए। डा एम पी शर्मा के शब्दों में राजनीति का चिंतन करने की भूल करती है कि प्रशासकीय दृष्टि से क्या प्रावहारिक और सम्भव है तब वह कब का पतित स्वरूप ग्रहण कर लेती है और लोक प्रशासन अपन राजनीतिक सौदम से अनग टटकर शून्य का जाता है।

(स) लोक प्रशासन और कानून (Public Administration and Law)

लोक प्रशासन और कानून के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिसके क शब्दों में लोक प्रशासन सावजनिक कानून का व्यापक अधिशाधी स्वरूप बन जाता है। लोक प्रशासन और कानून के घनिष्ठ सम्बन्ध का हम निम्नलिखित बिन्दुओं में स्पष्ट कर सकत हैं—

1 लोक प्रशासन देण के कानूना के अंतगत ही काय करता ह। प्रशासक एसा काई काय नहीं कर सकता जा कानून के विपरीत हो। डा एम पी शर्मा के अनुसार लोक प्रशासन को विधि (कानून) के दायिनी और रहना हाना है अर्थात् कबल एतना ही नहा कि वं किसी विधि का उल्लंघन न करे वरन् उसे कोई काय भी कबल तभी करना चाहिए जबकि विधि उस काम करने की अनुमति दे।

2 यूरोप के अनेक राष्टों में लोक प्रशासन कानून के अधीन मा गया है। कानून का लोक प्रशासन का उदय और लोक प्रशासन का उसका माध्यम माना जाता है। लोक प्रशासन देवता है कि राष्टीय कानून का पालन अधिकाधिक भीमा तक हा इसीलिए वं कानून की एक शाखा के रूप में माय है।

3 कानून निर्माण के साथ ही लोक प्रशासन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अधिकांश विधायक विभिन्न प्रशासकीय विभागों के प्रयास पर आरम्भ किए जात हैं और उनका प्रारम्भिक प्रारूप विभागों की अनुसंधान अनुसार तयार किया जाता है। आधुनिक युग में प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रचलन अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है जिसके अनुसार प्रशासकीय अधिकारी और विभाग नियमों आदि के रूप में एक बड़ी मस्या में कानूना का निर्माण करते हैं। समयाभाव के कारण सतत कतिपय सीमाओं के अंतगत कानून निर्माता शक्तियां कार्यरतिका को सौंप देती हैं।

4 प्रशासन के उत्तरदायित्व को बहन करने के क्षेत्र में कानून एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि प्रशासन को अनधिकृत काय करता है और वधानिक सत्ता का उल्लंघन करता है तो सामान्य प्रदत्त कानून के अनुसार उस ठीक कर त्त हैं। कानून प्रशासन का नागरिका की स्वतंत्रता का हनन करने में रोकता है।

5 प्रशासन कवन एक कानून अथवा अध्यात्मिक विषय ही नरु न । जमा कि डा एम पी शमा न तिला ह विधिक व्यापक क्षेत्र क अगत प्रशासन को स्वविषय की शक्ति दी जाी चाहिए ताकि वह ताक विक परिस्थितिया क अनुसार काय कर सके और प्रसग एव परिस्थिति क अनुसार साधना का चयन कर सके ।

6 सामाजिक और आर्थिक कानूना क निर्माण म प्रशासन का काफा प्रभाव पटना न । कानून के मौलिक विचार म परिवर्तन जान म भी प्रशासन की प्रमुख भूमिका होती है ।

7 ताक प्रशासन और साविधानिक कानून म घनिष्ठ सम्बन्ध हाता है । जमा कि विमन न तिला न प्रशासन का अध्ययन साविधानिक मत्ता के समुचित विवरण क अध्ययन क साथ घनिष्ठ रूप म सम्बन्धित है ।

(ग) लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र

Public Administration and Economic)

राज्य क कयाणकारा स्वल्प क विस्तार क साथ साथ लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र क सम्बन्ध की घनिष्ठता म उत्तमस्मर-वृद्धि हुई है । आज हमार युग म लोक प्रशासन पर आर्थिक समस्याए छादि हुई ह । दाना अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हुए एक दूसरे क लिए उपयोगी हैं । यदि ताक प्रशासन अर्थशास्त्र का संगठन प्रदान करता न ता अर्थशास्त्र प्रशासन को संगठन क लिए वित्तीय सान प्रदान करता है । लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र क सम्बन्ध को हम निम्नलिखित रूप मे स्पष्ट कर सकेत है-

1 प्रत्येक आर्थिक क्रिया का स्वरूप प्रशासकीय भा जाता है । आर्थिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए यन्त्र निता न आवश्यक है कि समान म अवस्था कायम रह और यन्त्र प्रस्था प्रशासन का मूल मन्त्र है । यदि प्रशासन निश्चित और गतिहीन होगा तो समान म साथ गति और अवस्था का स्थापना न संकगी जिसके फलस्वरूप आर्थिक क्रियाए समुचित रूप म सम्पन्न न । हागी । अवस्था की स्थिति म आर्थिक योजनाए पू । न । से सकना ।

2 अन्त आर्थिक प्रश्न ताक प्रशासन की परिधि म आत है । आन्तरणाथ कर एक आर्थिक प्रश्न भी न और ताक प्रशासन का विषय ही है । न्नी प्रकार वन्त्र का सम्बन्ध लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र जाना स होता है । राष्ट्रीयकरण को हम केन्द्र म्क आर्थिक प्रश्न ही नहीं कहेंगे बकि यन्त्र ताक प्रशासन का भी एक सम्भीर विषय है ।

3 आज का युग आर्थिक राष्ट्रवाद और अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धिता का है अन्त राज्य के लिए आवश्यक है कि वन् राष्ट्रिय उद्योगा का संरक्षण प्रस्था कर ताक आर्थिक सहायता द और विन्ती व्यापार का सम्बन्ध न कर । सामाजिक स्या का अट म आवश्यक हा गया है कि राज्य अथवा दूसरे ता म लोक प्रशासन ताक और

औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करे। भारत में सावजनिक उद्योगों का विस्तार आर्थिक क्षेत्र में एक प्रशासनिक कदम के रूप में प्रवेश का सूचक है। आज के युग की प्रवृत्ति है कि राज्य को आर्थिक विषयों में अधिकधिकार पसीटा जाए। इसी बातों ने यह आवश्यक बना दिया है कि एक प्रशासनिक आर्थिक समस्याओं के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखें। आज के युग में प्रत्येक प्रशासनिक नीति को उसके आर्थिक परिणामों के सम्बन्ध में देखा जाता है। जो विभिन्न दवाव समूह प्रशासन को प्रभावित करते हैं वे अधिकशत अपने अपने आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आज के एक प्रशासन का यह प्रथम दायित्व है कि यह राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और शक्ति के लिए कार्य करे। जे. एम. बी. शर्मा के शब्दों में उस (नौकरशासन का) प्रतिबन्ध वाणिज्यिक प्रवृत्तियों को विरुद्ध सफल करना चाहिए। वेगजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। मध्यममूल्य अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन बनाए रखना चाहिए और राष्ट्र की वित्तीय स्थिति तथा स्थिरता को कायम रखने के लिए शक्तिभर चेष्टा करनी चाहिए। यदि एक प्रशासन देश की वित्तीय समस्याओं को सन्तोषजनक रूप में हल नहीं कर पाता तो साल भर प्राप्त हो जाती है। उसमें जनता का विश्वास नहीं रहता।

4. आज के समाजवादी विचारों का आधार आर्थिक है। शासन व्यवस्था को समाजवादी विचारों ने प्रभावित कर रखा है और प्रशासन का लक्ष्य समाजवादी आदर्शों का प्राप्ति और सफल क्रिया-कर्म हो गया है।

5. आज के आर्थिक युग में एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाएँ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं और आज के आर्थिक ढाँचा व्यक्ति तथा उसके जीवन-स्तर को प्रभावित करता है। समाज में कृत्रिम आर्थिक प्रतिस्पर्धाएँ हावी नहीं हैं। आर्थिक शासन की प्रवृत्तियाँ न केवल एकाधिकारपूर्ण स्थितियाँ पदा नहीं हैं। आर्थिक विषमताओं का विस्तार नहीं है। इस सब बातों के लिए यह आवश्यक है कि लोक प्रशासन अथवा आर्थिक क्रियाओं को प्रतिबन्धित करे आर्थिक क्षेत्र में प्रशासनिक नियम स्थापित करे।

6. वर्तमान युग नवीन विचारों और अधिकधिकार नवीन प्रयोगों का युग है। नवीन आर्थिक विचार प्रशासन के संगठन और प्रशासनिक रीतियों का महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित कर रहे हैं। प्रावसायिक क्षेत्र में राज्य के प्रवेश के फलस्वरूप नए प्रकार के प्रशासनिक संगठनों अर्थात् सावजनिक नियमों का उदय हुआ है और वर्धित सम्पत्ति का नियमन आदि करने के लिए नए प्रशासनिक विधि तथा प्रशासनिक व्यापारिक पद्धति विकसित हुई हैं। एक प्रशासन की प्रक्रियाओं में व्यापारिक रीतियों का अधिकधिकार मात्रा में लागू करने की प्रवृत्ति पनप रही है और नए दिशा में नए-नए प्रयोग हो रहे हैं।

स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित हैं एक दूसरे को अनेक रूपों में प्रभावित करते हैं।

(घ) लोक प्रशासन और मनोविज्ञान

(Public Administration and Psychology)

मनुष्य का प्रत्येक आचरण किसी न किसी मनावैज्ञानिक कारण से प्रभावित होता है। मनाविज्ञान समान में मानवीय आचरण का, मानवीय व्यवहार का अध्ययन है और लोक प्रशासन समाज में मानव प्रक्रियाओं का अध्ययन है। अतः दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्वाभाविक है। मानव क्रियाओं के साथ सम्बन्धित कोई भी सामाजिक विज्ञान अपने अध्ययन में निम्न मनोवैज्ञानिक तत्त्वों से अप्रभावित नहीं रह सकता। लोक प्रशासन में मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज इस दृष्टिकोण से देखा जा चुका है कि लोक प्रशासन के अधिकारियों के बीच केवल वैज्ञानिक और औपचारिक सम्बन्ध ही होने चाहिए। आज हम जाना जा रहा है कि लोक सेवा तथा जनता के दृष्टिकोण और व्यवहार को मनावैज्ञानिक कारण प्रभावित करते हैं। मानव का व्यवहार केवल औपचारिक प्रयत्न से नियंत्रित नहीं किया जा सकता इसके लिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाया जाना नितांत आवश्यक है। वैयक्तिक और जनता की मनावैज्ञानिक प्रक्रियाएँ और प्रवृत्तियाँ किसी भी संगठन के व्यावहारिक संचालन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यदि अधिकारियाँ और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच मधुर सम्बन्ध है तो संगठन का स्वरूप स्वयंसेवा भिन्न हो जाता है। मनावैज्ञानिक तत्त्वों को महत्त्व देने के कारण ही आज लोक प्रशासन में सामाजिक जीवन का अध्ययन करने और मनुष्यों के चरित्र के अन्वेषण के लिए मनोविज्ञान लोक प्रशासन को प्रभावित करने में सक्षम है।

लोक प्रशासन किसी एक धर्म अथवा समुदाय तक सीमित नहीं रहकर मानवजनिक बन चुका है। अतः नवयुग पापकाल में सत्यापी नागरिकता और विध्वंसक या अराजक नागरिकता के बीच उचित समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष योजनाएँ बनायीं जा रही हैं अराजक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है और मनाविज्ञान के आधार पर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। अराजकता के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाएँ जाने का मूल कारण मनावैज्ञानिक तत्त्वों का महत्त्व है। मनाविज्ञान द्वारा लोकमत का समन्वय में बहुत कुछ मनायना मिलती है। समूह मनोविज्ञान (Group Psychology) ने आज कितना महत्त्व प्राप्त कर लिया है यह कहने की आवश्यकता नहीं।

प्रशासन की समस्याओं में मनाविज्ञान ने अनेक समस्याएँ जोड़ी हैं और

प्रशासन के क्षेत्रों के लिए अधिक व्यय आवश्यक था गया है। जैसा कि
 एम पी जेम्स ने लिखा है प्रशासन में प्रोत्साहन प्राप्त होना तथा मनाबल की
 समस्याएँ मजबूत मनोवैज्ञानिक समस्याएँ हैं। औद्योगिक मनाविज्ञान का पूरणया तथा
 विज्ञान की वन गयी है। कार्मिक के बदलने के लिए मनाविज्ञानिक परीक्षाओं का
 अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है तथा कार्मिक प्रशसन पर मनोवैज्ञानिक धारणाओं
 का अधिकाधिक प्रभाव पड़ता जा रहा है। समितियों और सम्मेलनों द्वारा स्टाफ
 के साथ परामर्श की व्यवस्था तिमाजका तथा व मिका के मध्य पारस्परिक मतभेदों
 को दूर करने के लिए दोनों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले क्लिंटन
 परिषदों के संगठन संगठन के क्षेत्रीय उद्देश्य से परिवर्तित कराने के लिए कार्मिक
 का राष्ट्रीय प्रशिक्षण और लाव सम्पर्क की ओर अधिकाधिक ध्यान अथवा अंतर्गत
 को प्रशासन की नीतियाँ और उसके कार्यों से परिवर्तित कराने तथा उसकी सरहना
 प्राप्त करने के लिए प्रशसन प्रचार से सब कार्य इस में यथा पर आधरित है कि
 प्रशासन से सम्बन्धित विविध पक्षा के मध्य समुचित मनोवैज्ञानिक सम्बन्धों की
 स्थापना बहुत ही आवश्यक है।

(ड) लोक प्रशासन और इतिहास

(Public Administration and History)

लोक प्रशासन और इतिहास में भी निकट सम्बन्ध है। किसी भी देश के
प्रशासन का अध्ययन तब तक अप्रयुक्त रहेगा जब तक हम उसके विकास का समुचित
ज्ञान न हो। विकास का अध्ययन करने के लिए हमें स्वाभाविक रूप से इतिहास का
सम्बन्ध देना पड़ेगा। यह विचार आम है कि इतिहास कबल अतीत तक सीमित है
और उसका अर्थ विषय से काटकर निकाल लेना है। वास्तव में प्रत्येक देश का इतिहास
प्रत्येक देश का स्वयं ही इतिहास है। इतिहास में प्रत्येक देश का इतिहास
का सम्बन्ध अध्ययन में, शासकीय शासकीय प्रशासन में है। लोक प्रशासन भी
इतिहास के अन्तर्गत है क्योंकि इस पर प्रस्थापना बनाए रखने का दायित्व होता है और
इतिहास के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्था का विचार करना होता है। इतिहास
लोक प्रशासन का विगत अस्तित्व तथा मूल्यों के सफाई तथा की ओर बढ़ने की
परिष्कार देना है। इतिहास से लोक प्रशासन का जन्म और सुधार का प्रवृत्ति मिलती
है। इतिहास लोक प्रशासन के लिए प्रेरणादायक है। यह लोक प्रशासन को विश्व
निर्माणा है। इतिहास का अध्ययन लोक प्रशासन को भावी याज्ञन या न निर्माण
द्वारा उनके सफल अथवा अययन का दिशा में एक निश्चित निर्देश पत्र का काम देता
है। इतिहास मानव अनुभवा की खान है जिससे लोक प्रशासन बहुत कुछ सीख
सकता है। वास्तव में लोक प्रशासन के विकास उसकी सफलता और प्रगति के लिए
इतिहास का अध्ययन और सहयोग आवश्यक है। वर्तमान काल में प्रशासकीय

इतिहास एतिहासिक साहित्य की एक सम्बन्धपूर्ण शाखा के रूप में विभक्त हो रहा है।

(च) **नाक प्रशासन और समाज शास्त्र तथा कुछ अन्य विज्ञान**
(Public Administration and Sociology and Some
Other Social Sciences)

लोक प्रशासन समाजशास्त्र नीतिशास्त्र भूगोल आदि के साथ भी सम्बन्धित है। मानव व्यवहार के एक पक्ष का सम्बन्ध मनोविज्ञान से होता है। जो दूसरे पक्ष का समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र मानव के उस व्यवहार से सम्बन्धित है जो एक सामाजिक प्राणी के रूप में या समूह के साथ व्यवहार करता है। समाजशास्त्र में सम्प्रदाय और समुदायों के बीच मानवीय सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है और लोक प्रशासन से उसका स्पष्ट सम्बन्ध है क्योंकि ये समूह और संस्थाएँ लोक प्रशासन को प्रभावित करती हैं। समाजशास्त्र जिन सामाजिक सम्प्रदायों की व्याख्या करता है लोक प्रशासन उनकी व्यवस्था करता है। दूसरे शब्दों में तो सामाजिक जीवन समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय है। उभे व्यक्तित्व के विकास का कार्य लोक प्रशासन सम्पन्न करता है। पुनश्च सामाजिक परिवर्तन के बीच मानव सम्बन्धों का विचार होना है और लोक प्रशासन किसी भी रूप में सामाजिक परिवर्तन की उत्पत्ति उत्पन्न कर सकता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन लोक प्रशासन की अनेक मुश्किलों को सुव्यवस्थित करने में सहायक होगा। समूहों के उद्देश्य, उनकी कार्यप्रणाली और अपने सम्बन्धों का प्रभावित करने की उनकी रीतियाँ आदि की समाजशास्त्र से उचित उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी और यद्यपि लोक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है।

नीतिशास्त्र मानव कार्यों के मूल्यांकन के लिए मापदण्ड प्रदान करता है, और इस प्रकार का मूल्यांकन कि लोक प्रशासन के उद्देश्य तथा प्रयासों का भी नीतिशास्त्र की कसौटियाँ पर चलाकर उत्तरना चाहिए। जिन उद्देश्यों के अभाव में स्वस्थ राजनीति की स्थापना नहीं की जा सकती उसी तरह नीतिशास्त्र का अभाव में कार्यवाहीकारी प्रशासन का अभाव के लिये उत्पन्न है। प्रशासन का विकास के लिए नीतिशास्त्र का विचार। यदि प्रशासन के उद्देश्य अनिश्चित हैं तो उक्त प्रशासन का जनता के समर्थन में स्थापना अथवा अभाव में निश्चयी नहीं हो सकता। अतः लोक प्रशासन सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। साथ ही लोक प्रशासन का विकास लोकतांत्रिक व्यवस्था का माँग है कि प्रशासन जनता का अधिकारों का धनुष बनना।

भूगोल अथवा भौगोलिक परिस्थितियों का जनता का जीवन-प्रणाली पर

प्रभाव पड़ता है अतः स्पष्ट है कि भूगोल से शासन प्रणाली भी प्रभावित होती है। भौगोलिक तत्व प्रशासकीय कार्य क्षेत्र की सीमाओं को बहुत कुछ प्रभावित करते हैं। उष्णरगाथ भौगोलिक तत्व (जैसे पर्वत पठार नदी घाटियाँ) संचार एवं सवन्त को सुगम या दुगम बनाकर प्रशासन के क्षेत्रीयकरण की नीति को प्रभावित कर सकते हैं।

स्पष्ट है कि लोक प्रशासन का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध है। इनसे लोक प्रशासन लाभान्वित होकर अपने मंगलकारी स्वरूप को अधिकाधिक सफल बना सकता है और अपनी कार्यक्षमता में चार चाद लगा सकता है।



3

आपचारिक संगठन की अवधारणाएँ आदेश की एकता,
मुख्य कार्यपालिका, कार्य का विभाजन,
पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र

(Concepts of Formal Organisation Unity of Command,
Chief Executive, Division of Work Hierarchy
Span of Control)

वस्तुतः संगठन उतना ही पुराना है जितना मानव समाज। संगठन का अस्तित्व किसी न किसी रूप में आदिम मानव के समय से ही रहा है चाहे आदिम मानव संगठन के विचार से अपरिचित रहा हो। संगठन का साधकान्तिक और सावभौमिक होना उसकी उपादेयता का स्पष्ट प्रमाण है। आज तो हम संगठन मानव के युग में रह रहे हैं। आज हमने संगठन के रक्या को अपने नियम मूल्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। श्यक्तियाँ को पहचानने के लिए हम सबसे पहल प्रायः यही देखने हैं कि वे किस प्रधान संगठन के सन्ध्य हैं। संगठन उद्देश्य और प्रणाली की दृष्टि में आर्थिक, राजनीतिक, शकलिक आदि विभिन्न प्रकार के होते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में हमारा सम्बन्ध प्रशासनिक संगठनों से है।

संगठन का महत्व

(Importance of Organisation)

प्रशासन नीति का अनुगामी होता है अतएव नीति को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक संगठन की आवश्यकता होती है। प्रशासन एक सहकारी प्रक्रिया है जिसके कार्य और श्यक्तियों का पानन को एक श्यक्ति सहो कर सक्ता उसमें अनेक श्यक्ति पूव निर्धारित योजना के अनुसार मिलकर कार्य करत है। योजनाबद्ध व्यवहार संगठन की एक प्रमुख मौलिक विशेषता है। प्रशासनिक संगठन एक सामाजिक संगठन है जिसमें विभिन्न मनुष्यों के व्यवहार में एक निश्चित प्रत्याशा रहती है। सरकार जब भी कार्य नया कार्य हाथ में लती है तो सरकारी प्रशासनिक संगठनों की स्थापना की जाती है।

समान का शान्तिपूर्ण और स्वस्थित जीवन संगठन की अनुपस्थिति में सम्भव नहीं है। कोई भी समुदाय संगठन बिना प्रभावी और सन्धिय रूप में काम नहीं कर सकता। प्रशासकीय संगठन की आवश्यकता और जटिलता पिछली कुछ दशकियों में बहुत अधिक बढ़ी है। राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार के साथ प्रशासकीय संगठन के कार्यक्षेत्र का विस्तार होना स्वाभाविक है। प्रशासन की कार्यक्षमता बहुत अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन स्वस्थ है अथवा नहीं और संगठन की सफलता का मापकन इस बात में किया जाता है कि वह अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में किससीमा तक समर्थ है। प्रशासनिक संगठन राष्ट्रीय तन्त्रों को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। किसी भी प्रशासनिक संगठन के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं—सरकारी कार्यों का उस तरह से आवरण कि उनका निष्पादन कुशलता और मितव्ययता के साथ हो सके तथा एक ही कार्य सम्पादन का दायित्व एक से अधिक अभिकरणों में निहित न हो जाए एवं प्रशासनिक दक्षता की सत्ता और उत्तरदायित्व को उस तरह परिभाषित करना कि उन पर सार्वजनिक एवं राजनीतिक नियंत्रण का दायित्व किया जा सके।

आज के युग में संगठन का महत्व अत्यंत अधिक है। औद्योगीकरण का दृष्टि से उन्नत देशों में तो बड़ी संख्या में लोग अपने समय का एक बड़ा भाग संगठन में ही व्यतीत करते हैं। बहुत से लोगों के लिए संगठन उनके परिवारों के एक बड़ा भाग का प्रतिनिधित्व करता है और यदि यह कह दिया जाए कि उनका व्यवहार ही संगठन का हो गया है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। यही कारण है कि कुछ अर्थों में संगठनों के अध्ययन के माध्यम में उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति तथा उनका आचार विचार में अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाना पड़ा है। संगठनों के अध्ययन क्षेत्र का भी काफी विस्तार हुआ है क्योंकि उनके विकास और विनाश एवं औद्योगिकी के प्रभाव में संगठनों तथा उनसे सम्बन्धित समस्याओं का अधिस्त विस्तार बना दिया है। संगठन में व्यवहार का राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र अर्थशास्त्र मानवशास्त्र मनोविज्ञान

तिहास गणित तथा जीव विज्ञान के अर्थों में स्पष्ट करने के प्रयत्न किए गए हैं। वर्तमान ज्ञान की तीसरे दशक के अन्तिम एवं चौथे दशक के प्रारम्भिक चरण में जातीय प्रयोग किए गए उप-पुनस्वरूप संगठन के लौकिक अथवा संरचनात्मक सिद्धांत (Physiological or Structural Theory) में विश्वामूर्ति मिश्र द्वारा है और संगठन की धारणा के सम्बन्ध में धनरु ने सिद्धांत का जन्म दिया है यथा— व्यवहारवादी सिद्धांत (Behavioural Theory) खेल सिद्धांत (Game Theory) विनिश्चय सिद्धांत (Decision Theory) सूचना सिद्धांत (Information Theory) संचार सिद्धांत (Communication Theory) समूह सिद्धांत (Group Theory) अभिप्रेरण दृष्टिकोण या उपागम (Motivational

Approach) औपचारिक संगठन की प्रवधारणा (Concept of Informal Organisation) अर्द्ध गणितीय उपागम (Quasi mathematical Approach) मानव सम्बन्ध उपागम (Human Relations Approach) आदि ।

संगठन के महत्त्व का उचित करत हुए ला सवरी फिश (Lounsbury Fish) ने लिखा है कि संगठन की उपयोगिता चाट से कटा आघक गता है । यह वह तंत्र = जिमकी सहायता से प्रवध व्यवसाय का संचालन समवय तथा नियंत्रण करता है । यह वास्तव में प्रवध की प्राधान्यता है । यदि संगठन का योजना में का दोष रह जाता है तो प्रत्येक व्यवस्था का कार्य बठिन एव प्रभावहीन हो जाता है । इसके विपरीत यदि वह विद्यमान आवश्यकताओं का पूर्ति करने के लिए स्पष्ट तर्क संगत एव पूर्व नियोजित = ता यह समझना चाहिए कि स्वस्थ प्रवध की प्राथमिक आवश्यकता की प्राप्ति की जा चुकी है । लुस ए एलन (Allen Louis A) का उक्त म स्वस्थ संगठन प्रतिष्ठा की सफलता एव निरन्तरता में महान् योगदान दे सकता है । स्वस्थ संगठन प्राप्त और प्रवध का सुविधा जनक बनाता है उसके विकास एव विविधीकरण का प्रा साहित करता है तकनीकी सुधारा के अधिकतम उपयोग के अवसर प्रदान करता है मानवीय शक्ति के मानवीय उपयोग को प्रोत्साहित करता है एव रचना मक विचारा एव सज्जिता का उपन करता है ।

प्रशासन एव प्रवध के उभय संगठन के महत्त्व को विस्तार से निम्न रूप में देखा जा सकता है—

(1) प्रवधकीय कार्यकुशलता में वृद्धि करना (Increases Managerial Efficiency)—भावपूर्ण संगठन के अतगत कार्य निष्पादन में किसी प्रकार का देरी तथा दोहराव नहीं होता है । सबका विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तर दायित्व एव अधिकार सौंप जाते हैं । इस संगठन का कमचारियों की याचनाओं गुणा आदि का पूरा पूरा जाम प्राप्त होता है । इस आपसी मनमुगव तनाव तथा असहयोग का अभाव पाया जाता है और इसके परिणामस्वरूप संगठन की कार्य क्षमता का विकास एव उसमें वृद्धि होती है ।

(2) मानवाय साधनों का अधिकतम उपयोग (Maximum Utilization of Human Factors)—संगठन में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण अपनाया जाता है । एक अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वनी कार्य दिया जाता है जिसका वह आसानी से कर सकता है तथा जिसके वह योग्य हाता है । संगठन के माध्यम से ही विशिष्टीकरण अपनाया जाता है और विशिष्टीकरण के माध्यम से ही समस्त मानवीय साधना का अधिकतम उपयोग सम्भव होता है । कार्य के अनुसार व्यक्ति तथा व्यक्ति के विशिष्टीकरण के जाम प्राप्त हाता है । इस योग्य रक्षिता का शक्ति एव योग्यता का दुरुपयोग नहीं हाता है ।

(3) विभिन्न क्रियाओं का आनुपातिक एवं सन्तुलित महत्त्व (Proportionate and Balanced Emphasis on Various Activities)—संगठन के विभिन्न विभागों कायों संपन्नो उद्देश्यों तथा समस्याओं का अपना अपना महत्त्व होता है संगठन का कार्य इन विभिन्न क्रियाओं के आनुपातिक महत्त्व को स्वीकार करते हुए उनमें सन्तुलन स्थापित करना होता है। सबसे पहले महत्त्वपूर्ण कार्यों एवं समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए और उनमें पश्चात् अन्य कार्यों एवं समस्याओं की साधना की सीमा मरकर देखना चाहिए। इस प्रकार संगठन द्वारा कार्यभार कमचारियों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों तथा विभागीय प्रशासन में इस प्रकार आनुपातिक सन्तुलन स्थापित करना चाहिए कि सस्था अपने उद्योगों में प्रतिस्पर्द्धा में सुखी हो।

(4) समन्वय को सुविधाजनक बनाना (Facilitates Coordination)—किसी भी संस्था में विभिन्न विभागों अणियों कायों और क्रियाओं स्थितियों एवं नौकरियों को संगठन के सरचनात्मक सम्बन्धों से जोड़ा जाता है। इन विभिन्न विभागों उपविभागों कायों एवं क्रियाओं का समन्वय संगठन के माध्यम से ही सम्भव होता है अथवा संगठन अपने उद्योगों का प्राप्त करने में असफल हो सकता है। इस समन्वय के परिणामस्वरूप संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और उद्योगों का प्राप्त करने में सुगमता रहती है।

(5) प्रबंधकों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायक (It helps the Development of Managers and Training Facilities)—एक प्रभावपूर्ण संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रबंधकों के विकास एवं उनके प्रशिक्षण को सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। संगठन के अंतर्गत विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर कार्य करने वाले कमचारियों का बतानिक चयन किया जाता है। उनको उचित प्रशिक्षण देकर उनकी कुशलता एवं योग्यतानुसार उनका कार्य दिया जाता है। पत्राति दी जाती है और समय समय पर उनको अलग अलग विभागों में कार्य दिया जाता है। इससे प्रत्येक कमचारी व अधिकारी को अलग अलग प्रकार के कार्य करने और उसका जिम्मेदारी निभाने का अवसर प्राप्त होता है। वह एक विशिष्ट कार्य के बाध्य ही नहीं रहता बल्कि वह अन्य सामान्य कार्य (प्रशासन आदि) करने में सक्षम हो जाता है। यह सहायता कार्य परिवर्तन सामयिक प्रशिक्षण पदान्ति प्रयोग आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

(6) उपक्रम का विकास एवं विस्तार (Growth and Expansion of Enterprise)—एक अर्थात् संगठन संस्थान के विकास हेतु एक ढाँचा प्रदान करता है। बिना प्रभावपूर्ण संगठन के कोई भी उपक्रम दीर्घकाल तक नहीं चलाया जा सकता है। वह उपक्रम जिनमें भूखंडों, पत्तिकापरत हात हैं तथा विभिन्न प्रकार की कार्यात्मक क्रियाएँ होती रहती हैं व सब प्रबंध के संगठनात्मक कार्य का

परिणाम हैं। प्राथमिक प्रवसाय जगत् में सफलता हेतु प्रत्येक उपक्रम को नवप्रवृत्त और विभिन्न क्रियाओं में विस्तार करना आवश्यक है। यह कवल संगठन के माध्यम से ही हो सकता है अतः प्रभावपूर्ण संगठन उपयुक्त के विकास एवं विस्तार का उपक्रम वसावरण प्रदान करता है।

(7) भ्रष्टाचार को रोकना (Prevention of Corruption)—एक दुर्गम संगठन में भ्रष्टाचार का बढावा मिलता है। इस प्रकार के संगठन में चाहे प्रयास ही अथवा मृग सभी में वेईमानी पा जाती है। समय के अनुसार यदि प्रभावपूर्ण संगठन में समायोजन नहीं किया जाता है तो एक दुर्गम संगठन के सभी कार्य बस भी उपलब्ध हो जाते हैं। एक प्रभावपूर्ण संगठन निष्ठावान ईमानदार चरित्रवान योग्य महत्ती एवं सहयोगी कमचारियों का विकास करना है। संगठन से ही कमचारियों का मनोबल ऊंचा उठता है और कार्य करन हेतु प्रेरणा तथा उत्साह प्राप्त होती है। एक गतिशील ढांचे वाली संगठन संरचना में सब कार्य में समयानुसार बदलन का प्रवृत्ति पाई जाती है और इससे विभिन्न भ्रष्टाचार के तरीकों का सफाया हो जाता है।

(8) अन्य लाभ (Other Benefits)—एक प्रभावपूर्ण संगठन से प्राप्त हान वाले लाभों के रूप में भी इसके महत्त्व का अध्ययन किया जा सकता है। य निम्न प्रकार से हैं—

(1) प्रभावपूर्ण संगठन स प्रम व पू जी में आपसी सहयोग एवं सद्बिश्वास उत्पन्न होता है और इसके परिणामस्वरूप देश में औद्योगिक शान्ति की स्थापना संभव होती है जो किसी भी देश के द्रत आर्थिक विकास हेतु एक परमावश्यक शत है।

(2) प्रभावपूर्ण संगठन के अतगत संस्थान को बस ढंग से चलाया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

(3) प्रभावपूर्ण संगठन के माध्यम से उत्पादन के क्षेत्र में समय समय पर अपनाए जाने वाले तकनीकी सुधारों से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इससे प्रभावपूर्ण तकनीकी सुधार होते हैं।

(4) प्रभावपूर्ण संगठन के माध्यम से सभी साधना (मानवीय मशीन माल आदि) के सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों को एकीकृत एवं प्रभावशाली बनाने में सफलता मिलती है। अतः प्रयासों का अप्रत्यक्ष नहीं हागा और कम समय में कम लागत पर अधिकतम उत्पादन सम्भव हो सकेगा।

संगठन का अर्थ एवं प्रकृति

(The Meaning and Nature of Organisation)

संगठन का अर्थ—संगठन में संरचना और मानव सम्बन्ध दोनों निहित हैं। यह प्रशासन का मूल भाग है। उद्देश्य की सफल प्राप्ति अथवा प्रयाजन की पूर्ति के लिए जो साधना को हम निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार जुगुना चाहते हैं वहां

संगठन है। संगठन उद्देश्य प्राप्ति के लिए किए जा रहे कार्य की एक ऐसी योजना की ओर निर्देश करता है जिसे सफल बनाने का यत्न किया जाए एक समूह में निश्चय कर लिया जाए और जिसकी प्राप्ति के लिए वह सामूहिक रूप से प्रयत्नशील है।

संगठन के परम्परागत विचार में मानव सम्बन्धों को स्थान नहीं दिया गया है। परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार संगठन एक ऐसी संरचना व्यवस्था (Structural Arrangement) है जिसके द्वारा एक निर्धारित उद्देश्य के लिए कार्य को विभाजित, यत्नसिद्ध परिभाषित और समन्वित किया जाता है। संगठन का निर्माण विज्ञान विद्या की पति के लिए किया जाता है। संगठन कार्य करने का ढाँचा मान है जिसके द्वारा कोई विशिष्ट कार्य सम्पन्न होता है। कार्य के सम्पूर्ण विस्तार को विभाजित करके परस्पर सम्बन्धों का एक ढाँचा तैयार कर लिया जाता है जिसके फलस्वरूप एक संगठन की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार के विचारों से प्रथम दृष्टिकोण में मानव की भूमिका उपेक्षित है। इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि संगठन में व्यक्ति क्या योगदान करता है। समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार संगठन का वह कोई भी अर्थ ग्रहण है जिसमें मानव सम्बन्धों को स्थान नहीं दिया गया है। संगठन के अर्थ का समकालीन दृष्टिकोण व्यवहारवादियों और समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रभावित है जिसके अनुसार संगठन का कार्य भी सिद्धांत व्यक्ति की योजना में कर सकता है और यदि करता है तो अर्थ अपने ऊपर खतरा मान लेना ही करता है। व्यक्ति अर्थवादी मानव अर्थक संगठन में समस्त क्रियाओं का केन्द्र होता है संगठन के कार्य संचालन में मूलस्वपण योग देता है। संगठन चाटों, रेखा निम्नो या अनुपदेशों का ढाँचा मान न हाकर एक सत्कारी मानवीय क्रिया है और संगठन के सम्बन्ध में असा कोई भी विचार या सिद्धांत मानव सम्बन्धों को न्याय देता है यह उन पर विचार नहीं करता अनुचित व्यवहारिक तथा अवास्तविक है। कोई भी प्रशासन मोटर के इंजन की भाँति किसी यांत्रिक पुर्जों से मिलकर नहीं बनता बल्कि मनुष्यों से मिलकर बनता है और यदि हम एक प्रशासनिक संगठन के मानवीय पक्ष की उपेक्षा करते हैं तो इसका अर्थ प्रशासन के हृदय (Heart of the Administration) की उपेक्षा करना होगा। मिलवर्ड (Milward) ने लिखा भी है कि संगठन अपने आप में कुछ भी नहीं करता, जो कुछ भी करते हैं संगठन के प्रतिवाय अर्थ अर्थात् कमचारी ही करते हैं।¹

संगठन की अर्थक परिभाषाएँ दी गई हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

संगठन का अर्थ है किसी उद्देश्य की पति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करने और उन्हें ऐसे ढंग में प्रमवद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंप जा सकें।

—उर्विक

संगठन का आशय यक्ति यक्ति के बीच तथा बग बग के बीच उन सम्बन्धों की स्थापना से है जो इस प्रकार आयाजित किए जाए कि यथावत काम विभाजन किया जा सक। —पिण्डर

सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव महयोग का नाम ही संगठन है। —मने

संगठन उमरों की ओर मकत करना है जो मुख्य कायपात्रिका तथा सरकार के उसके अधीनस्थों का सीप भए कार्यों को सम्पन्न करने के लिए विकसित किया जाता है। —एम माक

संगठन सत्ता का श्रीपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित कार्य की प्राप्ति के लिए कार्यों का विभाजन और निर्धारित किया जाता है तथा उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। —लूथर गुलिक

किसी वांछित ध्येय की पूर्ति के लिए आवश्यक मनुष्यों पदार्थों उपकरणों सामग्री काय स्थान तथा अन्य वस्तुओं का ऐसा सम्मिश्रण संगठन कहलाता है जिसमें इन तत्त्वों को व्यवस्थित तथा प्रभावशाली ढंग से समन्वित किया जाता है। —जे विलियम गुज

संगठन कमचारियों की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक विभिन्न प्रकार के कार्य एवं उत्तरदायित्व समन्वित करते हुए निश्चित योजना का सुचारु रूप से पथ किया जाता है। —जे एम गोस

संगठन परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के बग का ही नाम है।

—साइमन

साइमन (Herbert A Simon) संगठन के समकालीन दृष्टिकोण के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधियों में अग्रणी है। उनका स्पष्ट अभिमत है कि संगठन कायकारी सम्बन्ध (Working Relationship) का एक ढांचा मात्र ही नहीं है बल्कि इसमें कुछ अधिक है—यह उन मनुष्यों के बीच पाए जाने वाली सभी सम्बन्धों का योग है जो एक सामूहिक निया सम्पन्न करने के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं। संगठन केवल एक ढांचा नहीं है अपितु उन शक्तियों के प्रवहार को प्रभावित करता है जो उसमें काम करते हैं। संगठन अपने सदस्यों के मध्य काय विभाजन करके प्रमाणित कायवाहिया की स्थापना करके सरकार के लिए काम का उन तक पहुंचा कर सत्ता एवं प्रभाव का व्यवस्था कायम करके परन्व्यवहार के साधनों का व्यवस्था करके अपने सदस्यों को प्रशिक्षित करके और उन्हें सिद्धांतों का पालन कराकर उनका (सदस्यों को) प्रभावित करता है। सारभूत रूप में संगठन एक मानव समूह का नाम है जिसके सदस्यों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट तथा सुनिश्चित होते हैं कुछ वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ मिलते हैं और एक सरकारी निया के दौरान उनमें बीच सम्बन्धों का एक जटिल पारस्परिक सम्बन्ध

जाता है। प्रकृति, सकारणी प्रयत्न और सामूहिक उद्देश्य संगठन के तीन मुख्य तत्व हैं। डिजाइन एवं वाणिज्यिक नतीजों को लाना है कि परस्पर आदि भागों का उचित प्रमद कर एक ऐसी एकीकृत सम्पूर्ण इकाई (A unified whole) बनाना ही संगठन है जिसके द्वारा एक निश्चित प्रयोजन की प्राप्ति के लिए अधिकार समवय एवं नियंत्रण का प्रयोग किया जा सके। चूंकि अयो-याजित भाग भी मनुष्य के ही बन रहते हैं जिन्हें संचालित और अभिप्ररित करना आवश्यक है तथा जिसका कार्य इस तरह समरित होना आवश्यक है कि उससे उत्तम का उत्थय प्राप्त हो जाए अतः संगठन संरचना तथा मानव जीवन (Structure and Human beings) दोनों को केवल ढाँचे या संरचना के रूप में संगठन को मानने का प्रयत्न करना तथा उसे बनाने वाले मनुष्यों से और जिनके द्वारा उसको गवाए अपित है उनका ध्यान में न लेना पूर्णतः अयथाव्यवहार का तहापी।¹

अंतिम विश्लेषण में विभिन्न परिभाषाओं से संगठन शब्द का प्रयोग मुख्यतः इन तथ्यों को स्पष्ट करता है—उस क्रिया का रूप जो प्रशासकीय ढाँचे का रूप निधारित करती है ढाँचे के निमाण और डिजाइन के लिए अर्थात् ढाँचे के वायक्रम की योजना बनाना तथा उपयुक्त कर्मचारी नियुक्त करना अन्य प्रशासकीय ढाँचे तथा संगठन सिद्धांत का बुनियादी तौर पर मानवीय होना। कुछ परिभाषाएं संगठन के अर्थ में मानव मध्य के विचार का संकेत नहीं देतीं जबकि संगठन शब्द में दो बुनियादी शर्तें अंतर्निहित हैं। प्रथम किसी कार्य का किया जाना तथा द्वितीय कार्य को पूरा करने में एक मानव समूह लगा हो तो उसका कार्य विभाजन होता। संगठन का कार्य है कि वह उन लोगों के साधना तथा अवसरों की सत्याम अभिवृद्धि करे जिनके लिए उसकी (संगठन की) स्थापना हुई है। किन्ती भी संगठन को परिवर्तनशील और सशोधनशील होना चाहिए अथवा वह विकासशील नहीं रह सकेगा। इसलिए मूल्य ले लिखा है कि कोई भी संगठन, जिसका परिवर्तन रुक गया है मृतप्राय है। संगठन मानव आवश्यकताओं के साथ उत्पन्न होते हैं अतः उनमें आवश्यकतानुसार बदलते हुए मू्यों के अनुकूल रूप लेने की तर्क होती ही चाहिए।

संगठन की प्रकृति

संगठन की प्रकृति को अधिक स्पष्ट करने के लिए उसकी निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है—

1. उद्देश्यपूर्ण प्रकृति—प्रत्येक संगठन को स्थापना कुछ विशय लक्षण अथवा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। एक समय विशेष में स्थित समस्याएं अनेक चुनौतियों को जन्म देती हैं जिनका सामना करने के लिए नए नए संगठनों का निर्माण किया जाता है। नए संगठनों का निर्माण प्रायः तभी किया जाता है जबकि उन्नत

चुनौती को सम्भारना अधिक है। अतः साधारणतया महा प्रयत्न किया जाता है कि पहले से विद्यमान साठना तारा ही चुनौती का मुकाबला किया जाए।

12 परिवर्तनशील प्रकृति—सगठना का रूप परिस्थितियों और आवश्यकताओं के साथ बदलता रहता है। जिस समस्या के समाधान के लिए एक सगठन स्थापित किया जाता है उस समस्या के समाप्त हो जाने पर अलग भा समाप्त कर लिया जाता है। जिन समस्याओं की प्रकृति स्थायी महत्त्व की होती है उनसे सम्बन्धित सगठन भी स्थायी होता है। नम गि ता विभाग अथवा चिकित्सा विभाग।

13 विकासशील प्रकृति—परिस्थितियों के अनुसार सगठन में भी परिवर्तन परिवर्द्धन आते रहते हैं। यदि ऐसा न किया जाए तो सगठन के निष्पत्ति और निरर्थक बन जाने का भय रहता है। अतः निम्नलिखित बातें हैं कि जिस सगठन में परिवर्तन आता है वह मरणासन्न है। वस्तुतः सगठन एक सक्रिय और विकासशील प्रकृति है जिसमें परिस्थितियों के बदलने के साथ आवश्यक हर कर किए जाते हैं। अतः चिकित्सा के अर्थों में सगठन की सकारण प्रवृत्तियों का आवश्यकतानुसार बदला जाता है। नवान परिस्थितियों के अनुकूल सगठन के कमचालियों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे नए दायित्वों का वहन करने में समर्थ हो सकें।

14 मानवीय एवं यांत्रिक धारणा—सगठन की प्रकृति के सम्बन्ध में मुख्य रूप से दो धारणाएँ पाई जाती हैं—(अ) मानवीय धारणा (Human Approach) एवं (ब) यांत्रिक धारणा (Mechanical Approach)। मानवीय धारणा अथवा मानवीय दृष्टिकोण की भांग है कि सगठन बनाते समय व्यक्तियों मानवीय अभिप्रणयों और अतोपचारिक सामूहिक कार्य संचालन पर अर्थव्यय बत दिया जाए। यांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार सगठन का यह औपचारिक डिजाइन है जिस विशेषज्ञों द्वारा ही बनाया जाता है। सगठन का यह दृष्टिकोण सगठन का एक मशीन का भाति मानता है। जिस प्रकार मशीन की मरम्मत काई इच्छा नहीं होती और चालक का इच्छानुसार उसे चलना होता है उसी प्रकार सगठन का भी अपनी काई इच्छा नहीं है। वह सगठनकर्ता की इच्छानुसार चलता है। सगठन की मानवीय धारणा का औपचारिक सगठन दृष्टिकोण और यांत्रिक धारणा का अतोपचारिक सगठन दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इन दोनों दृष्टिकोणों पर कुछ विस्तार से वर्णन उपरि लिखित है अतः इन पर पृथक् न विवरण आगे किया गया है।

सगठन सिद्धांत और दृष्टिकोण

(Organisation Theories and Approaches)

सगठन की अवधारणा के प्रति विद्वानों द्वारा जो विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तावित हुए हैं उनमें अग्रलिखित उल्लेखनीय हैं—

✓ (1) संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण (Structural Functional Approach)

अथवा

संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत (The Classical Theory of Organisation)

() सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण (Socio Psychological Approach)

(3) नौकरशाही विचारधारा या सिद्धांत (Bureaucratic Theory of Organisation)

(4) व्यवहारवाद सिद्धांत (Behavioural Theory)

(5) खेल सिद्धांत (Game Theory)

(6) विनिश्चय सिद्धान्त (Decision Theory)

(7) सूचना सिद्धांत (Information Theory)

(8) संचार सिद्धांत (Communication Theory)

(9) समूह सिद्धांत (Group Theory)

(10) अभिप्रेरण-दृष्टिकोण (Motivational Approach)

संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण

(Structural Functional Approach)

अथवा

शास्त्रीय सिद्धांत

(The Classical Theory of Approach)

संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण अथवा उपागम को यांत्रिक दृष्टिकोण (Mechanistic Approach) और संगठन की शास्त्रीय विचारधारा (The Classical Theory of Approach) भी कहा जाता है। यह संगठन का परम्परागत (Traditional) दृष्टिकोण है। हैनरी फॉल सपर मुलिक एन उविक जे डी मूने ए सी रले मेरी पाकर फॉलेट तथा आर शॉटन आदि इसके प्रमुख समर्थक हैं। संगठन के संरचनात्मक-कार्यात्मक अथवा परम्परागत या शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार संगठन का अर्थ है—एक औपचारिक ढाँचा जिसकी रचना विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट सिद्धांतों, नियमों और उपनियमों के आधार पर की जाती है।

यांत्रिक अथवा शास्त्रीय दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार संगठन का अर्थ होता है ढाँचे का रूपरेखा तैयार करना। जिस प्रकार एक भवन निर्माणाकर्त्ता भवन बनाना आरम्भ करने से पूर्व तत्सम्बन्धी योजना बनाता है उसकी रूपरेखा तैयार करता है तथा इस दिशा में अपना वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करता है उसी प्रकार एक बाँध बनाने से पूर्व इंजीनियरों द्वारा उसका एक स्काच तैयार कर लिया

जाता है। मनुक्त राज्य अमरिका तथा अन्य विकसित देशों के विशेषज्ञों का एक ऐसा बग तयार होता जा रहा है जो संगठन तयार करने अथवा उसके पुनर्गठन में विशेष महानता प्राप्त करता है। ये संगठन मंत्री बड़ी सुरक्षा से संगठन योजनाओं का रूपरेखा बनाते हैं। वास्तव में इन व्यक्तियों ने अपने अपना व्यवसाय बना लिया है। जब भी किसी व्यक्ति और समुदाय को संगठन बनाने की आवश्यकता होती है तो वह संगठन के इन एजीनिअरों से परामर्श प्राप्त करता है। संगठन की योजना बनाएंगे कि पश्चात् उन्हें त्रिआयित किया जाता है। संगठन के जितने भी पद हों उन सब पर उचित प्रवृत्तियों को नियुक्त किया जाता है। संगठन का योजना बनाने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कितने व्यक्तियों का क्या क्या नियुक्त किया जाना है।

यह यांत्रिक अथवा शास्त्रीय दृष्टिकोण कुछ बातें मानकर चलता है। उदाहरण के लिए मका विश्वास है कि संगठन के माध्यम से अत्यंत स्पष्ट और मधुनित है। इन सिद्धांतों के आधार पर विशेषण जो कि संगठन का ऐसा रूप निर्धारित कर सकें हैं जिनके अनुसार वांछित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस दृष्टिकोण के समर्थकों की दृष्टि में यह है कि व्यक्तियों अथवा कमचारियों को नियुक्त करने से पहले यह आवश्यक है कि संगठन की योजना बना ली जाए। योजना बनाते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि मुख्य बात संगठन का रूप एवं उसका ढांचा तथा संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति गौण हैं। जब संगठन का रूप निर्धारित हो जाएगा तो उसमें काम करने वाले व्यक्ति भी आसानी से मिल सकते हैं अतः कमचारियों का चुनाव करते समय सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिए कि क्या वह संगठन की आवश्यकताओं का अनुभव है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह संगठन अधिक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाएगा।

कमचारी प्राप्त करना वास्तव में कठिन कार्य नहीं है। जिस भी कमचारी हम चाहें उसे मिल सकते हैं किंतु संगठन का रूप निर्धारण करने में विशेषज्ञों की पूर्ति भी एक बड़ा प्रश्न है। संगठन के सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित तथा उचित रूप ही है। यदि हमने कमचारियों का ध्यान में रखकर संगठन बनाया तो यह स्वाभाविक है कि उन सिद्धांतों के प्रति पूरा ध्यान न देना पाएगा तो सफल संगठन की विशेषताएं मानी जाती हैं। सन्धि में संगठन का यांत्रिक दृष्टिकोण संगठन का एक महीन मानना है। जिस प्रकार एक महीन का संचालन एक छोटी गारा किया जाता है तथा उसका निमाण भी एक विशेष इच्छा पर अवलम्बित रहता है ठीक उसी प्रकार संगठन की रचना भी इच्छा पर आधारित रहती है। जिस प्रकार एक महीन में दान रहते हैं उसी प्रकार से संगठन में कमचारी बगल रहता है। एन सी क्लॉट के अनुसार यह सरकार में स्थापित मंत्रालय का औपचारिक रूप है जो कानून और उच्च प्रबंधन पर आधारित रहता है। जो कार्य

किया जाना है। उसकी प्रवृत्ति एवं मात्रा पर आधारित रहता है तथा वायु कुशलता की स्थापना के लिए मनुष्य एवं वस्तुओं का अधिक प्रभावशाली उपयोग करता है। अंतराधिरव की आवश्यकता शरीर भी यह नियंत्रित रहता है। शक्ति शरीर इस संगठन की स्थापना एवं कामका समय किया जाता है। अन्तरेवाचित्र शरीर शक्ति किया जाना है। यद्यपि यह अन्न शक्ति सीमित भी है। मनुष्य के रूप में यह वायु सम्बन्ध की मुख्य समष्टि है। एवं अथ विचारक के अनुसार संगठन का यह दृष्टिकोण शरीर को उस अन्तरेवाचित्र से पूर्ण प्रभावित मानता है जो वनानिक शुद्धता पर अधिक ध्यान देना है। रचना की तात्त्विक आधार पर करना चाहता है तथा उसकी यह अन्तरेवाचित्र है कि संगठन द्वारा उठाया जाने वाला प्रत्येक काम सर्वोत्तम होना चाहिए। उसके अतिरिक्त यह संगठन के विभिन्न भागों को सम्पूर्ण अन्तरेवाचित्र में मिलाया चाहता है। इस प्रकार के संगठन की सबसे मुख्य विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें उन कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है जिनसे आशा की जाती है कि संगठन कुशल एवं प्रभावशाली बन सकेगा। संगठन के संबंध में महत्त्वपूर्ण विषय यह है कि सही प्रक्रियाओं को सही स्थान पर लगाया जाए।

संगठन व शक्ति दोनों के महत्त्व का मूल्यांकन करते समय यह विचारधारा जिन विषय पर जोर डालती है वह है संगठन क्योंकि यदि हम संगठन का अनावश्यक अथवा कम महत्त्वपूर्ण मानकर केवल मनुष्य को ही सब कुछ मान बैठेंगे तो हम शक्तियों की स्थिति बनाने पर क्या जोर देते हैं? संगठन को अधिक मूल्य देना मानना पर हम चाहे कि शक्तियाँ का उनका माय्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार स्वयं की स्थिति बनाने के लिए छोड़ दें। ऐसा होने पर हम किसी शक्ति का उच्च अधिकारी बनने तभी मानते जब वह अपनी रचनात्मक शक्तियों द्वारा माय्यता प्रदर्शित कर दे अर्थात् कोई भी शक्ति वास्तव में निपुण नहीं किया जा सकता। एक अतिरिक्त यदि हम किसी शक्ति को नत्ता सौंप रहे हैं तथा उसकी शक्तिगत योग्यताओं के प्रदर्शित होने से पूर्व ही उस कुछ पर सदन की सामर्थ्य दे रहे हैं तो यह भी देखना होगा कि दूसरे लोगों के साथ उसका सम्बंध किस प्रकार रहेगा। इन सभी समस्याओं एवं प्रश्नों के सम्बंध में मुख्य बात यह है कि शक्ति की तुलना में संगठन अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके महत्त्व के दो कारण हैं—प्रथम हमारे समाज के अविभाजित शक्ति अपने जीवन की युवावस्था को संगठनीय मानीत करते हैं। ऐसी स्थिति में संगठन का महत्त्व बन वाला वह यात्रिक दृष्टिकोण ऐसा बनाकर प्रदान करता है जिसमें प्रत्येक शक्ति अपने गुणों एवं आदतों को डाल सकता है उनका विकास कर सकता है। संगठन के महत्त्व का

मग शरत यह है कि इसका जरा जा योग उत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति में है उनको एक ऐसा साधन प्राप्त हो जाता है जिसके जरा दूसरा पर अपनी शक्ति एवं प्रभाव का प्रयोग कर सकें हैं। हम किनी भी कार्यकारिणी के स्वरूप एक सामर्थ्य के दारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक उस संगठन की जानकारी न कर ल जिसमें उस जाय करना है। दूसरे व्यक्तियों के साथ वह कसा व्यवहार करेगा तथा उनका उन पर क्या प्रभाव रहेगा यह उस बात पर निर्भर करता है कि उस संगठन में उनकी स्थिति क्या है।

सार यह है कि यात्रिक अथवा परचनारमक कायात्मक दृष्टिकोण में मनुष्यों की अपेक्षा कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह दृष्टिकोण में अवयत्तिक है जिसे म दक्षता पर अत्यधिक धन दिया जाता है। इस अवधारणा के मुख्य लक्षणा हैं—अवयत्तिकता, लचीलापन, कार्य विभाजन, पद सापान एवं दक्षता।

हान ही में यत्रवानी दृष्टिकोण की बड़ी आलाचना होनी लगी है प्रथम आशेष यह बताया जाता है कि इनमें मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई है जबकि जिसे भी संगठन की वास्तविक प्रकृति को हम केवल यात्रिक ढांचे के अध्ययन मात्र से नहीं समझ सकते बकि उसके लिए हमें संगठन में कार्यरत जागा की मनावृत्ति उनके प्रवृत्त के स्वरूप उनके चरित्र उनकी अभिरचिया और अमलिक योग्यताया आदि की जानकारी प्राप्त करनी हाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता ता एण्डरसन एवं ब्रनिंग के अनुसार संगठन का ढांचा (Structure) बनाने बिना रेखाचित्र दानिक कार्य की परिपाटी नियमावली अनुदेशो (Instructions) अथवा शास्त्र का समूह मात्र ही बनकर रह जाएगा। दूसरी आलोचना यह का जाता है कि यत्रवानी दृष्टिकोण इस तथ की उपेक्षा कर लेता है कि मनुष्य संगठन के लिए नहीं है बरन् संगठन मनुष्य के लिए है तथा मनुष्य और मशीन के पुर्जों का स्थिति एकसी नहीं है।

हैनरी फयोल नगर गुलिक तथा एल उर्विक के विचार

संगठन के शास्त्रीय दृष्टिकोण — प्रमुख समझका में हैनरी फयोल नगर गुलिक तथा एल उर्विक अग्रणी हैं। यह उपयुक्त हागा कि हम उनके विचारों का सार मूल्य प्रस्तुत करें।

हैनरी फयोल (1841-1925) की पुस्तक सामान्य और औद्योगिक प्रशासन (General and Industrial Administration) अपने क्षेत्र में पाचीन और शास्त्रीय रचना है जिसका यूरोप और विशेषकर ब्रिटिश अमेरिका देशों में वाणि प्रबल — विचारों पर किसी अथ प्रथ की तुलना में सम्मन अधिक प्रभाव है। हैनरी फयोल एक अवहारिक एवं अनुभवी व्यवसायी था जिसे संगठन की सभी विधाया का 5 मूला में विभाजित किया है—तकनीकी (Technical) व्यापारिक (Commercial) वित्तीय (Financial) सुरक्षात्मक (Security)

गणना (Accounting) एवं प्रबंधनीय (Managerial)। हैनरी फयोल के अनुसार प्रशासन अथवा प्रबंधन के पाँच तत्त्व होते हैं—नियोजन (Planning) संगठन (Organisation) आदेश (Command) समन्वय (Co ordination) एवं नियंत्रण (Control)। हैनरी फयोल ने सम्पूर्ण के निम्नलिखित 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है जो प्रबंध जगत् को उनकी महान् दान है—

- (1) कार्य का विभाजन (Division of Work)
- (2) अधिकार एवं उत्तराधिकार (Authority and Responsibility)
- (3) अनुशासन (Discipline)
- (4) आदेश की एकता (Unity of Command)
- (5) निर्देश की एकरूपता (Unity of Direction)
- (6) व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित में महत्त्व (Subordination of Individual Interest to General Interest)
- (7) पारिश्रमिक (Remunerating)
- (8) केंद्रीकरण (Centralisation)
- (9) स्तर शृंखला (Scalar Chain)
- (10) व्यवस्था (Order)
- (11) समता (Equity)
- (12) कर्मचारियों के पदा की स्थिरता (Stability of Tenure of Personnel)
- (13) प्रेरणा (Initiative)
- (14) सहयोग की भावना (Esprit de Corps)

हैनरी फयोल ने संगठन अथवा प्रशासन या प्रबंध के इन सिद्धांतों को सावभौमिक माना है। प्रत्येक क्षेत्र में सिद्धांतों का लागू किया जा सकता है।

संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत अथवा विचारधारा का अग्रणी व्यक्ति प्रोफेसर लथर गुनिक तथा एन उर्विक द्वारा 1937 में सम्पादित प्रशासन विज्ञान पर लेख (Papers on the Science of Administration) में किया गया है। एन उर्विक की प्रख्यात पुस्तक प्रशासन के तत्त्व (The Elements of Administration) में भी संगठन के इस परम्परागत दृष्टिकोण पर विस्तार से विचार यथेष्ट किए गए हैं। लथर गुनिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्डकोब (POSDCORB) नाम से संप्रोक्त किया है। गुनिक के अनुसार पोस्डकोब शब्द उन अक्षरों से बना है जो इन कार्यों का उल्लेख करते हैं—नियोजन (Planning) संगठन बनाना (Organising) कर्मचारियों को नियुक्ति करना (Staffing) निर्देशन (Directing) समन्वय (Co ordinating) प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करना (Reporting) और बजट तैयार करना या वित्तीय प्रशासन (Budgeting)।

जसा कि हम लोक प्रशासन की परिभाषा के सन्दर्भ में बता चुके हैं कि पास्टकोव विचार वग की भावना है कि योजना संगठन कमचारिया का निर्देशन कार्यो का समायोजन तथा नियंत्रण रिपोर्ट बन्द की तयारी आदि के मौलिक बातें हैं। जिनका ज्ञान किसी भी प्रशासक के लिए अनिवार्य है और यदि पास्टकोव की इन प्रक्रियाओं का मौलिक ज्ञान किसी व्यक्ति को है तो वह सभी प्रकार के संगठनात्मक किसी भी प्रकार के क्षेत्र का प्रशासन चला सकता है। ये प्रक्रियाएँ अथवा प्रक्रियाएँ प्रशासन अर्थात् प्रबंध के समस्त क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन को एक विशिष्ट तकनीकी ज्ञान मानता है और हम दृष्टि से प्राक्वेत तथा पत्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत क्षेत्रीय न मानकर पद्धतीय मानता है। पोस्टकोव का ही लोक प्रशासन का क्षेत्र मानने वाले थर्न गुनिक का "स वा" पर आग्रह है कि लोक प्रशासन एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जिसे एक विज्ञान की तरह पढ़ा जाना चाहिए। आज इसी विशिष्टीकृत ज्ञान के विचार को लेकर "व्यवस्था विज्ञान (Managerial Science) आगे बढ़ रहा है। पोस्टकोव प्रक्रियाओं को प्रशासन का अनिवार्य मूल बिन्दु मानता है तथा अमेरिका में प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन में एक पीढ़ी से भी अधिक समय से यह विचार विशेष प्रभावशाली रहा है।

आलोचना के अनुसार संगठन की शास्त्रीय अथवा मानव विचारधारा बहुत ही सकील है और जिसे सिद्धान्तों की रसक द्वारा चर्चा की गई है वह कदाचित्त मान है उनसे न तो लोक प्रशासन के अर्थ और क्षेत्र का पूरा बोध होता है और न ही लोक प्रशासकों के मांग दर्शन की दृष्टि से उनका महत्त्व है। इन क्रियाओं के वास्तविक प्रशासन के क्षेत्र में शास्त्रीय विचारधारा के योगदान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। शास्त्रीय दृष्टिकोण ने उत्पादन-वृद्धि में विवेकपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दृष्टिकोण ने ही सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया कि प्रशासन को एक स्वतंत्र क्रिया मानकर उसका बौद्धिक अन्वेषण किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम इस दृष्टिकोण ने ही प्रशासन के क्षेत्र में व्यवधारणाओं और शक्तियों पर बल दिया जो हम क्षेत्र में परिवर्ती शोध का आधार बनीं। शास्त्रीय दृष्टिकोण की क्रियाओं ने संगठन तथा उनके प्रवर्तन के भावी शोध को प्रेरणा प्रदान की। इस प्रकार यह दृष्टिकोण संगठन की विचारधाराओं के विकास में मौलिक वा महत्त्वपूर्ण पथ सिद्ध हुआ।

(2) सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
(Social Psychological Approach)

सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का मानवतावादी दृष्टिकोण (Humanistic Approach) भी कहा जाता है। सरचनात्मक प्रकाशनात्मक दृष्टिकोण की तुलना में यह मानवतावादी दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक नवीन

अवधारणा है जिसे अमेरिका में इसी शताब्दी के तीसरे दशक में प्रतिपादित किया गया है। इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं—एल्टन मेयो (Elton Mayo) और उनके सहयोगीगण। इन लोगों ने वेस्टन इलेक्ट्रिक कम्पनी के हाथान मय पौ (Hawthorne Plant) के सम्बन्ध में अग्रगामी (Pioneering) प्रयोग किए थे जिनसे फलस्वरूप इन विचारधारा अथवा दृष्टिकोण को प्राप्त माना गया। सामाजिक मनोवैज्ञानिक अथवा मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुगार सगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति परस्पर इस प्रकार सम्बन्धित रहते हैं कि प्रत्येक का व्यवहार सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है। जब कुछ व्यक्ति दीर्घकाल तक मिलकर काम करते हैं तो उनमें भावनात्मक और व्यक्तिगत (Subjective and Personal) सम्बन्ध विकसित हो जाते हैं जो औपचारिक सम्बन्धों से भिन्न होते हैं अथवा उनके विपरीत भी हो सकते हैं। वास्तविक व्यवहार में सगठन कटाक्षित ही इस प्रकार से व्यवहार करता है क्योंकि किसी भी सगठनकर्ता को मानवीय तत्त्व इच्छानुसार प्राप्त नहीं हो पाता। वह व्यक्तियों के व्यवहार उनकी आदतों और याग्यताओं की ही आवश्यकता के अनुसार नहीं बदल सकता। वह तो केवल उपलब्ध मानव-तत्त्व का अधिकाधिक ही प्रयोग कर सकता है।

मानवतावादी अवधारणा मनुष्य को मानवीय अभिप्ररणाओं और औपचारिक सामूहिक कार्यसंघानों पर बहुत अधिक बल देती है। इन दृष्टिकोणों का आग्रह है कि सगठन के रूप पर विचार करते समय मदक यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कार्य जो वस्तु नहीं है बल्कि नियोजित एवं सजग व्यक्तियों का समूह है। इस सम्बन्ध में रोथर्स बजर के शब्दों में उद्धृत किया है कि मानवीय समस्याओं को अमानवीय उपकरणों से अमानवीय आधारों से सामग्री के रूप में संवहान का प्रयास करते हैं। यन् मेरी एक आधारणा भी धारणा है कि मानवीय समस्या को मानवीय समाधान का ही आवश्यकता होती है। जब हम किसी समस्या को देखें तो सबसे प्रथम हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वह मानवीय समस्या है और यह जानने के बाद हम उससे साथ मानवीय व्यवहार करना सीखना चाहिए। मानवीय समस्या का मानवीय समाधान पाने के लिए मानवीय आधार सामग्री तथा मानवीय उपकरणों की ही जरूरत होती है।¹ इस विचार प्रणाली के एक अर्थ समर्थक है हेनरी फायोल (Henri Fayol) के शब्दों में यदि हम मानव तत्त्व को मिला दें तो एक सगठन की स्थापना बहुत आसान काम बन जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास आवश्यक पूंजी है तथा वह प्रचलित व्यवहार का थोड़ा विचार रखता है तो वह सगठन बनाता होगा किंतु हम व्यक्तियों का समूह में विभाजित करने तथा उनको काम देने मात्र में ही एक प्रभावशाली सगठन नहीं बना सकते। हम यह भी

जानना चाहिए कि सगठन को विषय की आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार ढाला जा सकता है तथा भावश्यक व्यक्तियों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और प्रत्येक का उस स्थान पर कम रखा जा सकता है जहाँ वह अधिक से अधिक सेवा कर सकें।

सगठन के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखने वाला का मत है कि सगठन का श्रीपचारिक रूप उसकी वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर सकता। सगठन में श्रीपचारिक रूप से जो सम्बन्ध स्थापित होते हैं तथा जो व्यवहार होता है उनका कारण सगठन के रूप पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उस प्रभाव की तुलना में अधिक गम्भीर अधिक स्थायी तथा अधिक वास्तविक होता है जो श्रीपचारिकताओं का निवाहन पर पड़ सकता था। सगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति मानव होने के नाते अनेक बाहरी तत्वों से प्रभावित रहते हैं और इसलिए सगठन के नियमों का पालन इन विभिन्न प्रभावों के सम्मेलन में ही किया जाता है। अतः इन विचारों का कहना है कि सगठन का विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनका समधान करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की बहुमुखी प्रकृति का अच्छी तरह समझ लिया जाए। एल डी ह्वार्ट का विचार है कि सगठन का मानवतावादी दृष्टिकोण उन कार्य सम्बन्धों की एक समष्टि है जो दीर्घकाल तक साथ साथ काम करने वाले मनुष्यों की आपसी अंतर्क्रियाओं द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं।¹

वास्तव में सगठन के प्रति ये दोनों ही दृष्टिकोण (यात्रिक एवं मानवतावादी) एकांगी तथा अपूर्ण हैं। दोनों के द्वारा उनके मूल के समझने में तथा विराधी की अनुपयोगिता के विषय में जा तक लिए जाते हैं वे अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। सगठन के प्रति एक सही दृष्टिकोण इन दोनों के संतुलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् सगठन बनाते समय हमें न तो उसके रूप एवं ढाँच की सी अवधान करना चाहते हैं और न ही हम मानवीय तत्त्व का गौण मान सकते हैं। उन उर्वरक न उस समस्या पर विचार करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। उनका कहना है कि मानव तत्व द्वारा जो सीमाएँ निर्धारित हुई हैं उनको बढ़ा चलाकर नहीं कहना चाहिए। सगठनकता का चाहिए कि एक सफल पृष्ठ पर अपने वास्तविक तत्त्व की प्राप्ति के लिए आदेश याचना के वह आग्रह बल हो न। सकता। यदि बलगा तो गिर जाएगा अथवा रुक जाएगा। याचना में जहाँ कहीं भी आवश्यकता है वहाँ व्यक्तियों के अनुसार समायोजन कर लिया जाए। यदि योजना नहीं बनाई गई तो समायोजन की समस्या अधिक दुर्लभ बन जाएगी। यदि पुराने व्यक्ति सेवा निवृत्त हो जाते हैं तथा उनका पद खाली होता है तो वह योजना के अनुसार भरा जाना

चाहिए। उर्विक (Urwick) का मत है कि बिना डिजाइन अथवा योजना के संगठन बनाते समय ही नहीं बरन् उसके प्रतिदिन के कार्यों में भी रहता है। संगठन निम्नो अप्र-प्रयी एवं प्रकायकुशल (Cruel Wasteful and Inefficient) बन जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दोना एकांगी मनो के दोष का निवारण हो जाता है। यदि हम समय एवं आवश्यकता के अनुसार योजना में परिवर्तन करने में तैयार हैं तो संगठन बनाने में पूर्व योजना बनाने में कार्य सुरक्षित नहीं है क्योंकि आवश्यक समझना तो करना ही होगा। कोई भी प्रशासनिक संगठन एक मशीन की भाँति पूर्व निश्चित माँग पर नहीं चल सकता। मानव तत्व का प्रभाव जबल संगठन बनाते समय ही नहीं बरन् उसके प्रतिदिन के कार्यों में भी रहता है। संगठन बन जाने के बाद उसके व्यवहार पर भी नवीय तत्व बहुत प्रभुत्व डालता है।

(3) नौकरशाही विचारधारा या सिद्धांत (Bureaucratic Theory of Organisation)

नौकरशाही शब्द अस्पष्ट और अनेकांशक है तथापि प्रशासन के क्षेत्र में इसका प्रयोग सामान्यतः दो अर्थों में किया जाता है—प्रथम प्रशासन के कार्य और पद्धतियाँ की संरचना के लिए एक नैतिक प्रशासनिक अधिकारियों के समूह के लिए। दोसरे प्रशासन के कार्यों में नौकरशाही जितना सुपरिचित और सामान्य प्रयोग में आने वाला शब्द है उतना ही यह वर्तमान आलोचनापूर्ण और अप्रिय भी है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग प्रशासनिक प्रणाली तथा अधिकारियों द्वारा शक्ति के अनुचित प्रयोग के लिए किया जाता है। नौकरशाही का अर्थ पारंपरिक शब्द यूरोप में फ्रेंच भाषा के च्युरो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ एक विभागीय उपसम्भाग अथवा विभाग में है। मध्यम यूरोप में अर्थात् नौकरशाही शब्द का प्रयोग फ्रेंच अर्थशास्त्री विन्सेंट डी गॉर्ने (Vincent de Gournay 1712-1759) द्वारा किया गया था और फ्रेंच अकादमी द्वारा 1798 में प्रकाशित शब्दकोष में इसका अर्थ बताया हुआ था— शासकीय कार्यालयों के अध्यक्षता एवं कमचारियों की शक्ति और प्रभाव। कालान्तर में राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप की परिस्थितियों में यूरोपीय विद्वानों द्वारा इस शब्द का व्यापक प्रयोग किया गया। यूरोप में शब्द की व्यवस्थित व्याख्या 1895 में गिटानो मास्का (Gaetano Mosca) ने अपनी रचना एनामिटी डी सांत्वा पॉलिटिका (Elementi di Scienza Politica) में की जिसका अनुवाद 'रूलिंग क्लास (The Ruling Class) के नाम से 1939 में प्रकाशित हुआ। इसमें लेखक ने नौकरशाही को उन सभी राजनीतिक प्रणालियों के प्रशासन के लिए आवश्यक बताया जिन्हें या तो सामंतवादी या नौकरशाही वर्ग में वर्गीकृत किया जाए।

नौकरशाही की अवधारणा के आधुनिक संस्करण का विकास होता गया और मैक्स वेबर (Max Weber 1864-1920) ने नौकरशाही समाजशास्त्रीय

अध्ययन करत हए एस शब्द को विभिन्न अर्थों से मुक्त किया और इस बात पर बतानिया कि किसी संगठन के उद्देश्य अथवा लक्ष्य की उचित प्राप्ति के लिए नौकरशाही अनिवार्य है। मकम बवर न नौकरशाही को प्रशासन की एक तक संगत और विवकज्ञान (Rational) व्यवस्था मानत हुए इस आदेश प्रकार या रूप (Ideal Type) बताया। आदेश प्रकार की है जिसने लिए संगठन प्रयत्नशील है। नौकरशाही के आदेश प्रकार या रूप की प्रतिपद्य विशपताप्रा का बरण मकम बवर न किया और साथ ही यह मत भी प्रकट किया कि यदि किसी संगठन में य विशपतापण उपनय न हा तो यह आदेश रूप का दोष नग ह वरन् इस बात का प्रतीक ह कि संगठन का उतन हा अशा तक नौकरशाहीकरण (Bureaucratization) न्हा हो सना है। मकम बवर के अनुसार नौकरशाही का आदेश प्रकार या रूप की निम्नलिखित मुख्य विशपताए हैं—

(1) कमचारिया क बीच काय का स्पष्ट वितरण किया जाता है और प्रत्येक कमचारी को अपना काय उचित रूप से सम्पन्न करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है।

(2) पदों में स्पष्ट पद-सोपान होता है और तदनुसार प्रत्येक अधीनस्थ कायालय एवं कमचारी उच्चतर कायालय एवं कमचारी के नियन्त्रण में रहता है।

(3) कमचारी यत्किगत रूप में स्वतन्त्र होते हैं। वे क्वबल अपना पद से सम्बन्धित अवयक्तिक कर्तव्य का सम्पादित करते हैं।

(4) नौकरशाही संगठन में तकनीकी नियमों अथवा नामस के आधार पर कायालय की समूची कायवाही का नियमन किया जाता है।

(5) प्रत्येक कार्यालय के काम स्पष्ट रूप से परिभाषित हात हैं ताकि काम किसी के कायों में हस्तक्षेप न करे।

(6) अधिकारीगण अनुबन्धीय आधार पर नियुक्त किए जाते हैं।

(7) संगठन के कमचारी निर्वाचित नहीं हात वरन् पद-सम्बन्धी योग्यता के आधार पर उनका चयन किया जाता है। योग्यता परीक्षाप्रा द्वारा उनकी तकनीकी योग्यता जाचन और आवश्यक प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दखन के बाद उनकी नियुक्ति की जाती है।

(8) कमचारिया को नकद बतन दिया जाता है और सामान्यतः पेंशन का अधिकार होता है। पदसोपान त्रम में पद की स्थिति क अनुरूप उनका बतनमान निर्धारित किया जाता है। पदाधिकारी अपना पद से त्याग पत्र दे सकता है और कुछ विशेष परिस्थितिया में उसकी सेवाए समाप्त भी की जा सकती हैं।

(9) पदाधिकारी का पद हा उसका मुख्य तथा एकमात्र व्यवसाय हाता है।

(10) प्रत्येक कर्मचारी अपने पद को आजीवन बना बना ही और परिवर्धना या योग्यता के आधार पर उसकी पदोन्नति होती रहती है।

(11) पदाधिकारी न तो अपने पद और उनके सौतेले का दुरुपयोग कर सकता है।

(12) कर्मचारियों पर एकीकृत नियंत्रण होता है और वह प्रशासन प्रणाली के अधीन होता है।

उपरोक्त विशेषताएँ मेक्स वेबर की आदर्श विद्वान और विवरणपूर्ण नौकरशाही के लक्षण हैं। मेक्स वेबर के अनुसार इन विशेषताओं का कारण ही नौकरशाही का सगठन का सर्वाधिक सत्तापन्नक रूप या प्रकार स्वीकार किया जाना चाहिए तथापि अपनी प्राथमिक विशुद्धता में नौकरशाही का यह आदर्श रूप यथायत्न जगत् में कभी उपलब्ध नहीं होता।

नौकरशाही की आधुनिक व्यवस्था का प्रस्तुतीकरण मुख्यतः संरचनात्मक (Structural) तथा कार्यात्मक (Functional) दो दृष्टियों से किया गया है। संरचनात्मक दृष्टि में नौकरशाही का एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था माना गया है जिसमें पदमापन विभागीकरण कार्यकर्ता आदि विशेषताएँ पाई जाती हैं। कतिपय विद्वानों के मते इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। कार्ल फ्रीडरिक (Carl Friedrich) ने लिखा है कि नौकरशाही उन लोगों के पदसोपान कार्यों के विभागीकरण तथा उच्चस्तरीय क्षमताओं से युक्त सगठन है जिन्होंने इन पर कार्य करने के लिए प्रयत्न किया गया है।¹ एक अन्य विचारक विक्टोर थॉमसन (Victor Thompson) के मतानुसार नौकरशाही सगठन में अधिक स्पष्ट श्रम विभाजन द्वारा परिष्कृत स्पष्ट सत्ता का पदसोपान होता है। फ्रीडरिक के अनुसार नौकरशाही एक राजनीतिक शक्ति की सत्ता के अधीन कार्यान्वयन का पदसोपान है।² फरेल हेडी का विचार है कि नौकरशाही का देखने का सर्वाधिक उपयोगी तरीका यह है कि उसे कुछ संरचनात्मक विशेषताओं के रूप में देखा जाए। आज विश्व के प्रायः सभी देशों की नौकरी सेवा में नौकरशाही के सभी भाग प्राप्त करने की चर्चा की जाती है।

कार्यात्मक दृष्टि से नौकरशाही का अध्ययन सामाजिक सामाजिक व्यवस्था की अन्य उप-व्यवस्थाओं पर पड़ने वाले नौकरशाही व्यवहार के प्रभाव का अध्ययन है। स्वयं नौकरशाही भी इस सामाजिक सामाजिक व्यवस्था का एक भाग होती

1 C. I. F. r. i. d. k. M. a. n. n. d. H. G. o. v. e. m. t. p. p. 469-70

2 V. c. t. o. r. T. h. o. m. p. s. o. n. M. o. d. e. r. O. r. g. a. n. i. z. a. t. i. o. n. p. p. 3-4

3 F. d. r. e. l. H. e. d. y. B. e. u. t. o. P. l. i. t. C. o. m. p. a. r. i. s. P. e. c. t. e. J. o. u. r. n. a. l. o. f. C. o. m. p. a. r. i. s. A. d. m. i. n. i. s. t. r. a. t. i. o. n. I. 1969 p. 10

ह। माइकेल क्रोजियर (Michel Crozier) के मतानुसार नौकरशाही व्यवहार में घीभाषण प्रक्रिया की चटिन्ता स्टोन प्रकृति और प्रशासनिक संगठन के सदस्या अथवा सेवित यक्तिया के लिए कुण्डजनक वातावरण आदि बातें शामिल की जाती हैं। प्रा टेरन्टा आइसकी ने नौकरशाही एक ऐसी प्रणामनिक व्यवस्था को माना है जिसमें यंत्रवत् कार्य के लिए उच्छ्रुण्डा नियमों के लिए उच्छ्रुण्डा का बलिदान नियम होने में देरी और नवीन प्रयोगों का अवरोध रटिवाणी दृष्टिकोण आदि बातें प्रभावशाली रहती हैं।¹ चाउ तथा मयर की मायता है कि नौकरशाही संगठन में विशेषीकरण सत्ता का पदसोपान नियमों की व्यवस्था और निर्व्यक्तिकता की विशेषताएँ पायी जाती हैं। एक एम माक्स ने पदसोपान क्षेत्राधिकार विशेषीकरण वावसायिक प्रशिक्षण निश्चित बतन एवं स्यायित्व को नौकरशाही संगठन की विपत्ताएँ स्वीकार किया है।²

(4) व्यवहार सिद्धांत

(Behavioural Theory)

इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संगठन का केवल श्रौपचारिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है बल्कि संगठन के वास्तविक व्यवहार का ज्ञान भी अपेक्षित है। यह आवश्यक नहीं है कि संगठन का श्रौपचारिक ढांचा वावहारिक पक्ष से भिन्न अथवा विपरीत हो क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच एकरूपता रहेगी। फिर भी ऐसे अवसर प्रायः आ जाते हैं जब संगठन का वावहारिक रूप उसका श्रौपचारिक ढांचे से अधिक आगे बढ जाता है।

(5) श्रौडा सिद्धांत

(Game Theory)

इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में वान न्युमन (Von Neumann) तथा मॉर्गेस्टोन (Morgenstein) मुख्य हैं। श्रौडा सिद्धान्त के अनुसार खेल की ही भांति संगठन के भी नियम उपनियम अथवा सिद्धांत दृष्टा करत हैं। श्रौडा सिद्धांत की प्रथम मायता यह है कि भविष्य के सम्भावित यंत्रणार का प्रतिनिधि बन करने वाला विचार एक वृक्ष की भांति होता है जिसमें असंख्य शाखाएँ होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है कि वह उचित शाखा को ग्रहण करे। यह मायता उसे आज के खेल सिद्धांत से भी पुराना है। सन् 1893 के प्रकाशना में भाइमका उल्लेख है। अधिकांश शतरंज के विज्ञानी तथा चूहा के भूत मुलया में दी जाने वाले मनावनानिक इस मायता से परिचित हैं। दूसरे इस सिद्धांत

1 H J Laski Bur a cracy Ency lopaed a f Soc l Sciences III p 70

2 F Marx op ct p 22

की मायता है कि जब व्यक्ति के सामने कुछ विकल्पों में से एक चुनने का प्रश्न आता है तो वह उम चुनता है जिससे अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त कर सके। इस चुनाव को बौद्धिक चुनाव कहते हैं। इस मायता का भी एक लम्बा इतिहास है। प्रसिद्ध तर्कशास्त्री अर्नस्ट ज़ेर्मेलो (Ernst Zermelo) ने सन् 1912 में इस सम्बन्धित विचार प्रस्तुत किए थे। तीसरे इस सिद्धांत में यह विचार निम्नलिखित स्थिति में प्रतिष्ठापण स्थिति में एक मिनी जुली युद्ध नीति अपनाई जाए ताकि विरोधियों द्वारा उस बाहर न निकाला जा सके। यह नीति सबसे सफल नीति मानी जाती है। चौथे बौद्धिक चुनाव के अनुसार प्रतिष्ठापण स्थिति में दो से अधिक विकल्पों में से एक चुनने की दिशा में विचार करने लगते हैं। यह विचार महत्त्वपूर्ण एवं नवीन है जिस सन् 1945 में The Theory of Games and Economic Behaviour पुस्तक में प्रकाशन के साथ प्रस्तावित किया गया था। अभी तक इस विचार का पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है और यह बहुत कम व्यवहृत हुआ है।

खल सिद्धांत नवविद्यी दशाली में एक प्रशासन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया पर जो प्रभाव डाला है उस मनाया नहीं जा सकता। इस सिद्धान्त में अनेक ऐसे नियम दिए हैं जिन्हें नियंत्रण की प्रक्रिया पर लागू करके बौद्धिक चुनाव से लाभदायक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि मनुष्य के चुनाव की विचारधाराएँ बौद्धिक मनुष्य की एक भिन्न यादृश्या पर आधारित हैं। खल सिद्धांत तथा सांख्यिकी नियंत्रण सिद्धान्त का बौद्धिक मनुष्य के बारे में अपना अलग विचार है। सांख्यिकी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक में नीमैन (Neyman) पीयरसन (Pearson) तथा वाड (Wald) प्रमुख हैं।

(6) विनिश्चय सिद्धांत

(Decision Theory)

इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्रिया को दो पहलू होते हैं—नियंत्रण लेना तथा उस कार्यान्वित करना। प्रारम्भ में यह नहीं माना जाता था कि प्रशासन का सिद्धांत नियंत्रण लेने की प्रक्रिया से उसी प्रकार सम्बन्धित रहना चाहिए जिस प्रकार यह कार्य की प्रक्रिया से सम्बन्धित रहता है। इसका कारण सम्भवतया यह था कि नियंत्रण लेने की प्रक्रिया को सम्पूर्ण नीति का ही एक भाग माना जाता था। किन्तु वास्तविकता यह है कि जब किसी समूह का सामाजिक लक्ष्य निर्दिष्ट कर लिया जाता है तो नियंत्रण लेने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। नियंत्रण लेने की प्रक्रिया का व्यवहार करने की प्रक्रिया से अलग सम्बन्ध रहता है। सामान्यतया यह कहना ठीक है कि प्रशासन के सामाजिक सिद्धांत में समूह के वे सभी सिद्धान्त सम्मिलित किए जाने चाहिए जिनसे सही नियंत्रण लेना सम्भव होता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि इनमें प्रभावशाली व्यवहार के को

सम्मिलित किया जाता है। सगठन की निणय उन की प्रक्रिया पर निर खोजा का प्रभाव पडता है उनका भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। प्रशासनिक क्रिया को एक समूह की क्रिया समझा जाता है। साधारण अवस्थाओं में (जहाँ जो शक्ति याजना बनाता है वही उसे निर्वाचित भी करता है) अधिक समस्याएँ उत्पन्न नहीं होती किन्तु प्रशासनिक व्यवहार में अनेक व्यक्ति सलग रहते हैं और उनके व्यवहार के लिए एक विशेष प्रकार की तकनीक अन्वयन की आवश्यकता होती है। इस कारण सामान्य का यह मत है कि सगठन का विश्लेषण करने का सबसे अच्छा तरीका यह देखना है कि निणय कहाँ तथा किसके द्वारा निणय जाते हैं। श्रीपचारिक सगठन के पदसोपान के माध्यम से सगठन के वास्तविक व्यवहार का पता नहीं लगाया जा सकता। श्रीपचारिक रूप से निणय उन के शक्ति विनय तथा मर्यादा जाना है उस पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अधिक प्रभाव पडते हैं कि उन पर निणय उन को भावभी कभी तयार रहना पडता है जिन्हें वह दिन स नहीं चाहता। निणय केना किसी एक शक्ति का कार्य नहीं है बरन् यह तो एक प्राकृतिक है। आज्ञा देने की मायना के बारे में मरी पार्लर फोलेट (Mary Parler Folet) का कहना है कि आज्ञा एक प्रक्रिया की शक्ति है तथा परम्पर मर्यादित अनुभव के कार्य का एक सण है हम हमेशा यह ध्यान रखें कि इस काम को पूरा प्रक्रिया का एक बड़ा भाग न मानकर उतना ही माना जाए जितना कि प्रवस्तु है।

निणय अवस्था विनिश्चय सिद्धान्त (Decision Theory) को परम्परावादी विचारधारणा पर एक करारा प्रहार डताया जाता है। परम्परागत विचारधारणा व्यवहार प्रक्रिया (Action Process) पर अधिक ध्यान देती है। इनका क्षेत्र विदु यह ध्यान रखना होता है कि कार्य पूरा हो जाय। इनके द्वारा जो भी सिद्धान्त प्रतिपादित हुए उनका लक्ष्य कार्य का सम्पन्न करने में सहायता पहुँचाना है। इस प्रकार के सभी विचार विमर्शों में मुख्य ध्यान इस बात की धार रहना है कि क्या कार्य पूरा किया जाना है उस विषय पर ध्यान नहीं दिया जाता कि यह कार्य किस प्रकार पूरा किया जाना है। इस प्रकार निणय सिद्धान्त का एक नाटिकारी कदम कहा जा सकता है। निणय लन को प्रक्रिया में व्यक्ति के कारणों का महत्त्व कम नहीं माना जा सकता। कई पूर्व सन्धानों एवं व्यक्तियों के संयोग का एक विशेष निणय पर प्रभाव रहता है। सामान्य के अनुसार केंद्रीय विचार यह है कि निणय अनेक पूर्ववर्ती विचारों के निष्कर्षों से निकारा जाता है। इन निष्कर्षों का उम मूल निणय का पूर्व विचार बन सकता है। यह निणय अनेक कारणों के निणय से प्रभावित रहता है।

(7) सूचना सिद्धान्त

(Information Theory)

सगठन के सूचना सिद्धान्त की मायना यह है कि किया भी सगठन द्वारा

लिए जान बाल नियमों का प्रकार एवं प्रकृति उसके कमचारियों एवं अधिकारियों का प्राप्त ज्ञान वाली सूचना पर निर्भर करती है। प्रशासकीय व्यवहार में निर्णय-यक्ति संगठन की समस्याओं से सही रूप में सूचित रहने चाहिए। ऐसा होना ही व उपयुक्त नियम लेने में समर्थ हो सकेंगे। प्रशासकीय संगठन में प्रकृति का व्यवहार बुद्धिपूर्ण (Rational) कम होता है तथा भावना प्रवृत्ति आदत प्राप्ति में अधिक प्रभावित रहता है। मनुष्य को एक बुद्धिशील प्राणी मानना अतिशयक्ति एवं तथ्य के विपरीत है। नियम देने की प्रक्रिया में दावा का प्रभाव अधिक रहता है—प्रथम मिनती रहने वाली सूचना और दूसरे उम सूचना का समझने एवं काम में लाने की अधिकारियों की सामर्थ्य। अधिक मनुष्य एवं प्रशासकीय मनुष्य की भाँति प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिपूर्ण नहीं होता। सीमित ज्ञान एवं योग्यता के सन्दर्भ में एक शक्ति जा काय करता है उसका बौद्धिक आधार पर विश्लेषण नहीं किया जा सकता। संगठन के व्यवहार का विश्लेषण करते समय सारथी मनुष्य का ध्यान रखना जरूरी है जिसमें चुनने की समस्या सुनमान की तथा नियम लेने की सामर्थ्य होती है किन्तु यक्ति के पास असीमित शक्ति नहीं होती। वह एक समय में केवल कुछ काय करने तक ही सीमित रहता है और जिन विषयों में वह परिचित है उनमें से भी वह केवल उन्हीं पर विचार कर पाता है जो उसकी स्मृति में सुरक्षित हैं अथवा वातावरण में उपलब्ध हैं।

(8) संचार सिद्धांत

(Communication Theory)

यह सिद्धांत सूचना सिद्धांत के तर्कों के सहार आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसकी मायना है कि एक संगठन की सफलता साधकता एवं काय बुशलता आदि बातें बहुत कुछ उसकी संचार व्यवस्था के रूप एवं प्रकार पर निर्भर करती हैं। जिस संगठन में संचार के सशक्त साधनों का प्रयोग किया जाता है उसके कमचारी एवं अधिकारी तत्कालीन समस्याओं एवं वायदायियों से सही प्रकार परिचित रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप नियम देने का काय सुगम हो जाता है। संचार द्वारा संगठन में दोहरा काय किया जाता है अर्थात् पदसापान के उच्च अधिकारी संचार साधनों द्वारा नीचे के अधिकारियों को विभिन्न सूचनाएँ एवं आनाएँ भेजते हैं तथा नीचे के अधिकारी उच्च अधिकारियों को सूचनाएँ एवं अपनी राय भेजते हैं। नियमों पर प्रभाव डालने वाले सूचना और ज्ञान संगठन में विभिन्न सकेतों पर प्रकट होते हैं। एक संगठन में पाए जाने वाले संचार साधनों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है—औपचारिक संचार तथा अऔपचारिक संचार। औपचारिक संचार उन माध्यमों को कहा जाता है जो जानबूझ कर तथा सचेतन रूप से स्थापित किए जाते हैं। अऔपचारिक संचार संगठन में पाए जाने वाले सामाजिक सम्बन्धों पर निर्भर रहता है। संचार के इन दोनों रूपों का अंतर इनके साधनों की विभिन्नता पर आधारित है।

श्रीपचारिक सचार साधना म स कुछ तो बोत जान धान शक्त के रूप म हात हैं तथा दसर जापनो (Memoranda) तथा पत्रा के रूप म । अनक निखिन साधन विशप प्रकार क होत हैं जिह साधारण पत्रो एव जापना म पृथक करना जरूरी है । संगठन मे सूचना प्रसारित करन के तिए अनक मौमिक साधन काम मे लाए जात हैं । इनके अतिरिक्त जापन एव पत्र भेज जाते हैं कागज डधर मे उधर दोस्त रन्त हैं रिक्काड एव प्रतिवेदन रखे जात हैं तथा माठन क म युग्लस हात हैं । श्रीपचारिक सचार साधन चाह किना भी सशक्त क्या न बना दिया जाए किंतु उम अनोपचारिक साधना क माध्यम से सूचना परामश यर्त तक कि आनाए भी सचालित होनी रहती हैं । अनोपचारिक सचार पवस्था संगठन के सदस्या के सामाजिक सिद्धाता पर निर्मित हाती हैं । दो व्यक्तिया क व च की मित्रता उनक बीच सम्पक के अनक अवमर उपस्थित कर देती है । अनोपचारिक सचार साधना का प्रयोग कभी कभी यक्तिगत उध्या की प्राप्ति क लिए भी किया जाता हे तथा यक्तिगत हिनो की साधना न हान पर सचार साधन कमजोर भी पड सकता है ।

(9) समूह सिद्धांत

(Group Theory)

स सिद्धांत क अनुसार संगठन म हिनो तथा सामाजिक सम्बन्धा के आधार पर गुट बन जात हैं । य गुट संगठन की निणय लेन की प्रक्रिया म बडा महत्वपूण एव प्रभावपूण काय करते हैं । सचार पवस्था पर भी इनका प्रभाव रहता है । संगठन की अनोपचारिक मायता के पीछे संगठन क सदस्यों के सामाजिक सम्बन्ध काय करत हैं । संगठन के पन्सोपान का श्रीपचारिक रूप से जो नम निर्धारित किया है वह अनोपचारिक रूप म भी प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं । कई बार यह देखा जाता है कि निम्न अधिकारी तारा वाम्तवित शक्ति का प्रयोग किया जाता है और उच्च अधिकारी द्वारा केवल हस्ताम्बर मात्र कर लिए जाते हैं । इस प्रकार श्रीपचारिक दष्टि से वह निम्न अधिकारी निम्न स्तराय होत हुए भी अनोपचारिक दष्टि से उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है ।

(10) अभिप्ररण दष्टिकोण

(Motivational Approach)

यह विचारधारा संगठन और उसके कमचारिना की अभिप्ररणाया (Motivations) पर अधिक धन देता है । इसके अनुसार संगठन क रूप और काय प्रणाली म इमक उध्या क अभिप्राया क साथ परिवर्तन होता रहता है । संगठन की बनावट तथा काय प्रणाली पर मानव सम्बन्ध का गहरा प्रभाव पडता है ।

प्रा कुण्टन एव ओ नानद क अनुसार एव सुद एव प्रभावपूण निर्देशन हतु निम्ननिर्दिष्ट सिद्धा न प्रावश्यक है—

1 उद्देश्यों हतु व्यक्तिगत योगदा का सिद्धात—इसके अतगत प्रबधक कमचारिया का अधिकतम काय करन के लिए अरित रिया जाता है ।

2 उद्देश्या की एकता का सिद्धात—व्यक्तिगत समूहा क उद्देश्या का सभा समूहो के उद्देश्या के अनुहन दाा जाता ह ।

3 निर्देशन की कुशलता का सिद्धात—एव कुशल निर्देशन से वांछित उद्देश्या की पूति यू तम गगन पर का जा सक ती है ।

4 आदेश की समानता का सिद्धात—इसके अनुसार अधीन काय करन वाले कमचारिया का आदेश एव ही अधिकारी से प्राप्त होन चाि ए ।

5 प्रत्यक्ष निरीक्षण का सिद्धात—इसके अन्तगत काय का निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाि ए ।

6 निर्देशन तकनीक की उचितता का सिद्धात—दिए हुए काय का करन वाले कमचारिया - निरीक्षण हेतु एक उचित तरीका हाना चाहिए ।

7 प्रबधकीय सदेशवाहन का सिद्धात—किसी भी मस्या में प्रबध सदेशवाहन का प्रमुख माध्यम हाता है ।

8 समझ का सिद्धात—स देश को प्राप्त करने वाला सदेश को अच्छी तरह समझन वाना होना चाहिए ।

9 सूचना का सिद्धात—एव प्रभावपूण सदेशवाहन हतु प्रत्यक्ष रूप से स देश भेजना प्रावश्यक है ।

10 औपचारिक सगठन के मूलमूल उपयोग का सिद्धात—किसी भी उपक्रम में औपचारिक सगठन को मायता दी जानी चाहिए जिसके मृजनात्मक उपयोग हेतु प्रबधको को तयार रहना चाहिए ।

11 नेतृत्व का सिद्धात—सुद एव प्रभावपूण निर्देशन हेतु प्रबधको द्वारा प्रभावपूण एव सफल नेतृत्व रिया जाना चाि ए ।

सगठना के न विभिन्न सिद्धातो और दृष्टिकोणा में सर्वाधिक मन्त्वपूण प्रथम दो ही है अर्थात् यन्वादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण तथा मानववादी दृष्टिकोण । इन दोनों दृष्टिकोणो का अन्तर मुख्यत दो प्रकार के सगठनो की स्थापना करता है—औपचारिक सगठन एव अनौपचारिक सगठन । सगठन के न दोनो स्वरूपो का पृथक से विवेचन करने पर सगठन की यन्वादी और मानववादी अवधारणाओ का और अधिक मञ्ची तरह स्पष्टीकरण हो गकेगा ।

औपचारिक एव अनौपचारिक सगठन की अवधारणाएँ

(Concepts of Formal and Informal Organisation)

औपचारिक सगठन यन्वादी अथवा परम्परागत दृष्टिकोण का प्रतीक

है अधिकृत औपचारिक संगठन मानवतावादी यथवा सामाजिक-मानवशास्त्रिक दृष्टि से का।

(क) औपचारिक संगठन

(Formal Organisation)

श्रीपचारिक संगठन का अर्थ है संगठन का वह स्वरूप जो व्यवस्थित रूप से नियोजित तथा रूपरिक्त किया गया हो और जिन प्राधिकारी सत्ता द्वारा मान्यता दी गई हो। इस वह संगठन है जिसका विचार संगठन-चा श्री नियमावली में किया रहता है तथा जो पदव्यक्त का बाहर से स्थापित होता है। इस संगठन में पहले से ही निश्चित सिद्धांत और उपलब्ध मानव तत्व के अभाव पर ध्यान देना भी जाती है तथा उनका बारे में निश्चित निर्णय या बात है जिनमें सुनने में परिवर्तन नहीं आता। संगठन के विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार में समन्वय स्थापित किया जाता है और यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि एक नस्ल का क्या करना है तथा उनकी शक्तियाँ क्या हैं? इस संगठन के अनुसार, औपचारिक संगठन में, अनुसूच एव दत्त कुछ धारणी नियमों का समावेश होता है जो एक नस्ल को व्यवहार की प्रशिक्षण करते हैं।¹ औपचारिक भाषा में मन्ता (Authority)। भाषों में प्रयुक्त पाना है। प्रथम समूह पर नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों की सत्ता औपचारिक संगठन के कार्यक्रमों की स्थापना पर उस व्यावहारिक रूप में है। इस स्वयं औपचारिक संगठन की यात्रा सत्ता की श्रेणी एव कार्य का विभाजन मान करती है जिसमें संगठन के कार्यों को पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए भारतीय नवद के कानून तक यदि विभाग का स्थापना के मकत है जिसमें विभाग के स्थापना संगठन एवं अभिकर्ता का उत्तराधिकार स्पष्ट कर दिया जाए। इस औपचारिक संगठन को यात्रा से जो अधिक शक्ति प्रदान करता है वह एक ही विभाग के अन्तर्गत औपचारिक संगठन बना सकता है और उसके लिए वह अपने कार्यों के आनन्दित रूप में तथा अपनी सत्ता का हस्तान्तरण करेगा।

श्रीपचारिक संगठन में भाषों का विभाजन करने तथा सत्ता में नस्ल के स्थापित करने से अव्यक्त रूप से एव संचार की स्वरूपा भाषा स्थापित की जाती है। इसके नियमों द्वारा नस्ल का संचार तथा स्थापना किया जाता है जिससे निश्चित युक्ति करती हैं किन किन आचारों का स्थापित किया जा सकता है किन को स्थापित नहीं किया जा सकता तथा किन विषय पर किनके हस्तान्तरण द्वारा स्थापित आदि। औपचारिक संगठन यह मानता है कि इन नियमों से आचारों के नस्ल का प्रयुक्त न जा सकता है। मार्च और सिमन (March and Simon) का कहना है कि संगठन के टांच में संगठन के रूप एव

गलत सम्मिलित होत हुआ अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और जिनमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पिछले तथा धरबड के अनुसार औपचारिक ढाँचा जसा कि प्रतिम सत्ता रखने वाले व्यक्ति देखते हैं एक सरकारी संगठन है। यह सरकारी ढाँचा है और इस प्रकार यह बंध है। औपचारिक संगठन की मुख्य विशेषताएँ होती हैं—उसका वैधानिक होना स्थायी होना आदि। कुछ विचारका का कहना है कि ये दोना ही विशेषताएँ ही औपचारिक संगठन में भी प्राप्त हो जाती हैं। वह वैधानिक मानिए होना है कि उसमें पीछे सामाजिक दबाव होता है और वह स्थायी भी होता है। इन विचारका के मतानुसार संगठन एक जटिल चीज है जिस सामारण रूप से दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता।

औपचारिक संगठन के आवश्यक अंग

औपचारिक संगठन का अर्थ एवं प्रकृति अधिक स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि हम उसका निर्माणकारी तत्वों की जानकारी प्राप्त करें। प्राकृतिक शासन के विज्ञान का कहना है कि संगठन का परम्परावादी सिद्धान्त दार्शनिक रूप से पूर्णतावादी है किन्तु अथवा बुद्धिवादी स्वचालन पर आधारित मानव व्यवहार की व्याख्या आदि के मूल में बना है। जिन वातावरण में हम विचारधारा का जन्म एवं विकास हुआ वह प्रजातंत्र से पूर्व स्थित था। उस समय की रुचियाँ संतावादी थी तथा मूल में बनाए उन सम्प्रादायों में नहीं थी जो तिरकुष प्रकृति की थीं जैसे रोमा कथोलिक चर्च औद्योगिक निगम आदि। औपचारिक संगठन के अनुसार मनुष्य व्यवस्तु (मशीन) होते हैं। यह विचारधारा स्वभावतः एक प्रक्रिया दोनों ही दृष्टियों से बौद्धिक (Rational) है। प्रशासकीय शक्ति बुद्धि के बगैरे उत्पादकता को बना देता है। प्रशासकीय नियम पूर्ण मञ्जूरता के साथ तैयार होते हैं तथा उस समय सभी विस्तृत नियम होते हैं।

संगठन के सभी कार्यकर्ता बौद्धिक दृष्टि से ही कार्य करते हैं। जहाँ मजदूरों का अधिक वेतन देने का पहलू की जाएगी ता वह अपना वेतन बढ़ाने के लिए उपाय अधिक में अधिक मात्रा एवं गति से करना चाहेगा। काम छूट जाने अथवा अनाव की अथवा अवस्था में भूलो मरने के डर से मजदूर लोग प्रतियोगिता में अपना सर्वस्व लगा देते हैं। संगठन की इस परम्परावादी विचारधारा को कुछ विचारका परमाणुवादी अथवा स्थिर स्वच्छिन्न तथा विवेकपूर्ण माना है जो अधिक प्रणामाएँ एवं उत्तजनाएँ पर ध्यान देती है तथा अनाधिक प्रणामाएँ को कोई मन्त्र नहीं देती। संगठन की इस परम्परागत अवस्था के आधार पर विभिन्न विचारका ने संगठन के अलग अलग रूप (Model) प्रस्तुत किए हैं जो मुख्यतः इस प्रकार हैं—

वेबर द्वारा वर्णित रूप (Weber's Model)—समाज विज्ञान के क्षेत्र में औपचारिक संगठन को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रसिद्ध जर्मन विचारक

मकस वेबर को दिया जा सकता है। वेबर ने सामाजिक व्यवहार के नियमों को स्थापित करने का अत्यन्त रुचि रखी है। उसका अध्ययन बहुत कुछ ऐतिहासिक है और इसलिए उसका प्रायः इतिहासकार माना जाता है। वेबर ने यह खोजने का प्रयास किया है कि समाज में शक्ति का कार्य एवं व्यवहार क्या है? वेबर के अनुसार तीन बातों का अधिक प्रभाव पड़ता है —

(अ) समाज के परम्परागत बहिष्कार एवं कानून

(ब) व्यक्तिगत नेतृत्व जिसका चमत्कार भी कहा जा सकता है एवं

(स) सरकार की नीतियों एवं कानूनों को मंचानित करने वाले प्रशासकों का समूह अर्थात् नौकरशाही।

संगठन की नियमित रूप से शक्ति पर प्रमुखतः इन तीनों ही तत्त्वों का प्रभाव रहता है। एक कुशल नेता ऊँचे पद पर न हात डूबे भी मुख्य नियमों में भारी प्रभाव रख सकता है। एडवर्ड हिटलर इसी प्रकार का नेता था जिसके चुम्बकीय व्यक्तित्व के पीछे करोड़ों देशवासी सब कुछ छोड़कर चलने का तयार रहने लगे। नौकरशाही आज के विशालकाय संगठनों की विशेषता है। मकस वेबर के अनुसार नौकरशाही में सामान्यतया य विशेषताएँ पायी जाती हैं — रूप पर जोर देना पदोन्नति की मायता का कार्य का विशेषीकरण उत्तरदायित्व का विशेष क्षेत्र व्यवहार के निर्धारित नियम तथा रिकार्ड रखना। इन विशेषताओं से पूर्ण नौकरशाही अपने आप में एक आदेश है। वेबर नौकरशाही का सर्वोपयोगी मानते हैं। मानवीय व्यवहार बौद्धिक होना चाहिए तथा मर्यादित स्तर पर इसे प्राप्त करने का सबसे अधिक उपाय नौकरशाही है। वेबर का मत है कि प्रशासन एवं नीतियों के बीच विभाजन होना चाहिए। नौकरशाही से युक्त पदोन्नति में ऐसी व्यक्ति ही चुनी जाती हैं जो व्यावसायिक हैं।

वेबर के सिद्धान्त की कई प्रकार से आलोचनाएँ की गई हैं। कुछ लोग इसके तरीके की आलोचना करते हैं—कुछ इसके लक्ष्यों की तथा अन्य इसके मानकों की। प्रायः कहा जाता है कि उनमें अपने अध्ययन के लिए स्वतन्त्र नौकरशाही को चुना था। इसके आधार पर विश्व में संगठनों का किस माप में आ सकता है? पर यह भी सत्य है कि आधुनिक बृहद् संगठनों में अनुभवशून्य शोध किए जा रहे हैं और शोधों में वेबर के मॉडल को आधार बनाकर धाग बनाया जाता है।

मूनी तथा रले द्वारा वर्णित रूप (Mooney & Ralley's Model)— मूनी तथा रले ने 1930 के प्रारम्भ में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था Onward Industry। यह पुस्तक तुरन्त ही बिक गई और मई 1939 में सेंटर शोपक के साथ छापा गया। अब इसका नाम था The Principles of Organisation। यही सिद्धान्त मूनी का प्रयोग विचारधारा (Theory) के लिए ही किया गया है। आधुनिक विचारकों द्वारा इसकी आलोचना की जाती है क्योंकि

उनके मतानुसार Principle तथा Theory वा भिन्न अर्थ देने शक्य है ये एक दूसरे से पर्याय नहीं माने जा सकते। Principle ता कानून का समानार्थक है। दोनों में उच्च मात्रा में नियमितता पाई जाती है। Theory का अर्थ पूरे ढाँचे से है जिसमें अज्ञान के सभी पहलू—घातक एवं बाह्य साधक सम्बन्धों को ध्यान में रखा जाता है।

मूना तथा रल द्वारा वर्णित रूप (Model) में सिद्धांत को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है—

1/ **समन्वय का सिद्धांत (The Co-ordinative Principle)**—यह सिद्धांत समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों में एकता की स्थापना करता है तथा सत्ता एवं नतुत्व की आवश्यकता पर जोर देता है।

2/ **वर्तमान का सिद्धांत (The Scalar Principle)**—इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता का उच्च रूप में (Vertically) अर्थात् प्रशासन की इकाइयों में कार्य का विभाजन कर दिया जाता है।

3/ **कार्यात्मक सिद्धांत (The Functional Principle)**—यह विशेषीकरण का सिद्धांत है। उदाहरण के लिए पटन सेना के एक अधिकारी तथा अग्निशक्ति के एक अधिकारी की उच्चता अंतर है वह कार्यात्मक है क्योंकि इन दोनों के कार्यों में असमानता है।

4/ **स्टाफ तथा लाइन (Staff and Line)**—लाइन सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है जबकि स्टाफ का तात्पर्य परामर्श एवं विचार में है। दोनों के बीच विरोध अथवा भिन्नता इनकी नहीं है कि इनका संगठन के विभाजन का आधार मान लिया जाए। प्रसल में ये संगठन के एकीकरण में महयोग देते हैं।

संगठन के इन सिद्धांतों का बल करने के लिए मूनी तथा रल ने ऐतिहासिक संगठनों के सिद्धांतों पर विचार किया है। वे राज्य चक्र सत्ता उद्योग आदि व्यवस्थाओं में प्राप्त संगठन के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। मूनी तथा रल के अनुसार इन व्यवस्थाओं में नौकरशाही पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल सकती है।

1/ **लोक प्रशासन द्वारा वर्णित रूप (Public Administration Model)**—सरकारी पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रबंधकों को वैश्विक विशेषता एवं नागरिकों के सुधार अनुरोधों द्वारा जा विभिन्न विचारों प्रस्तुत की जाती हैं उनके बीच पर्याप्त समानता है। सरकारी पुनर्गठन के मानकों की अनेक विशेषताएँ हैं जिनमें—प्रशासन का नतुत्व कार्यकारिणी को सौंप देना आदेशों की एकता परतुपान की मायता नियंत्रण का क्षेत्र मुख्य प्रशासकीय अधिकारी द्वारा शक्ति के माध्यम से समन्वय स्थापित करना परामर्शदात्री बांड स्टाफ सामान्य उद्देश्यों के आधार पर विभागीय प्रणाली राजनीति एवं प्रशासन का पथचरित्र (गति) अतिरिक्त सुशुद्ध रूप लक्ष्य प्रशासन में व्याप्त अष्टाचार को दूर करना है। इस नीति की विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है। यह कहा जाता है कि इन प्रकार का भेद हीनम रूपा और व्यवहार में इस प्रकार नहीं किया जा सकता है।

औपचारिक संगठन में पाया जान वाला पदसोपान कई प्रकार का होता है जैसे काय से सम्बन्धित पद या स्तर का पदसोपान योग्यता का पदसोपान वेतन का पदसोपान आदि। हम, प्रकार ढाँचे सम्बन्धी मायगा वह है जिसमें काय स्थिति प्रक्रिया एवं व्यवहार आदि का मूल्यांकन अधिक होता है। किंतु यदि हम यह कहें कि केवल एक ही प्रकार का औपचारिक संगठन होता है तो यह अशुद्धिक मरलीकरण माना जाएगा। अभी जिन चार प्रकार के पदसोपानों का वर्णन किया गया है उनमें से काय का पदसोपान मुख्य रूप से काय से सम्बन्धित है स्थिति पदसोपान में व्यक्ति मुख्य होता है कुशलता पदसोपान में ज्ञान तथा योग्यता केंद्रित होती है। अभी प्रकार वेतन का पदसोपान में धन के दैनिक वस्तु होती है। संगठन का औपचारिक रूप चाहे कितनी भी कुशलता में स्थापित किया गया हो अथवा उनमें चाहे व्यवहारिता का अंश कितना ही हो वह वास्तविक व्यवहार में आन पर बहुत कुछ बल जाता है।

(ख) अनौपचारिक संगठन (Informal Organisation)

अनौपचारिक संगठन यह मानकर चलता है कि काय करने वाले मनुष्यों का व्यवहार का संगठन - स्वरूप एवं व्यवहार पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। एक प्रभावी अध्यक्ष इस प्रकार व्यवहार कर सकता है कि उसके अधीन काय करने वाले लोग केवल आत्मकारी वाक्य बनकर रह जाए। उसके विपरीत कभी कभी अधीनस्थ कर्मचारी भी इतना प्रभावगामी व्यक्ति बन जाता है कि अध्यक्ष की शक्तियाँ का प्रयोग उस कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की सेवाएँ अत्यंत धनमूल्यवान हैं तो उस स्थान के संगठन का औपचारिक रूप में तदनुकूल परिवर्तन भी किया जाता है। कोई भी औपचारिक योजना चाहे वह कितनी भी योग्यता एवं कुशलता के साथ बनाई जाए उस समय तक महत्व नहीं रखती जब तक परिचित वातावरण एवं परिस्थितियाँ के अनुसार वह अपने आपको समायोजित नहीं करती। दूसरे शब्दों में औपचारिक संगठन का उपयोगी एवं प्रभावशाली बनने का लिए थोड़ा बहुत अनौपचारिक बनना पड़ता है। औपचारिक व्यवहार प्रायः औपचारिक संगठन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। औपचारिक संगठन में होने वाले परिवर्तन उस बहुत कुछ परिवर्तित करत हैं। चर्चर बर्नार्ड (Chester Bernard) का कथन है कि अनौपचारिक संगठन का बुराई नहीं है बल्कि एक आवश्यकता है। यदि इस प्रकार का संगठन बनाया गया तो उसे बनाना पड़ता है। सामान्य का मत है कि संगठन की औपचारिक योजना सदैव संगठन के वास्तविक व्यवहार में भिन्न होती है। देना के वाक्य कर्त अंतर रहता है जहाँ- इसमें अनेक छूटें होती हैं। वास्तविक संगठन में अनेक आपसी सम्बन्ध होते हैं जिनका उल्लेख औपचारिक रूप से कही भी नहीं होता। उदाहरण के लिए संगठन का उपाध्यक्ष अपने अधीन के साथ अंतरज संज्ञता है और इस

समय ही वह संगठन की महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार भी कर लेता है। दूसरे एक संगठन के अन्तर्व्यक्तिक सम्बन्ध जिस प्रकार व्यवहृत होते हैं उस रूप में वे विशेषीकरण के विरोधी हो सकते हैं। उस कि लेख मशीन के अपरेटर का फोरमन द्वारा मशीन की गति से सम्बंधित कुछ सुझाव दिए जाएं तो यह हो सकता है कि वह उन्हें अस्वीकार कर दें। संगठन की योजना में यह बताया जा सकता है कि विभाग व मं लिए गए कुछ निष्पत्तियों को सूचित कर दिया जाना चाहिए किंतु अनेक बार वास्तविक व्यवहार में ऐसा नहीं किया जाता।

श्रीपचारिक तथा अश्रीपचारिक संगठनों में अंतर

प्रतरा का उल्लेख करते हुए एन डी ह्यान्ट न कहा है कि अश्रीपचारिक संगठन अधिक उपजाऊ है तथा सामाजिक एवं आर्थिक अन्तर जाति या भाषा का अंतर विज्ञान का स्तर व्यक्तिगत रीतियों एवं श्रमविद्या उस संगठन पर प्रभाव डालती है और एक प्रकार से वह इन सबका प्रतिबिम्ब होता है। यह रिवाजों पर आधारित होता है यन्त्र तो निश्चित होता है न निर्मित और न ही इसमें स्वयं रेखाचित्रा की आवश्यकता होती है। श्रीपचारिक संगठन विवेकशील तथा अव्यक्तिक बनना चाहता है जबकि अश्रीपचारिक संगठन भावना प्रधान एवं व्यक्तिगत बनना चाहता है। दोनों एक दूसरे को ग्राम समेट लेते हैं व एक दूसरे से मधुक्त भी हो सकते हैं और एक दूसरे भी। मसफ़ी तथा माकम का विचार है कि श्रीपचारिक संगठन एक नियोजित संगठन होता है जबकि अश्रीपचारिक संगठन एक प्राकृतिक विकास है। श्रीपचारिक संगठन के बीच भ्रष्ट अन्तर सत्ता एवं प्रभाव का होता है। सत्ता का अर्थ दूसरे के व्यवहार का संचालित करने के लिए आना देने की अध्यात्मिक शक्ति से है और प्रभाव का अर्थ मनुष्य की उस सामर्थ्य से है जिसके अनुसार संगठन के अन्तर्गत व्यक्ति भी आजा का उसी रूप में दखन दगने हैं तथा उसी के अनुसार वे कार्य करते और करना चाहते हैं।

सामान्य का विचार है कि अश्रीपचारिक संगठन से तात्पर्य उस संगठन से है जिसमें अन्तर्व्यक्तिक सम्बन्ध पाए जाते हैं तथा वे इसके निष्पत्तियों को प्रभावित करते हैं। ये सम्बन्ध संगठन की श्रीपचारिक योजना के बाहर हैं और उस योजना से भेद नहीं लाते। प्रत्येक संगठन के नए सदस्यों का अपना साधियों के साथ उनके 'आव्यक्तिक' संगठन के सदस्य बनने के पूर्व या सामान्य न तो यह तक कह दिया है कि कोई भी श्रीपचारिक संगठन उस समय तक प्रभावशाली रूप में कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसे एक अश्रीपचारिक संगठन का संयोग प्राप्त न हो। कारण यह है कि श्रीपचारिक संगठन उन सभी बातों का निष्कर्ष है जिनके अन्तर्गत अश्रीपचारिक रूप से कार्य करना चाहता है ता उसे अश्रीपचारिक सम्बन्धों को सीमित करना होगा। उसे संगठन में राजनीति के विकास को रोकना होगा। प्रभाव एवं

सत्ता के लिए हानि वात मध्य पर राक तगानी होगी यदि वह मध्य संगठन क सुचारु रूप से संचालन म बाधक हो। आपचारिक संगठन को यह चाहिए कि वह अनौपचारिक सम्बन्ध क विकास की लिंगा रचना मरना की ओर मोड़ दे। इस प्रकार संगठन के काम क दाहराव को रक्षा जा मरना ह।

अनौपचारिक सम्बन्ध संचार-माधन क रूप म बहुत लाभदायक कार्य करत हैं। यह तो एक मानी हई बात है कि अनौपचारिक सम्बन्ध बरंगे संगठन म इनक विकास पर रोक नहा लाइ जा मरनी। म यिन म विकल्प यही रू जाता है कि इस विकास का संगठन क लक्ष्य का प्राप्त करन क लिए प्रयाग किया जाए। जमा कि पत्र कहा ता चुका है एक अनौपचारिक संगठन क औपचारिक संगठन अनुसूप भा हो मरना है तथा प्रतिकूल भी। हम एक आ संगठन उमे कहग जिसम औपचारिक एव अनौपचारिक रूप सं रेखाए परस्पर मल खानी हैं। हमार मामने मुख्य समस्या यही है कि उस आधार पर संगठन में जो दुहराव पाया जाता है वह न रहे और उमम एकरा भा जाए। इमान का कर्ना है कि बतमान कति क सामन यह एक चुनौती है कि वह संगठन का एक ऐसा मिडान निरूपित कर जिसमें एकता स्थाति हा जबकि इस समय दो संगठन स्थित हैं।

म प्रकार संगठन क सम्बन्ध म अनक सिद्ध न्त एव विचारधाराए हैं। इन मिडानों एव विचारधाराओं क सन्तम म हम संगठन क स्वरूप एव उत्तरदायित्वा को पहचानना हागा। किसा भी संगठन को किस आधार पर संगठित किया जाए उस कसा बनाया जाए तथा कौनसा मात्न उसक लिए ठीक रहेगा आदि बातों का निराय हम तभी कर पात ह जब संगठन क विभिन्न विचारों स हम स्वय को परिचित रें।

आदेश या निदेशन की एकता (Unity of Command)

किसी भी प्रशासकीय संगठन म प सापान अघात् उच्च-अधीनस्थ का सम्बन्ध रता है। जो स उच्च अधिकारा हान ह जो आदेश देत ह। उन अधिारिया क नीच काफी बनी सहजा म निम्न कमचारग रहन हैं। कमचारी अपन अधिकारिया क आदेशा का ग्रहण कर उनका पालन करत हैं।

आदेश अथवा निदेशन की एकता का स्पष्ट अर्थ ह कि प्रशासकाय संगठन क प्रन्तान कार्य करन वल मत्व कमचारी को कवन एक उच्च अधिकारा स आदेश मिल। वनर शान म काइ भी कमचारी अपन स ऊंचे ए स अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण न करे। यदि उस अनक अधिकारिग्या से आदेश मिलेगा ता बहुत नी कर्नाया पना हो सकती हैं। प्रथम यह मन्नावना हो सकती ह कि कमचारी को परपर विरोधी आदेश प्राप्त हा। दूसरे य भी हो सकता है कि कमचारी किसी भा आदेश को पूरी तरह न समझ सके और अलग कार्य कर बठ या असमजस म पड

जाए। तीसरे यह भी जो सकता है कि अधीनस्थ कमचारी अपने उच्च अधिकारियों को आपस में भिन्नता का प्रयत्न करें। उन दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही यह नितान्त आवश्यक माना जाता है कि प्रत्येक कमचारी अपने से ऊँचे एक अधिकारी से ही आदेश ग्रहण करे और उसका अनुपालन करे।

आदेश की एकता को पारभाषित करते हुए हमारी पर्याप्त न विद्या है कि किसी कमचारी का केवल एक उच्च अधिकारी द्वारा ही आदेश लिए जानें चाहिए। विपन्न तथा प्रिंसिपल के अनुसार आदेश अथवा निदेशन की एकता का अभिप्राय यह है कि किसी संगठन का प्रत्येक मन्स्य एक और केवल एक दृष्टि अधिकारी के प्रति ही जवाबदेह होगा। आदेश की एकता का सिद्धांत न केवल अननिक प्रशासकीय संगठनों में वरन् सैनिक संगठन में भी अपनाया जाता है। उदाहरण उसमें सकण्ड लफिटनेट को रफिटनेट आदेश देता है लफिटनेट को कप्टन कप्टन का मेजर और क्रमशः उसी प्रकार।

आदेश की एकता के गुण या लाभ

आदेश की एकता के लाभ स्पष्ट हैं—

(1) सत्ता के सूत्रों (Lines of Authority) का स्पष्टीकरण रहता है कमचारी के सामने आदेश की स्पष्टता रहती है अतः वह क्षमतापूर्ण ढंग से काम कर सकता है।

(2) एक व्यक्ति एक स्वामी (One Person One Boss) के सिद्धान्त से संगठन के सु-संचालन में बड़ी सहायता मिलती है। अनावश्यक भ्रम पैदा होने की सम्भावना नहीं रहती। कार्य का उत्तरदायित्व भली प्रकार निश्चित किया जा सकता है।

(3) इस बात की सम्भावना नहीं रहती कि अनेक विरोधी आदेश का लाभ उठाकर कमचारी अधिकारियों के बीच मनमूढानुपदान करने का प्रयत्न करे।

आदेश की एकता के महत्त्व को इंगित करते हुए चर्चर गुलिक ने ठीक ही विद्या है कि हम हमकी महत्ता को भुला नहीं सकते। हमें ही पर्याप्त के अनुसार यदि आदेश का एकता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है तो सत्ता कमजोर ही जागधी अनुशासन क्षतरे में पड़ जाएगा प्रबन्धा में बड़ा आएगी और स्थायित्व संकट में पड़ जाएगा।

आदेश की एकता के सिद्धांत की आलोचना

सोक प्रशासन की दुनिया में आदेश की एकता के सिद्धांत का भारी भ्रम है कि स्थायित्व में अक्षमता के कारण ही यह सिद्धांत की कार्य में सत्य आलाचना निम्नलिखित है—

(1) आदेश का एकता के सिद्धांत को सावभौमिक रूप में लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ हम तकनीकी कमचारियों को ही नहीं जिन कि एक महामक

अभियन्ता (असिस्टेंट एंजीनियर)। अ दश की एकता की मँग है कि उस अपन क्षेत्र (जिन) के सामान्य उच्च अधिकारी (जिाधीश) का आना माननी चाहिए। पर चू कि वह एक तकनीका कमचारी है अत आवश्यक है कि उम अपन तकनीकी उच्च अधिकारी अधिज्ञानी अभियन्ता (एन्जीनियरिंग - जीनियर) से ही निर्देश मिल। एमी समस्या का समाधान प्राय यह निकाला जाता है कि अधीनस्थ तकनीकी कमचारा तकनीका ममला म तो उच्च तकनीकी पदाधिकारी से आदेश ले लकिन अय सामान्य बात म वह सामान्य उच्च अधिकारी क अधान रह। दूसर शब्द म वह कमचारी दानर आदेश अथवा दो र नियन्त्रण क अधीन रह—एक प्रशासकीय और दूसरा प्राविधिक अथवा गवतायिक नियन्त्रण।

(2) एक ड्यू टरने आदेश की एकता क सिद्धान्त को सनिक पद्धति कटकर अम्बीकार किया ह। उ हान अमक स्थान पर कृत्यमूलक निष्पन्न तथा अधीक्षण का सिद्धात का प्रतिपादन किया =। टरने के मत की साराश म अनुत्तरत हुए डा एम पी शमा न लिखा है कि प्रत्यक कमचारी का आठ अधीक्षका क नियन्त्रण म रहना चाि ए—(1) दन अधीक्षारी (Gang Boss) (2) गति अधीक्षारी (Speed Boss) (3) निरीक्षक (Inspectors) (4) मरम्मत अधीक्षारी (Repair Boss) (5) काय पदस्था तथा पद्धति कर्ता (Order of Work and Route Clerk) (6) अनुदेश-काड क्लक (Instruction Card Clerk) (7) समय तथा लागत कर्ता (Time and Cost Clerk) एवं (8) काय अनुशासक (Work Disciplinarian)। अत स प्रथम चार तो स्वयं कायानय म ही संचालित हगे। वे कमचारियो और अधीकारियो को उनके विशय काय म सहायता दगे। अय चार का संचालन नियोजन कक्ष (Planning room) म होगा। वहा स आदेश तथा अनुदेश लिखित रूप म अजे जाएंगे। टरने का विचार है कि अय याजना का मुख्य लाभ यह होगा कि प्रत्यक काय म विशय और प्रशासकीय अधीक्षण उपलब्ध हा जाएंगे। अधीक्षा क बीच काम का बटवारा हो जान से अस्म सुगमता आगी। एन ही अधीक्षक से यन् आशा नहा की जा सकती कि वह उन सभी कायों का विशयन होगा।

(3) आदेश की एकता क सिद्धान्त की दूसरी मुख्य आनाचना यह की जानी ह कि अय यह सिद्धात पुराना पड चुका है क्वाकि सहायक अभिकरणा का प्रभाव बन् चुका ह विशयना का सख्या बन् रहा ह शासन अधिकाधिक जटिन हाता जा रहा ह आदि। अन् विभिन्न तत्वों क पनस्वरूप वतमान समय म नियन्त्रण की एकता लगभग समाप्त ही हो गई ह। नियन्त्रण क शोरपन की बात भी नहा रही है बल्कि अय तो नियन्त्रण की अनकता का प्रचरन हा गया ह। दहरराय एक जिाधीश का लगभग दो दनन विभागा स आदेश प्राप्त होत ह और लगभग अन ही

विभागाध्यक्ष उस सम्बोधित करते हैं। आज का जिनाधीन कई बार इस समय या वा सामना करता है कि वह किम स्वामी का आदेश माने और किसका नहीं।

(4) आदेश की एकता का सिद्धांत सरकारी प्रशासन में कठिनाई से ही देखने का मिलता है। सरकारी शासन में एक प्रशासक के कई स्वामी रहते हैं और वह बचारा किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। एक से उस नीति सम्बन्धी आदेश मिलते हैं दूसरे से कमचारी सम्बन्धी तिसरे से बजट सम्बन्धी तो चौथे से प्रदाय एवं उपकरण सम्बन्धी।

आदेश की एकता के सिद्धांत का वास्तविक महत्त्व

आदेश की एकता के सिद्धांत के गुण और उसकी आलाचनाओं को हम देख चुके हैं। कमियाँ और आलोचनाओं के बावजूद यह स्वीकार करना होगा कि आदेश की एकता का सिद्धान्त एक सरल और उपयोगी सिद्धान्त है। यदि एक अधीनस्थ कमचारी को अनेक स्वामियों से जूझना पड़े तो उसके कुशलरक्षण निकले ही। इससे संगठन में अव्यवस्था अवश्य पदा होगी। यह एक ऐसी स्थिति होगी कि एक गाड़ी को दस घोड़े अपनी अपनी तरफ खींच रहे हों। आदेश की एकता सिद्धान्त के अनुपालन से संगठन में वाय-संचालन सुगम गति से हो सकेगा और सरलकारी (Confused) स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। फिर यह भी उल्लेखनीय है कि जिस लोहरे या त्रिभुजी पर्यवेक्षण अथवा नियंत्रण का सुभाव कुछ विद्वानों ने लिया है वह भी कम लाभप्रण नहीं है। तकनीकी कमचारियों के मामले में भले ही त्रिभुजी पर्यवेक्षण पद्धति उचित हो लेकिन इस सांख्यिकीय रूप में लागू करने से परेशानियाँ ही अधिक हैं। यह पद्धति अपनाते समय एक विशेष मतकना सदैव बरतनी होगी कि किसी भी परिस्थिति में कोई कमचारी परस्पर विरोधी आदेशों के अधीन न रहे अथवा संगठन का काम सुचारु रूप से नहीं चल सकेगा। हरबट ए साइमन ने आदेश की एकता के सिद्धांत को प्रमुखता दी है। पर उन्होंने यह सशोधन भी प्रस्तुत किया है कि— दा प्राधिकारी आदेशों (Authoritative Commands) के परस्पर टकराव की मूरत में केवल एक ही निश्चिन् व्यक्ति (Determinate Person) होना चाहिए जिसकी कि अधीनस्थ कमचारी आज्ञा मानें।

मुख्य कार्यपालिका

(Chief Executive)

प्रशासन एक पिरामिड की भाँति है जो आधार पर सबसे अधिक विस्तृत होता है किंतु ऊपर की ओर छोटा हो जाता है और जिसके शीर्ष पर कार्यपालिका होती है। नशा के प्रशासन का वास्तविक भार और दायित्व कार्यपालिका पर ही है। नाक प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका अथवा मुख्य निष्पादक की स्थिति केनीय हाती है। वल्ल देश के प्रशासन का प्रधान हाता है नशा के प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों का सम्पन्न करता है। उसका सम्बन्ध सामान्य नीति के निर्माण से हाता है।

वह सरकार की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के बीच सम्बन्ध बनाए रखता है। प्रशासन के प्रदान रूप में मन्त्रों की सम्पूर्ण प्रशासनिक मशीनरी का निर्देशन व्यवस्थापन और नियंत्रण करना जाना है। अपना कार्य चरान हेतु तथा राजकीय अधिनियमों और नीतियों को लागू करने हेतु उसके पास सर्वोच्च प्रशासनिक शक्ति होती है। वही प्रशासनिक प्रबंध व्यवस्था में नेतृत्व करता है। वही सब कारणों से कार्यपालिका अथवा मुख्य निष्पादक की तुलना निगम प्रकृति के एक सुमगठित निजी उद्यम के महाप्रबंधक (General Manager) से की गई है। भारत में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल मुख्य कार्यपालिका है जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है तथापि उनकी व्यवसायिकता पर अग्रुह रखने के लिए उस पर समीप नियंत्रण रखा है।

मुख्य कार्यपालिका (The Chief Executive) वह शक्ति कहना है जो कि मुख्य कार्यपालिका का नेता व मुखिया होता है। संसदीय शासन प्रणाली में यह प्रधानमंत्री होता है जब कि भारत में श्री माररजी दसाई। अन्धकारक शासन। प्रणाली में अध्यक्ष या राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालक होता है। जसा कि अमेरिका में प्रसीडेंट काटर। नाम के लिए संसदीय शासन-व्यवस्था में भी राष्ट्रपति का मुख्य कार्यपालक माना जाता है, परंतु मुख्य कार्यपालक की वास्तविक शक्ति मंत्रिमण्डल का मुखिया होता है परंतु उसे काम चरान के लिए प्रत्येक विभाग तथा कार्यालय का भा एक-एक कार्यपालक जिस विभागीय अध्यक्ष भी कहते हैं होता है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के भी अलग अलग मुख्य कार्यपालक हात है। इसी प्रकार स्थानीय सरकारों में भी मुख्य कार्यपालक होते हैं।

मुख्य कार्यपालिका या मुख्य निष्पादक के प्रकार

मुख्य कार्यपालिका अथवा मुख्य निष्पादक के कार्यों पर विचार करने से पूर्व वह आवश्यक होगा कि इसके कुछ मुख्य प्रकारों को समझ लिया जाए।

1 औपचारिक एवं वास्तविक मुख्य कार्यपालिका—संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में औपचारिक एवं वास्तविक मुख्य कार्यपालिकाओं के बीच भेद किया जाता है। उदाहरणार्थ भारत में राष्ट्रपति औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका है तो प्रधान मंत्री (अथवा मंत्रिमण्डल) वास्तविक कार्यपालिका है। ग्लेड स्ट्राना या रानी औपचारिक कार्यपालिका के उदाहरण हैं क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है जो कि वास्तविक कार्यपालिका है। औपचारिक अथवा नाममात्र की मुख्य कार्यपालिका की वास्तविक प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होतीं यद्यपि शासन उसके नाम से चलाया जाता है।

अध्यक्षात्मक प्रकृति में औपचारिक कार्यपालिका के लिए का-इयान नहीं होता। वही कार्यपालिका का प्रत्येक राष्ट्रपति होता है जो संविधान द्वारा प्रेषित

समस्त शक्तियों का प्रयोग करना है जम कि अमरिका का राष्ट्रपति । अपन मंत्रि मण्डल म वह जिन मंत्रियों का नेता है वे केवल राष्ट्रपति के प्रतिकृत सलाखार होत है उनका सम्पूण उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति ही माना जाना है ।

2 ससदीय एवं अर्धशासक कायपालिका—जा कायपालिका अपन कार्यों के लिए समूह के प्रति उत्तरदायी होती है और जिसका जीवन मरण ससदी व हाथ म हाता है उसे सदीय कायपालिका कहत है । इन कायपालिका के सदस्य अर्थात् मंत्रिमण्डल व्यवस्थापिका क भी मन्स्य हात है । भारत और ब्रिटेन म मंत्री प्रकार की कायपालिका है । अर्धशासक कायपालिका वह जो व्यवस्थापिका स विद्युत अनग रती है । कायपालिका म नाम की सम्पूण शक्तिया निहित रती हैं जो अपन मंत्रियों की सहायता स शासक-काय चलाता है । राष्ट्रपति और उसका मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होत और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होत हैं । अत जहा सदीय कायपालिका की अवधि की निश्चितता नहीं होती वहाँ अर्धशासक कायपालिका अपन कायकाल तक के लिए वास्तव म स्थायी कायपालिका होती है । उसे केवल म अभियो द्वारा हटाया जा सकता है जो बड़ा दुष्कर कार्य है ।

3 बहुल कायपालिका—स्विटजरलण्ड तथा गाबियत हस म भिन्न प्रकार की कायपालिकाए पाई जाती हैं । स्विटजरलण्ड की बहुत कायपालिका म 7 सदस्य हात है जा स्थिति अथवा पद म पूणत बराबर लेते है । दूसरे शासक म वल कायपालिका वह है जिसम प्रशासन का उत्तरदायित्व एक से अधिक व्यक्तियों पर होता है । इन व्यक्तियों म कार्य भी एक दूसरे से अलग नहीं हाता । गाबियत हस म सिद्धान्त रूप म तो ब्रिटेन और भारत के नमने की एक ससदीय व्यवस्था और केबिनेट पाई जाती है जकिन व्यवहार म वहाँ न तो केबिनेट का महत्व है न ससदी का वयाकि साम्यवदी दन की तानाशाही के अन्तगन वला पूणत एशदलीय शासन विद्यमान है ।

मुख्य कायपालिका के प्रशासकीय कर्तव्य

प्रशासन के प्रमुख रूप म मुख्य कायपालिका के उत्तरदायित्व की प्रकृति लाइन अभिवरणों से भिन्नती हुई है । उसका सबसे प्रमुख लक्ष्य प्रशासन मे यथासम्भव एकता स्थापित करना है । मुख्य कायपालिका के सभी कृत्य वस लक्ष्य व चारों छार चक्कर लगात हैं । मुख्य कायपालिका क प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित शीषकों म विभाजित किया जा सकता है—

1 प्रशासकीय नीति का निर्धारण—मुख्य कायपालिका का पहला कार्य प्रशासकाय नीति की मुख्य रूपरखाए निधारित करना है । पदाधिकारों प्राक मन्वपूण मामलों म मुख्य कायपालिका स विचार विमश करत है तथा उसका परामश लेत है । मुख्य कायपालिका किसी भी सम्बन्धित पदाधिकारी के किसी निश्चित कार्य को अनुमति अथवा अस्वीकृत कर सकता है । वह महत्वपूर्ण प्रशासकीय

मामता पर विभागाय अधिकारता का परामर्श देकर प्रशासन का नीति का माग्यजनन नियन्त्रण करता है।

2 स ठन क विस्तृत रूप का निश्चय करना—विभिन्न कार्यों का माग्यजनन के लिए व्यवस्थापिका का प्रथम विभागा आयागा नियमावली का यानया आर्ति का म्यापना करना पडती है। उ इकाइया के अर्ति त्त सङ्गन न सम्बन्धित विस्तृत बाता का पूर्ण का भार मुख्य माया-तक परी जाता है। वः सगठनो की विगद् हारेहाए बनायी है जिनक द्वारा नीति क नय्य पूा किए जात हैं। कई बाग मुय कपप-क का विभागा म्यापना विगद् अर्ति क आन्तरिक मगठन म सुधार पारवतन एवं हंफ कर करन पडत = शीघ्र ए अभिकरणा की म्यापना अथवा प न म हा स्थापित अभिकरणा क पुनमगन्त कर ा पडत =।

3 आवश्यक आदेश निर्देश तथा आज्ञाए निकालना—कायपालिका का य स्पष्ट जिम्मेदारी है कि सवधान तथा उसक अतगन व जा गए कानून का पानन कराए। एतन्ध वः प्रशासकीय पनाधिकारिया का आवश्यक अर्थेण निर्देश देनी रानी है। य आदेश कायपालिका की नामाय और क्षमता क यातक हैं।

4 प्रशासकीय कार्यों पर एक-दूसरे से सम्बन्ध करना—मुख्य कायपालिका का एक मयाप्रबन्धक जाने क नानय भी उत्तरदायि च है कि वह लो-पश म क अनक विभागा जाग किए जान वाव कार्यों को एक-अमरे न सम्बद्ध करता चल श्री-विभागा क विभिन्न और यदा-कदा परस्पर टकरान वाव कार्यों म संतुनन स्थापिन करता रह।

5 आर्थिक प्रशासन को व्यवस्था करना—उन का समुचित श्री आवश्यक व्यवस्था किए बिना काइ भा प्रशासन नही चल सकता। लाक प्रशासन का चरान क लिए जा आर्थिक व्यवस्था की जाती है उस पर लोकन-त्रा म मवत्र व्यवस्थापिका का हा नियन्त्रण होता है परन्तु सभी ममाय जनत-त्रा म आय शय के उब या दजत तयार करना नए कर लगाना या पुरान कर का घटाना बगाना ख-म करना खच का मदे तय करना इय इ-शादि क सम्बन्ध म निगय लना कायपालिका का ही मुख्य काय समका जाता है।

6 प्रशासकीय सगठन का विवरण प्रस्तुत करना—मुख्य कायपालिका का यन्तव्य भी है कि वह प्रशासकीय सगठन और मक कार्यों का विवरण जनता और व्यवस्थापिका के सम्मुख प्रस्तुत करे। व्यवस्थापिका त्त सगठन की रूपरेखा ही निश्चित करना है किन्तु सगठन का आन्तरिक स्वरूप क्या होगा मको निश्चित करने का काम कायपालिका का है। इसा प्रकार व्यवस्थापिका सभी प्रशासकीय कार्यों का एक टाशा मदन ही निश्चित करता है किन्तु कार्यों का विस्तार म निश्चित करने का काम कायपालिका क ही जारा सम्पन्न जाता है। इस प्रकार प्रशासकीय नयो को पूरा करन क लिए परिस्थिति के अनुसार कायपालिका को सगठन क आन्तरिक

स्वरूप का निश्चिन करन का अथवा विद्यमान स्वरूप का समय की आवश्यकतानुसार बदल डालन का अधिकार है ।

7 सेवो वग का छपन आर पद विमुक्ति—उच्च वग क मेवो वग का सुनाव मुख्य कायपालिका द्वारा किया जाता है । यह एक कठिन किंतु ध्यत्किमत उत्तरदायित्व है पर साथ ही इस शक्ति का उपयोग करने में मुख्य कायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना नहीं रहना । उस राजनीतिक वग-ना सगठित हित आदि विभिन्न पहलुआ की आर ध्यान देना पडता है । मुख्य कायपालिका को यह अधिकार भी मना है कि जिन अधिकारिया को वह नियुक्ति कर उह हटा भी सके किंतु उस अधिकार का प्रयोग अकारण नहीं किया जाता । वास्तव में इस वग में अधिनियमा आदि में स्पष्ट व्यवस्था दी गई जाती है । कायपालिका पद विमुक्ति क छपने अधिकार आर प्रशासकीय सगठन पर प्रमुख आर नियंत्रण स्थापित करती है ।

8 निरीक्षण और नियंत्रण—मुख्य कायपालिका आहार में स्वयं तथा प्रशासकीय काम तो नहीं क बराबर करती है वह तो सरकारी अभिकरणा का निरीक्षण और नियंत्रण रखती है । वह देवती है कि उसके आर प्रसारित आदेशा क पालन हा रहा है अथवा नहीं । निरीक्षण और नियंत्रण के अधिकार का भावने क साथ साथ वह प्रशासकीय विभागा को आवश्यक सुविधाए भी प्रदान करती है । कायपालिका को कभी-कहा साविधानिक रूप में नियमित जांच पन्नाच का अधिकार भी होना है जिसका प्रयोग करत हुए वह जांच आयाग आदि स्थापित करती है ।

9 जन-सम्पर्क—मुख्य कायपालिका जन-सम्पर्क को बढ़ाने तथा उस नियंत्रित करन में भाग लेती है । इस प्रकार वह शासन व्यवस्था के बाहर से प्रभावित करन की शक्ति भी रखती है । जन-सम्पर्क स्थापना क कार्यों आर वह प्रशमन का जनता में प्रतिनिधित्व करती है तथा उनके समयन में लोकमन का निमाण करती है ।

लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विगान् लूथर गुलिक ने मुख्य कायपालिका क कार्यों का एक ही शब्द पोस्टकोरब (POSDCORB) में समग्रहीत कर दिया है तदनुसार उसके कार्य य हैं—(1) योजना बनाना (P—Planning) (2) सगठन करना (O—Organising) (3) कमच रियों की व्यवस्था करना (S—Staffing) (4) निर्देशन (D—Directing) (5) समन्वय करना (Co—Co ordinating) (6) प्रतिवेदन देना (R—Reporting) एवं (7) बजट बनाना (B—Budgeting) ।

मुख्य कायपालिका के इन विस्तृत कार्यों और दायित्वा से स्पष्ट है कि वह सम्पूर्ण कार्य भार अक्ला नहीं वहन कर सकता । आहार में उस अपने साथ सलमन रूपसे योगे की उहपाता लेती होती है । मुख्य कायपालिका अपने कृत से कार्य कर घणा को सौंप देती है तथापि यह सत्ता कोई हस्तान्तरण नहीं होता और उसे उसके पदवैशेष निर्देशन एवं नियंत्रण क सर्वोपरि दायित्व में कोई हस्तक्षेप अथवा बाधा उत्पन्न नहीं होती । उन अणा को जिह कार्य सौंपे जात हैं सामान्य कमचारी

वग कहा जाता है जो काट टाट विश्वपरण और गारण मन्त्र क कार्यों में निरणय देकर मरण कायपालिका का भार ल्वा कर देन हैं और उसकी गति तथा मरण का वचात ह । जा मामन विशय महत्त्व क हात है वे ही निरणय क लिए मरण कायपालिका तक पहुचसे हैं और उसक निरणय तमम्बघो विभाया तक सामाण कभचाग वग में पहुच जात ह ।

मुख्य कायपालिका राजनीतिक नेता के रूप में

मुख्य कायपालिका क कार्यों दामिण्य और शक्तिया की प्रवर्तन प्रशासनिक एवं राजनीतिक गता ह । प्रशासनिक कर्तव्य और अधिकारा की विवचना हम कर चुक हैं । एक राजनीतिक नेता क रूप में मुख्य कायपालिका का भारी महत्त्व है । अपना अम्लिब बनाए रखन क लिए उम अपन दल का ध्यान रखना पडना है । न की उपक्षा करन का अर्थ है अपनी राजनीतिक मृत्यु का आमंत्रित करना । तब तक समकदार मुख्य कायपालक अवस्था मुख्य निष्पादक अपन राजनीतिक कर्तव्य से का भी सदब उतना ही महत्त्व देता है जितना कि प्रशासनिक कर्तव्य का । व प्रारसन क प्रधान (Head of the Administration) और राजनीतिक नेता (Political Leader) की दहरी भूमिका (Double Role) अंग करता है ।

एक राजनीतिक नेता क रूप में मुख्य कायपालिका का सर्व यह प्रयत्न रहना है कि व्यवस्थापिका क सदस्या क वमत को अपन पक्ष में बनाए रखे । व अपनी नीतिया क समर्थन के लिए व्यवस्थापिका में अपन ल्ब क सदस्या से अपील करता है और समय-समय पर महत्त्वपूर्ण प्रश्ना पर विरोधी दला के नेताओं से परामम गता ह । विभिन्न मम्मलनी और बठका में बहु भाय लता है तथा लोकतंत्र में अपनी निष्ठा प्रकट करता है । अपने मंत्रिया क चुनाव में वह न केवल यक्तिया की श्रमताओं से चर्चित दल में उन गणा की स्थिति से प्रभावित होता है । ससद् में अपन दल क मुख्य यक्तिया का ही वह प्राय अपने मंत्रिमण्डल में स्थान देता है । व्यवस्थापिका में मंत्रिमण्डल की नीतिया का अन्तिम व्याख्याता वही गता है । सतर्णय व्यवस्था में वही लोकतभा अववा लोकप्रिय सदन का नेता माना जाता है । न और प्रशासन के नेता के रूप में उसका यक्तित्व सावजनिक रूप ल लता है । वह रडिया कारदूना प्रस आदि क माध्यम से देश भर की जनता क समक्ष प्रस्तुत होना ह । उसक व्यक्तित्व का ही केव बनाकर ममण्य निवाचन गता जाता है । वस्तुतः वह सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है । अध्याय व्यवस्था में यद्यपि राष्ट्रपति ससद् की कायवाटो में भाग नहा लता अपनी विपुल शक्तिया से व ससद् का प्रभावित करना ह । राष्ट्र क सर्वोच्च नेता के रूप में वह अपनी नीतिया क पक्ष में समुद्रन दल क लिए जनता से सीधी अपील करता है । विभिन्न प्रकार से अपन प्रभाव का उपयोग में लाकर वह अपनी नतृब क्षमता का परिचय देता है ।

मुख्य कायपालिका की शक्तियों के स्रोत और उसके गुण

मुख्य कायपालिका अथवा मुख्य निष्पादक अपने विस्तृत कार्यों को तब तक सम्पन्न नहीं कर सकती जब तक कि उसे पर्याप्त शक्ति प्रदान न की जाए और उसमें विभिन्न अथवा आवश्यक गुण न हों। एक जोरदार त्रुटि व्यवस्था में मुख्य कायपालिका की शक्तियों के स्रोत और उसके गुणों का हम निम्नानुसार रूप में बताने हैं—

1 जनमत का सम्बन्ध—लाभकारी में प्रज्ञानन ज्ञान के सक्रिय सहयोग का आकांक्षा करती है। यह आवश्यक है कि मुख्य कायपालिका द्वारा शक्तियों और उत्तरदायित्वों का अधिकारणिक विवर्तनीकरण किया जाए। इसी स्थिति में जनता का अधिकार अधिक समझ में आ सकता है और जनता की अधिक से अधिक भाव भी ज्ञेय होती है। (व्यक्तिगत शक्तियों बिना जन समर्थन और सहयोग के प्रभावहीन बन कर केवल कागजी रह जाती हैं।)

2 सांविधानिक शक्तियाँ—यह आवश्यक है कि मुख्य कायपालिका के हाथ में न केवल अथवा कानूनी रूप में मजबूत रहे। इसका अभाव में वह समर्थन नियंत्रण निरीक्षण आदि कार्यवाही का निर्वहण नहीं कर सकती। प्रत्येक सरकारी कार्यालय का एक कानूनी परिभाषा का किया जाना बड़ा आवश्यक है। इससे ही क्षेत्र कार्यलय का कार्य क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। अधिकारियों के कर्तव्य और जनता के अधिकारों के सम्बन्ध में भ्रम की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए और साथ ही मुख्य कायपालिका के तानाशाह होने का डर भी नहीं रहता। मुख्य कायपालिका को यह सांविधानिक अधिकार होना चाहिए कि वह व्यवस्थापन की निगरानी कर सकें आवश्यक समझने पर उस पर वोटों के सके अधीनस्थ अधिकारियों को नियमानुसार नियुक्त और पदमुक्त कर सकें अधिकृत कार्यों में सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकें सभी सरकारी सन्वाओं को निर्देश दे सकें आदि। इस प्रकार की व्यक्तिक शक्तियों के अभाव में मुख्य कायपालिका की स्थिति एक परकटे पक्षी जैसी होगी।

3 व्यक्तिगत गुण—मुख्य कायपालिका बिना व्यक्तिगत गुणों के अपनी शक्तियों का कुशल प्रयोग नहीं कर सकती। ज्ञान वीज ने लिखा है कि कानूनी शक्तियों कायपालिका की हृदिभ्यां हैं। मांस तथा रक्त भस्तिष्क और अर्थात् उसे स्वयं ही प्रदान करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि कायपालिका अपनी शक्ति और व्यक्तिगत का संतुलन बनाए रखे उसकी आत्मा प्रभावशाली और विवेकपूर्ण हो। मुख्य कायपालिका में शारीरिक सामर्थ्य और क्षमता का होना भी आवश्यक है इसके अभाव में अपने कार्यों में चाहे वह कितनी ही रचि लिखा उसका वाञ्छित प्रभाव नहीं रह सकेगा। रचि बुद्धि और शक्ति व्यक्तित्व के मौलिक गुण हैं। ये गुण संतुलित रूप में होने चाहिए।

4 कुशल नेतृत्व—मुख्य कायपालिका में कुशल नेतृत्व के गुणों का होना आवश्यक है। उसमें अपनी योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने लक्ष्य को कोटि हानि

पंचैत विना अद्वै मानव-मन्व-धो का विकास कर सक। डा प्रमुदत्त गर्मा न अपन अथ लाक प्रशसन के नए सिक्तिज म ठीक ही लिखा है कि नतृत्व क आधार पर विभिन्न अधिकारिया का एक मत बनाकर उनसे काम लिया जाता है। एक जेष्ठ नेतृत्व कमचारियो क बीच प्रेम का ऐसा सूत्र स्थापित कर देना है जिमम बंधकर वे अपने नक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुल्य मतभेद और विवादो को भुना दत् हैं। कमचारी यद्यपि मोचता ह कि कार्यक्रम उमकी मर्जो क अनुकूल नही ह फिर भी नेतृत्व क प्रभाव मे वट उम कार्यक्रम को लागू करने म अपनी मारी शक्तिया गया प्ता है। मुख्य कायपालिका अपन अधीनस्था का कुशलतापूर्वक नतृत्व तभी कर सकती है जब उसन स्वयं म अात्म विश्वास और कतय भावना प्रबल ग। तनी क अधीनस्थ कमचारिया के मन म य यात बठा सकता है कि एक साथ मिलकर प्रयाम करने पर वे लक्ष्या का शीघ्र ही प्राप्ति कर लये।

5 लोकण बुद्धि—मुख्य कायपालिका की लोकण बुद्धि सम्पत्ता होी चाहिए तभी क तात्क लिक आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक तय अय बनन समस्याप्रा का समाधान मोच सकेगी और जनता का समयन प्राप्ति कर सकगी। लोकमत को अपन पक्ष म बनाए रखन के लिए उसे प्रस रेणियो टनीविजन मिनेमा और प्रचार तथा प्रसार के अय साधनो का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जनता क उमम विश्वास बना रह।

6 हित समूहा से मिल-जुलकर काम करना—हित-समूह सामाज कयाग के लु राजनीतिन के सामन अनक समस्याए पा कर देन ह। कई बार ऐसा होता है कि हित समूहा तारा एकी माँगो प्रस्तुत की जाती हैं जा न केवन उनक स्वाध साधन की दृष्टि म दकि सभी के हित की दृष्टि स उपयोगी सिद्ध हा सती है। अत मुख्य कायपालिका को एसी माँगो का ध्यान रखना चाहिए और प्रभावशाली हित-समूहो स मिल-जुलकर कार्य करना चाहिए।

निष्पय रन म यद्यपि मुख्य कायपालिका के गुणो की कर्क निश्चिन सूची न। बनता ना सकती तथापि जमा कि उ प्रमुदत्त शर्मा न लिखा है—समय म गुण अवश्य हा। चाहिए—(1) कमचारी का व्यक्ति-व शकल और मनुषिक। अथो उमम बुद्धि कौशल हना कम म रचि तथा कय-क्षमन का सम बम ग। वट चिडचिडपन अनावश्यक उन्नाह क प्रदान दुराग्र एकपक्षाय चिन्तन अति दा स मुक्त ग। (2) तम नेतृत्व की क्षमता से जयात् व अन ध्यय का पूर करन चाहिए हमरा को उन्नाह दिवान अनुप्राप्तियो क प्रति उन्नाहान रखन वर अपन विचारा और चिन्तन को भाषण या वक्तु म अभिव्यक्त करन म नक्षम ग। (3) तम प्रशमकीय योग्यता हा जिसका आाग है दूसरा म कुरता ग। मा यनापूर्वक काय करने की क्षमता। अपने राजनीतिक प्रमुखा क साथ काम करने और उनक

विज्ञान में मनुष्य रक्षण का गुण भी मुख्य कार्यापातिका की सफलता की कसौटी है। भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल और सुयोग्य प्रशासन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक सफल प्रशासक के छह मौखिक गुणों का उल्लेख किया है जो संक्षेप में ये हैं—

- (1) वह परित्रवान हो
- (2) उपयुक्त परामर्श को जानने और क्रिया-व्ययन के मामले में शीघ्र तथा मी निगम्य लेन की क्षमता उत्तम हो
- (3) वह अपने निश्चयों को लागू करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों के भीतर अधिकाधिक विश्वास जगा सके
- (4) लोगों में यह विश्वास जगा सके कि एक बार निगम्य लेन के उपरान्त वह उस निगम्य में विचलित नहीं होगा
- (5) वह सन्तुलित मस्तिष्क का हो एवं
- (6) वह अपना सुभाष्य या कि विभिन्न स्तरों पर अधीनस्थ कर्मचारियों के भीतर सामाजिक उत्साह की महान् भावना भर सके।

काय का विभाजन

(Division of Work)

वर्तमान युग काय की दृष्टि में विशेषीकरण का युग है अर्थात् विशिष्ट काय के लिए विशेष प्रकार के १) अथवा तकनीकी-यक्तियों की आवश्यकता होती है। यदि काय छोटे स्तर पर किया जाता है तब तो एक अथवा कुछ व्यक्ति ही सारे काम को एक साथ पूरा कर देते हैं पर यदि काय बड़ी मात्रा में हो रहा है तो उसे करने के लिए एक विशेष प्रणाली विकसित की जानी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्पूर्ण काय का केवल बड़ी भाग पूरा करता है जिसमें वह दक्ष हो।

काय विभाजन अथवा विशेषीकरण का परिभाषित करत हुए डा. ह्यू टनर लिखा है— विशेषीकरण काम को विभाजित और उपविभाजित करने के लिए उन कर्मचारियों का एक दूसरे से पृथक् करन हेतु निरंतर काय करता है जिनका मसौदा वर्षी शक्यताओं में उस लक्ष्य-प्राप्ति के लिए निरंतर काय करने के लिए होता है जिनके लिए उनका अस्तित्व वायम है। सूक्ष्म गुणिक के अनुसार मनुष्य स्वभाव क्षमता और कौशल की दृष्टि से भिन्न होते हैं तथा विशेषीकरण द्वारा बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करत है। एक ही व्यक्ति एक समय में दो स्थानों पर काय नहीं कर सकता क्योंकि ज्ञान और कौशल का क्षमता विशाल है कि व्यक्ति अपने जीवनकाल में इसका एक तुच्छ हिस्से से ज्यादा नहीं सीख सकता। दूसरे शब्दों में यह मानव प्रकृति समय और स्थान का प्रयोग है कि विशेषीकरण अथवा काय विभाजन क्या किया जाए ?¹

पद-सोपान या क्रमिक प्रक्रिया (Hierarchy or Scalar Process)

सुचारु रूप से शासन संचालित करने के लिए व्यवस्थित रूप से संगठन की आवश्यकता होती है। समस्त प्रशासनिक कर्मचारियों को एक संगठन के अंतर्गत कार्य करना होता है। एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से सम्बन्धित रहता है। ऊपर से नीचे तक को एक शृंखला चलती रहती है। इसी शृंखला के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन शास्त्र के अंतर्गत एक सिद्धांत का निरूपण किया गया है जिसका नाम है पद-सोपान या क्रमिक प्रक्रिया का सिद्धान्त।

पद सोपान का सिद्धांत

प्रोफेसर ह्याट्ट के अनुसार पद-सोपान का अभिप्राय है संगठन के ढांचे में शिखर से तब तक उत्तरदायित्व के स्तरों द्वारा अधिकारी मत्तन सम्बन्ध का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। अतः लघु म लिखा है, पद सोपान निम्न तथा उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित ढांचा है। पद-सोपान अथवा श्रेणी शब्द हायरार्की (Hierarchy) का लैटिन रूपान्तर है जिसका अर्थ होता है। निम्नतर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण परतु सही दृष्टि में इन शब्दों का अभिप्राय एक ऐसे संगठन में होता है जो पदों के उत्तरोत्तर क्रम में अनुसार सोपान अथवा सीढ़ी की भांति संगठित किया जाए। जिस प्रकार सोपान अथवा सीढ़ी में एक के बाद दूसरा चढ़ना होता है उसी प्रकार पद-सोपान में एक के बाद दूसरा पद आता है। हम उत्तरोत्तर पदक्रम में प्रत्येक निचला पद अथवा स्तर आने के ऊपर के पद के तथा हम पद के माध्यम से हमसे ऊपर के तथा उसी प्रकार सबसे ऊपर के पद अथवा पदों के अधीन होता है। विपरीत क्रम में संगठन के भांति मत्ता का अवतरण, निदृष्टान तथा नियंत्रण सर्वोच्च पद से निम्नतम हद की ओर उसी प्रकार होता है अर्थात् उच्च पद से निम्न पद और निम्न से निम्नतर तथा निम्नतम पद तक। उत्तरोत्तर पदक्रम का सबसे अधिक मौखिक सिद्धान्त यह है कि ऊपर के पदाधिकारियों की भांति नीचे के अधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करते समय मध्यस्थ पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ सकती है। इस प्रकार निम्न पदाधिकारियों के उच्चतर पदाधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करते समय मध्यस्थ पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ सकती है। उच्चतर और निम्नतर पदाधिकारियों के मध्य संचार का माध्यम मध्यस्थ पदाधिकारियों होता है। जिस प्रकार सीढ़ी पर चढ़ते या सीढ़ी में उतरते समय बीच के चरणों का तापना सतर से जाननी पड़ती है उसी प्रकार प्रशासनिक मद्देनापान में समुचित माध्यमों द्वारा (Through Proper Channel) का नियम सर्वोपरि माना जाना है तथा प्रत्येक अधिकारी अथवा कर्मचारी को नमस्त आदेश उत्तक प्रथम उच्च अधिकारियों के


द्वारा तथा नीचे से आगे वाले समस्त प्रतिवेदन प्राथम्यप्र सूचना व आकृष्ट त्यागि प्रथम निम्न अधिकारी के द्वारा ही भेज जाने चाहिए।¹

सगठन में पद सोपान का सिद्धान्त एक दूसरे नाम अर्थात् क्रमिक प्रक्रिया (Scalar Process) के नाम से भी जाना जाता है। क्रमिक प्रक्रिया का ठीक-ठीक अर्थ जेम्स मुनी (James Mooney) के द्वारा इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है—

सगठन में क्रमिक सिद्धान्त का रूप बनी होता है जिसे कभी-कभी पद सोपान का सिद्धान्त कहा जाता है परंतु परिभाषा सम्बन्धी विभिन्नताओं में बचने के लिए यह क्रमिक शब्द ही अधिक प्रयोग है। क्रम का मतलब है चरणा की पक्ति अर्थात् श्रेणी बन्ता। सगठन में इसका अर्थ है कस्तव्या को श्रेणीबद्ध करना किंतु विभिन्न कार्यों के अनुसार। सुविधा के दृष्टि से सगठन के रूप को हम क्रमिक शृंखला (Scalar Chain) कहेंगे। जब कभी हम कोई ऐसा सगठन पाते हैं चाहे वह दो पक्तियों का ही क्यों न हो जिसमें व्यक्ति उच्च तथा अधीनस्थ अथवा प्रवर तथा अध्वर (Superior and Subordinate) के रूप में सम्बन्धित होने हैं उसमें क्रमिक सिद्धान्त वर्तमान होता है। यह क्रमिक शृंखला समन्वय की एसी यापक क्रिया का निर्माण करती है जिसके द्वारा समन्वय करने वाली सर्वोच्च सत्ता सगठन के सम्पूर्ण ढाँचे में सक्रिय एवं प्रभावशाली हो जाती है।

सगठन के क्रमिक सिद्धान्त (Scalar Principle) की उत्पत्ति तम (Scale) शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य चरणों अथवा सीढ़ियों की पक्ति (A Series of Steps) अर्थात् श्रेणीबद्ध (Graded) होने से है। पद-सोपान का सिद्धान्त एक भीषी के समान है जिसका एक भाग सबसे ऊपर है और एक भाग सबसे नीचे होता है। ऊपर से उतरने वाले का प्रथम सीढ़ी पर से उतरना होगा तब वही वह नीचे तक पहुँच सकेगा। इसी प्रकार सर्वोच्च अधिकारी का आदेश ऊपर से नीचे तक नीचे से आगे जाने वाली अधिकारी सभी सीढ़ियों से होकर गुजरना। इसी प्रकार जो कार्य आचलन आरम्भ होगा वह एक-एक किसी मध्यस्थ सीढ़ी को नहीं गायगा बल्कि उसको भी नीचे तम का अनुगमन करना होगा। तात्पर्य यह है कि इस सिद्धान्त के अनुसार समस्त कार्य उपयुक्त माध्यम द्वारा (Through Proper Channel) संचालित होने चाहिये। उदाहरण के लिए प्रशासकीय सगठन में सबसे ऊपर कार्यपालिका होती है। उसके अधीन विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अध्यक्ष कार्य करते हैं। प्रशासकीय विभाग के अध्यक्षों के नीचे निदेशक और उन निदेशकों के अधीन अन्य-कर्मचारी कार्य करते हैं। सबसे निचले कर्मचारियों उचित माध्यम द्वारा ऊपर वाले अधिकारी या क आदेश का क्रियाचित्त करते हैं।

पद-सोपान मिद्वान का ढांचा और काय करने की पद्धति को हम निम्न रखाचित्र द्वारा स्पष्ट कर सकें—



अ क अधीन व क य करता है और व के अधीन स । जब स अधिपारी तारा कोई आना जारी हो जाती है तो वह व क पास जाता है और फिर उर्मि रूप स ख तक पहुँचती है । यदि अ को स आना द को देी है तो व व स के माध्यम स त्रिभुजित होगी । अ तौना का लाघकर द व साधा नहीं पन्न सकता । स प्रकार म पद्धति म शृ खला के समान सत्ता उपर नीचे तक मचानित हारी है । इसी प्रकार न सीधा अ क पास किया काय के लिए न । पन्न सकता । उमे र य द स व क माध्यम से हाकर गुजरना होगा । सा प्रकार अ क तारा दी गयी आजा ट ठ ड न ए द्वारा होती हुई न तक पहुँचती है ।

पद-सोपान पद्धति म पदा व अधिकारियों को उनकी सवाभो क अनुरूप वर्गीकरण किया जाता है । यह वर्गीकरण पदा क कार्यों के आधार पर होता है । उन पदा व अधिकारियों को उती बग (Class) क अन्तगत रखा जाता है जिनके काय एक प्रकार क होत हैं । स प्रकार क वर्गीकरण करल स सामाय पद्धति वाल कमचारिया का नियुक्ति मरल हा जाता है आज क युग म लोक-प्रशसन क अन्तगत सवाभो का वर्गीकरण कना आवश्यक स हो गया ।

अधु क समय म पशामी नगडन अत्यन्त । जटिल तौना जा रल ह और सा कारण समस्त वी एक मणिया की उचित अवस्था कनी पली है । पदा क वर्गीकरण के सम्य म नी कतिना का साम । करना पलता है कि कौन से पदाधारी किस विाण बग म ले जाए और कौन से दूसरे बग म । स काय क ठे कना एक आपन करन अत ही जटिल है ।

पद-सोपान जाम क प्रयुक्त विभाग म पाया जाता है । उदाहरणाय हमारे ल क कौनो भी राज्य म पु नम तामन क अन्तगत पद-सोपान निम्न प्रकार स काम करता है ।

मुनिस प्रका सन क लिए प्रत्येक राज्य एक विाण है जिसका न्वाच न्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस (I G P) तना है ।

प्रदेश	पुलिस महाधिपति (I G P)
क्षेत्र	पुलिस उपमहाधिपति (D I G P)
जिले	जिना पुलिस अधीक्षक (D S P) (S S P)
उप मण्डल	सहायक पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक/ मण्डल अधिकारी (A S P / Dy S P / C O)
पुलिस स्टेशन	इंस्पेक्टर/सहायक इंस्पेक्टर
बाहरी चौकिया	हेड कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल

पुलिस प्रशासन में पद-सोपान ऊपर से नीचे तक इस प्रकार होता है इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पुलिस अधीक्षक सहायक पुलिस अधीक्षक इंस्पेक्टर सहायक इंस्पेक्टर हेड कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल। पद-सोपान की विशेषताएं

पद-सोपान में मुख्यतः निम्नलिखित तीन विशेषताएं पायी जाती हैं—

1. नेतृत्व (Leadership)
2. सत्ता का प्रत्यायाजन (Delegation of Authority)
3. कार्यात्मक परिभाषा (Functional Definition)

नेतृत्व (Leadership) से आशय यह है कि शीर्षस्थ पदाधिकारी पूरे प्रशासकीय संगठन का नेतृत्व करता है अधीनस्था को आवश्यक आदेश और निर्देश देता है उनका निर्देशन और नियंत्रण करता है। सत्ता के प्रत्यायाजन (Delegation of Authority) की प्रक्रिया द्वारा उच्च पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का अपनी कुछ शक्तियाँ हस्तान्तरित या प्रत्यायाजित कर देता है। इस अधिकार अर्थ भी कहा जाता है। कार्यात्मक परिभाषा (Functional Definition) का अर्थ है—कार्यों की स्पष्ट व्याख्या। कार्यों के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक आता है कि उच्चधिकारी प्रत्यायाजित शक्तियों का सीमा-क्षेत्र भी निश्चित कर दे ताकि किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो।

पद सोपान का वर्गीकरण

एक औपचारिक संगठन में पद-सोपान मूल रूप से एक रचनात्मक व्यवस्था है जिसमें रोजगार स्थितियों की प्रक्रियाएँ व्यवहार में प्रभावशाली होती हैं। यह व्यवस्था से नए वर्तमान वस्तुओं से और कार्यों से सम्बन्ध रखती है। यह वर्तमान विद्यमान श्रेणी कार्यों के आधार पर स्थापित की जाती है। इसके सम्बन्ध में पद सोपान में व्यक्ति गौण होता है तथा इसमें अपनी शक्ति एवं आवश्यकता के आधार पर पद नहीं होते बल्कि स्वयं पद सोपान की आवश्यकता एवं माँग के अनुसार ही होते हैं। इसके कई प्रकार के होते हैं और इसी प्रकार उनमें स्थित औपचारिक पद सोपान भी कई

प्रकार का होता है। पिफ्नर तथा शेरवुड (Piffner and Sherwood) ने औपचारिक पद सोपान का चार भागों में विभाजित किया है—

1 कार्यात्मक पद सोपान (Job task Hierarchy)—प्रबंध से सम्बंधित अधिकारों से शक्ति में इस प्रकार के पद सोपान को स्थापित किया जाता है। इस शक्ति से हम व्यक्तियों के सम्बंध में सत्य में सोचते हैं कि वे विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम का विभाजन होता है। छांट यापारा में तथा प्रारम्भिक पद सोपानों में ये कार्य स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं और उन्हें लिखित अथवा प्रकाशित कर औपचारिक तौर बनाया जाता था। यहाँ-या प्रबंध सम्प्राप्त वही तथा अधिक शक्ति हाता में उनमें दो नवान विकास हुए—(i) कृत्यों का वर्गीकरण तथा (ii) नए कार्य तथा स्थितियों की स्थापना के लिए शक्ति का केन्द्रीकरण।

लोक प्रशासन में जब प्रशासन पर राजनीतिक प्रभाव पड़ तथा वतन के सम्बंध में पदोपान किया गया तो औपचारिक कार्य के पद-सोपान की स्थापना आवश्यक हो गई। यदि एक ही भवन में एक भाग कार्य करने वाले व्यक्तियों में से एक दूसरे को स्पर्धा पाता है और दूसरा तीन सौ रूप तो यह स्वाभाविक है कि असमान एवं विरोध पैदा होगा। फलतः समान कार्य के लिए समान वेतन का नारा जोर पकड़ने लगा। इसलिए स्थिति का वर्गीकरण कर दिया गया। आज की सुप्रशासित सरकारी एकाइया में स्थिति वर्गीकरण की प्रभावशाली व्यवस्था है जिसके अनुसार तिन कर्मचारियों के समान कार्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं उनको कार्य की श्रेणियाँ में संगठित कर दिया जाता है। प्रत्येक कार्यकर्ता चाहें वह मण्डल का प्रधान है अथवा कनिष्ठ निपिक उस कार्य करेगा जो उसके वर्गीकृत कार्यों के अनुरूप होंगे।

नागरिक सेवा के विशेष नियमों के अनुसार को भी व्यक्ति अपने वर्ग के कार्य के कृत्यों का पालन नहीं कर सकता। कार्य का पद सोपान एक प्रकार से हाथ के पद सोपान का ही एक संस्करण है। कार्य का वर्गन उत्तरदायित्वों का स्तर करता है तथा पद सोपान के तहत को कार्यक्रम से अंकित बनाता है। जब हम प्रकार के पद सोपान का अध्ययन किया जाता है तो हम उस व्यक्ति का अध्ययन नहीं होता बल्कि पद का अध्ययन होता है। हमका अर्थ यह कदापि नहीं है कि प्रबंध प्रक्रिया में व्यक्तिगत कुशलता एवं तान की अवहनन की जाती है। जब व्यक्तियों का चयन किया जाता है तथा उनको एक पद विभाग पर नियुक्त किया जाता है उस समय उसका विशेषताओं का ध्यान में रखा जाता है। कभी कभी जब व्यक्ति भी अपने कार्य एवं कृत्यों को बर्ल लता है।

2 प्रतिष्ठा का पद सोपान (The Hierarchy of Rank)—प्रतिष्ठा का पद-सोपान एक योग्य अधिकारी वर्ग की शर संकेत करता है। हमका सर्वाधिक

स्पष्ट उदाहरण सना म प्राप्त होता है। नागरिक नौकरशाही म भी उसक उदाहरण प्राप्त हो जात है जस मयुक्तराय अमेरिका म विदेश सेवा नगरपालका पुलिस विभाग और ब्रिटिश प्रशासकीय बग। प्रतिष्ठा का पद-सोपान काय के पद सोपान से भिन्न हाता है क्योंकि स्तर किसी विशेष काय स बधा हुआ नहीं रचना। उदाहरण के लिए एक बनल पनन ही रहता है चाह वह पन्ध सेना वा आरण दे रहा हो अथवा वाशिंगटन बठा हुआ क गजा मे सर खपा रहा या। वह तब तक बनल बाा रहेगा जब तक कि वह या तो ब्रिगेडियर न बन जाए अथवा सेवा निवृत्त न हो जाए। काय का पद-सापान यक्ति के कायों पर अधिक ध्यान देना है जबकि प्रतिष्ठा के पद सोपान म व्यक्ति क स्तर वेतन एव विशेष अधिकारो को दृष्टि म रखा जाता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रतिष्ठा के पद सोपान म काय अथवा उत्तरदायित्व के स्तर स किसी प्रकार का सम्बन्ध ही नहीं हाता। प्रतिष्ठा की मान्यता अधिकांश योरोपीय नागरिक सेवा व्यवस्थाओ की विशेषता ह।

3 कुशलता का पद सोपान (The Hierarchy of Skills)—एक संगठन कुशलताओ के पद सोपान पर भी आधारित रहता है। कमचारी वा के प्रशासन के लिए काय की माहिरा की जाती है उसम प्रत्येक स्थिति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एव अनुभव का भी उल्लेख रहता है। प्रत्येक पद सोपान के शीप स्तर पर ऐसे काय होते हैं जिनमे प्रशासकीय कुशलता की आवश्यकता होती है जैसे—नियोजन जन सम्पर्क तथा समन्वय आदि। ये सभी सामान्यता (Generalist) की विशेषताएँ होती हैं जो जगल को उसक पूणरूप म देख सकता है। वह विशेष वृक्षा को भी देखता है किंतु केवल एक इकाई क रूप म। वह दूसर के कायों को वह स्तर पर संगठित करने की योग्यता रखता है। वह एक वकील इजीनियर रसाय शास्त्री आदि का आवश्यक ज्ञान भी रख सकता ह किंतु एक प्रशासक के रूप म उसक कर्तव्य उस पर निभर नहीं करत।

प्रशासक के नीचे कायदाहक प्रबंधका का पद होता है जि का न यपालिका का जा सकता है। वे लॉ के सुपरिन्टेण्ट सम्भाग क अध्यक्ष तथा जनरल फारमन होते हैं। ये लोग भी समन्वयकता होते हैं किंतु इनका लक्ष्य प्रतिदिन के उपादन का निरीक्षण करना है न कि उच्च नीतिया का निधारण। उनक बाह्य प्रतिदिन क काय क तात्कालिक निरीक्षक हात है।

—स प्रबंधक योग्यता के पद सोपान क प्रतिरिक्त यावर्सा क एव तफ्तीकी कुशलता का पद सोपान भी हाता ह। एव औद्योगिक संगठन म शीप स्तर पर अनुसंधानकर्ता बतानिक होत हैं। उनक बाह्य उत्पादन इजीनियर प्रबंध इजीनियर तथा अनेक कथदाहक विशेषता जस—सहापाल सांख्यिकीकर्ता आदि हाते हैं। ये

याग्यताएँ कल्लिज के प्रशिक्षण पर आधारित रहती हैं। तबनीकी कुशलता में भी अनेक पत्र-म हात हैं तथा यह मजदूर तक विस्तृत होती है।

यहाँ यह बात ध्यान रखनी योग्य है कि औपचारिक संगठन में कुशलताप्राप्त कर्मचारियों पर हम कारण जोर दिया जाता है क्योंकि यह कर्मचारी की संपन्नता के लिए आवश्यक होता है। व्यक्ति एक कार्य के लिए हमें वाग्य निधुक्त किया जाता है क्योंकि उसमें तत्सम्बन्धी योग्यताएँ हैं अर्थात् वह एक उचित समय में प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। आज बड़े स्तर के उत्पादन के युग में हाथ के काम का अथवा शोध कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

4. धन का पद सापान (Pay Hierarchy)—बड़े स्तर के संगठनों में धन का पद-सापान होता आवश्यक है। धन तथा परिश्रमक प्रशसन अपने आप में एक विशेषता बन गया है जिसके लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी विश्वनाथ कर्ताप्रा का आवश्यकता होती है। इस प्रशसन में वनानिक तरीके के कुछ तत्त्वा का अपना लिया है। सारिकी दृष्टिकोणों का अपनाया जाता है। धन के पद-सापान में धन के योग्य वस्तु होता है।

पद-सापान पद्धति का मूल्योक्त (गुण योग्य)

पद-सापान सिद्धांत जसा कि मूल में लिखा है संगठन का एक सार्वभौमिक सिद्धान्त है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से नियामकाय आयोग स्थायी निकाय और अल्प स्वतंत्र प्रशसकीय निकाय किसी पद-सापान का अंग नहीं होते और इसलिए उन्हें इन नियमों का अन्वय माना जा सकता है तथापि उनका आन्तरिक संरचना पद-सापान सिद्धांत के आधार पर ही मयोजित होती है। पद-सापान सिद्धांत की सार्वभौमिकता के मूल में इससे निम्नलिखित लाभ या गुण हात है—

1. जसा कि डा. एम. पी. शर्मा ने लिखा है—इस सिद्धांत के द्वारा ही कार्य विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले संगठन की विविध इकाइयों का समाकलन अथवा एकीकरण किया जाता है। यही वस्तु धागा है जिसके द्वारा विभिन्न अंगों का एक साथ पिराया जाता है। कोई भी संगठन उस समय तक प्रभावशाली नहीं हो सकता अथवा सामूहिक कृत्य का संयोजन नहीं कर सकता जब तक कि उसकी विविध इकाइयों को एक सुसम्बद्ध समूह में समाकलित अथवा एकीकृत नहीं किया जाए। यही कारण है कि पद-सापान सिद्धांत ममस्त प्रकार के संगठनों के लिए सार्वभौमिक रूप से अनुपाय है। इसका सबसे पहला अंग सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सिद्धांत संगठनात्मक समाकलन तथा सामंजस्य का उपकरण है। मुख्य कार्य पालिका एक के बाद एक जरी की बड़ियों के समान प्रत्येक कर्मचारी से सम्बद्ध रहती है।

2. पद-सापान सत्ता तथा उत्तरदायित्व के प्रयोजन (Delegation) के सिद्धान्त पर आधारित होता है अतः उसका अनुसार अनेक निष्ठावक के रूपों का

स्थापना करनी जाती है। किसी एक व्यक्ति अथवा कर्म पर काम का अधिक भार अथवा ज़िम्मेदारी नही हाता। विभाग का अध्यक्ष स्वयं ही प्रत्येक निगाय करने की अनिवार्यता से मुक्त हो जाता है।

3 किसी संगठन के बड़े हान और उसके कार्य के दर दूर तक फल हान पर पद मोपान के क्रम के द्वारा ही केवल तथा संगठन के दूरस्थ भागों में सम्बन्ध कायम रखा जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण विभाग प्रभावपूर्ण रीति से कार्य करने के लिए एक मूल में बंध जाता है।

4 त्रिक प्रवस्था (Scalar System) उचित माग द्वारा (Through Proper Channel) के सिद्धांत की स्थापना करती है। यह सर्वोच्च अधिकारी का समय बचाती है। अनेक बातों का निराकरण उसके पास तक पहुंचने में पूर्व ही कर लिया जाता है। उचित माग द्वारा अथवा समुचित माध्यम का सिद्धांत इस बात का आशवासन है कि प्रशासकीय प्रक्रिया में छोटे रास्ते (Short cuts) नही बोज जाएंगे अर्थात् मध्यवर्ती कांडया की उपेक्षा नही की जाएगी।

5 त्रिक व्यवस्था में आदेश की एकता (Unity of Command) का सिद्धान्त पूरा तामू होता है। एक व्यक्ति का केवल एक ही तत्काल उच्च अधिकारी (Immediate Superior) होगा जिससे यह आज्ञाएं प्राप्त करेगा।

6 त्रिक सिद्धान्त संगठन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के सापेक्ष उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण करता है। यह बात बिना स्पष्ट होती है कि कौन किसके अधीन है और इस प्रकार किसी प्रकार के भ्रम की सम्भावना नहीं रहती। पाल एच एपलबी के अनुसार के पद मोपान वह साधन है जिससे खोता का आनुपातिक प्रयोग किया जाता है कार्यकर्ताओं का चुनाव किया जाता है उनको कार्य दिया जाता है और इन सब बातों के पारस्परिक प्रवर्तन को गति प्राप्त होती उसकी समीक्षा की जाती है तथा उसमें संशोधन किए जाते हैं।

पद-मोपान सिद्धान्त निर्दोष नहीं है। लोक प्रशासन के विज्ञान में इस सिद्धांत के कुछ मुख्य दोषों की गणना निम्न प्रकार की है—

1 पद मोपान पद्धति के कारण कार्य के निपटाने में अनिवार्यता देरी होती है। इस व्यवस्था की मूल अवधारणा यह है कि प्रत्येक प्रस्ताव को त्रिक मोपान के प्रत्येक पद से होकर ऊपर जाना चाहिए तथा वर्तमान से स्वीकृति मिलने पर क्रिया-कर्म के लिए पुनः उस उत्तरोत्तर क्रम से नीचे की ओर अवतरित होना चाहिए। समुचित साध्य के कठोर नियम के अनुसार प्रत्येक प्रस्ताव और आदेश का ज्ञान जान में आक भीदिया से हाकर गुजरना पड़ता है। इसमें कई दिन सप्ताह अथवा महीना लग सकते हैं।

2 पद-मोपान पद्धति के अंतर्गत पाल पीताशाही (Red Tapisism) और नौकरशानी पद्धति है।

3 पद सापान के जगतीबद्ध मिद्धात का उलघन होता ह । किमी मध्यस्थ अधिकारी को उपक्षा कर काम करवा निया जाना * नो इमम अनियमितता और अस-नोप उत्पन्न हाता है । निस अधिकारी म काम आडर नगी आता वह *म वारे म कुद्ध कुद्धना होता है और साथ ही य* भी मोचना है कि मने अधिकार का उ-नघन क्या किया गया ।

4 एक बडा दोप यह है—जब अ एक*म म म गीधा सम्पक स्थापिन करे व का उम विंग वाय क सम्बन्ध म अवगत कराया जाना आवश्यक ह । व* वार अवगत करान म अनियमितता * जाती * तो फिर अय कय क विगडने की सम्भावना र*नी ह क्याकि व अस-तुष्ट हो जाता ह । आगे वह अपने अधिकारों क निए तयकरक गृहण आर का* काम *म तरह नहीं हान दगा ।

5 प* सापान पद्धति क अ-नगत संगठन औपचारिक (Formal) सम्बन्धा पर ही आधारिन होता है जिसस उमका विकान अवच्छेद हा जाता ह । अनौ-चारिक सम्बन्धा के विकसिन न हान स अनक नटिन समस्याए सामने आती ह ।

प*-सोपान क गुण दोषा का मूयाकन करें ता हम इस निष्कष पर प*चत है कि *स पद्धति म गुरा अधिक है दा* कम । पद-सापान क दोगा से बचन क दा मध्य उपाय है—प्रथम जसा कि फयोन (Fayol) न लिखा ह कि पद-सापान की औपचारिक रखाआ के आर पार पुला का निमाग कर निया जाना चाहिए ताकि एक विभाग अथवा सम्भाग के अधीनस्थ अधिकारी दूनर निभाग अथवा सम्भाग न अपन सम स्तरीय अधिकारिया से साधा सम्पक रर सकें । द्वितीय एक हा विभाग क दा अधिकारी अपन मध्यस्थ द्वारा सम्पक स्थापित न कर मीधी वाता भी कर सकत हैं किंतु ऐसा करने स पहले दा वाता का ध्यान रखना होगा—प्रथम दोना के वाच विचारा क आदान प्रदान तथा निगयो म मध्यस्थ अधिकारी को सूचिन रखता हागा । दूनरे एसा करते समय उस बीच क अधिकारा का पूरा विश्वास प्राप्त हाता चाहिए । इन दोना शर्तों क पूरी हा जाने पर प*-सापान का व्यवस्था स उपन नोन वाली परेशानिया बहुत कुद्ध सीमा तक कम अथवा सम*प्त की जा सकती है और प*-सोपान की अवस्था वा भी कायम रखा जा सकता ह । वस्तुन हम यह मानकर चलना चाहिए कि पद-सापान या नमिक् *पवस्था म्वय कोइ अन्तिम उद्गम्य नती है । यह ता संगठन अ-तगत कायात्मक सह-सम्बन्ध (Functional Co relation) स्थापित करने का एक माध्यम है । अत संगठन के शीघ्र एवं कुशल काय-संचानन क निए अनक वार अ-न मागों की स्थापना की जाती है जिसस काय सुचारु रूप स शीघ्र सम्पान हाता ह ।

नियन्त्रण क्षेत्र

(Span of Control)

संगठन अथवा प्रशासन म नियन्त्रण का आवश्यकता स्वयंसिद्ध ह । विंग

नियंत्रण के कोई साठन अथवा कोई भी प्रशासन समबन्धित रूप में संचालित नहीं किया जा सकता। नियंत्रण की व्यवस्था में उद्देश्य यह देना होता है कि संगठन अथवा प्रशासन की इकाई के कमचारी लिए गए आदेशों निर्देशों और नियमों का अनुसरण काम कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि इस प्रकार की देखभाल नहीं की जाए तो स्वाभाविक है कि संगठन अथवा कार्यालय का काम अक्षयस्थित तथा शिथिल हो जाएगा।

नियंत्रण का क्षेत्र (Span of Control) का अर्थ

नियंत्रण का अर्थ स्वभाविक रूप से नियंत्रण के विस्तार या क्षेत्र का प्रश्न उठता है। एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ कमचारियों के कार्य का क्षमतापूर्वक अधीक्षण कर सकता है यह नियंत्रण क्षेत्र की समस्या है। दूसरे शब्दों में नियंत्रण क्षेत्र से हमारा अभिप्राय अधीनस्थ कमचारियों की उस संख्या से है जिसके कार्यों का अधीक्षण नियंत्रण एक अधिकारी क्षमतापूर्वक कर सकता है। पारिभाषिक रूप में जता कि डिमॉक (Dimock) का कथन है नियंत्रण का विस्तार किसी उच्चम के मुख्य निष्पाक तथा उसके मुख्य साथी कार्यालय (Principal fellow offices) के बीच सीधे एवं स्वाभाविक संचार की संख्या एवं क्षेत्र है।

नियंत्रण विस्तार के सिद्धांत का अनुसार किसी भी अधिकारी के नियंत्रण का क्षेत्र बंदव जना ही रखना चाहिए अतः वह कुशलतापूर्वक सम्भाल सके। अधिकारियों की सामर्थ्य से अधिक या कम क्षेत्र का होना उचित नहीं है। मानवीय ध्यान क्षेत्र (Span of attention) सीमित होता है अतः कोई भी एक पदाधिकारी कमचारियों की अससीमित संख्या का भारी भाति निरीक्षण नहीं कर सकता। जान डी मिन्टेल ने ठीक ही लिखा है कि अनुभव और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी भी प्रशासकीय अधिकारी की पर्यवेक्षण क्षमता की सीमा रहती है। यदि अधिकारी की सामर्थ्य से कम नियंत्रण क्षेत्र रखा जाए तो वह भी अनुचित है क्योंकि इसका अर्थ है कि अधिकारियों की क्षमताओं और सामर्थ्य का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

नियंत्रण क्षेत्र की सीमा क्या है ?

अब यह प्रश्न उठता है कि नियंत्रण क्षेत्र की सीमा कितनी होनी चाहिए। इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। वहीं नियंत्रण क्षेत्र का असंतुलित विस्तार हानिकारक है वहीं क्षेत्र का बहुत सीमित होना भी बुरा है। हेनरी फयाल (Henry Fayol) का मत है कि एक बड़ा उच्चम के शिक्षक स्थित प्रबंधकों के नीचे पांच या छह से अधिक अधीनस्थ कमचारियों नहीं होने चाहिए। एल. उर्विक (L. Urwick) का विचार है कि उच्च पदाधिकारियों के लिए आठ या बारह। प्रवृत्तन (Graicunas) ने लिखा है कि कोई उच्च अधिकारी पांच अथवा छह अधीनस्थ कमचारियों से अधिक कार्य

का उचित निर्देशन नहीं कर सकता। मन्दिरे संगठन के सम्बन्ध में सर हर्मिस्टन न एक बार कहा था एक औसत मानव मस्तिष्क तीन से छ भय मस्तिष्का का ही प्रभावशाली निरीक्षण कर सकता है।

स्पष्ट है कि नियंत्रण विस्तार का मामला के सम्बन्ध में कोई एक सुनिश्चित मत नहीं हो सकता। कमचारियों की आदेश सभ्यता की लोचन करना जिस पर कि एक उच्च अधिकारी नियंत्रण रखने में सक्षम हो निरर्थक है। प्रशासन की गतिशीलता ही प्रशासन की सफलता की परिचायक है यह बहुत कुछ शीपस्थ अधिकारी की योग्यता नवृत्त बुधनता और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करता है कि वह किन्तु अथी स्व कमचारियों को अपने नियंत्रण में रख सकता है। फिर भी विद्वान् यह निश्चित करने के लिए अद्यतन प्रयत्नशील हैं कि नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की सम्बन्ध क्या हो चाहिए। सामान्य महमति हमें वात पर पार्ति जाती है कि—

(क) प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित नियंत्रण क्षेत्र होता है और यदि इन सीमा का उल्लंघन किया जाए तो काम के अवरुद्ध होने की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।

(ख) नियंत्रण क्षमता में चार तत्त्वा के कारण विविधता उत्पन्न होती है—
काय (Function) व्यक्तित्व (Personality) काल या समय (Time) और स्थान (Space or Place)।

नियंत्रण क्षमता निर्धारित करने वाले तत्त्व

नियंत्रण को हम किसी कठोर विस्तार क्षेत्र की सीमा में नहीं वाध सकते। नियंत्रण का क्षेत्र किन्तु होगा अर्थात् एक अधिकारी जितने कमचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रख सकेंगा यह बहुत कुछ उपयुक्त चार तत्त्वा पर निर्भर करता है अतः इन तत्त्वा का विवेचन आवश्यक है—

1/ काय (Function)—इसका अर्थ है काय की प्रकृति अर्थात् किस प्रकार के काय का नियंत्रण किया जाता है और अधिकारी जिन व्यक्तियों का नियंत्रण कर रहा है उनके कार्यों की प्रकृति उसके अपने कार्यों की प्रकृति के समान ही है अथवा नहीं। यदि कार्यों की प्रकृति समान है तो नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक हो सकता है क्योंकि अधिकारी की नियंत्रण क्षमता बढ़ जाती है।

2/ व्यक्तित्व (Personality)—इसका अभिप्राय अधिकारी या अधीक्षक और सम्बन्धित सहायका की क्षमता से है। किसी भी संगठन में व्यक्तित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्त्व होता है। यदि अधीक्षक या नियंत्रक का व्यक्तित्व बहुत उच्च है उसमें नवृत्त की असाधारण क्षमता है उसके कार्य करने की गति तीव्र है उसका प्रशासनिक ज्ञान बहुत बड़ा होता है तो वह कमचारियों की काफी बड़ी सभ्यता पर नियंत्रण रख सकता है। निम्नी प्रशासन में एस उदाहरणों की कमी नहीं है।

3 काल या समय (Time)—इसका अभिप्राय सगठन की आयु से है। यदि सगठन पुराना और जमा हुआ है तो नियंत्रण का क्षेत्र सरलता से विस्तृत किया जा सकता है। पुराने और सुव्यवस्थित सगठन की तुलना में नए सगठनों में परस्परप्रायास का अभाव होता है और उच्च अधिकारियों के सामने नई-नई समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। अतः स्वभावतः नए सगठन में नियंत्रण का कार्य पुराने सुव्यवस्थित सगठन की अपेक्षा बम तीव्र होता है।

4 स्थान (Place or Space)—इसका अर्थ यह है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से एक ही स्थान या भवन में केंद्रित है अथवा दूर-दूर तक फैले हुए हैं। यदि एक ही स्थान में केंद्रित हैं तो नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना उचित होगा पर यदि दूर-दूर स्थित हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र छोटा रखना ही उपयोगी होगा। जहाँ सहायक अधिकारी मुख्य अधिकारी या अधीनस्थ के स्थान पर ही कार्य करते हैं वहाँ परीक्षण एवं नियंत्रण सरल और तीव्र होता है दूर होने पर ऐसा नहीं होता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नियंत्रण का कार्यक्षेत्र परिवर्तित होना रहना है और इस विभिन्नता के मूल में उपयुक्त चारों तत्त्व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभते हैं। सामान्यतया नियंत्रण क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धांतों पर सहमति पाई गई है—

(i) योग्यतम व्यक्तिगत में भी नियंत्रण और निरीक्षण करने की शक्ति सीमित होती है असीमित क्षमता कर्तों नहीं पायी जाती।

(ii) उत्तरदायित्व जितना बड़ा होता है सतिय नियंत्रण का क्षेत्र उतना ही सङ्कुचित होता है।

(iii) समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में नियंत्रण क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत हो जाता है।

नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र निश्चित करने में बड़ विद्वक से काम लेना चाहिए। सकलर हडसन (Seckler Hudson) के अनुसार यदि नियंत्रण का क्षेत्र असीमित कर दिया गया तो उसमें भी कई खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। जितने भी वेदने आएँ उनका विस्तार से निरीक्षण किया जाएगा तथा अधीनस्थों को उनकी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। इससे अनिश्चित छोटे नियंत्रण क्षेत्र का अर्थ होता है अज्ञान देने वाला की मात्रा बढ जायगी। वास्तव में यह बहुत कठिन है कि नियंत्रण के क्षेत्र की एक मात्र सख्या तय की जाय। पिछले लगभग 25 वर्षों से नोकप्रशासन के लेखकों ने यह सद्दा प्रकट करने प्रारम्भ किया है कि क्या नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धान्त सगठन की प्रकिया वास्तविक रूप को समझने में सहायता कर सकता है। सन् 1946 में हबर्ट सांडा का प्रसिद्ध निबंध (The Proverbs of Administration) इन प्रश्नों को उभारने का एक सफल एवं प्रभावशाली प्रयास माना जाता है।

नियंत्रण का क्षेत्र और पद सापेक्षता (Span of Control and Hierarchy)

नियंत्रण के क्षेत्र का पद-सापेक्षता की अवधारणा में गहरा सम्बन्ध है। यह उसका मान्यता पर पराप्त प्रभाव मान्यता है। एक संगठन के पिरामिड में कितने स्तर होना चाहिए यह बात भी उसी सिद्धान्त के आधार पर तय की जा सकती है। कहा जाता है कि एक मानव रक्त की एक गैंग के समान है। यदि आप इन एक गैंग टालेंगे तो यह उड़ने के बजाय जड़ हो जायेगी। इस प्रकार यदि बीम विभागा के अध्यक्ष मिलकर एक ही अध्यक्ष का प्रपन प्रतिबन्ध प्रस्तुत करेंगे तो संगठन अव्यवस्था हो चौरस बन जाएगा। यदि उसी आर-अध्यक्ष का कर्मचारी व्यक्ति प्रतिबन्ध दें और अन्य भाग से भी रिपोर्ट प्रस्तुत करें तो गैंग में अधिक स्तर उत्पन्न होंगे। यह कहा जाता है कि एका ही स्तर पर अधिकारी की सम्ख्या कठिन से 7-8 ही कराना पड़ेगा अन्यथा उसमें अफेयन का प्रभाव पड़ेगा और इससे उत्पादन में सत्रह व्यक्ति किसी के माध्यम से बनें करत है। अतः यह मान्यता है कि पर्याप्त ही बत जायेगी। इस सिद्धान्त की सीमा हीता का बर्णन करत हुए निम्नर तथा 'रबु' ने लिखा है कि 'स' प्रकार 'स' लाभ के वाक्य नियंत्रण का क्षेत्र प्रणालिक मन्त्रि म बना धिया हुआ है कि संगठन का प्रत्येक पुस्तक में मन्त्रवपुण म्थान गिया जाता है।

नियंत्रण के क्षेत्र पर साइमन के विचार (Simon on Span of Control)

हवट मान्यता के अनुसार नियंत्रण के क्षेत्र से यह समझा जाता है कि एक प्रशासक का सीधा रिपोर्ट देने वाले अधीनस्थों की संख्या कम कर दी जाए तो प्रशासक का कार्यकुशलता बढ़ जायेगी। इस विचार के समर्थन में अनेक तर्क दिए जाते हैं। साइमन ने सबविधि तर्कों का गिनाना आवश्यक समझ कर उनके प्रमाण का एक ग्रन्थ कहावत प्रस्तुत करत हैं जो उनकी सिद्धि न होत नये भी नियंत्रण के क्षेत्र से विपरत है और उनका ही स्वीकार करत योग्य है। यह कहावत 'स' प्रकार है—

एक विषय का स्वरूप में परिणत होत से पूर्व जिस संगठनात्मक स्तर में होकर गुजरता है उसकी संख्या कम से कम रखन पर प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ता है।

अनेक प्रशासनिक विषयों पर अनेक तर्कों का साक्ष्य करत हैं तो स दूसरा कहावत में उनका पयापन निर्देशन प्राप्त होता है। फिर भी इस सिद्धान्त का परिणाम होत हैं वे नियंत्रण के क्षेत्र से ठीक विपरत जान हैं। यह परिणाम 'अ' का एकता और विभाजन के सिद्धान्त। नियंत्रण के क्षेत्र का सीमा प्रणाली तथा संगठन के स्तरों का कम करना का विरोधाभासी है। एक ही स्तर से अनेक कारनाक प्रभाव पड़ता है।

अनिविराध यह है कि एक बड़ सगठन में जहां मदस्यों में पारस्परिक सम्बन्ध रहते हैं यदि नियन्त्रण का क्षेत्र सीमित कर लिया जाए तो इससे लाभपीताशाही बच जायेगी क्योंकि सगठन के मदस्यों का प्रत्येक सम्पर्क तब तक आग बलता चला जाएगा जब तक उन्हें समान उच्चता प्राप्त न हो जाए। यदि सगठन काफी बड़ा है तो किसी भी कार्य पर निर्णय होने के लिए उसे ऊपर के कुछ स्तरों में होकर गुजरना पड़ेगा और इसी प्रकार आनाआना एवं अनुदेशों को भी नीचे कई स्तरों में निकलना होगा। यह एक जटिल तथा समय नगान वाली प्रक्रिया है।

एक पक्ष का विचार यह कि प्रत्येक अधिकारी की आज्ञा के अधीन नितन व्यक्ति हैं उनकी सख्या बढा दी जाए ताकि पिरामिड के ऊपर तक पहुँचने का माग छोटा हो जाए क्योंकि बीच के स्तर कम हो जाएंगे किन्तु इसमें भी कठिनाई है। यदि एक अधिकारी को बहुत अधिक कमचारिया का निरीक्षण करना पड़ता है तो उन पर उसका नियन्त्रण कमजोर हो जायेगा। अभी तक जो प्रशासन के विद्वानों ने नियन्त्रण के क्षेत्र की कोई ऐसी सख्या निर्धारित नहीं की है जिसको अपनाकर उक्त दोनों ही अतियों से बचा जा सके।

नियन्त्रण का क्षेत्र निश्चित करने वाली शकुनाज को विचारधारा

(The theory of Graicunas to decide the Span of Control)

वी ए शकुनाज (V A Graicunas) ने सन् 1933 में एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था सगठन में सम्बन्ध (Relationship in Organization)। इस लेख में उन्होंने अधीनस्थ एवं उच्च अधिकारियों के सम्बन्धों की समस्या पर विचार किया है। उन्होंने एक गणितीय सूत्र (Mathematical Formula) विकसित करके यह प्रतिपादित किया है कि जब अधीनस्थों की सख्या बढ जाती है तो गणितीय रूप में सम्बन्धों (Relationship) की सख्या भी बढ जाती है। प्रोफेसर हेमन के अनुसार उनका अध्ययन अनुभवयुक्त निरीक्षण पर आधारित नहीं है किन्तु शीर्ष पर प्रबंध के क्षेत्र में परिवर्तन करने से एक सगठन की क्या स्थिति होगी इस बात का एक गणितीय प्रस्तुतीकरण है। शकुनाज ने यह बताया है कि उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के साथ सम्बन्ध कायम रखने में हमेशा श्रद्धावात मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि उसका न केवल प्रत्यक्ष अधीनस्थों का प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है बल्कि उसके सम्बन्ध अधीनस्थों के विभिन्न समूहों से और अधीनस्थों के पारस्परिक सम्बन्धों से भी है।

इन सम्बन्धों की सख्या प्रबंधाधीन समूहों की सख्या के साथ-साथ बढती रहती है। शकुनाज ने मुख्यतः ऐसे तीन प्रकार के सम्बन्धों का वर्णन किया है—1 प्रत्यक्ष द्विहरे सम्बन्ध (Direct Single Relationships) 2 प्रत्यक्ष समूह सम्बन्ध (Direct Group Relationships) और 3 आडम्बन्ध सम्बन्ध

(Cross Relationships) । प्रत्यक्ष स्तरों के सम्बन्ध किन्हीं सर्वोच्च अधिकारी और उसके तत्कालिक अधीनस्थों के साथ व्यक्तिगत एवं परोक्ष रूप में होते हैं । उदाहरण के लिए यदि क के तीन अधीनस्थ हैं—ख ग घ ता यन् तीन प्रत्यक्ष स्तर सम्बन्ध बन जायेंगे । प्रत्यक्ष समूह सम्बन्धों का अर्थ है—सर्वोच्च अधिकारी और अधीनस्थों के प्रत्येक सम्भावित समूह के मध्य सम्बन्ध । यदि इस दृष्टि में देखा जाए तो उक्त उदाहरण में प्रत्यक्ष समूह सम्बन्धों की संख्या नौ हो जायेगी । सम्भावित सम्बन्धों के तीसरे समूहों प्रोफेसर प्रकुनाज ने आड-खड सम्बन्धों का नाम दिया है । जब एक उच्च अधिकारी के विभिन्न अधीनस्थों को पारस्परिक सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के सम्बन्धों का जन्म हो जाता है । जब अधीनस्थों की संख्या बढ़ने के कारण सर्वोच्च अधिकारी के प्रत्यक्ष सम्बन्ध अनुपात के अनुसार बढ़ जाते हैं तो समूह और आड-खड सम्बन्ध अनुपात में भी अधिक बढ़ जाते हैं । प्रकुनाज का सूत्र इस प्रकार है—

$$n \left(\frac{2n}{2} + n - 1 \right)$$

यह सूत्र सभी सम्भव सम्बन्धों की संख्या बता देता है जिसमें प्रत्यक्ष की रचि हो सकती है और जो उस ध्यान में रखन चाहिए । यहाँ n का अर्थ है अधीनस्थों की संख्या और n का इस सूत्र में अर्थ है सम्बन्धों की संख्या हो जायेगी । इस सूत्र के परिणामों को निम्नलिखित मारणी में स्पष्ट किया जा सकता है ।

अधीनस्थों की विभिन्न संख्या से उत्पन्न सम्भावित सम्बन्धों का योग

अधीनस्थों की संख्या	सम्भावित सम्बन्धों की कुल संख्या
1	1
2	6
3	18
4	44
5	100
6	222
7	490
8	1080
9	2376
10	5210

इस सूत्र के आधार पर हम यह देखते हैं कि अधीनस्थों की संख्या चार हान पर सम्बन्धों की कुल संख्या 44 हो जाती है । यदि एक और अधीनस्थ जोड़ दिया जाए तो नियंत्रण कार्य क्षेत्र पाँच अधीनस्थों का हो जायेगा । सूत्र के अनुसार

सम्भावित ग्राहक सम्बन्धों का बाण 100 का जायेगा। इस प्रकार एक अधीनस्थ जुनू तान मान से सम्भावित सम्बन्ध रसागणितीय रूप में बत जाते हैं। अधीनस्था का सम्बन्ध 25 प्रतिशत वृद्धि करने पर सम्बन्धों का कुल बाण 127 प्रतिशत बत जाता है। यह वृद्धि सम्भवतः चेतावनीपूर्ण है और प्रत्येक प्रबंधक का तालमेल इनका की सम्बन्धों में वृद्धि कर रहा है उसका ध्यान रखना होता है।

यह सूत्र हमको केवल सम्भावनाओं का विश्लेषण करता है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जब एक उच्च अधिकारी का स्तर से अधीनस्थ प्रतिबन्धन के क्षेत्रों में विलंबित जटिल बन जायेगी। वास्तविक व्यवस्था में यह तालिका जित सम्बन्धों का दर्शन करती है वे साकार नहीं बन पाते। विलियम न्यूमन (William Newman) का क्या है कि जब एक उद्यम आकार में बढ़ता है तो कर्मचारी एक स्तर से दूसरे में सभी सम्बन्ध नहीं रख पाते जो सैद्धांतिक रूप से सम्भव है। यह सूत्र कर्ता में भी विलंबित सम्बन्धों का ही उल्लेख करता है। यह सब जानते हुए भी एक उच्च अधिकारी अधीनस्था की संख्या में वृद्धि करते समय पर्याप्त सोच विचार से काम करता है।

युक्तुगज न बताया है कि ग्राहक सम्बन्धों द्वारा अधिक जटिलताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उन तालिकाओं की मना संगठन के बाव्यों का प्रकृति के आधार पर बढती रही है। यदि किमा काय में अधीनस्था को परस्पर कम सम्बन्ध रखने की आवश्यकता है वही जटिलता नहीं बढेगी। इस दृष्टि से हेमिन्टन का कथन पूर्णतः सत्य है कि समूह के सदस्य का उत्तरदायित्व जितना कम होगा समूह उतना ही बड़ा हो सकता है। एन उर्विक न भी बताया है कि कोई भी सर्वोच्च अधिकारी परम्परा में अधीन बाव्यों को पाँच अथवा छ अधीनस्था से अधिक बाव्यों को प्रत्यक्ष रूप से पर्यवसित न कर सकता।

नियंत्रण क्षेत्र की धारणा में परिवर्तन

नियंत्रण क्षेत्र की धारणा आज तथा से बदलता जा रही है। प्रशासन में स्वचालन का प्रयोग बढ रहा है और संचार के द्रत माध्यम विस्तृत हो रहे हैं। तालमेल में विशिष्टता की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि होती जा रही है। हाल ही के वर्षों में तालमेली तालमेल में भारी प्रगति हुई है। स्वभावतः ही विभिन्न कारणों के कारण स्वचालन क्षेत्र को पूर्वापेक्षा काफी अधिक विस्तृत कर देना सम्भव हो गया है। स्वचालन से तो दिन प्रतिदिन लिपिकीय काम कम हुआ ही है और सूचना तथा संचार के द्रत माध्यमों से नियंत्रण क्षेत्र की सीमा बढी ही है लेकिन इस विशाल विशेषता को भूमिका पर्याप्त महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं करती। विशेषतः अपने काम में अज्ञानता का ह्रास क्षय परम्परागत परम्परागत संस्थापन में ही परिवर्तन हो रहा है। विशेषतः बढते हुए सम्बन्ध और स्वतन्त्रता के कारण मुख्य निष्पादक का कार्य नियंत्रण की अपेक्षा सम वय का अधिक होता जा रहा है। वह दिन दूर नहीं है जबकि आगामी दशक में नियंत्रण क्षेत्र की सम्बन्धी धारणा ही बत जायेगी और उसका स्थान पर एक संवयान में धारणा अस्तित्व में आ जायेगी।

सूत्रे और स्टाफ-गुलिक, उर्विक और मूने के
योगदान के विशेष सन्दर्भ सहित
(Line and Staff with Special Reference to the
Contributions of Gullic Urwick and Mooney)

प्रारम्भिक सामान्य परिचय के रूप में यह ज्ञाना हुआ कि (प्राथमिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए जिस यंत्र की रचना की जाती है उसे जोष पत्र मुख्य कार्यपालिका हाती है जिस अपन गुफुत्तर कार्यों और नाधिका के निवृत्त के लिए प्रापक शक्ति का दान की जाती है तथा जिसकी सहायता एक मवीदग द्वारा की जाती है। उसके अधीन अधिकारिया में से कुछ का सम्बन्ध नीति सम्बन्धी कार्यों के निष्कारण से और अन्य का उन नाधिका के विनाशयन में सहायता पहुंचने से होता है। नीति निर्माणक अधिकारणा की सहायता के लिए एक मत्रणा देन का वाक्य नेता है जिसके कार्य केवल परामर्शमक नून से आदेणा मक नहा। जिम वग का सम्बन्ध नीति सम्बन्धी कार्यों से होता है उसे हम मून अथवा ग (Line) अधिकरण कहते हैं और उस कार्य में जो केवल मत्रणा आदि देर सहायता कर्ता है उसे स्टाफ (Staff) अधिकरण कहा जाता है। प्रशामन कार्य में सहायता पत्रान चाना एक अय अधिकरण नी होता है जिम सहायक (Auxiliar) अधिकरण कहते हैं। यह अधिकरण सभी विभागों में एक जमा का सम्पन्न करता है। कुछ नखका में इस स्टाफ अधिकरण का भी एक अय माना है तथापि सामान्य बंध अन्य विधानों में एक प्रथम अधिकरण मानते हैं। ✓

स्टाफ और नाशन पत्रा का मतिक प्रशामन की शक्तवला में प्ररुण किया गया है। सना मना प्रकार का काध्या हाता है—मून या ग्रा (Line Units) तथा स्टाफ इकाई (Staff Units)। मुख्य सहायता के प्रधान जनरल कनुन मजर कष्टन आदि अधिकारा नाशन अधिकारी कह जात है जि का कार्य संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध के माल में मना का अर्थ देना और उसका संचालन तथा नतख करना है। नाशन का नफदान उन अधिकारिया के कार्यों पर निभर करती है। यह अधिकारी पत्रापात की सुखता में सम्बद्ध रहते हैं। नागरिक प्रशासन में भी उन अधिकारणा का नाशन की सना प्रदान का पत्र है जिनका हाय में वास्तविक शक्ति रहती है जिनका कार्य प्राता देना हाता है अथवा जा

निर्णय ले सकने है। सैनिक प्रशासन में ज्ञान अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी और कमचारी भी होते हैं जिन्हें युद्धरत सेना के लिए यानायात रस, चिकित्सा डाक आदि का प्रबंध करना होता है। इन सब कार्यों को देख रेखा स्टाफ इकाइयाँ करती हैं। स्टाफ की सहायता के बिना सैनिक युद्ध नहीं लड़ जा सकते हैं। नागरिक प्रशासन में भी केवल ज्ञान अभिकरण समय और शक्ति की सीमा के कारण सम्पूर्ण कार्य स्वयं नहीं कर सकता। उन्हें अनेक तत्वों पर विचार करना पड़ता है और समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान तथा योग्यताओं का आवश्यकता होती है अतः उनकी सहायता के लिए अन्य पक्ति नियुक्त किए जाते हैं जिनका कार्य सैनिक प्रशासन के स्टाफ वर्ग के लोगों से बहुत कुछ मिलता जुलता है और इसीलिए उन्हें भी स्टाफ अभिकरण कहा जाता है।

स्टाफ अभिकरण अर्थ

(Staff Agencies Its Meaning)

स्टाफ अभिकरण का मुख्य कार्य परामर्श और सहायता देना है। जिस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति छोटी का सारा नैकर चलता है उसी तरह साइन अथवा सूत्र अभिकरण स्टाफ अभिकरण का सारा लेकर कार्य संचालन करता है। स्टाफ द्वारा यह प्रबंध सम्बन्धी (House keeping) या प्रबंध सम्बन्धी (Managerial) सहाय सम्पन्न की जाती है ताकि मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हो सके। (मुख्य कार्यपालिका के सामने जो विषय और यापक समस्याएँ आती हैं उनके बारे में आवश्यक सूचना एकत्रित करना तथा का अन्वेषण करना समुदाय के लिए मार्ग योजना तथा किस मार्ग का अपनया जाए इस सम्बन्ध में सलाह देना आदि कार्य स्टाफ अभिकरण का करण होता है। इस दृष्टि से यह प्रशासनिक पक्ति का ही विस्तार माना जाता है।)

विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार से स्टाफ अभिकरण का परिभाषित किया है। हनरी फोर्ब्स ने लिखा है कि यह एक सत्ता है, यह प्रबंध के विचार का एक प्रकार में विस्तार है ताकि अपने कर्तव्यों की पूर्ति में उसे सहायता मिल सके। हाश्ट के शब्दों में स्टाफ उच्च स्तरों के पदाधिकारियों को परामर्श देने वाला अभिकरण है जिसके कोई क्रियात्मक उत्तरदायित्व (Operative Responsibilities) नहीं होते। यन्ने के अनुसार स्टाफ अभिकरण कार्यपालिका के व्यक्तित्व का ही विस्तार है जिसका अर्थ है अधिक आलोचक अधिक कान अधिक हाथ जो उसकी योजना के निमाण और उसके निष्पादन में उसे सहायता दे सकें। एक पुरानी ब्रिटिश सैनिक कानून के अनुसार स्टाफ सेवाएँ व सचिव हैं जो युद्ध लड़ने वाले सैनिकों के लिए सामग्री ढालते हैं।

एपिलबी का मत

आधुनिक विचारधारा में स्टाफ और सूत्र के भेद को अधिक बढ़ा चला कर प्रस्तुत नहीं किया जाता क्योंकि दोनों गाड़ी के दो पहियों के समान इस तरह घनिष्ठ

हम में सम्मिलित है कि उन्हें पूर्णतः पृथक् इकाइयाँ में विभाजित करना लगभग असम्भव है। भारत में सूत्रणा अथवा स्टाफ अधिकरण में मन्त्रि मण्डलीय सचिवालय मन्त्रि मण्डलीय समितियाँ योजना प्रायोग वित्त मन्त्रालय वाता और आर्थिक मामलों का मन्त्रालय गृह मन्त्रालय में प्रशासकीय सतकता सम्भाव्य और वित्त मन्त्रालय में विशेष पुनसंगठन इकाई गणना की जाती है। पाल एच एपिलबी को भारतीय प्रशासन में स्टाफ और सूत्र के भेद का स्पष्ट रूप से समझन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस सन्दर्भ में कहा था— यहाँ एमी कोई शब्दावली और ऐसा कोई ढाँचा नहीं है जो सूत्र तथा स्टाफ के बीच विभेद कर सके। भारत में ये शब्द संगठन के ढाँचे में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। प्रायेण उन्होंने पुनः कहा— प्रतिरक्षा, विदेशी मामला और वैदेशीय वारा के मन्त्रों के प्रतिरिक्त लगभग सम्पूर्ण वस्तु एक बड़ा स्टाफ संगठन है। इन तब कुछ अर्थ प्रपवादा को छोड़कर नई शिष्टी में काई भी सूत्र कार्य (Line Functions) नहीं है। हमारे शासन में इन प्रपवादों को छाड़कर कनीय सरकार में कोई वास्तविक एवं पूर्ण प्रशासन नहीं है।

स्टाफ का वर्गीकरण

(Various Classifications or Kinds of Staff)

पिफनर तथा प्रिस्थस के अनुसार स्टाफ अधिकरणा को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

(क) सामान्य स्टाफ (The General Staff)

(ख) प्राविधिक या तकनीकी स्टाफ (The Technical Staff)

(ग) सहायक स्टाफ (The Auxiliary Staff)

(क) सामान्य स्टाफ (General Staff)—यह वह स्टाफ है जो सामान्यतया

मुख्य कार्यपालिका के प्रशासकीय कठिनायियों के निराकरण में उसकी सहायता करता है। यह प्रमुख अथवा अर्थ उच्च तरीय कार्यकारी अधिकारियों की परामर्श सूचना संप्रह शोध तथा ऊपर की ओर भेजे जानी वाली सामग्री में से आवश्यक सामग्री की छतरी द्वारा प्रशासकीय कार्य में सहायक निष्ठ होता है। यह स्टाफ का प्रबंध करने वाला व्यक्ति प्रायः एसा होता है जिस पर्याप्त प्रशासनिक प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त हो। सामान्य स्टाफ का काम प्राविधिक स्टाफ सभित प्रकृति का होता है। प्राविधिक स्टाफ का काम केवल प्राविधिक मामलों में परामर्श देना है जबकि सामान्य स्टाफ के सदस्य किसी प्राविधिक क्षेत्र में विशेषज्ञ हन क बजाय प्रशासन का काम में दक्ष व्यक्ति होते हैं। सामान्य स्टाफ अपना अधिकार समय उच्च नीति सम्बन्धी मामलों के नियोजन और पर्यावलोकन में लगाता है।

अधिक विकसित स्वरूप में सामान्य स्टाफ विभागीय एवं समन्वित स्टाफ सेवा का रूप ले लेता है और प्रत्येक अलग स्टाफ अधिकारियों के रूप में असमन्वित

सेवा का रूप ले लेता है और प्रत्येक अलग स्टाफ अधिकारियों के रूप में असमन्वित

परामर्श अथवा सहायता मात्र नहीं रह जाता। यह स्पष्ट है कि यदि विभिन्न मामलों में प्रमुख कार्यकारी को परामर्श देने वाले अनेक पृथक् पृथक् परामर्शदाता हों तो अध्यक्ष के जिम्मे एक यह काम और आ जाता है कि वह उनके पृथक्-पृथक् परामर्शों को सुव्यवस्थित अथवा निरूपण के रूप से समन्वित करे। बड़ सगठनों में यह कार्य बहुत बोझिल बन जाता है। अतः अध्यक्ष को रुठिनाई और समय के अप्रत्यय से बचाने के लिए विविध स्टाफ सेवाओं को एक ऐम विभाग के रूप में संगठित किया जा सकता है जो भिन्न भिन्न स्टाफ इकाइयों से प्राप्त परामर्शों को सुव्यवस्थित और समन्वित करे तथा प्रमुख कार्यकारी के सामने इस बारे में साफ निष्पत्ति प्रस्तुत करे कि क्या निरूपण किया जाना चाहिए। किसी सगठन में सामान्य स्टाफ का यह विभागीकरण आरम्भ में नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि स्टाफ का एक निश्चित विकसित अवस्था में पहुँच जाए। इसका सबसे अधिक विकसित स्वरूप हमें सेना में दिखायी पड़ता है। परन्तु यहाँ धीरे धीरे लोक प्रशासन में भी प्रकट हो रहा है।

भारत में मुख्य कार्यपालिका का सामान्य स्टाफ इस प्रकार है (1) मंत्रिमण्डलीय सचिवालय (Cabinet Secretariat) (2) प्रधान मंत्री का सचिवालय (3) मंत्रिमण्डलीय समितियाँ (4) योजना आयोग (5) वित्त मंत्रालय में बजट तथा आर्थिक मामलों का विभाग जो कि बजट सम्बन्धी कृतियों को पालन में मुख्य कार्यपालिका को सहायता देता है एवं (6) मंत्रालय में प्रशासनिक सतर्कता सम्बन्ध (Administrative Vigilance Commission)।

सामान्य स्टाफ अपना कार्य सन्तोषजनक रूप में और कुशलता के साथ सम्पन्न कर सक इसके लिए यह आवश्यक है कि उनमें निम्नलिखित गुण हों—

- 1/ सामान्य स्टाफ कमचारियों को प्रत्येक प्रशासनिक पहल के बारे में यथेष्ट जानकारी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें सामान्य जानकार होना चाहिए।
- 2/ जटिल प्रशासनिक विषयों में उन्हें विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे उन मामलों के विशेषज्ञ हों। इसका अर्थ केवल यही है कि उन्हें जटिल मामलों का सामान्य से अधिक ज्ञान हो।
- 3/ सामान्य स्टाफ में सहयोगी भावना और विचार विनिमय की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि उसे लाइन अधिकारियों के साथ सहयोग से काम करना होता है।

4/ सामान्य स्टाफ में धैर्य और अध्यक्षवत्ता जैसे गुण होने चाहिए क्योंकि उसका मूलभूत कार्य मुख्य कार्यपालिका तथा उच्चस्तरीय अधिकारियों के लिए छाननी व फिल्टर (Filter and Funnel) बनना है।

5/ सामान्य स्टाफ के सदस्यों को प्रसिद्धि पाने अथवा प्रकाश में आने की आकांक्षा से बचना चाहिए। उन्हें इस बात से सन्तोष करना चाहिए कि वे अपने प्रधान के अधीन रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें विनम्र गम्भीर

और समन्वयकारी हाना चाहिए। भंगाल और सत्ता लालुप रक्ति मामा य स्टाफ के पद के लिए अनुपयुक्त होते हैं।

(ख) प्राविधिक स्टाफ (Technical Staff)—मुम्ब कायपालिका को प्रशामन म अनेक विशिष्ट और प्राविधिक मसला से निपटना पडता है अत वन काय म सहायता के लिए उसे कुछ प्राविधिक या तकनीकी स्टाफ अधिकारियों की भी व्यवस्था करनी हाती है यथा मजीनियर वित्तीय विणपन आदि। तकनीकी क्षेत्र म इ विशेषज्ञा का परामश बना म्चवान हाता है। विशेषणता प्राप्त स्टाफ म दो प्रमुख विणपताए पाई जाती हैं—(क) मगठन क अय भागा पर वन कोई सत्ता प्राप्त नी हाती अर्थात् यह स्टाफ को परामा देना और सवा करता है किंतु निर्दो नही देना। (ख) वसका उपयोग मगठन की मनी मून और स्टाफ वकाइया द्वारा किया जा सकता है।

प्राविधिक अधिकारियों की उवस्या के फलस्वरूप क्षेत्राय प्राविधिक कम कारिया पर दोने निरीक्षण की समस्या उत्पन्न हो जाती है यथा अपने अपने विषय के विशेषता द्वारा कार्यात्मक निरीक्षण (Functional Supervision) तथा उच्च प्रशासकाय अधिकारियों का प्रशासकाय निरीक्षण (Administrative Supervision)। वस दोहरे निरीक्षण के कारण ही आदेश की एकता अथवा एकिन निदेशन (Unity of Command) का सिद्धान्त भंग हाने की समस्या उत्पन्न होती है।

(ग) सहायक स्टाफ (Auxiliary Staff)—इस स्टाफ म व अधिकारी अथवा इकायों निहित होंगे हैं जिम्मे सत्य विभिन्न प्रामादीय सवाओं की सामूहिक सवा करत हैं। सहायक स्टाफ की सवा प्रधान सवा न होकर गौण सवा जाता है अर्थात् इस विभाग के प्रमुख काय का प्रत्यक्ष अंग नना माना जाता। जब मलव विभाग यात्रिया के आवागमन आदि के लिए रेलगाडिया चलाता है वा यह उनकी प्रधान क्रिया है लकिन रेलगाडिया चलान के लिए कमकारिया का भर्ती करना रेल की पटरियां विधान और रेलवे स्टेशन का निर्माण करन के लिए प्रावश्यक सामग्री खरीटना आदि गौण कियाए है। वन क्रियाओं का सहायक सवाओं अथवा गृह प्रवच सवाओं (Auxiliary or House keeping Staff) की सना दी जाती है। गौण सनाए सत्व उन उद्देश्य को प्राप्त करन के लिए सम्पन्न की जाती है जिनके लिए विभाग स्थापित किए जात हैं। वन क्रियाओं को उद्देश्य का प्राप्ति का साधन कहा जा सकता है। किमी भी विभाग का प्रमुख काय चाहे कुछ भी हा किंतु वह कुछ न कुछ खरीदनागी करता है पत्रा एवं प्रतिवचना का छपाता ह वम्चारिया की भर्ती करता है उनक सामन वित्त एवं म्भ आदि की समस्याए होती हैं। इन प्रकार की सवाए सहायक सवाए कहनाती हैं अर इनम सहायता करन वान का सहायक स्टाफ कहत है। सहायक सवाए मभा विभागा के लिए प्राय समान हाता है। वनीलिए बचत कायकुशलता और सुविधा की म्भ स विभागा के लगभग

समान कार्यों को सम्पन्न करने के लिए एक केन्द्रीय अभिकरण (Central Agency) की स्थापना कर दी जाती है। भारत सरकार का प्रेस (Govt of India Press) सरकार के सभी विभागों के लिए समस्त मुद्रण काय कर मकता है। इसी प्रकार एक केन्द्रीय क्रय अभिकरण (Central Purchasing Agency) सभी विभागों के लिए क्रय-काय कर सकता है और एक केन्द्रीय सिविल सेवा आयोग (Central Civil Service Commission) सभी सरकारी विभागों के लिए कर्मचारियों की भर्ती कर सकता है।

बुद्ध विचारक सहायक सेवाओं को स्टाफ कहना पसन्द नहीं करते क्योंकि ये स्टाफ इकायों की भाँति परामर्श एवं सहायता नहीं देते। इसके अतिरिक्त कभी कभी इनको उन विभागों की माँगों पर नियंत्रण एवं छानबीन की शक्ति दे दी जाती है जिसकी ये सहायता करने जा रही हैं किन्तु सिद्धांत रूप में स्टाफ इकाई को आज्ञा एवं नियंत्रण काय नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तो लाइन अभिकरणों का काम है। सहायक इकाइयों के पास सहायता एवं परामर्श देने के साथ नियंत्रण की शक्ति भी होती है अतः इनको नाइन तथा स्टाफ दोनों अभिकरणों में उभयवर्ती माना जाना चाहिए। जो विचारक सहायक इकाइयों (Auxiliary Units) को एक अलग तीसरी श्रेणी मानते हैं उनमें साइमन तथा ग्रैफ लेखकों का नाम उल्लेखनीय है। वे स्टाफ तथा सहायक इकाइयों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करते हैं। उनके मतानुसार सहायक इकाइयाँ वे होती हैं जो सामान्य कार्यों को पूरा कर लाइन संगठनों की सहायता करती हैं जबकि स्टाफ इकाइयाँ ऐसे काय सम्पन्न करके मुख्य कामपालिका की सहायता करता है जिसे वह लाइन संगठनों को हस्तांतरित नहीं कर सकती।¹

स्टाफ की प्रकृति और काय

(Nature and Functions of Staff)

स्टाफ अधिकारी अथवा स्टाफ अभिकरण मूळ अधिकारियों अथवा अभिकरणों की भाँति हस्तांतरित कर्तव्यों का पालन नहीं करते। उनका काय यह होता है कि प्रमुख अथवा अन्य कार्यकारी अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होने से पहले वे समस्याओं के बारे में समस्त आवश्यक जानकारी का संग्रह विलेपण तथा संक्षेप कर सम्भावित समाधानों की ओर संकेत करें तथा यह परामर्श दें कि उनमें से किस स्वीकार किया जाए। इस प्रकार कम से कम शीर्षा तक इतिहास तो स्टाफ को काय पारा के व्यक्तित्व का विस्तार ही माना जाएगा। उसका अर्थ है अधिक अधिक अधिक कान तथा योजनाओं के निर्माण तथा उनके संचालन में उसका सहायता करने वाले अधिक हाथ। स्टाफ द्वारा दी जाने वाली सहायता अनाम होती है।

¹ *Sm n, Sm th b g nd Th m f on op t p 281*

स्टाफ सदा पृष्ठभूमि में रहता है। वह कार्याकारी के निगया के लिए भूमिका तयार करता है परन्तु स्वयं नियम नहीं करता। नियम करने की समूची शक्ति कार्याकारी के हाथों में ही रहती है।¹

स्टाफ की प्रकृति और उसके कार्यों को लोक प्रशासन व विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से यक्त किया है। मुने (Mooney) के मतानुसार स्टाफ मुख्य रूप से तीन प्रकार के काम करता है —

- (1) सूचना सम्बन्धी (Informatory)
- (2) परामशकारी (Advisory) एवं
- (3) निरीक्षणत्मक (Supervisory)।

स्टाफ का सूचना सम्बन्धी काम यह है कि वह प्रमुख कार्यापालिका अथवा कार्याकारी के लिए उन समस्त सूचनाओं का संग्रह करता है जिनके आधार पर वह नियम करेगा। संग्रहीत सूचना को व्यवस्थित और सन्निवृत्त रूप लेकर उसे एक सुविधाजनक स्वरूप में प्रमुख कार्यापालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। स्टाफ का परामशकारी काम यह है कि वह प्रमुख कार्याकारी को मनाह देता है कि उसकी राय में क्या नियम किए जान चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि प्रमुख कार्याकारी स्टाफ की सिफारिशों को सन्तुष्टीकार ही करे तथापि स्टाफ का यह काम अवश्य है कि वह अपनी सिफारिशों सदैव उनके सामने रखे। स्टाफ का निरीक्षणत्मक काम यह है कि वह इस बात की ओर ध्यान दे कि प्रमुख कार्याकारी ने जो नियम लिए हैं वे उपयुक्त सूत्र अभिकरणों तक पहुँचा दिए गए हैं और उन्हें ठीक ढंग से क्रियायित किया जा रहा है। यह भी हो सकता है कि सूत्र अभिकरणों और विभागों के सामने समय समय पर नीतियों को स्पष्ट करना पड़े तथा क्रियायित क माग में आने वाली कठिनाइयों का दूर करना पड़े।

पिफनर तथा प्रिस्थस (Piffner and Presthus) ने स्टाफ काम की सूची इस प्रकार प्रस्तुत की है²—

(1) परामश देना (अध्यक्ष एवं सूत्र विभाग दोनों की) सिखाना चर्चा करना

(2) समन्वय करना केवल योजनाओं के द्वारा नहीं बल्कि व्यक्ति सम्पर्क के द्वारा भी। साथ ही कठिनाई निवारण तथा प्रत्येक स्तर पर नियमों के पक्ष में विरोधियों की महत्प्रति रर प्रयत्न करना

(3) तथ्य संग्रह तथा शोध कार्य

(4) नियोजन करना

1 एम पी शर्मा व्ही पृष्ठ 155

2 Moon y Principle of Organi sation p 33

3 Piffner and P s hus P blic Adm n tr tio p 86

(5) हमारे सगठनों तथा रक्तियों के बारे में जानकारी रखने के लिए उनक साथ सम्पर्क स्थापित करना तथा

(6) बिना उसकी सत्ता को छीन हुए सूत्र के साथ काम करके उसकी सहायता करना

(7) कभी-कभी सूत्र अधिकारों की ओर से कुछ स्पष्ट और निश्चित सीमाओं के भीतर विषय रूप से दी गई सत्ता का प्रयोग करना ।

एन डी ह्वार्ट ने सामान्य स्टाफ के उद्देश्यों के रूप में निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए हैं—

(1) यह निश्चित करना कि मुख्य कायपालिका को समुचित तथा तात्कालिक सूचनाएं प्राप्त होती रहें ।

(2) समस्याओं का पूर्वानुमान करने तथा भावी कार्यश्रमा की योजना बनाने में उसकी सहायता करना ।

(3) यह व्यवस्था करना कि मुख्य कायपालिका के समक्ष मामले तुरंत अर्थात् अविलम्ब पहुँचते रहें जिससे कि वह उन पर विवेकपूर्ण निष्पत्ति ले सकें तथा शीघ्रतापूर्वक एवं बिना सोचे समझे निष्पत्ति लेने से उसे बचना ।

(4) ऐसे प्रत्येक मामले को छानना जिसका निपटारा शासन के अधिकारियों या द्वारा किया जा सकता है ।

(5) उसके समय की बचत करना ।

(6) निर्धारित नीति तथा कार्यपालक निर्देशों के अनुरूप अधीनस्थों द्वारा कार्य सम्पादन के लिए साधन जुटाना ।¹

स्टाफ अभिकरण की सामान्य प्रकृति का प्रशासकीय प्रबंध विषयक राष्ट्रपति की समिति ने अपने प्रतिवेदन (1937) में भली भाँति विशेषण किया था जो आज भी सही है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि—

✓ इन सहायक अधिकारियों को स्वयं निर्णय करने या आदेश देने का कोई अधिकार नहीं रहेगा । वे राष्ट्रपति तथा उनके विभागाध्यक्षों के बीच का स्थान प्राप्त नहीं कर सकते । वे किसी भी अर्थ में सहायक राष्ट्रपति (Assistant Presidents) नहीं हो सकते । जब शासन के किसी भाग में सम्बंधित कोई मामला निर्णय के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो उस समय उनका यह कार्य होगा कि वे किसी भी कायपालिका विभाग में उपलब्ध सम्बंधित सूचना अविनम्ब प्राप्त करने में उसकी सहायता करें जिससे उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेने में राष्ट्रपति का मार्ग बताना हो सके और जब निर्णय लिया जाए तो प्रभावित होने वाले प्रशासकीय

विभागों तथा अभिकरणों का तुरंत सूचित करना भी उचित है। हमारा यह विचार है कि राष्ट्रपति की सहायता करने में उनका प्रभाव अपने कार्यों का पूरा करने की उनकी योग्यता के अनुगमन में ही होगा। वे सर्व पृष्ठभूमि में रहते हैं। वे न तो आदेश देते हैं, न निर्देश और न सांख्यिकीय वक्तव्य ही देते हैं। वे ऐसे रक्षक होने चाहिए जिनमें राष्ट्रपति का व्यक्तिगत विश्वास हो और जिनका चरित्र व पिटकोण ऐसा हो कि वे स्वयं अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील न हों। उनमें उच्च क्षमता अधिक शारीरिक शक्ति तथा स्वयं के नाम की गुप्त रूढ़ि का उसाह होना चाहिए।¹ ✓

स्टाफ का उद्देश्य कार्यपालिका को पूणता प्रदान करना है। वास्तव में सगठन की समस्त वित्तीय प्रक्रिया स्टाफ का ही कार्य है। पिफनर तथा शेरेबुड ने इसी दृष्टि से विश्लेषण करते हुए स्टाफ के तीन प्रमुख तत्त्व बतलाए हैं ये हैं— (1) तथ्य निरूपण (Fact finding) (2) नियोजन (Planning) एवं (3) संगठित करना (Organising)। तथ्य निरूपण में तात्पर्य है वस्तुस्थिति का समुचित ज्ञान संचित करना सांख्यिकीय दृष्टि से तथा सम्बन्धित टिप्पणी द्वारा समस्त तथ्यों का इस प्रकार पकड़ित करना कि इसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। हमारे शासन में प्रशासन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आंकड़ा को सुनियोजित करना क्योंकि इन आंकड़ों के द्वारा ही भावी कार्यों के लिए प्रशासन का नियोजित किया जा सकता है। स्टाफ के कार्यों में नियोजन का तत्त्व महत्वपूर्ण है क्योंकि नियोजन द्वारा ही उद्देश्य पूर्ति के लिए किसी भी सगठन के कार्यों की कार्य शृंखला बनाई जा सकती है। नियोजन एक तरफ कार्य विशिष्टीकरण का द्योतक है और दूसरी तरफ समस्त सगठन की कार्यवाही को सुनबद्ध कर सगठन के प्रयास में एकता लाने का कार्य करता है। एक बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में स्टाफ तत्त्व पारित हेतु प्रशासकीय सगठन के लिए भावी कार्यों का त्वका प्रस्तुत करता है। नियोजन अनायास ही कार्यों को संगठित करने का भी अधिकार प्रदान कर देता है। वस्तुतः प्रशासन की समस्त कार्यवाही जब नियोजन के प्रति उन्मुख रहेगी तब यह स्वाभाविक है कि नियोजन की दृष्टि से सगठन में आवश्यक परिवर्तन किए जाए। प्रशासकीय सगठन में किस प्रकार के आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकें जिसके द्वारा प्रशासकीय नियोजन और प्रशासकीय सगठन एक दूसरे के अनुरूप हो सकें प्रश्न भी नियोजन के साथ ही सम्मिलित है अतः प्रत्यक्ष रूप से प्रशासकीय सगठन को परिवर्तन या सशोधन करने का अधिकार न होने हुए भी यह अधिकार स्वयं आ जाता है। तथ्य निरूपण नियोजन तथा संगठित करने के तीनातत्त्वों को भारतीय योजना आयोग के सम्मेलन में रखकर कहा जा सकता है कि देश की आर्थिक स्थिति का जहाँ एक तरफ

योजना आयोग के पास झंझड़ा में इतिहास मौजूद है वहाँ दूसरी तरफ विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उन्नीस आकड़ों को दृष्टि में रखकर प्रशासकीय संगठन के लिए आर्थिक नक्ष्य प्राप्त के विभिन्न चरण स्थापित किए हैं और इनके अनुरूप प्रशासकीय संगठन में भी यत्र तत्र आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं—नई सेवाओं को संगठित किया गया है पुगनी सेवाओं में महत्वपूर्ण आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। ये सभी कार्य एक-दूसरे से असाबद्ध रहकर नहीं किए जा सकते हैं।

स्टाफ का संगठन में स्थान इसका प्रभाव

(The Place of Staff in Organisation Its Influence)

स्टाफ प्रभिकरण सूत्र प्रभिकरण के साथ प्रथम स्वतंत्र रखकर कार्य नहीं करत वरन् उनके अनुगामी के रूप में कार्य करत हैं। स्टॉफ लाइन लाइन कार्या के पन्सोपान के विभिन्न स्तरों पर सम्बद्ध रहती हैं इस प्रकार स्टॉफ अधिकारी लाइन अधिकारियों के अधीन रहकर कार्य करत हैं। स्टॉफ प्रभिकरण या अधिकारियों से परामश किया जाए या नहीं और प्राप्त परामश को माना जाए या नहीं यह बात लाइन प्रभिकरण की इच्छा पर निर्भर है। लाइन और स्टॉफ के सम्बन्धों का रूप, व्यवहार में तीन प्रकार का हो सकता है—

(क) यह सम्भव है कि लाइन प्रभिकरण स्टॉफ पर इतना अधिक निर्भर हो जाए कि वह केवल एक कठपुतली बनकर ही रह जाए और शक्ति वास्तव में स्टॉफ के ही हाथों में आ जाए।

(ख) लाइन अधिकारी यदि स्वाभिमानी है तथा उसे अपनी योग्यता एवं कुशलता पर विश्वास है तो शायद वह स्टॉफ से परामश ही न ले और ले भी तो उस न माने।

(ग) तीसरी स्थिति इन दोनों के बीच की हो सकती है। इन स्थिति में ही स्टॉफ का पूरा उपयोग हो पाता है।

व्यवहार में स्टॉफ प्रभिकरण की उपेक्षा करना कठिन है। स्टॉफ के प्रभावों का जलेख करते हुए अर्नेस्ट डेल ने पाँच तरीके सुभाए हैं जिनके द्वारा स्टॉफ प्रभावित करता है—

1. अपनी अष्ट अभिव्यक्ति द्वारा स्टॉफ के सदस्य अपने विचारों को दूसरों से मनवाने में लाइन की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं। लाइन में अभिव्यक्ति की इस अष्टता का अभाव रहता है।

2. तकनीकी क्षमता के कारण लाइन की अपेक्षा उनके विचारों को अधिक मायता प्राप्त होगी। अपनी तकनीकी क्षमता के ही कारण वे विशिष्ट स्थिति में रहते हैं और चूँकि यह विशिष्टता ही उनका गुण है इसलिए यही उनके विचारों में अधिक गम्भीरता भी लाती है। उनकी अपेक्षा लाइन में इस प्रकार की विशिष्टता प्रथम तकनीकी क्षमता नहीं रहती है।

13 पत्र का गरिमा क तारा भी वे आदेश देन की स्थिति प्राप्त करत है। प्रायः स्टाफ क लागू का बतन पत्रसम्मान आदि म बहुत विशिष्ट स्वान होता है इसलिए भी उनक विचार मात्र विचार की कोटि म नहीं रखे जा सकन व अपन प्राप्त ह्य आदेश का प्रभाव गृहण करत है। पत्र का गरिमा तथा तकनीकी क्षमता के कारण ही व प्रवर्धकीय शृंखला म तथा उसके बाहर भी महत्वपूर्ण वय म स्वभावत ही अपना पान बना लत हैं जिसक परिणामस्वरूप उनक विचार अधिक परिपक्व रहत है तथा लाइन उह मानन म अधिक सम्मानित अनुभव करती है।

14 यदि लाइन अभिकरण उनक प्रस्ताव स समहमत हाता है तो स्टाफ उसका कार्यकारिणा क श्रेष्ठ अधिकारी स अपील कर सकता है और इस प्रकार उस शृंखला के सम्मन्वयी अधिकारी द्वारा बहु लाइन की कार्यकारिणी का स्टाफ की राय मानन क लिए बाध्य कर सकता है।

15 एस महत्वपूर्ण मनला म जिनम लाइन तारा को भा कार्यवाही न की गई हो तानन की निष्क्रियता क कारण ही स्टाफ आदेश देन की स्थिति म स्वतः आ जाता है।

लाइन अभिकरण (Line Agency)

लाइन आगमन क प्रारम्भिक उत्तका म अग्रणी विनाबी (Willoughby) का मत था कि प्रशासकीय कार्यों को दो भागो म विभाजित किया जा सकता है। य है—(1) प्राथमिक या कार्यात्मक (2) सहायक या गृहपालक क्रियाएँ। प्राथमिक क्रियाएँ व हैं जा उस प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति क लिए वा जाती हैं जिन प्राप्त करना उस संगठन का उद्देश्य है। गृहपालक या सहायक क्रियाएँ इसीलिए की जाती हैं ताकि व एक संचालन रूप म बनी रह कर कार्य करती रहें।¹ विनाबी ने निम्न क्रियाओं को प्राथमिक या कार्यात्मक बनाया है व क्रियाएँ लाइन अभिकरणों द्वारा सम्पन्न वा जाती हैं। लाइन अभिकरणों का सम्बन्ध प्रतिनिधि निमाण स हाता है। इनक हाथ म शक्ति हाती है जिसके आधार पर य नियमन लक्ष्य हैं और आदेश दे सकते हैं। तानन अभिकरण सरकार क प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करत हुए जनता स सीधा व्यवहार करत हैं—यथा जनता का संवाए उपनय करत हैं उसक आचरण का नियमन करत हैं व्यवस्थापिका तारा निघारित कार्यक्रम को पूरा करत हे कर बमूल करत हैं तथा नसी प्रकार के अर्थ कार्य करत हैं। साधारण नागरिकों वा लाइन या सूत्र अभिकरणों स ही सम्पर्क होता है। य अभिकरण ही वस्तुतः प्रशासन का केन्द्रीय तत्व हात हैं। किन्ती भी देश का सरकारी प्रशासन घनक बनी कान्या म विभक्त होता है जिन्हें विभाग (Departments) कहते हैं और य विभाग लाइन

या सूत्र विभाग के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इनका सम्बन्ध उस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति से हाता है जिसके लिए सरकार अस्तित्व में है। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा शिक्षा श्रम रेल पथ परिवहन संचार सामुदायिक विकास वाणिज्य उद्योग आदि भारत सरकार के प्रधान सूत्र विभाग हैं। विभागों (Departments) के प्रतिरिक्त नियामक आयोग (Regulatory Commissions) और लोक निगम (Public Corporations) भी प्रधान सूत्र अभिकरण हैं। इनमें से प्रत्येक पर आगे यथास्थान पृथक पृथक अध्याय में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यहाँ हमारा उद्देश्य सूत्र अभिकरणों का सामान्य सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत करना है।

लाइन या सूत्र क्रियाएँ जसा कि साइमन आदि ने लिखा है स्टाफ क्रियाएँ (जिन्हें वे Overhead क्रियाएँ कहते हैं) से अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। एक सगठन के सदस्य तथा ग्राहक दोनों ही अनुभव करते हैं कि किसी कार्यक्रम की सफलता अथवा असफलता के लिए लाइन सगठन ही उत्तरदायी है भले ही कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक नियुक्त होने के बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र स्टाफ इकाइयाँ द्वारा केंद्रीकृत हों।¹ कुछ विचारका का कहना है कि लाइन तथा स्टाफ इकाइयों को अलग अलग नहीं किया जा सकता तथा छोटे सगठनों में इनके कार्य अलग अलग नहीं किए जा सकते। वहाँ जहाँ दो कार्यो को करने के लिए अलग अलग इकाइयाँ नहीं होती। प्रायः एक ही अधिकारी दोनों ही प्रकार के कार्य करता है। इस प्रकार लाइन तथा स्टाफ के अंतर पता नहीं होते वरन् सापेक्ष होते हैं। एक अभिकरण अपने अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में वह स्टाफ इकाइयाँ के रूप में कार्य करता है।

स्टाफ तथा लाइन के सम्बन्धों में विरोध एवं गतिरोध (Conflicts and Deadlock)

स्टाफ तथा लाइन इकाइयाँ किसी भी सगठन के दो महत्वपूर्ण बाजू हैं जो एक ही साथ उसकी समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियाँ का कार्य करते हैं। उस सगठन की सफलता साथकता एवं कुशलता बहुत कुछ इन दोनों इकाइयों के सुचारु संचालन पर निर्भर करती है। दोनों के कार्य परस्पर इतने सम्बन्धित तथा आन्तित हैं कि एक की निष्क्रियता का दूसरे पर निश्चिन्त प्रभाव पड़ता है। इतना होने पर भी प्रायः यह देखा जाता है कि इन दोनों अभिकरणों के कर्मचारियों के बीच उतना सहयोग तथा सहभाव नहीं पाया जाता जितना पाया जाना चाहिए। मेलविले डाल्टन (Melville Dalton) ने औद्योगिक संस्थाओं के स्टाफ एवं लाइन इकाइयों के सम्बन्धों का अध्ययन कर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जो बहुत कुछ सभी सगठनों के स्टाफ एवं लाइन इकाइयों के सम्बन्धों पर लागू होते हैं।

1 *Simon and Dithers* op cit P 282

2 *Melville Dalton* Conflicts between Staff and Line Managers in Offices
American Sociological Review 15 342-351 (June 1950)

उद्योग में स्टाफ संगठन का कार्य शोध करना तथा परामर्श देना होता है और लाइन संगठन का उत्पादन की प्रक्रिया पर पूरा अधिकार होता है। औद्योगिक स्टाफ संगठन अपेक्षाकृत नए हैं। उनके अस्तित्व के लिए अनेक कारण उत्पन्न हुए हैं जैसे आर्थिक प्रतिযোগिता, वैज्ञानिक विकास, औद्योगिक विस्तार, मजदूर आन्दोलन का विकास आदि। इन सभी तत्त्वों के कारण उद्योगों में विद्यमान का महत्व बढ़ता जा रहा है जिससे अधिक उत्पादन एवं कार्यकुशलता की लक्ष्य प्राप्ति के लिए परामर्श प्राप्त हो सके। विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं जैसे—रसायन शास्त्री, जन एवं औद्योगिक मन्त्रक अधिकारी, इंजीनियर, लेखापाल आदि। उद्योग में इन लोगों का स्टाफ का व्यक्ति माना जाता है। उनका कार्य अपने विशेष ज्ञान का उपयोग और विकास करना है तथा उन अधिकारियों को सहाय्य देना है जो लाइन संगठन के सदस्य हैं और उत्पादन पर नियंत्रण रखते हैं।

एक विशेष स्टाफ संगठन में अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर एक स्टाफ अधिकारी की सत्ता हो सकती है किन्तु उसकी यह सत्ता उत्पादन कर्मचारियों वगैरे पर नहीं होती। स्टाफ के अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे बिना औपचारिक सत्ता के भी अपना कार्य करेंगे। इसके प्रतिरिक्त यह भी मानकर चना जाता है कि विद्यमान द्वारा उत्पादन तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण की तकनीकों एवं प्रक्रियाओं में सुधार के लिए जो सुझाव दिए जाएंगे उनका तात्पर्य किया जाएगा व आशाएँ एवं माँगाएँ व्यवहार में परी नही जाती। व्यवहार में औद्योगिक स्टाफ तथा लाइन संगठनों के बीच प्रायः सघर्ष पाया जाता है और इन संगठनों के सदस्य अलग अलग मानाओं में एक-दूसरे का विरोध करते हैं। ✓

यदि प्रबंध के सदस्यों के आपसी सम्बन्धों पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार किया जाए तो इनके बीच सघर्ष निम्न कारणों से हो सकता है—

(१) यदि संगठन में शक्ति का अभाव है

(२) यदि अनेक सदस्य पदोन्नति में अपने स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न करें

(३) यदि यूनियन तथा प्रबंध के बीच सघर्ष छिड़ जाए, एवं

(४) यदि स्टाफ तथा लाइन के बीच मनमुटाव पदा हो जाए।

प्रबंध के प्रायः सभी सदस्य सघर्षपूर्ण व्यवस्था में उत्तम रहते हैं विशेषकर मध्य एवं निम्न स्तरों पर काम करने वाले व्यक्ति। स्टाफ तथा लाइन के बीच सघर्ष के लिए तान मूल कारण है—प्रथम स्टाफ अधिकारियों के बीच स्पष्ट महत्त्वाकांक्षापूर्ण तथा व्यक्तिवादी व्यवहार। दूसरे स्टाफ अपने अस्तित्व का प्रायश्चित्त ठहराने के लिए तथा अपने योगदान के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जागृत रहता है उससे अनेक उलभनें पैदा होते हैं। तीसरे उच्च स्टाफ अधिकारियों का कार्यकाल लाइन अधिकारियों की स्वीकृति पर निर्भर करता है। यही शर्तें अपने अपने प्रकार से प्रभाव डालती रहती हैं।

डाह्लन न जिन उद्योगों का अध्ययन किया था उसके कर्मचारी महत्त्वाकांक्षी प्रशासित और यत्तिवादी थे। अधिकतर वे योग शीघ्र ही पदोन्नति प्राप्त करने के लिए यत्न करते थे तथा चाहते थे कि उन्हें यत्तिगत रूप से मान्यता मिले। इनमें समूह की चेतना के भाव इतने प्रयत्नशील थे कि कई बार अन्तर्द्वन्द्व भी पैदा हो जाते थे। दोनों में मनमुटाव के कारण (Reasons of Antagonism)

स्टाफ तथा लाइन समूहों के बीच अनेक कारणों से असंतोष प्रशासित सचप एवं मनमुटाव पैदा हो जाते हैं। स्टाफ के कर्मचारियों की प्रगति का पथ नम्बा होने के कारण उनमें निराशा तथा असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। वे समझते हैं कि वे उस स्तर तक नहीं पहुँच सकते जिस पर वे पहुँचना चाहते हैं। अन्य तत्त्वों की सचप की वृद्धि में सहायक होते हैं। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

1. उम्र में अंतर (Difference of Age)—स्टाफ अधिकारी लाइन अधिकारियों की तुलना में प्रायः कम उम्र के होते हैं अतः उनमें प्रशान्ति की भावना अधिक होने के कारण स्थिरता नहीं रह पाती। यदि उनकी मन्स्वादाशाएँ बहुत बड़ी बढ़ा होती हैं तो वे भौतिक सम्पन्नता व्यावसायिक स्तर तथा सुरक्षा का दृष्टि से सुस्थापित नहीं हो पाते। यदि वे चाहें तो अन्य कहीं भी अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास शक्ति और पर्याप्त शेष आय होती है। इसी कारण स्टाफ के सदस्य अधिक अस्थायी एवं चरने फिरने होते हैं।

उम्र के अंतरों के कारण स्टाफ तथा लाइन के बीच सचप में अधिक वृद्धि हो जाती है।¹ स्टाफ का अधिकारी लाइन अधिकारी से अपने कार्य को स्वीकृत कराना चाहता है किन्तु उस पर कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती क्योंकि यहाँ उम्र का विरोध पैदा हो जाता है। अधिक उम्र वाले लाइन अधिकारी यह पसन्द नहीं करते कि उनसे कम उम्र वाले स्टाफ अधिकारी उनको निर्देश दें और उस वे स्वीकार करें। दूसरी ओर स्टाफ के कर्मचारी लाइन अधिकारियों के इस दृष्टिकोण से परिचित रहते हैं। स्टाफ तथा लाइन अधिकारियों की भीटिंग में जब कम अनुभव वाले स्टाफ अधिकारियों द्वारा कोई विचार किया जाता है तो लाइन अधिकारियों द्वारा उसकी स्पष्ट रूप से उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार के व्यवहार की वृद्धि विचारों की जाए अपेक्षा नहीं किन्तु इससे युवक एवं कम अनुभव वाले स्टाफ अधिकारियों के दिल को अवश्य ठस पहुँचती है। उद्योग में आते समय नए अधिकारियों को यह भावना रहती है कि वे अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर समूह को अपनी बहुत कुछ देने दे सकेंगे। वे इस बात को सोचते भी नहीं कि उनके विचारों को यहाँ सुना तक नहीं जाएगा। इस सबका कारण यह है कि ये अधिकारी केवल पद हुए होते हैं गुने हुए नहीं।

प्रायः वे प्रावणारिक जीवन की वास्तविकताओं की ओर स आस मूढ कर निश्चय करते हैं कि सगठन के प्रबन्धात्मक पदोपान क मदस्वा के साथ युक्तियुक्त एवं सुव्यवस्थित सम्बन्ध स्थापित करेंगे तथा अपन प्रशिक्षण क अनुसार नियमानुकूल व्यवहार करेंगे। किन्तु उद्योग म प्रवेश पान क बाद उह नात हा जाता ह कि उनके साथ की स्वतंत्रता अनक अनौपचारिक दावा मे दबकर रह जाती ह। हान जो कुछ विन्ता प्राप्त की है व अधिक मन्त्र नही रखती और वे उमक बिना भी अपने कार्यों को पूरा कर सकते थ। सगठन म यदि व उन्नति करना चाहते ह तो वे यन् खोज करें कि अनौपचारिक रूप मे कौनसा लाइन आफिसर अधिक शक्तिशाली है व किन विचारा का स्वागत करता है साथ ही उमक उच्च अधिकारी का वे विचार कस नगत ह।

यस सबकी प्रतिनियाम्बुरूप स्टाफ अधिकारी या तो नसरा काय ड डन लगते हैं अथवा स्वयं का समायाजित कर या उद्योग म काई सुरक्षित स्थान म कर अपने रहन की सम्भावनाएं बनाते हैं। यदि वे उद्योग म रहन का निश्चय करें तो एसी स्थिति म वे किसी रचना मक साथ म अपन आपकी उगान का अपक्षा विश्वस्त सामाजिक प्रवृत्ता का विकास करेंगे जा उह प्रतिगत प्रगति म सहायक हो सकें।

✓ **स्तरों का पदोपान (Hierarchy of Statuses)**—साठन म स्तरों का पदोपान अथवा उसक आपचारिक ढांच क कारण स्टाफ क मन्त्राकां की अधिकारिया को निराशा साथ लगती है। स्टाफ सगठन म शक्ति क स्तर तीन या चार ही गेन हैं जबकि नान सगठन म इनकी संख्या पाँच से दस तक गना है। इसका परिणाम यन् जाता है कि स्टाफ क मन्त्राकिया क उन्नति के प्रवणर बहुत कम हा जाता है। वे ऊपर नही चह सकते। एवं मन्त्राकां की स्टाफ अधिकारी एनी स्थिति म अपनी सत्ता क क्षेत्र को तभी बढा सकता है जब वह अपन अधीनस्थ से ही शक्ति मरुपा म वृद्धि करल। यमका स्वाभाविक परिणाम यन् जाता कि स्टाफ के क मन्त्राकिया का संख्या कम जाती है। नान की अपेक्षा उका संख्या बढन अधिक हा जाती है। टाफ के क मन्त्राकिया म एक प्रवृत्ति विकसित गती है कि वे नान सगठन म जाना चाहते हैं क्योंकि व म सत्ता क स्थान अधिक है या सत्ता की मात्रा अधिक है वना सम्मान अधिक मिलता है और साथ ही आमन्त्रों की अधिक गेती है।

✓ **विभिन्न सामाजिक स्तर समूह (Different Social Status Groups)**—नान तथा स्टाफ क मन्त्राकरी प्रायः विभिन्न सामाजिक स्तर समूहों क गेती तथा दोनो क बीच विरोध की भावनाओं का उकनान म य भिन्नताएं पयप्त महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए स्टाफ क सन्त्राकियों का शिना का स्तर लाइन क मदस्वा की तुलना में ऊचा होता है। इस अंतर क प्रति स्टाफ के मन्त्राकियों के दिन म रहने

वानी जागरूकता उनमें उच्चता की भावना उत्पन्न कर देनी है किंतु लाइन अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर उच्चता की भावना से पीड़ित रहते हैं। स्टाफ के सदस्य अपनी वस्तु तथा अन्य साज शृंगार का अधिक ध्यान रखते हैं जबकि लाइन अधिकारी प्रायः इन विषयों की ओर ध्यान न देते। उत्पादन के कार्यों में रत इन कर्मचारियों के पण्ड गढ़े रहते हैं घूल तथा तेल में विगड़ कपड़ों के साथ नंगे रहते हैं। स्टाफ अधिकारी निम्न तथा बातचीत में अच्छी अग्रजी का प्रयोग करते हैं व नाट्य बनव एवं पार्टीज आदि में जो भाग लेते हैं उसके कारण भी उन दोनों वर्गों में अमानताएं बंध जाती हैं। स्टाफ के कर्मचारियों के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है तथा वे नाइन सागठनों के अधिकारियों का कभी भी अपने बराबर का मान लेना पसंद नहीं करते।

4/ स्टाफ कर्मचारियों का विशेष व्यवहार (Particular Behaviour of Staff Employees)—अन्य नाइन अधिकारियों के मतानुसार स्टाफ के अधिकारी प्रबंध का एक भाग बनकर कार्य नहीं करते तथा सागठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लाइन अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते। प्रायः इस रूप में व्यवहार करते हैं जिससे वे अपने आप का उच्च प्रबंध का एजेंट मित्र कर सकें। लाइन अधिकारी उत्पादन की अपनी शक्ति को अत्यंत पवित्र मानता है और यह पसंद नहीं करता कि इतने दिनों तक नाइन सागठन में कार्य करने के बाद उस किसी एक व्यक्ति के निर्देशन की आवश्यकता है जो नवागंतुक तथा अनुभवहीन है। दूसरा और स्टाफ अधिकारी अपने कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। इन कारणों से दोनों वर्गों के बीच साधक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

स्टाफ अधिकारी अपने आपका उच्च प्रबंध का एजेंट मानने लगता है। वह उसे अपना एक बलव्य मानता है कि अपने विचारा एवं साधक द्वारा प्रबंध कार्य में कुछ योग्य है। अपनी उच्च शिक्षा तथा उत्पादन के नवीन तरीकों से निरंतर सम्पर्क रहने के कारण वे स्वयं को प्रबंध का परामशज्ञाता एवं विशेषज्ञ मानता है। इन कारणों के कारण लाइन अधिकारियों के साथ उनका विवाद छिड़ जाता है। कना भी लाइन सागठन के निम्न स्तर के अधिकारी स्टाफ सागठन के उन निम्न अधिकारियों के साथ मिल जाते हैं जो अपने सागठन के उच्च अधिकारियों की नीतियों से सन्तुष्ट नहीं होते।

5/ पदावधि का समस्या (Problem of Promotion)—स्टाफ के कर्मचारी सागठन में प्रवेश तभी पाते हैं जब लाइन सागठन के उच्च अधिकारी उन्हें स्वाकार कर लें—इस तथ्य का स्टाफ कर्मचारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्टाफ का प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि यदि वह उच्च पद प्राप्त करना चाहता

है तो उसे अपना रिकार्ड बनाना होगा तथा लाइन संगठन के उच्च अधिकारी के दिन पर योग्यता का प्रभाव डालना होगा। उनकी अनौपचारिक समस्याओं को बिना उनका कहे समझने की योग्यता प्रदर्शित करनी होगी। एक प्रभावशाली रिकार्ड बनाने के लिए उसे लाइन की माँगों के साथ समझौता करना पड़ेगा साथ ही अपने स्टाफ के समस्या की शिकायतों तथा उपालम्भ सुनने होगा कि उसने अपना स्वाभिमान खो दिया है। यदि वह लाइन संगठन में चला गया तो स्टाफ के साथ उससे शत्रुवत् व्यवहार करेंगे। लाइन अधिकारियों को खुश करने के लिए स्टाफ अधिकारी मुख्य रूप से तीन प्रकार के कदम उठा सकते हैं। प्रथम स्टाफ के नियमों का पालन करके द्वितीय नई तकनीकों प्रारम्भ करके तथा तृतीय स्टाफ के शोध एवं प्रयोगों पर धन खर्च करके।

संघर्ष कम करने के उपाय (Efforts to Minimise the Conflict)

लाइन तथा स्टाफ संगठनों के बीच की इन संघर्षपूर्ण स्थितियों को कम करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पूर्व इसका अस्तित्व स्वीकार करना जरूरी है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रबंधक यह अनुभव करे कि इस प्रकार का व्यवहार उत्पादन की कीमत एवं परेशानी को बढ़ा देता है अतः मुद्धार के उपाय किए जाने चाहिए। दोनों संगठनों के सम्बन्धों को अच्छा तथा सहयोगपूर्ण बनाने के लिए कई सुझाव दिए जाते हैं। इनमें से मुख्य निम्न हैं—

- (i) एक पृथक् निकाय बना लिया जाए जो स्टाफ तथा लाइन की क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करे।
- (ii) स्टाफ संगठन में पदावृत्ति एवं पुरस्कार के स्तरों को बढ़ा दिया जाए साथ ही सबीवर्ग की संख्या में भी वृद्धि की जाए।
- (iii) स्टाफ सबीवर्ग को जहाँ तक हो सके सामान वेतन दिया जाए। उन्हें अधिक उत्तरदायित्व सौंपे जाए तथा लाइन प्रक्रियाओं अथवा कर्मचारियों पर उनका अधिकार हो।
- (iv) स्टाफ संगठन के कर्मचारियों का लाइन संगठन में नियुक्त करने से पूर्व उन्हें थोड़ा बहुत निरीक्षण का अनुभव करा दिया जाना चाहिए।
- (v) संगठन के दोनों प्रकारों के दिनों में स्थित एक दूसरे के प्रति शंका एवं विरोध के भावों को उच्च प्रबंधक द्वारा मिटाया जाना चाहिए।
- (vi) कानून तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा देने समय विद्यार्थियों को ‘‘यावत्कारिक जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान कराना चाहिए ताकि व्यवसाय में आने पर वे केवल कल्पनाओं के सहारे ही अपना व्यवहार निर्धारित न करें। ✓

लाइन तथा स्टाफ अभिवरणों की वास्तविकता (Reality of the Two Agencies)

नोक प्रशासन के अनेक विचारका ने विभिन्न अवसरों पर इस बात में सन्देह प्रकट किया है कि शासन में वास्तव में लाइन तथा स्टाफ जैसी दो सगठन शक्तें जिनके कार्यों के बीच भिन्नता रहती है तथा एक सीमा रखा भी जाती है। इन विचारकों के अनुसार नीति से सम्बन्धित प्रत्येक सगठन मंत्रणा सम्बन्धी कार्य आवश्यक करता है इसी प्रकार मंत्रणा देने वाले सगठनों का नीति के निर्माण में जा मन्वपूर्ण स्थान है उसे मुनाया नहीं जा सकता। साथ ही ऐसा सगठन सत्ता विहीन माना जा सकता है यद्यपि उसकी सत्ता का रूप अनीपचारिक होता है। इन तथ्यों के प्रकाश में यह तय करना बड़ा कठिन है कि दोनों प्रकार की इकायों के बीच क्या सम्बन्ध है। डिमाक तथा अन्य विद्वानों का कहना है कि लाइन तथा स्टाफ के बीच उचित समायोजन प्रबंध के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है।¹ लोक प्रशासन के परम्परावादी विचारक इन दोनों अभिकरणों का कायन्म अलग अलग मानते हैं। आरीवर जॉर्डन का कथना है कि स्टाफ सगठन को विचार के लिए साव विचार कर बनाया जाता है ठाक उसी प्रकार जैसे कि लाइन सगठन प्रियावयन के लिए होता है।²

दोना अन्वेषण है—वाद के लेखका का यह मत है कि लाइन तथा स्टाफ दोनों अभिकरणों के कार्यों तथा अधिकारों के बीच कोई विभाजन रेखा न खींची जा सकती है और न खींची जाना चाहिए। इन दोनों में कोई ऊँचा नीचा नहीं होता है न दोना नो समान स्तर पर कार्य करते हैं। दोनों सगठनों को एक दूसरे के कार्यों में दखल रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में लपावस्की का कथन है कि एक स्टाफ का व्यक्ति यदि लाइन को आदेश नहीं देता तो वह प्रभावहीन है इसी प्रकार लाइन का जो व्यक्ति स्टाफ के कार्यों का समझ तथा कर नहीं सकता वह असफल माना जाएगा।

नवीन विकास—आज प्रशासनिक एवं व्यवहारिक प्रकार के सगठनों में विशेषज्ञों का सम्मान बढ़ता जा रहा है। उनकी मन्ता एवं आवश्यकता भी बढ़ रही है। इसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि स्टाफ के कमचारियों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी और उन्हें कुछ अधिक कार्य सौंप देने होंगे जिनकी अभी तक लाइन सगठन के कमचारी करते थे। नोक प्रशासन में जब से मानव सम्बन्धों के महत्त्व पर जोर दिया जाने लगा है तथा उसके प्रभाव को सही रूप में समझा जाने लगा है तब से

1. *Domke and Kirkpatrick, Public Administration*, p. 150

2. *Oliver Sheldon, The Philosophy of Management*, p. 120

एक दोना इकायों के भेद से सम्बन्धित परम्परावादी विचार हूँ के नजर आने लगे हैं। माइमन तथा ग्रय नेक्वा ने सगठन में अनौपचारिक सम्बन्धों की सामान्य एवं प्रभावशील स्थिति बताने के साथ ही निम्न लेन की प्रक्रिया जब अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखी तो लोक प्रशासन का एक नया अध्ययन खुल गया। अब यह समझ में आ गया कि अनौपचारिक रूप से चाह सत्ता किसी भी अधिकार के किसी अधिकारी को सौंप दी जाए किंतु इसका अर्थ यह वदापि नहीं है कि वास्तविक व्यवहार में भी उस सत्ता का प्रयोग वही व्यक्ति करेगा। अनौपचारिक सम्बन्धों का बल पर तथा नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों, संचार के शक्ति साधना एवं अर्थात् प्रेरणाओं के माध्यम से शक्ति का वास्तविक उपभोक्ता कोई अन्य व्यक्ति ही बन सकता है।

स्टाफ की शक्ति—यदि तथ्यों का व्यावहारिक रूप से अध्ययन किया जाए तो हमें पता होगा कि यह कहना सच या भ्रामक है कि स्टाफ सगठनों के पास कोई शक्ति नहीं होती अथवा वे आना देना का अधिकार नहीं रखते। स्टाफ के कार्यकर्ताओं को चाहे आज्ञा देना का अधिकार अनौपचारिक रूप से न दिया गया हो किंतु वे सम्बन्धित उच्च सत्ता के नाम पर बालत हैं तथा निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए उनके सुझावों में आना तथा निर्देश की भूमिका रहती है। इसलिए यह कहा जाता है कि यह मायता कि स्टाफ इकाया आना नहीं देता तथा नियंत्रण नहीं करती या उनके पास किसी प्रकार की सत्ता नहीं होता अपना मात्र है। स्टाफ सगठन के बारे में मुख्य रूप से दो सामान्य धारणाएँ हैं—प्रथम यह कि यह केवल परामर्श देती है और आना तथा नियंत्रण की शक्ति उनके पास नहीं होती एवं दूसरे यह कि मुख्य कार्यपालिका से इसका निकटता इतना होती है कि इस उसकी व्यक्तित्व का ही विस्तार मात्र कहा जाना चाहिए। कुछ विचारकों का मत है कि ये दोनों ही मायताएँ लोक प्रशासन की एक कपान-कपनाएँ अथवा भ्रम (Myths or Fictions) हैं। इनका महत्त्व केवल इतना है कि इनके द्वारा मिथ्यात एवं व्यवहार की चीनी चार्ट के बीच पुल बाधन का कार्य किया जाता है।

निष्कर्ष—एक बार जब लाइन तथा स्टाफ इकायों की स्थापना हो जाती है तो हम उन कार्यो के बीच किसी प्रकार का स्पष्ट अंतर नहीं कर सकते। मनायक इकाई तथा स्टाफ इकायों के बीच स्थित अन्तः का बंधन करत हुए मानने तथा अर्थ में कहा है कि अधिकारों का भ्रम तथा स्टाफ इकायों के कार्यो के बीच कोई ताइन खींचना असम्भव होता है। दोनों के बीच अंतर यथायम मय है कि जब एक विशेष इकाई को स्थापित किया जाता है तो उस समय में भिन्न तक प्रस्तुत किए जाते हैं। किन्तु जब ये इकायाएँ एक बार स्थापित हो जाती हैं तो उनकी

त्रियाय्या की प्रकृति में कोई अन्तर नहीं दिखाया जा सकता।¹ लाइन तथा स्टाफ इकाइयों के बीच प्रारम्भिक संगठनों में अन्तर ही मकता था किन्तु आज यह अन्तर स्पष्ट नहीं है। साथ ही दोनों के बीच सम्बन्धों की स्थिति भी जटिल बन गई है। आजकल ऐसी संगठन दिखाई नहीं देते जो अपने आप में पूरे हों। ऐसी हालत में किसी लाइन इकाई को एक कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह उसे करने की पूरी शक्ति नहीं रखती। संगठन का रूप बदल जाने के बाद भी उसका पुराना ऋणकारियों एवं ग्राहकों को स्वामिभक्ति पट्टे की भाँति उसके साथ जुड़ा रहती है। वे उसे पुराने स्तर एवं प्रकार का ही मानते रहते हैं। उदाहरणार्थ अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा अभिकरण Social Security Agency को सन् 1936 में जब F S A का स्थानान्तरित कर दिया गया तो उसके निष्पत्ति के अनेक क्षेत्र स्टाफ संगठन को हस्तांतरित कर दिए गए फिर भी उसे आज तक सामाजिक सुरक्षा के कई कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी समझा जाता है।

लाइन इकाइयों को महत्वपूर्ण मानने का सामान्य विचार के अतिरिक्त सहायक एवं स्टाफ इकाइयों के बारे में अनेक मनोरंजक विश्वास हैं। इन विश्वासों का मनोरंजक इमिज कहा जाता है क्योंकि यद्यपि इन्हें सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है किन्तु यदि इनका विश्लेषण किया जाए तो यह पूरे रूप से असत्य सिद्ध होते हैं। साइमन तथा ग्रॉय विन्डो ने सहायक तथा स्टाफ इकाइयों के इस वर्णनात्मक एवं भ्रमपूर्ण पहलू के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार किया है। यहाँ उनके वर्णन के अनुसार इन Myths का अध्ययन किया जा रहा है।

संगठनात्मक इकाइयों की महत्वपूर्ण कल्पित कथाएँ (Important Myths of the Organizational Units)

संगठन की सहायक तथा स्टाफ इकाइयों के सम्बन्ध में अनेक कल्पित कथाएँ प्रचलित हो गई हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) प्रथम कल्पित कथा का सम्बन्ध सहायक (Auxiliary) तथा स्टाफ दोनों ही इकाइयों से है। इसके अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि इन इकाइयों की लाइन इकाई पर किसी प्रकार की सत्ता नहीं होती। सहायक इकाइयों लाइन इकाइयों की सेवा करती हैं उन पर नियंत्रण नहीं रखती। इसी प्रकार स्टाफ इकाइयों लाइन इकाइयों को परामर्श मात्र देती हैं आदेश नहीं।

(2) दूसरी कल्पित कथा का सम्बन्ध स्टाफ इकाई से है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि स्टाफ इकाइयों लाइन इकाइयों की अपेक्षा कार्यपालिका के अधिक नजदीक होती हैं वे उसी कार्यालय से सम्बद्ध होते हैं अथवा वे उसी के अधिकार का प्रसार मानते हैं।

इन कल्पित कथाओं को जब सगठन की 'यावहारिक' वास्तविकता व सद्भ्रम म देखा जाता है तो इनका चित्र घूमिल पत्त ज ता है । साइमन तथा अन्य देखकों के शासन म यदि हम मत्ता को अज्ञा पात्रन करवाने की योग्यता के रूप म परिभाषित करें तो यह स्पष्ट है कि ये शीर्षों-च (Overhead) इकाइयाँ सत्ता का प्रयोग करती हैं वे नियंत्रण भी करती हैं और आनाए भी देती है । कइ बार ऐसा होता है कि केन्द्रीय मेवीवग इकाए एक सवीवग काय को स्वीकृति प्रदान करन से इकार कर देती है तो सम्बन्धित लाइन इकाई के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता कि वह इस आदेश व सामन भुक जाए । यही दशा तब होती है जब बजट यूरो का Statistical Standard Division एक फाम को म्बीकार करने स पूव उसमे कुछ परिवर्तन क न की माग रखता है । यदि लाइन इकाई यह परिवर्तन करने क लिए तयार नहीं है तो उसे बजट यूरो क निर्देशक व यहाँ अपीन करनी होगी । यदि वहाँ भी कुछ न हो ता राष्ट्रपति को लिखना हागा । किंतु ये सब बातें कबल कुछ महत्त्वपूर्ण मामला म ही की जाती हैं अथवा ऐम कदम उठान का विरोध ही किया जाता है । इस प्रकार के प्रश्न पर लाइन इकाइ म एक विराधी भावना घर कर जाती है । इम स्थिति म यह भी हो सकता है कि दाना इकाया का सामा य सर्वोच्च अधिकारी इस प्रश्न को सुलझाए । किंतु वह ऐसा नहा भी करे क्योंकि वह पराजित पक्ष की श्रद्धा तथा विश्वास को खो देने का खतरा माल लेना नहा चाहगा । इसलिए उच्च अधिकारिया के पास ऐसे प्रश्नो म लाइन इकाई की सहायता करने के लिए बहुत कम सद्भावना एव शक्ति रहती है ।

इससे यह निष्कप निकलता है कि जब कभी शीर्षों-च इकाइयाँ लाइन इकाइयो को परामश देती हैं तो उनका प्राय मान लिया जाता है । ये इकाया तब तक आदेश दे सकती हैं जब तक उच्च अधिकारी उम मामन को उच्च स्तर का प्रश्न न बना दें ।

एक ठमरा कल्पित विश्वास जिसका सम्बन्ध उ स्टाफ इकाई से है यह है कि ये इकाया (Units) कायपालिका के साथ एकरूप रहती हैं । इसका अर्थ यह है कि ये कायपालिका व नृष्टिकाए का अपनाकर उमी क लिए उसा की भाषा म बानती हैं । माना कि यन् एक तय शक्ति कायपालिका एम अनेक लोगो स घिरी रहती है जो उमर विश्वस्त हात है तथा जिनस वन् हर प्रकार का परामन प्राप्त करती है । हम ऐस विश्वस्त लोगो का स्टाफ का नाम देते हैं । किंतु यन् कहना द्रष्ट कठिन है कि कना एक कायपालिका क पास सबमुष ऐसे लोगो का समूह होता है और यदि होता ह तो वे साग आखिर कौन हैं ? हो सकता है कि कायपालिका के ये विश्वस्त लोग कुछ लाइन इकाइया के अघटल हा । कुछ कायपालिकाए दूसरो की अपेक्षा स्वय के समथन एव विश्वास पर अधिक निर्भर रहती हैं । इस सबसे यह निष्कप निकलता है कि हम सगठन के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करने के

वात ही यत् कह सकते हैं कि उसमें कार्यपालिका के विषयस्त लोग हैं अथवा नहीं और यदि हैं तो उनकी प्रकृति क्या है। यत् आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सगठन में केवल स्टाफ के अधिकारियों को ही ऐसा विश्वस्त व्यक्ति माना जाए।

बड़े सगठनों में जो अनेक विशेषीकृत इकाइयों में उपविभाजित होते हैं वस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि स्टाफ के कमचारी गान्त की अपेक्षा उक्त प्रबंध के अधिक निकट रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्यपालिका स्टाफ इकाइया की ओर ही अधिक ध्यान क्या देगी। वास्तव में वह गान्त इकाइया ककार्यों में अधिक रुचि लेगी जो सामाजिक रूप से अग्रगण्य होते हैं। कमचारी वर्ग सगठन प्रबंध लेखा आदि स्टाफ से सम्बंधित कार्य उसके लिए अपेक्षाकृत कम आकर्षक हैं। एक तथ्य यह भी है कि ज्या-ज्यो सगठन का रूप बृहत् होता जाता है उसमें शीर्षोच्च इकाइयाँ अधिक जटिल बनती जाती हैं। ऐसी स्थिति में इन विशेषीकृत इकाइयाँ क कमचारी अपनी विशेष इकाइयाँ में उसके सदस्यों से और उसके कार्यों से एकरूपता स्थापित करेंगे न कि उस कार्यपालिका से जिसके वे स्टाफ माने जाते हैं।

कल्पित कथाएँ स्वीकृत क्यों हैं ?

(Why the Myths are accepted ?)

जब हम इन कल्पित कथाओं का जरा-सा भी विश्लेषण करने लगते हैं तो ये असत्य सिद्ध हो जाती हैं तथापि ये क्यों स्वीकृत हो गई हैं ? शीघ्र इनमें सामान्य रूप से क्यों विश्वास करते हैं ? यह एक सामान्य गान्त की बात है कि कोई भी चीज केवल तभी स्वीकृत होती है जब उसका कुछ उपयोग हो। यदि हम इन कल्पित कथाओं को गहरी छानबीन करें तो बिस्मि्त होगा कि इनके द्वारा भी महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। लाग सगठन में जिस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं तथा जिस प्रकार का व्यवहार अमन में उनके साथ किया जाता है इन दोनों बातों के बीच पथापन अंतर रहता है और इन कल्पित कथाओं द्वारा उस अंतर का पाटने का प्रयत्न किया जाता है।

सगठन यत्किं स किस प्रकार का व्यवहार करे इस सम्बंध में समाज में अनेक धारणाएँ बन जाती हैं। ये धारणाएँ मोम का एक एकीकृत भाग बन जाती हैं। कम्पनाया द्वारा उन सामाजिक धारणाओं तथा वास्तविकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इन स्वीकृत विश्वासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्व उक्तनीय तीन हैं—

1/ यदि एक व्यक्ति को किसी कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाए तो उस उत्तरदायित्व को निवाहने की शक्ति भी उसे सौंपी जानी चाहिए। इसी आधार पर सामान्यतः यह अनुभव किया जाता है कि यदि एक सगठन की इकाई को कुछ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए तो उसे उन लक्ष्य तक पहुँचने सम्बंधी

साधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी सौंपी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि पुलिस विभाग को अपराधियों को पकड़ने का उत्तरदायित्व दिया जाता है जिम्मे निवृत्त के लिए पेट्रोल और एक महत्वपूर्ण साधन है तो पुलिस विभाग को उसे रखने तथा खरीदने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

अब यदि हमने एक कर्तीय क्रय विभाग स्थापित कर दिया तो हम यह कर्ना हागा कि इस विभाग का पुलिस विभाग पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता और इसका कार्य केवल सेवाएँ प्रदान करना है। यद्यपि तथ्य यह है कि किस प्रकार की पटाल कार खरीदी जाए इससे सम्बन्धित पुलिस विभाग के लिए को क्रय विभाग उल्टा कर सकता है तथापि सत्ता एवं उत्तरदायित्व से सम्बन्धित सामाजिक विश्वास के कारण हमको इसका बौद्धिकरण करना हागा। यदा कर्पित कथा का स्पष्ट कार्य यह है कि इसने इस तथ्य को छिपा लिया कि महायक क्रिमिना का कर्त्रीकरण लाइन विभागा की पूरुता एवं सत्ता को कम कर देता है।

2 एक दूसरी मायता यह है कि एक व्यक्ति को केवल एक उच्च अधिकारी की आना का पालन करना चाहिए अर्थात् आदेश की एकता रहनी चाहिए किंतु सगठन के वास्तविक व्यवहार में हम देखते हैं कि सगठन के सदस्य अनक लोग से अनुदेश प्राप्त करते हैं। दि ऐसा नहीं होता तो विशेषीकरण हो ही नहीं सकता था। वास्तविकता यह है कि एक कर्मचारी अपन उच्च अधिकारी के अतिरिक्त सेवेवग अधिकारी एटार्नी इंजीनियर डाक्टर तथा सगठन के अन्य विशेषणा की आना का पालन करता है। यदि वह ऐसा न कर तो ये विशेषण सम्भाग बनाए ही न जाते अथवा समाप्त कर दिए जाते।

आदेश की एकता के सिद्धान्त तथा सगठन के वास्तविक व्यवहार के बीच एक गहरी खाई उत्पन्न हो जाती है जिस भरने में स्टाफ से सम्बन्धित कर्पित कथा महत्वपूर्ण योग देती है। इसके अनुसार यह कहा जाता है कि विशेषीकृत स्टाफ इवाण्यो की आनाए वास्तव से उनकी आनाए नहीं हाती ये वायपालिका की आनाए होती हैं। स्टाफ इकाइया उसी के नाम से बोलती हैं वे वायपालिका का भाग हैं उनकी शक्ति वास्तव में उसकी शक्ति है।

3 एक तीसरी मायता के अनुसार एक व्यक्ति को निम्न स्तर के व्यक्ति से आदेश ग्रहण नहीं करन चाहिए। उच्च विशेषण स्टाफ के सदस्य आदेश प्रसारित करते हैं तो वसका अर्थ यही होता है कि ये इन इकायों के निकटस्थ सदस्यों का आदेश हैं। विशेषीकरण का यही लाभ हाता है कि उससे कार्य का इतना आसान बना दिया जाता है कि उसे कम खर्चील व्यक्ति भी पूरा कर सकें। यद्यपि विशेषण-वग आनाए प्रसारित करता है किंतु उसके सम्बन्ध में स्टाफ की एक कल्पित कथा यह बन गई है कि कनिष्ठ सदस्य वरिष्ठ सदस्य का आनाए नहीं देता। असल में यह

उच्च शक्तियुक्त कर्मपालिका की आत्मा होती है जो स्टाफ अधिकारी के माध्यम से दी जाती है। यह अधिकारी केवल कर्मपालिका की ओर से बोलता है।

य कल्पित कथाएँ चाहें कितनी भी सामान्य तथा सबस्वाकृत क्या न हों इन पर वे लाइन अधिकारी विश्वास नहीं कर सकते जिनको वास्तविक अनुभव होता है। ये लोग इस तथ्य को कठिनाई से ही भुला सकते हैं कि वास्तविक शक्ति विशेषता तथा बजट परीक्षा द्वारा प्रयुक्त की जा रही है तथा स्टाफ के सदस्य यह नहीं जान सकते कि कर्मपालिका के मन में क्या है। संगठन के स्टाफ कर्मचारी इन कल्पित कथाओं का प्रचार करते हैं तथा इनमें विश्वास करते हैं क्योंकि उनसे उनकी शक्ति या योचित बनती है। ये कल्पित कथाएँ चाहें कितनी भी असत्य क्यों न हों तब तक माने जाते रहेंगी जब तक सामान्यतः यह विश्वास किया जाएगा कि उत्तरदायित्व के साथ शक्ति दी जानी चाहिए तथा आदेश की एकता रहनी चाहिए और यह सब उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को दिया जाना चाहिए। कभी कभी लाइन अधिकारी इन कल्पित कथाओं में अविश्वास प्रकट करते हैं किंतु अक्सर अथ यह कदापि नहीं है कि मानव कल्पना पर से इनका प्रभाव हट गया है। संयुक्तराज्य अमेरिका के हूवर आयोग की रिपोर्ट देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अतने जनप्रिय एवं लोकप्रसिद्ध सदस्यों वाला एक आयोग भी कल्पित कथाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

5

वैज्ञानिक प्रबंध टेलर तथा फेयोल का योगदान (Scientific Management Contribution of Taylor and Fayol)

20वीं शताब्दी में स्वचालन (Automation) एवं कम्प्यूटर तकनीकी (Computer Technology) के विकास तथा विज्ञान जगत में अनेक आविष्कारों के परिणामस्वरूप उत्पादन के पमान तथा विधियाँ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 19वाँ शताब्दी में प्रबंध के क्षेत्र में परम्परागत विचारधारा पार्य जाती थी। इसके अन्तर्गत प्रबंध का दायित्व साधना की सहायता से उत्पादन करके स्वामी के लाभ को अधिकतम करना था। उत्पादन की विधियाँ तकनीकी सभी पुरानी होती थी। लेकिन आधुनिक समय में विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही इस विचारधारा में परिवर्तन हुआ तथा इसके अन्तर्गत नवीन उत्पादन की विधियाँ नए प्रबंध के सिद्धान्त एवं व्यवहारों का काम में लाया जाने लगा है तथा प्रबंध का दायित्व केवल स्वामी के लाभ को अधिकतम करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब कर्मचारियों, अशुधारियों, समाज, सरकार व राष्ट्र के प्रति कई दायित्वों को निभाना पड़ता है। उदाहरणार्थ कर्मचारियों को ऊँचा वेतन तथा अच्छी कार्य की दशाएँ अशुधारियों का लाभ का वितरण ऊँची दर पर समाज का रोजगार प्रदान करना सरकार की नीतियों का समर्थन तथा लगाए गए कर का भुगतान एवं राष्ट्रीय हित में अधिक उत्पादन करना तथा उपभोक्तार्थों को कम कीमत पर अच्छी वस्तु की पूर्ति करना आदि उत्तरदायित्व आधुनिक प्रबंधका का निभान पड़ते हैं। इसे प्रबंध के सामाजिक दायित्व (Social Responsibilities of Management) कहा जाता है।

वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ

(Meaning of Scientific Management)

वैज्ञानिक प्रबंध एक विचारधारा एवं दशन है जो कि परम्परागत कार्य कराने व करने के अंगुठ के नियम (Rule of Thumb) का विरोधी है। इसके अन्तर्गत किसी भी औद्योगिक संस्थान में कार्य करने तथा श्रमिका से कार्य लेने के वैज्ञानिक ढंग को शामिल किया जाता है जिससे सम्बन्धित संस्थान में प्रबंध को समस्त समस्याएँ दूर हो जाएँ। इसमें अनुसंधान एवं प्रयोग आँकड़ों का संग्रहण आँकड़ों का विश्लेषण एवं उनके आधार पर सिद्धान्त का निर्माण किया जाता है। इसके

10 अधिकार एवं उत्तरदायित्व—वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत संस्थान काय करने वाले कर्मचारियों के अधिकार तथा उत्तरदायित्व की सीमा भी निर्धारित की जाती है। छोटे पमाने पर उत्पादन करने पर अधिकार तथा उत्तरदायित्व का भार एक ही व्यक्ति पर हाता है लेकिन आधुनिक समय में उत्पादन बड़े पमाने पर किया जाने लगा है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण आधुनिक उत्पादन प्रणाली का आधार है। इसके अंतर्गत विभिन्न कर्मचारियों के अधिकार तथा उत्तरदायित्व निश्चित कर दिए जाते हैं।

वैज्ञानिक प्रबंध के लक्ष्य एवं उद्देश्य

(Aims and Objectives of Scientific Management)

प्रबंध का विभिन्न समस्याओं का निवारण हेतु वैज्ञानिक प्रबंध अपनाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य एवं उद्देश्य निम्नांकित है—

1 अधिकतम पारस्परिक समझौदा—वैज्ञानिक प्रबंध भौतिक एवं मानवीय साधनों के बीच समन्वय एवं सहयोग उत्पन्न करके उत्पादन में वृद्धि करता है। इससे विभिन्न साधनों को अधिकतम पारस्परिक (Recumbentation) प्राप्त होगा। श्रम और पूँजी के बीच पारस्परिक विश्वास व सहयोग उत्पन्न करके उनकी समृद्धि में सहायक हाता है।

2 कार्यकुशलता में वृद्धि—वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा कर्मचारियों के कार्य की दशाओं में सुधार किया जाता है। उनकी शिक्षा व प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाती है तथा कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। इससे सभी कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी।

3 मानसिक क्रांति उत्पन्न करना—टनर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य मानसिक क्रांति को उत्पन्न करना है। इससे श्रम व पूँजी के बीच प्रबल सहयोगी एवं विश्वासपूर्ण सम्बन्ध का विकास हो सकेगा।

4 प्रबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण—इसका उद्देश्य प्रबंध के क्षेत्र में परम्परागत प्रबंधकीय दृष्टिकोण को त्यागकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया होगा। इसमें अंगूठा नियम (Rule of Thumb) के स्थान पर वैज्ञानिक रीतियों एवं सिद्धान्तों को लागू किया जाता है जिससे अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य का पूरा किया जा सके। उत्पादन वित्त कर्मिक (Personnel) बिक्री आदि विभागों में वैज्ञानिक रीतियों व सिद्धान्तों को लागू करना है।

5 न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन—जब वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न सिद्धान्तों विधियों एवं नियमों का उपयोग किया जाएगा तो इससे समय श्रम तथा अन्य उत्पादन के साधनों के अपव्यय पर प्रभावपूर्ण ढंग से रोक लग सकती और इससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा।

6 अन्य उद्देश्य—वैज्ञानिक प्रबंध के अपनाने में अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी

सम्भावना होती है उदाहरणार्थ—निश्चित योजना को लागू करना प्रमाणित यन्त्रों का उत्पादन करना प्रणालीगत मजदूरी पद्धतियाँ कर्मचारियों के अनुसार प्रशिक्षण को मजदूरों के सुगम बनाना प्रशिक्षण की कार्यकुशलता एवं थकान गति समय आदि का समय समय पर अध्ययन करना आदि ।

वैज्ञानिक प्रबंधन का क्षेत्र

(Scope of Scientific Management)

वैज्ञानिक प्रबंधन एक गतिशील एवं सुव्यवस्थित मानवीय दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग प्रत्येक मानवीय क्रिया में किया जा सकता है। स्वयं टेलर ने लिखा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का आधारभूत सिद्धांत उन सभी मानवीय क्रियाओं पर लागू होता है—हमारे सरलतम व्यक्तिगत कार्यों से लेकर महान् नियमावली कार्यों तक जिन कार्यों में व्यापक सत्याग की भांशा रहती है। लेकिन हम कथन का बावजूद भी प्रारम्भ में यही समझा जाता था कि वैज्ञानिक प्रबंधन का क्षेत्र कबन इजीनियरिंग उद्योग तक ही सीमित है लेकिन धीरे धीरे यह बात अब कमजोर पड़ रही है। अब वैज्ञानिक प्रबंधन के दृष्टान्त सिद्धांत एक नियम तथा विधियाँ न केवल यावनायिक औद्योगिक एवं आर्थिक क्रियाओं पर ही लागू होती है बल्कि इनका उपयोग सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाओं में भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन एक मानवीय दृष्टिकोण है जो कि दत्तानिष्ठ रीतियाँ सिद्धान्तों नियमों व विधियों का अपनाकर सत्याग में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य विवक्षित ढंग से किए जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत समान रूप से सभी सामाजिक कार्यों में प्रबंधन काट बढ़ व्युत्साय के प्रबंधन के प्रबंधन विद्यालयों के प्रबंधन एवं सरकारी विभागों के प्रबंधन में लागू किए जा सकते हैं। जो अधिक कर्मचारियों वाले वैज्ञानिक प्रबंधन प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है। ये विभिन्न क्षेत्र हैं—(i) वित्त (Finance) (ii) वितरण (Distribution) (iii) संगठन (Organisation) (iv) प्रमाणीकरण (Standardisation) एवं (v) सरलीकरण (Simplification) ।

प्रबंधन के वित्तीय विभागों में बजट नियंत्रण करने की विधियों का उपयोग किया जाता है। वितरण विभाग में बाजार संश्लेषण समकों का संग्रहण वितरण प्रणालियों का चयन विद्युत क्षेत्रों का विभाजन एवं विक्रीयों का चुनाव आदि कार्यों में वैज्ञानिक प्रबंधन लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार कर्मचारी प्रबंधन (Personnel Management) में कर्मचारियों की भर्ती चयन प्रशिक्षण, पदोन्नति स्थानान्तरण, समाप्ति आदि में वैज्ञानिक सिद्धान्तों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों का प्रत्येक मानवीय क्रिया में लागू किया जा सकता है चाहे मानवीय क्रियाएँ घर पर की जाती हैं अथवा उद्योगों में की जाती हैं।

वैज्ञानिक प्रबंध एवं परम्परागत प्रबंध में अंतर
(Distinction between Scientific Management and Traditional Management)

वैज्ञानिक प्रबंध एवं परम्परागत प्रबंध दो भिन्न भिन्न प्रबंध व्यवस्थाएँ हैं। इनका युग अलग अलग रहा है। 19वीं शताब्दी में परम्परागत प्रबंध व्यवस्था विकसित हुई थी लेकिन 20वीं शताब्दी में इसके स्थान पर एक प्रगतिशील एवं मानवीय दृष्टिकोण वाली प्रबंध व्यवस्था का उदय हुआ। इसे वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से पुकारा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंध के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न विधियाँ, विज्ञानों एवं पद्धतियों का उपयोग किया जाता है।

टेलर ने परम्परागत प्रबंध एवं वैज्ञानिक प्रबंध में निम्नान्वित अंतर बतलाए हैं—

1/ वैज्ञानिक प्रबंध में कोई तत्त्वा को सम्मिलित किया जाता है। उनके अंतर्गत कमचारियों का वैज्ञानिक चयन, प्रशिक्षण, कार्य पूरा करने में उनकी सहयोग प्राप्त करना प्रबंधकों व अधिकारियों के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्व का बंटवारा तथा प्राचीन अंगूठा नियम (Rule of Thumb) के स्थान पर वैज्ञानिक विधियों का उपकीर्ण करना आदि होते हैं। इसके विपरीत परम्परागत प्रबंध के अंतर्गत कमचारियों का चयन, प्रशिक्षण, कार्य तथा उत्तरदायित्व के बंटवारे के सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं अपनाया जाता है। इसमें अधिकारियों की भर्ती चयन, प्रशिक्षण, कार्य विभाजन, उत्तरदायित्व आदि मनमाने तौर पर निश्चित किए जाते हैं। प्रबंधक अंगूठे के नियम का सहारा लेता है।

2/ वैज्ञानिक प्रबंध में अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा सस्यामों के कार्य का पूर्वानुमान लगाया जाता है और उनकी योजना तैयार की जाती है। योजनाबद्ध तरीके से सस्यामों के कार्यों का निष्पादन करने हेतु कमचारियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। उन्हें निर्देशित किया जाता है तथा विभिन्न क्रियाओं का समय व निम्न ताल दिया जाता है। लेकिन परम्परागत प्रबंध में अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया जाता है। कार्य का पूरा करने का पूरा जिम्मेवारी कमचारियों को हाताई जाती है जबकि प्रबंधक केवल आदेश मात्र देते हैं।

3/ वैज्ञानिक प्रबंध में अंतर्गत पूजा और श्रम के बीच सीद्धान्तपूर्ण सम्बन्ध एवं विश्वास स्थापित करने हेतु मानसिक क्रांति (Mental Revolution) उपलब्ध करने का कार्य करता है जबकि परम्परागत प्रबंध में अंतर्गत श्रम व पूजा के बीच अछे सम्बन्ध स्थापित करने के कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। यह प्रबंध स्वामी-सेवक धारणा (Master servant Concept) पर पूर्ण रूप से आधारित होता है। इसमें मानसिक क्रांति का कोई स्थान नहीं है।

4 वनानिक प्रबंध के अंतर्गत कमचारिया का सत्याग प्राप्त करने तथा अधिक हर्ष उत्तर काय करने हेतु उत्त प्रेरणा दी जाती है। प्रेरणा योजना (Incentive Plan) के अंतर्गत श्रमिका को प्रेरणा मक मजदूरिया (Incentive Wages) दी जाती है उत्त काय की अच्छी दिशाए पदोन्नति काय की अपावधि आदि रूपो मे प्रेरणा दी जाती है। लेकिन परम्परागत प्रबंध के अंतर्गत इस प्रकार की योजनाओं को को स्थान नहीं दिया जाता है। सभी श्रमिका को समान मजदूरी दी जाती है।

5 वनानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध जगत की समस्याओं के हल हेतु वनानिक सिद्धांत विधि, रीतिया एवं नियम का उपयोग किया जाता है। इससे प्रबंध क्षेत्र की समस्याओं का हल शीघ्र और मम्य पर हो जाता है। लेकिन परम्परागत प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध समस्या का निवारण परम्परागत सिद्धांतो यन्हारो विधि एवं नियम द्वारा किया जाता है।

6 वनानिक प्रबंध का उद्देश्य शक्तिगत हिता का पूर्ति न करक सामूहिक प्रयास द्वारा सामूहिक हिता की पूर्ति करना है। इससे सामूहिक एवं पारस्परिक समृद्धि का प्रामाह्न मिलगा और वर्ग संघर्ष के स्थान पर सत्यान म शांति स्थापित की जा सकेगी। तसक विपरीत परम्परागत प्रबंध के अंतर्गत श्रमिको को युन मजदूरी देकर उका शोषण करना है। इससे स्वामी या प्रबंध का लाभ अधिकतम हा सकगा। यन् शक्तिगत हितो की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है।

इस प्रकार टेकर क शब्दम हम कह सकत है कि साधारण प्रकार के प्रबंध से अगूठक नियम की प्रतिस्थापना हेतु वनानिक ज्ञान का विकास व्यक्तियो का वनानिक चर्चन तथा शक्तिया का न वनानिक सिद्धांतो के अनुसार काय करने को अभिप्ररित करना एक बिल्कुल असगत प्रश्न होगा।

वनानिक प्रबंध आन्दोलन को प्रभ वित्त करन वाली विचारधाराए

प्रो ह्यस एवं प्रो मैसी (Haynes & Massie) के अनुसार बतमान समय म छ विचारधाराए हैं जिहान वनानिक प्रबंध आन्दोलन को प्रभावित किया ह। व ह—

- (1) परिमाणा मक विचारधाराए (Quantitative Approaches)
- (2) प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं लेखाकन (Managerial Economics & Accounting)
- (3) प्रबंध की सब-यापकताए (Universals of Management)
- (4) वनानिक प्रबंध (Scientific Management)
- (5) मानव सम्बन्ध (Human Relations)
- (6) व्यवहारवादी विज्ञान (Behavioural Sciences)

प्रथम विचारधारा में शेवार्ट (Shewart) फेलेर (Feller) कोपमन्स (Koopmans) द्वितीय में मंगल क्लॉक तृतीय में मनी एंड रोल यूमिन चतुर्थ में टेलर, ग्रेग गिलब्रिथ पांचवीं में मायो रथलवगर मग्रग तथा अन्तिम विचारधारा में एंडरसन नाटक मानस शक्ति सम्मिलित हैं। फिर भा वैज्ञानिक प्रबंधन जगत में टेलर का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इन विचारधाराओं को अनिश्चित हनरी फयोल द्वारा प्रतियोगिता क्रियात्मक दृष्टिकोण (Functional Approach) का भी अपना स्थान है। हनरी फयोल भा टेलर को समकालीन प्रबंधन जगत के 'मूल योगदानकर्ता' हैं। उनसे सबसे प्रथम प्रशासन का सामान्य सिद्धांत (General Theory of Administration) का प्रतिपादन किया था जिसका समस्त यूरोपीय उद्योग पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

प्रस्तुत अध्याय में हम सबसे प्रथम हनरी फयोल (Henry Fayol 1841-1925) के प्रशासन के सिद्धांत और तत्पश्चात् टेलर (P. W. Taylor 1856-1915) के दर्शन का विस्तार से विवरण करेंगे। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक (Father of Scientific Management) कहा जाता है और बाद में वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का अर्थ सिद्धांत द्वारा विकास किया गया। अतः हम वैज्ञानिक प्रबंधन का विस्तार से विवरण करेंगे।

हनरी फेयोल का योगदान

(Contribution of Henry Fayol 1841-1925)

एफ टायलर टेलर के समकालीन हनरी फयोल का जन्म था यह था कि उन्होंने सबसे प्रथम प्रशासन के सामान्य सिद्धांत (General Theory of Administration) का प्रतिपादन किया जिसमें समस्त यूरोपीय उद्योगों का महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। हनरी का जन्म सन् 1841 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने सन् 1860 में खनिज अभियन्ता को उपाधि प्राप्त करके Commentary Four chambault Company में उभा वर्ष कनिष्ठ अभियन्ता (J. En) के पद पर कार्य करना शुरू कर दिया। बाद में वही कंपनी के दो प्रबंधन सचिव बनने दिए गए। इन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने विचार प्रकट किए जा कि निर्यातक विवरण (Function Analysis) के महत्त्व पर जोर देते हैं। उन्होंने 1916 में General & Industrial Administration नामक पुस्तक लिखी।

प्रा कुप्टज एच प्रो आ डानल के अनुसार शायद ही वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का वास्तविक जनक फ्रांसीसी उद्योगपति फयोल ही हैं।¹

अमेरिका तथा इंग्लैंड में सन् 1920 तथा उसके पश्चात् भी इनके विचारा को कोई नो जान सका था क्योंकि इनकी पुस्तक General Theory of Administration सन् 1916 में फ्रांसीसी भाषा में छपी थी। लेकिन सन् 1929 में इसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ।

हेनरी फयोल एक व्यावहारिक एवं अनुभवी व्यवसायी था। उसने जो भी प्रबंधक क्षेत्र में योगदान दिया वह सब उसके प्रबंधकीय जीवन पर आधारित था। हेनरी फयोल द्वारा लिए गए प्रबंधकीय योगदान को निम्न आधारों पर जाना जा सकता है—

(i) औद्योगिक क्रियाएँ

✓ (Industrial Activities)

फयोल के अनुसार सभी औद्योगिक सस्थाओं में निम्न 6 क्रियाएँ देखने को मिलती हैं—

(i) तकनीकी क्रियाएँ (Technical Activities)—इनमें उत्पादन निर्माणकारी तथा अनुकूलता सम्बन्धी क्रियाएँ शामिल किया जाता है।

(ii) व्यापारिक क्रियाएँ (Commercial Activities)—इनमें क्रय विक्रय एवं विनिमय का समावेश किया जाता है।

(iii) वित्तीय क्रियाएँ (Financial Activities)—इनमें पूँजी प्राप्ति तथा उसके श्रेष्ठतम उपयोग को सम्मिलित किया जाता है।

(iv) सुरक्षा क्रियाएँ (Security Activities)—इनमें जान माल की सुरक्षा सम्बन्धी क्रियाएँ आती हैं।

(v) लेखाकर्म क्रियाएँ (Accounting Activities)—इनमें हिसाब-किताब रखने लागत नियंत्रण तथा आकड़े एकत्रित करने सम्बन्धी क्रियाएँ आती हैं।

(vi) प्रबंधकीय क्रियाएँ (Managerial Activities)—इनमें नियोजन संगठन आदेश समन्वय एवं नियंत्रण आदि का समावेश किया जाता है।

हेनरी फयोल के अनुसार ये क्रियाएँ प्रत्येक आकार के व्यवसाय में पाई जाती हैं।

(2) प्रबंधक तत्व

(Elements of Management)

प्रबंधकीय क्रिया को पाँच तत्वों अथवा कार्यों के रूप में विभाजित किया गया है उदाहरणार्थ—नियोजन, संगठन आदेश समन्वय और नियंत्रण। फयोल ने प्रशासन को प्रबंध में अधिक महत्वपूर्ण माना है। यही कारण है कि इन तत्वों या कार्यों को प्रशासन के कार्य भी कहा गया है। ये तत्व इस प्रकार हैं—

(i) नियोजन (Planning)—नियोजन में पूर्वानुमान एवं निष्पत्ति को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता

है और काय की योजना तयार की जाती है। काय की योजना (Plan of action) उद्यम के साधनों काय की प्रवृत्ति एवं महत्त्व तथा व्यवसाय की भावी प्रवृत्तियाँ पर निर्भर करती है। एक अच्छी योजना के अंतर्गत एकता, निरंतरता, लचीलता (Flexibility) और निश्चितता (Precision) आदि विशेषताएँ होनी चाहिए। हेनरी फयोल ने अग्रे देखना (Prevoyance) को नियोजन में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है क्योंकि इसमें भविष्य का अनुमान लगाकर उसके बारे में नियोजन तयार किया जा सकता है। प्रबंध की योग्यता एवं कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि नियोजन किस रूप में तयार किया जाता है।

(ii) संगठन (Organisation)— इसका द्वारा किसी भी उपक्रम को सही रूप में चलाना हेतु आवश्यक कच्चा माल, श्रम, पूँजी, कर्मचारी आदि की पूर्ति करना है। यह एक ऐसा ढाँचा है जिसके माध्यम से मानवीय एवं भौतिक साधनों का आवश्यक दशाएँ प्रदान करके उत्पादन का कार्य किया जाता है। इसमें कर्मचारियों को विद्यमान नियम एवं निरंतर प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाता है।

(iii) आदेश (Command)— इस तत्व के माध्यम से किसी भी उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंधका का अपने संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को एकता, शक्ति एवं प्रेरणा को बनाए रखने और उनमें संस्थान के प्रति आस्था उत्पन्न करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। हेनरी फयोल का कहना है कि आदेश की कला प्रबंध के व्यक्तिगत गुणों एवं प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों के ज्ञान पर निर्भर करती है। प्रशासकों को कर्मचारियों के बारे में पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए तथा असाध्य कर्मचारियों को ठकनी कर देनी चाहिए।

(iv) समन्वय (Co-ordination)— हेनरी फयोल के अनुसार यह प्रबंध का वह कार्य है जिन्हें माध्यम में संस्थान की विभिन्न विभागों में इस प्रकार तानमेन बंधना कि कार्य सुगमतापूर्वक चलना रहे और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। विभिन्न प्रबंधक कार्यो उत्पादन, उपभोग, वित्त, विपणन आदि में समन्वय करना आवश्यक है। समन्वय सभी रूप में प्रबंध का हृदय (Heart of Management) कहा जाता है। समन्वय के कार्य का सुचारु एवं सफल बनाना हेतु विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं सम्बन्धित अधिकारियों की समय समय पर सभाएँ बुलानी चाहिए।

(v) नियंत्रण (Control)— हेनरी फयोल के अनुसार नियंत्रण का कार्य संगठन में पाई जाने वाली दुबलताओं एवं गति तथा सुधारना है। इन गतिशीलों एवं दुबलताओं की पुनरावृत्ति को रोकना भी इसी के अंतर्गत आता है। नियंत्रण का लक्ष्य व्यापक है। इसमें अत्यधिक वस्तु, व्यक्ति एवं क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। फयोल के अनुसार एक प्रभावी नियंत्रण में दो महत्त्वपूर्ण बातों पर जोर

रिखा गया है—प्रथम नियंत्रण मध्य की कार्य मध्य पर किया जाना चाहिए एवं द्वितीय नियंत्रण विभिन्न अनुज्ञापना (Sanctions) द्वारा किया जाना चाहिए।

(3) प्रबंध के सिद्धांत

(Principles of Management)

हैनरी फयोन ने अपनी पुस्तक General and Industrial Administration 1916 में प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों की विस्तृत रूप में व्याख्या की है। उनके अनुसार किसी भी औद्योगिक संस्थान का प्रबंध करने हेतु प्रबंधकों को कुछ सामान्य आधारभूत सिद्धांतों का पालन होना आवश्यक है। ये सिद्धांतों नोचपण हैं जिनको किसी भी स्थिति में लागू किया जा सकता है। ये 14 सिद्धांत हैं—

(i) कार्य का विभाजन (Division of Work)—हैनरी फयोन के अनुसार विशिष्टीकरण एवं प्रमाणीकरण से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक उपकरण या मशीन में कार्य का निष्पादन एक विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इस उपपादन के मानवीय एवं भौतिक माधना की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है और यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। फयोन ने इस सिद्धांत को प्रबंधकीय एवं तकनीकी सभी कार्यों में लागू करने का प्रस्ताव किया है। फिर भी कार्य विभाजन का अपनी सीमाएँ होती हैं। अतः इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य विभाजन हो अथवा नियोजन सामान्य एवं नियंत्रण मध्य की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायगी।

(ii) अधिकार एवं उत्तरदायित्व (Authority and Responsibility)—फयोन के अनुसार प्रबंध में इन दोनों का घनिष्ठ सम्बंध है। ये एक दूसरे के साथ काम में आना है। बिना अधिकार के उत्तरदायित्व और बिना दायित्व के अधिकार पथ है। इसलिए फयोन ने इन दोनों में समानता पालन पर जोर दिया है क्योंकि ये एक कार्य के दो पक्ष हैं जिनका उपयोग प्रत्येक प्रावधानिक क्रिया में किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को कार्य को करने के उत्तरदायित्व सौंपने के साथ साथ उसे अधिकार भी दिए जाना चाहिए। ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अधिकारों के अंतर्गत कई सहायक सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें प्रबंध को प्रबंधक मण्डल से प्राप्त अधिकार तथा उसके व्यक्तिगत गुणा अर्थात् उनका पेशे व बुद्धिमत्ता अनुभव नैतिक पन तथा पिछली मनाया का समावेश है उसका अधिकार क्षेत्र को इंगित करता है।

(iii) अनुशासन (Discipline)—इसके अंतर्गत उन सभी समझौता के हेतु आदर को सम्मिलित किया जाता है जिससे आत्मकारिता वावहारिकता शक्ति एवं आदर प्राप्ति प्राप्त हेतु निर्देश दिए जाते हैं। हेनरी फयोन के अनुसार किसी भी संस्थान में अनुशासन उसके प्रबंधक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। एक अच्छे

अनुशासन हेतु एक मफुन नेतृत्व की आवश्यकता है। तम तीन बातों का होना आवश्यक है—

- 1 मभी स्तरों पर अछ एक सुनियोजित पयवभरण (Supervision) का ाना ।
- 2 ममभीते स्पष्ट एक उचित होने चाहिए ।
- 3 ाण विधान को हतनाएवक एक विवक के साथ ागू करन का प्रावधान ाना चाहिए ।

(1x) आदेश की एकता (Unity of Command)—इसके अन्तर्गत एक सभ्यान म कायरत कमचारिया को आदेश एक ही अधिकारी म प्राप्त होने चाहिए । एक कमचारी को ए म अविक् अधिकारिया स आदेश देन पर वह भ्रम म पड ाएगा । अपन ायित्र को मही रूप म नहीं निभा सकगा । अत कमचारीका एक ही अधिकारी ा जिमसे कि वह समय पर काय का आदेश प्राप्त होने ही कर ल तथा उत्तरदायित्व व अनुशासन आि गुणों मे किमी प्रकार की कमी न आए ।

(1y) निर्देश की एकरूपता (Unity of Direction)—तक अनुभार प्रवक एक समयान उद्देश्य वाली क्रियाओं के समूच की एक ही ायना हा तथा उसका अधिकारी भी एक हा हा और तस अधिकारी द्वारा दिए ान काद निर्देशा म एक रूपता का होना आवश्यक है जिमसे कि क्रियाओं एव प्रयासों म समय घासानी से क्रिया ा मके और किसी प्रकार की आन्ति उ पत्र न हो । फ्याल ने आदेशों की एतता तथा निर्देशों की एकरूपता का अ तर स्पष्ट करत हुए लिखा है कि आदेशों की एकता का सम्ब ध ववन विभिन्न स्तरों पर कायरत कमचारियों से है जबकि निर्देशों की एकरूपता समूच निगम शीर (Corporate body) म सम्बधित है । अत जिस प्रकार शरीर पर एक सिर स अधिक ाना राक्षस की निगानी ह उसी प्रकार निगम र्णा शरीर पर भी एक ही सिर (अधिकारी) होना अधिक उचित ागा ।

(1z) व्यक्तिगत हित का तुलना म सामान्य हित को सहत्व (Subordination of Individual Interest to General Interest)—किसी भी सभ्यान म व्यक्तिगत हित एव सामान्य हित म सघप नही होना चाहिए । यह सर्वोच्च प्रयासको एक प्र षण का दायित्व ह कि के व्यक्तिगत हितों का त्याग कर सभ्यान क सामा य हितों ा आर मभी कमचारियों का ायान आकषित करें । व्यक्तिगत हित एव सामान्य हितों म समाय करके सघप की स्थिति को उत्पन नहीं होना दना चाहिए । य तभी सम्भव हो मक्ता है जबकि उच्च अधिकारी अछ उाकरण प्रस्तुत करें । जहाँ तक सम्भव हो उचित समझौते एव निरंतर रूप म पयवभरण काय ाना रहू । ान य म त्वकाना कमचारी एव अय तत्व सामान्य हितों क म व का वम कर नेत है ।

(vii) पारिश्रमिक (Remuneration)—उत्पादन के विभिन्न मापनों को उनकी सेवाओं के बदले दिया जाने वाला भुगतान पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल होता है। किसी भी संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक एवं उसके भुगतान का तरीका उचित एवं वायसगत होना चाहिए जिससे कि कर्मचारी एवं नियोजित दोनों पक्षों को ही सन्तोस प्राप्त हो। इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है।

(viii) केन्द्रीयकरण (Centralisation) हेनरी फोयल ने केन्द्रीयकरण के सिद्धान्त पर जोर देते हुए कहा है कि किसी भी संस्थान में अधिकारों का किम सीमा तक केन्द्रीयकरण तथा किम सीमा तक विकेन्द्रीयकरण (Decentralisation) किया जाए यह अलग अलग संस्थानों की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करते हैं। एक बड़े उद्योग में अधिकारों का केन्द्रीयकरण अधिक नहीं होगा बल्कि वहाँ उच्चतम प्रबंध में मध्यम व निम्नस्तरीय प्रबंधकों तक अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण होगा। इसके विपरीत एक छोटे उपक्रम में अधिकारमत्ता का केन्द्रीयकरण बड़े पैमाने पर मिलेगा।

(ix) स्केलर श्रृंखला (Scalar Chain)—यह पदक्रम के सिद्धान्त (Principles of Hierarchy) पर आधारित है। यह एक प्रकार से उच्चतम अधिकारियों अथवा अधिकारमत्ता की रेखा है जो कि उच्चतम स्तर से निम्न स्तर तक संश्लेषण के रूप में काम में आती है। इस श्रृंखला के माध्यम से ही उच्च अधिकारों अपने अपने अधीनस्थों (Subordinates) को आदेश सुभाव देते हैं तथा निम्नस्तर से उसकी प्रतिक्रियाएं आदि जानी जाती हैं। संश्लेषण में ऐसी श्रृंखला का उपयोग किया जाना चाहिए लेकिन यदि किसी कारणवश देरी होने की सम्भावना होने पर इस श्रृंखला में प्रत्येक अधिकारी अपने से ऊपर वाले अधिकारों की अनुमति से अन्य अधिकारों से सम्पर्क करके काम को समय पर करवा सकता है।

(x) व्यवस्था (Order)—यह वस्तुओं और व्यक्तियों के संगठन के सिद्धान्त पर आधारित है। यह सिद्धान्त बस मात पर जोर देता है कि प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति के लिए उचित स्थान होता है और प्रत्येक स्थान के लिए एक उचित वस्तु और एक उपयुक्त व्यक्ति होता है। अतः यंत्रियों एवं वस्तुओं को उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। प्रबंध में निम्न लागत पर अधिकतम उत्पादन करने हेतु उचित वस्तु व व्यक्ति का होता आवश्यक है। इनके लिए प्रबंधकीय क्रियाओं के दो पहलू हैं—संगठन एवं व्यवस्था चयन का होना परमावश्यक है।

(xi) समता (Equity)—सबे लिए दिया एवं प्राप्त होना आवश्यक है। किसी भी संस्थान के पब्लिशों का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दया एवं माय के साथ व्यवहार करना चाहिए। इससे कर्मचारी प्रान्तर दे सकेंगे तथा आत्मनिश्चिन्ता एवं स्वाभिमान की भावना उत्पन्न हो सकेंगी। प्रबंध के सभी स्तरों पर समता के सिद्धान्त को लागू करना चाहिए। इसके लागू करने हेतु प्रत्येक विवेक अनुभव एवं व्यवस्था स्वभाव होना आवश्यक है।

(xvi) कर्मचारियों के पदों का स्थिरता (Stability of Tenure of Personnel)—किमी भी संस्थान में कार्यरत कर्मचारिया का अपन कार्य व पद की सुरक्षा होना चाहिए। यदि उह यह पता है कि जा कार्य व पद उन्हें दिया गया है। वह निश्चिन्त मन से काम करेगा इसमें कोई परिवर्तन नही किया जाएगा। इसमें कर्मचारी पूरी रुचि एवं लगन से कार्य करेंगे। इसके विपरीत कार्य व पदों के बार बार परिवर्तन करने पर उद्योग के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी और एसा एक अशुभ प्रबंध का निशानी है। असे संस्थान का नुकसान होता है।

(xvii) प्रेरणा (Initiative)—सब अन्तर्गत किसी योजना पर विचार करने एवं उसका क्रियान्वयन का कार्य आता है। यह सिद्धांत इस भावना पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति में माचन विचारन की शक्ति होती है। जिसे भा योजना का तयार करने एवं उसका लागू करने में कर्मचारिया को छूट देनी चाहिए। इसमें कर्मचारिया में उत्साह एवं शक्ति में वृद्धि होती है। इन फणों के अनुसार प्रबंधका को चाहिए कि वह कर्मचारिया में प्रेरणा की भावना उत्पन्न करने का कार्य करे।

(xviii) सहयोग की भावना (Esprit de Corps)—यह संगठन ही शक्ति है (Union is Strength) के सिद्धांत पर आधारित है। यह एकता उत्पन्न करता है। प्रबंधका को अपन अधीनस्थ कर्मचारिया का सहयोग प्राप्त करना चाहिए और सभी का एक साथ तबरे एवं काम के रूप में कार्य करना चाहिए। सहयोग का भावना उत्पन्न करने हेतु संदेशवाहन के महत्व पर जोर दिया गया है। यदि समिका में एकता नहीं है तो यह संस्थान के हितों के लिए घातक सिद्ध होगा। पूरा सहयोग की प्राप्ति हेतु एक आर आदेशों में एकदमता रखनी होगी तथा दसरी और फूट डाना और गसन करो (Divide & Rule) वाली ताकत को समाप्त करना होगा और इसके लिए प्रभावपूर्ण ढंग से संदेशवाहन का उपयोग करना होगा जिससे कि तुरंत किमी भी प्रकार संदेश को दूर किया जा सके।

(4) प्रबंधकीय प्रशिक्षण एवं गुण

(Managerial Training & Qualities)

हन्री फयान ने प्रबंधका में विभिन्न आवश्यक गुणा पर जोर दिया है।

प्रबंधक में निम्न गुण होने चाहिए -

(1) शारीरिक गुण—स्वास्थ्य मन्तव्य आदि।

(2) मानसिक गुण—समभन और साखन का याग्यता नियम लना एवं अनुकूलता।

(3) नैतिक गुण—शक्ति इन्त तायिब स्वीकार करने की इच्छा प्रेरणा एवं बफादारी प्राप्ति।

- (4) शैक्षणिक गुण—काय सम्बन्धी ज्ञान के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान की जानकारी।
 (5) तकनीकी गुण—काय की जानकारी।
 (6) अनुभव—उच्चिण काय करने में प्राप्त।

उनके अतिरिक्त फयान यावसायिक त्रियात्रा जैसे प्रबंधकीय वितीय यापारिक तकनीकी सुरक्षा एवं त्वावन सम्बन्धी याधनायो को भी प्रबंधका क लिए आवश्यक समझते हैं। किसी भी संस्थान में कार्यरत श्रमिक का सबसे महत्वपूर्ण योग्यता उसकी तकनीकी जानकारी है तथा जैसे जैसे उच्चस्तरीय प्रबंध की आरंभ जाते हैं प्रबंधकीय योग्यता का तुलनात्मक महत्त्व बढ़ता जाता है। फयोल ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी संस्थान में प्रबंधकीय योग्यता तकनीकी योग्यता की भांति ही प्राप्त करनी चाहिए। यह पहले पाठशाला में प्राप्त की जानी चाहिए और फिर कारखाने में। अतः प्रबंध की शिक्षा प्रारम्भिक काल में ही दे दी जानी चाहिए। उच्चस्तरीय प्रबंध की शिक्षा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रदान की जानी चाहिए।

(5) प्रबंध सिद्धान्तों की सावभौमिकता

(Universality of Management Principles)

हेनरी फयोल ने अपनी पुस्तक General & Industrial Administration तथा भाषणा में प्रबंध के सिद्धान्तों की सावभौमिकता माना है। हर एक क्षेत्र में इन सिद्धान्तों का लागू किया जा सकता है। हेनरी फयोल के अनुसार यह (प्रबंध) सर्वत्र परमावश्यक है चाहे वह वाणिज्य हो, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध अथवा उदारता हो। प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध का कार्य किया जाता है और इसके निष्पादन हेतु सिद्ध न हान चाहिए।

इस प्रकार हेनरी फयोल के प्रबंध के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण आज भी प्रबंध जगत् में उसका अध्ययन किया जाता है। उनके प्रबंध के सिद्धान्त इतने वापस हैं कि इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करके किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है।

एफ डब्ल्यू टेलर का योगदान ✓

(Contribution of F W Taylor 1856-1915)

य प्रबंध जगत में वैज्ञानिक ढंगके प्रतिपादन करने वाले प्रबंध विशेषज्ञ माने जाते हैं। य अमेरिका निवासी थे जिनके 19 वर्ष की आयु में फिनार्डफिया में रूम शिपयार्ड पर एक सामान्य मशीन प्रशि मर्फी एवं टनर के रूप में काम शुरू किया। मर्फी की सरावी के कारण मशीन चलने की इनकी सहायता पूरी नहीं हो सकी। तीन वर्ष बाद वे मिडवेल स्टील वर्क्स (Midvale Steel Works) में मशीन शाय श्रमिक के रूप में चले गए। दस वर्ष बाद टाली नायक के रूप में उनकी पदाभ्रति हो

गण। अपनी योग्यता एवं लग्न व कारण व चर १५ पश्चात् १८८२ २८ वर्ष का आयु में 'सा कम्पनी में मुख्य अभियन्ता (Chief Engineer) बन गए। सा वान साधकाजीन कक्षाओं में प्रवेश लेकर उद्योग एम. ई. की उपाधि प्राप्त कर ली। वान में वे काल पब्लिक का परामर्श देने का कार्य करने लगे। वान काल पर पर और वान में जाकर इन पत्रों का पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया। टनर द्वारा सन् 1911 में प्रकाशित पुस्तक 'वैज्ञानिक प्रबंध व सिद्धान्त (Principles of Scientific Management) का वैज्ञानिक प्रबंध में मूल-वर्णन योगदान है। इस पुस्तक में टनर ने कारखाना प्रबंध (Factory Management) अथवा उत्पादन प्रबंध (Production Management) के सिद्धान्त का समावेश किया है। एक औद्योगिक संस्थान में कार्यकुशलता किमती कर वना जा सकता है। इसके लिए मशीन एवं उनके चालकों पर भी ध्यान दिया गया है। इसके लिए टनर ने समय अध्ययन (Time Study) गति अध्ययन (Motion Study) एवं थकान अध्ययन (Fatigue Study) आदि पर प्रयोग किए हैं। ये प्रयोग वैज्ञानिक प्रबंध का हृदय हैं। उनके साथ ही संगठन के अंतर्गत कार्यों का नियंत्रण एवं क्रियात्मक (Functional) भागों में विभाजित किया है। नियोजन व अन्वयन उच्च प्रबंधकों द्वारा सोचने का कार्य अधिक किया जाता है। जबकि क्रियात्मक कार्य के अन्तर्गत श्रमिक कार्य करने अथवा यंत्राकरण सम्बन्धी कार्य में अधिक सम्बन्धित होते हैं। इनके कार्य सेना उनके ऊपर नियुक्त नायकों (Bosses) की जिम्मेदारी है। टनर का अर्थ-वैज्ञानिक प्रबंध (Scientific Management 1912) कारखाना प्रबंध (Shop Management 1910) आदि हैं। उनके निवेदन में मुख्य हैं—

A Piece rate System 1895 Shop Management 1903 On the Art of Cutting Metals 1906 Gospel of Efficiency 1911 प्रबंध क्षेत्र में टनर का योगदान

टनर का वैज्ञानिक प्रबंध का जनक (Father of Scientific Management) कहा जाता है तथा उन्हें कार्यकुशलता का सृजनकर्ता (Creator of Efficiency) भी कहा जाता है। टनर ने वैज्ञानिक प्रबंध में निम्नांकित महत्त्वपूर्ण योग दिया है—

1. प्रबंध को विज्ञान बनाना—टनर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रबंध एक विज्ञान है और इस रूप को बनाए रखने हेतु हम घटनाओं तथा आदि को व्यवस्थित करना चाहिए। अवधारणों पर प्रयोग (Experiments) किए जाने चाहिए। प्रयोगों की प्रशिक्षण से ही टनर ने कार्य समय एवं थकान अध्ययन किए हैं और कमचांगिया वैज्ञानिक चयन के आधा का प्रस्तुत किया है। 'सम प्रबंध एक विज्ञान के रूप में कार्य करता है।

12 प्रबंध संगठन का निर्माण—टेलर ने इस बात पर ज़ार दिया कि किसी भी संस्थान में एक उचित प्रबंध संगठन का विकास किया जाभा चाहिए। यह एक प्रकार से एक यंत्र का कार्य करता है जिनके माथम से प्रबंध कार्यों का सम्पादन आसानी से किया जाता है। यह प्रबंध यंत्र कई तत्त्वों के समावेश से तयार किया जाता है जैसे—समय अध्ययन, त्रियामक फारमन शिप प्रमापीकरण नियोजन विभाग कार्यानुमान, विभत्तामक मजदूरी योजना आदि।

13 प्रबंध के सिद्धांत—टेलर ने दानो पक्षा को याद दिलाने के उद्देश्य से प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये सिद्धांत सभी के हितों एवं सामूहिक विकास हेतु प्रतिपादित किए गए हैं। ये सिद्धांत निम्न हैं—

- (1) कार्यानुमान का सिद्धान्त
- (2) प्रयोग का सिद्धान्त
- (3) कार्य नियोजन का सिद्धान्त
- (4) कमचारियों के बज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धान्त
- (5) कार्य के बज्ञानिक आवण्टन का सिद्धान्त
- (6) सामान के बज्ञानिक चयन एवं उपयोग का सिद्धान्त
- (7) आधुनिकतम उपकरणों के उपयोग का सिद्धान्त
- (8) प्रमापीकरण का सिद्धान्त
- (9) कुशल लागत लक्षा प्रणाली का सिद्धान्त
- (10) प्ररणात्मक मजदूरी का सिद्धान्त
- (11) सन्तोषजनक कार्य दशाओं का सिद्धान्त
- (12) प्रबंध के अपवाद का सिद्धान्त
- (13) मानसिक शक्ति का सिद्धान्त
- (14) त्रियामक संगठन का सिद्धान्त।

उपयुक्त सभी सिद्धान्तों का बरण पिछले अध्याय में दिया गया है।

4 प्रबंधकों के दायित्व—टेलर ने प्रबंधकों के दायित्व के सम्बन्ध में निम्न चार नए दायित्वों का प्रतिपादन किया है। वे हैं¹—

- (1) कमचारियों के कार्य के प्रत्येक तत्त्व के लिए विज्ञान का विकास करें जिससे कि परम्परागत अगूठा नियम (Old Rule of Thumb) को बदला जा सके।
- (2) कमचारियों के अधिकतम विकास हेतु उनका बज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण दिया जाए।

- (3) कमचारियों के साथ व पूरा हासिक सन्वाग करें निम्न कि विज्ञान व निष्ठाता के अनुसार वास्तविकता का मक ।
- (4) प्रबंधका एवं कमचारियों के मध्य वास्तव एवं उत्तरदायित्व का समान विभाजन होना चाहिए ।

उपरोक्त प्रबंधकाय दायित्वात् स श्रमिका और प्रबंधका म पारस्परिक महयाग एवं विद्वान् उत्पन्न होगा तथा सम्बन्धन म शान्ति स काय नैना रहता ।

✓ वैज्ञानिक प्रबंध का षणन—टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध प्रयत्न काय व चिन्तन म निष्पादन क तरीकाम उसका योजना का विभाजन व उस द्वियान्वयन म नियन्त्रण आदि का अध्ययन करना है, तथा जनम मशा सुधार करत रहना चाहिए । जन मन स ही वैज्ञानिक प्रबंध का एक गतिशास्त्र एवं निरन्तर प्रक्रिया सम्बन्धी विज्ञान माना गया है । स प्रकार म वैज्ञानिक प्रबंध के दशन म टेलर के अनुसार निम्न तत्त्वा का ग मित किया गया है—

- (1) चिन्तन न कि अगूठा का नियम
- (2) गान्ति न कि सघप
- (3) सहयोग न कि यत्किवाद
- (4) अधिकतम उत्पादन न कि सामित उत्पादन
- (5) प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कायकुशलता एवं समृद्धि तरु विकास ।

इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध का दान आपमा महयाग एवं विश्वास पर आधारित है ।

✓ प्रबंध के उद्देश्य—टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य न एवं न समृद्धि की वृद्धि करना ही है वर्कि श्रमिका एवं समूचे समाज स निघनता का समान करना है । वससे श्रमिका को ऊचा मजदूरी काय की अछ्छा सिगाए तथा निम्न लागत पर वस्तुएं प्राप्त हा सकेंगा । उन उद्देश्या का पूर्ति हेतु प्रबंध जगत् म निम्ननिश्चित परिस्थितिया उत्पन्न करनी हात—

- (1) श्रमिक का योग्यतानुसार काय दिया जाए ।
- (2) सन्नापप्रत काय की तथा ए प्रान्त का जाए ।
- (3) प्ररणा मक मजदूरा पद्धति अपनाकर अधिक क यकुशल कमचारी का कम कायकुशल श्रमिकों न अधिक मजदूरा दी जाए ।
- (4) समय गात एवं थकान अध्ययन द्वारा उच्च मजदूरा एवं निम्न श्रम लागत व उद्देश्या को प्राप्त करना

✓ क्रियात्मक सगठन पद्धति—टेलर न वैज्ञानिक प्रबंध म न पद्धति का

प्रतिपादन करके एक त्रातिकारी कदम उठाया है। फोरमन के काय करने क भार को समाप्त करके एक स्थान पर विशेषज्ञों की नियुक्तियाँ की हैं। इससे फोरमन का कायभार कम हो जाएगा तथा वह अ्य कार्यों में अपना समय अधिक लगा सकेगा। इससे अतगत कारखाना स्तर पर टोली नायक (Gang Boss) गति नायक (Speed Boss) मरम्मत नायक (Repair Boss) एवं निरीक्षक (Inspector) नियुक्त किए गए हैं तथा कार्यालय स्तर पर कायक्रम लिपिक (Routine Clerk) निर्देशन पत्र लिपिक (Instruction Card Clerk) समय और लागत लिपिक (Time & Cost Clerk) तथा अनुशासक (Disciplinarian) की नियुक्ति की गई है। इन विशेषज्ञों का सीधा सम्बन्ध श्रमिकों से होता है। श्रमिकों को इनके अधीन काय करना पड़ता है।

8 मानसिक क्रांति—टेलर ने धनानिक प्रबंध की सफलता हेतु कमचारियों एवं प्रबंधकों में मानसिक क्रांति उत्पन्न करने पर जोर दिया है। श्रमिकों व मालिकों को अपने हितों को एक दूसरे का विरोधी नहीं समझना चाहिए तथा एक दूसरे को सहयोग देने एवं विश्वास करके काय करना होगा। श्रमिकों को काय की अर्द्धी दशाएँ प्ररणात्मक मजदूरी तथा योग्यतानुसार काय का आवण्टन किया जाना चाहिए। श्रमिकों को भी अपनी मांगों को मनवाने हेतु हड़तानु धीरे काय करने की प्रवृत्ति धेराव आदि आत्मों को छोड़ना पडगा।

टेनर के अनुसार प्रबंधकों के निम्न उत्तरदायि व हैं—

- (1) श्रमिक द्वारा किए जाने वाले काय का निधारण
- (2) काय हेतु उचित श्रमिक का चयन एवं
- (3) काय में उच्च स्तरीय निष्पादन हेतु श्रमिकों को अभिप्ररित करना।

विश्व के विकसित देशों में टेनर के सिद्धान्तों एवं तरीकों को बड पमाने पर लागू किया गया। अमेरिकी उद्योगों एवं पश्चिमी यूरोप के उद्योगों पर धनानिक प्रबंध का महत्वपूर्ण प्रभाव पडा है और इनको अपनाया भी गया है। टेनर की शिक्षाओं से प्रबंध के अ्य विभागों जैसे—वित्त कार्मिक (Personnel) क्रियात्मक संगठन आदि का विकास हुआ है तथा वर्तमान समय गति यकान प्ररणाओं आदि का आधार बनी है।¹

टेनर तथा फेयोल—एक तुलनात्मक अध्ययन
(Taylor & Fayol—A Comparative Study)

टेनर तथा फेयोल दोनों समकक्ष एवं समकालीन प्रबंध विशेषज्ञ थे। टेनर ने अमेरिका तथा हेनरी फेयोल ने फ्रांस में प्रबंध सम्बन्धी विचारों का विकास किया। दोनों ही प्रबंध विशेषज्ञों के विचारों में समानताएँ तथा अतमानताएँ पायी जाती हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है।

टेलर तथा फयोल के विचारों में समानताएँ—प्रो एम बनर्जी न फयोल एवं टेलर के कार्यों तथा रचनाओं में समानताएँ बताई हैं वे निम्नलिखित हैं¹—

1. दाना ही प्रबंध विद्यपत्तियों ने तकालीन दशाब्दा में सुधार करने का कार्य को अपने सम्मुख रखते हुए प्रबंध को विवेकपूर्ण एवं सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया है। टेलर ने प्रबंध विचारधारा का वैज्ञानिक प्रबंध (Scientific Management) तथा हेनरी फयोल ने प्रशासन के सामान्य सिद्धान्त (General Theory of Administration) का नाम दिया है। आधुनिक प्रबंध विज्ञान का इन दोनों में प्रेरणा मिलती है।

2. दोनों ही विचारक प्रबंधकों के पेश (Profession) में रह चुके थे। अतः प्रबंध विचारधारा का विकास अपने अनुभव के आधार पर किया।

3. दोनों ही प्रबंध में मानवीय साधन के महत्व को स्वीकार किया है और यह माना है कि उचित मानवीय व्यवहार का माध्यम से उपक्रम के विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न विघटनों का सरलता से निपटाया जा सकता है। यह औद्योगिक सफलता के लिए एक आवश्यक कुञ्जी है।

इस प्रकार दोनों ही विचारकों ने प्रबंध-कुशलता पर जोर दिया तथा प्रबंध की दशाब्दा को सुधारने की सिफारिश की। किसी भी उद्योग का सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कर्मचारियों एवं उनका प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। दोनों ने प्रबंध जगत में एक वैज्ञानिक आधार तैयार किया जिस पर आगे चलकर आधुनिक प्रबंध की सुदृढ़ नींव रखी जा सकी है।

टेलर एवं फयोल के विचारों में भिन्नताएँ—टेलर व फयोल के विचारों में समानताएँ दोनों के बावजूद भी उसमें कतिपय असमानताएँ या भिन्नताएँ भी पायी जाती हैं। प्रो एम बनर्जी के अनुसार दाना में निम्नलिखित असमानताएँ मिलती हैं—

1. टेलर ने सर्वाधिक ध्यान कारखाना प्रबंध पर दिया है और उत्पादन के औद्योगिक पहलू जैसे—औजारों का प्रमाणीकरण, समय एवं अध्ययन पर ध्यान दिया है। इसके विपरीत हेनरी फयोल ने प्रबंधकों के समस्त कार्यों एवं उनमें निहित सिद्धान्तों पर अत्यधिक ध्यान दिया है।

2. टेलर ने प्रबंध के निम्नतम स्तर से कार्य शुरू किया है और उच्चस्तरीय अध्ययन की ओर आगे बढ़े हैं। अतः उनके अध्ययन का मुख्य विद्धान्तिक और उसके द्वारा संचालित क्रियाएँ हैं। इसके विपरीत फयोल ने अपनी प्रबंध प्रणाली का विकास उच्चस्तरीय प्रबंध से शुरू किया है और फिर भी निम्नस्तरीय प्रबंध की ओर बढ़ने का कार्य किया है। फयोल ने समय निर्देशन की एकता तथा एकता की भावना आदि प्रबंधकीय सिद्धान्तों पर विशेष जोर दिया है।

3 टेलर का दृष्टिकोण कार्यकुशलता में वृद्धि करने पर आधारित है। नतीजतः कई प्रयोग (Experiments) जैसे—समय अध्ययन गति अध्ययन तथा थकान अध्ययन का समावेश किया गया है जबकि फयोल का दृष्टिकोण यापक था जिसके कारण उद्दान प्रबन्ध के तत्त्वो एव सिद्धान्तो को प्रतिपादन किया है। इन सिद्धान्तो का न केवल प्रबन्ध क्षेत्र में ही लागू किया जा सकता है बल्कि राजनीति घम युद्ध उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। टेलर का कुशलता विशेषज्ञ तथा हेनरी फयोल को प्रबन्ध विशेषज्ञ कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

4 टेलर के वैज्ञानिक प्रबन्ध के सिद्धान्तों में आधुनिक परिवर्तनों का परिणाम स्वरूप परिवर्तन हुए हैं लेकिन हेनरी फयोल के प्रबन्ध के सिद्धान्त आज भी ज्याद व्यापक हैं और उद्दान भी विभिन्न क्षेत्रों जैसे वन वच सरकार और उद्योग में समान रूप से लागू किया जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

टेलर एवं हेनरी फयोल ने प्रबन्ध जगत में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है जिसका प्रबन्ध जगत अभी नहीं भूल सकता है। टेलर को वैज्ञानिक प्रबन्ध का जनक (Father of Scientific Management) कहा जाता है तथा फयोल को यन्त्र प्रबन्ध विशेषज्ञ कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रबन्ध विज्ञान विशेषज्ञ री उर्विक (Urwick) ने टेलर एवं हेनरी फयोल इन दोनों विद्वानों के योगदान का तुलनात्मक विवरण निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया है—

टेलर तथा हेनरी फयोल दोनों के ही कार्य एक दूसरे के पूरक थे। उन दोनों ने ही यह अनुभव किया कि प्रबन्ध का प्रत्येक स्तर पर कामचालिका तथा उनका प्रबन्ध की समस्या औद्योगिक सफलता की कुंजी है। दोनों ने ही इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया। यद्यपि टेलर ने मुख्यतः औद्योगिक प्रबन्ध के क्रम में नीचे से ऊपर की ओर क्रियात्मक स्तर पर काम किया तथा फयोल ने जनरल मैनेजर के स्तर पर ध्यान केंद्रित करके ऊपर से नीचे की ओर कार्य पर जोर दिया। यद्यपि यह प्रश्न उनके बहुत भिन्न व्यवसाय क्रमों का प्रतिबिम्ब मात्र था।

वैज्ञानिक प्रबन्ध के सिद्धान्त

(Principles of Scientific Management)

बीसवीं शताब्दी में प्रबन्ध जगत के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबन्ध का प्रादुर्भाव एव विकास एक महत्त्वपूर्ण घटना है। प्रबन्ध का कोई भी विचारार्थी इसका सिद्धान्तों में आधारों तथा अर्थ पहलुओं की उपेक्षा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है।

प्रो मैकफारलैंड का शब्दों में वैज्ञानिक प्रबन्ध एक हृदय सुत्र नहीं है और न ही एक विशेष कदमों की परिणति है, बल्कि यह एक दशन एक विचारधारा मानव व्यवहार का एक दृष्टिकोण है। यन्त्र औद्योगिक क्रान्ति को और एक मानविक क्रान्ति है।

वचनिक प्रवचन के सिद्धान्त का अध्ययन करने के समय हम अनेक विभिन्न पहलुओं के रूप में देख सकते हैं। इनमें विभिन्न पहलुओं या भाग ही वचनिक प्रवचन के सिद्धान्त के अंग हैं।

वचनिक प्रवचन का मुख्य उद्देश्य एक विशेषताएँ सम्भलन के पश्चात् प्रवचन जगत में टर तथा अन्य वचनिक प्रवचनका द्वारा दिए गए प्रमुख तत्वा अथवा सिद्धान्तों का जानना आनयन हो जाता है। इन सिद्धान्तों पर ही वचनिक प्रवचन की नींव रखी गई है।

टर तथा अन्य प्रवचन विशेषताओं द्वारा प्रतिपादित वचनिक प्रवचन के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं—

1. मानसिक क्रांति (Mental Revolution)—

वचनिक प्रवचन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात् भी हमकी पूर्ण समझना के लिए अम तथा प्रवचनका म मानसिक क्रांति उत्पन्न करना आवश्यक है। बिना हम क्रांति के हम और प्रवचन के बीच पूर्ण सहयोग न जान पर मस्थान या कारखान के उद्देश्यों का पूरा न हो किया जा सकता है। मानसिक क्रांति औद्योगिक क्रांति का जीवन रक्त है और हमके अभाव में औद्योगिकीकरण नहीं किया जा सकता है तथा वचनिक प्रवचन का उपयोग पभावपूर्ण ढंग से नहीं किया जा सकता है। परम्परागत प्रवचन के अतगत अमिकों एवं प्रवचन के पारम्परिक सम्प्रदाय तथा मधुर सम्बन्ध नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे अपने स्वार्थों की दृष्टि से एक-दूसरे का विरोध तथा प्रतिस्पर्धी सम्भलते हैं। प्रवचनका का अमिकों के साथ मानवाय सृष्टिकारण अपनाया चाहिए। अमिकों का उचित मानदूरी तथा काम की निशाने प्रदान करनी होगी जबकि अमिकों का भी अपने अम सगठना के सघषामक कार्यों के स्थान पर रचनामक कार्यों पर जार देना होगा। उह उद्योग का अपना उद्योग सम्भल कर काय के नशाने होगा। हम प्रकार वचनिक प्रवचन का मूल मन्त्र है— हम प्रवचनका मानसिक क्रांति द्वारा उनमें आपसी सौहार्दपूर्ण प्रवचन स्थापित करना है। दाना पक्षा के बीच भी हम पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के विषय में टर न निष्ठा है कि वचनिक प्रवचन के अन्तर्गत दोना पक्षा के मानसिक सृष्टिकारण में एक-दूसरे क्रांति आना है जिसके अतगत दाना पक्ष अन्य महत्वपूर्ण मामलों की भांति आधिक्य के बटवारे से अपनी निगाह दूर रखते हैं और हमके साथ ही आधिक्य आकार में बढि करने का आर आधिक्य घ्यान देने रचना चाहिए। जब तक कि ये आधिक्य अतना बढा हो जाए कि हमसंघितरण के विषय में भगवाना आवश्यक होगा।¹

हम प्रकार हम एक प्रवचनका को न केवल उनके विचारों का त्याग कर सौहार्दपूर्ण बान्धवण संस्थापित करना होगा बल्कि हम दाना पक्षा का क्रांति के प्रवचन

की क्रिया विन करन हेतु काय करने के ढंग पर भी एकमत होना आवश्यक है। दोना पना द्वारा वनानिक अन्वेषण (Scientific Investigation) और नान क तरीके को बिना किसी पन्धरात के स्वीकार करना होगा। एमसे उत्पादकता म वृद्धि हागी और नाना ही पन्धरा की समृद्धि म वृद्धि हागी।

2/ प्रमापीकरण (Standardisation)—वनानिक प्रबध के अन्तगत वनानिक काय अन्वेषण क आधार पर प्रमापित काय निर्धारित किया जाता है और यह देखा जाता है कि यो क्रिया हूमा काय मब परिस्थितो द्वारा परा किया जाता है अथवा नही। श्रमिक उमी समय काय पूरा कर मकने जब इस दिशा म प्रबध द्वारा महत्वपण काम उठाए जात है। औजारो यन्त्रो मशीनो आदि का प्रमापीकरण आवश्यक है। श्रमिका द्वारा काय का पूरा करने हेतु काम म लाए नान वाल औजारो मन्त्रो व मशीनो का प्रमापीकरण करना चाहिए। वनानिक प्रबध क सिद्धान्त एत पान पर जोर देते हैं कि उत्पादन म काम म आने वाली मशीने औजार उपकरण विधिषा माल तथा अन्य साधन प्रमापित होने चाहिए। काय की दशाए समय वस्तु की किस्म भी प्रमापित हानी च हिए। प्रमापीकरण से उत्पादन लागत कम हाणी ह उत्पादन की विधिषा एव किस्म म सुधार हाता है और श्रमिका की काय कुशलता म वृद्धि हाती है। ये विभिन्न प्रमाण वनानिक प्रबध के अन्तगत मामयिक प्रयोगो द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

अन्तर मे औजारो और उपकरणा क प्रमापीकरण के विषय मे लिखा है कि कुछ प्र म श्रमी श्र्तीय एव तृतीय श्रणी म निरूद्ध्य जान हुए क स्थान पर वे श्र्तीय श्रणी की समरूपता म ज्यादा अद्ध्य हात ह।¹

प्रत्येक मशीन की चाल भी अनुकूलनम हाणी चाहिए। अधिक अथवा धीमी गति क परिणामन्वरूप मशीन को नुकसान पहुचता ह। प्रमापित काय का उत्पादन करने हेतु रोशनदान तापक्रम नमी सुरक्षा आदि दशाए भी प्रमापित हाणी चाहिए। श्रमिका की कायश्रमता गति तत्वा क आर्ति क्त कच्चे माल की किस्म एव उसको काम म नन क लग पर भी निर्भर करनी है। कच्चे माल का भी प्रमापीकरण हाता च हिए कि उ पादन वस्तु ना प्रमापित हा सक और कच्चे माल का अपव्यय न हो सक। इसक लिए प्रबध को अनुसंधान एव वनानिक अन्वेषण करना चाहिए।

3/ काय अनुमान (Task Idea)—श्रमिक अपनी योग्यतानुसार काय कर रह ह अथवा नही इसका जानकारी हेतु वनानिक प्रबध क अन्तगत किसी भी काय को करन से पूव उसका सही अनुमान लगाया जाता है। वनानिक प्रबध क अन्तगत काय का अनुमान नहा गया जाता था। वनानिक प्रबध क अन्तगत प्रमापित काय निर्धारित किया जाता है। यह काय दी ह प्रमापित दशाया म एक औसत श्रमिक

द्वारा पूरा किया जा सकता है। टैमर ने इसे एक उचित दिन का कार्य (A proper day's work) कहा है। प्रमाणित कार्य वह कार्य है जिसे एक औसत श्रमिक अपने स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाते हुए निर्धारित समय में पूरा कर सके। यदि कार्य एक औसत श्रमिक की क्षमता से अधिक निर्धारित किया जाता है तो इससे श्रमिकों में आत्मगर्भित उत्पन्न होगी और यदि औसत कार्य से कम है तो कार्य अनुमान के उद्देश्य निरर्थक सिद्ध करता है।

4 प्रयोग (Experiment)—वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रयोगों को प्रयोगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कार्य अनुमान हेतु तथा श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए कई प्रयोग किए जा चुके हैं। वे निम्नांकित हैं—

(i) समय अध्ययन (Time Study)—कार्य के नियोजन तथा कार्य के सही निर्धारण हेतु उचित कार्य में लगने वाले समय को पता किया जाता है जिससे भी कार्य को पूरा करने में उचित समय तथा उसका समय-समय पर रिकार्ड रखना ही समय अध्ययन कहलाता है। एक ही कार्य के भागों में विभाजित किया जा सकता है। किम्बाल एवं किम्बल के अनुसार एक औद्योगिक कार्य के तन्त्र के रूप में उसमें लगे समय को अवलोकन एवं रिकार्ड करने की कला ही समय अध्ययन के रूप में परिभाषित की जा सकती है।¹ इसका अन्तर्गत कार्य के मापन की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इन अध्ययन का मूल उद्देश्य किसी कार्य के निष्पादन में लगने वाले उचित समय को जानना है जिससे कि समय पर कार्य पूरा हो सके।

समय अध्ययन के उद्देश्य—किसी निम्न उद्देश्य हात हैं—

- कार्य की एक क्रिया में लगने वाले समय के आधार पर प्रमाणित समय का निर्धारण करना।
- समय निर्धारण के माध्यम से वस्तु की पूर्ति में लगने वाले समय का अनुमान।
- मशीनों की कार्यक्षमता का अधिकतम उपयोग करने हेतु।
- कार्य की गति के अध्ययन में सहायता करना।
- प्रमाणित समय के आधार पर समय आकृति का तैयार करके प्रारम्भिक मजदूरी याजना तैयार करना।
- समय पर कार्य पूरा न करने वाले श्रमिकों की असमर्थता के कारणों का पता लगाना तथा यदि उन्हें ठीक कर किया जा सकता है तो व्यक्ति लिए कार्य करना।

समय अध्ययन के अन्तर्गत दो तरीकों का काम में लाया जाता है—प्रथम सूक्ष्म गति (Micro Motion) के आधार पर कार्य का पूरा विवरण ले लिया जाता है और उसी के आधार पर समय अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ—मकान

बनान हनु पत्थर को टक म नादन के समय का अध्ययन करना हो तो उसे निम्न भागो म विभाजित किया जाएगा—(i) पत्थर का जमीन से उठान म नया समय (ii) पत्थर को लकर टक तव जान का समय (iii) पत्थर को टक म फवने म लगने वाला समय (iv) खाली हाथ वापस पत्थर उठान हनु ग्रान म लगन वाला समय तेकिन यह तरीका ययपूख है । दूसरा तरीका विराम घडी (Stop Watch) की सहायता स अध्ययन करना है । इसके अध्ययन हेतु औसत कुशलता एव योग्यता वाल श्रमिका का चयन किया जाता है । इसके अनगत किसा भी काय को अधिकाश श्रमिको द्वारा पूरा करने म नग प्रमाणित समय का निश्चित कर दिया जाता है । इसके पश्चात् सभी प्रकार क श्रमिको के लिए समय निश्चित किया जा सकता है ।

(ii) गति अध्ययन (Motion Study)—प्रत्येक काय को करते समय श्रमिक के हाथ व परा म गति पायी जाती है । शरीर म जितनी अधिक गति पायी जाती है उस काय का सारा करने म उतना ही अधिक समय लगगा और श्रमिक को थकावट का अनुभव भी अधिक होगा । अतिए बनानिक आधार पर अननावश्यक एव अकुशल गतिया का समाप्त करके काय को उचित समय म तथा बिना थकावट के पूरा करने हेतु गति अध्ययन आवश्यक है । गति अध्ययन का श्य श्री एव श्रीमती गिलब्रथ को दिया जाता है । उनके अनुसार गति अध्ययन व विज्ञान है जो वि अनावश्यक अनिर्देशित एव अकुशल गतिया के उपयोग स उपन होने वाले दुरुपयोगो को समाप्त करता है । इस प्रकार गति अध्ययन के माध्यम से अनावश्यक गतिया को समाप्त करके समय और शक्ति की बचत की जाती है ।

उद्ध्य—गति अध्ययन क निम्नांकित उद्ध्य हैं—

- (1) अनावश्यक अनिर्देशित एव अकुशल गतिया को समाप्त करके थकान म कमी करना एव कम समय म काय को पूरा करके।
- (2) काय की सर्वोत्तम विधि नात करके काय को शान्ता स पूरा करना ।
- (3) नागत को कम करना काय कुशलता म वृद्धि करके उत्पादन म वृद्धि करना ।

गति अध्ययन हत किसी भा काय को विभिन्न क्रियाया म विभक्त किया जाता है । प्रत्येक क्रिया म गन वान समय, गतियो की सख्या आदि का अवलोकन किया जाता है और उनका रिकार्ड तयार किया जाता है । यदि गतिया का परिवर्तन सेजा स होता है तो कमर की सहायता स चित्र ल लिए जाते हैं । इन कमरो म समय अरून भी होना रहता है । इसके पश्चात् इससे पता लगाया जा सकता है कि कौनसी गतिया अनग स की जा सकती है तथा कौनसी साथ-साथ काम म लायी जाती है तथा कौसी गतिया अनावश्यक हैं । इससे गतियो की सख्या कम करके थकान तथा समय की बचत की जा सकती है ।

ये गिनतंत्रय न कारीरिक गतिया का 18 मूलभूत बर्णों में विभाजित किया था जिसे थैब्लिंग (Therblig) का नाम दिया गया है। टनर इन चुनने वाले कारीगरों को थैब्लिंग अपने गति अध्ययन की दिशि का विकास किया था। इन कारीगरों की गतियाँ को कुछ क्रियाओं में 18 से घटाकर 5 व 2 तक किया था। इस अध्ययन में कुछ यंत्रों का विकसित किया तथा कुछ अनावश्यक गतियाँ का समाप्त करके श्रमिकों की शक्ति बचाने में बड़ा योगदान पड़ने वाला दुष्परिणामों को समाप्त कर दिया था। गति अध्ययन के लिए विभिन्न चाट तयार किए जाते हैं सूक्ष्म गति अध्ययन किया जाता है तथा सुभावा के माध्यम से भी गति अध्ययन किया जाता है। गति अध्ययन अपने आप में एक साध्य नहीं है। यह उत्पादन बचाने में सफलता में अधिक कुशलता कम मानवीय शक्ति और उत्पादन योग्यता कम करने के साधन का कार्य करता है।

(iii) थकान अध्ययन (Fatigue Study) — प्रत्येक कार्य करने में श्रमिक की मासपेशियाँ पर जोर पड़ता है और श्रमिक परिणामस्वरूप उसे थकान अनुभूति होती है। थकान का कार्य के परिणाम से मूलतः प्रत्येक कार्य है। टेलर ने इस क्रिया का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करके यह पता लगाया कि यह थकान कसी होती है और इसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए कि श्रमिक कम से कम शक्ति तथा श्रम से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। थकान में श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। यदि श्रमिक अधिक थकान है तो उनकी कार्यक्षमता में गिरावट आती है। उत्पादन कम होगा तथा इससे उत्पादन की किस्म में गिरावट आती है। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध में इस बात पर जोर दिया गया है कि थकान पर कार्यभार डालना ही कि उस अधिक थकान से मूलतः न ही श्रमिकों का कार्य करने में बाधा कल्पित नहीं आए। यही कारण है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता डॉ. टेलर ने यह उचित विवरण विज्ञापित किया तथा श्रम विभाजन के सिद्धांत तथा प्रमाणीकरण के सिद्धांत की पाना पर जोर देना। थकान को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। डॉ. स्टैनली केंट (Dr Stanley Kent) के अनुसार थकान शरीरक शक्ति की घटती हुई अवस्था को जो कि श्रम के पश्चात् उत्पन्न होती है और आशंकित रूप पर उस पर नियंत्रण करती है। थकान चाहे शारीरिक हो या मानसिक है श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव डालती है। थकान के कारण उत्पादन में गिरावट आती है कार्य की निम्न किस्म हो जाती है सहायक दुष्परिणामों में वृद्धि होती है श्रमिकों का स्वभाव चिन्तित हो जाता है तथा कार्य भी अच्छा नहीं जाता है।

थकान के कारण — वैज्ञानिक प्रबंध के जनक डॉ. टनर तथा श्रम प्रणेतारों (Pioneers) ने थकान के कई कारण बताए हैं—

(v) कायशील व्ययों में वृद्धि (Increase in Working Expenses)—वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने के कारण कायशील व्ययों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। उच्चस्तरों पर प्रबंध (Top Level of Management) से लेकर निम्नस्तरीय प्रबंध (Low Level of Management) तक विभिन्न विभागों की नियुक्तियों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार काय समय एवं धन का अध्ययन पर प्रयोग करने पर यह है। इसमें सम्मान के कायशील व्ययों में निरंतर वृद्धि होती है और लाभ कम हो जाता है।

3 सैद्धांतिक आधार पर आलोचना (Criticism from the Theoretical Point of View)—वैज्ञानिक प्रबंध व्यवस्था की सैद्धांतिक दृष्टि से भी आलोचना निम्न प्रकार से की गई है—

(i) असंतुलित दृष्टिकोण (Unbalanced Approach)—यह प्रबंध व्यवस्था किसी भी औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध का आंशिक रूप से अध्ययन करती है। यह उत्पादन प्रबंध (Production Management) पर अधिक जोर देता है। वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि प्रबंध में उत्पादन प्रबंध के अतिरिक्त वित्त प्रबंध, मनीषीय प्रबंध, विपणन प्रबंध आदि भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध विभिन्न विभागों की क्रियाओं के एकीकृत (Integration) करने का कार्य ही करता है न कि उद्यम में सम्बन्धी समस्याओं के निवारण का कार्य।

(ii) अत्यधिक विशिष्टीकरण (Too much of Specialisation)—वैज्ञानिक प्रबंध में अत्यधिक विभाजन एवं विशिष्टीकरण अपनाया जाता है। इसके अन्तर्गत अधिक अधिकार क्रियात्मक नायकों (Functional Bosses) को सौंपे जाते हैं तथा कामकाज को अधिक कार्य करने को कहा जाता है। इससे समय एवं नियंत्रण सम्बन्धी कठिन स्थिति उत्पन्न होती है और औद्योगिक संस्थान में निर्देश एवं आदेशों में भी समरूपता नहीं पायी जाती है अधिकार एवं उत्तरदायित्व (Authority & Responsibility) का सही विभाजन होने के कारण अधिकार व कमचारियों में कार्य की जिम्मेदारी घटती है जो कि संस्थान की प्रगति में बाधक है।

(iii) अमानवीय एवं निराशापूर्ण धारणाएँ (Inhuman and Pessimistic Assumptions)—वैज्ञानिक प्रबंध सम्बन्धी विचारधारा मानवीय प्रकृति के विषय में निराशापूर्ण धारणाएँ लेकर चलती है जो कि मानवीय नहीं है। व्यवस्था का व्यावहारिक वैज्ञानिकों (Behavioural Scientists) ने विरोध किया है। वैज्ञानिक प्रबंध यह मानकर चलता है कि अधिक धनसे एक कामचोर है उत्तरदायित्व से बचता है महत्वाकांक्षी नहीं होता है परिवर्तन का विरोध करता है। इसलिये अधिकार का निकट से पर्यवेक्षण एवं कठोर नियंत्रण करने पर जोर दिया गया है। प्रो. डगलस मकग्रॉर (Douglas McGregor) जिन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में एक नई नामक सिद्धान्त (Theory Y) का प्रतिपादन किया है इस

साधन पन्थ । मनोवैज्ञानिक पन्थ बात पर जोर देते हैं कि प्रबंधकों का प्रमिका के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । प्रमिकों का अपन काय और वाय करने के तरीके पर सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए । प्रमिकों को प्रबंध में सहभागिता का अवसर दिया जाना चाहिए तथा सुझाव योजनाओं (Suggestion Schemes) के माध्यम से प्रबंध व थम के बीच पारस्परिक सहयोग एवं मधुर सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए ।

(iii) नीरसता की समस्या (The Problem of Monotony)—वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत उम विभाजन व विशिष्टीकरण के माध्यम से प्रत्येक कमचारी का एक विशिष्ट काय दिया जाता है जो उसे प्रबंध द्वारा दिए गए तरीके से करना पड़ता है । हमेशा वही काय करते रहने से प्रमिक का जीवन नीरस हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी कायक्षमता घटने लगती है जो कि वैज्ञानिक प्रबंध के मूल उद्देश्य को ध्या सिद्ध कर देता है । नीरसता का दूर करने हेतु मनोवैज्ञानिकों का सुझाव है कि काय का विस्तार (Enlargement of Job) द्वारा काय से सम्बन्धी विधियाँ का पान भी प्रमिकों को दिया जाना चाहिए । इसमें प्रमिक उम काय का भी समय पर कर सकेंगे और उनकी नीरसता भी दूर हो सकेगी ।

(iv) प्रमिका व काय करने की गति तेज हानी है । वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य अधिकतम काय करना होता है । इसके लिए प्रमिका को काय तेजी से करना पड़ता है । प्रमिकों व स्वास्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है । मानसिक तनाव व थकावट आ जाता है । मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि प्रमिका से एम चातावरण व इस गति से काय लेना चाहिए कि उसके मानसिक व शारीरिक अंगों पर तनाव एवं दबाव नहीं पड़े । अर्थात् व्यवहार से प्रमिकों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है ।

(v) परम्परागत प्रबंध के अंतर्गत यह माना जाता था कि प्रमिक से अधिक काय लेने हेतु उम मौद्रिक प्रेरणाएँ (Monetary Incentives) दी जानी चाहिए । लेकिन औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों यह मानकर चलते हैं कि प्रमिक केवल मौद्रिक प्रेरणाओं से ही प्रभावित नहीं होता है । उस प्रेरान्ति करने वाले अर्थ तत्व भी है जस—काय की सुरक्षा सामाजिक तत्व माया स्वतंत्रतापूर्वक सोचने एवं विचार करने आदि । अतः वैज्ञानिक प्रबंध को अपन सिद्धांत में मनावन व नए मनोवैज्ञानिक तत्वों जस—यावसायिक चयन एवं मागणन व य विस्तार काय हरफर एवं समुक्त परामर्श तथा सुझाव योजनाओं आदि का भी समावेश किया जाना चाहिए ।

वैज्ञानिक प्रबंध की उपरोक्त धारणाओं का वैज्ञानिक प्रबंध की नोंकर उस तरीके की है जिसके माध्यम से इसे लागू किया जाता है । हान ही के कुछ वर्षों में वैज्ञानिक वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझावों को वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में शामिल करके इन दोषों को दूर किए जाने का प्रयास किया गया है । अन्त में साथ

श्रमिका एक प्रबंधका के पारम्परिक सन्योग एवं सद्विश्वास से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। सामूहिक सौगकारी (Collective Bargaining) के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंधका द्वारा कामकाज शोषण को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध एक मिश्रण के रूप में उचित है लेकिन उद्योग में इसे सफलतापूर्वक लागू करने हेतु सत्यान में कार्यरत सभी कर्मचारियों का पूर्ण सन्योग होना आवश्यक है। प्रो. अर्नेस्ट डेल (Ernest Dale) ने टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की धारणा पर प्रकाश डालते हुए कहा है टेंनर ने प्रबंध के एक विज्ञान को विकसित नहीं किया था। इसके विपरीत उसने प्रबंध का त्रिण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विश्वास किया था—उमन व विधिया बतलाई थी जो कम्पनी के उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग की जा सकती थी। वास्तव में टेलर औद्योगिक इंजीनियरिंग का पिता था न कि वैज्ञानिक प्रबंध का।¹

6

चेस्टर बर्नाड का संगठन विश्लेषण (Organisation Analysis-Chester Barnard)

चेस्टर आई बर्नाड (Chester I Barnard) ने अपनी मुख्य रचना एक्जीक्यूटिव फ़ंक्शंस ऑफ़ दि एग्जीक्यूटिव¹ (The Functions of the Executive) में संगठन के सिद्धांत सरकारी औद्योगिक संगठन के कार्य आदि के विषय में विषय-विषय विवेचन प्रस्तुत किया है। सहकारिता की प्रारम्भिक व्यवस्था के अनुसार उसने संगठन की परिभाषा दी या दो से अधिक व्यक्तियों की मजबूत रूप से समन्वित श्रियाओं अथवा शक्तियों की व्यवस्था के रूप में की है। संगठन के जीवन के लिए मूल तत्त्व हैं—मूलकार की अभिलाषा, संचार की योग्यता, उद्देश्य का अस्तित्व एवं स्वायत्तता। बर्नाड ने अपने विचार उम्र समय प्रकट किए जब कि पारंपारिक विद्युत प्रयोगों के प्रतिषेधन टैनर तथा फ़ोन द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों तथा संगठन के तात्त्विक सिद्धांत के साथ सम्बन्ध सिद्ध हो रहे थे।

बर्नाड की पुस्तक का प्रथम बड़ा योगदान संगठन के सकल सिद्धांत की रचना है जिसमें फ़ायर के माडल की एक विवक्षित प्रदान किया तथा वैक वायरिंग प्रावधान और रिल एसेम्बली टेस्ट रूम की ना-कीय राजा को मान्यता दी। बर्नाड द्वारा प्रस्तुत संगठन के विश्लेषण की कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन हम कुछ मुख्य शोधकों में कर सकते हैं।

व्यक्ति और संगठन

(The Individual and Organisation)

व्यक्ति क्या है के प्रश्न पर विचार करते हुए बर्नाड ने बताया है कि यहाँ केवल शरीर मात्र ही नहीं है। मानवीय शरीर एक सावधानी है जिसकी रचना के प्रत्येक भौतिक एवं जीव शास्त्रीय दोनों प्रकार के हैं। जीवन्त वस्तुएँ उनके व्यवहार से जानी जाती हैं और समस्त जीवित व्यवहार भौतिक एवं जैव शास्त्रीय तत्त्वों का सम्मिश्रण है। यदि एक प्रकार के तत्त्वों को निकाल भी दिया जाय तो जीवन्त

रूप एवं कार्य दोनों समाप्त हो जाएँगे। द्विनिगीय (Bisexual) होने के कारण मानवीय सावयवी दूसरे मानवाय सावयवी के सम्बन्ध में प्रान पर हा व्यवहार करता है। "पक्ति से बर्नाड का अर्थ है एक इकाई विभिन्न स्वतंत्र पृथक् पूर्ण वस्तु अतएव शक्तियों एवं पदार्थों से युक्त जा कि भौतिक जीवशास्त्रीय तथा सामाजिक तत्त्व हैं। व्यक्ति की कुछ सम्पत्तियाँ हैं जस—त्रियाण अथवा व्यवहार जो कि उपन्न होता है मनोवैज्ञानिक कारका में जिसके साथ मित्री हुई है चयन की सीमित शक्ति जिसका परिणाम होता है तक्ष्य।

सगठन या सहकारिता जसा कि वे दिखाई देते हैं तथा अनुभव किए जाते हैं विरोधी तथा एवं विरोधी मानवीय विचारा एवं भावनाओं के मूल मिश्रण होते हैं। यह निष्पादक का कार्य है कि विरोधी शक्तियों के मूल कार्यों में मिश्रण को सुविधा जनक बनाए तथा सघनपूर्ण ताकतो प्रवृत्तियाँ हिता परिस्थितियों स्थितियाँ एवं श्रावणों का परम्पर मित्राए। बर्नाड ने सगठन को औपचारिक एवं अनौपचारिक दो रूपा में वर्गीकृत किया है। दोनों के अर्थ जस विकास कार्य एवं अत सम्बन्ध विषयक चिन्तन निम्नलिखित प्रकार में हैं—

औपचारिक सगठन की परिभाषा

(Definition of Formal Organisation)

दो या अधिक शक्तियों का सहयोग सगठन कहनाता है।¹ य सन्ध्याग मूल रूप में चार प्रकार का हो सकता है—भौतिक परिवेश सम्बन्धी सामाजिक परिवेश सम्बन्धी शक्तियाँ सम्बन्धी तथा अन्य चार सम्बन्धी। सहयोगी व्यवस्थाओं के अनुभव का विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी अवधारणा के रूप में औपचारिक सगठन की परिभाषा दो या अधिक शक्तियों की सजग रूप से समन्वित क्रियाओं की एक व्यवस्था के रूप में की जाती है। किसी भी मूल स्थिति में जहाँ सहयोग होता है वहाँ अन्व व्यवस्थाएँ उसका अर्थ बन जाती हैं। इनमें से कुछ जीव शास्त्रीय कुछ मनोवैज्ञानिक तथा कुछ अर्थ होती हैं किन्तु इन सबका एक साथ आधुने वाला चीज मुख्यतः सगठन है।

औपचारिक सगठन के तत्त्व (The Elements of Formal Organisation)—कोई भी सगठन तब बनता है जबकि कुछ लोग परस्पर संचार करते हैं जो कार्य करने के इच्छुक होते हैं तथा एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। इन प्रकार सगठन के तीन मुख्य तत्त्व हैं—संचार सवा की इच्छा और सामान्य उद्देश्य। य तत्त्व सगठन की आवश्यक शर्तें हैं तथा सभी सगठनों में पाई जाती हैं। किसी सगठन के निरंतर अस्तित्व के लिए प्रभावशीलता या कार्यकुशलता भी

¹ The definition of a formal organization is the coordination of activities of two or more persons in a common purpose.
—Chastler, B. n. d. 1964 p 81

आवश्यक है। संगठन का जीवन जिनका सम्बाहागा ये लोग भी उतनी ही आवश्यक बन जायेंगी संगठन की जीवितता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति सहयोगी व्यवस्था के लिए अपनी शक्तियों का योगदान करने के इच्छुक हो। यह इच्छा सभी हो सकती है जबकि व्यक्ति को विश्वास हो कि संगठन योगदान कर सकता है। जब संगठन की कार्यकुशलता घट जाती है तो व्यक्ति उसके लिए अपना योगदान करने की इच्छा नहीं रखते। यदि व्यक्ति को संगठन की उद्देश्य प्राप्ति के प्रति सतोष है तो वह अपना योगदान करता रहना। यदि यह सतोष अपेक्षित त्याग से अधिक नहीं है तो व्यक्ति की इच्छा लुप्त हो जाती है तथा संगठन अकार्यकुशल बन जाता है यदि सतोष त्याग से अधिक है तो इच्छा बनी रहेगी और संगठन कार्यकुशल बना रहेगा।

संक्षेप में एक संगठन का प्रारम्भिक अस्तित्व इन तत्त्वों के संयोग पर निर्भर करता है जो एक क्षण विचार में बाहरी परिस्थितियों के उपयुक्त होने चाहिए। इसका अस्तित्व व्यवस्था की समतुल्यता के संचारण पर निर्भर करता है। यह समतुल्यता या सतुल्यता मुख्य रूप से प्राथमिक है तथा अंतिम एवं मूलभूत रूप से यह व्यवस्था और इससे बाहर की स्थिति के बीच का सतुल्यता है। इस बाहरी सतुल्यता में दो शक्तियाँ हैं—प्रभावशीलता (Effectiveness) तथा कार्यकुशलता (Efficiency)। इस प्रकार उक्त तीनों तत्त्व बाहरी कारकों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण करगे। वे अलग-अलग भी हैं इसलिए यदि एक तत्त्व में अन्तर आता है तो सतुल्यता की स्थापना हेतु अन्य तत्त्वों में भी अन्तर आ जाता है। केवल तभी सतुल्यता रह पाता है।

जटिल औपचारिक संगठन की संरचना (The Structure of Complex Formal Organisation)—संगठनों का बर्नाड ने पूरा, अपूर्ण, अधीनस्थ एवं अधिगत (Complete Incomplete Subordinate and Dependent) के रूप में वर्णित किया है। राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाजों में औपचारिक संगठनों का एक सतुल्यता विद्यमान रहता है। उनमें से कुछ संगठन प्रभावशाली तथा अपेक्षाकृत स्थायक होते हैं और अन्य सभी संगठन इनके साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध रहते हैं। ये अधीनस्थ रहते हैं। प्रभावशाली संगठनों में चर्च तथा कार्य मुख्य हैं। अन्य सभी संगठन इनके अधीनस्थ रहते हैं। यह अधीनस्थता प्रत्यक्ष हो सकती है या अप्रत्यक्ष हो सकती है अथवा दोनों ही सकती हैं। अधीनस्थता की यह प्रक्रिया यक्त रूप से पर्याप्त जटिल है तथा इसमें प्रायः अनन्त मध्यवर्ती सोपान होते हैं। इस प्रकार सरकार की अनेक शाखाएँ अनेक विभाग उपविभाग एवं स्थानीय संगठन होते हैं। इसी प्रकार चर्च के भी अनेक प्रकारपरिचय एवं प्रादेशिक उपविभाग तथा विशेषीकरण हैं।

किसी भी रूप में जब नया संगठन जम लेता है तो उसका आकार मोटा होना है। सभी बड़े औपचारिक संगठन अनेक छोटे संगठनों का मिलाकर बनाए जाते हैं। बिना छोटे संगठनों का संयोग किए कोई बड़ा संगठन बनाना असम्भव है। बड़े जटिल संगठनों में संचार व्यवस्था आवश्यक रूप से कुछ समस्याएँ पदा करती है इसलिए कोई संगठन एक सीमा से बड़ा नहीं बनाया जाता। यदि एक संगठन अत्यधिक बड़ा बन गया है तो उसका संचालन नए इकाई संगठनों (Unit Organisations) की रचना करके ही किया जा सकता है। सभी संगठन प्रायः कुछ इकाई संगठनों का योग होते हैं।

जब दो या अधिक इकाई संगठनों का एक जटिल संगठन में संयुक्त किया जाता है तो संचार की आवश्यकता के कारण एक सर्वोच्च नता रखा जाता है। यह अपने सहायकों के साथ मिलकर संगठन की सकल शीप की इकाई बन जाता है। इसी प्रकार समूहों के समूह भी महत्तर समग्र में संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जटिल संरचना का उदाहरण सना है।

औपचारिक संगठन में निष्पादक संगठन (The Executive Organisation in Formal Organisation)— इकाई संगठन में कुछ निष्पादक कार्य भी सम्पन्न करने को होते हैं किन्तु जरूरी नहीं है कि इन्हें लगातार एक ही व्यक्ति सम्पन्न करे। ये कुछ व्यक्तियों द्वारा वर्कपिक रूप से सम्पन्न किए जा सकते हैं। जटिल संगठनों में संचार की आवश्यकता के परिणामस्वरूप अधीनस्थ इकाइयों के संगठनों में निष्पादक कार्य एक व्यक्ति में निहित रखे जाते हैं। यह औपचारिक संचार की दृष्टि से आवश्यक है तथा निष्पादक संगठनों की स्थापना के लिए भी आवश्यक है। निष्पादक संगठन वे इकाइयाँ हैं जो निष्पादन कार्यों में विशेषज्ञ होती हैं। इनका अंग स एक अंग बन दिया जाता है। इसके सदस्य निष्पादन के कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं।

निष्पादक संगठनों का आकार सामान्यतः उन्हीं कारणों से प्रभावित होता है जिनसे अंग संगठनात्मक इकाइयों का होता है। जहाँ अनेक मूलभूत कार्यकारी इकाइयाँ होती हैं वहाँ विभिन्न प्राथमिक निष्पादक इकाई संगठन होते हैं। इस प्रकार अध्ययनों में से ही उत्तम निष्पादक इकाइयों के लिए सदस्य लिए जाते हैं।

अनौपचारिक संगठन

(The Informal Organisation)

प्रायः सामान्य रूप से यह देखा और अनुभव किया जाता है कि लोग किसी औपचारिक संगठन से न रहते हुए भी परस्पर सम्पर्क एवं अन्त क्रिया करते हैं। ऐसे सम्पर्क में दो से लेकर भीड़ तक की संख्या में लोग रहते हैं। इन सम्पर्कों तथा अन्त क्रियाओं की एक विशेषता यह होती है कि ये बिना किसी विशिष्ट संज्ञक संयुक्त उद्देश्य के होते रहते हैं। यह सम्पर्क अज्ञान हो सकता है या इच्छापूर्वक हो

बन जाते हैं। औपचारिक संगठन द्वारा विकसित दृष्टिकोण, मर्यादाएँ, रीति-रिवाज आदि भी अशक्त औपचारिक संगठनों के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं। ये एक ही प्रायास के अंतर्गत सम्बन्धित पहल हैं। एक समाज की संरचना औपचारिक संगठनों द्वारा होती है तथा औपचारिक संगठनों को अनौपचारिक संगठनों द्वारा यापकता प्रदान की जाती है। औपचारिक संगठनों के पूर्ण प्रभाव की स्थिति में पूर्ण व्यक्तिवाद एवं अव्यवस्था हो जाती है।

औपचारिक संगठनों द्वारा अनौपचारिक संगठनों का सृजन (Creation of Informal Organisations by Formal)— औपचारिक संगठनों का जन्म अनौपचारिक संगठनों से होता है तथा ये दूसरे के लिए आवश्यक भी हैं कि तु जब औपचारिक संगठन बन जाते हैं तो वे फिर अनौपचारिक संगठनों की रचना करते हैं तथा अपक्षा करते हैं। सहयोग की औपचारिक व्यवस्था का अधिकांश भाग अनौपचारिक होता है। यद्यपि प्रत्येक औपचारिक निष्पादक इस तथ्य को अस्वीकार करता है किन्तु यह अस्वीकार नहीं है कि प्रमुख निष्पादक और यहाँ तक कि सम्पूर्ण निष्पादक संगठन ही उन अत्यन्त प्रभावो दृष्टिकोणों, आन्दोलनों आदि से अपरिचित रहते हैं जो संगठन में प्रभावी हैं। यह बात केवल व्यावसायिक संगठनों के बारे में ही सच नहीं है, बल्कि राजनीतिक संगठनों, सरकारों, सेनाओं, चर्चों एवं विश्वविद्यालयों आदि के बारे में भी सच है।

यह बात प्रायः कही जाती है कि आप एक संगठन को या उसके कार्यों को उसके संगठनात्मक चारों ओर से नियमों एवं विनियमों से तथा उसके सेवकों को दखने से नहीं समझ सकते। अधिकांश संगठनों में संगठन की रचनीयता को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन कौन हैं, क्या क्या हैं, क्यों-क्यों हैं तथा इसका अनौपचारिक समाज क्या है।

अनौपचारिक संगठन के कार्य (Functions of Informal Organisation)— औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। इसका पहला कार्य **संचार (Communication)** सम्बन्धी है। दूसरा कार्य है **सेवा करने की इच्छा के नियमन तथा वस्तुगत सत्ता के स्थापित्व द्वारा औपचारिक संगठन में एकत्व का संचरण**। इसका तीसरा कार्य है **व्यक्तिगत ईमानदारी की भावना, आत्म सम्मान एवं स्वतंत्र चयन की भावना को बनाए रखना**। इन कार्यों को सम्पन्न करने का दृष्टि से **अनौपचारिक संगठन आवश्यक** बन जाते हैं।

यह सब चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रस्तुत संगठन का विश्लेषण है जो उसी के शब्दों में सहकारी व्यवस्थाओं एवं संगठनों के सिद्धांत का कठिन प्रस्तुतीकरण है।¹

1 the difficult presentate of the theory of Co-operative system and Organisations — Chester Barnard op cit pag 123

हाथान प्रयोग—अनौपचारिक सगठन की अवधारणा,
अभिप्रेरण—एल्टन मेयो, मकग्रेगर, लिक्ट के
योगदान के विशेष सन्दर्भ में अनुशासन

(Howthorne Experiment—Concept of Informal
Organisation Motivation—Morale with Special
Reference to Elton Mayo McGregor, Likert)

सगठन में मानवीय-व्यवहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मानव सस्या होने के नाते यह स्वाभाविक है कि सगठन मनोवैज्ञानिक एवं मानवीय कारणों से प्रभावित हो। यांत्रिक एवं औपचारिक दृष्टिकोण के समर्थक सगठनात्मक रूढ़ियों की संरचना तथा औपचारिक नियमों का अधिक महत्व मानते हैं और सगठन की सफलता के लिए इन्हीं की सन्तोषजनक स्थिति पर जोर देते हैं किंतु आधुनिक विचारक सगठन तथा मानवीय व्यवहार के पारस्परिक सम्बन्ध पर विशेष बल देते हैं। (सगठन का औपचारिक रूप जिसमें कार्य का विशेषीकरण होता है आधा का क्रम रहता है तथा निर्देशन की एकता एवं नियंत्रण का निश्चय क्षेत्र होता है मानवीय व्यवहार से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित करता भी है।)

मानव व्यवहार पर उसके चरित्र आदाना भावनाओं मूल्य समाज व्यवस्था आदर्श परम्परा एवं ऐसी ही अन्य तत्वों का जो प्रभाव पड़ता है व सगठन में भी उसकी क्रियाओं को एक नवीन मोड़ देने का कारण बन जाता है। मानवीय सम्बन्धों का सगठन की कार्यवाहियाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उसमें अनौपचारिकताओं का निर्वाह किस प्रकार आरम्भ हुआ जाता है आदि बातें विचारणीय समस्याएँ हैं। व्यापारिक एवं प्रशासकीय सगठनों के विद्वानों ने अनेक प्रयोगों द्वारा इन समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया है। इन प्रयोगों व आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। इन निष्कर्षों ने सगठन के स्वरूप एवं प्रक्रिया में सम्बन्धित विचारों तथा धारणाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है।

मानव सम्बन्ध दृष्टिकोण अनौपचारिक संगठन पर बल
(Human Relation Approach Stress on Informal Organisation)

प्रथम

संगठन का सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
अनौपचारिक संगठन पर बल
(Socio Psychological Approach—Stress on Informal Organization)

(यांत्रिक एवं औपचारिक दृष्टिकोण के समर्थक संगठन। मक इकाइया की संरचना तथा औपचारिक नियमों का अधिक महत्त्व मानते हैं और संगठन की सफलता के लिए महत्त्व की संतोपजनक स्थिति पर जोर देते हैं कि तु आधुनिक विचारक संगठन तथा मानवीय व्यवहार के पारस्परिक सम्बन्धों पर विशेष बल देते हैं। संगठन का औपचारिक रूप जिसमें कार्य का विशेषीकरण होता है आज्ञा का क्रम रहता है तथा निर्देशन की एकता एवं नियंत्रण का निश्चित क्षेत्र होता है मानवीय व्यवहार से प्रभावित होता है और उस प्रभावित करता है। 1920 के दशक के अंतिम वर्षों एवं 1930 के प्रारम्भिक वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में हाथान प्रयोग हुए जिनके फलस्वरूप संगठन में स्थानीय या यांत्रिक विचारधारा को धक्का लगा और उसकी लोकप्रियता कम हो गयी। इन प्रयोगों ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य कोई एकाकी प्राणी नहीं है। मनुष्य अपने दल से पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है अतः पर्यावरण पक्ष को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। हाथान अध्ययनों ने सिद्ध किया कि संगठन एक सामाजिक प्रणाली (A Social System) है यांत्रिक पंक्ति का समूह है। हाथान प्रयोगों से पता चला कि संगठन के कर्मचारियों ने अपने सामाजिक स्तर यावहारिक आचरण विश्वास एवं उद्देश्यों (जो एक दूसरे से भिन्न तथा परस्पर विरोधी हो सकते हैं) के आधार पर नष्ट सामाजिक समूहों के संगठन की प्रवृत्ति पायी जाती है। (हथान प्रयोगों के निष्कर्ष मौखिक थे जिनके परिणामस्वरूप संगठन सम्बन्धी नवीन सामाजिक मनोवैज्ञानिक अथवा मानव सम्बन्ध दृष्टिकोण का उदय हुआ।)

(संगठन एवं प्रबंध के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रथम मानवीय व्यवहार दृष्टिकोण के आविर्भाव अथवा प्रतिपादन का अर्थ आस्ट्रेलिया निवासी एटन मैथो तथा अमेरिका निवासी रोथरिस बजर द्वारा हाथान नामक स्थान पर वेस्टन इलेक्ट्रिक कम्पनी के हाथान कारखाने में किए गए प्रयोगों को है।) मानव व्यवहार पर उसके चरित्र आदता भावनाओं मध्य समाज व्यवस्था आदर्श परम्परा एवं ऐसे ही अन्य तत्त्वों का जो प्रभाव पड़ता है वह संगठन में भी उसकी क्रियाओं को एक नवीन मोड़ देने का कारण बन आता है। मानवीय सम्बन्धों का संगठन की कार्यप्रणालियों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उसमें अनौपचारिकताओं का निर्वाह

प्राथमिक विचारधारा या मानववादी विचारधारा की सत्ता दी जाती है। मानव सम्बन्धी विचारधारा पर मनु व्यक्त करते हुए डा. व्हाइट ने लिखा है— यह विचारधारा काय सम्बन्ध का समूह है जो दीर्घकाल तक एक साथ काय करने के कारण व्यक्तियों में पारस्परिक अन्त सम्बन्ध का समूह है जो दीर्घकाल तक एक साथ काय करने के कारण व्यक्तियों में पारस्परिक अन्त सम्बन्ध के कारण विकसित हो जाते हैं। औपचारिक संगठन अधिक सूक्ष्म होता है और सामाजिक प्राथमिक स्तर प्रजाति और भाषायी अन्तर शैक्षणिक स्तर और व्यक्तिगत रुचि और अर्थ जैसे मामलों की अभिव्यक्ति करते हैं। यह परम्परावादी है न कि निर्मित। यह लिखित नहीं है और न इसे स्वेच्छा रेखाचित्र से व्यक्त किया जा सकता है। औपचारिक संगठन जहाँ विवेकीय और अव्यक्तिक होता है वहाँ अनौपचारिक संगठन भाषात्मक और व्यक्तिगत होता है। दोनों एक दूसरे का अतिव्रमाण कर सकते हैं पूरी तरह मिल सकते हैं या एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं।

प्रशासन मानवीय व्यवहार में सम्बन्धित है और मनोविज्ञान उसे समझने में हमारी सहायता करता है। प्रशासन के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कुमारी एम. पी. फोले ने आरम्भ किया तथा उन्होंने यह बताया कि व्यक्तियों और समूहों की इच्छा उनके पूर्वाग्रह तथा नतिक मध्य प्रशासन के भीतर किस प्रकार उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर यह बात होती है कि प्रशासन अनिवायन मानवीय सम्बन्ध का अध्ययन है। प्रशासन में मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुई है कि व्यक्तियों और समूहों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के कारण प्रशासन में भीतर एक अनौपचारिक संगठन का निर्माण हो जाता है। यह निर्माण चारों ओर प्रदर्शित औपचारिक संगठन को सशोषित कर देता है उसका पुरक बन जाता है और इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि प्रशासन उसकी अवहेलना करे तो वह शायद स्वयं सकट में पड़ जाए। यावसायिक प्रशासन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की एक नई शाखा विकसित हो गयी है जिसे औद्योगिक मनोविज्ञान (Industrial Psychology) कहा जाता है।

स्मरणीय है कि अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन पर आधारित होता है और उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। अनौपचारिक संगठन के माध्यम से संगठन में एक सीमा तक तमनीयता आती है। यह प्रकार्यात्मक आवश्यकता है लेकिन इसके लिए संगठन में अनौपचारिक संरचनात्मक प्रबंध की पूर्ण उपस्था नहीं करनी चाहिए। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन के कुछ तत्वों का समावेश करना चाहिए। इससे संगठन में मजबूती आ जाती है तथा इसका औचित्य भी बढ़ जाता है। अनौपचारिक संगठन की सत्रस बड़ी कमजोरी यह है कि वह पूर्णरूपेण अस्थिर होता है निरन्तर परिवर्तित होता रहता है और इसके व्यवहार में सम्बन्ध में कोई पूर्व घोषणा नहीं

मानवीय सम्बन्धों का संगठन की कार्यवाहियाँ पर बड़ा प्रभाव पड़ता है तथा उसमें प्रवृत्ति-विचारिता का निवाह किस प्रकार प्रारम्भ हो जाता है आदि बातें विचारणीय समस्याएँ हैं। व्यापारिक एवं प्रशासकीय संगठनों के विद्वानों ने अनेक प्रयोगों द्वारा इन समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया है। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। इन निष्कर्षों में संगठन के स्वरूप एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित विचारों तथा धारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है।

मानव सम्बन्धों के दृष्टिकोण से सामूहिक व्यवहारिक संगठन की प्रतिक्रिया के रूप में जन्म लिया जो संगठन के उन तत्त्वों पर बल देता है जिसकी ओर विचारकों ने या तो ध्यान ही नहीं दिया और यदि दिया भी था तो व्यवहारिकता की ओर मानकर। एल्टन मेयो (Elton Mayo) को सामान्यतः इस स्कूल का जनक माना जाता है। इसे प्रारम्भ करने में जान डीव (John Dewey) ने अग्रगण्य तथा कर्ट लेविन (Kurt Lewin) ने प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त योगदान किया है। मेयो तथा उनके साथियों ने विभिन्न संगठनों पर कई प्रकार के प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष निकाले थे।

एल्टन मेयो के निष्कर्ष

1. एक मजदूर द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा उसकी शारीरिक सामर्थ्य (Capacity) में निर्भरित होती है।
2. मजदूरों को कार्य करने तथा उनमें प्रसन्नता लाने के लिए अधिकतर पुरस्कारों का अभाव महत्वपूर्ण स्थान है।
3. सर्वोच्च विनिर्देशन का अर्थ विभाजन का सर्वाधिक कुशल रूप नहीं बना जा सकता।
4. प्रबंधकों द्वारा पुरस्कारों के प्रति बर्तनकारी एवं व्यक्ति के रूप में प्रतिक्रिया करने पर एक समूह के सदस्यों के रूप में करते हैं।

इन निष्कर्षों के अतिरिक्त संगठन पर किए गए अनेक प्रयोगों द्वारा मानव सम्बन्धों के विचारकों ने संचार (Communication), सहभागिता (Participation), तथा नेतृत्व (Leadership) पर विशेष जोर दिया है। इन तत्त्वों से सम्बन्धित प्रयोगों में स्कूल के समर्थकों के सहयोग बने गए हैं। संगठन से सम्बन्धित इन स्कूलों के विचारकों ने जो विभिन्न प्रयोग किए हैं उनका अध्ययन सर्वथा उपयोगी है।

हाथान प्रयोग

(Hawthorne Experiments)

(1927 से लेकर 1932 तक पश्चिमी विद्युत कम्पनी के हाथान मजदूरों पर प्रथम बार ऐसे प्रयोग किए गए।) अध्ययन की इस शृंखला को हाथान के

अध्ययन कहा जाता है। इन प्रयोगों द्वारा वह प्रत्यक्ष एवं प्रकल्पनीय बातों का पता लगा। (रोथलिशबर्गर (Roethlisberger) तथा डिकसन (Dickson) का कथन है कि बढत हुए प्रकाश का उत्पादन के स्तर पर प्रभाव जानने के लिए जो प्रयोग किए गए उनसे प्रयोगकर्ताओं ने यह बात किया कि इन दोनों तत्वों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। बाद के अध्ययनों से यह भी पता लगा कि प्रकाश का मात्रा बदलने से उत्पादन की मात्रा बढ़ती है। उत्पादन की मात्रा में कमी कब तक नहीं आई जब रोशनी इतनी कम हो गई कि मजदूर प्राचीन प्रकार से देख नहीं पाए।)

बाद में परम्परावादी संसकारों के कथनों की सच्चाई को प्रयोगों की कमीदों पर कसा जाना लगा। यह कहा जाता है कि कार्य की भौतिक परिस्थितियाँ एवं उत्पादन की दर के बीच प्रत्यक्ष एवं साधारण सम्बन्ध होता है। प्रथम रोशनी से सम्बन्धित प्रयोग कर चुकने के बाद इस बात पर प्रयोग किए गए कि विधाम का उत्पादन पर क्या तथा कितना प्रभाव पड़ता है। पाँच मजदूरों को प्रयोग के लिए बुना गया। उनको नमश पाँच दिन और पाँच मिनट का प्रवकाश देकर यह देखा गया कि उनसे उत्पादन की मात्रा पर विभिन्न प्रभाव कम पड़ते हैं। इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप उत्पादन वृद्धि तो हुई किन्तु उस वृद्धि का श्रेय विधाम प्रवकाश को न दिया जा सकता था क्योंकि इस प्रवकाश का जब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और मारे दिन काम लिया गया तो भी उत्पादन की मात्रा सामान्य रूप से अधिक ही थी। इस सबका यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्पादन की मात्रा को सामान्य रूप से कम बढ़ाया जा सकता है इस प्रकार में प्रयोगकर्ताओं को एक परिकल्पना सुभाई गई कि उत्पादन की मात्रा उन समय बढ़ जाती है जब काम करने वालों की सामाजिक परिस्थितियाँ बुरी जाती हैं उनका मानववैज्ञानिक मतों पर स्तर में परिवर्तन कर लिए जाते हैं तथा सामाजिक सम्बन्धों का तथा रूप दे दिया जाना है। इस परिकल्पना के आधार पर भी प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों का परिणाम आशाजनक था। सामाजिक तथ्या (Social Facts) की खोज हाथाने अध्ययनों की सबसे प्रमुख दल मानी जाती है।

(प्रसिद्ध बर्नार्ड्स पर किए गए अध्ययन भी इस दल से अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे हैं।) इन प्रयोगों में वैज्ञानिक प्रबन्ध (Scientific Management) की अनेक मापताओं को एक एक करके परखा गया। इस अध्ययन द्वारा कई निष्कर्ष निकाले गए उनमें से प्रथम प्रयोग द्वारा पुष्ट किया गया। यह सिद्ध हो गया कि एक मजदूर उतना उत्पादन नहीं करता जितना वह कर सकता है बल्कि वह उतना उत्पादन करता है जितना करने के उपाहरण या प्रेरणा उसके साथ काम करने वाले बर्तन द्वारा उसे प्रदान की जाती है। सामाजिक प्रबन्ध पर उत्पादन की मात्रा तथा जो चाली है। उत्पादन पर वृद्धि सीमाएँ लग जाती हैं तथा ये प्राकृतिक सीमाएँ जोस भौतिक सम्भावनाओं के प्रभावों को कम कर देती हैं।

चौथे कमचारियों पर एक ग्रन्थ प्रयोग किया गया। उनका काय की एक इकाई के रूप में ग्रन्थ कमरे में रखा गया तथा छ माह तक उनको निकट से देखा गया। उनका काय था टेलीफोन के स्विचबोर्डों में तार लगाना। इस काय में कुछ को तो यत्नित रूप से काय करना था और कुछ को दूसरे लोगों के साथ मिल कर। इन कमचारियों को वेतन उसी प्रकार दिया गया जैसे कि कम्पनी के ग्रन्थ कमचारियों को दिया जाता था। मजदूरों को घटा के हिसाब से वेतन दिया गया साथ ही कुछ उत्पादन के अनुसार बोनस भी दिया गया। इसके अतिरिक्त उनको यत्नित रूप से काय हक जान के समय का भत्ता दिया गया। जब कभी काय एसे कारणों से हक जाता जिन पर मजदूर का अधिकार न था तो कायकुशल मजदूरों का बालसी मजदूरों की तुलना में प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार के भत्ते की व्यवस्था की गई। प्रबंधात्मक मायताएं भी प्रायः वही थीं जो टेलर (Taylor) के प्ररको के सिद्धांत थे अर्थात् एक व्यक्ति को अधिक कठिन काय करने के लिए यदि अधिक पसा दिया जाए तो वह अवश्य ही उतना कठिन काय करेगा जितना कर सकता है। यदि कुल उत्पादन के बढ जाने से प्रमिका की आय भी बढ जाएगी तो वे सहयोग और समन्वय के हर सम्भव प्रयास करेंगे। मजदूरों के उत्पादन तथा उनकी निष्प्रियता का सही एवं विस्तृत रिकार्ड रखा जाना चाहिए जिसके आधार पर उनका वेतन को तय किया जा सक।

प्रयोग के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक उद्योग के मजदूर उत्पादन का आदेश निश्चित कर लते हैं। उस आदेश से अधिक उत्पादन करने वाले को सर्वाधिक कायकुशल माना जाता है और जो उससे कम काय करते हैं उनको बालसी तथा मुपतखार कहा जाता है। अनेक प्रयोगों के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि थोडे दिनों बाद कुल उत्पादन का औसत उतना ही हो जाता है जितना उस समूह ने उत्पादन का अपना आदेश बनाया था। हाता यह है कि अनेक दवावा के कारण कोई भी मजदूर फोरमन अथवा प्रबंधक ग्रन्थ किसी अधिकारी से यह नहीं कह पाता कि उत्पादन इससे अधिक भी किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से कम उत्पादन करने वालों पर कायभार बढ़ता उनका वेतन कम किया जा सकता है अथवा उनका सेवा मुक्त भी किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि मजदूर समूह के आदेश (Group's Norm) से कम उत्पादन करेगा तो यह प्रबंध के प्रति अन्वय होगा क्योंकि वह समान वेतन के लिए समान काय नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त उसके स्वयं के लिए परशानिर्वा पदा हो सकती है।

हाथान प्रयोगों के परिणाम

(The Results of Hawthorne Experiments)

पाँच वष के लम्बे काल में किए गए हाथान प्रयोगों के अनेक परिणाम ग्रन्थत महत्वपूर्ण थे। इन अध्ययनों के बाद जो निष्कष निकाले गए उनमें से मुख्य अग्रनिश्चित प्रकार से हैं—

1 सामाजिक धारणों का महत्त्व (Importance of Social Norms)— यह देखा गया कि उत्पादन का स्तर सामाजिक धारणों द्वारा निश्चित किया जाता है। इसको तय करने में मनावनात्मक सामर्थ्य का बहुत कम स्थान है। इस निष्पत्ति का प्रकाश एव ध्वनि के प्रारम्भिक अध्ययना द्वारा ही निकाल लिया गया था।

2 अनार्थिक प्ररणए (Non economic Motives)—मजदूरों के कारणों को अर्थोतर प्ररणामा द्वारा बहुत अधिक प्रभाजित किया जाता है और इस प्रकार योजनावा की प्ररणा का प्रभाव बहुत कुछ सीमित हो जाता है। इस सम्बन्ध में पुरस्कार एव दबाव अत्यन्त मन्त्वपूर्ण मान जा सकते हैं। इन दोनों का रूप प्रतीकात्मक है न कि स्तून। जो मजदूर समूह के धारण से कम या अधिक उत्पादन करते हैं वे शीघ्र ही अपने साथियों का स्तह एव धारण से देते हैं। वायसिंग स्तम के मजदूरों में म सभी न यह प्रवास किया था कि अधिक धन कमान के साथ-साथ वे अपने साथियों से भा मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध बनाए रखें।

बाद के अध्ययना में मन्विते डा टन न यह सिद्ध किया कि यह बात हमेशा नहीं होती। उन्होंने देखा कि समूह के धारण से कम काय करन वाल के लोग के उतान शिक्षा एव सामाजिक अनुभवों से सीखा था कि प्रम तथा धारण के साथ भी किस प्रकार काय करत रहा जाता है। डा टन ने यह देखा कि 98 समूहों में काय करने वाल कथोनों में से एक भा ऐमा नहीं था जिस मुपनखोर कहा जा सक। इसका कारण यह है कि कथोलिक साग अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक तथा दूसर के आदर एव प्रम क प्रति बहत भावक अधिक स्वाभिमानो एव अधिक अहकारा हात है। मुपनखोर प्राय एसी जगहा में धात है जहा शिक्षा सम्बन्ध ससृति एव जीवन क अय मूल्यों का स्तर अत्यन्त नीचा होता है। व स्वामिभक्ति सहयागपूर्ण सम्बन्ध एव कमान्तारी जैसे गुणों का पूरा नान प्राप्त नहीं कर पात। डास्टन का कहना था कि य मुपनखोर ही प्राय सगठन क धीय की ओर बटन में प्रयत्नशील रहत हैं। फिर भी डास्टन क प्रयोग तथा उपनधिषयी हायान प्रयोगों की मूल मायनप्रो का विरोध नहीं करतीं। अन्त में भी कमबारी बग समूह के धारणों को मान्यता देता है और जा लोग इसकी अवहलना करते हैं उनका मगटन का पकीकृत सन्स्य नहीं माना जाना।

उत्पादन की मात्रा पर एक अय अर्थोतर तन्त्र का प्रभाव धामन (W I Thomas) क एक कथन द्वारा स्पष्ट हो जाता है। उनका कहना है कि यदि व्यक्ति स्थिति को वास्तविक रूप में परिभाषित करत हैं ना व परिणामा में वास्तविक होते हैं। मजदूरों का यह विश्वास बन जाता है कि यदि उन्होंने अधिक काम किया तो उनक वेतन की दर घट जाएगा और यदि उन्होंने एक निश्चित मात्रा में उत्पादन

नहीं किया तो यह प्रबंध के प्रति उचित नहीं होगा। इस प्रकार परिणामों का अध्ययन करने के बाद वे इस निश्चय पर आते हैं कि उत्पादन की मात्रा समूह के आदेश के अनुसार ही रखी जाए। स्पष्ट है कि मजदूर एक फाटी के उत्पादन की मात्रा निश्चित करने में अपने महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

3 सामूहिक व्यवहार (Collective Behaviour)—प्रायः मजदूरों की क्रिया एवं प्रतिनिधियाँ एवं व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि समूह के सदस्य के रूप में होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों सामंजस्य होता है और न ही वह इतना स्वतंत्र होता है कि वह अपने लिए उत्पादन का नियंत्रण (Quota) निश्चित कर सके। यह सब तो समूह द्वारा तय किया जाता है। जो मजदूर समूह के आदेश से ऊपर या नीचे जाते हैं उनको साथ के कमचारियों द्वारा दण्डित किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा के कारण अपने व्यक्तिगत व्यवहार को बदलने के लिए तैयार हो जाएगा यदि उसका समूह भी अपना व्यवहार बदल लेता है। इस मस्य में लेविन (Lewin) का कहना है कि जब तक समूह के मापदण्ड अपरिवर्तित रहते हैं तब तक व्यक्ति भी परिवर्तनों का जोरदार विरोध करेगा और वह समूह के मापदण्डों का उल्लंघन भी करेगा। किंतु यदि समूह का मापदण्ड ही बदल जाता है तो व्यक्ति और समूह के मापदण्डों के बीच में रहने वाला विरोध भी मिट जाता है।¹

लेविन महाशय ने अपने विचारों के आधारे पर परिवर्तन पर किए गए प्रयोगों पर विचार विमर्श करते हुए संगठन की उम शक्ति का विश्लेषण किया है जिसके आधार पर वह व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। ये प्रयोग यह जानने के लिए किए गए थे कि लोगों को ऐसा स्वाना लेने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है जिस वे साधारण रूप से उपयोग में नहीं लाते। मानव सम्बन्धों की समस्या ने अनेक प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रबंध व्यक्तिगत कमचारियों के साथ ग्रुप के समान पृथक् सम्बंध नहीं रख सकता। उसे उन पर कार्यकारी समूह के मन्थ के रूप में विचार करना चाहिए।

4 नेतृत्व का महत्व (The Importance of Leadership)—एक अध्ययनों के बाद वैज्ञानिक प्रबंध का एक अत्यंत प्रमुख तत्व यह समझने आया कि समूह के आदेशों के निर्माण तथा कार्य ब्ययन में नेतृत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनिश्चित औपचारिक एवं अनौपचारिक नेतृत्व के बीच पर्याप्त अंतर पाया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध में मानकर चलता है कि कम से कम उत्पादन से सम्बंधित सभी मामलों में मजदूरों का नेतृत्व पुराण रूप से सुपरवाइजर अथवा फोरमैन द्वारा किया जाता है किंतु वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण करने पर यह मान्यता कई बार सही नहीं उतरती। कहा गया है कि एक वायिंग रूप का अध्ययन करने पर यह बात हुआ कि मजदूरों में से एक व्यक्ति ऐसा था जो समूह का

कार्यों में बड़ उदाहरण के साथ भाग लत तथा जब नता कमरे को छोड़ देता था तो समूह स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी कायवाही को यथावत् संचालित रखता था। यद्यपि प्रजातन्त्र प्रणाली का समूह का उत्पादन इतना नहीं था जितना सत्तावादी समूह का था तथापि इस समूह का उत्पादन का प्रकार उत्तम एवं श्रेष्ठ था।

व्यक्तिगत समूह के परिणाम सतोपजनक नहीं थे व दोनो ही दृष्टियों से असफल रहे अर्थात् उनसे न तो समूह को ही सतोप प्राप्त हो सका और न कुछ उपनिष्कर्ष ही हो सकी। इसके सदस्यों ने अपने नेता से कम सूचना माँगी तथा स्वतन्त्रतापूर्ण व्यवहार भी कम किया। सामूहिक सहयोग का स्तर भी नीचा था। प्रयागकर्त्ताओं ने देखा कि इन समूहों के सदस्यों में निराशा की भावना बहुत अधिक थी।

सत्तावादी (Authoritarian) नेतृत्व के प्रति समूह की दो प्रकार की प्रतिनिधित्व था। एक ओर तो वे लोग थे जिनकी प्रतिक्रिया आक्रमणकारी एवं कार्रगारि थी तथा जो नेता का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। ऐसे सदस्य सगठन के दूसरे सदस्यों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करते थे। दूसरी ओर उन्मीन लोग थे जो नेता की आज्ञाचना या तो नहीं करते थे या कम करते थे। जब इन लोगों का नेता गर सत्तावादी को बना दिया जाता तो ये निरुत्साहित भयवा उदासीन लोग अत्यन्त भावक बन जाते थे।

सिपिट तथा ह्यूगट के प्रयोगों के परिणामों से प्रभावित होकर अनेक उद्योगों में औपचारिक नेतृत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। कोच तथा फ्रेंच (Coch and French) ने यह प्रमाणित किया है कि प्रजातन्त्रात्मक नेतृत्व ने मजदूरों के काम के प्रति रुचिकोण को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन विचारकों ने जिस फक्ट्री का अध्ययन किया उसके मजदूरों काय की तकनीकी नवीनताओं की सहज ही स्वीकार नहीं करते थे। फक्ट्री में किसी नवीन परिवर्तनों का मजदूरों द्वारा विरोध किए जाने के दो कारण हो सकते थे। प्रथम तो यह कि उसके मजदूर इतने अधिक निराश होंगे कि किसी प्रकार के विकल्प में उनका आकर्षण न रहा होगा अथवा दूसरे उन पर यह दबाव डाला जा रहा होगा कि परिवर्तन को इतना शीघ्र स्वीकार न किया जाय। इन दोनों ही स्थितियों में मजदूरों के फक्ट्री में किए गए हर प्रकार के परिवर्तन का जमकर विरोध करता था। जब समूह ने परिवर्तन का विरोध किया तो व्यक्तिगत कायकत्ता पर भी यह प्रभाव डाला गया कि उत्पादन की मात्रा कम करके परिवर्तन को असफल बना दे। अपनी परिवर्तनाओं को जांच करने के लिए कोच तथा फ्रेंच ने प्रयोग किए। उन्होंने अनेक ऐसे मजदूरों को लिया जिनका काय परिवर्तित हो रहा था। इन्हें मजदूरों को तीन गुटा में विभक्त कर दिया गया। प्रथम ग्रुप को परिवर्तन की कोई जानकारी नहीं दी गई तथा प्रबंध ने केवल कुछ समय पूर्व यह सूचना दी कि अमुक परिवर्तन

न मानव सम्बन्धों के कारखानों में भाग लिया। मानव सम्बन्ध संस्थान ने प्रब ध की प्रकृति का बल अधिक प्रभावित किया। मि बेंडिक्स (Bendix) के कथानुसार इस पिटकोग के कारण अमरीकी प्रब ध ने और कुछ सीमा तक दूसरे औद्योगिक समाजों में अपने विचारों और आन्तों को स्पष्ट रूप में बल दिया।¹

वैज्ञानिक प्रब ध एवं मानव सम्बन्धों की तुलनात्मक विशयताएँ (Scientific Management and Human Relations)

वैज्ञानिक प्रब ध तथा मानव सम्बन्धों के बीच कई विषयों पर पर्याप्त भेद-व्यतिरिक्त है। इस भेद का दिग्दर्शन य दोनों ही स्कूल प्रायः उच्च माध्यमिक स्तर से किया करते हैं। एक स्कूल द्वारा जिन तथ्यों को आन्तिकात्मक एवं सङ्कटपूर्ण माना जाता है दूसरा उनको एसा नहीं मानता था इसी प्रकार एक संस्थान की निगाह में जो विषय केन्द्रीय महत्त्व का हमारा उसकी पूणत उपेक्षा करना है, दोनों ही स्कूलों में यह तत्त्व समान रूप से पाया जाता है कि सङ्कट के बौद्धिक बनने के माग तथा मनुष्य द्वारा प्रमत्ता प्राप्ति के माग के बीच कोई ऐसा मौलिक विरोध नहीं है जिसे दूर न किया जा सके। वैज्ञानिक प्रब ध यह मानकर चलता है कि आधुनिक कायकुशल सङ्कट सतोपजनक होते हैं।

कायकुशलता एक सङ्कट को सतोपप्रद बनाने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्त्व है क्योंकि इसके द्वारा ही उत्पन्न की मात्रा बढ़ती है और इस प्रकार वह श्रमकों के वेतन में भी वृद्धि करता है। इस स्कूल के समयका का कहना है कि सङ्कट में कार्य करने वाला एक मजदूर धाम्त्व में एक आर्थिक मनुष्य होता है जो अपना वेतन वृद्धि का हर सम्भव प्रयास करता रहता है। जब वह अपनी आय के कुल हिस्से को प्राप्त करके सन्तोष प्राप्त कर सता है तो उसका अर्थ प्रयत्न रूप से यह माना जा सकता है कि उसका सङ्कट के हिता से अपने हितों को एकाकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में जो सङ्कट के लिए श्रेष्ठ है वही शक्ति के लिए भी है और जो शक्ति के लिए श्रेष्ठ है वह वह सङ्कट के लिए भी है। यह विचारधारा सहयोग में कार्याण देवनी है। इस प्रकार आर्थिक बाजार की पूण प्रतिष्ठी विचारधारा से यह बिनकुल विपरीत है या यह मानकर चलती है कि पूण प्रतिष्ठी द्विता में ही अर्थ व्यवस्था का लाभ है और साथ ही उसकी विभिन्न हिस्सेदार इकाइयों का भी कार्याण है।

मानव सम्बन्धों की विचारधारा के अनुसार सर्वाधिक सतोपजनक सङ्कट वह है जो सर्वाधिक कायकुशल होता है। शिथिल औपचारिक एवं बौद्धिक सङ्कट में जो केवल आर्थिक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करता है मजदूर प्रमत्त नहीं हो सकता। इस स्कूल के विचारका का कहना है कि प्रब ध अपने सङ्कट में श्रम और सता का

कुशल रूप में निर्धारित करने के बाद आवश्यक रूप से एक एम.मै.मै. का स्थापना नही करता। जिससे सभी मजदूर सन्तुष्ट हो। बहानिक प्रबंध के समयका का यह नहना था कि मजदूरों के सन्तोष और उत्पादन की समस्याएँ भूत रूप से प्रयत्न स्वाभाविक रूप से नमुनके वाली समस्याएँ है। किन्तु मानव-सम्बन्धों के विचारका का मत दमस्त भिन्न है। इन समस्याका को सुनभानत में दशाशावादी दृष्टिकाएँ प्रणनाकर इन्हें मानव सम्बन्धों के आधार पर देखने का सुझाव देत है। इसके लिए प्रबंध (Management) का शिक्षित करना होगा और इस दृष्टि से कुछ काम उठाने होंगे। उदाहरण के लिए काय पर सामाजिक समूहों का विकास को प्रोत्साहन देना होगा और एम.मै.मै. प्रदान करना गंगा या प्रजात-वात्मक को सहभागिता (Participation) का प्रोत्साहन दे और जिसमें मन्त्र-साधनों को उपयुक्त महत्त्व प्रदान किया जाए। जब प्रबंधात्मक अभिचारिका द्वारा मजदूरों की भावप्रकृता का वास्तविक प्रकृति को उनके औपचारिक सामाजिक जीवन की तथा संगठना का भली भाँति समझ लिया जाता है तो उनके भाग ऐसी कोई बाधा नही रहनी तो यह संगठनात्मक जीवन को प्रसन्न बनाने से रोक सक।

मानव-सम्बन्धों के विचारको के यह धनाप कि संगठन के काय और इनाव को कमचारिका की सामाजिक आवश्यकताका से सम्बद्ध रचना चाहिए।¹ इस प्रकार यदि कमचारिका प्रसन्न रहत ता संगठन उनका पूरा सहयोग प्राप्त कर सकत तथा काय-कुशलता को भी बढ़ा सकेगा। संगठन को दिव्यपूर्ण (Rational) बनाने का तरका यह है कि विचारपूर्ण प्रणाली द्वारा श्रमिका को प्रसन्नता को बढ़ावा जाए। जिक प्रशासन में श्रावक ऐमा माहि य पयाज मावा में उपलब्ध हाने गगा है जिसमें यह बतया जाता है कि कई कर्मिका में मजदूर काम में अपनी रुचि लत है। एक दिन या एक घण्टे का काम भा वह किमी कारणवश छोटना नही चाहत वे अपने फोरम को नाराज या असन्तुष्ट नही रहना चाहते तथा उस अपने पिता के सदस्य मानत हैं। कायकताका के-ऐस समूह को परिवार की उपमा दा जाती है। गाडनर के अनुसार मानव सम्बन्धों का दृष्टिकाएँ यह प्रतिपादित करता है कि मजदूरों में यह भावना गनी चाहिए कि कम्पनी के उद्योगों में उनके कार्यों का महत्त्व है। उन्हें अपने आपको कम्पनी का एक भाग समझना चाहिए तथा उसके लक्ष्य की प्राप्ति में वह जो योगदान करे उसके लिए उन्हें सब होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कम्पनी के लय एत हाने चाहिए जो प्रबंध के उद्योगों में विश्वास प्रेरित कर सकें और मजदूरों में यह विश्वास जाग्रत कर सकें कि इन उद्योगों के लिए काम करने में प्रत्येक का उचित पुरस्कार और सन्तोष प्राप्त होगा।

इस सब विचार विमर्श का निष्कर्ष यह है कि मानव सम्बन्धों की विचारधारा

संगठन के लक्ष्यो एवं मजदूरा की आवश्यकताओं के बीच पूरा सन्तुलन स्थापित करना चाहती है। इस विचारधारा में तथा वनानिक प्रबन्ध (Scientific Management) की विचारधारा में जो अंतर है वह इस सन्तुलन का ही है। वनानिक प्रबन्ध का विचार है कि यदि बाधाओं को हटा दिया जाए तो यह सन्तुलन स्वाभाविक रूप से स्थापित हो जाएगा। मानव-सम्बन्ध का विश्वास है कि आदर्श राय का निर्माण विचारपूर्ण तराकस किया जा सकता है। मानव सम्बन्ध का अनन्त रचनाओं में यह सुझाया गया है कि एक समाजशास्त्री को चाहिए कि वह प्रबन्ध का इस प्रकार माग दर्शन करें जिसके द्वारा वह स्वयं का सभी के लाभ के लिए समाज निर्माण के कार्य में सलग्न कर सकें। १

वनानिक प्रबन्ध तथा मानव सम्बन्धों की विचारधाराएँ दो मुख्य मायताओं पर आधारित हैं—औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन की मायताएँ। औपचारिक संगठन का आधार वे सत्त्व हैं जिनको वनानिक प्रबन्ध द्वारा महत्त्वपूर्ण माना जाता है और अनौपचारिक संगठन का समग्र मानव सम्बन्धों के आधार पर किया जाता है। संगठन में सम्बन्धित इन दोनों मायताओं के सम्बन्ध में पिछले अध्यायों में यथास्थान विचार किया जा चुका है। वास्तव में औपचारिक मायता संगठन के उस रूप को उचित करती है जिसका नवशा प्रबन्ध द्वारा खींचा जाता है। यह नियमों एवं उपनियमों पर अधिक जोर देती है। उससे भिन्न औपचारिक संगठन में कमचारी वगैरह अथवा मजदूरों के बीच सामाजिक सम्बन्ध विकसित हो जाते हैं जो कालांतर में संगठन के कार्यों को भी प्रभावित करने हैं तथा वास्तविक व्यवहार में उनके औपचारिक रूप को बहुत कुछ बदल देते हैं।

संगठन के इन दोनों रूपों अर्थात् औपचारिक एवं अनौपचारिक के बीच क्या सम्बन्ध है तथा ये एक दूसरे से किस प्रकार प्रभावित होते हैं यह जानना वर्तमान समय में संगठन के विद्यार्थी का एक प्रमुख किन्तु अत्यन्त जटिल कार्य है। मानव सम्बन्धों के लक्षक न प्रयोग एवं अपनी रचनाओं के आधार पर सफलता के साथ बता दिया है कि संगठन में मानवीय व्यवहार पर सामाजिक सम्बन्ध जैसे अनन्त ऐसे सत्त्वों का उल्लेखनीय रूप से प्रभाव पड़ता है जिनका औपचारिक संगठन की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि मानव-सम्बन्ध का दृष्टिकोण एकीकृत है और इसमें अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते समय संगठन के औपचारिक रूप की जो मालोचना की है तथा जो कमियाँ बताई हैं वे कहीं कहीं प्रतिशयात्किपूर्ण हैं। सत्य प्रायः ही विरोधी अतिशयोक्तियों के बीच पाया जाता है। संगठन में सम्बन्धित इन दोनों सिद्धान्तों को यदि संयुक्त कर दिया जाए अथवा इनके बीच समन्वय (Synthesis) स्थापित कर दिया जाए तो यह सम्भावना है कि संगठन के रूप एवं कार्य से सम्बन्धित सही विचारधारा की अभिवृत्ति हो सकेगी।

अनौपचारिक एवं अनौपचारिक मान्यताओं के बीच समन्वय (Synthesis between Formal and Informal Concept)

संगठन के रूप एवं कार्यों में सम्बन्धित अनौपचारिक विचारधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप अनौपचारिक व्यवस्था मानव-सम्बन्धों के विचारधारा का प्राग्भाव हुआ। यह नवीन विकास पूर्वगामी विकास का प्रतिवाद था किन्तु यह कि विचारको न यह देखा कि यह वाद (The is) तथा "तिवन्" (Antithesis) दोनों ही संगठन के रूप का सही चित्रण करने में समर्थ हैं तथा गवाही है कि इन दोनों के बीच समन्वय (Synthesis) की स्थापना करना अनिवार्य है। इनके परिणामस्वरूप संगठन के विषय में एक नवीन दृष्टिकोण का जन्म हुआ जिसको संरचनावादी (Structuralist) कहा जाता है। इनके मतानुसार प्रत्येक संगठन में मिश्रण एवं सघन अपरिहार्य हैं व जल्द ही नया समय समय पर बनने होता भी चाहिए। समाजशास्त्र मजदूरों या संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति का वाद यत्र नहीं है। इसका सम्बन्ध न तो प्रबंध का संगठन सुधारण से है और न कमचारियों का संगठन सुधारण से।

संरचनावादी दृष्टिकोण मूलतः मानव-सम्बन्धों के प्रतिक्रिया के रूप में उद्भूत हुआ है। यह स्वाभाविक है कि उनके द्वारा मानव-सम्बन्धों के लक्ष्य एवं उनके विचारों की बट आनाचनाएँ की गई हैं। इन आरोपनाओं का अध्ययन करने के बाद पाठक के सम्मुख एक दृष्टिकोण के आधार का सही चित्र प्रकट हो सकता है। संरचनावादी विचारकों का मत है कि संगठन में कुछ अपरिहार्य विरोध संगठन और व्यक्ति की आवश्यकताओं के बीच यौक्तिकता और अव्यक्तिकता के बीच अनुशासन और स्वायत्तता के बीच एक ही हो रहे हैं। इन विरोधों को कम किया जा सकता है मिटाया नहीं जा सकता। मानव सम्बन्धों के विचारकों ने सामाजिक और भौतिक संगठनों को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया था किन्तु संरचनावादी विचारकों ने अपनाया जहाँ जहाँ सत्ता एवं सूचना आदि का भी अपने अध्ययन में शामिल कर लिया।

मानव-सम्बन्धवादियों की संरचनावादियों द्वारा आलोचना (Structuralists Criticism)

संरचनावादी विचारकों का मत है कि मानव सम्बन्धों का दृष्टिकोण संगठन का पूरा चित्रण नहीं कर पाता। इसका पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण प्रबंध का समर्थन करता है और मजदूरों का भ्रमित करता है।¹ संरचनावादी विचारकों संगठन को एक बड़ी तथा बटिल सामाजिक स्थापना के रूप में देखते हैं जिसमें अनेक सामाजिक समूह प्रतिक्रिया रत रहते हैं। संरचनावादी एवं मानव सम्बन्धवादी मान्यताओं के बीच पाए जाने वाले अन्तरों का अग्र प्रकार में समझा जा सकता है। अन्तर ही मानव सम्बन्धों के दृष्टिकोण का आनाचनाएँ हैं।

1 *Reinhart Bendix and Lloyd H. Fisher: The Perspective of Elton Mayo*

1 समग्रियों की प्रतियोगी प्रवृत्ति—सम्बन्धावादी विचारको का कहना है कि सगठन पर प्रतिक्रिया करने वाले सामाजिक समूहों के अपने स्वयं के मूल्य होते हैं और ये मूल्य सगठन के मूल्यों के अनुरूप भी हो सकते हैं तथा विपरीत भी। इसलिए यह सम्भावित नहीं स्वाभाविक भी है कि विभिन्न समुदाय कुछ विषय में सहयोग करेंगे और कुछ दूसरे विषयों में प्रतिस्पर्द्धा। ऐसा नहीं हो सकता कि सब पूर्णरूप से परस्पर सहयोगी बन जायें। मानव सम्बन्धों के लेखकों के मतानुसार इन समूहों को एक बड़ा सुखी परिवार बनाया जा सकता है किन्तु संरचनावादी लेखकों के अनुसार यह कबल एक सुखद कल्पना है।

2 सघष की स्वाभाविकता—सगठन में जिन समूहों के हित प्रायः एक दूसरे के विरुद्ध टकराते हैं वे हैं—प्रबंध तथा मजदूर। इसका कारण यह बताया जाना है कि प्रबंध मूल रूप से मजदूरों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की स्थापना का प्रयास करता रहता है इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया में कई मोड़ों पर वे दोनों आपस में टकरा जाएँ। मजदूरों को संतुष्ट करने के अनेक साधन हैं किन्तु उनमें से काँच भी एक पूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः मानव-सम्बन्धों के विचारकों का यह दावा कि वे अपने सुभावों से सगठनों को सघष विहीन बना सकते हैं दुःसाहस मात्र है।

3 निराशापूर्ण दृष्टिकोण—यह सच है कि मानव सम्बन्धों के दृष्टिकोण द्वारा कुछ ऐसे मांग सुझाए जाते हैं जिनके द्वारा सगठन में प्राप्त निराशा को कम किया जा सकता है किन्तु इन मांगों को अचलाने की कुछ स्पष्ट सीमाएँ हैं। यह हाँ सकता है कि काय पर सामाजिक समूहों का विकास मजदूरों के दिवस को प्रसन्नता पूर्ण बना दे किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे एक ही काय को बार-बार करना छोड़ देंगे अथवा अरचनात्मक काय करने से रुक जाएँगे। चिनाय (Chinoy) का कहना है कि मजदूर लोग अपना अधिकांश समय अधचेतनावस्था में काय करते हुए व्यतीत करते हैं। काय के बाद वे क्या करेंगे इसका स्वप्न लिया करते हैं और इसी से उनको संतोष प्राप्त होता है।¹

4 अवास्तविक विचार—मानव सम्बन्धों के विचारक सगठनों की अमान्यतायक किन्तु अवास्तविक तस्वीरें सामने रखते हैं। वे उसे समूहों का शक्ति सघष न मानकर एक परिवार मानते हैं। ये सगठनों को अलग-अलग का प्रतीक न मानकर मानवीय संतोष का स्रोत मानते हैं। इन सब मान्यताओं के कारण ये विचारक कायकारी जीवन की वास्तविकताओं से अपने आपका पृथक् कर लेते हैं। मजदूरों के असंतोष का कारण यह बताया जाता है कि वह परिस्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पाता। इसके

मतानुसार संगठन के संघर्ष हिता के वास्तविक संघर्ष के परिणाम न होकर केवल शानत सूचना अथवा अर्थ सूचना के परिणाम होते हैं।

5 आर्थिक प्ररकों की अवहेलना—मानव-सम्बन्धों के लेखकों ने आर्थिक प्ररकों पर कितना अधिक जोर दिया है कि वे अपने वर्णन में वास्तविकताओं की परिधि में बाध रहे गये हैं। अपने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के कारण वे भौतिक पुरस्कारों के महत्त्व को नहीं जान पाते। संरचनावादी विचारकों ने मानव-सम्बन्धों के लेखकों की भाँति उद्योग में सामाजिक पुरस्कारों के महत्त्व को स्वीकार किया है किन्तु यह अनेक प्ररकों में से एक है केवल एकमात्र नहीं। संरचनावादी विचारकों के समय बड़े नाराज हो रहे हैं जब तक मजदूरों को संतुष्ट करने के लिए उसे सामाजिक सम्मान सौंपा जाता है और उसके धैर्य में वृद्धि नहीं की जाती।

6 एकरसता असम्भव है—मानव सम्बन्धों के प्रायः सभी लेखक यह मानते हैं कि औद्योगिक संघर्ष अर्थात् द्वन्द्व होता है और इन लेखकों ने औद्योगिक सामंजस्य (Harmony) बनाने के प्रयासों पर पर्याप्त जोर दिया है। इसके विपरीत संरचनावादियों का कहना है कि संघर्ष के अनेक महत्त्वपूर्ण रूप होते हैं। स्वयं संगठनात्मक व्यवस्था के लिए संघर्ष महत्त्वपूर्ण है। यही कारण है कि ये विचारक संघर्ष मिटाने के कृत्रिम साधनों का विरोध करते हैं। संघर्षों द्वारा हिता एवं विश्वासों के बीच अन्तर पैदा होती है और इन अन्तरों के माध्यम से संगठन अपनी कमजोरियों से परिचित हो पाता है तथा उनको दूर करने का प्रयास करता है। यदि संघर्षों को दबा दिया जाए या अप्राकृतिक साधनों द्वारा भुजा रिया जाए तो संगठन अपनी कमजोरियों से परिचित नहीं हो पाता और इस प्रकार भविष्य में उमक लिए घटने के लिए जाता है।

7 सन्नियोगदान असम्भव—मानव सम्बन्धों के दृष्टिकोण प्रजातन्त्रात्मक परम्पराओं को स्वीकार करता हुआ इस बात पर जोर देता है कि संगठन के कार्यों में प्रतिक्रिया को सक्रिय रूप में भाग लेना चाहिए। उनका निष्कर्ष यह लिए हुए है कि संगठन में भाग लेना चाहिए। संरचनावादी विचारकों का कहना है कि यह व्यवहार यद्यपि शानत में आकर्षक लगता है किन्तु यह वास्तव में अशक्य तथा निराशाजनक है। जब कभी इस प्रकार का वाद विचार होता है तो उसमें निष्कर्ष प्रायः पहले से ही लिए जा चुके होते हैं तथा सम्मेलन का वास्तविक उद्देश्य उन निष्कर्षों पर श्रेणी के समझौतों का समर्थन प्राप्त करना होता है। निम्न श्रेणी के अधिकारियों का निष्कर्ष लेने की शक्ति प्रायः एक विषयों पर ही जानी है जो अल्पसंख्यक कम में स्वीकार्य होते हैं अथवा जिनमें शीघ्र व प्रवर्धकों का कोई सम्बन्ध नहीं होता।

मानव सम्बन्धों के दृष्टिकोण की उक्त आलोचनाएँ बहुत कुछ सही हैं। यह सच है कि इन लेखकों के विचार एकांगी हैं तथापि इसका महत्त्व की अपेक्षा नहीं की जा सकती। केवल कट्टर विरोधी ही इस बात से इनकार कर सकता है कि

अथवा हुआ संचार तथा हिस्सेदारी एवं सामाजिक पुंस्कार वेतन में वृद्धि न करने पर भी मजदूरों के जीवन और काय को सुधारने में सहायक बनाते हैं। वास्तव में मानव सम्बन्धों का एकलौटो उनके आर्थिक स्थिति को बर्नित किए बिना भा मजदूर की सामाजिक स्थिति का सुधार संभवता है।

संगठन के प्रति एक संतुलित एवं पूर्ण दृष्टिकोण

(A Balanced Approach)

संगठन के अध्ययन में सम्बन्धित अर्थ तक के अधिकांश विचार एकपक्षीय अथवा अत्यंत दुराग्रहपूर्ण हैं। संगठन का रूप एवं प्रक्रियाओं का एक संतुलित तथा पूर्ण अध्ययन कथन कही माना जा सकता है जो न तो प्रबंध का समर्थक हो और न ही मजदूरों का तथा वह संगठन का विश्लेषण करते समय किन्हीं पूर्ण मायताओं अथवा मूल्यों को लेकर न चले। इसका क्षेत्र इतना विस्तृत हो कि सभी प्रकार के संगठनों को तथा एक संगठन के सभी तत्त्वों को इसमें समाहित किया जा सके। यह आर्थिक प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया पर समान रूप से जार दे। इसमें संगठन तथा उसके वातावरण के बीच होने वाली क्रिया एवं प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाए।

मानव-सम्बन्धों के विभिन्न क्षेत्रों का सावधानी से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक तत्त्वों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है किन्तु इन दोनों प्रकार के तत्त्वों को परस्पर सम्बद्ध करके क्रमिक रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। यह कार्य करने का उचित सरचना वांछनीय का प्रदान किया जा सकता है।

मानव सम्बन्धों पर किए गए अनेक अध्ययनों में यह बताया गया है कि औद्योगिकीकरण के प्रभाव से सामाजिक जीवन विघटित होता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप संगठन में अनेक अनौपचारिक सम्बन्ध बन रहे हैं जिनका मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय में त्व है। मानव सम्बन्धों के तत्त्वों में यह स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रकार के समूह कितने सामान्य हैं इनका आपसी सम्बन्ध क्या है तथा उनका तुलनात्मक महत्त्व क्या है। सरचनावादी या न अपने संगठनात्मक अनुसन्धानों में यह देखा कि अनौपचारिक कार्य समूह अधिक सामान्य नहीं हैं और मजदूरों का बहुमत किसी भी ऐसे समूह से सम्बन्धित नहीं होता।

द्यूबिन (Dubin) वाकर तथा गेस्ट (Walker and Guest) वा मर (Vollemet) प्राप्ति न अनेक प्रयोगों के आधार पर इस मत का समर्थन किया है। वास्तव में संविरोधाभास का कारण यह है कि मैयो (Mayo) तथा उनके अनेक अनुयायियों ने यह कथना की थी कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ विघटित होकर समाप्त हो जाएगी। उस समय पकटी व्यक्ति का घर बन जाएगी जहाँ उसकी भावनाएँ सुरक्षित रह सकेंगी व्यक्त हो सकेंगी तथा

पनप मकेंगा। प्रव घ को उम समय सामाजिक तथा भावनात्मक आश्रय प्रदान करना योग्य तथा बदल म उसे कठिन काय एव सन्तोषजनक म शक्ति प्राप्त होगी। यह कल्पना साथ ही बन सकी क्योंकि उसके आधार ही गत थे। आज सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का रूप निश्चय ही बदल गया है किंतु व पूरा तरह समाप्त नहीं हुई हैं। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि आज का मजदूर जब फक्की खाता है तो वह भावनात्मक दृष्टि म भूखा नहीं होता। कुछ नवीन तथा कुछ पुरातन सामाजिक संस्थाएँ उनकी आवश्यकताओं का पूरा करती हैं। यही कारण है कि अनौपचारिक समूह मजदूरों म सामान्य नहीं है।

संगठन पर उम वातावरण का प्रभाव जिनमें वह कार्य कर रहा होता है अत्यन्त मौनिक एवं रचनात्मक होता है। संगठन के वातावरण का अनेक प्रक्रियाएँ संगठन की कार्यवाहियों पर कई बार नियायक प्रभाव डालती हैं। दूसरे संगठनों तथा उच्च संगठनों जैसे सरकार आदि का उम पर प्रधान प्रभाव पड़ता है। एक संगठन के मजदूर तथा निस्संदार मध्य के संगठनों के भी सदस्य होते हैं। उन सब तथ्यों का ध्यान म रखकर ही संगठन की संस्थाओं का अग्र प्रयत्न किया जाना चाहिए।

संरचनावादियों का यह विचार है कि पुरस्कार के प्रति बहानिक प्रव घ तथा मानव-सम्बन्ध का दृष्टिकोण—दाना के ही विचार आशिक हैं अतः दाना के अध्ययन का समुक्त कर देना चाहिए। सामाजिक आदर एवं भावनाओं के पुरस्कारों का निश्चय न महत्वपूर्ण स्थान है और इसलिए कई बार यक्ति कम बतन पान पर भा पना प्रति का इसलिए स्वाकार कर लेना है कि उसका सम्मान हागा मम ज परिहार पनेम म उसका स्तर ऊंचा हा जागा। प्रतीकात्मक पुरस्कार बदल तभी प्रभावकारी हो सकत हैं जबकि उसको प्राप्तकर्ता की पत्नी मित्रा एवं पड़ामिया तारा प्रशंसा की दृष्टि स दला जाए। यद्यपि सामाजिक पुस्कार संगठन म म त्वपूर्ण मिद्ध हुए हैं तथापि सबसे भौतिक पुरस्कारों का मूल्य कम नहीं जाता। कई बार कवन अधिक धन प्राप्ति के लिए उच्च पत्र को छोड़ दिया जाता है।

सम्पूर्ण विवरण संपष्ट है कि अनौपचारिक एवं अनौपचारिक सिद्धांत या संगठन के प्रति वैज्ञानिक प्रकाश और मानवीय सम्बन्धात्मक दृष्टिकोणों की मायताओं म एकाग्रोपन या उनका अध्ययन पूरा एवं सन्तुलित न जा। लोक प्रशासन के विचारका एक संस्कृत तथा संगठन के सिद्धांतियों न सतथ्य को समय समय पर देना है परन्तु और एक सम्बन्ध म अपन सुभाव स्तुत किए है। इस सिद्धांत सरचनावादियों की देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लोक प्रशासन के अनेक विचारक आज भी सरचनावादियों के तर्कों का मानन को अपन संगठन के मध्य का दृष्टिकोण म म ही किसी एक का मान लेते हैं तथा उमके रूप की रण में अपने विचार उत्त करत हैं। किंतु जसा कि ह्याइट आदि का कहना है कि ये विचारक भी अपने सद्धातिक दृष्टिकोणों को विकसित करते जा रहे हैं और इस प्रकार

अनजान ही प्रवेदन एवं प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण (Synthesis) के माग की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

अभिप्ररणा अथ एवं परिभाषण (Motivation Its Meaning and Definitions)

किसी भी उपक्रम में चाह वह निजी क्षेत्र का हो या लोक क्षेत्र का कर्मचारियों में कार्य की इच्छा और शक्ति को बनाए रखने के लिए कर्मचारी अभिप्ररणा एवं प्ररणाया (Employee Motivation and Incentives) का विशेष महत्त्व है। अभिप्ररणा शब्द अप्रजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपान्तर है जो लैटिन भाषा के मूवियर (Movere) शब्द से बना है जिसका अर्थ है गतिशील होना। प्रावृत्तिक अर्थ में अभिप्ररणा शब्द का उपयोग 1938 में मेस्तो द्वारा किया गया था।

अभिप्ररणा या अभिप्ररण से आशय उस मनोवैज्ञानिक उत्तजना से है जो व्यक्ति का कार्यशील बनाती है उसे कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित करती है। अभिप्ररणा को हम व्यवहार का गतिन या कमानो कह सकते हैं। व्यक्ति में कितनी ही योग्यता क्या है वह यदि अभिप्ररणा नहीं है तो उसकी योग्यता एक ऐसे सुन्दर इञ्जन की तरह लगी जिनम भाग नहीं है। मानव का बड़ी बड़ी सकलताएं अभिप्ररण के कारण ही हैं। विभिन्न विद्वानों ने अभिप्ररण को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—

मास्केन ज जुसियस के अनुसार अभिप्ररण निश्चित कार्यों को प्राप्त करने हेतु स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति का प्रेरित करने की क्रिया है।

गिलफान् के अनुसार अभिप्ररण ऐसी कोई विशेष आन्तरिक धारक या दशा है जो क्रिया का आरम्भ करने तथा बनाए रखने की ओर प्रवृत्ति होती है।

स्फर न लिखा है अभिप्ररण क्रिया करवाने की ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसका सूत्रपात प्रेरण शक्ति द्वारा जाता है और जो समायोजित क्रिया द्वारा समाप्त हो जाती है।

मन्काची और वायल के शब्दों में अभिप्ररण प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता की प्राप्ति है। परिस्थिति द्वारा इन आशाओं का सक्रिय किया जाना हम कार्य की ओर ले जाता है।

मेक्कारलण्ड ने लिखा है अभिप्ररण या अभिप्ररण का विचार मुख्यतः मनावानानक है। यह उन कार्याकारी शक्तियों से सम्बन्धित है जो प्रेरणा रूप में कर्मचारी का प्रथम उनके अधीनस्थ को निर्धारित दिशा में कार्य करने या नहीं करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

अभिप्ररणा क अय को भरी प्रवार स्पष्ट करते हुए डा मामोरिया एवं दशोरा न लिखा है—

अभिप्ररणा का अर्थ किसी व्यक्ति को काय निष्पादन करने के लिए प्ररित करना है। यह उस रुचि का प्रतीक है जिसके द्वारा व्यक्ति म काय करने की इच्छा जाग्रत हाती है। प्रबन्ध की दृष्टि से अभिप्ररणा अत्यन्त आवश्यक है। व प्रबन्धक जो कमचारिया के सफल अभिप्ररक हैं सामान्यतः ऐसा वातावरण तयार करने म सफल होते हैं जिससे उद्देश्यो की पूर्ति सरन की जा सके। मानव प्रकृति से मिलजुल कर रहना पसन्द करता है तथा सहयागिता की भावना और आगे बढने की प्रवृत्ति क साथ अधिकाधिक उत्पादन की हाड म लगा रहता है। इस प्रकार की होड म कमचारी व्यक्ति रूप म विभिन्न समूहो म विभक्त हो जाता है। एक समूह की तुलना म दूसरा समूह अधिक उत्पादन अधिक काय एवं अधिक सफल होने की प्रवृत्ति स प्ररित हाकर काय करता है।

अभिप्ररणा स तात्पर्य व्यक्ति को इच्छा काय निष्पादन की तत्परता तथा काय करने की इच्छा को जाग्रत करने की प्रक्रिया से है जिसक अनगत भावक होकर मनुष्य अधिक काय करने की प्ररणा प्राप्त करता है। अभिप्ररणा शब्द का प्रादुर्भाव प्ररणा से हुआ है। प्ररणा को कई बार शब्दा आवश्यकता प्रक तत्व तथा अत स्फुरण भी कहा जाता है। प्ररणा वास्तव मे जाग्रत अथवा सुस्पष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश है। दूसरे शब्दा म प्ररणा अमुक व्यवहार क्या ? का उत्तर है। देया जाए तो प्ररणा या आवश्यकता ही काय का प्रारम्भ है। काय करने के लिए प्ररित करने वाली मानसिक भौतिक तथा अन्य मानवीय व्यवहार मन्त्र धी बात प्रेरणा क स्रोत बनती हैं।

अभिप्ररणा और प्ररणा के मध्य अन्तर

अभिप्ररणा और प्ररणा म चोनीयामन का साथ है तथापि दोनों स थिया एक नहीं हैं और हम दोनों क अन्तर पर स्पष्ट रूप से दृष्टिपात कर लेना चाहिए। प्ररणा (Incentive) वह बाह्य वस्तु है जो एक दूसरे व्यक्ति का देता है जबकि अभिप्ररणा (Motivation) आन्तरिक है जो व्यक्ति म स्वय हाती है। दूसरे शब्दा म हम यो कह सकत हैं कि प्रेरणाएं (Incentives) एक सीमा तक उस बटरी के समान हैं जिस चाज (Charge) और रिचाज (Re charge) करने की आवश्यकता होनी है जबकि अभिप्ररणाएं (Motivations) उस जनरेटर क समान है जिस किसी बाहरी प्रोत्साहन या उत्तजन की आवश्यकता नहीं हाती। किन्तु दाना म इतना पनिष्ठ सम्व ध है कि उह एक-दूसरे स पृथक करके नही दवा ज सकता। एक ही सिक्क क य दो पहनू हैं—एक भीतरा और दूसरा बाहरी तथा दोनों का सयाग ही वाँछित फल देने मे सभम होता है। हम यह भी कह सकत हैं कि अभिप्ररणाएं (Motivations) आ तरिक एा बाह्य दा प्रकार की हाती हैं और बाह्य रूप को प्ररणाएं (Incentives) कह दिया जाता है।

अभिप्ररणा के तत्त्व या विशेषताएँ

(Elements or Characteristics of Motivation)

अभिप्ररणा के अर्थ और उसकी विभिन्न परिभाषाओं को देखने में स्पष्ट होता है कि इसकी विशेषताएँ अथवा प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं—

1 अभिप्ररणा एक अनन्त प्रक्रिया (Unending Process) है—
अभिप्ररणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कार्यो-मुख होता है निष्क्रियता अथवा काय के प्रति उदासीनता को त्याग कर निरन्तर अधिक काय करने की सोचता है। व्यक्तियों से काय कराने के लिए उन्हें निरन्तर अभिप्ररित करना पड़ता है। समय स्थान परिस्थितियाँ व्यवहार आदि सभी मिलकर अभिप्ररणा सम्बन्धी अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण तयार करते रहते हैं। काय के प्रति अनुकूल वातावरण तयार करने और अनुकूल दशाओं में काम करने के लिए प्रेरित करना ही अभिप्ररणा है। अभिप्ररणा की क्रिया निरन्तर चलती रहती है। इसका सीधा सम्बन्ध समय से है जो स्वयं गतिमान है।

2 अभिप्ररणा प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर से आती है—अभिप्ररणा आन्तरिक है जो व्यक्ति में स्वयं हाता है। मौलिक मानवीय आवश्यकताएँ—भोजन एवं आश्रय आदि सम्मान प्रशंसा आदि विकास के लिए अवसर वास्तविकीकरण आदि—मानवीय पहलू के शक्तिशाली अभिप्ररक हैं जो अचलन रूप में काय करते रहते हैं। किसी बाह्य प्रभाव की तुलना में आन्तरिक अभिप्ररणा का मानव व्यवहार पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है।

3 अभिप्ररणा से कर्मचारी प्रेरित होते हैं—प्रबंधक विभिन्न उपायों द्वारा संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। इस दिशा में सफलता तभी सम्भव है जब प्रबंधक कर्मचारियों को काय के लिए प्रेरित कर सकें। अभिप्ररणा के माध्यम से कर्मचारियों से अधिक काम लेना सम्भव आता है।

4 अभिप्ररणा वित्तीय और गैर वित्तीय हो सकती है—किसी भी संस्था या उपक्रम में कर्मचारियों को काय के लिए प्रेरित करने के दो मुख्य ढंग हो सकते हैं—(क) वित्तीय प्रलोभन (Monetary Incentives) दिए जाएँ एवं (ख) गैर वित्तीय प्रलोभन (Non monetary Incentives) दिए जाएँ। वित्तीय अभिप्ररणा में मजदूरी अथवा वचन वृद्धि बोनस पुरस्कार पदोन्नति पेंशन सम्भागिता आदि को सम्मिलित किया जाता है जबकि गैर वित्तीय अभिप्ररणा में प्रशंसा पत्र काय भाव्यता सद्-संस्कार पीठ सपथपाना आदि सम्मिलित हैं।

5 अभिप्ररणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है—मनोकारण के अनुसार अभिप्ररणा मुख्यतः मनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह व्यक्ति की मानसिक शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह अपने काय में अधिक रुचि ले और काय के प्रति नवीनता अनुभव करे।

6 सम्पूर्ण व्यक्ति अभिप्ररित होता है उसका एक भाग नहीं—प्रत्येक व्यक्ति एक सम्पूर्ण तथा अविभाज्य एक है अतः उसकी सब आवश्यकताएँ परस्पर सम्बन्धित होती हैं और उसकी एक आवश्यकता या इच्छा पूरी होने ही वह दूसरी इच्छा करने लगता है। इस प्रकार सम्पूर्ण व्यक्ति अभिप्ररित होता है केवल उसका एक भाग नहीं।

7 अभिप्ररण सन्तुष्टि का कारण नहीं परिणाम है—अभिप्ररण एक मानसिक विचार है जिसके द्वारा व्यक्ति काय करने के लिए प्रेरित होता है। वनमान श्रमदा सम्भावित प्रलाभन के आधार पर उन काय करने की प्रेरणा मिलती है अर्थात् अभिप्ररण व्यक्ति की काय पर सन्तुष्टि का परिणाम है।

8 अभिप्ररण मानवीय व्यवहारों का निर्देशन नियंत्रण तथा स्पष्टीकरण है—जसा कि डा. मामोरिया एवं दशोरा न लिखा है—अभिप्ररण से निश्चित परिणाम प्राप्त होता है। मानवीय व्यवहार को एक दिशा मिलती है। इस सम्बन्ध में दो विचार प्रचलित हैं। कुछ विचारक कहते हैं कि भय विनु हाथ न प्रीति अर्थात् श्रेणात्मक अभिप्ररण के आधार पर मनुष्य काय करता है। दण्ड प्रताडना सवा निष्कामन का भय मान हाति शक्ति उपाया से मनुष्य डगता रहता है और अपना काम समय पर पूरा करने की चेष्टा करता है किन्तु इस अवस्था में मनुष्य काम चार ईश्यानु असह्यागा स्वार्थी तथा चापलस उन जाता है। शोषकाय में इस संगठन को हाति होती है। इस विपरीत घनात्मक अभिप्ररण से कर्मचारी अधिक रुचि लेकर काय करता है। उद्योग में अन्धे सम्बन्ध पनपते हैं शोष एवं अनुसंधान को प्रासाहन मिनता है तथा मानवीय व्यवहार अधिक पुष्ट होत हैं। इस प्रकार अभिप्ररण एकी विधि है जिसमें प्रेरणाओं उपाया इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं प्रयत्ना या आवश्यकताओं के माध्यम में मानव व्यवहार का निर्देशन नियंत्रण एवं स्पष्टीकरण किया जाता है।

9 अभिप्ररण व्यक्तियों की कायक्षमता में वृद्धि करती है—अभिप्ररण कायक्षमता वद्धक है। श्रमिक चाहें कुशल हो या अनुपुन अभिप्ररण द्वारा प्रति घण्टा अधिक उत्पादन करता है। जब अधिक रति से काय किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि वस्तु की किम्ब में सुधार होगा नागत मूल्य में कमी आएगी एवं उत्पादन किया में अत्यय कम होगा।

10 अभिप्ररण विनियोग कसमान है—अभिप्ररण एक प्रकार का विनियोग (Investment) है यथाकि इसक माध्यम में श्रमिक की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होकर उत्पादन नागत में कमी आता है। उत्पादन का एक भाग श्रमिक पर अभिप्ररण या उत्प्रेरण के रूप में व्यय कर दिया जाता है यह कोई फायदा का सर्चा नहीं होगा बल्कि वास्तव में विनियोग का काय करेगा।

11 अभिप्ररण और मनोबल में भिन्नता है—मामोरिया एवं दशोरा के

शान्ति में—अभिप्रेरणण एवं मनोबल दोनों में अंतर है। अभिप्रेरणण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव काय के लिए प्रेरित होता है जबकि मनोबल स्वयं कर्म करने की इच्छा है जो अभिप्रेरणण द्वारा अधिक बनती होती है। अभिप्रेरणण से कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है और वह अधिक काय करने की ओर प्रेरित हो जाता है। मनोबल ऊँचा होने पर ही व्यक्ति अधिक निष्ठावान हो सकता है। मनोबल ऊँचा तभी हो सकता है जब व्यक्ति को समुचित अभिप्रेरणण प्राप्त हो रहा हो।

अभिप्रेरणण के उद्देश्य (Aims of Motivation)

अभिप्रेरणण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- 1 कर्मचारियों को स्वेच्छा से अधिकाधिक कुशलतापूर्वक और अधिक काय करने के लिए प्रेरित करना।
- 2 कर्मचारियों के मनोबल को ऊँचा उठाना, उनमें आत्मविश्वास और निष्ठा को भावना पैदा करना।
- 3 कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरी करना तथा उन्हें यथासाध्य सन्तुष्टि प्रदान करना।
- 4 श्रम पूँजी के सम्बंध को सुधारना।
- 5 सस्था या उपक्रम में स्वस्थ मानवीय सम्बंधों का विकास करना।
- 6 कर्मचारियों की काय कुशलता में अधिकाधिक वृद्धि करना।
- 7 कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करना और सस्था के प्रति उनमें लगाव उत्पन्न करना।
- 8 मानवीय साधनों का सदुपयोग करना।
- 9 सस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना।

अभिप्रेरणण की सुदृढ व्यवस्था की अनिवार्यताएँ (Essentials of Sound Motivation System)

कूष्ट एवं आडोन्ल के अनुसार एक सुदृढ अभिप्रेरणण व्यवस्था में निम्न लिखित चार बातों का होना जरूरी है—

- 1 उत्पादक (Productivity)—एक अच्छे अभिप्रेरणण व्यवस्था वह है जो उत्पादक हो अर्थात् अधीनस्थ कर्मचारियों का अधिक कुशलता और श्रम के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर सके।
- 2 प्रतिस्पर्द्धात्मक (Competitive)—एक अच्छे अभिप्रेरणण व्यवस्था वह है जो कर्मचारियों में अधिक परिश्रम करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को जन्म दे। यही नहीं अभिप्रेरणण की लागत इससे प्राप्त अधिक उत्पादकता से ज्यादा भी नहीं हानी चाहिए।
- 3 व्यापक (Comprehensive)—एक सुदृढ अभिप्रेरणण व्यवस्था को

व्यापक होना चाहिए। उपयुक्त अभिप्ररण योजना सगठन में लगे व्यक्तियों की न केवल निम्न स्तर की जरूरतों को पूरा करती है जसे शारीरिक जरूरतें सुरक्षा मध्यमधी जरूरत बल्कि उच्चस्तरीय जरूरतों को भी पूरा करती है जसे आत्मतुष्टि की जरूरत सामाजिक महत्त्व की जरूरत आदि। यही नहीं अभिप्ररण का यह योजना सगठन में लग सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

4 लचीली (Flexible) एक ढ़ल और सुल अभिप्ररण योजना के लिए लचीली होना आवश्यक है ताकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न माया और जरूरतों को पूरा किया जा सके और समयानुकूल परिवर्तन भी लागू जा सकें।

अभिप्ररण का प्रकार (Types of Motivation)

अभिप्ररण का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की अभिप्ररणों का उपयोग करना पड़ता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अभिप्ररणों से अभिप्ररित होते हैं। अभिप्ररणों को अनीपचारिक एव अनीपचारिक दो प्रकार की हो सकती है और इनमें भी प्रत्येक में दो भेद किए जा सकते हैं—धनात्मक और ऋणात्मक। डा मामोनिया एव दशाग ने इनके प्रकारों तथा उनसे सम्बन्धित मानवीय व्यवहारों का खाट में इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

अभिप्ररण

मानवीय व्यवहार

1 अनीपचारिक अभिप्ररण

(अ) धनात्मक (Positive)

वर्तन वानस पनेत्रति पुरस्कार विभिन्न वायदे विशिष्ट नाम जसे कलत्र में मदस्यता वाहन रखन की विशेष सुविधा अर्द्धा जनपान-गृह आदि।

(ब) ऋणात्मक (Negative)

झिड़कियाँ देना दुब्यवहार अनुशासनात्मक कायवाही पद अवनति जवरी छट्टा पदमुक्ति प्राप्त सुविधाओं को बंद कर देना आदि।

2 अनीपचारिक अभिप्ररण

(अ) धनात्मक (Positive)

प्रशंसा प्रोसाहन अय व्यक्तियों द्वारा मन्त्रीपुण व्यवहार सामूहिक सम्मान और स्वीकृति सुनतम नियमण प्रव धका एव सहयोगियों द्वारा सम्मान दिया जाना आदि।

(ब) ऋणात्मक (Negative)

आलाचना का पात्र बनना सहयोगिता द्वारा सम्मान नहीं मिनना अथ सहयोगियों द्वारा काय में सहयोग नहीं देना नियंत्रणको और पयवेक्षको द्वारा भिडकिया देना आदि ।

अनेक विद्वाना ने अभिप्ररणाया को निम्नलिखित तीन भागो म विभाजित किया है—

C (क) घनात्मक एवं ऋणात्मक अभिप्र रणाए

(ख) वित्तीय एवं अवित्तीय अभिप्र रणाए एवं

(ग) व्यक्तिगत तथा सामूहिक या समूह अभिप्र रणाए ।

(घ) घनात्मक एवं ऋणात्मक अभिप्ररणाए — इन अभिप्र रणाओ म मानव व्यवहार के वे सभी रूप सम्मिलित हैं जो उपरोक्त चाट में बताए गए हैं । घनात्मक अभिप्र रणाया से चाह वे औपचारिक हा या अनौपचारिक काय करन के लिए प्र रणा मिलती है औद्योगिक शांति का सृजन होता है दुष्टटनाए कम हाती हैं । यदि अभिप्र रणाए ऋणात्मक हैं तो कुछ समय क लिए तो श्रमिक काम करने क लिए बाध्य होते ह किंतु ब लम्बे समय तक सन्तोषजनक काय नहीं कर पात और श्रमिक असंतोष के कारण विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विवाद पनप जात हैं । सन्तुष्ट श्रमिक ही सगठन के हित म रचिकर काय कर सकते ह ।

(ब) वित्तीय एवं अवित्तीय अभिप्ररणाए — अभिप्र रणाए चाहे घनात्मक हा या ऋणात्मक व्यक्तिगत हो या सामूहिक इह दो बगों म विभाजित किया जाता है—वित्तीय तथा अवित्तीय ।

वित्तीय अभिप्र रणाए (Monetary Motivations) इस मायता पर आधारित ह कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने क लिए श्रमिका को अधिक मजदूरी और अधिक तामाश दिया जाना चाहिए । दूसर शब्दो में वित्तीय अभिप्र रणा व्यवस्था म श्रमिका का मुटा के रूप में प्र रणा दी जाती है ताकि उनकी आवश्यकताया की पूर्ति हो सके और जीवन निर्वाह में उह महायता मिले । मजदूरी अथवा वेतन वृद्धि अधिलामांश तथा अथ वित्तीय अभिप्ररणाओ से कमचारियाए एवं श्रमिको की मूनभूत आर्थिक आवश्यकताओ की सन्तुष्टि होती है और श्रमिको के काय के प्रति घनात्मक दृष्टिकोण को प्रोसाहन मिलता है । यद्यपि वित्तीय अभिप्र रणाए कमचारियो को सम्पूर्ण अभिप्र रित नहीं कर पाती क्योंकि कमचारी केवल मुद्रा क लिए ही काय नहीं करत तथापि यह निर्विवाद है कि यदि श्रमिको को अपर्याप्त मजदूरी मिलेगी तो वे सरलता से अपना जीवनयापन नहीं कर पाएंगे उनम आर्थिक असंतोष जाग्रत होगा जिससे औद्योगिक अशांति का उदय और विकास होगा । वित्तीय अभिप्र रणाए किसी भी उद्योग में मधुर मानवीय सम्बन्धो की स्थापना म महत्वपूर्ण योग देती हैं अतः इन अभिप्र रणाया का प्रशानन स्पष्ट मानद डो पर

का प्राप्ति उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि मनोबल का उच्च होना अकार्यकुशल कमचारियों का भी प्रभाव के कारण कार्य के लिए प्रेरित होना व्यक्तिगत सन्तुष्टि प्राप्त होना मनोवैज्ञानिक उत्तजना मिलना आदि। व्यक्तिगत अभिप्ररणाओं का प्रशासन सरल और प्रभावी होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है तथा उसके प्रतिफल की गणना भी शीघ्रता में हो सकती है। प्रतिफल की गणना शीघ्र होने से प्रेरणा भी शीघ्र प्रदान की जा सकती है जो श्रमिकों के लिए अधिक प्रभावी और सन्तोषजनक सिद्ध होती है।

समूह अभिप्ररणाओं के प्रमुख लाभ हैं—समूह कमचारियों में आपसी मतभेदों और संघर्ष की सम्भावना का कम होना समूह भावना का विकास होना कमचारियों पर अत्यधिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं रहने से पर्यवेक्षण व्ययों में कमी आना कमचारियों की अनुपस्थिति में कमी आना काम पर देर से आने की उनकी प्रवृत्ति का दूर या कम होना आदि। इन सभी लाभों का एक प्रभाव यह होता है कि उपाधिन वस्तु की प्रति इकाई लागत में कमी आ जाती है जिससे उपभोक्ताओं, समुदाय और सम्पूर्ण राष्ट्र का हित सर्वद्वन्द्वन होता है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग तथा भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा प्रेरणा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सिफारिशें

राष्ट्रीय श्रम आयोग और प्रेरणा व्यवस्थाएँ

1. नियोक्ताओं और कमचारियों द्वारा निकाई स्तर पर एक सहज और सरल प्रेरणा व्यवस्था की जाए। यह व्यवस्था स्वीकृत आधारे पर सामूहिक सीदेबाजी का माध्यम से तयार की जाए।

2. समूहों पर प्रत्यक्ष अत्यक्ष रूप से लागू होने वाली व्यक्तिगत एवं समूह दोनों प्रेरणाओं को विकसित किया जाए।

3. जो भी प्रेरणा व्यवस्था कायम की जाए उसको नियोक्ताओं एवं कमचारियों द्वारा स्वीकृत प्रमाणा या आधारे पर किया जाए।

4. कोई भी प्रेरणा व्यवस्था हो उसका विकास कमचारियों के सहयोग से किए गए कार्य अध्ययन के आधारे पर किया जाए।

5. कमचारियों को प्रेरणा योजनाओं से जो आय हो उसमें अधिक उपाधचन होने चाहिए।

6. वित्तीय प्रेरणा ही काफी नहीं है उनके साथ अवित्तीय प्रेरणा भी कमचारियों और श्रमिकों को दी जानी चाहिए ताकि उत्पादन तथा कार्य का प्रति वे अधिक सक्रिय बनें। अवित्तीय प्रेरणाओं में सेवा सुरक्षा कार्य सन्तुष्टि कार्य स्तर आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

स्पष्ट है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने ठीक उद्योगों में ही नहीं बरन् सभी

प्रकार क उद्योग म उत्पादकता-वृद्धि क लिए प्रभावी प्ररणा व्यवस्था क निर्माण पर जार दिया है ।

भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की सिफारिशें

7 जून 1952 म भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् न जमनी समुक्तगण्य अभिनिका तथा आपन क उद्योग म प्रचलित उत्प्रेरणाम्रा अथवा अभिप्रेरणाम्रा क सम्बन्ध म एक रिपोर्ट प्रस्तुत की था जिसम भारत क निष्ठा तथा लाव धना म उत्प्रेरण सुगतान स सम्बन्धित अनन्त सिफारिशें भी की थी । इन सिफारिशो का डा क आर पी सिंह न निम्नन्तु प्रस्तुत किया है—

(क) औद्योगिक अभियन्तणा (Industrial Engineering) म शोधनिक स्तर ऊचा किया जाना चाहिए । सभी अभियन्तणा महाविद्यालय म विशिष्ट पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए । कुछ अभियन्तणा को औद्योगिक अभियन्तणा म ऊची शिक्षा प्राप्त करने का आसान मितना चाहिए ताकि औद्योगिक अभियन्तणा का सरया म पर्याप्त वृद्धि की जा सक ।

(ख) प्रबन्ध परामशदाताम्रा (Management Consultants) को फर्मों म प्रामाह्न मितना चाहिए । परामशदाता बस छाटा फर्मों को परामश दे सकेंगे जो रूय औद्योगिक अभियन्तणो की नियुक्ति नहीं कर सकत ।

(ग) कलकत्ता बम्बई मद्रास अहमदाबाद बंगलौर आदि प्रमुख औद्योगिक केन्द्रा म जहाँ तीव्र ही अनक कारखाना म श्रमिकों क लिए उत्प्रेरण आधारित मजदूरी की व्यवस्था की जाणदी श्रमिका को पद्धति अध्ययन (Method Study) काय माप (Work Measurement) तथा पद मूयाकन (Job Evaluation) आदि की शिक्षा प्रदान करने क लिए विशिष्ट तकनीकी सस्थाए संचालित की जा ी चाहिए ।

(घ) जमना करपर (REFA) जमा सगन्त स्थापित करने की सम्भावनाम्रा पर विचार विमोचन क लिए उद्योग श्रम तथा सरकारी हिता का प्रतिनिधित्व करन वाली एक त्रिपक्षीय समिति (Tripartite Committee) का गन्त किया जाना चाहिए । इस प्रकार क सगठन क द्वारा उपयुक्त उत्प्रेरण योजनाम्रा का बाधनीयता क सम्बन्ध म श्रमिका क मस्तित्फा म उत्पन्न होन वाल मन्हा को दूर किया जा सकगा आर श्रमिक यह सोचेंगे कि उद्योगपतिया त्तरा उतका शोषण न हाकर उनक हिता की पर्याप्त रक्षा की जा रही है ।

(ङ) अच्छ औद्योगिक सम्बन्धा के निर्माण की आर भारत क उद्योगपतिया का विशेष ध्यान देना चाहिए । श्रमिका का विश्वास प्राप्त करने क

निए तथा उत्प्रेरणा-आधारित मजदूरी की समस्याओं के सम्बन्ध में
वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किए
जाने चाहिए।

अभिप्रेरणा का महत्त्व (Importance of Motivation)

किसी भी औद्योगिक एवं प्रशासनिक या अन्य प्रतिष्ठानों की सफलता में
अभिप्रेरणा व्यवस्था का अत्यधिक महत्त्व होता है। उत्पादन के विभिन्न माव्यों में
काम करने मनुष्य ही है। सजीव और सक्रिय सामान है जो वह निष्क्रिय साधनों को कार्य
प्रदान करता है। मनुष्य मशीन नहीं है जिससे काम दवाते ही काम के लिया जाए।
प्रतिष्ठान में काम करने वाले कमचारियों और श्रमिकों का अपनी मायताएँ,
विचारधाराएँ, इच्छाएँ और आकांक्षाएँ होती हैं। उनमें शक्ति के प्रति सही उत्प्रेर
करके विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करनी ही उनसे काम लिया जा सकता है।
दवावकारी उपाय या बाध्यनाएँ अधिक समय नष्ट होनी। अतिलान्तर में इनसे
प्रतिष्ठा का स्वरूप अक्षतोप और बिल्कुल फलता है। कार्यात्मक प्रवृत्तियों से प्रेरित
तक उपक्रम के कमचारियों से व्यवहार करता है और दूसरे लोगों के प्रयासों से
अपने कार्यों को निष्पादित करता है तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इस
दृष्टि से कमचारी अभिप्रेरणा और प्रेरणादायी को अपना नहीं की जा सकती है।
व्यक्तियों से सही रूप में काम कराना इस बात पर निर्भर है कि वे मानसिक दृष्टि
में काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अमेरिकी जनरल फूड कारपोरेशन के
भूतपूर्व अध्यक्ष विलियम ग्राहम के अनुसार आप किसी व्यक्ति को समय बर्बाद कर
सकते हैं किसी विशेष स्थान पर उसकी शारीरिक उपस्थिति का खरीद सकते हैं
किन्तु किसी व्यक्ति के उस साहस को उमकी पान शक्ति को प्रयत्न उमकी वफादारी
को नष्ट कर सकते हैं। कमचारियों से अधिकाधिक काम करने के लिए उन्हें नियमित
रूप से प्रेरित करते रहना आवश्यक है और सभी प्रकार की प्रेरणा है।

अभिप्रेरणा प्रक्रिया (Motivation Process)

अब इस बात पर विचार करना उपयुक्त होगा कि प्रबंधक अपने कमचारियों
को अभिप्रेरित करने के लिए किस प्रकार कदम उठाता है। अभिप्रेरणा-प्रक्रिया के
दो मुख्य भाग हैं—

- (क) क्या किया जाना है एवं
- (ख) ऐसा क्यों तथा किस प्रकार किया जाना चाहिए।

प्रथम भाग में अभिप्रेरणा के प्रथम और द्वितीय भाग का सम्बन्ध
नियम प्राप्त है। ये दोनों ही काम साथ-साथ उठाए जाते हैं। तथापि अध्ययन की
सुविधा की दृष्टि से हम इनको पृथक् पृथक् रूप में देखेंगे। पहले हम (क) अभिप्रेरणा
के प्रथम भाग और प्रेरणा के अभिप्रेरणा सम्बन्धी नियमों का उद्घाटन करेंगे।

(क) अभिप्रेरण के कदम

(Steps of Motivation)

अभिप्रेरण के मुख्य कदम इस प्रकार हैं—

1 अभिप्रेरण आवश्यकताओं (Motivational Needs) का निर्धारण—
अभिप्रेरण प्रक्रिया के इस प्रथम कदम में यह देखा जाता है कि कौन से कर्मचारियों को अभिप्रेरण की कितनी आवश्यकता है। यह देखना जरूरी इसलिए है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार के अभिप्रेरण की भिन्न भिन्न मात्रा में आवश्यकता होती है। कार्य-व्यक्ति अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहता है तो कार्य-सामान्य स्तर की शिक्षा का ही काफी समझना है। कोई व्यक्ति अपने काम की श्रद्धा का महत्त्व देता है तो कोई व्यक्ति काय की मात्रा को। यदि मनुष्य को दृष्टि से देखें तो कर्मचारियों के समूह में भिन्न भिन्न प्रकार की अभिप्रेरणों का भिन्न भिन्न महत्त्व देता है। उदाहरणार्थ बरखाना कर्मचारी कार्यालय कर्मचारी कारीगर समूह अनुसंधान अधिकारी पथवे एक अधीनस्थ कर्मचारी आदि का अभिप्रेरण आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। प्रबंधक को चाहिए कि वह प्रक्रिया या व्यक्ति समूहों का ध्यान रखते हुए अभिप्रेरण आवश्यकताओं को निर्धारित करे।

2 अभिप्रेरण उपकरण (Motivational Tools) को निर्धारित करना—
अभिप्रेरण प्रक्रिया के इस दूसरे कदम में प्रबंधक को अभिप्रेरण के विभिन्न उपकरणों का चुनाव और प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधक के पास विभिन्न विधियों की सूची पहले से ही तैयार हो। प्रबंधक को चाहिए कि वह इस सूची को तैयार करने में अपने तथा अन्य व्यक्तियों के अनुभव का प्रयोग करे और अपने साधियों से यह जानकारी मांगे कि किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए कौन-कौन से साधन अभिप्रेरण के लिए प्रभावी सिद्ध होंगे।

3 अभिप्रेरण योजनाएं (Motivation Plans) का चुनाव एवं प्रयोग—
अभिप्रेरण योजना को लागू करने के लिए सबसे पहले उपयुक्त योजना का चुनाव करना होता है और तत्पश्चात् उसको लागू करने की विधि, समय एवं स्थान का निश्चय किया जाता है। उदाहरणार्थ किसी कारीगर को उसकी कारीगरी के लिए सम्मान देना में यह विचार करना होगा कि सम्मानार्थ कौन-कौन से उपयुक्त क्रियाएं जाएं सम्मान देते समय किस प्रकार के हाव-भाव प्रदर्शित किए जाएं आदि। यह भी ध्यान रखना होगा कि अभिप्रेरण का प्रयोग कब और कहाँ किया जाए। कुछ कर्मचारी अपने कार्यों के लिए मानविक रूप में सम्मान प्राप्त करने के अभाव में हात धरे और कुछ ऐसा नहीं चाहते। यही निश्चय करना जाता है कि एक कर्मचारी को श्रद्धा काय सम्पन्न करने के कितने समय बाद सम्मान दिया जाए। यदि विचार किया गया तो उसे अभिप्रेरण की प्रभावशीलता समाप्त हो सकती है।

अभिप्ररण योजनाओं के लागू करने में समय तत्व (Time Element) की ओर ध्यान देना जरूरी है।

4 प्रभाव का अध्ययन (The Follow up)—अभिप्ररण का अंतिम काम प्रभाव का अध्ययन करना है अर्थात् यह जानकारी हासिल करना कि कामवादी प्रतिष्ठित हुए अथवा नहीं और यदि नहीं तो अभिप्ररण की किस अथ युक्ति का प्रयोग किया जाए। प्रभाव अध्ययन में यह भी शामिल है कि भविष्यक सन्दर्भ में अभिप्ररणक युक्तियों का मूल्यांकन किया गया।

(ख) अभिप्ररण के नियम

(Rules of Motivation)

अभिप्ररण के उपयुक्त बदला को उठाते समय प्रबंध को कुछ मूलभूत नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। यह हम पर लंबा बता चुक है कि अभिप्ररण के कदम और उन बदला से सम्बंधित नियम—ये दोनों ही साथ साथ उठाए जाते हैं अर्थात् दोनों में चाली दामन का साथ है। अभिप्ररण के कुछ प्रमुख नियम ये हैं—

(1) आत्महित तथा अभिप्ररण (Self interest & Motivation)—

यक्ति स्वायत्त ही बुद्ध करता है और अभिप्ररण योजना उसी स्वायत्त या स्वहित पर आधारित होती है। तथापि यह स्वायत्त विवेकपूर्ण होना चाहिए अर्थात् संस्था के कामचारियों को यह अनुभव करना चाहिए कि अन्य कामचारियों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता देते हुए उसके स्वयं के लक्ष्य की पूर्ति हो रही है। यदि एक कामचारी तरक्की के लिए उमक है तो वह या तो दूसरे कामचारियों की उन्नति को आघात पहुंचा कर या दूसरे कामचारियों को अपने साथ लेकर तरक्की कर सकता है। दोनों ही तरीकों में उसका निजी स्वायत्त विवेक है लेकिन दूसरा तरीका बुद्धिमत्तापूर्ण है क्योंकि इससे उसकी एक प्रभावशाली टीम होती है। इस प्रकार अभिप्ररण का पहला नियम है कि अभिप्ररण में निहित स्वायत्त बुद्धिमत्तापूर्ण हो।

(2) पहुंच योग्यता (Attainability)—अभिप्ररण द्वारा निर्धारित लक्ष्य पहुंच योग्य (Attainable) अर्थात् प्राप्त करने योग्य होना चाहिए तभी उन सम्बंध अटके रह सकेंगे।

(3) विभिन्न पुरस्कार (Different Rewards)—अभिप्ररण का तीसरा मूल नियम यह है कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पुरस्कारों की ओर इसी प्रकार एक ही व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पुरस्कारों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे पुरस्कार व्यवस्था लाभशील और सजीव बनी रहेगी उसमें एक आकर्षण रहेगा। यदि पुरस्कार की एकसी व्यवस्था रखी गई तो वह कुछ समय बाद आकर्षणहीन और प्रभावहीन हो जाएगी।

(4) मानवीय तत्व (Human Element) पर विचार—अभिप्ररण के इस आधारभूत नियम की मांग है कि मानवीय तत्व का अभिप्ररण योजना में उचित

महत्त्व दिया जाना चाहिए। यदि कमचारी की भावनाओं का चोट पहुंचाई गई या उसकी व्यक्तिगतता का अपमान दिया गया तो अभिप्रेरण की कोई भी योजना सफल नहीं हो पाएगी और कमचारी अपना कार्य विपरीत तथा अनिच्छित ढंग में करने लगेगा।

(5) व्यक्ति समूह सम्बन्ध (Individuals Group Relationship)—अभिप्रेरण योजना में व्यक्ति और समूह दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि समूह का भी व्यक्तियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई भी अभिप्रेरण योजना बनाते और लागू करते समय प्रबंध को यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि उस योजना के सम्बन्ध में समूह का क्या मत है। ऐसी कोई भी अभिप्रेरण मजदूरी योजना सफल नहीं हो सकती जिसका समूह द्वारा विरोध किया जा रहा हो।

अभिप्रेरण योजना शुरू करने की वाञ्छनीय शर्तें (Essentials for Implementing Motivation Plans)

अभिप्रेरण किसी भी औद्योगिक संस्थान के लिए सफल प्रस्थायी आधार बनाने के लिए आवश्यक है यदि एक स्थायी नीति को लागू करता है। भारत में निजी क्षेत्र में अभिप्रेरण योजनाओं को बहुत कम स्थान दिया गया है तथापि लोक उद्योगों में कमचारियों और प्रमियों के लिए प्रेरणात्मक योजनाएँ किसी न किसी रूप में लागू की गई हैं। तथापि लोक उद्योगों में भी उद्योगों में लागू नहीं जा सकते। अभिप्रेरण योजना या अभिप्रेरण प्रणाली सुदृढ़ होने पर ही औद्योगिक सम्बन्ध मधुर बन सकता है। अभिप्रेरण या उत्प्रेरण योजनाएँ शुरू करने से पूर्व कुछ प्रावणिक परिस्थितियों का निर्माण करना या सुदृढ़ करना पहले से ही इनका विद्यमान रहना आवश्यक है अथवा योजनाएँ सफल नहीं हो सकती। मुख्य परिस्थितियों को इस प्रकार सिद्ध करने प्रकार निम्नलिखित हैं—

(1) अभिप्रेरण या उत्प्रेरण योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले कार्य इस प्रकार के होने चाहिए कि उनकी माप मूली मूली की जा सके। कार्य माप के आधुनिक तरीकों द्वारा औद्योगिक कार्यों के 95 प्रतिशत कार्यों का माप कर लिया जाता है। बसो जियाएँ जिनमें कार्य का माप व्यक्तिगत रूप में या समूह रूप में सम्भव नहीं है या जहाँ कार्यों पर कमचारियों का नियंत्रण अत्यंत या बराबर होता है उन कार्यों का उत्प्रेरण योजना में सम्मिलित नहीं किया जाता। किसी भी अवस्था में कार्य मानक (Rough Standards) का उपयोग करना आवश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए।

(2) योजना की सफलता की दूसरी शर्त ऐसी वैज्ञानिक मजदूरी संरचना (Scientific Wage Structure) की उपस्थिति है जो कार्य की भौतिक मानक एवं प्रक्षेपित जरूरतों तथा मुद्रा वेतन पैमाने (Money Scale) से सम्बंधित कार्य

मूल्यांकन (Job Evaluation) पर आधारित हो। यदि मजदूरी संरचना इन मूल्यों में अक्षुण्ण होगी तो योजना की शुरुआत हान पर वन अप्रणताओं में वृद्धि हो जाएगी।

(3) श्रम शक्ति (Work Force) में अत्यधिक अजन की भावना होनी चाहिए और उनमें यह विचार आना चाहिए कि ऊंची उत्पादकता के फल में पूरा श्रम तथा उपभोक्ताओं का हिस्सा मिल रहा है।

(4) अभिप्ररणा योजनाएँ ऐसी हानी चाहिए कि उनके अंतर्गत श्रमिकों का अत्यधिक अजन करने का अवसर मिले। लक्ष्यों के सभी स्तर (Slabs of the Targets) अतः ऊँचे निर्धारित नहीं किए जान चाहिए कि प्रारम्भ में श्रमिकों को ऊँची आशा मिले किन्तु अंततः उन्हें निराशा ही मिलेगी। यदि विभिन्न विभागों की क्रियाएँ आपस में अत्यधिक अजन हो तो बोनस का आधार या अन्तिम उत्पादन (End Product) होना चाहिए या बोनस प्रदान करते समय प्रकृतिक इकाई की अत्यधिकता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(5) बोनस प्रदान करने के समय का निर्धारण Adoption of Time Values) सामान्य अवस्था के कार्य की औसत गति पर आधारित होना चाहिए और इसका अंतर्गत अत्यधिक व्यक्तिकृत जहुरतो तथा दूसरी बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। अप्ररणा योजनाओं के फलस्वरूप उत्पादन की विधम में गिरावट हो नहीं आनी चाहिए। उत्पादन की विधम पर ध्यान देने के लिए या तो कार्य गुणात्मक समीची (Equality Criterion) अपनाई जानी चाहिए या सिर्फ अत्यधिक विधम के उत्पादन पर ही अप्ररणा या अभिप्ररणा योजना की शुरुआत के पूर्व पद्धति अध्ययन (Method Study) आवश्यक है।

(6) श्रमिकों के सम्पूर्ण पारिश्रमिक में अभिप्ररणा सुगतान का भाग बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही उनकी न्यूनतम आय की भी प्रत्याभूति होनी चाहिए। सामान्यतया सामान्य आय का 50 प्रतिशत से अधिक अप्ररणा पारिश्रमिक नहीं मिलना चाहिए। योजना के मौद्रिक भाग तथा कार्य सम्पादन का अत्यधिक अजन प्रकृतिक हाना चाहिए कि इससे उत्पादन की औसत लागतों (Unit Costs) में वृद्धि होने के अजायबमी हो। पर कुछ दशाओं में विशेषकर अत्यधिक प्रारम्भिक मजदूरी संरचना का आधार उद्योग विशेष की प्रतियोगी इकाईयों में श्रमिकों की कुल आय होनी है वही अभिप्ररणा योजना लागू होने पर इकाई विशेष में भी पारिश्रमिक स्तर काफी ऊँचा हो जाता है। पर अंततः यह है कि निम्न मजदूरी (Fall back wage) का निर्धारण प्रचलित मूल्य से निम्न स्तर पर किया गया हो और अप्ररणा योजना के अंतर्गत सामान्य कुल आय का स्तर ऊँचा रखा गया हो।

(7) सभी अभिप्ररणा योजनाएँ किसी खास कार्य प्रक्रिया (Work

Process) से सम्बन्धित होता है और यदि यह उच्च मूल उत्पादन रीति तथा उत्पादित वस्तुओं में किसी प्रकार के परिवर्तन हुए तो योजना में भी परिवर्तन जाना आवश्यक होगा। इस उत्पादन की श्रमिकों तथा प्रबंधकों का सहयोग चाहिए तथा इसे विभिन्न रूप में व्यक्त होना चाहिए यदि किसी श्रमिक संघदा श्रमिका को विशेष धन का कारण उत्पादन में उन्नति हानी तथा उनके लिए श्रमिका को पृथक् पारिश्रमिक दिवना चाहिए और एक प्रकार के पारिश्रमिक क काय के पुनर्मापन के द्वारा समय समय पर परिवर्तन भी करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मॉटिव उद्देग या अभिप्रेरणा योजना के साथ-साथ गति के लिए एक सुझाव धारणा (Suggestion & home) को सुरक्षात भी करनी चाहिए।

(8) श्रमिका की योजना को पूरा जानकारी होनी चाहिए और उनमें यह विचार व्याप्त होना चाहिए कि उनके अतिरिक्त प्रयत्न पर उन्हे अतिरिक्त मॉटिव पारिश्रमिक दिया जायेगा व आचार पर प्रयत्न होगा। इसका अर्थ यह आवश्यक है कि योजना स्पष्ट एवं आसान हो।

(9) श्रमिक योजना को दखना की अवधि भी यथानुभव छोटी होनी चाहिए। साधारण अवस्था में एक अवधि एक माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अवधि लम्बी होना पर प्रयत्न एवं पारिश्रमिक क प्रयत्न सम्बन्ध का श्रमिक भूत जात है।

(10) विभिन्न प्रकार के कार्यों की माप रीति विभिन्न प्रकार की श्रमिकी अपनाई जानी चाहिए।

(11) भारतीय पृष्ठभूमि में यह भी आवश्यक है कि श्रमिकों की योजना न हो। अनौपचारिक योजना ऐसे समय में और एक प्रकार कागू की जा। कि उन्ही की सहभागिता न रहे।

य आवश्यक परिस्थितियाँ जना कि डा सिंह का अभिप्रेरणा के वर्तमान समय में भारतीय लोक-शासन में उपलब्ध नहीं हैं अथवा बहुत हैं।

अभिप्रेरणा के सिद्धांत (Theories of Motivation)

अथवा

अभिप्रेरणा सम्बन्धी विचारधाराएँ (Concepts of Motivation)

विभिन्न प्रबंधशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों अथवा विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है। हम इन सिद्धांतों का विवेचन क्रमशः निम्न प्रकार से करेंगे—

1. आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत (Need of Hierarchy Theory) जिसका प्रतिपादन मस्लो (Maslow) ने किया है।

2 अ भ्ररण प्रारोग्य सिद्धांत (Hygiene Theory of Motivation) जिसका प्रतिपादन हजबग (Herzberg) द्वारा किया गया है।

3 अभिप्ररण तथा एक्स एच वाई का सिद्धांत (Motivation and X and Y Theory) जिसका प्रतिपादन मकग्रेगर (McGregor) ने किया है।

4 अ य मुख्य सिद्धांत—

- (i) अभिप्ररण का एकारमक सिद्धांत (Monistic Theory)
- (ii) अभिप्ररण का बहुनवादी सिद्धांत (Pluralistic Theory)
- (iii) सहभागिता सिद्धांत (Participation Theory)
- (iv) कर्मचारी केन्द्रित पयवेषण सिद्धांत (Employee Centred Supervision Theory)
- (v) पथ न य सिद्धांत (Path goal Theory)
- (vi) भय एव दण्ड का सिद्धांत (Fear and Punishment Theory)
- (vii) पुरस्कार सिद्धांत (Reward Theory)
- (viii) करट तथा स्टिक सिद्धांत (Carrot and Stick Theory)
- (ix) व्यक्तिगत एव सगठनात्मक आवश्यकता सिद्धांत (Individual and Organisation Need Theory)

1 आवश्यकताओं की क्रमवद्धता का सिद्धांत (Need of Hierarchy Theory of Motivation)

अथवा

अभिप्ररण का मस्लो का सिद्धांत (Maslow's Theory of Motivation)

विद्यमान मनोवैज्ञानिक प्रा ए एच मस्लो (A H Maslow) ने अपनी पुस्तक Motivation and Personality में अभिप्ररण के सिद्धांत की आवश्यकताओं की क्रमवद्धता का आधार पर विकसित किया है। मस्लो की भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति हर समय अभिप्ररण की अवस्था में रहता है किंतु अभिप्ररण की मात्रा भिन्न होती है। व्यक्ति पूरात सतुष्ट भी नहीं होता। या ही उसकी एक आवश्यकता सतुष्ट हो जाता है दूसरी आवश्यकता जाग्रत हो जाती है अर्थात् आवश्यकताओं की क्रमवद्धता चरती रहती है। एक व्यक्ति में काय के प्रति रुचि तथा शक्ति उत्पन्न करने के लिए उसको एक के बाद दूसरी आवश्यकताओं की क्रमवद्धता में सतुष्ट करना होता है। मस्लो ने प्राथमिकता (Priority) के आधार पर आवश्यकताओं को पाँच वर्गों या श्रेणियों में बाँटा है—

1 शारीरिक मूलभूत आवश्यकताएँ (Physiological Needs)—भोजन शरण स्थल आदि।

- 2 सुरक्षात्मक आवश्यकताएँ (Safety Needs)—भय ताडना आदि के विरुद्ध सुरक्षा ।
- 3 सामाजिक आवश्यकताएँ (Social Needs)—प्रम सहयोग मनी आदि ।
- 4 सम्मान एवं स्वाभिमान की आवश्यकताएँ (Egoistic Needs)—सम्मान सामाजिक स्तर आदि ।
- 5 आत्म विकास तथा प्रात्म परिपूर्तिन सम्बन्धी आवश्यकताएँ (Self Actualization Needs) ।

मस्ती के अनुसार शारीरिक आवश्यकताएँ प्राथमिकता क्रम में पहल होती हैं । इन आवश्यकताओं की सतुष्टि हो जान के उपरांत सुरक्षात्मक आवश्यकताएँ प्राथमिक स्थान ग्रहण कर लेती हैं । यह क्रम अत तक चलता रहता है और मनी क्रम के अनुसार मानव काय प्र रण भी विभिन्न आवश्यकताओं और क्रियाओं की आर काय करती रहती है ।

1 शारीरिक मूलभूत आवश्यकताएँ (Physiological Needs)—मस्ती के अनुसार आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सबसे पहला स्तर शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं अथवा जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताओं का है । इसमें जल भोजन वायु आवागम तथा यौन सम्पर्क प्रमुख हैं । ये आवश्यकताएँ प्रकृति की काय करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित करती हैं और प्रथम स्तर की हैं । इन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति एकत्रम इस तुष्ट रहता है उस अपना जीवन यापन करना भी कठिन हो जाता है और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है । इन प्रथम स्तर की आवश्यकताओं की सतुष्टि होने पर ही अन्य आवश्यकताएँ जन्म लनी हैं । प्रथम स्तर की इन आवश्यकताओं की अनुभूति व्यक्ति को बारम्बार होती है ।

2 सुरक्षात्मक आवश्यकताएँ (Safety Needs)—प्रथम स्तर की अर्थात् शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं की सतुष्टि हो जान के उपरान्त व्यक्ति सुरक्षा स्थायित्व और निश्चिन्तता की आवश्यकताओं (Safety Stability and Security Needs) की सतुष्टि करने का प्रयत्न करता है । यदि प्रथम स्तर की आवश्यकताओं की ओर स व्यक्ति को पूर्ण या पर्याप्त सतुष्टि है तो ये द्वितीय स्तर की आवश्यकताएँ सर्वोच्य स्थान प्राप्त कर लेनी हैं । व्यक्ति अपने राजगार की सुरक्षा चाहता है और उसमें स्थायित्व तथा निश्चितता पान का प्रयत्न करता है । यदि किसी कमचारी की नियुक्ति अस्थायी है तो उसका मन म सदव यह भय व्यात रहता है कि न जान कब उस अपनी नौकरी स हाथ घोना पड जाएगा अत वह अपनी नौकरा का स्थाई बनाने अथवा कोई अन्य राजगार प्राप्त कर उसमें सुरक्षा स्थायित्व निश्चितता पाने को बराबर प्रयत्नशील रहता है ।

3 सामाजिक आवश्यकताएँ (Social Needs)—मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए उस अनेक सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना आवश्यक है। प्रथम पंचम एवम द्वितीय स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर उस पूरा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई तो उसके लिए समाज में रहना सम्भव नहीं हो पाता। उमक मन में यह आकांक्षा होती रहती है कि कहीं उसका सामाजिक बहिष्कार न हो जाए। प्रथम दाना स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि होने पर सामाजिक आवश्यकताएँ सर्वोच्च हो जाती हैं और मनुष्य सहयोग प्रेम मित्रता आदि के लिए लायायित रहता है।

4 सम्मान तथा स्वाभिमान की आवश्यकताएँ (Egoistic Needs)—सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। आवश्यकताओं की क्रमबद्धता में इनका चौथा स्थान है। व्यक्ति चाहता है कि उस समाज में प्रतिष्ठा मिले जिस संस्था में वह काम कर रहा है उमम सम्मान और मायता मिल उमक यह भी शक्ति से आती। प्रत्येक व्यक्ति न आवश्यकताओं की अधिकाधिक संतुष्टि चाहता है किंतु सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रायः नहीं हो पाती। कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है और कुछ की जीवन पयत भी नहीं हो पाती। एक कमचारी जितने अधिक ऊँचे पद पर होगा उसकी सम्मान और स्वाभिमान की आवश्यकताएँ भी उतनी ही अधिक तथा ऊँचे स्तर की होंगी और यह सम्भव नहीं है कि निम्न स्तर के सभी कमचारी उच्च पद पर पहुँच जाए। प्रत्येक कमचारी को न तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर ही मिल पाता है और न ही इसकी संतुष्टि को वे अधिक महत्त्व देते हैं। कुछ व्यक्ति तो इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के प्रति प्रायः उदासीन रहते हैं।

5 आत्म विकास तथा आत्म परिपूर्ति सम्बन्धी आवश्यकताएँ (Self Actualization Needs)—मनुष्य के अनुसार आवश्यकताओं की क्रमबद्धता में अंतिम स्थान आत्म विकास की आवश्यकताओं का है अर्थात् इन आवश्यकताओं की संतुष्टि पर व्यक्ति सबसे अंतिम ध्यान देता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जा कुछ उसमें बनने की योग्यता है वह उसका योग्य बन जाए—अर्थात् आत्म विरवास की योग्यता की पूर्ति का वह आकांक्षी होता है। लेकिन इस प्रकार की आवश्यकताओं का पूर्ति की दिशा में मनुष्य आगे प्रवृत्त होता है पर उन्हे पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाता। एक संगीतकार को संगीत रचना करनी चाहिए लेकिन इसमें वह कहीं तक आगे बढ़ सकता है इस निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के अनुसार एक संगीतकार को संगीत रचना करनी चाहिए एक कलाकार का रंग करना चाहिए एक कवि का लिखना चाहिए यदि वह अंततोगत्वा प्रमत्त हाना चाहता है। एक व्यक्ति भी हो सकता है उसे वह होना चाहिए। इन आवश्यकताओं को हम आत्म विकास कह सकते हैं।

मस्त्रो क अनुसार विभिन्न स्तर क व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं म प्ररणा प्राप्त करत है । नस सम्ब ध म मामोरिया एव दशोरा ने लिखा है कि—

—सका यह भी अथ त्रिया जा सकता है कि एक आवश्यकता सतुष्ट हा जाने के उपरांत प्ररक नही रह जानी । मस्त्रो को यह भी अनुभव हा कि कई वार इम प्राथमिकता त्रम के उपवात् भा देखने को मिलते हैं । व्यक्ति अपनी अ य आवश्यकताप्रा की सतुष्टि नया करत हुए भा स्वाभिमान और आत्म विकास की सतुष्टि करन म लग जात है । वास्तव म देखा जाए तो समाज म प्रक्ति प्रत्येक स्तर पर आशिक रूप स सतुष्ट और आशिक रूप से अस तुष्ट पाए जात हैं तथा वे शारीरिक सुरक्षात्मक सामाजिक तथा स्वाभिमान की आवश्यकताप्रा क लिए एक साथ प्रयत्न शोन रहत हैं । अत यह कहा ना सकता है कि मस्त्रो का आवश्यकता प्राथमिकता त्रम बवल सामा्य व्यवहार की जानकारी देने म समध है ।

अद्ध विकसित या विकासशील अथ व्यवस्थाप्रा म आवश्यकताप्रा की त्रमवद्धता त्रमश शारीरिक सुरक्षात्मक सामाजिक स्वाभिमान और आत्म विकास की होती है जबकि विकसित अथ व्यवस्थाप्रा म शारीरिक सुरक्षात्मक सामाजिक और स्वाभिमान सम्ब धी आवश्यकताप्रा को अधिक प्ररक नही माना जाता क्योंकि ये आवश्यकताप्रा ती बहा त्रगभग सभी का सुनभ होनी हैं । त्रिस्तित देशा क योगा की अधिकांश त्रियाण आत्म विकास की और अग्रसर होती हैं । त्रनी स्वाभिमान तथा सामाजिक आवश्यकताप्रा को नम मन्व दिया जाता है । जो विकासशील देश स्वय स्फूर्ति स्थिति (Take off stage) पर पहुंच गण हैं उह शारीरिक और सुरक्षात्मक सुविधाए तो प्राय सुनभ होती हैं किंतु स्वाभिमान तथा आत्म विकास पर वे अधिक केन्द्रित नहीं हो पान अर्थात् ऐसी अथ व्यवस्थाप्रा म प्राय सामाजिक आवश्यकता सर्वोच होती है ।

आवश्यकता त्रम क मुख्य तत्त्व

मस्त्रो क अनुसार आवश्यकता त्रम विभिन्न तत्त्वा पर आधारित हैं । हा मामोरिया एव दशोरा ने कुछ मुख्य तत्त्वा जो नस प्रकार गिनाया है—

- 1 उच्च आवश्यकताए वान का प्रगतिपूलक विकास हैं ।
- 2 आवश्यकता का स्तर त्रितना ऊचा होगा उतना हा जीवन रक्षा की दृष्टि स कम प्रभावा हागा । अधिकतम ऊची आवश्यकता का त्रिविध्य क लिए टाना जा सकता है या पूरण समाप्त भी किया जा सकता है ।
- 3 उच्च आवश्यकता स्तर पर जीवन यापन करन का अथ अधिक जविक क्षमता दीघ आयु रोगा मे मुक्ति सुख की त्रिद सोना या अच्छा खाता आति स है ।
- 4 उची आवश्यकताप्रा मानसिक रूप से कम तीव्र होती है ।
- 5 उच्च आवश्यकताप्रा की पूर्ति स स तोय की माना म वृद्धि हाती है तथा आंतरिक मनोभावनाए अधिक सतुष्ट होती ह ।

6 सामान्य विचारा को परिपक्वता प्राप्त होती है।

7 उच्च आवश्यकताओं के लिए बाह्य वातावरण तथा दशाएँ (जैसे प्राथमिक शैक्षणिक आदि) अधिक अच्छी होनी चाहिए।

8 उच्च आवश्यकताओं की सतृप्ति निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की अपेक्षा व्यक्तिका आत्म प्रयत्न करने में अधिक सहायक होती है।

मैस्लो का अभिमत है कि ये विभिन्न स्तर कई बार एक-दूसरे पर निर्भर और साथ-साथ हो सकते हैं।

मैस्लो के सिद्धान्त का सूचकांक

मैस्लो का सिद्धान्त आशावादी दृष्टिकोण पर आधारित है और इस बात पर बल देता है कि विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर सतृप्ति करने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसी भी संस्था में सगठन या उपक्रम में औद्योगिक शांति बनाए रखने में कमचारियों को उपक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में अधिक-अधिक सक्रिय बनाने आदि के लिए यह आवश्यक है कि उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का सतृप्ति के प्रयत्न किए जाएं। मैस्लो का सिद्धान्त उपयोगी है तथापि इनके दृष्टियों में इसकी आलोचना विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने और अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा की गई है। आलोचकों में बर्निस, किंग, प्रागिरीस, पाटर, सलेस आदि मुख्य हैं। आलोचकों का कहना है कि—

1 आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धान्त वास्तविक घरातल पर खरा नहीं उतर सकता। यह आशावादी और सद्भावितक अधिक है व्यावहारिक कम।

2 आवश्यकताओं का जो वर्गीकरण किया गया है वह प्रत्येक क्षेत्र में उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

3 यह आवश्यक नहीं है कि निम्न स्तर की आवश्यकताएँ पूरी होने पर ही उच्च स्तर की आवश्यकताएँ अभिप्रेरण दे सकेंगी।

4 आवश्यकताओं को मूल्य देश, काल तथा परिस्थितियाँ के अनुसार परिवर्तनीय है। जो आवश्यकताएँ एक देश में या एक क्षेत्र में प्राथमिक हो सकती हैं वे ही दूसरे देश या क्षेत्र में गौण हो सकती हैं।

5 अतः व्यक्ति इतना अधिक दूरदर्शी नहीं होता कि वह अपनी भावी आवश्यकताओं का पक्ष से ही अनुमान लगाकर प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर ले।

6 आवश्यकताओं के स्तर विभिन्न ऐसे घटकों से प्रभावित होते हैं जिन पर मैस्लो ने ध्यान नहीं दिया है। उदाहरणार्थ पत्रक प्रभाव एक ऐसा आधारभूत प्रभाव जो व्यक्ति की आवश्यकताओं के स्तर को प्रभावित करता है। एक उच्च अधिकारी का पुत्र एक साधारण क्लर्क के पद को अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल प्रायः नहीं मानेगा। इसी प्रकार व्यक्ति की आय से भी उसकी आवश्यकताओं के स्तर

प्रभावित हान। जिनकी प्रायः हाण आवश्यकताप्रा वा स्तर भी उतना ही परिफ ऊ वा हाण।

उपयुक्त आलोचनाएँ मस्या क सिद्धांत की उपयोगिता को समाप्त नप करता। मस्या ने विभिन्न आवश्यकताप्रा क पूति को प्रोर ध्यान आवपित किया है और अभिप्रेरण विधान को उन्नत बनाया है।

2 अभिप्रेरण आरोग्य सिद्धांत

(Hygiene Theory of Motivation)

अथवा

अभिप्रेरण का हजबग का सिद्धांत

(Herzberg's Theory of Motivation)

हजबग न अभिप्रेरण की एक नवांग विचारधारा प्रस्तुत की है जिसे 'अभिप्रेरण आरोग्य (स्वास्थ्य) का सिद्धांत या विचारधारा' कहा जाता है। हजबग तथा उनके सहयोगियों ने 1950 में लगभग 200 अभिप्रेरणाप्रा तथा लक्षाकारा से लिए गए मानवकार में प्राप्त निष्कर्षों का आधार पर इस अभिप्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन और विकास किया। हजबग का सिद्धांत मस्या के स्व विकास दृष्टिकोण (Self Actualization Approach) तथा मकग्रगर के एक्स एव वाई सिद्धांत से काफी मिलता जुलता है। हजबग के अभिप्रेरण आरोग्य सिद्धांत का अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं के दो समूह या घटक होते हैं—(क) आरोग्य तत्व (Hygienic Factors) एवं (ख) अभिप्रेरक तत्व (Motivating Factors)। आवश्यकताप्रा क प दाना घटक एवं दूसरे से भिन्न होते हैं और मानव-व्यवहार को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करते हैं।

कर्मचारी-सन्तुष्टि के घटका या तत्वा का निधारण करने के लिए जा उपरोक्त साक्षात्कार किया गया उसमें व्यक्तियों से पूछा गया कि वे कब अपना कृत्यो (Jobs) से आनंद अनुभव करते हैं और कब बुरा। हजबग तथा उनके सहयोगियों ने अपने भाव से दो प्रमुख निष्कर्ष निकाले जा इस प्रकार हैं—

(1) जब व्यक्ति अपना काम से सन्तुष्टि प्राप्त करते हैं तो उसका प्रमुख कारण वह वातावरण होता है जिसके अन्तर्गत वे काम करते हैं। हजबग ने इस वातावरण को प्रभावित करने वाले घटका का आरोग्य सम्बन्धी तत्व (Hygienic Factors) का नाम से पुकारा है। ये तत्व आवश्यकताप्रा क प्रथम समूह में आते हैं और कर्मचारी-कृत्य का बाह्य वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये तत्व मनुष्य का सन्तुष्टि प्राप्त करने से गत है। आवश्यकताप्रा के प्रथम समूह अथवा आरोग्य तत्वा अथवा वातावरण या कृत्य का प्रभावित करने वाले बाह्य तत्वा में 'मुछ हैं—(i) पर्यवेक्षण (Supervision) (ii) काम स्थान (Working Conditions)

(iii) काय सुरता Job Security) (iv) मजदूरी (Wage) (v) स्थिति (Status) (vi) कम्पनी की नीति प्रौर प्रशासन (Company Policy and Administration) (vii) पारस्परिक व्यक्तिक सम्ब ध (Inter personal Relations) ।

(2) जब व्यक्ति काय मे सतुष्ट प्राप्त करत ह तो एसी सतुष्टि कवा काय स ही प्राप्त की जा सकती ह । हजबग न काय से सतुष्टि प्राप्त करने वाले घटका का अभिप्ररक तत्व (Motivating Factors) कहा है और इनका मानन आवश्यकताओं क दूसरे समू म सानित किया है । ये तत्व कर्मचारी को अधिक कुशलता और नगन के साथ काय करने के लिए अभिप्ररित करते ह । इन्हें हजबग न काय के आंतरिक घटक माना है । अभिप्ररक तत्वाम मुख्य ह— (i) काय स्वय (Work itself) (ii) उपार्थियाँ (Achievements) (iii) म यता अथवा काय का अनुमोदन गिनना (Recognition) (iv) उत्तरदायिक् (Responsibility) (v) उन्नति (Advancement) (vi) विक्राम की सम्भावना (Possibility of Growth) आदि ।

हजबग न अपन सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करत हुए बनाया है कि आरोग्य तत्व (Hygienic Factors) कर्मचारी म काय क प्रति असतुष्ट उपग्र लोने म रोकते हैं अर्थात् ये तत्व मनुष्य को असतुष्ट से सतुष्टि की ओर ले जाते हैं । ये तत्व कर्मचारी की कायक्षमता उपादकता या सतुष्टि म वृद्धि नहीं करत इनका काय केवल यह है कि ये कर्मचारी म असतुष्ट नही होने देते । ये काय क बाहरी वातावरण से सम्बंधित होत हैं । गनरमन (Gellerman) ने लिखा है— प्रभावी अभिप्ररण के लिए आरोग्य तत्व पूव आवश्यकताए हैं किन्तु ये अभिप्ररित करने म निबल हैं । ये मनोबन्ध क आधार तो बना सकते ह किन्तु यक्तिया द्वारा प्रभावी काय करने की इच्छा म वृद्धि नहीं कर सकते । दूसरी प्रार अभिप्ररक तत्व (Motivating Factors) व्यक्ति को अपने काय से सतुष्टि प्रदान करत ह तथा उस अधिकधिक काय करने क लिए अभिप्ररित करते हैं । ये काय क आंतरिक वातावरण से सम्बंधित होत हैं । साराश रूप म कर्मचारियों को असतुष्टि से बचाने के लिए आरोग्य सम्बधी तत्वो पर और कर्मचारियों को अभिप्ररित करने के लिए अभिप्ररक तत्वा पर ध्यान दिया जाना चाहिए । हजबग तथा उनक साथियों के अनुसार उद्योग का सम्ब ध आरोग्य तत्वा से अधिक है जिनका प्रभाव असतुष्टि को घटान पर पडता है । काय को अधिक सतुष्टि प्रदान करने के लिए अभिप्ररक तत्वो का प्रभावी उपयोग करना होगा ।

उपरोक्त सिद्धांत के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हजबग न प्ररणा (Incentive) तथा अभिप्ररण (Motivation) मे अंतर किया है । प्ररणा को बाह्य तत्व माना गया है जा एक व्यक्ति को प्रेरित करता है जबकि अभिप्ररण को आंतरिक तत्व

माना गया है जो प्रतिक्रिया नीतर रहती है। परन्तु एक ऐसी कठरी की भांति है जिस बार-बार चाज करना पटना है जबकि अभिप्ररण बहुत जल्दतर = जिसे बाहरी योग क संयोग की आवश्यकता नहीं पडती।

सिद्धान्त का मूलभूत

हजबग का सिद्धान्त महत्वपूर्ण है क्योंकि वह काय स मनुष्य और असन्धि क घटका पर प्रभाव डालता है। यह कमचारी सन्धि क त वा का निर्धारण करता है। इसके पीछे निम्न धारणा काय देतन काय-दशाएँ सुरक्षा प्रादिविभिन्न सन्धि क विरक्षण पर आधारित हैं। यह सिद्धान्त बताता है कि प्रबंधका वा प्रभावी अभिप्ररण के लिए काय की अधिक सतापप्रद बनाना होगा जा अभिप्ररण तत्वा क उपयोग से ही सम्भव है। इस सिद्धान्त की भी अनेक दृष्टियों से आलोचनाएँ की गई हैं यथा—

1 असन्धि और सन्धि प्रदान करने वाले तत्वा में स्पष्ट विभाजन सम्भव नहीं माना जा सकता।

2 यह सिद्धान्त मजदूरी तथा वजन पत्र और पारस्परिक प्रतिक्रिया सम्प्रदाय का अभिप्ररण तत्व नहीं मानता जो कि अनुचित है।

3 इस सिद्धान्त क उपयोग का क्षेत्र काफी सीमित है।

4 इस सिद्धान्त द्वारा अभिप्ररण और सन्धि का सम्बन्ध अत्यधिक सरल बना दिया गया है जबकि प्रकरण में ऐसा नहीं है।

5 यह सिद्धान्त विगत अनुभवा क विपरीत है और साथ ही विधि बद्धता क दावा से ग्रस्त है।

3 अभिप्ररण तथा 'एक्स एवं वाई' का सिद्धान्त

(Motivation and X and Y Theory)

अथवा

अभिप्रेरण का मकग्रेगर का सिद्धान्त

(Mc Gregor's Theory of Motivation)

अभिप्ररण के आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theories of Motivation) में मस्ना हजबग तथा मकग्रेगर के सिद्धान्त अग्रणी हैं। मस्ना तथा हजबग के सिद्धान्तों का उल्लेख हम कर चुके हैं। मकग्रेगर (Mc Gregor) ने प्रबंध सम्बन्धी विचारधारा को निम्नलिखित दो भागों में बाटा है—

(क) एक्स सिद्धान्त (X Theory)

(ख) वाई सिद्धान्त (Y-Theory)

एक्स सिद्धान्त जहाँ निराशावाणी दृष्टिकाल प्रस्तुत करता है वहाँ वाई सिद्धान्त आशावाणी दृष्टिकाल प्रस्तुत करता है। मकग्रेगर के एक्स (X) तथा

वाई (Y) सिद्धांत को मोटे तौर पर परम्परागत तथा आधुनिक विचारधाराएं कहा जा सकता है। एक सिद्धांत का दावा के निवारण के लिए भी मैकग्रगर ने वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

(क) एक्स-सिद्धांत (X Theory)

एक्स सिद्धांत एक परम्परागत सिद्धांत है जो यह मानकर चलता है कि व्यक्ति प्रायः कार्य करना नहीं चाहता और उनसे कार्य के लिए उन्हें डराना घमसाना लताड़ना या अन्य किसी भी प्रकार के भय प्रदान करना आवश्यक है। प्रारम्भिक काल में उद्योगपतियों का प्रमुख विचार था कि प्रमिका से पूरा काम लेने के लिए उन्हें भय या दण्ड द्वारा आतंकित किया जाना चाहिए। उसका मानना था कि भय बिन होय नहीं प्रीति। कठोर नियमन बनाना नियमों को कठोरता से अनुपालन करवाना और नियमों के उल्लंघनकर्ता का नौकरी से निकाल देना या अन्य प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप में दण्डित करना आवश्यक ममभा जाता था। भय प्रताड़ना दण्ड देना, कमचारियों में अधिक उम्र के समय तक काम लेना कठोरता का व्यवहार करना आदि विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे क्योंकि प्रमिका अधिक संगठित होने लगी और उनके शोषण को रोकने के लिए आवाज उठने लगी। अब भय और दण्ड को प्रेरणा विरोधी माना जाना लगा और पुरस्कार की विचारधारा (Reward Theory) सामने आई। टेलर (Taylor) ने यह मत व्यक्त किया कि अधिक कार्य के लिए अधिक पुरस्कार देना आवश्यक है। उचित पारितोषिक प्रमिका के लिए अभिप्रेरणा का काम करेगा और वे अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करेंगे। यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि श्रमिकों से काम लेने के दो ढंग हो सकते हैं—प्रोत्साहन अथवा दण्ड (Carrot or Stick) और इनमें जो ढंग उपयुक्त हो वही अपनाया जाना चाहिए। श्रमिकों को विश्वास में लेकर ही उनसे अधिक काम लिया जा सकता है। कठोरनिष्ठ और कुशल कमचारियों को सामान्य मजदूरी या वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार भी देकर अधिक कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है जब कि कामचोर और कर्तव्य के प्रति उदासीन श्रमिकों को वेतन कटौती, दण्ड आदि के प्रावधान द्वारा ठीक और अधिक काम के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

मैकग्रगर ने उपरोक्त सभी विचारों—भय एवं दण्ड विचारधारा पुरस्कार विचारधारा प्रोत्साहन अथवा दण्ड विचारधारा—के सम्मिश्रण का एक्स सिद्धांत (X Theory) की संज्ञा दी। मैकग्रगर ने बताया कि एक्स सिद्धांत भ्रामक धारणाओं पर आधारित है यथा—श्रमिक सामान्यतः सुस्त होते हैं श्रमिक कामचोर होते हैं अधिकतर कमचारी उत्तरदायित्व टाल देना पसन्द करते हैं अतः उन्हें ठीक ढंग से काम पर लगाने के लिए भय और नियंत्रण की विधियाँ आवश्यक हैं।

स प्रकार की मिथ्या धारणाओं के कारण ही मैकग्रगर तथा अन्य आधुनिक विद्वानों ने एक सिद्धान्त को अनुचित तथा असफल माना है।

एक सिद्धान्त तब मात्र सत्य माना जा सकता है—

- 1 एक सामान्य व्यक्ति स्वच्छता से कार्य करने को उत्सुक नहीं होता है।
- 2 एक सामान्य व्यक्ति अपने कार्य के प्रति प्रायः अहमि की भावना होती है।
- 3 अधिकांश व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होते अतः उनमें कुछ कर दिखाने की भावना नहीं होती।

4 अधिकांश प्रक्रिया में उत्तरदायित्ववहन-क्षमता बहुत कम होती है और वे यह चाहते हैं कि उन्हें समय-समय पर अधिकांशता का निर्देशन प्राप्त होता रहे ताकि वे निश्चिन्त काम करते रहें या तकीर के फकीर बन रहे।

5 अधिकांश व्यक्ति प्रबंधकीय समस्याओं को सुनभान की रचना में क्षमता नहीं रखते।

6 सामान्य व्यक्ति अपने कार्य करने के लिए उन पर शक्ति डालना या उन्हें भय दिखाना आवश्यक है। डराना उताड़ना धमकाना प्रायः उनका काम करने का तरीका है क्योंकि तभी व्यक्ति कार्य करने को तत्पर होते हैं।

7 अधिकांश व्यक्ति वित्तीय प्रोत्साहन के आधार पर ही कार्य करते हैं। अतः यदि उन्हें अधिक पारिश्रम दिया जाएगा तो वे अधिक समय तक और अधिक कार्य करने को तत्पर होंगे।

8 प्रबंधकों के लिए सामान्यतः शक्ति की कोई भावना नहीं होती वरन् तो एक मशीनी पूजा है जो जिस अपनी बुद्धि का परिचय देने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं होता।

9 अधिकांश व्यक्ति परम्परागत ढंग से कार्य सम्पन्न करना उचित समझते हैं।

अधिकांश परम्परावादी सिद्धान्त उपरोक्त मान्यताओं पर आधारित है और नवतंत्रत्व का निरङ्कुशतावादी सिद्धान्त भी इसी मान्यताओं में विश्वास करता है। नवतंत्रत्ववादियों की संज्ञा के मध्य से 18वाँ सदी के मध्य तक प्रबंधन का विश्वास दबावकारी और दमनकारी नीतियों में ही रहा पर कालान्तर में एक नए सिद्धान्त प्रतिपादित करने के उपरांत मैकग्रगर का अपने सिद्धान्त के प्रति आशंका पैदा हुई। मैकग्रगर ने बड़ी ही परिस्थितिओं के परिचय में यह अनुभव किया कि मानवीय व्यवहार की दृष्टि से एक सिद्धान्त सही नहीं है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है स्वतंत्र समाज में रहता है उसकी आवश्यकताओं शिवाय तथा स्वतंत्र-सहन के स्वर में परिस्थितियों के अनुसार सुधार होता रहता है वह प्रबंधकों से अलग-थलग व्यवहार की आशा करता है। यह मानव-स्वभाव है कि वह दण्ड और भय के वातावरण के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है। मैकग्रगर ने यह अनुभव किया कि प्रबंधकीय क्रियाओं

के सफल संचालन के लिए व्यक्ति की प्रकृति तथा उसके प्रत्येक विचारों को समझना जरूरी है। अपनी इस परिवर्तित विचारधारा का आधार पर मकगग्र ने वार्ड सिद्धांत (Y Theory) को जन्म दिया।

(ख) वार्ड-सिद्धांत (Y Theory)

एक सिद्धांत के लोप को दूर करने के लिए मकगग्र ने ज़िम वॉर्ड सिद्धांत का प्रतिपादन किया व मानवीय मूल्यों तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पर आधारित है। इस सिद्धांत का मायना है कि व्यक्ति स्वयं का स काय करना चाहता है और उत्तम आशावादी तथा रचनात्मक प्रकृति होती है।

वार्ड सिद्धांत की प्राथमिक मायनाएं निम्नलिखित हैं—

1. व्यक्ति स्वयं का स काय करना चाहता है और प्रबंधक स मदद-यवहार की अपेक्षा करता है।

2. व्यक्ति स्वयं का स काय करना चाहता है अतः उसकाय करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

3. काय करना उतना ही स्वभाविक है जितना कि खेलना और विंगम करना।

4. एक शीघ्रत कामचारी दायि व को निभाता सीख लेता है।

5. बाह्य नियंत्रण भय प्रतापल-कठोर अनुशासन ऐसी विधियाँ ही व्यक्ति को काय के लिए प्रेरित नहीं करती वरन् व्यक्ति स्वयं निर्देशित और नियंत्रित होता है तथा जिस काय के लिए उस नियुक्त किया जाता है उसको पूरा करना वह अपना उत्तरदायित्व समझन लगता है। यह आवश्यक है कि प्रबंधक कामचारियों को काय करने का उचित वातावरण प्रदान करे तथा काय करने के उचित साधन मुलभ कराए।

6. व्यक्ति उत्तरदायित्व से बचने की पवृत्ति स्वभाविक नहीं वरन् मकग मूल कारण महत्वाकांक्षा का अभाव होना और सुरक्षा को अत्यधिक बल दिया जाना है।

7. व्यक्ति काय निष्पादन केवल वित्तीय प्रलोभनों के कारण ही नहीं करता है बल्कि गर वित्तीय प्रलोभन भी उसे काय करने के लिए अभिप्रेरित करत हैं। काय सम्बन्धी अभिप्रेरणा सामाजिक स्वाभिमान तथा आत्म सम्मान स्तरों पर भी ठीक उसी प्रकार प्राप्त होती है जिस तरह कि शारीरिक तथा सुरक्षात्मक आवश्यकता स्तरों पर। इसी प्रकार काय निष्पादन के लिए अभिप्रेरणा केवल पुरस्कार ही नहीं मिलती बल्कि यह भी आवश्यक है कि उतकी उपायियाँ की प्रशंसा की जाए। काय को मायना देना भी अपने आप में एक पुरस्कार है।

8. सगठन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने की विवेक शक्ति सामायत सभी लोगों में पाई जाती है कुछ में कम और कुछ में अधिक। काय

तथा सृजनतात्मकता का गुण 'पू'ाधिक मभी म पाया जाता है । प्रवच को चाहिए कि वह कमचार् या स काम लेने समय उन गुणा का लाभ उठाए ।

9 वतमान औद्यागिक युग म मानव योग्यता और क्षमता का पूरा उपयोग लेनी किया जा रहा है ।

10 वार् सिद्धान्त लोकता एक मूल्या पर आधारित है और कमचारियों को सतुष्टि पर बल देना है । इस सिद्धान्त का मूलभूत उद्देश्य शान्कगत तथा सामूहिक रूप में उन शाशा का सृजन करना है जिनके माध्यम से संगठन अपने उद्देश्य का प्राप्ति कर सक । मकरगर ने लिखा है कि एक प्रभावशाली संगठन वह है जहाँ नियम तथा नियंत्रण के स्थान पर विश्वास और मत्याग स्थापित हो गया है और कार्यक निम्नम सभावित होना पक्कि सम्मिन्नित किए जाने हैं । वार् सिद्धान्त सम्भागिता विचारधारा (Participative Theory) के महत्त्व पर बल देता है जिसमें कमचारियों में अधिक वाय लेने के लिए अभिप्र रित करने हेतु सस्था के प्रत्येक स्तर पर भागीदारी लेनी चाहिए ।

मकरगर द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त दोनों सिद्धान्त (एकस तथा वार् सिद्धान्तों) का अर्थ विना न विभिन्न नामा से पुकारा है । निक न गकम सिद्धान्त का अर्थ संगठन तथा वार् सिद्धान्त को सामूहिक अभिप्र रण की सृजा है तो उकर न वार् सिद्धान्त को उद्देश्य द्वारा प्रवच कहा है और भागिनिम न सम्भिन एव स्वनियंत्रित प्रवच (Management by Integration and Self control) पुकारा है ।

4 अभिप्र रण के अर सिद्धान्त (Other Theories of Motivation)

अभिप्र रण के अर सिद्धान्त म सम् एकात्मक सिद्धान्त बहुनवाणी सिद्धान्त सम्भागिता सिद्धान्त कमचारा की द्रत पयवक्षण सिद्धान्त पथ लक्ष्य सिद्धान्त भय एव दण्ड सिद्धान्त पुरस्कार सिद्धान्त करट तथा सिंक सिद्धान्त और प्रविगत एव संगठनात्मक आवश्यकता सिद्धान्त का उल्लेख करेंगे ।

(1) अभिप्र रण का एकात्मक या द्रयात्मक सिद्धान्त (Monistic Theory of Motivation)—स सिद्धान्त का आधारभूत मान्यता है कि यत्कि कवा अधिकधिक धन प्राप्ति हेतु ही वाय करना है अर्थात् मुन ही मानवीय व्यवहार का आधार है । इस प्रकार के सिद्धान्त अधिक मनुष्य (Economic Man) का विचारधारा पर आधारित है जिसका अभिप्राय है कि अविन कवन मात्र पुरस्कार की आशा से ही वाय करता है और मौलिक पुरस्कार की मात्रा जितनी अधिक होगी उक्ति के प्रयत्न में उतनी ही अधिक होग । दूसरे शब्दों में कमचारा का लिए जाने वाले पारिभ्रमिक की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक वाय करने को त्तर होगा ।

अभिप्र रणा के एकात्मक सिद्धांत से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं अथवा यह विचारधारा अभिप्र रणा के निम्नलिखित सिद्धांतों का स्पष्ट करता है—

1. यकिनगत अभिप्र रणा समूह अभिप्र रक की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के द्वारा सम्पादित काय के अनुसार पारिश्रमिक दिए जाने से अधिक अभिप्र रित होता है। व्यक्ति इस अनुभूति से प्रभावित रहता है कि जितना अधिक वह काय करेगा उस उतना ही अधिक पारिश्रमिक मिलेगा अथवा किसी व्यक्ति को नहीं। दूसरी ओर समूह प्र रणा में व्यक्ति के प्रयत्नों के पुरस्कार में सम्पूर्ण समूह की हिस्सेदारी होती है फलस्वरूप यकिनगत अभिप्र रणा मंदी या पीकी पड़ जाती है। यदि किसी समूह के कुछ व्यक्ति तो निष्ठापूर्वक काम करते हैं और शेष व्यक्ति कम काम करते हैं या मुनछरे उताने हैं तो पुरस्कार की राशि का सम्पूर्ण समूह में विभक्त करना न्यायपूर्ण नहीं होगा और इस बात की प्रत्येक संभावना है कि कमचारियों में तनाव तथा विरोध उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में अभिप्र रणा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

2. यदि प्रयत्नों का पुरस्कार शीघ्र मुग्तान किया जाता है तो अभिप्र रणा प्रणाली अधिक प्रभावी होती है। यदि कमचारी का वेतन या पुरस्कार समय पर नहीं मिलना और मुग्तान में अनावश्यक विलम्ब होता है तो कमचारी का उत्साह मं हो जाता है।

3. अतिरिक्त उत्पादन का जितना अधिक पुरस्कार दिया जाएगा कमचारी उतना ही अधिक काय करने के लिए अभिप्र रित होगा। मायता को ध्यान में रखते हुए ही विद्वान प्रबंध विद्वान एफ. डब्ल्यू. टेनर ने विभेदात्मक मजदूरी पद्धति (Differential Price Rate System) लागू किए जाने का सुझाव दिया था।

अभिप्र रणा का एकात्मक या द्वन्द्वीय सिद्धांत परम्परागत और धिमापित है। मनुष्य को केवल एक आर्थिक मनुष्य मानकर चलना अनुचित है। मनुष्य केवल मुद्रा प्राप्त करने के लिए ही काय नहीं करता। वह शारीरिक सुरक्षात्मक सामाजिक स्वाभिमान आदि आवश्यकताओं की पूर्ति से भी काफी अभिप्र रित होता है। जोर कल्याणकारी तथा परोपकारी अभिप्र रणाएं भी अपना महत्त्व रखती हैं तथापि ये आलोचनाएं एकात्मक सिद्धांत की इस मायता को नकार नहीं सकतीं कि मोटिविक अभिप्र रणा मनुष्य को अधिक काय करने के लिए विशिष्ट रूप से अभिप्र रित करती हैं। जब तक मुद्रा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है तब तक यह अधिक मुद्रा पाने के लिए प्रयत्न करता रहेगा।

(2) अभिप्र रणा का बहुनवादी या अनेकवादी सिद्धांत (Pluralistic Theory of Motivation)—यह आधुनिक सिद्धान्त इस मायता पर आधारित है कि व्यक्ति केवल एक उद्देश्य या एक ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं बरस अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काय करता है। ये आवश्यकताएं विभिन्न

समयों पर विभिन्न तनाव उपपन्न करके व्यक्ति को "स" प्रकार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं जो उसकी दृष्टि में तनाव कम करने वाला तथा उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाला है। आवश्यकताओं और उनकी संतुष्टि का क्रम निम्न प्रकार का है। मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रियों द्वारा दत्त आवश्यकताओं का क्रम प्रणिया में बाटा गया है यथा—(1) मूलभूत शारीरिक या जीवन निवाह सम्बन्धी आवश्यकताएँ (2) सामाजिक आवश्यकताएँ (3) सम्मान तथा स्वाभिमान सम्बन्धी आवश्यकताएँ (4) सुरक्षा एवं निश्चितता सम्बन्धी आवश्यकताएँ (5) अपने विकास सम्बन्धी आवश्यकताएँ। अनेकवादी सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति भौतिक और अमौलिक दोनों प्रकार की अभिप्ररणों से प्रेरित होता है।

अभिप्ररण का अनेकवादी सिद्धांत एकात्मक या द्रव्यात्मक सिद्धांत का पूरक सिद्धांत है और व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में भौतिक एवं अमौलिक दोनों प्रकार की अभिप्ररणों का महत्त्व स्थापित करता है। एकात्मक और अनेकवादी दोनों ही सिद्धांत व्यक्ति का अधिकाधिक वाय काने के लिए अभिप्ररित करते हैं। अनेकवादी सिद्धांत के प्रबल समर्थक एच. मकमोथ जिंका आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धान्त (Need of Hierarchy Theory) प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में काफी विख्यात है। इस सिद्धांत का बरण हम पूरे पृष्ठा में कर चुके हैं।

(3) सहभागिता सिद्धांत (Participative Theory)—जसा कि नाम से ही स्पष्ट है इस सिद्धांत की मान्यता है कि कमचारी का संस्था या उपनमक प्रबंध में सहभागिता प्रदान करनी चाहिए क्योंकि कमचारी का उद्देश्य केवल मुक्त कमाना ही नहीं होता बल्कि वह संस्था में अपनत्व की भावना का अनुभव भी करना चाहता है। यदि संस्था में काम करने वाले कमचारियों को संस्था के प्रबंध में सहभागिता दी गई अर्थात् संस्था के कार्य निवारण नीति निर्धारण आदि में शामिल किया गया तो वे इससे अधिकाधिक प्रेरित होंगे। रेनिस निकटन निम्ना है मनु के सभी यक्तियाँ (प्रबंधक सहित) के एम. सम्बन्धों का विकास करना चाहिए ताकि वे आवश्यकताओं भावनाओं आकांक्षाओं मूल्यों तथा तर्कों को सामान्य हित में देव सकें। इस प्रकार के सम्बन्ध अभिप्ररण के लिए आवश्यक हैं और उनका विकास सहभागिता प्रदान करने से ही सम्भव हो सकता है।

(4) कमचारी केंद्रित पयवेक्षण सिद्धांत या प्रतिरूप विचार धारा (Employee Centred Supervision Theory or Pattern Concept)—
 इस सिद्धान्त का प्रतिपादन रेनिस निकटन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार कमचारी का प्राप्त हानं बारा पयवेक्षण उसकी उत्पादकता संतुष्टि अभिप्ररण आदि को प्रभावित करता है। यदि कमचारी का पयवेक्षण अच्छा न हो तो वह और वह संतुष्ट नहीं हो पाता तो वह प्रबंध द्वारा चाही गई उत्पादकता नहीं दे

असमर्थ रहता है किंतु यदि कर्मचारी को अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है और वह सतुष्ट होता है तो उसकी उत्पादकता अभिप्ररित होती है। -मन्त्रा की इच्छा होती है कि उसकी समस्याओं का समुचित समाधान हो उसे उत्पादन का एक मन्त्रवर्ण साधन माना जाए तथा उसे सामान्य सुरक्षा मिले। यदि कर्मचारी अनुभव करता है कि उसका सम्पूर्ण व्यवस्था में वह एक मशीनी पुर्जा है तो उसका मन भिन्न आघात पड़ता है जिससे उसकी उत्पादकता तथा सतुष्टि पर अतिबल प्रभाव पड़ता है। वास्तव में समूह अभिप्ररण पर प्रोत्साहन पद्धति का अधिक प्रभाव होता है। वे समूह टिकट का सुभाष है कि निष्ठाकाय और प्रोत्साहन का कार्य केंद्रित (Job Oriented) न होकर कर्मचारी केंद्रित (Employee Oriented) होना चाहिए। कर्मचारियों को प्रति प्रबंधकों का व्यवहार मानवीय तथा हितपी होना चाहिए। कर्मचारियों को नया क निर्धारण नीति निर्धारण आदि में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्हें कृप्य सम्बन्ध निर्माण में हित साध्य अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

(5) पथ-लक्ष्य सिद्धांत (Path goal Theory)—इस सिद्धांत के प्रतिपादक गार। पी. जे. माहोरी एवं जोस (George Poulous Mahorey & Jones) हैं। सका सम्बन्ध उत्पादकता से है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति उस समय अधिक परिश्रम करेगा अभिप्ररित होते हैं जब उनके सामने लक्ष्य पूर्णतः स्पष्ट तथा आसानी से प्राप्त हो सके। यदि कर्मचारी उच्च उत्पादकता का अपनी उच्च प्रतिफलता का पत्र मान लेते हैं तो फिर वे उच्च उत्पादक बनने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरी ओर यदि वे निम्न उत्पादकता का अपने लक्ष्यों की प्रतिफलता मान लेते हैं तो वे निम्न उत्पादक बनने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। सातशत पथ लक्ष्य सिद्धांत में कर्मचारियों को अभिप्ररित करने के लिए उत्पादकता पर अधिक ध्यान दिया गया है। यह मान्यता है कि कर्मचारी की आवश्यकताएँ बहुत उच्च हैं। उसके लक्ष्य बहुत प्रबल हैं तथा वह इच्छित मार्ग अपनाते में बाधाओं से मुक्त है।

(6) भय एवं दण्ड का सिद्धांत (Fear and Punishment Theory)—यह सिद्धांत प्राचीन तथा पुराना सिद्धांत है जिसके अनुसार कर्मचारियों को यमिका को भय दिना कर या दण्ड देकर कार्य करने के लिए अभिप्ररित किया जा सकता है। यदि नौकरा सति-जन देने पलावनति कर देन ग्रान्ति का भये-दिश्याया जाए तो कर्मचारी घबरा जाएगा और तत्परता से कार्य कराने प्ररित होगा। भय एवं दण्ड सिद्धांत के समर्थक प्रायः यही मूलमंत्र वाहराते रहते हैं या तो कार्य कराया चन जायो या न उत्तरदा और न प्रश्न करो कगे या मरो। इसीलिए इस सिद्धांत को करो या मरो सिद्धांत (Do or Die Theory) भी कहा जाता है।

है कि

अनेक अ.

एक निश्चित यूनतम सामा की पूर्ति न हान पर उसे दण्डित किया जाता है। दूसरे शब्दों में उही कमचारिया का पुरस्कार दिया जाता चाहिए जिनका काय निष्पादन एवं निश्चित यूनतम स्तर से ऊपर है और जिनका काय निष्पादन कम निश्चित यूनतम स्तर से नीचे है व दण्ड के पात्र हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत पुरस्कार का शतयुक्त बना देता है।

कर्ट एवं स्टिक सिद्धांत भी एक परम्परागत सिद्धांत ही है जो तब तक उपयुक्त रहता है जब तक कि व्यक्ति की शारीरिक एवं सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती। किन्तु जब इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति उनकी आवश्यकताओं (सामाजिक एवं सम्मान मायता आदि) की चाह करता है और इस स्थिति में अभिप्ररण का यह सिद्धांत अपना महत्व खो बैठता है। मेकग्रथर के अनुसार कर्ट तथा स्टिक का सिद्धांत एक बार व्यक्ति के पर्याप्त जीवन निर्वाह स्तर तक पहुँचाने के बाद काय नहीं करता है क्योंकि तब तक व्यक्ति मुख्यतः उच्चतम आवश्यकताओं से अभिप्ररित होता है।

(9) व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक आवश्यकता सिद्धांत (Individual and Organisation Need Theory of Motivation)—इस सिद्धांत के प्रतिपादन और विकास का जय तिम आर्गिरिम का जाता है। इस सिद्धान्त की मायता है कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक आवश्यकताएँ अलग अलग होती हैं और स्वभावतः एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि को प्राथमिकता प्रदान करता है। अतः यत्तियों को काम के लिए अभिप्ररित करने हेतु संगठनात्मक आवश्यकताओं की तुलना में उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरे शब्दों में नियोक्ता या प्रबंधक यदि संस्था के कमचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहलू से ठुप्ट नहीं करेंगे तो वे कमचारी न तो संस्था के उद्देश्य की पूर्ति में अपना भरनक योग देंगे और न ही कुशलता से काय करने के लिए अभिप्ररित शक।

आधुनिक प्रबंध विद्वानों के मतानुसार व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि के स्थान पर संगठनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि आवश्यकताओं में व्यक्तिगत आवश्यकताएँ भी स्वतः निहित हैं। व्यक्ति आखिर मनुष्य का ही एक अंग होता है।

(10) आशा एवं उपलब्धि सिद्धांत (Expectation & Achievement Theory of Motivation)—यह सिद्धांत बतलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कुछ आशाएँ होती हैं जिनकी उपलब्धि का प्रयास वह करता है। यदि किसी व्यक्ति में आशाएँ नहीं हैं तो उनका सृजन करना चाहिए। यदि उपलब्धि आशा से कम होती है तो व्यक्ति को अभिप्ररण मिलता है। दूसरे शब्दों में आशा और महत्वाकांक्षाओं का अधिक अन्तर्गत ठीक नहीं है क्योंकि आशा और उपलब्धि में

यदि अधिकतर तर हुआ तो व्यक्ति में निराशा उत्पन्न होती है। सभी प्रकार आशा के अभाव या आशा के अभाव होने पर भी अभिप्रेरण उत्पन्न नहीं होगी। सारांशत आशा और उपपत्ति में समुचित संतुलन होना चाहिए और अभिप्रेरण समुचित रूप में उत्पन्न होती रहे।

अभिप्रेरण के प्रत्येक सिद्धांत का किसी न किसी दृष्टिकोण से अपना महत्व होता है। किसी न किसी अवसर पर या किसी परिस्थिति में कोई न कोई दृष्टिकोण अपना उपयुक्तता प्रदर्शित करता है। एक अच्छे प्रबंध को अभिप्रेरण के सभी सिद्धांतों का ध्यान में रखना चाहिए और आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग करना चाहिए। सभी सिद्धांतों के अच्छे तत्वों को खोजते हुए व्यवहार में जो प्रबंध उनका समुचित प्रयोग करता है वह अपने उद्देश्य में सफल ही होता है। परम्परागत सिद्धांतों को ठककराया नहीं जा सकता और व्यवहार में हम देखते हैं कि भय और शब्द जैसे अति प्राचीन सिद्धांतों का भी प्रयोग अनेक अवसरों पर औद्योगिक या प्रशासनिक व्यवस्था में किया जाता है। पुरातन और नूतन दोनों का साथ लेकर उनका अच्छे मयोजन ही एक उपयुक्त मार्ग है।

अभिप्रेरणों के सयंत्र अथवा विधियाँ

(Tools or Techniques of Motivation)

कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के विभिन्न मापना अथवा विधियाँ में से निम्नलिखित विशेष महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अभिप्रेरण साधन सभी वर्गों को किसी न किसी रूप के रूप में प्रेरित करते हैं—

(1) वेतन द्वारा अभिप्रेरण (Motivation by Pay)—आज के भौतिकवादी युग में हमारी अधिकांश आवश्यकताओं का पूर्ति मुश्किल पारा जाती है अतः स्वाभाविक है कि अधिक वेतन या मजदूरी सभी कर्मचारियों का किसी न किसी रूप के लिए प्रेरित करती है। संगठन में विभिन्न पगों का वर्गीकरण व्यवस्थापकों के आचार पर होता है अर्थात् जिस व्यक्ति को जितना अधिक वेतन मिलता है उसका पग मोपान संगठन में उन्नत ही जाना जाता है। आज की औद्योगिक आर्गनाइजेशन का मुख्य कारण अधिक वेतन की मांग है। यह सब बात का दोसक है कि प्रत्येक कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक समय मौलिक प्रेरणा शक्ति का वापस के लिए प्रेरित नहीं कर सकता—विशेष तौर पर जब उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। अनेक बार देखने में आता है कि प्रेरित व्यक्ति या अधिक मजदूरी पाने के उपरांत भी इच्छा नहीं करते हैं क्योंकि तब वे अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करना चाहते हैं यथा—आत्मसम्मान की आवश्यकता अनुभूति की आवश्यकता आदि। यहाँ हमने का यह सिद्धांत लागू हो जाता है कि जब व्यक्ति को एक आवश्यकता प्रतीत होती है तो दूसरी आवश्यकता उसे प्रेरित करती है। इस मापदंडों एवं प्रेरणा

स तुलित विचार प्रगट करते हुए लिखा है कि— हम यह दावे के साथ कह नहीं सकते कि प्रबंधकों को अधिक वेतन काय के लिए प्रेरित नहीं करता और श्रमिकों को सदैव अधिक मजदूरी काय के लिए प्रेरित करता है क्योंकि यह अनुमान लगाना कठिन है कि धन किस समय किस स्तर के व्यक्तियों को किस परिस्थितियों में काय के लिए प्रेरित करता है। धन का प्रत्येक समय परिस्थिति व्यक्ति की आर्थिक स्थिति आर्थिक स्तर मानसिक स्थिति बर्बाद के स्तर आश्रित व्यक्तियों की सहायता आदि से प्रभावित होता है। आधुनिक प्रबंध प्रणाली में भृत्ति अभिप्रेरण पर अधिक बल दिया जाता है किंतु भृत्तियां सदैव ही व्यक्तियों को काय के लिए प्रेरित नहीं करती। किसी भी प्रणाली से तभी अभिप्रेरणा मिल सकती है जब श्रमिकों को सहायता का पूर्ण विश्वास हो जाए कि भविष्य में वे दी जाने वाली भृत्ति में बढ़ती नहीं की जाएगी। उस काय अधिक उत्तमता से नहीं करना पड़ेगा तथा काय सम्पूर्ण हो जाने पर उनकी सेवा निश्चित नहीं की जाएगी।

2 काय सुरक्षा द्वारा अभिप्रेरणण (Motivation by Job security)—
कर्मचारी काय सुरक्षा द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। सभी कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें न केवल एक निश्चित समय पर निश्चित वेतन मिलता रहे वरन् उनकी नौकरी भी स्थिर और सुरक्षित रहे। व्यवहार में यह देखा गया है कि प्रबंधक वर्ग की तुलना में श्रमिक वर्ग काय सुरक्षा को अधिक महत्त्व देते हैं क्योंकि श्रमिक वर्ग प्रायः अशिक्षित और अकुशल और गरीब होते हैं। उच्च प्रबंधक वर्ग के साथ आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होते हैं प्रायः काय सुरक्षा को अधिक महत्त्व नहीं देते तथा एक सस्था को छोड़कर दूसरी सस्था की ओर उच्च पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरी ओर सामान्य कर्मचारी अपनी सस्था में काय सुरक्षा के लिए आकांक्षित रहते हैं। भारत जसी विकासशील अथवा व्यवस्था में जहाँ अल्प बराजगारी और बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है तथा प्रकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए काय सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। अतः सर्वोच्च प्रबंधकों को इस दिशा में सचेत रहना चाहिए। नौकरी की गारंटी देकर नियमित रूप से काय प्रदान करके बेरोजगार कर्मचारियों का अर्थ प्रकाश का काय क्षेत्र बाजार में मंदी आने पर भी रोजगार की सुरक्षा देकर स्वचाहित मशीनों के उपयोग और अभिनवीकरण के उपरान्त भी रोजगार प्रदान कर श्रमिकों को काय सुरक्षा दी जा सकती है काय सुरक्षा से अभिप्रेरित श्रमिक संगठन के प्रति निष्ठापूर्ण रहते हैं।

3 कुशल नेतृत्व द्वारा अभिप्रेरणण (Motivation by Efficient Leadership)—
कुशल नेतृत्व अधीनस्थों के लिए अच्छी अभिप्रेरणण का काम करती है। उससे कर्मचारियों को विश्वास और प्रेम मिलता है। प्रबंधकों का दायित्व है कि वे अपने अधीनस्थों की कठिनाइयों को ध्यान से सुनें और उन्हें दूर करने के अविनाशक प्रयत्न करें। इससे अधीनस्थ अभिप्रेरित होते हैं वे उत्तम निष्ठा तथा परिश्रम से काय करते हैं।

4 लक्ष्यों द्वारा अभिप्ररण (Motivation by Goals)—प्रबधका स अपेक्षित है कि व अधीनस्थो को सस्या के तटया और उद्यया क बारे म समुचित जानकारी प्रदान करें और यह स्पष्ट कर दें कि सस्या के तक्षयो की पूति म उनके स्वय के सस्या की पूति निहित है अर्थात् सस्या और कमचारी के तक्षय एक है— उनम चीनी नामन का साथ है । ऐसा होन पर अधीनस्थ लक्षयो की प्राप्ति क लिए प्ररित हो उठेंगे क्योंकि उनम यह आशा जगी रहगी कि संगठन के लक्षया की पूति पर वे िसी न किसी रूप म पुरस्कुन हागे ।

5 चुनौती द्वारा अभिप्ररण (Motivation by Challenge)—जो व्यक्ति बुझान होन हुए भी काय क प्रति उपेक्षा भाव रखत हैं उन्हें जोश िताकर काम क लिए अभिप्ररित किया जाता है । जोश दिवान पर व चुनौती को स्वीकार करके अपनी पूण क्षमता से काय के लिए प्ररित हो उठने हैं । चुनौती अभिप्ररण की यह विधि है जा कमचारी की प्रातरिक याग्यता को बाहर ने आती है । चुनौती को स्वीकार करन और तदनुसार पूण क्षमता से काय करन म कमचारी गव का अनुभव करत हैं । चुनौती द्वारा अभिप्ररण देत समय प्रबधका यह ध्यान म रखना चाहिए कि जो भी पुरस्कार आदि घोषित किया जाए उसे काय एव निष्पादित हाते ही अविनम्ब दे दिया जाए ।

6 प्रशंसा एव मायता द्वारा अभिप्ररण (Motivation by Praise and Recognition)—अभिप्ररण की ळ विधि से कमचारी की आत्मतुष्टि होता है और उसका मनोवन वलता है । प्रत्येक कमचारी की यह स्वाभाविक इच्छा हाती है कि उसक काय की प्रशंसा की जाए । प्रबधक अपने अधी स्थ कमचारी का प्रशंसा करके उसका उत्साह बढा सकता है और उसस अधिक काय ल सकता है । जब कमचारी अच्छा काय करत हा तो पयवक्षक को भौन बन रहना या हर समय गलतियो क लिए दोषी ठराना उचित नती है । हाना यह चाहिए कि पयवक्षक उसकी प्रशंसा करते हुए उस गलती मुधार क िण सुभाव दे । यदि कमचारी के अछ काय की प्रशंसा समूह - समक्ष की जाती है तो ळस कमचारी का आ म विश्वास और आत्म सम्मान बढता है और वह स्वत ही काय क िण प्ररित हाता है । काय के सफन निष्पादन पर पयवक्षक कमचारा या अमिक की अनेक रूपा म प्रशंसा कर सकता है यथा—(क) अयवात् बहुत अच्छे शाबाश आदि शब्द कहकर (ख) पीठ थपपनाकर (ग) अधिक रचिकर काय लेकर प्रशंसा पत्र देकर (घ) वनन वृद्धि की सिफारिश करके (ङ) पदात्रनि दकर (च) अतिरिक्त नाम या पुरस्कार या नोनस आदि दकर (छ) निशिष्ट कायकत्ताआ की सूची (Honour s Board) म नाम दकर आदि ।

7 दण द्वारा अभिप्ररण (Motivation by Punishment)—ळ विधि का प्रयोग बहुत आवश्यक हन पर ही किया जाना चाहिए । अनुशासन की दृष्टि से

यद्यपि प्रशंसा और दण्ड दोनों पंचनित विधियाँ हैं कि तु प्रशंसा विधि 100 विधि की तुलना में अधिक प्रभावी होती है क्योंकि प्रथम विधि आशा और उत्साह का संचार करती है जबकि दूसरी विधि निराशा उत्पन्न करती है। वास्तव में दण्ड का प्रावधान विशेष अपराध के लिए होना चाहिए छोट मोटे कारणों के लिए दण्डित करना उपयुक्त नहीं है। सामान्य कारणों पर दण्ड कमचारी में निराशा और विद्रोह की भावना पैदा करता है।

8 काय के प्रतिफल पूर्व जानकारी द्वारा अभिप्ररणा (Motivation by Pre knowledge of Results) —यदि कमचारी को उसके कार्य किए जा रहे कार्य की सफलता की जानकारी समय समय पर दी जाती रहे तो यह जानकारी एक शक्तिशाली शक्ति सिद्ध होगी। काय प्रोत्साहन तथा काय निष्पादन के लिए सही मायदशन तथा किए जा रहे काय का अवगतान प्रतिक्रिया में आत्म विश्वास जाग्रत करता है।

9 स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा द्वारा अभिप्ररणा (Motivation by Sound Competition) —यह अभिप्ररणा की एक प्रमुख तकनीक है। काय निष्पादन कौशल बस्तु विस्म सुधार आदि की दृष्टि में स्वस्थ अथवा विशिष्ट प्रकार की प्रतियोगिता (होड) प्रतिक्रिया तथा अथ सभी प्रकार के कमचारियों में होनी चाहिए और जो व्यक्ति तुलना में अधिक सफल सिद्ध हो उस सर्वोत्तम पुरस्कार दिया जाना चाहिए। स्वस्थ प्रतियोगिता विषय उत्पादन सुरक्षा आदि सभी क्षेत्रों में हो सकती है। यह प्रतिस्पर्द्धा सामाहिक प्रयासों को भी अभिप्ररित करती है जसा कि हम प्रायः खेल के मैदान में अनुभव करते हैं। जब किसी उपक्रम को अथ उपक्रम से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है तो उपक्रम के सभी कमचारी एकजुट होकर प्रतिस्पर्द्धा में विजय पाने के लिए अपनी पूरा क्षमता से काय करते हैं। प्रतियोगिता द्वारा प्रतिस्पर्द्धा की विधि इस दृष्टि से कुछ दोषपूर्ण है कि हममें आपसी बमनस्य उत्पन्न होने के अवसर विद्यमान रहते हैं। प्रतियोगिता में पराजित व्यक्ति निराशा हो जाता है और यह भी हो सकता है कि अधिक प्रतियोगिता से कार्यकर्त्तियों का नैतिक पतन हो जाए। अतः इन दोषों के बारे में समुचित सावधानी रखी जाना आवश्यक है।

10 काय में सहभागिता द्वारा अभिप्ररणा (Motivation by Participation in Work) —जब कमचारी सत्ता के नाति निर्माण निम्न प्रक्रिया आदि में भाग लेते हैं तो वे स्वयं को प्रबंध का ही एक भाग समझने लगते हैं जिससे उनकी प्रामुख्यता होती है और वे काय के प्रति अधिक उत्साह प्रदर्शित करते हैं। प्रबंध अपने कमचारियों से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्राप्त कर सकता है यथा—उत्पादन विधियाँ सुरक्षात्मक और लागत कम करने सम्बन्धी उपाय कार्यकारी सहायक में सुधार कमचारी के सम्बन्ध में नीति निर्धारण सामान्य बल प्रणाली आदि। सहभागिता

के अनक रूप हो सकते हैं यथा सनाहकारी पयवे रण अभिप्रेरण एवं सहायग सुभाव कायक्रम प्रवर्तित्रीय पयवेक्षण प्रादि ।

11 परिवर्तन द्वारा अभिप्रेरण (Motivation by Change)—कुछ ऐम प्रवसर भी उपस्थित हो सकते हैं कि कमचारी की प्रवृत्ति म परिवर्तन लान क निए प्रवर्षक का स्वय अपनी प्रवृत्ति म परिवर्तन करना पडता है । एम परिवर्तन गारा अभिप्रेरण कहा जाता है । उदाहरणाय यदि कायालय म अधिकारी दरो स प्राता है ता अधीनस्था म भा देरी से आन की आदन पट जाता है और इस आदन या प्रवृत्ति को समाप्त करन क निए अधिकारी स्वय समय पर आन गगता है ।

12 आकषण द्वारा अभिप्रेरण (Motivation by Attraction)—कमचारिया का अछा काय करन के प्रति आकषण प्राप्त करन अभिप्रेरित किया जा सकता है । जो कमचारी अछा काम करे या समय-पूर्व ही काय पूरा कर ने उनको प्रगमा देकर उनक काय को मानता दकर उहे पुरस्हन कर अभिप्रेरित किया जा सकता है । य विभिन्न आकषण हैं जा पक्ति का अछा काय करन का अभिप्रेरित करत हैं ।

13 स्तर एवं अभिमान द्वारा अभिप्रेरण (Motivation by Status and Pride)—अभिप्रेरण की एस विधि को डा मानोरिया एवं दशोरा न बढी अच्यो तरट स्पष्ट किया है—

स्तर स तात्पय गक्ति की सामाजिक स्थिति से है । अभिप्रेरण का माध्यम हान के नाते स्तर का प्रथ मस्वाकाया तथा सामाजिक गाना दृष्टिया स निया जाता है । यक्ति समाज म प्रतिष्ठा प्राप्त करन को 'नायमा रमत' है । उस अय व्यक्तिया स सम्मान मित्रता रहे तो वह अधिक प्रसन्नता अनुभव करता है एवं मानसिक तृया की मत्तुष्टि हानी है ।

प्रवर्ष संगठन म विभिन्न स्तर बनाकर कमचारिया को यथाचित सम्मान दता है । जस प्रवर्षक क निए अधिक आरामदायक कुर्सी अछा सुमार्जित कमरा विन्यकर्ता क निए सामाय वक्ती की रगाना गगी मज और वेत वागी कुर्सी स्नोशर एव टकण लिपिक क निए विशिष्ट बठने की यवस्था प्रादि प्रदान किए जात हैं ।

व्यक्ति एक निश्चित स्तर प्राप्त करन की चेष्टा करता है और अपन इच्छत स्तर प्राप्त हा जान पर वह अधिक उच्च स्तर प्राप्त करन क निए लानायित रहता है । अछे काय निष्पादन एवं अछ प्रयास क निए प्रवर्षक यक्तियों का प्ररित कर सकता है । समान स्तर क यक्ति समान सुविधाए चाहत हैं अत समान यवस्था होनी चाहिए जस चपरासी अलग कमरा निजी तान की यवस्था जिसम गायनीय आलेख रखे ता सके तथा आरामदायक फर्नीचर आदि ।

स्वाभिमान का उद्गम किसी विशिष्ट प्रणानी पर आधारित नहीं है । अछा प्रवर्षक अछा उत्पादन गत्यामक नवृत्त्व समाज सवा नतिक आचरण

आदि कई तत्त्व प्रकृति को स्वाभिमानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। कम्पनी के किसी भी कर्मचारी से वास्तविकता पर पता लग जाता है कि कम्पनी के प्रति उनके विचार कसे हैं। वरन् उस कम्पनी विशेष का कर्मचारी होने के नाते स्वाभिमान अनुभव करता है अथवा नहीं। वह कम्पनी के आदर्शों और अछ गुणों के कारण स्वयं गौरवावत अनुभव करता है या नहीं। स्वाभिमान जाग्रत होने पर उत्पादन में लाभ होता है।

14 मानवीय व्यवहार द्वारा अभिप्रेरणा (Motivation by Human Behaviour)—प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ मानवीय व्यवहार करके उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। प्रबंधकों को यह समझना चाहिए कि अधिक प्रयत्न श्रम देवता है स्वयंको नहीं। कर्मचारी स्तर में कितना भी छोटा क्यों हो वह अपने अधिकारी से सद् व्यवहार की कामना करता है वरन् उस सन्तुष्टि मिनती है और वह कार्य के प्रति निष्ठा तथा गौरव का अनुभव करता है।

मनोबल अथ एव परिभाषाए

(Morale Its Meaning and Definitions)

मनोबल (Morale) का अर्थ कोपीय अथ कार्य के प्रति विश्वास तथा शक्ति सम्पत्ति की भावना एवं प्रकृत विचारधारा से है। यह वरन् आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है। 1930 में मानवीय सम्बन्ध शास्त्र की उत्पत्ति में पूर्व मनाबल शब्द का ही अधिकृत प्रयोग किया जाता था। मनोबल किमी भी प्रशासनिक या औद्योगिक संगठन का वरन् आधार स्तम्भ है जिसके सहारे उनकी समस्त क्रियाएँ संचालित होती हैं। कर्मचारियों का उच्च मनोबल किमी भी उपक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है। संगठन प्रबंधन उपक्रम का निर्देशित पथ प्रदर्शित एवं पथवेक्षित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उनका संगठन के मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनोबल को एक प्रकार से संगठन की जीवन शक्ति कह सकते हैं जिसके बिना समस्त प्रबंधकीय क्रियाएँ निर्जीव रूप में संचालित होती जाती हैं।

मनोबल से माथय मन के बल अथवा आंतरिक बल से है जिसके माध्यम से कार्य प्रकृति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। यदि प्रतिष्ठान में कर्मचारी समय पर आते हैं ईमानदारी से अपना कार्य निष्पादन करते हैं कार्य में आनंद वाले अवस्थाओं को तुरन्त दूर करने की चेष्टा रखते हैं अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करते हैं तो यहाँ माना जाता है कि उस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों का श्रमिका का मनोबल ऊँचा है। इसके विपरीत स्थितियाँ हान पर यह कहा जाएगा कि कर्मचारियों का मनाबल नीचा अथवा गिरा हुआ है। इस प्रकार उच्च मनोबल (Higher Morale) वरन् सुनिश्चित स्थिति है जिसमें सामूहिक प्रयास के लिए

पूर्ण सहयोग पाया जाता है। औद्योगिक जगत् में विभिन्न अध्ययना से यह सामान्य मत प्रतिपादित हुआ है कि प्रतिष्ठान के पक्ष में विचार रखने वाले कर्मचारी साधारणतः अधिक श्रेष्ठ कर्मचारी (Better Employces) होते हैं और उनका मनोबल उच्च होता है।

मनोबल को विद्वानों ने विभिन्न रूप से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

फिनपो क अनुसार— मनोबल वह मानसिक स्थिति अथवा शक्तियाँ तथा समूह की अभिवृत्ति है जो उनकी सहयोग करने की स्वच्छा का निर्धारण करती है।

स्टारूपर एव नुचानन के अनुसार— मनोबल को किसी समूह या संगठन के कार्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सन्निय सहयोग देने की तत्परता के रूप में व्यक्त किया जाता है।

विनियम धार स्पीगल के शब्दा में मनोबल का आशय बहुत से शक्तियों के जो गुणसमूह में किसी आधार पर एक दूसरे से सम्बन्धित हैं तत्कारी दृष्टिकोण या सामाहिक मानसिक प्रवस्था से है।

गटन क मत में मनोबल शक्तियों के समूह की एक ऐसी क्षमता है जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निरन्तर एवं प्रयत्निक कार्य करने को प्रेरित करती है।

* एफ एल ब्रचकशाना में मनोबल को किसी समूह या संगठन के कार्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में सन्निय सहयोग देने की तत्परता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

कारवेन क अनुसार मनोबल शिथिलता से रोजगार के प्रति कर्मचारियों की अभिवृत्तियों के सम्मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। कर्मचारी अपने कृत्यों का्य दशाग्रो पयवेक्षका कम्पनी वतन और रोजगार के अय पहतुमा के सम्बन्ध में सोचते हैं या महसूस करते हैं उन सबका यह (मनाबल) एक सश्लपण (Synthesis) है या उन सबको एक साथ प्रस्तुत करना है। इस प्रकार परिभाषित करने से मनोबल शब्द में व्यक्तिक और सामाहिक मनोबल सम्मिलित होता है।

डल योडर के अनुसार मनोबल रोजगार के प्रति कर्मचारियों की अवस्थाओं उनके व्यक्तिक कृत्या जिनके साथ वे काय करते हैं उनके पयवेक्षको उनक सध काय की दशाग्रो और सम्पूर्ण रोजगार के प्रति एक सश्लपण की तरह माना गया है।

जान एफ मी क शाना में कर्मचारी अथवा समूह का श्रेष्ठ मनोबल शक्ति तथा समूह के मानांतन प्रवहार का चातक है जिससे कर्मचारी यह अनुभव करने लगता है कि उसके साथ प्रायः कार्यों एवं कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति में ताजमल है दूसरे शब्दों में कर्मचारी कम्पनी तथा स्वयं के हित एक साथ रखने लगता है और वह केवल कम्पनी के आदेशों का पालन करने तक ही सीमित नहीं रहता।

मनोबल का इन विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि मनोबल शब्द में व्यक्तिगत और सामूहिक मनोबल सम्मिलित हैं। मनोबल वह उत्साह अनुभूति और साहस है जिससे व्यक्ति अथवा समुदाय प्रेरित होकर अधिक कार्य करता है। मनोबल कमचारी की शक्ति विश्वास स्वाभिमान और तगन का प्रतीक है। मनोबल में उच्च और निम्न दोनों ही तरह के मनोबल सम्मिलित हैं।

मनोबल की विशेषताएँ (Characteristics of Morale)

मनोबल के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के अध्ययन से इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं जो इसकी प्रकृति का बोध कराती हैं—

1 **व्यक्तिगत एवं सामूहिक**—मनोबल में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के मनोबल सम्मिलित हैं। व्यक्तिगत मनोबल उस दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है जो एक कमचारी अपनी संस्था के प्रति रखता है। दूसरे शब्दों में इसका अभिप्राय उस संतुष्टि से है जो कमचारी को अपने कार्य से तथा कार्य करने वाले समूह का सदस्य होने से प्राप्त होता है। सामूहिक मनोबल के दृष्टिकोण अधिक प्रायः यह कार्य करने वाले सम्पूर्ण समूह की संतुष्टि पर बल देता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत मनोबल द्वारा ही सामूहिक मनोबल का उत्पन्न होता है।

2 **उच्च एवं निम्न**—मनोबल दो भागों में वर्गीकृत है—(क) उच्च एवं (ख) निम्न। उच्च मनोबल को अभिप्रेरक करने के लिए सामायतया समूह भावना (Team Spirit) जाश या उत्साह टिके रहने का गुण नराम्य प्रतिराध आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यदि शक्ति या समूह बिना विवाद या कलह के टीम या भावना से या जाश से अपना कार्य सम्पादन करता है और उनमें कार्य करने की चाह भलवती है तो मनोबल उच्च माना जाता है। निम्न मनोबल का अभिव्यक्त करने के लिए सामायतया विवाद उदासीनता निराशा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उच्च मनोबल तस्वीर के धनात्मक (Positive) पहलू को और निम्न मनोबल ऋणात्मक (Negative) पहलू को अभिप्रेरक करता है।

3 **मानसिक अवस्था**—मनोबल व्यक्तिगत और समूह की मानसिक अवस्थाओं का सूचक है।

4 **मानसिक तत्त्व**—मनोबल उन्माह भावना विश्वास आशा आदि मानसिक तत्त्वों पर आधारित है।

5 **सम्पूर्ण वातावरण**—मनोबल किसी वन समुदाय या समाज के सदस्यों में व्याप्त समग्र वातावरण को अभिप्रेरक करता है।

6 **मनोबल किसी सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति-समूह की दक्षतापूर्वक और निरंतर एवं साथ काम करने की इच्छा है।**

मनोव्यव की विपनायो पर अनेक विगना ने अपने विचार प्रकट किए हैं। डेल योडर का विचार है कि अधिकांश नियोजना या प्रबंधक उत्पादकता (Productivity) और क्स्म (Quality) को उच्च मनोव्यव के माय एख्विषत करत हैं ताकि कमवारिया के मनोव्यव का विकास एव अनुगदण सम्भव हो सके।¹ डेल योडर न उच्च मनोव्यव को कमचारी अथवा श्रमिक समूह की उस मस्तिष्कावस्था स सम्बन्धित किया है जो समूह गतिविधियो तथा समूह कार्यों के प्रति उत्साही और मत्रीपूर्ण दृष्टियत हाती है। उनके विपरीत यदि समूह असतप्त अनायक शुध अथवा निराशावादी हो तो यह उसके निम्न मनोव्यव का सूचक है। कीय डविस का अभिमत है कि उच्च मनोव्यव एक सुप्रबन्धित संगठन का प्रतीक है जिस असाया अथवा खरीना गहा जा सक्ता है।² निम्न मनोव्यव क सूचक तत्व हडवाने शिथिल काम अनुपस्थित आदि हैं। एच एव क्रेचफील्ड (Krech and Cruchfield) न उच्च मनोव्यव क प्रतीको की एक सूचा प्रस्तुत की है जिस सार रूप म प्रार सा अणवाल ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है—(1) समूह क लिए बदलपात्र वाह्य अदायो के कारण नहीं बरि आ तरिक सशक्ति (Cohesiveness) के कारण एक साथ रहने की प्रवृत्ति (2) समस्या के विरोधी दगों म विभाजित होने की प्रवृत्ति का अभाव (3) परिवर्तित स्थितयो क साथ मल जान करन एव आ तरिक अणवो की निवटाने की समूह की योग्यता (4) समूह के सदस्या के (संगठन स सम्बन्धित हाते का भावना (5) समूह क मदस्या क वाच लक्ष्य की सामुदायिकता (Community) (6) समूह क उद्देश्यो एव नेतृत्व क प्रति समस्या की अनामक अभिवृत्ति एव (7) समूह क सदस्यो नः समूह को बनाए रखन एव उसक अनामक मूल्या क प्रति सम्मान की इच्छा।

मनोव्यव महत्त्व एव प्रभाव या परिणाम

(Morale Its Importance and Effects or Consequences)

मनोव्यव प्रबंध संगठन या संस्था का मानसिक बल है उसका आवश्यक तत्व है। उच्च मनोव्यव संगठन को सफलता की ओर अग्रसर करता है जबकि निम्न मनोव्यव संस्था के विकास म बाधक हाता है। एक सनिक संगठन मनोव्यव क आधार त्र हार का जीव म बदल सक्ता है व्यापारिक तथा प्रशासनिक संगठना म मनोव्यव वह केन्द्र बिन्दु है जिसस प्रशासन की सभी रेखाए प्रसारित की जाती हैं।

मनोव्यव क महत्त्व को उसक प्रभावा और परिणाम क सम्भ म अन्दा तरह समभा जा सक्ता है। चूकि मनोव्यव दो भागा म अर्णिकृत किया जाना है— (क) उच्च मनोव्यव एव (ख) निम्न मनोव्यव। अत यह स्वाभाविक है कि हम दोनों मनोव्यव क महत्त्व और प्रभाव को अलग अलग देखें।

1 *Del Yoder Op cit pp 58-59*

2 *Krech D vs Op cit p 445* —

(क) उच्च मनोबल के प्रभाव या परिणाम
(Effects of High Morale)

जिसी भी सस्था में यदि कमचारी अनुशासित रहते हैं अधिकारिया के आदेश का अनुपालन करते हैं आशावादी और प्रसन्नचित्त हैं तो इस प्रकार की बातें उच्च मनोबल का प्रतीक हैं। उच्च मनोबल के मुख्यतया निम्न प्रभाव होते हैं—

1 इससे श्रमिकों की बदली (Turnover) में कमी आती है। सामग्री का अपव्यय कम होता है श्रमिकों द्वारा हड़ताल या तानाबंदी आदि कायवाहिया कम हो जाती हैं। औद्योगिक विवाद नहीं पनपते श्रमिकों की परिवेदनाएँ बहुत कम या नाम मात्र की रह जाती हैं श्रमिका पर पर्यवेक्षण काय की आवश्यकता घट जाती है उपक्रम का वातावरण मधुर और प्रेरणादायक बन जाता है तथा श्रमिका की कायकुशलता और जीवन स्तर का विकास होता है।

2 कमचारी अपने दायित्वा का पालन करने में प्रसन्न हात हैं और जटिल से जटिल काय से भी नहीं घबराते। संगठन के कायों का सफल संचालन ही उन्हें सन्तोष देता है। वे संगठन के प्रति गौरव की अनुभूति करते हैं और संगठन या उपक्रम के उदयो को अपना लक्ष्य मानकर चलते हैं। उद्योग के कमचारिया में जब उच्च मनोबल होता है तो वे इस प्रकार के आन्दोलनों से प्रभावित नहीं होते जस— कम काम करो नियमानुसार काम करो सीट पर बठ रहो आदि।

3 उच्च मनोबल समूह के उद्देश्य तथा नेता के नेतृत्व में विश्वास जाग्रत करता है सदस्या का एक दूसरे के प्रति सम्बोधन बनाता है सम्स्या के मानसिक शारीरिक एवं भावार्थक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है तथा संगठन में कायकुशलता लाता है।

4 संगठन में मनोबल का ऊँचा स्तर कमचारिया में सहयोगी भावना का प्रसार करता है। सामूहिक काय (Team Work) और मनोबल समानायक होते हुए भी एक नहीं हैं। मनोबल का अर्थ एक समूह के विभिन्न दृष्टिकोणों से है जबकि सामूहिक काय एक छोटे समूह द्वारा घनिष्ठता के साथ और समन्वित रूप में किए गए काय की ओर संकेत करता है। अष्ट मनोबल सामूहिक काय की स्थापना का कारण बन जाता है अतः यह माना जाता है कि कमचारी पूरी तरह मिल जुनकर काम कर सकेंगे किन्तु यह भी सम्भव है कि उच्च मनोबल के हात हुए भी एक समुदाय के लोग टीम भावना से काय न करें।

5 जिस संगठन के कमचारियों का मनोबल ऊँचा होना है उनमें अपने संगठन के प्रति गौरव की अनुभूति होती है जिसके फलस्वरूप वे संगठन के उदयो का अपना लक्ष्य मानकर चलते हैं।

आर सी वेविस के अनुमार उच्च मनोबल से किसी भी सस्था या उपनम म निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न होने चाहिए—

- 1 संगठन क-उद्देश्या की प्राप्ति हेतु स्वच्छ सहयोग ।
- 2 उच्च अनुशासन और नियमा व्यवस्थाओं तथा आदेशों का स्वच्छ अनुपालन ।
- 3 संगठन तथा नृतु व क प्रति वफादारी ।
- 4 संगठन क प्रति गौरव ।
- 5 कमचारियों क पहलपन का उचित और प्रभावपूर्ण प्रमाण ।
- 6 सुष्ठु संगठनात्मक क्षमता या कठिन समय म संगठन का उच्चारण की चेष्टा और योग्यता ।
- 7 संगठन तथा कार्यों में कमचारियों की बना हुई रचि ।

एम एस वाइटल्ल (M S Vitales) न उच्च मनोबल क महत्त्व को इंगित करत हुए लिखा ह कि उच्च मनोबल महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उत्पादकता तथा क्रियाओं का बुजन सवालन प्रमिता क सहयोग पर निर्भर करता है । औद्योगिक मतभेद निम्न मनोबल क कारण उत्पन्न होते हैं अन निम्न मनोबल के प्रभावा को समाप्त करन क लिए उच्च मनोबल का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है । जिस भी प्रतिष्ठान की सफलता के लिए आवश्यक है कि उच्च मनोबल के लिए उपयुक्त वातावरण तयार किया जाए । यह जरूरी है कि उच्च अधिकारी अपने दायित्वों एव कार्यों का ज्ञान रखते ह दायित्वों की स्पष्ट मापना हो स्पष्ट नाति का निर्धारण हो नीति क निर्धारण म भ्रम पैदा होने की गु जाइश न ह उच्च प्रार सहायक अधिकारियों म मतभेद पैदा न हो मध्यस्तरीय तथा पर्यवर्ण स्तर क प्रबन्धकों का प्रभाव न ह आति ।

(ख) निम्न मनोबल क प्रभाव या परिणाम

(Effects of Low Morale)

जब कमचारियों का मनोबल गिरा हुआ होता है तो संगठन म अनेक दोष पैदा ह जात हैं । यदि कमचारी उदासीन हैं भ्रमडाल प्रकृति क हैं अनुशासनहीन हैं काय क प्रति रचि नहीं रखत ह आनोचक और विरोधी ह ता यनी माना जाता है कि कमचारियों का मनोबल निम्न है ।

डा विलियम आर स्प्रीगेल (William R Sprigell) न निम्न मनोबल के प्रभाव अथवा परिणाम इस प्रकार बताए हैं—

- 1 उत्पादकता म कमी आता है ।
- 2 अनुपस्थितिया बढ़ती है ।

- 3 नियमा तथा पयवक्षण काय मे विरोध उत्पन्न होता है ।
- 4 गिकायतो परिवेदनाओ आदि म वृद्धि होती है ।
- 5 कमचारिया मे मन मुटाव होता है ।
- 6 प्रमिको की बदनी मे वृद्धि होती है ।
- 7 दुघटनाए बन्ती हैं ।
- 8 अधिक मन्त्रिपात से बीमारियो म वृद्धि हानी है ।

स्पष्ट है कि मनोबल एक मस्था का प्राण है उसकी जीवन शक्ति है ।

कीथ र्विस ने मनोबल के महत्त्व को इंगित करते हुए ठीक ही निष्ठा है कि जिस प्रकार शौरत की शक्ति का अनुमान कभी भी कम नही लगाता चाहिए उसी प्रकार मनोबल की शक्ति का अनुमान भी कभी कम नही लगाता चाहिए ।

मनोबल को प्रभावित करने वाले तत्त्व

(Factors affecting Morale)

ग्रथवा

मनोबल के निर्धारक तत्त्व या घटक

(Morale Determinants)

किसा भी सस्था ग्रथवा उपक्रम म मनोबल को प्रभावित करने वाले अनेक तत्त्व होते ह । प्राय कहा जाता है कि मनोबल को प्रत्येक चीज प्रभावित कर सकती है—कुछ की तीव्रता अधिक होती है कुछ की सामान्य और कुछ की बहुत ही कम । प्राय मनोबल को प्रभावित करने वाले या उसके निर्धारक तत्त्वो मे निकटतम पयवक्षण (Immediate Supervision) सगठन के काय (Company Operation) व्यक्तिगत पुरस्कार (Personal Reward) काय-संतुष्टि (Job Satisfaction) काय की मनोवैज्ञानिक दशाए (Psychological Conditions of Work) काय के सम्बन्ध (Work Relations) सगठनम एकीकरण (Integration in the Organisation) आदि को सम्मिलित किया जाता है ।

विनचो (Flippo) ने मनोबल को प्रभावित करने वाले घटको मे निम्न की सम्मिलित किया है¹—

- (1) वेतन (Pay) (2) सुरक्षा (Security) (3) किए गए काय की प्रसिद्धि (Credit for work done) (4) काय दशाए (Working Conditions)
- (5) उचित एवं योग्य नेतृत्व (Fair and Competent Leadership)
- (6) अवसर (Opportunity) (7) सहयोगिता की अनुकूलता (Congeniality of Associates)
- (8) कर्मचारी लाभ (Employee Benefits) (9) सामाजिक प्रतिष्ठा (Social Status) तथा (10) उचित तीव्रता (Worthwhile Activity) ।

डा. वेग्न ने मनोबल छरी मज क पांच पाए बनए है। " वेग्न के विवरण के सारांश का अस्तुन करत हुए मामारिया एवं दशोरा के रिवा है—विस्तृत रूप म मनोबल पांच मुख्य घटका पर आधारित ह जिनका विश्वास होना अथवा न होना विभिन्न परिस्थितिया पर निर्भर करना है। मनोबल एक गैमी मज है जिसके पांच पाए हैं जिसके एक नी पाए क टटने पर वह भली भांति खड़ी नहीं रह सकता—

(1) समूह के प्रत्येक सदस्य का समूह के उद्देश्य में विश्वास।

(2) समूह के प्रत्येक सदस्य का नेतृत्व के सभी स्तरों में एक विश्वास— अर्थात् नेतृत्व की योग्यता में विश्वास तथा नेतृत्व में सीधा सम्पर्क।

(3) समूह के प्रत्येक सदस्य अथवा समूहों में एक विश्वास अर्थात् एक तथ्य धारणा कि वे सभी समूहों में प्रति स्वामिभक्त हैं तथा उनकी कठिनाई में अन्य लोगों भी सहयोग करेंगे।

(4) समूह के प्रत्येक सदस्य का समूह में एक विश्वास अर्थात् मानसिक, भावनात्मक भावितिक तथा काय की दशाओं में एक विश्वास।

(5) प्रबन्धात्मक याच्यता में एक विश्वास व अन्तर्गत दो बातें सम्मिलित की जाती हैं—

(अ) संगठन की स्थिति प्रबन्धन एवं आदेश प्रदान करने की विधिया अन्तर्गत प्रणाली तथा मान पूर्ति की विधिया।

(ब) प्रत्येक संगठन में एक अनौपचारिक संगठन होता है जो औपचारिक संगठन की भांति ही महत्त्वपूर्ण होता है। कई बार अनौपचारिक संगठन अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिन अवस्थाओं में औपचारिक संगठन निर्माण हो जाते हैं अनौपचारिक वातावरण द्वारा संगठन की स्थिति सुधारी जाता है। संगठनात्मक योग्यता प्रबन्धन के कार्य की प्रणाली पर निर्भर करने के लिए अनिच्छित सम्प्रयोज्य प्रणाली पर भी यह निर्भर करता है कि व्यक्ति मनी की प्रणाली से अपनी समस्याओं का निराकरण प्राप्त करता है एवं कितनी शक्ति से परस्पर सम्पर्क करने में सक्षम है।

उल्लेखनीय है कि मनोबल प्रभावक तत्त्वों में से कुछ प्रशासन मथवा प्रबंध द्वारा प्रभावित किया जा सकता है जबकि अन्य तत्त्व प्रभाव से महजुने हैं। प्रो. हर्बन ने प्रभाव डालने वाले तत्त्वों का स्पष्ट वर्गीकरण में तीन भागों में बाटा है। उनमें प्रथम स्वातन्त्र्य अथवा स्वयं-निर्णय शक्ति है। अध्यात्मिकता का एक निश्चित दृष्टिकोण बनाने के लिए आवश्यकता है कि एक उन्को यह बात समझा जाए। यदि अधीनस्था की सामर्थ्य की क्षमता सीमित है तो काम आना न। है कि उस संगठन में मनोबल ऊंचा ठ पाएगा।

संगठन के एक सदस्य के मनोबल के पांच-सका स्तर एवं स्थिति नी

महत्वपूर्ण भाग नहीं है। एक पक्षी में काय करन वाले उन मजदूरों में जो प्रभावशाली सधों के नेता हैं या सदस्य हैं एक विशेष प्रकार का मनोबल होता है। इन तत्वों का दूसरा स्रोत प्रबंध के अधिकार के बाहर की चीज है। इसमें हम उन तत्वों को समाहित करते हैं जो बाह्य होते हुए भी उसके मनोबल पर प्रभाव डालते हैं। पारिवारिक समस्याएँ धार्मिक एवं सामाजिक समस्याएँ के उत्तरदायित्व एवं मजदूर सचो आदि की माँग कुछ ऐसे तत्व हैं जो बाह्य होते हुए भी मनोबल को प्रभावित करते हैं। ये सध एवं सस्थाएँ आवश्यक रूप से संगठन के मनोबल का नीचा नहीं गिरातीं किंतु कई बार ये उनका विकास में सहायक होती हैं। तीसरे मनोबल को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रबंध के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। जैसे संगठन की नीतियाँ प्रक्रियाएँ लक्ष्य संचार व्यवस्था आदि। इनके अनिश्चित संगठन में एक अच्छा मनुष्य के सतोपजनक संगठनात्मक व्यवस्था आदेश की एकता पर्याप्त पुरस्कार और अनुशासन उच्च अधिकारी का अधीनस्थ के प्रति दृष्टिकोण आदि मिलकर संगठन में मनोबल का स्तर निर्धारित करते हैं। कई बार अधीनस्थ अधिकारियों के मनोबल पर उस काय का बहुत कम प्रभाव पड़ना है जो किया जा रहा है किंतु उन तरीके का अधिक प्रभाव पड़ता है जो नया किया जा रहा है। यदि अधीनस्था को यह शक हो जाए कि उच्च अधिकारी उनसे व्यवहार पर तथा काय के तत्वों पर विश्वास नहीं करता तो मनोबल निम्न स्तर का होगा हेमन के शब्दों में तब से बेहतर नहीं कि अधीनस्थ का मनोबल प्रबंधक के प्रतिदिन के सम्पर्क द्वारा अत्यंत में प्रभावित होता है। प्रबंधक के दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण निश्चयन मनुष्य एवं सामाजिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करमा उसके आधार पर अच्छा या बुरा मनोबल बन जाएगा।

मनोबल के अंग

(Components of Morale)

लेटन एवं शैलिनडर (Laighton and Scholinder) ने लिखा है कि मनोबल एक भावनात्मक एवं मानसिक स्थिति है जो काय करन की इच्छा को प्रभावित करती है और इस इच्छा से व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक उद्देश्य प्रभावित हात हैं। इन विद्वानों का अभिमत है कि कमचारी मनोबल (Employee Morale) मुख्यतः निम्नलिखित अंगों के संयोजन का परिणाम है—

- 1 यह क्या है (What it is)—यह मानव मस्तिष्क की एक अभिवृत्ति है काय की प्रवृत्ति है व याणतकी एक स्थिति है और एक भावनात्मक दबाव है।
- 2 यह क्या करता है (What it does)—यह उत्पादन किस्म लागत सहयोग उत्साह अनुशासन स्वयंसेवा प्रेरणा और सफाई सम्बन्धी तत्वों को प्रभावित करता है।

3 यह कहाँ रहता है (Where it resides)—यह व्यक्तियों अथवा सहयोगियों के अस्तित्व एवं भावनाओं तथा उनकी सामूहिक प्रतिक्रियाओं में निवास करता है।

4 यह किसको प्रभावित करता है (Whom does it affect)—यह निकटतम अत्यायुक्त अधिकारियों समाज तथा उपभोक्तियों को प्रभावित करता है।

5 यह क्या प्रभावित करता है (What it effects)—यह कार्य के प्रति अभिप्रेरणा प्रदान कर सर्वोत्तम हित में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों तथा शक्ति में सम्पन्न व्यक्तियों को प्रभावित करता है।

मनोबल के प्रकार (Types of Morale)

मनोबल के मुख्य प्रकार यों वर्णित हैं—

- 1 व्यक्तिगत मनोबल (Individual Morale)
- 2 समूह या सामूहिक मनोबल (Group Morale)
- 3 कृत्य मनोबल (Job Morale)
- 4 संगठन मनोबल (Organization Morale)
- 5 उच्च एवं निम्न मनोबल (High and Low Morale)

मनोबल के व्यक्तिगत एवं सामूहिक दो वर्णित हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक के द्वारा दूसरे का प्रभाव एक स्थिरता प्राप्त होती है। व्यक्तिगत रूप में मनोबल अनेक परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न होता है जैसे—अंतर प्राप्त करने के अक्षय सम्पन्न और व्यक्तिगत शक्ति मूल्य एवं धर्म के योग्य सम्पन्न जाते हैं अथवा नए व्यक्तिगत धर्म विकास का अक्षय आदि। संगठन में सामूहिक मनोबल को विकसित करने वाली स्थितियों में मुख्य हैं—आयुक्त व्यक्तिगत सम्पन्न संगठन की शक्ति एवं सम्पन्न के स्वाभाविक शक्तिशाली एवं तरीका में एकलपता अक्षय एवं उपयुक्त माधुन्य आदि आदि। मनोबल का व्यक्तिगत रूप सम्पन्न के अक्षय काय अक्षय रूप में सम्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि उच्च व्यक्तिगत रूप में सम्पन्न प्राप्त हो सके। मनोबल का सम्पन्न रूप सम्पन्न के अक्षय एवं लक्ष्य के साथ सम्पन्न होने के लिए प्रेरित करता है ताकि उसका संगठन अधिक प्रतिक्रिया देने सके।

धर्मोपचारिक मनोबल के विभिन्न तन्त्र उदाहरणार्थ—कृत्य वान काय की दशाभा आदि की सम्पन्न समग्र में विचारधाराओं भावनाओं आदि में सम्पन्न रखता है। संगठन मनोबल व्यक्त की मानसिक अवस्था है जो उन अपने अक्षय हित की सम्पन्न संगठन की सेवा में उद्योग को प्राप्त के लिए काय करने का अभिप्रेरित करती है। एक अक्षय शक्तिशाली में मनोबल को उच्च एवं निम्न बताया

गया है। हम उच्च एवं निम्न मनोबल के अर्थ तथा प्रभावा का उल्लेख पूर्व पृष्ठा में कर चुके हैं।

मनोबल को विकसित करें ?

(How to Develop Morale ?)

किसी भी संगठन में उच्च मनोबल की स्थापना के लिए विभिन्न उपाय सुभाषण गए हैं। इनमें मुख्य ये हैं—

1 संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्य का ज्ञान—जिस संगठन में हम उच्च मनोबल की स्थापना करने जा रहे हैं उसमें सर्वप्रथम यह व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी सदस्य संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों से परिचित हो सकें। लक्ष्यहीन प्रयासों में प्रभावशीलता उत्साह एवं व्यक्तिगत रुचि का अभाव पाया जाता है। उद्देश्य का ज्ञान कराने पर मनोबल ऊँचा उठाने का उदाहरण सैनिक प्रशासन में पर्याप्त रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। जब जर्मनी के सैनिकों को यह बताया गया कि केवल उन्हीं की धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और इसलिए सारे विश्व पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य स्थापित करना उनका महत्त्वपूर्ण अधिकार एवं कर्तव्य है तो वे सभी हिटलर का अनुयायी हो गए। देश की स्वतंत्रता एवं कार्यक्रमकारियों के विनाश के लक्ष्य पर चलने वाले देशभक्त सैनिकों का मनोबल बहुत ऊँचा होता है। प्रशासकीय संगठनों में भी मनोबल विकसित करने के लिए जरूरी है कि उसका कमचारियों को संगठन के लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। वे इस बात से भी परिचित हो कि उनका कार्य संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं तक सहयोग करेगा। प्रशिक्षण द्वारा भी कमचारियों को सम्मुख संगठन तथा कमचारियों के कार्य का उद्देश्य पष्ट किया जाता है।

कहा जाता है कि संगठन में निम्न स्तर के कमचारियों के लिए सरकारी नीति के सामान्य लक्ष्यों का वगन अधिक महत्त्व नहीं रखता है। फिर भी यदि कमचारियों की निरपेक्षता एवं उदासीनता अविश्वास एवं विरोध में परिवर्तित होने की सम्भावना हो तो मनोबल पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अनुभव के आधार पर यह कहा जाता है कि संगठन के सन्ध्या को नीति से परिचित कराने के लिए कुछ निश्चित कदम उठाना जरूरी है। यदि संगठन के कमचारों महत्त्वपूर्ण नीतियों से सूचित रहते हैं तो उनमें संगठन के प्रति अपनत्व का भाव विकसित होता है।

2 नीति निर्माण में भाग लेने की भावना—जब संगठन के कमचारियों का यह विश्वास हो जाता है कि उनमें नीति निर्माण के कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जा रहा है तो वे अपने दायित्वों में विशेष रुचि लेने लगते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है मानो उन पर ही संगठन के संचालन का उत्तरदायित्व है। दायित्व का यह भार उनको गम्भीरता प्रदान करता है। एक कमचारी को संगठन की प्रक्रिया का स्वरूप समझनी सुभाव को यदि उच्चाधिकारी ध्यान देकर सुन उस

पर विचार करे तथा उचित उचित प्रशंसा प्रदान करे तो कर्मचारी को यह अनुभव होता है कि उसका भी कुछ महत्त्व है। फलतः उसका मनोबल ऊँचा होता है।

3 **काय की वाञ्छनीयता**—संगठन का प्रत्येक कर्मचारी यदि यह सोचता है कि प्रस्तुत पद उसके सम्मान, गुरु एवं बुद्धिमत्ता के अनुरूप है तो उद्यम-संतोष की भावना उत्पन्न होगी। जब कर्मचारी यह सोचने लगता है कि वह जिस कार्य को करेगा है वह कोई महत्त्व ही नहीं रखता तो वह संगठन के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध होता है। कर्मचारी को कार्य करने से वचन प्राप्त होना चाहिए परन्तु पर्याप्त नहीं है। यथाथ म उसे इससे पूरा सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो निम्नलिखित है कि उच्च प्रभावजन्य मानस उस विश्वास के साथ जुड़ा होता है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यवान् मानता है। उस विश्वास का विकास करना प्रबंधक का महत्त्वपूर्ण दायित्व है जिसकेवल अवसर पर नहीं छोड़ा जा सकता।

4 **उच्चधिकारी से विश्वास**—संगठन के कर्मचारियों के मनोबल को ऊँचा उठाने का एक महत्त्वपूर्ण आधार समझा जाता है कि वे उच्चधिकारियों की सम्माननीय निष्पत्तियों एवं ध्यानपूर्वकता से विश्वास करें और यह मान कर चलें कि वे जो कुछ भी निरापेक्ष संगठन की अछछाई के लिए ही होंगे। जब उनको यह गंभीरता से समझते हैं कि उच्च अधिकारी या सहयोगी कर्मचारी संगठन के कल्याण के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनका मनोबल बिरसे उभरता है।

5 **भावनाओं का विकास**—संगठन का मनोबल ऊँचा उठाने का एक अन्य महत्त्वपूर्ण माध्यम यह है कि कर्मचारियों का भावनात्मक विकास कर उनमें स्वामि-भक्ति का भाव जाग्रत किए जाए। इसके लिए यद्यपि कोई सामान्य सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति एक बात से अधिक प्रभावित होता है तो दूसरा किसी अन्य बात से। तथापि इमानदारी एवं स्वामिभक्ति के साथ संगठन के लक्ष्यों में अपने आपका खो दें इस सामान्य रूप से अचक्षा समझा जाता है।

6 **प्रशिक्षण के नेतृत्व**—सैनिक एवं व्यापारिक संगठनों में प्रशिक्षण के नेतृत्व सर्वविदित है। महाराणा प्रताप जैसे सनातन से कबल खाद्य से सैनिकों के मन पर प्रभाव डालने की विशाल सनातन के बात सद्गुण कर लिए थे। प्रभावशाली नेतृत्व अपने अतीतस्वा एवं सहयोगियों में मनोबल का विकास करके वे लिए अनेक उपाय काम में ला सकते हैं। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एक प्रभावशाली तरीका उसका स्वयं का व्यवहार है जो संगठन के सदस्यों पर अतिम छाप छोड़ता है।

7 **काय की उच्च शक्ति**—कर्मचारी में मनोबल के विकास के लिए आवश्यक है कि वे बात से प्रभावित होती हैं कि उनको कार्य करने की उच्च दक्षता प्रदान की जाती है या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उन्हें अपने कार्य

से सन्तोष नहीं होगा वे नेतृत्व से प्रभावित नहीं होंगे तथा अपने उच्च अधिकारों की ईमानदारी पर सदैव करेंगे। अतः उच्च मनोबल की स्थापना के लिए यह उपयोगी है कि कर्मचारियों का काय निराप्त हो उनको छुट्टियों की सुविधा पत्तोत्रति के अवसर सन्तोषजनक सेवा निधृति के लाभ प्राप्ति प्रदान किए जाए।

कर्मचारी को श्रद्धा वेतन दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं का सन्तोषजनक रूप से निर्वाह कर सके। कई बार पारिवारिक अशांति गृह कलह परिवार की आवश्यकताओं का अति अधिक भार आदि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि चाहते हुए भी एक व्यक्ति संगठन में अपने दायित्वा के प्रति आवश्यक ध्यान नहीं दे पाता।

8 पदोन्नति के अवसर—संगठन के प्रायः सभी सन्तत्य पदोन्नति में रुचि लेते हैं। यदि उन्हें यह आश्वासन मिल जाए कि उनको पत्तोत्रन किया जा सकता है तो वे अधिक कुशलता के साथ काय करना चाहेंगे। मुख्य रूप से मन्त्रवाकांक्षी व्यक्ति पदोन्नति के अवसरों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। जब किसी कर्मचारी को वह नहीं मिल पाता जो वह चाहता था अथवा उसे वह पद प्राप्त नहीं होता जिसका वह स्वप्न देखना था तो वह घोर निराशा से भर जाता है। लोक-सेवाओं में यह निराशा अत्यन्त घातक मिद्ध हो सकती है अतः जहाँ तक हो सके उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए।

9 काय की मापता—मानव प्रकृति अपने कार्यों की मापता एवं सराहना चाहती है। यदि सरकार के कार्यों को जनहित में उचित मापता मिल जाए उसकी उचित प्रशंसा कर दी जाए तो वह अपने आपकी पुरस्कृत समझने लगती है। यदि कोई अधिकारी अपने काय में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करता है तो उस उसके व्यवसायियों एवं जनता के सम्मुख उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।

मनोबल का माप (Measurement of Morale)

किसी संगठन या उपक्रम में कर्मचारियों का मनोबल क्या है यह जानने के लिए हम उनके कार्यों का भाव, सुभाव, मौखिक विचार आलोचनाओं, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आदि का विवेकपूर्ण निबन्धन करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में मनोबल का माप एक कठिन काय है क्योंकि प्रायः कर्मचारी उपक्रम के प्रति अपने सन्तोष या असन्तोष अपने काय आदि के बारे में वास्तविक बात कहने से सन्कुचित हैं। आभक्ष सर्वेक्षणों और प्रश्नावलियाँ के माध्यम से कर्मचारियों की वास्तविक भावनाओं को ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए विद्यालय आकार के उपक्रमों में कर्मचारी मनोबल को मापने के लिए एक सुनिश्चित प्रणाली की आवश्यकता समझी जाती है। बड़े संगठनों में प्रबंधकों और कर्मचारियों में कोई सीधा सम्पर्क नहीं

होत अत कमचारिया के मनोबन का माप कित्ती सुदृढ और सुनिश्चित विधि द्वारा ही किया जा सकता है। छोटे उपक्रमो म भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रबन्धन को कमचारियो क मनोबन के बारे म आवश्यक जानकारी मिल सके।

मनोबल का मापने के लिए प्राय औपचारिक एव अनौपचारिक दोनो विधियाँ (Both Formal and Informal Methods) का सहारा लिया जाता है।

(क) औपचारिक विधियाँ—इन्हें क्रमबद्ध विधियाँ भी कहते हैं। इनमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधियाँ सम्मिलित हैं। प्रत्यक्ष विधियो म प्रश्नावलियाँ सम्मति सर्वेक्षण धारणा माप आदि सम्मिलित किए जात हैं जबकि अप्रत्यक्ष विधिया म संपादन स्तर अनुपस्थिति विषय दर आदि के आधार पर मनोबल जान किया जाता है।

(ख) अनौपचारिक विधियाँ—इन विधिया म निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं—(i) विशय अवसर पर कमचारियो की टिप्पणियो या विचारो का विशयण एव प्रथवा निवचन (ii) कमचारी तथा कमचारी समूह व्यवहार का अध्ययन एव (iii) पयवक्षको द्वारा रिपाट किए गए विचार और कमचारी क प्रति धारणाएँ। मनोबल का मूयांकन करने के लिए सामान्यत निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग मे लाई जा रही हैं—

- (i) अवलोकन (Observation)
- (ii) साक्षात्कार (Interview)
- (iii) प्रश्नावलियाँ या धारणा सर्वेक्षण (Questionnaires or Attitude Surveys)
- (iv) कम्पनी के लेखे तथा प्रतिवेदन Company Records and Reports)

अवलोकन—यस विधि म उपक्रम का प्रबन्धक कमचारी के व्यवहार हाव भाव और कार्यों को देखता रहता है तथा कमचारी की बातें सुनता है। वह कम्पनी क प्रति कमचारी क विचार को जानन का प्रयत्न करता है। कमचारी की वायकारी आदता और अभिव्यक्तिया म परिवतन को ध्यान देता है। यदि कमचारी के सामान्य व्यवहार म कोई परिवतन पाया जाता है तो उसे तब तक शका की दृष्टि से देखा जाता है जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि परिवतन आवश्यक था परिवतन प्रतिष्ठान क लिए अनुकूल है या प्रतिकूल आदि।

साक्षात्कार—यस विधि के कमचारी से आमने-सामने तथा व्यक्तिगत रूप म विचारा का मौखिक आदान प्रदान हो सकता है। इस प्रकार दोनो पक्षो क विचार स्पष्ट हो जाते ह तथा एक दूसरे के विचारो म समानता लाने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। साक्षात्कार पद्धति से मतभेद के कारणो का सरनता से पता लगाया जा सकता है बशर्ते कि साक्षात्कार के समय प्रबन्धका अथवा अधिकारिया द्वारा

ऐसा वातावरण बना दिया जाए कि कर्मचारी वस्तुमय अनुभव करे कि उसे उपयुक्त विचार विमर्श के लिए बुनाया गया है और प्रबंधक की मंशा किसी भी प्रकार उसका प्रतिफल करने की नहीं है। साथ ही कार्य प्रणाली को विश्वसनीय बनाने के लिए साक्षात्कार का प्रारम्भ प्रबंधक की ओर से किया जाना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उपक्रम के विभिन्न व्यक्तियों से अनौपचारिक रूप से बातचीत करता रहे और उपयुक्त समय पर कुछ चुन हुए कर्मचारियों का साक्षात्कार आयोजित करे।

प्रश्नावली—उपक्रम में सामाजिकता दो प्रकार की प्रश्नावलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं— धारणा माप (Attitude Scale) तथा सम्मति माप (Opinion Scale)। धारणा सर्वेक्षण के द्वारा वह जानकारी प्राप्त की जाती है कि कर्मचारी कम्पनी के बारे में क्या सोचते हैं किस प्रकार की शिक्षा और सूचना के प्राप्ति करना चाहते हैं उनकी इच्छाएँ क्या हैं आदि। मनोबल में सुधार तथा सेधीवर्गीय आयोजन की प्रभाव क्षमता का मूल्यांकन भी धारणा सर्वेक्षण से किया जाता है। इस प्रकार का सर्वेक्षण श्रमिकों और पथवियों दोनों के लिए काम में लाया जा सकता है। जानकारी विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त की जा सकती है यथा—मजदूरों की दरें नियोजन विधि कर्मचारियों के मूल्यांकन कार्यक्रम आदि। सम्मति सर्वेक्षण का अन्तर्गत कुछ विशिष्ट विषयों पर—यथा काय—दशाओं कम्पनियों की नीतियों आदि पर—कर्मचारियों की सम्मति प्राप्त की जाती है।

कम्पनी आलेख एवं प्रतिवेदन—प्रत्येक उपक्रम में कर्मचारियों के कार्य सम्बन्धी अभिलेख या प्रतिवेदन पथवेक्षण तथा अधिकारियों की सन्तुष्टता से तैयार किए जाते हैं। इन अभिलेखों के गहन अध्ययन से कर्मचारियों के मनोबल को भली प्रकार मापा जा सकता है। उपक्रम के अभिलेखों में उत्पादन की मात्रा एवं विस्मय कर्मचारियों के प्रतिवेदन तथा सुझाव कर्मचारी अनुपस्थिति और मदता दुष्टताओं की दर दोषपूर्ण वस्तुओं की मात्रा तथा उनकी लागत आदि के द्वारा भी जानकारी दी जाती है और इन सूचनाओं से कर्मचारियों को बढ़ते या गिरते हुए मनोबल का पता लगाया जा सकता है। इस विधि का मुख्य नियम यह है कि इससे कर्मचारियों के भूतकालीन मनोबल का ही आभास मिलता है वर्तमान मनोबल का नहीं और इसलिए यह विधि मनोबल सुधारण के तात्कालिक उपाय सुझाने में अधिक कारगर नहीं मानी जाती है।

मनोबल और अभिप्ररणा

(Morale and Motivation)

मनोबल अभिप्ररणा दोनों भिन्न होते हुए भी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनोबल काय करण की इच्छा तथा काय क्षमता के लिए प्रयुक्त किया गया है जबकि अभिप्ररणा को काय करण की इच्छा और काय की क्षमता के बीच की राई को पाटने वाला पुल माना गया है। अतः स्वाभाविक है कि दोनों क

बीच सम्बन्ध है। मनोबल सम्बन्ध या उपक्रम के प्रति सतुष्टि और अच्छी भावना को अभिव्यक्त करता है और अभिप्रेरण इस भावना तथा सतुष्टि का निर्माण करती है। जिस प्रकार व्यक्तियाँ तथा समूहों के लिए अभिप्रेरण परिवर्तित होती रहता है ठीक उसी प्रकार मनोबल भी व्यक्तियाँ तथा समूहों के साथ बदलता रहता है। एक अतिरिक्त अच्छे या बुरे अथवा उच्च या निम्न मनोबल के निर्धारक घटक अपने में अभिप्रेरण के समस्त अंगों का सम्मिलित कर गत हैं। उदाहरणार्थ जो घनात्मक लक्ष्य (Positive Goals) अभिप्रेरण के अंग है वह ही उच्च मनोबल के लिए सामान्यतया आवश्यक ममक जाते हैं। मनोबल के लिए समूह सार्थक अथवा समूह आकर्षण को अत्यावश्यक माना गया है। उसी प्रकार प्रगति काय निष्पत्ति की जानकारी आती जा कि अभिप्रेरण के अंग हैं उच्च मनोबल के निर्धारक मान जाते हैं और इन सबका विपरीत निम्न मनोबल के लिए उत्तरदायी है। सार्वगत अभिप्रेरण और मनोबल में काफी हद तक प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और अभिप्रेरण के विभिन्न अंगों का मनोबल पर प्रभाव पड़ता है।

मनोबल और उत्पादकता (Morale and Productivity)

यह आशा की जाती है कि जिम प्रतिष्ठान का मनोबल और नतिक चरित्र ऊँचा होगा वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अधिक सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकेगा। अनेक विचारकों का निष्कर्ष है कि कमचारियों का उच्च मनोबल के फलस्वरूप गुण और मात्रा की दृष्टि से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। दूसरी ओर आधुनिक अनुसंधान यह भी सिद्ध करते हैं कि मनोबल और उत्पादन में ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं है कि मनोबल ऊँचा होगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। ऐसी भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं कि कमचारियों का मनोबल ऊँचा होने पर भी उत्पादन कम हो। उदाहरणार्थ यदि पथवर्क लोगो को मनमानी करने देना है उनसे अपेक्षापत्र निभाता है उह प्रसन्न रखने के अनुचित प्रयास करता है तो मनोबल ऊँचा होने पर भी उत्पादन का स्तर अवश्य गिर जाएगा। जबकि दूसरी ओर अम नजरबंदी शिविर में मनोबल चाहे नीचा ही होगा दबाव और कठोरता से काम लेकर मनोबल खराब होत हुए भी उत्पादन का स्तर कायम रखा जा सकता है। यह अलग बात है कि एक सांख्यिक समाज में प्रायः ऐसा व्यवहार की आशा नहीं की जाती।

उत्पादन का मात्रा से मनोबल का प्रत्यक्ष सम्बन्ध ही अथवा न हो किन्तु प्रत्यक्ष प्रशासकीय संगठन के नेता अथवा अध्यक्ष का प्रयत्न होना चाहिए कि वह अपने कमचारियों का मनोबल बनाए। संगठन के सदस्यों के मनोबल से संगठन का प्रदर्शन अधिक सफल बनाता है।

मनोबल को नष्ट या प्रभावहीन बनाने वाले कारण (Causes which Destroy or Undermine Morale)

एक प्रशासकीय संगठन में मनावल की मात्रा कितनी है इस मापने के लिए कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे सूचक अथवा सूक्त अवश्य हैं जिनके आधार पर यह परखा जा सके कि मनोबल का स्तर कितना होगा। संगठन के प्रबन्धन व निरीक्षण द्वारा तथा दृष्टिकोण एवं मनोबल से सम्बन्धित सर्वेक्षण करके यह पता लगाना चाहिए कि संगठन के कमचारियों में मनोबल कितना है। यदि मनोबल सतोरबन्धनक न हो तो उसका विकास करने के लिए उपयुक्त साधना का यथोचित सहारा देना चाहिए साथ ही उन दशाओं एवं क्रियाओं को निरस्त/माहित करना चाहिए जो मनोबल का गिराती अथवा प्रभावहीन बनाती हैं।

जिम देश में नागरिक सवाओं पर राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है वहाँ मनोबल बहुत गिर जाता है। इस सूक्त को रोकने के लिए आवश्यक है कि प्रथम राजनीतिक अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सवाओं के बीच उचित सम्बन्ध का विकास किया जाए। दूसरे अमुरक्षा की भावना दूर की जाए। इस भावना के कई रूप हो सकते हैं जैसे सेवा का समुप्त हो जाना पुनर्बर्गीकरण और वेतन-स्तरो में कमी अभिकरण का पुनर्गठन आदि। टा ह्वान्ट वं शा-नेम राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता मनावल क अभाव का घटाती है जबकि स्थायित्व उसके निर्माण के लिए नीव का काम करता है। तीसरे कभी कभी गलत प्रस भी नागरिक सवाओं के मनोबल को नीचा गिरा देता है। प्रत्येक देश में समाचार-पत्रों की रुचि प्रायः आलोचना एवं गोपपूर्ण बिन्दुओं पर केन्द्रित हा जाती है ईमानदारी एवं कायकुशलता पर नहीं। ह्वान्ट के कथनानुसार हम किसी भी योग्यतम व्यक्ति से यह आशा नहीं कर सकते कि वह उस सेवा की इच्छा करे जा एसी अनुत्तरदायी आलोचना का विषय है जिसमें कि कुछ समाचार पत्रों द्वारा सरकारी अधिकारियों एवं कमचारियों के विरुद्ध कीचड़ उछानी जाती है।

भारतीय स देश में मनोबल को प्रभावित करने वाले तत्त्व (Factors Influencing Morale in India)

प्रत्येक देश में कामिक वग की मनोदशा का अध्ययन करने पर कुछ ऐसे तत्व प्राप्त होत हैं जिनका मनोदशा पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पडता है। भारतीय सत्तम में निम्नलिखित तथ्यों का प्रभाव अनुकूल देखने में आया है—

१. परम्परागत प्रभाव के अन्वेषरूप सरकारी सवाओं का आज भी उनजों सस्याओं की नीकरिया से अन्तर समझा जाता है। जनमानस में सरकारी सवाओं की प्रस्थिति (Status) उसी स्तर की निजी सवाओं से अर्थात् समझी जाती है। यही कारण है कि सरकारी सेवाओं में निजी सेवाओं से लोग कम वेतन पर भी आ

2 सविधान की धारा 311 के फन्डरूप सरकारी मवाए पूरा सुरभित हैं । अत किसी सरकारी प्रशासनिक संगठन से यदि सेवा सम्बन्धा प्रावधान का कमचारी को पूरा लाभ न मिले तो मनावनानिक रूप स उस अपनी नौकरी की सुरक्षा की भ बना उसे उम और आकर्षित करती है ।

3 प्रत्यक् सरकारी कमचारी अपन सेवाकाल म कुछ न कुछ पणानति नियमानुसार अवश्य प्राप्त करता है । निरी सस्थाओ म यह आवश्यक नही है ।

4 सरकारी कमचारी को यह विश्वास होता है कि सेवा निवृत्ति के बाद उसे सरकार से पेंशन मिलगी । इस पेंशन के लिए सरकारी कमचारिया को कार्य अशानन नही देना पडता । वेतन के समान ही पेंशन चुकाना भी सरकार का उत्तरदायित्व है ।

5 दूसरी ओर निजी सस्थाओ म प्राविण्ट फण की प्रवस्था है जिनम कमचारिया को अशानन देना पडता है और फिर भी फण्ड की सुरक्षा पेंशन की सुरक्षा स कहीं कम है ।

6 सरकारी सेवा की शर्तों निजी सेवा की शर्तों से अधिक आकर्षक और सुविधाजनक हानी हैं जिनका मनोबल पर अनुकूल प्रभाव पडता है ।

जिन तथ्या का भारतीय कमचारिया पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है उनमे मुख्य ये हैं—

1 कमचारिया के मन म प्रशासकीय नीतिया की ईमानदारी क प्रति शका यान्त रहती है । नोगा के तिल म यह वान धर कर चुकी है कि संग सम्बन्धिया और शक्तिशाली लागे का लाभ पहचान क लिए बिना किसी प्रशासकीय कारण क सरकारी नीतियो म परिवर्तन होता रहता है । नीतियो का क्रियावयन भी भेदभावपूर्ण होता है अत कमचारिया की नीतिया की निष्पत्ता के प्रति अविश्वास रहता है ।

2 प्रशासन म आए दिन राजनीतिक हस्तक्षेप होता है । अत्यन्त बरिष्ठ पणाधिकारी तक म यह विचार पनप गया है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के फलस्वरूप अब योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने अथवा नियुक्ति करन का काय दुष्कर होना जा रहा है । सरकारी कमचारिया म यह भावना धर कर चुकी है कि उन्नति के लिए नानाओ राजनीतियो आदि का आर्शीवाद प्राप्त करना जरूरी है ।

3 अधिकारियो और कमचारियो का अपनी नौकरी की सुरक्षा क प्रति भी आशका रहती है । उह यह विश्वास नही रहना कि नियमा और कानूनों के अनुसार दन्तापूर्वक काय करन पर भी मौका पडने पर उच्च प्रशासकीय अधिकारी उनका साथ देगे ।

कमचारी वग आज यह मग्भन रहा है कि प्रशासकीय नियम प्राय प्रशासनिक आसार पर न तिम जाकर राजनीतिक कारणों म लिग जाते ह ।

राजनीतिक दबाव के कारण सरकार उचित मामला में भी वार्षिक जाँच की माँग स्वीकार कर लेती है और वार्षिक निष्पत्ति पूरा निष्पक्ष होगा यह भी निश्चित नहीं है।

राजनीतिक और प्रशासनिक दानों ही क्षेत्रों में कमचारी वर्ग को अनेक ऐसी बातों के लिए उत्तरदायी ठहराना या निर्दिष्ट करने की प्रवृत्ति पनप रही है जिनके लिए वास्तव में वह उत्तरदायी नहीं है। आलोचना का मुख्य रूप सृजनात्मक न होकर आनामक हाता है जिससे कमचारियों के हृदय में अनेक शिकाएँ उत्पन्न होती हैं।

सरकारी सगठना में काम की दशाएँ भी बहुत कुछ असंतोषजनक होती हैं। वातावरण ऐसा बन चुका है कि ईमानदारी से कार्य संचालन सम्भव नहीं है। राजनीतिक नेता उचित माँगों पर भी ध्यान नहीं देते जब तक हड़ताल, धरना आदि न किए जाएँ, ऐसा विश्वास जताने अनजाने कमचारियों के मन में पनप रहा है।

वास्तविक आय रुपये के मूल्य गिरने से कम होती जा रही है अतः आर्थिक परेशानियाँ भ्रष्टाचार को बढ़ा रही हैं।

कमचारी वर्ग अपने भविष्य के बारे में अशक्त है क्योंकि सेवा की शर्तों में प्रायः बड़ी ज़रूरी ज़रूरी परिवर्तन किए जाते रहे हैं।

अनेक रायों में राजनीतिक अस्थिरता भी कमचारियों के मन में आशंका पैदा किए हुए है। कमचारी यह समझते हैं कि उनका जो कार्य आज उचित है वही नयी सरकार द्वारा कल निर्दनीय माना जा सकता है।

दोषों में यह विचार भी घर करता जा रहा है कि राजनीतिक अखाड बाजी का जो चक्कर चलता है उसमें पुनः प्रशासन भी बदले की भावना से कमचारियों के प्रति निरकुश बन सकता है।

उपरोक्त सभी कारणों से बहुत कुछ इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि सरकारी कमचारियों का मनोबल स्वतंत्र भारत में बसा नहीं है जसा कि होना चाहिए।

प्रशासनिक व्यवहार—निर्णय प्रक्रिया
(एच साइमन)

(Administrative Behaviour—Decision
Making H Simon)

प्रशासनिक व्यवहार —
(Administrative Behaviour)

1945 म ह्वट ए साइमन ने प्रशासनिक व्यवहार (Administrative Behaviour) नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया जो एक प्रशासनिक संगठन में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन है। इसमें कुल 11 अध्याय हैं। अध्याय II एवं III में कुछ प्रविधीय मसला पर विचार किया गया है ताकि मानवीय तार्किक चयन की संरचना का विश्लेषण किया जा सके। अध्याय IV और V में तार्किक चयन का सिद्धान्त रचा गया है ताकि एक संगठनात्मक पर्यावरण में निर्णय निर्माण पर पड़ने वाले प्रभावों का समझ सकें। अध्याय VII और X में इन प्रभाव प्रक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया गया है ताकि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर संगठन के प्रभावों पर विचार किया जा सके। अध्याय XI में यह देखा गया है कि इस विश्लेषण का उपयोग संगठनात्मक संरचना में किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें यह भी एक संगठन के साथ अभिप्रेरणात्मक कड़ी प्रस्तुत की गई है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संगठनात्मक प्रभाव और विशेष रूप से संस्था के प्रभाव मानवीय व्यवहार के रूप में निर्धारण में कितनी प्रभावशाली शक्तियाँ हैं।

साइमन की पुस्तक मानवीय व्यवहार में प्रशासनिक व्यवहार सम्बन्धी जो विषय सामग्री उपलब्ध होती है उसका वर्णन हम संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से कर रहे हैं—

प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन का महत्त्व

(Importance of the study of Administrative Behaviour)

प्रो साइमन का मत है कि संगठन का अध्ययन करते समय ।

केन्द्रित वापरण कमचारी नेता है कयाकि सरचना की सफाता रतम उसकी काय सम्पत्ता क आधार पर जावी जाणया ।¹ यदि हम किसी संगठन की सरचना और काय क विषय म अन्तःपिट चाहते हैं तो इसके विषय श्रष्ट तरीका य है कि जिन प्रकार संगठन म तथा संगठन रतम इन कमचारियों के निगमया एवं व्यवहार को समाहित किया जाता है उस तरीके का विश्लेषण करें । संगठन क उद्देश्यों को पूरा करने का वास्तविक काय नीचे के स्तर के वायवर्त्ताओं द्वारा किया जाता है । किसी भवन का निर्माण कोई इंजीनियर या आर्किटेक्चर क हाथो नग वरन् मिस्त्रो के नामा जाता है । इसीप्रकार प्रशासनिक पन्तोपान म निम्नतम स्तर पर काय करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं गत वरन् उसका संगठन की कय प्राप्ति म उल्लेखनीय योगदान रहता है । उच्च निम्नतम या काया मक स्तर त ऊपर वाले कमचारियों का भी महत्व होता है । व संगठन म उत्तमस्तीय भूमिका प्रदा करत हैं । यह सच है कि मजर द्वारा युद्ध क्षेत्र म वास्तविक बाहुक नती चर्गाई जाती किन्तु युद्ध के परिणामों पर उसक कार्यों का प्रभाव बाहुक चताने वान से कियो प्रकार म कम नहीं होता । जब नम प्रशासनिक प्रक्रिया का रस रूप म ब्रहान करत हैं तो यह सामाजिक मनाविगान की एक समस्या बन जाती है जिसम कायकर्त्ताओं के एक समूह पर पयवसक्त का एक समूह और रचना पन्ता है जा कि कायशील समूह का समाहित एवं प्रभावशाली व्यवहार की ओर मोड़ सके ।

व्यवहार करत समय कत्ता नारा चयन किया जाता है । माहमन न निम्ना है कि समस्त वाह्यकार कर्त्ता क लिए तथा उन लागू क लिए जिन पर वह प्रभाव एवं मत्ता का प्रयोग करता है शैतिक रूप से सम्भव समस्त कार्यों म स विशय कार्यों का चयन अथवा अचयन रूप से चयन करना है । कार्यों का चयन कभी तो अचयन और अनजान रूप म होता है तथा कभी यह निर्माजित अथवा निर्धारित क्रिया क रूप म होता है ।

व्यवहार पर मूल्यों एवं तथ्यों का प्रभाव

(Influence of Values and Facts on Behaviour)

अधिकांश मानवीय व्यवहार और विशय रूप से प्रशासनिक संगठना मे मानवीय व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है जा लक्ष्य अथवा उद्देश्या क प्रति उमुख होता है । यह उद्देश्यपूर्णता उसके व्यवहार के प्रतिमान म एकीकरण वाली है जिसक अभाव म प्रशासन अयहीन होता है । प्रशासन का मूल्य काय का सम्पन्न करत हाता

1 In the study of organization the operative employee must be at the focus of attention for the success of the structure will be judged by his performance with it. —Herbert A. Simon p. 1 p. 3

2 All behaviour is conscious or unconscious selection of particular action out of all those which are physically possible to the actor and that the person chooses over whom he exercises influence and thereby

—Herbert A. Simon p. cit p. 3

है तो उद्देश्य क्या कार्य किया जाना चाहिए इसके लिए एक प्रमुख मापक प्रस्तुत करता है। विशिष्ट कार्यों को प्रशासित करने वान छोट छोट निर्णय अपरिणाम रूप से उद्देश्य एवं प्रणाली से सम्बन्धित आवश्यक निर्णयों का प्रभावित करते हैं। चयन वाना व्यक्ति एक काम उठाने के लिए अपने पाव की मास पशिया का सक्रिय करता है वह अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने के लिए एक कदम उठाता है वह अपने उद्देश्य या लक्ष्य डाक के लिए तब उसमें पत्र डालने जाता है वह पत्र इसलिए डालता है ताकि कुछ सूचना अपने व्यक्ति को दे सक आदि आदि। म इसलिए डालता है ताकि कुछ सूचना अपने व्यक्ति को दे सक आदि आदि। म प्रकार मानवीय व्यवहार चयन की एक न टूटने वाली शृंखला है। यह तब तक चलती है जब तक कि अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता। जो निर्णय अन्तिम न उसके चयन की ओर न जाते हैं उनका मूल्यारमक निर्णय कहा जाता है तथा जो निर्णय हम लक्ष्य का कार्यावित कराते हैं वे तथ्यात्मक निर्णय कहे जाते हैं।

प्रशासनिक व्यवहार उद्देश्यपूर्ण (Purposive) तथा तार्किक (Rational) होता है। जहाँ तक सामान्य लक्ष्य अथवा उद्देश्य से निर्देशित है वहाँ तक यह उद्देश्यपूर्ण तथा जब यह पल में चयनित नया को प्रवृत्ति के लिए उचित विकल्पों का चयन करता है वहाँ तक यह तार्किक है। वास्तविक व्यवहार में प्रत्येक निर्णय एक प्रकार से समझौता होता है। अन्तिम रूप से जिस विकल्प का चयन किया जाता है वह लक्ष्य का पूर्ण प्राप्ति को कभी सम्भव नहीं बनाना किंतु वह तत्कालीन परिस्थितियाँ में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ समाधान मात्र होता है। पारिस्थितिक स्थितियाँ अपरिहार्य रूप में उल्लेख विकल्पों का सामना करती हैं।

प्रशासनिक व्यवहार निर्णय प्रक्रिया है
(Administrative Behaviour is Decisional Processes)

प्रशासनिक क्रिया एक सामूहिक क्रिया है। इसको सम्पन्न करने के लिए सगठित कार्य आवश्यक है जिन तकनीकों से यह कार्य सम्पन्नता सुविधानतक बनती है उनको प्रशासनिक क्रिया कहते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक क्रियाएँ अथवा व्यवहार मूल रूप से निर्णय निर्माण का प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत सगठन के समस्या के निर्णयों में कुछ तब डाले जाते हैं इन तत्त्वों के चयन एवं निर्धारण के लिए नियमित सगठनात्मक प्रक्रियाएँ स्थापित की जाती हैं तथा इनका सूचना सगठन के सम्बन्धित समस्याओं तक पहुँचाई जाती है। सगठन प्रति म उनके स्वयं निर्णय न करने की कुछ स्वायत्तता का छीनना है तथा इसके स्थान पर सगठनात्मक निर्णय प्रक्रिया की स्थापना करना है।

प्रशासनिक व्यवहार जा कि एक निर्णय प्रक्रिया है वास्तव में समन्वय विधानता और दक्षिण से युक्त होता है। समन्वय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सामूहिक व्यवहार में कबन सी निर्णय नही पयाप्त नही है वरन् य निर्णय

उस समूह के सभी सदस्यों द्वारा पारित भी होने चाहिए। सत्ता या प्रभाव के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। कार्यात्मक स्तर पर विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से एक संगठन का कार्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि सभी विशेषज्ञता पूर्ण प्रक्रियाएँ वसी योग्यता रखने वाले लोगों द्वारा ही सम्पन्न की जा सकें। सी प्रकार नियंत्रण या योग्यता रखने की दृष्टि से नियंत्रण केन्द्र का उत्तरदायित्व भी इस प्रकार आवंटित किया जाए ताकि विशेष योग्यता की अपेक्षा वाले नियंत्रण ऐसी योग्यता रखने वाले द्वारा ही किए जाएं। प्रत्येक संगठन के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समूह द्वारा निर्धारित मानकों का अनुशीलन करें। अधीनस्थ स्वीकार्यता की स्वच्छता उन नीतियों द्वारा सीमित हो जाती है जो प्रशासनिक पदस्थापन में शीघ्र पर स्थिर लोग द्वारा बनाई जाती है।

प्रशासनिक व्यवहार पर संगठनात्मक प्रभाव ✓

(Organisational Influence over Administrative Behaviour)

संगठन में उच्च स्तर पर लिए गए नियंत्रणों का प्रभाव कबल तभी हो सकता है जबकि उनका नीचे तक संचारित किया जाए। यह प्रभाव दो प्रकार का होता है। प्रथम कार्य करने वाले कर्मचारी में स्वयंसेवक दृष्टिकोण आण्टो एवं ऐसी मन स्थिति की स्थापना की जाती है ताकि वह संगठन के लिए उपयोगी नियंत्रण ल सके। दूसरे संगठन में अर्थ कही लिए गए नियंत्रणों को कार्य करने वाले कर्मचारियों पर लागू करना। संगठन में नियंत्रण रखने वाले सभी कर्मचारियों का प्रभावित करने की दृष्टि से सत्ता का विशेष महत्व है। जब कोई अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के नियंत्रण का अनुशीलन करता है तो वह एक प्रकार से उसकी सत्ता से निर्देशित होता है। सत्ता का प्रयोग करते समय यह आवश्यक नहीं कि उच्च अधिकारी अधीनस्थ को समझाकर प्रभावित करे किंतु वास्तविक व्यवहार में सुभाव एवं समझाने बुझाने की कार्यवाही चलने लगी है। सत्ता का प्रयोग ऊपर नीचे तथा अगल-बगल में होता है। सत्ता का एक औपचारिक रूप प्रत्येक संगठन में पाया जाता है। इसकी सहायता के लिए सत्ता का अनौपचारिक रूप भी विकसित हो जाता है जो संगठन के अनेक प्रतिनिधित्व के कार्यों में सहयोग करता है। औपचारिक सत्ता मुख्य रूप से विवादों के निपटारे के लिए सुरक्षित रहती है।

साइमन का कहना है कि मानवीय व्यवहार की यह प्रभावी विशेषता है कि एक संगठित समूह के सदस्य स्वयं को उस समूह के साथ समरूप बना लेते हैं।¹ नियंत्रण के समय संगठन में प्रति स्वामिभक्ति से प्रभावित होकर वे कार्य के विकास में से चयन करने में अपने कार्यों के संगठन पर होने वाले परिणामों का विचार

1 It is prevalent characteristic of human behaviour that members of a regulated group identify with the group.

निष्पत्ति प्रक्रिया में उच्च विकल्पों का चुनाव जाता है जो वांछित उद्देश्यों पर पहुँचने के लिये साधन होते हैं। अन्य स्वयं भी अन्य अतिम उद्देश्यों के लिए साधन मात्र ही होते हैं। इस प्रकार उद्देश्यों की एक शृंखला अथवा पदसापान होता है। व्यक्तिगतता (Rationality) का अर्थ साधन साध्य की व्यक्तिगत रचना करना है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी साधन साध्य सम्बंध व्यवहार को अधिकृत करने की चेष्टा करते हैं। साधन तथा साध्य का पदसापान जिस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार की विधिपता है उसी प्रकार यह संगठन के व्यवहार की भी विधिपता है।

प्रत्येक क्षण में व्यक्ति या संगठन के सम्मुख व्यक्तिगत व्यवहारों की बहुत बड़ी संख्या होती है। इनमें से कुछ तो व्यक्ति के चेतना पटल पर हात हैं और कुछ नहीं। चयन अथवा निष्पत्ति के अर्थ यह है कि इनमें से प्रत्येक क्षण के लिए एक व्यवहार को छांट लिया जाता है। कुछ समय तक व्यवहार को निर्धारित करने वाली निष्पत्ति का ही शृंखला को रणनीति (Strategy) बना जाता है। व्यवहार रणनीति के अर्थ में कुछ सम्भावित परिणाम होते हैं। तार्किक निष्पत्ति का कल्पना ऐसी रणनीति का चयन करना है जो अपेक्षित परिणामों की दृष्टि से पसन्द की जाती है। निष्पत्ति की प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं—पहले सभी व्यक्तिगत रणनीतियों की सूची तैयार की जाती है दूसरे प्रत्येक रणनीति के सभी परिणामों का निर्धारण किया जाता है तथा तीसरे इन परिणामों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एक बार जब एक रणनीति अपना सा जाता है तो उस बदल कर दूसरी रणनीति अपनाया जाना उचित नहीं होता क्योंकि समय का बड़ा महत्व है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए अपने जीवन के सात वर्ष प्रशिक्षण में पढ़ते हैं और दस वर्ष उसके व्यवहार में लगा दिए तो इसके बाद उसके ये साधन का प्रश्न नहीं उठता कि उस डॉक्टर बनना चाहिए अथवा न जीवित बनना चाहिए। यही बात प्रशासनिक व्यवहार पर लागू होती है।

प्रशासनिक व्यवहार में चयन की महत्वपूर्ण भूमिका है। चयन के द्वारा यह निर्धारित होता है कि किन व्यक्तिगत रणनीतियों से कौन से परिणाम प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति प्रत्येक रूप में अपने कार्यों के परिणामों का ज्ञान कर सकता है वह भविष्य के परिणामों का अंशदा कर सकता है। यह अंशदा चयन अनुभववाचक सम्बन्धों में वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए मन्वावग चयन का प्रशासनिक निष्पत्ति प्रक्रिया का उद्देश्य किया जा सकता है। अथवा चयन प्रक्रिया के अर्थ में यदि चयन के बारे में परीक्षा से अथवा अर्थव्यवस्था तथा अन्य साधन खाना से आकड़ों के अर्थ में विचार किए जाते हैं। इन आकड़ों के आधार पर तुलनात्मक भविष्यवाणी करके यह निर्धारित किया जाता है कि कौन पर कौन सा प्रयाशी सबसे सहायजनक कार्य करेगा। यदि भविष्यवाणियाँ सही हैं तो सही निष्पत्ति लिया जा सकेगा।

पर-सरकारी संगठन में निगम मन की समस्या सरकारी प्रभिकरण की अपेक्षा अधिक महत्व पाती है। पर-सरकारी संगठन में कर्मचारी परिणामों का ध्यान में रखा जाता है जो व्यवस्था को प्रभावित करते हैं जबकि सरकारी अभिकरण में निगम का सामाजिक मूल्यों के प्रकाश में देखा जाता है। उदाहरण के लिए जब एक पर-सरकारी निगम का अध्यक्ष अपने किसी सम्बन्ध का फर्म में पद माँगता चाहता है तो उस यह देखना होगा कि नियुक्ति का फर्म की कार्य बुजुर्गता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किंतु यदि उस पद पर कोई सवा में नियुक्ति करनी हो तो उस पर देखना होगा कि उस कार्य का ठाक सवा में व्यवहार की समानता का मिश्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

संगठन में व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक प्रकृति का होता है इसलिए बाह्य निगम नेतृत्व संगठन के सन्तत्य को अर्थ सन्तत्य का निगमों से भी प्रभावित माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने-आपके परिणामों के बारे में माचन के साथ साथ हमारे के कर्मों पर भी विचार करता जाता है। यह कारण सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवहार की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण तत्व है। प्रशासनिक कर्मों का रणनीति चुनने से पूर्व यह देखना होगा कि कर्म न क्या रणनीति अपनाया है। प्रशासनिक कर्म का भी यह देखना होगा कि कर्म न क्या रणनीति अपनाया है। प्रशासनिक कर्म एक प्रकार से टीमवर्क होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य को अपना कार्य तो कुशलता से करना ही है साथ ही अन्य कर्मचारियों की अक्षय का ध्यान भी रखना है। मन्त्रों के कार्यों में समन्वय रचना है तथा प्रत्येक का दूसरा कर्म नियोजित कार्यों की सूचना प्रदान की जाती है। समन्वय का अभाव में सहायक प्रभावहीन बन जाता है तथा अपने-आपके प्राप्ति नहीं कर पाता।

प्रशासनिक व्यवहार की सीमाएँ ✓ (Limits of the Administrative Behaviour)

निगमों द्वारा अर्थ प्रकृति का व्यवहार ताकिकता की उच्च प्रतीति तक पहुँचा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के सामान्य व्यवस्था की सहाय्य इतनी अधिक होती है तथा उस प्राप्ति सूचना की माँग होती है कि वस्तुगत ताकिकता का करीब करीब पहुँचना भी सम्भव होता है। व्यक्तिगत चयन कुछ प्रवृत्तियों के परिवेश में होता है। इन प्रवृत्तियों (givens) द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर ही व्यवहार को समायाजिक किया जाता है।

प्रशासनिक व्यवहार की वस्तुगत वास्तविकता के लिए तीन बातों का ज्ञान आवश्यक है—(अ) ताकिकता के लिए आवश्यक है कि पूर्ण ज्ञान है तथा प्रत्येक चयन के प्रायोजित परिणामों का पूर्वनिर्णय है। वास्तव में परिणामों का ज्ञान ज्ञान अक्षय होता है। (ब) यहाँ ज्ञान नबिन्द्य में प्राप्ति होता है अतः कल्पनात्मक रूप से एक साथ सन्तत्य मूल्यों का ध्यान रखा जाए। इन मूल्यों का अनुमान भी

करने अप्रयुक्त रूप में ही गणना जाता है। (अ) नाकिकता का लिए यह आवश्यक है कि प्रभा सम्भावित वर्गीकरण व्यवहारों में चयन किया जाए। साम्प्रतिक व्यवहार में इन सभी सम्भावित व्यवहारों में से सबसे कम कुल ही निर्माण में आ पाता है। इन कारणों से प्रशासनिक व्यवहार की नाकिकता सीमित हो जाती है।

प्रशासनिक सिद्धांत का सम्बन्ध मूल रूप से मानवीय सामाजिक व्यवहार के नाकिक एवं साम्प्रतिक पहलुओं के बीच की सीमा रेखा से होता है। प्रशासनिक क्षेत्र में यद्यपि मानवीय व्यवहार नाकिक होता है किन्तु उक्त यह नाकिकता सीमित है और सीमित सगठन तथा प्रशासन के उपयुक्त सिद्धांत के लिए यथा स्थान रहता है।

प्रशासनिक व्यवहार को समझने की दृष्टि से यथा आर्थिक व्यवहार के साथ उसकी तुलना करना जाय ता उचित होगा। सा मन ने आर्थिक व्यक्ति प्रौर उसके चरित्र में प्रशासनिक व्यक्ति के मध्य अंतर किया है। उसके मतानुसार आर्थिक व्यक्ति उसके लिए उपलब्ध सभी विकल्पों में से सबसे अच्छे का चयन करता है, जबकि प्रशासनिक व्यक्ति केवल न तो जनक या ठीक ठाक कार्य से ही संतुष्ट हो जाता है। आर्थिक व्यक्ति हमकी समस्त जटिलताओं के साथ वास्तविक दुनिया पर विचार करता है। प्रशासनिक व्यक्ति यह मानता है कि उसके द्वारा देखी गयी दुनिया एक मनमानी तथा भ्रम प्रसारित करती दुनिया का एक सरलीकृत प्रतिरूप है। वह एक सरलीकरण से इस लिए संतुष्ट हो जाता है क्योंकि वह मानता है कि वास्तविक दुनिया मुख्यतः खाली है। वास्तविक दुनिया के अधिकांश तथ्य उसके सामने आने वाली समस्याओं के महत्त्व में अधिक गमती नहीं रखते। अपनी इन दो विशेषताओं के कारण प्रशासनिक व्यक्ति प्रभा सम्भावित व्यवहारिक विकल्पों की परीक्षा किए बिना ही अपना चयन कर लेता है। वह अपने निरर्थक अनेक संकल्पों के आधार पर चयन करता है। ✓

प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया *Jmp*

(Decision Making)

सगठन का आधुनिक सिद्धान्त जित्त समाज शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक विशेषणों में पहलुओं पर चल देता है उनका एक सहज परिणाम यह हुआ है कि सगठन में चयन के क्षेत्र में निर्णय और पर्याप्त साधन प्रमुख न रहकर नेतृत्व एवं नियंत्रण प्रक्रिया बन चुके हैं। साम्प्रतिक चयन उसके माध्यमों द्वारा आरम्भ किया जाना वाला यह प्रयास जाना चाहिए कि सांख्यिक और उद्देश्य तथा गारंटी और इसमें आदि कितने ही प्रशासनिक गौर्धनताओं के वर्तमान परीक्षण के आधार पर इतना आगे बढ़ चुका है कि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने उस सम्बन्ध में विवेचित करने में अब वैज्ञानिक बनाने के लिए नए नए माध्यम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। निर्णय तथा निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान आदि शोधका सहान ही में जो सामग्री प्रकाशित हुई है वह निर्णय प्रक्रिया के महत्त्व को समझाने की अपेक्षा

नियम प्रक्रिया की जटिलताओं एवं सूक्ष्मताओं पर एक उपयोगी एवं सायक दृष्टि डालनी है।

नियम प्रक्रिया प्रकृति एवं क्षेत्र (Decision Making Process Nature & Scope)

प्रशासन अथवा संगठन कुछ कार्य विशेषों को संपादन के लिए बनाए जाते हैं और किसी भी मानवीय कार्य को भौतिक रूप से सम्पन्न करने के लिए एक मानसिक नियम की पूर्व आवश्यकता होती है अर्थात् पूर्व एक नियम प्रक्रिया आरम्भ होती है और जहां वह रुक जाती है वही कार्य संपन्न नहीं होता है। यदि नियम यह है कि अर्थात् नियम नहीं बना है तो यह भी एक नियम है और प्रशासन की प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया ही नियम एवं उपनियम से बंधी होती है। नियम प्रक्रिया को प्रशासकीय संगठन का केन्द्रिय अथवा मुख्य मानने वाले सभी लोग यह मानते हैं कि प्रत्येक संगठन में यह नियमकर्ता के एक नियमित भूमिका निभाता है और संगठन के अग्र सभी अग्र प्रत्येक उसकी अनुपालना मान करत हैं। प्रशासन अथवा संगठन में यदि उच्च स्तर पर नीति निर्माण व य संचालित होता है तो वह एक सहायक, जटिल एवं सापेक्ष नियम होता है जिसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं आपस में अंतर्बद्ध होती हैं। इसी प्रकार नीति क्रिया-व्ययन के क्षेत्र में भी संगठन का हर स्तर प्रशासकीय नियम बना है जो अपनी श्रेष्ठता एवं व्यवहारिकता के लिए कुशल नवृत्त एवं प्रभावशाली संचार व्यवस्था पर निर्भर करत है। इस प्रकार नियम प्रक्रिया का क्षेत्र प्रशासकीय नवृत्त एवं संगठनात्मक संचार व्यवस्था से इस तरह अंतर्सम्बद्ध है कि संगठन की सारी सफलता नियम प्रक्रिया की वृत्तानुसंगता पर निर्भर कही जा सकती है। आदर्शात्मक एवं व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियां से नियम प्रक्रिया व कार्य प्रणाली प्रभाव उत्पन्न करत हैं। उनसे प्रशासकीय योजनाओं से उत्पन्न आबाधों का पूर्ण हटाई है प्रशासकीय भावनात्मक आवश्यकताओं का परिहार मिलता है संगठन के लिए स्रोत उपलब्ध होत हैं और संगठन के अंतर तथा बाह्य के पारस्परिक विरोध एवं द्वन्द्व का समाधान होता रहता है। इतना ही नहीं व्यक्तता का भी नियम प्रक्रिया एक कठिनाई दुर्विचारजनक एवं यत्किंपुरक कार्य है। नियमकर्ता चाहें मृजनात्मक नियम अथवा धिसा पिटा रट्टी नियम दोनों ही स्थितियों में दुर्बल एवं भावना के तन्तुओं का भ्रम भोसता है। अनिश्चय एवं सम्भावनाओं का चिन्ता उस मन्त्र धरे रट्टी है और अपनी नियम प्रक्रिया के माडना में वह अवक (Rationality) और अतुद्धिवादी तत्त्वा (Irrational elements) के अनुपात के बीच सामन्तस्थ स्थिति बनने के लिए सचेष्ट होता है। संगठन प्रव्यवस्था में गुण कटाना और माडिन भुविक क्रमशः इस प्रकार के बुद्धिवादी और अतुद्धिप्रधान माडना के प्रणाली हैं। विनियम जो मोटे तौर पर प्रतिशत 100 के बीच एक मन्त्रगी ह्यूरिस्टिक माडन (Heuristic

model) बताने का प्रयास करते हैं जिसके द्वारा मूल्य प्रक्रिया की वृत्तिकाएँ एवं फलामकता के बीच एक आदर्शोन्मुख यथावत् समन्वय का विकल्प प्राप्त हो सके।

प्रशासकीय नियंत्रण का क्षेत्र केवल नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन तक ही सीमित होकर संगठन के कर्मचारियों के मनोबल तथा आचरण का भी समाहित करता है। हवर्ट संगठन की भारी राध प्रशासकीय नियंत्रण का व्यवहारवादी परिग्रह में देखती हुई उसे आचरण का एक नियामक तन्त्र मानती है जिसकी उद्देश्यता एवं प्रयाजनशीलता सर्वोच्च के मनोबल को पालक एवं परीक्षक रूप से प्रभावित करती है। नियंत्रण स्वयं ही नकारात्मक एवं सकारात्मक पहल प्रशासकों एवं राजनताओं के मध्य नीति निर्माण का प्रकाश में आते हैं। साइमन मानता है कि नियंत्रण प्रक्रिया के अग्रव्यवस्थित होने पर ही प्रशासकीय सत्ता का अवरोध क्षेत्र (Zone of resistance) पतन लगता है और प्रशासकीय तन्त्र संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में चुनौतियाँ एवं बाधकें अनुभव करता है। अधुनिक संगठन सिद्धांत नियंत्रण प्रक्रिया की नवीनीकरण पर बल देता है और महत्त्व के विस्तार में समझने के लिए उस संगठन का समग्रता के संदर्भ में अभिनय दृष्टि से प्रस्तुत करता है।

नियंत्रण प्रक्रिया अथवा दृष्टिकोण (Decision Making Process Its Meaning and Approaches)

नियंत्रण लेने का प्रक्रिया कुछ कार्यों के विकल्पों में से करणीय कार्य को छांटना है। जब यह कहा जाता है कि नियंत्रण लिया गया तो इसका अर्थ यह है कि एक नवी प्रक्रिया से गुजर कर यह तय कर लिया गया है कि क्या किया जाएगा। हमने कर्मचारियों में नियंत्रण निर्धारित की गई एक ऐसी स्थिति है जो कार्य के वास्तविक रूप में सम्पन्न होने से पहले आती है। यह प्रबंधकों द्वारा लिया गया एक निष्पक्ष है कि उसका तथा दूसरा का उसके बाद क्या करना चाहिए।¹ टैरी के मतानुसार नियंत्रण दो या अधिक सम्भावित विकल्पों में से एक प्रावणारिक विकल्प को चुनना है। यह परिभाषा थोड़ा भ्रमपूर्ण म नियंत्रण की पद्धति का स्पष्टीकरण करती है। वस्तुतः नियंत्रण नौ वान व्यक्तियों के से मुख अनेक विकल्प होते हैं। इन विकल्पों के गुण-दोषों पर वह बौद्धिक रूप से विचार करके यह निश्चिन करता है कि उसका क्या करना चाहिए। एक नियंत्रणकर्ता की स्थिति उस राजनीति के समान है जिसके सामने कई रास्ते खुल गए हैं तथा उनमें से उस किसी एक का चुनना हो। मैनली जोस (Manley Jones) का मत है कि नियंत्रण एक समाधान होता है जो कुछ विकल्पों की परीक्षा करने के बाद छाँटा जाता है। यह नवीन छाना जाता है कि नियंत्रण न लेना वह पहले से ही देख लेता है कि उम्क द्वारा चुन गए कार्य

1 H Mann op cit p 111

2 Terry op cit p 52

उक्त चरित्र का आर पत्र के लिए दूतांग की अप ता अधिक मन्ता करते और चरित्र सामन्तवत् परिणामा की नम मन्तावना रणी ।¹ ज्ञान की वत् परिभाषा निगम चरित्र की प्रक्रिया पर ता तरवा का मन्त स्विकार करती है । प्रथम निगमक द्वारा वह निगम निगम गणना जो नम नृण की धार प्रविष्ट करे दूसरे क्रिया प्रवर्तिका क्रम म क्रम की ता मन्त । इस प्रकार हमन तरा तथा आन तादा हा विचारको न रिणय चरित्र का प्रक्रिया म विन्या म महत्व पर जाग रिया है । वह वार एक मन्त्या न मन्तित क्रिया एत हात है चिनम स रिया न मन्त वा स्वाकार क ना जचिन नन्ता होता । लुण्डबर्ग (Lundberg) क अनुसार प्राथमिक निगम एक प्रक्रिया है जिसम एक चरित्र मन्तन मन्तर प्रक्रिया क चरित्र की प्रभावित करण क लिए एक निरूप करता है ताकि व चरित्र मन्तन क चरित्र का प्राप्ता करण म प्रभाषा याग द मन्त । गुरे तथा गुरेन (Gore & Dyson) क चरित्रानुसार निगम चरित्र क सन्वायपुण प्रवर्तिका क परिणाम है । व दद्या परिस्थिति क मन्त-मन्त चरित्रता र्हाता है । चिनम चरित्र सामन्तवत् रूप म चाह प्रथम रूप म मन्त मन्तवत् रूप म चरित्र मन्तवत् या चरित्र मन्तवत् चाह या मन्तवत् परिणाम का प्रभावित कर सकत है ।

स रूप म चरित्र ता सकता है कि निगम प्रक्रिया का एक क्षण विचार हाता है अथात् प्रथम निगम एक वाचिक चिन्ता का प्रक्रिया क मुकता है । चरित्र प्रक्रिया म चिन्ता ता प्रभाषा मन्त है चरित्र निगम-चरित्रा चरित्रा चाहता है । चिनम चिन्ता म चिन्ता चिन्ता पर चरित्र विन्या का चरित्र क जाता है वह मन्त-मन्त म एक निगम है । यदि चरित्र प्रक्रिया म एक एता क्षण आता है तब चरित्र मन्त जाता है कि निगम न निगम मन्त ता प्रक्रिया की स्थिति भी स्वय एक निगम है । दूसरे चरित्र म निगम एक चरित्रा भा है और प्रक्रिया भा चरित्र परिणाम भी है और निरन्तरता भा । उन्त निरूप भी चरित्र जा सकता है किन्तु एक एता निरूप क्रिया मन्त विन्या चरित्रता है । ✓

हर्बर्ट ए साइमन (Herbert A. Simon) प्राथमिक प्रक्रिया का निराधारक प्रक्रिया (Decisional Processes) मानत है ।² साइमन न मन्तन का समन्ता का उन्तव सामाजिक एवं मन्तवन्तवत् मन्त म चरित्रा है । उन्तव मन्त धारणा चरित्रा है कि मन्तन का चरित्रता और चरित्र की विगमनाए मा चरित्र समन्ता निवारण प्रक्रिया (Human Problem Solving Processes) और चरित्र मन्तवत् चरित्रा क चरित्रता म चरित्र का जाता है ।³ चरित्र चरित्र चरित्र चरित्र क

1 M. J. H. Jones Executive Decision Making 1957 pp 5-6
 2 Gore and Dyson In Making of Decision p 1
 3 Herbert A. Simon Administrative Behavior p 8
 4 March and Simon Organizations, p 169

व्यक्तियों को केवल एक मशीन के रूप में साधन मानना गलत होगा। संगठन में व्यक्ति की भावनाएँ आवश्यकताएँ प्रत्याशाएँ और मूल्यव्यवस्थाएँ हाता हैं। उनका ज्ञान एवं समस्याओं का सुलभान की सामर्थ्य की सीमाएँ जाती हैं। सुइडमन के शब्दों में नियंत्रण का हम पूर्वविचारों में से निकालना ही सिद्धय मान सकते हैं। ये नियंत्रण बड़े नियंत्रणों के लिए पूर्वविचार बन जाते हैं। नियंत्रण की ये विभिन्न परिभाषाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि नियंत्रण लेना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निष्पक्ष पर पंचा जाता है। नियंत्रण पर पहुँचने में पूर्व इस प्रक्रिया पर बौद्धिक बल से तत्त्व प्रभाव डालते हैं तथा यह प्रभाव नियंत्रणों के रूप में जिस प्रकार बदन देता है वह जानना नाक प्रशासन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण कित्त कठिन कार्य है।

व्यक्तिगत और संगठनात्मक नियंत्रण ✓

शासन के क्षेत्र में भी नियंत्रण प्रक्रिया उसी प्रकार उद्देश्यगत होती है जिस प्रकार किण्व जीवों में। व्यक्तिगत और संगठनात्मक अथवा प्रशासकीय शासन में भी नियंत्रण की प्रवृत्ति प्रायः एक जैसी होती है तथापि दो स्थितियों में कुछ अन्तरभूत अन्तर है—

प्रथम यात्कगत नियंत्रण एक सामान्य घरातन के शासन में है जबकि प्रशासनिक नियंत्रण सामाजिक संगठनात्मक एवं तकनीकी नियंत्रण कह जा सकते हैं। गारे एवं डावसन ने प्रशासनिक नियंत्रणों को व्यक्तियों के सामाजिक प्रयत्नों का ऐसा परिणाम माना है जो संगठन की स्थिति का सामूहिक रूप से प्रभावित करते हैं। प्रशासनिक अथवा संगठनात्मक नियंत्रण संगठन के उद्देश्यों की एक सीमा रेखा में आवद्ध होते हैं। राजनीतिक नीति नियंत्रण उन्हें और भी अधिक सीमित करते हैं। प्रशासकीय मनुष्य नीतियों को जिस रूप में देखता है उसकी यह व्याख्या प्रशासनिक नियंत्रण को धूय एवं तथ्य प्रदान करती है तथा उस नियंत्रण से प्रभावित होता है संगठन के उद्देश्य अथवा संगठन के लोगों को प्राप्त करन वाने जा साधारण उस नियंत्रण को सन्तुलित एवं नियमित करते हैं। दूसरे शासन में प्रशासनिक नियंत्रण संगठन के उद्देश्य नीति नेतृत्व साधना उपभोक्ताओं के हित आदि निर्णायक तत्त्वों से सम्बन्धित होते हैं और तन्म रूप में स्वयन्त निरूप्य प्रक्रिया व्यक्तिगत नियंत्रण प्रक्रिया से अधिक लम्बी अधिक समय व्ययपूर्ण अधिक सीमित और कम सरल होती है।

दूसरे, प्रशासनिक अथवा संगठन के नियंत्रणों को प्रयत्नयुक्त किया जा सकता है जबकि व्यक्तिगत नियंत्रणों को यत्ति स्वयं ही करता है उनको हस्तान्तरित नहीं कर सकता तथापि व्यक्तिगत क्षेत्र के नियंत्रणों में भी नीति की प्रवृत्ति प्रमुख होती है उनका प्राथमिक रूप से विभिन्न व्यक्तियों की सहाय पर छाड़ा जा सकता है। हम प्रकार कुछ विशेष शक्तियों के संगठनात्मक नियंत्रणों को एक व्यक्ति का इच्छा से दिया जा सकता है।

तीसरा, जहाँ तक निर्णयों की क्रियावृत्ति का प्रश्न है यक्तिगत निर्णय प्रायः एक व्यक्ति द्वारा और संगठनात्मक निर्णय अनेक व्यक्तियों द्वारा क्रियावृत्त किए जाते हैं। संगठनात्मक निर्णयों का उत्तरदायित्व तब तक किसी एक व्यक्ति पर नहीं हो सकता जब तक कि उस सौंपा ही न जाए। संचार-माध्याम के अधिक धिक् प्रयोग द्वारा तब्यों के ज्ञान और संगठन के लक्ष्य के आधार पर समयानुक्रम निर्णय उन के लिए संगठन के निर्णयों का उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति को सौंपना जरूरी होता है। संचार साधन सम्बन्धी प्रशासकीय निर्णय उन में के अधिक कुशल होता है और यही कारण है कि संगठन में उसी व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार सौंपा जाता है जो केन्द्रीय स्थिति पर हो। संगठन का औपचारिक नता प्रायः निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होता है। एक समय में लिए जाने वाले निर्णय पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ अनेक प्रकार की होती हैं।

प्रशासनिक निर्णयों की प्रकृति भी व्यक्तिगत निर्णयों की भाँति अत्यन्त जटिल होती हैं। निर्णयों के परिणाम की अज्ञानता प्रायः व्यक्ति को इतना भयभीत कर देती है कि वह इस उत्तरदायित्व का सम्भालने की अपेक्षा अपना बचपन से बड़ा बचिपान देना को भी तयार हो जाता है। प्रायः निर्णय चाहें वह कितना ही साच समझकर लिया गया हो उससे कुछ व्यक्तियों को प्रसन्नता हाती है और कुछ को चिन्ता कुछ व्यक्तियों को बहुत अछा मानत है जबकि दूसरे लोग उसकी आलोचना करते हैं। ✓

प्रशासनिक तथा राजनीतिक निर्णय

निर्णय और निर्णय प्रक्रिया का प्रशासन के सदस्यों में विशेष तकनीकी अर्थ है। प्रायः मानसिक एवं बौद्धिक कार्य की प्रक्रिया निर्णय प्रक्रिया की व्याख्या की मानी जा सकती है किन्तु सभ्यताओं का अन्तर उनमें प्रकृतिज्ञान अन्तर्गत भी उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों की तुलना की जा सकती है। चूंकि राजनीतिक निर्णयों का क्षेत्र नीति सम्बन्धी प्रश्नों से ही प्रशासन नीति सम्बन्धी निर्णयों में भाग लेते हुए भी उन नीतियों तक सीमित रह जाता है। अतः स्वभावतः जहाँ राजनीतिक निर्णयों का स्तर पर कुछ कुछ स्पष्टता हो सकती है वहाँ प्रशासनिक निर्णयों में निश्चितता एवं स्पष्टता अधिक आवश्यक है। इसी प्रकार उद्देश्यों की दृष्टि से भी राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय बहुत कुछ एक उद्देश्य रखते हुए भी क्रमशः लोक-न्याय और कार्य कुशलता के उद्देश्यों पर अधिक बल देते हैं। अतः निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने वाला राजनीतिज्ञ अपने निर्णय को जिस परिप्रेक्ष्य में देखता है वह परिप्रेक्ष्य उस प्रशासनिक कार्य का नहीं हो सकता जिस अपने निर्णय को निष्पत्ति में क्रियावृत्त करना है। इसी प्रकार राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों में वैकल्पिक बचपनता एवं अपना निर्णय प्रक्रिया की अवधि एवं निर्णय के निर्धारक तत्त्वों आदि अन्तर देने जा

सकत हैं। राजनीतिक नियम प्रक्रिया स्वभावतः प्रशासनिक नियम प्रक्रिया से अधिक जटिल अधिक मिश्रित अधिक चुनौतीपूर्ण एवं कम वैज्ञानिक होती है। राजनीतिक नियम मूल्यों को दृष्टि से भी एक दूसरी भावभूमि पर खड़े होते हैं जबकि प्रशासनिक नियमों को संभवतः उनके मूल-तत्त्वा को घटा कर अधिक तथ्यपूर्ण बनाया जा सकता है। यद्यपि प्रशासकीय नियम राजनीतिक नियमों के अग्र कदम कह जा सकते हैं तथापि क्षेत्र प्रवृत्ति तत्त्व एवं प्रक्रिया सभी दृष्टियों से भिन्न होने के साथ-साथ वे अपने आप में ऐसी इकाया है जिसका घनिष्ठ सम्बन्ध प्रशासनिक नेतृत्व एवं संगठन की संचार-व्यवस्था से प्रभावित होता रहता है।

नियम प्रक्रिया एवं नीति में सम्बन्ध

नियम लेने की प्रक्रिया का अर्थ समझते समय उसका एक नीति (Policy) का सम्बन्ध को समझना चाहिए। संगठन की नीति का निश्चय नियमों की एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम होता है। नीति निर्धारित करते समय संगठन के शीर्ष के अधिकारी अनेक विकल्पों में से कुछ को चुनते हैं। जब संगठन की नीति निर्धारित हो चुकती है तो वास्तव में त्रिए जाने वाले नियम इन नीतियों के अनुसार ही होते हैं। संगठनात्मक नीति द्वारा एक माग निश्चित कर दिया जाता है और जेरी टी (Terry) का कथन है नियम प्रायः नीति द्वारा प्रदर्शित माग के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। उनका मतानुसार नीति अपेक्षाकृत विस्तृत होती है अनेक समस्याओं को प्रभावित करती है तथा उसका प्रयोग बार-बार किया जाता है। उसका विपरीत नियम का सम्बन्ध एक विशेष समस्या से होता है और उसका प्रयोग लगातार नहीं किया जा सकता। संगठन में समय-समय पर लिए जाने वाले नियम नीतियों की भाँति स्थायी पवित्र और अपरिवर्तनीय नहीं होते। इनकी आवश्यकता परिस्थिति एवं वातावरण के अनुसार बदला जा सकता है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक का यह कहना सही है कि प्रशासकीय नियमों से सार्वजनिक मूल्य (Values) किसी मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक अर्थ में कदाचित् ही अन्तिम मूल्य होते हैं। सार्वजनिक का मत है कि अधिकांश लक्ष्य और क्रियाओं के मूल्य का स्रोत साधन-साध्य सम्बन्ध (Means-ends relationship) होता है जो उनको ऐसे लक्ष्य एवं क्रियाओं में सम्बद्ध करता है जो अपने आप में मूल्यवान् हैं।

नीति और नियमों की प्रक्रिया के सम्बन्ध के समान ही नियमों की प्रक्रिया एवं संगठन का भी परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। नियम लेने वाले व्यक्ति पर संगठन के रूप द्वारा कुछ सीमाएँ लगाई जाती हैं। सार्वजनिक के शब्दों में संगठन व्यक्ति से उसकी कुछ नियमों तक स्वायत्तता लेकर उसके स्थान पर एक संगठनात्मक नियम लेने की प्रक्रिया स्थापित कर देता है।¹

1 Terry op cit p 52

2 Herbert A Simon op cit p 5

3 Herbert A Simon p 8

प्रशासनिक निर्णय के बारे में दृष्टिकोण *Kenneth Spriet*

प्रशासनिक निर्णय अथवा निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण करते समय लोक प्रशासन के अध्येता उस निम्न पांच दृष्टियों से देखते हैं—

- (i) प्रशासनिक निर्णय विकल्प चयन का एक चरम स्थिति है।
- (ii) प्रशासनिक निर्णय स्थिति नहीं बल्कि चयन प्रक्रिया है।
- (iii) प्रशासनिक निर्णय प्रत्येक प्रकार की स्थिति अथवा प्रक्रिया मान न होकर एक विशेष प्रकार की चयन स्थिति है।
- (iv) प्रशासनिक निर्णय में केवल वे ही प्रक्रियाएँ समाविष्ट होती हैं जो वास्तविक चयन प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।
- (v) कुछ लोग यह मानते हैं कि निर्णय प्रक्रिया चयन की मूल प्रक्रियाएँ तथा उनके बाद की स्थितियाँ को भी अपने अध्ययन क्षेत्र में समाहित करती है।

प्रशासनिक निर्णय के अध्ययन माडल में चाहे कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाए अथवा चाहे यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति, समूह और वातावरण तीनों तत्वों की क्रिया प्रतिक्रियाएँ अनिवार्यतः दिखाई देंगी। प्रशासनिक निर्णय में प्रशासक की अपनी भूमिका होगी और उसकी अपनी मनोवैज्ञानिक गृहभूमि आचरण सिद्धांत मूल-आस्थाएँ एवं सगठन निष्ठा के प्रश्न प्रत्येक निर्णय के साथ उभर कर आएँगे। वसा प्रकार व्यक्तियों का एक समूह हान के कारण को भी सगठन निर्णय समूह मनोविज्ञान समूह हित समूह आचरण तथा समूह मनावल आदि के प्रश्नों से प्रभावित ही नहीं होगा बल्कि सीमित एवं विस्तृत भी बनेगा। वातावरण समूह और नृत्व की प्रक्रियाएँ तथा विस्तृत परिप्रेक्ष्य में सगठन के मूल्यांकन से निर्मित एक प्रशासकीय संस्कृति को जन्म देना है और यह प्रशासकीय संस्कृति (Administrative Culture) उन मूल्यों एवं तथ्यों का महत्त्व प्रदान करती है जिनके सदम में नीति निर्णय के विकल्प उभरने लगते हैं। प्रशासनिक निर्णय इन्हीं तत्वों प्रक्रियाओं एवं परिणामों (Forces Processes and Outcomes) का अध्ययन है। य तत्त्व प्रक्रियाएँ और परिणाम अतन्मन्वद्ध हैं अयाप्यन्त हैं और एक अविरत प्रवाह के रूप में सगठन को दिशा विशेष प्रदान करते हैं। प्रशासनिक निर्णय के अध्ययनकर्ता जब इन अतन्मन्वद्धों की गहराई में जाते हैं तो अपने अध्ययन का दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए उन्हें निर्णय के कुछ विशेष तत्वों पर बल देना पड़ता है। प्रशासनिक निर्णय-साहित्य में अब तक ये तीन दृष्टिकोण रहे हैं—

- | | | |
|---------|---|----------------------------|
| प्रथम | — | <u>Intuitive Approach</u> |
| द्वितीय | — | <u>Normative Approach</u> |
| तृतीय | — | <u>Scientific Approach</u> |

प्रथम दृष्टिकोण निर्णय प्रक्रिया में अप्रत्याशित एवं सयाग तत्त्वों की अपेक्षा उस बान पर अधिक बल देता है कि निर्णयकर्ता अपने मतज्ञान एवं अंतर्दृष्टि से स्थिति का मूल्यांकन कर विकल्पों का चयन करे। द्वितीय दृष्टिकोण मूलपरक है और तथ्या को गौण मानकर मूल्यों को निर्धारक कारक मानता है। तृतीय दृष्टिकोण में मूल्यों का अपना स्थान है किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णय की आधारभूमि और परिणाम के बीच की सभी स्थितियों को विवेकपूर्वक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं संगठनात्मक दशाओं का तथ्यात्मक विश्लेषण कर उसे उपयोगी एवं व्यावहारिक विकल्प निकाल जाए जो सातिपूर्ण हो।

निर्णय प्रक्रिया के तत्त्व या अंग

संगठन के सदस्यों में प्रशासनिक निर्णय तत्त्वों को विश्लेषित करने के लिए यह स्वाभाविक है कि इन सभी तत्त्वों एवं पहलुओं पर दृष्टि डाली जाए जो निर्णय प्रक्रिया के अविभाज्य अंग हैं। निर्णय प्रक्रिया में एक बौद्धिक गतिविधि तथा एक ताकिक मांग का अनुसरण करने के साथ साथ कितनी ही अताकिक भावनात्मक जनतन्त्रात्मक विनमयात्मक एवं रहस्यात्मक तत्त्व भी होते हैं। निर्णय प्रक्रिया का चित्र (Profile) एक प्रकार का प्रयास है जिसमें मूल्य तथ्य द्विविभाजन (Value Fact Dichotomy) का आधार लेकर चयन कठिन है। इसी प्रकार मूल्य अथवा तथ्य में से किसी एक पर बल देना भी निर्णय की वनाविकता को नष्ट करना है। अतः निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के लिए एक ऐसा प्रतिमान उपयोगी एवं प्रयोजनशाली होगा जो विभिन्न तत्त्वों को आनुपातिक दृष्टि से सतुलित कर सके। निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख तत्त्व ये हैं—

- (i) संगठन के उद्देश्य (Objectives)
- (ii) संगठन की नीतियाँ (Policies)
- (iii) संगठन का नेतृत्व (Leadership)
- (iv) प्रशासनिक परिस्थितियाँ (Administrative Situations)
- (v) विकल्पों का मूल्यांकन (Evaluation of Options)
- (vi) अन्तिम चयन (Final Choice)

इस तरह एक प्रशासक के निर्णय में मूल्य तथ्य एवं उनके मूल्यांकनकर्ता अधिकारी तथा संगठनात्मक परिस्थितियाँ सापेक्ष दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। निर्णय जितना गम्भीर होगा उतना ही मूल्यों की भार भक्ता किंतु उसकी व्यावहारिकता उपयोगिता एवं लोकप्रियता उतनी ही अधिक होगी जितना कि वह तथ्या के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित हो सकेगा। प्रशासनिक निर्णय इस दृष्टि से व्यक्तिगत और राजनीतिक निर्णयों से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें समझ-बोध की चयनात्मकता होती है और होनी भी चाहिए। प्रशासकीय निर्णय व्यक्तिगत निर्णयों की अपेक्षा अधिक विवेकसम्मत होते हैं और उनका परिणाम भी दूरगामी

प्रशामन का निर्णय प्रक्रिया व सभी विद्यार्थी यह मानकर चलते हैं कि प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर प्रथम कर्म एक दूसरे से अलग मन्त्र है कि पहला स्तर दूसरे स्तर का निर्णायक कहा जा सकता है। गुणवत्ता निर्णय प्रक्रिया को छ स्तरों से गुजरता है। एक प्रशासनिक क्रिया मानता है। उनके शब्दों में ये स्तर हैं—

- (i) समस्या को परिभाषित करना समझना और सीमित करना।
- (ii) समस्या को सूचीकृत करना।
- (iii) समाधान के सूचीकृत की कसौटियाँ निर्धारित करना।
- (iv) सूचना एवं सामग्री सूचीकृत करना।
- (v) समाधानों के विकल्पों में से एक का चयन।
- (vi) स्वीकृत समाधान का प्रयोग।

मिचकौट इन्हीं विभिन्न स्तरों का दूसरी शतावली में पाँच मानता है। हरबर्ट साइमन भी इसी प्रकार निर्णय प्रक्रिया को तीन प्रमुख स्तरों में विभाजित करता है। उक्त अपने शब्दों में निर्णय लक्ष्य का क्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों में समाहित की जा सकती है—

- (i) निर्णय लक्ष्य के लिए अवसर ढूँढना
- (ii) कार्य के लिए सम्भावित विकल्प पहचानना और
- (iii) विकल्पों में से एक को चुनना।

निर्णय प्रक्रिया के प्रथम चरण का मैं अवेषण काय (Intelligence Activity) मानता हूँ। दूसरे चरण को मरी राय में स्वल्प निर्धारण कहा जाना चाहिए और तीसरे को मैं चयन क्रिया (Choice Activity) कहना चाहूँगा। साइमन जिन्होंने प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया के साहित्य में एक क्रांतिकारी योग दिया है यह मानते हैं कि निर्णय प्रक्रिया प्रशासनिक आचरण के विभिन्न स्वरूपों का ही एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। निर्णय-चक्र (Decisioning Cycle) में निर्णयकर्ता का बाध चतना स्वीकृति, दूरदृष्टि आदि में सारी बातें निहित होती हैं जो आचरण के नियामक तत्व भी कही जा सकती हैं। निर्णय प्रक्रिया इन विभिन्न चरणों पर मूल्य तथा विभाजन के प्रश्न अपना प्रभाव डालते हैं और साइमन के मत में निर्णय का प्रयास विद्यमान स्थिति को बदलने का एक ऐसा प्रयास कहा जा सकता है जो कुल मिलाकर चयन प्रक्रिया में निर्णयकर्ता की अपनी भूमिका की महत्ता का मान है। प्रथम चरण समस्या को पहचानना समझना और स्वीकार करना

निर्णय प्रक्रिया का पहला चरण समस्या का पहचानना समझना और स्वीकार करना है अर्थात् समस्या और समस्याहीनता के बीच की स्थिति में अंतर करना। प्रशासन में यह एक बड़ी भारी दुविधा होती है कि किस समस्या माना जाए और किसे सामाय। समस्याओं को पहचानना और स्वीकार करना अपने-आप में अनेक प्रश्नों का जन्म देता है जैसे (i) क्या समस्या गंभीर है अथवा है ?

{B} क्या समस्या स्पष्ट लिखाई दे रखा = । अथवा क्या समस्याओं से उदनी हुई है ? (A) समस्या को देखते समय क्या निगमकता अपनी समस्याओं या उदम की मित्या रहा है ? (C) क्या समस्या को देखते समय इन बातों का ध्यान रखा गया = कि संगठन के किस स्तर पर समस्या को देना प्रस्ताव समझा जाना चाहिए ?

मरल शब्दों में समस्या का समझन का प्रथम उपकरण यह स्पष्टता करता है कि समस्या के क्षय स्तर और कृति का निर्माण एवं निष्पत्ति से पता चलता जाय । प्रशासन की जटिल दुनिया में यह काम इतना सरल नहीं है जितना प्रथम लगता है बल्कि संगठन का अन्तर्मुखित्व समझना जब समस्या में प्रस्तुत होता है तो स्वभावतः कार्य भी निरूपकता उनका पल्लव तथा विशिष्ट भाग का समझन में दीर्घकाली भ्रम कर सकता है ।

प्रथम प्रयास का दूसरा उपकरण समस्या के इतिहास का पता चलना है । जमा कितनी ही समस्याएँ होती हैं या पूर्वनिगम और निष्कर्षों में नाम नहीं है । समस्या का इतिहास स्थितियों के पूर्व अनुभव तथा स्थिति के निरंतर विकास एवं परिवर्तित स्थिति का समझन में सहायता करत है । यह सब है कि इतिहासिक ज्ञान किमी भा प्रशासनिक समस्या की मूलभूतता एवं विनयता का परिचय देना देना किन्तु समस्या के इतिहास से परिचित सिद्ध करने एवं विशेष भा मध्यम स्थिति में होना है जहाँ से पुरानी चीजों की निर्माता की तुलना द्वारा समस्या की गम्भीरता जटिलता एवं अन्तर्मुखिता का सरलता से समझ सकता है । वास्तव में तथ्यों का एकत्रित करने का कार्य तथा प्रारम्भ किया जाना चाहिए जबकि पहले समस्या का उसकी पृष्ठ भूमि में मली प्रकार समझ लिया जाए । इसके बिना निर्यामिक एवं निश्चित नहीं कर पायगा कि कौनसा तथ्य उपयोगी = और कौनसा नहीं । अध्ययन या मयासभ्य अधिक में अधिक तथ्य एकत्रित करने चाहिए वह बाव वह प्रावणकता के अनुरूप तथ्य एकत्रित नहीं कर पाता । बहुत से तथ्य एक हात है जिन्हें प्राप्त करने में काफी धन और समय व्यय होता है । उन्में के अनुसार कार्य ठाय निराय लन के लिए यद्यपि सभी तथ्यों का प्राप्त करना जरूरी नहीं है तथापि यह अवश्य जात करना हाया कि उसका पाम किस सूचना का काम है ताकि वह कार्य जान सक कि निगम में किनकी आवश्यक है तथा प्रस्तावित कार्य में किनका कटारता करती जा सकती = ।

इस प्रथम चरण का तीसरा उपकरण समस्या के अन्तर्मुखित्व का सर्वेक्षण करना = । यह सर्वेक्षण निरूपकता का वह समझन में सहायता देता है कि स्थिति किस प्रकार का है समस्या स्पष्ट रूप में क्या जायना देना है समस्या में कौन कौन सी मया और विनयण बातें हैं समस्या का मयडनामक प्रभाव किन किन बाधा पर होगा और किनका गहरा हाया धारि । स्थिति का यह सर्वेक्षण जिस वासक से कूपर न स्थिति व्यवस्थापन (Structuring the Situation) कहा

है समस्या का समझना का ही एक महत्वपूर्ण चरण है। स्थिति का मानसिक रूप से अध्ययन करते समय सगठन के मूल्य उद्देश्य और नीतियाँ स्थिति की एक विशेष प्रकार की जानकारी देती हैं और ऐसा करने से स्थिति जो अस्पष्ट उलझी हुई एवं अव्यक्त प्रतीत होती है धीरे धीरे आकार ग्रहण करने लगती है। स्थिति की यह साकारता नियामकर्ता सगठन और सगठन की उपनयन स्थितियाँ का एक ऐसा चित्र कही जा सकती है जिसे नियामकर्ता स्वयं बनाकर स्वयं ही खलना चाहता है और उस सही करने की प्रक्रिया में बार बार सुधारता है।

अगला उपचरण समस्या की भावी दिशाओं और नय क्षितिजों का अवलोकन कहा जा सकता है। ऐसा करते समय नियामकर्ता स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करता है और उसमें स्वयं सक्रिय भाग लेने लगता है। कल्पित तथ्यों और मूल्या की अपनी तस्वीर में वह यह पहचानने का प्रयास करता है कि सगठन के उद्देश्य इस नियामक कितने उपरक हैं। कौन कौनसी क्रिया प्रतिक्रियाएँ दुबल बिंदुओं का जन्म देंगी? क्या नियामक आगे की नियामक प्रक्रिया को गम्भीर मांड देगा? नियामक अनुपालन किस स्तर पर होगा और कौन-कौन से यन्त्रिक अंगों से किस सीमा तक किस प्रकार प्रभावित होंगे?

नियामक प्रक्रिया के प्रथम चरण की ये विभिन्न क्रियाएँ बतलाती हैं कि नियामकर्ता एक सैनिक की तरह अपनी रणनीति तैयार करता है। स्ट्रैटजी या रणनीति (Strategy) का यह पहला स्तर इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि इस स्तर पर समस्या का माप की जाता है और यह नाप और माप ही समस्या के शरीर में रक्त मांस के तत्वों को प्रति स्थापित करती है। समस्या का क्षेत्र निर्धारित करना समस्या की गहराई नापना है उसके अन्तर्मन्त्रों को पहचानना तथा उसे अय स्थितियों से अलग करना है। उसकी प्रकृति को गम्भीर और सखटकालीन बताना समस्या को सगठन की नीति और उद्देश्यों के लिए घातक मानना है। इस तरह प्रथम चरण का यह सर्वेक्षण यद्यपि नियामक प्रक्रिया का आरम्भिक स्तर है तथापि इसमें मूल्य और तथ्यों का एक स्पष्ट मध्य देखा जा सकता है। मूल्य वे हैं जो नीति और सगठन के उद्देश्यों की पालना के अंतर्गत नियामकर्ता की समझ में आते हैं और तथ्य वे कल्पित स्थितियाँ हैं जो मूल्यों के चश्मे से देखी जा रही वर्तमान और भावी दुनिया की यथाथ और सम्भावित वास्तविकताएँ हैं। इस स्तर पर यह सम्भव है कि मूल्य तथ्यों को दबा दें चूँकि तथ्य अनुमानित हैं और मूल्य आदती एवं परम्पराओं से सुदृढ़ होते हैं। साइमन की मान्यता है कि समस्या का यह स्तर नियामक प्रक्रिया का हृदय है और आन वाले स्तरों पर यह प्रयास होता है कि जहाँ तक सम्भव हो समस्या से उसी तरह मुकाबला किया जाए जसा इस स्तर पर मोचा गया था। बहुत कम स्थितियाँ में तथ्यों का यह दूसरा स्तर इतना बटु एवं बठोर होता है कि वह पहलू स्तर की तदनीच को प्रभावित कर सक। समस्या को

परिभाषित करना उस समस्याओं को पुनः से बाहर निकालना है और यह तभी सम्भव है जब समस्या का घेरा स्पष्ट रूप में दिखाई देता हो और नष्ट दिख रहा हो तो स्थिति को उस प्रकार देखा जाए कि वह स्पष्ट हो जाए। इस चरण का जिस साधन सर्वोत्तम या आवश्यक कहता है शारीरिक मयाजन भी कहा जा सकता है। चूंकि हम स्तर पर निष्पत्ति के अपने आप से तथा समस्या में जा प्रवेश कर रहे हैं व मयात्मक प्रश्न है और समस्या को पतनाने अथवा समझने के लिए यह आवश्यक है कि जिस समस्या पर निष्पत्ति करना है उसका गहरा सम्भारता परिणाम अतिसम्बन्धित उपसमस्याओं के अन्तर्गत का हम तरह देखा जाए कि निष्पत्ति यदि पूर्णतया प्रतिलिखित नहीं है तो भी अन्वेषणात्मक (ह्यूरिस्टिक) दृष्टि से आगामी चरणों को एक स्पष्ट पक्का रेखा में मके। इस स्तर पर यह आवश्यक है कि अंतर्गत अनुभव के आधार पर समस्या की समझना को ध्यान में रखते हुए बाधा के सम्मम में मध्यम का नकार खोजा जाए। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि निष्पत्ति के अपने अन्वेषणात्मक का सगठन के निष्पत्ति सम्बन्धी मया से पुनः रचित है मानसिक दृष्टि में समस्या — तो समीप आने का प्रयास करें कि समस्या की जटिलताएँ विवरण के द्वारा म समझ म आ सकें और उन दुकों से एक सर्वांगण चिन्तन का आकार मरदण में मिन किया जा सके।

समस्या का समझना अथवा उस परिभाषित करना का दृष्टि से लाभ यह है। प्रथम मन्वैयित समस्याओं पर विचार करके बाह्य निष्पत्ति की पहिले टानी भी जा सकती है। यह आवश्यक है कि किना सगठन में मानस का ध्यान की माग के पाछे कुट्ट लागा के यत्तिगत दृष्टि अथवा कुट्ट नताओं के अपने स्वाथ निष्पत्ति है। समस्या के अन्वेषण में स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाता है तब आवश्यकता का वा म सम्बन्धी काइ निष्पत्ति कर विवाद में उन का सम्भवत आवश्यकता है। रणनीतिक दृष्टि अन्वेषण स्तर पर उन अम तुष्ट व्यक्तियों और नताओं से मिलकर समस्या का मुनना सकता है। अन्तरे समस्या का परिभाषित करना मिला भी महत्वपूर्ण है कि हमके बिना उमे मुनना के लिए विभिन्न विकल्प नता माइ जा सकते। समस्या को समझ बिना शरीर उचित पन्तुओं पर विचार किए बिना विकल्पों का मृगण करना कभी-कभी बड़ा खतरनाक सिद्ध होता है। हमने (Haiman) के अनुसार प्रवृत्तात्मक निष्पत्ति त समय सही उत्तर पान की अपेक्षा सही प्रश्न पान अधिक कठिन होता है। मी प्रश्न पान में अभिप्राय उचित विकल्प में हन म है। तीसरे समस्या का समुचित विश्लेषण करने पर एक तत्व में हना सुगम होता है जिन्के माध्यम में व्युत्तरचना (Strategy) मकन में मने। उहाने बताया है कि प्रत्येक समस्या में ऐम तत्व अथवा भाग पाते हैं ता अन्य की पति में मयात्मक होते हैं। इन तत्वों का ज्ञान भाग म विभाजित किया जा सकता है—एक सीमित करने वाले तत्व (Limiting factors) म पूरक तत्व (Comple

mentary factors) । जय वन दोता ही प्रकार के कुछ तत्त्वों में कुछ परिवर्तन हात
 २ ता नद्य प्राप्ति का माग भी बदलना होता है । बन-ड के अनुसार रणनीति व
न-व (Strategic factors) निम्न के वातावरण के अनुसार बिन्दु होते हैं ।

द्वितीय चरण स्वरूप निर्धारण

निम्न प्राप्ति का दूसरा चरण जिस सामान्य स्वरूप निर्धारण या
 Designing कहना है तथ्यों की लोच एवं लोच की कसौटी भी कहा जा सकता
 है । दूसरे शब्दों में इस चरण के मुख्य रूप के दो उचरण हैं । एक तथ्यों को
 सगतिपूर्ण रूप में समस्या के वातावरण से चुनना जो कपुर के शब्दों में एक
दृष्टिकोण का प्रश्न है । दूसरे तथ्यों का सूचकांक करना जो तथ्यों का तथ्यात्मक
 एवं गम्भीरता का सूचकांक प्रश्नों में सम्बन्धित है । एक निष्पक्षकर्ता जब समस्या
 को पचाने वाला है तो वह उसके अध्ययन की ओर उचित समय उसके
 विश्लेषण के लिए मुख्य रूप से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछता है—

- (1) समस्या के तथ्य क्या हैं और सचमुच में वे तथ्य हैं उनकी क्या कसौटी
 का प्रश्न है ?
- (2) तथ्यों की वास्तविकता में भी अधिक समस्या से उनका क्या सम्बन्ध
 है कि हमें वह सगत अथवा असगत बनते हैं ?
- (3) क्या तथ्य दृश्य और अनुभवपरक है या उनमें कुछ एक उपतथ्य मिल
 गए हैं जिन्हें ठोस बन के लिए विशय प्रथम का अविशयकता है ?
- (4) उन तथ्यों की जाकारी कितनी होनी चाहिए और कितनी कितने
 विश्वसनीय हैं ?
- (5) तथ्यों में परस्पर क्या सम्बन्ध है और क्या इन सभी तथ्यों को
 समस्या के आकार प्रकार के सदन में उचित विभिन्न रूपों को
 पचानने में अधिक सहायता मिल सकती है ?

उपरोक्त सभी प्रश्नों प्रथम चरण की जाकारी से उत्पन्न होते हैं किन्तु यदि
 उन की खोज में यह पूर्वाभास या पूर्व जाकारी अतिम कसौटी बन जाए तो बहुत
 संतुष्टि उत्पन्न कर सामान्य नहीं आ सकेंगे । तथ्यों की खोज में निष्पक्षता सबसे
 में उचित विशेषता है और निष्पक्षता के लिए सबसे उचित चुनौती यही है कि वह
 उन तथ्यों का पहचान और स्वीकार कर जाइतना कष्ट एवं भीषण है कि वह
 उन तथ्यों को सुनना नहीं चाहता । तथ्यों की खोज अनेक चरणों से गुजरती है ।
 प्रथम तो यह तथ्य कि राष्ट्रकर्ता कितना स्वतंत्र निष्पक्ष एवं समस्या के समाधान
 में निष्पक्षता है । दूसरे तथ्य समस्या के विभिन्न दृष्टिकोणों का कितना ज्ञान है जो
 तथ्यों से सम्बन्धित है । तीसरे तथ्य कि कितनी गहराई और सप्रभायता है जिससे
 कि उन्हें नीति के सम्बन्ध में परखा जा सके । तथ्यों में एक कितना तथ्य है जो नये
 तथ्यों का समाधान और पहचानने में सहायक सिद्ध हो सके है य सभी प्रश्न एक

सामान्य निरायकता की क्षमता और निराय को भ्रकमाने हैं। महत्वपूर्ण प्रशासनिक निराय के पीछे य छोटे छोटे पद्धति निराय तथ्यों के आविर्भाव संकलन एवं उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि निगमकता तथ्य खोजने की कला एवं विज्ञान में विशेष दक्षता नहीं रखता तो यह सम्भव है कि वह तथ्या के जमघट में इस प्रकार खो जाए कि समस्या मुलभूत के बल उठती उठके जाए। सग्त उपयोगी महत्वपूर्ण एवं बहु तथ्या को ढूँढना और पहचानना इसलिए आवश्यक है कि इनसे निपटे बिना जो भी समाधान आगे चरणा में विरहित हागा वह एसी समस्याओं को जम दे सकता है जो विकल्प व्यय का और भा कल्पित बना दे। तथ्यों में घोर बहुत मूल्य मदद रहते हैं अथवा अना अना मूल्या में दत्त जान वाला एक ही तथ्य विभिन्न प्रकार का सूचनाएँ दे सकता है। तथ्य निगमकता को सूचना सामग्री सन्तुष्ट सकत जेतवनी इत्यादि प्रयत्न करते हैं और प्ररणा या चनावनी तथ्या का मूयांकन - जो उनका उपलब्धि और खोज के आधारा पर निर्भर करता है।

यस ठमर चरण का महत्वपूर्ण उपचरण तथ्या का मूयांकन है। एक तथ्य तथ्य होना है यह तथ्य सती नहीं है कि लेवने वाले की मानसिक दृष्टि तथ्या को भी प्रकार सनी दवती। तथ्या का मूयांकन कत प्रथम किनी भी निगमकता के निगम आवश्यक है कि तथ्य मय के मारी विमेल मतकनाएँ बरतन - वात वत अपन तथ्या को निम्न प्रना के सन्तुष्ट में देख और तथ्य—

- (i) क्या तथ्या में परस्पर सामञ्जस्य
- (ii) क्या तथ्य अनुमानित रूप से किसी सीमा तक कुछ प्रयत्न में सक्त है
- (iii) क्या तथ्य अत्रिकाधक और विश्वमनीय है
- (iv) क्या तथ्या का पूरा मानकर आस तथ्य जा सता = ?

यस प्रकार के प्रश्न जो सूचना के तथ्य के चुनी देते हैं मूयांकन की भव भूमि स्थापित करते हैं। तथ्य तथ्य मूयांकन के सन्तुष्ट में प्रथम चरण का मूयांकन पुनम् अक्षिप्त गता है दूसरे चरण मय के तथ्य जा सकना है कि अनुमानित कल्पित तथ्या मार उपलब्ध वास्तविक तथ्या की तुलना का जगती है। य तथ्य स्थिति अनुकूल होती है तो समाधान के तथ्य तथ्य खोजने की आवश्यकता नहीं होती किन्तु यदि य दाता तथ्य एक ठमर स टकराने है तो विकल्पा का विवचन में सकन और वीयना को तथ्य म कल्पित हा चता है।

तथ्य मूयांकन निगमकता की स्थिति का समझन का क्षमता समाजा के प्रकार तथा आधार की तथ्य सम्बन्धी मूयांकन सन्तुष्ट में किया जाता है। स्वाभ विव है कि य प्रथम समाधान के कुछ विकल्प प्रस्तुत कर। कुछ विकल्प ना एम हात है जिह महज तार्किक और तथ्यमन को का तथ्य मक।। सम विधि कुछ विकल्प स प्रकार के तथ्य है ता किनु प तथ्य जान का

सम्भावना के रूप में काम में आते हैं। इसी प्रकार कुछ विकल्प ऐसे प्रचलित होते हैं जिनकी दूरगामी सम्भावना कुछ कठिन आशंकाओं पर आधारित होती है। इतना ही नहीं विकल्पों की उपलब्धि को उस दृष्टि से भी देखा जाता है कि उनमें सबसे अधिक उपयोगी नीति का अनुरूप एवं व्यावहारिक कौनसा है। कसौटी के यों ही मकसद के अन्तर्गत जिन होते हैं कि यह कौनसा कठिन है कि कौनसा मूल्य अथवा कौनसा तथ्य अथवा कौनसा परिणाम की सम्भावना उनकी प्राथमिकताओं को बताने में सक्षम है। कसौटी के निर्माण में चाहे कोई सा भी अथवा कितना ही निर्णायक तत्व क्या न रहे जाए प्रत्येक प्रशासनिक निर्णयकर्ता को अपने विकल्पों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्रम में सगठित करना पड़ता है। यह क्रम लाभ हानि उद्देश्य प्राप्ति उद्देश्य भ्रष्टता वर्तमान कीमत भावी लाभ आदि के मद्देन में निश्चित किया जाता है। एक कुशल निर्णयकर्ता वह होता है जो सम्भावित विकल्पों की मूल्य बढ़ा सके और कुछ स्थितियों के बदलने पर उनकी प्राथमिकता में अंतर करने का लचीलापन सुरक्षित रख सके। निराय प्रक्रिया का यह चरण उस दृष्टि से निर्णायक है कि उस स्तर तक पहुँचने-पहुँचने निर्णय क्रम एवं ऐसा मोड़ न लता है जहाँ निर्णयकर्ता का विवेक-क्षेत्र सीमित निश्चित एवं तुलनात्मक बन जाता है और वह निर्णय प्रक्रिया के अन्तर्गत माड का और उन्मुख होने लगता है।

तृतीय चरण विकल्पों का चयन

निर्णय प्रक्रिया का तीसरा और अन्तिम चरण है विकल्पों का चयन। यद्यपि प्रत्येक सगठन में और प्रत्येक निर्णयकर्ता के साथ में चयन की कसौटी में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है तथा किन्तु प्रशासनिक सामान्य सिद्धांतों के आधार पर यह सम्भव है कि चयन का मापक यत्र निश्चित कर लिया जाए। उदाहरण के लिए अन्तिम चुनाव करते समय वह निर्णय व्यक्तिपरक है अथवा तर्कहीन रखे गए या आवश्यक है कि उसमें—

- (i) गुणवत्ती तथा परिमाणवत्ती तत्त्वा की रूप में गुरुत्व हानि
- (ii) उसमें बाध्यता और सम्भावना के बीच एक सम्बन्ध स्थापित करना होगा जिस आदर्शों-मुख्य यथावधान कर्तव्य जा सकता है
- (iii) उसमें निर्णय की सीमाओं अथवा व्यावहारिकताओं का उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा जितना कि निर्णय से उद्देश्य होने वाली भावी पुनर्निर्माण की सम्भावनाएँ एवं जटिलताओं का।

कुल मिलाकर निर्णय निर्णय-मापक तत्त्व भी मूल्य निर्णय हो सकता है। उससे तय की यथावधान मूल्य की बाध्यताओं के साथ सम्भोजन कर सकते हैं। इसमें सगठनात्मक और मानवीय पहल से तुलित होकर लाभ हानि सम्भीकरण के अनुपात चयन हुए भी एनी स्थिति या सक्षम है जबकि द्वितीय और तृतीय सम्भावनाएँ प्रयोग के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं। यापार की

सुविधा की तरह प्रशासन की निगम प्रक्रिया में भी विकल्प चयन उसी नियम से किया जा सकता है जिसे प्रो हैकिंग और स्मिथ बाउण्डरी गेन और बाउण्डरी लान (Boundary Gain and Boundary Loss) कहते हैं। यह ऐसा हानि-लाभ है जो कम से कम नोन है और जिन्हें एक व्यापारी स्वीकार करने को तयार होता है। बाउण्डरी गेन और नान का देखकर जब व्यापारी कोई निर्णय लेता है तो वह चाहता है कि निर्णय से जो बुरे से बुरा परिणाम निकलें वह बाउण्डरी लान से अधिक अच्छा हो और जो सबसे अच्छा परिणाम निकले वह बाउण्डरी गेन से अधिक आकर्षक हो। प्रशासक भी कुछ-कुछ इसी प्रकार के निर्धारक तत्व बना सकता है और ऐसा करते समय उसका निर्णय बनाता कता की परिधि में रह सकता है।

इस तरह निर्णय समाधान का अंतिम विकल्प है। तीनों ही स्तरों पर चाहे वह अर्बेण का स्तर हो अथवा सामग्री और विकल्प की संरचना का अथवा अन्तिम विकल्प चयन का निर्णयकर्ता को अध्ययन के मापदण्ड विकसित करने पड़ेंगे। यदि व्यवस्था सुखी स्वतंत्र एवं जनतन्त्रात्मक प्रतियोगिता की अनुमति देती है तो इन मापदण्डों का स्वीकृत करना अपन आप में निर्णयकर्ता का सबसे बड़ा कार्य होगा। निगम एक सामूहिक सयन का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में असहमति विरोध विघटन एवं मनभंग की एक सहज स्थिति होती है। निर्णयकर्ता में अपेक्षा की जाती है कि निर्णयक क्षण तक पचने से पहले वह मार्मिक ढंग से एक-एक चरण पार करे। निगम प्रक्रिया का माडल चाहें रशनल हा या ह्य रिलिक् वहु भविष्यवाणी का एक उपक्रम है। भविष्यवाणियां अनिश्चितता और सन्निवृत्ता को कम करती हैं। निगम प्रक्रिया की तकनीक मस्तिष्क का वह सुरक्षात्मक विधान सुझाती है जिससे आचरण और व्यवहार की भावी आशंकाएँ कम परेशान करें और स्थिति को विगडन न दकर अनुकूल रूप से बदला जा सके। पहले चरण और तीसरे चरण में जो अंतर है वह दूसरे चरण की यथायथा से टकराकर एक द्वन्द्वात्मक पद्धति को जन्म देगा और मार्क्स की शतावली में यह भी कहा जा सकता है कि समस्या का प्रारम्भ यदि धिसिस है और नथ्या की व्यवस्था एण्टाधिसिस तो विकल्पों का चुनाव एक रणनीति निर्माण को जन्म देगा जो मध्यम र्गो र्गिनि और गुणात्मक दृष्टि से उत्तम हानि-लाभ-समय भविष्य में फिर धिसिस बन सकती और इस तरह प्रशासन प्रक्रिया विकल्पों में मुक्त बनी रहती है।

निर्णय कैसे लिये जाए ?

(How to make Decisions)

नाक प्रशासन के विज्ञान के निगम उन के विभिन्न सोपानों से सम्बन्धित विचारों का अध्ययन करने के बाद यह बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि निगम किम प्रकार दिया जाना चाहिए। निगम की प्रारम्भिक से सापान निर्णायक के माग की एक माग पर स्वरूप प्रस्तुत करने हैं जिसके आधार पर यह निर्दिष्ट किया जा

सकता है कि किसी भी समस्या को सुनभान हेतु काय का निगम करन के नियम क्या कर्म उठाया जाए। जत्र एक संगठन का अध्यक्ष निगम की प्रतिया के इन गभी सोषानो से परिचित रहना है तो भूत की गुजाइश कम हो जाी है और उनके तार लिए गए निगम विवकपूर्ण एव धर्मानिक प्रवृत्ति के होते ह। इसके विपरीत अब निगमिक को इन क्रमा की आवश्यकता एव महत्व का नान नही रहता तो वे प्राय पयभ्रष्ट हो जाते हैं। उदाहरण क लिए यदि अध्यक्ष का यह निगम न। है कि संगठन में सचार के नये साधनो का प्रयोग किया जाए तो इसके लिए बर समस्या का पूर्ण रूप से अध्ययन करेगा उसे विभिन्न पहनुआ क सभावित परिणामा पर विचार करेगा और उसके बाद सव विकारो की चयना करेगा तथा उनी में स किमी एक का चुनाव करेगा। इस क्रम के किमी भी स्त की अवहल। करन पर उसके द्वारा निया गया निगम अत्यन्त रतरनाक मिद्ध हा सकता है।

निगम किम प्रकार लिए जाए य एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका सतोप जनक उत्तर प्राप्त कान प्रथम अध्यक्ष क उत्तरदायित्व है। इन प्रश्न का एक उत्तर निगम की प्रतिया क सोषाना द्वारा दिया जाता है किंतु यह उत्तर स्पष्ट एव सनाजनक नी ह। हमें अपनाया गया सामायीकरण (Generalisation) जनक सत् एव प्रनराचक चिह्न उपस्थित कर देना ह जिन पर विचार किए बिना निगमिक का अधिक लाभ नी हाता। निगम लन क तीक का बरान दूसरे तार स गुणा मक रूप में किया जाता है अर्थात् एक अध्यक्ष का अथवा प्रबंधक को किस प्रकार निगम लेना चाहिए यह बतान के लिए उनक मम्मुख अर्द्ध निगमिक कुछ गुण प्रस्तुत कर दिये जात हैं और कह दिया जाता है कि उनके द्वारा लिए गए निगमों में ये गुण होन चाहिये। निगम के गुणामक पहनुआ पर जार दन बाने विचारको का यह कहना है कि एक श्रेष्ठ निगम वह होता है जिसमें निम्नलिखन गुण समाहित हा—

1/ बुद्धिपूर्णता—निगम बुद्धिपूर्ण होना चाहिए। इसके अर्थ यह है कि सम्बंधित समस्या पर पूरी तर से विचार कर निया जाए उस पर विचार कर्म समय निगमिक के सम्मुख तथ्य रहन चाहिए और इन तथ्या क चयन तथा उनकी व्याख्या में उसे अपनी इच्छा अथवा भावनाओं का समावेश नही करना चाहिए। क बार अबोधिक तत्त्वा के प्रभाव से तथ्या की गलत व्याख्या कर दी जाती है जिससे पारणामस्वरूप निगम नियाय अथवाथ या निरर्थक हा जात हैं।

2/ वस्तुतत्त्वा—निगम वस्तुनिष्ठ (Objective) होना चाहिए। यह गुण पून वगिन गुण में मिनता है तथा तब तक प्राप्त नही किया जा सकता जब तक निगम को बौद्धिक न बनाया जाए। वस्तुनिष्ठता बुद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता समझी जानी है। जिस तार एक हम दूध को पानी से अलग कर देता है उसी प्रकार बुद्ध तारा तत्त्वा का अर्थात् एव बुगई का पृथक करके देखा जा

मकता है। निगम वक्त समय यदि निर्णायक के व्यक्तिगत भाव प्राथमिकताएँ मध्य एवं सहाय प्रवृत्तियों का प्रभाव रहा तो यह निश्चित है कि लिया गया निगम तथ्य मगत कम होगा।

समय पर—यह आवश्यक है कि निष्पत्ति समय पर लिया जाए। समय में पूर्व लिए गए निगम का कोई महत्त्व नहीं होता और समय के बाद लिए जाने वाले निष्पत्ति प्रभावहीन हो जाते हैं।

प्रतिक्रियाओं से सज्ज—अध्यक्ष द्वारा जो निष्पत्ति लिए जाए उनकी सम्भावित प्रतिक्रियाओं पर पहले से ही विचार करना चाहिए। सगठन में जो भी निष्पत्ति लिया जाना है उसकी प्रकृति में सम्भावित प्रतिक्रियाओं का एक विवरण देना है। निगम वक्त देना यह चाहना है कि सगठन के सदस्यों द्वारा एक विशेष रूप में प्रतिक्रिया की जानी चाहिए। यदि वह प्रतिक्रिया उस रूप में होती है तो निगम सफल सम्भावित है और यदि प्रतिक्रिया का रूप निष्पत्ति की आकांक्षा में भिन्न या विपरीत होता है तो वह असफल माना जाता है। इसलिए अध्यक्ष का इस बात पर भी प्रचार विचार करना चाहिए कि निगम के प्रति सगठन के सदस्यों की क्या प्रतिक्रियाएँ पारी।

निगम किम प्रकार लेना चाहिए इस प्रश्न के उत्तर के रूप में इन विचारों का के मन का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण है जो तत्त्वा (Factors) के समर्थन का विचार प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार निगम लेते समय निर्णायक का कुछ तत्व ध्यान में रखना चाहिए। यदि निगम तत्व तत्त्वों के अनुमान है तो वह सफल एवं प्रभावशील होगा।

टरी ने निगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्त्वों का वर्णन किया है। ये हैं—(1) कानूनी सीमाएँ (Legal Limitations) (2) बजट (Budget) (3) सामाजिक आदर्श (Mores) (4) तथ्य (Facts) (5) इतिहास (History) (6) आंतरिक नैतिक चरित्र (Internal Moral) (7) अपेक्षित भविष्य (Future as Anticipated) (8) उच्च श्रेणी (Superiors) (9) दबाव समूह (Pressure Groups) (10) कर्मचारी बग (Staff) (11) कार्यक्रम की प्रकृति (Nature of Programm) एवं (12) अधीनस्थ कर्मचारी (Sub ordinates)।

यसभी तत्व निगम की प्रक्रिया का बुद्धिपूर्वक वर्णन एवं सफल बनाने में प्रभाव रूप में सहायक साधक हैं। निष्पत्ति पर इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन एक उद्देश्य द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए एक पंचायत-संगठित अपन क्षेत्र के गाँव में कुछ कुछ दिनों में निष्पत्ति लेना चाहती है तो उस सचप्रथम में देखना होगा कि क्या उस एकाकरण का कानूनी अधिकार है। यदि कानून से उसकी शक्तियाँ सीमित हैं जिनके कारण वह कुछ बनाने में सम्भवित निगम वक्त का अधिकार

किया जाता है। व्यवहारवादी मानते हैं कि निर्णय देने की तरीके का कार्य स्वमाय रूप निश्चित नहीं किया जा सकता। कोई एक तरीका एक समय में अच्छा है तो वहाँ दूसरे समय में निकम्मा सिद्ध होता है। मन्त्रपूर्ण बात यह है कि निर्णय लेने का अभ्यास एक व्यक्ति अथवा सभा को श्रेष्ठ निर्णायक बना सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रशासकों को निर्णय देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। निर्णय लेते समय जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए उसके सम्बन्ध में टैरी (Terry) ने अनेक बातों का उल्लेख किया है।¹ उनके मतानुसार सबसे पहले यह निश्चय करना होगा कि समस्या क्या है? जब समस्या में निश्चय हो जाए तो उसकी एक सामान्य पृष्ठभूमि तयार करने के लिए आवश्यक सूचना तथा तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण प्राप्त करना होगा। इसके बाद उन तरीकों पर विचार किया जाएगा जिनके कार्य की साधना की जा सकती है। प्रारम्भ में एक कामचलाऊ निर्णय लिया जाता है तथा अस्थायी योजना बनाई जाती है किन्तु बाद में उसका मूलांकन करके उसमें महत्त्वपूर्ण तत्वों को क्रियावित्त करने का प्रयास किया जाता है। इस योजना की क्रियावित्त से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके प्रकाश में यह निश्चय किया जाता है कि निर्णय का कायम रखा जाए अथवा संशोधित या परिवर्तित किया जाए।

निर्णय लेने की प्रजातन्त्रात्मक प्रक्रिया

(The Democratic Pattern of Decision Making Process)

प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रजातन्त्रात्मक तरीका एक आदर्शों का पर्याप्त प्रभाव पड़ना है। प्रारम्भ में अज्ञान-चरमक अवस्था इतनी लोकप्रिय नहीं प्रशासनिक संगठनों में निर्णय प्रायः एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज समझा जाते थे। निर्णय लेते समय अपन अधान्त्यों से परामर्श या उनकी राय का आदर करने की उम्मे आवश्यकता नहीं होती थी। किन्तु व्यक्ति के जीवन में या-या प्रजातन्त्रात्मक मूल्य धर करते गए प्रशासकीय संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया का स्वल्प भी परिवर्तित होता गया। भ्रष्ट निर्णय लेने प्रक्रिया में न केवल संगठन का अध्यक्ष बरन् अनेक आंतरिक और बाह्य तत्व प्रभाव डालते हैं। कुछ विचारकों का मत है कि निर्णय कभी भी न एक व्यक्ति द्वारा लिया जाना था और न लिया जाता है। माइमन का मत है कि यदि एक व्यक्ति निर्णय लेता तो वह निर्णय पूरी तरह से बौद्धिक नष्ट हो सकता है। उनकी शर्तों में एक अलग अलग व्यक्ति के व्यवहार का किसी उच्च श्रेणी की बौद्धिकता पर पहुँचना असम्भव है।²

प्रशासकीय संगठनों का निरीक्षण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें अनेक व्यक्तियों का योगदान रहता है। जनता के हाथों में सम्प्रभु शक्ति का निवास रहने के कारण प्रशासनिक अधिकारी अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार

1 Terry p. 11 pp 65-67

2 Herbert A. Simon op. cit. p. 19

नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में निणय लेने की जोखिम को कोई भी एक व्यक्ति अपने कंधों पर नहीं लेना चाहता। अतः प्रशासनिक निणय की प्रकृति सहकारी (Co-operative) अथवा योगदानपूर्ण (Contributory) बन जाती है। सेकलर हडसन का यह कहना सही है कि सरकार द्वारा निणय लेना एक ऐसी क्रिया है जो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न होती है। यह ही मक़ता है कि निणय की घोषणा एक व्यक्ति द्वारा की जाए किन्तु निणय तक पहुँचने की प्रक्रिया में अनेकों का योगदान रहता है। यह राजनीतिक व्यवस्था का एक भाग है।¹ निर्णय की प्रक्रिया को गोरे तथा डायसन (Gore and Dyson) ने एक सामाजिक रणनीति (Social Strategy) माना है जिसमें एक समस्यापूर्ण स्थिति के लिए मिनजुन कर प्रतिनिधियों की जाती है। उनके कथनानुसार निणय व्यक्तिगत पक्षों को सम्बन्धों के जाल में बुन देते हैं जिनसे कार्य का आधार बनता है। उन्होंने आगे स्पष्ट शब्दों में बताया है कि निर्णय व्यक्तियों के सहयोगपूर्ण प्रयासों का परिणाम होते हैं।

संगठन के अध्यक्ष का निर्णय लेने की औपचारिक शक्ति प्राप्त होती है किन्तु जब वास्तविक व्यवहार में वह निर्णय बन नगता है तो संगठन के दूसरे सदस्यों का उम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अध्यक्ष चाहे अथवा न चाहे उसकी क्रियाओं पर संगठन के सदस्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोषगामी या अपकालीन प्रभाव अवश्य पड़ता है। टनिनबाम तथा मासारिक (Tannenbam and Massarik) ने अधीनस्थों के साथ मिलकर निणय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकताओं एवं लाभों का बहान किया है। उनके मतानुसार अध्यक्ष वह निणय सम्पूर्ण संगठन के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अधीनस्थ अधिकारी भी क्योंकि वे संगठन का ही एक भाग हैं इन निणयों में पर्याप्त रुचि रखते हैं तथा उनकी यह तीव्र इच्छा रहती है कि इन निणयों में वे भी कुछ योगदान करें। जिस देश में राजनीतिक व्यवस्था का रूप प्रजातन्त्रात्मक होता है तथा जिसके समाज में प्रजातन्त्रात्मक परम्पराओं की जड़ें गहरी होती हैं वहाँ अधीनस्थों की यह इच्छा कई गुणा बढ़ जाती है। समस्या को परिभाषित करने और उसके सम्बन्ध में सम्भावित विकल्पों की खोज में अधीनस्थ अधिकारियों को भी भाग लेना चाहिए किन्तु जब विकल्पों का चुनाव करना होता है तो उनका योगदान की लक्ष्मण रेखा आ जाती है।

टनिनबाम तथा मासारिक ने स्पष्टतः कहा है कि उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी अधीनस्थ के रूप में प्रबंध निणय की प्रक्रिया में केवल दो भागियों में योगदान कर सकते हैं व तीसरा भाग में योगदान नहीं दे सकते। अधीनस्थों द्वारा दिया जात बना योगदान दो विभिन्न रूप धारण कर सकता है।

1 S K Hud op cit p 29

2 W H m J Go d J W Dyson Th M k g of Dec so 1954 p 1

मात्रा एवं गुण एक माध्य बढ जान ह माधनो का अप्रय एवं दुःख रुक जाता है और इस प्रकार कम कीमत में अधिक एवं अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं ।

42/ उदासीनता का अभाव—अधीनस्थों का अधिक से अधिक संयोग तथा नियंत्रण के प्रति उनमें अपनी-की भावना यह सम्भव बनाता है कि संगठन के कार्यों से वे उदासीन न रहें ।

43/ शांतिपूर्ण सम्बंध—संगठन में अभियोग (Grievances) की दूरता तथा प्रबंधक एवं अधीनस्थों और प्रबंधक एवं सच के बीच अधिक शांतिपूर्ण सम्बंधों का विकास भी प्रजातंत्रात्मक नियंत्रण प्रक्रिया का एक ही स्वपूर्ण लाभ है । नियंत्रण लेने समय अधीनस्थ अधिकारी अपनी शिकायतों एवं विरोधों को स्पष्ट कर देते हैं और नियंत्रण लेने में उनका प्रभाव रहता है ।

44/ स्वेच्छापूर्ण स्वीकृति—जब नियंत्रण मिल जुल कर लिए जाते हैं तो अधीनस्थ अधिकारियों में उन्हें स्वीकार करने के लिए उत्सुकता नहीं रहती । जब संगठन के अध्यक्ष अथवा प्रबंधक द्वारा नियंत्रण लिए जाते हैं तो उन नियंत्रणों के अनुसार प्रायः कुछ नवीन परिवर्तनों की आवश्यकता की जाती है । जब अधीनस्थ कमचारियों को यह अनुभव होता है कि अध्यक्ष न निर्णय लेते समय स्वेच्छाचारिता से काम लिया है या उनकी राय को महत्त्व नहीं दिया है तो वे परिवर्तनों को शिथिल करने के लिए तैयार नहीं होते । कई बार उनका विरोध इतना बढ जाता है कि वे अध्यक्ष के पथ के प्रति घालोचनात्मक दृष्टिकोण अपना लेते हैं । टैनिसब्राम तथा मासार्कि के शब्दों में जब अच्छे अधिकारियों द्वारा परिवर्तन स्वेच्छाचारी रूप से विना स्पष्ट किए ही लागू कर दिए जाते हैं तो अधीनस्थ कमचारी स्वयं का असुरक्षित अनुभव करते हैं और प्रतिजियास्वरूप ऐसे कदम उठाना चाहते हैं जिनका उद्देश्य नवीन परिवर्तनों को निष्प्रय करना हो ।¹

एवं अच्छा निर्णयिक उसी को समझा जाता है जो अपने अधीनस्थों की प्रतिजियाओं को ध्यान में रख और नियंत्रण लेने से पूर्व ही उसके उद्देश्यों एवं स्वरूप को अधीनस्थों के सामने स्पष्ट कर दे । ऐसा करने के लिए नियंत्रण लेने की प्रक्रिया में अधीनस्थों में योगदान की व्यवस्था की जानी चाहिए । जब अधीनस्थों की असुरक्षा की भावना सुरक्षा में परिवर्तित हो जाती है तो नियंत्रणों का अर्थ होकर विरोध करने की उनकी प्रवृत्ति भी बदल जाती है और वे बुद्धिपूर्वक उन्हें स्वीकार करने लगते हैं ।

45/ अधीनस्थों के प्रबंध में सुविधा—नियंत्रण लेने की प्रक्रिया में अधीनस्थों में योगदान की व्यवस्था कर देने पर एक अर्थ यह माना है कि अधीनस्थों के नियंत्रण की अनुरूप समस्याएँ या तो कम हो जाती हैं या सरल हो जाती हैं । उनके प्रवृत्तियों का उपाधिकारियों को अधिक पर्यवेक्षण (Supervision) करने का

आवश्यकता नहीं रहता। उन पर रकम जमाने का नियम बनाया जा सकता था।
जाती है और धन का अभाव कायदा की आवश्यकता कम हो जाती है। निगम
उने में जो कमजोरी भाग लेता है वह उन निर्णयों को क्रियान्वित करता है। उतार
दायित्व मानने पर नहीं है। इस स्वतंत्रता का अभाव में भी मन्त्रालय केवल औपचारिक
एव नाम मात्र का रह जाती है। अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों
के निगम स्वीकार कर लेने पर उच्च प्रशासकों का अभाव में वृद्धि हो जाता है।

उच्च स्तर पर निगम—मन्त्रालय निगम का स्वरूप अपेक्षाकृत उच्च
जाता है। एक व्यवस्था की अभाव में प्रक्रिया के अस्तित्व द्वारा दिया गया कार्य
अधिक उपयोगी एवं सार्थक जाता है। समूह का अन्तर्गत एक संस्था से सम्बन्धित
सभी विस्तृत रूप में पाये गये सोच जाता है। इसका कारण यह है कि वह समूह के
सभी सदस्यों का विस्तृत ज्ञान नहीं रहता। यदि प्रत्येक पहलू का विस्तृत ज्ञान
रखने वाला अधिकारी उसे मन्त्रालय प्रदान करता है तब तक वह मन्त्रालय
अधिक सार्थक है।

आवश्यक परिस्थितियों

एक प्रकार का दृष्टि दलीलस्था का पाया जाता है। यह निगम
कई प्रकार से उपयोगी एवं लाभदायक होते हैं। यहाँ ध्यान में रखने योग्य एक बात
यह है कि प्रत्येक स्थिति में इस प्रकार के निगम लेना न तो सम्भव होता है और
न उचित ही। इस प्रकार के निगम उन वस्तुओं के लिए कुछ उपयुक्त परिस्थितियों का
दोष होती है।

प्रथम—इन प्रकार के निगम कबल तभी दिए जा सकते हैं जबकि उनका
तुरन्त लेना जरूरी न हो। जब निगम बनाने लिए जाते हैं तथा उनका अन्तर्गत किसी
संरचनात्मक स्थिति में है तो जोदायक अन्तर्गत जा निर्णय की शक्ति को अभाव
करता है अनुपयुक्त रहेगा। सारक निर्णयों का ऐसे ही निगमों का अन्तर्गत कहा
जा सकता है।

दूसरे—सहयोगपूर्ण व्यवस्था में प्रत्येक एक समय के अतिरिक्त धन की
मात्रा भी महत्वपूर्ण है। यदि इस प्रकार निगम उन में बहुत अधिक धन रख
करना पना तो उनसे प्राप्त होने वाले सभी लाभ अथवा महत्व खो देगा।

तीसरे—यहाँ की निर्णय लेने में असाध्य नया अन्तर्गत इन पर कभी ऐसा
न हो कि उच्च अधिकारियों का औपचारिक मन्त्रालय हो जाए।

चौथे—जब अधिक लोग निगम की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो उन
निगमों के समय से पूर्व खुल जाने का भय रहता है।

पाचवें—दोषदानपूर्ण व्यवस्था को प्रभावकारी रूप में देने के लिए सकार-अन्तर्गत
का उचित प्रयत्न होना जरूरी है न कि निगम में भाग लेने वाले मन्त्रालय परम्परा
विचार विमर्श कर सकें।

छूट, जब अधीनस्थों का निर्णय लेने का अवसर दिया जाता है तो उनको कम कायम के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

निर्णय कब लिए जाए ?

(When to take Decisions ?)

निर्णय लेने की प्रक्रिया का स्वभाव अथवा विधि एवं प्रक्रिया जान लेने के बाद हम सम्भवतः एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि निर्णय कब लिए जाए। दूसरे शब्दों में वह कौनसा समय है जब निर्णय लेना उपयोगी साधक एवं प्रभावशाली रहता है अर्थात् उस कौनसे अवसर है जब निर्णय लेना जरूरी हो जाता है और उसे ध्यान से लिए नहीं टाला जा सकता। निर्णय लेने के लिए कुछ उपयुक्त परिस्थितियाँ होती हैं तथा उचित अवसर होते हैं जिनके फलस्वरूप निर्णायक को यह भावसिद्धि तथा जोखिम भरा माध्यम अपनाता पड़ता है। यह देखा जाता है कि व्यक्ति निर्णय लेने से बचता है। वह केवल उचित परिस्थितियों में निर्णय लेना अधिक पसन्द करते हैं जहाँ उनके व्यवहार का कम से कम आनाचनाओं का सामना करने पड़े। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति निर्णय लेने की सामर्थ्य की कुछ सीमाएँ होती हैं जिसका अतिक्रमण न तो उनके लिए सम्भव होता है न उपयोगी ही।

प्रत्येक व्यक्ति केवल उसी क्षेत्र में निर्णय लेना चाहता है जो औपचारिक रूप से उसको सौंपा गया है। इस क्षेत्र का उल्लंघन करने पर अन्य व्यक्ति के उत्तरदायित्वों पर प्रहार होने लगता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति आनाचनाओं का डर तथा अधिक उत्तरदायित्व बतलाने की आशंका से केवल एक सीमित क्षेत्र में ही निर्णय लेना पसन्द करता है। संगठन में एक व्यक्ति विशय जब निर्णय लेता है तो वह ऐसा ठहरे करता है जब उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाए। निर्णय लेने के अवसर तीन रूपों में प्रदान किए जा सकते हैं। चर्चर बर्नार्ड (Chester Barnard) ने अवसर प्रदान करने की तीन परिस्थितियों का बखाना निम्न प्रकार से किया है—

(1) उच्च अधिकारियों की सत्ता (The Authority of Superiors)

सर्वोच्च अधिकारियों का औपचारिक रूप से यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह समय-समय पर अपने अधीनस्थों को आज्ञा एवं निर्देश संचारित करता रहे। अपने इस औपचारिक अधिकार को निभाने के लिए उच्च अधिकारियों को समयानुसार एक निर्णय लेने पड़ते हैं जिनका सम्भवतः आनाचनाएँ एवं अनुशेषों की प्राप्ति, व्यवहार तथा वितरण से होता है। कई बार उच्च अधिकारियों अपने उत्तरदायित्व अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपकर स्वयं का भार हलका कर देता है किन्तु इस प्रकार के प्रयायों में एक सीमा होती है। इस सीमा से परे वह निर्णय लेने के कार्य में अपने प्रापको प्रयुक्त नहीं रख सकता। संगठन के व्यवहार में प्राप्त होता भी नहीं जाता है कि उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की शक्ति को न तो सौंपा

हैं सगठन की दृष्टि से शान्तिपूर्ण प्रस्ताव होते हैं और क्रियाविधित करने में सम्भव विवाद दते हैं तो उनकी उचित शांतिपूर्ण करने के लिए उच्च अधिकारी द्वारा शांतिपूर्ण समाधान आवश्यक बन जाता है।

(2) अधीनस्थों की असमर्थता (Incapacity of Sub ordinates)

कई बार ऐसा होता है कि जिन विषयों पर अधीनस्थों को स्वयं निष्पत्ति लेना चाहिए वह उन विषयों को निष्पत्ति के लिए उच्च अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। इस तरह प्रस्तुत विषयों को अपील विषय (Appellate Cases) कहा जाता है। यह प्रस्तुत करने का अन्तर्गत कारणों में से एक हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि अधीनस्थ अधिकारी निष्पत्ति लेने में असमर्थ हैं यदि अधीनस्थों का दिए गए निर्देशों का अर्थ ही यदि परिस्थितियाँ न ऐसा करना आवश्यक बना दिया है यदि कार्य क्षेत्र या आशा में संघर्ष उत्पन्न हो गया है अथवा अधीनस्थ अधिकारियों की सत्ता प्रभावशाली नहीं रही है तो एक अधीनस्थ अधिकारी किसी विषय पर स्वयं निष्पत्ति न लेकर उन विषयों को उच्च अधिकारी के निष्पत्ति के लिए प्रस्तुत करने को प्रेरित होना है। जिस सगठन में निष्पत्ति के ऐसे अवसरों की संख्या बढ़ जाती है वह उच्च अधिकारी का कार्यभार से दब जाता है और सगठन की कार्यकुशलता में बाधा पड़ जाती है। ऐसे अवसरों को रोकने के लिए कुछ साधन प्रयोग करने उठाने पड़ते हैं। कार्यपालिका का सगठन कमचारियों की योग्यता एवं धनीपवारिक सगठन की प्रशिक्षणों के विकास आदि द्वारा ऐसे अवसरों की संख्या को कम किया जा सकता है। वनाड के शांति में कार्यपालिका के कार्य की कमी यह है कि वह आवश्यक या असाध्योचित एक निष्पत्ति का ले और शप का अस्वाकार करे।²

(3) कार्यपालिका की पहल (The Initiative Executive)

अनेक बार कार्यपालिका पहल करके निष्पत्ति लेने के अवसर पदा करती है। एक कार्यपालिका में निष्पत्ति के अवसर पदा करने में कितनी पद्धति का इस आधार पर उम्मीद स्थिति का समझने की योग्यता एवं संचार माध्यामों की पर्याप्तता का पर्याप्त होना जा सकता है। यदि एक सगठन में संचार के सुविकसित माध्यामों का उपयोग हो रहा है और अधीनस्थ सगठन का प्रत्येक स्थिति में नया प्रतिनिधित्व ना वह निष्पत्ति लेने में पत्र के तत्काल समय में अग्रगण्यतापूर्ण अवसर होगा। अधीनस्थों को स्वयं की कार्य करने चाहिए जिनका सगठन का अर्थ व्यक्ति प्रतिक्रियात्मक न होकर सक्रियता है। इस निष्पत्ति लेने चाहिए जिनका लेने की माध्यम किसी अर्थ में न हो।

निष्पत्तियों के प्रकार
(The Types of Decisions)

प्रशासकीय सगठन में निष्पत्ति के दो प्रकार के होते हैं जिनमें से एक निष्पत्ति लेने की दृष्टि से एक विषयानुसृत है और दूसरे प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ यह है—

(1) व्यक्तिगत निर्णय एवं संगठनात्मक निर्णय

(Individual Decisions and Organisational Decisions)

चेस्टर बर्नाड ने प्रशासनिक संगठन में लिए जाने वाले निर्णयों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया है—व्यक्तिगत निर्णय और संगठनात्मक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय सामान्य रूप से दूसरों की प्रत्याभोजित नहीं किए जा सकत जबकि संगठनात्मक निर्णय यथावशा नहीं तो प्रायः प्रत्याभोजित किए जा सकते हैं। संगठन के मन्त्रवृत्तपूर्ण विषयों से सम्बन्धित निर्णय नियोजित होने से पूर्व अनेक संगठनात्मक निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। उन निर्णयों को उपनिर्णय अथवा क्रम में लेने के निर्णय किये जा सकते हैं। ऐसे निर्णय भी प्रायः उसी व्यक्ति द्वारा किये जाते हैं जिसने प्रमुख निर्णय लिया है। किंतु कभी-कभी ये निर्णय संगठन के अन्य मन्त्रवृत्तों द्वारा भी किये जा सकते हैं। ऐसा करते समय ये सदस्य व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि संगठनात्मक रूप में व्यवहार करते हैं।

निर्णय लेने की शक्ति उनकी क्रियाशक्ति के समय या अनेक सहायक निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। इस आवश्यकता की पूर्ति संगठन के दूसरे मन्त्रवृत्तों द्वारा संगठनात्मक रूप में की जाती है। संगठन में किये जाने वाले प्रतिक्रिया निर्णयों का अल्पसंख्यक होना ही व्यक्तिगत नहीं। अनेक कारणों से निर्णय लेने के उत्तरदायित्व को कभी-कभी व्यक्तिगत तब तक अपने ऊपर नहीं लाया चाहता जब तक ऐसा करने से निर्णय व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी न ठहराया जाए। जिसके कंधों पर व्यक्तिगत निर्णय लेने का भार रहता है वह संचार व्यवस्था का पूरा उपयोग करता है। चेस्टर बर्नाड के कथनानुसार केन्द्रीय या सामान्य संगठन के निर्णय संगठन की संचार-व्यवस्था के केन्द्रों पर सर्वप्रथम किये जा सकते हैं।

(2) प्रचलित निर्णय एवं अप्रचलित निर्णय

(Routine Decisions and Non routine or Innovative Decisions)

गार तथा डाइसन ने भी प्रशासनिक संगठन में लिए जाने वाले निर्णयों को दो भागों में विभाजित किया है।¹ कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो संगठन के व्यवहार का उन्नी रूप में संचालित होने देते हैं तथा उसके क्रम में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालते। ऐसे निर्णयों को उचित प्रचलित निर्णय (Routine Decisions) का मन्त्रा दी है। दूसरे प्रकार के निर्णय वे होते हैं जो कि संगठन के रूप एवं व्यवहार में कुछ नवीनताओं एवं परिवर्तनों का सूत्रपात करते हैं तथा इन प्रकार संगठन की प्रचलित पद्धतियों को असामयिक बना देते हैं। ऐसे निर्णयों को उचित अप्रचलित या नवीनतावादी (Non routine or innovative) कहा है।

प्रथम प्रकार के प्रवर्तित प्रचलित विणया म यह बात प्राय स्पष्ट रहती है कि क्या किया जाना है और किस प्रकार किया जाना है। इन विणया के परिणामों का पहलू से ही अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि ये प्रचलित व्यवहारों के अनुरूप होते हैं। इस प्रकार के विणया द्वारा वो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। प्रथम यह कि इनके आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो कार्य धार पर क्या होना जा रहा है। दूसरे जब हम परिवर्तन के संभव उपायों में विचार करते हैं तो इन विणया द्वारा वस्तुस्थिति का ज्ञान कराया जाता है। यदि यह बात है कि वस्तुस्थिति का सुधार किया जाए अथवा उनका कोई विकल्प देना जाय तो हमको निर्णयों के हमारे प्रकार का चयन करना होगा। माइमन ने इन निर्णयों का कार्यक्रम विहीन (Non Programmed) की संज्ञा प्रदान की है। इनको अप्रचलित विणय अथवा नवीन विणय (Innovative) विणय भी कहा जा सकता है।

निर्णय के इन दोनों प्रकारों के बीच पर्याप्त अन्तर होता है। प्रथम अन्तर यह है कि प्रचलित विणया द्वारा नृणाएँ एवं सफलता प्रदान की जाती है तथा भविष्य में उन व्यक्तियों का कार्य किया जाता है जो अतीतकाल में पुरस्कार प्रदान करती रही है। दूसरी ओर अचलित विणय अनिश्चित हात है। उक्त द्वारा एक ऐसा भावपूर्ण प्रस्तुत किया जाता है जो अतीत एवं चित्तावस्था है। प्रचलित निर्णयों में जो साधन व्यय किए जाते हैं उनका पुरस्कार सौंपत्रक रूप में प्राप्त हो जाता है। प्रथम व्यय किया गया धन अधिक मात्रा में वापस मिलता है। इसमें भिन्न नवीन विणया को खर्चने प्रयोग समझा जाता है जिनमें लगाया गया धन भाग्य के सहारे पर खर्च किया जाता है। दूसरा अन्तर यह है कि नवीन निर्णय परिवर्तन का सूत्रपात करते हैं अतः उनका विश्लेषण की वैदिक योजना के आधार पर संचालन होता है। किन्तु व्यवहार में प्रायः ऐसा नहीं होता और ये भावना मूल तत्त्व जैसे पूर्वग्रह आदि में प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी ओर प्रचलित निर्णयों में भावना प्रवृत्ति घातक आदि अव्यक्त तत्त्वों के प्रभाव की गुंजाइश बहुत कम रहती है। तीसरा अन्तर यह है कि प्रचलित निर्णयों में भागीदारों के बीच का सम्बन्ध मूल योगपूर्ण रहता है जबकि किसी न किसी प्रकार का संपर्क नवीन विणया का एक आवश्यक तत्त्व माना जाता है।

नवीन विणय क्योंकि प्रचलित पद्धति के अनुकूल नहीं होते और किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन का सूत्रपात करते हैं अतः इनमें एक प्रकार की आत्मिक कठिनाई है। अतः भविष्य के प्रति आशंका होती ही रहती है। अतः अथ म इनको चिन्तापूर्ण कहा जाता है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इस प्रकार के विणय अस्वाभाविक हात हैं। किसी भी संगठन द्वारा इस प्रकार के विणय बहुत किए जाते हैं। एक पञ्चासकीय संगठन में लिए जाने वाले विणयों में से प्रायः दो प्रतिशत निर्णय इस प्रकार के हात हैं।

(3) विधायक निर्णय और निषेधात्मक निर्णय

(Positive Decisions and Negative Decisions)

प्रशासनिक संगठन में निर्णय लेना एक कला है जिसे केवल अभ्यास द्वारा ही प्रशिक्षित एवं विकसित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता कि किस प्रकार का निर्णय सर्वश्रेष्ठ होगा। एक निर्णय की श्रेष्ठता समय एवं परिस्थिति पर निर्भर करती है। चेस्टर बर्नार्ड (Chester Barnard) का कहना है कि कार्यपालिका में निर्णय की श्रेष्ठता से बात में निहित है कि ऐसे प्रश्नों पर निर्णय ले लिए जाएँ जिनके समय आवश्यक नहीं हैं अपरिपक्व निर्णय ले लिया जाएँ ऐसे प्रभावहीन निर्णय ले लिए जाएँ और ऐसे निर्णय ले लिए जाएँ जो दूसरे को लेने चाहिए।

निर्णय लेने में सम्बन्ध में इन बातों का ध्यान रखना सबसे बड़े प्रकार का लाभ लेने की सम्भावना बढ़ जाती है। जब अध्यक्ष कोई निर्णय अपरिपक्व रूप से नहीं लेता तो वह उस प्रकार कोई एक दृष्टिकोण अपना लेता है तथा उसमें पूर्वाग्रह का विकास हो जाता है। जब वह ऐसे निर्णय नहीं लेता जिनकी वह प्रभावशाली नहीं बना सकता तो वह अपनी सत्ता का नष्ट होने से बचना चाहता है। इसी प्रकार जहाँ हमारा निर्णय लेना चाहिए वहाँ स्वयं निर्णय लेने के लिए वह अनेक दृष्टियाँ से अच्छा ही करता है। उसे संगठन में मनोबल बना रहता है अधीनस्थ अधिकारियों में शक्ति का विकास होता है उनको उत्तमतायिक मँपा जा सकता है और साथ ही सत्ता भी सुरक्षित रह सकती है।

निर्णय लेने की कला का यह अध्ययन निर्णय के दो मुख्य रूपों को प्रस्तुत करता है। प्रथम विधायक निर्णय होता है जो कुछ करने के लिए कहता है तथा कार्य का निषेधन करते हैं। ये निर्णय क्रिया पर रोक भी लगाते हैं तथा लोगों को कुछ न करने का आदेश भी दे सकते हैं। दूसरे निषेधात्मक निर्णय होता है जो कोई निर्णय लेने का निर्णय करता है। इस प्रकार के निर्णय प्रशासकीय संगठन में प्रायः लिए जाते हैं और कुछ दृष्टियों से इन्हें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। निर्णय लेने के निर्णय प्रायः अचरित अथवा अतार्किक एवं सहज प्रवृत्तियों पर आधारित रहते हैं।

(4) स्तरीय अंतर

(The Distinction based on Levels)

विषय के आधार पर निर्णय को तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है—प्रमुख निर्णय, मध्य निर्णय एवं निम्न स्तराध्य निर्णय। बर्नार्ड का मत है कि संगठन में हम जिन-जिन मुख्य कार्यपालिका से निम्न स्थितियों में उतरते आते हैं निर्णयों का प्रकार एवं परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं। उच्च स्तर में सम्बन्धित निर्णयों पर जिनका सम्बन्ध संगठन के मुख्य लक्ष्य से होता है अधिक ध्यान देने

की आवश्यकता होती है। इसे प्रमुख निर्णय कहा जा सकता है। जिन निर्णयों का सम्बन्ध संगठन के लक्ष्य का प्राप्त करने वाले साधनों से होता है उनको ही प्रमुख निर्णय कहा जा सकता है। ये निर्णय संगठन की रचना एवं विकास से सम्बन्धित होते हैं। इनमें प्रमुख तंत्रों का चयन तथा विभाजित कर दिया जाता है तथा तन्वीकी एवं आर्थिक समस्याओं को प्रमुख में रखा जाता है। निम्न स्तर के निर्णयों का सम्बन्ध तन्वीकी रूप में ही व्यवहार में आता है। इन स्तरों पर ही अंतिम सत्ता रहती है।

निरूप्य लेने की समस्याएँ एवं सीमाएँ

(The Problems and Limitations of Decision Making)

निर्णय करना एक बड़ा जटिल प्रक्रिया है। कई कारणों से निर्णय लेने वाला भी यह नहीं जान पाता कि उसने एक विशेष निर्णय लिया है। समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव में आकर वह ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य होता है जिस वह स्वेच्छा से करना नहीं चाहता। निर्णय की प्रक्रिया जटिल होने का कारण प्रयत्न सम्पत्त्यापूर्ण भा है। इसमें प्रायः सम्पत्त्यापूर्ण उत्पन्न होता है उनका अध्ययन हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं—

1. काम का अधिकार—प्रशासकीय संगठन में निर्णय लेने समय अध्यक्ष के

सम्बन्ध एवं सबसे बड़ी कठिनाई या समस्या कार्यभार के कारण उत्पन्न हो जाता है। संगठन में मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य होते हैं—एक तो वह जिनका सम्बन्ध प्रतिदिन की समस्याओं से होता है और दूसरे वे जो संगठन के मूल लक्ष्य से सम्बन्धित होते हैं जिनके द्वारा दीर्घकालीन परिणाम प्राप्त किया जाता है। जब निर्णय लेने वाला अध्यक्ष संगठन की प्रतिष्ठित की समस्याओं का समाधान करने में उलझ जाता है तो उसका काम इतना समय नहीं रह पाता कि मूल समस्याओं पर समुचित ध्यान दे सकें। ऐसा स्थिति में निर्णय की प्रक्रिया का रूप अधिक प्रभावशाली नहीं रह जाता।

प्रतिदिन के कार्यों में आने वाली अध्यक्ष की उलझनें के परिस्थितियों का परिणाम हानि है। प्रथम तो यह कि अधीनस्थ कर्मचारी का निर्णय लेने की जोखिम से बचने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र की समस्याओं को अध्यक्ष के विचारार्थ प्रस्तुत कर देते हैं। दूसरे स्वयं अध्यक्ष भी मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिदिन के कार्यों में अत्यन्त घापी अधिक उलझाए रखना चाहता है। इस सम्बन्ध में मार्च (March) ने अत्यन्त प्रयास किए हैं जिनके परिणामस्वरूप वे इन निष्कर्षों पर पहुँचे हैं कि यदि अध्यक्ष से यह कहा दिया जाए कि नियमित रूप से कार्य और संगठन के मूल लक्ष्य से जोना समान रूप से सम्बन्धित हैं तो भी अध्यक्ष नियमित रूप से कार्यों में अत्यन्त घापी अधिक उलझाए रखते हैं।

2. प्राथमिकता की समस्या—निर्णय लेने के माध्यम से प्रत्येक कठिनाई प्राथमिकता सम्बन्धी आती है। संगठन जिन समस्याओं का सामना कर रहा है

यदि वे तथा मरम है और उनकी प्रकृति सरल है तो अव्यक्त उन सबका समाधान प्रामाणिकता से कर देगा किन्तु जब जटिल समस्याओं का समाधान जाना जाता है तो प्राथमिकता के अनुसार समस्याओं का क्रम निर्धारण करना पड़ता है। नियम लेते समय इन समस्याओं को प्राथमिकता की कमीटी पर बसना अनिवार्य है। यह प्राथमिकता निश्चित करने का काम जितना योग्यतापूर्वक होगा संगठन की सफलता एवं सक्षमता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। समय एवं मरमता की सीमाओं की दृष्टि में प्रत्येक को यह निर्धारित करना होगा कि किस समस्या पर पहले नियम तैयार किया जाए और किस पर बाद में।

3 नियम की सक्षमता निश्चित करना—प्रत्येक द्वारा लिया गया नियम सफल है अथवा नहीं यह जानने के लिए कोई मापदण्ड अवश्य होना चाहिए ताकि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सके और निर्णयों को क्रियान्वित करने से पूर्व ही उनमें सुधार किया जा सके। कहा जाता है कि एक नियम की उपयोगिता निश्चित करते समय उस पर कार्यक्षमता, मितव्ययिता आदि की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए और खराब होने पर ही उस का रद्द करना चाहिए। भावना के अनुसार एक सही नियम की कमीटी सामान्य दृष्टि से विधान की आत्मा तथा नैतिक सिद्धांत जाननी चाहिए।¹

नियम का प्रत्यासं सन्निघत इन समस्याओं के अतिरिक्त इसके कुछ सीमाएँ भी होती हैं जिनके आधार पर उसके व्यवहार के स्वरूप को जाना जा सकता है। नियम लेने का अधिकार संगठन के उच्च अधिकारियों को होता है जो अपनी सत्ता (Authority) और प्रभाव (Influence) द्वारा प्रत्येक अवस्था से अधीनस्थ अधिकारियों के व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। उच्च अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों का लक्ष्य अधीनस्थों के व्यवहार को व्यवस्थित निर्देशित और नियंत्रित करना होता है तथा इस प्रकार वे उनके व्यवहार को बौद्धिकता प्रदान करते हैं।

संगठन के लिए जाने वाले नियमों में जो मरम प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन दो भागों में किया जा सकता है। एक भाग में वे निर्णय होते हैं जो संगठन के सर्वोच्च अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। ये निर्णय प्रायः संगठन के मूल लक्ष्य से सम्बंधित होते हैं और अत्यन्त महत्व अधिक होता है। दूसरे भाग में ऐसे नियम होते हैं जो पद सौंपाने में बीच के स्तर के अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। इन नियमों का सम्बंध प्रायः संगठन के साधनों से होता है। ये महत्व की दृष्टि से चाहे कम हों किन्तु सक्षमता और प्रभाव की दृष्टि से अधिक होते हैं। इन दोनों ही प्रकार के निर्णयों की अपनी-अपनी सीमाएँ (Limitations) होती हैं जिनका अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मध्यस्थ अधिकारियों के निर्णय का सामाण

मध्यस्थ अधिकारियों स हमारा आशय उनमे है जा पण सोपात म उच्च अधिकारी म नीचे होते हैं कि तु निम्न स्तर क कमचारियों से जिनका स्तर ऊचा होता है। ये अधिकारी सगठन म निर्णय लेन की शक्ति रखन हैं किंतु इनके ारा लिए गए निर्णय अनेक शतों गव सीमाओं मे प्रतिबंधित रहत हैं—

1/ ल य की सीमा—साठन क इन अधिकारियों क निर्णय उन उद्यम के अनुरूप होने चाहिए जा मुख्य अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। राबर्ट टेनिनबाम (Robert Tannenbam) के अनुसार यह मन्त्वपूर्ण है कि समूह के प्र येक सदस्य ारा लिए गए निर्णय समूह के अनुरूप होने चाहिए न कि उनके व्यक्तिगत लक्ष्य क अनुरूप।¹ सगठन क समस्याओं को लक्ष्य के अनुरूप ढाने क लिए प्रशिक्षण एवं निांतर पर्यवेक्षण द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं।

2/ मापदण्डों की सीमा— उच्च अधिकारियों द्वारा बौद्धिकता के ऐसे मापदण्ड स्थापित कर लिए जात ह जिनक आधार पर उह अपने निर्णय लेने हात हैं। यह निश्चित कर िया जाता है कि इन अधिकारियों द्वारा एस निर्णय लिए जाए जिनमे कम खच म अधिक स अधिक परिणाम प्राप्त ह सके। एस मापदण्डों ारा व्यक्तिगत इच्छा के अक्षर कम कर दिए जात ह।

3/ विशेषीकरण की सीमा—सगठन म विशेषीकरण (Specialization) की स्थापना द्वारा प्रत्येक पक्ति को एक निश्चित कार्य सौंप दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक अधिकारी केवल अपने विशिष्ट क्षेत्र म ही निर्णय ले सकता है तथा अन्य विषयों को उन अय क्षेत्र क विशेषण अधिकारियों क विचारार्थ छोड़ देता है। टेनिनबाम क श ा म यह भीमा सगठन के प्रव धा मक कार्यों का एक पहल है।

4/ औपचारिक सीमा सगठन म सत्ता के औपचारिक माग निर्धारित कर दिए जाते हैं जिनक फलस्वरूप इन मध्यस्थ अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय उच्च सत्ता क विचार पर्यवेक्षण स्वीकृति निदशन आदि के विषय होत ह।

5/ वाञ्छित व्यवहार की सीमा—सामा य रूप स अधीनस्थ अधिकारियों स जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उसमे भी इन अधिकारियों की स्वच्छाचरिता का उच्च अधिकारों द्वारा समित किया जा सकता है। क समय-समय पर अनिश्चित प्रावध लगा कर व्यवहार के विकल्पों की संख्या का कम कर सकता है।

6/ सूचनापरक सीमा—सर्वोच्च अधिकारी अधीनस्था का सम्बन्धित सूचना सजकर एस विकल्पों म परिचित करा सकता है जा उमे पल म पात न्ता है।

7/ समय की सीमा—उच्च अधिकारियों का क् बार अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देश होता है कि एक निश्चित समय तक निर्णय न लिया जाना चाहिए।

1 Robert Tannenbam, Management Decisions, The Journal of Business 23, 33-37 (Jun 1950)

समय की यह सीमा निर्णय करने में इन अधिकारियों की स्वच्छता का खुले प्रयोग नहीं करने देती।

४ क्षत्र की सीमा—कुछ निश्चित समस्याओं के क्षेत्रों में सर्वोच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों से एक निश्चित प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं। परन्तु इन क्षेत्रों में अधीनस्थों की स्वच्छता के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। टैनिनबाम का ही शब्दों में यहाँ अधीनस्थ अधिकारी से यह आशा नहीं की जा सकती कि अपने व्यवहार का निर्देशित करने के लिए वह निर्णय लें अपितु यह आशा की जाती है कि उस रूप में व्यवहार करें जो उच्च अधिकारी द्वारा निश्चित किया गया है।

उच्च अधिकारियों के निर्णय पर सीमाएँ

हमने देखा कि अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णय पर अधिकारिता सामान्य उच्च अधिकारी द्वारा लगाई जाती है। इससे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकालना चाहिए कि उच्च अधिकारी सर्वोच्च होता है और वह जिस समय तथा जो निर्णय लेना चाहे वे सक्ता है क्योंकि उनके निर्णय भी अनेक प्रकार से प्रतिबंधित रहते हैं। टैनिनबाम निश्चित है कि उनके निर्णय शून्य में नहीं बनते उन पर भी व सभी सीमाएँ लगा रहती हैं जिनका पहल बर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त उन पर अनेक प्रभाव भी रहते हैं। उच्च अधिकारियों के निर्णयों पर सीमाएँ अनेक व्यक्तियों एवं समूहों की सत्ता द्वारा लगाई जाती हैं। यद्यपि कई बार इन सीमाओं का मानना या न मानना अत्यंत ही इच्छा पर निर्भर रहता है तथापि कुछ विशेष

व्यवस्थित में उच्च अधिकारी इन सीमाओं का अग्रहण करना करने में स्वयं की असमर्थ है। उच्च अधिकारियों के निर्णयों की कुछ में त्वपूर्ण सीमाएँ ये हैं—

१ उच्च अधिकारियों का प्रभाव—प्रशासनिक संगठन का अधिकांश प्रभुत्व नहीं हो सकता। उस पर भी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखने वाले अधिकारी होने हैं जिनके निर्देशन तथा सुझावों का उस पालन करना पड़ता है।

२ अधीनस्थों का प्रभाव—उच्च अधिकारी औपचारिक रूप में अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखता है तथापि उसका व्यवहार अपने अधीनस्थों के प्रभाव से अछूता नहीं रहता। कोई भी निर्णय लेने समय उच्च अधिकारी को अधीनस्थों की प्रतिनिधियों का पूरा ध्यान रखना होता है। यदि वह ऐसा न करे या अधीनस्थों की इच्छाओं से पूर्णतः अव्यक्तताओं की अग्रहणता करे तो उसके निर्णय प्रभाव शान्त नहीं हो सकत और कुछ समय बाद उसकी औपचारिक सत्ता एक मजाक बन कर रह जायेगी। टैनिनबाम का कथन है कि औपचारिक अधीनस्थों का सत्ता की अस्वीकृति का क्षेत्र औपचारिक सर्वोच्च की असत्ता (Non authority) का क्षेत्र परिभाषित करता है।

इस सम्बन्ध में चेस्टर बर्नार्ड का मत बताना भी उपयुक्त है कि अच्छे संगठनों में सुव्यवस्थित नायकानिष्ठा के व्यवहार का कोई सिद्धांत नहीं हो सकता कि वे

मानए प्रसारित नती का जाणनी जिन न पानन नती किया जा सकता या नती किया जाया। कार्यात्मिकाए नती वन म अनुभवी रक्ति क्रियान इम सम्बध म विचार किया है य जानन है कि क्या करना मत्ता अनुगमन एव नतिक चरित्र का नष्ट करना ३।¹ एक सार नती का यह विषयपर मानी जाया है कि वह प्रापचारिक अधानथा का स्वाहृ ग क क्षेत्र म बृद्ध कर अपनी मत्ता क क्षेत्र का कई गुना कर ले।

3/ बाहरी समूहा का प्रभाव—सगठन क अध्ययन क निणया पर एत व्यक्तिओं का भी प्रभाव पता है जो उद्यम के औपचारिक सामन क सन्त्य नहीं गेन। गहर म प्रभाव गलन वाल सगठन क न नमुनाया म रॉबर्ट टर्निनबाम (Robert Tannenbarn) क मतानुसार मुख्य य है—

- (i) सकारात्मिकता स्थानीय राज्य एव मघ स्त पर
(Government Agencies Local State and Federal)
- (ii) प्रघ म अनुबंध करन वाल दन
(Partners to Contract with Management)
- (iii) आर्थिक समूह
(Economic Groups)
- (iv) पत्र पत्रवा कर वात
(Arbitrators)
- (v) कार्तेल व्यापारिक मघ तथा अन्य व्यापारिक मघाए
(Cartels Trade Associations and Other Business Associations)
- (vi) सामान्य सामाजिक व्यवस्था
(The General Social Order)

य विभिन्न समुदाय एक सगठन क अग न होने पर भी उनकी जिम्मा को अनेक प्रकार से प्रभावित करन मत्त है। काइ भी अध्ययन ग्राह वह कितना ही योग्य मजग एव औपचारिक रूप से मन्त्रिमण्डल बना न हा निणय लत समय वन मभा से अवन ग प्रभावित जाता है। नक प्रभावा क प्रति जाणीता अथवा उपजा निदान पर उभक िणय अधिक मफ्त तथा सायक नती ग मकन।

निर्णय लन की आधारभूमि (The Grounds of Decision Making)

सगठन क व्यवहार का अध्ययन करन म सबसे अधिक महत्पूर्ण बात यह जानना है कि कमकारा वग विकसा का चयन कित्त आधार पर करता है अथान्

कार्यकर्ता की प्रेरणाएँ बढ़ाती हैं। निम्न लक्ष्य का प्रतिष्ठा बौद्धिक और अव्यक्तिक मानों ही आधारों पर संचालित हो सकती है। प्रशासकीय विषय लेते समय कार्यकारी प्रेरणाओं के मुख्य रूप से दो विभिन्न तत्त्व होते हैं—

(1) मूल्यात्मक तत्त्व (Value Elements)

(2) तथ्यात्मक तत्त्व (Factual Elements)

उक्त दोनों तत्त्वों के बीच का अंतर सम्भवतः साधन और साध्य का अंतर है। वैसे दोनों एक दूसरे के निकटतम सम्बंधी हैं।

प्रत्येक मूल्यात्मक प्रेरणा में तथ्यात्मक तत्त्व निहित होता है जिसे पूरी तरह पृथक् नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि प्रत्येक उद्यम अपने आप में लक्ष्य नहीं हाता कर सकता किसी बड़े लक्ष्य का साधन होता है। इन दोनों प्रकार की प्रेरणाओं के मूल पूर्ण रूप का अध्ययन आवश्यक है—

कुछ महत्वपूर्ण मूल्य प्रेरणाएँ

(Some Important Value Motives)

संगठन के कार्य में विभिन्न लक्ष्य जिन मूल्य प्रेरणाओं का प्रभाव रहता है वे अनेक प्रकार की होती हैं। लोक प्रशासन के विचारकों ने जिन मुख्य प्रेरणाओं का वर्णन किया है वे चार हैं—

1 संगठन के लक्ष्य (The Purpose)—प्रशासकीय विचारकों के अनुसार

उक्त संगठन के लक्ष्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रस्तावित कार्य का मूल आधार पर देखा जाता है कि क्या यह संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में योग्य होगा। संगठन के लक्ष्य में शामिल लक्ष्य केवल यह नहीं है कि कियाएँ किन मूल्यों की रक्षा में अग्रसर हो रही है अपितु यह भी है कि इससे लोग के किस वर्ग की तथा कौसी सेवा सम्पन्न होगी। संगठन का उन लोगों का समयन प्राप्त हो जाएगा जो इसके लक्ष्यों को स्वीकार करते हैं। जो लक्ष्य को स्वीकार नहीं करते वे इसका विरोध करेंगे। कभी कभी वर्ग विशेष संगठन पर छा जाता है और उसके माध्यम से वह अपने लक्ष्यों को पूरा करता रहा है।

2 कार्यकुशलता (Efficiency)—एक दूसरी मूल्य प्रेरणा जो अधिकतर संगठनों को प्रभावित करती है कार्यकुशलता है। कहा जाता है कि यदि संगठन के लक्ष्य की दृष्टि से दो कार्यों का एकमात्र परिणाम निकलता है तो हम कम लक्ष्य वाला कार्य चुनना चाहिए। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि यदि दो कार्य में एक ही परिणाम है तो हमें वह चुनना चाहिए जो अधिक परिणाम में फल प्रदान कर सके। प्रशासनिक प्रशासकीयता का है। कुछ लोग अर्थशास्त्र (Economics) का महत्व देते हैं जबकि दूसरे लोग कार्यकुशलता को अधिक महत्व देते हैं। प्रशासनिक विचारकों का मत है कि प्रशासनिक समस्त विज्ञान एवं कला प्रशासकीय संगठन द्वारा लोगों के जीवन में प्रयोग से सम्बंधित है।

- (ii) अन्तर सम्मान एवं व्यक्तिगत शक्ति के अन्वय ।
- (iii) काय का वाञ्छित भौतिक आवश्यकताएँ जस—सफाई व्यक्तिगत कार्यालय प्राप्ति ।
- (iv) आदेश नाम जस—काय के प्रति सम्मान परिवार अथवा दूसरों के लिए सदा देगभक्ति या धार्मिक भावनाएँ प्राप्ति ।
- (v) सगठन के सामाजिक सम्बन्धों में व्यक्तिगत सुविधा और सहायता ।
- (vi) व्यवहारों एवं इच्छाओं का लिए मायता तथा सगठन के व्यवहार के तरीके रीति रिवाजों की स्वीकृति एवं नाकप्रियता ।
- (vii) बड़ी तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं में भाग लेने की भावना ।

व्यवहारिक जीवन में हमें ऐसी अनेक उदाहरणें प्राप्त हो जाती हैं जिनमें इन प्रभावों में से किसी का भी प्रभाव किसी कमचारी में वह इच्छा जाग्रत कर सकता है जिसके अनुसार वह सगठन के उत्थानों एवं मूल्यों का कुछ देना दे सके ।

बर्नाड द्वारा दी गई प्रणाली की इस सूची में एक उल्लेखनीय बात यह है कि व इस विषय के सभी आधुनिक लेखकों की भांति इस पर जोर देते हैं कि भौतिक अरक वतन बोनस आदि सम्भवतः अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं हैं जो एक कमचारी को सगठन के लिए उसके सक्रिय एवं उदात्तपूर्ण संयोग को प्रेरित कर सकें। केवल असाधारण बतन भित्त पर यह हो सकता है कि एक कमचारी औपचारिक रूप से काम करता रहे किन्तु अधिक पहल का प्रयोग तो वह केवल तभी करेगा जब उसका अमौलिक (Non material) संयोग प्राप्त होवे ।

सगठन के मूल्यों एवं व्यक्ति के मूल्यों के बीच परस्पर व्यवहार का लाभ सम्बन्धता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । यदि हम एक सम्मेलन में भाग लेने के समूह का निरीक्षण करें तो देखेंगे कि उनका व्यवहार अनेक मूल्यों से प्रभावित होता है । यदि ऊपर से देखा जाए तो सम्मेलन का सारा वाद विवाद सगठन के औपचारिक रूप पर ही होता है । एक व्यक्ति जो किसी विषय का समर्थन अथवा विरोध करता है वह भी उस सद्भाषितिक रूप से देता है किन्तु यदि हम यह जानना चाहें कि सम्मेलन के विभिन्न सदस्यों ने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसका क्या कारण है तो हम उनके व्यक्तिगत मूल्यों का जानना होगा । यदि सम्मेलन के दो सदस्यों में परस्पर विद्वेष है तो वाद विवाद में भी एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं यद्यपि विरोध का रूप सद्भाषितिक होगा । वास्तविकता का न तो वे स्वयं ही स्वीकार करेंगे और न दूसरे के कहने पर ही मानेंगे । दो व्यक्तियों के विचार टकराते हैं तो वे आपस में विरोधी बातें करने लग जाते हैं । कई बार व्यक्ति के चरित्र की गौण विशेषताएँ भी अप्रत्यक्ष रूप से सगठन में उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं । एक व्यक्ति जिसमें अमुरता की भावना प्रभावशील है अपने व्यवहार में भी इस भावना से अथवा प्रभावित होता है । यदि सम्मेलन के सभी व्यक्तियों ने एक प्रस्ताव को एकमत से स्वीकार या

बात का ज्ञान एवं सूचना भी है कि सगठन के हमारे सदस्य क्या कर रहे हैं किस प्रकार काय कर रहे हैं तथा क्या करेंगे। उस प्रकार यह सब काय समन्वय का है कि वह सगठन के प्रत्येक सदस्य को यह जानकारी दे कि दूसरे कमचारियों से सम्बंधित उनके काय क्या हैं ?

निरणय प्रक्रिया के प्रभावक तत्त्व (Elements Influencing the Decision Making)

किसी सगठन का एक कमचारी जब सगठन में रहकर व्यवहार करता है तो वह व्यवहार उसके उस व्यवहार से भिन्न होता है जो वह सगठन के बाहर रहकर करता है। कारण यह है कि जब वह सगठन में व्यवहार करता है तो उस पर हमारे व्यक्तियों का भारी प्रभाव पड़ता है। वास्तव में प्रायः सभी छोटे सगठनों में अधिकांश कमचारी एक ही होते हैं जिनको सगठन के लिए मूख्य देना यह होती है कि वह दूसरे कमचारियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि हम जानना चाहते हैं कि एक प्रशासकीय सगठन में क्या हो रहा है तो हम यह देखना चाहिए कि सगठन इसमें सदस्यों को निरणय लेने में किस प्रकार प्रभावित करता है।

जब अनेक विकल्पों में से एक का चुनाव किया जाता है तो यह चयन कमचारी पर पड़ने वाले कई प्रभावों का परिणाम होता है। उनमें अपने सम्पूर्ण जीवन के पूर्व अनुभवों द्वारा जा योग्यता ज्ञान चरित्र एवं दक्षित्व प्राप्त किया है वह तथा निरणय लेते समय जो प्रभाव उसके ऊपर काय कर रहे होते हैं वह मिलकर उसके व्यवहार का रूप निश्चित करते हैं। कई बार व्यक्ति के उपयुक्त पूर्व अनुभवों का उसके व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। एक विशिष्ट परिस्थिति में उसके काय का जो रूप होता है वह उसके चरित्र की उन भावों का परिणाम होता है जो अभ्यास के कारण उसके व्यक्तित्व का अंग बन चुकी होती हैं। जो प्रशासन की भाषा में इनका आंतरिक प्रतिक्रियाएँ (Internalized Reactions) कहा जाता है। इस प्रकार सगठन अपने कमचारियों पर जो प्रभाव डाल सकता है वह दाघसूत्री तथा समूहीकृत होता है। यह प्रभाव आंतरिक बनकर उनमें दृष्टिकोण एवं दक्षित्व का एक अंग बन जाता है। व्यक्ति के व्यवहार पर सगठन के अंदर तथा सगठन के बाहर पड़ने वाले प्रभावों की मुख्य रूप से चार वर्गों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित हैं—

1. पूर्व प्रभाव—वे संवस्थाएँ जिनको व्यक्ति सगठन का सदस्य बनने से पूर्व प्राप्त करता है। इसमें उसकी पूर्व शिक्षा काय का अनुभव तथा अन्य सभी अनुभव जो उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र के निर्माणक भाग होते हैं सम्मिलित किए जा सकते हैं।

2 बाहरी प्रभाव—जब व्यक्ति संगठन का सदस्य बन जाता है तो उस पर बाह्य सत्ता द्वारा भी अनेक प्रभाव डाल जाते हैं। संगठन तो प्रति सत्ता के समय के कदम बुद्धि से घण्टे नता है। व्यक्ति अतिरिक्त वह अपना यूनियन अथवा पाठसायिक संगठन का सदस्य हो सकता है। इस प्रकार के बाहरी प्रभाव किसी न किसी मात्रा में अवश्य पड़ते हैं।

3 औपचारिक प्रभाव—कर्मचारी पर औपचारिक संगठनात्मक प्रभाव का प्रभाव पड़ता है। उनमें कुछ उत्तरदायित्व आते हैं वह कुछ आज्ञा प्रमाणित करता है प्रशिक्षित कार्यक्रम चलाता है सार्विकीय प्रतिवेदन देता है तथा इसी प्रकार के अन्य काम करता है।

4 कर्मचारी पर उस अनौपचारिक सामाजिक ढांचे का प्रभाव भी पड़ता है जो संगठन में विकसित हो जाता है।

बाह्य प्रभाव

(External Influence)

संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार पर जो बाह्य प्रभाव पड़ते हैं उन सभी को जानना एक अध्ययन करना असम्भव सा है। हमारे लिए कब तक उन प्रभावों की जानकारी हो पर्याप्त है या प्रशासन को समझने की दृष्टि में महत्वपूर्ण है—

1 सामाजिक दृष्टिकोण एवं व्यवहार के तरीके—प्रत्येक समाज के अपने कुछ विश्वास एवं रीति रिवाज होते हैं जिनके अनुसार वह अपना जीवन संचालित करता है। समाज में रह कर एक व्यक्ति जिस प्रकार दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है उसमें यह शिखा मिलती है कि संगठन में रहकर दूसरे व्यक्तियों के साथ कसा व्यवहार करना चाहिए। समाज की परम्पराएँ (Mores) व्यवहार के उन स्थापित तरीकों को कहते हैं जो समाज के सभी सदस्यों की स्वीकृति अथवा प्रसूरीकृति के बाद प्रभावकारी होते हैं। एक व्यक्ति जिस समाज में जन्म लेता है उसके आचरण के तरीकों को धीरे धीरे सीखता रहता है। जब वह बचस्क हो जाता है तो अभिजात परम्पराएँ जन्म लेने के लिए अपरिचितता से मिलती तथा विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीकों के साथ वह अपना अभ्यस्त हो चुकता है जिसे सभी बातें स्वाभाविक सी बन जाती हैं। व्यक्ति को इन सामाजिक परम्पराओं के प्रति जागरूकता देना सभी आती है जब वह अपनी भाव करता है। समाज की कुछ परम्पराएँ संगठन के उचित व्यवहार का निर्धारण करती हैं। कई संगठनों में कार्यकर्ताओं का पहचान—यह एक विशेष योग्यता होती है। यह अतीत में एक उच्च अभिकारियों से उच्चतर करने का तरीका प्रयोग प्रयोग होता है। सम्भवतः सीमाएँ एवं मन आदि न निर्णय है कि एक सरकारी अभिकरण का अस्तित्व पाठ्यक्रम में नही

होना। यह सत्त्व समाज क रति रिवाजों एवं व्यवहारों क रले रहता है जो इस घेर रे हैं।¹

प्रशासकीय सगठन म सामाजिक रीति रिवाज क आधार पर जिन बातों का रूप निश्चित किया जाता है उनम से उल्लसनीय हैं—सत्ता (Authority) स्तर (Status) और कार्यकुशलता (Efficiency)। एक समाज की परम्पराएं प्रायः यह निश्चय कर लेती हैं कि व्यक्ति का सत्ता क प्रति क्या दृष्टिकोण होगा? वह अपने उच्चपदाधिकारी की आज्ञा मानता अपना धर्म समझता अथवा उनकी हर बात का विरोध करने म रुचि लेता। यदि सगठन म अनक उग बन जाण ता सत्ता का किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? पारितोषिक दण्ड आदि के माध्यम स क्या सत्ता क प्रति आज्ञाकारिता प्राप्त की जा सकती है आदि? सत्ता क रूप समाज म यापक रूप स प्रभावशाली रहते हैं। यह सामान्य रूप मे मान लिया जाता है कि यदि एक व्यक्ति एक सगठन म कार्य स्वीकार कर रहा है तो उस एक उचित सीमा म सगठन क नियंत्रणकत्ताओं की आज्ञाएं माननी पडगी। प्रजातन्त्रात्मक समाज म प्रशासकीय सगठनों म सत्ता क स्वैच्छाकारी प्रयोग का स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सत्ता (Authority) की भांति स्तर (Status) का निर्धारण भी प्रायः समाज क रीति रिवाजों से हुआ करता है। दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करत समय हम उनका ऊंचा सम्मान या नीचा स्तर प्रदान करते हैं तथा जमा स्तर प्रदान किया जाता है उसी के अनुरूप उनके साथ व्यवहार करत हैं। यदि कोई प्रधीनस्थ अथवा उच्च पदाधिकारी स्तर व्यवस्था को मान्यता नहीं देता तो उसके व्यवहार को सगठन म मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती। सगठन के किसी भी कमचारी को उसक स्तर के प्रतिबल कार्य नहीं दिया जाएगा। इस दृष्टि स हम देखत हैं कि विभाग के मुखिया को कुर्सी नाने ल जाने का काम नहीं दिया जा सकता।

कुछ समाजों मे कुशलता पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। यहाँ उस व्यवहार को जिसम स्रोतों का जान बूझकर उपयोग किया जाता है अथवा उनका कम उपयोग किया जाता है अर्थात् नहीं समझा जाता। उस यदि अनतिक नहीं तो आर्थिक अवश्य कहा जाता है। उपयोग क प्रति एक सगठन की धारणाएं उसके आर्थिक धार्मिक एवं सत्यागत रूप पर निर्भर करती हैं। अनक समुदायों म यह देखा जाता है कि उसके सदस्य अपने समुदाय के प्रति स्वामिभक्त होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि एक सगठन की दूसरे सगठन से फण्ड कार्य क्षेत्र शक्ति के अथ क्षेत्र आदि के आधार पर प्रतियोगिता हो जाण तो वह अपने सदस्यों से यह आशा करता है कि वे अपने समूह के हितों का पक्ष लेंगे। जो प्रशासक अपने लोगों की प्रगति के लिए नहीं लड़ता अथवा जो अपने सगठन के लक्ष्यों के लिए जागरूक नहीं है वह अपने अर्थ

1 *Smith and Others op cit p 69*

2 *Frederic J Ro hlberg r Management and Moral p 60*

का मनावन बनाए गए रह सकता है। हम तथ्य का कोई तार्किक आधार नहीं दे सकते हैं। उन विशेष समाज में प्रभावशाली समूहों में स्वार्थभक्तिकी भावना (Group Loyalty Spirit) से प्रकट होता है।

किसी समाज में पाए जाने वाले अथवा विश्वास भावों के अभिवरणों के कम चारियों के व्यवहार को प्रभावित करने का कार्य करता है। साइमन आदि के अनुसार विश्व में व्याप्त अनेक प्रकार की संस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब मानव प्रकृति हर जगह एक समान रहती है मानवीय व्यवहार अनेक प्रकार का हो सकता है।¹ एक समाज के विभिन्न प्रकृतियों में भी भिन्नताएँ होती हैं। किंतु वे अलग अलग समाज के व्यक्तियों की अपेक्षा कम होती हैं। दो समाज के व्यक्तियों के बीच प्राप्त भेदों की प्रकृति प्रकृतिक न होकर सामाजिक होती है। हमारा अनुमान व्यवहार ऐसा होता है जो उन परिस्थितियों में सामाजिक रूप से होना चाहिए। कभी कभी एक संगठन भी अपना स्वयं का सामाजिक वातावरण बना लेता है विशेषतः उस समय जब वह बहुत अधिक समय तक संगठन में रहता है। सैनिक संगठनों के अधिनायी वर्ग की संख्या में सत्त्वपूर्ण उदाहरण है। फिर भी उस सैनिक संगठन की परम्पराएँ जो प्रजातन्त्रात्मक समाज में होती हैं उस सैनिक संगठन की परम्पराओं से भिन्न होती जो तानाशाही समाज में रहती हैं। यदि संगठन की रीति रिवाज समाज की रीति रिवाजों से भिन्न या विरुद्धी भाग लें तो उनकी प्रभावित करने अनुभव बनाया जा सकता है। साइमन आदि विद्वानों के मतानुसार किसी भी संगठन का प्रशासकीय व्यवहार उस समाज के व्यवहारों एवं विश्वासों से भिन्न नहीं हो सकता जिसमें वह कार्य कर रहा है। जब भी कार्य संगठन नएँ कमचारियों की नियुक्ति करता है तो उसके प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि उस संगठन में स्वीकृत व्यवहार के तरीकों के अनुसार ढाला जाए। प्रायः सभी संगठनों में नएँ कमचारियों से यह आशा नहीं की जाती कि वह संगठन की योजनाओं एवं अपने स्थानों को अच्छी प्रकार से समझ बिना ही आगे बढ़ जाएँ।

2. प्रकृतिक प्रवृत्तियाँ एवं उनका प्रभाव—संगठन का अधिनायी व्यवहार अधोद्विक एवं अचल मन द्वारा संचालित होता है। प्रकृति के बुद्धिपूर्ण कार्यों में ही प्रायः ऐसी तथ्यात्मकता पाई जाती है। किंतु जो कार्य भावनाओं एवं प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर किया जाता है उसमें अनेक प्रकार का विभिन्नताएँ हो टगाचर होती हैं। यही कारण है कि संगठन के कार्यों में एकस्यता बनाएँ कठिन होता है। संगठन में कोई कमचारी जो कार्य करता है वह कवन बुद्धि द्वारा ही कार्य करता है। उस कार्य का सही कारण जानने के लिए हम उस व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्ति के आधार भावनाएँ हाना तथा इसके लिए हम मनाविफलपण अथवा इसी प्रकार के अथवा तरीकों का

प्रदाना जाया। मनुष्य की प्रवृत्तियाँ एवं इच्छाएँ प्रायः समाज द्वारा उससे की गई जाया व साथ टकरा जाती हैं। टकराने पर व्यक्ति के मस्तिष्क में जो हलचल होती है वह उसके स्वभाव का एक अंग बन जाती है। कभी कभी व्यक्ति की चेतना उसकी गत प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं के लिए उसे दोषी ठहराना है तथा प्रायः उनको भिन्न दिशा की ओर उन्मुख करती है। मनुष्य के व्यक्तित्व में समाज और अपनी चेतना के प्रति जो संघर्ष रहता है उसके कारण उसका व्यवहार अधोद्विक एवं अकल्पनीय बन जाता है। एक उच्च अधिकारी जब एक तुच्छ धर्म पर नाल पीना हो जाता है तो हो सकता है कि वह पिछले सप्ताह उसकी पदावधि टक जाने के कारण उत्पन्न क्रोध को प्रकट कर रहा हो। यद्यपि क्रोध के इस सही कारण को न तो वह स्वयं पहचानेगा और न ही स्वीकार करेगा।

संगठन में मानवीय व्यवहार का परचने के लिए उसके व्यक्ति व के विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यत्तत्त्व कई प्रकार के हो सकते हैं जस—व्यक्ति की वस्तुपरकता उसका प्रभुत्व उसकी महत्त्वपूर्णताएँ उसकी गतिशीलता उसकी सामाजिकता आदि। इनके प्रभाव से प्रेरित होकर ही एक व्यक्ति संगठन में व्यवहार करता है।

व्यक्ति की वस्तुपरकता (Objectivity) का अर्थ है कि उसका व्यवहार वास्तविक स्थिति की आवश्यकताओं से प्रभावित होना चाहिए न कि आभासव्यक्ति की इच्छा से। मनोविकारों से प्रभावित व्यवहार परिस्थितियों को वास्तविक व्यवस्थाओं के साथ अपना समायोजन नहीं कर पाता। साइमन आदि के कथनानुसार वस्तुपरक व्यक्ति वह है जो स्थिति पर बौद्धिक रूप से विचार कर सकता है क्योंकि वह मनोविकारों के प्रभाव से स्वतंत्र है। असम जन्मपूरा व्यवहार प्रायः निराशाओं (Frustration) से उत्पन्न होता है। निराश एवं हताश व्यक्ति किसी भी प्रकार का अधोद्विक बंदम अपना सकते हैं—वे शारीरिक हिंसा पर उतर सकते हैं वचकाने व्यवहार का बहाना ले सकते हैं उचित परिवर्तनों के प्रति भी वे अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दिखाते तथा संतुलन एवं फल का समस्त मनोबल खो देते हैं। इनमें से कोई भी एक व्यवहार उनको संगठन की क्रियाओं के अयोग्य बना देगा। सरकारी अर्थिकरण में भी जब पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने लगता है तो कमचारियों के दिन निराशा से भर जाते हैं। दूसरे की बुराइयाँ करना तथा अफवाहें फैलाना ऐसे संगठनों की प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं।

प्रभावशीलता (Ascendance) से अर्थ यह है कि एक व्यक्ति पारस्परिक सम्बन्धों में नियंत्रण रखने तथा फल करने की शक्ति को कितना प्राप्त करता है। प्रभावशीलता की मात्रा व्यक्ति की प्रवृत्ति के साथ परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। एक प्रशासक अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय प्रभावी है।

सकना है किन्तु वह उच्च अधिकारियों के सामने समपणकारी बन जाता है। इसकी विपरीत स्थिति भी सम्भव है। सा मन तथा अर्थ के मतानुसार प्रभावशीलता प्रथवा समपणकारी प्रवृत्ति प्रायः निराशा अथवा व्यक्तित्व के दूसरे द्वन्द्वों का परिणाम हो सकती है।¹ एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति सभ्य सभ्यता में अपने स्तर तथा अपनी प्रगति के बारे में चिन्तित रहता है। अपने प्रास्नविक व्यवहार में वह प्रभावशीलता को भी सकता है और नीची भी किन्तु वह अपने पद वेतन एवं स्तर में किसी प्रकार के परिवर्तन के प्रति बड़ा भावुक रहता है। बर्ले गार्डनर (Burleigh Gardner) के मतानुसार ऐसी स्थितियों की उत्पत्ति कमचारी वर्ग के प्रथम वर्ग की विशेष समस्या उत्पन्न करती है।

कर्मचारियों के बीच काय की तत्परता एवं स्वायत्तता का आधार पर भी महत्त्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी में निगम में लेने हैं और वे जा निगम लेते हैं उन पर इट्टे रहते हैं। इसके विपरीत अनेक व्यक्तियों को निगम में तब तक काफ़ी समय तक का सामना करना पड़ता है फलतः निगम लेने में पर्याप्त विनम्र हो जाता है। निगम लिए जाते हैं उन पर भी वही पूर्ण तरह से इट्टे नहीं रहते। जब कोई अधिकारी निगम लिया जाता है तो अधिकतर प्रशासनिक उम्र बहुत समय पहले से ही लोगों के सामने विचारार्थ रख देते हैं।

सामाजिकता का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति में उन लोगों का इष्टिकोण एवं सम्बन्धों का सम्बन्ध की शक्ति होनी चाहिए जिनके साथ रहकर उसे व्यवहार करना है। सभ्यता के अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारियों पर प्रभाव डालने का दाय भी अन्तर्गत अन्तर्गत है। एक व्यक्ति आर्थिक पक्षों से अधिक प्रभावित होता है जन्म के समय व्यक्ति के साथ भावनात्मक व्यवहार कारण होता है। इस प्रकार कर्मचारियों का व्यक्तित्व का मूल अन्तर्गत का सम्बन्ध ही उनमें साथ तदनुवृत्त व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे कारण पर ही एक प्रशासनिक लोकप्रियता प्राप्त करने के अतिरिक्त अपने सभ्यता का मनोबल एवं अनुशासन का उठा सकता है।

3 पूर्व प्रशिक्षण का प्रभाव—सभ्यता के कर्मचारियों को नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए चार तथा योग्यता प्रदान करने के उद्देश्य में पर्याप्त शिक्षण प्रशिक्षण एवं कार्यानुभव प्रदान किया जाता है। इस समस्त प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों में वास्तविक प्रशिक्षण विकसित होता है। वकील, डाक्टरों, जीनियरों आदि की स्वामिभक्ति अपने व्यवसाय के प्रति भी उनकी ही रहती है जिनकी विशेष योग्यता का प्रति। प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों में अपने व्यवसाय के प्रति जो दृष्टिकोण विकसित हो जाता है वह अपने साथी कर्मचारियों के साथ रहने पर और भी अधिक विकसित हो जाता है। व्यवसायिक पूर्व प्रशिक्षण एवं बाह्य समूह का साथ इन

दोनों के मिल जुल प्रभाव का परिणाम होता है। एक ऐसे सगठन में जिसके सभी कर्मचारी एक ही व्यवसाय के होते हैं व्यवसाय की स्वामिभक्ति सगठन की स्वामिभक्ति को बढ़ावा देती है और एक सुमगठित समूह का निर्माण कर देती है। अतः सगठनात्मक कार्यों में अनेक प्रकार के व्यवसायों का सहयोग आवश्यक होता है और इन आवश्यकता के परिणामस्वरूप विभिन्न व्यवसायों के कर्मचारियों के बीच एकता की भावना का विकास होता है। फिर भी कभी कभी सगठन की स्वामिभक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा भी पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए एक सरकारी अभिकरण का नियंत्रण यह जानना है कि श्रमिक यदि वह समझें कि वह व्यय अवधि है तो उसके लिए यह सगठन के लक्ष्य की उन्नति के लिए परमावश्यक है तो भी स्वीकृति प्रदान करने से मना कर सकता है।

इस प्रकार सगठन में कार्य कर रहा वाला व्यक्ति एक कारकागज के समान ही होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है तथा उसमें मनचाहा व्यवहार कराया जा सकता है। जिस समय एक कर्मचारी को सगठन में नियुक्त किया जाता है उस समय तक उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बन चुका होता है उसमें समाज के रीति रिवाज परिणाम लक्ष्य होते हैं वह सगठन के बाहर अनेक संस्थाओं का सदस्य होता है।

सबसे अतिरिक्त उस प्रकार व्यावसायिक संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मचारी के व्यवहार का प्रभावित करने या निर्देशित करने की सगठन की योग्यता पर कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं। सगठन को सबसे बड़ा अधिकार यह प्राप्त होता है कि उसको चुनाव के समय स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। इस अधिकार का प्रयोग करने हुए एक सगठन उस कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है जो उसके साथ सहयोग कर सके। उदाहरण के लिए सहकारी विभाग का कार्यालय ऐसे व्यक्ति का नियुक्त होने से राक सकता है जो पारस्परिक सहकारिता में विश्वास नहीं करता है। व्यावसायिक स्तर पर तो कर्मचारी का चुनाव स्वयं ही हो जाता है अर्थात् जो व्यक्ति जिस व्यवसाय में नियुक्त है उस उसी पद पर नियुक्त किया जाता है। ऐसी नियुक्ति की प्रशिक्षण की कुछ समस्याएं भी होती हैं। इसके अतिरिक्त एक पद के प्रति एक व्यक्ति केवल इसीलिए आकर्षित नहीं होता कि वह उसकी याचना रखता है बल्कि उसका भी कि उस पद पर बेतन अधिकार मिलता है।

आंतरिक प्रभाव (Internal Influence)

सगठन के बाहर से पड़ने वाले प्रभावों का ही मानवीय व्यवहार की पूरी व्याख्या नहीं कहा जा सकता है। यदि य वाली प्रभाव ही व्यवहार का नियंत्रण करत तो सगठन में भी ऐसा व्यवहार करत जसा उनके बाहर करते हैं। वास्तविकता यह है कि एक सगठन में किसी विशेष पद पर नियुक्त होने के बाद व्यक्ति का व्यवहार भी एक विशेष रूप धारण कर लेता है। उसमें तनी विशिष्टता आ जाती है कि कभी वार हम कर्मचारी के पन्नाव बोलने एवं करने का ढंग

मिन्ने का लगेका आदि वाता को लेकर ही यह बता देने हैं कि यह किस सगठन में कार्य कर रहा होगा। व्यक्ति क विचार विश्वास व्यवहार एवं दृष्टिकोण का हालत में सगठन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मनोविज्ञान की पुस्तकों में एक सवा नियुक्त सैनिक का वृत्तान्त आता है जो बाजार से कुछ खरीद कर सामान हाथों में उठाए लौट रहा था। मार्ग में कुछ मसतरे मित्रों ने अनजाने में प्रचानक ही जार की आवाज में कह दिया— सावधान। श सुनते ही वह सैनिक शीघ्र सावधान की प्रतिक्रिया में खड़ा गया और उमक हाथों में सामान धरती पर बिखर गया। जब मित्रों की हसी की आवाज सुनी तो उस वस्तुस्थिति का सही भान हुआ। वास्तव में व्यवहार की कथा से मिन्ने टूट सगठन के अनक नियम आत्म प्रवहार मूल्य प्रयोग आदि उसके कमचारियों के प्रवृत्त का एक अविच्छिन्न अंग बन जाते हैं। सगठनात्मक व्यवस्था निरन्तर व्यक्ति क दृष्टिकोणों की मोड़न एवं नवान का कार्य करती रहता है। इस प्रकार एक व्यक्ति जा करता है या निराश्रय होता है उस पर उन सगठन का पर्याप्त प्रभाव रहता है जिसमें वह कार्य कर रहा है। सगठन में रहकर व्यक्ति जो कार्य जिस प्रकार में कर सकता है तथा करता है उस वह सगठन से बाहर रहकर उस रूप में नहीं करेगा। इस तथ्य की पृष्ठभूमि में अनेक मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय कारण रहते हैं जो मिन्ने सगठनात्मक प्रवहार को एक विशेष रूप प्रदान कर देते हैं—

1. वे मूल्य तथा प्रेरणाएँ जिन पर सगठन के मूल्य कमचारों का निगम लाने होते हैं तथा व्यवहार करना जाना है प्रायः वही हात है जो सामान्य क व्यवस्था उस सगठनात्मक इकाई के हैं जिसमें वह कार्य कर रहा है। सगठन में रहकर कमचारों उसके लिए सौंपे गए विशेष उत्तरदायित्व तक ही सीमित एवं अतिरिक्त रहता है उसके बाहर काम करने का सामर्थ्य एवं आवश्यकता उत्पन्न होने पर भी वह करने के लिए बाध्य नहीं होता। इस प्रकार एक कमचारी जिन मूल्यों एवं प्रेरणाओं के साथ कार्य करता है वे प्रावश्यक रूप से सम्पूर्ण सगठन के मूल्य नहीं हान करके उस कार्यविधायक के होते हैं जो उसको सौंपा गया है। या मन आदि के कृतनानुसार सगठन में पराएँ यह विगणना हाती है कि सगठन के पूरे कार्य को गई भागिक कार्य में विभक्त कर दिया जाता है तथा वह विभाजित कार्य एक कमचारी अथवा कमचार-समूह के लक्ष्य बन जाता है।¹

2. सगठन में कमचारी पर अर्थ सन्स्था द्वारा अनेक प्रभाव डाल जाते हैं जो यादव प्रभाव या प्रभावित एवं वष है ता उस के स्वोकार भी करती जाते हैं। इन प्रभावों को एक व्यवस्थित एवं नियोजित रूप में जानने के लिए मन्त्रा व था की महायत्ना नी जाती है। सकार का रूप कुछ भी हो सकता है जस आनाए

सूचनाएँ परामर्श प्रणिष्ठाएँ आदि। संचार के इन विभिन्न साधनों की जानबूझकर विशेष रूप प्रदान किया जाता है ताकि एक कमचारी को संगठनात्मक प्रभाव के एक नियोजित वातावरण में रखा जा सके। सत्ता की श्रणियों को औपचारिक रूप प्रदान करने के पीछे भी यही तक काय करता है।

3 एक कमचारी स्थायी रूप से कुछ आशाएँ बना लेता है कि संगठन के दूसरे लोगों के साथ उसका व्यवहार कसा रहेगा और विशय परिस्थितियों में वे किस प्रकार व्यवहार करेंगे।

4 कमचारी से यह आशा की जाती है कि वह संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में निष्क्रिय की अपेक्षा सक्रिय दृष्टिकोण रखेगा। इसका अर्थ यह है कि जब काम सामने कोई समस्या उठ खड़ी होगी तो वह उसका संलग्नता में समय केवल संगठन के लक्ष्य एवं प्राप्त निर्देशों से ही प्रभावित नहीं बरन् स्वयं की पहल करने की शक्ति का प्रयोग करेगा। संगठन के लक्ष्य को कम समय एवं कम व्यय में प्राप्त करने के लिए ऐसा करना परम आवश्यक है न तो संगठन के कमचारियों के लिए कदम-कदम पर रुकावटें आएँगी वे किसी भी नए काम को पूरा करने के लिए नए निर्देशों का राह ताकत रहेंगे। परिणामस्वरूप कार्य रूढ़ जाएगा और श्रम शक्ति एवं समय का अप्रयोज्य होगा। अतः कमचारियों का संगठन की समस्याओं में पूरी रुचि के साथ काम करना चाहिए।

संगठन के कार्यों में सक्रिय भाग लेने तथा अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाने की कमचारियों की इच्छा से आशय उस गुण से है जिसे प्रायः उच्च मनोबल कहा जाता है। यदि एक डाक्टर का मनोबल ऊँचा है यदि उसने संगठन के लक्ष्यों एवं उत्तरदायित्वों को सही रूप में समझ कर उन्हें निभाने के लिए अपनी पूरी शक्ति एवं योग्यता खपाने की इच्छा जाग्रत करनी है तो उस पर पड़ने वाले संगठन के प्रभाव से शक्तियों को प्रभावपूर्ण क्रिया की ओर संचालित करने का काम करेगा। यदि उस प्रकार का मनोबल नहीं हुआ तो संगठन पर पड़ने वाले और निर्देशन का अनावश्यक प्रतिरोध भार बढ़ जाएगा जो उसका काम को रूका देगा।

5 संगठन में काम करा जाता व्यक्ति एक प्रशासकीय शक्ति बन जाता है कि जो उत्सुकनीय विशेषता यह होती है कि संगठनात्मक प्रभाव उस केवल कुछ काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते बरन् उसमें यह आदत डालते हैं कि संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरा व सहायक सहायता भी माँगे वह कर सके करे। इस प्रकार बड़े सहकारियों व्यवहार की आँवें विकसित कर लेता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति पर संगठन में आ भी प्रभाव पड़ते हैं वे उनमें सहायक की भावना का ही विकास करा है। यह हो सकता है कि संगठन की विभिन्न इकाइयों के विचारों में मतभेद है। कुछ अयोग्य कमचारी निकट संगठन में फूट पड़ा कर सकते हैं। निरीक्षण के कुछ तरीकों से पदों की शक्ति को बढ़ावा देने

क प्रान पर उसे कम कर सकत ह । फिर भी अधिकास सगठनो म प्रभाव का प्राय वही रूप प्राप्त हाता है जा पुल को बचावा देना है । प्राय वे ही सगठन अधिक समय तक जीवित रहत है जिनक सत्समा पर पडन वाले प्रभाव मन्थाग की आन्तो का विकसित तथा मरदित रवते हैं ।

निणय प्रक्रिया क अध्ययन का एक प्रतिमान माडल (A Model for the Study of Decision Making Process)

उपयुक्त विवचन क पश्चात् हम निणय प्रक्रिया क अध्ययन का एक माडल प्रस्तुत करता चाहंग । यह माडल जा सामान्यत राजनीतिक निणय प्रक्रिया पर भी लागू हो सकता है प्रशासन क वातावरण एव सत्सम म अधिक निश्चिन्ता स लागू होता है । माडल क निर्माण म उन तान विश्लेषताआ का विषय ध्यान रखा गया है जा माडल निर्माण क उद्देश्यो से सम्बन्धित है । समाज शास्त्रा के अध्ययन म मान्य निर्माण के प्रयास मुख्य रूप स इसनिए उपयोगी मान जात है कि उनके माध्यम स समाजशास्त्रीय ज्ञान की संप्राप्ति अधिक निश्चित विश्वसनीय एव वगानिक बन सकती ह । दूसर माडल बनान की प्रक्रिया एक एस बौद्धिक प्रयास का व्यक्त है जिसक द्वारा कोड भा प्रक्रिया अपनी समग्रता में अपन विभिन्न तत्वा ओ उनके अंतसम्बन्धा सहित विश्लेषित की जा सकता है । तीसर माडल निर्माण द्वारा जो समस्याए अथवा अवस्था सम्बन्धा क प्रान स्पष्टता एव निश्चितता स उभरत है उनक अध्ययन क निए नए माडल का निर्माण किया जा सकता है । एम प्रकार मान्य निर्माण का बौद्धिक प्रयास समाजशास्त्रीय अध्ययन स वगानिकता एवम्या एक तत्त्व विवचन तथा ज्ञान की निरन्तरता एव गहराई म आग बनाने का प्रयास है । माडल निर्माण समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता वह केवल स्पष्टता स यत् सकन करता है कि जिन समस्या को हम विश्लेषित कर रहे हैं उनक प्रमस तत्त्व क्या ह व किन प्रकार अंतसम्बन्धित है और उसकी क्रिया प्रतिक्रियाआ द्वारा किस प्रकार क सम्भावित परिणाम निकल सकन हैं । प्रशासनिक निणय प्रक्रिया क क्षम म नाइमन गोर तथा डाल्मन आदि अनेक गम्भीर विद्वान् मान्य निर्माण के अभ्यास कर चुक हैं । सत्सम क मान्य जा बुद्धिपरक (Rational) अधिक ह अध्ययन म वगानिकता की परिष्कृता देन है । दूसरी आर गोर का ह्युरिस्टिक माडल (Heuristic Model) यत् मानकर बतता है कि प्रशासनिक सगठन म बिक्रि निष्पत्त (Non rational) तत्त्व अधिक प्रभावी होत ह और निणय-प्रक्रिया का अध्ययन बिक्रि सम्मन ज्ञान हुए भी मानवाय एव मतावज्ञानिक पना की अवहेलना नहा कर सकना

प्रशासनिक निणय प्रक्रिया का प्रस्तुत अध्ययन माडल एक प्राणेय मान्य है जिनका अर्थ है कि सत्सम म तत्त्वा की गतिशास्रता (Dynamics) और

उनके घटने से उत्पन्न प्रवृत्तियों का अध्ययन पर अधिक बत है। मॉडल निर्माण के पीछे मूल भावना यह है कि निम्न चू कि एक बौद्धिक चिन्तन की निरंतरता में विराम का क्षण है अतः कोई भी घटना परिणाम या तत्त्व प्रपन प्राप्त में स्वतंत्र नहीं है बल्कि भूत एवं भविष्य की प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। प्रॉसेस माडल होने के साथ साथ प्रस्तुत माडल को एक इनपुट आउटपुट माडल (Input Output Model) भी कहा जा सकता है। व्यवस्था विश्लेषण (Systems Analysis) के विद्वानों यह मानते हैं कि किसी भी व्यवस्था में जब इनपुट जारी जाता है तो वे एक प्रक्रिया विशेष से गुजर कर कालांतर में आउटपुट में परिवर्तित हो जाती है।

प्रस्तुत माडल में प्रशासनिक निम्न की विभिन्न इनपुटों का विश्लेषण है और प्रत्येक इनपुट किन किन प्रतिक्रियाओं के कारण कौन कौन सा आउटपुट में बदल जाती है उस ओर संकेत है। इस तरह प्रॉसेस और इनपुट आउटपुट माडल होने के कारण निम्न प्रक्रिया का यह माडल सामान्य परिवर्तनों के साथ सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलने वाले प्रशासनों पर लागू हो सकता है और उनके संगठनात्मक ढांचों के विभिन्न स्तरों पर दिए गए निम्नो का विश्लेषण परीक्षण एवं मूल्यांकन करने में सहायक हो सकता है।

प्रस्तुत माडल के अनुसार प्रशासनिक निम्न विचार से लेकर क्रिया बत तक तीन प्रकार के वृत्तों (Circle) से गुजरता है। ये वृत्त हैं—1. अनुभूति वृत्त (Perceptual Circle) 2. मूल्यांकन वृत्त (Evaluational Circle) और 3. रणनीति (Strategy) वृत्त (Strategy Circle)।

ये तीनों वृत्त निम्न क्रिया के सभी स्तरों पर हो सकते हैं किंतु इनका शीघ्र यात्र में पाया जाना अनिवार्य है। निम्न स्तरों पर हो सकता है रणनीति वृत्त में वृत्त ही वृत्त मुख्य अघिकांश के स्तर पर जहाँ क्रिया बत का उत्तरदायित्व भी होना है संगठन का वृत्त भी केवल विद्यमान ही नहीं होता अपितु अतीत निम्न के लिए निर्णायक होता है।

निर्णय प्रक्रिया के ये तीनों वृत्त चाहे संगठन में औपचारिक रूप से न बना किंतु निष्पत्तिका का यदि वह अवेना भी है तो भी इन तीनों वृत्तों के संचालन भूमिका स्वयं ही निभाती पाती है। प्रथम वृत्त में संगठन के शीघ्र निम्न यत्र में तीन तत्व सन्निहित होते हैं—(1) संगठन के नीति उद्देश्य (Policy Objectives) (2) संगठन का उपलब्ध वातावरण (Given Organisational Climate) और (3) निर्णयकर्ता कर्ताओं की यत्नगत मूल्यो मुखता (Value Inclinations)। जब कोई समस्या उपस्थित होती है तो निष्पत्तिका का यह प्रशासनिक परिवेश क्रियाशील बन जाता है। उसके उस अनुभूति वृत्त (Perceptual Circle) को तथ्या का इनपुट मिलता है और या ही एक मशीन की भांति यह चक्र घूमने

लगता है तो उद्देश्य वातावरण मूय एव तथ्य प्राप्त म मिनत है टकरत है
 दूतत ह और अतघपण स उनम एक अ तमिथित क्रिया सम्पत्त हानी है जो आउटपुट
 (Output) के रूप म कुछ विक्रपा की यथायता बन कर सामने आती है।

इस अनुभूति वृत्त मे यक्ति और संगठन औपचारिक एव अनौपचारिक
 मूय एव तथ्य तथा उद्देश्य एव क्रियाविधि की समस्याओं के बीच एक सीधा
 टकराव होता है। उद्देश्य मह्य वातावरण एव तथ्य जो इस स्तर पर एक दूसरे
 को मन्ते हैं निर्णयकर्ता की मनोप्राप्ता का निर्माण करने हैं। उसका अनुभूति जगत
 तथ्यों की यथायतावादी अथवा मूय सापथ स्थिति स निर्मित होकर समस्या को
 समाधानात्मक विक्रपा के रूप म देखने लगता है। यी पर संगठन म उपलब्ध
 सवा यवस्था विशीररगु मत्ता वितरण पयवेक्षण प्रणाली नोकरण ही-पद्धति
 आदि इस अनुभूति वृत्त की विशाल एव सकीण बनाता हैं। प्रशासनिक नेतृत्व
 क्रियाशील बनता है और यकिन एव संगठन क तनाक अथवा पूरक तत्त्व मिनकर
 विक्रप आउटपुट की गृहति एव सफ्या निर्धारित करत हैं।

सत्या के ये आउटपुट विकल्प जा भी और जसे भी उभर कर सामने आत
 हैं निर्णय प्रक्रिया की गति को नियमित करन हैं। अनुभूति वृत्त स बाहर आने पर
 य आउटपुट दूसरे मूयाकन वृत्त (Evaluation Circle) की इनपुट बन जात है।
 समस्या और समाधानों क सम्बन्ध म सोचता हुआ निर्णयकर्ता का मस्तिष्क फिर
 अपन मूयाकन वृत्त का पत्रित घुमाता है। इस बार इस वृत्त म जो तब विक्रप
 पुटा के साथ घपण करत है व है—(1) विक्रपा की कीमद (2) संगठन
 की क्रियाविधि की क्षमता, (3) परिणम की जटिलता और (4) यावहारिकत्व
 की सम्भावनाए। य सभी तत्त्व जिनकी प्रभावशालिता उनका आनुपातिक शाकन पर
 निर्भर करती है विकल्प इनपुटा का विभिन्न मूयाकन प्रतिप्रियाओं म डानकर
 अन्ततोगवा मूयाकन की एक स तुलित प्रणाली द्वारा प्राथमिकता आउटपुटा
 (Preference Outputs) क रूप म प्रस्तुत करती है। इस तरह मूयाकन वृत्त
 विक्रप इनपुटा की प्राथमिकता आउटपुटा म परिवर्तित करन का एक बौद्धिक
 अभ्यास कहा जा सफ्या है।

प्रशासनिक निणय प्रक्रिया का यह स्तर यद्यपि काफी निर्णायक कता ना
 सकता है तथापि विक्रपा म से मवच्छेद एव अन्तिम विक्रप का चयन एम वृत्त क
 आउटपुटा को फिर नीधरे श्तर के इनपुटा म डानकर अन्तिम आउटपुट को संगठन
 निणय बनान का प्रयास करता है। तीसरा वृत्त जिस मन्त्राली वृत्त कहा गया है, इस
 स्तर पर प्रशासनिक निणय की यावहारिकता इरफामी एव पुननिणय एव भावी
 निणय मन्त्राली जटिलताओं का हा पराभण करता है। शो। स्तर पर संगठन म
 निणय की प्रणता एव बनानिकता ही पयाप्त नहीं होनी। यह सही होत हुए भी
 उसनिणय गलत हा सकना है कि उसका कनीकी यवहार पन अनुभूति एव मूयाकन
 क वृत्ता म बचे नहा हो तो गौण रह गए हा। अत प्रथम विक्रप लगना अन्तिम

निर्णय होते हुए भी एक स्त्राटजी मूल्यांकन चाहता है। दूसरे शब्दों में विकल्प प्राथमिकता की आउटपुट सूची तीसरे चरण में इनपुट बनाकर डाली जाती है और उसके मध्यम जो आउटपुट सामने आते हैं वह अंतिम निर्णय को स्थिति कहा जा सकता है।

तीसरे चरण का यह अंतिम पुनर्मूल्यांकन मुख्यतः विकल्पा के आलाप में स्थिति पर एक पुनर्दृष्टि आनता है जिसका एक परिणाम अनिर्णय (Non decision) अथवा पुनर्निर्णय (Re decision) भी हो सकता है। इस चरण से बाहर निकलने वाला आउटपुट वितानिक ढंग से एक निश्चित दिशा निर्देश करता है और उसका अर्थ अन्तरे कीमत एवं विरोधांक बाधजूद भी करना पड़ता है। इस संदर्भ उपरांत भी सम्भव है कि निर्णय सही न हो अथवा भ्रम या पड़े पर इस प्रक्रिया विशेष से गुजरने का एक बन्धनाम है कि जो कुछ योग्य वह प्रत्याशित होगा और जानबूझ कर जानी पानी अनुमानित सम्भावनाओं से निपटना क्रियाविति की स्थिति में मनोबल एवं मगठन के ढाँचे पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकेगी।

इस तरह प्रारम्भ में अतः तक वह माडल निर्णय प्रक्रिया की निरंतरता गतिशीलता विकसमशीलता एवं जटिलता (Continuity Dynamism Incrementality and Complexity) को सुनिश्चित एवं सम्बद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है। इन माडल की अपनी सीमाएँ हैं और स्वभावतः यह प्रत्यक्ष स्तर की विशदता एवं सम्पूर्णता का अंतर नही होता जिन निर्धारक कारकों को यहाँ चुना गया है वे न तो आत्म नभर हैं और न ही पूर्णतः अतनिभर। कारका और प्रक्रियाओं की अर्थात् आन्तिका को भी माडल में गहराई से नहीं लिया गया है और उन्म से प्रत्येक पर एक उपमाडल निर्मित किया जा सकता है। प्रस्तुत माडल की आधारभूमि सत्रों (Macro) है और जटिलताओं को सरलता में प्रस्तुत करने का काम केवल प्रक्रिया को तार्किक एवं विकासशील दृष्टि से बुद्धिपूर्वक वर्णित करना मात्र कहा जा सकता है। इनपुट आउटपुट का स्थूल रूप अन्वेषण चुना गया है कि व्यवस्था विशेषण के सम्भीर विज्ञान जैसे सम्पूर्ण गतिचक्र एवं व्यवस्था संचालन के सदम में पहचान कर अपने निष्कर्ष निकाल सक। प्रस्तुत माडल में प्रक्रिया की यह वस्तु आकृति बनाने की अथवा यह अधिक महत्त्वपूर्ण है। मगठनात्मक एवं मानवीय पन्ल यदि यंत्रोकरण क्रिया में डाल दिए जाएँ तो वे रूप परिवर्तित किस प्रकार कर सकेंगे। माडल का हरे बक्र इनपुट गिरन पर घूमता है और रुफन पर उभर स जो आउटपुट निकलना है वह अन्तःत्मक विकास से कभी अधिक स्तरीय विविधता का प्रतीक है।

उपसंहार (Conclusion)

प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन में जस वितानिक बने हैं वसे वसे ही उनकी उपयोगिता बढ़ी है जिसमें शोध की नई माँगों की जड़ म क्रिया है। निर्णय

प्रक्रिया की गंभीर जाँकारी के लिए आज का सामाजिक ज्ञान एक अत्युत्तम बौद्धिक धरातल प्रस्तुत करता है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की शोधें प्राथमिक प्रक्रिया और उनके अन्तर्मन्त्रों का समझने में अन्तर्दृष्टि प्रदान करने लगी हैं। अध्ययन के नए नए माँड़ना ने प्रशासनिक निष्पत्ति की एक विशाल खोजी है जिसका परिणाम यह निकला है कि प्रशासनिक निष्पत्ति की कला प्रशासनिक निष्पत्ति का विज्ञान बन गई है। एक वैज्ञानिक ज्ञान की विशेषता होती है कि वह दूसरा तक पहुँचाया जा सकता है और उसके द्वारा उपपन्न की जाने वाली क्षमताएँ स्वयं भी निरंतरता से बढ़ाई जा सकती हैं। हमारे ज्ञान में प्रशासनिक निष्पत्ति प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन प्रशासनिक निष्पत्तिकर्ता को विश्लेषणात्मक और परिचालनात्मक कौशल (Analytical and Operational Skills) प्रदान करती है जिन्हें निर्णयकर्ता अपने अपने संचालन के लिए प्रशासनिक ज्ञान का व्यावहारिक रूप में उपयोग कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक क्षमताएँ जो मुख्यतः समस्ये प्रत्युत्पत्ति मापदण्डों पर प्रक्रिया मूल्यांकन, निष्पत्ति एवं स्थायी धारणाओं का अभ्यास आती है परिचालनात्मक क्षमताओं के साथ मिलकर कुशल निष्पत्ति प्रस्तुत कर सकती है। परिचालनात्मक दक्षताएँ जो समस्याओं के संप्रण कौशल, यत्न-परीक्षा क्षमता आदि द्वारा उभागे जा सकते हैं कि वे भाग्य में निष्पत्ति प्रक्रिया को वास्तविक बनाने के लिए उपयोगी होती हैं। निष्पत्ति प्रक्रिया का ज्ञान इन दक्षताओं को प्राप्त करने एवं प्रशासनिक आचरण को आतंरिकृत करने (Internalise) में सहायक होता है बशर्ते कि एक प्रशासक यह पूर्वाभास पा सके कि वह जो निष्पत्ति करता है वह एक समस्या के समाधान की खोज है। संगठन में उसका धारा धार जो तीन मनोबल और साधनों का आनावरण है वह एक अनुक्रिया यंत्र (Response mechanism) है। इस यंत्र को अपने साथ लेकर चलना और उसके माध्यम से स्थिति या वातावरण में परिवर्तन लाना निष्पत्ति प्रक्रिया का एक कार्य है। संगठनात्मक निष्पत्ति न नीति निर्णय हो सकता है और न ही पूर्णतः अव्यक्तिक। उस तक पहुँचने की प्रक्रिया एक बौद्धिक प्रक्रिया है और हर स्तर पर अनपुष्ट आउटपुट तत्त्व विभिन्न निर्धारक तत्त्वों से प्रभावित होते हुए अन्तिम विकल्प तक पहुँच जाता है। यह स्तर प्रत्युत्पत्ति मापदण्ड और स्थायी (Strategy) की दृष्टि से निष्पत्ति प्रक्रिया को बार-बार भ्रमण करते हैं और प्रक्रिया की निरन्तरता को बनाए रख कर एक उत्तरोत्तर विकासमान स्थिति (Incremental Position) तक पहुँचाता है। निष्पत्ति का यह वैज्ञानिक विश्लेषण और परीक्षण इसकी प्रगति विकास और अन्तम मूल्यों तक को पहचानने में सहायक होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी संगठन में प्रशासनिक निष्पत्ति एक ऐसी अनिवार्य प्रक्रिया है जिसमें संगठन की स्थिति या प्रशासनिक संगठन एवं अन्तर्नीय तत्त्वों की एक गहन भूमिका होती है और प्रशासनिक अध्ययनों के लिए सम्भव है कि इस प्रक्रिया के हर चरण हर तत्त्व और

हर मांड का बना नक़्क़ ययन प्रस्तुत करें और यदि ऐसा हो सका तो निर्णय प्रक्रिया का यह मंडा तक ज्ञान निर्णय सम्बन्धी आचरण और व्यवहार को गुणात्मक दृष्टि के समुचित बना सकगा।

निर्णय प्रक्रिया और हरबट साइमन (Decision Making and Herbert Simon)

निर्णय प्रक्रिया पर हरबट साइमन के जो विशिष्ट विचार हैं सार रूप में उनको अवस्थी और महेश्वरी ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

विगत कुछ कार्यों में प्रशासकीय चिन्तन एवं सिद्धांत के क्षेत्र में निर्णय करना एक नवनव प्रबन्ध है।

निर्णय करने के तीन मुख्य तत्त्व हैं। प्रथम, जबकि सामने एक समस्या होती है और उसकी चर्चा का वह स्वीकारता है। दूसरा, समस्या के समाधान के अनेक विकल्प होते हैं जिन्हें वह स्वयं सोचना या सुझाये जाते हैं। उन पर वह विचार करता है। तीसरा वह विभिन्न विकल्पों में से उष्टतम विकल्प का चयन करता है। हरबट साइमन द्वारा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत के साथ दार्शनिक सिद्धांत को सम्बन्धित करके निर्णय करने के आधुनिक सिद्धांत को आधारशिला रखी गयी है। हरबट साइमन पढ़ता विचारक था जिसने दार्शनिक और आर्थिक विचार को सम्भावित किया था।

अपनी रचना प्रशासकीय आचरण (Administrative Behaviour) में सर्वप्रथम इस बात पर साइमन ने बल दिया है कि निर्णय से तात्पर्य तथ्या एवं मूल्य (Value) के बीच का उचित योग होता है। तथ्य से तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु क्या है और क्या रही है। क्या तथ्या सम्बन्धी विवरण की पुष्टि की जा सकती है या उस अवस्थीकृत किया जा सकता है? उदाहरण के लिए मजदूरी से बनती है कमरा उष्ण काल से गर्म किया जाता है या काल में छात्रों की संख्या 20-21 होती है। यह सब तथ्या के उदाहरण हैं। मूल्य या असत्य होते हैं। अर्थात् मूल्य जो अग्रजी के वैशु का हिता अनुवाद है मूल्य परम दोगी से है। जब कोई कहता है कि वह प्राण काल में घूमना पसन्द करता है तो यह मूल्य की अभिव्यक्ति है। यह मूल्य का कथन है। जब कोई कहता है कि 26 जनवरी असा राष्ट्रीय दिवस एवं सुश्रवण है तो इससे पसन्दगी जाहिर होती है। साइमन का मत है कि हर निर्णय अनेक तथ्यों और एक या दो मूल्य दृष्टिकोणों का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में निर्णय मूल्य दृष्टिकोण और अनेक तथ्यों का सम्बन्ध है। साइमन ने उदाहरण दिया है कि एक मनापति आक्रमण की पद्धति के बारे में निर्णय करना चांता है। वह इस मूल्य (या मूल्य) दृष्टिकोणों से प्रारम्भ करता है। मुख्य आक्रमण करना चाहिए अथवा पर आक्रमण सफलतापूर्वक करना चाहिए। यह नू

कथन है। इनके विपरीत तथ्य कथन है। अचानक आक्रमण सफल बना है। यह तथ्य अनेकों एवं अनुभवों पर आधारित है। अतः एक तथ्य कथन यहाँ है कि अचानक आक्रमण की परिस्थितियाँ में आक्रमण का स्थान और समय दिया है। इन दोनों तथ्य कथनों को मूँय कथन से संयुक्त करना आक्रमण की सफलता के लिए आवश्यक है। इस उचित तथ्य एवं मूँय संभव दो कथनों का संयुक्त करने पर निणय संभव होता है अर्थात् आक्रमण के समय व स्थान व सफलतापूर्वक आक्रमण का सही आक्रमण संभव ही निणय करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार हर निणय तथ्य कथना एवं मूँय कथना का संयोग का पारंगाम है। जिस समय कथन से कोई प्रारम्भ करता है वह प्रथम मूँय कथन है और उसके बाद अन्तीय स्तर व कथन होता है। मानस का मत था कि निणय करने की यह विशिष्ट रीति कवल सञ्जातिक महत्त्व की है। निणय करने की पारस्थिति में सजा कोई उपयोग नया किया जाना उचित यह पूर्ण सत्य नहीं है। इस संभव घट में सजा मन न अपन अनुभव का सही प्रकटन न। किया है। वस्तुतः निणय करने की प्रक्रिया का संभवना में यह बहुत सहायक है।

द्वितीय साइमन का मत है कि निर्णय का अर्थ विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना है। यह विचार उमन अर्थशास्त्रियों से ग्रहण किया है। जब कोई समस्या सामने होती है तो उमन विभिन्न विकल्प हात में हैं। निणयकर्ता को उमन से अधिकतम लाभ या वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उमन से चयन करना पड़ता है। हर विकल्प के अपने परिणाम होते हैं। अर्थशास्त्री के अनुसार अधिकतम लाभ के लिए किसी विकल्प के विभिन्न परिणामों में से चयन करना पड़ता है। इस दृष्टि के किसी निर्णय के तीन तत्त्व होते हैं। प्रथम किसी समस्या के होने पर वह उमन संभवचित सभी विकल्पों में परिचित होता है जिनके अभाव में यह निणय नहीं किया जा सकता। अतः निणय करने के पहले विकल्पों का पता लगाना जरूरी है। द्वितीय विकल्प के हर परिणाम का ज्ञान जाना चाहिए। हर विकल्प के कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम हात में हैं। तृतीय अत्यंत उचित चुनाव होना चाहिए इस दृष्टि में भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता जाननी चाहिए। एक परिणाम आज अच्छा हो सकता है, सम्भव है कल अचानक हो, और परमात्मा मकता है वह पुरा हो जाए। अतः किसी परिणाम के सही अनुमान के लिए भविष्य में दृष्टिमान करने की क्षमता होना चाहिए। अतः यदि कोई निराय उचित होना है तो वह तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है जेकिन कोई भी चुनाव 100 प्रतिशत सही नहीं हो सकता। अतः किसी परिस्थिति विश्लेषण में जो निर्णय लिया जाता है वह सापक्ष दृष्टि से उचित होता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उमन शत प्रतिशत उचित निणय असम्भव है। सापक्ष दृष्टि में उचित निर्णय

ही सम्भव है। सापेक्ष इच्छा से उचित निष्पत्ति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुल विकल्प और उनके कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं और इनमें से चुनाव किया जाता है। वास्तविक रूप में यही सम्भव भी है। हरबर्ट साइमन के समय के प्रभाव पर प्रकाश डालना है और अर्थशास्त्रियों द्वारा जब अधिकतम लाभ के विचार का प्रचार किया जा रहा था उस समय साइमन ने का- समय पर बत दिया। एक स्थिति या एक मगठन जब अधिकतम के लिए प्रयत्नशील होता है तो समय का तत्त्व बाधक बनना है। एक व्यक्ति को एक समय के अंदर ही निष्पत्ति लेने पड़ता है। आज का अर्थशास्त्र कल बुरा हो सकता है, और बुरा निष्पत्ति भविष्य में अर्थात् हो सकता है।

मनुष्य का आचरण कुछ बात पूरा करने पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति उसी विकल्प का चयन करता है जिसमें उसकी वांछित शर्तें पूरी होती हैं या अधिकतम की उपनिधि जिस विकल्प के द्वारा सम्भव होता है अतः विभिन्न विकल्पों में से चयन का तत्त्व हर मानव स्थिति में विद्यमान रहता है। सत्य तो यह है कि हम जीवन में यह देखते हैं कि कोई निष्पत्ति लेने के लिए कुछ परिस्थितियाँ हैं। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार हम निष्पत्ति का निरोध करते हैं वह कुछ परिस्थितियाँ और सीमाओं पर निर्भर है। पहली सीमा यह है कि मनुष्य के लिए निरपेक्ष निष्पत्ति करना, जिस प्रकार अभी बताया गया है सम्भव नहीं है। द्वितीय सतुष्ट का तत्त्व है अर्थात् निष्पत्ति सतुष्ट करने वाला होना चाहिए। उचित निष्पत्ति के माग में तीसरी बाधा डबती एक अर्थानिष्पत्ति का तत्त्व की है यदि हम एक निष्पत्ति ले चुके हैं तो दूसरा निष्पत्ति लेने में असमर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई विवाहिन है तो कानून उस दूसरा विवाह करने से रोकता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो वह डॉक्टर के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है।

निष्पत्ति लेने के सम्बन्ध में मनुष्य के वास्तविक आचरण का अध्ययन किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि निष्पत्ति के लिए तीन बातें पहले आवश्यक हैं प्रथम बात है समस्या का हाना क्योंकि समस्या का ही समाधान ढूँढना है। द्वितीय बात है खोज व्यवहार। एक समस्या के होने पर व्यक्ति उसके समाधान के विभिन्न विकल्पों की खोज करता है। यही खोज व्यवहार है। खोजे गए इन विभिन्न विकल्पों में से व्यक्ति एक का चयन करता है। कुछ व्यक्ति विकल्पों के खोजने में ही उठे रहते हैं जबकि अन्य कुछ विकल्पों की खोज के बाद रुक जाते हैं तथा इनमें से ही एक विकल्प को चुन लेते हैं। दूसरे शब्दों में यह खोज व्यवहार तब तक चलता रहता है जब तक कि समस्या सम्बन्धित यूनान परिसरितियों को सतुष्ट करने वाला विकल्प प्राप्त नहीं हो

जाता है। यदि निणय स्तर घटिया है तो तृतीय और तृतीय विकल्प भी सन्तोषजनक हो सकते हैं। सगठन की दृष्टि से साइमन के निणय सम्बन्धी तीसरी बात महत्वपूर्ण है। वह यह है कि किस प्रकार निणय का वर्गीकरण किया जाए। निणय शब्द का प्रयोग हम हर ऐसी परिस्थिति के लिए कर सकते हैं जिसमें चयन का तत्त्व विद्यमान हो। हम विभिन्न प्रकार के निणयों में कैसे भेद कर सकते हैं? सामान्यतः विभिन्न क्षणों और स्तरों पर निणय लिए जाते हैं। साइमन यह निश्चित निर्धारित निर्णय (Programmed Decisions) तथा अनिश्चित और अनिर्धारित निर्णय (Unprogrammed Decisions) की संज्ञा देता है। निश्चित निर्णय से तात्पर्य यह है कि एक निश्चित कार्य हम हमारे दिमाग में देखा उसकी क्रमशः है उसको क्रियान्वित करने से एक निश्चित निणय प्राप्त होता है। हर सरकारी नियम या उपनियम एक कार्यक्रम है, और उनमें नियमित रूप से निश्चित निर्णय प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए नियम यह है कि निर्धारित शर्तों पूर्ण करने वाले आवेदकों को लाइसेंस दे दिया जाए, ऐसी मामलों में यह निणय करत समय कि आवेदक को लाइसेंस दिया जाए या न दिया जाए हम कब न यह देखते हैं कि उनमें निर्धारित शर्तों पूर्ण की हैं या नहीं। यदि वह शर्तों पूर्ण करता है तो लाइसेंस दे दिया जाता है। इस प्रकार का निणय निर्धारित या निश्चित निर्णय है। इस प्रकार का कार्यक्रम जटिल भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में निर्णय करना भी जटिल होता है। उदाहरण के लिए दान नियम में यह स्पष्ट नहीं किया गया हो कि क्या करना चाहिए तो ऐसी स्थिति में स्वविवेक की पर्याप्त गुंजाइश होती है। यह सरल व निश्चित निणय नहीं है। अनिश्चित या अनिर्धारित निणय से तात्पर्य है कि निर्णय देने के लिए किसी भी प्रकार का प्रोग्राम या नियम या उपनियम या रिवाज नहीं है। ऐसी स्थिति में निणय अपने प्रयत्न से ही लेना पड़ता है। सत्य तो यह है कि निश्चित और अनिश्चित निणय एक ही श्रेणी में निहित के दो छोर हैं। मानव जीवन में कोई निणय पूरी तरह अनिश्चित नहीं होता। जीवन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव स्वतः ही संचित होता जाता है। अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करने के लिए मनुष्य के मस्तिष्क में एक रूप रेखा जो चाह जसी भी हो विद्यमान होती है। इसी प्रकार कोई पूर्ण निणय सम्भव नहीं है। छोटे और बड़े सतरा का छानने समय कहीं कहीं पर तो विवेक की आवश्यकता पड़ती है।

निणय का विभिन्न दृष्टियों में वर्गीकरण किया है किन्तु सरलता की दृष्टि में उन्हें दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं—प्रथम नियम उपनियम और रिवाज के आधार पर समस्या का समझना और सम्बन्धी निणय देना। उदाहरण के लिए निर्धारित नियमों के द्वारा हम यह पता चल सकता है कि आवेदनपत्र में जो बात की गयी है उसका उत्तर हाँ या ना हो? नियमों से हम एक

समस्या के समाधान का पता चल सकता है। सीधे हा या न मजबाब देना सरल कायम का उदाहरण है लेकिन हर मामले में यह सम्भव नहीं है। उदाहरण के लिए निर्धारित नियम के अनुसार एक काम में तीन प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं। क स्थिति का उपाय या समाधान य है और ख स्थिति का समाधान र है और ग का समाधान न है। यह नियम की उच्च प्रक्रिया है। इसमें केवल एक स्थिति का उदाहरण न करके तीन सम्भावित स्थितियाँ और उनका समाधान की राहों की गयी है। एक निश्चित नियम या जटिल प्रकृति का उतना ही कठिन है जितना कि एक अनिश्चित परंतु सरल नियम।

नियम बनाने के सिद्धान्त और निगम करने सम्बन्धी अध्ययनों के क्षेत्र में उन्नति हुई है। उसका भी उल्लेख करना यहाँ उचित है। उचित निगम करने के क्षेत्र में विगत 20 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। निगम को अधिकतमपूर्ण होना कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जब एक प्रशासन में कोई नियम लेना होता है तो उसमें जोखिम या रिस्क रहती है। जोखिम को कम करने की दशा में अनक प्रयत्न हुए हैं और हो रहे हैं। अमेरिका के राज्य सचिव मकनेमारा ने एक बार कहा था कि मुझे एक समस्या से सम्बद्ध पूरे तथ्य या सारा ड फारमेशन दे दीजिए और मैं पूरा सौ नियम ले लूँगा। इस कथन में साक्ष्यता है इसीलिए आज सभी संगठनों में बादा से बादा तथ्य संकलित किए जाते हैं। कम्प्यूटर से तथ्य एकत्रित करने में भरपूर सहायता मिलती है। इतना होते हुए भी यह मानना ही पडगा कि जोखिम पूरी मात्रा में समाप्त नहीं किया जा सकता है। हर नियम में कुछ जोखिम तो रहना ही है।

इसके अलावा मानवीय अबुद्धिवाद क्या है और क्यों है इस पर अन्वेषण हुए हैं। क्या कारण है कि मनुष्य जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहता है व्यतीत नहीं कर पाता? यह एक गहरा प्रश्न है परंतु इतना कह देना तो उचित ही है कि मानव अबुद्धिवाद का प्रांशिक कारण ज्ञान का अभाव भी है। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि अनका उद्योगपति अधिक लाभ भी आकांक्षा न करके बिक्री में अधिकतम वृद्धि चाहते हैं। यह प्रमाणित हो चुका है कि मनुष्य को एक स्थिति में पहुँचकर लाभ में संतुष्टि नहीं होती। वह स्थिति अज्ञित करना चाहता है और इसी से उसे सार्थक मिनता है एवं इस प्रकार विश्लेषणों से अबुद्धिवाद के तत्वों को कम करने में सहायता मिलती है।

तृतीय दिशा जिसमें प्रगति हुई है निर्णयों को स्वीकृत कराने की है। नियमों का महत्व तो इसी में है कि उन्हें क्रियान्वित किया जाए नहीं तो वे केवल कपोल कल्पना ही हैं। नियम तीन तरीकों से स्वीकृत कराय जा सकता है। एक तरीका घाति के प्रयोग का है। दूसरा मांग भावनारमक सहानुभूति और सम्मोहन का है। नियमों को स्वीकृत कराने के ये दोनों तरीके सतरो से खाली नहीं हैं।

तीसरा तरीका सहयोगिता में निष्पक्ष के प्रति नम्रता और आदर और औचित्य का भाव जाग्रत करना है। यह तभी सम्भव है जबकि उन्हें परिस्थिति और तथ्यों से अवगत कराया जाए और तभी दूसरे व्यक्ति उन मूल्यों को सहज ही स्वीकार करते हैं जिनसे प्रेरित होकर निष्पक्ष किया गया है। ऐसी स्थिति में वही निष्पक्ष चंगे जो मैने लिया है। उसे हम परस्पर विचार विमर्श या प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। उच्चाधिकारियों को निष्पक्ष लक्ष्य समझने में नीचे के अधिकारियों से परामर्श करना चाहिए। भले ही वह उन परामर्श को न मानें। इसका निष्पक्ष अपने अधीनस्थों के परामर्श में भिन्न हो सकता है लेकिन निष्पक्ष करने में परामर्श नितांत आवश्यक है। मुख्य कार्यपालक के द्वारा एक बार अपने अधीनस्था से परामर्श करने पर नतिक दृष्टि से उसका पक्ष सबल हो जाता है और अधीनस्थों में सन्तोष की भावना उत्पन्न होता है। विचार विमर्श के अभाव में अधिक खतरनाक कोई तत्व निष्पक्ष के क्रिया-व्ययन में बाधक नहीं होता।

9

प्रबंध की अवधारणा और उसकी प्रविधियाँ (Concept of Management and Its Techniques)

प्रबंध एक नया तथा विकासशील विज्ञान है जिसके अंतर्गत नीति निर्धारण नीति को कार्यान्वित करना आदि आता है। किसी भी यावसायिक एवं औद्योगिक इकाई की स्थापना व उपरांत दूसरी महत्वपूर्ण समस्या उसमें प्रबंध की आती है। कोई भी यवसाय स्वयं नहीं चल सकता चाहे व सवेग (Momentum) की स्थिति में ही क्यों न हो उसके लिए एक नियमित उद्दीपन (Repeated Stimulus) की आवश्यकता पड़ती है¹ और इस नियमित उद्दीपन की पूर्ति का एकमात्र स्रोत है— यवसाय का मस्तिष्क अर्थात् प्रबंध (Management)। विख्यात प्रबंध विशेषज्ञ पीटर एफ ड्रुकर ने लिखा है— प्रबंधक ही संयुक्त व्यापार का गतिशील एवं जीव दायक तत्व होता है उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन व साधन बचन साधन मात्र रह जाते हैं व भी उत्पादन नहीं बन पाता। एक ही हूपर के शब्दों में प्रबंध विज्ञान वाणी एक शक्ति है जो औद्योगिक इकाई को प्रेरणा देती है उसको एक इकाई के रूप में संगठित करती है तथा सम्पूर्ण गतिविधि एवं साधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए दिशाएँ एवं संभव ध निर्धारित करती है।² इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि प्रबंध ही यवसाय तथा उद्योग रूपी शरीर का मस्तिष्क अथवा उसकी जीवनदायनी शक्ति है। प्रबंध वह जीवनकटा है जो संगठन को शक्ति देती है संचालित करती है और नियंत्रण में रखती है। यावसायिक एवं औद्योगिक प्रबंध के आवश सिद्धांतों के अनुपालन द्वारा ही वर्तमान औद्योगिक अशांति दूर की जा सकती है।

सामान्य रूप में देख तो प्रबंध प्रक्रिया की आवश्यकता उन सभी अवस्थाओं में पड़ती है जहाँ किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों का होना आवश्यक है। प्रत्येक यावसायिक एवं आर्थिक क्रिया में कुछ व्यक्ति मित कर कार्य

1 Edw n M R binson Business Orga isation d Practices p 188

2 Pet r F Drucker Pfact ce of Manageme t p 1

3 F C Hoop t Manageme t Su v y

की पूरा करते हैं। औद्योगिक क्रान्ति से व्यवसाय एवं उद्योग दोनों प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही प्रबंध का क्षेत्र भी इस क्रान्ति के प्रभाव से अछूना नहीं रहा है।

19वीं शताब्दी के प्रबंध में स्वामी सेवक धारणा (Master Servant Approach) का बोलबाला था। श्रम का एक मानवीय साधन न मानकर एक व्यापार की वस्तु माना जाता था। लेकिन वर्तमान सदी के प्रबंध के क्षेत्र में प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप मानवीय सम्बन्धों की विचारधारा (Human Relations Approach) का प्रादुर्भाव हुआ है। श्रम मानवीय साधन पहले है तथा उत्पादन का साधन बाद में प्राचीन समय में प्रबंध और उद्योग एक ही होते थे। एक ही व्यक्ति सब कार्य कर लेता था। लेकिन औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप श्रम विभजन विशिष्टीकरण विधीकरण मशीनीकरण आधुनिकीकरण स्वचालन आदि का आधुनिक उत्पादन प्रणाली में महत्त्व बढ़ गया है। इससे प्रबंध भी एक व्यवसाय अथवा पेशा (Profession) बन गया और प्रबंध विशेषज्ञता की उत्पत्ति वित्त विनियम कर्मिक (Personnel) तथा अन्य विभागों में नियुक्तियों की जान लगी है। श्रम वर्तमान प्रबंध प्राचीन प्रबंध से बिल्कुल ही भिन्न प्रकृति का हो गया है।

प्रबंध का अर्थ एवं अवधारणा 40-41

(The Meaning and Concept of Management)

प्रबंध को आधुनिक यावसायिक तथा औद्योगिक जगत् में अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। कुछ व्यक्तियों ने इस सही ढंग अर्थ में लिया है जबकि बहुतायत धारणा यापक अर्थ के पक्ष में हैं। सही ढंग अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है और वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करा सकता है प्रबंधक कहलाता है। विस्तृत अर्थ में प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं और यह निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से सम्बन्ध रखता है। इस अर्थ में प्रबंध के कार्य काफी गायक हैं यथा योजनाकरण (Planning) प्रेरणा (Motivation) संगठन (Organisation) उद्योग संचालन (Direction) उद्योग पर समुचित नियंत्रण (Control) नीति निर्धारण और कार्यविनियम विभिन्न व्यक्तियों के प्रयत्नों तथा उद्योग के निर्धारित उद्देश्यों में समन्वय (Co ordination) आदि।

प्रायः हीमन ने प्रबंध के निम्नलिखित तीन प्रचलित अर्थों का उल्लेख किया है—

- (i) प्रबंध अधिकारियों (Managerial Personnel) के अर्थ में
- (ii) प्रबंध विज्ञान (Management Science) के अर्थ में एवं
- (iii) प्रबंध प्रक्रिया (Management Process) के अर्थ में।

प्रो हेमन द्वारा बताए गए इन तीनों अर्थों को सशुद्ध रूप में स्पष्ट करते हुए आर. मी

अध्यक्ष ने निखा है—प्रबंध दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंध से आशय सामायिक प्रबंध अधिकारियों से होता है जिसके अंतर्गत सम्बंधित इकाई में कार्य करने वाले लोगों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तृतीय दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंध से आशय एक विभाग से होता है जिसमें यावत्प्रारम्भिक नियोजन संगठन संचालन समय प्रणाली तथा नियंत्रण से सम्बंधित सिद्धान्तों का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। तृतीय दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंध शब्द का अर्थ एक प्रक्रिया के रूप में किया गया है जिसके अंतर्गत अर्थ लाभा के साथ मितजुल कर कार्य किया जाता है। इन तीनों दृष्टिकोणों में से यह तृतीय दृष्टिकोण अधिक महत्त्वपूर्ण है।

प्रबंध के कार्यों एवं उद्देश्यों का ध्यान में रखते हुए प्रबंध की जो परिभाषाएँ विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—

1 प्रा किम्बल एवं किम्बल के अनुसार मापक रूप के प्रबंध उस कर्ता को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्योग में मनुष्यों और माल को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग किया जावे।¹

आगे फिर इही अवकाश प्रबंध के विषय में लिखते हुए कहा है कि प्रबंध में उद्योग को प्रारम्भ करने, पूंजी जुटाने, प्रमुख औद्योगिक नीतियों का निर्धारण करने, सब प्रकार के उपकरणों का प्रदान करने, संगठन की सामायिक रूपरेखा बनाने तथा कार्यकर्ताओं का नियुक्त करने के सभी कार्य शामिल किए जाते हैं।

2 प्रो ब्रच के अनुसार प्रबंध किसी उपक्रम के कार्यों को प्रभावशाली रूप में नियंत्रित व नियोजित करने का दायित्व की सामाजिक प्रक्रिया है। इस दायित्व में अप्रतिबंधित शक्तें शामिल हैं—(अ) काम योजना के अनुसार ही होगा इसके लिए उचित विधिप्रणाली बनाकर लागू करना व उस बनाए रखना तथा (ब) उपक्रम में योग्य व्यक्तियों का मांग निर्दिष्टन एकीकरण तथा निरीक्षण करना जिससे कार्य ठीक प्रकार से हो जाए।²

3 प्रो कूट ज तथा प्रो ओ डोनन के अनुसार जब व्यक्तियों का सहयोग एक सामायिक उद्देश्य के लिए एक साथ के रूप में संगठित हो उस समय का आधार व विशेषता प्रबंध है अर्थात् व्यक्तियों द्वारा कार्य करवाना प्रबंध है। समूह की क्रियाओं में इस प्रकार का समय कराने हेतु प्रबंधक नियोजन संगठन व अधिकारियों की भर्ती निर्दिष्टन तथा अर्थ व्यक्तियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है।³

1 Kimball and Kimball // Principles of Industrial Organization p 150

2 Kimball and Kimball // Principles of Industrial Organization p 157

3 F. E. L. B. Ch. Organization: the Framework of Management p 10

4 Koontz & O'Donnell // Principles of Management p 3

4 प्रो एम बर्जी के अनुसार व्यापक अर्थ में प्रबंध उन सभी क्रियाओं का योग है जिनका सम्बन्ध कुछ योजनाएँ नीतियाँ एवं उद्देश्य निश्चित करना इनकी पूर्ति हेतु मनुष्य मुद्रा मान और मशीनें जुटाना इन सभी को कार्य में लगाना उनके कार्यों की जांच करना और कार्य में लगे यंत्रियों को नकद पारिश्रमिक देना एवं उन्हें मानसिक सन्तोष प्रदान करने से है।¹

5 प्रा टेर्रा के अनुसार प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन संगठन वास्तविकता तथा नियंत्रण को शामिल किया जाता है तथा इनका निष्पादन व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों का निर्धारित एवं प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

6 प्र यूमेन के प्रो सुमर के अनुसार प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें क्रियाओं की कई सारणियाँ सम्मिलित हैं जिनसे उद्देश्य को पूरा किया जाता है। यह सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह कार्य मुख्य रूप से मनुष्यों के बीच सम्बन्धों से सम्बन्धित है।³

7 प्रो स्पीयन एवं प्रो लसब्रथ के अनुसार प्रबंध एक उद्यम या उपक्रम का वह कार्य है जिसका सम्बन्ध व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं का निर्देशन व नियंत्रण से है। प्रबंध आवश्यक रूप से एक कार्यकारी कार्य (Executive function) है इसका विशेष रूप से मानवीय प्रयास के निर्देशन करने से सम्बन्ध है।⁴

8 थार सी डब्लिस के अनुसार प्रबंध कार्यकारी नृत्य का काम है। यह मुख्यतः एक मानसिक क्रिया है। यह कार्य के नियोजन संगठन तथा सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथ व्यक्तियों का नियंत्रण करने से सम्बन्धित है।⁵

9 मेरी कूशिंग नास्लम के अनुसार अच्छा प्रबंध मानवीय भौतिक शक्ति एवं समय के सदुपयोग में तथा इसमें सम्मिलित मानवों का एवं जनसाधारणों की सन्तुष्टि हेतु सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

10 अमरिक्तन मनत्रमण्ट एसांतिणन न भा प्रबंध का परिभाषा इस प्रकार की है कि प्रबंध मानवीय तथा भौतिक साधनों को क्रियाशील (Dynamic) संगठन की इकाइयों में लगाता (Guide) है जिसका उद्देश्य ग्राहकों का सन्तोष प्रदान करना तथा दमकारियों में उच्च स्तर का मनावल (Moral) तथा कार्य पूरा करने में उत्तमदायित्व उत्पन्न करना है।

1 M B n r / e Bus Admi st at o p 19

2 G o g e R Terry Pr n ciples of Man g ment p 4

3 N wman & Surme The P o c e s of Ma s g me t p 9

4 Sp g l & L o n b u r g h I n d s t r i l M a n a g e m e n t p 109

5 R C D a i s The F n d a m e n t a l s f T o p M a n a g e m e n t

11 स्तूल वेस के अनुसार प्रबंध कबल नियंत्रण लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का विधि है जिसमें पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

12 विन्किंसन तथा फोस्टर के शासन में प्रबंध एक ऐसा शब्द है जिसका सामान्य उपयोग उस विधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा पक्कि उस पर सीमाएँ लगाने का भी उचित उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

13 जे. डेटे के अनुसार एक प्रबंधक वह व्यक्ति है जो वस्तुओं प्रयत्न सेवाओं के उत्पादन में मानवीय क्रियाओं के निर्देशन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है।¹

उपरोक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी उपक्रम के लिए हुए उद्देश्यों का पूर्ति हेतु सामूहिक रूप से कार्य करने वाले मानवीय तथा भौतिक साधनों को याजनाबद्ध संगठन के माध्यम से निर्देशन नियंत्रण व नियंत्रण से कार्य करवाया जाता है। दूसरे शब्दों में एक उपक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारे सामने कार्य करने की प्रक्रिया ही प्रबंध कहलाती है। भारती अग्रवाल ने प्रबंध की एक उपयुक्त परिभाषा देते हुए लिखा है कि प्रबंध में आशय निम्न में सम्बन्धित क्रियाओं के समूह से है—

- (1) निश्चित योजनाएँ नीतियाँ तथा उद्देश्यों को निर्धारित करना
- (2) इनकी प्राप्ति के लिए मानव धन सामग्री तथा यंत्रों की व्यवस्था करना
- (3) इन सबको क्रियाशील (चाल) करना (4) उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को जाँच करना तथा (5) इस क्रिया में सनत यक्तियों को सामग्री प्रविषण तथा मानसिक शान्ति प्रदान करना।

प्रबंध की विशेषताएँ

(Characteristics of Management)

विभिन्न विद्वानों एवं लेखकों द्वारा प्रबंध की दी गई विभिन्न परिभाषाओं से हम निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है—

1 प्रबंध एक प्रक्रिया है (Management is a process)—प्रबंध दूसरों से कार्य लेने की एक प्रक्रिया है। सामूहिक रूप से काम करने की यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक कि सम्बन्धित उपक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो जाता है। यह प्रक्रिया जबसकी देख रक्ष में चलती है वह प्रबंध होता है।

1 A manager is a person who attempts to achieve stated objectives by directing human activities in the production of goods and services

2 प्रबंध विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करता है (Specific objectives)—
 किसी भी संस्थान में प्रत्येक प्रबंधकीय प्रक्रिया का सम्बंध एक दिए हुए उद्देश्य की पूर्ति करना होता है। यह उद्देश्य प्रबंधक द्वारा पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं। प्रबंध की सफलता इन उद्देश्यों की पूर्ति पर निर्भर होती है।

3 अन्य लोगों से कार्य लेने की कला (Art of getting things done through others)—प्रबंधक स्वयं कार्य नहीं करता है। वह स्वयं योजनाबद्ध संगठन के माध्यम से दूसरे लोगों से कार्य करवाता है। दूसरे से कार्य किस प्रकार करवाया या लिया जाए कि प्रबंध के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए यह एक साधारण कार्य नहीं है। यह एक कला है कि किस प्रकार दूसरों के माध्यम से कार्य करवाकर प्रबंधकीय उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।

4 प्रबंध एक मानवीय क्रिया है (Human Activity)—प्रबंध एक मानवीय क्रिया है क्योंकि किसी भी उपक्रम में नियोजन संगठन निर्देशन प्रेरणा समन्वय एवं नियंत्रण सम्बंधी क्रियाएँ मानवीय क्रियाएँ हैं। अतः प्रबंध बिना प्रबंधक के नहीं कर सकता है।

5 कार्यो में समन्वय स्थापित करना (Co-ordination in the work)—
 प्रबंधक उपक्रम के लिए हुए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दूसरे लोगों से कार्य करवाता है। विभिन्न स्तरीय अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करके ही समय पर कार्य पूरा करके उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है।

6 प्रबंध विश्व-व्यापी है (Management is universal) प्रबंधकीय प्रक्रिया केवल एक देश तथा उपकरण के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह सभी देशों में तथा समस्त कार्यों में पाई जाती है। कुछ उद्योगों द्वारा दिए हुए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दूसरे व्यक्तियों का समन्वय हेतु तथा निर्देशन किया जाता है। सामाजिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक तथा शिक्षण संस्थाओं की सभी क्रियाएँ हेतु प्रबंध की आवश्यकता होती है।

7 प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है (Management is a social process)—प्रबंध के कार्य मौलिक रूप से मानवीय क्रियाएँ से सम्बंधित होने के कारण प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध द्वारा मानवीय क्रियाओं को नियोजित संगठन निर्देशित समन्वय एवं नियंत्रित किया जाता है। तथा कि क्षेत्र में निम्न है कि मानवीय संबंधों की विद्यमानता ही प्रबंध को सामाजिक प्रक्रिया के विषय लक्ष्य प्रदान करती है।

8 प्रबंध का अपना पृथक् अस्तित्व है (Management has a distinct entity)—प्रबंध का अपना एक पृथक् एवं भिन्न अस्तित्व है क्योंकि इसका प्रमुख कार्य स्वयं कार्य करना न होकर दूसरों से कार्य करवाना है। दूसरों से कार्य लेने

प्रकार लिया जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। आज प्रबंध एक स्वतंत्र विकसित विज्ञान के पथ पर अग्रसर है।

9 प्रबंध कला एव विज्ञान दोनों हैं (Management is an Art as well as a Science)—आज प्रबंध को सर्कीर्ण अर्थ में लेने का विचार अपना महत्त्व खो चुका है। प्रबंध एक व्यापक अवधारणा है यह कला एव विज्ञान दोनों हैं। यह कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रबंधकीय कला एक यत्तिगत कला है जो अन्तर्गत से प्राप्त की जाती है। प्रबंध विज्ञान इस रूप में है कि इसके कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत और नियमों का विकास हो चुका है।

10 प्रबंध एक पेशा है (Management is a Profession)—आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञता के अनुसार प्रबंध एक पेशा अथवा पेशा है क्योंकि इसमें वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जो पेशा में होते हैं। प्रत्येक पेशे का अपना एक शास्त्र होता है जिसके अध्ययन के बिना वह पेशा नहीं किया जा सकता। प्रबंधकार का अपना एक शास्त्र है निम्न इसके सिद्धांतों नियमों नीतियों आदि का उल्लेख होता है। इन सिद्धांतों नीतियों आदि का प्रबंध शास्त्र के समुचित अध्ययन के बिना कोई भी व्यक्ति प्रबंध कार्य सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। अमेरिका इण्डिया जर्मनी जापान तथा अन्य विकसित औद्योगिक देशों में प्रबंध एक पेशे के रूप में विकसित हो गया है। इन देशों में प्रबंधकों को पेशेवर के रूप में विकसित करने हेतु कई प्रबंधकीय शिक्षा संस्थान एवं पाठ्यक्रम चलाए गए हैं हमारे देश में भी अल्प जीवित प्रबंधकों का स्थान शून्य शून्य पेशेवर प्रबंधकों द्वारा करते जा रहे हैं।

11 प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर (Management is needed at all levels)—प्रबंध की आवश्यकता संगठन के सभी स्तरों पर पड़ती है। इसी कारण प्रबंध सभी स्तरों पर अस्तित्व में किया गया है।

12 प्रबंध तथा स्वामित्व एक नहीं हैं (Management and ownership are not one and the same)—प्रबंध के विकास के प्रारम्भिक काल में उत्पादन छोटे पैमाने पर होता था। इसलिए स्वामी ही प्रबंधक का कार्य करता था। लेकिन वर्तमान समय में अनेक विभाजन एवं विविधीकरण से उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। इससे प्रबंधक का कार्य केवल प्रबंध करना है तथा जीवित उत्पादन में जी लगाकर स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध एक पेशे (Profession) के रूप में वर्णन किया जा सकता है अतः आधुनिक समय में दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं।

प्रबंध की प्रकृति

(Nature of Management)

प्रबंध की विचारधारा उतनी ही प्राचीन एव गतिशील है जितनी कि मानव की सम्यक्ता एव संस्कृति है। प्रत्येक युग का प्रभाव इस पर पड़ा है। समय के

परिवर्तन के अनुसार प्रबंधकीय विचारधारा तथा इसकी प्रकृति में व्यापक परिवर्तन होत गए हैं। प्रबंध की विभिन्न प्रबंध विशेषणों ने अपन समय में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। उदाहरणार्थ वैज्ञानिक प्रबंध के जनक (Father of Scientific Management) प्रो. टेनर ने इस तकनीकी निश्चयवाद (Technological Determinism) हेनरी फ़ोय ने सावभौमिकता (Universality) प्रा डूकर ने आर्थिक विस्तार (Economic Dimensions) प्रा शल्टन ने समझौते की भावना (Spirit of Compromise) प्रो. ब्रच ने सामाजिक प्रक्रिया (Social Process) तथा प्रा ए. प्लेन ने मानवाय तत्व (Human Factor) का नाम दिया है। अतः प्रबंध की प्रकृति विभिन्न प्रबंध विशेषणों की विचारधाराओं से प्रभावित हुई है। प्रबंध की प्रकृति का निम्न पहलुओं का मदम से आसानी से समझा जा सकता है—

1 प्रबंध एक अर्जित एवं जन्जात प्रतिभा के रूप में

(Management as an acquired and inborn ability)

एम्प्यर एन प्रब. मू. (Trends and Man. १९९०) यह मानकर चलता है कि प्रबंध एक जन्जात प्रतिभा है। प्रबंधक बनाए नहीं जाते हैं बल्कि जन्म से हैं। यह विचारधारा 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रचलित रही। इसी विचारधारा ने परम्परागत एवं पृथक् विरासत वाले उद्योग व्यवस्था का विकास किया। आज भी भारतीय अर्थ व्यवस्था में इस प्रकार की विचारधारा वाले प्रबंधक पाए जाते हैं। भारत में वर्षों से चली आ रही प्रबंध अतिक्रम प्रणाली (Managing Agency System) इसका उदाहरण है। सन् 1970 में भारत सरकार ने इस प्रणाली को अधिनिमय पारित करके समाप्त कर दिया। वर्तमान समय में यह विचारधारा कार्य महत्त्व नहीं रखता है क्योंकि प्रबंध स्वामित्व और प्रबंध दोनों पृथक् पृथक् कार्य हो गए हैं तथा प्रबंध एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है।

2 प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में

(Management as a universal process)

प्रो. हेनरी फ़ोयन जैसे प्रबंध विशेषज्ञों का कथन है कि प्रबंध एक सावभौमिक प्रक्रिया है जिसमें समान रूप से कहीं भी प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रबंध कब भी वास्तविक जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु ही प्रयोग नहीं किया जाता है अपितु इस विषय का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। चाहे परिवार या या गिरजाघर में या मस्जिद कुटीर उद्योग हो या बड़े उद्योग में समझौते का नेता हो या जिला परिषद का अध्यक्ष दशक प्रधानमंत्री हो या म्हात्मा का नेता पाठशाला हो अथवा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अस्पताल हो अथवा प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान सांस्कृतिक कार्यक्रम हो अथवा सिनेमाघर सभी क्रियाओं में प्रबंध का उपयोग करना आवश्यक है क्योंकि कार्य सामूहिक रूप से कई व्यक्तियों द्वारा किया

जाता है जिसके लिए नियोजन संगठन अभिप्रररणा समय निर्देशन एवं नियंत्रण आदि प्रबंधकीय कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

3 प्रबंध एक पेशे के रूप में

(Management as a Profession)

आधुनिक प्रबंध विद्वानों का यह स्पष्ट मत है कि प्रबंध एक पेशा है तथा इसी रूप में प्रबंध का शत शत विकास होता जा रहा है। अमेरिका इंग्लैंड जापान जर्मनी जैसे विकसित समुन्नत और उद्योग प्रधान देशों में व्यावसायिक प्रबंध का विकास एक स्वतंत्र पेशे के रूप में हो चुका है तथा प्रबंधकों को उनकी प्रबंध याव्यवस्था के आधार पर ही प्रायः काय सौंपा जाता है। अमेरिका में औद्योगिक इंजीनियर एक पेशेवर पक्ति ही होता है। जिस प्रकार एक वकील को कानूनी और डॉक्टरों को डॉक्टरी की शिक्षा का आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार एक प्रबंधक को प्रबंधकीय शिक्षा की आवश्यकता होती है। भारत में भी अब पूज्यपति प्रबंधकों का स्थान पेशेवर प्रबंधक ग्रहण करते जा रहे हैं। भारत में अब यह विचारधारा बन पकड़ती जा रही है कि प्रबंधकों को भी वकीलों डॉक्टरों अथवा इंजीनियरों की तरह पेशेवर पक्ति का स्थान दिया जाना चाहिए। आज के भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रबंधकीय विद्या का अध्ययन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भारत तभी से औद्योगिक विकास की दिशा में बढ़ता जा रहा है और विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में यह धारणा तजों से समाप्त होती जा रही है कि पिता का भक्ति पुत्र भी व्यवसाय का प्रबंध कर लगा। देश में जब विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में किसी व्यवसाय अथवा उद्योग का प्रबंध मंचालन प्रबंधकों को उस आधार पर नहीं सौंपा जाता कि वे पूज्य लगाने वाले व्यक्तियों के पुत्र या सम्बन्धी हैं बल्कि इसलिए सौंपा जाता है कि वे प्रबंध करना मत्त हैं।

पेशे का अर्थ—प्रबंध एक पेशा है अथवा नहीं इस बात का निश्चय करने में पूर्व हमें पेशे की परिभाषा और उसके लक्षणों का विकास करना होगा।

श कोप अथवा निबन्धनरी के अनुसार पेशा वह व्यवसाय है जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति किसी विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देश मार्ग-दर्शन अथवा परामर्श देता है।

हाज एवं ज्ञानमय के अनुसार पेशा एक व्यवसाय है जिसके लिए कुछ विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है जिसे समरूपता की उच्च डिग्री द्वारा समाज के एक सम्बन्धित वर्ग की सेवा के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

तुम्स एं टेलन ने लिखा है एका एक विशिष्ट प्रकार का कार्य है जिसका निष्पादन क्रमबद्ध ज्ञान तथा सामान्य श्रदावली के प्रयोग से किया जाता है और इसके लिए कुछ निश्चित प्रमाणों तथा मापदंडों द्वारा प्राप्त मस्था द्वारा प्रतिपादित एक आचार संहिता की आवश्यकता होती है।

लुईस डी ब्राँटिस के अनुसार प्रबन्ध को एक पेशे के रूप में तभी परिभाषित किया जा सकता है जबकि प्रबन्ध काय में प्रथम विद्यमान है—

(i) बौद्धिक प्रकृति की प्रबन्ध प्रशिक्षण व्यवस्था का अस्तित्व (ii) अथ व्यक्तियों के लिए प्रबन्ध क्षेत्र में प्रवेष्ट (iii) विनीय पुरस्कार को ही सफलता का मापदण्ड माना जाता।

प्रबन्ध एक पेशा है—इन विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पेशा आजीविका का एक साधन है जिसके लिए ऐसे प्रारम्भिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिसमें प्रबन्धीय ज्ञान तथा कायकीयन का समावेश हो जो केवल व्यक्तिगत स्वायत्तता पर आधारित न होकर दूसरे के स्वाभाव पर आधारित हो तथा जिसकी सफलता का एक मात्र मापदण्ड केवल द्वितीय पुरस्कार न हो। यदि हम प्रबन्ध को पेशा की उपरोक्त परिभाषाओं और विशेषताओं के साम्य में देखें तो हमें प्रबन्ध को पेशा स्वीकार करने में कोई शिचक नहीं होना चाहिए। आज प्रबन्ध विद्या के समुचित सिद्धांतों का विकास हो चुका है और प्रबन्ध के लिए संबन्धित ज्ञान भी उपलब्ध है। प्रबन्ध विद्या तो तकनीकी तथा विधियों के औपचारिक प्रशिक्षण के लिए दश विदेश में बड़े पैमाने पर प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाने लगी है। भारत में प्रबन्ध शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सरकारी एवं निजी संस्थाएँ कलकत्ता मद्रास बम्बई हैदराबाद आदि में स्थापित की गई हैं। विदेशों और समृद्ध देशों में तो प्रबन्ध की अपनी प्रतिनिधि संस्थाओं का अस्तित्व है ही भारत जस विकासशील देशों में भी प्रबन्ध का अपनी प्रतिनिधि संस्थाओं का गठन करना शुरू कर दिया है और उनकी भी आचार संहिताओं का स्तिमाण किया जा रहा है।

अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने प्रबन्ध को एक स्पष्ट पेशे के रूप में माना है और उसकी निम्नलिखित पाँच विशेषताओं का उल्लेख किया है

- (i) प्रबन्धीय ज्ञान समूह का हस्तांतरण किया जा सकता है। हम प्रबन्ध विद्या को समझ सकते हैं और व्यवहार में उनका प्रयोग कर सकते हैं।
- (ii) प्रबन्ध की अपनी वैज्ञानिक विधि है। ऐसी निश्चित विधियाँ हैं जिनके आधार पर प्रबन्धीय कार्यों को सम्पन्न किया जा सकता है और प्रबन्धीय कार्यों का नष्टव सम्भव है।
- (iii) प्रबन्ध एक ऐसा पेशा है जिसमें चातुर्य और साधन आवश्यक हैं जिन्हें प्रबन्धक अपने कार्यों तथा दायित्वों को पूरा करने के लिए काम में लाता है।
- (iv) प्रबन्ध एक ऐसा पेशा है जो नतिक आचार संहिता पर आधारित है जो आचार अथवा स्पष्ट पेशेवर प्रबन्धक हैं व नतिक आचार संहिता के आधार पर काम करते हैं।

- (v) प्रबंध एक ऐसा पेशा है जो अद्य किसी भी ज़ेष्ठ पेशे के समान अनुशासन के गुणों में युक्त है। अद्य पेशा का तरह प्रबंध भी काय नि पावन और न्याय कुशलता के लिए पूरी तरह अनुशासनबद्ध रहते हैं।

अभी कुछ ही समय पूर्व भारत सरकार ने श्री राजिस्टर सचवर की अध्यक्षता में एक समिति (सचवर समिति) नियुक्त की थी जिसने अक्टूबर 1978 में प्रकाशित अपने प्रतिवेदन में पेशेवर व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। इस समिति के अनुसार पेशेवर प्रबंधक वह व्यक्ति है जो—

(क) (i) विधि लेखाशास्त्र धातुविज्ञान अभियांत्रिकी या वास्तुकारिता पेशे से सम्बन्धित हो (ii) किसी ऐसे मायता प्राप्त पेशेवर संस्था का सदस्य हो जिसको अपने सदस्यों पर पर्यवेक्षण का अधिकार हो अथवा (iii) जो किसी मायता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से प्रबंधकीय उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त किए हुए हो अथवा (iv) जो किसी मायता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त किए हो और जिसे अधिशासी के रूप में किसी कम्पनी निगम या सरकार में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो अथवा

(ख) जो किसी कम्पनी निगम या सरकार में अधिशासी के रूप में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो।

पेशेवर प्रबंधक की जो परिभाषा सचवर समिति ने दी है वह सचमाय नहीं है। सचवाय तयारि परिभाषा की दिशा में एक संग्रहनीय प्रयाग अवश्य है। यदि हम इस परिभाषा को ग्रहण करें तो एक पेशेवर और एक गर पेशेवर प्रबंधक में स्पष्ट अन्तर कर सकत हैं।

उपर्युक्त परिभाषाग और स्पष्टीकरण इस मत की स्थापना करते हैं कि प्रबंधक एक पेशा है। वही व्यक्ति सफ न प्रबंधक बन सकता है जिसे प्रबंध विज्ञान के विद्याग का अज्ञान हो और जिसके पास प्रबंध ज्ञान का समुचित भण्डार हो जिसका नैतिक स्तर ऊचा हो और जो दूसरों को प्रभावित करने में समथ हो। पूर कि प्रबंध धाज एक पेशे के रूप में स्थापित हो चुका है अत कुशल प्रबंधक अपने काय के बन्ने में पारिश्रमिक तो नना ही है। र माय ही मेवा-तत्व का अधिक महत्व देता है। लॉरेस एण्ड ने लिखा है — प्रबंध पेशा बन चुका है। हारवड यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व अध्यक्ष लावन क शागो ने प्रबंध एक वृती कला कि तु सबसे जवान पेशा है।

प्रबंध एक पेशा नहीं है—अनेक विद्वान् प्रबंध को एक पेशा मानने के मत से सहमत नहीं हैं। उनका तक है कि प्रबंध में पेशे की सभी विशेषताएँ नहीं पाई जाती। हेरोल्ड अमरिने रिच एण्ड हटसे ने लिखा है यद्यपि प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हो रही है तथापि यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रबंध

अभी पूरा एक पेशा नहीं है। हाँ अब मानस के शोध में चूँकि प्रबन्ध अभी पेशे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता अतः उसे पूरा पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उर्वरक में कुछ मध्यवर्ती माग प्रपत्तियाँ हुए दिखाई हैं। यद्यपि प्रबन्ध विज्ञान में पेशे के समस्त नभरण विद्यमान नहीं है तथापि यह विज्ञान पेशे की कुछ विशेषताओं को ग्रहण या सम्मिलित करने में तत्पर है।

यद्यपि प्रबन्ध कुछ दृष्टियाँ से पेशे की विशेषताओं को ग्रहण करता जा रहा है तथापि वैज्ञानिक अर्थ में इसे पेशा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार एक वकील डाक्टर इंजीनियर या चाटुकार अकाउंटेंट का एक पेशा होता है उस रूप में प्रबन्ध पेशा नहीं है। अभी न तो प्रबन्ध चातुर्वर्षीय पूरा विकसित हो पाया है और न ही प्रबन्ध सेवा का स्थापना हो पाई है। पेशे के सम्बन्धों के लिए जिस प्रकार एक सामान्य आचार महिमा होती है वसी आचार महिमा प्रबन्ध क्षेत्र में विकसित नहीं हो पाई है। प्रबन्ध क्षेत्र में प्रवेशाधिकारों के लिए कोई एक रूढ़ विधि नहीं है। एक डाक्टर वकील या इंजीनियर का विशिष्ट प्रमाण पत्र दिया जाता है जबकि प्रबन्धकों के लिए किसी प्रकार का विशिष्ट प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है। पेशेवर प्रबन्ध परामर्शदाताओं का अभाव भी खटकने वाला है।

प्रबन्ध का पेशे के रूप में विकास होना—प्रबन्ध का पेशे होने न होने के सम्बन्ध में जो विवचन ऊपर किया गया है उसमें हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रबन्ध का अभी विशुद्ध रूप में पेशे के रूप में पूरा विकास नहीं हुआ है किन्तु शान्त मन उसका पेशे के रूप में विकास हो रहा है अर्थात् वह पेशे की कुछ विशेषताओं को यूनानिक रूप में ग्रहण करता जा रहा है। चूँकि प्रबन्ध में पेशे जसी कुछ विशेषताएँ पाई जाने लगी हैं इसीलिए कुछ विद्वानों और संस्थान प्रबन्ध का पेशे के रूप में मान्य लगे हैं और अमेरिका में नेत्रो-एसासिएशन ने तो प्रबन्ध को एक वध पेशा स्वीकारा है। जो भी हो प्रबन्ध अभी पेशा बना नहीं है हाँ पेशा बनता जा रहा है। स्टेले वॉस के अनुसार प्रबन्ध की पेशे के रूप में विकसित करने में अनेक घटक उत्तरदायी सिद्ध हुए हैं यथा—स्वामित्व का नियंत्रण सफलतापूर्वक नागरिकों को शापण से बचाने के लिए व्यवसाय के सम्बन्ध में राजकीय नियमों का लागू होना व्यवसायियों में सामाजिक प्रतिष्ठा की बन्ती हुई इच्छा-सम-सघ आंदोलन का विकास होना वैज्ञानिक प्रबन्ध दर्शन की विचारधारा का महत्त्व कम हो रहा है।

भारत में प्रबन्ध एक पेशे के रूप में—प्रबन्ध के विकसित और उद्योग प्रधान देशों की तुलना में भारत की अर्थ व्यवस्था अभी विकासशील अवस्था में है तथापि यहाँ भी प्रबन्ध एक पेशे के रूप में तत्परी से विकसित होने लगा है। सर जम्स लिन्से का मत है भारत में जिस रूप में औद्योगिक संपन्न विकसित


हो रह है उससे यही प्रतीत होता है कि यहाँ पेशाकारी प्रबंध (Professional Management) केवल अस्तित्व में ही नहीं आया है बल्कि शीघ्रता से विकास को प्राप्त कर लेगा। भारत में ग्राल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने जिस प्रबंध का दोहन को आरम्भ किया है उसमें यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र की रचि निरन्तर बढ़ती जा रही है। देश में प्रबंध शिक्षा की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। विशिष्ट प्रबंधकीय सवाधो का प्रयोग बढ़ रहा है तथापि पेशा व प्रबंध की प्रवृत्ति को वह प्रोत्साहन अभी नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था। परम्परागत यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र प्रबंध विज्ञान के विकास में बाधक है। निजी क्षेत्र का तुलना में सावजनिक क्षेत्र के उद्योगों में पेशेवर प्रबंधकों का महत्व बढ़ता जा रहा है।

जो प्रवृत्तियाँ देश में गतिशील हैं उनसे यही सन्त मिलता है कि निवट भविष्य अथवा आन वाले कुछ दशकों में भारत में प्रबंध का उमी तरह पेशे के रूप में विकास हो जावेगा जिस रूप में आज प्रमारका इग्लड जापान या जर्मनी में है।

4 प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में

(Management as a Social Responsibility)

उद्योगों का व्यवसाय के विकास के साथ साथ प्रबंध का क्षेत्र भी बढ़ता रहा है। 19वीं शताब्दी में परम्परागत प्रबंध (Traditional Management) का बोधनाया और व्यवसाय में प्रबंध व स्वामित्व दोनों एक ही होते थे। उस समय प्रबंध का काय स्वामित्व व उद्देश्य की पूर्ण करना था अर्थात् स्वामित्व क लाभ को अधिकतम करना था। परंतु 20वीं शताब्दी में अनेक तकनीकी एवं राजनीतिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पेशेवर प्रबंधकों तथा अथ विशेषज्ञों को जन्म दिया है। व्यवसाय के क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों से प्रबंधकों के उत्तरदायित्वों में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। अब आधुनिक प्रबंध का दायित्व न केवल उसके स्वामित्व के हितों की रक्षा करना है बल्कि उसे सन्धान में कायरेत कामचारियों समाज सरकार एवं उपभाक्ताओं के हितों की रक्षा भी करनी होगी। समाज के इन विभिन्न वर्गों के प्रति प्रबंधकों के दायित्वों को प्रबंधकों के सामाजिक दायित्वों (Social Responsibilities of Management) के नाम से पुकारा जाता है। प्रो. बनर्जी ने व्यवसाय में पाए जाने वाले हितों की विभिन्नता (Diversity of interest) को बताते हुए प्रबंधकों के सामाजिक दायित्वों का विवरण अग्रलिखित रूप में किया है¹—



प्रवचक को सामाजिक दायित्व को पूरा रूप से निभाहने के लिए पूर्ण उत्साह एवं ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। स्वामियों द्वारा यह भाव की जानी है कि उन्हें अधिकारिक लाभ प्राप्त मिले। कर्मचारियों द्वारा ऊँचा मजदूरी तथा कम काय क घण्टे एवं अय लाभ की माग की जाती है। समाज यह चाहता है कि प्रवचक अधिकारिक वस्तुओं का उत्पादन करें तथा समाज के उत्थान हेतु शिक्षण सम्बन्धी घमशास्त्रों अस्वभाव्यां प्राप्ति हेतु अधिक दान दें। सरकार यह चाहती है कि प्रवचक प्रोत्साहित विकास की नीति का पालन करें तथा सरकार का नियमन मान्य करे। प्राप्ति का नियमित व ईमानदारी से मुग्नान करें। उपभक्ता या ग्राहकों की भाव यह होगी है कि उन्हें प्राप्ता से मस्ती कीमत पर अच्छी वस्तु मिल जाए। इस प्रकार हिता की विभिन्नता में एक प्रवचक का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह सभी के हिता का ध्यान रखे तथा इन सन्तुलन रखने का प्रयास करे।

तथा पर स्वामी अधिकार व्यवसाय के प्रवचक हात में उन देशों में स्वामी के उद्देश्य अर्थात् लाभ के उद्देश्य की पूर्ति होती है तथा अय उद्देश्य एवं हिता का उपभोग की जाना है। इसमें मजदूरी का निम्न स्तर काय की अस्वभाव्यता दनाए अधिक ऊँची कीमतें मित्रावटकारी करा की चारों सामाजिक कार्यों हेतु बहुत कम चर्चा प्राप्ति प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। भारत जैसे विकासशील देश में तथा प्रवचक का एक व्यवसाय के रूप में पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। यह प्रवृत्तियां हम देखने को मिलती हैं। लेकिन हाथ में हमारे युवा प्रवचक की ना राजीव पाषी के अर्थात् अधिक कार्यक्रम के अन्तर्गत इन बुराया का जड़ से उखाड़ फेंकने का सफल किया गया है। सभी प्रवचक का दायित्व है कि वे इन बुराया को समाप्त करके प्रवचक का एक व्यवसाय के रूप में विकसित करने में अपना योगदान प्रदान करें।

स्वर्गीय प्राप्ति एवं अर्थात् न भी अपने लेख में बहुत व्यवसाय उद्देश्य (Pluralistic Business Goal) का दो वर्गों में विभाजित किया है¹—

1 **संगठनात्मक उद्देश्य (Organisational Goals)**—इसके अन्तर्गत प्रवसाय से प्राप्त लाभ (Profit) प्रवसाय का विस्तार (Expansion) एवं नव प्रवर्तन (Innovation) आदि उद्देश्य सम्मिलित किए जा सकते हैं।

2 **गैर संगठनात्मक उद्देश्य (Non organisational Goals)**—इसके अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण जैसे ऊँची मजदूरी, सतोपप्रद कार्य की दशाएँ उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की सस्ती वस्तुएँ प्रदान करना सरकारी नीतियाँ एवं कार्यक्रमों में त्रिया वयन में सहयोग प्रदान करना तथा सरकार द्वारा लगाए गए करा का निवृत्ति बंधन रूप में भुगतान करना और समाज के कल्याणकारी कार्यों जैसे शिक्षण संस्थाएँ रोजगार अस्पताल वस्तुओं का अधिक उत्पादन आदि में हाथ बढ़ा कर समाज की सेवा करने आते हैं।

अतः उपरोक्त दोनों प्रकार के प्रवसाय के उद्देश्यों के प्रति प्रबंधक का उत्तरदायित्व है। सफल प्रबंधक बनी माना जाता है जो कि इन विरोधी नीतियों में समन्वय एवं सन्तुलन स्थापित करके समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करता है और अपने दायित्वों की निभाता है। इस प्रकार प्रबंधक का कर्तव्य है कि प्रवसाय से प्राप्त प्रतियोगिता का समान रूप से इन प्रकार वितरण कर कि शेयरधारकों को उचित लाभों का वितरण तथा उचित वेतन एवं कार्य की दशाएँ प्रतिकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं हेतु उचित कामकाज और सामाजिक रूप से प्रवसाय इस प्रकार से स्थानीय समाज तथा राष्ट्र के लिए एक परिमर्पण (Assets) बन जाए।

प्रबंध एक कला एवं विज्ञान के रूप में

(Management as an Art & a Science)

प्रबंध विज्ञान है अथवा कला इस जानने के लिए हमें विज्ञान एवं कला का अर्थ जानना आवश्यक है। सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसमें अवलोकन व प्रयोगों का आधार माना जाता है तथा कारण एवं परिणाम के सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है। कला का अर्थ इस सुव्यवस्थित ज्ञान को व्यावहारिक उपयोग में लाना है।

जो व्यक्ति प्रबंध को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं उनका कथन है कि प्रबंध एक नवीन एवं विकासमान विज्ञान है। अभी इसके सिद्धान्तों का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। प्रबंध के जो भी सिद्धान्त पूर्ण रूप से विकसित हो गए हैं उनमें कारण एवं परिणाम के सम्बन्ध का अध्ययन किया जा सकता है और ये सिद्धान्त वास्तविक अनुभवों प्रयोगों परीक्षणों एवं व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित हैं। अतः सबसे स्पष्ट है कि प्रबंध एक विज्ञान के रूप में अपने विभिन्न सिद्धान्तों तकनीकों नियमों आदि के साथ विकसित हो रहा है।

इसके विपरीत वे व्यक्ति आते हैं जो प्रबंध विषय को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी धारणा है कि प्रबंध समाज विज्ञानों के अन्तर्गत

आता है क्योंकि मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन हान सं प्रबंध भौतिक एवं रासायनिक विज्ञानों की भाँति एन निश्चित विज्ञान (Exact Science) नहीं माना जा सकता। प्रबंध के सिद्धांत गुरुवाक्यण के सिद्धांतों की भाँति निश्चित नहीं हैं। उनकी तुलना ज्वार माटा के सिद्धांतों से की जा सकती है। विभिन्न स्थानों की संयुक्त संस्कृति सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों भिन्न भिन्न कारणों एक दशक के प्रबंध के सिद्धांत हमारे देश में सही रूप में लागू नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए प्रबंध को विज्ञान नहीं मानना चाहिए।

फिर भी हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक नवीन विकसमान विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रबंध विज्ञान भौतिक एवं रासायनिक विज्ञानों की भाँति एक निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें मानव व्यवहारों का अध्ययन है। प्रबंध विज्ञान को चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग विज्ञानों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनमें मर्यादित एवं यावत्कारिक ज्ञानों के ज्ञान की आवश्यकता होती है।

प्रबंध को कला एवं कलागत प्रबंध के सिद्धांतों नियमावली विधियाँ तकनीकी विशेषणों आदि का यावत्कारिक उपयोग माना है। इसके अंतर्गत प्रबंध मानव व्यवहार जीवन दान और वित्तीय शक्ति आदि प्राप्त करके व्यवहार में अधिक प्रभावपूर्ण प्रबंध बनाने में सफल होते हैं। इस प्रकार कला पहलू के अंतर्गत प्रबंधन मर्यादित ज्ञान सामग्री को व्यवहार में अपनाता है।

19वीं शताब्दी तक प्रबंध विषय को कला ही माना जाता था लेकिन अज्ञानता के शताब्दों में विश्वकोश विज्ञान महायुद्ध के पश्चात् इस विज्ञान को माना जाने लगा है। यद्यपि प्रबंध का विज्ञान पहलू उतना शुद्ध एवं निश्चित (Pure and exact) नहीं है जितना भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान है क्योंकि प्रबंध में मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, निश्चित निश्चित सीमाओं एवं प्रयोगों में नहीं बांधा जा सकता फिर भी प्रबंध एक विज्ञान है। इस प्रकार प्रबंध के विज्ञान पदों द्वारा सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण किया जाता है और कला पहलू उनका प्रबंध के क्षेत्र में लागू करता है। अतः प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि विज्ञान जानना तथा कला करना सिखाती है। एक कुशल प्रबंधक हेतु दोनों ही पहलू उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार एक चिकित्सक के लिए चिकित्सा का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान।

प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में
(Management as a Dynamic Process)

आधुनिक समय में किसी भी उपक्रम या मस्यान में प्रबंध अपने पूर्व विद्यमान कार्यों जैसे—नियोजन संगठन अभिप्रेरण निर्देशन समय एवं

नियंत्रण आदि को एक दिए हुए ढंग से सम्पन्न करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह निरंतर विश्लेषण, निणयन, मूल्यांकन एवं कार्य करने की एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध मनी कार्यो को प्रतिनिधित्व देवता रहता है तथा परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन एवं सुशोधन करता है। यही नहीं प्रबंध उद्योग अथवा व्यवसाय के प्रत्येक स्तर के लिए आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक गतिशील एवं मूजना मक प्रक्रिया है।

प्रबंध एक गतिशील प्रणाली या पद्धति के रूप में
(Management as a System)

प्रबंध का एक पद्धति अथवा प्रणाली के रूप में अध्ययन महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। इस विचारधारा का विकास मन ल्पभण पाँच दशकियों से हुआ है और इस विकासित करने का प्रमुख अय समुक्त राज्य अमेरिका को है। वहाँ 1967 में सांख्यिकीय प्रबंध पर राष्ट्रीय कमीशन (National Institute on Public Management) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य बरोजगारी जन कल्याण शिक्षा आदि की तरह अर्थ राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंधकीय पद्धतियों और तकनीक की पर्युक्ति का अध्ययन करना है। यह कमीशन एसी पद्धति अथवा विधि के लिए सिफारिश करता है जिसके माध्यम से प्रबंध तकनीक का लागू किया जा सके।

प्रबंध-ज्ञान में प्रणाली विचारधारा का इतिवृत्त सामान्यतः यह है कि अथ पन्थ विज्ञान और जीवविज्ञान प्रणालियों की भाँति प्रबंध प्रणाली भी व्यक्ति-समूह के मध्य सम्बन्धों का एक औपचारिक संगठित एवं व्यवस्थित मिश्रण है अर्थात् प्रत्येक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें परस्पर औपचारिक सम्बन्ध होते हैं और उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्रियाओं का कोई एक पृथक उद्देश्य नहीं होता बल्कि सभी व्यक्तियों की क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य संगठन के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करना होता है। प्रबंध विज्ञानिकों का अभिप्राय है कि प्रबंधन को प्रत्येक व्यक्ति की क्रियाओं को एक अग्र के रूप में तथा सभी व्यक्तियों की क्रियाओं को समुक्त रूप में एक प्रणाली के रूप में मानना चाहिए और इसी आधार पर प्रबंधन कार्य करना चाहिए। प्रबंधनीय प्रणाली का विचारधारा किसी एक पक्ष या पक्ष के स्थान पर सभी पहलुओं पर एकसाथ विचार करने का आग्रह करती है। दूसरे शब्दों में प्रबंध की प्रणाली विचारधारा में किसी एक ही भाग का अध्ययन नहीं किया जाता बरन् सभी भागों का अध्ययन किया जाता है अर्थात् यह सम्पूर्ण अध्ययन पर चलता है। अतः के प्रबंध विज्ञान ने यह मत प्रस्थापित किया है कि आधुनिक बहुस्तरीय उद्योगों और व्यवसायों की बनती हुई जटिल समस्याओं का सामना करने के लिए प्रबंधकीय विचारधारा को अपनाया जाना चाहिए। प्रबंधन को एक संगठन के

विभिन्न अंशों को अनग अलग न मानकर सम्पूर्ण संगठन की एक ही पद्धति या प्रणाली या व्यवस्था मानना चाहिए और तदनुसार कार्य करना चाहिए।

प्रबंध प्रणाली को पारिभाषिक रूप में स्पष्ट करते हुए सरलानाफी ने लिखा है एक प्रणाली अनेक "काइयाँ" का जो परस्पर सम्बद्ध होती है समूह है। मारटन के अनुसार प्रणाली विभिन्न भागों अथवा वस्तुओं का ऐसा संयोजन है जिनमें एक जटिल इकाई का निमाण होता है। जान ए वेकट के मत में प्रणाली अर्थात् क्रियाशील प्रणालियों का समूह है। वेमूरटि मंत्र कर्ता है कि प्रणाली परस्पर सम्बद्ध भागों का एक समूह होती है। जिस प्रकार अणु-परमाणुओं की एक प्रणाली होती है अथवा व्यक्ति व अंशों की एक प्रणाली होती है और समूह प्रणालियों की प्रणाली होती है ठीक उसी प्रकार प्रबंध को अनेक भागों अथवा अथवा उप प्रणालियों का एक संगठन माना जाना चाहिए। वेमूरटि चर्च में न इसलिए लिखा है कि प्रणाली में या अनेक सम्पूर्ण प्रणाली एक अनेक अंशों के द्वारा प्रयोजन की विधि है। प्रबंध प्रणाली की विचारधारा संगठन या संस्थान की सभी क्रियाओं को एकीकरण और समन्वय पर ध्यान देती है और साथ ही उप प्रणालियों या विभिन्न भागों के पूर्ण विकास की ओर भी अपना पूरा ध्यान देती है। इसी विचारधारा को हम वैज्ञानिक भाषा में प्रबंध एक पद्धतिक रूप में (Management as a System) अथवा प्रबंध में प्रणाली विचारधारा (System Approach to Management) कहते हैं। प्रबंध प्रणाली विचारधारा में सर्वप्रथम प्रणाली का परिभाषित अथवा निश्चित किया जाता है और तत्पश्चात् उद्देश्य निश्चय और वैचारिक उप प्रणालियों का निर्माण तथा सभी भागों या उप प्रणालियों का व्यवस्थित एकीकरण करना होता है।

प्रबंध जगत् में साधारणतः बंद एवं खुला (Closed and Open) प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। डॉल और ब्राशवार्ड ने बंद प्रणाली को सूचना संचय प्रणाली (Information tight System) का नाम दिया है जिसके अन्तर्गत ममस्त क्रियाओं पर प्रबंध का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके विपरीत खुली प्रणाली में प्रबंध का समस्त क्रियाओं पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है। बंद प्रणाली का वातावरण सख्त परस्पर सम्बद्ध नहीं होता है कि खुली प्रणाली का वातावरण से परस्पर सम्बद्ध होता है।

प्रबंध का क्षेत्र

(Scope of Management)

प्रबंध का क्षेत्र व्यापक है। जहाँ किसी कार्य करने हेतु सामाजिक प्रयत्न किए जाते हैं तथा उसके लिए नियोजन संगठन अभिप्रेरण निर्देशन समन्वय एवं नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है व प्रबंध प्रणाली अत्यन्त अथवा अग्रगण्य रूप से प्रयुक्त की जाती है। यही कारण है कि प्रबंध का कार्य क्षेत्र व्यक्ति के परिवार में

भी है ता श्रम भी है। मॉरर मस्जिद चर्च शिथिल सस्याण अस्पताय धार्मिक व सामाजिक उत्सव युद्ध औद्योगिक प्रतिष्ठान काइ भी क्षेत्र प्रबंध क उपयोग के विना नो बनाया जा सकता है।

मानस्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र म भा प्रबंध के क्षेत्र की व्यापकता का अनुमान उन विभिन्न विद्याशा से लगाया जा सकता है जिनम प्रबंध एक विशिष्ट विषय के हाने प्रयुक्त किया जाता है। कार्यालय प्रबंध (Office Management) उत्पादन प्रबंध (Production Management) विपणन प्रबंध (Marketing Management) कार्मिक प्रबंध (Personnel Management) वातायान प्रबंध (Transport Management) वित्तीय प्रबंध (Financial Management) क्रय प्रबंध (Purchase Management) तकनीकी प्रबंध Technical Management) आदि व क्षेत्र है जो प्रबंध सिद्धान्त प्रबंध प्रणालिया एवं प्रबंध प्रतिष्ठा का पूण रूप से उपयोग किया जाता है। प्रबंध का वायभे। इतना विस्तृत एवं व्यापक बन गया है कि हमसे को भी सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक घांशिक यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र अछता नया रह सकता है। किसी न किसी रूप म प्रबंध प्रक्रिया म प्रबंध सिद्धान्त एवं प्रबंध प्रणालिया का उपयोग किया जाता है। प्रामुख्यतः प्रबंध का एक सामाजिक प्रक्रिया बताया है क्योंकि इसका सम्बंध समाज म रचन वान विभिन्न शक्तियों के सम्बंध का अध्ययन करन से है। प्रोक्टर के अनुसार प्रबंध तीन प्रकार के कार्य करता है।¹

1 व्यवसाय का प्रबंध (Managing a business)

2 प्रबंधकों का प्रबंध (Managing managers)

3 श्रमिका और कार्य का प्रबंध (Managing workers and work)

उपरोक्त तीना कार्यों का अलग अलग अध्ययन विशयगत एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर भा प्रबंधक क एक नियम से तीना कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। प्रथम कार्य का सम्बन्ध व्यवसाय की आर्थिक कुशलता म है। प्रबंधक का यत्न कर्त है कि वह व्यवसाय की आर्थिक कुशलता को बनाए रखे। दूसरे कार्य क अंतगत प्रबंधक मानवीय और भौतिक साधनों को संगठित करके निर्देशन व नियंत्रण के माध्यम से उत्पादन का प्राप्ति करवा है। तीसरा कार्य श्रमिकों के कार्यों का विवरण करके तथा उन्हें निर्देशन देन से सम्बंध रखता है।

व्यवसाय का प्रबंध करन सम्बन्धी कार्य प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है क्योंकि व्यवसाय एक आर्थिक समस्या है जबकि प्रबंधक का प्रबंध श्रमिका और कार्य क प्रबंध का सम्बंध सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति से है। अतः इन तीना कार्यों म आर्थिक शक्ति रखता है। अतएव ये दोना कार्य प्रबंधक क सामाजिक

दायित्व (Social Responsibilities of Management) को आर सकेत करते हैं। र तीरो काय एक टनरे से जुं हुं हैं। जब नी कोई प्रब वक कोई कम्प उठाना है ता तीना काय प्रभावित हां है। इन तीनो पर जोर न्त हुए आग प्रा डकर न लिखा है कि यदि इनम स एक का भी छाड दिया गया हाता तो इम प्रब व अधिक आवश्यक नही हाता और हम एक अवसाय नही करना पडता और न ही औद्योगिक समाज होता।¹

अत हम कह सकत हैं कि वर्तमान समय म मानवीय आवश्यकताप्रा की पूर्ति हेतु सामूहिक रूप से काय करना पता है तथा आधुनिक आद्योगिक एवं आवाययिक विकास क परिणामस्वरूप प्रब व एव स्वामित्व का अर्थ प्रय वग पनपन गे हैं। एमी परिवर्तनया म मानव जीवन क प्रत्येक क्षत्र म प्रब व की विमी न किती रूप म प्रयुक्त किया जाना परमावश्यक है।

प्रबंध के सिद्धांत (Principles of Management)

प्रबंध का अध्ययन करत सप्रय प्रब व के सिद्धांत का अध्ययन मूर्खवृष्ट है। जहाँ भां दा या दा स अधिक व्यक्ति निर्धारित नक्ष्य का प्राप्ति क लिए प्रय न करेग वहाँ प्रब व के सिद्धांत की आवश्यकता स्वत ठ खडी होगी। प्रब व के सिद्धान्तों की आवश्यकता पल भी थी आज भा है और भविष्य म भी रहेगी। पन् नी तुना म इ सिद्धांतों की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा र्नी है—आकि प्रब व के क्षेत्र म त्रानि न रही है—आए नि परिवर्तन हो रह है। प्रब व के सिद्धांतों की आवश्यकता निम्न दृष्टियां से—

- (1) पब वकीय काय कुशलता म वृद्धि के लिए
- (2) प्रब व का प्रवृत्ति का समझन के लिए
- (3) अनुमेयानक्ष्य म सुधार जाने क लिए एवं
- (4) सामाजिक नक्ष्यो नी प्राप्ति क लिए।

जब प्रब व के सिद्धांतों का अनुमानन किया जायगा तो प्रब वकीय काय कुशलता म व वृद्धि हो। अत्रिक काल म प्रब व सिद्धान्तों के अनुपादन अथवा प्रयोग से प्रब व म समस्याओं के समाधान म मायमक रखाओ का प्रयोग करके प्रभावी सिद्धांत सक्त है और उसे पुरानी परिमपूण तथा जातिम भरी और तीं तुवके वाली विधियां पर निभर नही रना पडगा। अब प्र एक व्यापक अवधारणा है जिसके विचार से प्रब व का अर्थ या प्रब व के सिद्धांतों का अर्थ भाति अर्थ प्रयन र निया जाता है ता प्रब व के अर्थ और उमकी प्रकृति को

1 If one of the we omitted we would have management any me d we also not have business and social socety —P F Druk The Pact of Management P 17

अपभाहित सुगमता और स्पष्टता के साथ समझा जा सकता है। कूण्टज़ तथा आर्नोल्ड ने त्रिआ प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध-नस्खों की एक पाच सूची के रूप में काय करत हैं। प्रबंध सिद्धांत का अभाव में प्रबंधों का प्रशिक्षण तीर-बुद्धि की पद्धति पर आधारित होगा। प्रबंध सिद्धांत का विकास होने से सामाजिक नदियों की प्राप्ति की शिक्षा में गतिशीलता प्राप्त होगी है। प्रबंधकीय कार्य कुशलता में वृद्धि होती है प्रसाधना का अधिकतम सदुपयोग हो पाता है और फलस्वरूप प्रबंध का ममान का सांस्कृतिक स्तर पर क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांत का अध्ययन अनुपालन में कमचारियों तथा मनीषक प्रबंधकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि करवाना सुगम होता है। इसके आधार पर प्रबंधक युनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन सम्भव बनाना है। प्रबंध सिद्धान्तों की आवश्यकता अनुसंधान-कार्यों में सुधार लाने के लिए भी है। उक्तिगो के स्वभाव उनकी श्रद्धता शारीरिक अवस्थाओं, मनावनातिक धारणाओं और प्रशिक्षण आदि का अध्ययन करने में प्रबंध सिद्धांत की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है।

प्रसिद्ध फ्रेंच उद्योगपति हेनरी फयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जिनका उदाहरण पुस्तक में यथास्थान किया जा चुका है। हेनरी फयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध सिद्धान्तों के अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांत भी विद्वानों ने बतनाए हैं जिनमें मुख्य ये हैं —

- 1 उद्देश्य का सिद्धांत
- 2 नियोजन का सिद्धान्त
- 3 नीति निर्धारण का सिद्धांत
- 4 अर्थवाद का सिद्धांत
- 5 प्रमाणीकरण का सिद्धांत
- 6 नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत

उद्देश्य का सिद्धांत बताता है कि किसी भी संस्था-अथवा-संगठन के उद्देश्य पर तरह स्पष्ट हान चाहिए और सभी कमचारियों को उन उद्देश्यों की समुचित जानकारी देनी चाहिए ताकि वे उनकी प्राप्ति के प्रयत्नों में असमंजस्य की स्थिति में न रहें। संस्था अथवा संगठन के सभी कार्य बंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने चाहिए।

नियोजन के सिद्धांत की भाँति है कि संस्था या संगठन के सभी कार्य पुनर्निर्धारित योजना अनुसार किए जाने चाहिए। नियोजन विभाग को योजना निर्माण के समय संस्था या संगठन का उपलब्ध उपकरण साधना भाँती परिस्थितियाँ आदि को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। एक अच्छे नियोजन अच्छे प्रबंध की पूर्व आवश्यकता है। अच्छे नियोजन के अभाव में प्रबंध से उत्तम परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते।

नीतियाँ नियोजन का प्रमुख तत्त्व अथवा अंग होनी हैं अतः प्रबन्धक के लिए यह नितात आवश्यक है कि वह निर्धारित उद्देश्य या नया कार्य की प्राप्ति के लिए निश्चित और स्पष्ट नीतियाँ निर्धारित करे। नीति निर्धारण का कार्य उच्च प्रबंधक होता है जिसे यह ध्यान रखना चाहिए कि नीतियाँ यावहारिक हों तथा वास्तविक तथ्याँ पर आधारित हों। उच्च प्रबंधक को सत्या या सगठन अथवा उपनम की आवश्यकताओं आंतरिक परिस्थितियों उपलब्ध साधनों भावी परिस्थितियों आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए और इस बात के प्रति पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि नीतियाँ निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों तथा कमचारियों के कार्य के लिए अभिप्रेरित करने वाली हों।

अपवाद का सिद्धांत जिसका प्रतिपादन एफ डब्ल्यू टेलर ने किया था यह बताता है कि प्रत्येक स्तर पर प्रबंधक को अपनी अधिकार सीमा के अंतर्गत आवश्यक निष्ठापूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी रहना चाहिए। केवल वही मामला उच्च प्रबंधक के लिए छोड़ जाना चाहिए जो उसकी समझ या अधिकार सीमा के बाहर हों। दूसरे शब्दों में कबल अपवादजनक मामलों ही उच्च प्रबंधक को समझ रख जाना चाहिए अथवा नियमित निष्पादित हो रहे कार्यों के बारे में उच्च प्रबंधक से अधिक पद्धतापूर्वक नहीं करनी चाहिए। उच्च प्रबंधक को केवल समय समय पर उनके निष्पादन की सूचना दे देना ही पर्याप्त है।

प्रमापीकरण का सिद्धांत की मायता है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके प्रमाण (Standards) निश्चित करने चाहिए और तत्पश्चात् उन कार्यों का निष्पादन उही प्रमाणों में आधार पर होना चाहिए। प्रमापीकरण के सिद्धांत के अनुपातन से कमचारियों की कार्यकुशलता बढ़ती है और निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है।

नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत का प्रतिपादन प्रकुनाज (Gracunas) को माना जाता है जिसने बताया है कि योग्य से योग्य प्रबंधक भी असह्य प्रतिक्रिया के कार्यों का नियंत्रण और निरीक्षण नहीं कर सकता अतः अधीनस्थों की आवश्यकता है। नियंत्रण के विस्तार का अभिप्राय अधीनस्था की उस संख्या से है जो जम पर एक प्रबंधक नियंत्रण रखता है। यदि किसी संस्थान या सगठन में तीन प्रबंधक हैं और प्रत्येक प्रबंधक अपनी योग्यतानुसार क्रमशः सात दस और पंद्रह अधीनस्थों पर नियंत्रण रख सकते हैं तो हम कहेंगे कि अमुक प्रबंधक के नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र सात अधीनस्थ है अमुक नियंत्रण के विस्तार का क्षेत्र 10 अधीनस्थ है और तीसरे का नियंत्रण विस्तार 15 अधीनस्थ है। प्रकुनाज की मायता है कि प्रायः को भी प्रबंधक अथवा अधिकारी प्रत्येक रूप से पांच और अधिक से अधिक 6 अधीनस्थों से ही उचित रूप में निरीक्षण नियंत्रण कर सकता है अन्य अधिकारियों को नहीं। कुछ प्रबंधकों के अनुसार एक अधिकारी तीन से लेकर छह अधीनस्थों

का नी निरीक्षण कर सकता है। इन अध्ययन के आधार पर हम अधिकारी शरीर निरीक्षण नियंत्रण किए जाने वाले अधीनस्थों की औसत संख्या 4 या 5 मान सकते हैं।

प्रव घ विज्ञान की आवश्यकता (Need of the Science of Management)

औद्योगिक एवं यावसायिक उद्यम में एम प्रामुलचून परिणतनों के परिणाम स्वरूप प्रव घ का एक विज्ञान के रूप में आविर्भाव हुआ है। विकसित राष्ट्रा जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि में इस विज्ञान के रूप में स्थान प्राप्त हो गया है। विकासशील देशों में भी इस मन्व को स्वीकार किया जाने लगा है तथा इसका द्वितीय प्रतिष्ठित विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। प्रव घ विज्ञान की आवश्यकता निम्न कारणों से उत्पन्न हुई है—

1 तकनीकी परिवर्तन (Technological Changes)—गत शताब्दी के मध्य से ही तकनीकी क्षेत्र में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं। उत्पादन के तरीके तथा वस्तु की प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है। अथम विभाजन विनिष्ठाकरण मशीनीकरण स्वचालन विवकीकरण आधुनिकीकरण आदि आधुनिक उत्पादन प्रणाली का अभिन्न अंग बन गए हैं। औद्योगिक एवं यावसायिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने में विविध कारणों के कारण प्रव घ मन्व को क्षेत्रों में बड़े-बड़े कानून बन गए हैं। अथमसय का विकास भी बड़ी संख्या में हुआ है। हस्ताने तात्कालिक मासूहिक सौ शरीर छटना धराव धारे काय करना आदि शारीर औद्योगिक पद्धति का अभिन्न अंग बन गए हैं। इन सभी कारणों से हम औद्योगिक अभियंता अथम अधिकारी लयाकार सारियकीविद् मनोविज्ञानविद् तथा अथम यावसायिक कमच रिया (Professional Personnels) की आवश्यकता मन्वूम हुई। इन सभी कारणों व मन्वय एवं नियंत्रण हेतु प्रव घ की आवश्यकता है। कि इन सभी के विषय में प्रव घ विज्ञान का ज्ञान रखा है।

2 साधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता (Need for Maximum Utilization of Resources)—स्वतः अथम यवस्था की प्रमुख विशेषता प्रतिक्रिया का विद्यमान होना है। प्रतिस्पर्धा में बड़ी उद्योग विजयी प्राप्त कर सकता है जो न केवल अर्थ के मान ही शरीर बकि अर्थी मशीनों व अर्थे प्रव घ भी रखे। इन सबके लिए एक मुख्य प्रव घ की आवश्यकता पड़ती है। साधन सीमित हात हैं उनमें बर्बाद एवं उपयोग हात हैं तथा आवश्यकता मन्वन्त होती हैं। आवश्यकताओं की अधिकतम सन्तुष्टि हेतु साधनों का उचित प्रकार से उपयोग किया जाय कि मन्वो कीमत पर अच्छी हिस्म की वस्तु की परि की जा सके। साधनों का अधिकतम उपयोग मन्वो एवं अर्थी वन्वो का परि, अर्थी मशीनरी व कच मान का उद्योग आदि हेतु वन्वो ज्ञान एवं शरीर का सहारा लना आवश्यक है और अथम प्रव घ विज्ञान की आवश्यकता होती है।

3 प्रबन्ध सिद्धांत की उपयोगिता (Usefulness of Scientific Principles)—प्रबन्ध प्रवर्धन में विभिन्न प्रबन्ध विज्ञानों की उपयोगिता में स्वरूप सिद्ध हुई है। प्रबन्ध सिद्धांतों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले उत्पन्न एवं उत्पादितता में वृद्धि हुई है। उत्पादित वस्तुओं की उपयोगिता एवं प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। उद्योग एवं व्यवसाय का विस्तार होने से समाज में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। अतः किसी भी उपक्रम के प्रबन्धक हेतु प्रबन्ध के सिद्धांतों का उतना ही महत्त्व है जितना एक व्यक्ति के हेतु सजरी के सिद्धांतों का है।

वस्तुतः इस बात का साक्ष्य है कि बी. ए. एच. प्रबन्ध सम्पन्न एवं उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने में सफल हुए हैं जिन देशों में प्राथमिक प्रबन्ध का ज्ञान एवं दक्षता का विकास हुआ है।

4 सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु (Accomplishing Social Responsibilities)—परम्परागत प्रबन्ध के अगत प्रबन्ध एवं समाज के पृथक् अस्तित्व नहीं था और प्रबन्धक का दायित्व स्वामित्व के अस्तित्व को रक्षित करना था। ऐतिहासिक प्रबन्ध एक व्यवसाय (Profession) के रूप में जन्म ले चुका है तथा स्वामित्व एवं प्रबन्ध दोनों अलग अलग हो गए हैं। प्रबन्धक का उत्तरदायित्व स्वामित्व के हितों की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि इसके उत्तरदायित्व बाहरी लोगों से भी है। प्रबन्धक का दायित्व उपक्रम की स्थापना करने उसका संचालन करने और लाभ प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उस उपक्रम में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अच्छा मान प्रदान करने वाली प्रतियोगिता उपभोक्ताओं समाज एवं राष्ट्र के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है। आज विनियोजक (Investors) अपनी पूंजी पर आधुनिक शर्तों पर चान्त है। कर्मचारियों को भी सजदूरी काय की मजदूरी दशा और अन्य लाभ चान्त है। उपभोक्ता मस्तों एवं प्रयोज्य वस्तु चाहते हैं। समाज वस्तुओं का अधिक उत्पादन, रोजगार के अधिक अवसर समाज के उत्थान हेतु शिक्षण संस्थाओं अस्पतालों घमशाशा आदि हेतु प्रत्येक उपक्रम का सहयोग चाहते हैं तथा सरकार द्वारा लगाए गए करों का नियमित एवं पूरा भुगतान चाहती है। इस प्रकार आधुनिक प्रबन्ध की आवश्यकता इन विभिन्न एवं परस्पर विरोधी हितों में समुचित समन्वय उत्तरदायित्वों को पूरा करने हेतु है। इन उत्तरदायित्वों का निभाना हेतु प्रबन्ध विज्ञान के सिद्धांतों एवं व्यवहारों की आवश्यकता है।

5 निर्वाह संचालन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु (Uninterrupted Working and Attaining Objectives)—किसी भी व्यवसाय एवं उद्योग के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा इसके पभावपूर्ण संचालन हेतु प्रबन्ध विज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रबन्ध विज्ञान के महत्त्व का स्वीकार करते हुए प्रो. कुटन एवं प्रो. ओ. डानेल ने निम्नलिखित शीर्षक प्रबन्ध से प्राप्त महत्वपूर्ण मानवीय क्रिया का कोई अन्य क्षेत्र नहीं है।

प्रबंध का यह कार्य है कि वह एगू क रूप में कार्य करने हेतु एक प्रा-तरिक बनावट की स्थापना कर एवं बनाए रखे जिसमें कि सामूहिक उद्देश्यों को प्रभाव पूर्ण एवं कुशलता से प्राप्त किया जा सके।¹ प्रबंधक भविष्य के बारे में अनुमान लगाता है योजना बनाता है संगठन का निर्माण करता है तथा विभिन्न मानवीय एवं भौतिक साधनों को जुटा कर कार्य में लगाता है। इसके परचात् इस क्रिया में निर्देशन समन्वय एवं नियंत्रण आदि के रूप में भी अपना योगदान देता है। मूल्यांकन करके पता लगाता है कि उपक्रम के उद्देश्यों को किस न मा तक पूरा किया जा चुका है।

प्रो. एरविंसन एवं प्रा. मयम ने प्रबंध के महत्व को तीन रूपा में बताया है—

1. प्रबंध को एक आर्थिक साधन (Economic Resource) के रूप में बताया है। जिस प्रकार भूमि, जल व पूंजी उत्पादन के साधन हैं उसी प्रकार प्रबंध भी एक साधन है लेकिन यह सब साधनों से अधिक महत्वपूर्ण है। जिन देशों में इस साधन की कमी होती है उस देश का अर्थव्यवस्था से आर्थिक विकास नहीं हो पाता है।

2. प्रबंध एक अधिकार सत्ता प्रणाली है (Management is a system of authority)। एक औद्योगिक समाज में प्रबंध के क्षेत्र में भी वग पाए जाते हैं—एक प्रबंधित (Managed) तथा दूसरे प्रबंधक। अतः प्रबंधकों का प्रबंधित करने हेतु अधिकार सत्ता भी ज़रूरी चाहिए। इस अधिकार सत्ता के अभाव में प्रबंधक एक निष्क्रिय साधन (Passive factor) बन जाता है तथा उद्योग अथवा व्यवसाय के लिए हुए उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। वास्तव में प्रबंधक नियम बनाने तथा लागू करने वाला एक वग है।

3. प्रबंध एक वग या वर्ग है (Management is a class or an elite)। एक औद्योगिक समाज में प्रबंधक एक छोटा सा समूह या वर्ग होता है। प्रत्येक देश में इनका मान अधिकार सत्ता होती है। एक पूंजीवादी समाज में भी परिवर्तन हो रहा है तथा प्राचुरिक समय में पूंजीपतियों का स्थान प्रबंधकों द्वारा लिया जा रहा है। यह एक व्यवसाय या पेशा (Profession) के रूप में विकसित हो गया है। अतः प्रबंध विज्ञान के माध्यम से भी किसी भी उद्योग अथवा व्यवसाय को निर्वाह रूप से चलाया जा सकता है तथा लिए हुए उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है।

भारत में प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व

(Need and Importance of Management in India)

हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक समाजवादी समाज की संरचना करने का बीड़ा हमारी सरकार ने लगाया है। देश का अर्थव्यवस्था से आर्थिक

विकास करने के लिए आधारभूत एवं भारी उद्योगों की स्थापना का गई है। कृषि क्षेत्र में भी हरित क्रांति के क्षेत्र में विस्तार करने हेतु कई सघन कृषि कार्यक्रम (Intensive Agricultural Programmes) अपनाए जा रहे हैं। इन सभी कार्यों की सफलता तथा उद्देश्यों की प्राप्ति इनके सफल प्रबंधन पर निर्भर करती है। अतः गति से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु देश के साधनों का अधिकतम उपयोग एवं वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना नितांत आवश्यक है। इन सभी हेतु कृषि एवं बुद्धिमान एवं मानव की आवश्यकता है। प्राण एवं मरीन के अनुसार यह सब स्वीकार किया जाना चाहिए कि विकासशील देशों में मुख्य अंतर तकनीकी न होकर प्रबंधकीय (Managerial) है। विकसित तकनीकी का अभाव किया जा सकता है लेकिन प्रबंधकीय योग्यता हमारे समाज की आवश्यकताओं एवं स्वभाव के अनुकूल देश में ही तैयार करनी होगी।¹

यह अनुमान लगाया गया है कि अन्तर्गत में प्रबंधक कर्मचारियों अनुपात 1 2 अमेरिका में 1 17 जबकि हमारे देश में यह अनुपात 1 100 है। अतः भारत में प्रबंधकों की भारी कमी है। फरवरी 1965 में इंस्टीट्यूट ऑफ अल्लाइड मैनपावर रिसर्च (Institute of Allied Manpower Research) द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार सन् 1975 तक 2 5 लाख प्रबंधकों की आवश्यकता होगी। पाचवीं पंचवर्षीय योजना में हमें 1 46 लाख प्रबंधकों की आवश्यकता होगी। एक अन्य अनुमान के अनुसार प्रतिव्यय हम 80 हजार प्रबंधकों की आवश्यकता पाते हैं जबकि प्रतिव्यय 4600 प्रबंधकों ही तैयार किए जाते हैं। इस अंतर को देखते हुए हम दो कार्यों की आवश्यकता होगी—

1 हम सरकारों प्रशासनिक जिनका सम्बन्ध कानून एवं आदेशों की परिपालना करवाना है उन्हें विकास सम्बंधी कार्यक्रमों के प्रशासन हेतु क्षमता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण देना होगा।

2 दूसरा काम हमें परम्परागत प्रबंधकों जो कि पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों में पाए जाते हैं के स्थान पर व्यवसायिक प्रबंधकों (Professional Managers) का लाना होगा और सामान्य प्रशासन हेतु लगाए गए प्रशासनिक जिन्हें कि सरकारी उद्योगों में प्रबंधक नियुक्त कर दिया है उनके स्थान पर भी व्यवसायिक प्रबंधकों को नियुक्त करना है।

हमारे देश में उद्योग हेतु प्रबंधकों की पूर्ति निम्न स्तरों से का जाता है —

1 प्रबंधकों से पूर्व प्रशिक्षण (Pre recruitment Training in Management) — इस प्रकार का प्रशिक्षण विभिन्न विश्वविद्यालयों के व्यवसायिक प्रशासन विभागों द्वारा स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम के रूप में दिया जाता है। अहमदाबाद

एवं कर्मचारी का प्रबंधकीय मस्यौदा तथा सॉट जवियर थ्रम मन्वैथ सरमान कर्मचारी द्वारा भी स प्रकार का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के रूप में चलाया जाता है।

2 **कायरेत प्रबंधकों का प्रशिक्षण एवं विकास (Training & Development of Practising Managers)**—उच्च तथा मध्यस्तरीय कायरेत प्रबंधकों हेतु इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह सुविधा मैन्सरो के एन मानसटिव स्टाफ कॉलेज वणिप्या कुछ प्रबंधकीय मस्यौदों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें पूरे रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (National Productivity Council) अखिल भारतीय प्रबंधक मंच एवं प्रा शिक प्रबंधक मंचा द्वारा भी यह सुविधा प्रदान की जाती है।

3 **सुपरवाइजरी स्टाफ का प्रशिक्षण एवं विकास (Training & Development of Supervisory Staff)**—इस दिशा में नेशनल इ स्टीट्यूड ग्रान् टैक्निकल एं प्रूकेगन इन षिप्या जमी मस्यौद म् वपुण योगदान देकर सुपरवाइजरी स्तर के प्रबंधकों की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रही हैं।

4 **प्रमसघ नेताओं का प्रशिक्षण (Training of Trade Union Leaders)**—इस दिशा में कुछ प्रबंधकीय शिक्षण मस्यौदा तथा एनमिनिस्टिव स्टाफ काउज ग्रान् टैक्निकल एं प्रूकेगन द्वारा काय किया गया है। कुछ प्रबंधकीय मंचा द्वारा भी इस ओर ध्यान दान किया गया है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (N P C) 1958 द्वारा भी प्रबंधकों के विभिन्न स्तरों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हैदराबाद के काउज द्वारा भी विभिन्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रो सुप्रम ने धार्ये लिखा है कि औद्योगिक क्षेत्र के एक बड़ भाग को विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु प्रबंधकीय विकास एवं प्रशिक्षण को आवश्यक रूप से स्वीकार करना है। इस क्षेत्र हेतु किसी प्रकार के शक्षणिक कार्यक्रम की आवश्यकता है जिससे यह प्रशिक्षण को एक विनियोग समझ सकें।¹

यों तरनेजा ने प्रबंध एवं आर्थिक विकास के सम्बन्ध को स्पष्ट करत हुए लिखा है कि इस प्रकार प्रबंधकीय कशलता की ऊंची मापना स आर्थिक वृद्धि की क्रिया तीव्र होगी।

1 *A N S n Management Development: India (Illustrated Weekly of India Nov 25 1971)*

2 Thus the higher degree of managerial spirit the faster will be the process of economic growth

—*A S T n / Management the Tasks & Challenges (Economic Times Feb 12 1971)*

श्री शराफ न प्रबंध को एक अवसाध (Profession) के रूप में स्वीकार करत हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला है कि यह एक व्यावसायिक सेवा है जो कि मनुष्य मुद्रा और मानव जस साधना के अधिकतम उपयोग हेतु समान कृति उत्तराया है। एक अंग के रूप में यह व्यक्तिगत व समन्वित करता है जो व्यावसायिक सफलता हेतु अभिप्रेरित किए जाते हैं और जिन्हें व्यवसायिक नीति सम्बंधी सहिता (Code of Professional Ethics) स्वीकार करनी है। व निम्न संगठन से सम्बंधित है उसकी दीर्घकालीन वृद्धि का कारण एवं सम्पन्नता में उनका घनिष्ठ सम्बंध है।¹

श्री शराफ न व्यवसाय की आधुनिक समय में सफलता की सम्पन्नता बनी के विषय में लिखा है कि सरकारों नियंत्रण एवं राष्ट्रीयता को बना हुआ माना में हमारे व्यवसायपतियों ने लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य सम्पन्नता उद्देश्यों को भी महसूस किया है। प्रबंधकों ने अतिम रूप में स्वीकार कर लिया है कि व्यवसाय की सफलता जागू के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है जो कि सुविधा की दृष्टि से समरूप वर्गों में बाँटे जा सकते हैं—(1) अर्थव्यवस्था एवं निवेशकर्ता (2) बजार (3) ग्राहक (4) समाज जिसमें समस्त उपज चरता है और (5) सरकार।²

भारतीय प्रबंध को कई सुधपूर्ण कार्य करना है। श्री रंगनेकर न लिखा है कि भारतीय प्रबंध कई अंतरों का पाठ ले लिए सुधपरत है। ये अंतर हैं—तकनीकी अंतर विज्ञान तकनीका के अभाव द्वारा कुशलता अंतर नवीन तकनीकी में प्रबंधकों एवं अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण एवं विकास द्वारा पाठन का प्रयास किया जा रहा है। यह साधन अन्तर् (कच्चे माल शक्ति पूर्ण धन व जन को निरन्तर बनी) को पाठन का प्रयास भी कर रहा है।³

बिना प्रबंध के विकास के हमारे देश की गति से विकास सम्भव नहीं होगा। प्रबंध के विकास में महत्व पर प्रकाश मिलत हुए श्री सेठ न कहा है कि भारतीय साधना का प्रबंध मानव व मानव का प्रबंध और विज्ञान एवं तकनीकी साधनों के विकास में ही हमारी भावी सम्पन्नता का रहस्य विद्यमान है। आज

- 1 M n o R Shorff Impact of Govt Control on Management (Economic Times Feb 12 1971)
- 2 R S Dav Challenging Social Environment & Management (Economic Times Feb 12 1971)
- 3 H S Rangnekar Narowing the Creditability Gap in India (Indian Management January 1975)

हम 580 मिलियन कागज हैं। सन् 2000 ई. में 960 मिलियन के लगभग हो जायेंगे।¹

भारतीय प्रबंध की प्रगति एवं विस्मय का मूल्यांकन करने हेतु हम अपने ध्यान में वकाम पर ध्यान देना होगा। हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र का अधिकतम भाग सावजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथा एक इस्पात भारी-भारी औद्योगिक जनोपयोगी सेवाएं वरु तथा सीमा आदि उद्योग सावजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और सरकार सबसे बड़ा नियोजक के रूप में कार्य कर रही है। इन उद्योगों में प्रबंध का मूल्यांकन करने हेतु हम उद्योगों के लाभ की एक कमी से मानना होगा। लेकिन हम आधार पर हम देखेंगे कि मभा सावजनिक उद्योग चुरी तरह असफल हुए हैं। स अमफतना के कारण पर प्रकाश पानत हुए या मानू ममाना न निम्ना ह कि इस अमफतना के कई कारण हैं। इनमें सदा का विवरण देना आवश्यक है यद्यपि अल्पकारण भी हैं जो कि सभी सरकारी व्यवसायों और औद्योगिक उपक्रमों में विद्यमान हैं। प्रथम चेतना पर रोक अथवा सीमा श्रितीय सरकारी उद्योगों का प्रबंधन द्वारा प्रबंध करना।

चेतना की सीमाबन्दी स कार्य करने की प्रेरणा पर पाबन्दी लगती है। इससे प्रकायकुशलता का बन्धा मित्रता है। प्रकायकुशलता स उद्योग का लाभ प्रभावित होता है। लाभ कम हान स फिर वतन पर रोक या सीमा लगा दो जाती है। इसके परिणामस्वरूप प्रबंधकों की किस्म पर प्रतिबन्ध प्रभाव पड़ता है। हैदराबाद के सावजनिक उपक्रम संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार एक निजा क्षेत्र के उद्योग के मुख्य कार्यकारी अथवा पणकालीन सचिवों को मभी लाभ सहित प्रतिमात्र 7500 रु मिलत हैं जबकि सावजनिक उद्योग में अधिकतम पारितमिक की सीमा 4000 रु प्रति माह है।

दूसरी विशेषता सावजनिक उद्योगों में प्रबंधकों (Non Managers) द्वारा प्रबंध करना है। कई उद्योगों का प्रबंध सिविल सर्विस द्वारा किया जाता है। उद्योगीय प्रबंध का अनुभव न होने पर भी वे उस उद्योग को एक सरकारी विभाग की भांति चलाते हैं। उसका दिमाग सरकारी क्षेत्र में उनकी पदावधि की ओर रसा रहता है और व पण निष्ठा व लगन के साथ कार्य नहीं करते हैं। सन् 1972-73 में हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में प्रशासकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों (Administrators V/s Technocrats) के बीच सघर्ष भी चलाया

1 S C Seth Management 2000 A D—An Indian Scenario (Indian Management May 1975)

2 M no Masan Indian Management has come of Age (Illustrated Monthly India Nov 2, 1971)

आर इसक परिणामरूप कइ सस्थाना मे मुख्य अधिकाारी उस सस्थान के काय को जानने वाता विशेषतः नियुक्त रिया जाने लगा है। अभी विवादा का दरार प्रा क एत रात्र न अपना म ती पद स याग पन सरकार को सौंप दिया था।

हमारे देा मे प्रबन्ध ऋम का अनुपात बहुत ऋम है। इस अनुगत मे वृद्धि करती होा नवम नि विभिन्न सस्था। तथा उद्योगा मे आवसायिक प्रवन्धको को नियुक्तिया करके साधनी का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इस ओर हमारे देश मे विभिन्न विश्वविद्यालयो सस्थाना सस्थाया आदि द्वारा चचाग जा रहे पाठ्यक्रम एक मर न्नीय कृम है लकिन फिर भी प्रबन्धनी की पूति इननी माय की तुनना मे कम है। ऋम ओर सरकार को पूण ध्यान देना होगा क्कोकि वनमान समय मे सावजनिक क्षेत्र क वलते हुण मट्टक तथा सरकार क ऋक बड नियोजन के रूप मे आ जाने स देा की तम्वार बनी जा र। है ऋम दायित्व को सरकार द्वारा निभाना होगा।

विपणन उपादन इ जीनिथरिंग कमचारी ऋब वित्त आदि क्षेत्रो मे प्रबन्धनाय तकनीको का पूणरूपण उपयोग करके लाभ उठामे जा रगा है। फिर भी भूनीय प्रबन्धनी देशी उपादन मे वृद्धि करने हेतु अनुमधान एव विकास (Research & Development) पर भी ध्यान देना होता। भारत मे इम पर बहुत नी कम राशि का व्यय रिया जा रहा है नवकि औद्योगिक विकास के निण ये दाना ध वन्त आवशयन है।

राजनीय प्रबन्धनी सांख्यिक सम्बन्ध (Public Relations) पर भी ध्यान देना होगा। प्रबन्धनी समाज मे क्या वक्त या परिकल्पना (Image) है इस पर भी प्रबन्धनी सफलता निभर करती है। प्रबन्धनी की सफलता इसी मे निम्नित है कि किस सीमा तक वह अपने सामाजिक दायित्वा को निभाना है। कमचारियो क ऊचा व न तथा अन्दी काय दशाए शेरधारिया का उचित नार्भाश उपभोक्ताया का उचित कीमत पर अन्दी वस्तु समाज को उचित प्रशदान (अस्पनाम निभण सस्थाए रोजगाय आदि) एव सरकार का उचित मन्थोग प्रदान करना तथा उचित करों का भुगतान करना आदि रूपा मे अपने दायित्वा को पूरा समाज मे अपना ऊचा स्थान प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त वाता मे इम निष्कर्ष पर पहुचने है कि भारत मे प्रबन्धनी आवशयकता एव मन्स्व निभन रूपा मे स्वीकार करना होगा—

- (1) देश की विभिन्न पचवर्षीय योजनाया की सफलता हेतु
- (2) आर्थिक विकास त्त गति स करने हेतु
- (3) देश मे एक प्रजातांत्रिक औद्योगिक क्षेत्र का विकास करन हेतु
- (4) देश क साधना का अधिकतम उपयोग करने हेतु
- (5) अंतरराष्ट्रीय बाजार मे विन्धी प्रतिस्पर्धा करन हेतु

- (6) उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना हेतु
- (7) संकायों तथा संयंत्रों में अनुशासन एवं प्रकल्पना का प्रचार करना हेतु
- (8) प्रबंधन के सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु
- (9) देश में अपने राष्ट्रीय नीतियों तथा नीतियों को प्रचारित करने हेतु
- (10) परम्परागत प्रबंधन के स्थान पर आधुनिक प्रबंधन को प्रसारित करना।

इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमारे देश में प्रबंध शिक्षा का विस्तार एवं प्रचार करना होगा। इस क्षेत्र में हमारे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा एम.बी.ए. के पाठ्यक्रम तथा यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आजादी के पूर्व इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं तथा संघों की वृत्त कमी थी। तब आजादी के पश्चात् विभिन्न राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकारों ने इस शिक्षा में सराहनीय कार्य किया है। प्रबंध शिक्षा के लिए अनुदानों का बजट कमबलता दिनी जयपुर बंगलौर आदि विशालापत्तनम मन्त्रालय आदि स्थानों पर कई संस्थानों में बाए चतुर्णी है जिनमें प्रतिव्यय सक्ती प्रबंधक तयार करके निकाल जात है। कई प्रबंधकों सभा द्वारा तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा भी इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

सरकार भी एक बड़ा नियोजक के रूप में देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अतः सावजनिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंध हेतु भी प्रशिक्षण एवं विकास के यत्न बड़े पैमाने पर चलाए जाने चाहिए।

प्रबंध की सीमाएं

(Limitations of Management)

प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्त्व के विषय में अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसके माध्यम से सामूहिक रूप से किए जाने वाले कार्यों का प्रभावपूर्ण व कुशलतापूर्वक करके व्यवसाय एवं उद्योगों के लक्ष्यों का प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि प्रबंध किसी भी उद्योग एवं व्यवसाय की विभिन्न समस्याओं हेतु एक सामान्य औपचारिक है। इस विषय की भी अपनी सीमाएँ हैं। ये सीमाएँ निम्न हैं—

1. प्रबंध विज्ञान भौतिक एवं रासायनिक विज्ञानों की भाँति एक विशुद्ध एवं निश्चित विज्ञान नहीं है। यह एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानवीय व्यवहारों के अध्ययन किया जाता है, इस विषय में एक ही सत्य के अन्तर्गत पर नहीं निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

2. प्रबंध स्वायत्त एवं मौखिक प्रतिफल से प्रभावित होता है। प्रबंधन मानवीय साधन है तथा किसी भी प्रबंधक को दूसरे व जीपति या उद्योगपति द्वारा अधिक मौखिक पारिस्थितिक एवं अन्य सुविधाएँ देने पर वह एक उद्योग को छोड़कर

उप उद्योग में बना जाएगा। इस प्रकार प्रबंधक पर स्वामी काही रहने है और प्रबंधक रूप में स्वतंत्र नीतियों का प्रबंधन में जान में प्रथममय रहते हैं।

3 विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का स्तर तथा सम्यता व समृद्धि जान क कारण प्रबंध के सिद्धान्तों को समान रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। निश्चित सिद्धांतों के अभाव में सामान्य रूप से निकाले गए निष्कर्षों का मना देना भी समान रूप से लागू करना असम्भव है।

4 प्रबंध में पार्किंसन के नियम (Law of Parkinson) का लागू होना। इन नियमों के अनुसार किताबें लंबी या उद्योग में कार्यरत अधिकारी कार्यभार में न रहने पर भी कमचारियों को मंगाने में वृत्ति करवाते रहते हैं।

या पार्किंसन के अनुसार प्रबंधन की प्रवृत्ति के दो कारण हैं—

- (1) एक अधिकारी अपने प्रधानस्थ कमचारियों की संख्या में वृद्धि करता है। प्रत्येक विभाग या कार्यालय में यह शिथिल रहती है कि सर अघास्या की संख्या कम है।
- (2) अधिकारीकरण कार्यभार को अधिकतर निम्न हस्तु एक हमारे क निम्न परम्पराचार्य का निर्माण करता है।

एक परिणामस्वरूप कमचरियों का संख्या बढ़ता जाती है और नाल-फोन का भी प्राप्ति मिलता है। वास्तविकता में गिरावट तथा कार्य पराकरण में ही कारण है।

5 प्रबंध की उत्पत्ति तथा वृद्धि तथा प्रवृत्ति का वास्तविकता में परिवर्तन का कारण प्रबंध के सिद्धान्तों एवं व्यवहारों में परिवर्तन कारण है। विभिन्न समाज विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अध्यात्म, मनोविज्ञान आदि में कई नए परिवर्तन तथा प्रयोगों में प्रबंध विज्ञान के सिद्धान्तों का प्रभावित किया है। इन कारणों से उत्पन्न हुई स्थितियों में प्रबंध के सिद्धान्तों में समय समय परिवर्तन होना ही उचित है। इन कारणों से ही विद्या जी कहते हैं कि वहाँ मानव संसाधनों, प्रबंध विज्ञान के सिद्धान्त यहाँ से सकते हैं।

प्रबंध के स्तर

(Levels of Management)

विभिन्न विज्ञानों एवं लक्ष्यों के प्रबंध के स्तर का विभिन्न भागों में विभाजित किया है। एक ओर प्रबंध में उच्च प्रबंध निम्न उच्च प्रबंध मध्यम प्रबंध फोरमन एवं कार्यकारी स्तर हैं। दूसरी ओर प्रबंध का दो भागों में बाँटा गया है—प्रथम प्रशासनिक प्रबंध (Administrative Management) एवं कार्यकारी प्रबंध (Operating Management)। उच्च स्तर पर प्रबंध एवं निम्न स्तर पर प्रबंध भी कहा जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध (Top Management) का प्रायः


प्रशासनिक प्रबध (Administrative Management) एवं निम्नस्तरीय प्रबध (Lower level of Management) को कार्याकारी प्रबध Operating Management) कहा जाता है। इन्हें क्रमशः प्रबध के साधन सम्बन्धी कार्य (Thinking Functions of Management) तथा करने सम्बन्धी कार्य (Doing Functions of Management) भी कहा जाता है।

सामान्यतया प्रबध के स्तरों का तीन वर्गों में विभाजित किया गया है—

- (1) उच्च प्रबध (Top Management)
- (2) मध्यम प्रबध (Middle Management)
- (3) निम्न प्रबध (Lower Management)

प्रबध के इन स्तरों को निम्न चार्ट में देखा जा सकता है—

उच्च प्रबध (Top Management)



विभागाध्यक्ष (Head of Departments)

अधीक्षक (Superintendents)

निम्न प्रबध (Lower Management)

फारमन (Foremen)

प्रथम रेखा पर्यवेक्षक (First Line Supervisors)

1 उच्च प्रबध (Top Management)—यह संस्थान का सर्वोच्च स्तर होता है। एक बड़े संस्थान में सामान्यतया प्रबध सचिवानक मण्डल (Board of Directors) संस्थान सम्बन्धी उद्देश्या एवं नीतियों को तैयार करते हैं। किन्तु प्रबध का वास्तविक कार्य प्रबध-सचिवानक अथवा महाप्रबधक द्वारा किया जाता है। इसे उच्च प्रबध में सम्मिलित किया जाता है। इसे मुख्य कार्यकारी (Chief Executive) भी कहा जाता है। यह कार्य को करने सम्बन्धी आदेश एवं हिदायतें देता है। यह संचालक मण्डल के प्रति जवाब देने के लिए दायी है। यह एक ओर संचालक मण्डल तथा दूसरी ओर शेष संगठन के बीच एक कड़ी का कार्य करने वाला अधिकारी होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियोजन संगठन निर्देशन अभिप्रेरणा

मम वय एवं नियंत्रण सम्बन्धी कार्य भी करता है। उसकी सहायता से उच्च मन्त्रप्रबन्धक अथवा उपाध्यक्ष भी होते हैं।

2 मध्यम प्रबंध (Middle Management)—इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं अध्याक्ष आते हैं। ये मुख्य कार्यकारियों की हिदायत प्राप्त करते हैं तथा उनके अधीनस्थ पदव्यवस्था को कार्य करने में निर्देशन एवं मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य उनके समान स्तर निम्न स्तर एवं उच्च स्तर पर कार्य करने वालों की नियामना का सम्बन्ध करना होता है।

3 निम्न प्रबंध (Lower Management)—सम फोरमन एवं पदव्यवस्था को शामिल किया जाता है। इनका सम्बन्ध माध्यम स्तर से रहता है। यह स्तर अधिकतर एक मध्यम प्रबंधक की एक कड़ी के कार्य करता है। ये कार्य व्यक्तियों एवं भौतिक संसाधनों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखते हैं। ये स्वयं से कार्यवाही प्रबंधक होते हैं जिनका कार्य सहायक होता है। अधिक अदेश नीति तथा निर्देशन का भाग ग्रहण प्रोत्साहन पुरस्कार एवं उच्च बतन आदि के लिए पदव्यवस्था पर निर्भर करते हैं। पदव्यवस्था की सकलता अधिकतर कार्य निष्पादन के अन्तर्गत एवं सहायक पर निर्भर करती है। पदव्यवस्था को अधिकतर कार्यवाही का मनोबल उच्च रखना चाहिए।

उपरोक्त प्रबंध के स्तर एक ठमरे पर निर्भर करते हैं। किसी भी मन्त्रालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने से पूर्व इन तीनों प्रबंधनीय स्तरों का अपना अर्थ है।

प्रबंध का प्रशासन एवं संगठन से अंतर

(Management is Distinguished from Administration and Organization)

प्रबंध क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों एवं लेखकों ने एक ही विचारधारा का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया है। इस विभिन्न शब्दों का अर्थ अलग अलग रखा जाता है। इस शब्दों—प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन। जहाँ तक संगठन शब्द का संबंध है सदा अर्थ किसी भी सम्बन्धित अथवा उद्योग की उस संरचना से कि जिसके अन्तर्गत दिए हुए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया सामान्य एवं औद्योगिक के सम्बन्धों का स्थापित किया जाता है।

जहाँ तक प्रबंध एवं प्रशासन शब्दों का अर्थ का सम्बन्ध है—विभिन्न प्रबंध विद्वानों ने इनकी अलग अलग शब्दों में परिभाषा दी है। सकारण क्षेत्र एवं प्रबंध क्षेत्र दोनों में ही इनका अर्थ अलग अलग रखा जाता है। सरकारी सम्बन्धों में प्रशासन का अर्थ माना जाता है जबकि किसी भी व्यवसाय या उद्योग में प्रबंध के अन्तर्गत सभी प्रबंधों अथवा प्रबंधकीय प्रक्रिया का शामिल किया जाता है तथा प्रशासन के अन्तर्गत उच्चस्तरीय प्रबंध की समस्त नियामना का सम्मिलित किया जाता है। उदाहरणार्थ एक उद्योग में एक फोरमन को एक प्रशासक कभी नहीं माना

जाता है पर्यपि उसका रोजमर्रा का एक छोटा भाग प्रशासन से सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार प्रबंध एवं प्रशासन के सम्बन्ध में मकुचित गणक भिन्न एवं पर्यायवची विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ विद्वान् प्रबंध और प्रशासन को पर्यायवाची मानते हैं जबकि कुछ प्रबंध को प्रशासन से अधिक तथा अन्य प्रशासन का प्रबंध से अधिक मानते हैं। फिर भी प्रबंध एवं प्रशासन के सम्बन्ध में पायी जान वाली विचारधारा को मानने की ओर पर अमेरिकी विचारधारा तथा अंग्रेजी विचारधारा—ए प्रमुख विचारधाराओं में विभाजित किया जा सकता है।

अमेरिकी विचारधारा


(American School of Thought)

इस विचारधारा के अनुसार प्रशासन शुद्ध प्रबंध की तुलना में वहीं अधिक यापक है तथा प्रशासन में प्रबंध सम्मिलित ना है। प्रशासन एक उच्चस्तरीय कार्य है जिसके अन्तर्गत एक व्यावसायिक उपक्रम की मूल नीतियों का निर्धारण उद्देश्य एवं उद्देश्य की स्थापना करना तथा उन सीमाओं का निर्धारण किया जाता है जिनमें प्रबंध को कार्य करना होता है। हमारी आर प्रबंध निम्नस्तरीय कार्य करता है जो कि प्रशासन द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित नीतियों के क्रियावयव में सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार प्रशासन विचारात्मक कार्य (Thinking function) है जबकि प्रबंध का सम्बन्ध कार्य करण (Doing function) से है। इस विचारधारा के समर्थकों में प्रा. स्प्रांगन, शु. ज. शॉन, मिन्ट्वाड आदि प्रमुख हैं।

प्रो. स्पीगन के अनुसार प्रशासन उपक्रम का वर्णन जिसका समस्त नीतियाँ एवं मुख्य उद्देश्य के निर्धारण में सम्बन्ध है। प्रशासन उद्यम के सामान्य उद्देश्य का निश्चिन्त करता है इसकी नीतियों का स्थापना करता है कार्यविधि की सामान्य योजना तयार करता है।¹

इसी तरह प्रा. स्पीगन ने प्रबंध की परिभाषा देते हुए लिखा है कि प्रबंध एक उद्यम का वह कार्य है जिसका सम्बन्ध उद्यम के उद्देश्य का पूर्णतः विभिन्न क्रियाओं का निर्देशन एवं नियंत्रण करना होता है। प्रबंध वास्तव में कार्यकारी कार्य है।

इस प्रकार प्रशासन उद्देश्य एवं मुख्य कार्यक्रमों का निर्धारण करता है जबकि कार्य करण का सम्बन्ध प्रशासन से होता है। इस प्रा. स्पीगन ने निम्न चित्र में समझाया है—



एक प्रकार प्रामाण्य का कार्य निर्धारणात्मक कार्य (Determinative function) तथा प्रबंध का कार्य कार्यकारी कार्य (Executive function) में सम्मिलित हैं जिन उदाहरण चित्र में देखा जा सकता है।

श्री शुल्ज़ (J V Schulze) के अनुसार प्रामाण्य प्रबंध एवं साधन का निम्न परिभाषा दी गई है—

‘प्रामाण्य वह शक्ति है जिसके द्वारा साधन एक प्रबंध के अस्तित्व हेतु उद्देश्य का निर्धारण करता है तथा जिनके अन्तर्गत उसे कार्य करना है वह वास्तविक बनाता है। प्रबंध वह शक्ति है जिससे साधन में एक साधन का पूर्व निर्धारित उद्देश्य का प्राप्त करना हेतु ननुत्र साधन एवं निर्देशित किए जाते हैं। साधन का उद्देश्य उद्देश्य का पूर्ण करने हेतु विभिन्न आर्थिक माध्यमों का उपयोग सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्य स्थान प्राप्ति का मुख्यवर्तित व्यवस्था मानते हैं।

श्री ओल्डर (Older Sheldon) के अनुसार प्रामाण्य प्रबंध में वह कार्य है जिसका सम्बन्ध निम्नलिखित का निर्धारण है—साधन एवं निरंतरता का समन्वय साधन का अनुबन्धना तथा एवं अन्तिम रूप में कार्यकारी नियंत्रण करने में। जबकि प्रबंध का सम्बन्ध प्राप्ति का निर्धारण तथा साधन का निर्धारित उद्देश्य का पूर्ण हेतु कार्य में लगाने में है। साधन एक प्रभावपूर्ण साधन का निर्माण करता है। प्रामाण्य निर्देशन का कार्य करने के लिए है। इस प्रकार प्रामाण्य साधन का निर्धारण करना प्रबंध प्रयोग करना है।¹

शास्त्र, शास्त्र विद्या-शास्त्र

(English School of Thought)

शास्त्र का विचारधारक एक विपरीत शास्त्र विद्या-शास्त्र के अनुसार प्रबंध का प्रामाण्य न शास्त्र माना गया है तथा प्रामाण्य एवं साधन का प्रबंध का अन्तर्गत आ माना गया है। इस विद्या-शास्त्र का आधार पर शास्त्र प्रबंध विद्याशास्त्र न प्रबंध-कार्य का शास्त्र म विचारित कर लिया है—एक है प्रामाण्य प्रबंध (Administrative Management) जिस प्रामाण्य का ज्ञान है वह सम्बन्धित है एक कार्य के द्वारा उद्देश्य हेतु वास्तविकता का निर्धारण तथा वास्तविकता में समन्वय-समय पर फल-फल करने वास्तविकता तयार करना तथा निर्धारण के द्वारा का निर्धारण करके वास्तविकता का न सुचना करना जाता है। शास्त्र है प्रामाण्य प्रबंध (Operative Management)—जिस सम्बन्ध साधन एवं भौतिक साधन का निर्माण साधन के अन्तर्गत उपयोग करना है जिनमें कि निर्धारित तथा को पूर्ण किया जा सके। इस प्रकार प्रबंध नीति निर्धारण करने का कार्य करता है जबकि प्रामाण्य साधन के द्वारा उद्देश्य का कार्य करता है। इस विचारधारक के समर्थक

म प्रो ब्रच का नाम उ लेखीय है। इसीसे प्रबंध एवं प्रशासन की निम्न शक्ति म
प्राप्त की है—

प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि एक प्रतिष्ठान की क्रियाओं के
प्रभाव नियोजन एवं नियमन क उत्तरदायित्व का समावेश करती है।

प्रशासन उद्योग का वह काय है जो कि पद्धतियों के निर्धारण एवं मचानन
से सम्बन्ध रखता है जिसके द्वारा क यंत्रणा का निर्धारण किया जाता है क्रियाओं
की प्रगति का नियमन किया जाता है और उनका प्रगति को याजनाओं क सदम
म प्राप्ता जाता है।¹

इस प्रकार प्रा ब्रच क अनुसार उच्च प्रबंध नीतियों का निर्माण करता है
क्रियाओं क प्रबंध नियोजन समन्वय एवं नियंत्रण सम्बन्धी काय करता है जबकि
निम्नस्तरीय प्रबंध का काय निराकरण करना एवं कार्यविधिया सम्बन्धी निगम
नना होता है। इस विचारधारा क अर्थ समझना म प्रो ए हान एवं प्री ज सी
नियम प्रमुख है।

प्रा किम्बल एवं प्रा किम्बल प्रबंध एवं प्रशासन तथा संगठन म विभेद
करना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि प्रबंध एवं प्रशासन दोनों पर्यायवाची हैं।
फिर भी उनके द्वारा प्रबंध प्रशासन एवं संगठन की परिभाषाए दी गई हैं जो निम्न
प्रकार स हैं—

प्रबंध म सभी कृत्य एवं काय सम्मिलित है जो कि एक उद्यम को
प्रारण वित्त नीतियों के निर्धारण समस्त आवश्यक औजारों सामान्य संगठन की
रूपरत्ना तयार करना तथा प्रमुख अधिकारियों का चयन करने म सम्बन्ध
रखता है।

प्रशासन अथवा निर्देशन म वे सभी काय एवं क्रियाए सम्मिलित है जिनका
सम्बन्ध सस्यान क वित्तीय एवं संगठन के उद्देश्यों को ध्येय म रखत हुए क्रियावयन
करना हा है।

संगठन प्रबंध का महायक है इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों एवं
कर्मचारियों क कर्तव्य का निर्धारण करना उनके कार्यों का बटवारा एवं शक्तियों
तथा विभागों क बीच सम्बन्ध निर्धारण करना आदि प्रात हैं। संगठन वास्तव म
प्रबंध का यंत्र है।²

प्रो न्यूमन (William Newman) ने भी प्रबंध एवं प्रशासन म अंतर
करने से स्पष्ट अकार किया है। उनके अनुसार ये एक दूसरे क स्थान पर प्रयोग भ
लाए जाते हैं। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रशासक प्रबंधक एवं अतिशय सी
(Executive) एक दूसरे स मिलते जुलते हैं। उनके अनुसार सामान्य उद्देश्यों की

1 E F L Br h Principles and Practices of Management p 17

2 Kimball and Kimball Principles of Industrial Organization p 157 158

पूर्ति का आरंभ करने में प्रयत्न के प्रयत्न का मांगवाने के लिए एक नियंत्रण करना प्रयत्न है जो कि प्रबंध में मिलता हुआ है।

प्रबंध और प्रशासन का प्राथमिक एवं तकनीकी सम्बन्धों में अलग प्रकृति से समझा जाता है। सरकारी सम्बन्धों में प्रशासन का प्रबंध से व्यापक माना जाता है। तकनीकी ज्ञान में प्रबंध का अर्थ प्रबंध प्रक्रिया (Management Process) में लिया जाता है। किन्तु अन्तर्गत समूहिक रूप में प्रबंध का कार्य परिभाषित है। प्रवृत्ति में सामान्य रूप में प्रशासन का सम्बन्ध उच्चतम प्रबंध में लिया जाता है।

डाल्टन एफ. मकफारलैंड (Dalton E. McFarland) के अनुसार प्रशासन में मुख्य उद्देश्य एक नतिवा का निर्धारण करना है जबकि प्रबंध में उद्देश्य का पूरा करने तथा नतिवा का प्रभावपूर्ण बनाने सम्बन्धी क्रियाएँ सम्मिलित हैं।¹

प्रशासनिक अनुनायक प्रबंध नतिवा के नियंत्रण हेतु नियोजन एवं पर्यवेक्षण (Supervision) में सम्बन्ध रखता है। जहाँ मालूम किया जा सकता था उद्योग में सामूहिक रूप में कार्य करने वाला कर्मियों उत्तरदायित्व अधिकारी का वितरण एवं सुपुत्र्या करने वाला प्रक्रिया है। यह (मान्य) एक युक्ति जिसके द्वारा आरंभ प्रबंधकाय एवं प्राथमिक क्रियाएँ चक्कर लगाता रहता है। मालूम में प्रशासन निर्देशन देने का कार्य करना = प्रबंध कार्यकारी (Executive function) करना = जबकि मालूम वह यंत्र है जिसके माध्यम में प्रशासनिक प्रबंध कार्य करने रहता है। प्राथमिक निर्धारण-मक कार्य (Determinative function or Thinking function) से सम्बन्ध रखता है - जबकि प्रबंध कार्यकारी कार्य (Executive function or Doing function) करता है। मालूम न दोना प्रकार के कार्यों का सम्बन्ध है जो करे हेतु एक संयोजन या संरचना का निर्माण करता है जिसके अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तिगत समूहों के कार्यों उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का बंटवारा किया जाता है और उन्हें अपने-अपने कार्य-स्थान हेतु जिम्मेदार ठहराया जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)—विभिन्न प्रबंध विभागों में प्राथमिक प्रबंध एवं संगठन का विभिन्न परभावों का है। उपर्युक्त व्याख्या परिभाषाओं के अन्तर्गत के पश्चात् प्रबंध प्रशासन एवं संगठन सम्बन्धी अन्तर हम निम्न निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं—

1. आधुनिक समय में प्रबंध एवं प्रशासन का सम्बन्ध न तो मूलतः विद्यमान है। संगठन में मूलतः पर निकल गया = बसोके मक अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों के उत्तरदायित्व अधिकारों के वितरण की सुपुत्र्या सम्बन्धों का

1. McFarland Management Principles and Practices p 10

स्थापना एवं प्रयामो का समन्वय आदि क्रियाएँ का सम्मिलित किया जाना है। इस पर मतभेद नहीं पाया जाता है।

2 प्रबंध ज्ञान आगत विचारधारा के अंतर्गत प्रशासन ज्ञान से व्यापक माना जाता है। विभिन्न यूरोपीय देशों में मध्य व को अधिक महत्त्व दिया जाता है तथा प्रशासन एवं संगठन दोनों को इसमें अलग-अलग सम्मिलित किया जाता है जबकि अमेरिकी और अंग्रेजी विचारधारा के अनुसार प्रशासन को प्राथमिक माना जाता है और प्रबंध व संगठन को इसमें सम्मिलित किया जाता है।

3 सांख्यिक जीवन में नीति निर्धारण करने वाले एक मका क्रिया-व्ययन करने वाले अलग-अलग व्यक्ति नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ उच्चस्तरीय प्रबंध द्वारा नीति निर्धारण का कार्य करना प्रबंध है लेकिन जब व मध्यमस्तरीय प्रबंधक द्वारा उसके क्रिया-व्ययन का कार्य देखते हैं तो वह प्रशासन होगा। इसी प्रकार निम्नस्तरीय प्रबंध क्रिया-व्ययन का कार्य करते हैं तो प्रशासन का कार्य करते हैं लेकिन जब वे मध्यम व उच्चस्तरीय प्रबंध को इसके विषय में मलाह देते हैं अथवा विचार विमर्श करते हैं तो ये प्रबंध का कार्य हुआ। इस स्थिति में प्रबंध और प्रशासन में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एकाका अथवा सांभारगी फर्म में प्रबंधक व प्रशासन दोनों एक ही व्यक्ति होता है जबकि बड़े उद्योगों या कम्पनियों में दोनों अलग-अलग हात हैं। आम तौर पर नामा में अंतर पता न आता है।

अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रशासन और प्रबंध दोनों का पूर्णरूप में अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति प्रबंध के कार्य के साथ प्रशासन का कार्य भी करता है। यो भी कार्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तब ही के सिद्धान्त प्रक्रिया कार्यभार आदि समन्वय भी हैं तथा दोनों ही आवश्यक हैं। अतः दोनों को पर्यायवाची मानना होगा।

10

सत्ता (Authority)

संगठन के आधुनिक सिद्धान्तों की यात्रा करने हुए अनेक विचारका ने उन मनमूत माननाश्रा की खोज की है जिनके आधार पर संगठन का रूप बढना रहता है तथा संगठन का क्रियाशास्त्र एवं निष्क्रियता मानकता एवं निरयक्तता सिद्ध होती है। प्रत्येक संगठन उन सभी औपचारिकताओं के साथ जन्म लेता है जो परम्परावादी विचारका द्वारा प्रस्तुत की गई थी। एक संगठन का नाम ही एक ऐसा चित्र उपस्थित करता है जिसमें नीचे से ऊपर तक कुछ साठिया की गई है। ऊपर वाली सीढ़ी पर जो अधिकारी बठा हुआ है वह अपने से नीचे की सीढ़ियों पर बठे अधिकारियों को आदेश निर्देश देता है तथा उनके कार्यों का समन्वय नियंत्रण पवने तथा मन्वयान करता है। संगठन का यह चित्र हमारे सामने एक नेताश्रा को खडा कर देता है जिनकी आज्ञा सुनने के लिए अनेक अनुयायी तयार रहते हैं तथा जिनके निर्देशों पर संगठन की गतिविधियां अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हैं। संगठन के उच्च सामाना के अधिकारियों के पास कुछ सत्ता रहती है जिनके आचार पर वे अपने भवती उत्तरदायिता का निर्वाह करते हैं। इस सत्ता की मात्रा प्रायः उतनी ही होती है जितना इन अधिकारियों के उत्तरदायित्वा का विस्तार होता है। संगठन के इस चित्र के जब हम निकट जाते हैं तो पार्श्व होता है कि उच्च अधिकारी अपनी सत्ता का प्रयोग कुशलता के साथ नहीं कर पा रहे हैं। मानवीय कमजोरियां समय की सीमाएं कायकुशलता की मांग एवं अर्थ ऐस हैं अनेक तब उसे अपनी सत्ता का प्रयोगाजन करने के लिए प्रेरित एवं प्रभावित करते हैं।

जब सत्ता का प्रयोगाजन कर लिया जाता है तो नीचे की सांठियां के अधिकारियों का कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और उन पर अनेक उत्त दायित्वा का भार आ पड़ता है। जब निम्न सामाना के अधिकारों अपनी सत्ता का प्रयोग करते रहते हैं तो उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने की कठिनाई पड़ जाती है। उच्च अधिकारी के हाथों में समन्वय स्थापित करने का एक नया काय और आ जाता है। कार्यों में समन्वय स्थापित उत्तरी ही जाता है कि परयायोजित शक्तियों के प्रयोग से सम्बाधन त्तराव को राका जा सके और उनके बीच परस्पर सन्योगपण

व्यवस्था कायम की जा सके। इस प्रकार संगठन के कार्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए उन पर नियंत्रण कायम रखना भी एक आवश्यक कार्य हो जाता है।

सत्ता की प्रकृति

(The Nature of Authority)

सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो मनुष्य शरीर में घ्राण का है। जिस प्रकार घ्राण का बिना शरीर निर्मित हो जाता है उसी प्रकार एक नए हम एक संगठन में सत्ता की उचित व्यवस्था नहीं करके वह कार्यक्षम नहीं हो सकता। शाक्त की ममात की नींव का पथर का जाना है। मानव व्यवस्था चाह वह संगठन में दो अथवा उसके बाहर किसी न किसी प्रकार की शक्ति पर आधारित रहता है। जब संगठन में पद मापान की स्थापना कर अधीनता स्थापित की जाती है तो वही सत्ता का प्रयोग स्वयं विकृत बन जाता है। सत्ता को हम मानवीय व्यवस्था के मध्यम में ही देख सकते हैं। यह कोई निगूत तत्व (Abstract Entity) नहीं है बल्कि एक ऐसा वाक्य है जिसका विश्लेषण और अध्ययन मानव नियंत्रण में ही किया जा सकता है। सॉमन स्मिथबर्ग तथा थॉमसन (Simon Smithburg and Thompson) ने कार्य विभाजन और सत्ता का किसी भी संगठन का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयता माना है। उनके कथनानुसार जब कभी हम एक संगठन का ढांचा तैयार करते हैं तो हमका संगठन की प्रत्येक कार्य को एक स्थान देना होता है और उसके बाद उन स्थानों का कुछ अंगियों से सम्बन्धित कर दिया जाता है। इस अंगियों को सत्ता की रेखा (Line of Authority) कहते हैं। प्रत्येक संगठन में पाए जाने वाली सत्ता की रेखा औपचारिक भाषा में कहना है और औपचारिक भाषा में सत्ता की औपचारिक रेखा में अधीनस्थ अधिकारियों का कार्य मन्तव्यपूर्ण हो जाता है। साइमन तथा थॉमसन के शब्दों में अनुकूल अनुभवी प्रशासक सत्ता की तीन पद सापान-विीन श्रेणियों के मन्तव्य सत्ते प्रभावित है कि उनका मन्तव्य विश्वास बन चुका है कि जब तक उनकी परामर्शोक्त न किया जाए संगठन के स्वरूप एवं कार्यों के वास्तविक तथ्या का अध्ययन नहीं किया जा सकता।

सत्ता का अर्थ

(The Meaning of Authority)

सत्ता एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक प्रकार से अनेक अर्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। हम शब्द की व्यापकता तथा अर्थों की अनेक रूपता कई बार पाठकों के मस्तिष्क में भ्रम पैदा कर देती है। एक मनुष्य का अध्ययन करते समय कड़वा हम हम तर्का का भी सत्ता समझने लग जाते हैं जो यथायथ सत्ता नहीं है। यथा तो उसका विवृत रूप है अथवा उसकी केवल प्रतिछाया। सत्ता को विज्ञान में अनेक रूपों में परिभाषित किया है। हर्बर्ट मन्तव्य (Herbert Simon) के अनुसार सत्ता (Authority) का निगम देने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

प्रभावित हुए बिना ही स्वाकार कर सकता है। सम्भवतः वह उसका गुण का ज्ञान कर लेता है।

(14) वह प्रस्ताव का यह जानता है कि वह कितना ही स्वीकार करेगा है। यह प्रस्ताव उसे स्वीकार करने के लिए प्रतीत हो सकता है क्योंकि उसके व्यक्तिगत सूचकों से मना नहीं खाता या मना करने के सूचकों का अनुरूप नहीं है अथवा दोनों ही बातें हैं।

इन तीनों ही प्रकार के प्रस्तावों की स्वाकृति में प्रथम प्रकार का सत्ता की परिधि से अलग रखा जाता है। प्रस्ताव अनेक प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव का जो सम्बन्ध कर्म-व्यक्तियों को सक्रिय बनाता है सत्ता नहीं कह सकते। वे आनाए अनुदेश प्रतियोग सुभाव आदि कुछ भी कहे जा सकते हैं। प्रस्ताव तो प्रयत्न उस कर्म का है जो एक समस्या का समाधान करने के लिए सुझाया जाता है। जब तक कि प्रस्ताव का स्वीकार नहीं किया जाता तब तक उस सत्तापूर्ण नहीं कर सकते। वास्तव में सत्तापूर्ण सम्बंध वह होता है जिसमें एक व्यक्ति किसी प्रस्ताव का गुणों से प्रभावित हुए बिना ही उसे स्वीकार कर लेता है।

सत्ता के सम्बंध को मुख्य रूप में वस्तुनिष्ठ (Objective) एवं व्यावहारिक सम्बंध में ही देखा जा सकता है। सत्तापूर्ण सम्बंध दो द्वारा उच्च अधिकारी एवं निम्न अधिकारी दोनों का। क्रियाशील बनाया जाता है। जब इस प्रकार क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं तभी दो व्यक्तियों के बीच सत्ता का सम्बंध रहता है। साइमन के कथनानुसार व्यवहार के अभाव में सत्ता नहीं होती चाहे सम्बन्ध की वास्तविक विचारधारा कुछ भी हो।¹ सत्ता का आदेश का स्वीकार किया जाता है तो अध्यात्म अधिकाधिक के सामने का विकल्प नहीं रहता उनको वे आनाए स्वीकार करनी ही होती हैं।

कभी-कभी तो अज्ञान व आशंका का आनाए का ऐसा स्थिति में स्वीकार करते हैं जब उनकी अपनी कार्य-प्रणाली नहीं होती। किन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि अधीनस्थ अधिकारी का अज्ञान का विपरीत भी आनाए स्वीकार करनी होती है। यदि दो व्यक्तियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाए और इस मतभेद का वास्तविक विवाद में सम्बन्ध धुंधला से या अज्ञान प्रकार से प्रभावित करने से दूर न किया जा सकता तो इस सत्ता द्वारा सुझाया जाता है। सत्ता का आदेश अंतिम होता है उसका शक्ति-घटक ही है उसका विशेष नहीं किया जा सकता। आनाए मनवाना और मतभेदों को सुझाना सत्ता के दो प्रमुख गुण हैं। किन्तु वह इन दोनों की परिधि में ही सीमित नहीं रहती जहाँ-तहाँ अज्ञान का प्रयत्न साफ है। सत्ता के रूप की भला प्रकार सम्बन्ध के लिए हमका सत्ता और शक्ति (Power) सत्ता और प्रभाव (Influence) सत्ता और उत्तरदायित्व (Responsibility) एवं सत्ता और जवाब देयता (Accountability) के बीच का सम्बंध देवना चाहिए।

नहीं करती। उनके स्थान पर अधीनस्थ अधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उच्च प्रबंधकी कबल सत्ता धारी है, शक्तिवान् नहीं। ✓

अधीनस्थ अधिकारी सत्ताधारी न हात में भी शक्तिवान् हैं। मरी पार्कर फॉलेट (Mary Parker Follett) के कानानुसार शक्ति माध्यम रूप से कार्य करने की योग्यता होती है तथा निम्न उस कृत है जिसमें शक्ति का एक विनाश प्रत्यक्ष करने के लिए प्रयोग में लया जाता है और सत्ता में विद्यमान मिश्रित नहीं है। मरी फॉलेट ने शक्ति को अभिवृद्धि क्षमता (Self development Capacity) माना है। उनका सुझाव है कि जो सत्ता में शक्ति के रूप में विकसित नहीं की जा सकती है जो समर्थ की एक अभिवृद्धि नहीं है वह एक रिक्त नैतिकता (Empty Ethics) है। पिफिनर तथा शेरवुड (Piffner and Sherwood) ने यत्ना और शक्ति की परिभाषा देते हुए दाना के रूप का विवेचन किया है। उनका कहना है कि औपचारिक पद तोपान के अर्थ में सत्ता को आना देने का आधार समझा जा सकता है जबकि शक्ति में अपने मूल्या और उद्देश्य का प्राप्त करने की सामर्थ्य होती है।¹

सत्ता और प्रभाव (Authority and Influence)

व्यक्ति के व्यवहार पर दूसरे लोगों के अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। उन सभी प्रभावों का हम सत्ता नहीं कह सकते। समझा कि सुभाव देना या प्रभावित करना आदि बातें प्रभाव के रूप में होती हैं जो आवश्यक रूप से सत्ता का निहित होना सिद्ध नहीं करती। सत्ता और प्रभाव के बीच के अन्तर का स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रभाव उन क्षमता है जिसमें एक अधीनस्थ अधिकारी अपने विचाराधीन विकल्पों में से कुछ विकल्पों को इसलिए चुनता है कि वह आज्ञा प्राप्त करने के औपचारिक मापदण्डों का अपनी पसन्द का आधार बनाना है। सुभाव प्रभाव और आदेश जैसे शब्द हैं जिनके बीच स्पष्ट रूप से अन्तर नहीं दर्शाया जा सकता। इसका अर्थ में भ्रम रहता है। इनके बीच स्पष्ट रूप से कोई विभाजक रेखा भी नहीं खींची जा सकती।

जब कभी सुभावों का बिना किसी आलोचना या विचार विमर्श के स्वीकार कर लिया जाता है तो उस हम सत्तापण कथ्य कहते हैं किन्तु सत्ता का यह रूप अत्यंत विकृत है। सत्तापण सम्बन्ध में प्रायः ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो एक क्षण किसी का अधीनस्थ होता है दूसरे क्षण दूसरे का उच्च अधिकारी बन जाता है। इसीलिए यह एक विचारणीय प्रश्न है कि किसी को उच्च कथो माना जाये। प्रभाव और सत्ता के सम्बन्ध का यह अध्ययन हमें वास्तविकता का सूचक है कि सत्ता अपने आप में कोई अधिकार शक्ति सामर्थ्य या कोई प्रभाव नहीं होती बल्कि

“मका अस्तित्व एत मदक बिना भी रह सकता ह। एत तत्त्वा क बिना मत्ता क रूप बजान शरीर की भांनि निष्क्रिय और निरर्थक होता है। वह वास्तविक तभी जाती है जब एत तत्त्वा का उचित रूप से सत्ता के कानूनी रूप क साथ सम योजन कर लिया जाए। मत्ता क स्वरूप में उच्च अधिकारिया का आदेश एतन नही प्राप्त गिनता अधीनता अधिकारियो क यव र।

सत्ता और उत्तरदायित्व

(Authority and Responsibility)

सत्ता और उत्तरदायित्व क बीच गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। जिस किनी यक्ति का कुछ करने क उत्तरदायित्व सौंपा जात है। उस उ उत्तरदायित्व का पूरा करने के लिए मत्ता सौंपना भी ज़रूरी हो जाता है। मत्ता क बिना उत्तरदायित्व पूरा नही हो सकत और उत्तरदायित्व क बिना मत्ता एक गहन त्रिशा पकड़ सकती है। मानसम आदि क अनुसार सत्ता की व्यवस्था की यह एक मन्त्रव्यवस्था विधाना हानी है कि यह मदक उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। यदि अनसक्त धारी यक्ति अपने अधिकारा का पूरी तरह या कुशलता क साथ उपयोगी ना कर पाता तो वह अपनी सत्ता का प्रयोगविन (Delegate) कर देता है। जब मत्ता प्रत्याजित की जाती जाता अधीनस्थ अधिकारी की सत्ता क खीन उच्च अधिकारिया का यह विधान किया गेव है कि व रचना सोच गये कार्यों को मन्त्रव्यवस्था रूप में पूरा करेगे। अधीनस्थ अधिकारिया द्वारा इस प्रकार क कर्तव्य की स्वीकृति उनक उत्तरदायित्व की सूचक है।

सत्ता का प्रत्यायोग (Delegation) उत्तरदायित्व क बिना असुरा और निष्फल रहता ह। हामन (Haimann) क शब्दों में उत्तरदायित्व और सत्ता की मायनाए एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है।¹ उत्तरदायित्व का मूल नव कर्तव्य (Obligation) जाता है। उत्तरदायित्व का अर्थ है—अधीनस्थ अधिकारिया द्वारा व कर्तव्य सम्पन्न करने का कर्तव्य जा उच्च अधिकारिया द्वारा चाहा जाए। यह मन्त्र है कि जब किसी व्यक्ति या संगठन का कुछ करने के लिए उत्तरदायी ठहरा जाता है तो उस एसा करने की पर्याप्त सत्ता (Sufficient Authority) सौंपी जाती है किन्तु प्रश्न यह है कि पर्याप्त सत्ता क्या हानी है। कभी कभी यह कहा जाता है कि पर्याप्त सत्ता का अर्थ है आदेश का एकता अथवा एक कर्तव्य का यह अधिकार होना ख लिए कि व कर्मचारिया का बिना किसी प्रकार क हस्तक्षेप के कर्तव्य की ओर निर्देशित कर सक।

उत्तरदायित्वपूर्ण सत्ता का सार्वभौमिक अर्थ नही दिया जाना चाहिये। किसी व्यक्ति को जब कर्तव्य उत्तरदायित्व सौंपा जात तो उस निम्न क लिए कोई

भी किसी प्रकार की भी श्रद्धा चाहें जितनी सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। उनका अधिकार पर कुछ सीमा भी लगानी होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वह जो चाहें साधें। उदाहरण के लिए हम लोक प्रशासन में सत्ता और उत्तरदायित्व के व्यवहार का ले सकते हैं। यहाँ जब कार्यपालिका को कुछ करने के उत्तरदायित्व सौंप जाते हैं तो साथ ही कुछ शक्तियाँ भी दे दी जाती हैं किंतु ये शक्तियाँ असीमित नहीं होती। इन पर ससद कार्यपालिका कोकमत विरोधी दला और देना के अर्थ सत्ता की अनन्त सीमाएँ लगी रहती हैं। कयापालिका के व्यवहार पर प्रशिक्षण सम्बन्धी नियमों की भी अनेक सीमाएँ होती हैं। इन सबके अतिरिक्त एक कयापालिका को उसकी एक या दो भी पदावस्था द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके नियम अनन्त अनौपचारिक तरीके अपनाए जा सकते हैं जो कार्यपालिका के कार्यों को सीमित कर देते हैं। उत्तरदायित्व का भार कार्य पर ही जान पर ज़रूरी भी रह सकता है और समाप्त भी हो सकता है। उत्तरदायित्व की धारा में कर्तव्यों के प्रभाव के साथ साथ मात्र रहते हैं।

जब कभी सत्ता का प्रत्यायोजन किया जाता है तो साथ-साथ उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन भी होता है। सत्ता और उत्तरदायित्व को एक ही सिक्के के दो पक्ष माना जा सकता है। कुछ विचारकों का कहना है कि उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता अर्थात् उसे अधीनस्था को नहीं सौंपा जा सकता। एक उच्चधिकारी अपने अधीनस्था को कुछ कार्य करने की शक्ति दे सकता है लेकिन वह अपने उत्तरदायित्व को उन पर नहीं थोप सकता किंतु इस स्थिति में एक अधीनस्थ अधिकारी का प्रत्यायोजित कार्य सम्पन्न कर रहा है तथा उसके काम समाप्त करने की शक्ति भी है उत्तरदायित्व का भार से मुक्त नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो वह अपने कार्य का सम्पन्न नहीं कर पायेगा अपितु सत्ता का दुरुपयोग करेगा।

उपयुक्त विवरण से उत्तरदायित्व के रूप प्रकट होना है। हम तात्कालिक उत्तरदायित्व और अन्तिम उत्तरदायित्व के बीच भेद कर सकते हैं तात्कालिक उत्तरदायित्व उन अधीनस्थ अधिकारियों का होता है जिनको कुछ सत्ता हस्तांतरित (Delegate) की जाती है और कुछ कार्य करने के लिये जवाबदेह ठहराया गया है। अन्तिम उत्तरदायित्व उन अधिकारियों का होता है जो उच्च स्तर पर हैं तथा जिनके द्वारा शक्तियाँ हस्तांतरित की जाती हैं। तात्कालिक उत्तरदायित्व प्रायः उसके प्रति होता है जिसने शक्तियाँ प्रत्यायोजित की हैं। यदि अधीनस्थ अधिकारी प्रत्यायोजित शक्तियों का उचित रूप से उपयोग नहीं कर पाते तो उनसे ये शक्तियाँ छानी जा सकती हैं तथा उनका विरुद्ध अर्थ कार्यवाही भी की जा सकती है। यह

एक मंगल का आन्तरिक मामला माना है कि तात्कालिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था पर बंधन बाधना । की जाय ।

संगठन के बाहर वात नाग तो संगठन से सम्बन्धित प्रत्येक मन्त्रे या बुरे कार्य के लिए उच्च अधिकारी का ही उत्तरदायी मनने हे क्योंकि अन्तिम उत्तरदायित्व उसी पर रहता है । उदाहरण के लिए हम मन्त्र और विभागाध्यक्ष को न सक्त है । जब एक विभाग विशेष में कोई अनियमितता होती है अप्रत्यक्ष होता है गवन होता है या अथ को मनती लानी है ता उसके लिए हम मन्त्री का ही लोी उत्तरदायी हैं क्योंकि संविधान में उस विभाग में सम्बन्धित उत्तरदायित्व और सत्ता पूर्णतया उसी को सौंपा है यद्यपि तथ्य यह है कि कई बार मन्त्री का अपने विभाग की गतिविधिया का पता भी नही होता । अन्तिम रूप में उत्तरदायी गन के कारण विभाग से सम्बन्धित मन्त्र प्रो का मन्त्री का ही उत्तर देना पडता है । मन्त्री किसी भी स्थिति में अपने स्व उत्तरदायित्व का प्रत्यायाजन (Delegation) नही कर सकता ।

जब कभी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों का सत्ता का प्रत्यायाजन करता है तो वह स्वयं का मुक्त महसूस नही करता । उमके ऊपर प्रत्यायाजन के कारण कु नवीन कामों का उत्तरदायित्व और आ जाता है । उदाहरण के लिए उम उम अधीनस्थों के ऊपर नगानार अधीनस्थ (Supervision निदेशन (Direction) या नियंत्रण (Control) रखना होता है जि का सत्ता हस्तान्तरित का गई है । 'न्यूमन (Newman) का कथन है कि कई बार हस्तान्तरित सत्ता (Delegated Authority) का भा हस्तान्तरण कर दिया जाता है । उम प्रकार का हस्तान्तरण सत्ता रूप में हस्तान्तरण नही माना जा सकता और न ही यह अधीनस्थ अधिकारियों का कुछ उत्तरदायित्व सौंपता है । एसा स्थिति में प्रत्यायाजन करने वाले व्यक्ति का अधीनस्थों के कामकाजों के कार्यों के प्रभावशाली बनाने के लिए नगानार टक रख करनी होता है । न्यूमन ने इस तथ्य का एक उदाहरण द्वारा समझाया है । वह लिखत है कि यदि डेविस (Davis) ने राष्ट्रीय बैंक से पहल कुछ धन उधार लिया और वह म अपने पुत्र का उमे पुन स्वरण के रूप में लिया ता उम कार्य से डेविस का लिया गया कर्ज तो कम हो जाता है और न ही उस बापन चुकाए का उनका उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है । यद्यपि यह सच है कि प्रत्यायाजन द्वारा उत्तरदायित्व न ता समाप्त होता है और न परिवर्तित होता है तथापि कुछ आवश्यक स्थितियों के कारण उत्तरदायित्व का प्रत्यायाजन कर लिया जाता है । हर्मन (Haimann) के मतानुसार प्रत्यायाजन और पुनप्रत्यायाजन (Delegation and Re-delegation) कार्यपालिका को सौंपे गए बड़े-बड़े कार्यों का सम्पन्नता के लिए आवश्यक है ।

उत्तरदायित्व और सत्ता के बीच सम्बन्ध का वात में एक ध्यान रखने योग्य

बात यह है कि इन लोगों का अनुभव बराबर हाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक अधीनस्थ को इतनी शक्ति सौंप दी जाय कि वह अपने सभी कर्तव्यों तथा असीमित उत्तरदायित्वों को ठीक प्रकार से पूरा कर सके। दूसरे शब्दों में यदि आप किसी को उत्तरदायी बनाना चाहते हैं तो उसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की सत्ता दी जानी चाहिए। सत्ता और उत्तरदायित्व की मात्रा में समानता होने पर कठिनायियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि सत्ता कम और उत्तरदायित्व अधिक हुए तो वे पूरे नहीं होंगे। दूसरी ओर यदि सत्ता अधिक और उत्तरदायित्व कम हुए तो सत्ता के दुरुपयोग की सम्भावना होगी। हेमैन (Haimann) के शब्दों में प्रयायाजित सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच असमानता अनचाहे परिणाम उत्पन्न करती है।¹

यद्यपि एक संगठन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जब निम्न अधिकारी हस्तांतरित शक्ति के साथ कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहें तथापि सत्ता और उत्तरदायित्व की समान मात्रा का सिद्धांत सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। बर्नार्ड और उर्विक (Barnard and Urwick) ने उत्तरदायित्व और सत्ता में समानता के सिद्धांत को इस आधार पर चुनौती दी है कि कई बार व्यक्तियों का ऐसी स्थिति में लाल लिया जाता है जबकि वे उत्तरदायी नहीं बना लिये जाते हैं किंतु सत्ता नहीं रख सकते।² सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच समानता का सिद्धांत न्यूमन (Newman) के अनुसार एक बुरा सिद्धांत है जो मनका गणन पहचान पदा कर सकता है।³ सत्ता के रूप एवं प्रयोग पर अनक वाह्य परिस्थितियों की सीमायें तथा आंतरिक बाधाओं के बंधन रहते हैं ऐसी स्थिति में प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति को समान उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जा सकते। कई उत्तरदायित्वों की प्रकृति ऐसी होती है जिनमें सत्ता की आवश्यकता नहीं रहती और हाती है तो सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिये आपका यह एक नागरिक उत्तरदायित्व (Civic Responsibility) हो सकता है कि अपने पड़ोसियों की सुख सुविधा के लिए काय करें किंतु यह उत्तरदायित्व आपका कुछ शक्ति नहीं सौंपेगा। इसके नाम पर आप स्थानीय सरकार में कोई पद प्राप्त नहीं कर सकते।

चेस्टर बर्नार्ड (Chester Barnard) का मत है कि किसी भी संगठन में एक अच्छी कार्यपालिका वह होनी है जो यह समझती है कि वे काय किस प्रकार सम्पन्न कराए जाएँ जिनका करन की सत्ता नहीं दी जा सकती। इसलिए एक नए प्रशासक का सबसे पहले यह बताना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश संगठनों में ऊँचे या नीचे स्तर के व्यक्तियों को बहुत थोड़ी सत्ता देने या विकृत न दान पर पूरी तरह से जवाबदेह और उत्तरदायी ठहराया जाता है।⁴ उत्तरदायित्वों के कुछ विस्तृत रूप

1 H m op t p 59

2 L Urwick Nat h Th y f O g at pp 51-52

3 N w m n Adm t t A t pp 1-4

4 R w f U w k book Th Fl m t f Ad trat n P ncl

ना शोचत ह । "सका एक नविक शेष भी हाता" जिनम "म उत्तरदायित्वा का अधिक न अधिक लन म प्रमत्तता का अनुभव करत हैं और उमक वपन या उत्तके निग सत्ता की आकाक्षा नही करत । उनल कल (General Clay) के विचार म उत्तरदायित्व क वसी रूप का अनुभूति शक्ती है । व एक एम शक्ति की मित्रता म सन्नाप का अनुभव करत " जा अपन उत्तरदायित्वा का निरतर व्यापक बनाना चाहता " । नविक रूप म उत्तरदायित्व का कुछ भी अनुभूति ना सकता है किंतु "मया अथ यह नया हाता कि उत्तरदायित्व और समान माना का सिद्धांत काइ महत्व नया रखता । हर्मन (Haimann) क अनुसार सत्ता जोर उत्तरदायित्व का मायताए पस्प घनिष्ठ रूप म नना सम्बन्धित हैं कि जब त" दान वा मात्रा समान न " मना "वावन्तिक उद्यम क लिए प्रयासजन का सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावहीन श जाती ह ।¹

उत्तरदायित्व क अर्थ रूप का हम आधय क जाशर पर विभाजित कर सकत हैं । "म प्रकार क विभाजन क लिए व" देखना जरूरी है कि उत्तरदायित्व ए" व्यक्ति म शक्ति = जयदा अनक व्यक्तियाम । नाक प्रामात म म सन्निपा (Committees) मण्डल (Boards) निगमा (Corporations) आदि क अधिराधिक प्रयाग क कारण सत्ता का श" एक व्यक्ति न हाकर एक मसू" का बनाया जाता = । एमी स्थिति म सम्पन्न किए जान वान कार्यों क लिए किमी एक व्यक्ति वा उत्तरदाया ननी ठरराया जा सकता और मगठन म हान वाना गलिया तथा अनियमितताजा क लिए काइ एक व्यक्ति दापा नहा माना जा सता । इन उदाहरणा म उत्तरदायित्व " रूप शक्तिगत रूप म भिन्न ह तथा एम । मम्मिनित उत्तरदायित्व (Joint Responsibility) का नाम लिया जाता है ।

मम्मिनित उत्तरदायित्व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (Individual Responsibility) का अपन्ना क कारण स अधिक उपयुक्त समचा जाना है । "म प्रकार क उत्तरदायित्व म सत्ता का प्रयाग पयाप्त विचार विमग क वा" हाता ह "मनिग वाय ठाक एम म नान = जोर सत्ता " उपयुगा नया न पाता । सत्ता जननिनारी वाय करन म अधिक सफ" । सत्ता " कय कि मम्मिनित उत्तरदायित्व की व्यवस्था स का" भा एक व्यक्ति शक्तिय का प्रयाग अपन शक्तिगत स्वाध माधन क लिए नया कर सकता । मम्मिनित उत्तरदायित्व " शब्दा म का निगम लिए जान हैं उनक प्रति जधानस्थ कर्मचारिया की अधिक शक्ती और म भावना शक्ती है कय कि व गृह जानन हैं कि य निगम अन" व्यक्तिया "। एक उम्वा निमागा कसरत क परिणाम हैं ।

मम्मिनित उत्तरदायित्व का व्यवस्था का शपा म मुक्त नहा समया ना

सकता। इसमें वे अनेक नाम नदी होने जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की विशेषता समझ जाते हैं। उदाहरण के लिए जब किसी कार्य के लिए हम एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराते हैं तो वह कार्य की सम्पन्नता में सहायता और उचित उत्तरदायी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत रचि का प्रयोग कर सकता है। यही तीनों ही बातें सम्मिलित उत्तरदायित्व की व्यवस्था में प्रायः नहीं पाई जाती।

सत्ता और जवाबदेयता (Authority and Accountability)

जवाबदेयता (Accountability) और उत्तरदायित्व (Responsibility) वस्तु कुछ समानार्थक से शब्द हैं जिनकी प्रायः एक-दूसरे के लिए भी प्रयुक्त कर दिया जाता है। जवाबदेयता शब्द का प्रयोग मुख्यतः सैनिक संगठन में किया जाता है और इस अर्थ में जवाबदेयी होने का अर्थ है—सही-सही और पर्याप्त रिकार्ड रखना और उस प्रकार जन-सम्पत्तियों की सुरक्षा करना। अनेक लेखकों ने जवाबदेयता (Accountability) और उत्तरदायित्व (Responsibility) के बीच भेद दिखाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए पीटरसन और प्लोमन (Peterson and Plowman) के अनुसार जवाबदेयी होने का अर्थ है पूरा किए गए अथवा न किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी (Answerable) होना।¹ पर इस प्रकार की परिभाषाओं से यहाँ स्पष्ट नहीं है कि उत्तरदायित्व (Responsibility) के सम्बन्ध में भी परिभाषाओं से अधिक भिन्न नहीं हैं।

जवाबदेयता की मायता उत्तरदायित्व की व्यवस्था में अपने-आपे निहित नहीं जाती है। दोनों के बीच मुख्य अंतर यही माना जा सकता है कि उत्तरदायित्व (Responsibility) में नैतिकता (Morality) का घुट रहता है तथा यह नीति शास्त्र के क्षेत्र में भी अपना दखल रखती है। दूसरी ओर जवाबदेयता एक कानूनी मायता है जिसका सम्बन्ध प्रशासनिक क्रियाओं में अधिक है और जो नियंत्रण की याचना के एक भाग के रूप में भाग कार्य करती है। सत्ता और जवाबदेयता का निकट सम्बन्ध है। सत्ता के बिना उत्तरदायित्व नहीं है। पहले रूप में वह पूरी तरह से औपचारिक और कानूनी होती है तथा दूसरे रूप में वह औपचारिकताओं तथा बाह्य प्रभावों से निश्चित होती है। सत्ता का घुटता रूप जवाबदेयता से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है जबकि उसके उल्टे रूप में उत्तरदायित्व समाप्त रहता है।

सत्ता के कार्य

(Functions of Authority)

सत्ता अपने-आप में कोई गुण नहीं होती। उचित महत्त्व पर मायता तथा निश्चित के रूप में होती है जिसके द्वारा कुछ कार्य का प्राप्त किया जा सके। कहा

जाता है कि सत्ता द्वारा दूसरे व्यक्तियों के संचालित निणयों के अधीन व्यक्ति के निर्णयों का रखकर समूह में समन्वित व्यवहार कायम किया जाता है। इस प्रकार मत्ता के प्रयोग द्वारा यह सम्भव होता है कि निणयों का प्रक्रिया का वास्तविक कार्यों में अग्रगण्य किया जा सके। निम्न प्रकार एक जगज के कर्णाल की प्रतिपत्त अपन जगज का स्थिति का जान रहता है तथा उन जान के आधार पर ही वह निणय बना रहता है उसी प्रकार एक संगठन का मध्यम अपन व्यवहार का संगठन की निर्णय देने वाली इकाई के सम्मुख प्रस्तुत करता रहता है। इस प्रणाली में एक तो व्यक्ति के कार्यों के बीच भा समन्वय बना रहता है तथा दूसरे अनेक व्यक्तियों के व्यवहार के बीच भा समन्वय स्थापित हो जाता है। शीघ्र स्थितियों में विशेष निणयों को सामान्य निर्णयों के अधीन रखा जाता है निणयों की प्रक्रिया में विशेषीकरण (Specialization) बिना मत्ता के प्रयोग के भी हो सकता है। एक इकाई को केवल परामर्श देने का कार्य सौंपा जा सकता है तथा उसकी सिफारिशों के आधार पर वास्तव में कुछ निणय लिए जा सकते हैं जिन्हें संगठन स्वीकार करेगा। जब संगठन एक स्टाफ एजेंसी (Staff Agency) की सिफारिशों को बिना उसकी सलाहों का जांच किए स्वाकार कर लेता है तो सकारण है कि वह अधिकारण वास्तव में कुछ मत्ता का प्रयोग कर रहा है। सम्भवतः संगठन में एक उत्तरदायक प्रस्तुत करना बहुत कठिन होगा जहाँ निणय लेने की प्रक्रिया का एक प्रभावशाली विशेषीकरण स्थित हो और उन लागू करने के लिए किन्हीं प्रकार का मत्ता का प्रयोग न करे। जब एक समूह के कार्यों का समन्वय करने के लिए मत्ता का प्रयोग के रूप में उपयोग किया जाना होता है तो मत्ता मुख्य रूप में तीन प्रकार के कार्य करती है। सायमन (Simon) ने इन कार्यों का निम्न प्रकार में उल्लेख किया है¹—

- (1) यह उन कार्यों का कुछ उत्तरदायक सौंपती है जो मत्ता का प्रयोग कर रहे हैं।
- (2) यह निणय लेने में विशेषज्ञता का काम में करती है।
- (3) यह क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है।

1. मत्ता के राजस्व तक सब दानुनी पत्रपुत्रा पर विचार कर विचारका न इस क्षेत्र पर जोर दिया है कि मत्ता का एक प्रमुख कार्य यह है कि यह व्यक्तियों, समूहों की समाज द्वारा स्थापित आदर्शों के साथ एक रूपता स्थापित करती है। चार्ल्स मरियम (Charles Merriam) आदि विचारका का नाम नम उल्लेखनीय है। उत्तराण के लिए व्यवस्थापिका के कानूनों का चिन्ता जा सकता है। व्यवस्थापिका के कानूनों केवल राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासकीय पत्रपुत्रा द्वारा ही मत्तावादी नहीं माने जाते अपितु उत्तराण का स्थिति में उन सभी व्यक्तियों द्वारा

माने जानें जाते हैं। उन कार्यक्षेत्र में मरुद्ध न जब कभी इनका उल्लंघनकर्ता सदस्य के विरुद्ध दवावा (Sanctions) का प्रयोग किया जा सकता है। यह सब है कि अनक अत्यन्त में अपूर्ण सामाजिक संस्थाओं के केन्द्र में सत्ता की प्रवस्था निहित रहती है तथा साथ ही उस लागू करने वाले दबाव भी रहता है। साथ ही इसका सर्वोच्च मन्त्रव्यवस्थापन उपाकरण माना जाता है। इस सम्पत्ति का कानून धार्मिक सम्प्रदाय और परिवार भी बहुत-कुछ अभी जगती में आता है।

जब सत्ता को उत्तरदायित्व लागू करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो उस प्रक्रिया में सम्भव दबाव (Sanctions) एक कानूनी अभिप्रेत प्रस्तुत करते हैं। दवावा के बिना सत्ता प्रायः प्रभावहीन एवं मन्त्रव्यवस्थापन ही जाती है। जब भी कभी हम किसी की आजादी का पालन करते हैं तो जिनके अथवा अचेतन रूप से हमारे दिल में उन दवावा का भय रहता है जिनको आजादीपालन न करने पर हमारे विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सकता है। एक सत्ता के दवावा का रूप नित्य सामाजिक धार्मिक राजनीतिक कानूनी अथवा गणतन्त्र विना प्रचार का ही सकता है। इन दवावा के भय से ही समाज में ऐसी परम्पराएँ स्थापित हो जाती हैं जिनके फलस्वरूप प्रत्येक यह विश्वास करने लगता है कि उस सत्तापण संस्थाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए और उन दूसरों के अधिकारों को मायता देनी चाहिए। सत्ता और उत्तरदायित्व के सम्बन्धों को केवल दवावा के माध्यम से वर्णित नहीं किया जा सकता फिर भी यह एक तथ्य है कि सत्ता अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों को उत्तरदायी बना देती है।

2. सत्ता का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसका द्वारा जो नियम लिए जाते हैं उनमें उच्च स्तर की वृद्धि का प्रयोग किया जाता है और वे अत्यन्त प्रभावशाली होते हैं। सत्ता का प्रयोग करते समय एक सगठन के उच्च अधिकारी अपने विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करते हैं। पशासकीय कुशलता के लिए विशेषीकरण मौलिक रूप में अपूर्ण विषय है। इसका द्वारा सगठन के प्रयासों का परिणाम कई गुणा हो जाता है। विशेषीकरण एक ही साथ कार्यों की प्रक्रिया से सम्बन्धित होता है और वह नियम भी बनाता है। वह सगठनों में विशिष्ट ज्ञान का लाभ प्राप्त करने के लिए सगठन के कार्यों को विभिन्न भागों में बाँट लिया जाता है तथा यह व्यवस्था की जाती है कि जिन कार्यों में एक विशेष धारणा की आवश्यकता है उस योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा ही पूरा किया जाए। इसी प्रकार नियम बनाने की प्रक्रिया में भी विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त करने के लिए नियम बनाने का उत्तरदायित्व यथासम्भव इस प्रकार किया जाता है कि जिन नियमों में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है वे विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा ही तैयार किये जाएँ। एक सगठन के नियमों की अनेक भागों में विभाजित कर दिया जाता है और सगठन के प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी भाग के साथ सम्मिलित कर लिया जाता है।

प्रकृति अत्यंत कठोर होती है। यही कारण है कि उनमें अस्वीकृति का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है।

उच्च अधिकारी के विचार ✓

(Ideas of Superiors)

किसी भी संगठन विशेष में कार्य करने वाले उच्च अधिकारी कितनी सत्ता का उपयोग करेंगे यह बात बहुत कुछ उनके स्वयं के विचारों एवं भावों के तरीकों पर निर्भर करती है। जब वे अपने अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश प्रदान करते हैं तो अंशतः वे एक सत्ताधारी के रूप में व्यवहार नहीं करते। यह एक व्यावहारिक बात है कि यदि सत्ता का बार-बार प्रयोग किया जाएगा तो वह उतनी प्रभावशील नहीं रहेगी। यही कारण है कि प्रशासनिक आधुनिक विचारों द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि उच्च अधिकारियों को अपनी सत्ता पर स्वयं ही अंकुश लगाना चाहिए। उनकी संपादन के अनुसार एक उच्च अधिकारी को सत्ता का यथासम्भव कम प्रयोग करना चाहिए और अन्य प्रकार के प्रभावों एवं दुबावों का काम में लाना चाहिए।

नेतृत्व की सीमाएँ

(The Limitations of Leadership)

सत्ता का चाहे कितनी भी सत्ता प्रदान कर दी जाए वह उसका प्रयोग अनिर्दिष्ट रूप में नहीं कर सकता। प्रो. चार्ल्स मरियम (Charles E. Merriam) ने राजनीतिक सत्ता के प्रयोग की सीमाओं का वर्णन किया है। यदि हम प्रशासकीय संगठनों के अस्तित्व पर एक विह्वल दृष्टि डालें तो शीघ्र ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनमें सत्ता किस सीमा तक वास्तव में नृत्य करती है। प्रत्येक संगठन के संस्था का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया जाता या उसके प्रति उत्तमगति बरनी जाती है। इस प्रसंग में हबर्ट सायमन की लक्षण युक्त अभिव्यक्ति उल्लेखनीय है कि एक नेता या उच्च अधिकारी कबल एक बस का चालक होता है। यदि वह चालक यात्रियों को वांछित दिशा में न ले जाए तो यात्रियों द्वारा वह छोड़ दिया जाएगा। चालक अपनी स्वेच्छा के प्रयोग बहुत कम कर सकता है। वह केवल यही देख सकता है कि किस दिशा में प्रयोग किया जाय। यही प्रकार जब संगठन का नेता अपनी शक्ति का प्रयोग संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करना है तो वह प्रभावशाली बना रहता है। इसके विपरीत यदि उसकी आत्माएँ संगठन के उद्देश्यों से भिन्न हों तो वह अपना प्रभाव खो देगा और उसकी सत्ता अशक्त बन जाएगी।

सार्वभौमिक संगठन में सत्ताधारी का स्थिति एवं व्यवहार का अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि वह जिस सत्ता का प्रयोग करता है वह किसी प्रकार भी अनिर्दिष्ट एवं अबाधित नहीं होती बल्कि उस पर अनेक प्रकार के

विश्व प्रकार का प्रचार करेंगे। सत्ता पर मनाविज्ञान का प्रभाव मर्यादित होता है। स्पष्ट सामान्य आदि विचारको का कर्त्ता है कि मनाविज्ञानिक सूक्तियाँ सत्ता के क्षेत्र का निश्चित वर्तन में मत्स्वपूर्ण होती हैं तथा उस मात्रा का भी स्पष्ट करती हैं जिसमें आदेशकता की शक्तियों का पालन किया जायगा किंतु जब सत्ता का स्वीकार किया जाता है तो इसके द्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि प्रथी स्था का व्यवहार का होगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनाविज्ञान प्रशासन में एक शत के रूप में प्रवेश पाता है जिस प्रकार कि भौतिक शारीरिक तथा वातावरण सम्बंधी प्रत्येक प्रवेश पाता है यह प्रशासन की तकनीक का एक भाग है इस प्रशासन की विचारधारा का भाग नहीं माना जा सकता।¹

सत्ता के स्रोत

(Sources of Authority)

किसी भी यावसायिक उपक्रम में सत्ता हमारे समाज में निजी सम्पत्ति पर बधानिक अधिकारों पर आधारित है। एक यावसायिक संगठन में एक मानिक चाहे वह प्राप्रिटर हो, साभ्दर हो अथवा अध्यक्षारी हो, उन बधानिक अधिकारों के वह उगा सम्पत्ति का उपयोग करने हतु दिदेशन दे। इस स्वामित्व के निगमों की सीमा उसकी उस व्यवसाय में बधानिक स्थिति पर निर्भर है। निगमों (Corporations) में अध्यक्षारियों का मताधिकार प्राप्त हो अथवा न हो सकता है किन्तु जिन्हें मताधिकार प्राप्त है वे संचालक मण्डल (Board of Directors) के सम्स्या का चुनाव कर सकते हैं। संचालक मण्डल द्वारा सभापति (Chairman) का चुनाव किया जाता है जो कि इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। स्वामित्व से लेकर प्रबंधन की क्रियात्मक स्तर (Operating level of management) तक के सम्बन्धों का अध्ययन करके उनकी अधिकार सत्ताओं का पता लगाया जा सकता है। यदि सभापति या अध्यक्ष किसी वाणीय प्रतिष्ठान का मासिक धन पर नियुक्ति किया जाता है तो उनमें अधिकार अलग हाग। इससे विपरीत यदि सभापति अथवा अध्यक्ष कम्पनी का स्वामी एवं प्रबंधक दोनों का कार्य करता है, तो वे दोनों अलग अलग लेकिन एक दूसरे से सम्बन्धित कार्यों को कर रहा है।


निरंकुश बनाम प्रजातांत्रिक सत्ता

(Autocratic Versus Democratic Authority)

किसी भी यावसायिक संगठन में सत्ता का स्रोत उच्च स्तर में होता है। यह संगठन के विभिन्न स्तरों को एक दूसरे से जोड़ देती है। उच्च स्तर में प्राप्त सत्ता संगठन के मध्यम स्तरों में विभिन्न व्यक्तियों को प्राप्त होती है। धर्मार्थ मस्याओं

(Charitable Institutions) अथवा न लाभ न शक्ति वाली संस्थाओं में उच्च स्तर की प्रगति हेतु निम्न स्तर के स्थान पर निम्न स्तर से प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक अधिकार-सत्ता के अन्तर्गत भी सत्ता का आतंन स्तर का होता है। उदाहरणार्थ हम मध्य निम्न स्तरीय माध्यम श्रमिका से शुरू होता है तथा स्थानीय, जिला, राज्य, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्नत प्रगति बनाया जाता है।

इस प्रकार एक धर्म संगठन में सत्ता जो कि एक न लाभ न शक्ति वाला संगठन है, अधिकार सत्ता निम्न स्तर से निम्न प्रकार प्रगति की जा सकती है—



एक व्यावसायिक संगठन में उच्च स्तर से प्राप्त वाला सत्ता अधिकार है क्योंकि एक उपक्रम के प्रबंध की सफलता के लिए यह आवश्यक है। हमारी प्रजातांत्रिक शासन-व्यवस्था में सामूहिक रूप में कार्य करने पर किए गए अनुसंधान आदि के कारण क्रियात्मक समूहों की प्रभावशालिता में सुधार हेतु प्रजातांत्रिक तरीका पर जोर दिया गया है। सभी प्रबंधक निर्माण (Decision making) और समस्या निवारण हेतु प्रजातांत्रिक तरीका का अधिकार उपयुक्त नहीं मानते हैं। कई कार्यकारी अधिकारी श्रमिका को स भागिता को भी एक प्रकार से उनकी अधिकार सत्ता का छोड़ना समझते हैं।

अधिकार-सत्ता की समस्या का एक प्रभावपूर्ण प्रस्ताव सत्ता के स्पष्ट अर्थ समझने अधिकार-सत्ता के व्यवहार और समूहों द्वारा प्रजातांत्रिक कार्य करने आदि पर निर्भर करता है। प्रबंधकों को एक-दूसरे का समझना होगा जो कि न तो निरनुसंधान के अन्तर्गत ही है, न ही प्रजातांत्रिक प्रणाली की ही पोषण करेगा। प्रजातांत्रिक कार्यवाही के हमारे नाम को किस प्रकार काम में लाया जाए इसके लिए हम अनुसंधान करना होगा। आधुनिक प्रगतिशील प्रबंधक अपना अधिकार समझ समझदारी प्रबंध (Participative Management) पर अनुसंधान करने में तैयार रहें हैं। अतः किसी भी व्यावसायिक संगठन में प्रजातांत्रिक सामूहिक कार्य की विचारधारा की उपस्था नहीं करनी चाहिए।

सत्ता क भेद (Kinds of Authority)

जिसे भी यावमायिक स्थान में सत्ता का भारापण (Delegation of Authority) स्पष्ट एवं उचित करने हेतु संगठन के अधिकारियों का मध्य प्रसार की सत्ता का ज्ञान जाना आवश्यक है। सत्ता मुख्य रूप से रखा कमचारी तथा त्रिधात्मक होती है। सत्ता सम्बन्ध में ही उपक्रम के विभिन्न भागों को जोड़कर और उनका समन्वय किया जाता है। अधिकार सत्ता के विभिन्न भेदों का विवरण निम्न प्रकार से दिया जाता है—

1. रण सत्ता (Line Authority)—यह एक संगठन की सूत्र एवं आधारभूत प्राधिका सत्ता है। यह दूसरों का प्रभावित करने वाला मन्त्रों का कार्य करने के लिए शक्ति करने सम्बन्धी प्रतिभ सत्ता है। इसी के माध्यम से संगठन में की जान वाली समस्त क्रियाओं का प्रयत्न अथवा अप्रयत्न रूप से अनुमानित किया जाता है। इसी से संगठन में कार्यरत कमचारियों के विचारों का जानकर उनका निदेशन किया जाता है और उनको निर्णयों योजनाओं नीतियों पद्धतियों क्रियाओं और उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जाता है। यह एक कमचारी और उसके पर्यवेक्षक के बीच पाए जाने वाले संबंध का हृदय है। रखा अधिकार सत्ता न केवल निम्न स्तरों का अधिकार मात्र है बल्कि यह आदेश देने का अधिकार है। रखा सत्ता एक प्रत्यक्ष सत्ता है जो कि एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कमचारियों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू की जाती है और इस प्रकार यह सत्ता ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है।

एक संगठन के कमचारियों की क्रियाओं का सत्ता द्वारा आदेशित करना अथवा उनको प्रतिभ रूप से अनुमादित करना एक कमचारी अधिकारी का विशेषाधिकार मात्र है। पर प्रबंधकीय प्रतिभ उनके अधिकार क्षेत्र तक उनके कार्यों को निश्चित करने योजना बनाने संगठित करने अथवा नियंत्रण करने का कार्य कर सकते हैं लेकिन वे दूसरों तक अपने अधिकारों को आदेश के रूप में काम में नहीं ला सकते हैं। जब कभी भी यदि कोई प्रतिभ दूसरों के व्यवहार को निश्चित करता है तो वह प्रबंधकीय कार्य करता है।

यद्यपि रखा सत्ता आदेश देने का अधिकार है लेकिन यह एक असीम सत्ता (Absolute Authority) नहीं है। प्रत्यक्ष अधिकारी जो इसका उपयोग करता है और इसमें प्राप्त परिणामों के लिए जिम्मेदार होता है उसे हमेशा सावध समझकर तथा सत्ता के भारापण क्षेत्र का ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें संगठन के लिए किए गए उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए सभी शक्तियां तारा स्वावृत्ति दी जानी चाहिए।

रखा-सत्ता को प्रमुख उद्देश्य मंगलन व कार्य को प्रभावपूर्ण रूप में करना है। यह कार्य सत्ता में दिया जाता है—


1. इस संगठन में त्रिआत्मक क्रिया का आना ही म दिया जा सकता है। इस व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का करन की शक्ति का मूलपात्र होता है। संहवाहन के माध्यम से नवृत्त भी म त्वपूर्ण ढंग से किया जाता है।

2. विभिन्न व्यक्तियों की सत्ता के शक्ति की सीमाओं का निर्धारण करके नियंत्रण करन में मदद करती है। इसी संगठन से उपक्रम की योजनाओं और नीतियों के अनुरूप कमचारियों से काम लिया जाता है।

3. रखा सत्ता से विभिन्न प्रस्तावों अथवा कार्यों की स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त किया जा सकता है। विना संघर्ष में अधिकार सत्ता के संगठन में कार्यरत कमचारी निश्चित नष्ट जान कि उनकी क्रियाएँ प्रभावी होगी अथवा नहीं।

रखा-सत्ता केवल उन्हीं प्रबंधकों को दी जाती है जो प्राथमिक उपक्रम के आधारभूत कार्यों में लगे हुए हैं। अधिकांश निर्माणकारी उद्योगों में प्रबंधकों के आधारभूत कार्य उत्पादन और विनियमन माने जाते हैं। इसी प्रकार विपणन उपक्रम (Marketing Enterprise) में भी वही कार्य (थान एवं गुरार) माना है। आधारभूत कार्य हैं जबकि यही एक निर्माणकारी उद्योग में सेवा कार्य (Service Function) के अंतर्गत आता है।

रखा-सत्ता का समझन हेतु निम्नलिखित चित्र दिया जा सकता है—



उपरोक्त चित्र में सत्ता का प्रवाह (Flow of Authority) ऊपर से नीचे की ओर है। सर्वोच्च सत्ता अधिकारी संचालक मण्डल है जिसके नीचे महाप्रबंधक (General Manager) कार्य करता है तथा महाप्रबंधक अपने नीचे उत्पादन, वित्त, विनियम एवं कमचारी विभागों के अधिकांश कार्य को निर्देश अथवा आदेश देकर कार्य करवाता है। विभिन्न विभागों के अपने अधीनस्थ कमचारियों को आदेश देकर उन्हें मन्वित के लिए हुए उद्देश्यों को प्राप्त करन हेतु प्रेरणा देते हैं।

2. कमचारी सत्ता (Staff Authority)—इस सत्ता का व्यवसाय और उद्योग

म घट्टी तरफ से ही समझा गया है। इस भरी भाति न समझने के कारण ही कानून की अधिकारी के कार्यों के विषय में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। किसी लिए हुए संगठन में कमचारी अधिकार सत्ता का समझना बड़ा कठिन हो जाता है जबकि नये साथ से रखा अधिकार सत्ता भी है। सं प्रकार की सत्ता का क्षेत्र सीमित होता है जिसमें आदेश देने के अधिकारों की अनुपस्थिति रहती है और इसका विभिन्न कार्यों जैसे नियोजन, सिफारिश करना अथवा सहायता करना आदि में सहायक कार्य के रूप में मन्तव्य देना जाता है। सं प्रकार की अधिकार सत्ता के अंतर्गत रखा कमचारियों का स्टाफ अधिकारी (Staff Officers) सहाय्य देने का कार्य करते हैं और इस सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर पाया जाता है। इसमें रखा सत्ता की भांति अधिकारियों को आदेश देने के अधिकार नहीं होते हैं। इनका कार्य बतलाने के लिए सहाय्य रख अधिकारियों का देना होता है। विशेषज्ञों को अलग अलग विभागों में नियुक्त करने पर उन्हें अपने विभाग में कार्यरत कमचारियों पर अधिकार सत्ता अवश्य प्राप्त होती है। इनका मूल उद्देश्य विभिन्न उच्च अधिकारियों की सहाय्य के रूप में सेवा करना है। इस प्रकार ये अधिकारी जय अथ रखा अधिकारियों को सहाय्य देने का कार्य करते हैं जब स्टाफ सत्ताधारी होते हैं लेकिन अपने ही विभागों का नियंत्रण करने में रखा अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं अर्थात् ये स्टाफ एव रखा सत्ता का उपयोग करते हैं।

किसी भी उपक्रम के बढ़ते हुए आकार एवं जटिल समस्याओं के परिणाम स्वरूप कमचारी सत्ता (Staff Authority) उत्पन्न होती है। एक बड़े आकार वाले उपक्रम में रखा-सत्ता अप्रयोज्य होती है। इसीलिए कुछ अनिश्चित स्थानों का सृजन किया जाता है और इनमें विशेषज्ञों की नियुक्तियाँ कर दी जाती हैं। ये अपने-अपने क्षेत्र में विशेष कुशलता रखते हैं और इनकी सहाय्य के आधार पर रखा अधिकारी समस्याओं की विभिन्न समस्याओं का सामना करने में सफल हो जाते हैं।

विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण संगठन में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस विभिन्न उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो जाता है। विभिन्न विभागों में एक ही विभाग में केन्द्रीकरण होने से नीति नियंत्रण में आसानी रहती है। विभिन्न महत्वपूर्ण सेवा कार्य जैसे कार्मिक (Personnel) वित्त नये आदि को प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

स्टाफ अधिकारी विभिन्न रखा अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्य का मूल्यांकन करते हैं और विभिन्न विभागों में विभागों एवं विभागों में मन्तव्य स्थापित करते हैं।

वर्तमान समय में हम अधिकतर उपक्रमों में रखा अधिकार-सत्ता एवं कमचारी अधिकार-सत्ता दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। केवल छोटे स्थानों में कुछ मामलों तक रखा सत्ता मिलती है। लेकिन इस दोहरी प्रणाली के

मफलतापूर्वक काय करन हतु दाना म हा पारस्परिक सहयोग एव तादमन होना आवश्यक है । तकिन फिर भी कुछ कारणा से इस दोहरी व्यवस्था का चनान म कठिना उत्पन्न होता है । कई रखा अधिकारी यह नहा चाहत हैं कि उह कमचारा अधिकारी सनाह में और काय पूरा करन म अपनी साख बढ़ाएँ । बिना सकट क रखा अधिकारी स्टाफ अधिकारिया स मलाह ही नही लते हैं ।

इसके साथ हा कभा-कभी कमचारी अधिकारी क विषया पर ऐसी सनाह दते हैं जिस व्यवहार म तगू करना कठिन हो जाता है ।

कइ बार रखा अधिकारा को कमचारा अधिकारी का काय दे दिया जाता है जिसम वह उस पूण मफलता स नहा कर पाता है । एद कठिनाय्या क आवजू भी रखा एव कमचारा अधिकारिया की इम दोहरा प्रणाली को सफलतापूर्वक तगू करने हतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं¹—

1 व्यावहारिक एव उपयोग सलाह देन हतु सुरक्षित एव सुप्रशिक्षित व्यक्तिया का हा स्टाफ अधिकारिया क पना पर नियुक्त किया जाना चाहिए । इन अधिकारिया द्वारा रखा अधिकारिया को अपनी ठाम सलाह का समवान तथा इमने प्राप्त होने वान लाभ क विषय म जानकारी देनी चाहिए ।

2 रखा अधिकारिया को भी किसी भा महत्वपूर्ण नियय लन म पूर विशेषज्ञा स सलाह लन का आनी हा जाना चाहिए । विशेषता म सलाह नहा देने क पाछे पर्याप्त कारण हान चाहिए । दाना प्रकार क अधिकारिया क वाच सघष का टानन हतु एक दूसरे क कार्यों को बलतते रहना चाहिए ।

3 स्टाफ अधिकारिया को कुछ अधिकार प्रदान करन चाहिए जिसस कि बिना उनकी स्वीकृति क रखा अधिकारा नियय नो न मकें ।

4 किसी विषय पर दाना अधिकारिया म मतभन्न होने पर उन् मटा प्रवधक को अनील करन का पूर्ण अधिकार प्राप्त हाना चाहिए । तमम दाना के विवाद समाप्त हो जाएँगे तथा दाना म अद्द सम्बध स्थापित हो जाएँगे ।

✓ क्रियात्मक सत्ता (Functional Authority) —यन् कमचारी सत्ता की भाति रखा अधिकार-सत्ता की अधीनम्य प्रणाली है । यन् रेया तथा स्टाफ अधिकार-सत्ता क बीच की स्थिति है । यह सत्ता अधिकार सवा विभागायक्षा (Service Chiefs) का सौंरी जाती है जिसके अतगत इन अधिकारिया का अन्य विभागा क कमचारिया का आदेश देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है चाह य विभाग सवा विभाग हा अथवा नियात्मक विभाग हा । इम अधिकार-सत्ता की सामा अय विभागा क कमचारिया क क्रियात्मक मागशन तक

होनी = जिससे कि विभिन्न नीतियों, प्रणालियों और कार्यात्मक तरीकों को जानकारा मिल सके। क्रियात्मक अधिकार सत्ता स्थापित सत्ता का ही परिणाम है। यह अधिकार सत्ता उस समय उत्पन्न होती है जब कमचारी अधिकारी न कवन सदाह ही नेता है बल्कि इन सिफारिशों को प्रभावपूर्ण रूप से बस लागू करने के बारे में भी बताना है।

इस सत्ता के अंतर्गत रखा अधिकारिय के अधीनस्थ कमचारियों का न केवल अपन आधिकारी का आदेश मानना पड़ता है बल्कि उस क्रियात्मक अधिकारी का भी आदेश मानना पड़ता है। अतः एक ही कमचारी के एक से अधिक अफसर तहत है। यही सबसे बड़ी कमी इस प्रकार की संरचना की है कि इसमें आदेश की एकता के सिद्धान्त (Principle of Unity of Command) की अवहेलना की जाती है। लेकिन आधुनिक व्यवसाय जगत में निरंतर सरकारों नियमन प्रसंग के कार्य और जन समर्थन आदि में परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों का व्यवसाय में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता उसके लिए क्रियात्मक अधिकार सत्ता का हाना आवश्यक है। कमचारी अधिकारिय को ही विभिन्न विभागों के कमचारियों को भागदण्ड देने हेतु क्रियात्मक अधिकार-सत्ता प्रदान नहीं की जाती है बल्कि विभिन्न विभागों के समर्थन हेतु रखा अधिकारिय का भी इस प्रकार की अधिकार सत्ता प्रदान की जाती है। उदाहरणार्थ वस्तुओं का पकड़ कराने का कार्य उत्पादन विभाग का है लेकिन क्रियात्मक अधिकार का पूरा करने के लिए पकड़ कराने का कार्य में रुचि रहता है और कभी-कभी उस क्रियात्मक अधिकार-सत्ता प्रदान की जाती है जिससे कि वह उत्पादन विभाग के पकड़ कराने वाले कमचारियों का भागदण्ड कर सके। टेलर ने प्रबंध के क्षेत्र में इसी अधिकार-सत्ता का अनुमादन किया है।

इस प्रकार की सत्ता का सबसे बड़ा दोष आदेश की एकता के सिद्धान्त का अभाव पाया जाता है। एक ही कमचारी का कई अधिकारियों के आदेशों का पालन करना पड़ता है। यमम कौन किसके प्रति उत्तरदायी है तथा किसका कौन अधिकारी एवं अधिकार क्षेत्र है चमक अभाव में विभिन्न कमचारी अपन अधिकारों एक दायित्वों का पूर्ण रूप से निभा नहीं सकते हैं। लेकिन इन दोषों को दूर करने हेतु दो उपाय काम में लिए जा सकते हैं—✓

✓ अधीनस्थ कमचारियों का अपने रखा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हाना चाहिए न कि क्रियात्मक अधिकारियों के प्रति।

2/ क्रियात्मक सत्ता की सीमा संरचना के प्रथम स्तर तक ही सीमित रहनी चाहिए जो कि रखा अधिकारी के पद में मौजूद आती है। सेवा विभाग अधिकारियों (Service Department Executives) का स्टाफ तथा क्रियात्मक अधिकार-सत्ता प्राप्त होता है तथा उनके स्वयं के विभाग में रखा अधिकार-सत्ता भी प्राप्त होती है।

किसी भा मगठन म किम प्रकार का अधिकार-सत्ता का उपयोग किया जाए यह उस उद्योग का प्रकृति और कमचारियों की इच्छा तथा उच्चस्तराय प्रशासन पर निर्भर करती है मस्थान में पाई जाने वाली समस्याओं के आधार पर ही रखा कमचारी एवं न्यायमक अधिकार-सत्ता सीमा जा सकती है

सत्ता का भारापण

(Delegation of Authority)

मगठन की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया अधिकार-सत्ता का भारापण है। सभी क्षेत्रों में सत्ता का भारापण आवश्यक है। एक व्यावसायिक निगम (Business Corporation) में सर्वोच्च स्थान मचात्रक मण्डल (Board of Directors) का होता है। वह महा प्रबन्धक (General Manager) को अधिकार सौंपता है। इसके नीचे विभिन्न विभागों के विभागध्यक्ष फौरमैन मुररवा-जर तथा प्रमुख कार्य करते हैं। अतः विभिन्न कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता है और विभिन्न कार्यों के लिये विभिन्न व्यक्तियों का नियुक्त किया जाता है। ये विभिन्न व्यक्ति अपने दिये हुए अधिकारों में अपने दायित्वों का पूरा करते हैं। सत्ता का भारापण सचात्रक मण्डल द्वारा ही प्रबन्धक को जाता है। मग प्रशासन फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कमचारियों का कामकाज का भाग अपने पास रखकर अपने ही भारापण करता है। इस प्रकार अधिकार सत्ता का भारापण का प्रवाह उच्चमंतीय प्रशासन में निम्न स्तरीय प्रशासन तक जाता है। विभिन्न अधिकारियों का मगठन में जमी स्थिति होती है उसी के अनुसार उनको अधिकार-सत्ता का भारापण कर दिया जाता है। यह एक औपचारिक मरचनना है जिसके माध्यम से सत्ता सन्नि सम्बन्धों को स्थपित किया जाता है। एक परिवार का मुखिया भी अपने अधिकारों में से कुछ अधिकारों का भारापण उसकी धर्मपत्नी उसके बच्चे बड़े तथा उसकी पत्नी दर्यादि का करता है। बिना अधिकार दिये पूर्ण रूप से कार्य नहीं किया जा सकता है।

अर्थ (Meaning)—सत्ता के भारापण का अर्थ प्रबन्धक के विभिन्न कार्यों में से कुछ कार्य अन्य व्यक्तियों को सौंपने से है। इस कार्य को सौंपने की प्रक्रिया के साथ-साथ अधिकार तथा दायित्व भी सौंपे जाते हैं। विभिन्न प्रबन्धक विभाषना में भी भारापण की परिभाषा दी है। इनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

1/ प्रा चटर्जी (S S Chatterjee) के अनुसार प्रबन्धक और उसके अधीनस्थ चाहें प्रबन्धक है अथवा गर प्रबन्धक के बीच प्रबन्धकीय कार्य अथवा न्यायमक कार्य में हिस्सा देना ही भारापण में सम्मिलित है।¹

2/ प्रा ब्रच (F E L Brech) के शब्दों में संक्षेप में भारापण का अर्थ

है प्रबंध प्रक्रिया के चार तत्त्वों में प्रत्येक का एक अंश दूसरे का हस्तांतरित करना अर्थात् अन्य-यक्तियों की विद्याओं का आदेशित करना और उसी प्रकार के व्यक्तियों की विद्याओं हेतु निर्णय देने की जिम्मेदारी देना जो कि इन क्रियाओं के नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण से सम्बंध रखती है।²

3 प्राणन (Louis A Allen) के अनुसार भारापण प्रबंध की शक्ति है वह एक प्रक्रिया है जिसका अपना-अपना अपने-अपने कार्य का विभाजन कराया है जिसे वह कार्य के उसी भाग का सम्पादन कर जिसकेवल वह ही संगठन में अपने विशिष्ट स्थान के कारण प्रभावी रूप से कर सकता है तथा जिससे वह शेष काम में दूसरों की सहायता प्राप्त कर सकता है।²

एक प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भारापण स्वयं संगठन प्रक्रिया (Organisation Process) का एक अभिन्न अंग है जिससे कार्यकारी प्रशासनिक व्यवस्था प्रबंधक कर्मियों के उद्देश्य हेतु अन्य-यक्तियों का कार्य मॉड्यूल बनाने के लिए सम्भव प्रयत्न करती है। इसमें कार्य और उत्तरदायित्वों को सौंपने की एक अतिरिक्त प्रक्रिया का शामिल किया जाता है जिससे कि संगठन का नेतृत्व करने वाले को कार्य करने में सहायता मिल सके। इसमें अधिकार का प्रदान किया जाता है जिससे कि अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा सकें।

आधुनिक व्यवसायिक संगठन में विभिन्न जटिलताओं एवं समस्याओं के कारण विभिन्न अधिकारों नियुक्त किए जाते हैं। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्पूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। अतः वह अपने अधीनस्थों को कार्य सौंप देता है जिससे कि उसके पास उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्यों के लिए समय आसानी से मिल जाता है। इस विधि को जिसका अंगत जाधिकारी अपने कार्यभार को अपने अधीनस्थों में बाँट देते हैं और उन का कार्य को करने हेतु दा य एवं अधिकार सौंप देते हैं भारापण की प्रक्रिया कहते हैं।

भारापण के माध्यम से उच्च प्रबंधक अपने कार्यभार को कम कर देते हैं और अन्य उच्च स्तरीय निगरान में अधिक समय लगा सकते हैं। इससे प्रबंधक की कामकुशलता में वृद्धि आ जाती है और वह आसानी से अपना कार्य कर सकने में सक्षम होता है। इससे प्रबंधक एवं उनके अधीनस्थ कमचारियों का सम्बंध प्रभावित होते हैं तथा कार्य निष्पादन भी इससे प्रभावित होगा। उचित भारापण के अभाव में अधीनस्थ कर्मचारी कई-अधिकारियों से आदेश प्राप्त करेंगे और वे असमर्थ महसूस करेंगे कि किस अधिकारी का आदेश माना जाए।

यदि कार्यभार को बाँटा नहीं जाए तथा उपर्युक्त में अधिकारों का बंटवारा

नहीं हो तो वह समूह ही व्यर्थ है। भारापण एक सीमट की भाँत है जो कि विभिन्न कार्यों का एकत्रिण करन तथा विभिन्न यक्तियाँ के बीच सम्बन्ध निर्धारित करन का काम करता है।

भारापण के तत्व (Elements of Delegation)—भारापण प्रक्रिया में कुछ तत्त्व अथवा पहलू होते हैं जिनके बिना भारापण की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इन्हें हम भारापण सत्ता के आधारभूत चरण (Basic Steps in Delegating Authority) भी कह सकते हैं।

प्रा न्यूमन (William Newman) के अनुसार भारापण प्रक्रिया में तीन मुख्य पहलुओं को शामिल किया जाता है। ये हैं—

1/ कार्यभार सौंपना (Assignment of Duties)—भारापण प्रक्रिया में सबसे पहले महा प्रबन्धक को यह निश्चित करना पड़ता है कि मस्थान में कौन-कौन सी प्रबन्ध क्रियाएँ हैं तथा उनमें से किन का वह स्वयं करेगा तथा किन का भार वह सन्योगी प्रबन्धक (उत्पादन प्रबन्धक वित्त प्रबन्धक विप्रेय प्रबन्धक कमचारी प्रबन्धक आदि) का सौंपेगा। कार्यभार का विभाजन एक प्रबन्धक एवं उमक अधीनस्थ कमचारियों में तभी सम्भव होता है जबकि कार्य का आसानी से विभाजित किया जा सकता है। कार्यभार सौंपन हेतु काम का विभाजन आवश्यक है। भारापण का अर्थ समस्त दायित्वा का त्यागना नहीं है क्याकि एक प्रबन्धक उसका समस्त कार्य का उमक अधीनस्था का नहीं सौंप सकता है। भारापण की सफलता के लिए आवश्यक है कि मगन्तन में प्रत्येक यक्ति का दायित्व निश्चित हो।

2 सत्ता (Authority)—सत्ता की वह रूपा में व्याख्या की गई है। वैधानिक अधिकार (Legal Authority) में तात्पर्य किसी व्यक्ति का वह अधिकार है कि वह कार्यवाही करने के अधिकार में है। तकनीकी अधिकार (Technical Authority) का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक व्यक्ति के दक्षिणता का मायता देना। अन्तिम अधिकार सत्ता (Ultimate Authority) किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कार्य वां या व करने के प्राप्त अधिकारों के सौंपे जाते हैं। क्रियात्मक अधिकार (Operational Authority) का अर्थ अधीनस्था का कुछ णिय लन का अधिकार है। प्रशासनिक अधिकार (Administrative Authority) में कुछ स्वीकृतियाँ अथवा अधिकारों का शामिल किया जाता है। अधिकार हमेशा असीमित नहीं होते हैं। किसी भी यावगायिक समूह में कार्य का बटवारा उच्च स्तरीय प्रबन्धक एवं उनका अधीनस्था के बीच किया जाता है तबकि कवन कार्य के बटवारे से ही उद्देश्य पूरे नहीं होत है बल्कि कार्य को पूरा करने हेतु उनका सत्ता भी प्रदान की जानी चाहिए। जिस प्रकार ये एक प्रबन्धक द्वारा किसी कार्य के सम्पादन हेतु अधिकार

प्रदान किए जाते हैं। उन्हीं प्रकार अधीनस्था का भी अधिकार दिए जाने चाहिए। किसी भी अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा कार्य का प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा करने हेतु अधिकार भी दिए जाने चाहिए। जिस प्रकार एक प्रबंधक के सम्पूर्ण कार्य का भारापण उसके अधीनस्थों का नहीं हो सकता है उन्हीं प्रकार सत्ता भी पूर्ण रूप से सौंपी नहीं जा सकती। एक भाग रिजर्व के रूप में रखना आवश्यक है। उत्पादक तथा अन्य विभिन्न प्रबंधक का अपने नीचे के विभक्तियों का स्थान कीमत निर्धारण आदि अधिकार प्रदान करने चाहिए जिससे कि वस्तु की विभिन्न बर्तर्क जा सकें।

अधिकार सत्ता के स्रोत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलते रहते हैं। अधिकार स्थिति क्षमता ज्ञान व धार्मिक आदि कारणों से उत्पन्न हो जाती है।

3/ उत्तरदायित्व (Responsibility)—भारापण एकपक्षीय प्रक्रिया (One way Process) नहीं है। कोई भी भारपणकर्ता (Delegator) अपने अधीनस्था को कार्य एवं अधिकार देकर वेकर नहीं बट सकता है। वह अपनी जिम्मेदारियों को अधीनस्था के कार्य का दायकर निभाता है। वह अपने कार्य को पूरा करवाने हेतु अधीनस्था पर निर्भर है तथा इसका पूरा करने हेतु अपने अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है। एक निगम में महाप्रबंधक अपने सहयोगी प्रबंधकों जैसे उत्पादन प्रबंधक वित्त प्रबंधक विप्रेय प्रबंधक आदि से कार्य करवाने हेतु सचानक मण्डल के प्रति उत्तरदायी है और सचालक मण्डल शेरधारियों के प्रति दायी है। कार्यभार सौंपने वाले प्रबंधक अपने अधीनस्था के कार्य को मापने एवं उसका मूल्यांकन करने का कार्य करते हैं। कार्य एवं अधिकार का भारापण किया जा सकता है लेकिन दायित्व का भारापण (Delegation of Responsibility) सम्भव नहीं है। एक प्रबंधक अपने अधीनस्था के कार्यभार एवं अधिकार सौंप सकता है लेकिन उनके सम्पादन हेतु वह उच्च स्तरीय अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए प्रबंधक का अपने अधीनस्था को निर्देशित करने नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु कुछ सुरक्षित अधिकार रखने चाहिए। अधीनस्था को दिए गए कार्यों का पूरा करने का दायित्व ही जाता है और वह अपने अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

नेतृत्व

(Leadership)

नेतृत्व संगठन की आवश्यक स्थिति है। प्रत्येक संगठन या संस्थान में कर्मचारियों का कार्य हेतु अभिप्ररित करने के लिए जिन साधना का प्रयोग किया जाता है उनमें नेतृत्व एक प्रमुख साधन और तकनीक है। प्रबंध जगत में नेतृत्व का अपना विशिष्ट स्थान है। बिना नेतृत्व के संगठन कब व्यक्तियाँ और मशीनों के ढर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नेतृत्व का अभाव में कोई भी संगठन न तो व्यवस्थित और पूण औपचारिक संरचना हां प्राप्त कर सकता है और न ही वांछित लक्ष्य की पूर्ति का निश्चय में प्रगति ही कर सकता है। संगठन में सत्ता का तत्त्व होता है और सत्ता के साथ नेतृत्व का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। सभ्यता या प्रतिष्ठान की सफलता नेतृत्व की विधि पर निर्भर है। यदि कर्मचारी क्रियाश्रम का सही मंचालन किया गया और उनका प्रभावी मायदशन किया गया तो संस्था का सफलता का पूरी सम्भावना रहती है। पीटर एफ़ ट्वेकर न लिखा भी है— प्रबंध किमी व्यावसायिक उत्तरम का प्रमुख और दुर्लभ प्रसाधन है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व ही है।

नेतृत्व की आवश्यकता और महत्ता

(Necessity and Importance of Leadership)

नेतृत्व रूपी घोंघा दबन पर ही संगठन की क्रिया रूपी बटु चला सकती है अथवा नहीं। नेतृत्व वह मायता है जिससे नान-संस्था के कर्मचारियों से ही उचित कार्य लाने में समर्थ होता है। आयाजन संगठन निययन आदि प्रबंधकाय क्रियाएँ तब तक नगण्य हैं जब तक का नेता अधिकारियों और कर्मचारियों का इच्छित दिशा में कार्य करने के लिए निर्देशित करे न वह कार्य के लिए अभिप्ररित न कर दें। आधुनिक परिस्थितियों में प्रत्येक प्रकार के संगठन में—चाहे वह धार्मिक या सामाजिक या आर्थिक हो राजनीतिक हो या व्यावसायिक हां नेतृत्व का विशेष महत्त्व है। प्रबंध जगत में नेतृत्व की महत्त्वपूर्ण भूमिका को पीटर ट्वेकर के समान ही इंगित करते हुए जान जी रॉबेनर न लिखा है कि अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफलता में अकुशल नेतृत्व जितना उत्तरदायी है उतना का अर्थ कारण उत्तरदायी नहीं है।

नेतृत्व का महत्त्व इसीलिए बढ़ जाता है कि "संगठनात्मक व्यवहार का प्रभावशाली सुधारक" है। यह ठीक ही कहा गया है कि अन्त तक और अन्तव बात का स्थानापन्न (Substitute) विकसित हो गए हैं किन्तु नेतृत्व का स्थानापन्न का विकास नहीं हुआ है। लोक-व्यवस्थाकारों का यह क प्रसार के साथ सरकार का कार्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। विश्वनाथ प्रशासनिक संगठन जन्म न चुके हैं और आए दिन नए व्यवहार संगठन स्थापित हो रहे हैं। छोटे बड़े सभी संगठनों में जटिलताएं और विशिष्टीकरण घट करत जा रहे हैं। तकनीकी विकास ने एक विशिष्ट स्थिति पैदा कर दी है। संगठनों के सामाजिक भागों में वृद्धि हो रही है। लोकतांत्रिक राज्य में लोकतन्त्रात्मक संगठनों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व निर्वाह रूप से स्थापित हो चुका है। ये सभी परिस्थितियाँ हर प्रकार के संगठनों में कुशल नेतृत्व की मांग करती हैं।

प्रशासनिक नेतृत्व एक अनिवार्य तत्त्व बन गया है जिसके बिना किसी भी संगठन की कार्य भी योजना पूरी नहीं हो सकती किसी भी कार्यक्रम की गति नहीं मिल सकती संगठन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है और न ही समन्वय और मन्थन की प्रक्रियाएं प्रभावशाली बन सकती हैं। नेतृत्व का बिना छोटे बड़े किसी भी संगठन की स्थिति खी है जो समुद्र में नाविक के बिना नाव की होती है। जनसंख्या के प्रसार के साथ-साथ प्रशासनिक एवं व्यावसायिक संगठनों को अग्रगण्य कार्यक्रम संचालित करने पड़ते हैं जिनके क्रियाचयन की सफलता बहुत कुछ उनके नेतृत्व पर निर्भर है। संतुलन इच्छित न ठीक ही लिखा है कि नेतागिरी की समस्याओं का असाधारण महत्व आकार जटिलता विशिष्टीकरण संगठनात्मक सत्ता तकनीकी विकास और सामाजिक भाग जैसे आतिवारी तत्त्वों की वृद्धि का माध्यम बना है। (नेतृत्व द्वारा ही संगठन का वांछित उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से प्रतिक्रिया का समूह की क्रियाओं का सुचारु संचालन मांग निर्देशन नियंत्रण और समन्वय सम्भव है।)

टैननबाम बेशर एंड मसार्क (Tannenbaum, Weschler and Massarik) के अनुसार नेतृत्व में एक अन्त व्यक्ति प्रभाव (Inter personal Influence) उपस्थित रहता है जिसका प्रभाव वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिस्थितियों का अनुरूप निर्देशन एवं सम्पन्न प्रणाली द्वारा किया जाता है। एक नेता अपने नेतृत्व का प्रयोग या उपयोग अपने अनुयायियों की परिस्थिति विशेष में प्रभावित करने के लिए करता है।¹ एक प्रभावी नेता यह समझता और कुशलता

है कि वह अपनी इस दृष्टानुसार प्रतिक्रिया को कार्य के लिए निर्णय वाच्य या अभिप्रेरित कर सके। वह विभिन्न लोगों से कार्य करवा सकता है—यथा प्रतिक्रिया को

अपने प्रभाव से प्रभावित करके नम्र निवेदन करके डरा धमकाकर अपने प्रनिष्ठा और पद का सम्भवेकर या प्रसिद्धा का उनके उत्तरदायित्व का भान कराकर। किसी भी संगठन में नतृत्व अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि नेता द्वारा जसा कि मामोरिया एवं दशोरा ने लिखा है निम्नलिखित उद्देश्या की पूर्ति की चेष्टा की जाती है—

1 यह अपने सत्यागिया तथा अनुयायियों का अधिक काम के लिए प्रेरित करता है अर्थात् निर्धारित नक्ष्या का प्राप्ति करन तथा वांछित स्तर तक उत्पादन बनान का प्रयास करता है।

2 वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है एवं उनकी आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखता है। इस निष्ठा में कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं की प्रवस्था करन के लिए प्रयत्नशील रहता है।

3 वह शिक्षण प्रवर्धका के सम्मुख अपने समूह के कर्त्ता का प्रस्तुत करता है तथा समूह के सदस्या से संगठन के उद्देश्य का पूर्ति में सत्याग लेना है।

सारांशतः प्रवर्धक जगत में नतृत्व की आवश्यकता और महत्त्व (1) सामाजिक क्रियाओं के सञ्चालन के लिए (2) समन्वय की भावना के विकास के लिए (3) अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करन के लिए (4) कर्मचारियों को कार्य हेतु प्रेरित करन हेतु (5) अधिकारी वर्ग को सुविधा प्रदान करन के लिए (6) प्रवर्धक का सामाजिक प्राप्ति के रूप में परिवर्तित करन के लिए एवं (7) व्यवसाय की सफलता के लिए है।

संगठन में नतृत्व की बढ़ती हुई आवश्यकता के फलस्वरूप ही आज प्रशासकीय और वावसायिक माठों के अधिकारी विज्ञान शिक्षण-संस्थाओं के प्रवस्थापक राजनीतिज्ञ आदि नतृत्व में अधिकाधिक रुचि लेने लगे हैं। सत्ता और प्रवर्धक विषय का प्रत्येक लेखक नतृत्व पर अपना दृष्टि टिकाना है। नतृत्व सुनिश्चित रूप से प्रारम्भ से ही प्रवर्धक के अध्येतृ का एक अविभाज्य अंग रहा है तथापि आज इसका अध्ययन अधिकाधिक विभाषीकृत होना जा रहा है।

नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकृति

(The Meaning and Nature of Leadership)

इस बात पर विचारक एकमत हैं कि नतृत्व अनिवार्य रूप से संगठन का कर्त्वीय तत्त्व है तथापि नतृत्व के गुण और विशेषताओं के सम्बन्ध में मतभेद हैं। चेस्टर बर्नार्ड का कथन सही प्रतीत होता है कि नतृत्व के गुणों का पता स्वयं नेता को या उसके पीछे चलन वाला को भी नहीं रहता है। उन्हीं के शब्दों में वास्तव में मैं कोई एमा नेता कभी नहीं देना जा पर्याप्त रूप से बुद्धिमत्तापूर्वक यह कह सकूँ कि वह नेता बनने योग्य क्या है और नहीं उस नेता के अनुयायी यह बता सकते हैं कि वह उसका अनुगमन क्या कर रहे हैं। हम नेतृत्व का किन्हीं विशेष गुणों अथवा विशेषताओं की परिधि में नहीं बाध्य सकते क्योंकि इसका निर्धारण तो

सम्प्र परिस्थिति आवश्यकता संगठन के लक्ष्य उद्देश्य और प्रकृति आदि विभिन्न सत्ता द्वारा होता है और यन्त्र अनि परिवर्तनज्ञान प्रकृति के है।

प्रशासकिय संगठन के नतृत्व की विद्वानों ने विभिन्न शब्दों में परिभाषा की है। प्रसिद्ध विचारक हमन न लिखा है कि नतृत्व का एक नई प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा कार्यपालक शक्ति और संगठन के बीच मध्यस्थता कर कुछ विशेष लक्ष्य के ध्यान और उनकी प्राप्ति द्वारा वापस काम के रूप में हमारा न कार्यों का निर्देशित पथ प्रदर्शित तथा प्रभावित किया जाता है। यह कार्य उसके द्वारा इस रूप में किया जाता है कि दोनों का अधिक से अधिक सन्तुष्ट प्राप्त होता है।¹ हमें की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि एक नता संगठन के लक्ष्य एवं उसके सदस्यों के लक्ष्य के बीच एकत्व तथा सन्तुष्ट पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता है। वास्तव में अपने ही गुणों द्वारा एक नता संगठन में अपने अधीनस्थों को सन्तुष्ट लक्ष्य की दिशा में स्वेच्छा से चलाने के लिए प्रेरित करता है। केवल सत्ता का सहारा लेना एक अच्छे नता का गुण नहीं ही माना जाता। गवट टेनीवाम तथा फड मासारिक के मतानुसार नेतृत्व में सत्त्व नता अनुगामी के व्यवहार का प्रभावित करता है।² इस परिभाषा के अनुसार नेतृत्व में दो व्यक्ति होते हैं—एक प्रभावित करने वाला और दूसरा प्रभावित होने वाला। इनमें पहला नेता होता है और दूसरा अनुगामी। अनुगामी का अपना व्यवहार नता के निर्देशन तथा आदेशों के अनुसार चलाने करना होता है। यद्यपि नेतृत्व का मुख्य कार्य दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना है और यह कार्य नता के साथ में कुछ शक्ति एवं स्थिति की आवश्यकता पर जोर देता है तथापि अनेक विचारकों का मत है कि एक नता के लिए सत्ता की औपचारिक रचना आवश्यक नहीं है। कुन्ट्ज़ (Koontz) तथा ओडोनेल (O'Donnel) ने लिखा है कि नेतृत्व एक सन्तुष्ट नता की प्राप्ति के लिए लोगों को सन्तुष्ट बनाने हेतु सम्मान देने की क्रिया है।³ टेनीवाम और मासारिक (Tannebaum and Massarik) की भाँति बर्नार्ड (Bernard) ने भी नेतृत्व के तीन आधार माने हैं यही हैं—व्यक्ति (Individual) अनुगामी (Followers) और दशाएँ (Conditions)। उनका कहना है कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को उन गुणों का धारण करवाता है जिनके द्वारा वे संगठन के व्यवहार में योग्यता की क्रियाओं का निर्देशित करत है।⁴

मनी तथा रेन (Mooney and Reley) ने नेतृत्व की मता का ही एक रूप माना है। यह रूप नता प्रकट होता है जब सत्ता प्राणियों में चलाने होती है।⁵

1 H m n n o p c t p 440

2 R b l T n Damm and Frad M r k L d h p A Frame f R f n e" t t e ment S 4) U r l 57

3 H K a d O D n n l P pl f n n gem nt p 69

4 B d p it p 83

5 M o y J D a d R i l y A C Onwa d l ' try 1931 pp 32 33

मूनी तथा रसे न नृत्य एव सत्ता क बीच अष्ट सम्बन्ध माना २ । मत्ता क बिना कोई भी व्यक्ति नेतृत्व के उत्तरदायित्वा को पूरा नहीं कर सकता और सत्ता सम्पन्न पयक व्यक्ति एक नेता होता है । किन्तु जसा कि एल उर्विक आदि का मत है नेतृत्व का यह सही अर्थ नहीं माना जा सकता । नेतृत्व शब्द में जो बातें निहित हैं उन्हें केवल सत्ता शब्द द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता । कई बार हम ऐसे व्यक्तियों को नेतृत्व करते पाते हैं जो अधिकृत सत्ता का उपयोग नहीं करते । बर्नार्ड (Bernard) द्वारा प्रस्तुत की गई पूर्वोक्त परिभाषा को एल उर्विक (L Urwick) ने प्रायमिकता दी है किन्तु इसमें कुछ संशोधन सुझाए हैं । वह नेतृत्व का अर्थ यों ही बतलाता है कि 'यवहार का ऐसा गुण मानता है जिसके द्वारा अथ व्यक्ति नेत्रिका विज्ञान स्वीकार करते हैं ।' 1 इस प्रकार उर्विक नेतृत्व के सत्तावादी रूप की अपेक्षा उनका गुणात्मक पहलू पर अधिक जोर देता है ।

नेतृत्व क्या नहीं है ?

(The Illusion of Leadership)

नेतृत्व शब्द का अर्थ अत्यन्त ही लोकप्रिय है किन्तु इसका अर्थ अस्पष्ट एवं भ्रमपूर्ण है । नेतृत्व की अनेक विधायताएँ बनाई गई हैं परन्तु कई बार नेतृत्व के ये गुण परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं । किन्तु व्यक्ति के व्यवहार में नेतृत्व से सम्बन्धित एक या कुछ गुणा को देखकर उस नेतृत्व की मना दे दी जाती है जबकि वास्तव में वह क्रिया नेतृत्व की नहीं होकर कुछ और ही गानी है । नेतृत्व के अर्थ रूप एवं प्रकृति के सम्बन्ध में भ्रम अथवा अस्पष्टता का मूल कारण यह है कि नेतृत्व अनेक गुणा का समन्वय है और इन गुणा की मात्रा एवं प्रभाव निश्चित रहते हैं । यद्यपि निश्चिन माना कि कोई कभी हुई अथवा किनी गुण का अभाव रहा तो जा सकता है कि एक व्यक्ति का ऊपर से दखन पर नेतृत्व दिखाई देने वाला काय नेतृत्व नहीं होकर कुछ और हो । नेतृत्व के सम्बन्ध में जिन परिस्थितियों एवं अवस्थाओं द्वारा भ्रम उत्पन्न होता है । व मुख्यतः ये हैं—

1 नेतृत्व भ्रम नहीं है—नेतृत्व का आशय किसी ऐसी मत्ता से नहीं है जिसके अन्तर्गत से अधीनस्था में भय पैदा होना है । प्रायः जब कभी भाषण व्यक्ति का आगमन से किसी व्यक्ति-समूह में भय की चहुर उठत हुए देवत है तो ऐसा समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति एवं व्यक्ति-समूह के बीच नेता और अनुयायी का सम्बन्ध है किन्तु यह प्रकृति अथवा एव भ्रमक है । नेता की उपस्थिति में उत्पन्न होने वाला भावस्थक नहीं है । नेता के प्रति अनुयायियों का मन में उदात्त सम्मान एवं आदर का भावना रहती है और कई बार नेता के आगमन से अनुयायियों का मन में निर्भीकता का भाव जाग्रत होता है । नेता अनुयायियों का पथ प्रदर्शक एवं संरक्षक होता है ।

व उसकी समस्यामा तथा कठिनायियों को दूर करने में मन्तापजनन रूप से भाग लेता है।

2 कबल आजा देना नतृत्व नहीं है—नता अपनी नीतियों एवं कायक्रमों का सावहारिक रूप देने के लिए अपने अनुयायियों का आजाए एवं निर्देश देता है। अनुयायियों का यह कत है कि वे इन आजाओं को शिराधाय कर अपने व्यवहार का रूप निर्धारित करें। आजा देना नता के कार्यों एवं शक्तियों का एक भाग है किंतु उसमें उसकी एक मात्र विशयता नहीं कहा जा सकता और इसलिए प्रयत्न आजा देना नता नहीं होता। एक स्वामी अपने सेवक को पिता अपने पुत्र को पति अपनी पत्नी को तथा शिष्य अपने शिष्या का आजाए देता है। इन सभी प्रसंगों में आजा देना नता का हम नता नहीं कहते। उनमें नता से भिन्न अर्थ अनेक सम्बन्ध रहते हैं जैसे पिता पुत्र के बीच रक्त-सम्बन्ध। असक अतिरिक्त वे नतृत्व की अनेक विशेषताओं से वंचित रहते हैं। स्पष्ट है कि आजा देना के काम की सामान्यता को देखकर ही नता और अनुयायी का सम्बन्ध मात्र मान लेना भ्रामक होगा।

3 नतृत्व लोकप्रियता नहीं है—लोकप्रियता के आधार पर भी किसी का नता मान लेना नेता के लिए कुरूपयोग है। यह सच है कि नेता एक सगठन में कार्य करने वाला है जिसमें व्यवहार विचारों एवं व्यक्तित्व पर सगठन के सभी सदस्यों की शक्ति रहती है। सगठन के प्रायः सभी सदस्यों की तुलना पर उनका नाम रखा है और वे अपने-अपने उसका अनुयायी कहने में गौरवाचित अनुभव करते हैं। लोकप्रियता उसका महत्वपूर्ण गुण है किंतु उसे एकमात्र गुण नहीं कहा जा सकता। कई बार व्यक्ति के लोकप्रिय होने पर भी उस सगठन की नीतियाँ एवं कायक्रमों को सफल करने का कोई अधिकार नहीं होता। इस प्रकार की अधिकार विहीन लोकप्रियता मैत्रीपूर्ण स्तर पर भी हो सकती है।

एक सगठन की एक ही शक्ति के समान पदों पर कार्य करने वाले विभिन्न सदस्यों के बीच यदि किसी को लोकप्रियता प्राप्त हो जाए तो हम उस नेता नहीं मानेंगे। सगठन के सदस्यों में आजाकारिता की प्रक्रिया का प्रभावित करने वाला प्रभाव तत्त्व होता है और इन तत्त्वों की उपस्थिति लोकप्रियता के लिए आवश्यक नहीं है। लोकप्रियता एक ऐसी चीज है जो प्रायः हसम्बन्ध प्रकृति सरव व्यवहार सामजस्यपूर्ण व्यक्तित्व और कभी-कभी मूल्यपूर्ण कार्यों के परिणामस्वरूप भी प्राप्त हो जाती है। बुद्धिमान लोकप्रिय व्यक्तियों में सगठन के सदस्य मजाक कर सकते हैं उस अपने मनोरंजन का साधन बना सकते हैं किंतु उसकी आजाओं निष्ठा एवं ईच्छा का पालन करने के लिए वे कदापि तयार नहीं होंगे। इस प्रकार का लोकप्रिय व्यक्ति और कुछ भी हो सकता है किंतु नता नहीं।

4 नतृत्व कर्त्तव्यता नहीं है—अनेक शक्तियों में कुछ चमत्कारपूर्ण विशेषताएँ (Charismatic Qualities) पाई जाती हैं जिनके आधार पर वह दूसरे शक्तियों

का अपना आर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार आकर्षित किए गए व्यक्ति उम लोकप्रिय बना देते हैं और कभी-कभी तो यह भ्रम होना लगता है कि सम्भवतः वह उनका नेता है। चमत्कारी व्यक्ति अत्यन्त सक्रिय होते हैं और समय समय पर इनके द्वारा अनेक लोगों को व्यवहार का प्रभावित भी किया जाता है। किन्तु वह भी नेता कहना इसलिए गलत माना जाएगा क्योंकि केवल व्यक्तित्व के गुण एक मनुष्य का नेता नहीं बना देता। इसके लिए कुछ अन्य बातों की भी आवश्यकता होती है। कभी-कभी हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति एक अच्छा नेता होना चाहे या किन्तु परिस्थिति बानावरण एवं अन्य कई कारणों से वह ऐसा न बन सका।

एक व्यक्ति में शक्ति आलाकी बुद्धि ज्ञान नियम ज्ञान की योग्यता आदि गुण जब अपने सवश्रेष्ठ रूप में होते हैं तो उसके एक सफल नेता होने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। ये गुण उस व्यक्ति को एक नेता नहीं बना सकते किन्तु एक अच्छा नेता बना सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि पढ़ने उमक नता हाना जरूरी है जो इन गुणों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उमके बाद ही इन गुणों का वह अपने उत्तरदायित्वों का पूरा करने में उपयोग कर सकता है। एक प्रासंगिक नेता व्यक्ति का समूह की आवश्यकताओं और उनके संगठन की संरचना का परिणाम होता है। वह एक प्रकार से प्रशासन और अन्य स्थितियों की उपज है और इसलिए सामान्य रूप से उसका लक्ष्य व्यवहार के नियम आदि बातों की पृष्ठभूमि में ही उसका अध्ययन किया जा सकता है। कहने का आशय है कि केवल कर्मिणा वाल व्यक्ति का नेता कह देना भ्रामक है।

5 नेतृत्व उच्च पद नहीं है—व्यक्ति की उच्च स्थिति उस नेता नहीं बना देती। संगठन में उच्च पद प्राप्त हो जाने से ही वह अपनी आजाया निर्देशा एवं आदेशों को संगठन के अधीनस्थ सदस्यों से स्वीकृत नहीं करा सकता और इस स्थिति में उस नेता का नहीं कहा जा सकता। दूसरा और हम एक ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं जो पदतोषण की दृष्टि से बहुत नीचे है किन्तु संगठन के अन्य सदस्य उसका सम्मान करते हैं तथा उसकी आजाया का पालन करने में तत्परता दिखाते हैं। यह अधिकारी उच्च स्तर पर न होना हुए भी एक नेता है। पहला उदाहरण में उच्च अधिकारी को न मानना और दूसरे उदाहरण में एक निम्न अधिकारी का भी नेता मान लेना हमारे सम्मुख नेतृत्व के अतिरिक्त रूपों को प्रस्तुत करते हैं। नेतृत्व का पहला रूप सत्ताधारी तानाशाही एवं वाध्यकारी प्रकृति का है जिस आज के प्रजातन्त्रात्मक युग में नेतृत्व का वास्तविक रूप नहीं माना जाता। नेतृत्व का दूसरा रूप मानवीय सम्बन्धों भावनाओं प्रभावशाली प्रकृति के व्यक्तिगत गुणों ज्ञान एवं बुद्धि के उच्च स्तर आदि पर निर्भर करता है। नेतृत्व का यह रूप ही आज वास्तविक अर्थवादी शैली समझा जाता है।

संगठन का अध्यक्ष नाना मात्र ही एक नेता होने का प्रमाण नही है। एक पक्ष में हम दा आधार प्रस्तुत कर सकते हैं। पिफनर तथा शरवुड (Piffner and Sherwood) के अनुसार हम दा जाता में प्रथम में प्रजातन्त्रात्मक मृत्य और दूसरे है म ठन में निष्पत्ति की प्रक्रिया।¹ एक प्रज्ञामयी संगठन में शक्ति प्राप्त करने के लिए स्तर के अतिरिक्त अन्य सघन हैं। कुछ लोग का कहना है कि नतृत्व शब्द का प्रयोग केवल उही योग्य के लिए करना चाहिए जो संगठन में निर्यात नने का क्रिया पर प्रभाव डालने का कार्य सम्पन्न करें। गिब (Gibb) ने पिछले कुछ वर्षों के नेत्र व संसर्गवित्त साहित्य का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि अध्यक्ष और नेता के बीच अन्तर किया जाना आवश्यक है। आज्ञा का अर्थ प्रमाण में हमें मालिक और सर्वक शिक्षक और विद्यार्थी पिता और पुत्र के बीच पाते जिस सम्बन्ध का उल्लेख किया था वह सम्बन्ध एक अधिकारपूर्ण एवं अग्र्य तत्वादा सम्बन्ध था जिस नेतृत्व का सम्बन्ध नहीं माना जा सकता। यह सही है कि पदापात्र में स्वयं प्रभाव का महत्त्वपूरा है किन्तु जसा कि पिफनर तथा शरवुड का मत है अग्र्य तत्वा एव नेतृत्व का एक ही चीज नहीं माना जा सकता। दादा के बीच शक्ति का अन्तर है। एक व्यक्ति जिसका कोई प्रभाव नहीं है एक संगठन का अध्यक्ष नही सकता है किन्तु यों ही प्रभाव प्राप्त कर लेता है वह एक नेता बन जाता है।²

नतृत्व के दोनो रूपा में जो अन्तर है वह प्रजातन्त्रात्मक मर्याद अतिरिक्त संगठन की नियंत्रण प्रक्रिया के आधार पर भी निश्चित किया जाता है। यह अन्तर नियंत्रण प्रक्रिया के रूप पर आधारित रहता है। आज्ञा देने की शक्ति प्रायः औपचारिक पदापात्र द्वारा ही जाती है। इन आज्ञाओं का प्रायः नियमित रूप से पालन किया जाता है। संगठन के अधिकांश कार्यकर्ता में प्रकार की आज्ञाओं का चुनौती देने की परवाह नहीं करते। आज्ञापालन करते समय संगठन के सदस्य यह नहीं देखते कि आज्ञा किस व्यक्ति द्वारा दी गई है बल्कि यही देखते हैं कि आज्ञा देने वाले का पद एवं स्थिति क्या है। एक विरगी नतृत्व का सम्बन्ध एक प्रबलन (Routine) से भिन्न होता है। प्रायः नतृत्व की आवश्यकता तब होती है जब परिवर्तन और मनोबल (Morale) के प्रश्न उपस्थित होते हैं। उस स्थिति में संगठन के सदस्य औपचारिक सत्ता का चुनौती देने लगते हैं और तब नेतृत्व का अस्तित्व सम्भव बनता है। सत्ता की चुनौती देने की आवश्यकता प्रायः उस समय होती है जब संगठन का अध्यक्ष केवल अध्यक्ष होता है और नेतृत्व के गुणा का उपस्था करता

1 Piffner and Sherwood Administration of Organizations p 40
 Cecil A Gibb Leadership in Groups and Society in Handbook of Social Psychology Vol II p 88
 3 Piffner and Sherwood op cit p 351

है। एक गूढ कायगालिका वह है जो अपनी शक्ति स्थिति में नतत्व की विशेषताओं का समन्वित करे।

एक सोपान के उच्च स्तर एवं नतत्व के बीच सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए अमन का कथन है कि एक प्रबन्धक तब तक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं कर सकता जब तक वह केवल सत्ता पर निर्भर रहना नहीं छोड़ और नतत्व के गुणों का उपयोग नहीं करता। यह सम्भव है कि एक प्रबन्धक अपने कार्यों का अपने मन का गुणों से नतत्व ही सफलतापूर्वक सम्पन्न करे, किन्तु यह सम्भावना कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब संगठन में ऐसा परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिनमें अधीनस्थ अधिकारी अपने अधिकार की सत्ता को चुनौती देने का प्रयत्न करते हैं तो अध्यक्ष का नतत्व के गुणों का प्रयोग करना पड़ता है। संगठन का सर्वोच्च अधिकारी यह जानना है कि उसके वास्तविक उच्च अधिकारी उमा समय में क्या कर सकते हैं जब उनके अधीनस्थ कार्यकर्ता उन ऐसा करने में सक्षम हों। ऐसा परिस्थिति में भी उच्च स्तर पर ही जब अधीनस्थों को एक मध्यस्थिक अधिकारी से नतत्व बनाना पड़ता है और सर्वोच्च अधिकारी का उस अनुरोध को स्वीकार करना पड़ता है।

सैनिक संगठन में नतत्व का आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप में समयांतरण करना है। वहाँ उच्च अधिकारी को मुख्य रूप से आदेश देने (Commanding) का कार्य करना पड़ता है। सैनिक संगठन में जाना देने वाले इन अधिकारियों का स्थिति बहुत कुछ असैनिक संगठन के अध्यक्षों से भिन्न होती है। अध्यक्ष की भाँति एक कमाण्डर (Commander) का भावनात्मक कारण बनना पड़ता है जो मानता है कि वह आनाएँ देता है या उसके पास सत्ता है। सैनिक संगठन में कमाण्डर के पास सत्ता सत्ता हानी है कि वह अपने अधीनस्थों से जांच करवा सकते हैं। फिर भी यह माना जाता है कि आज्ञा देने वाले अधिकारी के पास नतत्व के अपने गुणों भाँति यह सैनिक संगठन में सुहाय्य की भाँति गूढ माना जाएगा। विशालिन (Beishline) का मत है कि कमाण्डर को हमें वास्तविक रूप से एक उत्साहपूर्ण ऋण प्रकट करनी चाहिए कि संगठन के व्यक्तिगत सदस्य उदया के प्रभावशाली रूप से पूरा करने के लिए अधिकतम सहयोग प्रदान करें।¹

नतत्व से सम्बंधित विचारधाराएँ (Theories Concerning Leadership)

प्रारम्भ में विचारकों में यह धारणा थी कि नतत्व में लागा का इस प्रकार प्रभावित करने की योग्यता है कि वे स्वच्छा से नतत्व के प्रति प्रेरित हो सकें। यह मान्यता थी कि नतत्व कुछ विशेष गुण अथवा विशेषताओं का समन्वय है जो व्यक्ति में जन्मजात पाई जाती है सिखाई नहीं जाती। नतत्व के क्षेत्र में जो आधुनिक

अनुभव माना जा चुके हैं उनमें इस परम्परावादी विचारधारा का आंशिक समर्थन ही मिल पाया है। आज नेतृत्व के किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नयी समझा जाता। जब यह माना जाने लगता है कि नेतृत्व के गुणों को अनुभव शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

नेतृत्व के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्नलिखित तीन दृष्टिकोण प्रचलित हैं—

- (1) लक्षणवादी विचारधारा (The Trait Theory)
- (2) स्थितिवादी विचारधारा (The Situational Theory) तथा
- (3) अनुयायी विचारधारा (The Follower Theory)।

1. लक्षणवादी विचारधारा (The Trait Theory)

यह विचारधारा के अनुसार नेता में कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं जिनके आधार पर वे सगठन में अपने अनुयायी बनते हैं। लक्षणवादी विचारधारा के समर्थकों ने जागमग विधि के आधार पर अर्थात् विभिन्न नेताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उनमें व्यक्तिगत गुणों का संकलन किया है और जिन गुणों को उन्हीं ने सामान्य पाया है उसे एक नेता के आवश्यक गुण मान लिया है। टाड (Tead) चेस्टर बर्नार्ड (Chester Bernard) शन (Schell) आदि की मान्यता है कि जिन व्यक्तियों का साधारणतः नेता माना जाता है उनमें कुछ सामान्य गुण दिखाई देते हैं। प्रा टाड के अनुसार ये सामान्य गुण मुख्यतः हैं—शारीरिक शक्ति उद्देश्य का ज्ञान एवं निश्चयन उमाह भिन्नता और भावनाएं समानता नवीनी विश्वपन्ना बुद्धि शिक्षा एवं की योग्यता विश्वास और निष्ठा नेने की सामर्थ्य। स्टेयडिन का दृष्टि में एक नेता में प्रधानतया सात गुण होने चाहिए—प्रथम शारीरिक और संरचनात्मक विशेषता (Physical and Constitutional Factors) जस ऊंचाई वजन शारीरिक बनावट शक्ति स्वास्थ्य आदि दूसरे बुद्धि (Intel ligence) तीसरे जाम विश्वास (Self confidence) चौथे सामाजिकता (Sociability) पाचवें इच्छा शक्ति (Will Power) जस पहल करने की शक्ति और सहस्रकारिता छठे नियंत्रण (Domiance) सातवें कुछ अन्य लक्षण (Some Other Traits) जस बात करने का ढंग प्रसन्न प्रकृति उसाह अभिव्यक्ति का गुण मौनता आदि।

लक्षणवादी सिद्धांत नेता में व्यक्तिगत गुणों का अस्तित्व मानकर एक उपयोगी विचार प्रस्तुत करता है तथापि कई दृष्टियों से यह अनुपयुक्त है। प्रथम इस सिद्धान्त के समर्थकों ने नेतृत्व के अलग-अलग गुणों का वर्णन किया है अर्थात् पिफनर एवं शरुन के शास्त्र में अभी तक लक्षण (Traits) का कोई एक जसा रूप विकसित नहीं हुआ है। दूसरे नेतृत्व के गुणों अथवा विशेषताओं की सूचीपत्र भ्रामक है। इनमें विभिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है और इनके द्वारा गिनाई गई विशेषताओं की संख्या भिन्न भिन्न है। तिसरे यह नहीं बताया गया है कि

कान-मा नक्षण सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है और कौन-मा सधन वम । चौथे ननृत्व प्राप्त करने और नेतृत्व कायम रखने का विशेषताओं के बावजूद अंतर नहीं किया गया है । पाचवें यह भी स्पष्ट नहीं है कि किन विशेषताओं को प्राप्त कर कोई व्यक्ति अच्छा नेता बन सकता है अथवा किन विशेषताओं के अभाव में वह नेतृत्व की परिधि से बाहर हो जाता है । छठे नेतृत्व पर परिस्थितियों का प्रभाव को नहीं धुलाया जा सकता । एका ही समस्या में अलग अलग परिस्थितियों के नेतृत्व की भिन्न भिन्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है । अनेक विशेषताएँ जन्मजात नहीं होती बरन् उन्हें प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जाता है । व्यक्तिगत योग्यताओं और गुणों का आधार पर एक व्यक्ति अपने नेतृत्व के कार्यों को भिन्न प्रकार सम्पन्न कर सकता है परन्तु नेता बनने के लिए केवल ये व्यक्तिगत गुण ही पर्याप्त नहीं हैं । समष्टि के स्वरूप और परिस्थितियों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है ।

2. स्थितिवाने विचारधारा (The Situational Theory)

नक्षणवादी विचारधारा में नेतृत्व पर परिस्थितियों के प्रभाव की उपस्था की गई थी जबकि आधुनिक अनुसंधान का आधार पर विकसित स्थितिवाने विचारधारा के अनुसार एक नेता के व्यवहार और गुणों पर परिस्थितियाँ (Situations) का भारी प्रभाव पड़ता है । व्यक्ति की विशेषताएँ अथवा उसके गुण नेतृत्व की दृष्टि में महत्त्वपूर्ण हैं तथापि नेतृत्व कुल मिलाकर एक विशेष समूह की परिस्थितियों का परिणाम होता है । एक ही समूह में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न नेतृत्व विकसित हो सकता है । एक परिस्थिति में जायज व्यक्ति-समूह का नेता है दूसरी परिस्थिति में यह सम्भव है कि वह व्यक्ति नेता न रहे और दूसरा कोई व्यक्ति उसका स्थान ग्रहण कर ले ।

उत्तराहण के लिए महायक अधिकारी तब प्रभावशाली बन जाता है जब उसका उच्चाधिकारी प्रभावहीन हो या उसमें नेतृत्व के गुण न हों । दूसरे शब्दों में यहाँ महायक अधिकारी का नेता बनना परिस्थिति के कारण सम्भव हुआ । इसी प्रकार यदि उच्चाधिकारी योग्य एवं प्रभावशाली हो तो उसका सहायक अधिकारी नेता कभी नहीं बन सकता चाहे उसमें नेता बनने के गुण मौजूद हों ।

वास्तव में स्थितिवाने विचारधारा नक्षणवादी सिद्धान्त की विरोधी न होकर पूरक है । इन दोनों ही सिद्धांतों के संयोग से नेतृत्व की मायता का सही रूप विकसित होता है । अनेक बार यह देखा जाता है कि उपर्युक्त परिस्थितियों हान पर भी एक व्यक्ति नेता नहीं बन पाता क्योंकि उसमें नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों का अभाव होता है । दूसरी ओर कई बार उचित परिस्थितियों का अभाव में भी अनेक प्रतिभाएँ कुण्ठित होनी देखी गई हैं । फिर भी परिस्थितियों के निर्माण का एक सीमा होती है जिसे अग्रे व्यक्तित्व योग्यताएँ रोक जाती हैं । मिलेट की मायता है कि नेतृत्व प्रायः परिस्थिति के अनुसार बनता या बिगड़ता जाता है ।

सम्भारन चहिए। यह एक प्रकार का धारा मया नतत्व है और समूह द्वारा इस तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक संगठन के सदस्य उस अपनी आवश्यकताओं के मोताब का माध्यम स्वीकार न कर लें।

यह प्रकार नतत्व की मयना (Concept of Leadership) के सम्बन्ध में तीनों प्रमुख दृष्टिकोण हैं। ये तीनों अपन-प्राप में पूर्ण नहीं कहे जा सकते क्योंकि प्रत्येक की अपनी सीमाएँ हैं। नेतृत्व का एक सही एवं वास्तविक दृष्टिकोण तभी तभी का सर्वांगीण रूप समझा जायगा। जहाँ नतत्व के स्वरूप पर विचार किया जाय तो उस परिस्थितियों द्वारा निर्धारित मया जाना चाहिए। प्रो. हैमैन (Haimann) ने निम्ना भी है कि नतत्व एक व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं होती अपितु यह अनक विभिन्नताओं जैसे—दृष्टिकोण आवश्यकता अनुयायियों की अलग-अलग विशेषताओं संगठन की विशेषताओं परिस्थितियों नतों के लक्षणों एवं विनापताओं आदि का जटिल सम्बन्ध है।¹ परिस्थितियों एवं अनुयायियों के चरित्र का प्रभाव एक व्यक्ति के नत बनने तथा बने रहने पर बहुत अधिक रहता है तथापि कई बार नत के व्यक्तिगत गुण अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण और अनुयायियों के दिना में नत के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। इस सम्बन्ध में डग्लस मकग्रेगर (Douglas McGregor) ने निम्ना है कि एक पुराना एक कि नत इतिहास का बनाना है या इतिहास नत का बनाना है इस मयता द्वारा तय हो चुका है कि ये तभी ही कबल अपनी अपनी सामाजिक म साथ हैं।²

नत से सम्बन्धित उपयुक्त तीनों ही दृष्टिकोणों की उपयोगिता को ध्यान में रख कर नत के स्वरूप एवं विनापताओं का अध्ययन किया जाय चाहिए।

नेतृत्व की आवश्यकताएँ

(The Requirements of Leadership)

नत एक व्यक्ति को कुछ व न का समर्थन प्रदान करता है। यह व्यक्ति के साथ आवश्यक रूप में सम्बन्धित है। अनुयायियों द्वारा नत की आज्ञाओं का पालन इसलिए किया जाना है कि वे उस एक समय शक्तिशाली योग्य एवं अपना सहायक मानते हैं। कई बार यह मायता तथ्यों पर आधारित होती है कि तु अनक बार दूसरे तत्त्व प्रभावशाली रहते हैं उदाहरण के लिए अनुयायियों का गलत विश्वास स्वयं नत के कुशलता एवं दिशाओं की अज्ञानि परिस्थितियों का दबाव आदि। जिन तथ्यों एवं प्रतिरिक्त तरकों का किसी व्यक्ति का नेता बनाने बनाए रखने एवं श्रद्धा नेता बनाने में सहयोग होता है वह नेतृत्व के आधार अथवा उसकी आवश्यकताएँ कहे जा सकती हैं। प्रशासकीय नेतृत्व का अस्तित्व और उसकी उपलब्धता जिन तरकों पर आधारित है उनको व्यक्तिगत राजनीतिक एवं सहायक—

1 Haimann op cit p 44b

2 Douglas McGregor The Human Side of Enterprise 1960 p 182

तो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एन उग्विक ने नेतृत्व के मनोवैज्ञानिक आधारों पर भी उन्मुख किया है।¹

1 बाह्य राजनीतिक अभिकरण—प्रशासकीय नेतृत्व के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करने वाले बाह्य राजनीतिक अभिकरण होते हैं। प्रशासन रा उठाए जाने वाले कदम तथा अपनाई जाने वाली नीतियाँ उस दश की राजनीतिक स्थिति एवं परम्पराओं का प्रतिबिम्ब होती हैं। प्रो एणलबी के मतानुसार प्रशासकीय नेतृत्व तीन प्रकार से राजनीतिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है— प्रथम अधिकारी प्रशासकीय समझौता पर विचार करते समय उनको एक यापक रूप में देखता है। उसके अधिकांग निम्न जनवादी भाँति क अनुकूल होते हैं। दूसरे जब वह सावजनिक विषयों पर विचार करता है तो उसका दृष्टिकोण व्यक्तिगत न होकर जनवादी होता है। दलीय एवं व्यक्तिगत हितों के आधार पर निर्णय लेने की अपेक्षा वह जनता की आवश्यकताओं एवं हितों से प्रभावित होता है। तीसरे सावजनिक विषयों पर निर्णय लेते समय वह राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाता है अर्थात् वह जनता के सम्मुख रहने में सबाध नहीं करता। प्रशासकीय नेतृत्व के कार्यों पर प्रवस्थापित म राजनीतिक आधार पर किए गए वाद विवादों का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहता है। राजनीतिक दृष्टि से प्रशासकीय नेतृत्व में परिवर्तन व ससाधन में वश्यक हो जाता है।

2 सत्यागत आवश्यकताएँ—एक अच्छे नेतृत्व के लिए कुछ सत्यागत आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी होती है। इसके बिना कोई भी नेता अपने कार्यों को प्रभु रूप में सम्पन्न नहीं कर सकता। प्रसिद्ध लक्षक मिलेट (Millet) का कहना है कि "नेतृत्व के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ दो हैं—राजनीतिक एवं सत्यागत। प्रशासकीय नेतृत्व की राजनीतिक परिस्थितियाँ से हमारा तात्पर्य बाह्य राजनीतिक निर्दोष तथा ई चक्रण के प्रति रुचन रहने की आवश्यकता से है।— नेतृत्व की सत्यागत परिस्थिति से हमारा आन्तरिक आन्तरिक प्रवृत्तियों की आवश्यकताओं के प्रति मचन रहने तथा प्रज्ञानविय अभिकरण का गतिशील बनाए रखने की आवश्यकता से है।

3 अनुयायियों का सहयोग—नेता स यत् उपक्षित है कि वह अपने अनुयायियों का विश्वासपत्र बन और उनका स त्रय प्रयोग कर अपनी नीतियाँ तथा कार्यन्मा का वावहारिक रूप दे। अनुयायियों एवं साथी कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। प्रथम उस अनुयायियों में यत् भावना विकसित करनी होगी कि उसके नेता में व सभी गुण हैं जिनके आधार पर उनके हितों की रक्षा होती है। दूसरे सत्यागत रूप में मगठन की व्यवस्था का एक

1 L U w c k L d sh p in the 20th Century p 21 33
2 M i l l e t p p 37 38

विना रूप देना जटिल है ताकि नतृव सन्तत-पूर्वक काम कर सके। मन्वप्रथम यह प्रत्यक्ष है कि सगठन के सभी कार्यकर्ता एक सुरक्षापूर्ण वातावरण में काम करें। यहाँ कमचारी का अपना वेतन कम होना का भय नहीं है। दूसरे शब्दों में उस जहाँ अपना पद खूबने की आशा रहती है तथा जहाँ उसका व्यक्तिगत सम्मान किसी भी समय कम किया जा सकता है वहाँ कमचारी अपने आपका अमुरखित अनुभव करता है। इस प्रकार के वातावरण में उस कार्यकर्ता के यत्न-बल की सभी विशेषताएँ पूर्णरूप से नष्ट हो निम्नर पाती हैं और न ही अभिवृद्ध हो पाती हैं। एसी स्थिति में उनका सक्रिय एवं रचनात्मक संयोग नतृत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। मन्व अमुरखता चुनौती एवं सदैव के वातावरण में कमचारी अपने कार्यों में रुचि नहीं रख सकते। इसका फलस्वरूप अनुशासन की समस्या महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरे मन्वगत रूप से नतृव को प्रभावशाली एवं सफल बनाने के लिए यहाँ भी उपयोगी होगा कि वेना एक विशेषज्ञ न होकर समस्त सगठन के अंदर में सामान्य पाठ रखने वाला अधिकारी हो। ऐसा न होना पर ही एक नता अपने सगठन के प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक आकांक्षाओं को जान सकता है और उस तदनुकूल व्यवहार करने में सुविधा रहती है।

मन्वगत विचारधारा यह मान कर चलती है कि एक सफल नता वह होगा जो जाँचे जा सके जो उसके अनुयायी सोचते हैं, वह बनी करे जो उनका अनुयायी बनते हैं तथा उसकी प्राथमिकताओं का रूप बनी हो जो उसके अनुयायियों का है। अनुयायियों में यत्न-बल में एकाकार होना वाला नता शीघ्र ही लोकप्रियता एवं प्रभाव प्राप्त कर लेता है। नता एवं अनुयायी के बीच व्यक्तित्व की एकलपता की स्थापना में स्वयं नता द्वारा भाँ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। जनरल चार्ल्स पी. समरान (General Charles P. Summerall) के मतानुसार एक नता को वह सब कुछ बन जाना चाहिए जो वह अपने अधिकारस्थों का धनाना चाहता है। तब उसका रूप में साबत है जब कि उनका नता साबत है। यत्न-बल में जान जाते हैं कि उनका नता बन साबत है।

नतृव एकमात्र विद्या नहीं है जिसमें बचने नता को ही अपने सगठन की सामर्थ्य जानकारी है। सगठन के सन्ध्या का भी वेना की नीतियाँ नियमों एवं प्रक्रियाओं में परिचित रहना चाहिए। कमचारियों में सगठनता की भावना रहनी चाहिए जिसमें वह महत् अनुभव करे कि सगठन-उनके कार्यों का अंतर करता है तथा अपनी रक्षाई अथवा सगठन की नीतियों के निर्माण में भाग लेते हैं। यह सुभाषा जाना है कि नता का नीति-सम्बन्धी निर्णयों पर पहुँचा स पत्र उन सम्बन्ध में अपने अधीनस्थों का राय एवं सुझावों को जान लेना चाहिए। इस प्रक्रिया द्वारा नता उन प्रतिकूल नीतियों का अपना न के सहारे स बच जाएगा। जिन्हें सगठन के सन्धय नहीं चाहते। साथ ही इस प्रकार निर्धारित नीतियों के प्रति कमचारियों में अपने-बल की

भावना विकसित हो जाएगी। संगठन में नेता के कार्य का सुलभ बनाने तथा कमचारियों का सक्रिय संयोग प्राप्त करने के लिए एक अग्र सस्थागत व्यवस्था यह हो जा सकती है कि कमचारियों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे जाए और उत्तरदायित्व के साथ ही कुछ सत्ता भी प्रयायाजित की जाए। तभी हम यह आशा कर सकते हैं कि कमचारियों के मन का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप में कमचारियों के मन में सुरक्षा कार्य के प्रति रुचि संगठन का एक अग्र बनने की प्रवृत्ति एवं संगठन के कार्यक्रमों तथा नीतियों की सफलता के लिए प्रयास आदि कार्यों सम्पादन प्रयासों में सम्भव बनाए जा सकेंगे।

नेतृत्व के प्रकार

(Types of Leadership)

व्यवहारवादी अनुसंधानों एवं प्रयोगों के आधार पर यह बात हुआ है कि नेतृत्व का विशेष गुण एक समूह में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है किन्तु दूसरे समूह में उसकी उपयोगिता दृष्टतया आशंकास्पद रूप में घट जाती है। संगठन के परिवर्तन के अतिरिक्त एक ही संगठन में जब समस्याएँ बढ़ती जाती हैं, लोगों की आकांक्षाओं में परिवर्तन आ जाता है अथवा अग्र नवीन स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं तो नेतृत्व के प्रत्येक गुण की रूप में प्रभावकारी नहीं रहता। इस अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि नेतृत्व के अनेक रूप अथवा प्रकार होते हैं। राजनीतिक नेतृत्व धार्मिक नेतृत्व मानवीय नेतृत्व आदि नेतृत्व के अनेक रूपों में यहाँ हमारा सम्बन्ध नहीं है। केवल प्रशासकीय एवं प्रबंधनीय नेतृत्व ही हमारे अध्ययन का क्षेत्र है।

अल्फोर्ड एवं बीटी (Alford and Beaty) के अनुसार व्यावसायिक क्षेत्र में पाए जाने वाले नेतृत्व के प्रमुख रूप ये हैं—

1. बौद्धिक नेता (Intellectual Leader)
2. संस्थागत नेता (Institutional Leader)
3. जनतन्त्रीय नेता (Democratic Leader)
4. ताातपान नेता (Autocratic Leader)
5. विश्राम प्रेरक नेता (Persuasive Leader)
6. रचनात्मक नेता (Creative Leader)

जार्ज थॉमस टैरी (George R. Terry) ने नेतृत्व को दस प्रकार वर्गीकृत किया है—

1. व्यक्तिगत नेतृत्व (Personal Leadership)
2. अव्यक्तिगत नेतृत्व (Impersonal Leadership)
3. निरवुध नेतृत्व (Authoritarian Leadership)
4. जनतन्त्रीय नेतृत्व (Democratic Leadership)

5 दशो नतव (Indigenous Leadership)

6 पनक नतव (Paternalistic Leadership)

अरिन अरिस (Auren Uris) न अधिभासी योग्यता क आधार पर नतव

का वर्गीकरण किया है—

1 ममी तथ्या का जानन वाना (Master of Details)

2 समन्वय स्थापित करत वाला (Co-ordinator)

3 समस्या मुनभान वाना (Problem Solver)

4 मानवीय विचारधारा रखन वाला (People Minded)

5 लभ्य विचारधारा रखन वाना (Target Minded)

विभिन्न विज्ञाना द्वारा नतव का विभिन्न प्रकार स वर्गीकृत किया गया है ।

यहाँ हम प्रशासकीय एव प्रबन्धकीय नत व का निम्नानुसार वर्गीकृत करत हुए उनका अध्ययन करेगे—

1/ औपचारिक नतव (Formal Leadership)

2/ अऔपचारिक नतव (Informal Leadership)

3/ सत्तावादी या निरंकुश नतव (Authoritarian Leadership)

4/ प्रजातन्त्रात्मक नतव (Democratic Leadership)

5/ बाहरी नतव (Leadership from outside)

6/ आन्तरिक नतव (Internal Leadership)

1/ औपचारिक नेतृत्व (Formal Leadership)

नेतृत्व का यह रूप व्यक्ति क गुणा क प्रभाव अनुयायियों की इच्छा एव स्थितियों की अनुकूलता का परिणाम नहीं है । औपचारिक नेतृत्व को उच्च अधिकारियाँ न । निर्मित किया जाता है । जब एक अध्यक्ष अपने पद पर नियुक्त होता है तो उसकी विद्वान निरीक्षण पदक्षण प्राप्ति क वे सब कार्य मीन लिए जानते जा एक नेता का सम्पन्न करने गत हैं । जब एक पदाधिकारी का नेता क रूप में औपचारिक शक्ति स नियुक्त कर लिया जाता है तो उसके सम्मुख अनेक समस्याएँ आती हैं । वह अपने अधीनस्थों का न समझने के कारण अनेक गहन निगमन करता है । इसके फलस्वरूप संगठन में अनेक विरुद्ध घमेलों का वातावरण उत्पन्न हो जाता है । यदि अनेक व्यक्तिगत गुणा द्वारा वह हम वातावरण का प्रतिपाद्य न करता व एक नेता क रूप में अधिक शक्ति तक नहीं रख सकता । औपचारिक रूप से नेता हान हुए भा वास्तविक रूप से वह नेता नहीं रहेगा । सम्भावना यह है कि एसा स्थिति में उसके किसी अधीनस्थ का संगठन क कमचारियाँ द्वारा नेता बना दिया जाएगा । औपचारिक नेता हान क लिए उच्च पद क प्रतिरिक्त एक व्यक्ति का समूह क समस्या का स्वाहृति भा प्राप्ति करनी हाना है । उच्च पद क कारण एक औपचारिक नेता का वास्तविक नेता बनने में अधिक कठिनाई का

सामना न । करता पत्ना । उनह मय म अतः उन पधन 11 न 5 त्रिाक मा म
 स वह अतः नतृत्व की धाक नमा मकना है । पत्ना मयन उनका शक्ति है
 जिसक प्राधार पर व अनागत सत्ता का पुम्कृत एव विराधिया की सत्ता
 कर मकना ह ।

दूनर उच्च पद क प्रति मत्स्या क मन म जो अाटर का भावना हानी है
 उनका पूरा-पूरा लाभ उठान म व मत्स्या का कुद आवकनाआ का मनुप
 कर उनक मन म अतः नतृत्व का धाक जमा मत्ता है तथ उनका स्वामिनि म
 नाभान्वि हा मकता है । तानर प्रता नान न कुद मत्स्या का मत्ता । उन
 गुत् क विराधा का नैनि उठान दृण साठन का औपचारिक नता उनम म प्रकार
 का मीवैवा कर मकना है जिसक फलस्वरूप उनका नतृत्व अतृयाधिया का माय
 हा सक । औपचारिक नता क हाथ म एक चौग विकल्प मत्ता नता न कि व एमी
 म्यिनि उल्ल कर दे त्रिनम मत्ता मत्ता एव उक्त अघास । क मत्ता ममान वन
 जए । म प्रकार नता न त्रियाआ न एक एमी नमस्वता म्य पित हा जाा है कि
 औपचारिक नतव का मत्ता नता का मत्ता नता मत्ता ।

2. औपचारिक नतृत्व (Informal Leadership)

औपचारिक नतृत्व एक मत्ता का मत्ता पद मत्ता नता क कारण अतः-अतः
 हा प्राण हा जाता ह । एक विभागात्म (Head of the Department) अतः
 विभा का एक औपचारिक नता ह चाह उनम नतव क गुण न अथवा न ।
 जब औपचारिक नतृत्व का सत्ता क मत्स्या पर धापा जाता है ता व प्रय मत्ता
 (Pr stice) सत्ता (Authority) मत्ता (Power) मत्ता क कारण उक्त स्वाकार
 कर नत हैं । किंतु मत्ता स्वाकार कवा तना प्राप्त हा पाता है जब औपचारिक नता
 अतः गुण नता अनुकूल म्यिनिया की रचना कर अतः नानिया एव कयनमा का
 अघानस्था के हिता एव मत्ता क माय एकाकार कर तना ह मत्ता उक्त
 नतृत्व कुद मत्ता बा मत्ता व नता जाता है ।

प्रमत्ता औपचारिक नतृत्व का पृष्ठभूमि और औपचारिक नतृत्व
 (Informal Leadership) का मत्ता मत्ता है । मत्ता (Haimann) के
 मत्ता औपचारिक नता वह व्यक्ति मत्ता है जा सगुन मत्ता मत्तापुन
 औपचारिक म्यिनि क मत्ता ही मत्ता क अतः मत्स्या क मत्ता का कलनामक
 मत्ता मत्ता मत्ता मत्ता है और मत्ता नतृत्व क मत्ता मत्ता क मत्ता मत्ता मत्ता
 अपना मत्ता कर नत है । औपचारिक नता मत्ता मत्ता कुद मत्ता परिस्थिनिया
 का परिणाम हा । ह । माय मत्ता मत्ता मत्ता मत्ता औपचारिक नता
 द्वारा मत्ता मत्ता मत्ता मत्ता का प्राय स्वीकार कर लत है । उक्त
 द्वारा मत्ता मत्ता मत्ता मत्ता मत्ता एव मत्ता मत्ता का निविराध नहन

कर नत है किन्तु जब संगठन में असाधारण स्थिति पदा हो जाती है उस—कर्मचारी वर्ग के देखन भन में गार्ड पदाति तथा एम ही अथ मत्त्वपूर्ण प्रश्ना पर औपचारिक नेता की नीतिया एव संगठन के कर्मचारियों की आकांक्षाओं के बीच मध्य उपन्न हो जान पर औपचारिक नेता के नेतृत्व को चुनौती दी जाती है। इस प्रकार की चुनौतिया द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी मुख्य अधिकारी का नेता मानन से स्कार कर नत हैं और पर संगठन में निम्न स्तर के किसी अधिकारी को जो उत्तरी धर्का जाए पूरी करने में स एता दे सकता हो अपना नेता मान लेत हैं। इस प्रकार बना हुआ नेता औपचारिक नेता कहलाता है। वैसे हम स इमन शक्ति के शान्ति में एक स्वाभाविक नेतृत्व (Natural Leadership) भी कर सकते हैं जो अपनी ध्यत्तिगत माय्यताओं की माय्यता के आधार पर प्रभाव स्थापित करता है।¹

इस प्रकार औपचारिक नेतृत्व पर परिस्थितियोंवश प्रादुर्भाव हाता है। परन्तु परिस्थितियाँ उपन्न हो जान के बाद व्यक्ति के गुण भी उसे नतर बतन में स इयता प्रदान करत हैं। एक औपचारिक नेता के यत्तिगत गुणा का प्रभाव तभी हा सकता है जब अनुयायियों का विश्वास हो कि उनमें वे गुण मौजूद हैं। सा मन प्राि के शान्ति में नेतृत्व प्राय इमेशा एक प्रभाव मण्डन स धिरा रणा है। यह धयन तथ्यमगत है क्य कि यवत्तर में अनुयायी अपने नेता की योग्यताओं को देखन और जांचन में समय नती हा पात और जब उह यह मानूप हाता है कि एन नेता के प्रति पूरे समूह की स्वामिभक्ति है तो वे उसे बहुत बुद्धिमान तथा गुण भम्पन मान नेत हैं।

कई बार संगठन के मत्स्या द्वारा किया गया औपचारिक नेता का चुनाव सही नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि संगठन के कर्मचारियों को वातावरण में यह पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति का वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का सबसे अधिक मध्यम मान रहे थे वह वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि नेतृत्व की स्वीकृति एक अधचतन (Unconscious) क्रिया है। यह एक धतन (Conscious) क्रिया नहीं है। यही वजह है कि यह कथन बड़ा साधन प्रतीत हाता है कि उह कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो यह बता सके कि वह नेता क्या है और नहीं उह एम अनुयायी मिल जा पर बता सके कि वह नेता का अनुगमन क्या कर रहे हैं। स्पष्ट है कि नेता नेतृत्व करने समय प्रागटिक या सचन नती हाता सी प्रकार अनुयायी भी अधचतन रूप स उनके पीछे विचल चने जात है। नता एव अनुगमन एव अन्वयकार का अधक स्पष्ट एव जासचन रूप में प्रकट करन के लिए कहा जा सकता है कि नेतृत्व (Leadership) एवं अनुगमन (Followership) का शिवाए विवकपूर्ण नहीं होती। इनको मोवा विचारा नती जाता अपितु इनकी

प्रेरणा भवनाद्या स प्राप्त होती है। हेमेल के कथानुसार समूह के समस्या द्वारा नेता का चुनाव आवश्यक रूप में उसकी बौद्धिकता पर आधारित नहीं होता बरन् समूह के कुछ सदस्य का भावनाओं और विश्वासों पर निर्भर रहता है।¹

अनौपचारिक नेता की शक्ति का आधार पत् या स्थिति नहीं होती, बल्कि उसके अनुयायियों का यह विश्वास एवं भावना होती है कि वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता दे सकता है। जब कभी सगठन के किसी मध्य व मध्यम कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह निर्देशन एवं पथ प्रदर्शन के लिए अनौपचारिक नेता को पाने जाता है। यह जरूरी नहीं है कि अनौपचारिक नेता द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ औपचारिक नेता के समरूप हों। इसके विपरीत प्रायः इन दोनों में भिन्नता पाई जाती है। सगठन में औपचारिक नेता का बनाविक प्रभाव होने के कारण औपचारिक नेता द्वारा उसकी उम्मेदनाओं को जाना जाता है। कई बार वह अपनी शक्ति और पत् के आधार पर अनौपचारिक नेतृत्व को त्याग की चेष्टा करता है। फिर भी सामान्य रूप से एक बुद्धिमान उच्च अधिकारी वह समझा जाता है जो अनौपचारिक नेतृत्व का दमन करने की अपेक्षा सगठन के लक्ष्यों की निष्ठा में उसने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन देता है।

3. सत्तावादी नेतृत्व (Authoritarian Leadership)

नेतृत्व का यह वह रूप है जिसमें नियम देने तथा नीति निर्धारित करने में सगठन के समस्याओं की रचना को कोटि महत्त्व नहीं दिया जाता। स्वयं नेता सभी महत्त्वपूर्ण नियम अपनी इच्छानुसार बनाता है। स प्रकार के नेतृत्व में नेता द्वारा अनुयायियों के बीच का सम्बन्ध सत्तापूर्ण प्रकृति का होता है। नेता का कार्य बस निर्देशन करना और अनुयायियों का कार्य उन निर्देशनों के अनुसार अपने व्यवहार का संचालन करना होता है। नेता सगठन के समस्याओं को कोटि महत्त्व नहीं देता। उनका मुख्य सम्बन्ध कार्य में रहता है। ऐसे नेता की दृष्टि में आराम हराम होता है। वह हम आदेशों को सामने रखकर कार्य की सम्पत्तियों के लिए सगठन के कार्यकर्त्ताओं का भाग्य में रतम कर देता है। सगठन के कार्यकर्त्ता अपनी समस्याओं एवं कठिनायियों का भूलकर केवल काम में लगे रहेंगे। इस प्रकार के नेतृत्व की सफलता का प्रतीक है। यदि कभी किसी सदस्य ने अपनी व्यक्तिगत समस्या का सामना रखा तो उस सगठन विरोधी तथा कार्य से जा चुराने वाला समझा जाता है।

सत्तावादी नेतृत्व की प्रकृति आनामक होती है। यह स्पष्टकारी साधन अपनाकर सगठन में कार्यकुशलता लाने का प्रयास करता है। यदि किसी सदस्य द्वारा इस नेतृत्व के विरुद्ध कोई बान कही जाती है तो उसे दण्डित किया जाता है। इस

प्रकार तानाशाही सत्तावादी नेतृत्व संगठन व सदस्यों में असंतोष की चिंगारियाँ उत्पन्न कर देता है जो ऊपर से निखाई न देकर भी एक भयकर बाला का रूप धारण करने की सामर्थ्य रखती है। समसामयिक नेतृत्व के अधीन संगठन की त्रिधाया में व्यक्ति का व्यक्तित्व वहीं निखर पाता और नेतृत्व पर सदस्यों की निर्भरता बट जाती है। पर सोपान तथा आदेश की एकता आदि सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली संगठन की परम्परावादी विचारधारा मूल रूप से सत्तावादी नेतृत्व का समर्थन करती है। नेतृत्व का यह सत्तावादी रूप बहुत कुछ अपने संगठन की रचना पर निर्भर करता है।

✓ प्रजासैनिक नेतृत्व (Democratic Leadership)

नेतृत्व का एक अन्य रूप प्रजासैनिक है जिसमें संगठन व सभी सदस्यों को संगठन के कार्यों में योग देने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसे स भागी नेतृत्व (Participatory Leadership) या परामर्शात्मक नेतृत्व (Consultative Leadership) भी कहते हैं। इसमें जब एक नेता नियुक्त होता है तो वह अपने अधीनस्थों की राय जान लेता है। कई संगठनों में यह व्यवस्था होती है कि नियुक्त होने व पूर्व सदस्यों द्वारा अपने सुभाव प्रव्ययन के पास भेज दिए जाते हैं और वह इन सुभावों व आधारा पर नीति एवं कार्यक्रम सम्बन्धी नियुक्त होता है। नेतृत्व का यह रूप वसुधैव कुटुम्बकम् का हित एवं उनका सन्तुष्टि महत्त्व पर बहुत अधिक बल देता है। प्रजासैनिक नेतृत्व की सफलता इस बात से आती जानी है कि अपने अधीनस्थ वसुधैव कुटुम्बकम् का काम की ओर किस प्रकार प्रेरित किया। यह नेतृत्व तभी पायकुशल बन पाता है जब उसके सदस्य स्वच्छा से अपना काम करें। प्रेरणा देना (To motivate) तथा चरित्र निर्माण करना इन नेतृत्व के मुख्य काम हैं। कुछ विचारकों के अनुसार प्रजासैनिक नेतृत्व ही नेतृत्व का सही रूप है। जसाकि हेमन्त न कहता है कि नेतृत्व एक प्रक्रिया है और अधीनस्थों के कार्यों का परामर्श निश्चय एक प्रभाव डालने वाली क्रिया है जिसमें वे स्वच्छा से सदस्यों की ओर प्रेरित होते हैं। नेतृत्व का यह रूप सत्तावादी नेतृत्व की भाँति सत्ता और शक्ति व बल पर काम नहीं करता। इसमें शक्ति का समझाया जाता है उस आकर्षित किया जाता है और काम के प्रति उनके मन में रुचि पैदा की जाती है।

प्रजासैनिक नेतृत्व में नेता एक बहुत अच्छा सन्तुष्टि प्रोत्साहक होता है। यह अधीनस्थों के राय को माने या न माने यह समझती बात है कि तु मूलतः यह है कि मान मन में वह प्रेरणा देना देता है कि उनके लिए गए नियुक्त अधीनस्थों को ही इच्छा की अभिव्यक्ति है। एक अच्छा तथा कुशल प्रजासैनिक नेता वह है जो अपने इच्छाओं एवं नियुक्तों को संगठन में इस प्रकार प्रकट करता है कि वे सामान्य स्वीकृति प्राप्त कर सकें। पिफनर तथा शेरवुड (Piffner and Sherwood) के अनुसार प्रजासैनिक में अधिक मन प्रवृत्ति और अधिक मैत्री रहती

है।¹ प्रजातन्त्रात्मक नेता व्यक्तिगत गुणा के प्रति सजग रहते हुए भी उनको अधिक महत्त्व नही देता अथवा अधिक महत्त्व देता हुआ ता नही लगता। इसके निम्न यह सामूहिक एवं मन्त्रीपूण विचारों से अपने व्यवहारों का संचालित करता है। प्रजातन्त्रात्मक नेतृत्व प्रायः मजदूर तथा एवं अथ स्व-दायकारी समुदायों में अधिक सम्भव होता है। तिन मगठना में अतिम शक्ति भाग लेने वाला क हाथों में निहित रहती है वे प्रायः इस प्रकार के नेतृत्व का अपनात है। —

5 बाहरी नेतृत्व (Leadership from Outside)

सगठन में कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब उसके सदस्य सगठन के ही किसी व्यक्ति को नेता में नना उचित न। समझते तथा सगठन के बाहर का व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यह बाहरी व्यक्ति या तो किसी अथ सगठन का उच्च अधिकारी होता है या राजनीतिक क्षेत्र का माना हुआ व्यक्ति। बाहरी नेतृत्व का रूपा प्रायः सामूहिक भी हो जाता है जबकि समूह की समिति या बोर्ड सगठन के नेतृत्व का काय को सम्पन्न करते हैं। बाहरी नेतृत्व का एक दूसरा रूप वह है जब सगठन की एक इकाई के सदस्य अपने में से किसी व्यक्ति को नेता बनाकर सगठन की ही दूसरी इकाई के किसी व्यक्ति को नेतृत्व का काय सौंप देते हैं। इस व्यवस्था के अपने हानि और लाभ हैं। यह आशा की जाती है कि बाहरी नेतृत्व निष्पक्षतापूर्वक काय करेगा और सगठन के सदस्य उसे अधिक सम्मान और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। इसमें खतरा यह है कि सगठन के बाहर का सदस्य प्रायः उसकी वास्तविक कठिनायियों से अपरिचित रहता है और उसके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय समस्याओं के वास्तविक घरातल को नहीं छू पाते।

पदसापान की दृष्टि से बाहरी नेतृत्व का अर्थ उस व्यवस्था से भी लिया जा सकता है जहाँ किसी वरिष्ठ अधिकारी को एक समूह द्वारा अपना नेता मान लिया जाता है। किसी वरिष्ठ अधिकारी को नेतृत्व सौंपने से सगठन में नेतृत्व के प्रति अधिक विश्वास का सम्भावना मानी जाती है। अधिकांश कमजोरी नेता का इसलिए मानते हैं क्योंकि वह अनुभव ज्ञान तथा उन्नत की दृष्टि में एक वरिष्ठ अधिकारी है। वरिष्ठ अधिकारी को एक प्रमुख कमजोरी यह होती है कि वह सगठन के सदस्यों में पर्याप्त उत्साह (Enthusiasm) पैदा नहीं कर पाता और इस प्रकार उसका नेतृत्व सफलता की परिधि से बाहर रह जाता है।

6 आंतरिक नेतृत्व (Internal Leadership)

नेतृत्व का यह रूप उपयुक्त का बिल्कुल उदाहरण है। इस व्यवस्था में एक नेता या तो सगठन के अन्दर का हाता है या उसी इकाई का हाता है अथवा उस समूह के लोगों में से ही होता है। आंतरिक नेतृत्व के प्रायः वे सभी लाभ हैं जो बाहरी

नृत्य की जानिनी है। जब एक नया नृत्य निरूपित जान वान व्यक्तिया स ही लिया जाता है तथा उी के स्तर का हाना है ता य प्रशासकी जाती है कि वह साठन क मस्या की समस्या को सगी प्रकार समझ सनेगा और उह सुवमान म अपना सत्रिय स योग रेगा। लोग के ि ल म अपन समू के व्यक्तियों के प्रति एक प्रेम भाव ाना है। िन परिस्थितिया म स व्यक्ति निकला हुआ होता है उन परिस्थितिया म उनह हूए व्यक्ति के प्रति उमक मन म सहन प्रेम और सानुभूति की भावनाए विकसित हा जानी ह।

इस सम्बन्ध म एक अय म स्वपूर्ण वात यह है कि यदि नता महत्वाकीशी व्यक्ति है ता वह संगठनो क अय सदस्या के साथ एकरूपता कायम नी कर पाता। ऐसी परिस्थिति मे समू के सदस्यों का क्याण तथा उसके उद्देश्य नेता की भना तथा व्यक्तगत उद्देश्य से कम महत्वपूर्ण बन जात है। महत्वाकीशी नृत्य के अधीन नाय वरन वाला को य अनुभव होता है ता है कि उनके सुभाव इसािए नहीं माने गए क कि एमा करने स नेता का भविष्य (Career) खतरे स पड सकता था। इसक विपरीत जब नता महत्वाकीशी नी ाता और उसके सामने आये बन् के घबरा नहीं रहत तो वह अपने काय म पूरी रचि णता है। ऐमा नता घनिष्ठ रूप स अपन अधीनस्था के साथ एकारण हो जाता है और उनक िन की रण के लिए य पदाधिकारि स वृद्ध करने का तयार रता है।

नेता क काय

(The Functions of a Leader)

प्रशासकाय संगठन म नेता का महत्वपूर्ण स्थान है। नेता के अभाव म एक संगठन प्रातरिक मतभे। एन कगडा के बीच वस ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा जते राजा क बिना प्रजा और सेनापति क बिना एक सेना हो जाती है। यदि हम कुछ स्थान म सेनापति क कार्यों पर दुर्लिया करें ता पाव हो जाएगा कि संगठन मे नेता ारा िण जान वान कार्यों के साथ उनकी समरूपता होती है। एक सेनापति अपनी सेना का माग ान करता है उनके भाग बन् का िशा िरिषित करता है उनका कामकर्म तयार करता है और क्या कदम बंध उगाता साहिए सत्ता निश्चय करता है। सेना क स रथा की अपने सेनापति के प्रति विश्वास रहता है वे उसकी बुद्धिमत्ता और शक्ति म निष्ठा रखते हैं। सेनापति अपनी सेना म अरिभ-बन् एव उगाह जाने क िए उगक सामने अपन उद्देश्य न सप्त करता है और प्रत्येक सनिक के िन म य वठा देना है कि शत्रु का जीतना उसका उद्देश्य है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति िन कारणों स प्रावश्यक है। उद्देश्य िरिषित करने क वा सेनापति दुश्मन को परास्त करन क िए रणनीति (Strategy) एव व्यू रचना करता है। वह विभिन्न सनिकों को उनकी योग्यता एव गुणों क अनुमार प। पर नियुक्त करता है। समय-माम पर उनक कार्यों का दस्तर तय करता रना है और इस मूयकन क

बाद आवश्यकतानुसार परिवर्तन करता है। सेनापति का यह सब करने के बाद सेना के संचालन का काम सम्भालना होता है। साथ ही वह अपने पक्ष की निरन्तर प्रगति का निराभरण पथवर्णन एवं निर्देशन करता रहता है। नियंत्रण तथा समन्वय की क्रियाओं द्वारा सैनिकों के बीच उठन वाद शांति को या तो उठन ही बना देता या उन्हें शान्त कर देता है।

सना में एक सेनापति के ये समस्त कार्य सगठन के नेता के कर्तव्य बन जाते हैं। एक नेता को सगठन के गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है। जब तक वह सगठन के विराधी समूहों के बीच मध्यस्थ का कार्य नहीं करता तथा अपना दाहरा यत्न नहीं बना जाता तब तक उसे सगठन के सदस्यों का विरवास नहीं और आदर प्राप्त नहीं हो पाता। दो विराधी समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वह सगठन के लक्ष्यों का भूतबूत बना देता है उनका प्राथमिकता प्रदान करता है। ✓

एल उर्विक (L Urwick) के नृत्य के कार्यों का चार भागों में विभाजित किया है। उनके मतानुसार एक नेता को ये कार्य करने चाहिए—

1. प्रतिनिधित्व करना (To Represent)—नेता अपने सगठन का प्रतिनिधित्व करता है। सगठन के समस्याओं को उभरते सगठन का पूरा व्यक्तित्व दिखाने देना है। निम्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर वह उसी के पान विचार विमर्श एवं सुभाव के लिए जात है। सगठन के बाहर भी नेता सगठन के हितों एवं विचारों का प्रवक्ता होता है। सगठन एक अमूर्त विचार (Abstract Idea) है और नेता के रूप में ही यह अमूर्त विचार अभिव्यक्त होता है। यदि किसी सगठन की प्रशंसा या उसके कार्यों की आलोचना करनी हो तो उसके लिए नेता की प्रशंसा या आलोचना करनी होगी। जब लोग सगठन का नाम लेते हैं तो वास्तव में वे नेता का उल्लेख कर रहे होते हैं।

2. पहल करना (To Initiate)—(सगठन के कार्यों का स्वस्थ रूप में सम्पन्न करने तथा उसे प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए नेता को नए विचार एवं प्रक्रियाओं में पहल करनी होती है।) ये सभी नवोदय विचार उसके स्वयं के भी हो सकते हैं और दूसरों के भी।) सगठन के अर्थ में स्वयं यदि कोई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं तो नेता का चाहिए कि उन्हें अपनाकर अधिक से अधिक उपयोग में लाए। नेता के मुँह से कही गई बात प्रायः प्रभावशील होती है अथवा महत्वपूर्ण होती है और वह प्रभावशील रूप में ही समाप्त हो जाती है। नेता का यह उत्तर दायित्व है कि वह ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करे जिनमें सगठन के सभी समस्याएँ हल हो सकें।

3. उद्यम का प्रशासन करना (To Administer the Undertaking)—नेता का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह सगठन के कार्यों का सुचारु रूप से

प्रशासन सम्मान। जहाँ तक प्रनौपचारिक नेतृत्व (Formal Leadership) का सम्बन्ध है उसका यह एक प्रमुख भाग है जिस सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व वही निरूपण भी उमा क क यो पर रहता है। किन्तु प्रनौपचारिक नेतृत्व को यह भाव रहता चाहिए कि नती स सम्बन्ध में लक्षकों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ का कहना है कि नेता जब तक नेता नही माना जा सकता जब तक कि वह प्रशासकीय क्रियाओं में सक्षम रूप से भाग न लें। अन्य कुछ लोगो का मत है कि नेता का कार्य प्रशासकीय क्षेत्र में केवल कुछ कार्य इन्हो तक ही सीमित रहना है। इन दोनों मतों में अन्तर मत सही है क्योंकि नेतृत्व और प्रशासन दोनों पर्यायवाची शब्दों के समान हैं और इनकी क्रियाओं में पर्याप्त एकस्यता पाई जाती है। (जब तक एक नेता अविष्यवाणी तथा नियोजन संगठन निर्देशन सम्बन्ध नियमन आदि कार्यों में अपने आपको सम्प्रेषित नहीं रखता तब तक वह नेता कहाने का अधिकारी नहीं है। जब एक संगठन में प्रशासकीय स्तर निम्न कोटि का होता है तो उसे नेतृत्व की कमजोरी कहा जाता है।) व्यवस्था का नियम या शासन सम्पन्न हो जान पर संगठन और नेतृत्व दोनों पृष्ठभूमि में चले जाते हैं।

० 4/ व्याख्या करना (To Interpret)—नेता का यह भी एक कार्य है कि वह संगठन के कार्यों तथा प्रक्रियाओं का समीक्षा या क मापन स्पष्ट करे। जब संगठन में कोई नया बदल उठाया जाता है तो संगठन के सदस्यों में उससे सम्बन्धित धन्य अनुमान लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि संगठन का अध्यक्ष सेना शाखा के अधिकारी को नियुक्ति शाखा का अधिकारी बना दे और किसी को यह पता बताए कि वह ऐसा क्या कर रहा है तो संगठन के सदस्यों अपनी प्रतिक्रिया के अनुसार उमक अनुमान लगाएंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि अधिकारी सेना शाखा के अयोग्य या कुछ कहेंगे कि उतना ज्ञान शाखा से बहुत अधिक धन का गबन किया कुछ का अनुमान होगा कि यह अधिकारी इमानदार था और अध्यक्ष का जब गरम होने में एक बाधा हुआ था कुछ लोग इस सम्बन्धित अधिकारी के प्रति अक्षय का प्रयोग कहेंगे और अन्य लोग इसको अध्यक्ष की भाव प्रतिक्रिया का प्रमाण मानेंगे।

इस प्रकार के प्रमाणों से निराधार एवं भ्रमपूर्ण अनुमान का उत्पन्न में संगठन के लिए बहुत ही कारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए नेता का एक मुख्य कर्तव्य है कि वह अनुमानों की सम्भावनाओं को कम से कम कर दे तथा संगठन की व्यवस्था में किए जाने वाले प्रयोग परिवर्तन का कारण कम से कम उन सभी को स्पष्ट कर दे जो प्रशासनिक क्रियाओं में उसकी सहायता करते हैं। संगठन के परिवर्तन की सूचना मात्र देना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि केवल सूचना प्राप्त करने पर संगठन के अधिकारी उनका ऐसा प्रयोग भी लगा सकते हैं जो संगठन के हित में न हो। इसलिए नेता को चाहिए कि वह समस्या के सम्मुख परिवर्तन की व्याख्या स्पष्ट रूप में कर कि प्रशासनिक व्यवस्था का वह भाग ही सच तथा बहुत से लोग

अपना एच्छित सहयोग प्रदान कर सकें। सगठन के सदस्यों में काय क प्रति उत्साह पदा करण एक अच्छे नेता की विशेषता मानी जाती है जिस केवल निर्देशों एवं आज्ञाओं के सहारे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए नेता को एक शिक्षक भी होना पड़ता है।

५) उर्विक महोदय द्वारा बताए गए इन कार्यों के अतिरिक्त नेतृत्व के अन्य कार्य भी होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित भाग में विभाजित किया जा सकता है—

5/ उद्देश्य निश्चित करना (To Decide the Objectives)—नेता चाहिए

प्रोपचारिक या अथवा अनौपचारिक, उसकी नीति का एक उद्देश्य होता है जो कभी कभी तो नेता को बना हुआ मिलता है और कभी वह उसे स्वयं बनाता है। गौया विरोध के सम्बन्ध में पुरी के शकराचार्य को जब नेता माना गया तो एक उद्देश्य उनके सामने पहले से ही तैयार था कि गौवध को रोका जाए (कई बार सगठन में अपनी प्रतिबद्धि तथा गुणों के कारण एक व्यक्ति नेता बन जाता है। उसके पश्चात् अपने नेतृत्व को सायक बनाने के लिए वह कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेता है ताकि जिनकी प्राप्ति कर वह अनुयायियों को अपने पक्ष में लाने और नेतृत्व की जड़ों को गहरी जमा सके। उद्देश्य चाहें तो तैयार किया गया तो अथवा उसको बना हुआ प्राप्त हुआ है वह तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अनुयायियों का सक्रिय सहयोग उसे न मिले।) यह तभी सम्भव है जब नेता सगठन के लक्ष्य अपनी नीतियों एवं क्रियाओं का अनुयायियों के सम्मुख स्पष्टतः प्रस्तुत करे। उद्देश्य सामने रहने पर अनुयायियों का मनोबल बढ़ता है वे अपने प्रयास को कुछ सायक समझने लगते हैं। उद्देश्य स्पष्ट न होने की दशा में उनका व्यवहार एक भटक हुए राही की भाँति अनिश्चित तथा भविष्य एक कटी हुई पतंग की तरह अकल्पनीय होता है। उस स्थिति में नेतृत्व का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है।

6/ सगठन में एकता (Unity Among Organization)—नेता को चाहिए

कि वह सगठन के विभिन्न सदस्यों के बीच एकता स्थापित करे। किसी भी सगठन में प्रायः अलग अलग दृष्टिकोणों और मनोदशाओं का अन्वेषण करते हैं और उनके लक्ष्य अलग सामाजिक पृष्ठभूमि प्रशिक्षण व्यक्तिगत मूल्यों आदि में मौलिक अंतर रहता है। इन स्थिति में उनके बीच मतभेद और संघर्ष पैदा होना स्वाभाविक है। नेता का व्यक्तिगत सगठन की इन समस्याओं का ध्यान में रखते हुए एक समायाजित व्यवहार की रचना करता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति का अधिक से अधिक सन्तोष प्राप्त हो सके तथा कम से कम समस्याएँ अनुसूलनी रहें। हमफिल (Hemphill) के शब्दों में एक नेता का मूल कार्य यह होता है कि सगठन में एकता और सामंजस्य की दिशा में कार्य करे तथा यह देखे कि उसके सदस्य प्रसन्नता एवं सन्तोष अनुभव कर रहे हैं अथवा नहीं।¹

✓ अनुयायियों को समझना (To Understand the Followers)—
अनुयायियों को समझना एक नेता का कार्य भी है और एक अच्छे नेता का गुण भी। कार्य के रूप में इसका महत्त्व अत्यन्त है क्योंकि इसके द्वारा नतृत्व के प्रथम उत्तरदायित्व का माग सुगम बन जाता है। अनुयायियों को जानने अथवा समझने के लिए एक नेता को कई प्रकार के कदम उठान पड़ते हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका के ओहियो (Ohio) राज्य में नेतृत्व सम्बन्धी कुछ आयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि नतृत्व के तीन प्रमुख कार्य होते हैं।¹ ये कार्य हैं—लक्ष्य की प्राप्ति (Objective Attainment) समूह के सम्बन्धों को सुविधाजनक बनाना (Group Interactions Facilitations) तथा सदस्यता का अनुरक्षण (Maintenance of Membership)। इन तीनों कार्यों में संप्रथम का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। प्रथम का कार्य स्पष्ट रूप से वर्तमान शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। एक सगठन के नेता को ऐसा वातावरण बनाना होता है जिसमें उसके सभी सदस्य प्रभावी रूप से क्रिया प्रतिक्रिया कर सकें। संचार साधनों द्वारा यह कार्य सम्भव बन जाता है। एक नेता को अपने समूह के साथ धनिक सम्बन्ध रखने होते हैं तथा इस प्रकार की व्यवस्था करना होती है कि सगठन का प्रत्येक सदस्य जब चाहे उसमें मिला सकें और अपनी समस्याएँ उनके समूह रख सकें। थॉमस गॉर्डन (Thomas Gordan) के अनुसार एक समूह के सम्भावित नेता को यह जानना चाहिए कि उसका समूह क्या चाहता है तथा उस समूह को लक्ष्य के निकट लाने के लिए कुछ योग देना चाहिए।

✓ निर्णय लेना (Decision Making)—निर्णय लेने की क्षमता से नेता का मूल्य माँगा जा सकता है। नेता के निर्णयों की प्रक्रिया अनेक प्रकार की हो सकती है। निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर ही नेतृत्व को सत्तावादी प्रजातन्त्रात्मक एवं प्रथम रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रजातन्त्र के इस युग में प्रायः वही निर्णय अधिक अल्प समझा जाता है जो अनुयायियों की राय जानकर लिया गया है। निर्णय लेने समय में नेता परिस्थिति का अध्ययन करता है अधीनस्थों की माँगों पर विचार करता है और उच्च अधिकारियों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाता है। अनौपचारिक नेता द्वारा लिए गए निर्णय प्रायः प्रजातन्त्रात्मक प्रकृति के होते हैं जिनमें निर्णय लेने से पूर्व प्रभावित लोगों के सुझाव माँगे जाते हैं। नेता का निर्णय प्रायः तभी प्रभावशाली होता है जब वह समूह की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करे और उच्च अधिकारियों के दृष्टिकोण से अधिक विपरीत न हो। नेता द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वे उनके व्यक्तिगत विचार मूल्य आदर्श एवं लक्ष्यों से प्रभावित होने के साथ ही प्रथम अनेक दृष्टियों एवं सदृश्य तत्त्वों से प्रभावित होते हैं। सम्भवतः

1 Shartl op cit p 117

2 Thomas G d G p Centred L de sh p 1955 p 51

इस कारण नियंत्रण लेने के काय को किसी प्रक्रिया में एक क्षण (A Moment in a Process) कहते हैं। नियंत्रण की यह परिभाषा नेतृत्व के महत्त्व को कम नहीं करती क्योंकि इस क्षण को लान में वह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

9 उचित स्थान पर उचित व्यक्ति (Appropriate Man at the Appropriate Place)—प्रशासकीय संगठनों की सफलता एवं असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किसी पद पर काय करने वाला व्यक्ति उस पद से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों का निभाने की योग्यता रखता है अथवा नहीं। कर्म चार किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता प्राप्त व्यक्ति को उस पद के उत्तरदायित्व सौंप दिए जाते हैं जिनके लिए वह उपयुक्त नहीं होता। अपनी योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त न होने पर व्यक्ति को मौलिक विशेषताएँ कुण्ठित हो जाती हैं और उनका पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाता। किसी संगठन का कोई व्यक्ति अपने प्रशिक्षण एवं पूर्व अनुभव के कारण संगठन की तकनीकी शाखा (Technical Branch) में दिए अधिक उपयुक्त है और उसे एक फोरमन का काम सौंप दिया जाए तो इसके परिणामस्वरूप संगठन को प्रकार से नुकसान में पहुँचता है। प्रथम व उमर व्यक्ति की तकनीकी योग्यताओं का लाभ उठान में बर्चित रह जाएगा और द्वितीय उस फोरमन का काय सतोपजनक नहीं हो पाएगा। इसलिए उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त स्थान पर नियुक्त करना एक नेता का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काय है।

10 कार्यों का मूल्यांकन (The Work Assessment)—संगठन के नेता को अपने विभिन्न समस्याओं के कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। मूल्यांकन से यह ज्ञात हो जाता है कि एक पदाधिकारी अपने पद के उपयुक्त है अथवा नहीं। यदि नेता यह अनुभव करे कि पदाधिकारी अपने वर्तमान पद की अपेक्षा किसी अन्य पद पर अच्छी तरह काय कर सकता है तो उसकी नियुक्ति कर देना चाहिए। काम का मूल्यांकन करने के बाद यदि नेता द्वारा प्रोत्साहन की प्रशंसा तथा बुरे काय की आलोचना की जाए तो यह सम्भव है कि संगठन के कायकर्ताओं में एक विधेयात्मक उत्साह (Positive Enthusiasm) उत्पन्न हो। प्रथम व्यक्ति यह चाहता है कि उसके कार्यों की प्रशंसा की जाए। सराहना के बिना योग्य एवं समय व्यक्ति भी काय के प्रति उदात्त तथा निष्साहित हो जाता है। काम का मूल्यांकन संगठन के सदस्यों का उदात्त होना में सहायक है।

11 नैतिक भावनाओं का विकास (Encouragement of Moral Feelings)— एक नेता अपने अनुयायियों का पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए उनकी भावनाओं का उकसाता है। यद्यपि नेतृत्व का औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से कुछ सत्ता प्राप्त होती है। यह सत्ता उस एक सफल तथा सव्यक्त नेतृत्व बनने में सहायता नहीं दे सकती। सत्ता एक अधिकार के आधार पर किसी व्यक्ति को काय करने के लिए बाध्य किया जा सकता है किन्तु उसके स्वच्छापूर्ण व्यवहार का

प्ररित न किया जा सकता। नेतृत्व का वास्तविक रूप बाध्यकारी नहीं होता। एक सनिक कमाण्डर तथा सगठन क नेता के बीच यहाँ अन्तर है कि कमाण्डर अपनी शक्ति के आधार पर आज्ञा एवं निर्देश देता है जिसे अनुयायियों को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ता है। इसके विपरीत सगठन में एक अच्छा नेता वह माना जाता है जो समस्याओं में ऐसी भावना विकसित करे कि वे स्वयं से सगठन क उद्यम को प्राप्त करने में अपना योग दे सकें। सगठन के सदस्यों को कार्य की ओर प्ररित करना (To Motivate) एक नेता का प्रमुख कार्य है। इसे वह कई प्रकार से सम्पन्न करता है। वह सगठन के सदस्यों में ऐसी भावनाएँ विकसित कर देता है जिसमें वे यह साधने लग जाँए कि नेता का अनुगमन करना उसकी धानामों का पालन करना उसकी नीतियों एवं आयामों को सफल बनाने में यथाशक्ति सहयोग देना उनका एक नैतिक कार्य है। इस नैतिक कार्य का निर्वाह वह सगठन की भलाई, नेता की भलाई तथा स्वयं की भलाई की ओर प्ररित करेगा।

अपने अनुयायियों में नेता द्वारा दो प्रकार से प्ररणा उत्पन्न की जा सकती है—(i) निषेधात्मक (Negative) और (ii) विधेयात्मक (Positive)। डविस कीथ (Davis Keith) के मतानुसार विधेयात्मक नेता योगों को स तुष्ट कर प्ररित (Motivate) करता है। निषेधात्मक नेता उनमें असंतोष, असुरक्षा और भय उत्पन्न कर प्ररित करता है।¹ विधेयात्मक नेता केवल आज्ञाएँ ही प्रसारित नहीं करता बल्कि उनकी व्याख्या करता है, कमचारियों में उनका पालन करने की सामर्थ्य विकसित करता है साथ ही आवश्यक सत्ता का प्रत्यायाजन करता है। जब कमचारियों को वह स्पष्ट कर देता है कि एक विशेष कार्य क्यों करना चाहिए तो कमचारी-वगैर उमाह तथा हृत्ति के साथ उस कार्य में लग जाते हैं। वह एक व्यक्ति को बही कार्य सौंपता है जिसमें वह योग्यतापूर्वक सम्पन्न कर सकता हो।

उमहा यह दृष्टिकोण रहता है कि यदि लोगों को घबसर और प्ररणा प्राप्त हो तो वे स्वयं से कार्य करना चाहेंगे। निषेधात्मक नेता अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा लोगों में डर की भावना पैदा करता है। वह काम करने के लिए कमचारियों को पद से हटा देने, दूरारा की उपस्थिति में धमकी देने तथा अन्य प्रकार के दण्ड देने की नीति अपनाता है। इस प्रकार का नेता यह विश्वास बना लेता है कि उमने सभी को मानकित कर लिया है। डविस के शब्दों में वह एक बास (Boss) है नता नहीं। वह निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाता है क्योंकि वह समझता है कि लोगों का सहयोगपूर्ण तथा उत्पादनशील बनाने के लिए विवश किए जाने की आवश्यकता है पू कि वे स्वाभाविक रूप से ऐसा करना नहीं चाहते।

इन दोनों प्रकार के नेतृत्व में कमचारियों का भी नेता के प्रति व्यवहार भिन्न होता है। निपघात्मक नेतृत्व में कमचारी संगठन के कार्यों पर ध्यान देने की अपेक्षा नेता को प्रसन्न करने में प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसा नेतृत्व लोगों की शक्ति को अनावश्यक कार्यों में व्यय करता है और उनमें चिन्ता उत्पन्न कर रचनात्मक कार्यों की क्षमता को घटाते हैं। दूसरी ओर विधेयात्मक नेतृत्व कमचारियों की शक्ति में बड़ी गुणा वृद्धि कर देता है। यह तो सच है कि दोनों ही प्रकार के नेतृत्व अपने-अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं किन्तु वास्तव में गुण और संख्या में विधेयात्मक नेतृत्व की प्राप्ति या निपघात्मक नेतृत्व की अपेक्षा अधिक होती है। कभी-कभी निपघात्मक नेतृत्व आवश्यक भी बन जाता है किन्तु आजकल प्रशासनिक प्रक्रिया आदि में विकास के कारण विधेयात्मक नेतृत्व की परिस्थितियों का अधिक विस्तार हो रहा है।

नेतृत्व के आवश्यक गुण

(The Essential Qualities of Leadership)

नेतृत्व से सम्बंधित व्यक्तिगत गुणा के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। चेस्टर बर्नार्ड (Chester Barnard) इन गुणों का गतिशील (Dynamic) मानते हैं जो परिस्थिति आवश्यकता तथा समय के साथ बदलते रहते हैं। डेविस का शब्दा में व्यक्तित्व विशेषताएँ बदलती हुई स्थितियाँ और नेतृत्व किए जाने वाले व्यक्तियों की सम्पूर्ण प्रतिक्रियाओं का एक भाग होती हैं।

नेतृत्व के आवश्यक गुणों का वर्णन विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से किया है। पारंपरिक नेतृत्व (Business Leadership) के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन करते समय राबर्ट वाल्ड (Robert Wald) तथा राय डोटी (Roy Doty) ने बताया है कि नेता को अपना वर्तमान पारंपरिक प्रकार से सम्बंधित रचना चाहिए उसे शीघ्रतः कुछ अधिक शिक्षित होना चाहिए सामाजिक संगठन का नेता होना चाहिए उच्च नैतिक स्तर के विकास के लिए धर्म में रुचि लेनी चाहिए और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए आदि।¹ इन विशेषताओं में से अधिकांश का तो कोई विशेष महत्त्व नहीं है और सफल नेतृत्व के लिए अनिवार्य भी नहीं है। डेविस कीथ (Davis Keith) ने एक सफल पारंपरिक नेतृत्व में सम्बंधित चार गुणों का वर्णन किया है—प्रथम बुद्धि तीसरा सामाजिक परिपक्वता तृतीय आंतरिक प्रेरणा (Inner Motivation) चतुर्थ मानवीय सम्बंध दृष्टिकोण (Human Relations Attitude)।

सर विलियम स्लिम (Sir William Slim) के विचार

नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन करते समय फील्ड मार्शल सर

1 Robert M Wald and Roy A Doty The Top Executive A First Hand Profile p 53

विद्वान्म स्त्रियम (Sir William Slon) ने एक प्रकार के पांच गुणों का उल्लेख किया है।¹

1/ साहस (Courage)—नेता में मूर्खपूर्ण कार्य करने के लिए साहस होना चाहिए। नेता को कई बार ऐसे कार्य करने हों हैं जिनकी प्रकृति क्रान्तिकारक होती है। नेतृत्व का प्रथम आवश्यक गुण (Initiative) से प्रभावित रहना है। साम्य को सभी महत्त्वों का आधार समझा जाता है। एक उच्च श्रेणी का नेता नैतिक साम्य में सम्मिलित होना चाहिए। ✓

2/ इच्छा शक्ति (Will Power)—एक नेता का उत्तराधिकारी है कुछ कार्यों को सम्पन्न करना। नेता के कार्य कठिनाइयों तथा समस्याओं से पूर्ण होते हैं जिनमें बाधाओं और विरोधों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ✓

3/ मस्तिष्क की लोचनीयता (Flexibility of Mind)—यह विकास का एक सिद्धान्त है कि युग परिवर्तनशील है तथा उसकी परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जो इन परिवर्तनों के साथ अपने आपको नहीं बदल पाता वह पिछड़ जाता है। इसी प्रकार जो संगठन समय की आवश्यकताओं के अनुकूल अपने आपको नहीं ढाल पाता वह अपना मूर्ख एक अस्तित्व खो देता है। परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको तथा संगठन का ढाल-सना एक नेता का विशिष्ट गुण है।

4/ ज्ञान (Knowledge)—संगठन के सफल नेता को अपने संगठन की प्रत्येक गतिविधि का ज्ञान रहना चाहिए। उसे विभिन्न मजदूरों की समस्याओं एवं कठिनाइयों में परिचित रहना चाहिए तथा यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी विशेष कार्य में कितना समय लगेगा और कार्यकर्ताओं को किस प्रकार की सहायता प्रदान करनी होगी। ✓

5/ ईमानदारी (Integrity)—ईमानदारी नेता का यह गुण है जो दूसरे गुणों की सिद्धि सम्भव बनाता है। ईमानदारी के व्यवहार के कारण नेता संगठन के सदस्यों का विश्वासपात्र बन जाता है। ✓

हन्री फ़ोयल (Henry Fayol) के विचार

हन्री फ़ोयल के द्वारा उचित तौर पर भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक सफल नेतृत्व के लिए व्यक्ति में जो विशेषताएँ आवश्यक मानी हैं वे निम्न प्रकार हैं—

- (1) स्वास्थ्य और शारीरिक सामर्थ्य (Health and Physical Fitness)।
- (2) मानसिक शक्ति (Mental Vigour)।

1 F. Id. M. Hall Sir William Slon L. de Nip An Address to the Sydney Division of the Australian Institute of Management N. 1953

2 H. Fayol General and Industrial Management

(3) नैतिक गुण (Moral Qualities) जैसे वक्तव्य का गान सामान्य हित की भावना स्थिरता एक ता दृष्टिकोण विचारपूर्ण निष्पक्ष एवं उत्तरदायित्व स्वीकार करने का साहस ।

(4) सामान्य शिक्षा (General Education) ।

(5) प्रबंधात्मक योग्यता (Managerial Ability) अर्थात् दूरदर्शिता

काय की योजना बनाने की सामर्थ्य संगठन की रचना का ज्ञान आदेश देने एवं ध्येय से काय लेने की कला समन्वय एवं सभी कार्यों के बीच सामंजस्य पान करना एवं नियंत्रण ।

चेस्टर बर्नार्ड (Chester Barnard) के विचार

चेस्टर बर्नार्ड ने एक सफल नेतृत्व के लिए निम्नलिखित आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है—

1/ जीवन शक्ति एवं धैर्य (Vitality and Endurance)—नेतृत्व के ये गुण सामान्यतः शारीरिक स्वास्थ्य से कुछ अधिक होते हैं। इनके द्वारा विशद अनुभव प्राप्त किया जा सकता है (ये प्रतिगमन आश्चर्य का लक्षण हैं)। नेतृत्व सफल के एक वर्ष के बाद उजागर होता है और वर्ष सफल का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त जीवन शक्ति एवं धैर्य की आवश्यकता होती है।

2/ निष्पक्ष लेने की क्षमता (Decisiveness)—संगठन के नेता में तत्काल निष्पक्ष लेने की क्षमता होनी चाहिए। निष्पक्ष लेने का अर्थ है उचित समय पर उचित कार्य सम्पन्न करना और अनावश्यक कार्यों को रोकना। निष्पक्ष लेने की क्षमता का अभाव संगठन के कार्यों पर विनाशकारी प्रभाव डालता है।

3/ समझाने की क्षमता Persuasiveness—संगठन का लक्ष्य कुछ कार्य सम्पन्न करना होता है। नेता इन कार्यों की सम्पन्नता में संगठन का सहयोग प्रदान करता है। नेता प्रकृत संगठन के नेता को प्राप्त करने में प्रयत्न करता है। इसके लिए यह जरूरी है कि वह धैर्य सदस्या का सतिय रचनात्मक एवं स्वच्छ सहयोग प्राप्त करे। इसके लिए नेता संगठन के अर्थ से स्या को समझाता है और उन्हें कार्य की ओर प्रेरित करता है।

4/ उत्तरदायित्व (Responsibility)—नेता का ध्येय उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए अर्थात् वह अपने यत्न या मही कार्यों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है। एक उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नेता के व्यवहार की विशेषता स्वायत्त होता है। ऐसा होने पर ही संगठन के अर्थ से योग्य समझ पाएंगे।

5/ बौद्धिक सामर्थ्य (Intellectual Capacity)—एक नेता को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि उमक निष्पक्ष सही तथा बुद्धिपूर्ण हो। बौद्धिक सामर्थ्य का अर्थ केवल स्तना ही है कि वह नेता के अर्थ गुणा को साधक बनाती है।

एक अच्छा नेता प्रायः वह माना जाता है जो अपने गुणों एवं विशेषताओं के प्रति सगठन का सम्मान प्राप्त कर सके और अपनी मानवीय कमजोरियों के प्रति उनकी सहानुभूति अर्जित कर सक। नेता में जन सामान्य के हृदय तक पहुंचने की सामर्थ्य हानी चाहिए। समूह के सभी सदस्यों के प्रति यदि उसके दिल में सद्भाव है और वह उनके साथ मिलने में रुचि एवं उत्साह प्रदर्शित करता है तो बहुत कम समय में ही वह उस समूह का एक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली नेता बन जाएगा।

3 **जीवन शक्ति (Vitality)**—नेता के यत्न का बाहरी रूप प्रभावशाली होना चाहिए क्योंकि इसी के माध्यम से वह अपने अनुयायियों को प्रथम साक्षात्कार में ही प्रभावित कर लेता है। समूह के योग में उसके प्रति चर्चा होती है जिसके परिणामस्वरूप उसका प्रतिरूप (Image) बनता है। एक नेता का यह प्रतिरूप अधिक जितना तक प्रभावशाली नहीं रह सकेगा यदि वह अपने वास्तविक गुणों का। इसको ठोस रूप न दे दे अथवा सहायशील लोगों को अपनी ओर आकर्षित न कर ले। नेता को आन्तरिक यत्न की प्रतिभा से सम्पन्न होना चाहिए। उसमें एक जीवन शक्ति होनी चाहिए जिसके द्वारा वह सगठन के निराश लोगों में आशा निष्क्रीय लोगों में क्रियाशीलता उत्पन्न करने में उत्साह पैदा करने के प्रतिरूप सगठन के गुणवान योग का भी प्रोत्साहन प्रदान कर सके। नेता की जीवन शक्ति एवं आकर्षण कई बार सगठन के सदस्यों के जीवन का एक महत्वपूर्ण माह बन जाते हैं। नेता के गुण समूह के समस्या के व्यवहार के आदर्श बन जाते हैं।

4 **सामान्य बुद्धि (General Intelligence)**—नेता का बुद्धिमान होना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ताकि वह निम्नलिखित समय उसके स्वरूप एवं परिणामों पर सभी पक्षों से विचार कर सके। उसकी बुद्धि का स्तर एकांगी नहीं होना चाहिए। बुद्धि के एकांगी होने के दो आशय हो सकते हैं। प्रथम तो इस प्रकार की बुद्धि का किसी क्षेत्र विशेष में तो छाटी स छाटा बात में भी प्रवेश होता है किन्तु दूसरे क्षेत्रों का ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार की बुद्धि से नेता अपने उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक नहीं निभा पाएगा क्योंकि उसका सम्बन्ध सगठन के किसी एक भाग से होकर पूरे सगठन से होता है। बौद्धिक एकांगिता का दूसरा रूप वह है जिसमें नेता का बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा होता है कि समूह का सामान्य सदस्य उस प्रश्न करने में असमर्थ रहता है। एनी स्थिति में नेता की बातें सामान्य रूप से प्रभावशाली नहीं होती।

5 **संचारित करने की योग्यता (Ability to Communicate)**—संचार व्यवस्था नेता के संचारण का एक मुख्य शस्त्र है जिसके माध्यम से वह अपनी आना निर्देश सुझाव एवं दृष्टिकोण आदि सगठन के अन्य लोगों तक संचालित कर सकता है। नेता सगठन के सभी लोगों को स्वयं नहीं कर सकता। दूसरे लोगों में कार्य को इस प्रकार विभाजित करता है कि वे सभी स्वयंसेवा से महत्व प्रदान कर उसे

मङ्गलापन्न सम्पन्न कर सके। यही सब इतल समय वह संचार व्यवस्था की मंहीगता है ताकि नागा म भ्रम न बढ एवं कुम्भजता बनी रहे।

✓ याचपूरा निर्णय (Judgement)—नेता सगठन का प्रभावशाली व्यक्ति हाना है जिम्की सद्भावना पाने क लिए नोय मिथ्या प्रशमा प्रमय सूचनाओ आनि का आश्रय न मकत है अतः नेता म समय प्रमय को पहचान कर परिस्थितिया का मी मूयांकन करन की क्षमता नी चाहिए। एल उविक के मतानुमार नेता क इस गुण को निश्चित रूप स परिभाषित नही किया जा सकता। याचपूरा नियम देने की प्रक्रिया म व्यक्ति को मनरात्मा का महत्वपूरा योग रहता है।

नेतृत्व क लिए आवश्यक उपयुक्त सभी गुणो अथवा विपयताप्रा क अध्ययन स निम्ननिमित्त बाने स्पष्ट होती हैं—प्रथम नेता के गुणो की काई सवमा य सूची निर्धारित करना कठिन है। तीस गुणा की प्राथमिकताओ का क्रम भी मुनिश्चिन नही किया जा सकता। इसलिए उविक ने लिखा है कि जब सभी गुण मौजूद हैं तो हमने कोई म नर नहीं पहता कि कौनमा गुण अधिक प्रभावशाली है। तृतीय नेता क गुणा क महत्व बढन कुछ परिस्थितिया और समह की आवश्यकताओ पर निर्भर रहता है। सवेय म य कहना होगा कि नेता के समस्त गुणा की प्रकृति स्थिर न हाकर परिवतनशील होती है।

भावी नेताओ का विकास (Development of Future Leaders)

घात्र यह माप धारणा बदल चुकी है कि नेता पदा होते हैं बनाए नहीं जात। आधुनिक अनुसंधानो स व्यावहारिक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि समुचित प्रशिक्षण द्वारा नेतृत्व क गुण विकसित किए जा सकत हैं। पुरातन सगठनो म नेतृत्व के लिए चरित्रगत गुणो क बाहुय पर विशेष आश्रय था और न एलवादी रिचारधारा विभय प्रभावशाली थी। पर घात्र परिस्थितिया और सगठनो क रूपो घाि म प्रगतिकारी परिवतन हा चुके हैं। नेतृत्व म सम्बन्धित वतमान तकनीकें आम से नही वी क प्रतिभण ने विकसित हावी हैं। प्रवश्य ही वर्नाड का यह कथन सही है कि प्रशिक्षण क रूप क मध्य म हम अभी तक निश्चय नहीं कर पाए हैं और यही कारण है कि हम अपनी सामाजिक उलभनो का घांठी तरह नही मुलभा पात।

समुचित एवं आवश्यक नेतृत्व का प्रभाव आधुनिक नाक प्रशासन की एक महत्वपूरा समस्या है। नेतृत्व क इस प्रभाव का पति और भावी नेताओ के विकास की दृष्टि स जो काम उठाए जाने चाहिए उनम से कुछ मुख्य य हो सकत हैं—

1 प्रवेश क समय उठाए जाने वाले कथम—लोक-भवनो की भर्ती के समय तेमे क म उठाए जाने आवश्यक है जिनक आधार पर समयकी मांग और आवश्यकता

के अनुसूच नृतत्व स्थापित किया जा सके। पहले प्रशासन अधिकारियों का अनुशासन नियंत्रण समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था उसका स्वरूप प्राथमिक प्रजातन्त्रात्मक और नाक-बल्याणकारी राज्य के सामर्थ्य में बहुत कुछ बदल चुका है। आज यह अपेक्षित है कि अधिकारी सामान्य शिक्षा नीतिशास्त्र मनोविज्ञान समाजशास्त्र आदि का ज्ञान हो ताकि वह अपने अधीनस्थों की भावनाओं को प्रेरणा प्रदान कर सकें और सगठन व लक्ष्य के साथ उनका सामंजस्य कर सकें। प्रवेश के समय प्रत्याशी की प्रशासकीय सामर्थ्य को जाँचने के अतिरिक्त यहाँ भी देखा जाना चाहिए कि उसमें समन्वयात्मक शक्ति कितनी प्रबल है। अतः लक्षण परीक्षा के साथ ही मनावगानिक परीक्षा भी होना चाहिए ताकि प्रत्याशी की समर्थताओं पर नियंत्रण लेने की शक्ति का परखा जा सके। यह सुभाव भी किया जाता है कि उच्च पदों पर भर्ती केवल पदोन्नति द्वारा ही की जाए तो उपयुक्त होगा क्योंकि इससे अनुभवों प्रशिक्षित और योग्य अधिकारी प्राप्त हो सकेंगे जिनमें नृतत्व के वास्तविक निधान की क्षमता होगी।

2 प्रशिक्षणकालीन वायवाही—समुचित प्रशिक्षण द्वारा पदों के अमजबूत गुणों का विकास और उसमें नृतत्व के नवीन गुणों का मूल्यन किया जा सकता है अतः प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जो अधिकारियों को जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित कर गतिशील बनाए। निम्नतर स्तर के अधिकारियों को अपने से उच्चतर श्रेणी के अधिकारियों के कार्यों में पूर्ण रुचि लेनी चाहिए ताकि वे अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें। प्रशिक्षण का रूप में होना चाहिए कि व्यक्ति को रुचियाँ का क्षेत्र विस्तृत हो उसकी वास्तविक शक्ति तीव्र हो तथा उसमें दूसरों को समझने की इच्छा और सामर्थ्य पदा हो जाए। अस्टर बनाम का मत है कि नृतत्व के जिन गुणों को औपचारिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जा सकता है उनमें बौद्धिक विकास का स्थान प्रमुख है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि बौद्धिक प्रशिक्षण की अति भी हानिकारक हो सकती है।

प्रशिक्षण का पुराना तरीका केवल मूढान्तिक था जबकि आज यह प्रयास किया जाता है कि प्रशिक्षण को वास्तविक वायु स्थितियाँ में अलग नही रखा जाना चाहिए। प्रशिक्षण का वायु स्थितियाँ में जानकर सक्रिय बनाए रखना नृतत्व के विकास की अपरिहार्य आवश्यकता है। भावी नेता का जब कभी यह सिखाया जाए कि मानव सम्बन्ध स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है तो मूढान्तिक रूप में प्रशिक्षण को स्पष्ट करने के अनायास उस मानव सम्बन्धों की रचना का वास्तविक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

3 विस्तृत ज्ञान—ज्ञान क्षेत्र जितना अधिक विस्तृत होगा नेता समर्थताओं के विभिन्न पहलुओं को समझकर उसका समाधान उतनी ही सफलता से कर सकता है लेकिन ज्ञान क्षेत्र का विस्तार कबन बाह्य प्रशिक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता।

उम- निष्ठा प्राप्त शिक्षा (Self Education) भी अनिवार्य है। सामाजिक शिक्षा के माध्यम से नया स्वयं प्रयत्न मानसिक और बौद्धिक स्तर को जाँच करता है और जहाँ-जहाँ उस कुछ कमि महसूस होती है उस दूर करने का प्रयास करता है। बहुत से सामाजिक संगठन और कार्यलयों में सामाजिक शिक्षा के विकास के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है।

4 मानवीय सम्बन्धों का पान—संगठन एक मानवीय सम्प्रदाय है अतः इसमें भी नया प्रयत्न अधिकारियों के लिए मानवीय प्रवृत्तियों को समझने की आवश्यकता का प्रथम महत्त्व है। वर्तमान मानवीय सम्प्रदाय पर तीन पहलुओं से विचार किया है। प्रथम मानवीय सम्बन्धों की दृष्टि से अपनी पान-वृद्धि के लिए नेता का मानव व्यवहार का मूल्यांकन करना चाहिए—विशेष रूप से ऐसे व्यवहारों का जिन्हें सम्पन्न करत समय किसी प्रकार के विवेक का सारा न लिया गया हो। मानव व्यवहारों का प्रभावशाली प्रबोध होता है यदि नेता उस सही रूप में समझने को चेष्टा न कर बस बौद्धिक आधार पर उसका मूल्यांकन करेगा तो परिणाम सन्तोषजनक नहीं होगा। दूसरे नया को सामाजिक प्रणालियों की प्रकृति का सामान्य पान होना चाहिए। तीसरे संगठन के परिवर्तनशील और विकासशील स्वरूप के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। संगठन का औपचारिक रूप व्यवहार परातल की समस्याओं को छूना हुआ प्रायः परिवर्तन का दौर से गुजरता है और नेता का व्यवहार भी इन परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए।

5 अनुभव का महत्त्व—नृत्य की पुरातन धारणा शक्ति और धारणा पर जार देती थी। पर आज के प्रजातन्त्र युग में नृत्य की दार्शनिक सफ़लता के लिए समझाने बुझाने की योग्यता और अनुभव विनय की सामर्थ्य पर अधिक बल दिया जाता है। नृत्य का अर्थ अधीनस्था का स्वेच्छापूर्वक सक्रिय सहयोग है। अधीनस्था का सहयोग तभी मिल सकता है जब नेता उनका सामने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर तथा उनमें अपने प्रतिनिधित्व प्राप्त करे। नेता का अभिव्यक्ति की बला में त्रिगुण होना चाहिए।

नतस्व के स्वरूप अध्याय शतिका

(Leadership Styles)

अध्याय के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि एक समस्या उपक्रम या प्रतिष्ठान की सफ़लता असफ़लता नृत्य की विधि पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अतः यह प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि एक प्रवृत्ति को नृत्य के किस स्वरूप अध्याय (Style) का अपनाना चाहिए कि समस्या अधिन उद्देश्य की पूर्ति की और अधिन ही सब समस्या को सफ़लता प्राप्त हो सके। प्रत्येक समस्या के लिए विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के नृत्य की आवश्यकता है। व्यावसायिक

क्रिया का नेतृत्व किस प्रकार किया जाए उनका माग्यमान कैसे किया जाए— यह प्रबंधक (नेता) की इच्छा और कार्य की उपस्थ परिस्थितिया पर निर्भर करता है। प्रबंध जगत् में अधिकांश विद्वान नेतृत्व के निम्नलिखित तीन स्वरूपों या शक्तियों (Styles) को प्रधानता देते हैं—


- 1 नेता केन्द्रित अथवा निरंकुश (Leader Centered or Autocratic)
- 2 समूह केन्द्रित अथवा प्रजातान्त्रिक (Group Centered or Democratic)
- 3 व्यक्ति केन्द्रित अथवा निर्वाह (Individual Centered or Free rein)

एक अथ दृष्टिकोण से नेतृत्व के स्वरूप या शक्तियों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

- 1 अभिप्रेरक (Motivational)
- 2 शक्ति (Power)
- 3 पयवेनकीय (Supervisory)

नेतृत्व की उपयुक्त तीनों शक्तियों एवं उनके उप विभागा को चाट रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है —

नेतृत्व के स्वरूप
(Leadership Styles)



(1) अभिप्रेरक स्वरूप या शक्ति
(Motivational Style)

किसी समस्या या प्रतिष्ठान में नेता जिन विधियाँ द्वारा अपने कर्मचारियों का माग्यदर्शन करता है तथा उन्हें कार्य के लिए अभिप्रेरित करता है उनमें अभिप्रेरक विधियाँ प्रमुख हैं—ये अभिप्रेरक विधियाँ भी दो प्रकार की हो सकती हैं— धनात्मक

(Positive) और ऋणात्मक (Negative)। जब नेता कमचारियों को अधिक एक अनाधिक प्रेरणाएँ देकर कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश देता है तो इसे धनात्मक अभिप्रेरण (Positive Motivation) कहा जाता है। अभिप्रेरण की यह विधि कमचारियों को कार्य के प्रति आकर्षित करती है वे अधिक लगन से कार्य करते हैं। नेता और कमचारियों के बीच अद्भुत सम्बन्ध बंधने रहते हैं और इस प्रकार औद्योगिक शक्ति की बचत मिलती है। दूसरी ओर जब नेता कमचारियों को डर घमका कर दण्ड का भय दिखाकर काम से हटा देने बतन घटा देने या अधिक समय काम लेने आदि की घमका देकर कार्य के लिए अभिप्रेरित करता है तो इसे ऋणात्मक अभिप्रेरण (Negative Motivation) कहा जाता है। अभिप्रेरण का यह रूप भय एवं दण्ड विचारधारा (Fear and Punishment Theory) पर आधारित है। ऋणात्मक अभिप्रेरण-नतृत्व शक्ती से औद्योगिक शक्ति तथा सामूहिक प्रसन्नता का वातावरण नहीं बनाया जा सकता। कमचारियों को कुछ समय के लिए तो अवश्य अभिप्रेरित किया जा सकता है लेकिन सर्वथा स्थिति नहीं चल सकती क्योंकि ऋणात्मक अभिप्रेरण अन्ततोगत्वा कमचारियों के सहयोग और विश्वास का जन्म दाना है।

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि नेतृत्व की धनात्मक शक्ती का ही प्रयोग किया जाए ऋणात्मक अभिप्रेरण शक्ती अवधाने त्याग दे। वास्तव में नेतृत्व के अभिप्रेरण स्वरूप की धनात्मक और ऋणात्मक विधियों में से एक नेता के बौद्धिक विधि धरनाएँ—इसका निश्चित प्रयत्न करना कठिन है। किंतु इतना अवश्य है कि परिस्थितियों के अनुसार इन दोनों में से किसी भी विधि का उपयोग दानो ही विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य प्रत्यक्ष कुशल नेता दोनों विधियों का मिश्रण युक्त रूप प्रयोग करते हैं। किन्तु ही बार कमचारी धनात्मक कार्यवाही में प्रभावित नहीं हो पाते और तब ऋणात्मक कार्यवाही का सन्तरो लेना पड़ता है। लेकिन यह एक अस्थायी सन्तरो है क्योंकि अधिकशतक नेता को धनात्मक व्यवहार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यों-या कमचारी शिक्षित होते जा रहे हैं अस्थायी में वास्तविक वातावरण बनना जा रहा है और बाध्य घटकों का दबाव घट रहा है यों-यों प्रबंधकों द्वारा ऋणात्मक विधि का प्रयोग कम होता जा रहा है।

(2) शक्ति शक्ती या स्वरूप (Power Style)

शक्ति का आधार पर नेतृत्व की निम्न तीन शक्तियाँ प्रचलन में हैं—

1. निरहुता या अधिभूत नतृत्व (Autocratic Leadership)—नेतृत्व का इस स्वरूप को नेता केंद्रित (Leader Centered) भी कहते हैं। इस शक्ती में सभी अधिकार नेता के पास केंद्रित होते हैं और सभी प्रकार के निर्णय वह स्वयं लेता है। निर्णय प्रक्रिया में नेता अपने अनुयायियों को शामिल नहीं करता। वह केवल अपने निर्णयों का क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश देता है। ऐसा सर्वशक्तिमान

प्रबन्धक या नेता कमचारियों के लिए काय प्रणाली या सम्पूर्ण ढाँचा तयार करता है। नेतृत्व का यह स्वरूप घनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। प्रबन्धकीय क्रियाओं की सफलता असफलता का पूरा उत्तरदायित्व स्वयं नेता वहन करता है। उसे अधिकार लिप्ता रहती है सत्ताहीन हो जाने की आशंका से वह अधिकारों का प्रत्यायोजन या विकेंद्रीकरण नहीं करता है। वह अनुयायियों का सत्यानुरोध तक ही जानकारी नहीं देता। वह पूर्णतया नेता द्वारा निर्देशित और नेता के इशारों पर आश्रित होता है। इस प्रकार का नेतृत्व अधिकारीशक्त ऋणात्मक होता है क्योंकि कमचारी अपने नेता या प्रबन्धक से दूरे रहते हैं। वे स्वयं को असुरक्षित अनुभव करते हैं काय के प्रति कोई विशेष जानकारी नहीं रख पाते नक्ष्यों के प्रति प्रायः अधिकार मरहते हैं और यदि कुछ जानकारी होनी भी है तो वह अपर्याप्त होती है। नेता की प्रकृति और प्रवृत्ति ऐसी हानी है कि वह अनुयायियों का आलसी अनुत्तरदायी और असहयोगी मानकर चलाता है। इस प्रकार सभी काय नेता द्वारा निर्देशित रहते हैं। शक्ति-स्वरूप नेतृत्व में कई बार नेता या प्रबन्धक का व्यवहार घनात्मक भी होता है। ऐसे नेता का हम हितपी नेता (Benevolent Leader) कह सकते हैं। हितपी नेता या प्रबन्धक औद्योगिक वातावरण का अर्थात् बनाए रखने उत्पादन बढ़ाने तथा कमचारियों को अभिप्ररित करने में प्रायः सफल होता है।

सबशक्तिमान नेतृत्व या प्रबन्धकत्व (Autocratic Leadership) के कई लाभ हैं। नेता या प्रबन्धक को शीघ्र निर्णय लेने की सुविधा रहती है। काय के प्रति प्रेरणा उसका मुख्य गुण-होता है। प्रबन्धक का उचित पुरस्कार उसे मिलना है। जो सहायक प्रबन्धक तथा पयवेक्षकीय कमचारी अक्षम होते हैं वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। सबशक्तिमान नेतृत्व का मुख्य तथ्य यह है कि यह अनौकतांत्रिक है जिसे अधिकारशक्ति व्यक्ति पसन्द नहीं करते हैं। ऋणात्मक रूप में यह प्रणाली कमचारियों में निराशा और निम्न नतिक स्तर की भावना पैदा करती है जिससे उत्पादन घटता है। कमचारियों में स्वयं के काय के प्रति न कोई प्रेरणा रहती है और न ही पालन करने की काइ भावना। वे नेता द्वारा चालित रहते हैं।

2 सहभागिता या प्रजातांत्रिक नेतृत्व (Participative or Democratic Leadership)—नेतृत्व के इस स्वरूप को समूह केन्द्रित (Group Centered) भी कहते हैं। नेतृत्व का यह स्वरूप या शरीर अतिक्रम आधुनिक और अधिकारीशक्त माय है। आज के लोक कल्याणकारी युग में नेतृत्व का यह स्वरूप सर्वाधिक लोकप्रिय है क्योंकि इसमें नेता नीति का निर्धारण अकलम करके अपने अनुयायियों से विचार विमर्श के बाद करता है। कितनी ही बार नेता अपने अनुयायियों के सुझावों और विचारों को सामान्य सशोधन के बाद ही स्वीकार करते हुए नीतियाँ तथा काय पद्धतियाँ का निर्धारण कर लेता है। प्रजातन्त्रात्मक या सहभागिता या समूह

(Positive) और ऋणात्मक (Negative)। जब नेता कमचारियों को प्रार्थिक एवं प्रत्नात्मक प्रेरणाएँ देकर काम करने के लिए आवश्यक निर्देश देता है तो इसे धनात्मक अभिप्रेरण (Positive Motivation) कहा जाता है। अभिप्रेरण की यह विधि कमचारियों को काम के प्रति प्रार्थित करती है वे प्रार्थिक उद्यम से काम करते हैं। नेता और कमचारियों के बीच अन्धे सम्बन्ध बन रहते हैं और इस प्रकार प्रौद्योगिक शांति को बल मिलता है। दूसरी ओर जब नेता कमचारियों का डर घमका कर दण्ड का भय दिशाकर काम में हटा देने व नष्ट घटा देने या प्रार्थिक समय काम लेने आदि की घमका देकर काम के लिए अभिप्रेरित करता है तो इसे ऋणात्मक अभिप्रेरण (Negative Motivation) कहा जाता है। अभिप्रेरण का यह रूप भय एवं दण्ड विचारधारा (Fear and Punishment Theory) पर आधारित है। ऋणात्मक अभिप्रेरण-नृत्य शक्ती से प्रौद्योगिक शांति तथा सामूहिक प्रसन्नता का वातावरण नहीं बना रह सकता। कमचारियों को बुद्धि मय के लिए तो प्रवश्य अभिप्रेरित किया जा सकता है लेकिन सर्व यह स्थिति नहीं चल सकती क्योंकि ऋणात्मक अभिप्रेरण अन्ततोगत्वा कमचारियों के सहयोग और शिष्टाचार का जनक होता है।

धमका यह अभिप्रेरण नहीं है कि नेतृत्व की धनात्मक शक्ती का ही प्रयोग किया जाए ऋणात्मक अभिप्रेरण शक्ती सर्वथा याय है। वास्तव में नेतृत्व के अभिप्रेरण स्वरूप की धनात्मक और ऋणात्मक विधियों में से एक नेता बच बीनसी विधि अपनाएँ—धमका निश्चित प्रयुक्त करना कठिन है। किन्तु इतना प्रवश्य है कि परिस्थितियों के अनुसार इन दोनों में से किसी भी विधि का प्रयोग करना ही विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः प्रत्येक कुशल नेता दोनों विधियों का मिश्रण जुला रूप प्रयोग करते हैं। किन्तु ही बार कमचारी धनात्मक कार्यवाही से प्रभावित नहीं हो पाते और तब ऋणात्मक कार्यवाही का सन्तारा लेना पड़ता है। किन्तु यह एक प्रस्थायी सन्तारा है क्योंकि अधिकांशतः नेता को धनात्मक व्यवहार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। "या" या कमचारी शिक्षित होते जा रहे हैं प्रस्थायी में वाक्यान्वय वातावरण बनपना जा रहा है और वाह्य घटका का दबाव पड़ रहा है। "या" प्रबंधक द्वारा ऋणात्मक विधि का प्रयोग कम होता जा रहा है।

(2) शक्ति शक्ती या स्वरूप (Power Style)

शक्ति का प्रचार पर नेतृत्व की निम्न तीन शक्तियाँ प्रचलन में हैं—

1. निरकुण या अधिभूत नतव (Autocratic Leadership)—नृत्यत्व के इस स्वरूप को नेता केंद्रित (Leader Centered) भी कहते हैं। इस शक्ती में सभी अधिकार नेता के पास केंद्रित होते हैं और सभी प्रकार के निर्णय वह स्वयं लेता है। निर्णयन प्रणियाँ में नेता अपने अनुयायियों को शामिल नहीं करता। वह बचन अपने निर्णयों का क्रियावित करने के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश देता है। ऐसा सर्वशक्तिमान

प्रबधक या नेता कमचारिया के त्रिए काय प्रणाली या सम्पूण ढाँचा तयार करता है। नतृत्व का यह स्वरूप घनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। प्रबधकीय क्रियाओ की सफलता असफलता का पूण उत्तरदायित्व स्वयं नेता वहन करता है। उस अधिकार लिप्सा रहती है सत्ताहीन हो जाने की आशंका स वह अधिकारा का प्रत्यायोजन या विवेकीकरण नही करता है। वह अनुयायियो को सस्या क लक्ष्यो तक ही जानकारा नही दता। वे पूणतया नेता द्वारा निर्देशित और नेता क इशारा पर आश्रित हाते है। इन प्रकार का नेतृत्व अधिकारीगत ऋणात्मक होता है क्यकि कमचारी अपन नेता या प्रबधक से रे डरे रहते है। वे स्वयं को असुरक्षित अनुभव करत है काय के प्रति कोई विशेष जानकारी नगी रख पाते लक्ष्य के प्रति प्राय अधिकार म रहत है और यदि कुछ जानकारी हानो भी है तो वह अपर्याप्त होती है। नेता की प्रकृति और प्रवृत्ति ऐसी हानो है कि वह अनुयायियो का आलसी अनुत्तरदायी और असह्यागी मानकर चत्ता है। इस प्रकार सभी काय नेता द्वारा निर्देशित हाते है। शक्ति-स्वरूप नेतृत्व म कर्षण वार नेता या प्रबधक का व्यवहार घनात्मक भी होता है। ऐस नेता का हम हितपी नता (Benevolent Leader) कह सकते ह। हितपी नेता या प्रबधक औद्योगिक वातावरण को अर्च्छा बनाए रखन उत्पादन बढाने तथा कमचारिया को अभिप्ररित करन म प्राय सफल होता है।

सवशक्तिमान नेतृत्व या प्रबधकत्व (Autocratic Leadership) क कई नाम है। नेता या प्रबधक को शीघ्र निर्णय लेन का सुविधा रहती है। काय के प्रति प्ररणा उसका मुख्य गुण-होता है। प्रबधक का उचित पुरस्कार उते मिलता है। जो सहायक प्रबधक तथा पयवेक्षकीय कमचारी प्रलभ हाते है वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही कर पाते है। सवशक्तिमान नेतृत्व का मुख्य दाप यह है कि यह अतृप्तान्त्रिक है जिसे अधिकारी व्यक्ति पसंद नहा करत है। ऋणात्मक रूप म यह प्रणाली कमचारियो म निराशा और निम्न नतिक स्तर की भावना पदा करती है जिसस उत्पादन घटता है। कमचारिया म स्वयं क काय के प्रति न काँ प्ररणा रहती है और न ही पहन करन की कोई भावना। व नेता द्वारा चानित रहत है।

2 सहभागिता या प्रजातान्त्रिक नेतृत्व (Participative or Democratic Leadership)—नेतृत्व के इस स्वरूप का समूह कर्णित (Group Centered) भी कहते है। नेतृत्व का यह स्वरूप या शरी अधिक आधुनिक और अधिकारीगत माय है। आज के लोक कल्याणकारी युग म नेतृत्व का यह स्वरूप सवाधिक लोक प्रिय है क्यकि असम नेता नीति का निर्धारण अकेले न करक अपन अनुयायियो स विचार विमश के बाद करता है। कितनी ही बार नेता अपन अनुयायियो क सुभावा और विचारा का सामाय सशाधन के बाद ही स्वीकार करते हुए नीतिया तथा काय पद्धतिया का निर्धारण कर लता है। प्रजातान्त्रिक या सहभागिता या समूह

केन्द्रित नेतृत्व के अंतर्गत प्रबंधक या नेता अपनी शक्तियाँ विकसित कर देता है। वह अधीनस्था का अधिकार का प्रत्यायाजन करने में विश्वास करता है और अपने अनुयायियों का एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करने तथा अपनी योग्यता का पूरा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। प्रजातांत्रिक नेता अपने अनुयायियों की आवश्यकताओं और सुविधाओं का ध्यान रखता है। कर्मचारियों के प्रति उसका मानवीय दृष्टिकोण प्रधान होता है। आज सावजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों के उपक्रमों में प्रबंधक में कमचारी भागिता (Worker's Participation in Management) का धारणा नेतृत्व की इस शैली का औद्योगिक प्रजातंत्र के लिए अपरिहार्य बना दिया है। प्रजातंत्र में नेतृत्व में सभी कर्मचारियों का प्रायः सहयोग मिलता है कमचारियों में स्वाभिमान की अनुभूति रहती है। किंतु अनेक अवसरों पर प्रजातांत्रिक नेतृत्व को भी श्रद्धा मक विधियों का आश्रय लेना पड़ता है। यह अवश्य है कि इन विधियों का प्रयोग अपवाद रूप में ही होता है।

3 स्वतंत्र या निर्बाध नेतृत्व (Free rein or Laissez faire Leadership) — नेतृत्व के इस स्वरूप को व्यक्ति केन्द्रित (Individual Centered) भी कहते हैं। इस शैली में नेता प्रशासनिक कार्य में कम से कम रुचि लेता है और अनुयायियों को प्रायः उनके स्वयं के भारों छोड़ देता है। नेता या प्रबंधक स्वयं शक्ति का उपयोग नहीं करते हुए समूह को अपने उच्च निर्धारण का विश्वास में अभिप्रेरित करता है। अनुयायी स्वयं सावधानीपूर्वक उच्च निर्धारित करते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक नियम लेते हैं। नेता या प्रबंधक पुनः इस सम्बंध में आवश्यक अधिकार सौंप देता है। समूह का प्रायः सदस्य समस्या को समस्या के प्रति चिंतन करता है और स्वयं प्रेरित होता है। नेता या प्रबंधक अपने अनुयायियों अथवा कर्मचारियों की श्रियाओं का सकारात्मक या श्रृंगारत्मक किसी भी रूप में मर्यादित नहीं करता है—वह केवल एक सम्बंधकों का काम करता है। निर्बाध या स्वतंत्र नेतृत्व इस धारणा पर आधारित है कि यदि अनुयायियों को अपनी श्रृंखलाओं के कार्य करने दिया जाए तो वे अधिकारों पर परिणत तथा लगन से कार्य करते हैं और अन्तः परिणामों की प्राप्ति होती है। स्वतंत्र प्रबंधन अथवा निर्बाध नेतृत्व में शक्ति समूह के हाथ में उसी प्रकार निहित रहती है जिस प्रकार नेता अधिकृत प्रबंधक प्रणाली में नेता या प्रबंधक के हाथ में।

शक्ति शैली के नेतृत्व के उपरोक्त तीनों रूपों में से एक नेता कौन सा रूप अपनाए यह बहुत कुछ नेता की इच्छा और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वैसे अधिकारशक्त मान्य मत यह है कि एक नेता को प्रजातांत्रिक रूप ही अपनाना चाहिए क्योंकि इससे समस्या में सौहार्दपूर्ण सम्बंधों का निर्माण होता है औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन मिलता है और फलस्वरूप औद्योगिक शान्ति बनी रहती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है।

(3) पयवेक्षकीय शली या स्वरूप

(Supervisory Style)

नेतृत्व के इस स्वरूप में भी नेता या प्रबन्धक दो विचारधाराएँ अपनाकर कमचारियों का मार्गदर्शन कर सकता है—

(i) कमचारी प्रधान (Employee Oriented)

(ii) उत्पादन प्रधान (Production Oriented)

कमचारी प्रधान विधि में नेता या प्रबन्धक व्यक्तियों को अधिक महत्त्व प्रदान करता है अर्थात् कमचारियों की रुचियों, अभिवृत्तियाँ, सुविधाओं, काय-दशाओं, काय-वातावरण आदि पर पूरा ध्यान देता है और कमचारियों को सन्तुष्टि प्रदान करते हुए उन्हें कार्य हेतु अभिप्रेरित करता रहता है। नया अनुयायियों की मुख्य आवश्यकताओं को समझने, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने, शिकायतों का शीघ्र निवारण करने, मानवीय भावनाओं का आदर करने के लिए प्रयत्नशील रहना है। उत्पादन प्रधान विधि में नेता या प्रबन्धक इस विश्वास अथवा धारणा के साथ नीति निर्धारित करता है कि उत्पादन को उन्नत विधियाँ अपनाकर कमचारियों को निरन्तर कार्य में लगाए रखने और कार्य हेतु प्रेरित करने में उत्पन्न की पूर्ति हो सकती है। जहाँ कमचारी प्रधान विधि में नेता या प्रबन्धक मानवीय दृष्टिकोण को प्रधानता देता है वहाँ उत्पादन प्रधान विधि में इस दृष्टिकोण का विशेष महत्त्व नहीं रहता।

पयवेक्षकीय शली व नेतृत्व की उपरोक्त दोनों विधियाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं क्योंकि यदि नेता या प्रबन्धक मानवीय दृष्टिकोण पर अधिक बल देता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह उत्पादन को और से उदासीन रहेगा।

नेतृत्व की उपरोक्त सभी शलियाँ समय और परिस्थितियों के अनुसार अनुकरणीय हैं। कोई भी एक शली अपने आप में पूर्ण नहीं है एक कुशल नेतृत्व की माँग है कि आवश्यकतानुसार वह विभिन्न विधियों से काम ले। यह अवश्य है कि नेतृत्व की घनात्मक व्यवधारणा को ही ध्यान में रखना चाहिए अतः कम बिधि का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए।

पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण (Supervision and Control)

संगठन के प्राधुनिकतम सिद्धान्तों में अधीक्षण (Supervision) का महत्वपूर्ण स्थान है। संगठन में समूह की स्थापना के लिए समन्वयकर्ता अनेक तरीकों से अपनाता है यथा—नियंत्रण (Control) अधीक्षण (Supervision) सम्प्रसारण (Communication) और नेतृत्व (Leadership)। जब नियंत्रण निम्न अधिकारियों तक सम्प्रसारित कर दिए जाएं तो पद-स्थापना में उच्चाधिकारी का अगला काम यह देखना होता है कि उन नियंत्रणों को समुचित ढंग से क्रियान्वित किया जाए। उच्चाधिकारी का इस बारे में आवश्यक होना पड़ता है कि संगठन सुचारु रूप से काम कर रहा है और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास निरंतर जारी है। प्रशासकीय संगठनों की इसी आवश्यकता की दृष्टि से देखरेख अथवा अधीक्षण और नियंत्रण को महत्त्वपूर्ण माना गया है। अधीक्षण की क्रिया निरंतर चलती रहती है और प्रशासकीय कार्यों की सम्पन्नता को निश्चित बनाती है। प्रत्येक संगठन चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी अधीक्षक की व्यवस्था आवश्यक करता है। अमेरिका के वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संगठनों में प्रायः प्रति सात कर्मचारियों पर एक अधीक्षक होता है।

पर्यवेक्षण का अर्थ

पर्यवेक्षण दो शब्दों—अधि (Super) + वीक्षण (Vision) का योग है जिसका अर्थ होता है देखने की उच्च शक्ति अथवा दूसरों के कार्यों का अधीक्षण करना। लोक प्रशासन के क्षेत्र में अधीक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए रेनिंग ने लिखा है कि इस दूसरे के कार्यों के लिए सत्ता द्वारा किए गए निर्देशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधीक्षण का सामान्य अर्थ है—उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन करना उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखना और उनके कार्यों के परिणामों का अवलोकन (Observation) करना। नकारात्मक दृष्टि से (Negatively) अधीक्षण अथवा देखरेख का अभिप्राय संगठन के सदस्यों की गतिविधियों का निर्देशन करना और उनकी जाँच करना है जबकि सकारात्मक दृष्टि से (Positively) अर्थात् अर्थ सदस्यों को काम करने के सर्वोत्तम तरीके

सुझाना है। अधीन का उद्देश्य होता है—संगठन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करना और यह देखना कि सभी अंग अपना अपना कार्य उचित रूप से सम्पन्न कर रहे हैं। मार्गारिट विलियमसन (Margaret Williamson) ने अधीन को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जिसे वे अंतर्गत कमचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने, अपने ज्ञान और कौशल का सर्वोत्तम प्रयोग करने तथा योग्यताओं का सुधार करने में किसी प्रशासिकारी की सहायता प्राप्त होती है ताकि वे अपने कार्य को अधिक प्रभावी रूप में तथा स्वयं के एवं अभिन्नरण के सन्तोष के साथ सम्पन्न कर सकें।¹ कभी कभी देखरेख या अधीन बजट में निहित धाराओं और व्यवस्थाओं द्वारा भी होता है। उदाहरणार्थ अधीनस्थ अधिकारियों को अपने कार्यों की प्रगति पर प्रतिवेदन मागजात फार्मों आदि उच्च अधिकारियों को भेजने पड़ते हैं और प्रशासक अर्थात् देखरेख करने वाला उच्चाधिकारी इन मागजातों की सहायता से संगठन के कार्यों की तथा उनके परिणामों की आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है। उच्चाधिकारी लक्ष्य निर्धारित करता है और उसका यह दायित्व है कि वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन की गतिविधियों की देखरेख करे। संक्षेप में अधीन का अभिप्राय परिणामों का अवलोकन है।

पर्यवेक्षक के कार्य

पर्यवेक्षक अथवा अधीनकारक का एक शिक्षाप्रद रूप है। इसे स्पष्ट करते हुए डा. अब्दुली एद महेश्वरी ने लिखा है कि— अधीन, निरीक्षण तथा लोजबोन से कहीं अधिक होता है। निरीक्षण और लोजबोन तो अधीन प्रक्रिया के केवल अंग मात्र हैं। वस्तुतः अधीन किसी प्रणामकीय कृत्य के रूप में नियमन से कहीं अधिक है। इसका एक शिक्षा प्रद रूप है। अधीनकारक से यह भी आशा की जाती है कि वह अपने अधीन कार्य करने वाले कमचारियों का सर्वोत्तम कार्यविधि सिखाए— इसके अतिरिक्त कमचारी अपने अधीनकारक से सलाह या मार्गदर्शन की आशा रखते हैं अतः उसका कार्य परामर्श देना भी है। इस प्रकार अधीनकारक का कार्य नतीजा का कार्य है। संक्षेप में अधीनकारक अनेक तत्त्व हैं जैसे प्रत्येक कृत्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन, प्रत्येक व्यक्ति में उसका कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा उसे उस कार्य करने के-इंग की शिक्षा देना कार्य सम्पन्न किए जाने की गति तथा कार्य क्षमता का मापन ताकि यह निश्चय हो जाए कि शिक्षण पूर्ण रूप से प्रभावकारी सिद्ध हुआ है—जहाँ-जहाँ-गलती की सुधारण की आवश्यकता हो—वहाँ गलती सुधारना तथा जिन पर उसका प्रभाव न हो उन्हें किसी अन्य अधिक उपयुक्त कार्य में लगा देना या उनका हटा देना। जब प्रशंसा करने की आवश्यकता हो तो प्रशंसा करना और अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार देना और अन्त में प्रत्येक व्यक्ति को कार्यरत समूह में ठाक

प्रकार नियत कर देना, य सभी काय घय तथा कौशल के साथ उचित ढग से पूरे किए जान चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना काय चतुरता एवं ठीक तरीके से बुद्धिमानी तथा उत्साह के साथ पूरारूपण कर सक ।

सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य काय सम्पादन है अतः अधीक्षक को मगठन में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिसमें सब सम्बन्धित व्यक्ति यय मन्मथ अधिकाधिक सहयोग से काय करते हुए काय सम्पादन की दिशा में अग्रसर हो । अधीक्षक केवल निरीक्षण एवं जाँच ही नहीं करता बल्कि सहयोगपूर्ण काय (Team Work) के लिए सबको प्रेरित और प्रोत्साहित भी करता है ।¹ हेनेन ने अधीक्षक के तीन मुख्य काय बताए हैं—(i) मौनिक अथवा तकनीकी काय (Substantive or Technical Job) (ii) संस्थापन काय (Institutional Job) एवं (iii) व्यक्तिगत काय (Personal Job) । मिलट ने मौनिक अधीक्षण (Substantive Supervision) और प्राविधिक अधीक्षण (Technical Supervision) में अन्तर प्रकट करते हुए बताया है कि जहाँ प्रथम का सम्बन्ध किसी अमिकरण द्वारा किए गए वास्तविक काय से होता है वहाँ न्तीय का सम्बन्ध उन तरीके से होता है जिनके द्वारा काय किया जाता है ।

पयवेक्षक कौन हैं ?

हम उन सभी सत्ता प्राप्त व्यक्तियों को पयवेक्षक कह सकते हैं जो दूसरों के काय की देखरेख करते हैं और उन पर नियन्त्रण रखते हैं—चाहे पद सोपान में उनकी स्थिति ऊँची हो या नीची ।² इस प्रकार फोरमेन हवलदार मुख्य लिपिक प्रधानाध्यापक जिलाध्यक्ष आदि सभी अपने अपने क्षेत्र में पयवेक्षक हैं । पयवेक्षक पर उत्तरदायित्व और काय दोनों का ही भार होना है यद्यपि मुख्य काय उत्तरदायित्व के ही ढग का होता है । पयवेक्षक भी दो प्रकार के होते हैं—सूत्र पयवेक्षक और कार्यात्मक पयवेक्षक । सूत्र पयवेक्षक का सम्बन्ध उस नियन्त्रण से होता है जो आदेश की पक्ति के व्यक्तियों के साथ में होता है । उदाहरणार्थ हमारे देश में राज्य पुलिस विभाग में इन्स्पेक्टर जनरल जिना पुलिस सुपरिटेण्डेंट का पयवेक्षण करता है और बदल में जिना सुपरिटेण्डेंट अपने से नीचे के इन्स्पेक्टर का पयवेक्षण करता है और यह पयवेक्षण का ऋम तब तक चलता रहता है जब तक कि हम हवलदार तक नहीं पहुँच जाते जो सबसे नीचे पत्नी पक्ति का पयवेक्षक है । कार्यात्मक पयवेक्षण किही विषयो के विशेषज्ञों सांख्यिकीकारों आदि द्वारा किया जाता है । लेखा पयवेक्षक गणक संगठन और प्रबंध विशेषज्ञ आदि की गिनती कार्यात्मक पयवेक्षकों में होती है । पयवेक्षक कोई भी हो यह आवश्यक है

1 Pfiffner The Supervision of Personnel Human Relations the Management of Me p 215

कि वह खुल मस्तिष्क का, निष्पन्न ईमानदार और चायी हो। यह भा आवश्यक है कि वह लोकसम्पर्क और समूह-व्यवहार में प्रशिक्षित हो। जैसे पयवेक्षण के क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं वैसे ही इसके स्वरूप भी भिन्न भिन्न हैं। क्षेत्र के कार्यकर्ता भी क्षेत्र के साथ बदलते रहते हैं और इसके पनस्वरूप पयवेक्षण के उत्तरदायित्व और विधि में अंतर आता है। अकुशल कार्यों में पयवेक्षण की प्रायः कोई गम्भीर समस्या पैदा नहीं होती लेकिन उच्च कोटि के कार्यों का पयवेक्षण व्यापक होता है। इसके लिए पयवेक्षक में अधिक अनुभव, दक्षता और चतुरता की अपेक्षा की जाती है। एक अच्छे पयवेक्षक के कार्य के तीन मुख्य स्वरूप हैं—(क) उसमें विश्लेषण कीजिए हा अर्थात् उसमें यह निर्देश करने की शक्ति हो कि अमुक कार्य अमुक प्रकार से अधिक सुगम होगा (ख) उसमें मस्यानाय जान हा अर्थात् वह यह भी प्रकार जानता हो कि उस कार्यालय का सामान्य नीति क्या है उसका विशय प्रयाजन क्या है और किस भाति यह प्रयोजन सिद्ध हो सकता है एव (ग) उसमें मानव प्रकृति की परख की माय्यता हा अर्थात् उसमें यह ज्ञात हो कि कमचारियों का मानवाय स्तर क्या है और संगठन में उनका साथ क्या व्यवहार उचित है।

पयवेक्षण कैसे करें ?

मिलते न पयवेक्षण के छः तरीके बताए हैं—

- 1 परियोजनाओं पर पूर्व स्वीकृति (Prior Approval of Individual Projects)
- 2 सेवा स्तर मानक की घोषणा (The Promulgation of Service Standard)
- 3 कार्यों की व्यापकता पर बजट सम्बन्धी सीमाएं Budgetary Limitation upon the Magnitude of Operations)
- 4 मुख्य अधीनस्थ कमचारियों का अनुमोदन (Approval of Key Subordinate Personnel)
- 5 कार्य प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणाली (A Reporting System on Work Progress)
- 6 परिणामों का निरीक्षण (Inspection of Results)

पूर्व स्वीकृति (Prior Approval)—सादा किनी कार्य का क्रियान्वित करने से पहले पयवेक्षक को पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। जिन दशा में नियोजन अथ-व्यवस्था का मार्ग अनाया गया है वहा अविशाल मरकारी क्रियाया पर पूर्व अनुमति की आवश्यकता बहुत बट गई है। भारत में अन्तः मामला में कवन विभागाध्यक्षों द्वारा पूर्वानुमोदन ही पर्याप्त नहीं जाता बकि विल मन्त्रालय या विल विभाग का अनुमोदन भी आवश्यक होता है। पूर्वानुमोदन व्यवस्था के अन्तर्गत एक नो न्म नियंत्रण सुनिश्चित हो जाता है दूसरे याजनाया में

रचीलापन भी आ जाता है तथा त्रुटियाँ को ठीक करने की समुचित गुंजाइश भी रहती है लेकिन यह प्रक्रिया तालफीनाशाही में वृद्धि करती है और इससे कार्यक्षमता में विचलन होता है। पूर्वानुमो न पवस्था कर्मचारियों में सहाय और उदासीनता भा उत्पन्न करती है और यदि कर्मचारियों और उच्चाधिकारियों के बीच मनमुटाव पदा हो जाय तो यह पवस्था संगठन के लिए घातक बन जाती है।

सेवा स्तर (Service Standard)—पयवेक्षक को चाहिए कि वह उच्च प्रथवा कार्य के उच्च स्तर निश्चित कर दे ताकि अधीनस्थ कर्मचारियों को माग दक्षत मिलने के साथ ही उनके कार्य की जांच भी सुगमता से हो सके। सेवा स्तर प्रशासकीय कार्य का मापन उ निर्धारित कर देता है। उदाहरणार्थ किसी स्कूल के सेवा स्तर में छात्रों की सहायता पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत छात्रों का सामान्य अनुशासन अध्यापकों का नतिक स्तर खेल आदि में छात्रों की प्रवीणता शिक्षा के घण्टों की सहायता—इनमें से कोई एक या कुछ या सबका समावेश हो जाता है। इस प्रकार के मापन उ निश्चय करना एक कठिन प्रक्रिया है तथापि पयवेक्षण का यह एक वैधानिक ंग है।

कार्य सम्बन्ध बजट (Working Budget)—बजट वेबन अना का सबलन नी नी होता अपितु कार्य की एक योजना और प्रशासन पर निय त्रण का एक शक्तिशाली उपकरण भी है। पयवेक्षण का एक तरीका यह है कि पयवे र कार्य के बजट का अवलोकन करता रहे। यदि हम एक स्कूल के बजट को लें तो उक्त यह निश्चय होता है कि अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती स्कूल के विस्तार छात्रों के जनपान आदि पर कितना धन पय किया जाना चाहिए। कार्य करने वाले अधिसारी बजट द्वारा निर्धारित घाराशि के भीतर ही कार्य करते हैं अर्थात् धन पय करने में उन पर बजटीय अंकुश लगा रहता है। पयवेक्षक यह दखता है कि बजट का पवस्थापना का समुचित अनुपालन हुआ या नहीं।

कर्मचारों का अनुमोदन (Approval of Personnel)—कोई भी सर्वकारी अभिकरण अपने कर्मचारियों की भर्ती में पुणतया स्वतंत्र नहीं होता। उच्चतर कर्मचारों वग की नियुक्ति मदैव ही मुख्य कार्यपालिका द्वारा की जाती है। अधीनस्थ कर्मचारों वग के सम्बन्ध में भी शीपस्व अधिकारी कुछ मीण स्थापना को छोड़कर शेष पदा के पूर्वानुमो न पर बन देने हैं। प्राय सभी जगह ऐसी पवस्था है कि य कार्य सम्बन्धित अभिकरण के केन्द्रीय सेवीवग विभाग को सौंप दिया जाता है।

प्रतिवेदन (Reporting)—प्रतिवेदन पवस्था पयवेक्षक का इस प्राय बनाती है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का सू याकन कर सकें उनकी परिस्थितियाँ को समझ सकें और संगठन में कार्य सबालन को नियंत्रित कर सकें। वसीलित प्राय सभी जगह प्रशासन का यह एक सामान्य तरीका है कि कार्यरत अधिकारी अपने क्रिया कलापा का लेख या प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालय का प्रस्तुत

करती हैं। प्रतिवेदन साप्ताहिक भी हो सकता है और पाक्षिक मासिक त्रमासिक पटमासिक या वार्षिक भी हो सकते हैं। प्रतिवेदन विशिष्ट या एतद्ध्य (Adhoc) भी हो सकते हैं अर्थात् किसी विशेष विषय के बारे में भी हो सकते हैं और कृणात्मक तथा सार्विकी प्रकृति के भी हो सकते हैं। एक उत्तम प्रतिवेदन व्यवस्था ऊँ मत्त्वपूर्ण लाभ होते हैं। प्रतिवेदन के माध्यम से इकाइयों को आत्मनिरीक्षण का अवसर प्राप्त होता है वे अपनी सफलताओं असफलताओं का पर्यावृत्तिक ल स सकती हैं।

निरीक्षण (Inspection)—चिर काल से निरीक्षण प्रशासन का अभिन्न अंग रहा है। निरीक्षण के माध्यम में यह देखा जाता है कि विद्यमान नियम और प्रक्रियाओं का सही रूप में पालन किया जा रहा है या नो काय का संचालन समुचित ढंग से हो रहा है या नही कार्य-कुशलता में कौन से सुधार लाना आवश्यक है आदि। निरीक्षण में महत्त्व और उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए मिनेट ने लिखा है— निरीक्षण का उद्देश्य या प्रयोजन सूचना प्राप्त करना है। यह प्रबंध के प्रयोजना और अभिप्राया को स्पष्ट करने में सहायता देता है तथा प्रबंध में निम्न कमचारिया की काय संचालन सम्बन्धी समस्याओं से उच्चाधिकारिया को परिचित कराता है। निरीक्षण बौद्धिक परिचय और विश्वास को व्यक्तिगत सम्बन्ध में बढान सकता है। मिलिटन निरीक्षण की अधीक्षण प्रक्रिया का ही एक अंग माना है। अधीक्षण निरीक्षण की तुलना में अधिक व्यापक शब्द है यद्यपि कभी कभी दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। संगठन में प्रत्येक बरिष्ठ अधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह अपने अधीनस्थों के काय का निरीक्षण करेगा। यह निरीक्षण की अनरचित प्रणाली है। निरीक्षण की दूसरी प्रणाली यह है कि प्रशासकाय अभिरेण क बरिष्ठ स्तर अपने अधीनस्थ कार्यालयों के काय का निरीक्षण करें। उदाहरणार्थ एक डिवीजनल कमिश्नर का कर्तव्य है कि वह अपने अधीन जिनाधीशा के कार्यालयों का निरीक्षण करे और जिनाधीशों का कर्तव्य है कि वे अपने अधीन तहसिला का निरीक्षण करे। निरीक्षण की तीसरी प्रणाली वह है जिसमें सरकारी तौर पर एक स्वतंत्र और पृथक् अभिकरण स्थापित किया जाता है और उस क्वचन निरीक्षण सम्बन्धी काम सौंपा जाता है। ऐस अभिकरण का एक अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश में कार्यालयों का निरीक्षणाय (Inspectorate of Offices) है।

अच्छे पयवक्षक की विशेषताएँ

प्रत्येक यक्ति एक अच्छा अधीक्षक न हो सकता। पिपरन एक अधीक्षक के लिए आठ आवश्यक गुणा की सूची पस्तावित की है जिसका अवस्थी एव महेश्वरी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। काम की विषय वस्तु पर अधिकार अर्थात् किए जाने वाले काय का विशेष ज्ञान, कर्मचिन्तक योग्यताएँ जस दृढ़ चरित्र

3 शिक्षण योग्यता प्रथात् कमचारिया तर्क अपने विचार पहुँचाने तथा उद्देश्य प्रगुप्त का दृष्टिकोण समझाने की योग्यता 4 सामान्य दृष्टिकोण प्रथात् प्रधीक्षक का अपने कार्य से प्रेम होना चाहिए उसे उसमें तमय रहना चाहिए और अधीनस्थ कमचारियों को प्रेरणा देनी चाहिए 5 साहस और सहनशीलता प्रथात् निरालय दम तथा उत्तरदायित्व की योग्यता 6 नतिकता तथा आचार सम्बन्धी बातों का ध्यान प्रथात् ऐसी बुराईयों से दूर रहना जिन्हें समाज निन्दनीय मानता है 7 प्रशासकीय तर्कनीय प्रथात् प्रबंधकीय योग्यता तथा 8 जिज्ञासा और बौद्धिक योग्यता प्रथात् बौद्धिक सतकता और नवीन विचारों का ग्रहण करने की क्षमता ।

हासे (Halsey) ने अधीक्षक में अग्रनिहित 6 गुणा का उचित एवं सतुलित विकास आवश्यक माना है—1 परिपूर्णता (Thoroughness) प्रथात् अधीनस्थ विषय से सम्बन्धित सभी सूचनाएँ एकत्र करे और सभी आवश्यक तथ्यों को ध्यान में रखे 2 श्रेष्ठिय (Fairness) प्रथात् अधीक्षक कमचारियों के प्रति व्यापक सहानुभूतिपूर्ण और सच्चा रहे 3 प्रारम्भ (Initiative) प्रथात् अधीक्षक में साहस और निरालय क्षमता के गुण हों 4 चातुर्य (Tact) प्रथात् अधीक्षक अपनी बातचीत और अपने कार्य द्वारा दूसरे लोगों की निष्ठा और उनका समर्थन प्राप्त करने में सक्षम हों 5 उत्साह (Enthusiasm) प्रथात् अपने कर्तव्य सगठन के उद्देश्य और आदेश के प्रति अधीक्षक में पूर्ण रुचि और उत्साह हो एवं 6 भावनात्मक नियंत्रण (Emotional Control) प्रथात् पयवेक्षक भावनाओं को समुचित रूप में नियंत्रित कर सकने और समझने में समर्थ हों ।

लोक प्रशासन के विद्वानों ने अच्छे पयवेक्षक अथवा अधीक्षक में कुछ और भी गुणा की खोज की है यथा—उमें चाहिए कि वह कठिनाइयों के समय मार्गदर्शन करे उसे सन्देश प्रेषित करने में सक्षम हो जिन्नासु मन वाला हो तत्काल आदेशों को समुचित महत्त्व देना हो एवं विश्वासी प्रकृति का हो । कदाचित्त सर्वाधिक आवश्यक गुण है मानवीय सम्बन्ध किसी भी अधीक्षक अथवा पयवेक्षक की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि उसका कमचारियों के साथ कितना व्यक्तिगत सम्बन्ध है । वह कमचारियों को केवल कमचारी ही समझता है या मनुष्य भी समझता है । केवल यात्रिक सम्बन्ध अधीक्षक को सफल नहीं बना सकते ।

नियंत्रण अर्थ

(Control Its Meaning)

सगठन के व्यवहार में नियंत्रण एक अर्थ में त्वपूर्ण तत्त्व है । यह एक प्रबंधनात्मक कार्य तथा जगत्कार करने वाली प्रक्रिया है । प्रो हेमेल के कथनानुसार नियंत्रण देखभाल करने की एक प्रक्रिया है ताकि यह मालम किया जा सके कि नियोजनों का अनुपगमन किया जा रहा है अथवा नहीं, लक्ष्यों की दिशा में

प्रगति हो रही है या नहीं और यदि आवश्यक हो तो सुधार के लिए क्या प्रयास किया जाए।

नियंत्रण स्टाफ का काय न होकर एक श्रणी की प्रक्रिया (Line Function) है। यह कहा जाता है कि शीप के पयवेक्षण को नियंत्रण नहीं करना चाहिए उसे केवल पयवेक्षण करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसके तथा अन्य कमचारियों के बीच गनतफहमी पैदा हो जाएगी वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगगा और उसके कार्यों में अनक समगनिया उत्पन्न हो जाएगी। प्रा फयोल के मतानुसार नियंत्रण का अर्थ यह प्रमाणित करना है कि प्रत्येक काय स्वीकृत योजना निर्देशन एवं निरूपित सिद्धान्ता क अनुसार किया जा रहा है।

नियंत्रण प्रबन्धात्मक प्रक्रिया का एक भाग है। यह दूरदर्शिता की एक प्रक्रिया है। नियंत्रण पर ही प्रबन्धक की सफलता निर्भर है। यदि किसी भी सस्थान में नियोजन सगठन निर्देशन अभिप्ररणा एवं सम वय सम्बन्धी प्रबन्धकीय काय प्रभाभी ढग से नागू है लेकिन किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है तो दिए कुच्छ उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता। नियंत्रण नियोजन का एक पहलू एवं भावी कायक्रम की रूरेक्षा प्रदान करता है।

नियंत्रण को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है

1 प्रो कुटज और प्रो ओ डोनल के शर्त में नियंत्रण का प्रबन्धकीय काय यह निश्चित करने के लिए उपक्रम क उद्देश्य तथा उनको प्राप्त करने के लिए निर्धारित योजनाओं को क्रियावित किया जा रहा है कमचारियों क निष्पादन (Performanc) को मापना तथा उसमें सुधार करना होता है।¹

प्रो ब्रच के अनुसार निर्धारित प्रमाणों अथवा योजनाओं से वास्तविक निष्पादन की तुलना करने की प्रक्रिया ही नियंत्रण कहवाती है जिससे इस बात का पता लग जाए कि पर्याप्त प्रगति अथवा सतोपप्रद निष्पादन हो रहा है अथवा नहीं। वसक अतिरिक्त इस प्रकार से प्राप्त किए गए अनुभव का सम्भावित भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु योगदान क रूप में अंकित किया जा सके।

नियंत्रण क पहलू किसी भी सस्थान में नियोजन एवं सगठन का काय-क्रिया जाता है। फिर भी नियंत्रण सम्बन्धित योजनाओं उद्देश्य नीतियों कायक्रमा एवं दिए हुए सगठन के अतगत लागू करना परमावश्यक है। नियोजन एवं सगठन न केवल नियंत्रण को प्रभावित करते हैं बकि वे स्वयं भी प्रभावित होते हैं। इन सम्बन्धा को प्रो मैकफारलण्ड न भनी भाँति समझाया है।

1 K ont & O Donnell Principle of Management p 50

2 Brech Management Its Nature & Significance p 29

प्रो मैककार्थर¹ के अनुसार नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिकारी अपने अधीनस्था के उत्पादन निर्धारित योजनाओं यादेशों उद्देश्यों प्रयत्न नीतियों के अनुसार प्रयत्न इनके निकट करते हैं।¹

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नियंत्रण प्रबंध का वह कार्य है जिसके अंतर्गत उस बात का पता लगाया जाता है कि कार्य योजनाओं लक्ष्यों एवं नीतियों के अनुसार हो रहा है प्रयत्न नहीं और यदि नहीं हो रहा है तो उसके कारणों का पता लगाकर उन्हें किसी प्रकार दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियंत्रण एक सुधारक उपाय (Remedial Measure) है जिसे कि प्रबंध का नकारात्मक पहलू Negative aspect of Management भी कहा जाता है।

नियंत्रण प्रत्येक उद्योग प्रयत्न उपक्रम के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रबंधनीय कार्य है। इसके माध्यम से नियोजन एवं संगठन प्रादि की जीव सम्भव हो जाती है। नियोजन व संगठन की क्रिया को इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। नियंत्रण संस्था के प्रयासों साधनों कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों में गतुना स्थापित करके समन्वय सम्बन्धी कार्य को प्रभावपूर्ण बनाता है। नियंत्रण से प्रबंधनीय क्रियाओं का पता ही नहीं लगाया जाता है बल्कि इन क्रियाओं को कैसे दूर किया जाए का भी उपाय बताता है। इसके पीछे क्या कारण है? अच्छे श्रम सम्बन्धों के कारण उत्पादन में गिरावट आती है तो इसके लिए विभिन्न वित्तीय तथा प्रवृत्तीय प्रेरणाया (Financial and Non financial Incentives) की व्यवस्था विभिन्न विभागों के कर्मचारियों पर की जानी चाहिए। प्राधुनिक उत्पादन प्रणाली में बड़े पैमाने पर श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत संस्था के अधिकारों का विवेकीकरण किया जाता है और नियंत्रण के माध्यम से इस आसानी एवं प्रभावपूर्ण तरीके से चलाया जा सकता है। नियंत्रण के कारण ही उद्योग प्रयत्न व्यवसाय में पायी जाने वाली अनिश्चितताओं का कम किया जा सकता है तथा लाभ प्राप्त करके संस्थान को चलाया जाता है। नियंत्रण होने से भ्रष्टाचार चोरी तथा अनिश्चितता जैसे प्रवृत्तियों पर संस्थान में रोक लगा दी जाती है प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण के माध्यम से प्रभावपूर्ण प्रबंध किया जाता है।

नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक तत्त्व (Requirements of Control System)

नियंत्रण की प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए कि जिससे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अतः आवश्यक है कि नियंत्रण की प्रक्रिया तनी सरल

सुगम और समझ में आने योग्य हो कि जो नियत्रण कर रहा है और जिस पर नियत्रण किया जा रहा है वे दोनों उसे भली प्रकार जान लें। नियत्रण के उद्देश्यों के सम्बन्ध में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का भ्रम पैदा न हो सके।

संगठन की प्रक्रिया को काय रूप देने के लिए संगठनात्मक स्वरूप (Organisational Pattern) अपनाना चाहिए। इसके बिना नियत्रण की प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो सकती।

नियत्रण की प्रक्रिया में ऐसी प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए कि नवीनताओं को शीघ्र अपनाया जा सके। वैसे परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार इसके अपवाद भी हो सकते हैं किन्तु सामान्यतः शीघ्र समायोजन की प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए।

नियत्रण की व्यवस्था अनुपयुक्त एवं पर्याप्त होनी चाहिए। अनुचित नियत्रण संगठन के कमचारियों में असंतोषपूर्ण और विद्रोही भावना तथा काय संचालन में असुविधा पैदा करता है। यदि नियत्रण अपर्याप्त हुआ तो संगठन पर इसका प्रभाव नही होगा।

नियत्रण लचीला (Flexible) होना चाहिए ताकि इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन और संशोधन किया जा सके।

नियत्रण की प्रक्रिया मित उद्यतापूर्ण होनी चाहिए। केवल उचित और आवश्यक व्यय ही देने चाहिए। नियत्रण का उद्देश्य काम को त्रिभङ्गित बनाना है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसका उपयोग होना चाहिए।

एक अच्छी नियत्रण-व्यवस्था में और भी अनक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नियत्रण की प्रक्रिया में भविष्य को ध्यान में रखकर आग बना जाता है। (Forward Looking Control)। यह कार्यकर्त्ताओं का ध्यान रख कर चलती है (Workers Focused Control) नियत्रण काय सम्पन्नता के लिए एक निश्चित पथ प्रदान होता है।

नियत्रण संगठन के यक्तिगत एवं संगठनात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रख कर किया जाता है। डॉ डकर (Dr Ducker) के शब्दों में नियत्रण का सर्वश्रेष्ठ तरीका सादेस्य प्रवृत्ति है जो नियत्रणकर्त्ता को अपनी काय सम्पन्नता नियंत्रित करने को योग्य बनाता है।

नियत्रण प्रक्रिया (Control Process)

नियत्रण प्रविधि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। यावसायिक क्षेत्र में भी नियत्रण परमावश्यक है। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ आवश्यक कर्म उठाने पड़ते हैं जिनके अभाव में यह नियत्रण प्रक्रिया प्रभावपूर्ण नहीं लागू होती की जा सकती है। य आवश्यक कर्म अग्रनिश्चित है—

1 प्रमाणों का निर्धारण (Establishment of Standards)—नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि कुछ प्रमाण निर्धारित किए जाए जिससे कि नियंत्रण में इनका माप-दण्ड के रूप में प्रयोग किया जा सके। प्रो कुटज एवं प्रो आ डोनेल के अनुसार प्रमाण निर्धारित माप दण्ड होते हैं, जिनमें वास्तविक कार्य सम्पादन को नापा जाता है। व उपक्रम अथवा विभाग के नियोजन लक्ष्यों की अभिवृत्ति को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं जिससे कि निष्पत्ति कृत्यों की पूर्ति को इन लक्ष्यों से नापा जा सके।¹ ये प्रमाण भौतिक रूप में जैसे—उत्पादन मात्रा कार्य के घण्टे आदि तथा मौखिक रूप में जैसे—लागत आगम विनियोग आदि में हो सकते हैं। इनके आधार पर ही नियंत्रण किया जा सकता है।

2 कार्य सम्पन्नता का मूल्यांकन (Evaluating Performance — मापदण्ड का निर्धारण नियंत्रण का प्रथम सोपान है प्रतिम तथा पर्याप्त नहीं। जब तक सम्पन्न कार्य का मूल्यांकन इन निर्धारित मापदण्डों के प्रकाश में नहीं किया जाता तब तक नियंत्रण को प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती। क्रियावृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए रेखीय कार्यक्रम (Linear Programming) तथा अनुरूपण (Simulation) की विधि को प्रयोजन की सिफारिशों की जाती हैं। मूल्यांकन उस समय किए गए वास्तविक व्यवहार का किया जा सकता है। यह इस व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हो सकता है तथा उस नियोजन का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके आधार पर कार्य सम्पन्न किया गया या किया जाएगा। इस तरह मूल्यांकन में कार्य सम्पन्नता के अतीत वर्तमान एवं भविष्य तीनों ही रूप समाहित होते हैं।

पट (PERT—Programme Evaluation Review Technique) के रूप में नियंत्रण की नई तकनीक का विकास किया गया है। यह तकनीक जटिल विकास और उत्पादन कार्यक्रमों पर सशोधित नियंत्रण मानी जाती है। यह बहुत सारे अंकड़ों को सक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप में रख सकती है। पट नियंत्रण की ऐसी विधि है जिसके द्वारा प्रबंध सीमित लागत एवं निश्चित समय में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का उचिततम उपयोग कर सकता है।

पट से मिलती जुलती ही एक अन्य तकनीक सी पी एम (Critical Path Method) है। यह प्रारंभिक निर्माण उद्योग में विशेष रूप से सफल पाई गई है। अनेक अनुसंधान किए जा रहे हैं ताकि पट एवं सी पी एम के प्रसार से जन्मशक्ति प्राप्त एवं पूर्युक्त आवश्यकताओं को प्रभावित किया जा सके।

कार्य की सम्पन्नता का मूल्यांकन दो प्रकार से किया जा सकता है—
(1) उन तरीकों की दृष्टि से जो निर्धारित मापदण्डों को प्राप्त करने के लिए

अपना जा रहे हैं और (2) उन अज्ञित परिणामों की दृष्टि से। यह मूल्यांकन कायममाप्त हो जाने के बाद जाना चाहिए अथवा कायकाल में होना चाहिए—संशोधन अलग अलग मत है। सामान्य धारणा के अनुसार दोनों ही अवसर नियंत्रण के लिए उपयुक्त हैं।

3 विचलनों का सुधार (Correction of Deviations)—किसी भी उपक्रम में नियंत्रण पद्धति द्वारा निष्पादन को आकृति एवं मूल्यांकन करना कमियाँ एवं विचलनों को जान करना और नियंत्रण प्रतिबन्धन तैयार करना तब तक पथ है जब तक कि इन सबके लिए कोई ठोस सुधारार्थक उपाय प्रबंधकों द्वारा नहीं उठाए जाते हैं। सुधारार्थक कायवाही विभिन्न विचलनों के कारणों के आधार पर अलग अलग प्रकृति की होगी। कुछ विचलन प्रबंधकों द्वारा स्वीकार्य हैं क्योंकि प्रमाणों में असंगतता माप से अपूरणना अथवा क्रियात्मक दशाओं में परिवर्तना आदिके कारण उत्पन्न होत हैं। इन प्रकार विचलनों का सुधार कर व्यावसायिक उपक्रम के विभिन्न विभागों को पूर्व निर्धारित योजना उद्देश्या निर्देशों एवं सिद्धांतों के आधार पर चल कर अपक्षित उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है।

नियंत्रण की विशेषताएँ

(Characteristics of Control)

नियंत्रण प्रबंधकीय काय है। इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं। प्राबन्धनों के अनुसार नियंत्रण की निम्न विशेषताएँ हैं—

1 एक अन्तिम क्रिया (An End Function)—नियंत्रण प्रबंधकों का प्रारम्भिक काय न होकर एक अन्तिम काय है। इसके पहले समस्त प्रबंधकीय काय जैसे—नियोजन संगठन निर्देशन, अभिप्ररणा सम्बन्धित जात है। यह नियोजन पर आधारित होता है और फिर यह देखता है कि विभिन्न साधना जैसे—मनुष्य सामग्री मशीन और मुद्रा आदि को किस प्रकार संगठित और समन्वित किया जाता है जिससे कि काय का निष्पादन अच्छी तरह हो सके। इसके पश्चात् नियंत्रण का उपयोग किया जाता है।

2 आग बाने वाली प्रक्रिया (Forward looking Process)—प्रबंधक भूतकालान घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। वह भूतकालीन घटनाओं पर पुनर्विचार करता है और पिछले अनुभव के नाभा को भावी सुधारों में काम में लाता है। सबसे श्रेष्ठ नियंत्रण वह माना जाता है जो कि आगे की अपेक्षित, कमियों अथवा विचलनों को रोक कर रक्षा करने का काय करता है।

3 गतशील प्रक्रिया (Dynamic Process)—समय परिवर्तनशील है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ही उपक्रम की योजनाओं और उद्देश्यों में

परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि नियंत्रण में भी इन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता है तो प्रभावपूर्ण नियंत्रण सम्भव नहीं होगा।

4 सतत प्रक्रिया Continuous Process — नियंत्रण की भीत नियंत्रण भी एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। प्रो. बुण्टज और प्रो. ओ. डोनन के अनुसार जिस प्रकार एक नाविक यंत्र निश्चय करने के लिए कि वह नियोजित मार्ग के सदृश में बहा है निरंतर अध्ययन करता रहता है उसी प्रकार यह निश्चय करने हेतु कि उसका उपक्रम अथवा विभाग निर्धारित मार्ग पर है व्यापार के प्रबंधकों को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए।¹

5 प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू (Exercised at all levels of Management) — नियंत्रण प्रबंधक सभी स्तरों पर लागू किया जाता है। नियंत्रण की मात्रा में जल्द अंतर हो सकता है। उपक्रम का समस्त नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संचालक मण्डल के हाथों में होता है एक विभाग का नियंत्रण विभागीय अध्यक्ष द्वारा तथा उप विभाग का नियंत्रण उप विभागीय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस प्रकार नियंत्रण की यह रचना एक स्तर से सभी स्तरों तक चलती है।

6 व्यक्तियों से सम्बन्धित क्रिया (Identified with Individuals) — नियंत्रण सम्बन्धी क्रिया प्रत्यक्ष रूप से सामग्री प्रक्रिया अथवा वस्तु से सम्बन्ध रखती है। फिर भी इन सब का किसी न किसी रूप में मनुष्य से सम्बन्ध रहता है। किसी भी दोष हेतु मनुष्य ही उत्तरदायी होता है। नियंत्रण विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को निष्पादन का मूल्यांकन करता है। यह प्रक्रिया कुछ व्यक्तियों द्वारा दूसरे व्यक्तियों पर लागू की जाती है।

7 तथ्यों पर आधारित प्रक्रिया (Based on Facts) — आधुनिक प्रबंध के विकास के कारण नियंत्रण तथ्या तथा सांख्यिकी के ऊपर आधारित होता है। प्रबंधक तथ्यात्मक अथवा भावनात्मक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध (Scientific Management) का विकास हो गया है।

नियंत्रण का महत्त्व (Importance of Control)

नियंत्रण प्रबंधक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। प्रबंधक के अनेक कार्य जैसे- निष्पन्न मूल्यांकन, निर्देशन अभिवृत्ति और समन्वय को प्रभावपूर्ण ढंग से करके भी उपक्रम के वांछित उद्देश्य को तब तक प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती है जब तक कि नियंत्रण के कार्य को लागू नहीं किया जाए। उपक्रम काय कर्मचारी द्वारा किया जाता है। लेकिन उन पर नियंत्रण प्रबंधक द्वारा रखा जाता है। प्रो. चार्जी ने अग्रलिखित लाभों के रूप में नियंत्रण के महत्त्व को स्वीकार किया है²—

1 K. M. J. D. D. M. // Pr. ple. I. M. n. gement p. 640

2 S. S. Ch. // M. nagem. t. p. 22

1 नियत्रण का क्षीमा मूल्य (Insurance Value of Control)—वास्तविक निष्पादन पूर्णनियोजित उद्देश्या और प्रमाणों के अनुरूप ही रहा है अथवा नहीं यह नियत्रण प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाया जाता है। इसी प्रक्रिया से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य का निष्पादन करवाने में सहायता मिलती है। विभिन्न कार्यों को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव हो सके।

2 भावी कार्यवाही का आधार (Bases for Future Act on)—कार्य के पूरा होने पर उसका मूल्यांकन किया जाता है और इसी मूल्यांकन से भावी नियोजन व संगठन का माग प्रशस्त होता है। इसी की सहायता से पुनर्नियोजन व पुनर्गठन का कार्य किया जाता है। अधीनस्थ कर्मचारियों को पुरस्कृत करना, दण्डित करना और अनुशासित करना इसी नियत्रण के आधार पर किया जाता है।

3 प्रबंधकीय दुबलताओं का सूचक—उपक्रम के प्रभावपूर्ण प्रबंध हेतु नियत्रण अन्य कार्यों पर नियत्रण रहता है। प्रबंधकों की कर्मियों का पता लगा कर उनको दूर करता है विभिन्न विभागों तथा प्रबंधकों की दुबलताओं के परिणाम स्वरूप ही नियत्रण का कार्य किया जाता है। यह नियत्रण ही प्रबंधकीय कार्य है जिसके माध्यम से हमें प्रबंधकीय दुबलताओं के सम्बंध में सूचना प्राप्त होती है और इन दुबलताओं को दूर करने हेतु सुधारात्मक उपाय काम में लिए जाते हैं।

4 समन्वय की सुविधा (Facility of Co ordination)—समन्वय का कार्य नियत्रण से अधिक सुविधाजनक ढंग से निष्पादित करना सम्भव होता है। यह विविध क्रियाओं को एक सूत्र में बाँधता है। पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों के सम्बन्ध में नियत्रण सभी क्रियाओं और प्रयासों को उनकी निश्चित सीमा और अनुसूची में रखता है तथा इन सबको समन्वित निर्देशनों से सामान्य उद्देश्यों की ओर चला जाता है। समय, धन एवं प्रयासों के सभी प्रकार के अपव्ययों को नियत्रण के माध्यम से ही रोका जा सकता है।

5 विकेन्द्रीकरण का विस्तार (Expansion of Decentralisation)—आनुमतिक प्रबंध प्रणाली द्वारा उच्च स्तर के समस्त उपक्रम पर नियत्रण रखने के साथ-साथ विकेन्द्रीकरण की सीमाओं में वृद्धि करने का प्रोत्साहित होता है। हमारे कर्मचारियों को कार्य हेतु उत्तरदायी बनाया जाता है तथा इसको पूरा करने हेतु उन्हें अधिकार सौंपे जाते हैं। इससे हमारे को अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंप कर कार्य को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है और उनके प्रयासों का अधिकतम उपयोग नियत्रण के माध्यम से सम्भव होता है।

नियत्रण के प्रकार

(Types of Control)

उद्देश्य अथवा प्रमाण के आधार पर नियत्रण के दो प्रकार हैं—

1 भौतिक नियंत्रण (Physical Control) इसके अंतर्गत सामग्री मशीनें थमिक वस्तुओं का उत्पादन और वित्तीय विभिन्न मूल्यों आदि के नियंत्रण को शामिल किया जाता है। प्रयुक्त उद्देश्य में इन सबका उत्पादन में योग होता है। भौतिक नियंत्रण भी दो प्रकार का होता है—

(अ) मात्रात्मक नियंत्रण (Quantitative Control)—इसके अंतर्गत उत्पादन में मशीनें विद्यत का मात्रा मान वित्तीय की मात्रा आदि के मात्रात्मक नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है।

(ब) गुणात्मक नियंत्रण (Qualitative Control) इसके अंतर्गत उत्पादन के गुण या किस्म के नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है जैसे—इस तैली बठोरा कार का टिकाऊपन रंग का गहरापन कपड़ की किस्म का घटा होना आदि।

2 वित्तीय नियंत्रण (Financial Control)—यह नियंत्रण भौतिक रूप में लागू किया जाता है। किसी उपक्रम की समस्त पूंजी परिसम्पत्तियां मशीनें औजार और दिन प्रतिदिन के मुसतान आदि को भौतिक रूप में व्यक्त किया जाता है। इनको दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है—एक ओर हम व्यय के दृष्टिकोण से देख सकते हैं जिसका अंतर्गत लागत प्रमाण (Cost Standards) आते हैं उदाहरणार्थ प्रति इकाई अथवा सामग्री लागत प्रति इकाई विचय प्राप्त आदि। दूसरी ओर आय के दृष्टिकोण आता है जिसका सम्बन्ध आय प्रमाण (Revenue Standards) से है उदाहरणार्थ—प्रति इकाई आय प्रति इकाई वित्तीय आदि।

विभिन्न क्रियाएँ तथा क्षेत्रों पर अपनाए गए नियंत्रण के आधार पर भी इसके कई प्रकार हैं। मुख्य प्रकार निम्न हैं—

1 नीतियों पर नियंत्रण (Control over Policies)—नियंत्रण द्वारा पहले यह देखा जाता है कि जो भी नीतियां किसी उपक्रम में निर्धारित की जाती हैं वे भावी कार्यक्रमों का कार्य प्रशस्त करती हैं और वे उपक्रम के लिए हैं। इन नीतियों का व्यवहार में भी लागू किया जा रहा है अथवा नहीं। सभी स्तरों पर संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार कार्य हो रहा है यह नियंत्रण द्वारा ही देखा जाता है और किसी प्रकार की नीतियों के विचलनों पर नियंत्रण किया जाता है।

2 संगठन पर नियंत्रण (Control over Organisation)—प्रत्येक संस्थान के प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने हेतु एक सुदृढ़ एवं स्पष्ट संगठन संरचना की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अधिकारी को अपने दायित्वा और अधिकारों का ज्ञान होने पर किसी प्रकार से कार्य का दोराव भ्रम और सभ्य का संदेह नहीं होता है संगठन पर नियंत्रण इसलिए आवश्यक है कि इसकी सहायता से कार्य उद्देश्यों तथा योजनानुसार होता रहता है।

3 कर्मचारियों पर नियंत्रण (Control over Personnel)—यह

कर्मचारियों के गुण पर नियंत्रण रखता है। यह कहना आसान है कि अल्पकर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए लेकिन व्यवहार में इसे लागू करना कठिन हो जाता है। मानव शक्ति नियोजन में नियंत्रण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नियंत्रण के माध्यम से अच्छे कर्मचारियों का चयन उनका प्रशिक्षण कायम रखना, मूल्यांकन पर्याप्त पुरस्कार उच्च पदा पर नियुक्ति आदि समस्त कायम कर्मचारी विभाग (Personnel Department) की सहायता से करवाए जाते हैं।

4 उत्पाद पर नियंत्रण (Control over Product)—प्रत्येक वस्तु का उत्पादन किसी उपक्रम द्वारा किया जाएगा इसकी प्रकृति विशेषताएँ उपयोग आदि सभी आधुनिक समय में अनुसंधान और विकास से सम्बन्धित विषयों पर आधारित होती हैं। अनुसंधानशालाओं का चयन उनकी प्रगति का मूल्यांकन अनुसंधान हेतु आवश्यक कोष आदि सभी का नियंत्रण से परिचित सम्भव है।

5 गुण नियंत्रण (Control over Quality) ।

6 मजदूरी और वेतनों पर नियंत्रण (Control over Wages and Salaries) ।

7 बिक्री पर नियंत्रण (Control over Sales) ।

8 कीमतों पर नियंत्रण (Control over Prices) ।

9 बाह्य सम्बन्धों पर नियंत्रण (Control over External Relations)

10 समस्त निष्पादन पर नियंत्रण (Control over all Performance) ।

नियंत्रण का क्षेत्र

(Areas or Scope of Control)

पी ई होल्डिंग एल एम फिस और एच एल स्मिथ के अनुसार 'व्यावसायिक संस्थानों में प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित होते हैं—

1 नीतियों पर नियंत्रण—संस्थान या उपक्रम की नीतियों पर नियंत्रण के लिए प्रायः एक नीति पुस्तिका (Policy Manual) का प्रयोग किया जाता है। उपक्रम के प्रत्येक कर्मचारी से इस पुस्तिका में उल्लिखित नीतियों के अनुसार चलन की अपेक्षा की जाती है। यह नीति-पुस्तिका उच्च प्रबंधक वर्ग द्वारा तैयार की जाती है।

2 संगठन पर नियंत्रण—संगठन व्यवस्था को नियंत्रण के लिए संगठन चार्ट या संगठन पुस्तिका (Organisation Chart or Organisation Manual) का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए दीर्घकालीन योजना निर्माण संगठन संरचना में विवेकीकरण संगठन के प्रत्येक भाग की रूपरेखा के स्पष्टीकरण संगठन की प्रभावशीलता के पुनरावलोकन आदि कायम ध्यान से रखे जाते हैं। उपक्रम के मनुषवी तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह कायम सम्पादित होता है।

3 कर्मचारियों पर नियंत्रण—संस्थान के कर्मचारियों पर नियंत्रण की

जिम्मेदारी सामान्यतया विभागाध्यक्ष रखते हैं तथापि इस कार्य के लिए कमचारी निदेशक की नियुक्ति भी की जा सकती है। कमचारी निदेशक प्रायः एक कमचारी या सर्वोच्चोच्च समिति की सहायता से अपनी जिम्मेदारी निभाता है।

4 मजदूरी तथा वेतन पर नियंत्रण—इसके लिए कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है।

5 लागतों पर नियंत्रण—इसके लिए प्रमाण लागतों तथा वास्तविक लागतों की तुलना कर लागत पर नियंत्रण रखा जाता है। आजकल प्रायः प्रत्येक वृहत् उद्योग में लागत लेखाकार (Cost Accountants) यह कार्य सम्पन्न करते हैं।

6 काय प्रणाली तथा जनशक्ति पर नियंत्रण—इसके लिए समय समय पर उपक्रम के प्रत्येक विभाग तथा सभाग की काय प्रणाली का विश्लेषण किया जाता है ताकि अनावश्यक तत्त्वों को दूर किया जा सके। इस प्रकार का नियंत्रण कमचारियों को अपना काय ठीक ढंग से ठीक समय पर और परिश्रमपूर्वक करते रहने के लिए प्रेरित करता है।

7 पूंजी व्ययों पर नियंत्रण—यह काय वित्त विभाग के विशेषण परत है। पूंजी की स्वीकृति देने से पूर्व प्रत्येक परियोजना की तथा उसकी लाभदायकता की पूरी जांच की जाती है। परियोजना पूर्ण होने - बाद यह देखा जाता है कि अपेक्षित लाभ वास्तव में प्राप्त हो रहे हैं या न।

8 सेवा कार्यों पर नियंत्रण—इसके लिए कार्यालयी विभागों में बजट कंट्रोल की व्यवस्था अपनाई जाती है।

9 उत्पादन पर नियंत्रण—किसी भी निर्माण व्यवसाय के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण काय है। इसमें बाजार की आवश्यकताओं का विश्लेषण करके सर्वोत्तम और सरलतम ढंग से उसकी पूर्ति के लिए उत्पादित वस्तुओं में समुचित समायोजन किया जाता है। प्रायः शोध निर्माण तथा विक्रय विभागों के प्रतिनिधियों से निर्मित स्टाफ समिति द्वारा यह नियंत्रण रखा जाता है।

10 शोध एवं विकास पर नियंत्रण—आजकल औद्योगिक इकाई अथवा अनेक औद्योगिक इकाइयाँ मिलकर शोध कार्य सम्पादित करती हैं। शोध काय के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं जो बाजार का अध्ययन कर तदनुसार उत्पादन के सुझाव देते हैं।

11 बाल सम्बंधों पर नियंत्रण—इसके लिए औद्योगिक इकाई में एक जन सम्पर्क विभाग की स्थापना की जाती है। वृहद् आकार की संस्थाओं में ही यह व्यवस्था प्रायः देखने को मिलती है।

12 समग्र नियंत्रण—संस्था अथवा उपक्रम के सम्पूर्ण कार्यों के लिए नियोजन तथा बजट की कंट्रोल विधि का प्रयोग किया जाता है। एक केन्द्रीय

समिति बहूद याजना (Master Plan) तयार करती है जिसमें कि प्रत्येक विभाग या सभाग की योजनाएँ सम्मिलित होती हैं और उपक्रम के सभी कर्मचारियों इस क्रियाचिंत करने का प्रयास करते हैं।

नियंत्रण का विस्तार

(Span of Control)

संगठन अथवा प्रशासन में नियंत्रण की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। बिना नियंत्रण के कोई भी संगठन अथवा प्रोफेस भी प्रसामान्य समुचित रूप में संचालित नहीं किया जा सकता। नियंत्रण का ध्येयवस्था का उद्देश्य यह देना होता है कि संगठन अथवा प्रशासन की इकाई कर्मचारियों दिए गए आदेशों निर्देशों और नियमों के अनुरूप काम कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि इस प्रकार की देखभाल नहीं की जाए तो स्वाभाविक है कि संगठन अथवा कार्यालय का काम अक्षयवस्थित तथा क्षिणित हो जाएगा।

नियंत्रण के सन्दर्भ में स्वाभाविक रूप से नियंत्रण के विस्तार (Span of Control) का प्रश्न उठता है। एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थों अर्थात् अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का क्षमतापूर्वक अधीक्षण कर सकता है। यह नियंत्रण विस्तार की समस्या है। दूसरे शब्दों में नियंत्रण विस्तार में हमारा अभिप्राय अधीनस्थ कर्मचारियों की उम संख्या से है जिसके कार्यों का अधीक्षण नियंत्रण एक अधिकारी क्षमतापूर्वक कर सकता है। पारिभाषिक रूप में जसा कि डिर्माक का कथन है नियंत्रण का विस्तार किसी उद्यम के मुख्य निष्पादक तथा उसके मुख्य साथी न्यायालया (Principal Fellow Offices) के बीच सीधे-एव स्वाभाविक संचार की संख्या एव क्षेत्र है। नियंत्रण के विस्तार को कई अर्थ नामों से भी जाना जाता है यथा— प्रबंध विस्तार (Span of Management) पयवेक्षण का विस्तार (Span of Supervision) अधिकार का विस्तार (Span of Authority) आदि।

नियंत्रण विस्तार के सिद्धान्त के अनुसार किसी भी अधिकारी के नियंत्रण का क्षेत्र केवल उतना ही रहना चाहिए जितना वह कुशलतापूर्वक सम्भाल सकता है। अधिकारी को सामर्थ्य से अधिक या कम क्षेत्र का होना उचित नहीं है। तिसरी ध्यान क्षेत्र (Span of Attention) सीमित होता है अतः कोई भी एक पदाधिकारी कर्मचारियों को असंयमित संख्या का भली भाँति निरीक्षण नहीं कर सकता। जॉन डी मिलेट ने ठीक ही लिखा है कि अनुभव और मनावैज्ञानिक अनुसंधान दोनों इस बात का पुष्टि करते हैं कि किसी भी प्रशासकीय अधिकारी की पयवेक्षण क्षमता की सीमा रहती है। यदि अधिकारी की सामर्थ्य से कम नियंत्रण क्षेत्र रखा जाए तो वह भाग्यवश अनुचित है क्योंकि इसका अर्थ है कि अधिकारी की क्षमताओं और सामर्थ्य का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

अब यह प्रश्न उठता है कि नियंत्रण विस्तार की सीमा कितनी होनी चाहिए। इस प्रश्न पर विज्ञानोक्त मतभेद है। जहाँ नियंत्रण क्षेत्र का अमानुषिक विस्तार हानिकारक है वहाँ क्षेत्र का बहुत सीमित होना भी बुरा है। हेनरी फायोल (Henry Fayol) का मत है कि एक बड़े उद्यम के शिखर स्थित प्रबंधक के नीचे पाँच या छह से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं हान चाहिए। एल उर्विक (L Urwick) का विचार है कि उच्च पदाधिकारियों के लिए आदेश सख्या चार होगी और निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए आठ या बारह। ग्रॉस्यूनस (Graicunas) का विचार है कि कोई उच्च अधिकारी पाँच या छह अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक काय का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता। सैनिक साठन के सम्बन्ध से सर हेमिन्टन ने एक बार कहा था एक प्रोसेस मानव मस्तिष्क तीन से छह अन्य मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली निरीक्षण कर सकता है।

स्पष्ट है कि नियंत्रण विस्तार की सीमा के सम्बन्ध में कोई एक सुनिश्चित मत नहीं हो सकता है। कर्मचारियों की आदेश सख्या की खोज करना जिस पर कि एक उच्च अधिकारी नियंत्रण रखन में सक्षम हो निरयक्त है। प्रशासन की गतिशीलता ही प्रशासन की सफलता की परिचायक है। यह बहुत कुछ शीघ्र अधीनस्थों की योग्यता, नेतृत्व कुशलता और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करता है कि वह कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रख सकता है। कि भी विज्ञान यह निश्चित करने के लिए अवश्य पर्याप्त है कि नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की उम्दाई क्या हानी चाहिए। सामान्य सहमति इस बात पर पायी जाती है कि—

(क) प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित नियंत्रण क्षेत्र होता है और यदि इस का उल्लंघन किया जाए तो कार्य के अवरोध होने की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।

(ख) नियंत्रण विस्तार में चार तत्वों के कारण विविधता उत्पन्न होती है। काय (Function), व्यक्तित्व (Personality), काल या समय (Time) और स्थान (Place or Space)।

नियंत्रण विस्तार को निर्धारित करने वाले तत्व

(Factors Affecting Span of Control)

नियंत्रण को हम कितनी बड़ा विस्तार क्षेत्र की सीमा में नहीं बाध सकते। नियंत्रण का विस्तार कितना होगा अर्थात् एक अधिकारी कितने कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रख सकेगा यह मुख्यतः चार तत्वों पर निर्भर करता है। अतः इन तत्वों का विवेचन आवश्यक है—

1 काय (Function)—सका अर्थ है कि काय की प्रकृति अर्थात् किस प्रकार का काय का नियंत्रण किया जाना है और अधिकारी जिन प्रक्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है उनके कार्यों की प्रकृति उसने अपने कार्यों की प्रकृति के समान

ही है अथवा नहीं। यदि कार्यों की प्रकृति समान है तो नियंत्रण का क्षेत्र यापक हो सकता है क्योंकि अधिकारी की नियंत्रण-क्षमता बढ़ जाती है।

2 **व्यक्तित्व (Personality)**—सका अभिप्राय अधिकारी या अधीक्षक और सम्बंधित सहायका की क्षमता से है। किसी भी सगठन में व्यक्तित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्त्व होता है। यदि अधीक्षक या नियंत्रक का व्यक्तित्व बहुत ऊँचा है उसमें नवृत्त को प्रसाधारण क्षमता है उसका कार्य करने की गति तीव्र होती है उसका प्रशासनिक ज्ञान बहुत बड़ा है तो वह कमचारियों को काफी बड़ी सहायता पर नियंत्रण रख सकता है। निजी प्रशासन में ऐसा उदाहरणों की कमी नहीं है।

3 **काल या समय (Time)**—सका अभिप्राय सगठन की आयु से है। यदि सगठन पुराना और जमा हुआ है तो नियंत्रण का क्षेत्र सरलता से विस्तृत किया जा सकता है। पुराने और सुव्यवस्थित सगठन की तुलना में नए सगठन में परम्पराओं का अभाव होता है और उच्च अधिकारियों के सामने नई-नई समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। अतः स्वभावतः नए सगठन में नियंत्रण का कार्य पुराने सुव्यवस्थित सगठन की अपेक्षा कम तीव्र होता है।

4 **स्थान (Place or Space)**—सका आशय यह है कि अधीनस्थ कमचारियों के कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से एक ही स्थान या भवन में स्थित हैं अथवा दूर-दूर तक फैले हुए हैं। यदि एक ही स्थान में केंद्रित है तो नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना उचित होगा पर यदि दूर-दूर स्थित हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र छोटा रखना ही उपयोगी होगा। जहाँ सहायक अधिकारी मुख्य अधिकारी या अधीनस्थ के स्थान पर ही कार्य करते हैं वहाँ अधीक्षण एवं नियंत्रण सरल और तीव्र होता है दूर होने पर ऐसा नहीं होता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नियंत्रण का विस्तार परिवर्तित होता रहता है और इस विभिन्नता के मूल में उपयुक्त चारों तत्त्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतया नियंत्रण विस्तार के सम्बंध में निम्नलिखित सिद्धांतों पर महामति पड़ी जाती है—

1 योग्यतम व्यक्तियों में भी नियंत्रण और निरीक्षण करने की शक्ति सीमित होती है और असीमित क्षमता की नहीं पाई जाती।

2 उत्तरदायित्व जितना बड़ा होता है सक्रिय नियंत्रण का क्षेत्र उतना ही संकुचित होता है।

3 समान कार्य करने वाले कमचारियों के मामले में नियंत्रण क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत हो जाता है।

नियंत्रण विस्तार क्षेत्र निश्चित करने में बड़े विवेक में काम लेना चाहिए। स्कलर हडसन (Secklor Hudson) के अनुसार यदि नियंत्रण का क्षेत्र अत्यंत सीमित कर दिया तो उसमें भी कई खतरें उत्पन्न हो सकती हैं। जितनी भी

प्रतिवेदन आणग उनका विस्तार से निरीक्षण किया जाएगा तथा अधीनस्था को उनकी क्षमता का पूरा-पूरा उपभोग करने के लिए प्रासात्न दिया जा सकेगा। श्रमके अनिरीक्त छोटे नियन्त्रण क्षेत्र का अर्थ होता है आज्ञा देने वाला की मात्रा बढ़ जाएगी। वास्तव में यह बहुत कठिन है कि नियन्त्रण के क्षेत्र में एक आदेश सख्या तय की जाए।

यूमन एवं समर के अनुसार नियन्त्रण विस्तार को प्रभावित करने वाले घटक—यूमन एवं समर ने नियन्त्रण विस्तार को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित घटकों अथवा तत्वा पर बल दिया है—

1 यदि उच्चधिकारी उच्च योग्यता-सम्पन्न हैं तो वे अधीनस्थों की एक बड़ी सख्या पर भी नियन्त्रण कर सकते हैं अथवा नियन्त्रण का विस्तार सकुचित हो जाएगा।

2 यदि अधीनस्थ प्रशिक्षित अनुभवी और योग्यता सम्पन्न हैं तो वे अपने अधिकारी की बिना अधिक सहायता लिए ही सत्वोरजनक ढंग से कार्य करते हैं और एक अधीनस्था की एक बड़ी सख्या पर भी सरलता से नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। किंतु यदि अधीनस्थ अनुशून अप्रशिक्षित और अनुभवहीन हैं तो नियन्त्रण का विस्तार सकुचित हो जाएगा अथवा बहुत धाड से अधीनस्थों पर ही एक उच्चधिकारी का नियन्त्रण स्थापित करना अमम्भव हो सकेगा।

3 यदि उच्चधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्य का पयवेक्षण करने के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे तो नियन्त्रण का विस्तार अधिक होगा। प्राय देखा जाता है कि अधिकांश प्रबंधक तथा उच्चधिकारी आ का से भेंट बाह्य सम्पक आदि में अपना अधिकांश समय निकाल देते हैं और पयवेक्षण के लिए उनके पास बहुत कम समय बचता है जिससे नियन्त्रण का विस्तार सकुचित होता है।

4 यदि उच्चधिकारी स्पार्ड आदेशों निर्देशों का प्रयोग करते हैं तो उनका कार्यभार काफी हका हा जाता है और नियन्त्रण विस्तार अधिक हो पाता है क्योंकि अधीनस्था का अपने उच्चधिकारियों से बार बार निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विपरीत स्थिति में नियन्त्रण का विस्तार सकुचित हो जाएगा।

5 यदि अधीनस्थों द्वारा सम्पन्न हान वाता कार्य महत्त्वपूर्ण और जटिल प्रकृति का है तो नियन्त्रण विस्तार सकुचित हो जाएगा अर्थात् कम अधीनस्थों की क्रियाओं पर नियन्त्रण किया जा सकेगा। किंतु यदि कार्य सामान्य महत्त्व और सरल प्रकृति का है तो एक उच्चधिकारी अधिक सख्या में अधीनस्था की क्रियाओं पर नियन्त्रण कर सकेगा।

6 यदि स्टाफ में आगसी सहायकों की भावना है और उच्चधिकारी को स्टाफ से सहायक मित्रता रहता है तो नियन्त्रण विस्तार अधिक हो सकेगा। किंतु यदि उच्चधिकारी स्टाफ से सहयोग नहीं मित्रता है कमकारी कार्य निष्पादन

के माग म कठिनाइया पदा करत न तो नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र सकुचित हो जाएगा ।

7 सगठन म विकेनीकरण की मात्रा क अनुसार नियंत्रण विस्तार सम्भव होगा । यदि विकेनीकरण की मात्रा सीमित होगी और उच्चाधिकारी नियन्त्रण के मामला से उलभ रहेय तो अधिनस्थो की कम सख्या पर नियंत्रण रखना सम्भव हागा ।

ग्रैकुनाज का नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत (Graicunas Span of Control Theory)

वी ए ग्रैकुनाज (V A Graicunas) ने सन् 1933 म एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था सगठन म सम्बन्ध (Relationship in Organisation) । इस लेख म उन्होंने अधीनस्थ एव उच्च अधिकारिया क सम्बन्धो की समस्या पर विचार किया है । उन्होंने एक गणितीय सूत्र (Mathematical Formula) विकसित करके यह प्रतिपादित किया कि जब अधीनस्था की सख्या बढ़ जाती है तो गणितीय रूप मे सम्बन्ध (Relationship) की सख्या भी बढ़ जाती है । प्रापसर हेमन क अनुसार उनका अध्ययन अनुभवयुक्त निरीक्षण पर आधारित नहीं है किंतु शीर्ष पर प्रबंध के क्षेत्र म परिवर्तन करन स एक सगठन की क्या स्थिति होगी इस बात का एक गणितीय प्रस्तुतीकरण है । ग्रैकुनाज न यह बताया है कि उच्च अधिकारिया को अपने अधीनस्थो के साथ सम्बन्ध कायम रखन म हमेशा यह बात मस्तिष्क म रखनी चाहिए कि उसका न केवल प्रत्यक्ष अधीनस्थ म प्रत्यक्ष रूप म व्यक्तिगत सम्बन्ध है बकि उसक सम्बन्ध अधीनस्था क विभिन्न समूहा से और अधीनस्थो क पारस्परिक सम्बन्धो स भी ह ।

उन सम्बन्धो की सख्या प्रबंधाधीन समूह की सख्या के सध-साध वर्तनी रहती है । ग्रैकुनाज न मुख्यत णस तीन प्रकार क सम्बन्धो का वर्णन किया है । यह—1 प्रत्यक्ष क र सम्बन्ध (Direct Single Relationships) 2 प्रत्यक्ष समूह सम्बन्ध (Direct Group Relationships) और 3 आड-खंड सम्बन्ध (Cross Relationships) । प्रत्यक्ष क र सम्बन्ध किसी सर्वो च अधिकारी और उसक ताकालिक अधीनस्था क नाम व्यक्तिगत एव पराक्ष रूप म दान है । उदाहरण के लिए यदि क क तीन अधीनस्थ हैं—ख ग घ तो यहा तीन प्रत्यक्ष सम्बन्ध बन जायग । प्रत्यक्ष समूह सम्बन्ध का अर्थ है—स र्वो च अधिकारी और अधीनस्था के प्रत्यक्ष सम्भावित समूह क मध्य सम्बन्ध । यदि इस दृष्टि म नखा जाए तो उक्त उदाहरण म प्रत्यक्ष समूह-सम्बन्ध की सख्या नौ हा जएगी । सम्भावित सम्बन्धो के तीसरे समूह का ग्रैकुनाज न आड-खंड सम्बन्ध का नाम दिया है । जब एक उच्च अधिकारी क विभिन्न अधीनस्थो को पारस्परिक सम्पर्क करन का आवश्यकता होती है तो एम प्रकार क सम्बन्धो का जन्म हा जाता है । जब अधीनस्था की सख्या बढ़न

के कारण सर्वोच्च अधिकारी के प्रत्यक्ष सम्बन्ध अनुपात के अनुसार बढ़ जाते हैं तो समूह और मात्रा बढ़ सम्बन्ध अनुपात से भी अधिक बढ़ जाते हैं। यकृतज्ञ का सूत्र इस प्रकार है—

यह सूत्र सभी सम्भव सम्बन्धों की सख्या बता देता है जिसे प्रबंधक की रचि हो सकती है और जो उसे ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ n का अर्थ है अधीनस्थ की संख्या और n को हम सूत्र में लगाने से सब प्रकार के सम्बन्धों की सख्या प्राप्त हो जाएगी। इस सूत्र के परिणामों का निम्नोक्त सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

अधीनस्थों की विभिन्न संख्या से उत्पन्न सम्भावित सम्बन्धों का योग

अधीनस्था की संख्या	सम्भावित सम्बन्धों की कुल संख्या
1	1
2	6
3	18
4	44
5	100
6	222
7	490
8	1 080
9	2 376
10	5 210

सूत्र के आधार पर हम यह देखते हैं कि अधीनस्था की संख्या चार होने पर सम्बन्धों की कुल संख्या 44 हो जाती है। यदि एक और अधीनस्थ जोड़ दिया जाए तो नियंत्रण काय क्षेत्र पाँच अधीनस्थों का हो जाएगा। सूत्र के अनुसार सम्भावित मात्रा-बढ़ सम्बन्धों का योग 100 हो जाएगा। इस प्रकार एक अधीनस्थ जुड़ जाने मानस सम्भावित सम्बन्धों के लिए तृतीय रूप में बढ़ जाते हैं। अधीनस्था की संख्या में 15 प्रतिशत वृद्धि करने पर सम्बन्धों का कुल योग 127 प्रतिशत बढ़ जाता है। यह वृद्धि अत्यन्त चेतनावनीपूर्ण है और प्रत्येक प्रबंधक को जो अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि कर देता है इसका ध्यान रखना होता है।

यह सूत्र हमको क्षेत्र सम्भावनाओं का दिग्दर्शन कराता है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जब एक उच्च अधिकारी को बहुत से अधीनस्थ प्रतिवेदन

देंगे तो स्थिति किन्ती जटिल बन जाएगी। वास्तविक व्यवहार में यह तालिका जिन सम्बन्धों का वर्णन करती है वे साकार नहीं बन पाते। विलियम न्यूमन (William Newman) का कथन है कि जब एक उद्यम आकार में बढ़ता है तो कमचारी एक दमर के साथ वे सभी सम्बन्ध नहीं रख पाते जो सद्धान्तरूप से सम्भव हैं। यह सूत्र केवल सम्भावित सम्बन्धों का ही उल्लेख करता है। यह सब जानत हुए भी उच्च अधिकारी अधीनस्थों की मर्यादा में वृद्धि करते समय पर्याप्त सावधान विचार से काम लेता है।

प्रकुनाज ने बताया कि आड-खंड सम्बन्धों द्वारा अधिक जटिलताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन जटिलताओं की मात्रा संगठन के कार्यों की प्रकृति के आधार पर बदलती रहती है। यदि किसी कार्य में अधीनस्थों का परस्पर कम सम्बन्ध रखने की आवश्यकता हो तो वहाँ जटिलता नहीं बढ़ेगी। एस. एफ. टि. स. हर्मिन्टन का कथन पूर्णतः सत्य है कि समूह के सदस्य का उत्तरदायित्व जितना कम होगा समूह उतना ही बड़ा हो सकता है। एल. उर्विक ने भी बताया है कि कार्य भी सर्वोच्च अधिकारी परस्पर सम्बन्धित कार्यों वाले पांच अथवा छह अधीनस्थों से अधिक कार्य को प्रत्यक्ष रूप में पयवस्थित नहीं कर सकता।

नियन्त्रण के सिद्धान्त

Principles of Control

नियन्त्रण प्रणाली सुव्यवस्थित और प्रभावी बनी रह इसके लिए नियन्त्रण के कुछ आवश्यक सिद्धान्तों का प्रतिपादन प्रबंध विज्ञान ने किया है। हेरोल्ड कुण्टज तथा आ. डानल ने निम्नलिखित 14 सिद्धान्तों को अनुपालन की आवश्यक माना है—

1 उद्देश्यों के आश्वासन का सिद्धान्त (Principle of Assurance of Objective)—नियन्त्रण ऐसा होना चाहिए जो समूह उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान दे सक। प्रमाण एवं निष्पादन के विचलन का पता चलते ही उसे तुरन्त समाप्त करने या सुधार करने का प्रयत्न होना चाहिए।

2 नियन्त्रण की कुशलता का सिद्धान्त (Principle of Efficiency of Control)—सिद्धान्त की माँग है कि नियन्त्रण तभी प्रभावशाली हो सकता है जब वह विचलना को न केवल शीघ्र दूर करता हो बल्कि उन्हें तुरन्त समाप्त करता हो कि उपक्रम या प्रतिष्ठान के कार्यों का कम से कम हानि करके प्रभाव पड़े और साथ ही माध्यम भी न्यूनतम हो।

3 नियन्त्रण के दायित्व का सिद्धान्त (Principle of Responsibility of Control)—अधिकार या भूमिका का प्रयोजन सम्भव है किन्तु दायित्व का नहीं। नियन्त्रण के दायित्व के निम्नानुसार नियन्त्रण का दायित्व याजनाओं को

कार्यान्वित करने वाले अधिकारी का होता है। उ-चाधिकारी अपने कार्यभार को श्र-य किसी कमचारी अथवा विशेषण पर डान सकता है किन्तु अंतिम उत्तरदायि व उसका ही रहता है।

4 भावी नियन्त्रण का सिद्धांत (Principle of Future Control)— नियन्त्रण का उद्देश्य केवल बतमान योजनाओं के विचनना का पता लगाना और सुधार करना ही नहीं है बकि भावी विचनना का पता लगाकर तदनुसार सुधार मक बनम उठाना भी है।

5 प्रत्यक्ष नियन्त्रण का सिद्धांत (Principle of Direct Control)— इस सिद्धांत की मांग है कि नियंत्रण स्थापित करने व निण प्रत्यक्ष नियन्त्रण विधि अपनाई जानी चाहिए। इसके लिए अधीनस्था तथा प्रब-धको को अधिकधिक याभ्य और कार्यभर बनान पर बल दिया जाना चाहिए। इससे भविष्य मे वे भी अच्छे नियन्त्रक बन सकेंगे तथा प्रत्यक्ष रूप से कार्यो पर नियन्त्रण की कार्यवाही कर सकेंगे।

6 योजनाओं के प्रतिबिम्ब का सिद्धांत (Principle of Reflection of Plans)—नियन्त्रण प्रक्रिया एसी हानी चाहिए जिसम नियोजन की प्रकृति और सरचना स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हो सक। यत् ध्यान रखना कि नियन्त्रण के पश्चात् भी मूल योजना यथावत रहे किन्तु त्रटिया का समुचित सुधार हो सक।

7 संगठनमक उपयुक्तता का सिद्धांत (Principle of Organisational Stability)— इस सिद्धांत की मांग है कि नियंत्रण व्यवस्था संगठन के ढांचे के अनुकूल ही चाहिए क्योंकि नियन्त्रण का कोई पृथक ढांचा नहीं होता।

8 नियन्त्रण की व्यक्तिरुता का सिद्धांत (Principle of Individuality of Control)—एसी नियन्त्रण प्रक्रिया अपक्षित है जा संगठन की आवश्यकताओं का भी पूरा कर सके और साथ ही सम्बन्धित नियंत्रण करने वाले प्रब-धक की आवश्यकताओं का भी पूरा कर। यदि नियंत्रण प्रबस्था प्रत्येक स्तर पर नियुक्त अधिकारी (नियन्त्रक) के पक्षि-व के अनुरूप नहीं होगी अर्थात् उसकी आवश्यकताओं का पूरा करने वाली नहीं होगी तो नियन्त्रण कार्य के माग म अव-ध पन्य हो जाण्य।

9 प्रमाण का सिद्धांत (Principle of Standards)—प्रभावी और कुशल नियन्त्रण के लिए आवश्यक है कि कार्य विषयक परिशुद्ध और उपयुक्त प्रमाण निर्धारित कर दिए जाए। यदि प्रमाण शुद्ध निश्चित अथवा उपयुक्त नहीं होगा तो नियन्त्रण क्रियाएँ यथ हो जाएगी। प्रमाण के परिप्रक्ष्य म ही निष्पादन क्रियाओं का मापन तथा मूयाकन किया जाता है।

10 अपवाद का सिद्धांत (Principle of Exception)—इस सिद्धांत की माग है कि प्रभावी नियन्त्रण के लिए अपवादजनक स्थितिया मे ही प्रब-धका का ध्यान आकषित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों म प्रब-धक को अति मूर्खत्वपण

विचरन। पर श्री अपना ध्यान कर्न करना चाहिए। यदि सामान्य विचरतनो के मामला म भी वह फसा रहता है तो प्रभावी नियंत्रण नही हो सकेगा।

11 महत्त्वपूर्ण बिन्दु नियंत्रण का सिद्धांत (Principle of Strategic Point Control)—नियंत्रण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर समुचित ध्यान देकर उनको नियंत्रित कर सक। सभी सामान्य प्रकृति के बिन्दुओं पर नियंत्रण की उतनी आवश्यकता नही होती।

12 नियंत्रण की लोच का सिद्धांत (Principle of Flexibility of Control)—नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त लोचदार होनी चाहिए ताकि योजनाओं के परिवर्तन के साथ साथ नियंत्रण विधि में भी सरलता से समुचित परिवर्तन लाए जा सक।

13 पुनरावलोकन का सिद्धांत (Principle of Review)—नियंत्रण प्रभावी और सक्षम बना रह इसके लिए यह आवश्यक है कि नियंत्रण प्रणाली का समय समय पुनरावलोकन किया जाता रहे ताकि परिस्थितियों के अनुसार यथानमय समायोजन किया जा सके।

14 कार्यवाही का सिद्धांत (Principle of Action)—प्रभावी और सक्षम नियंत्रण प्रणाली वही मानी जावेगी जो उपयुक्त नियोजन सगठन निर्देशन आदि के द्वारा विचलना को अविनाश दूर करने वाली कार्यवाही का सम्भव बना सके। सुधारामक क्रियाओं का अभाव में नियंत्रण प्रणाली का खाललापन स्पष्ट हो जाएगा।

नियंत्रण के उपयुक्त सिद्धांतों के परिपालन से एक कुशल और प्रभावी नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जा सकती है। इन सिद्धांतों की अनुपालना के साथ ही यह भी आवश्यक है कि नियंत्रण प्रणाली सरल और सुविधा से वाद्यगम्य हो। नियंत्रण प्रणाली ऐसी भी होनी चाहिए जो नियंत्रक तथा निर्मात्रत में सीवा मन्त्रक स्थापित कर सके। यथसाम्य स्वायत्तता के सिद्धांत का भी समावेश किया जाना चाहिए।

**नियंत्रण की तकनीकें, विधियाँ साधन अथवा उपकरण
(Technique Methods Means or Tools of Control)**

नियंत्रण की विधियाँ तकनीकें साधना अथवा उपकरण का अभिप्राय उन माध्यमों से है जिनके द्वारा किसी उपक्रम या प्रतिष्ठान में नियंत्रण स्थापित किया जाता है। हम नीचे उन कुछ प्रमुख नियंत्रण विधियाँ या नियंत्रण साधनों को लेंगे जिनका आधुनिक प्रबंधकों द्वारा काफी प्रयोग किया जाता है।

हम नियंत्रण की विधियाँ या नियंत्रण साधना को प्रमुखत दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—

(क) नियंत्रण की विशिष्ट तकनीकें या विधियाँ

(ख) नियंत्रण की सामान्य विधियाँ।

(क) नियंत्रण की विशिष्ट विधियाँ

(Specific or Special Methods of Control)

नियंत्रण की विशिष्ट तकनीकी अथवा विधियाँ में मुख्य हैं—

- 1 बजट नियंत्रण (Budget Control)
- 2 लागत नियंत्रण (Cost Control)
- 3 किस्म नियंत्रण (Quality Control)
- 4 सामग्री नियंत्रण (Inventory Control) एवं
- 5 उत्पादन नियंत्रण (Production Control)

1 बजट नियंत्रण (Budget Control)—बजट एक निश्चित भावी समयावधि में सम्बंधित बहु प्रक्रिया है जो कि उपक्रम की समस्त अथवा कुछ क्रियाओं की आवश्यकताओं का सुव्यवस्थित अनुमान सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करती है। इसके विपरीत बजटरी नियंत्रण प्रक्रिया बजट अनुमानों तथा वास्तविक परिणामों की तुलना मात्र है। इसके माध्यम से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों और वास्तविक निष्पादन (Actual Performances) में पाए जाने वाले विचलनों का अध्ययन करके उनके कारणों को दूर किया जाता है। ठीक शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में बजट निर्माण का उद्देश्य ही बजटरी नियंत्रण होता है। बिना बजट नियंत्रण के बजट बनाना व्यर्थ है। कुछ विद्वानों द्वारा दी गई बजटरी नियंत्रण की परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं—

1 टैरी के अनुसार बजटरी नियंत्रण यह पता चलाने की ही प्रक्रिया है कि क्या किया जा रहा है तथा वास्तविक परिणामों की सम्बंधित बजट आँकड़ों में तुलना करने की क्रिया है। इस क्रिया का उद्देश्य कार्य के निष्पादन का अनुमोदन करना अथवा बजट अनुमानों में समायोजन करना या अंतरों के कारणों को ठीक करके अंतरों को दूर करना।

2 मरी कुशाक्षर ना स क शब्दों में बजटरी नियंत्रण प्रबंध की एक मन्त्रबधुण युक्ति है। वास्तव में यह एक नियोजन नियुक्ति है जो समय के माध्यम से नियंत्रण करती है तथा उन तीनों क्रियाओं को कसक एक सूत्र में बाँधती है। निश्चिन नियोजन को आवश्यक बना कर तथा परिचालन की समस्याओं को पूर्वानुमान लगा कर यह पहले से विचार करने का प्रोत्साहन देती है।

3 राल्फ और ग्रीवर के अनुसार बजट प्रबंध का एक साधन है जिसका प्रयोग व्यवसायिक कार्यों के नियोजन उनको करने और नियंत्रण में किया जाता है—आगे के स्पष्टीकरण के रूप में यह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की स्थापना करता है और इन उद्देश्यों से निष्पादन की माप करने का आधार प्रदान करता है।

समाय रूप से जिन बजटों का प्रयोग किया जाता है वे हैं—यय बजट

(Expense Budget) आयन बजट (Revenue Budget) रकती बजट (Cash Budget) पूंजी बजट (Capital Budget) बिक्री बजट (Sales Budget) उत्पादन बजट (Production Budget) न्य बजट (Purchase Budget) श्रम बजट (Labour Budget) एवं कुल या सवागीण बजट (Master Budget) ।

2 लागत अथवा परिचय नियंत्रण (Cost Control)—लागत तथा का लक्ष्य सम्बन्धित उपक्रम की किसी प्रक्रिया/ विभाग की प्रति इकट्टी उत्पादन लागत का पता लगाना मात्र है। लेकिन परिचय अथवा लागत नियंत्रण का उद्देश्य अधिक साफ़ होता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं तथा सवाओं की लागत जाननी है और कि उन लागत को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। नगर कई प्रकार में कम की जा सकती है उदाहरणार्थ कच्चे मान की लागत में कमी सामग्री के क्रय भण्डार व्यवस्था तथा समयों के उपयोग पर नियंत्रण करके आदि। कुशल पर्यवेक्षण उत्तम प्रशिक्षण उत्साह के उत्पन्न साधन तथा विधियों के प्रयोग तथा कम करने के तरीकों में सुधार करके श्रम लागत (Labour Cost) में कमी की जा सकती है। लागत नियंत्रण के अन्तर्गत अथवा और फ़िजलखर्ची में कमी करके लागत में कमी की जा सकती है। प्रो चर्च में लागत नियंत्रण में महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है 'अमर शान्ति में लागत नियंत्रण मनुष्यों सामग्री मशीनों और मुद्रा के अधिकतम उपयोग प्रभावीकरण का अनुकूलतम उपयोग और माना तथा ज़रूरी लागत (Overhead Cost) के बीच सम्बन्ध का बुद्धिमत्तापूर्ण चयन हेतु आवश्यक है।' श्री 'दास हैमिंग केशव' एक 'प्रवसाय का प्रबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसके कार्यों का निश्चय होता है। जिस प्रकार जन्म को बचाने के लिए क्लान को नेवीगेशन चाट तथा यंत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध द्वारा 'प्रवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लागत अथवा परिचय नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

लागत नियंत्रण हेतु सवप्रथम लागत का पता लगाना पड़ता है। पर्याप्त परिचय अथवा लागत नियंत्रण हेतु प्रबंधक का लागत के विभिन्न अंग अथवा तत्वों का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है जो कि लागत में पाए जाते हैं। प्रत्येक उपक्रम के वित्तीय लेखा द्वारा हम एक निश्चित अवधि में उसकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान लाभ तथा हानि लेखों से प्राप्त होता है। यह उसका देवनामा (Liabilities) तथा परिमम्पत्तियों (Assets) से पता पड़ता है। लागत से ही हम विभिन्न गतिविधियों कार्यों प्रक्रियाओं विभाग इत्यादि का विस्तृत रूप में वित्तीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन्हीं आँकड़ों की सहायता से कुछ निर्धारित प्रमाणा के

1 S S Chatterjee Management—It P cipl a dT h q es p 247

2 D F E an H mm ng Fl ble B dg tary C t l d Sta d d p l

आधार पर नियंत्रण लागू किया जाता है। लागत नियंत्रण की प्रक्रिया में लागत की प्रत्येक मद (Item) के सम्बन्ध में प्रमाणों का निर्धारण इन मन्त्र की वास्तविक लागत को निश्चित करना वास्तविक और निर्धारित प्रमाणों में बीच पाए जाने वाले विचलना (Deviation) का ज्ञान करना इन विचलना के उत्तरदायित्व तथा कारणों के निर्धारण हेतु विश्लेषण करना और फिर वास्तविक लागत और प्रमाणित लागतों में समानता ज्ञान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना आदि को शामिल किया जाता है।

लागत नियंत्रण के तत्त्व (Elements of Cost Control) अनेक हैं। एक व्यावसायिक उपक्रम में लागत नियंत्रण लागू करने हेतु प्रायः निम्न आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं—

1. लागत विश्लेषण करना तथा इसकी प्रत्येक मद (Item) हेतु लागत के प्रमाणों (Standards) की स्थापना करना।
2. उपरोक्त मदों में होने वाले वास्तविक व्ययों के लेखों को तैयार करना।
3. वास्तविक लागत (Actual Cost) और लागत प्रमाण (Cost Standard) की तुलना द्वारा दोनों में पाए जाने वाले अंतर का विश्लेषण तैयार करना।
4. दोषों के अन्तरो का विश्लेषण करना और अन्तरो के कारणों का पता लगाकर उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना।
5. भविष्य में अंतरों के अन्तरो उत्पन्न न हों इसके लिए सुधारक कार्यवाही (Corrective Action) करना।

प्रमाणित लागतों द्वारा नियंत्रण करण से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं—

(i) प्रमाणित लागत भूतकालीन क्रियाओं और विद्यमान दशाओं पर आधारित होने के कारण अकुशलता वाले क्षेत्रों का पता लगाने में सहायक होती है जिससे कि प्रबंधकों द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके।

(ii) प्रमाणित लागत सामग्री अथवा मशीन आदि के भौतिक प्रमाणों के आधार पर तैयार की जाती है। इस प्रकार यह भौतिक प्रमाण मात्रात्मक रूप में तथा लागत प्रमाण वित्तीय रूप में प्रदान करती है।

(iii) वास्तविक लागत प्रमाणित लागत से कम हो इसके लिए सम्बंधित लोगों को बार-बार निर्देशित करनी है और उनकी कामकुशलता बढ़ाने हेतु जोर देती है। कार्यकुशलता पर इसका अत्यंत प्रभाव पड़ता है।

(iv) निम्न स्तरीय प्रबंधकों को व्यय के अधिकार सौंप कर नियंत्रण में सफलता प्रदान करने में भी प्रमाणित लागत महत्वपूर्ण है। इसमें वे लागत के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे तथा नियंत्रण करने में आसानी रहगी।

(v) प्रमाणित लागत स प्रेरणात्मक मजदूरी भुगताना (Incentive Wage Payments) और बजटरी नियंत्रण (Budgetary Control) हेतु महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है।

(vi) प्रमाणित लागत का अध्ययन समय अध्ययन और गति अध्ययन का आधार पर तयार की जाती है। इनके द्वारा कार्य सरलीकरण (Work Simplification) कार्यानुसार मजदूरी निर्धारण और प्रमाणीकरण (Standardisation) आदि में सहायता मिलती है।

3 किसम नियंत्रण (Quality Control)—एक निर्माणकारी प्रक्रिया (Manufacturing Process) में कई परिवर्तनीय तत्व पाए जाते हैं जो कि उत्पाद को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर सामग्री मनुष्य मशीन और निमाणकारी दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। सभी सधन कार्यकुशलता में समान नहीं होने के कारण वस्तु की किसम भी भिन्न भिन्न प्रकार की गयी। वास्तविक किसम की प्रमाणित किसम (Standard Quality) से तुलना की जाती है और उन पाए जाने वाले विचलन (Deviations) को दूर करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही (Corrective Action) लेना पड़ता है। इस प्रकार किसम नियंत्रण प्रबंधकीय नियंत्रण का प्रमुख साधन है।

किसम नियंत्रण की भिन्न भिन्न विधियों में परिभाषा दी है—

1 प्रो स्पीगन के अनुसार किसी उत्पादन की किसम का अर्थ उपर्युक्त आकार आकृति रचना मजदूरी कारीगरी, समायोजन बाह्य रूप तथा रंग आदि सम्बंधित गुणों का योग होता है।¹

2 प्रा वनजी के अनुसार किसम नियंत्रण का आशय किसम के पूर्व निर्धारित प्रमाणा से उत्पादों की किसम की जाँच करना है।

3 श्री रिस्कि (H Risk) के शब्दों में किसम नियंत्रण में निर्माण काल में उत्पाद (Product) का निम्न निरीक्षण सम्मिलित किया जाता है।²

यस प्रकार किसम नियंत्रण किसी भी उत्पाद (Product) की निर्माणकाल में उनके पूर्व निर्धारित प्रमाणा से तुलना करना होता है और दोषों में कितना प्रकार का अंतर होने पर उसके लिए सुधारात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। किसम नियंत्रण वस्तु के आकार आकृति, रचना मजदूरी कारीगरी समायोजना बाह्य रूप तथा रंग किसी भी सधन में हो सकता है।

4 सामग्री नियंत्रण (Inventory Control)—नियंत्रण के इस तकनीक के माध्यम से बच्चे माल आदि को आवश्यकतानुसार बनाए रखा जाता है।

1 *Sprengel Industrial Management* p 101

2 *M Baniya & Bhasin Administrative* p 371

3 *H Risk Quality Control Product* p 13

यन् अपक्षित है कि सामग्री न तो कम रखी जाय और न ही अधिक क्योंकि य दोनों ही स्थितियाँ हानिकारक हैं। अतः सामग्री नियन्त्रण विधि द्वारा स्टॉक को इस तरह पर्याप्त मात्रा में रखा जाता है कि न तो पूजा पसी ग्हे और न स्टॉक की कमी के कारण काय बन् रह सके। नियन्त्रण की इस तकनीक या विधि के लिए बिन क्क क्रयादेश बि दुग्ना का निर्धारण स्टॉक लेविन या निर्धारण तथा ए बी सी नियन्त्रण विधियों को अपनाया जाता है।

5 उत्पादन नियन्त्रण (Production Control)—इसका अभिप्राय उत्पादन क्रियाओं का प्रबन्ध और सञ्चालन स रूप में करने से लिया जाता है कि निर्धारित समय में और निर्धारित मात्रा में निर्धारित मूल्य पर निर्धारित किस्म का मूल्य उत्पादन किया जा सके। अफड एव वेटी क अनुमान उत्पादन नियन्त्रण में उत्पादन क्रियाओं के नियोजन माग निर्धारण समय निर्धारण निगमा और अनुगमन की क्रियाए सम्मिलित की जाती हैं। माग निर्धारण में उत्पादन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। निगमन में काय प्रारम्भ करने के आदेश आवश्यक माग औराजर अदि निर्गमित किए जाते हैं। अनुगमन में यह देखना होता है कि काय याजनानुसार हो रहा है या नहीं और यदि कठिनाई है तो उमका निवारण किया जाता है।

(ख) नियन्त्रण की सामान्य विधियाँ

(General Methods of Control)

नियन्त्रण की सामान्य विधियाँ का अभिप्राय ऐसी विधियाँ से है जिनका उपयोग सामान्य रूप में प्रबन्धक उपक्रम की क्रियाओं पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए करते हैं। सामान्य नियन्त्रण विधियों में मुख्यतः निम्नलिखित प्रयोग में लाई जाती हैं—

1 अवलोकन द्वारा नियन्त्रण (Control by Observation)—उपक्रम में काम करने वाला के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर उन पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। प्रत्यक्ष अवलोकन नियन्त्रण की एक सरल और पुरानी विधि है और आज भी कायकारी स्तर पर थोड़ा बहुत नियन्त्रण इस विधि द्वारा होता है। यद्यपि इस विधि में समय अधिक लगता है किन्तु अनेक परिस्थितियों में यह विधि बहुत उपयुक्त रहती है। सनिक कार्यों के नियन्त्रण के लिए प्रायः यह विधि अपनाई जाता है। पुलिस में भी नियन्त्रण की इस विधि का अधिक उपयोगी होता है।

2 नीतियों द्वारा नियन्त्रण (Control by Policies)—नीतियाँ जहाँ एक ओर नियन्त्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं वहाँ नियन्त्रण में भी महत्वपूर्ण योग देती हैं। यदि नीतियाँ स्पष्ट हैं तो शीघ्र और कुशल नियन्त्रण लेने में सुगमता रहती है। नियन्त्रण की उपयुक्तता से नियन्त्रण काय सरल हो जाता है।

3 अभिप्रेरणा द्वारा नियंत्रण (Control by Motivation)—कामचरियों को अभिप्रेरित करके उनकी क्रियाश्रमा पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। हम हम एक प्रकार से स्व नियंत्रण को सन्त दे सकत हैं। यदि कमचारियों का मनाबझानिक रूप से और सहो ढग से अभिप्ररित किया जाए तो बर्द्धित परिणाम प्रपेक्षित हैं क्योंकि कमचारी आपसी सहयोग मे काम कर लें अर्थात् स्वत नियंत्रण का वातावरण बना रहता है।

4 अन्वक्षण द्वारा नियंत्रण (Control by Audit)—अन्वक्षण से अभिप्राय लेखा पुस्तको आदि की जाच स है। अन्वक्षण नियंत्रण से यह पता चल जाता है कि लेखा पुस्तको ठीक से रखी गई है या नहीं और उनस ष्रवमाय की मही स्थिति का पता चल रहा है या नहीं। प्रभावी अन्वक्षण द्वारा उपक्रम के कार्यकलापो म आने वाली भूल चूक गवन आदि का सुरन्त पता चल जाना है। अन्वक्षण आन्तरिक भी हो सकता है और बाह्य भी अथवा दोनों प्रकार का। आन्तरिक अन्वक्षण उपक्रम म नियुक्त अन्वक्षका द्वारा किया जाता है जबकि बाह्य अन्वक्षको द्वारा किया जाता है जिसम कि निष्पक्षता की अधिक गु जाण्ण रन्ती है।

5 अपवाद द्वारा नियंत्रण (Control by Exception)—नियंत्रण की उस विधि के अन्तगत अपवात्पूर्ण स्थितियों को ही प्रवधका के ध्यान म लाया जाना है सामान्य बाने स्वतन्त्र छोड नी जाती हैं। दूसरे शब्दा म नियंत्रण की दृष्टि से उन्हो वाता को और उच्च प्रवधका का ध्यान अकषित किया जाता है जो योजनानुसार नहीं हो र्नी हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण विधि है जिसे उच्च स्तरीय सण मध्य स्तरीय प्रवधको व बहुमूय समय को बचाने के लिए काम म लिखा जा सञ्जता है। उच्च स्तरीय प्रवधक अपना ध्यान अपवादा अथात् महत्त्वपूर्ण विचरना को समाप्त करन को और लगा देते हैं जिसस उनक अम और समय दोनों म बचत होती है। शेष काय नियामित रूप से स्वत चलता रन्ता है।

6 चाट एवं नियम पुस्तिका द्वारा नियंत्रण (Control by Charts and Manuals)—चाटों द्वारा नियंत्रण कार्य म इमलिए सुविधा रहती है कि क्योंकि कार्यों का तुननामक अध्ययन किया जा सकता है। नियम पुस्तिका म अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र और दायित्व उल्लिखित रहते हैं जिसस अधिकारी स्व नियंत्रण (Self-control) म रहते हैं।

7 अभिलेखों तथा प्रतिवेदना द्वारा नियंत्रण (Control by Records and Reports)—उपक्रम म अधीनस्था के कार्यों के अभिलेखो तथा उनक द्वारा प्रस्तुत किय गए विभिन्न प्रतिवेदना की जाच आदि से भी विभागा तथा कमचारिया क काय कलापो पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यह आवश्यक है कि प्रतिवेदन पर सुरन्त कायवाहो की जाए। ऐसा न हान पर अधीनस्थ कमचारियों म सिधिलता पा जाना स्वाभाविक है। अभिलेखा और प्रतिवेदना द्वारा नियंत्रण प्रभावी तभी

हो सकता है जबकि यह थल माध्यम के रूप में और निष्पक्ष रूप से प्रयुक्त किया जाए तब अनावश्यक सामग्री का समावेश न हो।

8 अनुशासनात्मक कार्रवाही द्वारा नियंत्रण (Control by Disciplinary Action)—नियंत्रण की एक विधि अंतर्गत दीर्घकालीन प्रबंधनस्थलों के दक्षिण दिशा जाता है ताकि वे भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति न करें।

9 लिखित निर्देशों द्वारा नियंत्रण (Control by Written Instructions)—आज यह उचित समझा जाता है कि निर्देश एक आदेश लिखित रूप में दिये जाए। यदि लिखित निर्देश स्पष्ट और सख्त हैं तो भ्रम की गुंजायश नहीं रहेगी और उपक्रम के कर्मचारी उनका आदेशी तरह अनुपालन कर सकेंगे।

10 सम विच्छेद विश्लेषण द्वारा नियंत्रण (Control by Break-even Analysis)—इस विधि के माध्यम से आगम और लागत की स्थिति पात की जाती है। इससे विक्रय की वह मात्रा निर्धारित की जाती है जिस पर लागत और आगम बराबर हो। जिस बिंदु पर लागत हो और न हानि हो उसे सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। नियंत्रण के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग अधिकाधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है और इससे लाभ विक्रय सुरक्षा भाग आदि का समुचित निर्धारण किया जाता है।

11 स्थायी सीमाओं के निर्धारण द्वारा नियंत्रण (Control by Determinin Standing Limitations)—नियंत्रण की यह विधि भी काफी महत्वपूर्ण है। इनके अंतर्गत प्रबंधनस्थलों के अधिकार क्षेत्र की सीमा निश्चित कर दी जाती है और उनके कार्यक्षेत्रों का क्षेत्र भी निश्चित कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ नए विभाग के नए अधिकारी की नए सीमा यदि दा लक्ष्य स्तर निश्चित कर दी गई है तो वह अधिकारी उससे अधिक राशि का न्य करने के लिए अपने अधिकारों की अनिवाय रूप से अनुमति लगा।

12 नियंत्रण विभाग द्वारा नियंत्रण (Control by Control Department)—यदि कोई प्रतिष्ठान सुविशाल और सुविस्तृत है तो नियंत्रण विभाग की स्थापना भी की जा सकता है जिसमें सभी विभागों की सूचनाएँ एकत्रित कर उनका विश्लेषण कर समुचित तथ्यों को उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरणार्थ रेल्व विभाग में नियंत्रण कक्ष (Control Room) द्वारा रेलगाड़ियों के संचालन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है।

13 अन्य सामान्य विधियाँ (Other General Methods)—नियंत्रण की उपरोक्त विधियों के अनिश्चित कुछ और भी सामान्य विधियाँ का उपयोग किया जा सकता है यथा—अनुपात विश्लेषण द्वारा नियंत्रण (Control by Ratio Analysis) सी पी एम एव पट द्वारा नियंत्रण (Control by C P M and PERT) परिसंचालन अनुसंधान द्वारा नियंत्रण (Control by Operation Research) आदि।

नियन्त्रण की सीमाएँ (Limitations of Control)

यद्यपि नियन्त्रण प्रबंध का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसमें पूर्व निर्धारित नियोजन एवं नक्ष्यो को आध्यात्मिक रूप में उपक्रम के विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है फिर भी नियन्त्रण प्रक्रिया की अपनी सीमाएँ हैं जिन पर प्रबंध का नियन्त्रण नहीं होना है। नियन्त्रण का प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं—

1 बाह्य परिस्थितियों अथवा तत्त्वों पर नियन्त्रण नहीं हो सकता— नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य उपक्रम के उन तत्त्वों पर लागू किया जाता है जिनका उसमें अन्तरिक सम्बन्ध है। नियन्त्रण एक अन्तरिक प्रवृत्ति है। लेकिन व्यावहारिकता यह है कि उपक्रम के बाह्य परिस्थितियाँ अथवा तत्त्वों से भी प्रभावित होता है जिन पर नियन्त्रण लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे—सरकारी नीति में परिवर्तन (20 सूत्रा आर्थिक कार्यक्रम का प्रभावपूर्ण ढंग में लागू करने हेतु उठाए गए कर्म) धनुष की मांग में उभार-चढ़ाव बाजार में परिवर्तन मुद्रा के अवमूल्यन आदि पर नियन्त्रण और नियंत्रण प्रोत्साहन आदि।

2 प्रमाणों के निर्धारण में कठिनाई—नियन्त्रण के अन्तर्गत प्रमाणों (Standards) का निर्धारण किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया गुण आदि एसी चीजें हैं जिनके भौतिक अथवा मौखिक प्रमाण निर्धारित किए जा सकते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका प्रमाणीकरण करना असंभव है जैसे—प्रबंध के प्रति कर्मचारियों और अधीनस्थों की वफादारी इसमें मानवीय सम्बन्ध आदि। यथा मनुष्य नियन्त्रण के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है।

3 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (Personal Responsibility) का निर्धारण कठिन—उपक्रम में प्रबंधक कई बार एक कार्य को कई व्यक्तियों द्वारा करवाना है तथा सामूहिक रूप से किए गए कार्य में किसी प्रकार का त्रुटि अथवा विचलन हेतु किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायी बनाना कठिन होता है क्योंकि यह पता लगाना आसान नहीं होता है। इन परिस्थितियों में नियन्त्रण निष्प्रभावी (Ineffective) हो जाता है। कई बार व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारण हान पर भी सुधारात्मक उपायों का प्रयास नहीं हो पाता है क्योंकि यह अधीनस्थ प्रबंधकों के गुण पर निर्भर करता है कि किस प्रकार वे उत्तरदायित्व का पूरा करते हैं।

4 लागत की समस्या (Problem of cost involved)—नियन्त्रण की प्रक्रिया के अन्तर्गत पथ निर्धारित उद्देश्यों और नियोजन के विचिन्ता को जानने में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके साथ ही इन सब में व्यय अथवा लागत का प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है। खराब कच्चे माल अकुशल श्रम और त्वरित सगर्भ के परिणामस्वरूप उत्पादन की मात्रा और उगको विरम में क्लिप्ता नुकसान हुआ है। सको जानने हेतु कुशल और अनुभवों कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कई विचिन्ता सामान्य हात हैं लेकिन कुछ विचलन ऐसे होते हैं जिनका सुधार हेतु कार्य करना पड़ता है। इसमें समय लगता है। इस प्रकार नियन्त्रण प्रक्रिया यथार्थ है क्योंकि इसमें व्यय एवं समय के रूप में लागत बढ़ाने पड़ती है।

समन्वय और नियंत्रण संगठन महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं। समन्वय के बिना संगठन के विभिन्न कार्य आपस में असंगठित हो जाते हैं और एक की प्राप्ति को नाम दूसरे को प्राप्त नहीं हो पाता। मूनी के अनुसार समन्वय संगठन का सर्वप्रथम सिद्धान्त है जिसके द्वारा संगठन के अन्य सिद्धान्तों को क्रियान्वित किया जाता है। समन्वय द्वारा संगठन के आन्तरिक उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है। बड़ स्तर के संगठनों के विकास से समन्वय की प्रक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण बन गई है। समन्वय के आधार पर संगठन के विभिन्न सदस्यों के बीच यदि एकरूपता और सहायता स्थापित नहीं की जाए तो वे अलग अलग दिशाओं में चलने लगेंगे जिसके परिणामस्वरूप सघट पदा हो जाएगा। समन्वय का अभाव में पदा होने वाला सघट मुख्यतः तीन कारणों से हो सकता है—

1/ संगठन की इकाइयों का कमचारियों के कार्यों में दोहराव (Duplication) पदा हो जाने से क्योंकि वे एक दूसरे की प्रक्रियाओं को नहीं समझते हैं। एक इकाई को यह पता नहीं रहता कि दूसरी इकाई द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं—इसलिए वह स्वयं भी उही कार्यों का करन लग जाती है जिनको अन्य इकाई कर रही है—इससे दोनों के निष्पत्तियों में सघट भी उत्पन्न हो सकता है।

2/ किसी कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अपने कार्य विशेष को इतना अधिक महत्त्व देने के कारण जिससे वह दूसरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना ही उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करन लग जाए। ऐसी प्रकृति के व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि उनका कार्य संगठन के कार्यों का ही एक भाग है और इसी रूप में उसका महत्त्व है।

3/ संगठन के अध्यक्ष का शक्ति के लिए लालची बन जाना से जिसके वशीभूत होकर वे अनेक ऐसे कार्य करने लगते हैं जो वास्तव में दूसरों के कार्य क्षेत्र में घाने चाहिए।

समन्वय को अपने आप में एक लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। यह एक साधन है जिसके द्वारा संगठन के कार्यों में एकरूपता स्थापित कर दी जाती है। श्री युसुव

(Newman) के अनुसार समन्वय का एक प्रथक क्रिया के रूप में नहीं सादना चाहिए क्योंकि वह प्रशासन के सभी पहलुओं का एक भाग है। निर्गमन संगठन कायपालिका का विकास निर्देशन और नियंत्रण इन सभी को समन्वय के लिए कुछ ध्यानदान करना चाहिए।¹

समन्वय का अर्थ

(The Meaning of Co-ordination)

समन्वय का निष्पात्मक तथा विधेयात्मक दाना ही पत्र है। अपने निष्पात्मक रूप में समन्वय की क्रिया संगठन में कार्यो के दाहराव का रोकती है। अपने विधेयात्मक रूप में यह संगठन के कमचारियों में मित जुल कर मन्त्यागपूर्वक काय करन का प्रवृत्ति का विकास करती है। हेनरी फयोल (Henry Fayol) ने समन्वय को प्रबन्धक का एक काय माना है। उनके मतानुसार समन्वय करने का अर्थ है एक संगठन की क्रियाओं में एकरूपता लाना ताकि उनका कार्य सरल हो जाए और वह सफलता प्राप्त कर सक। एक सुसम्भित उद्यम की पहचान कई विषयताओं के आधार पर की जा सकती है। प्रथम जिस संगठन में अर्द्धा समन्वय किया जाता है उसका प्रथक विभाग दूसरे के साथ सहयोगपूर्वक काय करता है। दूसरे प्रत्येक विभाग सम्भाग और उपसम्भाग को अर्द्धी प्रकार सूचित होना चाहिए कि उसे मगठन के कार्यो में कौन-सा भाग अर्द्धा करना है। तीसरे विभिन्न विभागों और सम्भागों का काय निरन्तर परिस्थितियों के अनुसार लाना चाहिए। इन तीनों विशेषताओं के होने पर यह कहा जा सकता है कि एक संगठन विभिन्न में उचित समन्वय स्थापित हो चुका है। जिस संगठन में समन्वय नहीं रहता उसमें मुख्य रूप से ये बातें देखने में आती हैं—प्रथम प्रथक विभाग दूसरे के बारे में न कुछ जानता है और न कुछ जानना चाहता है। दूसरे एक ही विभाग के विभिन्न कार्यों तथा के बीच इतना अन्तर बना रहता है जितना विभिन्न विभागों के बीच होता है। तानरे, कई भी सामान्य हित की दृष्टि से नाना माचता। हेनरी फयोल (Henry Fayol) के शब्दों में कमचारियों का यह दृष्टिकोण एक उद्यम के लिए खतरनाक होता है। यह किसी पूर्व निर्धारित अभिप्राय का परिणाम नहीं है बल्कि समन्वय न रहने या अप्रयत्न रहने के कारण है।

समन्वय के सम्बन्ध में प्रशासन एक प्रबन्धक के कुछ विचारों का न अलग अलग दृष्टिकोण प्रकट किए हैं। प्रो न्यूमन (Newman) के अनुसार प्रशासन में समन्वय व्यक्तियों के मूल के कार्यो का एकाद्वत तथा सकानवन्ति बनाता है। उनके शब्दों में एक समन्वित काय वह है जिसमें कमचारियों की क्रियाएँ एक सामान्य

1 Newman op cit p 390

लक्ष्य की ओर सामञ्जस्यपूर्ण तथा एकीकृत होती है।¹ राफ डेविस के अनुसार समन्वय नियंत्रण का एक मुख्य पन्ना (Phase of Control) है।² एलिन (L. Allen) के अनुसार समन्वय प्रबंध की क्रियाओं में से एक³ तथा नियोजन संगठन नियंत्रण आदि की भांति उसका एक भाग है। यदि एक संगठन के लक्ष्य नीतियाँ प्रक्रियाएँ और संगठन सुव्यवस्थित हैं तो उसमें समन्वय अपने आप ही स्थापित हो जाएगा।⁴ आन्व टोड (Ordway Tead) ने समन्वय को एक पृथक् क्रिया माना है। यद्यपि उनका विश्वास है कि उनकी मायना स्वमाय नहीं हो सकती। टोड का विचार है कि समन्वय अर्थात् रचनात्मक रूप में प्रशासन ही है।⁵ हेमन के विचारकों की भांति हमें न भी समन्वय को कोई पृथक् क्रिया नहीं माना है। उसके ब्यथानुसार यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक सामान्य लक्ष्य की खोज में एक व्यवस्थित समूह के कार्यों और क्रियाओं की एकता प्राप्त करता है।⁶ हेमन का मत है कि इस प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक पांच प्रकार के प्रबंधात्मक कार्य करता है ये हैं—नियोजन (Planning) संगठन (Organizing) स्टाफ (Staffing) निर्देशन (Directing) तथा नियंत्रण (Controlling)।

इस प्रकार समन्वय द्वारा संगठन की क्रियाओं में बड़ी कार्य किया जाता है जा फुला के हार में एक घाघ द्वारा किया जाता है। घाघा न होने पर हार के फल के बीच कोई सम्बन्ध नहीं रहता और इस प्रकार हार भी नहीं बन पाता। यही कारण है कि संगठन के प्रत्येक प्रबंधक का यह मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि समन्वय स्थापित किया जाए। जे टर बर्नाड (Chester Bernard) ने तो यहाँ तक कहा है कि अधिकांश परिस्थितियों में समन्वय का गुण संगठन के अस्तित्व का एक मूल उपग्रह तब होता है।⁷ चार्ल्स वर्थ (Charles Worth) के अनुसार उद्यम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वय कुछ भागों का सामञ्जस्यपूर्ण एकीकरण है।⁸ टरी (Terry) ने लिखा है कि समन्वय विभिन्न भागों का एक दूसरे के माध्य सामञ्जस्य है तथा उनकी गतिविधि एवं व्यवहार का समय के माध्य ऐसा सामञ्जस्य है जिसमें प्रत्येक निम्ना समय के उपरान्त के लिए अपना अधिक से अधिक योगदान कर सके। कुछ ऐसा ही मत सैकलर हडसन (Seckler Hudson) द्वारा

1 *Newman Adm. treat.* A t 191 p 190

2 *Ralph C. D. The Fundamentals of Management* 1951 p 19

3 *L. A. Allen Management Organization* p 43

4 *Ordway T. The Fundamentals of Management* 1951 p 40

5 *Herman P. The Fundamentals of Management* 1966 p 27

6 *Chet B. The Fundamentals of Management* p 256

7 *Charles W. The Fundamentals of Management* 1951 p 242 52

प्रकट किया गया है। उनका कहना है कि समन्वय कार्य के विभिन्न भागों को, आपस में सम्बन्धित करने का महत्त्वपूर्ण कृत्य है।

समन्वय और सहयोग,

(Co ordination and Co-operation)

समन्वय और सहयोग व्यावहारिक दृष्टि में बहुत कुछ समानाधिक से प्रतीत होते हैं। दोनों में एक सगठन के कार्यों और उनके विभिन्न सदस्यों का सामूहिक प्रयत्न सम्मिलित होता है। फिर भी इन दोनों शब्दों के बीच पर्याप्त अंतर है। हेमन (Haimann) के अनुसार सहयोग केवल व्यक्तियों की एक दूसरे की मनायता करने की इच्छा प्रकट करता है। यह लोगों के समूह के स्वेच्छापूर्ण दृष्टिकोण का परिणाम है। इसके विपरीत समन्वय में कई बातें आती हैं। समन्वय में लोगों की इच्छाएँ एक साथ सँकलित की जा सकती हैं। ¹ सहयोग और समन्वय के अंतर को अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। एक उदाहरण टैरी (Terry) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने एक एम. एड. का उदाहरण दिया कि जो एक दिन सुबह की रनगाड़ी पकड़ना चाहता था। इसके लिए सोने से पूर्व उसने अपनी घड़ी को आधा घण्टे आगे कर दिया, ताकि वह ज़ेड की उठ सके। लड़के का पिता यह जानता था कि उसका लड़का सुबह रनगाड़ी पकड़ेगा। उसने सोचा कि लड़के का सुबह उठने और लड़के पकड़ने में समय बचाने के लिए उसने घड़ी को आधा घण्टे आगे कर दिया। क्योंकि लड़के की माँ उसके शयन कक्ष में गई और यह नाचकर कि सुबह लड़के को अधिक ज़ेडबाज़ी न करनी पड़े उसने घड़ी को आधा घण्टे आगे कर दिया। इन सबके परिणामस्वरूप लड़के का डेढ़ घण्टे पहले उठना पड़ा। टैरी के शब्दों में यही माना जा सकता है तथा घंटे के कार्यों में सहयोग नहीं है। यही प्रकार का एक अन्य उदाहरण बरात की एक घटना में लिया जा सकता है। मन्त्री बरातों में स्थान के लिए तैयार होते हैं। एक बस का आवश्यकता थी ताकि वह अन्तर्गत स्थान पर पहुँच सके। बस का प्रयत्न व्यक्ति उद्देश्य को जानता था तथा बस को तैयार करने के लिए तैयार किया था। अतः बिना बस का पाँच व्यक्ति बस जानें लिए अलग-अलग दिशाओं में चल दिए और कुछ दूर बाद बरात के सामने पाँच बसें जाकर खड़ी हो गईं। यह घटना में भी बस जान वाले व्यक्तियों में सहयोग की भावना थी किन्तु उनके कार्यों में समन्वय नहीं था। ✓

समन्वय और सहयोग दोनों पूरक हैं। यदि एक एक व्यक्ति समूह को कल्पना कर सकता है तो एक बहुत बड़ा फल का प्राप्ति करना चाहता है। इन लोगों की

1 Haimann op cit p 28

2 Terry op cit p 34

मर्यादा पर्याप्त है उनमें एक दूसरे के साथ सहयोग करने की इच्छा भी है और उद्यम की आरंभ होकर होने के लिए सब बुद्ध करने के लिए तत्परता भी। यद्यपि ये सभी व्यक्ति अपने सामान्य उद्यम के प्रति जागरूक हैं तथापि वे कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति उनके कार्यों को सही स्थान एवं सही समय पर समायोजित करने तथा वे उद्यमों को प्राप्त करने के लिए उन्हीं को नेतृत्व तथा आशाएं प्रदान न करें। समन्वय एवं सहयोग के बीच समन्वय का हेमंत (Haimant) न इन सुंदर शब्दों में पकड़ किया है— यद्यपि सहयोग हमेशा सहायतापूर्ण रहता है और इसका अभाव समन्वय की प्रत्येक सम्भावना रोक सकता है परन्तु इसका अस्तित्व मात्र ही समन्वय का होना साबित नहीं करता। महत्त्व की दृष्टि से समन्वय मन्वय की अपेक्षा अधिक उच्च है।¹ सहयोग के साथ जब जागरूकता चेतना एवं ज्ञान रहता है तो वही क्रियाश्रम के बीच समन्वय स्थापित हो जाता है।

समन्वय का महत्त्व

(Importance of Co ordination)

रूपवतः

समन्वय क्यों किया जाए ?

(Why to have the Co ordination ?)

समन्वय प्रत्येक संगठन की एक महती आवश्यकता है। संगठन का अस्तित्व उसकी सफलता सहायकता एवं प्रभावशीलता समन्वय के अभाव में खतरे में पड़ जाते हैं। संगठन के विभिन्न निकायों के बीच समन्वय एकलपक्षता स्थापित करता है। किसी भी संगठन में समन्वय की महती उपयोगिता निम्नलिखित कारणों से है—

1) संघर्ष और झगड़ों को दूर करना—किसी भी संगठन में विभिन्न कर्मचारियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। संघर्ष के संघर्ष संगठन के सदस्यों की स्वाभाविकता उनके व्यक्तित्व विचारों एवं उनके विशेष प्रशिक्षण पर आधारित हो सकते हैं। अधिकारियों में अहंकार की भावना और शक्ति का प्रेम भी उनके बीच प्रायः भंग उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। जब तक किसी संगठन के इन अलग-अलग योग्यताओं, रुचियों एवं प्राथमिकताओं वाले निकायों के बीच समन्वय स्थापित नहीं किया जाता तब तक संगठन अपने उद्यमों की प्राप्ति में बहुत दूर रहेगा। ✓

समन्वय के महत्त्व का उदाहरण हम किसी भी भवन निर्माण की प्रक्रिया में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जयपुर में बनाया गया सहकारी बाजार का भवन उसका नक्शा बनाने वाले इंजीनियर धन प्रदान करने वाले अधिकारियों आदि के

समन्वित प्रयत्न का परिणाम है। यदि भवन निर्माण से पूर्व नक्शा बनाने वाला नराम्र प्रकार का प्रारूप तैयार किया जाता जिसमें आवश्यक धन का प्रबंध तथा धन प्रदान करने वाले की सीमा का ध्यान न रखा जाता तो वह प्रारूप निरर्थक समझा जाता। वही प्रकार यदि नक्शे बनाने वाले की राय का धीनियरा द्वारा यह कह कर विरोध किया जाए कि भवन की मजदूरी के लिए यह नक्शा उपयोगी नहीं है तो वाय आग नहीं बटगा। भवन निर्माण का काम तभी आग वट सकता है जब इन तीनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए।

12 सहयोग की भावना—सहयोग समन्वय की प्रक्रिया का अप्रसर करता है। जब कार्यों के बीच समन्वय स्थापित नहीं किया जाता तो सम्बन्धित अधिकारियों में सहयोगी भावना का विकास नहीं हो पाता। दो बला बाला बलगाड़ी के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दोनों बला का सहयोगपूर्ण सम्बन्ध अत्यन्त आवश्यक है। पर यह तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक समन्वयकर्ता के रूप में गाडीवान उनकी रास अपने हाथ में न ले स। कई बार माग में चलत चलत दो में से एक बल अट कर खड़ा हो जाता है तथा आगे बटन में हमारे का सहयोग नटा करता। सहयोग का अभाव तब माना जाएगा जब कोई भी एक बल दूसरे की सामर्थ्य का देख बिना बहुत तन भाग। तन दोनों ही स्थितिया में सहयोग का अभाव गाडी की गति पर विपरीत प्रभाव डालगा। तदन को प्रत्न करने के लिए आवश्यक है कि गाडीवान पुचकार कर या मारकर दानो के बीच समन्वय स्थापित करे। यही उदाहरण किसी भी साठन के दा महत्त्वपूर्ण अधिकारिया पर लागू किया जा सकता है। यदि उनमें सहयोग की भावना नहीं है तो संगठन की गति रुक जाएगी और वह लक्ष्य प्राप्ति से हट जाएगा। यहा समन्वयकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह इन अधिकारिया के बीच समन्वय स्थापित करे।

13 दोहराव को रोकना—समन्वय के अभाव में जब एक संगठन के विभिन्न अधिकारिया के बीच सधन विवाद और असन्तुष्टा पदा होता है तो इसका कारण प्राय अधिकारिया का स्वायत्त अहंकार एवं मनमुटाव हाता है। साठन के य दाप तन अधिकारिया द्वारा जानबूझ कर उत्पन्न किए जात हैं। तनका पूरा उत्तरदायित्व उता पर होना है। लकिन समन्वय के अभाव में संगठन कुछ एस दावो का शिकार भा हा जाता है जो उमक मन्स्यो के जानबूझ कर किए गए प्रयास के परिणाम नहीं हतें। दाहराव (Duplication) एक एमा ही दाप है। जब साठन के विभिन्न सदस्या को यह जान नहीं रहता कि दूसरे क्या कर रहे हैं तो वे स्वयं एस काय करन लग जात है जो दूसरे अधिकारा परल स ही सम्पन्न कर रहे हैं या कर चुक हैं। दाहम्व का दोष प्राय तब पदा होता है जब संगठन के सदस्या के बीच सहयोग तो रहना है किन्तु समन्वय नहीं होता। पर एक अध्यापक यह चाहता था कि कक्षा के दम विद्यार्थिया में दस प्रश्न का उत्तर निश्चया जाए। उसने प्रश्न दन के बाट

यह निश्चित नहीं किया कि कौन किसका उत्तर लिखेगा। परिणामस्वरूप एक ही प्रश्न का उत्तर सभी छात्रों ने लिख कर दिखा दिया और बाकी नौ प्रश्न बिना उत्तर लिखे ही रह गए। सभी प्रश्नों का उत्तर लिखाने के लिए यह जरूरी था कि कोई समन्वयकता के रूप में यह निश्चित करता कि कौन किस प्रश्न का उत्तर दे। ✓

4/साधनों के दुरुपयोग एवं एकागिता के कारण—जब सगठन के कार्यों में समन्वय स्थापित नहीं किया जाता तो साधनों का दुरुपयोग होता है और वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता। समन्वय के अभाव में अलग अलग विषयों को अलग अलग देखा जाता है उनके ममता रूप की अवहानना हो जाती है। सगठन के अधिकांश सगठन के लक्ष्य का पूरा चित्र अपने मस्तिष्क में नहीं रख पाते। एकांगी दृष्टि से किसी भी विषय का अध्ययन करने पर जो निष्कर्ष लिए जाते हैं वे वास्तविकता से दूर हाथ हैं और इसलिए प्रायः उपयोगी भी नहीं होत अथवा तुलनात्मक रूप से कम उपयोगी होते हैं।

5/कमहीनता के कारण—सगठन की क्रियाओं में एक क्रम होता है। कुछ क्रियाओं का तभी सम्पन्न करना उपयोगी होता है जब उससे पूर्व की कुछ क्रियाएँ पूरी कर ली जायें। प्राथमिक क्रियाओं को सम्पन्न किए बिना यदि आगे की क्रियाओं को पहले ही सम्पन्न कर लिया जाए तो वे अनुपयोगी बन जाती हैं। उदाहरण के लिए एक नया पावर हाउस स्थापित करते समय तीन चीजों की आवश्यकता होती है—उसका भवन, यंत्र एवं कमचारी बग। सबसे पहले एक भवन का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें पावर हाउस का मशीन रखी जा सके और उसके पश्चात् उसके कमचारी काम कर सकें उसके बाद मशीन की आवश्यकता होती है और उन कमचारियों की जो इन मशीनों का चला सकें। यदि क्रियाओं के इस क्रम में हेरफेर कर दिया गया तो साधनों का दुरुपयोग होगा। सगठन के कार्यों में समन्वयकता स्थापित किए समन्वय बहुत आवश्यक है।

समन्वय की प्रकृति

(Nature of Co ordination)

समन्वय सम्बन्ध में जो पूरा वर्णन किया गया है उसमें समन्वय की प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है। मुख्य बिंदुओं में यह इन प्रकार है—

1/समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। कार्य भी प्रतिष्ठान या सगठन में प्रक्रिया के अभाव में चल नहीं सकता।

2/समन्वय की स्थापना करने का प्राथमिक कार्य प्रबंधक का रहा है। यह शीघ्र प्रबंधक का मूलभूत उत्तरदायित्व है सगठन के नए-नए सम्बन्धी कार्य का संग्रह है। समन्वय के माध्यम से ही सगठन या उपक्रम के विभिन्न कार्यों में एकता लाई जाती है और उच्च प्रबंधक द्वारा ही ये कार्य किया जा सकता है। समन्वय और मन्वय एक ही नहीं हैं। किसी सगठन के कमचारी परस्पर कितना ही

सहकारिता रखें किंतु व स्वयं अपने में अथवा अपनी क्रियाप्राप्त में समन्वय नहीं ला सकत इसके लिए तो उच्च प्रबंध (Top Management) की आवश्यकता होगी ही।

13/ समन्वय स्थापित करने का सर्वोपरि उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि उपक्रम के सभी व्यक्ति मिलकर प्रयत्न करें और उनका प्रयत्न के मध्य तनाव या टकराव न होकर समन्वय हो।

14/ समन्वय प्रयत्न का एकता है अर्थात् प्रबंधक संस्था में काम करने वाले विभिन्न शक्तियों के अलग अलग प्रयत्न को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वे सब मिलकर एक और एक मस्तिष्क के रूप में कार्य करें।

15/ जना कि न्यूनतम एवं समरत न लिखा है कि—समन्वय प्रबंध की कोई पृथक् क्रिया नहीं है, बरन् प्रबंध स्तर का ही एक अंग है।

समन्वय की तकनीक अथवा विधियाँ

(Techniques or Methods of Co-ordination)

समन्वय किस प्रकार किया जाए अथवा प्रबंध के कार्यों में समन्वय की स्थापना कैसे की जाए—इसके अनेक न घन हैं—

1/ नियोजन द्वारा—नियोजन समन्वय का एक आदर्श तरीका है जिसमें जून घन तय्य-सामग्री के सभी प्राप्य साधना का अधिकतम उपयोग होता है। इसका उद्देश्य यह है कि नियोजित शक्तियों और उद्देश्यों को एक सीमित अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए। प्रत्येक नियोजन का लक्ष्य उपक्रम के लक्ष्य क्रियाप्राप्त और प्रयासों में समन्वय लाना होता है। नियोजन की समस्त व्यावसायिक क्रियाप्राप्त का उद्गम बिंदु कहा जा सकता है।

2/ पर्यवेक्षण द्वारा—समन्वय स्थापित करने का सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण साधन पर्यवेक्षण माना जाता है। अपने अधिकारी के प्रति पर्यवेक्षक का मुख्य कर्तव्य यह देना होता है कि उनके अधीनस्थ अपने दाय तथा श्रेय ममूना के साथ समुचित समन्वयपूर्ण प्रयास चला रहे हैं अथवा नहीं। उनका काम होता है कि वे निर्देश देकर समन्वय के सिद्धि ला का बन देकर और समन्वित प्रयासों का पराक्रम के क संगठन में समन्वय क्रियाप्राप्त का प्राप्ताहित करें।

3/ अधिकार-सत्ता द्वारा उपर से अथवा बाल सध र सूचना के साथ अधिकार सत्ता भी रखते हैं। अधिकार-सत्ता अथवा अधिकार शक्ति के समन्वय के द्वारा अस योग प्रदान करने वालों को अथवा नाति के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ अनुशासन शक्ति की कार्यवाही के द्वारा समन्वय स्थापित किया जा सकता है। एक तरफ उपर में आन-जून सूचना सवार विभिन्न शक्तियों के कार्यों में सम्बद्धता लाने का कार्य करते हैं

दूसरी तरफ ये ही सूचना संचार दण्ड अथवा प्रलोभन के द्वारा सबके कार्यों में लक्ष्य के प्रति सामंजस्य लाने का कार्य करते हैं। अधिकार शक्ति आन्तरिक रूप से कमचारियों के मनोबल को सशक्त करती है। कमचारियों को संगठन के लक्ष्य के प्रति बफादार बनाती है तथा उन्हें अपने कार्यों से लगाव पदा करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है—इस कार्य के द्वारा कमचारियों में स्वयमेव सामंजस्य की प्रवृत्ति विषसित होती है। इसके अतिरिक्त असहयोग के आन्तरिक कारणों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। प्रायः आन्तरिक रूप से असहयोग के कारणों में कमचारियों को उनके कार्यों का बदले संगठन से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात में असंतुलन प्रमुखता रखता है—उनके कार्य और सहयोग का बदले उन्हें कितना वेतन मिलता है उनकी पदोन्नति का द्वारा ऊपर बढ़ सकने के किस प्रकार का अवसर है पदावधि आदि मकित्ती निष्पक्षता का व्यवहार होता है आदि अथन कमचारियों के कार्यों में सहयोग प्रदान करने या न करने के प्रमुख कारण होते हैं। अधिकार शक्ति का उपयोग के द्वारा ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की जाती है जिससे कमचारियों का अपने वातावरण में विश्वास तथा सहयोग हो सके। सामंजस्य के लिए अधिकार का प्रयोग किस रूप में होता है यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

4 संगठनात्मक तरीकों द्वारा—समन्वय की प्रविधियाँ के संगठनात्मक तरीकों के होत हैं। वे सम्मिलित समितियाँ संगठित अंतर्विभागीय समितियाँ कमचारी वर्ग की इकाइयाँ समन्वय स्थापित करने वाले अधिकारियाँ आदि के रूप में हो सकते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में समन्वय का इन संगठनात्मक तरीकों पर डा अद्वितीय एवं महेश्वरी ने जो प्रकाश डाला है वह अत्यधिक हृदय-हृदय के साथ किसी भी व्यावसायिक संगठन या प्रबंध के क्षेत्र में भी लागू होता है। ललक द्वय ने लिखा है—

किसी भी संगठन में परंपरा (Hierarchy) एक समन्वयकारी अभिकरण है क्योंकि इसका मुख्य प्रयोजन अभिकरण में मतभेद उत्पन्न करना है। साथ ही यह है कि संगठन स्वयं ही एक समन्वय का साधन है। भारत में समन्वयकारी अनेक संगठन हैं। केन्द्रीय सरकार स्वयं ही सर्वोपरि समन्वयकारी अभिकरण है। केन्द्रीय सचिवालय, मंत्रिमण्डल मंत्रिमण्डलीय समिति या योजना आयोग क्षेत्रीय परिषदें राष्ट्रीय बिकल्प परिषद तथा प्रधान मंत्री सभी तो उसी प्राप्ति में सम्मिलित हैं। जिना स्तर पर जिलाधीश शीघ्र स्तरीय समन्वय करता है। प्रजातात्रीय विकल्पीकरण के लागू होने पर उसकी प्रवृत्ति के साथ ही यह कार्य विशिष्ट रूप से बल पकता ही जायगा। फिर इसी प्रकार में सहायक मण्डल तथा आयोग भी हैं जिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अन्तर विश्वविद्यालय मण्डल तथा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। समन्वय हेतु सम्मेलन का भी स्वतन्त्रता के साधन उपयोग—किन्ना-जाया है। वे सम्मेलन योजनाओं के शीघ्र निपटाने तथा कठिनायियों के यावहारिक समाधान के लिए केंद्र तथा राज्यो के बीच समन्वय का

प्रयत्न करता है। व वाद विवाद के प्रक्रमण में विचारों के आदान प्रदान तथा निश्चित नाति के सम्बन्ध करने के लिए वाद विवादों वाद विवाद-सभाओं के रूप में भी कार्य करते हैं। वे सामान्य कार्यक्रमों के विकास में मदद देते हैं तथा इनके द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के परिपालन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा सम्भव होता है। ऐसे सम्मेलन राजनीतिक सरकारी तथा व्यावसायिक स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। राज्यपाला मुख्य मंत्रियों तथा विभिन्न विभागों के मंत्रियों के सम्मेलन राजनीतिक स्तर पर सम व्यापक सम्मेलनों के ही उदाहरण हैं। सरकारी स्तर के सम्मेलनों के अलग सरकारी सचिवा के सम्मेलन तथा विभागाध्यक्षों के सम्मेलन आते हैं। इनके अनिरीक्त कुछ विशिष्ट कार्यो से सम्बन्धित सम्मेलन भी हैं जस उपकुलपतियों के सम्मेलन तथा सिचाई और शक्ति विमल सगाष्ठी (Irrigation and Power Seminar)। इस सगाष्ठी में विभिन्न राज्यों के मुख्य अभियन्ता तथा नौ घाटी परिषदों के प्रधान सम्मिलित होते हैं।

यदि व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में लगे सामूहिक बैठकें (Group Meetings) सम्बन्ध स्थापित करने का अच्छा साधन हैं। उनके माध्यम में एक योग्य अधिकारी उपक्रम के विभिन्न विभागों उप विभागों और कमचारियों के कार्यों में सम्बन्ध स्थापित करता है। किसी भी प्रस्तावित नीति अथवा कदम का प्रभाव क्या होगा उसके लिए उपक्रम के विभिन्न विभागाध्यक्षों की बैठकें बुलाई जाती हैं विभागाध्यक्ष भी अपने अपने विभागों की बैठकें आयोजित करते हैं और इन सामूहिक बैठकों में स्वतंत्र रूप से विचार विमल करके निष्पत्ति लिए जाते हैं। कभी-कभी समान प्रकृति के विभिन्न उपक्रमों के शीर्ष अधिकारियों के सम्मेलन होते हैं जिनमें सम्बन्ध-तकनीक पर विचार करने अपने अपने उपक्रमों में समुचित कदम उठाए जाते हैं। सगठन स्वयं स्थापित करने का एक उत्तम साधन होता है क्योंकि सगठन में सम्बन्ध के सभी तत्त्व होते हैं। एक स्वस्थ सगठन विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों तथा कमचारियों की अधिकारी रेखाओं की सीमाओं को निर्धारित करता है ताकि तनाव या टकराव के स्थान पर तालमेल बनाए रखा जा सक।

5 व्यक्तिगत नेतृत्व द्वारा—जसा कि ब्रूच ने लिखा है कि सम्बन्ध एक मानवीय क्रिया है और प्रबंधक अपने व्यक्तिगत अचरण तथा प्रवृत्तियों द्वारा इसकी स्थापना करता है। यदि व्यक्तिगत नेतृत्व निष्पक्ष और स्वस्थ है तो उपक्रम के कमचारियों के कार्यों में प्रभावी सम्बन्ध की स्थापना की जा सकती है क्योंकि कमचारी प्रबंधक के विश्वास में रहते हैं और उसके प्रति पूरा सम्मान रखते हैं।

6 व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा—यह सम्बन्ध स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। व्यक्तिगत सम्पर्क प्रत्येक कमचारी को अपने ढंग से प्रभावित करता है और इस प्रकार का सामूहिक प्रभाव सगठन में अच्छे सम्बन्ध की स्थापना करता है।

7 सम्पर्क-कर्मियों द्वारा—कभी कभी आवश्यकता पान पर सम्पर्क-कर्मियों (Liaison Men) भी उपक्रम की क्रियाओं में समन्वय तान का प्रयास करते हैं। किन्तु समन्वय की यह तकनीक संगठन की शिथिलता की घातक है। इसका उपयोग नियमित रूप से नहीं किया जा सकता है निरन्तर आवश्यकता पान पर ही अस्थाई रूप में किया जाता है।

8 प्रमाणीकरण द्वारा—अवस्थी एवं मध्यवर्ती के अनुसार प्रक्रियाओं तथा रीतियों का प्रमाणीकरण समन्वय का एक अच्छा तरीका है। उन समस्त प्रक्रियाओं को जिनका सम्बन्ध बहुत से मनुष्यों से होता है और जो पुनरावृत्ति स्वभाव की होती हैं समाख्यत प्रमाणीकृत कर लिया जाता है। कार्य प्रणालियों का प्रमाणीकरण का अर्थ उदाहरण प्रपत्र (Forms) हैं। नियमावली विनियम तथा नियम ऐसे प्रमाणीकरण के ही अन्य उदाहरण हैं।

9 बजट द्वारा—उच्चस्तरीय समन्वय तान में बजट बनाने की प्रक्रिया विशेष सहायक है। धर्मिका में बजट व्यवस्था के संगठित होने का पाल विभागों में ही प्रवृत्त अधिकारी किन्तु संगठित रूप से बजट की प्रक्रिया हाथ और दोहराव को दूर करती है। बजट के अन्तिम रूप में अन्त के पहले यह प्रयत्न किया जाता है कि विभिन्न विभागों का अनुदानों में समन्वय है या नहीं इस देखा जाए। अभी प्रकार में किसी नई सजा योजना के लिए अनुदान की सिफारिश में यह विशेष रूप से देखा जाता है कि यह कौसी किसी विभाग के ही कार्यों की प्रतिनिधित्व तो नहीं बन रही है।

10 सामूहिक नियंत्रण द्वारा—संगठन के विभिन्न सम्बन्धित व्यक्ति मिलकर अपने कार्यों के सम्बन्ध में अपनी समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में सामूहिक नियंत्रण ले लते हैं और इस प्रकार समन्वय स्थापित होता है। समूह द्वारा लिया गया नियंत्रण सरलता में कार्यान्वित किया जा सकता है।

11 लिखित सन्देशवाहन द्वारा—आधुनिक युग में व्यवसायिक उपक्रमों में लिखित सन्देशवाहन (पत्र तार टेलीग्राफ आदि) भी समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। इसका उपयोग प्रायः यन्त्रित सम्पर्क के पूरक साधन के रूप में होता है।

12 स्वतः समन्वय द्वारा—व्यावसायिक संगठनों में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष और अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं समन्वय बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु किन्तु इन उपक्रमों का उद्देश्य का पूर्ण होना कठिन है अतः यह भी देवता रहता चाहिए कि अन्य विभागाध्यक्ष या अधिकारियों की क्रियाओं पर उनके कार्य का विपरीत या बुरा प्रभाव न पड़े। ब्राऊन ने इसे स्वतः समन्वय (Self Co-ordination) की सलाह दी है और समन्वय बनाए रखने की यह एक आधुनिक तकनीक है।

13 समन्वय व विभिन्न ग्रन्थ उल्लेखनीय साधन—हा अवस्थी एव मन्श्वरी म प्रशासन के क्षेत्र म समन्वय के कुछ ग्रन्थ साधनों की चर्चा की है जो प्रबन्धक क्षेत्र म भा अथवा किसी उपक्रम म भी सरलता स नामु होत है

(i) केंद्रीकृत गृह पालन (Centralised House keeping) समन्वय का एक तरीका है। प्रशासन म गृह पालन समस्या के अनगत प्रायः प्रायः भण्डारागार भवनों की सफाई तथा मरम्मत छपाई तथा प्रतिनिपिकरण क उपकरण का नियंत्रण केंद्रीय डक परिवहन तथा खाद्य और टेनीपोत सेवा आन हैं। प्रथम चरण आयोग न 1949 में मिर्जा श की कि एक साधारण सर्वोच्च कार्योन्मय की स्थापना की जानी चाहिए जिस इस प्रकार की गृह पालन सेवाओं का कार्यभार सौंप दिया जाए। यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई और उसी वर्ष मयुक्त राज्य अमेरिका म सामान्य सेवा प्रशासन (General Services Administration) की स्थापना कर दी गई थी। भारत म केंद्रीकृत गृह पालन के बहुत से अभिकरण हैं जस मन्त्रालय परीक्षक क अधीन लखावन तथा लखा परीक्षा, नाक निमाण विभाग क अंतगत भवनों का निमाण मरम्मत तथा उनकी जीर्णोद्धार प्रदाय महासंचालकालय क अधीन प्रदाय इत्यादि नाक-सवाग्रा क चयन तथा भर्ती के लिए सघीय लोक सेवा आयोग इसी उद्देश्य स काय करता है।

(ii) वित्त मंत्रालय (विभाग) एक बड़ा समन्वयकर्ता है। सम्बन्धित सरकार के कार्यन्मा अथवा साधन का समन्वय करने के बारे म वार्षिक बजट एक निबन्ध मात्र ही है। वित्त मंत्रालय ही ऐसा तत्व है जो काय की एक सर्वमाय योजना अर्थात् बजट बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के कार्यन्मो मांग, तथा दावा का समाधान तथा समन्वय करता है। वित्त मंत्रालय का काय बजट स्वीकृत हो जाना तथा मंत्रालयों म निधियों के बटवारे के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि कार्य करने वाले विभाग आदि। यदि किसी कायन्म को काय रूप म परिणत करना चाहते हैं तो उसके लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक होता है।

(iii) समन्वय के अनेक औपचारिक माध्यम भी हैं। यह औपचारिक होने के कारण कुछ कम प्रभावशाली नहीं होते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदाचित् व्यक्तिगत सम्पर्क हैं। वे विचारों के स्वतन्त्र आदान प्रदान मुक्त वाद विवाद तथा समझौते दाग समस्या का सुलभान म सहायता देते हैं। समितियाँ और सम्मेलन ऐस औपचारिक परामर्शों के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करते हैं। भाज मध्याह्न भोज चाय पान और औपचारिक संचार के माय माध्यम हो गए हैं। कदाचित् अशासकीय समन्वय का सबसे अधिक महत्वपूर्ण माध्यम अनुशासित चल प्रणाली है। हमारे देश म चूँकि काफ़ी सदन प्रायः अधिकतर राया तथा केंद्रों म सत्पष्ट हैं अतएव मार देश की नीतियाँ याजनाओं तथा कायन्मो म समन्वय

का प्रभावशाली माध्यम है। अतः समन्वय करने वाले तत्त्व के रूप में प्रशासनिक प्रणाली भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं होना।

समन्वय की पूर्व शर्तें (Pre conditions of Co ordination)

समन्वय का कार्य अत्यन्त जटिल है और 'या-या' किसी उद्यम का आकार विस्तृत होता जाता है उसके कार्यों में एकरूपता लाना उतना ही कठिन हो जाता है। प्रशासन अथवा किसी भी उपक्रम या संगठन में कार्यक्षेत्र की वृद्धि नहीं परिस्थितियों में नहीं तकनीकों इस बात को गंभीर करती है कि समन्वय के पुराने तरीकों को बनाए रखा या नया नया नवीन की स्थिति बना हो सकती है। किसी भी उद्यम में वह वह सरकारी हो या गैर सरकारी अथवा परिवारिक हो या प्रशासनिक अथवा समन्वय स्थिति बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं जिन्हें समन्वय की पूर्व शर्तें भी कहा जा सकता है। प्रो. न्यूमैन (Newman) ने इन पूर्व शर्तों को निम्नलिखित पांच भागों में विभाजित किया है—

1. मशीनरी संगठन
2. सामंजस्यपूर्ण कार्यक्रम और नीतियाँ
3. संचार के सुव्यवस्थित तरीके
4. एक ही प्रकार के समन्वय को स्थापना
5. अधीक्षण द्वारा समन्वय

प्रथम शर्त—प्रत्येक संगठन में कुछ क्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें एकरूपता स्थापित करना जरूरी होता है, जैसे एक बीमा कम्पनी में सदस्यों के दायों कावनी कामें आदि। यदि किसी विभाग की उन एकरूप क्रियाओं को एक ही प्रशासनिक कार्य से सम्मिलित कर लिया जाए तो समन्वय का कार्य सरल हो जाता है। उस प्रकार से प्रभावित जनता अथवा पारिवारिक सम्बन्ध बना लेती है। कार्य के आधार पर संगठन में प्रायः अनेक इकाइयों की स्थापना कर दी जाती है और 'या-या' एक उद्यम का विस्तार होता जाता है ये इकाइयाँ भी बढ़ती चली जाती हैं और समन्वय की समस्या जटिल होती जाती है। समन्वय कार्य का सरल बनाने के लिए एक-एक कार्य को समाने इकाई के अधीन कर लिया जाता है। जब कभी एक व्यापारिक के सम्मुख समन्वय को समझना सम्भव हो जाए तो उसे विभाग के प्रबंध में परिवर्तन करना चाहिए ताकि उनकी प्रणियों को संगठनात्मक रूप से एक-दूसरे के निकट लाया जा सके। एक अच्छे संगठन में समन्वय की दृष्टि से प्रबंध को बार-बार देखने की आवश्यकता नहीं रहती।

संगठन में जब स्पष्ट रूप से यही सात नही होता कि कौन क्या करता है तो समन्वय की प्रक्रिया अधिक जटिल नहीं बन पाती। उदाहरण के लिए, गाँवों में अच्छी सड़क साधना के प्रसार में कई बार अस्वल्प विलम्ब हो जाता है कि

निश्चित रूप से पचायता और सामुदायिक विकास योजना की इकाइया का यह पता नही जाना कि यह काय किस करना चाहिए। उत्तरदायित्व और मत्ता का रूप निश्चित न हान पर काय में विलम्ब जाना है दूसरे नोगा में गलत फहमिया नोती में सगठन की साख गिरती है और उसके नगो पर इसका प्रभाव पडता है। सगठन की क्रियाओ में समन्वय स्थापित करना बहुत बठिन है। जब एक सगठन क दो अधिकारी यह सोचन नगते हैं कि एक ही काय का उत्तरदायित्व हम दोनो पर है तो भी परेशानी बढ जाती है। इससे काय का दोहराव होता है और सवित व्यक्तिया को भ्रम पदा होता है। वास्तव में समन्वय की योजना बनान समय सगठन क सरल और स्पष्ट रूप पर जा र दिया जाना चाहिए और अय उत्तरदायित्वा का भली प्रक र किन्तु उपयुक्त रूप में लचीला सीमाकन कर दिया जाना चाहिए।

दूसरी शत—एक अच्छा समन्वय नभी सम्भव ह जब सगठन क कार्यक्रमों और नीतिया में एकरूपता स्थापित की जाए। जब सगठन की याजनाए परस्प अनुसूप जानी हैं तो समन्वय का माय मरन हा जाता है। मिस पारकर फाल्ट और यूमेन आदि की मापता है कि समन्वय क लिए आदा समय नियोजन के स्तर पर (At the planning stage) होना है।¹ जिस समय योजनाए बनाई जाती है उस समय समन्वय का ध्यान में रखते हुए स्थान-स्थान पर परिवहन किए जा सकत ह। समन्वय प्राण करने के लिए नियोजन में ये बात ध्यान में रखनी हाती है—प्रथम योजनाओं क बीच एकरूपता (Consistency) रहनी चाहिए और दूसरे क्रियाओ का उचित समय निर्धारण किया जाना चाहिए। जब विभिन्न यक्तिया और सम्भागों द्वारा याजना बनाई जाती है तो उनका एकरूपता का दृष्टि से देखना आवश्यक नाना है। यूमेन के शर्तों में याजनाओं के बीच एकरूपता स्थापित करने क लिए सर्वप्रथम यह जरूरी है कि उनकी एक दूसरे क विरुद्ध जांच की जाए ताकि यह देखा जा सक कि वे सभी एक कार्यक्रम क सम्पादन क लिए प्रयत्नशील ह अथवा नहा। कई बार योजनाओं क बीच क अन्तर का दर करना बठिन हो जाना है और दूसर विकल्पा को स्वीकार करने में परेशानी अधिक वट जाती है।

समन्वित क्रियाए न केवल एक दूसरे क एकरूप हानी चाहिए बकि उनको सही समय पर सम्पन्न किया जाना चाहिए। समय की दृष्टि में सगठन को सभा क्रियाओं की एक याजना तयार का जाए और उस याजना का नियन्त्रित करत समय समन्वय का ध्यान में रखा जाए। एक जटा समन्वय तभी स्थापित हा सकता ह जब सगठन की क्रियाए निश्चित समय क अनुसार सम्पन्न की जा रही ह।

तीसरी शत—सगठन में संचार क अच्छे साधन अपनाए जात ह ता समन्वय सुगम हा जाता है। संचार-व्यवस्था से सुरत ही पता चन जाता है कि

संगठन के कार्य यानता व अनुसार आग वर रह है या नहा । यदि एसो नहीं हा रहा हो ता अवश्यकतानुसार समायोजन किया जा सकता है । किण जान जाने कार्यो और उनकी स्थितिया के सम्बन्ध म सूचना का प्रसार भविष्य के कार्यक्रम तयार करन के लिए वरन उपयोगी है । समन्वय के लिए जिन सूचनाआ की आवश्यकता होती है, संचार द्वारा व सब सुलभ का जानी है । संगठन म संचार-व्यवस्था का कर्त् स्पो म अपनाया जा सकता है जस—वकिग पपर (Working Papers) लिखित प्रतिवेदन (Written Report नियमित मौखिक प्रतिवेदन Regular Oral Report) प्राणि । संचार व्यवस्था व वन साधन द्वारा संगठन को दिन प्रतिदिन की कायनाहिया एव कार्यक्रम स परिचित रखा जा सकता है ।

चौथी शत—जिसो भी संगठन म समन्वय को ऊपर से नहीं लादा जा सकता । सके लिए संगठन क सदस्यो की सहमति एक महयोग परमावश्यक है । जब सभी सदस्य स्वयं से सत्याग दन के लिए तयार रहत है तो समन्वय का कार्य सरल हो जाता है । प्रत्येक विवेकशील कायपालिका एच्छिक समन्वय की परम्पराआ का विकास करने का प्रयास करता है ।

संगठन के सभी सन्स्था म एकतापूर्ण कार्यो के प्रति उसाह पदा करने के लिए कुछ और कर्म उठाए जा सकते हैं जिनका प्रा न्युमन (Newman) ने म प्रकार उल्लेख किया है—

1 प्रभावशाली उद्देश्य (Dominant Objective)—जिन लोगो की क्रियाआ म समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है यदि वे सभी एक प्रभावशाली लक्ष्य को स्वीकार कर लें तो उनके बीच स्वच्छापूरा सहयोग की स्थापना हो जायेगी । यह प्रवृत्ति प्रायः युद्ध के समय दृष्टिगोचर होती है । भारत म चौथी एव पाकिस्तानी अक्रमण के समय शासनिक तथा अन्य क्षेत्रो म जा एकता आई । उसका पीछे एक प्रभावशाली लक्ष्य का आधार था । सभी लोग चाहते थे कि युद्ध म विजय हो अतः उन्होने एक हाकर काय किया । जब यह प्रभावपूर्ण लक्ष्य धूमिल पड जाना है तो सदस्यो के बीच छोटे छोटे विवाद भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं । भारत के राजनीतिक दला की स्थिति को भी स सदम म एक उदाहरण माना जा सकता है । जब काग्रस भारत स विदेशिया का कालन के लिए प्रयत्नशील था तो उस पर एक प्रभावशाली लक्ष्य का प्रभाव था और उसके सभी सन्स्था अद्भुत सहयोग स कार्य करत थे किन्तु यो ही भारत मे स्वतंत्रता प्राप्त की काग्रस दल मे विभाजन गुटवन्ती पट वमनस्य प्राणि उपन हो गए और अनेक वग वन गए जिनके परिणामस्वरूप काग्रस म समन्वय की समस्या अत्यंत गम्भीर हो गई ।

2 सामान्य रूप से स्वीकृत परम्पराओं की विकसित करना (To develop general accepted Customs)—स्वेच्छापूरा समन्वय तक अधिक आसान होना

है जबकि लाग सरलता से एक दूसरे के साथ कार्य कर सकें। यह सभी सम्भव है जब उस संगठन में कार्य के लिए ऐसी परम्पराएँ स्थापित की जाएँ जिनको उनके सभी सदस्य स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की परम्पराएँ प्रायः अपने आप विकसित होती हैं। मुख्य कार्यपानिका का कार्य यह है कि वह उनके विकास को प्रोत्साहन दे। इन परम्पराओं के आधान पर यह बात किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति संगठन में कार्य करने योग्य है अथवा नहीं। यदि सदस्य इन परम्पराओं के अनुकूल स्वयं को मान लें तो समन्वय का कार्य सरल हो जाता है।

3 अनौपचारिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन देना (To encourage Informal Contacts)—अनौपचारिक रूप से जिस संचार व्यवस्था की स्थापना की जानी है उसका पूर्णतः प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सम्बन्धों को महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। अनौपचारिक रूप से क्षय के प्याले पीने हुए संगठन का अध्ययन यह उल्लेख कर सकता है कि हमारे विभागों द्वारा उसके सामने क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न की जा रही हैं। उसके ये उल्लेख अनौपचारिक शिकायत के रूप में रिकार्ड नहीं रखे जाते। वही प्रकार संगठन या प्रक्रिया में सम्भव परिवर्तना पर भी बिना नतिकर्तव्यता के अस्तव्यस्त किए ही विचार किया जा सकता है। अनौपचारिक सम्बन्धों द्वारा मर्यादित की गई यह सूचना स्वच्छापूर्ण समन्वय के लिए आवश्यक जानकारी और पृष्ठभूमि प्रदान करती है। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक उद्यम में यथालिखा या दूसरे कमन गैर सामाजिक समूह अथवा अनौपचारिक संगठन बनाए। इस प्रकार के साधन तब स्वच्छापूर्ण समन्वय के लिए एक सम्भव बनना है तथा संगठन के विभिन्न सदस्यों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का विकास होता है। न्यूमैन (Newman) के शब्दों में अनौपचारिक सम्बन्धों पर हम प्रकार का ध्यान स्वच्छापूर्ण समन्वय के लिए एक महत्त्वपूर्ण सहायता समझी जानी चाहिए।¹

4 मध्यस्थ व्यक्ति की नियुक्ति (To Provide Liaison Man) विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष संगठन के अध्यक्ष सदस्यों के साथ प्रत्येक के अध्यक्ष सम्बन्ध नहीं रख पाता और इस तरह अनौपचारिक रूप से आवश्यक नियुक्ति करने भिल पानी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसे मध्यस्थ व्यक्ति (Liaison Officers) के रूप में मध्यस्थतापूर्ण तथा अध्यक्ष समन्वय के अधिकारी अपनी वकालत का कार्य की स्थिति और आवश्यकताओं से सम्बन्धित निर्देश है तथा दूसरे सम्भाग के सामने उन्हें स्पष्ट करता है। इस प्रकार निर्देश समूह के कार्य की आवश्यकताओं का अवलोकन करता है और अपने मन्वय करता उनकी रिपोर्ट देता है। इन व्यक्तियों के पास वायदे करने की कोई शक्ति नहीं होती है। न्यूमैन के शब्दों में उनका मुख्य काम सूचना के आदान प्रदान को सर

हाना है और व समन्वय व सहाय्य साधना का मुभाव देता है।¹ इन मध्यवर्ती अधिकारियों का प्रयत्न व्यक्तिगत सम्बन्धों का एक विधान नहीं माना जा सकता।

5 समितियों के प्रयोग द्वारा (By the use of Committees)—समितियों के माध्यम से संगठन के विभिन्न सन्ध परस्पर सम्पर्क स्थापित करते हैं उनके बीच प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सम्बन्धों का विकास होता है और वे अपने दृष्टिकोण एवं विचारों का अनौपचारिक रूप से आदान प्रदान करते हैं। जब समितियों में संगठन की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है तो प्रत्येक सदस्य को विचार अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है जिसे वह अत्यंत प्रकार से नहीं कर सकता। समिति की प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करके सदस्यों की अनेक गलतफहमियाँ दूर जाती हैं। समितियों के माध्यम से सदस्यों का सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित होता है जिसके फलस्वरूप समन्वय की प्रक्रिया सरल हो जाती है।

पाँचवीं शत—उपरोक्त सभी साधनों को अपना देने के बाद भी संगठन की क्रियाओं का एक एका क्षेत्र बच जाता है जिसमें समन्वय केवल अधीक्षण (Supervision) द्वारा ही किया जा सकता है। संगठन व अध्यक्ष का एक दायित्व है कि वह विभिन्न अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण करते रहें और यह ध्यान रखें कि वे अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का ठीक निर्वाह कर रहे हैं या नहीं। समन्वय की पूर्ण शक्ति जितनी अधिक प्रभावशाली होती है संगठन में अधीक्षण की आवश्यकता उतनी ही कम हो जाती है किन्तु इस विषय में संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें किसी प्रकार के अधीक्षण की आवश्यकता ही न हो। संगठन के अध्यक्ष को देने देने सकटकारीन आवश्यकताएँ पूरी करने अधीनस्थों के सम्भार भ्रमभेदा को दूर करने तथा संगठन के परिणामों में सन्तुष्टि स्थापित करने की आवश्यकता रहती है। अनेक बार एक संगठन के अध्यक्ष पर अधीक्षण करने का कार्यभार अधिकारित होता है। ऐसी स्थिति में वह अपने स्टाफ में से ही एक सहायक चुनकर प्रभावशाली प्रभाव प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने एन. ह. क्या समन्वय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ?

सन्ध के बीच (Is Co-ordination a Natural Process)

दना की स्थिति

भारत में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया के स्पष्ट रूप से दो पहलू हैं। अपने प्रथम पहलू में सन्ध लक्ष्य को प्राप्त करने के द्वारा सम्बन्धित होती है। उच्च स्तर पर आसीन पदाधिकारी यों ही अपने कार्य के आधार पर अधीनस्थों को आदेश देते हैं उनके कार्यों में एकलपन व मनस्य रखते हैं और इस प्रकार संगठन में समन्वय स्थापित करते हैं। कुछ विचारकों में समन्वय के इस रूप को बाह्य अथवा आरोपित माना है जिसमें सत्ता का प्रयोग किया जाता है और सन्धों की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति का बहुत कम। समन्वय

की प्रक्रिया के इस पन्थे का क्षय अत्यंत सीमित होता है। प्रत्येक संगठन में अधिकांश समन्वयात्मक कार्य समस्या द्वारा स्वयं से किये जाते हैं। कुछ विचारका का तो कहा तक कहना है कि समन्वय कार्य प्रमुख नहीं होती। यह एक प्रबंधक द्वारा किए जाने वाले प्रवर्धक कार्य में ही निहित रहती है। हर्मन (Haimann) के मत में यदि वह (Manager) अपने पांच प्रवर्धक कार्य को कुशलता और दिग्दर्शनपूर्वक करे तो उसका परिणामस्वरूप समन्वय का वापन अपने आप ही हो जायेगी विशेष समन्वय की आवश्यकता नष्ट रहगी।¹ प्रबंधक सावधानी पूर्वक कार्य हैं—नियोजन संगठन कर्मचारी वर्ग (Staffing) निर्देशन एवं नियंत्रण।

जब प्रबंधक नियोजन करने लगता है तो समन्वय की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। योजना बनाने के समय समन्वय अती प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। प्रबंधक का यह देखना पाना है कि क्या ये योजनाएँ एक दूसरे में सम्बद्ध हैं। संगठन के विभिन्न भागों में सम्बन्धित योजनाओं के दार में विचार विचार करने एवं समन्वय तथा सुभाव प्रस्तुत करने का कार्य समन्वय के भाग का सुगम बना जाता है। कुशल योजना का एक मन्त्रपूर्वक तत्व यह है कि उच्च समन्वय की ओर लगातार विचार किया जाता है। नियोजन की भाँति जब अन्तर्गत द्वारा संगठन की क्रिया संचालित की जाती है तो भी उच्च समन्वय पर विशेष रूप से ध्यान रहता है। मूनी (Mooney) ने समन्वय को संगठन का मूल तत्व माना है। जब सभी प्रबंधक अपना अधीनस्थों को कार्य सौंपना है तथा विभागों का रचना करना है तो उच्च मन पर समन्वय का सर्वाधिक ध्यान रहना है। हर्मन (Haimann) के मत में समन्वय संगठन का मूल तत्व है और जब तक प्रबंधक यह ध्यान में रखे कि यह समूह मात्र मात्र कार्य करेगा तब तक संगठन का संगठन नहीं बन पाता। जिस संगठन में सत्ता एवं उत्तरदायित्व का स्पष्ट रूप में निश्चिन्त कर दिया जाता है वह समन्वय के लिए प्रबंधक उत्तुक्त होता है।

कर्मचारी वर्ग (Staffing) की नियुक्ति करने के समय भी संगठन के अध्यक्ष को समन्वय का ध्यान रखना चाहिए। उनका ध्यान है कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए जिनके वाचक अनुमानों से समन्वय वापित कर सकें। साथ ही नियुक्त किये गए व्यक्ति एम होना चाहिए जो स्वच्छता में अपने कार्यों को मन्त्रोपगम्य तथा समन्वयपूर्ण बना सकें। निर्देशन का कार्य करते समय भी एक अध्यक्ष समन्वय के कार्य में सम्बन्धित रहता है। जब वह अपने अधीनस्थों को आना अनुज्ञा निर्देश तथा प्रशिक्षण प्रदान करता है तो वह उनकी क्रियाओं का इस प्रकार समन्वय करता है कि उच्च ध्यान रख्य की आशंका कुशलतापूर्वक बन सके। उच्च अधिकारी का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह अपने निर्देशन में आने वाले विभिन्न क्रियाओं की प्रगति

तिरी गण करता रहे और दक्षता रह सि य एक दूसरे के सन्योग द्वारा सम्पन्न की जा रही हैं अथवा नहीं ।

अध्यक्ष का एक अथ महत्वपूर्ण काय है अपने अधीनस्था पर नियंत्रण रखना । नियंत्रण का समन्वय की प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है । थार सी डविस (R C Davis) ने ता समन्वय का केवल नियंत्रण का ही एक पहलू माना है । नियंत्रण करते समय अध्यक्ष द्वारा यह देखा जाता है कि सगठन की विभिन्न विधाय नियोजित रूप से सम्पन्न की जा रहे हैं अथवा नहीं । यदि ऐसा नहीं रहा हो तो तुरन्त ही उन्हें सुधारने का प्रयास करता है और नम प्रकार वह समन्वय की शिक्षा म अग्रसर होता है । हमें के शब्द म नियंत्रण की मूल प्रकृति समन्वय की स्थापना करती है ।¹

समन्वय के सिद्धांत

(The Principles of Co ordination)

मेरी पावर फोलेट (Mary Parker Follet) ने समन्वय के चार सिद्धांतों का उल्लेख किया है । ये सिद्धांत प्रो न्यूमन (Newman) के शब्द म एक सम्पन्न परामर्श (Much sound advice) म परिपूर्ण है । इनके आधार पर समन्वय की प्रक्रिया को सफल मानक एवं प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है—

1 समन्वय की स्थापना के लिए सम्बन्धित उत्तरदायी शक्तियों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए, उनके बीच प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संचार व्यवस्था रखनी चाहिए । उनको एक दूसरे की समस्या स्थिति एवं प्रगति से परिचित रहना चाहिए । जब दो अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठ कर अपने पद की हैसियत से एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित करते हैं ता अन्तः कार म समस्या सुनभन की अपेक्षा अधिक दुरुस्त बन जाती है पर जब ये अधिकारी मनीषण ढग से आमने सामने बर्ता करते हैं ना कतिन समस्या का समाधान भी सहज ही हो जाता है ।

2 समन्वय याचना एवं नीति का निर्माण करते समय उनके प्रारम्भिक स्तरों पर ही अधिक धरमानी सम्पन्न किया जा सकता है । जब प्रशासन में सम्बन्धित नीतिया निर्धारित की जाती हैं या नियोजन किया जा रहा हो उसी समय अधिकारियों के बीच सीमा म पद स्थापित हो जाना उपयोगी होता है । न्यूमन के शब्द म जब योजना बनाई जा रहा है तथा काय को प्रारम्भ नहीं किया गया है तभी सामञ्जस्य नाना अधिक सरल होता है । नीति एवं याचना सम्बन्धी निर्णयों का लेने के बाद एक दूसरे से सम्पर्क करने और अपनी समस्याओं को समायोजित करने की स्थिति में समन्वय का काय बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि तब उनसे प्रत्येक यह चाहेगा कि वह स्वयं के निर्णयों पर स्थिर रहे तथा दूसरे

1 H m n p c t p 35

2 Newm op c t p 401

को भी अपनी नीतिय एवं याजनाओं का अनुसरण करना। यह एक प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति होगी जिसमें समन्वय स्थापित होने का स्थान पर मनमुटाव और दूरियाँ अधिक बट जायेंगी। मानव व्यवहार की यह मौलिक प्रकृति है कि कार्य के प्रारम्भ में एक छटा-सा स्थित बाला भी आगे चल कर बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है।

3 समन्वय एक स्थिति विशेष में सभी तत्त्वों के आदान प्रदान का सम्बन्ध सगठन के सदस्यों में समन्वय की स्थिति बट मानो जा सकती है जब उनमें संप्रतिक्रमण साथी की व्यावहारिक समस्याओं को समझें और सभी तत्त्वों का ध्यान भूँकर उह सुलभन का प्रयास करे। हमर शक्ति में सगठन के सदस्यों के बीच देने देन (Give and Take) की शक्ति रखनी चाहिए।

4 समन्वय एक निरन्तर चलन वाली प्रक्रिया (Continuing Process) है। ऐसा नही होता कि सगठन में एक बार समन्वय स्थापित कर दिया जाए जो भदव या दहन समय तक चलता रहे। समन्वय में कार्य का भवभरा पर नही छाया जा सकता। सगठन के अध्यक्ष का लगातार इस शक्ति में प्रयत्नशील रहना हाता है अथवा सगठन में एमे विकार पैदा हो सकता है जिनकी बट कपण भाँन कर मके औ जिन पर बट नियंत्रण न रख सके।

समन्वय क रूप

(The Forms of Co-ordination)

समन्वय की प्रक्रिया लम्बरूप (Vertical) तथा क्षैतिज (Horizontal) की।

① लम्बरूप समन्वय (Vertical Co-ordination) में हमारा अर्थ समन्वय के उभर रूप में है जो सगठन की स्तरों के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति किया जाता है। उदाहरण के लिए एक सगठन के निम्नलिखित उदाहरण निम्नलिखित नियंत्रण एवं एसे ही अर्थ में अधीनस्थों में मध्य स्तर समन्वय का जे-मक है। इस प्रकार के समन्वय में परामर्श एवं मत्ता का सम्बन्धपूर्ण स्थान है। उच्च पर स्तर स्तिन अधिकारी अपने अधीनस्थ पर अपनी मत्ता राखता है। नम इय व स रूप का प्राप्त करने के लिए मत्ता का प्रयोग किया जाता है। मात्रों निर्देशन निम्नलिखित एवं नियंत्रण शक्ति तब की का भाँन परा दिया जाता है। यदि कोई अधीनस्थ अधिकारी लम्बरूप समन्वय की स्थापना के माग में शक्ति उत्पन्न करता है तो उस सगठन में शक्ति किया जा सकता है। जब एक अध्यक्ष अपने प्रबंध मन्व में कार्यो की कुशलता एवं शिथिलता का मन्व सम्पन्न करता है तो लम्बरूप समन्वय स्वतः ही स्थापित हो जाता है।

② क्षैतिज समन्वय (Horizontal Co-ordination) का अर्थ उभर समन्वय में जा प्रबंधक के समान स्तरों पर किया जाता है। इस प्रकार के समन्वय में वमचारियों एवं अधिकारियों की स्वच्छा का अधिक महत्व हाता है। यदि समन्वय

न किया जाय तो सगठन के कार्यों की गति अवरुद्ध हो जाती है। समान स्तर वा न अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना की कुछ अपनी समस्याएँ हैं क्योंकि ये अधिकारी अपने विभागीय कार्य के प्रवर्धक हात हैं अतः उनके बीच समन्वय की स्थापना के लिए निश्चित आज्ञाया अथवा आदेशों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह अधिकारी एक दूसरे पर सन्भावना नहीं करते। सगठन के पूर्व निर्धारित तथ्यों को प्राप्त करने की दृष्टि में यह आशा की जाती है कि ये लोग अपने बीच समन्वय की स्थापना स्वयं ही कर लेंगे।

उपरोक्त दो स्तरों के अनिरिक्त समन्वय का रूप और भी हैं। समन्वय आंतरिक (Internal) भी हो सकता है और बाह्य (External) भी। आंतरिक समन्वय तो एक सगठन द्वारा उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच किया जाता है। यह सगठन का एक आन्तरिक रूप है। इसके अनिरिक्त प्रत्येक सगठन अनेक बाह्य तत्वों से भी प्रभावित होता है जिन्हें दृष्टि में आश्रित नहीं किया जा सकता। लोक प्रशासन के विभिन्न सगठनों पर जनमत राजनीतिक दत्ता सरकारी नीतियों एवं व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इन सभी समस्याओं एवं सगठनों तथा प्रशासनिक सगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। सगठन तथा बाह्य प्रभाव डालने वाले तत्वों के बीच यदि समन्वय स्थापित न किया जाता तो यह सम्भव है कि सगठन अपने कार्यों का मुच ह रूप से सम्पन्न न कर सके तथा उसके कार्यों में अतिरिक्त बाधाएँ उत्पन्न होती रहें।

समन्वय की बाधाएँ

(Hinderances of Co-ordination)

सगठन के जीवन एवं विकास में समन्वय का मौलिक स्थान रहने पर भी अनेक ऐसी बाधाएँ हैं जो सगठन में समन्वय की स्थापना के माग को अवरुद्ध करती हैं। हैमन (Haimann) के शब्दों में कहा जा सकता है कि समन्वय सरचनापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक उद्यम में कार्य के आधार पर स्थापित प्रत्येक सम्भाग उद्यम के तथ्यों की दृष्टि में अपने ढंग से करता है तथा उसी रूप में उत्तर प्राप्त करना चाहता है। सगठन में संयोगपूर्वक दृष्टिकोण रह उसका प्रत्येक सदस्य स्वयं का समन्वय अथवा समायोजन करने को तयार होता तो भी कार्यों के बीच दोहराव नो मकता है और उनमें सघष पाया जा सकता है। समन्वय के माग में आने वाली प्रमुख बाधाएँ वा वगण करने से पूर्व यह उपयुगी होगा कि इससे सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर लिया जाए।

सगठन में कुछ कार्य दूसरों की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं। अपने महत्त्व का दुरुपयोग करते हुए कई बार उससे प्रवर्धका के मन में उच्चता की भावना घर कर जाती है। सगठन के अर्थ अधिकारियों के मनोबल (Morale)

पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। समन्वयकर्ता द्वारा इस प्रकार के सोचने का दावा को प्राप्त होना न देकर उनका अर्थ कार्यों के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करने का उत्तरदायित्व पूरणरूप से प्रबंधक का है। इस कार्य को किसी विंशपन अथवा किसी विभाग का नहीं सोचा जा सकता। प्रबंधक के मस्तिष्क में परे सगठन का नक्षय एवं चित्र स्पष्ट रहता है अतः वह हम उत्तरदायित्व का निर्वाह सफलता पूर्वक कर सकता है।

अब लोक प्रशासन के क्षेत्र में समन्वय प्राप्त करने का भाग किस प्रतिनिधि पटिल होना जा रहा है। सगठन का आशातीत विकास इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है। कार्य अधिक बन जाने से समन्वय स्थापित करना भी कठिन बन गया है। सगठन बना होने में अधीनस्थ कर्मचारियों की समस्या अधिक हो जाती है तथा सचारा माध्याम का समझा जटिल बन जाती है अतः समन्वय का कार्य अत्यंत कठिन हो जाता है।

समन्वय के भाग को पचीला बनाने वाली एक अन्य समस्या विशदीकरण से सम्बन्धित है। वर्तमान सगठन में दानानिक एवं तकनीकी विकास का परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि कार्यों को विशेषता में विभाजित कर दिया जाए। यह विशेषण काल अपना कार्य में भी सम्मिलित रहने हैं अतः उनके बीच समन्वय स्थापित करना एक प्रमुख समस्या है। मागन विभाजक न तो यथा तक कहा है कि प्रशासन विशेषणों के कार्यों के समन्वय है। विशदीकरण की प्रकृति का प्रसार होने पर सगठन का कार्य छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें से प्रत्येक भाग अपने कार्य का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानने लगता है।

समन्वय के कार्यों में मानव प्रकृति से अनन्त समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। सगठन की प्रत्येक इकाई अपने आपका अपने कार्यों से ही सम्बन्धित रखती है और दूसरी इकाई के कार्यों में रुचि नहीं लेता। प्रत्येक इकाई का प्रबंधक केवल अपनी इकाई के कार्यों के बारे में ही सोचता है वरन् सम्पूर्ण उद्यम से अपना सम्पर्क बनाने रखना नहीं चाहता।

समन्वय के सम्बन्ध में विशदीकरण मानव प्रकृति, सगठन के बड़े आकार आदि तथा द्वारा प्रस्तुत इन समस्याओं के अनिश्चित समन्वय की क्रिया पर और भी अनेक सामंजस्य होती हैं। समन्वय का भाग अनेक कठिनाइयों एवं बाधाओं से पूरा है। किन्तु भी सगठन में बाधाएँ उत्पन्न होने के कारण हात हैं। प्राप्त नखक उद्यम गुणित से अनुमान के कारण निम्नलिखित हैं—

(1) सगठन का भविष्य अनिश्चित रहता है। सगठन के अस्तित्व एवं जनता की क्रिया प्रतिक्रिया किन्ती भी अध्यक्ष की समझ तथा कल्पना के बाहर की चीज होती है। समन्वय की अनुमानों का सही माना निश्चित नहीं रहता।

(2) एक अन्त तथा प्रभावशाली समन्वय के लिए अच्छा नेतृत्व परम

उत्त-दायी बन न क निए औपचारिक एव अनीपचारिक ढाना हा प्रकार के नियत्रण रख जाते हैं। औपचारिक (Formal) नियत्रण न्यायपालिका एव व्यवस्थापिका द्वारा स्थापित किया जाता है। पन्-सोपान क नियत्रण भी प्रशासनिक संगठन क जीवन म मन्त्वपूर्ण स्थान रखत है। पन्-सोपान क नियत्रण (Hierarchical Control) क सम्बन्ध म परम्परवदी विचारधरा का स्पष्ट चम्त हुए हुबेर आपोप (Hoover Commission) का कर्ना है कि निष्पान की मता क बिना उत्तरदायित्व एव नदावदेयता असम्भव है। सत्ता का प्रयोग ऊपर स नीचे तक अनाकारिता की स्पष्ट अनी क अभाव म असम्भव है, साथ ही नीचे स ऊपर तक उत्तरदायित्व औप-जवानदेयता का प्रावधान हावा चाटिए।

प्रशासनिक संगठन क पन्-सापान म उच्च अधिकारी नीचे के अधिकारी पर नियत्रण राना है। मूय क प्ररना पर अधीनस्थ कमच रिया की स्वच्छा पन्-सोपान क नियत्रण द्वारा बाधित रहनी है। नियत्रण क य नभा औपचारिक रूप तो न्यायपालिका व्यवस्थापिका और पन्-सापान द्वारा लागू किए जात हैं आक्षिक एव सीमित मोना ही रान ग्रहण करत हैं। किसी भा ढग म प्रशासन पर मुख्य कायपालिका विभाग शीय की क्कान्या अानि का नियत्रण रहता है। औपचारिक नियत्रण के माधना पर अिन समूह (Interest Group) का प्रभाव रहता है। औपचारिक रूप स उत्तरदायित्व का जिम प्रक्रिय का लागू किया जाता है यह मुख्य रूप म सम्बन्धित पूण क शक्तिगामी राजनीतिक गुट स प्रभ वित रहती ह।

उक्त औपचारिक माधना क अन्तिम नियत्रण का एक अनीपचारिक क्षेत्र भा नीता है जिसम अन्तिकारिना नारा स्वच्छा का प्रयोग किया जाता है। नियत्रण के अनक माधन हात पर नी प्रशासनिक संगठन के व्यक्तिया का क्कान्या एक रूप नी वनाया जा सकता। जनाकि मा-मन अानि का कथन है ि का-प्टर का एक वनक आपकी और मुक्करा मक्कना है या नारानगी जाहिर कर सकता है या आराम कह सकता है कि घर जाण नीर काम का ठान रह भरकर नाए अथवा वह स्वय प्रपका काम नरने म सचनता कर क्कना है। हो सकता है कि वह आपको परशानिदा का कारण स्पष्ट कर अथवा अपस कह दे कि काम छााने दायिए या ल जाण। माठन क मदस्था क य विभिन्न व्यवहार उनकी व्यक्तित्ता राचया अनुभवा एव मूया पर निर्भर क्त है। ंस क्षेत्र म किनी प्रकार क नियत्रण प्रभावशाली न्ता जा सकता। ंस क्षेत्र को औपचारिक नियत्रण का क्षेत्र कह न्ता है।

औपचारिक तथा औपचारिक नियत्रण क अन्तरसंगठनीय स्तकित्तमा के अन्वयन स जाना जा सकता है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का व स्तकित्तमाए संगठन क प्रान्तव क सधप स घनिष्ट रूप म सम्बन्धित रहता है। व्यवस्थापिका कायपालिका न्यायपालिका या अिन समूह (Interest Groups) अवसरा और अस्तिव की शनों का प्रभावित करन वान सम्भू ननी है। तब तक कमचारियों

की आकांक्षाओं को कुछ मात्रा में और सन्तोष नहीं दिया जाता तब तक प्रबंध की यत्नायागी का विरोध नैमी और वे नियंत्रण की परिधि को स्वीकार नहीं करते। एक संगठन के कमचारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए यह बहुत कुछ उस समाज की परम्पराओं द्वारा निर्दिष्ट होता है। इस प्रकार समाज के संस्थागत ऋणों द्वारा यह निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रशासकीय नियमों में सही और उचित क्या है।

समाज की परम्पराओं के प्रतिरिक्त संगठन के सदस्यों का स्वयं का व्यक्तित्व मन्त्रवर्ण रूप से उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। परिस्थितिजन्य आवश्यकताएँ भी शक्ति के व्यवहार परिवर्तन में मन्त्रवर्ण भाग लेती हैं। नियंत्रण के स्वरूप के सम्बन्ध में रॉबर्ट ड्युबिन (Robert Dubin) ने लिखा है कि संगठन में नियंत्रण के दो प्रमुख क्षितिज (Dimensions) होते हैं। प्रथम हम नियंत्रण को स्तर सम्बन्धी (Standards) विकासशील व्यवस्था की ऐसी प्रक्रिया मान सकते हैं जो संगठन के विकास का निर्देशन करती है। दूसरे नियंत्रण को हम ऐसी व्यवस्था मान सकते हैं जो संगठन के व्यवहार के स्तरों को नियंत्रित करती है। मक्षप में यह कहा जा सकता है कि नियंत्रण के स्वरूप के मुख्य रूप से दो पहलू हैं—प्रथम यह एक मापन है जिसके द्वारा मन्त्रवर्ण का ज्ञात जाता है कि उनसे क्या आशा की जा रही है। द्वितीय यह एक साधन है जिसके द्वारा सन्धियों से वे कराया जाता है जिसे उस आशा की जाती है। नियंत्रण द्वारा संगठन में समन्वय स्थापित किया जाता है उसके कार्यों में एकरूपता नहीं जाती है तथा समस्त प्रक्रियाओं को सत्य की ओर संचालित किया जाता है। एक प्रभावशाली नियंत्रण की व्यवस्था संगठन के कार्यों को साथ ही एक सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। नियंत्रण का अभाव संगठन के सन्धियों में स्वैच्छाचरिता की भावना का विकास कर उनको पथभ्रष्ट बना देता है। किसी भी संगठन में नियंत्रण की स्थापना के लिए मन्त्रवर्ण व्यवस्था आन्तक की एकता सत्ता और उत्तरदायित्व का निर्दिष्ट रूप आदि बातें अनिवार्य होती हैं।

समन्वय की संपूर्ण विवचना से प्रकट है कि प्रबंध की सफलता के लिए प्रभावपूर्ण समन्वय का होना आवश्यक है—तभी उपक्रम की कुशल में वृद्धि होगी कमचारियों का मनोबल ऊँचा उठेगा, सम्बन्धित नृत्ता के प्रति अधिकारी और कमचारियों में मन्त्रवर्ण प्रदर्शित करेंगे अधिकारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र का ज्ञान होगा और वे दूरगक के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप में बचेंगे कमचारी अपनी कर्तव्य शक्ति से सतत उत्कृष्ट रहेंगे तथा निरन्तर शीघ्रता से होगा उपक्रम के प्रति कमचारियों में विश्वास बना रहेगा तथा आकस्मिक कठिनायियों और समस्याओं का तत्परता से समाधान किया जा सकेगा। अध्याय का समापन हम नक्षीदत्त ठाकुर के न शक्ति में करना चाहें कि—

‘सामजस्य (समन्वय) की विवेचना इस बात का बनवानी है कि समस्त संगठन अपने कार्यों में नस्ब की दृष्टि में सम्बद्ध होकर कार्य करें दूसरे शब्दों में सामजस्य के द्वारा यह प्रयत्न किया जाता है कि संगठन अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ बिना किसी बर्बाती के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। सामजस्य (समन्वय) की विवेचना में यह आवश्यक है कि हम सामजस्य का ही लक्ष्य न मान लें सामजस्य हमेशा ही एक साधन है यह लक्ष्य नहीं हो सकता किन्तु व्यावहारिक प्रशासन में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें सामजस्य ही नया यत्न होता है जिसका परिणाम यह होता है कि वह सवा अपने सवा क कार्यों में कम योगदान देती है सामजस्य क कार्यों में हा अधिक समय लगती है दफ्तरो में व्यवहार की ऐसी प्रक्रिया और कागजी कार्यवाही का तरीका विकसित हो जाता है कि यदि व चाहे हा सारा समय व्यवहार पद्धति और कागजी कार्यवाही में ही लगा सकता है। इस ही प्रसंग में यह कहा जाता है कि लक्ष्य सवा ही हाणा चाहिए न कि सामजस्य लक्ष्य हो और उसके लिए दौलती हुई फाइलें और व्यवहार पद्धति की जटिलता।

सम्प्रपण अथवा सदेशवाहन (Communication)

सम्प्रपण अथवा सूचार की उचित व्यवस्थाओं के अभाव में कोई भी संगठन कार्य नहीं कर सकता और यदि संगठन अपने स्वरूप में अत्यधिक विस्तृत हो तब तो यह अनिवार्य नहीं जाता है कि उसके संचालन अथवा नियंत्रण के स्तर पर कार्य की प्रगत से सम्बन्धित पर्याप्त सूचनाएँ निश्चित समय पर मिलती रहें। सुप्रपण अथवा सूचार को प्रशासन का प्रथम सिद्धांत माना जाता है। मिण्ट (Millet) ने इस प्रशासकीय संगठन की रचनाधारा और लिफनर (Piffiner) ने प्रचार का हृदय कहा है। संगठन में अन्तर्गत संचयन और समन्वय या समयोजन (Co-ordination) का प्राप्ति के लिए सम्प्रपण व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है। प्रभावशाली सम्प्रपण व्यवस्था के बिना किसी भी संगठन या अभिकरण के उद्देश्य की सफलता संभव नहीं रहती है। मोटे रूप में सम्प्रपण व्यवस्था से अभिप्राय है—प्रशासन के विभिन्न स्तरों के बीच सम्पर्क और प्रशासन तथा जनता के बीच सम्पर्क। यह एक जानी मानी बात है कि यदि सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों के यत्न और उद्देश्य से अपनी भाँति परिचित होगता है तो न केवल अपने कार्य की सावधानी अधिक समझ सकेंगे बल्कि कार्य का सम्पादन भी अधिक निष्ठा के साथ करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि अधिकारियों को कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त होगता है तो उनके सहयोग के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक अच्छे ढंग से कर सकेंगे। आज के लोकशासन युग में प्रशासन और जनता के बीच सम्पर्क रहना भी आवश्यक है। यदि प्रशासन जनता से अलग होगता है तो तात्कालिक व्यवस्थाओं में सरकारी विभागों में सचना प्रचार के जन सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। आज लगभग सभी सम्प्रपणों में सचना प्रकाशन और लोक सम्पर्क विभाग स्थापित कर लिए हैं। प्रवचन सम्बन्धी सांस्कृतिक सम्प्रपण विषयक तालों से परिपण हैं। वर्तमान आज का यह सम्प्रपण या संचार व्यवस्था का युग है। संचार व्यवस्था के कारण ही आज प्रौढ दर्जे के ग्रामीण भी अपनी सरकार और अपने पड़ोसियों के अधिक निकट हैं तथा वह अपने चारा और के जीवन से अधिक

एकरूपता अनुभव करना है। सन्धार साधनों के बन् पर ना अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र म हम एक विश्व (One World) की निशा म ही अग्रसर हो रह है। सन्धार को आज अत्यधिक महत्त्व प्राप्त हो चुका है और सन्धार-नीशल के विकास क लिंग विशिष्ट सन्धार कायशास्त्रो तथा विभिन्न प्रशिक्षण कायन्मा का आयाजन किया ज ता है। मनुक्तराय अमरिका इस निशा म अग्रणी है।

सम्प्रपण का अर्थ

(The Meaning of Communication)

सम्प्रपण-अवस्था का आशय सूचना या सन्देश भेजन की अवस्था मान ली है। नीच प्रशासन के सम्बन्ध म इसका अर्थ अधिक व्यापक है तथा प्रशासन के विभिन्न स्तरा क बीच विचार विमना एव मिल जुनकर काम करना वसका परिधि म समाविष्ट है। सम्प्रपण के मून म यह विचार निहित है कि 'यक्ति समस्याका पर परस्पर मिल जुनकर विचार करें और एक दूसरे के दृष्टिकोण का समझकर मामज्म्यपूर्ण ढंग स अपन क्तव्या का निवहन करें ताकि व नय प्राप्ति की दिशा म सुगमतापूर्वक बढ सकें। वसलिए सम्प्रपण की परिभाषा समझ-बूझ (Understanding) के रूप म दी जा सकती है। मिलट (Millet) न सम्प्रपण को किसी साझ क प्रयोजन की साझ समझ¹ (Shared understanding of a shared purpose) क रूप म परिभाषित किया है और टीन् (Teed) न भी वसी प्रकार का विचार प्रकट करत हुए लिखा है कि सम्प्रपण का मूल लक्ष्य समान विषया पर मस्तिष्का म मल स्थापित करना (A Meeting of mind on common issue) है।² साइमन न लिखा है कि सूचना के रूप म सम्प्रपण को किसी भी एसी प्रक्रिया के रूप म परिभाषित किया जा सकता है जिसक द्वारा निराणो को सगठन के एक सन्स्य से दूसरे सन्स्य तक पन्चाया जा सके।

प्रत्येक सगठन म सम्प्रपण अवस्था एक दुतरफा यातायात (Two way Traffic) क समान होती है अर्थात् उच्च अधिकारी अपन निरुणों का अधीनस्थ कमचारियो तक आदेशो निर्देशा आदि द्वारा पहुचाते हैं और सा प्रकार अधीनस्थ कमचारियो से उन्ह प्रत्येक परिस्थिति तथ्य और सूचना की प्रप्ति होती रहती³। बिना तथ्या आँकड़ो और सूचनाआ की समुचित जानकारी क उच्चाधिकारी प्रभावी निराण नही ल सकत। इस प्रकार सम्प्रपण ऊपर स नीच तथा नीच स ऊपर ढानो दिशाआ म होना है—अथानु आदेश और निर्देश ऊपर स नीच आत ह जबकि तथ्य और आँकड़ नीच से ऊपर जात हैं। सम्प्रपण समवर्ती धरातन पर भी होता रहता है। सम्प्रपण अथवा सन्धार के इस प्रकार के वर्गीकरण को डा अन्वुष्ठी एव मन्श्वरी ने निम्न प्रकार स्पष्ट किया है—

¹ Millet op cit p 84

किसी सगठन में संचार आंतरिक, बाह्य तथा अन्तर्व्यक्तिक (Inter personal) होता है। प्रथम अर्थात् आंतरिक संचार का सम्बन्ध सगठन तथा कर्मचारियों के मध्य के सम्बन्धों से होता है। द्वितीय अर्थात् बाह्य संचार का सम्बन्ध जनता और सगठन के अधिकरणों के सम्बन्धों से होता है और इसे लोक सम्बन्ध कहते हैं। तृतीय अर्थात् अंत व्यक्ति संचार का सम्बन्ध अधिकरण के कर्मचारियों के अपने अपने के ही अन्तसम्बन्धों से होता है। संचार का तीनों वर्गों उच्च (Up) अर्धो (Down) तथा अर्धोपाध्व (Across) में भी वर्गीकृत किया गया है। उच्च संचार पानन तथा प्रगति के विषय में लिखित मौखिक तथा दबस्थित प्रतिवेदन की रीतियाँ से प्राप्त होता है, काय के सम्बन्ध में सारियकी तथा गगना सम्बन्धी प्रतिवेदन मागशन सुझावों तथा चर्चाया सम्बन्धी लिखित तथा मौखिक निवेदन किय जाते हैं। इस प्रकार काय की समस्याओं के विषय में सक्ष्य प्राप्त करने के लिये उच्चस्तरीय अधिकारियों को साधन प्राप्त हो जाते हैं। अर्धो संचार निर्देश पुरितिका लिखित या मौखिक विशिष्ट आदेश या अनुदेश कर्मचारी वर्ग के सम्मेलन बजट अनुमानेन तथा स्थापना प्राधिकरण जस साधनों से सम्भव होता है। उचनम तब पर इन उपायों का प्रयोग कवन समादेश तथा नियन्त्रण के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि नीचे के सभी स्तरों एवं कर्मचारियों को अपने रुख तथा विचारों की सूचना देन तथा मागशा माग दशन एवं निर्देशन देन के लिए भी होता है। पाध्व संचार (Across) लिखित या मौखिक सूचना तथा प्रतिवेदन के आदान प्रदान औपचारिक तथा अनौपचारिक व्यक्तिगत सम्बन्धों कर्मचारी वर्ग की बठका तथा सम्बन्ध करन वाली समितियाँ द्वारा सम्भव होता है। सगठन के अन्तग अन्तग किन्तु सम्बन्धित भागों को एक जगह लाना संचार का लक्ष्य होता है।

परम्परागत विचार-सम्प्रपण का सगठन का गौण कार्य समझा जाता था जबकि वर्तमान में सम्प्रपण सगठन का सार हो गया है। सगठन को सम्प्रपण व्यवस्था के रूप में देखने के अनेक कारण हैं यथा—

प्रथम इसके अनुसार सगठन का स्वरूप सक्रिय तथा परिवर्तनशील रहता है। दूसरे इस विचारधारा से यह पुष्ट होता है कि हम किसी समस्या को धुद्धिपूर्वक हल तब कर सकते हैं जब हमारे पास उससे सम्बन्धित सूचनाएँ हों अर्थात् सूचना के अभाव में हम विवेकपूर्वक कार्य करने में असमर्थ रहेंगे।

तीसरे इसके द्वारा ही हम सगठन में सतुलन दृष्टिकोण होता है। सगठन कितना ग्रहण करता है तथा कितना उत्पादन करता है आदि के सम्बुलन का आधार संचार ही है—जिस प्रकार का संचार होगा उसी प्रकार का यह सतुलन भी होगा और उसी के द्वारा उस सगठन की गरिमा भी बनेगी।

चौथे इस दृष्टिकोण से देखने पर ही हम सगठन में शक्ति-संरचना तथा अन्तर्व्यक्तिक सम्बन्धों को समझने का अवसर मिलता है।

सम्प्रपण-व्यवस्था के विषय में साइमन आदि ने एक आ-दा उदाहरण¹ दिया है—द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान ने प्ल हारबर के अमरिका व मानव अण्डे पर अचानक आक्रमण कर बहुत अधिक क्षति पहुँचाई थी। यह क्षति राकी ना मक्की थी अथवा कम की जा सकती थी क्योंकि एक सम्प्रपण ऐसा प्राप्त हुआ था जिसमें सम्भावित आक्रमण की चेतावनी दी गई थी किन्तु इस चेतावनी का उच्च स्तर पर नहीं पहुँचाया जा सका। हमारे आक्रमण के पहले राकार के माध्यम से एक व्यक्ति ने अपरिचित वायुयानों को प्ल हारबर की ओर चला देखा था किन्तु अचानक प्राप्त इस सूचना को हवाई सैन्य निदेशक के पास तक नहीं पहुँचाया जा सका। ये दोनों ही उदाहरण सत्य वस्तु का संचार (सम्प्रपण) व्यवस्था के उचित न होने की ओर संकेत करते हैं यदि सम्प्रपण (संचार व्यवस्था) ठीक होती तो आक्रमण की पूर्व सूचना व अनुसरण किया जाता तो प्ल हारबर की घटना कुछ दूसरे प्रकार की होती। सय प्रशासन में संचार की विस्तृत व्यवस्था को विना रूप से विकसित किया गया है तथा किस प्रकार सूचनाएँ प्राप्त होंगी और उन्हें किस प्रकार भेजा जाएगा आदि तकनीकों का अधिक विस्तार के साथ विकास किया गया है। इस व्यवस्था द्वारा ही सैन्य की गतिविधि उनकी तयारी तथा उनके कमजोर भाग का पता लगात हैं तथा इसी के अनुरूप सय संचालन में महत्वपूर्ण निरायण लिए जाते हैं। दूरा संचार में सञ्जयण का समस्त मय था और उसके कार्य विना उचित संचार संधा और व्यवस्था के असाधारणिक और महत्त्वहीन हो जायेंगे। इसी दृष्टि में मान्यता है कि उस व्यक्ति के लिए जो स्वयं ही निरायण नेता है और स्वयं ही उस निरायण को वायाविन करता है सम्प्रपण की कोई समस्या नहीं परन्तु हम उस सगठन भी नहीं कह सकते।

सम्प्रपण अथवा संचार या सन्देशवाहन की कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर दृष्टिपात करने से हम उसका अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाएगा—

✓ वाहन— सम्प्रपण विचारों तथा भावनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया है—सका उद्देश्य सूचना-पान-कल व्यक्ति से समेक पदा करना है।

एसन यू स ए— सम्प्रपण उन मय बातों का योग है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में समेक उपलब्ध करने की दृष्टि से चाहता है। इसमें वाहन कहने मुझे मय समेकन की एक विधिवत् तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित की जानी है।

कार्टियर एण्ड हारबुड— सम्प्रपण वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ध्यान किसी याददाशन का भार आकर्षित करता है।

1 Simon & others op t p 218

2 Simon Adm st t B b r p 150.

सूचना एवं सूचना के अनुसार— सन्देशवाहन या यात्रा में अधिक व्यक्ति का मध्यम जो, विज्ञान सम्मनियों अथवा भावनाओं का विनिमय है।

देश एवं विचार— सन्देशवाहन शब्दों पत्रों चिह्नों अथवा समाचारों का आदान प्रदान करने का समागमन है और एक प्रकार से यह सगठन के एक संस्थ द्वारा दूसरे व्यक्ति से अथवा समझारों में हिस्सा बंटाना है।

फ़ोन जी मायरा— सन्देशवाहन शब्दों पत्रों अथवा सूचना विचारों सम्मनियों का आदान-प्रदान करने का समागमन है।

कीय वेविस— सन्देशवाहन का प्रक्रिया है जिसमें सन्देश और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है।

पीटरसन एवं प्लीमन— सन्देशवाहन का प्रक्रिया है जिसमें प्रसारण के व समस्त माध्यम सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा विचारों और सूचना या अनुप्ररण को पचाया जाता है तथा उनकी जानकारी व्यक्तिगत एवं व्यक्तिगत के समझ को देती है।

विद्युत् चिह्न— विद्युत् और अक्षर रूप में ज्ञान और अनुमान में प्रसारण की गई भावनाएँ प्रक्रियाएँ द्वारा चलाएँ सम्मिलित रूप में सन्देशवाहन हैं।

सभी परिभाषाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि सम्प्रणय या संचार या सन्देशवाहन एक सन्तु प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति अपने-अपने विचारों, तर्कों अपनी भावनाओं और समितियों आदि का परस्पर विनिमय करता है। इसका उद्देश्य विचारों का प्रसार करना है। यह एक ऐसी युक्ति है एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। इसके लिए सन्देश पत्र चिह्नों अथवा अन्य उपनय माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है।

सम्प्रणय के उद्देश्य

(Objectives of Communication)

सम्प्रणय का प्रधान उद्देश्य किसी व्यक्ति समूह या तथ्य में परिवर्तन करना या प्रतिकूल प्रवृत्तियों को समाप्त करना है। सम्प्रणय के विभिन्न उद्देश्यों को हम इस प्रकार रख सकते हैं—

- (1) आदेशों और निर्देशों का सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सही तथा स्पष्ट हस्तांतरण करना।
- (2) कर्मचारियों को सन्स्था का प्रगति से अवगत रखना।
- (3) विचारों तथा सूचनाओं का स्वतन्त्र आदान प्रदान करना।
- (4) सन्स्था की नीतियाँ योजनाओं और कार्यक्रमों से कर्मचारियों को भली प्रकार अवगत कराना ताकि किसी भी कर्मचारी के समझ सम्बन्धित अधिकारों से तुरन्त सम्पर्क किया जा सके।
- (5) सगठन के कर्मचारियों की विकास सम्बन्धी जानकारी प्रेषित करना।

- (६) सन्धवा क प्रवध म कमचारिया स आवगमन सूचनाए और सुभाव प्राप्त करना ।
- (७) समुचित सचार या सम्प्रपण व्यवस्था क माध्यम स मधुर माननीय सम्बन्धो का निमाण करना ताकि औद्योगिक शान्ती बने रहे ।
- (८) एक निश्चित विचार विवाह कर तथा तयार करना ताकि पत्र धारणाए नही पनप पाए ।
- (९) कमचारियो के आवगमन का कम करना और बच करन का प्रयत्न करना ।
- (१०) कमचारियो की काय के प्रति इच्छा जागृत करना और उनको काय क्षमता म वृद्धि क प्रयान करना ।
- (११) सन्धवा म नवीनीकरण को स्वाकार करन क लिए कमचारिया को तयार करना ।

हाज एव जानमन ने लिखा हे कि सम्प्रपण का मुख्य काय मानाजिक सम्बन्धो को सुगम बनाना हे । प्रभावी सम्प्रपण औद्योगिक सम्बन्ध क क्षेत्र म मुख्य भूमिका का निवाह करता हे । चांमु हे रहफो न ठीक हे लिखा हे कि सम्प्रपण म नवी शक्ति हे कि बह एक संगठन का या तो सुदृढ़ कर सकना हे या प्राय नष्ट कर सकता हे । प्राश्चर्य विकसित दान म ता सम्प्रपण निसो भी संगठन या उद्योग के लिए उपम्भनक तान (Lubricating oil) का काम करता हे ।

सम्प्रपण का संगठन एव क्षेत्र

(Organisation and Scope of Communication)

सम्प्रपण प्रवध क हाया म एक अयन्त प्रभावशाली अथ हे जिसक माध्यम स बह प्रवध का काय कुशलता पूर्वक सम्पन्न करता हे और व्यवसायिक तथा औद्योगिक विकास का माग प्रशस्त करता हे । सम्प्रपण क माध्यम से हा सस्थान नियोजन संगठन समन्वय निर्देशन निषयन नवृत्ति नियंत्रण आदि की क्रियाए सम्पन्न की जाता हे । औद्योगिक जिक स क प्रारम्भिक चरण म चाहे सम्प्रपण का महत्त्व न रहा हो लेकिन आधुनिक समय म इस उपकरण की उपक्षा करन कर अथ सन्धवा को—विशेषकर एक बले सन्धवा को—आमषान का जा ने जाना हे । आज औद्योगिक एव प्रशासनिक क्षेत्र म अधिक तथा अनाधिक क्रियाए म सम्प्रपण का महत्त्व निरन्तर बढ़ता जा रहा हे और फलस्वरूप इमक क्षम का पदापन विकास हुआ हे । सम्प्रपण के विकास का निसस हम वसक क्षम का बाध होता हे अध्ययन हम निम्नलिखित शोधका म कर सकत हे—

(क) एकदो मार्गीय सम्प्रपण (One way Communication)

(ख) दो मार्गीय सम्प्रपण (Two-way Communication)

(ग) त्रि दशा सम्प्रपण (Three dimensional Communication)

क) एकल मार्गीय सम्प्रपण,

(One way Communication)

सूदूर पाश्चीन ज्ञान-सम्प्रपण का क्षेत्र ब्रह्म समाचन था। उस समय औद्योगिक तथा यावसायिक क्षेत्र में सम्प्रपण का स्वरूप केवल उच्च अधिकारिया द्वारा अपने अधीनस्थ कमचारियों को निर्देश देना मात्र था। अधीनस्थों को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने सुभाव शिक्कयते पर वदंग आदि उच्च अधिकारियों तक पत्रचाण। दूसरे ध। स अधीनस्थों का क्या—यह प्रश्न मत कर्गे वरन् कर्गे अर्थात् मरा। उक्ति का अयात् अतन्विक नियन्त्रण पूरा पानन करना प नई था। य एकल मार्गीय सदेशवाहन था। यदि हम मत्शवाहन क या सम्प्रपण के इस रूप की प्रमुख विशेषताओं को देखें तो हम सवा स्वरूप और क्षेत्र भनी प्रकार पष्ट हो जाए।—

1. एकल मार्गीय सम्प्रपण अधिकारियों से अधीनस्थों का प्रेषित किए जात है अर्थात् स दशों और निर्देश का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है।

2. चू कि स दशों नि शो आदि का प्रवाह वततरफा है। है अर्थात् अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर ही होता है अत अधीनस्थों को अपने सुभाव विचार शिक्कयत आदि अधिकारियों तक भेजने का अधिकार नहीं हा।

3. सम्प्रपण के इस स्वरूप में अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का विशेष महत्त्व जाता है और अधीनस्थों का उनका अंश पानन करना जाता है।

4. चू कि अधीनस्थों के साथ अधीनस्थों के अथवा प्रबन्धक मा वीय दृष्टिकोण त। अर्थात् अत कमचारियों में भय का वातावरण बना रहता है। मस्था में कमचारी मनुष्य की भौति नहीं वरन् मशीन की तरह काम करते हैं।

5. ऐसी सम्प्रपण प्रणाली वाली सस्था में कमचारियों में काय के प्रति रधि, उसा और निष्ठा का अभाव पाया जाता है।

चू कि औद्योगिक विकास के प्रारम्भिक चरणों में उत्पादन का काय छोटे पमाने पर किया जाता था और कय प्राय मिन भिन स्थानों पर एक परिवार के मुखिया की देखरेख में परी वर के ही विभिन्न सन्स्थों द्वारा कर लिया जाता था अत एकल मार्गीय सम्प्रपण ही प्रभावी था। काय के सम्बन्ध में परिवार के सन्स्थों को मुखिया स ही आदेश मिनते थे लेकिन या या औद्योगिक विकास होता गया एक ही सस्था में विभिन्न परिवारों और क्षत्रों के सकडा नाग काम करन एक सम्प्रपण का एकल मार्गीय प्रणाली का महत्त्व कम हो गया।

ख) द्वि मार्गीय सम्प्रपण

(Two-way Communication)

औद्योगिक विकास के साथ-साथ उत्पादन के पमाने में वृद्धि होने से सम्प्रपण के क्षेत्र की भी विस्तार हुआ। यह अनुभव किया जाने गया कि वच उद्योगों में कर्गी

पहो पयाप्त नहीं ह कि उच्चाधिकारी ही अधीनस्थो को अदेश या निर्देश प्रेषित करे वरन् यह भी आवश्यक है कि वे अधीनस्थो से आवश्यक सुझावो का स्वागत करें और उनकी शिकायतो परिवर्तनाग्रा प्रतियोग्रा आदि मे परिचित हो । दूनरे धाना मे दुतरफा सम्प्रपण ध्यवस्था जरूरी समझी जान गयी है । फनस्वरूप दुतरफा या द्वि मार्गीय सम्प्रपण का विकास हुआ । सम्प्रपण का यन् रूप ही वनमान समय म अधिक प्रचलित है ।

नि मार्गीय सम्प्रपण की कुछ प्रमुख बिशपताए वस प्रकार हैं—

1/ आदेश और निर्देश अधिकारिया को अधीनस्थो को प्रेषित किए जात है अर्थात् उनका प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर हाता है ।

2/ साथ ही अधीनस्थ भी अपन सुझाव, शिकायतें प्रतिनियाए आदि उच्चाधिकारिया को भेजत हैं ।

3/ यद्यपि इस ध्यवस्था म भी एकल मार्गीय सम्प्रपण की भांति आदेशो और निर्देशो का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है लेकिन अधीनस्था द्वारा उनका समरप पालन उनना वाध्यकारी नती होना है वर्याकि अधीनस्थ अप रचनात्मक सुझाव भज सकते हैं अत आदेशो और निर्देशो म पवित्रतन सम्भव हाता है ।

4/ अधीनस्थो के सुझावो और विचारो पर ध्यान दिया जाता है और कार्य के प्रति उत्साह जाग्रत कर उनकी कार्यक्षमता म अद्वि क प्रयास किय जात हैं ।

5/ नि मार्गीय सम्प्रपण ध्यवस्था म अधीनस्थो के साथ मानवाय दृष्टिकोण अपनाया जाता है । उनकी शिकायता और कठिनाइया पर ध्यान दिया जाना है तथा उनका निराकरण किया जाता है । वस प्रकार मानव सम्बध दृष्टिकोण पर समुचित बल दिया जाना है तथा उनका निराकरण किया जाता है । कमचारी सम्या म बवल मशी ी पुर्जे का तरह नही बकि मनुष्य की तरह काम करते ह ।

6/ कमचारिया म भय का वातावरण नती रहता । वे एक एम स्वतंत्र वातावरण म काम करते है जहाँ अधिकारी उनक सुभावा और शिकायता को ध्यान पूर्वक सुनने को और वे अधिकारिया क उचित आदेश निर्देशो का मानन का तगर रहत ह ।

7/ यह सम्प्रपण ध्यवस्था प्रजासनीय है जिमसे कमचारिया म कार्य के प्रति रुचि उत्साह और निष्ठा का भाव बना रहता है ।

इससे त्रि दण्ड सम्प्रपण

(Three-dimensional Communication)

आज के तक-क-साधकारो तग औद्योगिक युग म नि मार्गीय सम्प्रपण तो लगभग अनिवाय हो गया है पर साथ ही त्रि दण्ड सम्प्रपण का अभी विकास ही रहा है । प्रवध के क्षेत्र म नए अनुसंधान हुए है और प्रवधकाय तकनीकी म आमून बल परिवर्तन आ गय है । आज यह स्वीकार किया जान गया है कि केवल

अधिकारिया और अधीनस्था के मध्य सम्प्रण की पर्याप्त नहीं है। किन्तु सस्था में विभिन्न विभागों में कार्यरत व्यक्तियों के बीच विचारों के समागमन के साथ साथ सस्था के बाहर के विभिन्न वर्गों तथा सरकार से भी सम्प्रण का आदान प्रदान आवश्यक है। इस प्रकार त्रि-पक्षीय सम्प्रण प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्प्रण सम्मिलित हैं—

- (i) इण्टर-स्केलर सम्प्रण (Inter-scaler Communication)
- (ii) इंट्रा-स्केलर सम्प्रण (Intra-scaler Communication)
- (iii) संगठनोत्तर सम्प्रण (Extra organisational Communication)

(i) इण्टर-स्केलर सम्प्रण—सम्प्रण की प्रक्रिया में एक सस्था के अलग अलग स्तरों के अधिकारियों के बीच सन्देशों का आवागमन या आदान प्रदान होता है। उदाहरणार्थ जनरल मनेजर विभागीय मनेजर और सुपरवाइजर तक आदेशों निर्देशों सूचों आदि का सम्प्रण होता है और सुपरवाइजर से क्रमशः विभागीय मनेजर तथा जनरल मनेजर तक सुझावों शिकायतों विचार आदि भेजे जाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी प्रतिष्ठान के एक कार्यालय अधिकारियों और श्रमिकों के बीच सन्देशों का सम्प्रण होता है तो यह इण्टर-स्केलर सम्प्रण कहल गया। वास्तव में इस व्यवस्था में दो भिन्न स्तरों के अधिकारियों में अथवा कमचारियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान होता है।

(ii) इंट्रा-स्केलर सम्प्रण—सम्प्रण की इस प्रक्रिया में सन्देश का आदान प्रदान समान स्तर के अधिकारियों अथवा कमचारियों के मध्य होता है। इस सम्प्रण का एक नाम 'क्रॉस-कॉन्टैक्ट सम्प्रण' (Cross Contact Communication) भी रखा है। दैनिक कार्यालयों में प्रायः इस प्रकार का सम्प्रण बहुत प्रचलित है। निरन्तर एक विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने ही समकक्ष दूसरे विभाग के अधिकारियों में परामर्श चलता रहता है जिसमें अनेक समस्याएँ तुरन्त समझ ममय पर सुझावों रहती हैं और विभिन्न विभागों के बीच कटुता उत्पन्न नहीं हो पाती या प्रतिस्पर्धी वातावरण नहीं बन पाता। इंट्रा-स्केलर सम्प्रण से प्रवर्धनीय क्षमता का विकास होता है। यह प्रणाली आपसी समझ में वृद्धि करती है मजबूत एकता का प्रभावित करती है मनोबल बढ़ाती है और अनुपूर्वक सूचनाएँ उपलब्ध कराती है। किन्तु इसमें एक खतरा भी है। यदि इंट्रा-स्केलर सम्प्रण प्रक्रिया को अत्यधिक महत्त्व दिया गया और सामान्य जितनी अपेक्षाएँ विशिष्ट स्तर के प्रवर्धक वर्ग के जितनी बनीं प्रयुक्त किया गया तो यह सस्था का कमजोर बना देती है।

(iii) संगठनोत्तर सम्प्रण—सम्प्रण की इस प्रक्रिया में सस्था के अधिकारियों और बाहर के व्यक्तियों के मध्य सन्देशों विचारों का आदान प्रदान होता है। एक सस्था के अधिकारियों सरकार उपभाक्ता नम-संघ आदि का अपने सम्पर्क सम्बन्ध या विचार प्रेषित करते हैं और दूसरी ओर से भी ऐसा ही किया

जाता है। इस प्रकार के सम्प्रेषण में अधिकारियों का सरना व सम्बन्ध में बाहरी व्यक्तियों या संस्थाओं से सम्बन्धपूर्ण सूचनाएँ मिलती रहती हैं।

स्पष्ट है कि सम्प्रेषण का क्षेत्र अधिकारिक व्यापक होता जा रहा है। यह संस्था के उच्चाधिकारियों और कमचारियों के बीच या संस्था के विभिन्न समस्त अधिकारियों के बीच या अधिकारियों या कमचारियों के बीच ही नहीं रहा है बल्कि संस्था के अधिकारियों और संस्था के बाहर के व्यक्तियों के बीच होन लगे गये हैं। वास्तव में उद्योग अथवा व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान होन रहने पर स्वाभाविक है कि औद्योगिक या प्रावधानिक सम्प्रेषण का भव भी होगा। यह अवश्य है कि इसकी उपयोगिता और साधकता इस बात पर निर्भर है कि यह कहाँ तक प्रभावी रूप में सम्पन्न होता है।

सम्प्रेषण के माध्यम (Media of Communication)

सम्प्रेषण अनेक माध्यमों द्वारा सम्भव है जिन्हें तीन मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

(क) श्रवण (Audial) अर्थात् सुनना—इस माध्यम के उपयोग में सम्मेलन समितियों, मासिकार, टेलीफोन, रेडियो प्रसार जनसभाएँ आदि।

(ख) दृश्य (Visual) अर्थात् देखना—यस माध्यम के अन्तर्गत लिखित सम्प्रेषण तथा—परिपत्र, पुस्तिकाएँ, प्रतिवेदन, विवरणिका, चित्रण आदि तथा चित्रण (फोटो पाम्पर, गतिचित्र, भण्ड, स्लाइडस आदि) सम्मिलित हैं।

(ग) दृश्य-श्रवण (Audio visuals) अर्थात् दृश्य और सुनना दोनों—इस माध्यम के उपयोग में चलन चित्र, दूरदर्शन, यन्त्रिय प्रदान आदि हैं।

उपरोक्त तीनों में प्रत्येक माध्यम के अपने-अपने गुण हैं तथा अपनी अपनी सीमाएँ हैं। यह प्रश्न अथवा निष्पत्ति पर निर्भर है कि वह किस बात का निराकरण करे कि कब कौनसा सम्प्रेषण माध्यम उपयुक्त होगा। आजकल शारीरिक और प्रशासनिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सम्प्रेषण का प्राप्ति करने के लिए सम्मेलन प्रणाली (Conference Method) का प्रयोग बढ़ रहा है। यह प्रयोग अधिक लाक्षणिक इसलिए है कि वह कदापि कम दिन-में नहीं होता परन्तु व्यवहार में भी कम होता है और लागत-शास्त्री नहीं पसन्द पाती। मिलते न सम्मेलन प्रणाली के महत्त्वपूर्ण उपयोग का उल्लेख किया है यथा—(1) समस्या-सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना (2) समस्या के समाधान में सहायता मिलाना (3) निराकरण की स्वीकृति और निष्पत्ति का सुगमता (4) संगठन में काम करने वाले अधिकारियों में एकता की भावना का प्राप्ति (5) कमचारी वर्ग के मूल्यांकन में सुविधा एवं (6) प्रशासनिक कमचारियों में सूचना का प्राप्ति प्रणाली का सुगमतापूर्वक प्राप्ति देना। सम्मेलन प्रणाली का एक मुख्य लाभ यह है कि कम लागत में

काफी रुचि बत जाती है। समझ के मन्स्य सम्मेलन में परी तरह और सामान्य रूप से भाग ले सकते हैं जिससे उनको पारस्परिक सफ़रता के प्रति समुचित सन्तोष होता है और परिणामों का संगठन के सभी मन्स्य सह्य स्वीकार कर लेते हैं। सम्मेलन प्रणाली के फलस्वरूप सामूहिक साहस का विकास होता है और अनौपचारिक सम्बन्धों का विस्तार होता है किन्तु सम्मेलन प्रणाली की अपनी सीमाएँ भी हैं। अनुमान समिति (नीचा प्रतिवेदन) के मतानुसार सम्मेलन में काफी वृद्धि हुई है। कभी कभी ता ये कितने दुरुह हो जाते हैं कि उनमें भाग लेने वाले अधिकारियों के लिए सम्बन्धित विषय वस्तु के साथ परा ध्यान करना असम्भव हो जाता है और व्यवहार में चर्चा तथा टिप्पणी लिखने के कार्यों में कमी होने के साथ ही कभी कभी ता पत्र व्यवहार काफी लम्बे समय तक चलते रहते हैं क्योंकि सम्बन्धित विषय पर प्रकट विभिन्न दृष्टिकोणों की टिप्पणी करनी पड़ती है उह सुधारना पड़ता है तथा उनका समाधान करना पड़ता है। इसीलिए सबसम्मत विवरण तयार करने में विलम्ब हो जाता है तथा कभी कभी ता चर्चाएँ अछूरी रह जाने के कारण अगले दिन सम्मेलन बुलाना आवश्यक हो जाता है। कभी-कभी एक ही अधिकारी का एक ही दिन में एक से अधिक सम्मेलनों में भाग लेना पड़ता है और ऐसी दशा में वह प्रत्येक सभा के लिए परी तयार नही कर पाता। परिणाम यह होता है कि वह चर्चाएँ में पूरा योग्य नही दे पाता। मन्स्य में सम्मेलन प्रणाली नस्त्रिया (मिगिला) पर नोट लिखने की मन प्रक्रिया की अपन्या अधिक व्यापक सिद्ध हो रही है।

सम्प्रपण की प्रभावशालिता को बढ़ाने वाले तत्त्व

किसी भी विशाल संगठन में सम्प्रपण की प्रभावशीलता बढ़ाना एक कठिन काम है। इस दृष्टि से निम्नलिखित तत्त्वों की उपस्थिति आवश्यक है—

1/ सम्प्रपण यथासम्भव स्पष्ट और सभी आवश्यक बातों से युक्त होना चाहिए—सम्प्रपण अथवा संचार की शान्तवली का विस्तृत जाना आवश्यक है। मन्स्यपूष शान्तियों को बार बार दोहरा देना तथा महत्वपूर्ण आदेशों और निर्देशों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें व्यक्त करना भी सम्प्रपण की सफलता का चातक है।

2/ सम्प्रपण की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है कि उच्चधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच द्विचर की एकलपना कायम रह ताकि अधिकारियों का कमचारियों पर विश्वास रहे और कमचारी अपने कार्यों में रुचि लें।

3/ सूचना पर्याप्त हो, अछूरी नही अथात् उम इस ढंग से प्रेषित किया जाए कि उसका अभिप्राय एकदम स्पष्ट हो जाए। सूचना का कोई अंश ऐसा नही होना चाहिए जिस पर धक्कर कमचारियों के मन में प्रश्न उठते रहें और उनका

समाधान न हो पाए। बात स्पष्ट, विस्तारपूर्वक और आवश्यकतानुसार नप-चुने शब्दों में ही कही जानी चाहिए।

✓ सूचना यथासमय अर्थात् सही समय पर दी जानी चाहिए। अधिकारियों को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस मौक पर क्या आदेश देना उपयुक्त है। प्रत्येक संगठन का कर्तव्य है कि वह कार्यकुशलता बढान के आशय से जो भी निर्देश दे उह कमचारियों तक पहुचान में विनम्ब न हों।

✓ सम्प्रपण देने से पूव संचार या सम्प्रपण प्राप्तकर्ता का यदि अधिकारी पहले से हों अपने विश्वास में लें तो सम्प्रपण की प्रभावशीलता बढ जाना सम्भव है।

✓ सम्प्रपण की स्वाभाविकता इस बात पर भी निर्भर है कि समय समय पर यह पता लगाया जाए कि अधीनस्थ कमचारियों पर संचार का कितना प्रभाव पडा है अथवा वे संचार का किस सीमा तक समझ सके हैं।

मिनेट ने सम्प्रपण को प्रभावशाली बनाने वाले तत्त्वों का उल्लेख किया है—(1) संचार स्पष्ट हो (2) प्राप्तकर्ता की प्रत्याशा के अनुरूप हो (3) समुचित हो, (4) समयानुसार हो (5) एक जगह हो (6) लोचदार हों एवं (7) स्वीकार्य हों। ट्रेरी ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन आठ बातों की सिफारिश की है उन्हें डा. अवस्थी एवं महेश्वरी ने इन शब्दों में गिनाया है—

- (1) स्वयं पूरा जानकारी हासिल कर लीजिए
- (2) परस्पर विश्वास स्थापित कीजिए
- (3) अनुभव का कोई एक जगह आधार खोज लीजिए
- (4) प्रसाद का ध्यान रखिए
- (5) उदाहरण तथा दृश्य साधनों को काम में लाइए एवं
- (6) विनम्बकारी प्रतिक्रियाओं को व्यवहार में न लाइए।

सम्प्रपण की कठिनाइयाँ या उसकी प्रभावशीलता को घटाने वाले तत्त्व

सम्प्रपण के माग में अनक कठिनाईयाँ और अवरोध हैं। वास्तव में जो तत्त्व सम्प्रपण के प्रभाव में वृद्धि करते हैं यदि उनका प्रयोग न किया जाए तो सम्प्रपण का प्रभाव घटने लगता है। सम्प्रपण के प्रभाव को घटाने वाले तत्त्व मुख्यतः इस प्रकार हैं—

✓ भाषा की अस्पष्टता असंगति और जटिलता हादिकारक है। शब्दों के संचार से सम्प्रपण अर्थात् संचार कठिन हो जाता है। कितनी बार अच्छे से अच्छे शब्दों भी विचारों को समुचित रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते। डा. अवस्थी एवं महेश्वरी के अनुसार विशिष्टीकरण न, जो आधुनिक शासन की विशेषता है

अ नी एक अलग निरर्थक शब्दों को विकसित करती है जो संचार का निरासन करती है।

2/ पिफनर ने सद्धान्तिक बाधाओं का उल्लेख किया है। उनमें ही शब्दों में- पृष्ठभूमि शिक्षा और प्रयासों में अंतर होने के कारण सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों में भी अंतर आ जाता है। सम्भवतः प्रभावशाली सम्प्रणालय सबसे बड़ी बाधाएँ हैं जिन्हें पार करना सबसे कठिन है।

3/ संगठन में विभिन्न व्यक्तियों की पद प्रतिष्ठा तथा उनकी वारिष्क पृष्ठभूमि भी सम्प्रणालय में अबाध उपलब्ध करती है। प्रायः देखा गया है कि उच्चधिकारी अपनी प्रतिष्ठा का अर्थ जिस रूप में समझते हैं वह सम्प्रणालय के लिए कई बार नकारक सिद्ध होती है। जो अधिकारी जरा सी बात पर नाराज होकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के प्रयत्न करते हैं उनमें अधीनस्थ प्रायः डरते रहते हैं और ऐसा प्रयत्न करते हैं कि वे उन अधिकारियों के मामले जितना कम आए उतना ही अच्छा है। ऐसे अधिकारियों का व्यक्तिव संगठन में सामान्यतया स्पर्श सम्बन्धों को विकसित नहीं होने देता।

4/ सम्प्रणालय की प्रभावशीलता के माध्यम में एक अर्थ बाधा पद पोषण सिद्धतक प्रदुसार विभिन्न स्तरों की है। अधीनस्थ अधिकारियों और अधीनस्थ कमचारियों के बीच सम्प्रणालय प्रवस्था अनेक स्तरों में से होकर गुजरती है। इन विभिन्न स्तरों पर संचार सम्प्रणालय भाषा के विभिन्न अर्थ लगाए जा सकते हैं जिससे सम्प्रणालय के अर्थ के बारे में भ्रम उपलब्ध होते हैं और कभी कभी कमचारी वेग अपने उच्चधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के अनुकूल अर्थ लगाते हैं। सुइसन आदि का कहना है कि— सम्प्रणालय को अनेक कारणों से प्रसन्न करने वाली बातों की अपर संचारित कर दिया जाता है मूलतया से सम्बन्धित सूचनाओं को नहीं भेजा जाता।

5/ संगठन का आकार और विशिष्टीकरण भी सम्प्रणालय के सामान्य प्रवाह में रुकावट डालते हैं। संगठन का आकार जितना अधिक विस्तृत होगा उतनी ही अधिक कमचारियों को सम्बद्ध करने की आवश्यकता होगी। इसके पत्रस्वरूप सम्प्रणालय प्रवस्था का जाल और अधिक जटिल हो जाएगा। विशिष्टीकरण की बाधा भी कम नहीं है। यह बाधा किस प्रकार सम्प्रणालय प्रवस्था को प्रभावित करती है इसे स्पष्ट करते हुए जोफ प्रशासन के एक विद्वान ने लिखा है कि संगठन की विभिन्न शाखाओं के आपसी सम्बन्ध और उनमें सूचना संचार उनकी अपनी विशिष्टता के कारण प्रायः समुचित रूप में ही हो पाता है लाइन की कार्य प्रायः संगठन के वाद्यतम के क्रिया-व्ययन से सम्बन्ध रखती है। यही प्रकार स्टाफ की कार्य तथा स्टाफ के व्यक्ति विशेष कार्य के लिए रहते हैं। प्रायः स्टाफ की बातों को जो अपने विशिष्ट नान के कारण ही स्टाफ की सहायता प्राप्त करता है उनके विशिष्ट नान के

स दम में ही समझा जा सकता है। इस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान ज्ञान के पास रहना आवश्यक नहीं है अतः स्टाफ की शारीरिक अभिवृत्तियाँ को उसी अर्थ में ग्रहण किया जा सकता है यह सत्य रहता है। इससे अतिरिक्त विशिष्ट ज्ञान जहाँ भा हो वह समझाने का दायर को सीमित करता है क्योंकि उसे समझने में अपना विशिष्ट ज्ञान का ही आधार माना जाता है विशिष्ट ज्ञान के दायरे से बाहर निकलकर समझने की योग्यता और प्रवृत्ति बहुत कम जागती है। इसका परिणाम है कि एक ही तथ्य को विभिन्न अर्थों में ग्रहण किया जाता है। साइमन आन्टि ने इस प्रसंग में एक अच्छा उदाहरण दिया है— यदि कहीं पर किशोर अपराध की समस्या अधिक हो जाती है तो पुलिस के अधिकारी का निष्कर्ष होगा कि निरीक्षण के कार्य में पुलिस की मरुया और अधिक बतानी चाहिए मनोरंजन विभाग का निष्कर्ष होगा कि यह तथ्य किशोरा के लिए अधिक विस्तृत कार्यक्रम रखने की आवश्यकता का सूचक है समाज कल्याण विभाग का निष्कर्ष होगा कि अशुभस्थित घर के बालकों की अधिक देख रेख की आवश्यकता है इनके अतिरिक्त पुलिस विभाग जब तक इस समस्या के प्रति अधिक जागरूक होकर नहीं सोचगा तब तक यह भी संभव है कि वह इसकी सूचना अर्थ विभागों को न भेजे।

8/ सम्प्रपण में एक अवरोध सम्प्रपण अर्थात् संचार करने की दृष्टि की कमो है। कुछ प्रबंधकों का विश्वास ही नहीं करना कि प्रशासन भी कार्यकारी प्रयत्न और सामूहिक प्रयास है। वे अपने अधीनस्थों के साथ विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझते। नाच की ओर से आन वाल संचार का न वे पसन्द करते हैं और न प्रोत्साहित करते हैं। भागीदारी प्रबंध उनके योग्य वस्तु नहीं है।

7/ सम्प्रपण के माध्यम में एक बड़ी बाधा स्थाना की दूरी है। यद्यपि तार फोन आदि द्वारा संचार भेजा जा सकता है तथापि कुछ भौगोलिक दूरियाँ हैं जहाँ सम्प्रपण (संचार व्यवस्था) सघन पर्याप्त नहीं है।

8/ यदि उच्च प्रशासनिक समय समय पर अपनी सम्प्रपण व्यवस्था की जांच न करे और उसमें आवश्यक सुधारों के प्रति उदासीन रहे तो भी सम्प्रपण (संचार) को प्रभावशाली बनाए रखना कठिन है। सम्प्रपण व्यवस्था के अनेक परिणाम प्राप्त करने नहीं निकलते कि उच्च अधिकारी यह सोचते हैं कि अधीनस्थ कमचारियों का आदेश प्रसारित करने मान में ही उसका काम पूरा हो जाएगा। आदेशों को जिया वयन के प्रति वे जागरूक नहीं रहते और न ही उनके लिए अपने अधीनस्थ कमचारियों को प्रोत्साहित करने में रुचि लेते हैं। काम कम बात अधिक—यह उनका मिथ्या तर्क होता है।

सम्प्रपण व्यवस्था की इन बाधाओं को समुचित सुविधा और प्रयासों द्वारा मिटाया अथवा बहुत कुछ कम किया जा सकता है। सम्प्रपण व्यवस्था का

प्रभावशाली होना इसके परिणामों पर निर्भर करता है। यदि निदिष्ट उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो सम्प्रणयण व्यवस्था को सफल समझना चाहिए अन्यथा नहीं।

सम्प्रणयण के प्रकार (Types of Communication)

प्रणयण की सुविधा की दृष्टि से हम सम्प्रणयण का निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

- (क) मौखिक लिखित एवं सांकेतिक सम्प्रणयण (Verbal Written and Gestural Communication)
- (ख) औपचारिक एवं अनौपचारिक सम्प्रणयण (Formal and Informal Communication)
- (ग) नीचे की ओर ऊपर की ओर तथा समतल सम्प्रणयण (Downward Upward and Horizontal Communication)

सम्प्रणयण के इन विभिन्न रूपों पर तनिक विस्तार से विवरण प्रस्तुत है।

(क) मौखिक लिखित एवं सांकेतिक सम्प्रणयण (Verbal Written and Gestural Communication)

सम्प्रणयण के वर्गीकरण का प्रथम आधार यह है कि संदेश या निर्देश या तो मौखिक रूप में दिए जाए या लेखनी से लिख कर। कुछ व्यवस्थाओं पर सवा 1 का सम्प्रणयण संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है।

(प्र) मौखिक सम्प्रणयण-

(Verbal Communication)

मौखिक सम्प्रणयण से आशय यह है कि संवाद के द्वारा कोई संवाद प्रथम सूचना के माध्यम से उद्योग करने के द्वारा प्राप्तकर्ता को प्रेषित की जाए। सम्प्रणयण की यह विधि आज भी सर्वाधिक प्रचलित है। मौखिक सम्प्रणयण दोनो पक्षों के मध्य प्रथम वार्ता द्वारा, टेलीफोन पर बात करके, विचार गोष्ठियों में भाग लेकर प्रथम सम्मेलनों में उपस्थित होकर सूचना प्रसारण के माध्यम से दिया जाता है। तार्स ए एपल की भांति यह है कि मौखिक शब्दों द्वारा पारस्परिक सम्प्रणयण की सर्वोत्कृष्ट कला है। विभिन्न अनुसंधानों में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रबंधक वर्ग में सम्प्रणयण में जितना समय व्यतीत होता है उतना कम से कम 5/ भाग मौखिक सम्प्रणयण में ही बीतता है।

मौखिक सम्प्रणयण के लाभ सम्प्रणयण के सभी साधनों में मौखिक सम्प्रणयण अपना प्रमुख स्थान रखता है। इसके निम्नलिखित मुख्य लाभों से हम इसका महत्त्व स्पष्ट होता है—

1. श्रुत नाव प्रदान करने के लिए मौखिक सम्प्रणयण अधिक उपयोगी है।

2 मौखिक सम्प्रपण में कागज स्याही आदि का कार्य व्यय नहीं होता और समय की भी काफी बचत होती है।

3 मौखिक सम्प्रपण प्रबंधका के मानवीय शक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति में मान्यता प्राप्त करने की आकांक्षा होती है और जब प्रबंधक मौखिक शक्तों द्वारा कर्मचारियों की प्रशंसा करते हैं उस रूप में सम्मान देते हैं तो उसकी इस आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है।

4 मौखिक सम्प्रपण प्रबंधक के क्षेत्र में भागीदारी व्यवस्था को सरल बनाता है। प्रबंधक किसी महत्वपूर्ण विषय पर नियम लेने के लिए सच्चा कर्मचारियों और कर्मचारियों को बुलाकर मौखिक रूप से विचार विमर्श करने हैं जिससे प्रत्येक समस्या का समाधान भी हो जाता है अथवा प्रत्येक विषय भी लिये जाते हैं और समस्या के उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग अधिक सरल हो जाता है।

5 मौखिक सम्प्रपण अधिकार प्रत्याभोजन को भी सरल बनाता है। अधिकारियों द्वारा प्रत्येक अधीनस्थ को अनिवार्य अधिकार मौखिक रूप में दे दिए जाते हैं। कार्य निष्पत्ति के बारे में आदेश और निर्देशों को बार बार लिखित रूप में न देकर मौखिक रूप में सम्मान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अधीनस्थ से मौखिक रूप में ही अधिकारों सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं।

6 मौखिक रूप से दिया गया संदेश आता पर तुरंत प्रभाव डालता है।

7 मौखिक सम्प्रपण में भावाभिव्यक्ति अधिक प्रभावशाली और सरलता से समझने योग्य होती है, अतः संदेशों का तुरंत निवारण होता है।

8 संस्था में समूह भावना या टीम भावना के विकास में मौखिक सम्प्रपण मुख्य भूमिका अदा करता है।

9 व्यवसाय की सफलता संस्था के अन्दर वातावरण पर निर्भर करती है और प्रबंधक कर्मचारियों से व्यक्तिगत एवं सामूहिक ढंग से मौखिक वातावरण द्वारा उपयुक्त तथा लोकतांत्रिक वातावरण तैयार करते हैं।

10 मौखिक सम्प्रपण द्वारा संदेश तुरंत प्रसारित होता है और जनस्वरूप किसी भी काम का क्रिया-ब्ययन तुरंत प्रारम्भ हो सकता है जिससे उत्पादन की गति में भी वृद्धि होती है।

11 मौखिक सम्प्रपण में संवाद प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया की जानकारी संवाददाता को तुरंत ही जाती है। संवाद प्राप्तकर्ता की मुख मुग्धता उदाहरण या उदासीनता (स्वीकृत) आदि से उसकी प्रतिक्रिया का तुरंत अनुमान लगा लिया जाता है।

12 मौखिक सम्प्रपण लिखित सम्प्रपण की तुलना में अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रेषित संवाद में सुगमता से आवश्यकतानुसार परिवर्तन और संशोधन किया जा सकता है। साथ ही विस्तार से संवाद का स्पष्टीकरण भी हो सकता है।

13 मौखिक सम्प्रपण से सवादाता और सवाद प्राप्तकर्ता के मध्य पारस्परिक सद्बिश्वास में वृद्धि होती है।

मौखिक सम्प्रपण के दोष—यद्यपि मौखिक सम्प्रपण अत्यन्त लोकप्रिय है और यह व्यवसाय की त्रिनाम्ना में सुगमता पाता है तथापि व्यवसाय में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिनमें मौखिक सम्प्रपण प्रायः अनुपयोगी सिद्ध होता है। मौखिक सम्प्रपण का मुख्य दोष अथवा इनकी मुख्य कमियाँ निम्नलिखित हैं—

1. मौखिक सम्प्रपण के लिए दोनों पक्षों के बीच सदा सवादा प्राप्तकर्ता का सवाद के प्रपण के समय उचित रहना आवश्यक है। अतः यदि कभी सवाद प्राप्तकर्ता उपलब्ध न हो तो मौखिक सम्प्रपण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रायः सम्पक का अभाव में सम्प्रपण की यह विधि अनुपयुक्त है।

2. यदि दोनों पक्षों के बीच काफी दूरी होती है और सदेश का प्रपण टकटान आदि द्वारा किया जाता है तो टनीफॉन करने पर काफी व्यय हो जाता है।

3. यदि मौखिक सदेश काफी विस्तृत हो तो उसमें अस्पष्टता आ जाती है क्योंकि सदेश प्राप्तकर्ता को सभी बातें एक साथ समझने में शक्ति हो सकती है। यदि सदेश प्रपक और सदेश प्राप्तकर्ता के बीच स्तर में अत्यन्त अंतर है तो सदेश प्रपक को अपना सदेश बार-बार समझाना पड़गा जिससे समय का भी व्यय होगा और फिर भी अस्पष्टता बनी रहेगी।

4. मौखिक सम्प्रपण में लिखित साक्ष्य का अभाव होता है अतः यदि दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष अपनी स्थिति से विमुक्त हो जाए तो कोई बहानिक या धर्म कायवाली करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अधिकारी महत्त्वपूर्ण स्थानों का प्रपण प्रधीनस्थों को प्रायः लिखित रूप में देना अधिक उपयुक्त समझते हैं ताकि सदेश का अनुपालन न होने पर उनके विरुद्ध बिना किसी कठिनाई के अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

5. मौखिक सम्प्रपण भविष्य में सम्पक के लिए अनुपयुक्त है। जिन सूचनाओं का सामायिक महत्त्व है उनके लिए तो मौखिक सम्प्रपण ठीक है लेकिन जो सूचनाएँ व्यवसाय के भावी सफलता के लिए जरूरी हैं उनके लिए मौखिक सम्प्रपण ठीक नहीं माना जा सकता। प्रत्येक भविष्य के लिए जो निगम्य बातें हैं जो नीतियाँ निर्धारित करती हैं उनसे प्रवचन और कमचारियाँ का मागदमन होता है अतः इनका सम्प्रपण मौखिक रूप में नहीं किया जा सकता।

6. मौखिक सम्प्रपण में सवादाता को सवाद के प्रपण में प्रायः सोचन के लिए कम समय मिलता है जिससे कभी-कभी जल्दी में या तो सवादाता द्वारा बहाने शून्य निकल जाते हैं या सवादा का अनुपालन बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के बीच तनाव पैदा होना मुनाबक बिन्दु उठ खड़ा होता है।

मौखिक सम्प्रपण के साधन— मौखिक सम्प्रपण के साधनो म मुख्य ये है—

(1) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (2) साक्षात्कार, (3) समुक्त विचार विमर्श (4) भाषण (5) रेडियो (6) टेलीफोन (7) टेलीविजन (8) रम सभ जो कि नियोजको और कमचारिया क मध्य सम्प्रपण म महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं (9) यानी जो कि प्राय विक्रय प्रतिनिधि या इसी तरह क प्रतिनिधि होत हैं और जिनक माध्यम मे ग्राहका और सस्या के म र सम्प्रपण ती शृ खना का निर्माण हाना है और विपणन अनुम धान किया जाता है तथा उत्पादन-वृद्धि का प्रयास किया जाता है (10) सभाए तथा सम्मेलन एव (11) सेवीवर्गीय विभाग जिसकी स्थापना म जहाँ एक और कमचारी अपनी समस्याएँ सबीवर्गीय प्रबन्धक के सामने प्रस्तुत करते हैं वहाँ दूसरी आग न्हूदने विधान के बारे म आवश्यक सहायता और सलाह प्राप्त होता रहती है।

(ग्रा) लिखित सम्प्रपण

(Written Communication)

लिखित सम्प्रपण का अभिप्राय सवादाता द्वारा किसी सवाद को लिखित रूप से प्रेषित करने से है। लिखित सम्प्रपण के लिए पत्र पत्रिकाएँ, बुलटिन रिपोर्ट पम्प्लेट डायरिया हेण्डबुक मनुष्य सुभाव पुस्तकी आदि का प्रयोग किया जाता है। मौखिक और लिखित सम्प्रपण वास्तव म सम्प्रपणप्रक्रिया की दो धाराएँ हैं एक सिक्क क दा पत्तु हैं।

लिखित सम्प्रपण के सम्बन्ध मे ध्यान रखने योग्य बातें— लिखित सम्प्रपण के सम्बन्ध म बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। किसी सवाद को लिखित समय प्राय निम्न बातो पर ध्यान रखना आवश्यक है—

- 1 लिखित सवाद म सक्षिप्त और प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
- 2 सन्देश स्पष्ट सुन्दर और आकर्षक ढंग से लिखा होना चाहिए।
- 3 सरल शब्दों और मुहावरा का प्रयोग करना चाहिए।
- 4 सन्देश का भाषा स्पष्ट और सुलभी हुई होनी चाहिए ताकि उसके अर्थक अर्थ न निकलत हो।
- 5 यक्तिगत सवनामा यथा—तुम और वह—का प्रयोग करना चाहिए।
- 6 सवाद को छोटे छोटे वाक्या तथा पराग्राफो म विभक्त करके लिखना चाहिए।
- 7 चार्टा उदाहरणो आदि का प्रयोग करना चाहिए ताकि सन्देश का भली प्रकार स्पष्टीकरण हो सके।
- 8 वाक्य सरचना म एकटिव वाइस (Active Voice) का प्रयोग होना चाहिए पसिव वाइस (Passive Voice) का नहीं।
- 9 सन्देश का प्रत्येक शब्द उपयोगी होना चाहिए और अलकारो तथा विशेषणा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए।

10 मदा तबपूरा और साधारण शली में लिखा जाना चाहिए ।

11 सवाद की भाषा शुद्ध भी होनी चाहिए और तन्न भी ।

12 सवाद में प्रस्तुत की गई सामग्री में क्रमबद्धता और धारावाहिका होनी चाहिए ।

13 यथासम्भव सवाद को टा प करवाकर ही प्रमित करना चाहिए ।

निश्चित संदेश तैयार करने में उपरोक्त बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है । यदि आ में सम्मान को ठग पट्ट चाने वाली भाषा का प्रयोग किया गया तो सम्भव कटु बन जान और संदेश के निरर्थक हो जाने की आशंका बनी रहगी । उन सभी बातों पर ध्यान अपेक्षित है जिनसे कि लिखित संदेश अधिक प्रभावी हो सकता है ।

लिखित सम्प्रपण के लाभ—मौखिक सम्प्रपण व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए लिखित सम्प्रपण व्यवस्था अपनाई जाती है । लिखित सम्प्रपण के मुख्य लाभ यह हैं—

1 लिखित सम्प्रपण में दोनों पक्षों की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक नहीं है ।

2 यदि दोनों पक्ष भिन्न भिन्न नगरों में रहते हैं अर्थात् एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो संदेश लिखित रूप में डाक से भेजने पर कोई विशेष व्यय नहीं आता है । सं प्रकार दूर की स्थिति में सम्प्रपण की यह विधि मौखिक सम्प्रपण की तुलना में कम खर्चीली है ।

3 लिखित सम्प्रपण विस्तृत और जटिल सूचनाओं के लिए अधिक उपयुक्त है । ऐसी सूचनाओं को धीरे धीरे श्रांत क साथ समझा जा सकता है ।

4 लिखित संदेश में स्पष्टता आ जाती है जिससे वह अधिक प्रभावोत्पादक हो जाता है । लिखी बात के अनक अर्थ निकाले जाने की सम्भावना कम रहती है ।

5 लिखित संदेश भविष्य में बिना उठाने की सूरत में लिखित प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ।

6 लिखित संदेश द्वारा कई व्यक्तियों को एक साथ सूचना दी जा सकती है । अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों को एक ही सूचना एक समय पर देने के लिए लिखित विधि सर्वोत्तम है ।

लिखित सम्प्रपण के दोष—लिखित सम्प्रपण के भी अपने कुछ दोष हैं—

1 उसमें अम समय और धन का व्यय होता है । यदि संदेश छोटा है और प्रत्यक्ष रूप से दूसरे पक्ष को दिया जा सकता है तो ऐसे संदेश को लिखकर भेजने में अम, समय और धन का अपव्यय होगा ।

2 कुछ अवसरों पर संदेश विधि काफी विलम्बकारी बन जाती है । यदि किसी लिखित संदेश में कोई भूल बन जाए तो एक छोटी सी बात को सूचित करने के लिए संदेश नष्ट और सम्प्रपण की पूरी प्रक्रिया को पुन दोहराना होगा जिससे संदेश सम्प्रपण में अनेक विलम्ब हो जाएगा ।

3 लिखित सम्प्रपण मे प्रत्यक्ष सम्पक का अभाव होने के कारण सन्देश के सम्बन्ध में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्रपक को शीघ्र नहीं मिल पाता।

4 लिखित सम्प्रपण में संवाद को गोपनीय रखना कठिन है जबकि मौखिक सम्प्रपण दोनों पक्षा तक ही सीमित रहता है जिससे उत्तम गोपनीयता बनी रहती है।

5 लिखित सम्प्रपण से संवाद प्राप्तकर्ता को संवाददाता की भावनाओं की जानकारी नहीं हो पाती।

6 लिखित सम्प्रपण विधि विनम्रकारी है क्योंकि मन्देश का अनेक तयार कराने, टाँप कराने, अधिकारी के हस्ताक्षर कराने प्रपण कराने आदि में काफी समय लग जाता है।

(इ) साकेतिक सम्प्रपण

(Gestural Communication)

सम्प्रपण की इस विधि में न बोलना पड़ता है और न लिखना पड़ता है बल्कि संवादा का सम्प्रपण सन्तो हावभावों आदि के द्वारा होता है। यत्रमाय की आधुनिक प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अनेक संवाद ऐम हात हैं जिन्हें बोलना या लिखना सम्भव नहीं होता और साकेतिक भाषा में ही संवाद को प्रेषित किया जाता है। साकेतिक सम्प्रपण में पीठ थपथपाना कमचारी में हथकर हाथ मितना कमचारी के काय की संस्करण या सिर हिलाकर प्रसा करना आदि से इशारा करना मस्तिष्क पर तरह तरह का संभवटों डानना आदि का सम्मिलित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अनेक प्रबंधशास्त्री साकेतिक सम्प्रपण को मौखिक सम्प्रपण में ही सम्मिलित करना पसंद करते हैं।

मौखिक बनाम लिखित सम्प्रपण

(Verbal Vs Written Communication)

यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि मौखिक और लिखित सम्प्रपण विधियों में से कौनसी विधि अपनानी चाहिए। वास्तव में दोनों ही विधियाँ के अपने अपने गुण तथा दोष हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि किस परिस्थिति में कौनसी विधि अधिक सफल होगी। इसके लिए प्रत्येक समूह या संस्था में परिस्थितियों के अनुसार दोनों ही प्रकार की सम्प्रपण विधियों का प्रयोग किया जाता है। हमें न लिखा है कि— यदि प्रबंधक कबन एक विधि को चुनता है तो उस सम्भार असफलता का सामना करना होगा।

(ख) औपचारिक एवं अनौपचारिक सम्प्रपण

(Formal and Informal Communication)

सम्प्रपण के दूरतर वगैरे में औपचारिक एवं अनौपचारिक सम्प्रपण को लिया जाता है।

औपचारिक सम्प्रणय

(Formal Communication)

जब सवादात्मता और सवादा प्राप्तकर्ता के मध्य औपचारिक सम्बंध हो तो उनके बीच सवादा के आदान-प्रदान को औपचारिक सम्प्रणय कहा जाता है। दोनों पक्षों के मध्य औपचारिक सम्बंधों का निर्माण संगठन-चार्ट द्वारा होता है। इसी चार्ट के आधार पर अधिकारी तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है और इसी अधिकारी तथा उत्तरदायित्वों द्वारा औपचारिक सम्प्रणय के मार्ग निश्चित किए जाते हैं। मन्त्र औपचारिक ढंग से लिखित रूप में ही प्रेषित किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि एक कार्यालय का व्यवस्थापक अपने अधीनस्थ कर्मचारी को विलम्ब से आन या धोमी गति में काम करने का कारण अनुशासनात्मक कार्यों की चलावनी देता है तो ऐसी चलावनी लिखित रूप में औपचारिक रीति से प्रेषित की जाएगी। कर्मचारी द्वारा यह लिखित चलावनी प्राप्त कर लेने की रसीद भी अपना पुस्तिका (Pen Book) में ली जाएगी। अन्य प्रकार की सामान्य परिस्थितियों में उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों तक अधिकारियों के प्रत्यायोजन या आदेश से ही औपचारिक सम्प्रणय का जन्म होता है। संस्था का संगठन चार्ट में भी बताया है कि किसी सवादा प्रेषण का किन्-किन् अधिकारियों के मध्य से गुजरना पड़ता है। ये सभी मांग औपचारिक मांग कह जाते हैं और इन मांगों से गुजरने वाले सम्प्रणय को औपचारिक सम्प्रणय कहा जाता है। औपचारिक सम्प्रणय का मांग पूर्व निश्चित होता है। ये मांग स्पष्ट हों इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कौन किससे आदेश और निर्देश प्राप्त करेगा कर्मचारी अपनी समस्या के समाधान के लिए किसके पास जाएगा आदि का निर्धारण स्पष्ट रूप से कर दिया जाना आवश्यक है। औपचारिक सम्प्रणय जो प्रायः लिखित में ही होते हैं स्थायी आदेश वापिक प्रतिक्रिया पत्रिका आदि के माध्यम से भेजे जाते हैं।

अनौपचारिक सम्प्रणय


(Informal Communication)

जब सवादात्मता और सवादा प्राप्तकर्ता के बीच सम्बंध औपचारिक होते हैं तो इनके मध्य सवादा का आदान-प्रदान अनौपचारिक सम्प्रणय कहलाता है। कुछ समय पूर्व तक अधिकतर प्रबंधक औपचारिक सम्प्रणय को ही अधिक महत्त्व देते थे किन्तु अब अनौपचारिक सम्प्रणय को भी मायता मिलने लगी है। आज व्यावसायिक क्षेत्र जो रूप लेता जा रहा है उसमें सवादात्मता और सवादा प्राप्तकर्ता के बीच अनौपचारिक सम्बंधों का महत्त्व बढ़ गया है। औपचारिक सम्प्रणय का निम्न रूप में होता आवश्यक नहीं है। यदि एक टाइपिस्ट किसी अधिकारी के निजी सहायक को कोई टाइप किया हुआ भालेख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता है और कार्य-व्यवस्था के कारण निजी सहायक केवल शब्द भाव से अपना अनुमोदन प्रेषित

कर देता है तो यह अनौपचारिक सम्प्रपण होगा। अनौपचारिक सम्प्रपण का ग्रपवाइन (Grapevine) अथवा बुश टेलीग्राफ (Bush Telegraph) भी कहा जाता है। अनौपचारिक सम्प्रपण में सवादा का आदान प्रदान सगठन चाट द्वारा निर्धारित मार्गों के अनुमार्ग न लेकर सवादाता और सवाद प्राप्तकर्ता के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर होता है।

(ग) नीचे की ओर ऊपर की ओर एवं समतल सम्प्रपण (Downward Upward and Horizontal Communication)


नीचे की ओर सम्प्रपण (Downward Communication)—यदि आदेशों अथवा सवादों का प्रवाह उच्चधिकारियों से सहायकों तथा सहायकों से अधीनस्थ अधिकारियों की ओर अर्थात् ऊपर से नीचे की ओर होता है इसे नीचे की ओर सम्प्रपण कहा जाता है। इसे कर्मचारी सम्प्रपण (Employee Communication) की संज्ञा भी दी गई है। एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नीचे की ओर सम्प्रपण की जा स्थिति हो सकती है उसका उदाहरण इस प्रकार है—



नीचे की ओर सम्प्रपण यद्यपि मौखिक अथवा लिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है, तथापि यह प्रायः लिखित रूप में ही अधिक उपयुक्त समझा जाता है। लिखित रूप में होने से वाक्य का निष्पादन सरलता से हो जाता है और साथ ही कर्मचारियों के पास इनका स्थायी रिकार्ड भी तैयार हो जाता है। व्यक्तिगत निर्देश सम्भार-सम्मेलनों में आपण टेलीफोन पर संदेश सीटा या घंटी बजाकर सूचित करना स्लाइड्स का प्रदर्शन आदि नीचे की ओर सम्प्रपण की मौखिक विधियाँ हैं जबकि अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिबद्ध आदेश पत्र भीमो बुलटिन सूचना-पट्ट पर प्रसारण आदि नीचे की ओर सम्प्रपण के लिखित रूप हैं।

ऊपर की ओर सम्प्रपण (Upward Communication)—जब आदेशों या सवादों का प्रवाह अधीनस्थ कर्मचारियों से सहायकों और सहायकों से उच्चधिकारियों की ओर अर्थात् नीचे से ऊपर की ओर होता है तो इस ऊपर की ओर सम्प्रपण कहा जाता है। आजकल ऊपर की ओर सम्प्रपण काफी प्रचलित है। यह सम्प्रपण भी मौखिक या लिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह औपचारिक तथा

अनीनचारिक दो। ही प्रकार का होता है। किसी संस्था या उपक्रम में ऊपर की ओर सम्प्रपण की स्थिति का एक उदाहरण निम्न प्रकार है—



“स्पष्ट रूप में सूचना देना, सभा सम्मेलन तथा आपसी परामर्श सामान्यतः आदि ऊपर की ओर सम्प्रपण का मौखिक रूप है जबकि लिखित प्रतिवेदन तथा आपत्तियों प्रकट करना सुझाव देना आदि इसके लिखित रूप हैं।

समतल सम्प्रपण (Horizontal Communication)— जब समान स्तर के विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सम्प्रपण होता है तो यह समतल सम्प्रपण कहा जाता है। उदाहरणार्थ एक संस्था में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष प्रायः एक ही स्तर के अधिकारी होते हैं और जब उनके मध्य सलाह का आदान प्रदान होता है तो यह समतल सम्प्रपण है। इस सम्प्रपण से विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित होता है और संस्था का कार्य सुगमता से चलता है। समतल सम्प्रपण भी मौखिक या लिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है और अक्सर राजस्व प्रयोजन के लिये भी आदान प्रदान का सम्प्रपण प्रयुक्त किया जाता है। टेलीफोन, सभाएं एवं सम्मेलन आदि सामाजिक विद्या आदि समतल सम्प्रपण के मौखिक रूप हैं जबकि पत्र-मोमो-वापिक प्रतिवेदन पोस्टर हैण्डबुक आदि इसके लिखित रूप हैं।

सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि कुशल तथा प्रभावी सम्प्रपण अपने आप में एक विशिष्ट कार्य है। इस विचार-वाच्यता सम्पन्न व्यक्ति ही सम्पन्न कर सकता है।

शैक्षणिक सम्प्रपण की प्रासंगिकता

सम्प्रपण के 3^{er} अध्याय की समाप्ति हम जनवरी 1981 की योजना में प्रकाशित एक नव शैक्षणिक सम्प्रपण की प्रासंगिकता के माध्य करेंगे। इस रूप में श्री दीनानाथ बुब ने शैक्षणिक सम्प्रपण के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए जो प्रकाश डाला है वह पढ़ने योग्य है—

इस पृष्ठों पर परस्पर में जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं एक दूसरे के भावों को समझने के लिए सम्प्रपण, संचार प्रणाली से श्रेष्ठ के आदान प्रदान की विद्या का प्रचलन हुआ और तब से लेकर आज तक इस विद्या के नए-नए आधाम विकसित होते रहते हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि हम जिस भाषा को जानते हैं यदि उसमें

संज्ञा का अज्ञान प्रदान किया जाए तो कार्य की ठीक-ठीक परिस्थिति की सम्भावना रहती है अथवा संज्ञा का उचित अज्ञान प्रदान न होने से तरह-तरह की गलतफर्मावणियाँ पैदा होती हैं और उससे कितना उचित ज्ञान की सम्भावना रहती है।

आज हमारे औद्योगिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है उसका एक कारण सम्प्रपण विद्या का तीव्र न काम करना है। हमारा औद्योगिक जवाब पश्चिमी देशों पर आधारित है। पश्चिम की तकनीकी प्रगति के सम्प्रपण का उचित महत्व दिया हुआ है परन्तु भारत में हमका अभी पर्याप्त सूचना नहीं दी पायी है। परन्तु हमें बावजूद अपनी अज्ञानता के कारण सम्प्रपण प्रत्येक मण्डल राजनीतिक सामाजिक और औद्योगिक व्यवस्था का आधार बन गया है—वह चाहे लाक्षणिक हा या अधिनायकवादी। गुणर कवन परिभाषा और सम्प्रपण के साधना का है। इन तीन भागों में बाटा गया है—

- (1) प्रत्येक या उत्पत्ति के
- (2) पारम्परिक या प्राच्य के
- (3) प्रचारक—।

आज का युग सूचना का युग है। तीव्रता से औद्योगिक समाज और एक नई औद्योगिक संस्कृति का विकास हो रहा है। अभी के साथ विभिन्न स्तरों पर सम्प्रपण के विचार-आयामों का भी उदय हो रहा है। इसमें समाज में गतिशीलता आ रही है और एक नया वर्ग जिसमें हम औद्योगिक कर्मियों या कामगार कह सकते हैं—समाज का मुख्य अंग बनता हुआ है। यदि यह वर्ग अपने भागों का उत्कृष्ट करने में कुशल बन सकता है तो समाज में गतिशीलता आयेगी और औद्योगिकरण के वातावरण में जिस समाज का निर्माण हुआ है उसमें गतिशीलता आयेगी। श्रमजीवी की बाड़ी का विकास होगा और समाज में गतिशीलता का विकास मिलेगा। सम्प्रपण के दो धोर हैं। एक धोर सम्प्रपण है और दूसरी धोर प्रगति। पारम्परिक समाज से जिस औद्योगिक समाज का उदय हुआ है वह नूतन स्तर का समाज या पारम्परिक समाज से उदय हुआ है किन्तु फिर भी दोनों के अन्तर्गत में अन्तर है। सूचना नई औद्योगिकी के सम्प्रपण की नई तकनीक का उद्भव उद्भव की। नए नए तकनीक पद्धत यन्त्रि स्तर पर सम्प्रपण के साधन के रूप में आया है। सम्प्रपण की प्रक्रिया विविधी नाल है, जिनकी उदित नो है। इस प्रकार के मुख्य तत्त्व हैं—

- (1) सम्प्रपण का स्तर
- (2) नए पद्धत की विषय वस्तु
- (3) प्रवृद्ध आता तक तथा पाठक
- (4) सम्प्रपण के माध्यम और
- (5) सम्प्रपण का प्रभाव—।

हम अक्सर सम्प्रपण रिक्तता (कम्प्यूनिकेशन गप) सम्प्रेषण विस्फोट (कम्प्यूनिकेशन एक्सप्लोजन) सरले सम्प्रपण और औद्योगिक सम्प्रपण की बात सुनते हैं और यह जानते हैं कि सम्प्रपण की रिक्तता के कारण हमारी विकास योजनाओं को जिन पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है मनोवर्धित सफलता नहीं मिली है।

देश में गरीबी निरक्षरता अज्ञान कृषि मण्डकता तथा काम की प्रति विरक्ति की भावना अपनी प्रचलन जड़ें जमाए है जिसका प्रतिकूल प्रभाव राष्ट्र के विकास पर पड़ रहा है। स्थिति यह है कि हमारी मनोवृत्ति में अभी भी गुलामी बनी हुई है। हम औद्योगिक कामगारों और ग्रामीण किसानों का संदेश उनकी भाषा में न पहुंचा कर अग्रजी में या उसके भाषाई अनुवाद के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। औद्योगिक कारखानों में सम्प्रपण विद्या के रूप में गृह-पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। यद्यपि ये पत्रिकाएं अग्रजी में हैं। ये पत्रिकाएं कर्मचारी वर्ग के लिए होती हैं। यह विद्वम्बना ही है कि इन उत्पादकता सुरक्षा लागत में कमी आदि का संदेश दिया जाता है पर इन संदेशों का जिनके लिए मन्त्र है वह वर्ग अग्रजी भाषा जानता है या नहीं इस तथ्य को जानने का प्रयास मैनेजमेंट द्वारा नहीं किया जाता।

निजी क्षेत्र में यह स्थिति अभी भी विद्यमान है किंतु सांख्यिक क्षेत्र में इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। इस क्षेत्र के कारखानों में भाषायी सम्प्रपण को काफी प्रमुखता मिलने लगी है। भोपाल स्थित मेल कारखानों की साप्ताहिक गृह पत्रिका मन संदेश का उदाहरण सामने है। हमारे देश में शायद यही एक मात्र दैनिक टिप्पणी गृह-पत्रिका है जो दस हजार की संख्या में गागर में सागर जसा प्रत्येक संदेश अपने पाठकों को देती है। निजी क्षेत्र में एकाध पत्रिकाएं और हैं जिनमें— टिप्पणी समाचार तभी सी परिवार आदि जो भाषायी सम्प्रपण की दिशा में प्रकाश स्तम्भ का कार्य कर रहे हैं। मैं यहाँ अग्रजी या हिन्दी अथवा भाषायी विवाद में नहीं जाता। हमारा मत यही यह बताना है कि सफल सम्प्रपण वही है जिसे लोग समझ सकें। राज देश में औद्योगिकीकरण का जो सलाह है उसमें प्रायः कई करोड़ों से ऊपर अग्रजी को कार्यरत है। इन तक संदेश पहुंचाने की मुख्य समस्या आज भी है। ये अग्रजी हैं हमारे देश के युवा वर्गों में नैतिक बेडर मिस्त्री इन्फ्लेमेशन ऑपरेटर फिटर है पर प्राण हैं। इनकी मेहनत और हीनपारी पर ही उत्पादन की उत्पादकता का दारोम पार है। इनमें से अधिकांश अग्रजी अग्रजी हैं कुट्ट पत्त हैं। देश की उन्नति और अधिकाधिक उत्पादन के लिए सम्प्रपण की प्रभावी माध्यम के विकास की राज प्रतिवाय आवश्यकता है। यदि हम उत्पादन और उत्पादकता को गति देना चाहते हैं उत्पादन का वातावरण बनाना चाहते हैं तो हम संदेश उसी भाषा में देना होगा जिस अग्रजी समझते हैं।

श्रीद्योगिक परिवेश से सम्प्रपण क कई माध्यम हैं। इन माध्यमों से ज्यादा प्रभाव गृह पत्रिकाओं का पड़ता है। ये पत्रिकाएँ उभयपक्षों को (1) सूचना (2) सौहार्द (3) समन्वय और (4) सदृश के चार सत्रों में बाँधती हैं। गतिशील श्रीद्योगिक समाज बनाने में इन पत्रिकाओं के सम्पादकों की क्या भूमिका हो सकती है यह एक चुनौतीपूर्ण सवाल है क्योंकि सम्प्रपण दोतरफा कार्य है न तो प्रबंधक इसके बिना अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं और न कर्मों ही। वैसे आज बहुत से लोग हैं जो इस कार्य का अलाभकारी मानते हैं। ऐसे लोग केवल सकुचित स्वार्थों के पक्षधर हैं। उनका उद्योग के भविष्य के बारे में सोच व चिन्तन दक्षियानुमी है।

आज श्रीद्योगिक अशान्ति का जो वातावरण सारे देश में व्याप्त है उसका मूल कारण श्रीद्योगिक जीवन के विविध स्तरों पर पारस्परिक सम्प्रपण का अभाव है। हड़ताल और तानाबन्ती की स्थिति में तो यह सम्प्रपण पूरतया टूट जाता है और इससे उद्योग व राष्ट्र को हानि उठानी पड़ती है। हम इन प्रक्रियाओं को हर स्तर पर जारी रखने का प्रयास करना चाहिए। गृह-पत्रिकाएँ यदि ठीक से प्रकाशित की जाएँ तो वे उद्योग में परस्पर सौहार्द व मदभावना का वातावरण तयार कर सकती हैं। उत्पादकता बढ़ाने, समय व सामग्री की बचत, दुर्घटना निवारण, बरबादी की रोकथाम, गृह-जिरी में कमी आँधी गृह व्यवस्था और अतंत कमचारियों का एक अच्छा नागरिक बनाने, जन जागृति व जन-सेवा की भावना को दग देने के दायित्व का बोध कराकर देश व समाज के निमाण में यशस्वी भूमिका निभा सकती हैं। आज श्रीद्योगिक गृह पत्रिकाएँ ज्यादातर मैनेजमेंट व गुण गाती हैं जिससे प्रतिक्रिया समुदाय और आम सब गृह पत्रिकाओं को मैनेजमेंट का भोषू मानते हैं। ऐसी स्थिति में गृह पत्रिका की विश्वसनीयता पर आँच आती है।

श्रीद्योगीकरण की तरह श्रीद्योगिक पत्रकारिता भी पश्चिमी देशों की ही दंत है। राजनीतिक पत्रकारिता में जो ग्लमर है वह श्रीद्योगिक पत्रकारिता में तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के विषय ही भिन्न भिन्न हैं किंतु श्रीद्योगिक समाज के बीच विचारों के आदान प्रदान में निःसंदेह ऐसी पत्रिकाएँ कारगर माध्यम बन सकती हैं। हमारे कामगार जितने बुद्धिमान और सजग होंगे उतना ही लाभ उद्योगों का होगा। इस समय देश में 850 गृह पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। नमो 186 भाषायी और हिन्दी में हैं। इनका सम्भावित प्रसार 30 लाख से ऊपर है और प्रायः एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च इन पर खर्च किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि देश में इस सम्पक माध्यम की कितनी महत्ता है। श्रीद्योगिक सम्प्रपण व माध्यम व रूप में हर कारखाने में इस विधा जितना स्वस्थ प्रसार हो उतना ही अयस्कर होगा।

लोक सम्पर्क (Public Relations)

आज के युग में पुनिस राय का स्थान लोक कर्माणकारी राय न ल लिथा
 ३ अतः लोक सम्पर्क के म त्व का अर्थ किसी भी वात की तुलना में आज अधिक
 स्थापक रूप से स्वीकार किया जाता है। राय के वाय क्षेत्र में अधिक वृद्धि ने
 गर् है और प्रशासन जन कर्माण के लिए अनकानक रूप एवं दीर्घकालीन योजनाए
 बनाता है। प्रशासन की सफलता जन सहयोग पर निर्भर है। क्याकि आज प्रशासन
 का स्वरूप लोकतांत्रिक है निरकुश नहीं। अधिनायकवादी व्यवस्थापन में भी
 प्रशासन जनमत की प्रवृत्तलना करने का साह्य उन्हे समय तक नहीं कर पाता।
 प्रशासन और जनता के बीच सहयोग की बड़ी मजबूत बनाने का अतिशायी साधन
 लोक सम्पर्क है जिसका मोटे रूप में अर्थ है—सूचनाओं विचारों प्रत्यक्ष सम्पर्कों और
संचार माध्यमों द्वारा वापक प्रसार। आज का युग प्रचार का युग है पत्रिसिटी
 पग पग पर हम प्रभावित करती है और माटे तौर पर इसी का परिमार्जित परिष्कृत
 एवं सुमनृत रूप है लोक सम्पर्क है। किसी भी परियोजना कार्यक्रम या अभियान
 की सफलता के लिए अनुकूल वातावरण या लोकमत का हाना नितान्त आवश्यक
 है और लोक-सम्पर्क का प्रधान उद्देश्य है—प्रपञ्चित जिशा में लोकमत का निर्माण।
लोक-सम्पर्क एक निरपेक्ष प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष तो पत्रिसिटी या प्रचार द्वारा
जनता का समर्थन चान्द वाला का हाता है दूसरा जनता का। पत्रिसिटी चान्द
 वाता पथ अपने प्रचार विषय के गुण लया से लाल कर जनता के सम्मुख अपना
 संदेश रखता है और फिर देखता है कि जनता न उस संदेश को स्वीकारा या नहीं
 या स्वीकारा ता नहीं तक और न ही स्वीकारा ता क्या? इस प्रकार जनता की
 प्रतिक्रिया जात करके प्रचार प्रक्रिया या संचार या कार्यक्रम में संशोधन किया जाता
 है और जनता का विश्वास में लिया जाता है। प्रत्यक्ष संस्था चाह कर सरकारी
 हो या निजी अपने अपने क्षेत्र की जनता से सम्पर्क स्थापित करता है। लोकमत
 निर्माण के लिए किए गए इस पारस्परिक आदान प्रदान से जा प्रचार या सूचना
 प्रक्रिया प्रारम्भ होती है उसके परिमार्जित एवं परिष्कृत स्वरूप को विज्ञान न
 लोक-सम्पर्क कहा है। लोक प्रशासन के सन्तान में प्रशासनिक संघासा का यह
 कर्तव्य है कि वे वाय संचारन के सम्बन्ध में जनता की राय जात करें जनता के
 मन में प्रशासन के बारे में यदि कोई गलतफहमी हो तो उस दूर करें। कोई भी

प्रशासन तब तक सफ नही हो सकता जब तक कि जनमत (Public Opinion) उसका विरोध न है। कितनी ही बार ऐसा होता है कि भ्रातिया और निराधार अफवाहों के कारण प्रशासन तथा जनता के बीच एक खाई सी पदा हो जाती है और जनमत शासन के विरुद्ध हो जाता है। अतः लोक प्रशासन को चाहिए कि वह उचित लोक-सम्पक स्थापित कर और भ्रातियों का निवारण कर जनता को विश्वास में ल। लोक सम्पक कार्यों द्वारा अपनाई गई नीतिया को प्रायः Moo Cow Sociology कहा जाता है, जिसके अनुसार गाय का प्रसन्न रहने की चेष्टा की जाती है ताकि वह अधिक दूध दे सके। प्रशासन जनता को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है ताकि उसकी योजनाएँ अधिनाधिक सफ हो सकें। लोक सम्पक द्वारा प्रशासन यथा जानकारी प्राप्त करता है कि जनता की कामनाएँ तथा किससे क्या है और जनता प्रशासन में क्या उम्मीद करती है। दूसरी ओर वह जनता को यह सूचित करता है कि उसे प्रशासन से क्या आकांक्षाएँ करनी चाहिए प्रशासन क्या कार्य कर रहा है तथा प्रशासन के विभिन्न सगठन द्वारा क्या क्या सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

लोक सम्पक की यात्रा

लोक सम्पक की कार्य निश्चित एवं सवमान्य परिभाषा देना कठिन है। निश्चित शब्दों का परिधि में बस बाधन का दृष्टि से विचारना में मतभय नही है। हाँ लोक-सम्पक के मत-पर के विषय में प्रायः सहमति है। पहल हम विभिन्न परिभाषाओं को नें ता—

प्रशासन में लोक सम्पक अधिकारी वगैरह तथा नागरिकों के बीच पाए जाने वाले प्रधान एवं गौण सम्बन्धों तथा इन सम्बन्धों द्वारा स्थापित प्रभावाएँ एवं दृष्टिकोणों की परस्पर क्रियाओं का मिश्रण है। —ज एल मैकनी

✓ विभिन्न जन समूहों के मतों का प्रभावित करने के लिए एक सगठन जो भी कार्य करता है वह सब लोक सम्पक है। —चाँस

विभिन्न जन समूहों के मतों का प्रभावित करने के लिए एक सगठन जो भी कार्य करता है वह सब लोक सम्पक है। —एपलबी

लोक सम्पक एक विचार है जिसके द्वारा एक सगठन यथाथ रूप में अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का पूरा करने का तथा सफ्यता के लिए आवश्यक जन स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। —रक्स हॉर्न

कार्य उद्योग यूनियन कापोरेशन व्यवसाय संस्कार या मय मस्था जब अपने ग्राहकों के कार्यालयों हिस्सदारों या जन माधारण के साथ स्स्थ और उपायक सम्बन्ध स्थापित करने या उन्हें स्थायी बनाने के लिए प्रयत्न करे जिनसे वह अपने आपकी समाज के अनुकूल बना सकें अथवा अपना उद्देश्य समाज पर प्रयत्न कर सकें उनके उन प्रयत्नों को लोक सम्पक कहते हैं।

—वेमटर की यू ट्पटरनशनल विश्वनरी

हरियाणा के लोक सम्पर्क विभाग क सयुक्त निदेशक श्री राजेन्द्र ने लिखा है कि स्वपक्ष के गुण-गोप और जनता सपरस्पर के सम्बन्ध के आधार पर अनुकूल लोकमत निर्माण के लिए सुव्यवस्थित प्रयत्न को लोक सम्पर्क कहते हैं। लोक प्रशासन - एक प्रमुख विधान मिलट न लोक-सम्पर्क के उन मुख्य चार तत्वों को गिनाया है जिन पर प्रायः आम सहमती पाई जाती है—(1) जनता की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना (2) जनता को बताना कि उचित विचारधारा क्या है उचित कार्य और आकांक्षा क्या हैं (3) अधिकारियों और जनसाधारण के बीच अन्तरे सम्बन्ध बनाए रखना एवं (4) जन साधारण को यह प्रवृत्त कराना कि शासन लोकहित के लिए कौन कौन से सम्पर्क कार्य कर रहे हैं। बर्नेट ने माना है कि लोक सम्पर्क के तीन मुख्य पहलू हैं—(क) जनता का दी गई सूचना (ख) जनता के दृष्टिकोण तथा कार्य को बदलने का प्रयास और (ग) सस्था के दृष्टिकोण तथा कार्यों को जनता के साथ और जनता के दृष्टिकोण एवं कार्यों को सस्था के साथ एकीकृत करने की चेष्टा करना।

लोक सम्पर्क प्रक्रिया का सम्बन्ध जनता के किसी विशिष्ट वर्ग से नहीं बरन् सभी वर्गों से होता है क्योंकि सभी वर्ग किसी न किसी रूप में विभिन्न प्रशासनिक कार्यवाहियों से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार एक कुशन डाक्टर रोगी की नाड़ी देख कर उसकी गति और रोगी का रोग पचानने की कोशिश करता है उसी प्रकार एक कुशन प्रशासक जनता की नाड़ी अर्थात् उसकी भावनाओं और आवश्यकताओं को पहचानने समझने की कोशिश करता है। जो प्रशासक जितनी अच्छी तरह जनता को समझ पाएगा वह उतना ही सफल प्रशासक सिद्ध होगा। लोक-सम्पर्क द्वारा लोकमत के मूल्यांकन का विश्लेषण किया जाता है विपक्ष और विरोध का खंडन तथा स्वपक्ष के अनुकूल लोकमत का निर्माण किया जाता है इसीलिए लोक सम्पर्क को लोकमत की इंजीनियरिंग (Engineering of Public Opinion) भी कहते हैं। आज की दुनिया में नाई संस्था लोकमत की शक्ति या प्रभाव की अवहलना करने अपना काम नहीं चला सकती। यह जमाना गया जब सत्ताधारी लोग बत सकते थे— जनता जाए भाइ में या स्वछाचारी राजा बोल उठना था— मेरी आज ही सर्वोपरि है जो कुछ है मैं ही हूँ।

सूचना प्रचार और लोक सम्पर्क

(Publicity Information Propaganda and Public Relations)

लोक-सम्पर्क को प्रायः रोग सूचना और प्रचार का समानार्थक समझने की भूल कर देते हैं। अतः आवश्यक है कि सूचना (Publicity or Information) प्रचार (Propaganda) और लोक सम्पर्क (Public Relations) की अलग-अलग धारणाएँ स्थिर कर ली जाए—लोक सम्पर्क का उद्देश्य केवल किसी उद्योग का प्रशासन अथवा प्रचार मात्र नहीं होता बरन् इतना अथ तो प्रकाशन या सूचना

(Publicity or Information) का है। किसी भी जानकारी को अधिकधिक प्रसारित करने के माध्यम-माध्यम जब यह प्रयत्न भी किया जाए कि जनता प्रसारित संदेश को केवल स्वीकार ही न करे वरि उमके अनुसूचित कोर्र कर्म भी उठाए तो यह प्रक्रिया सूचना या प्रकाशन से एक कर्म प्रागे प्रचार' (Propaganda) कहलानी है। प्रकाशन या सूचना (Publicity) और प्रसार या प्रचार (Propaganda) के सुव्यवस्थित परिमाणित एवं सर्वदित रूप को ही लोक सम्पक (Public Relations) कहा जाता है।¹

एक उदाहरण स इन तीनों ही धारणाप्रा का पारस्परिक अन्तर भनी प्रकार स्पष्ट हा जाएगा—

✓ सना की भर्ती चन रही है। आपके पास सूचना आई कि अमुक स्थान पर अमुक आयु के लोग भर्ती हो सकत हैं। भर्ती होने के नियम भी आपको मिल गए हैं। आपन इस सूचना का प्रम रेडियो मुन्ति साहित्य मुनानी अथवा दूतरे साधनो स जनता तक पहुचा लिया भर्ती क नियमो को भी प्रचारित कर दिया। आपने एसा किया है ता आपन कवल पत्रिसिटी की है।

भर्ती क लिए वांछित सख्या म आदमी नहीं मिले रह इसलिए कवन सूचना देन से काम नहीं चलेगा जनता को दताना पन्गा कि उहें भर्ती क्या होना चाहिए। दश पर सकट है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सुरक्षित करना है। भर्ती होन स अधिक लाभ हान है। बुनापे म पशन (निवृत्ति दउन) मिलन का लाभ है। एसा प्रचार करके आप पत्रिसिटी स एक कर्म प्राग बन् हैं। आपन न कवल सूचना दी है आपन नागो को सना म भर्ती होन के लिए प्ररित भी किया है। आपन प्रचार काय या प्रापगणा किया है।

इसस प्राग बन्िए। सना म भर्ती होन क समय स्थान तारीख नियम प्रादि की सूचना सबको मिल गई। भर्ती क्या हाना चाहिए अथात् प्रचार या प्रोपेगण्डा सम्बधी लेख, पुस्तिकाए विनापन अथवा अय सामग्रा भा जनता तक पहुच गई किन्तु जन-साधारण के मन म कट्ट प्रकाए हैं। वसी कारण प्रकाशन या प्रचार का सन्तोषजनक प्रभाव नहीं हुआ। लाग वांछित सख्या म भर्ती हान नहीं आ रह। कनाचित् कुछ लोगो का सरकार का नीति पर विश्वास नहीं। कुछ लागो की शिकायत है कि साधारण सनिका क साथ सना क उच्च अधिकारी अनुचित व्यवहार करत है। कुछ नाग समझन हैं कि सेना म भर्ती हाकर व्यक्ति निजी स्वतंत्रता स बचन हा जाता है। एसी दशा म लोक सम्पककता (Public Relations Man) जनता की शक्राघ्रा बाधाघ्रा और कठिनाय्या का सरकार तक पहुचाना है और सरकारी नीति म यथासम्भव सुधार करवा कर भर्ती क प्रोप्रा म का एक बार फिर जनता क सामन रखता है। एन प्रकार सरकार और जनता

दाना पक्षा में तान में स्थापित करके किसी भी नीति या कार्यक्रम का मांग प्रशस्त करने के काम को लोक सम्पर्क कते हैं।

प्रकाशन हो या प्रचार काय उद्देश्य यही होता है कि जनता को कुछ तथ्यों से अवगत कराया जाए और समाज के सामने कोई विशेष सिद्धांत या कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। स्पष्ट है कि तम प्रक्रिया में ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित होता है कि जनता में क्या प्रभावित या प्रचारित किया जा रहा है। जनता की इस सम्बंध में क्या प्रतिक्रिया है उस सरकार या नियोक्ताओं तथा पहुँचाना यह काम लोक सम्पर्क का है विषुद्ध प्रकाशन या प्रचार का नहीं। लोक सम्पर्क के काम में सफलता के लिए आवश्यक है कि जनमत की विभिन्न प्रवृत्तियों का विधिपूर्वक और यत्नत अध्ययन किया जाए और उन्हीं के अनुरूप प्रचार को अपेक्षित दिशा में मोड़ या रूप दिया जाए।

वास्तव में लोक सम्पर्क न केवल एक विज्ञान ही है अपितु एक कला भी है। अमरिचन शर्मा में यदि कहा जाए तो लोक सम्पर्क एक बेचने की कला (Salesmanship) है अर्थात् जिस तरह कोई विक्रेता अपनी चीजाँ का प्रचार करके उन्हें बेचता है उसी तरह भाषुनि काल में प्रकाशकों को सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम जनता को बेचने पड़ते हैं—यानी वे उन्हें जनता के सामने इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जनता उन्हें स्वीकार कर लें और अपना समर्थन न दें।

प्रशासन और लोक सम्पर्क

यह छा लोक सम्पर्क निजी और सरकारी दाना ही प्रशासना की सफलता के लिए आवश्यक है। लोक प्रशासन में लोक सम्पर्क कार्यक्रम के दो सर्वप्रधान उद्देश्य हैं—प्रथम जनता को उपयुक्त सरकारी सेवाओं की प्रकृति और क्षेत्र सूचित करना। तीसरा प्रशासनिक अभिकरण के प्रति जनमानस में विश्वास पैदा करना। प्रशासन का जो कार्य जनता अधिक अनोख-प्रिय होता है उसमें लोक सम्पर्क की आवश्यकता उतनी ही बढ़ जाती है क्योंकि ग्राहकों और विरोध के वातावरण को मिटाकर नाया का प्रशासन के अनुकूल बनाता है। हमारे देश में प्रशासन और जनता के बीच खाई अभी चौड़ी है। विदेशी शासन के दिनों में सरकारी विभाग हमारे शापण और दमन के उपकरण थे और स्वतंत्र भारत में भी जब कभी नागरिकों को राजन-काठ समय पर नहीं मिलता या दूध के डिपों से निराश होना पड़ता है या उनमें शिकायती पत्रों पर समुचित कार्यवाही नहीं होती या उन्हें समुचित याचन नहीं मिल पाता तो वे मन ही मन नौकरशाही की निरकुशता अनिर्वास्यता और भ्रष्टाचार के न जाने क्या क्या चित्र खींचते हैं। इनके विपरीत सरकारी कामचारी और अधिकारी समझते हैं कि नागरिक सरकार के प्रति समुचित उत्तरदायित्व का परिचय नहीं देते जो कानून जनता ने स्वयं ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा पारित करके लागू किए गए हैं उनका उन्धरन यह स्वयं करती है। दाना पक्षा की आशयों

मनतफहमिया और शिकायत का नाक सम्पक का प्रभावशाली प्रस्था द्वारा बहुत कुछ दूर किया जा सकता है। लोक सम्पक की मशीनरी जन माधारण को यह बता भलो प्रकार समझा सकता है कि सरकारी प्रशासन का सारा काम लिखित कायदा से किया जाता है और जो भी काम होता है वह सम्बन्धित अधि-कारिया की लिखित स्वीकृति के बिना पूरा नहीं हो सकता अतः कायदाही में विलम्ब भी हो सकता है और रुकावट भी हो सकती है।

वास्तव में सरकारी प्रशासन में लोक सम्पक को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। सरकारों विभाग के रूप में लोक सम्पक के मुख्य उद्देश्य में अवश्य ही होने चाहिए—(1) सरकार द्वारा संचालित अभियानों (उदाहरणार्थ— छाटी बचतों या परिवार नियोजन) में जनता का सम्प्रयोग के लिए प्रेरित करना (2) सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और कानूनों (उदाहरणार्थ वगना देश की समस्या या राजाशा के सालियानों की समाप्ति) के समर्थन के लिए जनता में प्रचार वाक्य न केवल शासन प्रशासन में सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह समय समय पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं सम्बन्धी अपनी नीतियों से जनता का अवगत कराती रहे क्योंकि जनता के सतक और प्रतिक्रिया समर्थन के बिना इन नीतियों का परिपालन भी कठिन है। कई बार सरकार के आंतरिक या बाह्य विराधियों के जवाब में जवाबी प्रापेण्डा भी करना पड़ता है। यही दानों भू मर्राए नाक-सम्पक को निभानी पड़ती है तथापि हम स्मरण रखना चाहिए कि इन दानों कामों की कुछ सीमाएँ निर्धारित हैं। ब्रिटिश संसदीय रूप की शासन प्रणाली (जो भारत में प्रचलित है) के अन्तर्गत सत्ता-राजनीतिक दल और सरकार का पृथक् माना जाता है अतः सरकारी प्रचार मशीनरी को राजनीतिक दलों के प्रोपेण्डा के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सानियत रूप में दानों दानों का अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में दल और सरकार में इस प्रकार का अन्त नहीं माना जाना अतः वहाँ प्रचार में कोई भेद या प्रतिवध नहीं है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में भी सरकारी प्रचार या पब्लिसिटी के कई मौकों पर राजनीति एवं दलगत प्रचार के लिए प्रयुक्त करने की गुंजायश रहती है।

सरकारी प्रचार और लोक सम्पक पर सन्देह भी किया जाता है। कई लोग सरकारी प्रचार की समस्त गतिविधियों का बराब भी करते हैं। जन माधारण सरकार और दूसरी पब्लिसिटी करने वाली अन्य संस्थाओं को दा परस्पर विरोधी मापदण्डों से आकृत हैं। कोई बड़ी पेट्रोल कम्पनी जब अपने मातृ की पब्लिसिटी के लिए कराइस स्पण लच करती है और यह स्था भी ग्राहकों से वसूल करती है तो लोग इसको बुरा नहीं मानते। किंतु यदि सरकार अपनी सजाओं के बारे में जनता को अवगत कराए तो आपत्ति उत्पन्न पानी है और कहा जाता है कि करणता के रूप में जो वधान किया जा रहा है।

सरकारी लोक सम्पर्क का विरोध उन राजनीतिक दलों को भी किया जाता है जो शासनाखंड पार्टी का विरोध करते हैं। उन्हें सना यह स देह रहता है कि सरकारी प्रतिनिधियों को शासक पार्टी के प्रोपेगण्डा के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है।

लोक सम्पर्क का विरोध प्रभु प्रतिनिधियों और सवाहदाताओं की ओर से भी होता है। वे समझते हैं कि समाचार संकलन क पेशावराना काम में लोक सम्पर्ककर्ता उनका प्रतिस्पर्धी हैं। उनकी चर्चा हम पाछ कर चुके हैं और स्पष्ट कर चुके हैं कि राष्ट्रपति और गण-सेवा के सदन में लोक सम्पर्क का योगदान क्या है।

लोक सम्पर्क स्थापित करने का माध्यम

सरकार के जो भी माध्यम होते हैं वे सभी उन सम्पर्क के माध्यम हैं। प्रचार के मुख्यतः तीन माध्यम हैं—दृष्टि मूलक, श्रवण मूलक तथा दोनों का योग। प्रथम श्रेणी में पोस्टर, प्रदर्शनी, मुक्त चित्रपट आदि आते हैं। द्वितीय श्रेणी में आकाशवाणी के प्रसारण, गोष्ठी, भाषण आदि शामिल हैं तथा तृतीय श्रेणी में बोलते हुए चित्रपटों को दिया जा सकता है। इन सभी माध्यमों का प्रयोग करके प्रशासन जनता तक अपनी बात पहुँचाना है। लोक सम्पर्क स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम स्वयं कमचारी है। यह धारण्यक है कि सरकारी कमचारी विनीत और शिष्ट हों तथा अभिकरण काय संचालन की प्रकृति से सुपरिचित हों। व्यक्तिगत साक्षात्कार जितना अधिक प्रभावशाली होगा प्रशासन की मर्यादा उतनी ही अधिक सुरक्षित होगी। एक अभिकरण द्वारा जिस रूप में रिकार्ड स रखे जाते हैं उनका भी जन सम्पर्क पर प्रभाव रहता है। व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से रखे गए रिकार्ड स जनता के लिए सुविधाजनक रहते हैं और इसलिए अधिक लोक सम्पर्क हो पाता है। प्रत्येक जनता प्रशासन के बारे में भ्रमक धारणाएँ बना लेती है। सरकारी अभिकरणों की अपने ऐसे विशिष्ट लेख प्रकाशित करने चाहिए जिनमें उनके उद्देश्य, लक्ष्य, कार्य आदि का बखान हो। लोक प्रतिवेदन (Public Reportings) के साधनों का भी समुचित विकास किया जाना चाहिए और ऐसे नियतकालीन प्रगति विवरण (Periodic Progress Reports) प्रकाशित किए जाने चाहिए जिनमें सरकारी अभिकरणों की उपलब्धियों का मक्षिप्त बखान हो। लोक-सम्पर्क के इन सभी आधुनिक साधनों के साथ साथ महत्वपूर्ण परम्परागत माध्यमों जैसे—लोक नृत्य, नाटक और कठपुतलिया का भी उपयोग किया जा सकता है। सरकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेल आयोजित करके जनता को अपनी उपलब्धियों से परिचित कराती है।

भारत में लोक-सम्पर्क मशीनरी

भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास लोक सम्पर्क की विशाल व्यवस्था है जिसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय और चलते फिरते केन्द्र सारे देश में फैले हुए हैं। ये माध्यम एक ही ढंग से लोक-सम्पर्क के यंत्र हैं—आकाशवाणी, पत्र

सूचना कायालय फिल्म विभाग विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय प्रकाशन विभाग भीत और नाटक विभाग भारत क समाचार पत्रा क रजिस्ट्रार का कार्यालय के द्वीय फिल्म से नर बाड भारतीय फिल्म तथा दूरदर्शन सस्थान राष्ट्रीय फिल्म सप्रहालय, गुवपणा तथा स म विभाग क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय फिल्म ममारोह निदेशालय फोटा विभाग का मुख्य स मर का कार्यालय। ये एकक समूच देश क लोगा को सरकार की नीतिया योजनाया और कायरमा की जानकारी करात हैं। य सरकार की नीतिया ग्रार गतिविधिया क प्रति जन साधारण म हुई प्रातक्रियाया को सरकार तक भी पहुँचात हैं। इसके अनावा ये राज्य स वारा तथा सचार स सम्बाधत उनके विभिन्न सगठना से भी सम्पक रखते हैं। मन्त्रालय इन माध्यम एक्को के कायों म समन्वय करता है और नीति सम्बन्धी मामला म इनका मागदर्शन करना है। 1975-76 क दौरान म राज्य और इनके माध्यम एक्को ने 20-सूत्री आर्थिक कायम तथा सरकार द्वारा लिए गए अग्र मुख्य नीति सम्बन्धी निर्णयो को व्यापक प्रचार समर्पन देन क लिए कायक्रम बनाए। केन्द्रीय माध्यम एक्को के कायक्रमा को सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा सप्ताह म दो बार बठकरके कन्द्रीय निर्देशन दिया गया। बठका क पश्चात् कायक्रमा की विस्तृत याजना बनाकर उनको कार्यान्वित किया गया। इन कायक्रमो का पुनर्विलाकन और मूयांकन करन तथा समीक्षाया और नई आवश्यकताया को ध्यान म रखत हुए उनका पुनर्विधास करन की नियमित पद्धति भी चालू की गई है।

विदेश म ज्ञानय का विदेश प्रचार विभाग विदेशियों को भारत सरकार की नीतियो की विस्तृत जानकारी देता है और उनकी धारया करता है। यह विदेशाम स्थित भारत के मिशनो को वितरण के लिए प्रचार सामग्री देता है और उनसे प्राप्त सामग्री भारतीय समाचार पत्रोको दी जाती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कायक्रमा के अन्तगत भारतीय पत्रकारो को विदेश भेजा जाता है और विदेशी पत्रकारो को भारत म सुविधाए दी जाती हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अधीन मूल्यांकन निदेशालय की स्थापना की गई है ताकि विभिन्न प्रचार माध्यमा की पट्टक क अनुपात व्यय तथा प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। विभाग कायक्रमो के सुधार नीति आयोजन तथा लागत क अधिक श्रद्धे उपयोग निमित्त आवश्यक सूचना प्रदान करन क लिए संवर्धण भी करता है। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयो के लिए तत्कालीन परिणाम और दीघकालीन लाभ पर मूयांकन अध्ययन आरम्भ करने तथा समन्वय करने के लिए भारतीय जन सम्पक सस्थान का मूयांकन अध्ययन विभाग आधार का काम देता है। इस विभाग के अध्ययन सस्थान के बाहर से आमन्त्रित एक अध्यापक है—

भारत सरकार की गोक-सम्पक मशीनरी भारतीय लाक सम्पक या जन

सम्पक संस्थान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिवर्तना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनसम्पक के माध्यम से उपयोग और उनके विकास में प्रशिक्षण देना और उनके अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करना है। संस्थान के कार्य का माटे तीर पर विभाजन इस प्रकार है—प्रथम अनुसंधान मूल्यांकन और परामर्श देना का कार्य तथा विचार ग्राह्यता या क्षेत्रीय गतिविधियां। ये सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं और इनका सामान्य उद्देश्य तकनीकी और यावसायिक निष्पत्ता प्रदान करना या ऐसे मामला पर विचार विमर्श करना है जो विकासशील और ताकतांत्रिक समाज की समस्याओं से सम्बंधित जनसम्पक के माध्यम से कार्यकरण में सहायक है।

सरकारी लोकसम्पक में सामान्य विचारणीय बातें

लोकसम्पक का कार्य जनता से करना है जिनका प्रायः समझा जाता है। लोकसम्पक की प्रभावशाली व्यवस्था अनेक बातों की मांग करती है अनेक बाधाओं का निराकरण चाहती है—

↓ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लोकसम्पक व्यवस्था के जनरल एडवर्ड बर्नेज ने अपनी सुविधागत कृति पर एक रिलेशन में लिखा है— लोकसम्पक में सफलता का पता मापान चरित्रगत आचरण की पवित्रता है। इस क्षेत्र में आत्मशुद्धता बड़ी है जो प्रत्येक परिस्थिति में तटस्थ और निष्पक्ष रह कर तत्काल विचार करने की क्षमता रखता है किंतु यह आवश्यक है कि तटस्थता के बावजूद उसकी सहृदयता और सबदन्तशीलता अक्षण रहे तथा उसके आदर्शकलाकार की सी कृपा और अभिवृत्ति बनी रहे।

✓ लोकसम्पक मशीनरी के जनता से मिलना जाता को प्रेरण और जनता का विश्वास के सिद्धान्तों के अनुसार काम करना चाहिए।

✓ एडवर्ड बर्नेज ने लोकसम्पक के एक आदर्श कार्यकर्ता का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह सरकारी लोकसम्पक के लिए अनुकरणीय है— सच्चाई और ईमानदारी के साथ साथ लोकसम्पककर्ता में बुद्धि और विवेक के गुण भी होने चाहिए। तटस्थ होने के कारण वे प्रत्येक दिशा में अपनी पूरा-पूरा ध्यान दे सकेंगे किंतु उसकी तटस्थता उम्र उम्र साहजिक रूप से बनाएगा क्योंकि निष्ठा और भावना उम्र और पर प्रयत्न करते रहने को प्रेरित करेगी। समस्याओं को समझने की विज्ञानता, जीवन का सततामूर्ती रूप में अध्ययन करने का वातावरण उम्र के सांस्कृतिक मूल्यांकन का सुष्ठु और विस्तृत बनाएगी विशेषण और समन्वय देना प्रकार से वह एक परिस्थिति की गहराई तक पहुँचेगा और उसकी प्रवृत्तियों में तटस्थता उम्र की सहायता करेगी किंतु तटस्थता उम्र के अतिवृत्त और ईमानदारी से सब गुणों के

हात हुए भी वह सफल नहीं हो सकता जब तक उस सामाजिक विमाना और लोक सम्पर्क का नरुनीकी जान न हो ।

4 लोक सम्पर्क अधिकारी का लोक सम्पर्क का भाग । पर अधिकार होना चाहिए । यह बहुत ही अच्छी बात होगी कि लोक सम्पर्क अधिकारी एक सफ़्त पत्रकार और समाचार लेखक भी हो । भाषण करने की और बना सगान प्राप्ति अथ माध्यमों का अपने काम के लिए प्रयोग में जान की योग्यता भी उसमें जाना चाहिए । एक शक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो पत्रकार हो अच्छे लेखक हो भाषण करना भी जानते हो और हमारे माध्यमों का सदोजन करने में भी सफल हो ।

5 लोक सम्पर्क अधिकारियों को आत्माभिपति में कृपान और आत्म विवेक से परिपूर्ण जाना चाहिए । लोक सम्पर्ककर्ता को बर्र बार ए ही समय में राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री से लेकर सभा में दूरी बिछाने वाल मजदूर तक के सम्पर्क में आना पाना है । अतएव उसे न तो किसी बड़ अधिकारी के सामने किसी मिथ्या सवाच का अनुभ करना चाहिए और न ही अपने से छोटे कमचारी के सामने भूय अहका को मन में स्थान देना चाहिए ।

6 लोक सम्पर्क हेतु किए गए पत्र व्यवहार की भाषा सरल, निष्ठ और प्रामाणिक होनी चाहिए । निपटामक वाक्या का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए । पत्र में सच्ची महानुभूति और हार्दिक अपनत्व टपकना चाहिए । यदि पत्रकारी या दु ज्ञानी पत्रों का भाषा को ऐमा रूप दिया जाना चाहिए ताकि वह किसी अप्रशिक्षित श्रमिक का कारण न बन जाए ।

7 लोक सम्पर्क का भाग में मुख्य बाधाएँ हैं—निरक्षरता आधुनिक सरकार की जटिलता जनता की उन्मानता सरकारी कमचारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का महत्ता को न समझना लोक सम्बंध स्थापित करने के लिए उपलब्ध धन की अपर्याप्तता जनता का गलत दृष्टिकोण तथा लोक-सम्पर्क के उत्तम तरीकों का अभाव । सरकार को इन सब बाधाओं का निराकरण के लिए समुचित कर्म उठाने चाहिए ताकि लोक सम्पर्क की मशीनरी कृपानतापूर्वक काम कर सके ।

8 लोक सम्पर्क जनता के किसी एक वर्ग से नहीं बर्र सभी वर्गों से स्थापित करना चाहिए । यह आवश्यक है कि जापक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाल जन वर्गों को विश्वास में लिया जाए ।

लोक सम्पर्ककता होना चाहिए लोक-सम्पर्ककर्ता को किन गुणों से विभूषित होना चाहिए आदि बातों का अनुकरणीय सकेत हम अमेरिकन पत्रिक रिन्स से एसोसिएशन द्वारा स्थापित नियमों और प्रतिज्ञाओं तथा पत्रिक रिन्स से सासादी अमेरिका के प्रतिज्ञा पत्र से मिलता है । ये इस प्रकार हैं—

1. अमेरिकन पत्रिक रिन्स एसोसिएशन द्वारा स्थापित नियम और प्रतिज्ञाएँ—हमें मानता है कि सरकार और सरकार सरकार और जनता जनता

घोर दण, व्यक्ति और जनता म पर पर सहयोग और तानमेल उपन करन की एक मुख्य और प्रभावशालक साधन लोक-सम्पर्क है ।

२/ मैं मानता हूँ कि लोक सम्पर्क का काम सम्पन्न करने के लिए विशाल जानकारी तकसगत और निष्पक्ष विचार करने की क्षमता मूकबुद्धी कोषण कल्पना शक्ति आत्माभिव्यक्ति जनता से प्रेम और सहानुभूति की भावना और इन सबसे अधिक सच्चाई और ईमानदारी की आवश्यकता है ।

३/ मैं समझता हूँ कि लोक सम्पर्क में जनता तक पहुँचने के विभिन्न माध्यमों की जानकारी बहुत आवश्यक है । इन माध्यमों में पुस्तक-पुस्तिकाएँ समाचारपत्र पत्रिकाएँ व्यापार सम्बन्धी प्रकाशन कर्मचारियों की पत्रिकाएँ सस्था पत्रिकाएँ वाणिज्य रिपोर्ट पम्फ्लिट फोन्ट भाषण चलचित्र फोटोग्राफ रेडियो टेलीविजन नाटक इत्यादि प्रमुख हैं । इनमें प्रदर्शनियाँ प्रार्थना के आयोजन भी शामिल हैं जो लोक सम्पर्क के काम में सहायता दे ।

४/ मैं जिन व्यक्तियों और व्यवसायों की ओर से लोक सम्पर्क का काम करूँगा उनके विश्वास का पूरा निष्ठाऊँगा इसी प्रकार लोक सम्पर्क माध्यमों और जनता के प्रति भी कभी विश्वासघात नहीं करूँगा । मैं कभी दो विरोधी पक्षों की पब्लिसिटी का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करूँगा और न ही किसी ऐसे व्यापार की पब्लिसिटी करूँगा जो समाज और राष्ट्र हित के अनुकूल न हो । मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जो नतिक दृष्टिकोण से उच्चतम स्तर पर पूरा न उतरता हो ।

५/ मैं एक सच्चे नागरिक के सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों को पूरा करूँगा । मैं लोकमत के रहानों लोकमत के निमाण और लोकमत में परिवर्तन करने वाली शक्तियों के प्रति सतक और सचेत रहूँगा और अपनी पब्लिसिटी के काम में झूठ प्रयोग का प्रयोग कभी नहीं करूँगा ।

६/ मैं लोक-सम्पर्क के काम में नए मुवकित्त प्राप्त करने के लिए न तो किसी घोसाघड़ी से काम लूँगा और न ही कोई ऐसा दावा करूँगा जो निराधार हो और अपने काम से मैं उन लक्ष्य नियमों उपनियमों का ईमानदारी से पालन करूँगा जो सरकार या कानून द्वारा जनता की सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए लागू किए गए हैं । मैं कोई ऐसा काम भी न तो करूँगा और न ही होने दूँगा जिससे लोक-सम्पर्क की प्रविष्टा को भ्रष्ट घाएँ या तो इस व्यवस्था को बर्तनी का कारण बने ।

७/ मैं लोक सम्पर्क में विश्वास रखता हूँ क्योंकि लोक सम्पर्क राष्ट्र के आधिक सामाजिक और बौद्धिक सत्तुत को स्थिर रखने का महत्वपूर्ण उपकरण है ।

८/ मैं लोक सम्पर्क का इस प्रतिपादा में विश्वास रखता हूँ ।

(अ) पब्लिक रिलेशन्स सोसाइटी अमेरिका का प्रतिज्ञा पत्र—। अमेरिका का पब्लिक रिलेशन्स सोसाइटी के सन्त्य और सह सन्त्य हान के नाम हम लोक-

सम्पक ध्यवसाय को प्रतिष्ठा और गौरव गौरवों को अक्षण बनाए रखना अपना कर्तव्य मानते हैं और इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने मुवक्किलों और मानिका व हितों और जन साधारण के सामूहिक लाभ को दृष्टि में रखते हुए ही अपना सारा कामकाज करेंगे।

42/ ईमानदारी सचवाई और शालीनता को हम नोक सम्पक के मापदण्ड स्वीकार करते हैं।

43/ हम अपने मुवक्किलों और मानिकों द्वारा प्रतिष्ठापित विश्वास का सम्मान करते हैं और उसे सबदा बनाए रखेंगे।

44/ हम अपने मुवक्किलों या मानिका व भुकाबतों में उनको जानकारी या स्वीकृति के बिना कोई कस नहीं देंगे।

45/ हम लोक-सम्पक के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस ध्यवसाय से अप्टाचार का उन्मूलन करेंगे।

46/ हम नोक सम्पक के वावसायिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देंगे और नोक सम्पक में शिक्षण देने वाली संस्थाओं की स्थापना में सहायता करेंगे।

47/ लोक सम्पक में जनता का विश्वास बनाने और बनाए रखने का एकमात्र उपाय यही है कि हम उपयुक्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से अपनाएँ।

16

केन्द्रीकरण व विकेन्द्रीकरण (Centralization Deentralization)

वृद्ध विचारका का मत है कि संघटन की घटक समस्याओं में एक प्र-
समस्या भी महत्वपूर्ण है कि प्रशासन की पूर्ण नियंत्रण एकता एवं निश्चितता की
स्वाभाविक इच्छा का जनता की इस मांग से किस प्रकार सामंजस्य बठाया जाए
कि सरकारी प्रशासन को स्थानीय भावनाओं के अनुरूप जाना चाहिए।¹ दूसरे शब्दों
में संघटन के सम्बंध में एक मुख्य समस्या यह उठती है कि सरकारी प्रशासन को
केंद्रीकृत रखा जाए अथवा उसके विकेंद्रीकरण किया जाए। जहाँ नियोजित
अथव्यवस्था, सशक्त एवं प्रभावशाली प्रतिरक्षा तथा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता
केंद्रीकरण पर बल देती है व सामान्य जन-सहयोग से लोकतंत्र की स्थापना
का आश्वासन और क्षेत्रीय स्वायत्तता की बढ़ती हुई मांग विकेंद्रीकरण ई
समर्थन करती है। भारत में योजना आयोग केंद्रीकरण का प्रतीक है तो पंचायत
राज विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का।

केन्द्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अर्थ

केंद्रीकरण का अभिप्राय है कि सत्ता शीघ्र अथवा उसके प्राप्त प्राप्त एकत्र
होनी चाहिए जबकि विकेंद्रीकरण का अर्थ है—अनेक व्यक्तियों या इकाइयों के मध्य
सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। ह्यून्ट क शब्दों में प्रशासन के निम्न तल से
उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का केंद्रीकरण
कहते हैं जबकि इसके ठीक विपरीत व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कहा जाता है।²

केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के अर्थ को हम एक अर्थ प्रकार से स्पष्ट
कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण के निम्नलिखित पाँच पक्ष हैं और इनके विपरीत जो
व्यवस्था या प्रबंध होता है उसको केंद्रीकरण की व्यवस्था कहा जाता है—

1 सत्ता का हस्तांतरण इस प्रकार किया जाए कि स्वयंसेवा से कार्य करने
का विशाल क्षेत्र अधीनस्थ अधिकारियों को मीपा जाए तथा शासक्य मुख्य अधिकारी
को कम से कम प्रश्न सम्बोधित किए जाए। (प्रशासकीय पहलू)

1 J C Ch of swarth Governmental Administration p 207

2 Whittop cit p 37

२/ संगठन की व्यक्तिगत इकाइया को अधिक शक्ति सौंपी जाए तथा मुख्य कार्यालय में नियंत्रण का कुछ मूल शक्तियां को ही रखा जाए। (प्रशासकीय पहल)

३/ निर्वाचित निकाया के हाथ में अधिक शक्ति सौंपी जाए और प्रशासन के कार्यों में जनता का पूरा पूरा सहयोग रहे। (राजनीतिक पहल)

४/ जनता के निकट की तथा मुख्य कार्यालय के दूर की क्षेत्रीय इकाइयों का स्वतंत्रता दी जाए। (मौलिक पहल)

५/ विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने के लिए विभिन्न विभागों को वाय की स्वतंत्रता दी जाए। (कार्यात्मक पहल)

विकेंद्रित व्यवस्था का सारस्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्तियां के समपण या हस्तान्तरण में है और इन लक्षणों के विपरीत संगठन का जो व्यवस्था होती है वह केन्द्रीकरण की है। इस सम्बन्ध में कई विभाजन देखा निश्चित तथा अतिम रूप में नहीं गीची जा सकती। अधि-सरण रूप में यह कह सकते हैं कि यदि केन्द्रीय कार्यालय को अधिक शक्तियां दी गई हैं तो वह व्यवस्था केंद्रित व्यवस्था के केन्द्रीकरण के निकट है और यदि क्षेत्रीय कर्मचारियों को पर्याप्त शक्तियां दी जाती हैं तो वह विकेंद्रित संगठन या विकेंद्रित व्यवस्था है। और भी स्पष्ट शब्दों में जिस प्रशासकीय पद्धति में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के हाथ में अधिक शक्ति निहित हो जिसके परिणामस्वरूप निम्नतर शासकीय स्तरों के कर्मचारियों की शक्ति और विवरण में कमी आने से उसे केन्द्रीकृत व्यवस्था (Centralized System) कहते हैं। इसके विपरीत जिन प्रशासकीय प्रणालियों में कानून या सावधान के द्वारा स्थानीय प्रशासकीय निकायों (Bodies) में काफी अधिक शक्ति रखी गई है उसे विकेंद्रित व्यवस्था (Decentralized System) कहते हैं।

दिलोबी के शब्दों में अधिक केन्द्रीकृत व्यवस्था में स्थानीय इकाइयों के कम वायवाहक अभिकरण (Executive Agencies) के रूप में कार्य करती हैं। वह अपनी पहल (Initiative) से कार्य करने की वाइ शक्ति प्राप्त नहीं होती प्रत्येक कार्य के लिए वायवाहक का आश्रय लिया जाता है यद्यत्कि अन्तरिक प्रशासन (Internal Administration) के मामलों—जैसे कि कर्मचारियों की पदावधि, प्रशासन के साधनों का जुटाना (The Purchase of Supplies) आदि में भी क्षेत्रीय कार्यालयों को मुख्य वायवाहक का पूर्व अनुमति नहीं पनी है।¹ अतः विपरीत जिस व्यवस्था में क्षेत्रीय निकायों का कम बात का पर्याप्त छूट प्राप्त होती है कि वह मुख्य कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना स्वयं ही विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में निर्णय ले लें उसे विकेंद्रित व्यवस्था कहते हैं।² इस पद्धति में

प्रशासकीय सत्ता विकेंद्रित कर दी जाती है। स्थानीय कमचारियों को प्रथम श्रेणी इकाई
सूक्ष्म और विवेक के अनुसार कार्य करने की काफी शक्ति प्राप्त रहती है। वे
स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रश्नों के द्वितीय कार्यालय को सूचित किए
दिना ही हल कर सकते हैं। स्थानीय इकाइयों की अपना सत्ता रहता है वे प्रधान
कार्यालय के वायव्याहक-मात्र के रूप में कार्य नहीं करती।

उत्प्रेक्षणीय है कि केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के बीच का अंतर बहुत
कुछ मात्रा का है, गुण का नहीं। यदि पूरी तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था होती है तो
संगठन का अध्यक्ष कार्य भार सँभालता है और पूरी तरह से विकेंद्रित व्यवस्था
को अपनाया जाता है तो दायजकता फल जाती है। फालर (Fesler) ने इन दोनों
अवधारणाओं के बीच अंतर इन शब्दों में स्पष्ट किया है—

कोई सत्ता के केंद्रीकरण की ओर उन्मुख हो रही है अथवा विकेंद्रीकरण की ओर
 उन्मुख अनुमान मुख्यालय द्वारा निर्णीत मामलों की तुलना में उन मामलों के महत्त्व
 का अवलोकन कर जिन पर अधिकारियों को निगम देना सत्ता प्राप्त है मुख्यालय
 में उठने वाले और वही निर्णीत होने वाले मामलों में क्षेत्रीय अधिकारियों (Field
 Officers) से केन्द्र के परामर्श की सीमा और एस क्षेत्रीय अभिमत (Field Opinion)
 के महत्त्व की सीमा से लगाया जा सकता है। कोई मामला चाहे कार्यक्षेत्र (Field) में
 ही क्या या उधर हो और कुछ सीमा तक नहीं उस पर कार्यवाही ही क्या नहीं जाए
 केंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण की सही स्थिति जानने के लिए यह देखना ही होगा
 कि वह कितनी बार क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मुख्यालय को भेजा जाता है उस
 क्षेत्र के निष्पत्ति के निर्णय प्रस्तुत करने वाले आदेश तथा केंद्रीकृत विनियमों की सख्या
 क्या है उसमें क्षेत्रीय निगमों का निरस्त करने के बारे में जनता की अपील की
 क्या गुणवत्ता है प्रत्यक्ष भौगोलिक क्षेत्र में अभिमत के कार्य किस सीमा तक एक
 ही क्षेत्राधिकारी द्वारा संचालित होते हैं तथा क्षेत्रीय अधिकारियों की योग्यता क्या
 है। केवल क्षेत्रीय सत्ता का अस्तित्व और उस पर अधिक कार्यभार तथा उसमें
 अभिमत के कमचारियों को 1/10 हिस्सा होना ही विकेंद्रीकरण का द्योतक
 नहीं होता।

निष्पत्ति रूप में डॉ. एम. पी. शर्मा के शब्दों में केंद्रीकरण और
 विकेंद्रीकरण का प्रश्न एक ही संगठन के भीतर उच्चतर और निम्नतर अधिकारियों
 के बीच संगठन के प्रधान कार्यालय और अग्रभूत इकाइयों के बीच, सरकारी और
 सार्वजनिक या गैर सरकारी तत्त्वों के बीच प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के
 बीच, तथा प्रधान कार्यालयी अधिकारियों और कृषमूलक विभागों तथा अभिमतों
 के बीच उठता है। माट तौर पर यदि निष्पत्ति करने की अधिक शक्ति उन्मुख

स्तरो पर इन प्रकार एकत्र हो जाए कि निम्नतर = रा के अधिकारी लगभग प्रत्येक प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए अपने स ऊच अधिकारी क अथवा उ चतम अधिकारी के पास दौड़त रह ता यह माना जाएगा कि संगठन का स्वरूप केन्द्रित है। इसके विपरीत विकेंद्रित संगठन के भीतर अधिकांश मामला म निर्णय करने की शक्ति निम्न अधिकारियों के हाथ म रहती है तथा अपेक्षाकृत कम मामल उ चतर अधिकारियों क पाम भेज जात हैं। उ चतर अधिकारियों के पाम केवल व ही मामले भेजे हैं जो बड़ अथवा बहुत महत्वपूर्ण होत हैं। केन्द्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सार निर्णय की शक्ति क वितरण म निहित है। किसी भी संगठन म निर्णय के कृत जितन कम होते हैं, वह उतना ही अधिक केन्द्रित माना जाता है। इसके विपरीत निर्णय के जितन अधिक केन्द्रित किसी संगठन म हात हैं वह उतना ही अधिक विकेंद्रित माना जाता है। यहा यह बात ध्यान म रखनी चाहिए कि केन्द्रीकरण और विकेंद्रीकरण क बीच केवल मात्रा का अंतर है। कोई मौलिक या प्रकारांतरगत अंतर नहीं है क्योंकि न तो कोई संगठन पूर्णतया केन्द्रित हो सकता है और न पूर्णतया विकेंद्रित। यदि यह पूर्णतया केन्द्रित हागा ता प्रत्येक मामले म निर्णय करने की शक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकारी क तथा म केन्द्रित हो जाएगी जिसका परिणाम यह होगा कि उसके पाम काम का ढर तग जाएगा और वह किसी भी स्थिति म उसे निपटा नहीं सकेगा। दूसरी ओर पूर्ण विकेंद्रीकरण का अर्थ हागा अराजकता—प्रत्येक स्टाई अपने क्षेत्र म एकदम स्वच्छ होकर निर्णय करेगा। वास्तव म केन्द्रीकरण और विकेंद्रीकरण का प्रश्न दाना क स तुलन का प्रश्न है।

भारतीय नाक प्रशासन म यह समस्या गम्भीर विचार विमर्श का विषय बना है कि सरकार की शक्ति का केन्द्रीकृत रखा जाए अथवा उसका विकेंद्रो करण किया जाए। दोनों ही भागों को अपनाते क लिए नीति निमानाश्रा पर दबाव डाले जाते हैं। नियोजित अथ यवस्था मजबूत एव शक्तिशाली प्रतिरक्षा की आवश्यकता तथा राष्ट्रीय एकीकरण आदि कुछ बातें ऐसी है जा केन्द्रीकरण की ओर दबाव डालती हैं किंतु दूसरी ओर प्रजात न का गाव गाव तक पहुचान की म ग तथा विभागा का कुछ स्वायत्तता देने का प्रश्न विकेंद्रीकरण की ओर सक्त करता है। मान्य म इस प्रकार का सामंजस्य करना आवश्यक है कि बिना एक के अभाव के दुपरिणामो को मुगत हुए ही दोनों क नाभा को प्राप्त कर लिया जाए।

विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन (Delegation) म अन्तर

विकेंद्रीकरण की यात्रना प्रत्यायोजन (Delegation) का या ना म भिन्न है। दोनों क बीच मौलिक अंतर यह है कि विकेंद्रीकरण की अवस्था म म्यानीय निकाया का जा शक्तियाँ गौरी जाती हैं अथवा प्रायः स्वायत्तता हैं और उन क्षेत्र म दिए गए कार्यों का उत्तरदायित्व पूरी तरह स उनक वय तक या पर दी रहता है प्रत्यायोजन म यह स्थिति नहीं रहती। उनम क्षेत्रीय अभिकरणों का ना कार्य मीये

जाते हैं उन्हें करने के लिए न तो वे स्वायत्त होती हैं और न ही उनकी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अमल में वे मुख्य कार्यालय के नाम पर उन शक्तियों का उपभोग करती हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य अधिकारी समय-समय पर आदेश जारी कर सकता है अथवा अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किए गए निर्णयों को निस्संशोधन कर सकता है। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का निष्पत्ति सतथ्य से किया जा सकता है कि निर्णय लेने की शक्ति वही निहित है।

विकेंद्रीकरण के रूप या प्रकार

विकेंद्रीकरण के दो मुख्य रूप या प्रकार हैं—राजनीतिक और प्रशासकीय राजनीतिक विकेंद्रीकरण में शासन के नवीन स्तरों की स्थापना की जाती है। भारत में के अतन्त स्वायत्तता प्राप्त राज्यों की स्थापना और इसके अन्तर्गत पंचायत राज की स्थापना राजनीतिक विकेंद्रीकरण के अन्तर्गत आकरणी है। प्रशासकीय वितरण राजनीतिक एवं प्रशासकीय सत्ता के विघटन से ही सम्भव होता है। इस प्रशासन के साथ जनता को संयुक्त किया जाता है। प्रशासकीय विकेंद्रीकरण उच्चाकार (Vertical) क्षेत्रीय (Territorial) क्षतिज (Horizontal) और कार्यात्मक (Functional) होते हैं। पंचायत का तात्पर्य उच्च सत्ता से जो क्षेत्रीय प्रशासन का संगठन करती है और उसे कुछ स्वतंत्र शक्तियाँ तथा कार्य सौंपती है। क्षेत्रीय प्रशासन के अन्तर्गत आकरणी जिले और सम्भाग हैं। क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अन्तर्गत प्रशासकीय क्षेत्र होते हैं जिन्हें मण्डल (Circles) क्षेत्र (Zones) जिला (District) आदि कहा जाता है और इनको अपनी अपनी सीमा के अन्तर्गत निश्चय शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रादेशिक विकेंद्रीकरण में मुख्य कार्यालय तथा क्षेत्रीय अधिकारों के साथ सम्बन्धों की समस्या महत्त्वपूर्ण होती है। कार्यमक विकेंद्रीकरण में क्षेत्रीय सत्ता द्वारा निश्चय करने के कुछ क्षेत्रों तक की व्यवस्था प्रशासनिक विशेषज्ञों के निकायों को सौंप दिए जाते हैं। क्षेत्रीय मण्डल के साथ ही इन विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद वार एज्युकेशन विध्वविद्यालय आदि निकायों ऐसी समस्याओं के कुछ अन्तर्गत उदाहरण हैं।

आज के युग में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के अन्तर्गत प्रशासन में जनता द्वारा प्रत्यक्ष भाग लेने के रूप में विकेंद्रीकरण का महत्त्व और प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ह्युइट का मत है कि यदि प्रशासन की अधिक शक्ति लोकतांत्रिक चरम तक ले के छोड़े जाते हैं तो "शक्ति" व्यवस्था विकेंद्रित हो जाती है अथवा क्षेत्रीय सत्ता के हाथों में प्रशासन की अधिक शक्ति बनी होने पर क्षेत्रीयकरण की स्थिति होती है। टेनेसी घाटी अधिसत्ता के अध्याय निरीक्षण के अन्तर्गत विकेंद्रीकरण प्रशासन के निश्चय अन्तर्गत इस प्रकार है—

1 अधिकतम नियम क्षेत्र में ही किए जाने चाहिए। इन ध्येय को दृष्टि में रखकर क्षेत्र अधिकारियों का चयन तथा प्रशिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे मौजूद पर ही समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकें।

2 विकेंद्रित प्रशासन में जहाँ तक सम्भव हो जनता को प्रशासन में प्रथम भूमिका देने का अधिकतम अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इनके लिए यह आवश्यक है कि जनता कबन आकाश का पानन ही न करे वरन् सक्रिय सहयोग भी करे। रायों और स्थानाय निकायों की सेवाएँ परस्पर परत और सकारण होती चाहिए न कि कार्मिक और उपकरणों की आवृत्ति मात्र। यही नहीं उका पुरी तरह लाभ भी उठाया जाना चाहिए।

3 क्षेत्र में कार्य करने वाले विविध अभिकरणों के कार्य के मध्य सयोजन क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए क्योंकि केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा सयोजन का प्रथम दरा र्पित तथा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादा के अतिरिक्त और कुछ नही होगा।

अधिकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मात्रा के निर्धारक तत्त्व (Determinants of the Degree of Decentralisation of Authority)

यद्यपि अधिकार सत्ता के भारापण को उत्तम प्रवर्धनों की भारापण सामा प्रभावित करती है फिर भी विकेन्द्रीकरण की मात्रा कई तत्त्वों द्वारा प्रभावित होती है। प्रो कुन्ड एव प्रो आ डानन के अनुसार विकेन्द्रीकरण के निम्न तत्त्व हैं—

1 निराय का म वापन (Costliness of the Decision)—प्रवर्धनीय विकेन्द्रीकरण (Managerial Decentralisation) का सामा का निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व निर्णय की प्रकृति है। एक समान नियमों के सम्बन्धित सगठन हूँ महत्वपूर्ण एवं महँगे होते हैं उनको उच्च स्तर पर ही रखा जाएगा। कोई भी निर्णय महत्वपूर्ण उना समय माना जाता है तब वहाँ भाग्य की स्थिति प्रतिवागिता कमचारियों के मनावन धारों को प्रभावित करता है। इस प्रकार के निर्णय उच्च स्तर पर रखा जाता है और ऐसे निर्णय का निर्माण पर प्राक्क प्रभाव न हो पाता है निम्न स्तरीय प्रवर्धकों का मन होगा।

2 नीति का एकरूपता (Uniformity of Policy) — जब किसी सगठन में नीति का समान रूप लागू करा जाता है तब उसका अधिकार सत्ता एकरूप होती है वकारी के हाथों में आता है और जब नीति में एकरूपता की आवश्यकता नहीं होती उसका विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। विभिन्न कमचारियों का उस नीति को लागू करने के अधिकार होंगे। उदाहरणार्थ किन्ना वस्तु की कीमत किस्म मात्र

आदि म सभा आदि को समान माना जाएगा तब अधिकार सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। उक्ति विभिन्न आदि का माध्यम यह नीति अलग अलग जागू की जाती है तो वह नीति म एकरूपता का अभाव उत्पन्न करेगी और इसके परिणामस्वरूप अधिकार सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाएगा।

यद्यपि एकरूपता वा नीति स प्रमाणित उक्तिकेन सौम्यकी और विसीय लेखे तथा करन म आसानी रहती है और मजदूरी पण्यति दृष्टिया बर्सास्तगी आदि विषयो पर म सभा से प्रगति करन म आसानी रहती है फिर भी नीति म विभिन्नता के भी कई लाभ प्राप्त होते हैं जैसे प्रबंधकीय नव प्रवृत्तन (Man gerial Innovation) प्रगति संगठना मक प्रतियोगिता मनोबल और कायकुशलता म वृद्धि और प्रबंधकीय म शक्ति की पूर्ति को प्रोत्साहन।

इस प्रकार एकरूपता वा नीति के अंतर्गत संगठन म विकेंद्रीकरण की अधिक मात्रा होगी और इसके विपरीत नीति म असमानता होने पर विकेंद्रीकरण को मात्रा अधिक होगी।

3 आर्थिक आकार (Economic Size)—एक बड़ा आकार वाला संस्थान म कई विविध स्थानों पर लान पड़ते हैं और उन मर्भोका सम व्यव करना कठिन हो जाता है। इसके साथ ही कई विभाग और स्तर होने हैं। कठे विशेषज्ञों तथा प्रबंधकों को नियंत्रण निणय लेने पड़ते हैं। इनसे निणय लेन म देरी होती है और यह कठिन संगठन क लिए प्रहणा पड़ता है। इस कारणत का कम करन हतु उचित सम्भव हो अधिकार सत्ता का विकेंद्रायकरण किया जाना चाहिए। बड़ा उपक्रम की सफलता हेतु अधिकार सत्ता विकेंद्रित की जानी चाहिए यद्यपि विकेंद्रीकरण सीमा और पभावना विभिन्न संगठनों म उनके प्रबंधकों क गुण क कारण अलग अलग हो सकते हैं।

एक बड़ा उपक्रम की अमित उचित अधिकार-सत्ता क विकेंद्रीकरण सफल सीमा तक कम का जा सकती है। इसमें प्रत्येक विभाग को कायकुशलता म वृद्धि हो सकती। निम्न लेन म शास्त्रता दूसरा कर्णियों से सम्भाल्य करना कायजी कायवाही म कमी और नियंत्रण की कठिन म सुचारु आदि भी विकेंद्रीकरण से ही संभव हो सकते हैं।

छाट आकार क संस्थान म अधिकार सत्ता का विकेंद्रायकरण पाया जाता है क्योंकि कमचारिया की संख्या कम होती है और निणय उचित स्तरीय प्रबंधकों द्वारा लेन उनका प्रियावमन भी उचित पारा किया जाता है।

4 उपक्रम का इतिहास (History of the Enterprise)—अधिकार सत्ता का विकेंद्रीकरण करना इस बात पर भी निर्भर करता है कि मध्यम उपक्रम का विकास किस प्रकार हुआ है। नए एक ही मादिक आग उपक्रम बनाया जाता है वही पर अधिकार सत्ता का विकेंद्रायकरण नहीं होगा जबकि जहाँ निणय

क रूप म अथवा शयरषागियो द्वारा सस्थान चलाया जाता है वहाँ अधिकार सत्ता का विके-द्रीयकरण पाया जाता है । इसके साथ ही जिन उद्योगो म अकुशल प्कात्या को बुशल प्काइयो म मिनाकर अथवा सम्मेलन (Amalgamation) ारा एक बड उपत्रम को जम दिया है वहाँ पर प्रारम्भ म अधिकार-सत्ता का के-द्रीयकरण होगा लेकिन धीरे धीरे ढाद म व्ता विक-नीयकरण का नीति अपनार्न जाएगी ।

5 प्रब-ध दशन (Management Philosophy)—किसी भी उपत्रम के उच्च स्तरीय प्रब-धका के चरित्र एव दशन का भी अधिकार सत्ता क विक-नीयकरण पर प्रभाव पडता है । जहा पर प्रब-धक यह चाहते हैं कि अधिकारी-सत्ता उ-ही क हाथा मे कद्रित रहे और किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहत हैं वहाँ अधिकार सत्ता का क-नीयकरण (Centralisation) होता है । कम विपरीत जहा प्रब-धक यह समझत हैं कि अधिकार सत्ता क विके-द्रीयकरण स-प्रवसाय म वृद्धि ाती है आर्थिक कुशलता म वृद्धि ाती है और यह देग के औद्योगिक विकास म स-ायक है वहा अधिकार सत्ता का विक-नीयकरण पाया जाता है ।

6 स्वत-त्रता की इच्छा (Desire for Independence)—क-यक्ति अथवा यक्ति समूह स्वत-त्रता की मात्रा की इच्छा रखते हैं । निगम म देरी सूचना प्राप्त करन मे तन्त्रा ारी और काय का जिम्मेदारी दूमरे पर ालना आदि म बचन हतु यक्तिगत समूह स्वत-त्रतापूर्वक काय करने क इ-च्छुक होते हैं । ऐसा स्थिति म अधिकार-सत्ता का विक-नीयकरण होगा । कम विपरीत स्थिति म क-नीयकरण की व्यवस्था होगी ।

7 प्रब-धका की प्राप्यता (Availability of Managers)—अधिकार सत्ता के विके-द्रीयकरण हतु प्रब-धकीय मानव शक्ति (Managerial Manpower) की आवश्यकत प-ती है कयोकि निणव विभिन्न प्रब-धका द्वारा लिए जात है । यदि प्रब-धका की कमी है ता वहा अधिकार सत्ता का क-द्रीयकरण ही सम्भव-ा सक्गा । इसके लिए अ-च्छ प्रब-धका की अ-वश्यकता हावी बचत ागी । सविन प्रशिक्षण हतु बाह्य स्रोता पर निर्भर रहना प-गा । तसस प्रब-धका की पूर्ण भविष्य म कम हो जाएगी और उ-च्च स्तरीय प्रब-धका का गान दूमर योग्य प्रब-धको क अभाव म भरा न-ा जा सक्गा ।

आधिकार सत्ता क विके-द्रीयकरण स-प्रब-धकाय प्रशिक्षण (Managerial Training) की समु-वन व्यव-या हो सक्गी । इसस निम्न स्न ात्र प्रब-धका का निणय लन का प्रशिक्षण भी ाव्या जा सक्गा और अधिकार-सत्ता का क-नीयकरण हो जाएगा । प्रब-धकीय मानव शक्ति के विकास हतु विक-नीयकरण अ-वश्यक है ।

8 निय-त्रण तकनीक (Control Techniques)—उपत्रम क निय-त्रण क-न की कौनसी विधिवा या तकनीक अपनार्न जाी है य भी अधिकार सत्ता क विक-नीयकरण की मात्रा का प्रभावित करती हैं । बिना निय-त्रण की प्रविधिवा का

जाने अधिकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय। नियंत्रण में प्रयत्नाई जान वाली विभिन्न विधियाँ जस—सांख्यिकी उपकरण, लेखांकन नियंत्रण और अन्य प्रविधियाँ क विकेन्द्रीकरण से अधिकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रोत्साहन दिया है। विकेन्द्रीकरण से न तो नियंत्रण में कमी आती है और न निम्न स्तरीय नियंत्रण के अधिकार में दायित्व सम्पन्न होता है।

9 विकेंद्रित निष्पादन (Decentralized Performance)—यह एक तकनीकी विषय है जहाँ मनुष्य विभाजन की दृष्टि (Economics of division of Labour) मशीनों के उपयोग के अनुसार कार्य निष्पादन की प्रकृति (Nature of the work to be performed) के वे मान की स्थिति (Location of raw material) मनुष्य और उपभोक्ता आदि तत्त्वों पर निर्भर करता है। इस प्रकार का विकेन्द्रीकरण चाहें वह भौगोलिक (Geographical) अथवा भौतिक (Physical) ही क्यों न हो, लेकिन यह अधिकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है।

अब निष्पादन विकेंद्रित होता है तो अधिकार सत्ता भी विकेंद्रित हो जाती है क्योंकि अनुपस्थित प्रबंधक प्रबंध करने में असमर्थ हो जाता है। एक बड़े उद्यम में राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधक प्रबंधक के कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है और इसी सीमा के कारण विकेन्द्रीकरण आवश्यक होता है।

10 वास्तविक गतिशीलता (Business Dynamics)—इसी भाँ उपक्रम में अधिकार सत्ता विकेंद्रित हो यह इस बात पर निर्भर करता है कि उद्यम व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। एक व्यवसाय जो गतिशील है अर्थात् उसका विकास तेजी से हो रहा है तथा उद्यम के जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं तो इनके प्रबंधक जो कि नियंत्रण लेने का कार्य करते हैं वे अधिकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने हेतु तयार हो जायेंगे। लेकिन इस प्रकार के विकेन्द्रीकरण में अधिकार सत्ता केवल प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रबंधकों को दी जानी चाहिए। इसके विपरीत एक स्थितिक व्यवसाय (Static Business) में अधिकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति पायी जाती है। जहाँ पर कुछ मनुष्य नियंत्रण में हैं तथा समरूप नीति (Uniform Policy) को लागू करने होते हैं वहाँ पर अधिकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी तथा बीमा कंपनियों में विकेन्द्रीकरण की मात्रा सीमित होती है। नई चीजें कठोर प्रतियोगिता और रजनीतिक परिवर्तनों में व्यवसाय में गतिशीलता उत्पन्न होती है और उनके परिणामस्वरूप अधिकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण पाया जाता है।

11 वातावरण सम्बन्धी प्रभाव (Environmental Influences)—विकेन्द्रीकरण की सीमा को प्रभावित करने में समय के सांख्यिक तत्त्वों का ही महत्व है स्थान नहीं है कि कुछ बाह्य तत्त्व जस निष्पादन का विकेन्द्रीकरण

(Decentralization of Performance) यावसायिक गतिशीलता (Business Dynamics) और वातावरण सम्बन्धी प्रभाव आदि भास प्रभावित करते हैं। वातावरण सम्बन्धी प्रभाव विक्रीकरण को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। इनके अंतर्गत सरकारी नियंत्रण (Govt Controls) राष्ट्रीय एकतावाद (National Unionism) और कर नीतियाँ (Tax Policies) अधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं।

कई बार यावसायिक नीति के विभिन्न भाग पर सरकारी नियमन के कारण अधिकार के विक्रीकरण को अपनाता न केवल कठिन ही हो जाता है बल्कि कभी कभी यह अशुभ भी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी उपक्रम द्वारा उत्पादित वस्तु के मूल्य का निर्धारण करने हेतु निधारण में विक्रय प्रबंधक (Sales Manager) को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। उसी प्रकार निर्माण के कुछ घण्टे काय निश्चय मजदूरी दर पर करना है ताकि उमक काय के घण्टे व मजदूरी निर्धारण का काय स्थानीय मण्डल प्रबंधक (Local Division Manager) नहीं कर सकता है।

इसी प्रकार से उच्च प्रबंधक भी एक नीति के नियंत्रित पहलू (Controlled aspect of Policy) पर बंध अधिकार सत्ता नहीं रखना है। अतः वह हम पर की अधिकार सत्ता जो कि उसके पास नहीं है का भारोपण नहीं कर सकता है। सरकारी नियमन का अधीनस्था की परदा पर उच्च प्रबंधक को का विद्यमान न होने से भा अधिकार सत्ता का विक्रीकरण नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय एकतावाद (National Unionism) के विकास से यावसायिक पर एक केंद्रित प्रभाव ही पडा है। एक कम्पनी के श्रम संध से समझौता करने हेतु अधीनस्था का उच्च प्रबंधक से अधिकार सत्ता प्राप्त हो जाता है और हमस विक्रीकरण सम्भव हो जाता है लेकिन जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर श्रम संध मुख्यालय के प्रबंधक से सामूहिक सौदा प्रमविदा (Collective Bargaining Contract) किया जाता है तब एक कम्पनी निर्णय लेने में विक्रीकरण का सहारा नहीं ले सकती है।

सरकारी आय (Govt Revenue) के उद्देश्य से लगाए गए कर चाहे वे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार से लगाए गए हों अथवा स्थानीय सरकार के द्वारा लगाए गए हों यावसायिक को नियमित करने में बड़ा प्रभाव डालते हैं। एक कम्पनी के प्रबंधक हेतु समरूप कर नीति (Uniform Tax Policy) महत्वपूर्ण होती है और इसके अंतर्गत अधिकार सत्ता का विक्रीकरण ही पाया जाएगा।

इस प्रकार किसी भी संगठन अथवा उपक्रम में अधिकार सत्ता के विक्रीकरण की मात्रा कितनी होगी यह इन उपरोक्त तत्वों पर निर्भर करती है। ये सभी तत्व उपक्रम के आंतरिक तथा बाह्य वातावरण में प्रभावित होते हैं।

विकेन्द्रीयकरण के सिद्धांत

(Principles of Decentralisation)

संयुक्त राज्य अमेरिका की जनरल एलक्ट्रिक कम्पनी के अध्यक्ष राफ ज फाडिनर ने विकेन्द्रीयकरण के जिन प्रमुख सिद्धांतों को बताया है उन्हें संक्षेप में धार सी अग्रवान ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है -

(1) विकेन्द्रीयकरण निर्णय लेने का अधिकार ऐसे विभागों के निकटतम प्रदान करता है जहाँ पर कि वास्तव में क्रियाशीलता को किया जाना है।

(2) विकेन्द्रीयकरण तभी क्रियाशील होगा जबकि वास्तव में अधिकार प्रदान किए गए हों।

(3) विकेन्द्रीयकरण इस विश्वास पर आधारित है कि जिन अधीनस्थों को अधिकार सौंपा गया है उन्हीं उचित निर्णय लेने की क्षमता विद्यमान है।

(4) विकेन्द्रीयकरण के लिए इस प्रकार की आपसी समझदारी का होना आवश्यक है कि स्टाफ का प्रमुख योगदान कुछ अनुभवी लोगों के माध्यम से रेखा कर्मचारियों को सहायता एवं परामर्श प्रदान करता है ताकि निर्णय ले सकें एवं उसमें स्वयं सुधार कर सकें।

(5) विकेन्द्रीयकरण इस मायने पर आधारित है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा निम्न निर्णयों की तुलना में अधिक व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णय व्यवसाय के लिए अधिक लाभदायक होते हैं।

(6) विकेन्द्रीयकरण तभी सम्भव है जबकि उच्च अधिकारी सच्चे हृदय से निम्न स्तरों के अधिकारियों को अधिकार प्रदान करें तथा इस बात को सदा के लिए मन से निकाल दें कि उन अधिकारों को वे अपने पास भी रख सकते हैं।

(7) विकेन्द्रीयकरण तभी प्रभावशाली होगा जबकि निर्णय लेने के अधिकार के साथ उत्तरदायित्व की भावना भी उत्पन्न हो अर्थात् इसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों एक साथ सौंपे जाते हैं।

(8) विकेन्द्रीयकरण का लाभ तभी होगा जबकि सभी अथवा अधिकांश निर्णयों में अधिकतम ज्ञान तथा समयानुसार समझदारी से काम लिया जाए।

(9) विकेन्द्रीयकरण के लिए सहायक नीतियों में आवश्यक सहायन करना होगा। इन नीतियों का प्रमाणित आधार होना चाहिए तथा जो व्यक्ति अज्ञानता या कर्मचारी के लिए पारितोषण दिए जाने की व्यवस्था हो और इसके विपरीत अयोग्यता अथवा खराब कार्य के लिए हटाए जाने की व्यवस्था हो।

(10) विकेन्द्रीयकरण सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों संगठन संरचना सम्बन्धी नीतियों मापों को मानने समझने एवं जानने की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

विकेन्द्रीयकरण का लाभ

(Advantages of Decentralisation)

विकेन्द्रीयकरण के महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं—

1 उच्च अधिकारियों का दायभार में कमी करता है (Reduces the burden of top executives)—एक बड़े आकार का उपक्रम हेतु विकेन्द्रीयकरण आवश्यक है। विकेन्द्रीयकरण के माध्यम से उच्च अधिकारी बड़े संस्थान पर अपना नेतृत्व रख सकते हैं और वे अपने को कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर केन्द्रित रखते हैं। इससे उच्च अधिकारी विभिन्न प्रियात्मक निर्णय (Operating decisions) से मुक्त रहते हैं और संस्थान की नीति तथा प्रशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।

2 अधीनस्थों को उच्च निष्पादन हेतु प्रेरित करता है (Motivates subordinates for high performance)—इसका अतः समुचित प्रबंधकीय कार्य के भारापण से सगठनात्मक संरचना अधीनस्थों के मनोबल, दायित्व एवं अपने कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अधीनस्थ कमचारियों को भी कार्य करने के अधिकार एवं दायित्व का भारापण दिए जाने से उनके आपस में विचार विमर्श करने तथा निर्णय लेने से कार्य सम्पादन का उच्च स्तर प्राप्त किया जाता है।

3 प्रबंधकीय कमचारियों के गुण का विकास करता है (Develops the quality of managerial personnel)—विकेन्द्रीयकरण से विभिन्न कमचारियों को प्रशिक्षण एवं उनका ज्ञान का अवसर मिलता है इसी से उच्च प्रबंधकीय पदा हेतु उच्च अधिकारियों का विकास होता है। विकेन्द्रीयकरण का अतः विभागीय प्रबंध अपने क्षेत्र में एक सकीर्ण विशेषज्ञ बन जाते हैं जो कि सगठन की समस्त प्रबंधकीय जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा नहीं सकते हैं। लेकिन विकेन्द्रीयकरण का अन्तर्गत कनिष्ठ प्रबंधक (Junior Managers) को प्रशिक्षण एवं कार्य की जिम्मेदारियाँ सौंपकर उनको उच्च प्रबंधकीय पदा हेतु तैयार किया जा सकता है।

4 उत्पादों में विभिन्नता आती है (Facilitates diversification of products)—विकेन्द्रीयकरण से उत्पादन का विकास होता है और इनमें विभिन्नता आती है। अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग विभाग स्थापित किए जाते हैं। इन उत्पादों की वर्तमान स्थिति, आती स्थिति एवं विकास आदि पर विचार किया जाता है और योजनाएँ तैयार की जाती हैं। इससे विभिन्न अधिकारियों का व्यक्तिगत विचार तथा क्षमताओं का उपयोग से नए नए उत्पादों का निर्माण सम्भव होता है। जबकि विकेन्द्रीयकरण के अन्तर्गत विभिन्न उत्पादों को एक विनय विभाग ही बेचता है और इस विभाग द्वारा कुल विक्रय पर अधिक ध्यान दिया जाता है जबकि प्रत्येक उत्पादों के बारे में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

5 क्रियाओं का अधिक समन्वय होगा है (Secures better co ordination of operations) — विनियंत्रण के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों को अधिक अधिकार देकर वादायित्व सौंपा जाता है। प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने अधिकारों वादायित्वों से सम्पूर्ण विभाग की क्रियाओं का समन्वय करता है। इस प्रकार प्रत्येक विभाग अपने विभाग की क्रिया का समन्वय करता है तथा सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं जिससे विभिन्न क्रियाओं का समन्वय अच्छा हो जाता है।

6 प्रभावपूर्ण नियंत्रण (Effective control) — लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रमाणा की स्थापना और निष्पादन का माप किया जाता है और इन दोनों से विभिन्न विभागों के कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। विभिन्न प्रबंधकों की कार्यकुशलता को जांच करन हेतु लाभ की मात्रा और विनियोग पर प्राप्त प्रतिफल दर को ध्यान में रखा जाता है। इसमें विभिन्न विभागों के निर्धारित लक्ष्यों व परिणामों का अद्ययन आसानी से करके प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जा सकता है।

विकेंद्रीकरण की सीमाएँ एवं कठिनाइयाँ

(Limitations and Difficulties of Decentralisation)

विकेंद्रीकरण की भी अपनी कमियाँ तथा कठिनाइयाँ हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हेतु हमें विकेंद्रीकरण अपनाता होगा। विकेंद्रीकरण की सीमाएँ तथा कठिनाइयाँ निम्न प्रकार हैं—

1 उच्च कार्यशील लागत (High cost of operation) — विकेंद्रीकरण की उच्च लागत का वहन करने हेतु उपक्रम का बड़ा आकार होना आवश्यक है। प्रत्येक विभाग को पूर्ण रूप से कार्य कराने हेतु के न्यून कमचारियों के अतिरिक्त सेवा कार्यों (Service Function) हेतु भी कमचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। प्रत्येक विभाग हेतु अलग उत्पादन और विपणन सुविधाओं का प्रबंध करना पड़ेगा। इस व्यवस्था से कार्यों का दोहराव तथा साधना का अर्थ हो जाता है। इन सबके परिणामस्वरूप उपक्रम में उच्च कार्यशील लागत आती है।

2 सभी कार्यों का अविभाज्य होना (Indivisibility of all operations) — उपक्रम की एक शाखा जो कि एक प्रदेश में कार्य कर रही है वह अपने कार्यों को फिर विभाजित नहीं कर सकती है। तकनीकी अविभाज्यता के कारण अधिक विकेंद्रीकरण सम्भव नहीं होता है।

3 चहुँमुखी अधिकारियों का अभाव (Absence of well rounded executives) — विभिन्न विभागों वाली कम्पनी विभागीय प्रबंधकों की कार्यकुशलता पर अधिक आश्रित होती है। जब कोई भी फर्म या कम्पनी अपने मालिकों को क्रियात्मक के स्तर पर विभागीय व्यवस्था पर चराने लगे तो ऐसे प्रबंधकों की कमी का अनुभव होता है जो कि अधिक वादायित्व वा वहन करते हुए मुख्यालय से नियंत्रित हों।

4 नीति नियंत्रण की समस्या (Problem of policy control)—एक उपक्रम में विकेंद्रायकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न एकाइयाँ एवं विभागों को अधिकार और ताबित्व सौंपकर स्वतंत्र कर दिया जाता है। लेकिन अतिसंघर्ष सरकारी नियम और यावसायिक परिवर्तनों के कारण एक उपक्रम पर नीति नियंत्रण स्थापित करना परमावश्यक है। नीति नियंत्रण करने से विभिन्न विभागों की स्वायत्तता समाप्त होती है जो कि विकेंद्रीयकरण के अंतर्गत सम्भव नहीं होता है।

5 संकटकाल में बाधक (Handicap in emergency)—विकेन्द्रीयकरण संकटकालीन निष्पादन को लागू करने में बाधक है। यदि एक उपक्रम में विभिन्न निष्पादन—जैसे उत्पादन, वित्त, विपणन, मरदारो नीति आदि को लागू करना है तो वे निष्पादन शीघ्रता और आसानी से लागू नहीं कर सकते हैं। विकेंद्रीयकरण के अंतर्गत किसी भी प्रकार के निष्पादन शीघ्रता और आसानी से लागू किए जा सकते हैं।

उद्योगों का केन्द्रीयकरण (Centralisation of Industries)

विकेंद्रीयकरण के साथ प्राथमिक रूप में हम केन्द्रीयकरण के प्रावर्तिक वस्तुओं को भाँजना जानना चाहेंगे। जब कोई उद्योग विशेष सुविधाओं के कारण देश के एक ही भाग अथवा स्थान पर केंद्रित हो जाता है तो इस प्रवृत्ति को स्थानीयकरण (Localisation) अथवा केन्द्रीयकरण (Centralisation) कहा जाता है। इसका दूसरा नाम प्रादेशिक अथवा विभाजन (Regional Division of Labour) अथवा भौगोलिक विशिष्टीकरण (Geographical Specialisation) भी है। उदाहरणार्थ प बंगाल में जूट उद्योग बम्बई में कपड़ा उद्योग आदि इस प्रवृत्ति के द्योतक हैं। उद्योगों के केन्द्रीयकरण के कुछ लाभ तथा दोष हैं जिनका वर्णन करना उपयुक्त होगा।

केन्द्रीयकरण के लाभ (Advantages of Centralisation)

उद्योगों के एक ही प्रदेश अथवा क्षेत्र में केंद्रित होने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं—

1 स्थान तथा वस्तु की प्रतिष्ठा (Reputation of the Place & the Commodity)—जब कोई उद्योग एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है तो वह स्थान और उद्योग दोनों प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु सुगमता से देश तथा विदेशों में विक्रय लग जाती है। उदाहरणार्थ अलीगढ़ के ताल, बिहार के जूट की हाथ की घड़ियाँ और साँगानरी प्रिंट सस्यार के प्रत्येक देश में विक्रय होती हैं।

2 **श्रमिका की कार्यकुशलता में वृद्धि (Increase in Workers Efficiency)**—उद्योगों के एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाने से श्रमिक एक ही प्रकार का कार्य निरंतर करते रहते हैं और वही कार्य को निरंतरता से उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। यहाँ तक कि श्रमिकों के बच्चे भी बिना शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्य सीखने लग जाते हैं। इससे श्रमिकों की कार्यकुशलता पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है।

3 **कुशल श्रमियों की नियमित पूर्ति (Regular Supply of Skilled Workers)**—उद्योगों के केंद्रीयकरण से इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक एक ही कार्य करते रहने से कार्य में कुशलता प्राप्त करते हैं। इस स्थान पर रोजगार की तलाश में अन्य स्थानों में श्रमिक आते हैं और इससे श्रमिकों की नियमित पूर्ति होती रहती है। यह स्थान विशेष एक प्रकार से श्रम बाजार बन जाता है।

4 **पर्याप्त बैंकिंग एवं साख सुविधाएँ (Adequate Banking & Credit Facilities)**—एक स्थान पर विभिन्न उद्योगों के केंद्रित हो जाने से वहाँ पर्याप्त सव्याय बैंकिंग साख वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों की स्थापना की जाती है। इन सव्यायों से उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में और उचित दर पर पूँजी उपलब्ध हो जाती है।

5 **आधुनिकतम एवं नवीनतम मशीनों का प्रयोग (Use of Modern & Latest Machinery)**—एक ही स्थान पर उद्योगों का केंद्रीयकरण होने से उनके आपस में प्रतिस्पर्द्धा ज्ञान लगती है। इस प्रतिस्पर्द्धा में विजय प्राप्त करने हेतु न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक उद्योग का आधुनिक एवं नवीनतम मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है। इससे नवीनतम मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है।

6 **अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहन (Encouragement to Research & Training)**—एक स्थान पर उद्योगों के केंद्रीयकरण के परिणाम स्वरूप एक ही मालिक अथवा उद्योगों के सभी मालिकों द्वारा मिलकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु सव्यायों की स्थापना की जाती है। इन सव्यायों द्वारा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर पत्र पत्रिकाएँ भी प्रकाशित की जाती हैं। इससे उत्पादन के नए तरीकों की खोज होती है।

7 **पूरक तथा सहायक उद्योगों का विकास (Growth of Supplementary & Subsidiary Industries)**—उद्योगों के केंद्रीयकरण से विभिन्न उद्योगों के पूरक एवं सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरणार्थ जहाँ वस्त्र उद्योग का केंद्रीयकरण हो जाता है वहाँ पर कपड़े रगाने की अनेक इकाइयाँ खुल जाती हैं ये रगाई इकाइयाँ बड़े उद्योगों की पूरक होंगी। इसी प्रकार कपड़े उद्योग की मशीनों की मरम्मत हेतु स्थापित मरम्मत वकशाप सहायक उद्योगों के रूप में प्रोत्साहित होती है।

8 गौण पदार्थों का पूरा उपयोग (Full Utilization of by products — किमी एक उद्योग की बहुत सी इकाइयाँ एक ही स्थान पर केंद्रित होने से बड़ी मात्रा में गौण पदार्थ प्राप्त होते हैं। इन पदार्थों का अधिकतम उपयोग सम्भव हो जाता है। उदाहरण — तौर पर जिन स्थानों पर चीनी उद्योग का केन्द्रीकरण होता है वहाँ पर चीनी के गौण-पदार्थ शीरा में अल्कोहल (Alcohol) बनाने हेतु कारखाने खोले जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप न केवल गौण पदार्थ ही पूरा उपयोग हो जाता है, बल्कि चीनी मिला मात्रिका का दो रूपों में लाभ प्राप्त होता है — एक इस गौण पदार्थ (शीरा) के नाम मिल जाता है तथा दूसरी ओर शीरे को उठवाकर दूर डलवाने में यातायात पर इन बालूय में बचत होती है।

9 यातायात एवं सड़कवाहन — साधनों का विकास — एक स्थान पर उद्योगों की अनेक इकाइयों की स्थापना होने पर उद्योग हेतु कच्चा माल लाने तथा उनके निमित्त मान को वापस तक पहुँचाने हेतु यातायात के साधनों का पूरा विकास किया जाता है। इसी प्रकार कच्चे माल के बरीक और निमित्त मान के बचने हेतु टेलीफोन तार व यानि सड़कवाहन के साधनों का विकास हो जाता है।

10 लागत में कमी (Reduction in cost) — उद्योगों के केन्द्रीकरण के उपयुक्त भागों के कारण वस्तु विनिर्माण का लागत कम होती है। प्रथम, कच्चा माल पूँजी तथा अन्य साधन पयाप्त मात्रा में और उचित कीमत पर प्राप्त होने लगते हैं। गौण-पदार्थों का उपयोग सहायक एवं पूरक उद्योगों की स्थापना यातायात एवं सड़कवाहन के साधनों का पर्याप्त विकास आदि सभी तत्त्व वस्तु की उत्पादन लागत में कमी करते हैं।

केन्द्रीकरण के दोष हानियाँ (Evils of Centralisation)

केंद्रीकरण एक अमिश्रित वरदान (Unmixed blessing) नहीं है। इसकी भाँ कुछ कमियाँ अथवा हानियाँ हैं जो निम्नांकित हैं—

1 श्रमिकों की कार्यकुशलता का एकमात्र विकास (One sided Development of Workers Efficiency) — उद्योगों के केन्द्रीकरण अथवा केन्द्रीकरण के कारण इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक निरन्तर एक ही कार्य करते रहने से कार्य कुशलता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वे अन्य उद्योगों में कार्य करने के अयोग्य हो जाते हैं। उदाहरणार्थ प बगान में कलकत्ता के बूट उद्योग में श्रमिक बम्बई की कपड़ों की मिल में कार्य करने लगे हैं।

2 देश का असंतुलित आर्थिक विकास (Unbalanced Economic Development of the Country) — देश में एक क्षेत्र अथवा प्रदेश में उद्योगों का केन्द्रीकरण होने से उस क्षेत्र का तीव्र गति से विकास होना लगता है लेकिन देश के अन्य भागों में उद्योगों की स्थापना न होने के कारण वे क्षेत्र पिछड़े हुए रह जाते हैं।

इस प्रकार देश के एक भाग में अधिक औद्योगीकरण से तीव्र आर्थिक विकास तथा दूसरी ओर उद्योगों की स्थापना न होने से क्षेत्र पिछड़ा हुआ रह जाता है। इसमें अतुलित आर्थिक विकास और धन का क्षेत्रीय वितरण असमान हो जाता है। पिछड़ और विकसित क्षेत्रों के निवासियों में एकता के स्थान पर ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होने लगते हैं।

3 श्रमिकों की गतिशीलता में कमी (Lack of Mobility Workers)—उद्योगों के क्षेत्रीयकरण के कारण श्रमिक उद्योग विशेष में निरन्तर कार्य करते रहने से दूसरे कार्य से अनभिज्ञ रहते हैं। वे दूसरे उद्योग में नहीं जा सकते हैं और इस प्रकार उनकी एक उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में प्रवेश करने सम्बन्धी गतिशीलता में कमी आ जाती है।

4 आर्थिक संकट तथा बेरोजगारी (Economic Crisis and Unemployment)—उद्योगों के स्थान विशेष पर केंद्रित हो जाने से वह अधिक दृष्टि से असुरक्षित होता है। यदि किसी कारणवश उद्योग में मंदी आ जाती है तो श्रमिक बेकार हो जाते हैं और उन्हें आर्थिक कठिनाई या का सामना करना पड़ता है। श्रमिकों में बेरोजगारी फैलने से उनके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि समस्त अर्थ प्रणाली में मंदी आ जाती है।

5 सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त (Undesirable from the Security point of view)—उद्योगों का केंद्रीकरण युद्ध तथा सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त है क्योंकि युद्धकाल में शत्रु हमला वर्षा औद्योगिक क्षेत्रों पर ही करता है। उद्योगों को नष्ट हो जाना से अर्थव्यवस्था पर गहरा नुकसान होता है। अतः यह कहना ठीक है कि सभी उद्योगों को एक टोकरी में रखना बुद्धिमानी नहीं है। यदि उद्योग विकेंद्रित होते हैं तो सभी उद्योगों को खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता है।

6 औद्योगिक दोष (Industrial Evils) - केंद्रीकरण का परिणामस्वरूप बड़ बड़ औद्योगिक केंद्र स्थापित हो जाते हैं जिनमें कारखाना प्रणालियों के सभी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। श्रमिकों की संख्या अधिक होने से आवासीय समस्या (Housing Problems) उत्पन्न हो जाती है। श्रमिक अपने परिवार को साथ नहीं रखता है। बल्कि कई सामाजिक बुराइयों जैसे—शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति आदि का शिकार हो जाता है। इससे उनकी नतिक्रमण हो जाता है। अनेक कारखानों के कारण वातावरण दूषित हो जाता है। इन सब का श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे श्रमिकों में श्रमिकावतन श्रम अनुपस्थिति तथा श्रमिक प्रवासिता का प्रवृत्त पाया जाता है। इन सबका प्रभाव उनकी कार्यकुशलता पर पड़ता है जो कि औद्योगिक उत्पादन में कमी लाते हैं।

7 बाह्य अर्थव्यवस्था (External Diseconomies)—उद्योगों के केंद्रीकरण के कारण बाह्य अर्थव्यवस्था (External Economies) के स्थान पर बाह्य अर्थव्यवस्था

प्राप्त होने से उत्पादन रागत से वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अधिक उद्योगों के कारण यातायात की सुविधाएँ कम पड़ने लगती हैं। भूमि की कमी होने लगती है। भूमि के किराएँ और कीमतें बढ़ी होने लगती हैं। उस स्थान के सभी बैंक मित्र भी पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार संप्रत्य उद्योग को अपने वाणी कठिनार्थ का उसके पूरक और सहायक उद्योगों को भी सामना करना पड़ता है।

औद्योगिक केन्द्रीयकरण के इन उपयुक्त दोषों के कारण विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आधुनिक औद्योगिकीकरण की प्रवृत्ति के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास करना मुख्य उद्देश्य होने के कारण उद्योग का विकेन्द्रीयकरण किया जाता है। उद्योगों के केन्द्रीयकरण के दोषों को दूर करने हेतु नए उद्योगों की स्थापना देश के विभिन्न भागों में की जानी चाहिए तथा इस प्रकार के उद्योग वहाँ नहीं स्थापित किए जाएँ जहाँ पर पहले ही केन्द्रीयकरण है। इसके साथ ही जहाँ पर उद्योगों का केन्द्रीयकरण है वहाँ पाए जाने वाली सभी बुराइयों को दूर करने हेतु निम्न कदम उठाए जाने आवश्यक हैं—

1 घन दसे औद्योगिक केन्द्रों पर आबासीय समस्या के दोषों को दूर करने हेतु श्रमिकों की स्वच्छ बस्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके निवारण हेतु केन्द्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों को श्रमिक सघों के माध्यम से प्रभावपूर्ण कदम उठाने होंगे।

2 केन्द्रीयकरण के दोषों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा बनाए गए खस कानून जैसे—कारखाना अधिनियम 1948 का पूर्णरूप से पालन करना चाहिए। इससे आवश्यक उत्पादन इकायों की स्थापना नहीं हो सकती।

3 इन केन्द्रों में श्रम कल्याण कार्यों (Labour Welfare Activities) जैसे वाचनालय, पुस्तकालय, आन्तरिक एवं बाह्य खेलकूद की व्यवस्था, मनोरंजन व साधन आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण केन्द्र (Labour Welfare Centres) स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों का सख्या और इनकी गतिविधियाँ बढ़ाकर श्रमिकों का सामाजिक, शारीरिक एवं शैक्षणिक विकास किया जा सकता है।

4 उद्योगों के केन्द्रीयकरण के दोषों को दूर करने हेतु श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) भी प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिकों को रोजगार का सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। भावस्मिक दुःखटना होने पर उचित क्षतिपूर्ति बीमार होने पर बीमा, मृत्यु होने पर आश्रितों की सहायता और वृद्धावस्था में पेंशन आदि के रूप में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विश्व में व्यवस्था ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना (Comprehensive Social Security Scheme) लागू की जाती है। इसमें जन्म से

नेकर मृत्यु तक श्रमिका की सुरक्षा की जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में घनी आबादी स्थायी औद्योगिक श्रम संस्था के अभाव में और वित्तीय कठिनाई से इस क्षेत्र में व्यापक प्रगति नहीं हुई है। फिर भी श्रम पूर्ति अधिनियम 1923, कमचारी राय कीमा अधिनियम 1948 और कमचारी प्रोविन्ट फण्ड अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 आदि अधिनियमों से श्रमिकों की एक भीमा तक सामाजिक सुरक्षा की पूर्ति की जाती है।

उद्योगों का फलाव और विकेंद्रीकरण

(Disposal and Decentralisation of Industries)

उद्योगों का विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की विपरीत स्थिति को बताता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत उद्योग एक स्थान पर केंद्रित न होकर देश के विभिन्न भागों में दूर-दूर तक स्थापित किए जाते हैं।

प्रो स्पींगव तथा प्रो ने मंत्रों के अनुसार विकेंद्रीकरण में बाहरी सयंत्रों को उत्पादन का स्थानांतरण करके केन्द्रीय सयंत्र में मापेयिक रूप से न केवल उत्पादन बल्कि वास्तविक रूप में उत्पादन को घटाना शामिल किया जाता है।¹

अब उद्योगों के एक स्थान पर केंद्रित होने के कारणों (Factors) का उतना महत्व नहीं है जितना कि औद्योगीकरण के प्रारम्भिक काल में था। इन तत्वों का न केवल मानवीय आविष्कारों द्वारा महत्व कम कर दिया गया है बल्कि कई प्राकृतिक घटनाओं के कारण समाप्त भी हो गए हैं। उदाहरणार्थ वस्त्र उद्योग में आद्रता के यंत्र में स्थानीयकरण का माग में जलवायु सम्बन्धी बाधा को समाप्त कर दिया गया है। इसकी सहायता से पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी वस्त्र उद्योग चलाए जा सकते हैं। अब एक उद्योग एक स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है और इसकी विभिन्न इकाइयों के विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जाती हैं। इन सब पर विकेंद्रीकरण के अनुसार कार्य किया जाता है लेकिन निर्देशन समरूप प्रबंध से प्राप्त होगा।

हाल ही वर्षों में बड़े-बड़े उद्योगों में अपनी क्रियाओं में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कभी-कभी सयंत्र सयंत्रों को मुख्य सयंत्र से एक सम्बन्धित एकाकरण योजना के एक भाग के रूप में बहुत दूर रखते हैं। कई बार लटरल एकीकरण हेतु समान-पाद करने वाले सहायक निर्माणकारी सयंत्रों को भीड़भाड़ (Congestion) का दर करण हेतु दूर दूर स्थापित कर दिए जाते हैं। सयंत्रों के फलाव (Disposal of Plants) के कारण मान की पूर्ति श्रम और उत्पादन के वितरण आदि में कई लाभ प्राप्त होते हैं। अब उद्योगों के फलाव हेतु सरकार के सभी देश एकमत पाए जाते हैं। भारत में सांख्यिक प्रादेशिक विकास की

भाग के कारण इस विचार को मायता मिली है। सरकार को उद्योगों के स्थानीयकरण का नियमित व नियमित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए।

अब कुछ वस्तु निर्माताओं (Manufacturers) का विचार है कि उद्योग का "यापन" फायदा के दीर्घकालीन समाजिक और मायिक लाभ प्रदान करता है। एक प्रदेश में स्थित संयंत्र की निर्माणकारी प्रक्रिया को कई स्थानों पर महायुक्त संयंत्र स्थापित करके फलावा पा सकता है और उन सब पर एकीकृत नियंत्रण एवं निदेशन एक ही प्रबंधक द्वारा हो सकता है। प्रो. स्प्रिंगर तथा प्रो. वे सबग के अनुसार विकेंद्रिकरण के सामाजिक और मायिक लाभ के अतिरिक्त निम्न लाभ और हैं।¹ इन्हें विकेंद्रिकरण को प्रभावित करने वाले तत्त्व भी कह सकते हैं। य हैं—

- (1) अनुकूल श्रम विधान (Favourable Labour Legislation)
- (2) निम्न श्रम लागतें (Lower Labour Costs)
- (3) कच्चे माल का स्रोत अथवा बाजार की समीपता (Nearness to the source of raw materials or the market)
- (4) सस्ती बिजली शक्ति (Cheap Electric Power)
- (5) निम्न कर (Lower Taxes)
- (6) मुफ्त भूमि के रूप में विशेष प्रोत्साहन (Special Inducement in the form of free landsites)
- (7) युद्धकालीन आक्रमण से सुरक्षा (Security from attack in time of war)

किसी भी संयंत्र के स्थान निर्धारण में उद्योगपति अपनी स्वयं और कर्मचारियों की सुविधाओं तथा आर्थिक तत्त्वा का ध्यान में रखता है। अपकाल में सुरक्षा की दृष्टि से उद्योगों का फैलाव (Dispersion of Industries) इन सभी उद्देश्यों के प्रतिकूल होता है। सरकारी नियम एवं हस्तक्षेप से ही उद्योगों का सुरक्षा की दृष्टि से फलाव हो पाता है।

विकेंद्रिकरण के कारण (Causes of Decentralisation)

उद्योगों के विकेंद्रिकरण का मुख्य कारण केंद्रिकरण के दावा को दर करके देश में सतुलित आर्थिक विकास का प्राप्ति करना है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्त्वा अथवा कारणों से भी विकेंद्रिकरण का प्राप्ति मिलता है। य कारण प्रभावित हैं—

1 देश का सतुलित आर्थिक विकास (Balanced Economic Development of the Country) — उद्योगों के विकेन्द्रीकरण से उत्पन्न दावों को दूर करने तथा देश का तीव्र एवं सतुलित आर्थिक विकास करने हेतु प्रत्येक देश की सरकार औद्योगिक नीति के अंतर्गत विकेन्द्रीकरण पर अधिक जोर देती है। उद्योगों के देश के विभिन्न भागों तथा स्थानों में फैला देने से न केवल विकेन्द्रीकरण के दावों को दूर किया जा सकता है बल्कि इस देश के सतुलित आर्थिक विकास और लोगों में एकता एवं सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है।

2 यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों का विकास (Development of Means of Transport and Communication) — आधुनिक युग में प्रत्येक देश में यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों का इतना विकास हो गया है कि उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल मशीनों तथा श्रमिकों की पूर्ति की जा सकती है। निर्मित माल को बाजारों में आसानी से पहुँचाया जा सकता है। परिवहन एवं संचार व्यवस्था के विकास से कई विदेशी उद्योगपति भी भारत में कई उद्योग खोल सकें हैं।

3 विद्युत शक्ति का विकास (Development of Electric Power) — बिजली के आविष्कार के पूर्व अधिकांश उद्योग प्रायः कोयले की खानों वाले क्षेत्रों के पास ही स्थापित किए जाते थे। लेकिन बिजली के विकास के कारण आसानी से कहीं भी उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और उन्हें सस्ती बिजली की पूर्ति की जा सकती है।

4 सामरिक कारण (Strategic and Military Reasons) — आधुनिक युद्ध प्रणाली में बमबारी द्वारा चाइ ही समय में काफी विनाश किया जा सकता है। युद्धकाल में शत्रु महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में ही बम फेंकते हैं। अतः उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के स्थान पर इनका विकेन्द्रीकरण इस प्रकार के विनाश से बचा सकता है। प्रत्येक देश की सरकार उद्योगों की स्थापना करने के पूर्व इस प्रकार के सुरक्षा उपाय हेतु बंदम उठा लेती है।

5 पुराने औद्योगिक केंद्रों की असुविधाएँ (Inconveniences of old Industrial Centres) — पुराने औद्योगिक केंद्रों में भूमि की कमी के कारण हस्तके मूल्य में काफी वृद्धि हो गई है। श्रमिकों की आवागमन समस्या भी बनी है। उद्योगों के विस्तार की मुजान्दगी भी नहीं है। गरीब स्थितियों में श्रमिकों के रहने के कारण कई सामाजिक बुरायाँ जैसे—जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति आदि उद्भूत होती हैं और उनकी कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। श्रम संधियों की सुलझना के कारण औद्योगिक अशांति भी रहती है। ऐसी स्थिति में इन असुविधाओं से बचने के लिए उद्योगपति प्राचीन औद्योगिक केंद्रों में नए उद्योग स्थापित नहीं करते हैं। इन सब असुविधाओं के कारण उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का बढ़ावा मिनता है।

6 मशीनों का प्रयोग (Use of Machines)—विभिन्न प्रकार की मशीनों और यंत्रों से प्रयोग के उद्योगों के विक्रीयकरण को प्रोत्साहन मिला है। इनके प्रयोग से उद्योगों को कुशल श्रमिकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जहाँ पर श्रम पूर्ति सुलभ नहीं होती है वहाँ पर उद्योग स्थापित कि जा सकत हैं क्योंकि श्रमिकों के स्थान पर मशीनों और यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है।

7 आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)—बड़े उद्योगों की और छोटे पमाने के उद्योगों को देश के विभिन्न भागों में स्थापित करने-संसाधनों को रोजगार मिलना है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। इस आर्थिक सुरक्षा की भावना के कारण ही उद्योगों के विक्रीयकरण को प्रोत्साहन मिला है।

इस प्रकार हम देखत हैं कि आधुनिक समय में प्रत्येक देश चाहे विकसित हो अथवा विकासशील, यह दायित्व हो गया है कि देश में आर्थिक सत्ता का विक्रीयकरण न हो देश का अतुलित आर्थिक विकास हो और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्योगों के विक्रीयकरण के विचार पर अधिक बल दिया गया है।



17

प्रत्यायोजन या भारापण (Delegation)

सत्ता के प्रत्यायोजन अथवा भारापण की व्याख्या करते हुए जामेट डरी (Terry) द्वारा यक्त किया गया है वह समाय धारणा से कुछ भिन्न है। उनकी परिभाषा के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि सत्ता का प्रत्यायोजन उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को किया जाए। नाचक पदाधिकारी भी ऊँचे पदाधिकारियों को सत्ता का प्रत्यायोजन कर सकते हैं। संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे तथा बराबर वाला के बीच भी हो सकता है। डरी तो केवल यह कह कर छोड़ देते हैं कि हस्तांतरण का अर्थ है एक कार्यपालिका अथवा संगठन की किसी इकाई से दूसरी को सत्ता प्रदान किया जाना।¹ अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए डरी ने भागे कहा है कि जब किसी संगठन का प्रबंधक विक्रता को अपनी सत्ता सौंप देता है तो वह ऊपर से नीचे की ओर प्रत्यायोजन कहवाता है और जब कुछ रिमदार अपना शक्ति किसी सचानक मण्डल को सौंप देते है तो वह नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यायोजन माना जाएगा। बराबर के स्तरों पर प्रत्यायोजन क उदाहरण क रूप में कुछ अफ्रीका कबीलों क सरदारों तथा उनक कबीलों की क द्वीय सत्ता क मध्य स्थित प्रत्यायोजन को दिया जा सकता है। लोक शासन क अथ विचारक मिनेट (Millet) के अनुसार सत्ता क प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरे को कत्त सौंप देने से कुछ अधिक है। (प्रत्यायोजन का सार है दूसरा को स्वविवेक सौंपना ताकि वह अपने कत्त या से सर्वोच्च वल विशिष्ट समस्याओं को सुनधान में अपने निर्णयों का प्रयोग कर सकें।) (सत्ता क हस्तांतरण को नाक प्रशामन क अनक विचारकों ने प्रत्येक प्रकार के संगठनों की एक सब याणी विशेषता माना है जा गणपारिक औद्योगिक सानक अदि सभी संगठनों में दृष्टिगोचर होती है।)

कुछ निम्न प्रकार के अर्थ भी हैं कि प्रत्येक संगठन में प्रत्येक प्रकार के प्रशासन की विचारधारा का एक मिथ्या क पना है जा कवन शास्त्रज्ञ होने क

अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वम धारणा क पीछे शायद यह मा य हो सकती है कि प्र यायाजित सत्ता देने वाले द्वारा वापस ली जा सकती है। एक अध्यक्ष द्वारा जो भी सत्ता प्र यायाजित की जाती है उससे वह स्वयं का पूरी तरह स पृथक नहीं करता। अध्यक्ष का उस वापस लने की शक्ति होती है। प्र यायोजित शक्ति को वापस ल लन पर अध्यक्ष चाह तो स्वयं उसका उपयोग कर सकता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की शक्ति पर यह भीमा लगी रहती है कि वह प्रत्यायोजित सत्ता छीनते समय अथवा पुन वितरित करते समय इस बात का ध्यान रखे कि इससे अधीनस्थ अधिकारियों का मनोबल तो नही गिरता।

सत्ता क प्र यायोजन क सम्बन्ध में प्रो न्यूमन (Newman) ने बताया है कि सामान्यतः सत्ता के हस्तांतरण का अर्थ है किसी को कुछ करने की आज्ञा देना।¹ हमें (Haimann) का कहना है कि सत्ता के हस्तांतरण का अर्थ केवल यह है कि अधीनस्था को एक निर्धारित सीमा में कुछ करने की सत्ता सौंप दी जाए। प्रत्यायोजन की इस प्रक्रिया के कारण अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी से सत्ता प्राप्त करता है किंतु उच्च अधिकारी के पास सत्ता अब भी मौलिक रूप से बनी रहती है वह उस पूरी तरह से नहीं याग देता। सत्ता के प्रत्यायोजन की स्थिति की तुलना शिष्यण यवसाय से करते हुए हमने कहा है कि जिस प्रकार एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का शिक्षा पान करता है और फिर भी वह उस विद्या से युक्त बना रहता है उसी प्रकार एक संगठन का अध्यक्ष या प्रबन्धक अपने अधीनस्थों को सत्ता सौंपने के बाद भी उस सत्ता से युक्त बना रहता है।

प्रत्यायोजन अथवा भारापण की प्रक्रिया (The Process of Delegation)

सत्ता का हस्तांतरण की अधीनस्थ अधिकारियों के पद की रचना करता है और इस प्रकार संगठन का एक निर्माण होता है। पर हस्तांतरण किस प्रकार किया जाए यह एक मुख्य समस्या है जिम्का समुचित समाधान जाने बिना कोई भी अध्यक्ष अपने पद के उत्तरदायित्व का पान सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। हस्तांतरण की प्रक्रिया क विभिन्न पन्धुओं को अन्वी जानकारी अध्यक्ष की एक विशेष योग्यता हान के साथ संगठन का सफलता का भी प्रतीक है।

प्रो न्यूमन (Newman) के मतानुसार प्र यायाजन की प्रक्रिया के तीन पहलू होते हैं—(i) एक वायवाजिक अपने तुरंत क अधीनस्थों का क्तव्य सौंप देनी है (ii) इन क्त या को पूरा करने के लिए वायदे करने साधना का प्रयोग

1 Newman Administrative Action p 163

2 Haimann op cit p 46

करने तथा प्रयत्न काय करने की आज्ञा (सत्ता) प्रदान कर दी जाती है तथा (ii) इन वक्तव्यों की सन्तोषजनक सम्पन्नता के लिए प्रयत्न अधीन रख को वायव्यवस्था के प्रति सत्ता प्रदान करना और उत्तरदायित्व निर्धारित करना। एक संपन्न प्रत्यायोजन में इन तीनों ही पहलुओं के बीच एक प्रकार का सतुलन जितना अधिक कुशल और निश्चित होता है सगठन भी उतना ही अधिक कुशलता एवं संपन्नतापूर्वक काय करता है।

प्रत्यायोजन अथवा भारापण का महत्त्व (Importance of Delegation)

किसी भी व्यावसायिक सगठन में अधिकार एवं दायित्व के भारापण के महत्त्व एवं आवश्यकता को निम्न रूप में देखा जा सकता है—

1 मानवीय सीमाएँ (Limitations of Human Being)—भारापण की आवश्यकता एवं महत्त्व का प्रमुख कारण मानव की प्राकृतिक सीमाएँ हैं। एक व्यक्ति कितना ही कुशल क्या नहीं कर भी वह समस्त क्रियाओं का सम्पादन नहीं कर सकता है। प्रो ब्रेच (E F L Brech) ने सही लिखा है कि किसी उपक्रम अथवा उपविभाग की प्रत्येक प्राप्ति में इतने काय सम्मिलित होते हैं कि एक अकेला व्यक्ति इन सब कार्यों का उत्तरदायित्व की मात्रा मानसिक शक्ति अथवा समय आदि के कारण नहीं कर सकता है। अतः इन समस्याओं का एक मात्र महत्त्वपूर्ण उपाय यह है कि उस अथवा व्यक्तियों को अधिकार एवं दायित्व का भारापण करना चाहिए जिससंज्ञा समय के अपेक्षित कार्य सही और उचित समय हो सके।

2 विशिष्टीकरण (Specialisation)—एक सगठन में विभिन्न क्रियाएँ होती हैं और उनमें अलग अलग प्रकार की कुशलता जान आदि की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण नहीं मिल सकते हैं। आधुनिक व्यवसाय की जटिल समस्याओं का एक मात्र उपाय श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाना है। यह बिना दायित्व एवं अधिकार के भारापण के सम्भव नहीं जाना है। कर्मचारियों सम्मन्धी मामलों में कर्मचारी प्रबंधक (Personnel Manager) तथा वित्त सम्बंधी वित्त प्रबंधक (Finance Manager) को सौंपकर विशिष्टीकरण के लाभ आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं।

3 व्यावसायिक विस्तार (Business Expansion)—आधुनिक बड़ों कारों वाले व्यवसायों में एक स्थान पर कर्मियों की संख्या बढ़ती है। उनकी शाखाएँ देश तथा विदेशों में भी स्थापित की जाती हैं। इन शाखाओं का चलाना हेतु शाखा प्रबंधकों (Branch Managers) को अधिकार एवं दायित्व सौंपने आवश्यक है।

4 प्रबंधकीय विकास (Managerial Development)—भारापण की प्रक्रिया से निम्न स्तरीय प्रबंधकों को विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों-नियोजन सगठन

निर्देशन एवं नियंत्रण सम्बन्धी कार्य का जान होता है तथा विभिन्न निणय लेने से उनके विकास का माग खुलता है। दायित्व तथा अधिकारों का भारापण से विभिन्न समस्याओं के विषय में निर्णय लेने से उनका प्रबन्धनीय गुणा का विकास सम्भव होता है।

प्रत्यायोजन अथवा भारापण का सिद्धांत (Principles of Delegation)

यदि विभिन्न क्रियाओं को एकीकृत करना (Integration) है तथा उपक्रम के परिणामों में समन्वय तथा एकता करनी है तो भारापण का कार्य का प्रभावपूर्ण बनाना होगा। प्रभावपूर्ण भारापण का अभाव में उपक्रम का उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रभावपूर्ण भारापण होने कुछ मूल सिद्धांतों का आधार चुनना होगा। ये आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं।

1 निश्चित दायित्व एवं अधिकार (Definite Responsibility and Authority)—किसी भी उपक्रम में प्रभावपूर्ण भारापण हेतु यह आवश्यक है कि दायित्व एवं अधिकार निश्चित होने चाहिए। उच्च स्तरीय प्रबंध में मध्यम स्तरीय प्रबंध एवं निम्न स्तरीय प्रबंध में कार्यरत अधिकारी एवं उनके अधीनस्थों के बीच कार्य अधिकार एवं दायित्व निश्चित होने चाहिए। किसी भी निष्पत्ति अथवा स्पष्टीकरण हेतु अधीनस्थ का अपना उच्च अधिकारी से बार-बार सहाय एवं विचार विमर्श करने की प्रक्रिया भारापण का मूल उद्देश्य को पराजित कर देता है। यही कारण है कि बड़े संगठनों में कार्यों दायित्व शक्तियों अधिकार एवं प्रत्येक प्रबंधक का सम्बन्ध पर त्रिविध में संगठन विवरण पुस्तिका (Organisation Manual) रखी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसके क्या अधिकार हैं तथा वह किसका प्रति दायी है तथा कौन प्रति उसके प्रति उत्तरदायी है।

2 अधिकार और उत्तरदायित्व की समानता (Parity of Authority & Responsibility)—इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों में समानता होनी चाहिए। यह इस मांगता पर आधारित है कि यदि अधीनस्थों को कार्य सौंपा जाता है और उसको पूरा करने हेतु अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं तो उनका यह दायित्व हो जाता है कि वे इनका प्रयोग करने हेतु उत्तरदायी हैं। उदाहरणार्थ विपणन प्रबंधक को विपणन प्रोत्साहन (Sales Promotion) हेतु दायित्व सौंपा जाता है तो उसे विपणन कार्यालय में विपणन नियुक्त करने के लिए मजदूरी व छूट देने विनापन करने का अधिकार भी होना चाहिए। बिना पर्याप्त अधिकारों के किसी भी कार्य को पूरा करने का दायित्व पूर्ण रूप से नहीं निभाया जा सकता है। अधिकार हमेशा उत्तरदायित्व से कम होते हैं क्योंकि सभी प्रबंधकों को कुछ आंतरिक तथा बाह्य सीमाओं में कार्य करना पड़ता है। एक प्रबंधक को अपने कार्य को करने हेतु तकनीकी ज्ञान का अधिकार स्थिति का अधिकार तथा व्यक्तिगत

अधिकार प्राप्त हाने चाहिए (किसी भी कार्य में सम्पादन हेतु अधिकार एवं दायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। य एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं।)

3 उद्देश्य पर आधारित (Objectives as Basis)—प्रभावपूर्ण भारापण हेतु यह भी आवश्यक है कि कौन कौन से उद्देश्यो हेतु इन प्रक्रिया को काम में लाना है। कितना भारापण किया जाए यह उपक्रम के उद्देश्यो पर निर्भर करता है। भारापण कितना किया जाए कि 'यक्तियों के सामन रख गए उद्देश्यो का आसानो से प्राप्त किया जा सक'। यदि उद्देश्य बहुत ऊँच रख गए हैं तबिन अधिकार एवं दायित्व का भारापण प्राप्त नहीं किया गया है तो वह प्रभावपूर्ण संगठन को प्रोत्साहित नहीं कर सकता। अतः भारापण की प्रक्रिया का विभिन्न अधिकारियो के समक्ष रख गए उद्देश्यो को ध्यान में रखकर उपयोग में लाना होगा।

4 आदेश की एकता (Unity of Command)—प्रबंधका एक मूल सिद्धान्त यह है कि आदेशों में एकरूपता होनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति को कई उच्च अधिकारियो से आदेश प्राप्त होने हैं तो वह स्वयं निश्चित नहीं कर सकता कि किस अधिकारी की अनुपालना की जाए। इस प्रकार के अन्तर्भ्रम के निवारण हेतु यह आवश्यक है कि उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपना चाहिए तथा उम उचित अधिकार भाँट जाने चाहिए (अधिकार एवं दायित्व बँटव एवं ही साथ में मिलने चाहिए) यदि एक साथ से अधिकार एवं दायित्व प्राप्त नहीं होंगे तो इससे काम में जो झुंझना अधिकारों का दुरुपयोग तथा दायित्व का अपव्ययन होगा।

प्रत्यायाजन अथवा भारापण के दोष (Defects of Delegation)

अधिकार एवं दायित्व के भारापण से प्रबन्धकीय विकास होता है विशिष्टीकरण एवं उम विभाजन सम्बन्धा लाभ प्राप्त होते हैं व्यवसाय के विस्तार में सहायता मिलती है और अधीनस्थ कमचारियों का नैतिक एवं पत्तिगत उत्थान होता है। इन विभिन्न गुणों के बावजूद भी भारापण की अपनी सीमाएँ हैं। भारापण में पाए जाने वाले दोष निम्न लिखित हैं—

1 समन्वय की समस्या (Problem of Co-ordination)—भारापण की अधिक मात्रा के साथ साथ विभिन्न विभागा उप विभागा और प्रबन्धकीय स्तरों की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। सामान्य व्यवहार में भारापण की प्रक्रिया की दुबलता अस्पष्ट तथा आशिक अधिकार सीमने के कारण से उत्पन्न होती है। कुछ कार्यों को फिर से करने अथवा उपेक्षा करने के कारण भी समन्वय में अक्षुब्धता पाई जाती है।

इस कमी को दूर करने हेतु उत्तरदायित्वों को स्पष्ट परिभाषित कर देना चाहिए और उच्च अधिकारियों को भारापण करने से पूर्व सतर्कता बरतनी चाहिए।

2 घना नक प्ररणा की अर्थात्ता (Inadequacy of Positive Incentives)—एक उच्च अधिकारी द्वारा अपन अधीनस्थ कमचारियों को अधिकार एवं उत्तरदायित्व का भारापण किया जाता है लेकिन पर्याप्त प्रत्ताप्रा क अभाव में कार्य भी अधीनस्थ कमचारी स्वीकार करने में हिचकिचा गा। यदि उ को समुचन प्ररणा एवं साख मिलनी है तो वह निमकोच अधिकार एवं दायित्व क भारापण को स्वीकार करेगा और रुचि से अपन दायित्वा को पूरा करेगा।

3 निगम हेतु अधिकारी पर निर्भर होना (Dependence on the Boss for Decision)—यदि अधीनस्थ कमचारियों को किसी समस्या हेतु उसके निगम क लिए अधिकारी पर निर्भर रहना पड़ता है तो कोई भी अधीनस्थ अधिकारी स्वीकार नहीं करेगा चाहे उसका अधिकारी भारापण करने हेतु क्या नहीं तदाहाता है।

4 अधीनस्थों में विश्वास का अभाव (Lack of Confidence in Subordinates)—एक उच्च अधिकारी अपन अधीनस्थों में पूर्ण विश्वास न करने क कारण भारापण क सिद्धान्त क विषय में बानता करता है लेकिन अधिकार सौंपने में हिचकिचाता है।

5 निर्देश करने की योग्यता का अभाव (Lack of ability to Direct) कभी कभी उच्च अधिकारी भारापण करना चाहता है लेकिन वह प्रभावपूर्ण ढंग से यह नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी याजना की विशेषताओं क वार में उमपूर्ण ध्यान नहीं रहता है कि किस प्रकार से याजना बनाई जाए।

सत्ता क प्रत्यायोजन के रूप

(The Forms of Delegation of Authority)

सत्ता क प्रत्यायोजन के दो पद्वत होते हैं—एक वह जो अपना सत्ता में से कुछ अंश दूसरे को प्रदान करता है तथा दूसरा वह जो अपने कार्यों की सम्पन्नता क लिए कुछ सत्ता प्राप्त करता है। इन दोनों ही पहलुओं की दृष्टि सामर्थ्य एवं दृष्टिकोण क आधार पर यह निश्चित हाता है कि कितनी सत्ता सौंपी जाए और किसी रूप में सौंपी जाए। दूसरे शब्दों में कोई सगठन जब सत्ता का प्रत्यायोजन करता है तो उस प्रत्यायोजन के कई रूप हा सकते हैं—

1 सरल प्रत्यायोजन (Simple Delegation)—प्राय छोटे से छोट प्रशासकीय सगठन में भी प्रत्यायोजन किया जाता है। जब एक सगठन में किसी अधिकारी क पास इतने कार्य हा जाए जिनका वह स्वयं न कर सक तो वह अपनी शक्तियाँ को सगठन के अन्य व्यक्तियों में विभाजित कर देता है। जब सगठन का रूप बड़ा हाता है तो उसमें प्रत्यायोजन कबन उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को ही नहीं किया जाता वरन् निम्न अधिकारी भी प्रत्यायोजन स्वरूप प्राप्त शक्ति में से कुछ अपन अधीनस्थों में बाँट देते हैं। इस प्रकार बड़े सगठनों में बहुत स

प्रत्यायोजन होते हैं। सरल प्रत्यायोजन में दी जाने वाली सत्ता का रूप जटिल नहीं होता और संगठन का प्रत्येक सदस्य स्पष्ट रूप से सत्ता के क्षेत्र एवं सत्ता की सीमाओं से परिचित रहता है।

2 विशिष्ट या सामान्य प्रत्यायोजन (Specific or General Delegation)—प्रत्यायोजन का रूप विशिष्ट भी हो सकता है और सामान्य भी। प्रायः प्रत्येक संगठन में प्रत्यायोजन का विशिष्ट (Specific) होना एक अच्छी बात समझी जाती है तथापि अनेक बार प्रत्यायोजन अधिकारी यह स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि वह कौन कौन सी शक्तियाँ किस रूप में अपने अधीनस्थों को सौंप रहा है। वह उनसे केवल यह कह देता है कि वे उत्तरदायित्व सम्भाल लें और जो चाह वह करें। सत्ता के प्रत्यायोजन का यह रूप संतोखक नहीं समझा जा सकता और यह कहा जाता है कि संक्षिप्त और स्पष्ट होना अधिक प्रशंसा है बजाय इसके कि संगठन के सदस्य यह अनुमान लगाते रहें कि किनकी सत्ता किसके हाथ में है।

3 पूर्ण अथवा आंशिक प्रत्यायोजन (Full or Partial Delegation)—प्रत्यायोजन के गाना ही रूप हो सकते हैं—यह पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी। पूर्ण प्रत्यायोजन का अर्थ है—संगठन का सत्ताधारी अपनी शक्तियाँ को एजेंट के हाथों में सौंप दे। इस प्रकार के प्रत्यायोजन का उदाहरण होते हुए दूटनीतिक प्रतिनिधियों (Diplomatic Representatives) का उल्लेख किया जाता है। जब एक देश दूसरे देश में अपना दूटनीतिक प्रतिनिधि भेजता है तो वह उसे अपनी पूरी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर देता है। इस प्रकार प्रत्यायोजन में अध्यक्ष की स्थिति एक नाम मात्र की रह जाती है और उसकी सत्ता का प्रयोग पूरी तरह से उसके अधीनस्थ द्वारा किया जाता है। प्रत्यायोजन का यह रूप प्रशासनिक संगठनों में अधिक प्रचलित नहीं है। इन संगठनों में जिस प्रकार का प्रत्यायोजन पाया जाता है वह प्रायः आंशिक होता है और उसमें अध्यक्ष अपनी कुछ शक्तियाँ अधीनस्था को सौंप देता है तथा शेष का प्रयोग वह स्वयं करता है।

4 औपचारिक या अनौपचारिक प्रत्यायोजन (Formal or Informal Delegation)—किसी भी संगठन में किया जाने वाला प्रत्यायोजन औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। औपचारिक (Formal) प्रत्यायोजन वह कहलाता है जो किसी निश्चित नियम, कानून या आदेश द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के प्रत्यायोजन में अध्यक्ष का योगदान बहुत कम होता है तथा संगठन के रचनाकारों और योजनाकारों द्वारा पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। संगठन के परम्परावादी विचारक प्रत्यायोजन के औपचारिक रूप में बहुत विश्वास करते हैं। इसके विपरीत संगठन से सम्बन्धित वर्तमान प्रयोग अनुसंधानों एवं अध्ययनों के आधार पर यह कहा जाता है कि औपचारिक प्रत्यायोजन व्यवहार में अधिक महत्व नहीं रखता। प्रत्येक संगठन जब अपनी औपचारिकताओं को क्रिया-वत्

करने योग्यता है तो उस पर अनेक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा यत्किमत प्रभाव पड़ते हैं और वह उन प्रभावों की अवहेलना नहीं कर पाता ।

इस प्रकार सगठन में प्रत्यायोजन का अनौपचारिक रूप विकसित हो जाता है । कई बार यह देखा जाता है कि अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी की उन शक्तियाँ का प्रयोग कर रहा होता है जो वास्तव में उन प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं । औपचारिक रूप से प्राप्त न होने हुए भी जब एक अधिकारी कुछ शक्तियों का प्रयोग करता है तो वह ऐसा केवल उन्हीं स्थितियों में कर सकता है जहाँ उच्च अधिकारी के साथ उनके सम्बन्ध अनौपचारिक हैं । सगठन की परम्परागत रीति रिवाज तथा व्यवहार इस प्रकार के अनेक अनौपचारिक प्रत्यायोजनों (Informal Delegations) की रचना कर देते हैं । जिन प्रकार एक देश के प्राससन में लिखित सन्धिपत्रों के अतिरिक्त अभिसमया (Conventions) का प्रभाव रहता है उसी प्रकार एक सगठन में औपचारिक प्रत्यायोजन के साथ साथ अनौपचारिक प्रत्यायोजन का भी महत्वपूर्ण स्थान है । यह इसलिए होता है क्योंकि ज्ञान वाणी समस्याओं एवं परिस्थितियों का ज्ञान ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

5 सशत अथवा अशत प्रत्यायोजन (Conditional or Unconditional Delegation)—प्रत्यायोजन का एक अर्थ रूप यह भी होता है कि उसके साथ या तो कुछ शर्तें लगाई जाती हैं अथवा नहीं लगाई जाती हैं । जिस प्रत्यायोजन के साथ कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं उसमें सशत प्रत्यायोजन (Conditional Delegation) कहेंगे । सशत प्रत्यायोजन में सत्ता प्रदान करने वाले को यह अधिकार रहना है कि वह सत्ता पाने वाले के कार्यों को समय समय पर देखता रहे उसमें परिवर्तन के लिए सुझाव देता रहे तथा कार्यों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सके । अशत प्रत्यायोजन (Unconditional Delegation) में उच्च अधिकारी के पास यह शक्ति नहीं होती कि वह अधीनस्था के कार्यों का प्रत्येक स्तर पर देखना रहे । इस प्रकार के प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी के पास केवल यह अधिकार रहता है कि यदि वह चाहे तो प्रत्यायोजित की गई सत्ता को समाप्त कर दे या वापस ले ले कि तु वह उस समय हस्तक्षेप नहीं कर सकता जबकि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उसका प्रयोग किया जा रहा है ।

6 प्रत्यायोजन के दिशा भेद (Difference in Directions of Delegation)—प्रत्यायोजन कौन करना है तथा किस लिए करता है इस आधार पर हम उस कई रूपों में विभाजित कर सकते हैं । जब प्रत्यायोजन करने वाला उच्च अधिकारी अपनी शक्तियाँ अधीनस्था को सौंपता है तो वह नीचे की ओर का प्रत्यायोजन (Downward Delegation) कहलाता है । अधिकांश सगठनों में प्रत्यायोजन की दिशा प्रायः ऊपर से नीचे की ओर ही होती है अर्थात् वहाँ उच्च

अधिकारियों द्वारा नीचे के पदाधिकारियों को शक्ति हस्तांतरित की जाती है। जब कभी प्रत्यायोजन नीचे के अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारी को किया जाता है तो उसे ऊपर की ओर का प्रत्यायोजन (Upward Delegation) कहते हैं। सत्ता के प्रत्यायोजन का यह रूप अधिक प्रचलित नहीं है फिर भी जहाँ तहाँ इसके उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं। जब एक देश की जनता अपनी सम्प्रभुता शक्ति में समझ-भ्रम का शिकार होती है तो वह इसी प्रकार का हस्तांतरण होता है। कई बार सत्ता एम लीगा का सौंपी जाती है जो मगठन के सदस्य नहीं होते मगठन के बाहर रहते हैं। यह प्रत्यायोजन बाहर का प्रत्यायोजन (Outward Delegation) कहलाता है। निशाघो के आधार पर प्रत्यायोजन का एक अन्य रूप वह भी होता है जब बराबर के पदाधिकारियों में प्रत्यायोजन किया जाता है। इस प्रकार के प्रत्यायोजन को टरी (Terry) ने पार्श्व का प्रत्यायोजन (Sidewise Delegation) कहा है।

7 प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन (Direct or Indirect Delegation) — प्रत्यायोजन कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाता है और कई बार उसके लिए अप्रत्यक्ष साधन अपनाने पड़ते हैं। लोक प्रशासन के प्रसिद्ध लेखक मनी (Mooney) के मतानुसार इस आधार पर इस प्रत्यायोजन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—पहला भाग वह है जिसमें उच्च अधिकारी अपनी सत्ता के कुछ भाग को सीधे रूप में अपने अधीनस्थ को सौंप देता है। उन दोनों के बीच कोई जोड़ने वाली कड़ी नहीं होगी। प्रत्यायोजन की इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष (Direct or Immediate) प्रत्यायोजन कहा जाता है। प्रत्यायोजन के दूसरे प्रकार में सत्ता देने वाले और लेने वाले के बीच एक अथवा एक से अधिक मध्यस्थ आ जाते हैं और उच्च अधिकारी अपनी सत्ता को उन मध्यस्थों के माध्यम से ही सत्ता पाने वाले तक पहुँचाता है। यह सत्ता का अप्रत्यक्ष (Indirect or Mediate) प्रत्यायोजन कहलाता है।

प्रत्यायोजन की सीमाएँ

(The Limits of Delegation)

सत्ता का प्रत्यायोजन यद्यपि प्रत्येक मगठन की विशेषता होती है तथापि कोई अधिकारी अपनी प्रत्येक शक्ति किसी को भी हर समय के लिए नहीं सौंप सकता। हेमन (Haimann) के अनुसार समस्या यह नहीं है कि एक प्रबंधक सत्ता को प्रत्यायोजित करता है या नहीं करता अपितु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता कितनी हस्तांतरित की जाती है।¹ प्रत्यायोजित की जाने वाली सत्ता की मात्रा का निश्चय करने में अनेक तत्वों का हाथ रहता है। सत्ता देने का दृष्टिकोण

लने वाले की योग्यता एवं सामर्थ्य सगठन का आकार सगठन की आर्थिक स्थिति एवं उसके उद्देश्य आदि द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कितनी सत्ता कितनी और किस रूप में सौंपी जाय। इन सब तत्वों के अतिरिक्त सत्ता के प्रत्यायोजन की कुछ अन्य सीमाएँ भी होती हैं जो उस बात का निश्चय करती हैं कि प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए अथवा नहीं। न सीमाओं का ध्यान रख बिना यदि सत्ता को प्रत्यायोजित किया तो सगठन में अशुभस्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में अड़थक हो जायगा। सत्ता के प्रत्यायोजन की ऐसी अनेक सीमाएँ हैं जो उस किसी क्षेत्र में लागू होने से आर्थिक अथवा पूंजी रूप से रोक देती हैं।

(1) **वर्धनिक सीमा**—जब किसी सगठन की स्थापना की जाती है तो उसके स्थापका द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि कौन अधिकारी अपनी कितनी सत्ता किस अधिकारी को प्रत्यायोजित करेगा। प्रशासनिक सगठनों में देश का संविधान या कानून अथवा स्वयं उन सगठनों के नियम स्पष्ट रूप से प्रत्यायोजन का क्षेत्र निर्धारित कर देते हैं। सगठन के अधिकारियों की प्रत्यायोजन करने की सामर्थ्य पर सीमाएँ लगा दी जाती हैं। इन सीमाओं के उन्मूलन का अध्यात्मिक या गैर कानूनी माना जाता है। सगठन का एक योग्य एवं दूर शीर्ष अधिकारी प्रत्यायोजन करते समय उन औपचारिक सीमाओं का ध्यान रखता है।

(2) **विषयों की प्रकृति**—अनेक शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए उच्च अधिकारियों को यह अधिकार है कि वह अपने तुल्य के अधीनस्थों के कार्यों का अधीक्षण (Supervision) करें। वह अपने उच्च अधिकार का प्रयोग स्वयं ही करेगा और किसी भी हालत में किसी अन्य को यह अधिकार नहीं सौंप सकता। अथवा विषय जिनका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता कई भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। प्रथम कुछ नीति संबंधी नियम होते हैं जिनमें उच्च अधिकारियों को नई नीतियाँ और योजनाओं का स्वीकृति देना तथा पुरानी नीतियाँ और परम्पराओं को ठीकराने की शक्ति होती है। वह अपनी उस शक्ति का कभी प्रत्यायोजित नहीं करेगा। दूसरे सगठन के आर्थिक अधीक्षण की शक्तियाँ तथा व्यय को माँगने के अधिकार अधिकारियों को प्रमुख शक्तियों में गिना जाता है। वह अपनी इस शक्ति का प्रायः प्रत्यायोजित नहीं करता। तीसरे प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारियों के हाथ में जब सगठन में सम्बन्धित नियम बनाने की शक्ति सौंपी जाती है तो यह आशा की जाती है कि शक्ति का प्रयोग वह स्वयं करेगा और प्रायः यह दखा जाता है कि वह अपनी इस शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं करता। चौथे अधिकारियों को उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति के कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का प्रयोग भी वह स्वयं ही करता है। इन विषयों के अतिरिक्त अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति सुनने

तथा उन पर नियंत्रण देने आदि के अधिकारों का भी अत्यन्त बराबर स्वयं ही प्रयोग किया जाता है। ये सभी विषय अध्यक्ष को प्रत्यायोजन करने की प्रकृति को सीमित करने हैं।

(3) अध्यापन की योग्यता—सत्ता का प्रत्यायोजन प्रायः तभी किया जाता है जब निम्न अधिकारी हस्तांतरित सत्ता का प्रयोग करने की योग्यता एवं सामर्थ्य रखते हैं। कोई भी योग्य अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को अपनी सत्ता नहीं सौंपेगा जो उसका ठीक प्रयोग न कर सके क्योंकि अयोग्य व्यक्तियों को सौंपी जाने वाली सत्ता का दुष्परिणाम सगठन को भुगतना होता है। भारतीय प्रशासन के प्रसंग में प्रत्यायोजन की यह सीमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उच्च अधिकारी अपनी शक्ति को अयोग्य अधिकारियों को न सौंपने का कारण यह बताते हैं कि अध्यापक अधिकारी इन्हें योग्य नहीं कि वे सत्ता का प्रयोग कर सकें। भारतीय प्रशासन के नवनिर्मुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में एम. एस. खन्ना (S. S. Khanna) ने लिखा है कि 'जिन अधिकारियों को इन्होंने अनुभवहीन इतने अल्पवयु और इन्होंने नए होने हैं कि उनका पर्याप्त अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। इस अनुभवहीनता और प्रशिक्षणहीनता से युक्त अधिकारियों को सत्ता का प्रत्यायोजित करना खतरा से खाली नहीं है।'

(4) अध्ययन का दायित्व—नए सगठनों में यह प्राक्क्षेप है कि प्रतिदिन के कार्यों से सम्बन्धित नियम उसी व्यक्ति द्वारा लिए जायें जिनके सगठन के सम्बन्धित ज्ञान रखा है तथा जिसके मस्तिष्क में सगठन का भावी रूप स्पष्ट है। सगठन के अध्यक्ष के अतिरिक्त कोई व्यक्ति इस प्रकार का नहीं हो सकता और न ही प्रतिदिन की समस्याओं से सम्बन्धित उचित नियम ही ले पाता है। अधीनस्थ अधिकारी उन समस्याओं पर नियंत्रण तभी ले सकते हैं जब तत्सम्बन्धी अनेक परम्पराएँ विकसित हो चुकी हैं तथा सगठन व्यवस्थित हो चुका है। नए सगठन में ये दोनों ही विशेषताएँ नहीं पाई जाती अतः इन सगठनों में प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण नियम स्वयं अध्यक्ष द्वारा लिए जाते हैं और वह सत्ताओं का हस्तांतरण नहीं करता।

(5) संचार साधन एवं नियंत्रण की प्रक्रियाएँ—प्रत्यायोजन की एक अत्यन्त सीमा संचार-साधना तथा नियंत्रण की प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। पूर्ववर्ती सगठनों में संचार तथा नियंत्रण के परम्परागत साधनों का प्रयोग किया जाता था इसलिए प्रत्यायोजन की व्यवस्था प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती थी। सम्भवतः यही कारण है कि उस समय प्रत्यायोजन करते समय एक अधिकारी पूरी तरह मोच विचार करता था। आज भी संचार साधनों द्वारा प्रत्यायोजन की प्रक्रिया पर सीमा लगाने का कार्य किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो सगठन संचार साधनों की दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं होता उसमें प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता।

10। संगठन की प्रक्रिया—प्रत्यायोजन देवन उगी बिन्दु तक किया जा सकता है ज। व संगठन की प्रक्रिया पर कोई अतक प्रभाव न डाले। जिस संगठन में प्रत्यायोजन बना कर दिया जाता है कि उसके विभिन्न सदस्यों के कार्यों को इस समन्वय करना भी बठिन हो जाए तो संभावना कुछ समय बाद वह संगठन में अपना अस्तित्व खो देगा।

(7) संगठन का आकार—छोटे आकार के संगठन में अधिक प्रत्यायोजन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि संगठन के अध्यक्ष के पास रहने वाली सत्ता की मात्र बहुत कम होती है। व स्वयं ही इस सत्ता का प्रयोग कुशलतापूर्वक कर सकता है। संगठन जितना अधिक छोटा होगा उसमें किया जाना प्रत्यायोजन भी उतना ही कम हो जाएगा। इसके विपरीत जो संगठन आकार में बड़ा होते हैं वया जिनकी भौगोलिक सीमाएं पर्याप्त होती हैं उनमें प्रत्यायोजन उतना ही अधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बन जाता है।

सत्ता का प्रत्यायोजन कैसे किया जाए ? — उपाय (How to Delegate the Authority ? Devices)

सत्ता के प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में मुख्य रूप से तीन प्रश्न उर्पि पत हाते हैं—कितनी सत्ता हस्तांतरित की जाए सत्ता किसे हस्तांतरित की जाए और सत्ता कैसे हस्तांतरित की जाए ? प्रथम प्रश्न का समाधान तो बतत कुछ उन सीमाओं द्वारा हो जाता है जिनका अध्ययन अभी किया जा चुका है। अंतिम दो प्रश्नों के उत्तर के लिए जरूरी है कि प्रत्यायोजन की समस्याओं को सुनभान के कुछ उपाय खोज जाए और साथ ही प्रत्यायोजन के माय सिद्धांतों की जांचारी प्राप्त की जाए।

प्रत्यायोजन की प्रक्रिया द्वारा अधीनस्थों को कुछ कर्तव्य अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंप देने से ही निश्चित तरीका जाना कि सत्ता का हस्तांतरण सफल हो ही जाएगा। उनके लिए कुछ निश्चित कदम उठाने हात हैं। प्रत्यायोजन को सफल बनाने के लिए उठाए जाने वाले इन कर्तव्यों को हस्तांतरण का ही विशेष अर्थ माना जाना चाहिए क्योंकि उसके बिना शप प्रक्रिया निररक बन जाती है। प्रत्यायोजन कैसे किया जाए—इस समस्या के अध्ययन को हम सूचना की दृष्टि में दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले भाग में व प्रध्ययन किया जाएगा कि प्रत्यायोजन की सफलता के उपाय क्या हैं तथा दूसरे भाग में हम उन सिद्धांतों का उद्भव करेंगे जो प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में अनेक विचारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

एवं सफल प्रशास्योपक्रम के उपाय

(Devices of a Successful Delegation)

1 उच्च अधिकारियों को कर्मचारी वर्ग के माध्यम से संप्रत्यक्ष स्थापित रखना चाहिए कि सत्ता का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। प्रशास्योपक्रम के सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक समस्याएँ उत्पन्न रहती हैं। उच्च अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों से समस्याओं पर विचार विमर्श करे और यदि उनके अस्तित्व में संगठन की प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई सदेह उत्पन्न हो तो उसे दूर कर दे।

2 प्रशास्योपक्रमित सत्ता की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। यह उचित है कि सत्ता के क्षेत्र को निश्चित रूप से निर्धारित कर दिया जाए ताकि अधीनस्थ अधिकारियों को भागदण्ड प्राप्त होता रहे। प्रत्येक पदाधिकारी को सत्ता को पकड़ कराने के लिए व्याख्याएँ, चेखे तथा चाल तयार किए जाने चाहिए। हर्मेन (Haimann) का विचार है कि यद्यपि प्रशास्योपक्रम करने वाले प्रबंधकों द्वारा सत्ता के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निश्चित रूप से दे देने के पश्चात् भी उसका कर्तव्य है कि समय-समय पर बत देना रहे कि अधीनस्थ अधिकारी प्रशास्योपक्रमित सीमाओं में कार्य कर रहा है अथवा नहीं।¹ जब कार्य के संचालन से सम्बन्धित अभिनेता और वाग्जानों का व्यवस्थित याजनानुसार अवलोकन किया जाता है तो संगठन में नियंत्रण रखना सुविधाजनक बन जाता है।

3 अधीनस्थ अधिकारियों का जिह सत्ता प्रशास्योपक्रमित की जाती है कर्तव्य है कि वे अपने कार्यों की प्रगति परीक्षण और समस्याओं के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को सूचित करते रहें। उच्च अधिकारी का भी कर्तव्य है कि वह इन सूचनाओं की समीक्षा करता रहें ताकि संगठन की प्रगति एवं समस्याओं का एक स्पष्ट चित्र उस सामने प्रस्तुत रहे। अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिवेदन सरल और सान्त्व होना चाहिए।

4 सत्ता का प्रशास्योपक्रम संगठन के अधीनस्थ और अधीनस्थों के बीच स्थित एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध है। कुछ व्यक्तिगत अतिक्रम प्रशास्योपक्रम की कला में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उच्च अधिकारी दूसरों द्वारा की गई गलतियों को मात्तय नियम अथवा रूटीन (Routine) मानते हैं। कभी-कभी गलतियों को बस एक गम्भीरता से नहीं देखा और यदि गलतियाँ बार-बार की जाती हैं तो वे अधीनस्थ अधिकारियों को भागदण्ड करते हैं। प्रशास्योपक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है कि उच्च अधिकारी अधीनस्थों की गलतियों के प्रति एक विशय अतिक्रम अथवा और यह मानकर चर्चें कि प्रत्येक व्यक्ति भूलें करके ही सीखता है।

5 एक अच्छे प्रत्यायाजन क लिए अधीनस्थ अधिकारियों के प्रति अध्यक्ष के मन में विश्वास होना अत्यन्त आवश्यक है। वह सगठन में यह देखने में आता है कि उच्च अधिकारी अधीनस्था के सम्भावित दिक्कतों के प्रति भयभीत रहते हैं। वे यह सोचते हैं कि प्रत्यायाजन द्वारा अधीनस्थ इतने योग्य बन जाएंगे कि उनका स्वयं का कार्य महत्त्व नहीं रहेगा। एक अच्छे प्रत्यायाजन में इस प्रकार का भय नहीं होना चाहिए।

6 एक सगठन में प्रत्यायाजन को सफल और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि अध्यक्ष की सहायता में कुछ कमचारा नियुक्त किए जाएं जिनका यह दायित्व है कि प्रत्यायाजन की गई शक्तियों का व्यवहार का निरीक्षण कर यह देखें कि क्या क्या हो रहा है। इस प्रकार के निरीक्षण एवं सर्वेक्षण से अनजान प्रतिक्रिया सम्बन्धी दोष सामने आते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए उपाय ढूँढना सगठन की प्रगति के लिए आवश्यक है।

प्रत्यायाजन की बाधाएँ (Hinderances of Delegation)

एक सफल प्रशासन के लिए प्रत्यायाजन की अत्यन्त आवश्यकता अनिवार्य है। प्रत्येक सगठन में बात का प्रयास करता है कि वह प्रत्यायाजन की व्यवस्था का एक स्पष्ट रूप अपना सके और साथ ही सगठन में नियंत्रण समन्वय अधीक्षण तथा निरीक्षण की व्यवस्था कर सके। प्रत्यायाजन सगठन के जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी होने पर भी अनजान एसी परिस्थितियाँ से प्रभावित रहता है जो उसका मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करती हैं। प्रो. पिफनर (J M Piffner) ने कुछ मानव कमजोरियों का वर्णन किया है जिनके कारण सगठन में प्रत्यायाजन सफल नहीं हो पाता—

- 1 जो व्यक्ति पत्र-माधान के नतूद्वय में अप्रमत्त होना चाहता है उसमें सामान्यतः अधिष्ठाता महत्कार होता है।
- 2 उसमें यह डर रहता है कि हमारे लोग ठीक तरह से सही निर्णय नहीं ले सकते तथा उनको सही तरीके से क्रियायित्व नहीं कर सकते।
- 3 उसका मन भी भय रहता है कि प्रभावशाली अधीनस्थों का एक शक्तिशाली वर्ग बन जाएगा जो उसके प्रति स्वामिभक्ति नहीं रखेगा।
- 4 जो व्यक्ति दूर शक्तिशाली और ऊँच उम्मीदवादी है वह अधीनस्थों के कार्यों में तीव्र गति नहीं देखना चाहता अतः सत्ता के प्रत्यायाजन की स्थिति चाहता है।
- 5 लोकप्रशासन में अनेक राजनीतिक कारण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे प्रत्यायाजन कठिन बन जाता है।

6 प्रयायोजन देश की सांस्कृतिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। जिस देश की सांस्कृतिक परम्परा सत्तावादी और पतृक नेतृत्व की होती है उसमें प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता या बहुत कम किया जा सकता है। इसलिए जब कभी प्रत्यायोजन की प्रक्रिया का अधिक लोकप्रिय बनना हो तो कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है।

7 प्रत्यायोजन के वाय में कुछ भावनात्मक परिपक्वता (Emotional Maturity) की आवश्यकता होती है जो प्रायः सफल व्यक्तियों में भी कठिनता से ही मिल पाती है।

8 नेतृत्व के प्रतीक (Symbols) प्रायः प्रत्यायोजन के अंश समान नहीं होते। जो लोग सफल होना चाहते हैं उनको प्रभावशाली हाथ चाहिए और प्रभावशाली व्यक्ति अपनी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं करता।

9 इस सम्बन्ध में एक विरोधाभास यह है कि जो व्यक्ति प्रत्यायोजन करना चाहता है वह नहीं जानता कि उसे किस प्रकार किया जाए।

10 प्रत्यायोजन की प्रक्रिया का नाम प्रायः दो कारणों से नहीं ही पड़ता। प्रथम संगठन और प्रबंध का विज्ञान अभी अपरिपक्व है और दूसरे अनुभव ने अधिकारियों को यह नहीं सिखाया है कि प्रत्यायोजन कैसे करें।

प्रत्यायोजन की विपरीत गारा वर्गित इन बाधाओं को कई विचारों ने कई प्रकार से व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए प्रो. हर्मान का विचार है कि प्रत्यायोजन की सबसे प्रमुख बाधा स्वयं सत्ताधिकारी अधिकारी का दृष्टिकोण होता है। कई संगठनों के अध्यक्ष ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं जो अपने कर्तव्यों पर बड़ा नियंत्रण रखना चाहते हैं। यह नहीं सकता है कि उनकी इस प्रवृत्ति से प्रायः खल कर वाय में बाधा आए और स्वयं संगठन का नुकसान हो लेकिन प्रत्यायोजन की दृष्टि से यह अमेगा हारिकाम्क सिद्ध होता है। प्रत्यायोजन की विपरीत की एक अन्य बाधा यह है कि स्वयं प्रबंधका अपने अधीनस्थों पर विश्वास नहीं रखता। इस विश्वास के बिना वह सत्ता को प्रत्यायोजित नहीं कर सकते।

हेमैन के मतानुसार अपने अधीनस्थों की योग्यता पर अविश्वास करना मुख्य रूप से अध्यक्ष की ही गानी मानी जानी चाहिए क्योंकि यदि अधीनस्थ अधिकारी योग्य है तो उच्च अधिकारी का आरोप भ्रष्टा माना जाएगा और यदि वे ग्राह्य हैं तो उनको प्रशिक्षित करना तथा योग्य बनाना स्वयं उच्च अधिकारी का कर्तव्य है। अधीनस्थों के प्रति अविश्वास के अतिरिक्त प्रत्यायोजन की एक अन्य समस्या यह है कि उच्च अधिकारी को अपने अधीनस्थों की उत्पत्ति से भय होने लगता है। सत्ता के प्रत्यायोजन में एक प्रथम तथ्य द्वारा भी बाधा पहुँचती है। जब प्रत्यायोजन करने वाला व्यक्ति अपनी प्रगति की सीमा पर पहुँच जाता है तो उसमें प्रत्यायोजन के प्रति अनेक भय पैदा हो जाते हैं। हेमैन के कथनानुसार

मनुष्य प्राय उसी परिस्थिति में अपनी सत्ता को स्वतंत्रतापूर्वक प्रत्यायोजित कर सकते हैं जब उनका अपनी प्रगति की सम्भावनाएँ निर्वारित होती हैं। किंतु जब एक बार यह निश्चित हो जाता है कि वह आगे प्रगति नहीं कर सकता तो वह अपनी स्थिति की रक्षा के प्रति अधिक सजग हो जाता है और कई लोगों का यह विश्वास है कि इस स्थिति में सत्ता कम से कम प्रत्यायोजित करनी चाहिए।¹

प्रत्यायाजन (Delegation) करने के माग में एक बाधा यह आती है कि जो व्यक्ति संगठन के अध्यक्ष पद पर हाता है और जिसके पास प्रत्यायोजन शक्तियाँ होती हैं उस पर अनेक उत्तरदायित्व भी हात हैं। जब वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों का सत्ता सौंपता है तो उत्तरदायित्व भी उसके साथ प्रत्यायोजित नहीं कर देता। इसका अर्थ यह है कि सत्ता सौंपने के बाद भी उसके प्रयोग के लिए बड़ी उत्तरदायी माना जाता है और कई लोग यहाँ एस.एस. खरा (S. S. Khara) की भाँति यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब मैं उत्तरदायी हूँ तो मैं प्रत्यायोजन कैसे कर सकता हूँ। जिस कार्य का उत्तरदायित्व एक अधिकारी को सौंपा गया है उस कार्य का करने की शक्ति भी उसी अधिकारी के हाथों में होनी चाहिए। हेमन का सुझाव है कि प्रत्यायोजन करते समय सोच समझ कर तथा आयासगत रूप में आगे बढ़ना चाहिए² क्योंकि यह सम्भव नहीं होता कि वह अपने उत्तरदायित्व अधीनस्थों को सौंप दें और फिर भी जा कुछ अधीनस्थों द्वारा किया जाए उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी रहें। सत्ता का प्रत्यायाजन करते समय उच्च अधिकारी के लिए जरूरी है कि कोई ऐसी व्यवस्था करे जिसके द्वारा अधीनस्थों के कार्यों पर नियंत्रण रखा जा सके तथा यह देखा जा सके कि सत्ता का प्रयोग सही रूप में किया जा रहा है। नियंत्रण के उचित तरीके न होने पर कई बार प्रत्यायाजन प्रभावहीन बन जाता है।

सत्ता के प्रत्यायोजन की ये बाधाएँ भारतीय प्रशासन के सन्दर्भ में अत्यंत प्रभावशाली हैं। भारतीय प्रशासन के वास्तविक व्यवहार पर एक विहंगम दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ प्रत्यायोजन के माग में अनेक बाधाएँ हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सबसे प्रथम और सबसे अधिक मनुष्यपूजक बाधा अतीत की परम्पराएँ हैं। वर्तमान भारतीय प्रशासन को अनेक बातें ब्रिटिश प्रशासन से अत्यंत अप्रत्यक्ष और चाहे घनचाहे विरासन में मिली हैं। ब्रिटिश प्रशासन साम्राज्यवादियों का प्रशासन होने के कारण अधीनस्थ भारतीय अधिकारियों को सत्ता का प्रत्यायोजन कबल तभी करता था जबकि ऐसा करना बहुत आवश्यक बन जाता था। इसके अतिरिक्त उस समय सत्ता का जो प्रत्यायाजन किया जाता था यह वास्तविक कम और दिखावटी अधिक था। अधीनस्थ अधिकारी जब प्राप्त

सत्ता का उपयोग करते थे तो उनके कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप किया जाता था। उनकी नियम लाने की स्वतंत्रता केवल नाममात्र की थी। उच्च अधिकारी अर्थात् अधिकारी थे क्योंकि वे अपने आप को स्वामी और अधीनस्थ भारतीय अधिकारियों को दास समझते थे। इस प्रकार का परम्पराओं में विकसित भारतीय प्रशासन आज भी प्रशासनायोजन की प्रक्रिया के प्रति अधिक उन्मादपूर्ण नहीं है।

भारतीय प्रशासन के अधिकांश उच्च अधिकारी प्रायः वही हैं जो ब्रिटिश प्रशासन के समय अधीनस्थ पदा पर कार्य कर चुके थे। इन अधिकारियों में अहंकार का भावना उनके विगत इतिहास का परिणाम है। उनके विचारों पर आज भी सामंतीशाही एवं जागीरदारी प्रवृत्तियाँ का प्रभाव है। फनस्वरूप सगठन के अधीनस्थ अधिकारियों से सहयोग की माँग नहीं करते बल्कि केवल आजा पालन चाहते हैं। इन अधिकारियों में अपनी योग्यता और सामर्थ्य के प्रति अनेक गलतफहमियाँ हैं। जब सविधान एवं ऐसे ही लिखित नियमों द्वारा प्रत्यायोजन की व्यवस्था कर दी जाती है तो भी अनेक उच्च अधिकारी अपनी मत्त का हस्तांतरण नहीं करना चाहते।

प्रशासकीय सगठना में अधिक एवं उचित प्रत्यायोजन केवल तभी हो सकता है जब उच्च अधिकारी उदार दृष्टिकोण अपनाए तथा मानवीय भूलों के प्रति अधिक बढोर रुख न अपनाए। भारतीय प्रशासन के कर्णधारों में प्रायः यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। यहाँ जब कोई अधिकारी अपनी सत्ता का प्रत्यायोजन करता है तो उस अनेक दृष्टियों से विचार करना पड़ता है। उस पर कई नैतिक राजनीतिक दबाव डाले जाते हैं सामाजिक मूल्या द्वारा उनको विचित्र किया जाता है उसके उत्तरदायित्व उस मत्ताप्रमी बना देते हैं वह अधीनस्थ अधिकारियों की योग्यता के प्रति सद्देशील दृष्टि से देखने लगता है। इस प्रकार परिस्थितियाँ एवं दृष्टिकोणों का एक चक्रव्यूह बना जाता है। सत्ता का प्रत्यायोजन करने से पूर्व प्रत्येक उच्च अधिकारी के लिए इस चक्रव्यूह को तोड़ना जरूरी होता है।

यह अधिकांश मय है कि भारतीय प्रशासन में योग्य अधिकारियों का अभाव है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन में जिन व्यक्तियों का प्रवेश दिया गया उनमें से अधिकांश में बौद्धिक योग्यता नहीं थी जो एक कुशल प्रशासक के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। इन योग्यताओं का विकास केवल पुस्तकीय अध्ययन से नहीं होता। इसके लिए उपयुक्त सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। कार्य का अनुभव किया जाता है तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण की प्रणालियाँ विकसित की जाती हैं।

एक अच्छा प्रत्यायोजक

(A Good Deleator)

प्रश्न है—एक अच्छा प्रत्यायोजन कौनसा होता है और एक अच्छे प्रत्यायोजक

में कौन कौन से गुण पाए जाने चाहिए ? प्रत्यायोजन के सिद्धांतों के अध्ययन के फलस्वरूप उन विशेषताओं पर विचार किया गया था जो एक अच्छे प्रयागजक के लिए अनिवार्य होती हैं। अच्छा प्रत्यायोजक प्रायः वह है जो प्रत्यायोजन के सिद्धांतों का अपनी प्रक्रिया का आधार बनाता है तथा प्रत्यायोजन के मांग की बाधाओं को कम करने का प्रयास करता है। उसमें मुख्य रूप से ये गुण पाए जाने चाहिए—

1 उदारता—उसे प्रत्यायोजन करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाकर चलना चाहिए अर्थात् वह सारी सत्ता का प्रयोग स्वयं ही करने में तैयार तथा अधीनस्थ अधिकारियों को भी कुछ अवसर प्रदान करे ताकि वे अपनी योग्यताओं का विकास कर सकें।

2 सीमाओं का ध्यान—एक अच्छे प्रत्यायोजक को चलना अधिक उदार भी नहीं होना चाहिए कि वह प्रत्यायोजन की सीमाओं का ध्यान न रखे और अपना प्रत्येक अधिकार अधीनस्थों को सौंपने की प्रवृत्ति अपनावे। जिस प्रकार उदार दृष्टिकोण न अपनाते पर एक उच्च अधिकारी कृत्य भार संभर सकता है उसी प्रकार अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने पर वह प्रभावहीन भी बन सकता है।

स्पष्टता—प्रत्यायोजन करते समय उच्च अधिकारी का चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से अपने अधीनस्थों को बता दे कि उन्हें क्या करना है। प्रत्येक अधीनस्थ को यह ज्ञात होना जरूरी है कि उनको किन विषयों में नियंत्रण की शक्ति सौंपी गई है तथा उनके नियंत्रण की शक्तियां पर क्या सीमाएं लगाई गई हैं।

4 पयबेक्षण—एक अच्छा प्रत्यायोजक शक्ति प्रदान करने के बाद उनकी ओर से निश्चित नहीं हो जाता कि वह कौन-कौन से समय-समय पर उस बात की जांच करता रहता है कि प्रत्यायोजित की गई शक्तियां का सही प्रकार से तथा उचित सीमाओं में प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। एक अच्छे प्रत्यायोजक का अधीनस्थों को सौंपे गए कार्य शक्ति एवं उत्तरदायित्व में सतत निगरानी रखना चाहिए। उसमें यह देखना चाहिए कि नवीन परिस्थितियों के कारण अधीनस्थों का सत्ता काल्पनिक या उत्तरदायित्व में क्या परिवर्तन किया जाए।

5 सीमित हस्तक्षेप—प्रयागजन करते समय अधीनस्थ अधिकारियों का जो सत्ता सौंपी जाती है उसमें भी सीमाओं के कारण एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसमें इस नियंत्रण की अधिकार नहीं होता। इस क्षेत्र का समस्याओं को उत्पन्न करने अधिकारियों के सामने रखना जरूरी होता है। इस सामान्य रूप से अपवाद सिद्धांत (Exceptional Principle) कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जिस क्षेत्र को अधीनस्थ अधिकारियों की नियंत्रण शक्ति से बाहर रखा जाता है वह भी स्पष्ट कर देना चाहिए। कई बार इस अपवाद सिद्धांत का दुरुपयोग कर

अधीनस्थ अधिकाारी अपने अधिकारी विधिया को अनावश्यक रूप से उच्च अधिकारियों के पास भेजते रहते हैं अथवा स्वयं उच्च अधिकारी इस सिद्धांत के नाम पर अनावश्यक रूप से अधीनस्थों के कार्यों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। एक अच्छा प्रत्यायोजक वह होता है जो उस अपवाद का दुरुपयोग किए जाने की सम्भावनाओं का निराकरण कर सकें।

6 योग्यता का ध्यान—सत्ता का प्रत्यायोजन करते समय अधीनस्थ अधिकारियों की योग्यता का ध्यान रखना परमावश्यक है। यदि गलती से अयोग्य व्यक्तियों का सत्ता सौंप दी गई तो वे उसका दुरुपयोग करेंगे और संगठन को उसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे।

7 पूरा कल्पनाएँ—प्रत्यायोजन करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि इससे उच्च अधिकारी क्या प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी का यह गुण माना जाता है कि जब वह सत्ता का प्रत्यायोजन करे तो अपने मस्तिष्क में यह बात रखे कि अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य एवं कर्त्तव्य क्या होंगे। साथ ही उस उन परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनकी वह आशा करता है। आशानुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्यायोजक द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया देना चाहिए कि वह क्या आशा करता है तथा इस आशा को वह कब तक और किसके द्वारा पूर्ण हुई देखना चाहता है। हेमन के शब्दों में प्रत्यायोजक का यह भी उत्तरदायित्व होता है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिसमें जिसे प्रत्यायोजन किया गया है वह यह जान ले कि उससे क्या आशा की जा रही है। जब एक प्रत्यायोजक कुछ परिणामों की आकांक्षा करता है तो उसे चाहिए कि वह अपने अधीनस्थों को इतनी सत्ता दे कि वे उसकी आकांक्षा को पूरी कर सकें। कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता से अधिक सत्ता प्रत्यायोजित करना जरूरी नहीं है तथापि अधीनस्थों के पास इतनी सत्ता होनी ही चाहिए कि वे अपने कार्यों को भली प्रकार सम्पन्न कर सकें। एक अधीनस्थ से जबल उसी कार्य के बारे में उत्तरदायित्व हान की आशा की जा सकती है जिसके लिए उसे सत्ता मानी गई है।

सहभागी प्रबंध, समूह गतिशीलता (Participative Management, Group Dynamics)

सहभागी प्रबंध (Participative Management)

अनेक परिस्थितिक अंतरों के कारण वर्तमान प्रबंध का जिन नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनकी दृष्टि से प्रबंधक काय और गठन में भी तदनुकूल परिवर्तन बौद्धिक बन जाते हैं। नवीन उद्यमों के बड़े आकार और उनमें हुई समस्याओं की व्यवस्था करने के लिए किस प्रकार का प्रबंध होना चाहिए जो कि आने वाले अपरिहाय कष्टों को कम कर सकें प्रतिभा और शक्ति का पूरा प्रयोग कर सकें तथा आने वाले परिवर्तनों के अनुसार मूल्यवान् लोगों को कुछ योगदान करने योग्य बना सकें। इस प्रकार के प्रबंध की योजना काय व्यवहार में की जायगी जैसे—मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्रियों को सौंपा गया जिनके अध्ययन आज उच्च प्रावसायिक स्कूलों के अंग बन गए हैं। अमेरिका जस बड़े देशों के प्रमुख निगमों में समाज वैज्ञानिकों की अपनी स्टाफ में रखना प्रारम्भ कर दिया है। इन समाज वैज्ञानिकों ने अपनी मद्दातिक अध्ययन द्वारा संगठन के कार्य में लागत कम करने और कार्य कुशलता सुधारने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों में से एक का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि किसी भी संगठन के कार्य स्तर को सुधारने के लिए उसका प्रबंध सभ्यी प्रवृत्ति का होना चाहिए। यदि संगठन के कार्यकर्ताओं का संगठन की नीति संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सहभागी बनाया जाएगा तो वे निश्चित ही कार्यों का विशेष अग्रद्वेष एवं रुचि के साथ करेंगे। साधनों का उपयोग नहीं होगा। लागत कम आएगी और कार्य का स्तर सतोपनाक होगा। व्यवहारवादी समाज वैज्ञानिकों ने यह सुझाया कि कार्य करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं तथा उनकी धन संबंधी आवश्यकताओं का पहचाना जाए तो वे अधिक प्रतिधुत प्रति क्रिया करेंगे और श्रद्धापूर्वक कार्य सम्पन्न करेंगे। वे संगठन के परिवर्तित उद्देश्यों की स्वरचना में महायत्ना करेंगे तथा उन्हें अपना बना लेंगे। वही सहभागी प्रबंध का अर्थ है। इस माथना के अनुसार लघु कारखानों कायकता एवं मध्यवर्ती तथा उच्च प्रबंध सभी को सहभागी बनाया जाना चाहिए। लघु कारखानों कायकताओं के लिए इस सहभागिता का अर्थ यह है कि संगठन के विभिन्न कार्यों को संगठित करने के लिए

कदम उठाए जाए और उनके सम्बन्ध में कार्यकर्ताओं के विचार आमंत्रित किए जाए। मध्यवर्ती एवं उच्चतर प्रबंध के लिए इसका अर्थ यह है कि उनका नियम निर्माण में अधिक सहभागिता दी जाए सत्ता एवं दायित्वा की व्यापक भागीदारी दी जाए ऊपर नीचे तथा समकक्ष स्तरों पर सम्प्रत्यय की व्यवस्था अधिक खुली तथा प्रभावशाली हो। इस सहभागिता दृष्टिकोण में पूरा समूह कार्य करता है इसलिए इसे समूह दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अक्सरी एवं महेश्वरी के अनुसार सहायी प्रबंध का अर्थ है कमचारियों द्वारा सम्बन्धित संगठन की नियमित वाली प्रक्रिया में उस सीमा तक भाग लेना तथा तक तक उनका हित पर तात्कालिक एवं दूरगामी प्रभाव डालना हो। संगठन में लोकतन्त्रीय और प्रशासन में प्राग्वीय तत्वों की नवीन मींग आज की जाने लगी। इस भाग के सम्बन्ध का कहना है कि सहभागी प्रबंध के परिणामस्वरूप—

(1) संगठन के प्रति सहभागियों में हम की भावना या सन्तुष्टता की प्रवृत्ति की वृद्धि होती है

(2) प्रति सक्रिय परम्परागत विशासीय दृष्टिकोण के स्थान पर सहभागियों में समय संगठन में अधिक दृष्टिकोण का विकास होता है

(3) सहभागियों में विरोध शक्त तथा तीव्र प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है

(4) सभी एक दूसरे को भला प्रकार समझने एवं जानने लगते हैं जिससे उनमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति तथा धर्म की वृद्धि होती है

(5) अपने व्यक्तित्व की व्यक्ति अलग-अलग स्वरूप से प्रकट कर सकना है जिसके फलस्वरूप कमचारी या संगठन से अधिक जवाब उत्पन्न हो जाता है तथा

(6) अर्थ प्रवृत्तियों के फलस्वरूप कार्य सम्बन्धी ऐमावातावरण विकसित हो जाता है जिसमें अधीनस्थों की अधिक सृजनात्मक रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। यह संगठन के लिए लाभप्रद है।¹

हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सहभागी प्रबंध कोई ऐसा जादू नहीं है जिससे मानिक और कमचारियों की सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। किसी भी संगठन में सत्ता सफलतापूर्वक आरम्भ विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है जिनमें—संगठन में संरचना संगठन के भीतर अनौपचारिक समूहों के नियम संगठन की सेवा के सम्बन्धी नीतियाँ और उसके प्रति प्रबंध के उच्चाधिकारियों का दृष्टिकोण आदि।

सहभागिता प्रबंध की आलोचना

(Criticism of the Participative Management)

सहभागी प्रबंध के सम्बन्ध में किए गए नए अध्ययनों के आधार पर यह प्रतिपादित किया गया है कि इस प्रबंध शक्ति का न तो मूलभूत और न प्रारम्भिक

निम्नानुसार ही बर्तानिक रूप से सशक्त अथवा साधनीय रूप से कार्यशील थे। इस दृष्टिकोण की मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) सहभागी अथवा समूह दृष्टिकोण सभी व्यक्तियों के साथ और सभी परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाता। शोध के आधार पर यह मान हुआ है कि संतुष्ट और प्रसन्न कर्मचारी कभी कभी अधिक उत्पादक होते हैं और कभी मात्र प्रसन्न रहते हैं। कुछ प्रबंधक और कर्मचारी ऐसी प्रकृति के होते हैं कि उन्हें कम्पनी चाह किन्तु ही प्रयत्न और प्रयास करे किंतु वे मात्र सीमित उत्तरदायित्व के क्षेत्रों को राजी मानते हैं। कुछ लोग प्रयत्न सत्ता हस्तांतरित करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं किंतु ऐसा कर नहीं पाते। संगठन में लाभ की दृष्टि में लागत को नियंत्रित करने का मुख्य तरीका सहभागी प्रबंधन हो कर प्रायः कठोर एवं कठोर प्रबंध होता है।

(2) संगठन में कुछ लोग कम प्रकृति के होते हैं कि वे कार्य करने के प्रजातांत्रिक तरीके के अनुकूल नहीं होते।

(3) सहभागी प्रबंध के सफलतापूर्वक कार्य संचालन हेतु निष्पादकों के कठोर मनावधानिक प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य बन जाता है।

(4) व्यवहारवादी विचारक अतः इस सहभागी सिद्धांत को अधिक प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिए अधिक व्यवस्थित कार्य प्रणाली का समर्थन करते हैं और कम प्रकार के सामान्यतः कुछ मिद्धांत के ढांचे पर कार्य करने वाले सत्तावादी प्रबंध की ओर गौरव प्राप्त है।

(5) अधिकांश निष्पादकों पर सहभागी होने की केवल घोषणा की जाती है किंतु वास्तव में वे ऐसा बन नहीं पाते। स्टैनली सीशोर (Stanley Seashore) के कथनानुसार 'एम्' बहुत सारे निष्पादक हैं जो एक मुबह अधिक सहभागी बनने का निष्पत्ति करते हैं तथा दोपहर बाद यह निष्पत्ति निकालते हैं कि यह नानि सफल नहीं होती।¹ लिंकट ने अनेक अमेरिकी उद्योगों का अध्ययन करने के बाद यह निष्पत्ति निकाली है कि अधिकांश प्रबंधक दूसरे संगठनों में अपने निरीक्षण के आधार पर सोचते हैं कि सहभागी दृष्टिकोण अधिक अच्छा रहता है। किंतु वास्तविक व्यवहार में वे स्वयं नीति का नहीं अपनाते।

(6) यदि सहभागी प्रबंध का तर्जों के साथ अपनाया जाए तो इसके कारण स्वयं प्रबंधक बड़े संकट में पड़ जाता है। इसके फलस्वरूप आजकल अनेक व्यवहारवादी यह प्रश्न करने लगते हैं कि क्या सहभागी शर्तों को कोई आदेश है जिसके लिए प्रबंधक प्रबंध को प्रयास करना चाहिए? प्रारम्भ में सहभागी प्रबंध का विचार प्रशासनिक प्रबंध के यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध एक नए विधान के रूप में विकसित होता था किंतु अब अनुभवों के बाद उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

(7) सहभागी दृष्टिकोण केवल नवीन उद्योगों में नती प्रकाश काय करता है जो परिवर्तन के लिए प्रत्यनशील होते हैं।

(8) कुछ व्यवस्थापकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध शक्ति को तय करने के लिए किसी विशेष व्यवसाय की प्रकृति का आधार में मानकर उसमें काय करने वाले लोगों के यत्न के गुणों को मानते हैं। अतः किसी व्यक्ति को सही प्रकार काय में लगाने के लिए उसकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार की परीक्षा का मूल्य आज विवादपूर्ण बन गया है। क्योंकि इसके कारण लोगों के सम्बंध में अति सरलवादी विचार बना लिए जाते हैं।

(9) जिन व्यवस्थापकों ने प्रबंधकीय समस्याओं का अध्ययन मानवशास्त्रीय दृष्टि से किया था उन्होंने व्यक्तिगत अंतरों की अवस्था सामूहिक अंतरों पर ध्यान दिया। सामूहिक प्रबंध की सरलता के लिए कतिपय सांस्कृतिक विशेषताएँ सहयोगी मानी गयीं।

कुछ मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रबंध के सहभागी स्वरूप का प्रभाव एवं उपयोगिता का निष्पत्ति अनेक तत्वों के आधार पर होता है। इनमें उल्लेखनीय है समय का मूल्य काय की प्रकृति बड़े संगठन में अंतर के बिन्दु लोगों की प्रति सांस्कृतिक रूप रचना प्रबंध की मनोवैज्ञानिक तयारी एवं तन्वीकी सम्बंध में।

समूह गतिशीलता की अवधारणा (The Concept of Group Dynamics)

समूह में रहता व्यक्ति की प्राकृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के कारण उसका स्वभाव बन चुका है परन्तु व्यक्ति के सामाजिक जीवन में अनेक समूह उपमूल्य तथा छोटे मोटे बग बन जाते हैं। ये समूह व्यक्ति का सामाजिकरण करते हैं और उसे सामाजिक नियमों में भाग लेने की प्रेरणा देते हैं। विभिन्न समूहों में व्यक्ति का जीवन कुछ विशेष नियमों एवं विद्याओं से प्रभावित होता है। जो उसके व्यक्तिगत जीवन के नियमों से भिन्न होते हैं। आजकल समाज विज्ञानियों द्वारा विभिन्न प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान की दृष्टि से विशेष रूप से समूह का अध्ययन किया जाता है। 20वीं शताब्दी में इस प्रकार के अध्ययन अनुभवों की शक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। ज्ञान की वृद्धि के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहों छोटे समूहों मनीषण एवं पठनीय समूहों तथा इन समूहों के गुण सम्पत्तियों तथा नेतृत्व के साथ-साथ इनके समाधानों के द्वारा और मूल्यों का अध्ययन किया जाने लगा है। इनके अतिरिक्त समूहों की अनुभूतियों दृष्टिकोणों अन्तःक्रियाओं आदि से सम्बंधित अनेक अध्ययन हुए हैं। ये सब अध्ययन समूह गतिशीलता (Group Dynamics) के विकास में सहायक बन गये हैं।

समूह-गतिशीलता एक शाब्दिक है। मानव समूह का संरचना स्वरूप तथा कार्य में जो परिवर्तन होते रहते हैं उनमें क्रम का समाजशास्त्र में समूह की

गतिशीलता कहा जाता है। समूह गतिशीलता की अवधारणा के सबसे प्रथम प्रचलन का जेय कुट लविन (Kurt Lewin) को जाता है जिसके अनुसार समूह गतिशीलता स अथ उन सम्पूर्ण सामाजिक प्रक्रियाओं के सामूहिक रूप में जो समूह के सदस्यों में अथ न प्रक्रिया के विभिन्न स्वरूपों के रूप में प्रदर्शित होता है। मानव समूह में जो परिवर्तन घटित होते हैं उनमें मुख्यतः तीन कारक हैं—परिस्थिति में परिवर्तन, सदस्यों में परिवर्तन एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। इन कारकों के प्रभाव से प्रत्येक समूह निरन्तर गतिशील रहता है। अतः समूह की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए इस गतिशीलता का अध्ययन आवश्यक समझा जाता है। व्यवहारवादीयों की भांति समूह गतिशीलता एक ऐसा घूर्णन है जो समूह से सम्बन्धित प्रत्येक अध्ययन के लिए बहोर ब्रह्मानिक प्रविधि अपनाते पर जोर देता है। यह आन्तक बहोर अनुभववाद और प्रत्यक्ष निरीक्षण पर आधारित ज्ञान पर अवलम्बित है। दूसरे अर्थों में समूह गतिशीलता समूह के परिवेश के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त औजारों एवं तरीकों का विकास का आन्तक है। इस आन्दोलन के अन्तर्गत विद्वानों का उद्देश्य यह था कि समूह में व्यवहार की कुछ समानताओं का खोज की जाए और सम्बन्धित नियम विनिश्चित किए जाए। यह माना जाता है कि समूह तथा अतः समूह का परिवेश एक जटिल तत्त्व है इसके मूल्यों एवं लक्ष्यों का अध्ययन अत्यन्त बर्तमान काय है। वर्तमान समाज में दिखने वाली अनेक बीमारियों की पृष्ठभूमि में समूह के अध्ययन ने पर्याप्त महत्त्व प्राप्त कर लिया है। समूहों के परिवेश का सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सम्पूर्ण समाज पर गहरा प्रभाव होता है। प्रबंध की दृष्टि में समूह उत्पादकता एवं उत्पादन बर्तन में उत्प्रेरणात्मक भूमिका निभाता है।

समूह गतिशीलता के सिद्धांत की मायता के अनुसार प्रत्येक समूह एक परिवर्तनशील इकाई है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि समूह में स्थिरता या स्थायित्व का पूर्ण अभाव रहता है। अधिकांश समूह कुछ अर्थों में स्थिरता लिए हुए परिवर्तन के लिए सदैव अपने दरवाजे खुले रखते हैं। आन्तरिक रूप से प्रत्येक समूह में हमेशा कुछ न कुछ क्रियाएँ निरन्तर होती रहती हैं। ये क्रियाएँ समूह के संगठन संरचना और उमक काय संचालन की प्रक्रिया में परिवर्तन ला देती हैं। इस परिवर्तन के कारण एक नवीन संतुलन व्यवस्था का जन्म होता है।

संक्रियों को संचालित करने के लिए समूह में अनेक अर्थों में क्रियाएँ जन्म लेती हैं। समूह में भी ऐसी विशेषताएँ तथा गुण पाए जाते हैं जिनका नाप-तोल अवलोकन वर्गीकरण और भविष्यवाणी की जा सके। किन्तु विशेष प्रकार की परिस्थितियों में विशेष समूह के सदस्यों का व्यवहार किस प्रकार का होगा इसका पूर्वानुमान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। समूह व्यवहार की इन गतिविधियों को ही आजकल समूह प्रक्रियाएँ (Group Processes) अथवा समूह गतिशीलता (Group Dynamics)

कहा जाता है। समूह के स्थायित्व में परिवर्तनशील प्रक्रिया को समूह गतिशीलता का नाम दिया गया है।

कुट लेविन ने इस दृष्टि से क्षेत्र सिद्धान्त (Field Theory) का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धान्त में इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन उसके जीवन के पर्यावरण का सीमा में किया जाए अर्थात् मानव व्यवहार का निरूपण उन विभिन्न तत्वों के आधार पर किया जाना चाहिए जो परिस्थिति विशेष में एक साथ पाए जाते हैं। यद्यपि व्यवहार क्षेत्र का परिशील बना देते हैं क्योंकि क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं का एक दूसरे पर अपना अपना प्रभाव पड़ता है।

समूह की प्रकृति एवं लक्षण

(The Nature and Attributes of the Group)

समूह की रचना करने वाले विभिन्न तत्वों के आधार पर समूह की प्रकृति एवं लक्षणों को समझा जाता है। समूह का निर्माण के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। इससे अधिक के चाहे जितने हो सकते हैं। समूह के सदस्य पारस्परिक अंतर्क्रिया करते हैं। इसके अभाव में समूह की रचना सम्भव नहीं है। समूह के सभी सदस्यों की भावनाएं आकांक्षाएं तथा उद्देश्य समान होते हैं। समूह के सदस्यों की भूमिकाएं एवं उनकी प्रस्थिति समान होती है। समूह के सभी सदस्य अपने पर्यावरण की वस्तुओं से समान रूप से सम्बन्धित होते हैं। समूह के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध ऐसे होने चाहिए जिसके आधार पर उस समूह का साधारण कार्य संचालन हो सके। समूह के सदस्यों के व्यवहार प्रतिमानों व्यवहार सम्बन्धी भावना तथा मानकों में समानता पायी जाती है। समूह के सदस्यों में मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध उपनष्ट होते हैं। इसके सदस्य एक दूसरे के प्रति अनुभूति रखते हैं और तदनुकूल व्यवहार भी करते हैं। समूह के सभी सदस्यों की भूमिकाओं में निकटता एवं सानिध्य होता है। समूह के सदस्यों में अथवा समूह के सदस्यों से पृथक्ता की भावना रहती है। समूह के कार्यों की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके सदस्यों को सीपे गण कार्यों का विशेषीकरण कितना प्रभावशाली है। समूह की संरचना इसके सामाजिक परिवेश से गहन रूप से प्रभावित होती है। समूह का व्यवहार दो मनोतत्वों की उपज है ये हैं व्यक्तिगत गुण एवं गठन जनवादी और नेतृत्व आदि सामूहिक गुण। दूसरे प्रकार के तत्व समूह के सदस्यों के बीच अंतर्क्रिया से जन्म लेते हैं। समूह के प्रति उसके सदस्यों का आकर्षण इसके उद्देश्यों कार्यक्रमों तथा गठन में इसका स्तर पर निर्भर है।

प्रबंध के आधुनिक प्रसाधन
 आटोमेशन, साइबरनेटिक्स
 (Modern Aids to Management
 Automation Cybernetics)

आवृत्त व्यवसाय एवं उद्योगों का प्रसार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार के प्रगतिशील वास्तव भी अधिक हात जा रहे हैं। उनके फलस्वरूप प्रबंध की समस्याएँ जिन जिन जन्म लेती हैं। प्रबंध के नियोजन अनुसंधान समन्वय तथा नियंत्रण आदि सम्बंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक प्रबंधकीय तकनीका का विकास किया गया है। प्रबंध के इन आधुनिक प्रसाधनों में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रबंध की प्रक्रिया में आन्विकारी परिवर्तन लाया गया। ये आधुनिक प्रसाधन प्रबंध एवं अभियान्त्रिकी दोनों में आन्विकारी रूप से सम्बंधित हैं। उनके द्वारा उच्च स्तरीय तकनीका एवं जन्म लेने वाले प्रबंध सम्बंधी समस्याओं को बीच एक मनुष्य का काम किया जाता है।

प्रबंध के इन आधुनिक प्रसाधनों का उद्देश्य प्रबंधकीय सिंगल और कार्यों का त्वरित करना है। दूसरे शब्दों में ये आधुनिक प्रसाधन व्ययमात्र को एकीकृत करने और समग्र संगठन में उद्देश्य पूर्ण कार्य करने का प्रयास करते हैं। दूसरे इन नए प्रसाधनों द्वारा व्यवसाय के उद्देश्य तथा माताप्राप्त सुधार का सम्भव बनाया जाता है और इस प्रकार उच्च प्राप्ति के जातिम कम किए जाते हैं तथा व्यवसाय की आर्थिक सम्पन्नता का सुधार आता है। तदनुसार इन प्रसाधनों द्वारा यह सम्भव हुआ है कि भावी निष्पत्ति का तकनीक नियोजन किया जा सका और इन्हें भविष्य के लिए अधिक सक्षम तथा प्रभावशाली निष्पत्ति बनाया जा सके। इन आधुनिक प्रसाधनों का प्रयोग करके संगठन को भावी आधुनिकताओं का अधिक बुद्धिपूर्ण एवं व्यापक रूप से प्रस्तुत करना सम्भव हो सका है। यहाँ हम प्रबंध के प्रमुख आधुनिक प्रसाधनों का संक्षेप में उल्लेख कर रहे हैं।

आटोमेशन
 (Automation)

यह एक नया शब्द है जो स्वयं-चालीन एवं चोड़ा का स्वचालित बनाने का क्रिया-शैली के लिए प्रयुक्त होता है। यह नियंत्रणकारी प्रसाधन है जिसे

माध्यम से काय की प्रक्रिया को इस प्रकार समायोजित किया जाता है ताकि नियोजित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। उस तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य संगठन में स्थायित्व एवं भविष्यवाणी की क्षमता बना करना है। इसके अनिरीकृत इसका अर्थ यह है कि ऐसी सब श्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाता है जिसके द्वारा कम से कम लागत एवं प्रयासों में अधिकतम स्थायित्व के साथ विभिन्न प्रकार की चीजें प्राप्त की जा सकें। आटोमेशन तकनीका के माध्यम से सम्भरण व्यवस्था द्वारा नियंत्रण प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि यंत्रों द्वारा उड़ते हुए वायुयान को निर्दिष्ट और नियंत्रित किया जाता है।

आटोमेशन का महत्त्व 50वीं के आरम्भ में संयुक्तराज्य अमेरिका की कांग्रेस की आर्थिक स्थायित्व पर उपसमिति की जांच में स्वीकार किया गया था। समिति ने सावजनिक सुनवाई तथा केस अध्ययनों के माध्यम से द्रतगामी तकनीकी परिवर्तनों की दृष्टि से अर्थ व्यवस्था के लिए इसका तत्कालीन एवं भावी महत्त्व का उन्मुख किया था। समिति के मतानुसार अर्थव्यवस्था के कुछ भागों में अर्थ बचत मात्र एवं तकनीकें तथा आटोमेशन अपनाकर नए उद्योग जन्मे हैं तथा इनके जन्म की सम्भावनाएँ हैं। स्वचालित प्रक्रियाओं को अपनाकर वस्तुएँ और सेवाएँ सम्भव हो सकी हैं जो पहले सम्भव नहीं थीं। आटोमेशन के परिणामस्वरूप या अनिरीकृत अवकाश और अनिरीकृत उत्पादन एवं आराम उपलब्ध हुआ है उसने मजदूरों और उपभोक्ताओं को अधिक चयन का अवसर दिया है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत में कमी और उसका गुणो में सुधार हुआ है। इसके द्वारा निश्चय ही प्रशासनिक एवं अर्थ प्रकार के मानवीय कार्यों का स्थान ग्रहण नहीं किया जा सकता विशेषतः ऐसे कार्य जिनमें निगम और तकनीकी आवश्यकता होती है।

आटोमेशन की दृष्टि से कतिपय मूलभूत बातें सम्भरण कम्प्यूटर का उपयोग विनियोग की आवश्यकता मानवीय सम्बन्ध एकीकृत व्यवस्था में यात्रिकीकरण आदि आवश्यक है। वास्तव में आटोमेशन विभिन्न प्रकार की अभियांत्रिकी का बढ स्तर व उत्पादन में सम्मिलण करता है।

साइबरनेटिक्स (Cybernetics)

साइबरनेटिक्स का प्रीक भाषा के गवनेट शब्द से बना है। साइबरनेटिक्स शब्द की व्याख्या करते हुए इस विद्यता मेकेनिकल व्यवस्था कहा जाता है जो किसी चीज को स्थायी बनाने की दृष्टि से स्वतः चालित होती है। साइबरनेटिक व्यवस्था व उन्मुखण की दृष्टि से एक वायुयान के स्वचालित पायलट का उन्मुख किया जा सकता है जो उसे सीधा और एक स्तर पर उड़ाए रखता है। साइबरनेटिक व्यवस्था एक एकीकृत इकाई है जिसके पाँच भाग हैं—इन्पुटस डेटा प्राप्तिय पाउटपुटस वेरीफायस एवं फीडबैक। इनमें अंतिम व द्वारा किसी न किसी रूप में

भावी इन्पुट्स का प्रभावित किया जाता है। यदि इस व्यवस्था को सही रूप में सरचित किया जाए तो यह व्यवस्था के बाहर से आने वाले अवरोधों और आन्तरिक रूप से प्रकट होने वाले अन्तरो के हात हुए भी काम को निरन्तर एनिशोल्ड रख सकेगी।

पट (Pert)

अथ एव परिभाषा

पट का पूरा नाम है— Programme Evaluation and Review Technique जिसका हिंदी रूपान्तर हुआ— कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा तकनीक। पट एक प्राधुनिक प्रबन्धकीय तकनीक है जिसे कुछ वर्गों पूर्व मायता प्राप्त हुई है। यह अंग्रेजी के चार अक्षरों में मिलकर बना है। इसमें पी का अर्थ कार्यक्रम (Programme) से है। एव का अर्थ का करने से पूर्व उसका मापक कार्यक्रम बना लेना चाहिए। यह उस काम में सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। ई का अर्थ मूल्यांकन (Evaluation) से है अर्थात् कार्यक्रम बनाने के बाद उसका सही रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अर का अर्थ है कार्यक्रम की पुनरीक्षा (Review) करना और टी का अर्थ है तकनीकी (Technique) अर्थात् काम करने की विधि। इस प्रकार शास्त्रिक अर्थ के अनुसार पट द्वारा किसी परियोजना की व्याख्या की जाती है उसकी क्रियाश्रम में समकाल स्व्यापित किया जाता है और समय के आधार पर सफलतापूर्वक उसके तदर्थ प्राप्त किए जाते हैं। पट एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत बड़ी परियोजनाओं को छोटे-छोटे कार्यों (Jobs) में विभक्त कर दिया जाता और उनके क्रम में उन कार्यों को तदनुसंगत क्रम में रखा जाना है। काम की प्रत्येक कार्य का कार्यान्वयन करने के लिए अनुचित समय तय कर लिया जाता है और इसी समय सीमा के अंतर्गत प्रत्येक कार्य पूरा करने की चेष्टा की जाती है। प्रत्येक काम के माप में आने वाली सम्भावित बाधाओं एवं समस्याओं को उनके उत्पन्न होने में पहले ही समाप्त कर लिया जाता है ताकि निर्धारित तदर्थ का निर्धारित समय में प्राप्त किया जा सके। पट नामक तकनीक का जन्म एव विकास सन् 1958 में अमेरिका में पोन्टारिस परियोजना के सन्दर्भ में किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इस निर्धारित समय में दो वर्ष पूर्व ही समाप्त किया जा सका।

पट का उद्देश्य

पट का उद्देश्य किसी भी परियोजना के नियोजन में समय तथा निधि उपाय में सहायता करना और उसे पूरा करने के माप में आने वाली भावी बाधाएँ एवं बाधाओं को दूर करने हुए निर्धारित समय में अथवा उससे भी पूर्व परियोजना को पूरा करना है। पट द्वारा परियोजना की लागत में कमी की जाती है इसक समय

की बचत की जाती है। वसम मानवीय तथा भौतिक साधनों का श्रेष्ठ तथा प्रभावी उपयोग किया जाता है और बड़ी परियोजना को छोटे-छाटे तकसगत कार्यों में विभाजित किया जाता है।

पट की प्रमुख अवधारणाएँ

इस तकनीक की अवधारणाएँ मुख्यतः तीन हैं—

1 घटनाओं एवं क्रियाओं का जाल (Network of Events and Activities)—पट के अंतर्गत सबसे पहले यह बात किया जाता है कि किसी विशेष परियोजना को पूरा करने के लिए कौन-सी विभिन्न क्रियाएँ सम्पन्न की जाएगी। इन विभिन्न क्रियाओं के निष्पादन में लगने वाले समय को निर्धारित किया जाता है। ये क्रियाएँ तकसगत क्रम में प्रस्तुत की जाती हैं। प्रत्येक क्रिया के प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु घटना के नाम से सम्बोधित किए जाते हैं। किसी परियोजना की समस्त क्रियाओं एवं घटनाओं को तकसगत रूप में समन्वित किया जाता है। इसका फलस्वरूप घटनाओं एवं क्रियाओं का एक जाल बन जाता है।

2 अनुमानित समय (Expected Time)—क्रियाओं एवं घटनाओं को तकसगत रूप से क्रम में रखने के बाद प्रत्येक क्रिया में लगने वाले समय का निर्धारण किया जाता है। उन क्रियाओं से भली प्रकार परिचित व्यक्तियों का यह दायित्व सौंपा जाता है। समय का अनुमान आशावादी निराशावादी और अधिकतम से भावित समय की दृष्टि से लगाया जाता है।

3 श्रान्तिक मार्ग (Critical Path)—उक्त दोनों कार्यों के बाद यह ज्ञात हो जाता है कि घटनाओं के किस क्रम का अन्तर्गत से कम समय लगेगा और किस में अधिकतम समय लगेगा। तब तक मार्ग क्रियाओं तथा घटनाओं के उस क्रम का कहा जाता है जिस पूरा करने में अधिकतम समय लगने की सम्भावना है। यदि परियोजना में समय कम लगाना हो तो इसके लिए श्रान्तिक मार्ग का कम करना होगा।

पट की उपयोगिता या इसके लाभ

प्रबंध की नई तकनीक के रूप में पट की उपयोगिता एवं लाभ अनेक हैं—

1 पहला अनुभव लाभ यह है कि परियोजना को पूरा करने में लगने वाली अवधि पर्याप्त कम हो जाती है। विभिन्न अध्ययनों से यह अनुमान लगाया गया है कि किसी परियोजना के क्रिया वयन में पट तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने पर समय में लगभग 30 प्रतिशत कमी होती है। वस्तुतः पट तकनीक का उद्गम और विकास ही किसी परियोजना में लगने वाले समय में प्रभावी बचत करने के लिए हुआ है।

2 पट तकनीक को लागू करने से परियोजना की कुल लागत में पर्याप्त कमी आ जाती है। विभिन्न अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि कुल लागत में लगभग 20 प्रतिशत की कमी सम्भव है।

3 भावी कठिनाया और रकावटा का पता लगाकर उ हे दूर करने के कारण अनिश्चितताआ म दमी आ जानी है । (पट के अन्तगत किमी क्रिया को पूरा करने मे आने वाली दावाआ और रकावटो का पहले म ही पता लगाकर उनका अमूनन कर लिया जाता है । इस प्रकार पट तकनीक के कारण नियोजका म विश्वास की भावना विरहित होती है और परियोजना निर्धारित अवधि में पूरी हो जाने की प्रबल सम्भावना रहती है ।)

4 इसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्रियाआ क भूज जाने की जोखिम काफी कम हा जाती है । (यह एक ऐसी तकनीक है जिसके अन्तगत किमी योजना को पूरा करने के लिए सयप्रथम विभिन्न क्रियाआ को ज्ञात किया जाता है फिर उन क्रियाओ का तकसगत क्रम निर्धारित किया जाता है और तत्पश्चात् उनके मध्य पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । एम मपूर्ण प्रक्रिया के कारण क्रियाओ क भूल जान की आशका प्राय नो रहती अथवा बहुत कम रहती है ।)

5 पट तकनीक के प्रयोग से नियोजन ाय सल हो जाना है । किसी परियोजना को छोटे छोटे भागा म विभक्त करना नियोजन का ही अर है और यह काय पट तकनीक द्वारा भली ाकार सम्पन्न किया जाता है ।

6 इसके द्वारा परियोजना के निय वण मे सहायता मिलती है और काय की विभिन्न इकायो म सम दय स्थापित किया जा सकता है ।

7 इसकी सहायता से प्रबंधन अनावश्यक परेशानी और तनाव से बच जाता है । यह स्पष्ट जान हो जाता है कि काय कहा और कब प्रारम्भ होगा तथा जहाँ और कब समाप्त हो जाएगा ।

8 पट तकनीक पर्याप्त जोखण है जो नियोजका को अपनी परियोजनाआ म तथा नाशत विधियो र उपयोग मे आवश्यक मशाधन ररन की अनुमति प्रदान करती है ।

9 पट तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप अनावश्यक कायों पर रोकधाम लग जाता है । काकि यो निश्चित रहता है कि कौनसी प्रक्रिया पने सम्पन्न की जाएगी और कौनसी असा दान ।

10 किसी काय के विभिन्न विक प पहचान कर उनका मर््याजन कर लिया जाता है । कोई काय करन अथवा नियोजन क सम्बन्ध म नियम नेने म पट तकनीक का उपयोगी सिद्ध हुई है ।

11 एम तकनीक क आधार पर परियाजना के निष्पादन सम्बन्धी आर्ड प्राप्त किए जा सक्त हैं । य आंकड परियाजना को प्रमति का मूयाजन करन और लक्ष्य प्राप्ति म सहायक होते है ।

12 नियोजन के मुकाबले म दानविक निष्पादन की तुलना करन म पट तकनीक बड़ी सहायक होती है । एम गणित का उपयोग भी किया जाता है ।

13 रस तकनीक के द्वारा उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग हो पाता है। किन्ती भी परियोजना की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि उसके लिए काम में आने वाले मानवीय एवं भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग क्या तक हो पाता है।

14 पट तकनीक नियम निर्माण में सहायता देती है उत्तरदायित्व की भावना में वृद्धि करती है और प्रारम्भिक नियोजन में भागीदारी का सम्भव बनाती है। यह प्रबंध के प्राथमिक कार्यों (यथा नियोजन नियंत्रण समन्वय अनुसूचियन आदि) के निष्पादन में सहायक है।

पट तकनीक की सीमाएँ

प्रबंध की रस तकनीक के अनेक लाभ हैं किन्तु साथ ही इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं यथा—

1 यह तकनीक नियोजन सम्बन्धी सभी कठिनायियों का निराकरण नहीं कर पाती।

2 पट के अन्तर्गत क्रियाओं और घटनाओं का स्पष्ट एवं त्वरित ज्ञान तयार करना निश्चय ही एक कठिन कार्य है।

3 इस तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक हैं जो प्रायः मिल नहीं पाते।

4 जटिल पद्धति (Complex System) में पट तकनीक खर्चीली है।

5 कुछ परियोजनाओं में सभी क्रियाओं को पहचानना बड़ा कठिन है। कुछ न कुछ क्रियाएँ रह जाती हैं और फलस्वरूप निर्धारित लक्ष्यों का प्राप्त करना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है।

6 परियोजनाओं का सही समय ज्ञात करना भी निश्चय ही एक कठिन कार्य है।

7 उन परियोजनाओं में जिनकी योजना परिवर्तित होती रहती है पट तकनीक का उपयोग लाभप्रद सिद्ध नहीं होता।

सी पी एम

(C P M)

पट की भाँति प्रबंध की यह तकनीक भी पर्याप्त लोकप्रिय होती जा रही है। इसका अर्थ कि समय आर्थिक माप विधि (Critical Path Method) है। इसके प्रत्यक्ष क्रियाओं को त्वरित रूप में क्रमबद्ध करने पर जोर दिया जाता है जबकि पट के अन्तर्गत घटनाओं पर जोर दिया जाता है। इन दोनों तकनीकों में अनेक समानताएँ होते हुए भी पर्याप्त अंतर है। सी पी एम की तकनीक मूल रूप से समय निर्धारण से सम्बंध रखती है। यह मूलतः नियोजन सरचना प्रदान करती है। दूसरी ओर यह प्रायः बड़ी परियोजनाओं के लिए तथा उन परिस्थितियों

के लिए जहां निर्णायक अंग म अननिभरता होती है अधिक उपयुक्त है। यह अनुसूचियन एवं नागत नियंत्रण के लिए एक तकसगत रूप रचना प्रदान करने के आतरिक्त एक ऐसा यंत्र प्रस्तुत करती है जिसके द्वारा कल्पिक काय परियोजनाओं प्रसाधना के प्रकार काय की विधियों आदि का तुरन्त मूल्यांकन किया जा सक। इस तकनीक का प्रयोग करके लागत घटाने और कायकुशलता बढ़ाने की सम्भावना रहती है।

यह तकनीक समय पर परियोजनाओं का पूरा करने के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों को पृथक करने तथा साधन स्रोतों के आवंटन की दृष्टि से प्राथमिकता वाले क्षेत्र तय करने में सहायता करती है। जिस समय परियोजना को काय रूप दिया जा रहा है उस समय भी इस तकनीक द्वारा प्रबंध का प्रयोज्य योजना के प्रभावों सम्बन्ध आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं।

पट तथा सी पी एम में अंतर

पट और सी पी एम दोनों ही प्रबंध की आधुनिकतम तकनीकें हैं और दोनों में काफी समानताएं हैं तथापि निम्नलिखित प्रमुख अंतर दोनों का भिन्न करत हैं—

1 पट तकनीक घटना प्रमुख है अर्थात् इस घटनाओं पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है जबकि सी पी एम तकनीक क्रिया प्रमुख है अर्थात् इसमें मात्र क्रियाओं पर ही ध्यान दिया जाता है।

2 पट में समय अनुमान सम्बन्धी अनिश्चितताओं को पूरी तरह ध्यान में रखा जाता है जबकि सी पी एम में समय का केवल एक ही अनुमान काम में लिया जाता है अर्थात् क्रिया के निष्पन्न से सम्बन्धित समय की अनिश्चितताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता।

3 सी पी एम में समय का सम्बन्ध नागना से होना है अर्थात् अधिक समय का अर्थ हागा अधिक लागत जबकि पट में ऐसा नहीं होता।

पट एवं सी पी एम का प्रयोग

(Application of PERT and C P M)

आधुनिक समय में परियोजना कार्यों के लिए पट तथा सी पी एम तकनीक का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विज्ञान के अनुभार निम्नलिखित क्षेत्रों में इनका प्रयोग अपनाएँ अधिक लाभप्रद है—

- 1 किसी भी बड़े भवन अथवा सम्बन्ध मांग के निमाण में।
- 2 किसी बड़े जनरेटर का निर्माण करने में।
- 3 किसी बड़े जलयान का निर्माण करने में अथवा उसकी मरम्मत करने में।
- 4 कम्प्यूटर व्यवस्था की स्थापना करने में।
- 5 किसी भी नए उत्पाद निर्माण सम्बन्धी परियोजना के अध्ययन में।

- 6 किसी बनी परियोजना के तयार करने में और उसे क्रियावधत करने में ।
- 7 दूरमारक अस्त्र जस मिसाइल की प्रविधिया को गिनती करने में ।
- 8 एक निश्चित अवधि में उपरान्त किसी परियोजना का लेखा जोखा लाने में ।

पट्टे एवं सा पी एम दोनों ही आधुनिकतम प्रबंध तकनीकें हैं किंतु अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां के कारण दोनों ही तकनीकों का प्रयोग कितनी ही बार सम्भव नहीं हो पाता । इन दोनों तकनीकों का मुख्य आधार यह है कि परियोजना सम्बन्धी समस्त घटनाओं तथा क्रियाओं एवं उनके निष्पादन में लगने वाली अवधि की पूर्ण जानकारी हो । लेकिन प्रवहार में कितना ही बार ऐसी पूर्ण जानकारी सम्भव नहीं हो पाती । अनेक समस्याएँ इतनी जटिल होती हैं कि उनमें घटनाओं का क्रम निर्धारित करना असम्भव हो जाता है । इसके अतिरिक्त कई बार जटिल समस्याओं में इन तकनीकों का प्रयोग इतना महंगा पड़ता है कि इन तकनीकों को अपना देने से प्रबन्धक हिचकिचाने लगते हैं ।

प्रश्नावली

(University Questions)

प्रश्न 1 (लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान भारत में लोक प्रशासन के अनुशासन का विकास)

- 1 लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। इसका भारत तथा विदेशों में अध्ययन के विषय क रूप में विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। (1980)
Define Public Administration Give a brief account of its development as an academic discipline in India as well as abroad
- 2 लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य मातृवर्तिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। (व्हाइट) क्या यह लोक प्रशासन की एक सन्तोषजनक परिभाषा है? तर्कारण उत्तर दीजिए।
Public Administration consists of all those operations having for their purpose the fulfilment of enforcement of Public Policy (White) Is this a satisfactory definition of Public Administration? Give reasons for your answer
- 3 लोक प्रशासन का अर्थ बताइय तथा इसका निजी प्रशासन से अन्तर बताइय। निजी एवं लोक प्रशासन का अन्तर घटता जा रहा है। टाका कीजिए। (1983)
Define Public Administration and distinguish it from Private Administration The gap between Private and Public Administration is narrowing Comment
- 4 लोक प्रशासन का निजी प्रशासन में कौन-कौनसी विशेषताएं उधार लनी चाहिए। इनका विलोम भा समझाइय।
What characteristics should Public Administration borrow from Private Administration and vice versa?
- 5 लोक प्रशासन का प्रकृति तथा क्षेत्र का वर्णन कीजिए तथा उस पर भी विचार कीजिए कि यह विज्ञान है या कला या दोनों।
Discuss the nature and scope of Public Administration and examine whether Public Administration is science or art or both
- 6 क्या लोक प्रशासन व अध्ययन का वैज्ञानिक कहा जाना चाहिए?
Should be the study of Public Administration be called a Science?

- 7 यदि हमारी सभ्यता तो असफल होती है तो ऐसा मुख्यतया लोक प्रशासन के क्षय के कारण होगा। आधुनिक समाज में लोक प्रशासन के महत्त्व पर टिप्पणी कीजिए।

If our civilisation fails it will be mainly because of a breakdown of Public Administration Comment on the significance of Public Administration in modern society

- 8 अज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का भी महान् साधक है। इस कथन का स्पष्ट काजिए तथा लोक प्रशासन के नए क्षितिज की दिग्दर्शना कीजिए।

Today Public Administration is not only a custodian of civilised life It is also a names for social justice and social change Clarify this statement and explain the new horizons of Public Administration

- 9 लोक प्रशासन के सिद्धान्तों की बात करना मिथ्या है। अर्थ विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन के भी अपने सिद्धान्त हैं। इन दोनों का परीक्षण कीजिए।

It is useless to talk about principles of Public Administration Like other sciences Public Administration has also got its Principles Examine these statements

- 10 लोक प्रशासन का समाज विज्ञान के रूप में स्वीकार किए जाने के पक्ष तथा विपक्ष में तर्कों का परीक्षण कीजिए।

Examine the arguments for the against accepting Public Administration as a discipline of Social Science

- 11 लोक प्रशासन का एक समाज विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाना चाहिए। इस मान्यता का परीक्षण कीजिए।

Examine the claims of Public Administration to be recognised as a social science

- 12 राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र के विद्वानों का लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में योगदान की व्याख्या करें। (1981)

Explain the contribution of Political Scientists and Sociologists to the field of Public Administration

- 13 भारत में लोक प्रशासन विषय के विकास का समाप्ति करें। (1981)

Examine the evolution of the discipline Public Administration in India

- 14 एक अध्ययन शास्त्र के रूप में भारत में लोक प्रशासन के विकास का इतिहास बतलाते हुए एक समाज विज्ञान के रूप में उसकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए।

Trace the development of the discipline of the Public Administration in India and comment upon its present state as a Social Science

15 लोक प्रशासन के बन्दे महत्व का खाका खास तौर पर विकासशील देशों में कीजिए।

Discuss the growing importance of Public Administration particularly in the developing countries

16 लोकतांत्रिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? एक विकासशील देश में लोक प्रशासन की जनतांत्रिक सीमाएँ समझें।

What do you understand by Democratic Administration? Discuss some of the democratic constraints of Public Administration in a developing society

17 कुछ गंभीर चुनौतियों को स्पष्टता से बतलाएँ जो विकासशील देशों में लोक प्रशासन के सम्मुख मुहँ बरस चुकी हैं। अपने उत्तर को भारतीय अनुभव के आधार पर स्पष्ट कीजिए।

Mention precisely some of the serious challenges which Public Administration confronts in the developing countries Illustrate your answer from Indian experience

18 विकासशील देशों में लोक प्रशासन किन किन विशेष समस्याओं का सामना कर रहा है?

What special problems does public administration confronts in developing countries?

अध्याय 2 (लोक प्रशासन के अध्ययन के सन्कालीन दृष्टिकोण—व्यवहारवादी दृष्टिकोण और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण—राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र समाजशास्त्र कानून और मनोविज्ञान से लोक प्रशासन का सम्बन्ध)

19 लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न समसामयिक उपागम कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनल एप्राच को विस्तार मँलित समझाइए।

What are the various contemporary approaches to the study of Public Administration? Comment upon the structural functional approach in details

20 समाज विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन के स्वरूप का चित्रण कीजिए एवं उसके अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम की विवेचना कीजिए। (1983)
Describe the nature of Public Administration as a social science and discuss the behavioural approach to its study

21 व्यवहारवाद से आपका क्या अभिप्राय है? लोक प्रशासन के अध्ययन में इसे कहाँ तक प्रयुक्त किया गया है? (1980)

What do you understand by Behaviouralism? To what extent has it been applied in the study of Public Administration?

- 22 लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम की व्याख्या कीजिए। (1980)
Discuss the behavioural approach to the study of Public Administration
- 23 व्यवहारवादी अभिगम की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। लोक प्रशासन के अध्ययन में इसका उपयोग किम सीमा तक किया गया है? (1981)
Discuss the major features of Behavioural Approach To what extent has it been applied in the study of Public Administration?
- 24 व्यवहारवादी नवकों द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिए गए योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
Critically examine the contributions of behaviouralist writers to Public Administration
- 25 लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टि या उपागम से आप क्या समझते हैं? कुछ व्यवहारवादी लेखकों का लोक प्रशासन के क्षेत्र में योगदान बतलाइए।
What do you understand by Behavioural Approach to the study of Public Administration? Discuss the contributions of some behaviouralist writers to Public Administration
- 26 व्यवहारवाद की परिभाषा कीजिए तथा लोक प्रशासन के अध्ययन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। (1985)
What is Behavioralism? How has it effected the study of Public Administration as an academic discipline?
- 27 लोक प्रशासन के अध्ययन में तंत्र अथवा व्यवस्था अभिगम की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। इस अभिगम की क्या सीमाएँ हैं? (1982)
Examine the essential features of systems approach to the study of Public Administration What are the limitations of this approach
- 28 व्यवस्था सिद्धान्त तथा व्यवस्था उपागम (एप्रोच) ने प्रशासनिक यथावताओं को वैज्ञानिक ढंग से समझने में किस प्रकार योगदान दिया है?
How have systems theory and approach contributed to the scientific understanding of administrative realities?
- 29 प्रशासनिक संगठनों के अध्ययन में व्यवस्था अभिगम की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? इस अभिगम की क्या सीमाएँ हैं? (1980)
Examine the major characteristics of systems approach to the study of Administrative organisations What are the limitations of this approach?

- 30 लोक प्रशासन के अध्ययन में स्ट्रक्चरल फंक्शनल एप्रोच का मुख्य तत्त्वा का वर्णन कीजिए। इस अवधारणा की क्या सीमाएँ हैं? (1984)
- Point out the main elements of Structural Functional Approach in the study of Public Administration. What are the limitations of this approach?
- 31 लोक प्रशासन में व्यवस्था तथा तंत्र अभिगम की प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सरचनात्मक-कार्यात्मक अभिगम से यह किस प्रकार भिन्न है? (1979)
- Briefly discuss the major features of the systems approach of Public Administration. How is it related to the structural functional approach?
- 31 (a) व्यवहारवाद की परिभाषा कीजिए तथा लोक प्रशासन के अध्ययन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। (1985)
- Define behaviouralism and evaluate its impact on the study of Public Administration
- 32 स्ट्रक्चरल फंक्शनल एप्रोच से आप क्या समझते हैं? लोक प्रशासन के क्षेत्र में हुए इस प्रकार के अध्ययनों की सहायता से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। (1981)
- What do you understand by Structural Functional Approach? Illustrate your answer with the help of studies made in the field of Public Administration
- 33 स्ट्रक्चरल फंक्शनल एप्रोच से लोक प्रशासन के अध्ययन में आप क्या समझते हैं? क्या आपके मत में इसने हमारे क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययनों के विकास में सहायता दी है?
- What do you understand by Structural functional approach to the study of Public Administration? Do you think it has resulted in the growth of scientific studies in the field?
- 34 लोक प्रशासन के अध्ययन में स्ट्रक्चरल फंक्शनल एप्रोच की विवेचना कीजिए।
- Discuss the Structural Functional Approach to the study of Public Administration
- 35 राजनीति तथा प्रशासन सरकार के दो विभिन्न कार्य हैं। यदि राजनीति का सम्बन्ध नीतियों से है तो प्रशासन का सम्बन्ध नीतियों के कार्यान्वयन से है। उक्त कथन का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए।

Politics and Administration are two distinct functions of a government. While politics has to do with policies administration has to do with the execution of those policies. Critically examine the above statement

- 36 राजनीति और प्रशासन मन्तर बतनाइये । क्या आप मानते हैं कि राजनीति एक नीति विज्ञान है जबकि प्रशासन ऐसा नहीं है ।
Distinguish between Politics and Administration Do you think Politics is a Policy Science which Administration is not ?
- 37 क्या आप तक प्रशासन को समाज विज्ञान मानते हैं ? तब प्रशासन के राजनीति एवं समाज शास्त्र से सम्बन्ध की विवेचना कीजिए ।
Do you think Public Administration is a Social Science ? Discuss its relations with Politics and Sociology
- 38 हम कथन का विवेचना कीजिए कि 'तक प्रशासन का अध्ययन केवल वधि सरचना के आधार पर तब तक अपूर्ण ही रहेगा जब तक कि परिस्थितिक तथा सामाजिक आयामों को भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।'
(1984)
Discuss the statement that the study of Public Administration in the light of juridical structure is incomplete unless the ecological and sociological dimensions are also taken into consideration
- 39 प्रनिमान विधियों एवं तथ्यों के क्षेत्र में लोक प्रशासन से समाजशास्त्र एवं मनाविज्ञान से काफी कुछ ग्रहण किया है । समझाइये ।
(1982)
The Study of Public Administration has borrowed a great deal from Sociology and Psychology in the spheres of models methods and data Discuss
- 40 "लोक प्रशासन का अध्ययन राजनीति एवं कानून पर बहुत अधिक निर्भर करता है । स्पष्ट कीजिए ।
(1983)
The study of Public Administration draws heavily upon Politics and Law Elucidate
- 41 तक प्रशासन के समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान से सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए ।
(1979)
Examine the relation of Public Administration with Sociology and Psychology
- 42 (a) लोक प्रशासन लोक नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है तथा राजनीति विज्ञान विधिशास्त्र अथ विज्ञान और समाज विज्ञान से उसका निकट सम्बन्ध है । स्पष्ट कीजिए ।
Public Administration is concerned with the execution of Public Policies and is closely related with Political Science Jurisprudence Economics and Sociology Explain

42 (b) राजनीति प्रशासन विभाजन एक काल्पनिक बात है। इस कथन के मद्दम में लोक प्रशासन के क्षेत्र तथा राजनीति से इसके सम्बन्ध का परीक्षण कीजिए। (1985)

The Politics-administration dichotomy is a myth. In the light of this statement examine the scope of public administration and its relations with politics

अध्याय 3 (औपचारिक संगठन की अवधारणा—आदेश की एकता मुख्य कार्यपालिका काय का विभाजन पद संयोजन नियंत्रण का क्षेत्र)

43 औपचारिक संगठन से आपका क्या अभिप्राय है? अनौपचारिक संगठन से इसकी अन्तर क्रिया किस प्रकार होती है? (1981)

What is a formal organization? How does it interact with informal organization?

44 औपचारिक संगठन की अवधारणा की समझा कीजिये। यह अनौपचारिक संगठन से किस प्रकार भिन्न है? औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में सम्बन्ध बतायें। (1983)

Explain the concept of Formal organisation. How does it differ from informal organisation? Bring out the relationship between the two

45 संगठन के विभिन्न सिद्धान्तों का परीक्षण कीजिये। आपका राय में कौनसा सिद्धान्त सर्वाधिक प्रबलोत्पाक है? (1984)

Examine the various theories of organisation which according to you is the most convincing theory

46 औपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धान्तों की विवेचना कीजिये।

What do you understand by formal organisation? Discuss its principles

47 अनौपचारिक संगठनों की अवधारणा एवं कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिये।

Discuss the concept and working of informal organisations

48 साठों का औपचारिक तथा अनौपचारिक अवधारणाओं की तुलना कीजिये। ये दोनों एक दूसरे के पूरक किस प्रकार हैं?

Compare and contrast the concepts of formal and Informal organisations. How do the two supplement each other?

49 औपचारिक साठों के पुराने सिद्धान्तों की विवेचना कीजिये एवं मूनी और उर्विक का योगदान समझाइयें।

Discuss the old theory of formal organisation as expounded by Mooney and Urwick

- 50 पन्सोपान एवं आदेश की एकता व प्रत्ययों की अनाचना मक सधीक्षा करें । इन प्रययो की सीम ओ की भी विवचना करें । (1982)
Critically explain the concepts of hierarchy and unity of command Also examine their limitations
- 51 पन्सोपान का सिद्धान्त वा नियम ताल की सीमा पर एक टिप्पणी लिखें ।
Write a note on the principle of hierarchy or the span of control (1979)
- 52 संगठन के फनिपद सिद्धान्त का परीक्षण कीजिए और पदसापान तथा नियम ताल पर विचार रूप म अवन विचार प्रकन कीजिए ।
Examine some of the principles of organisation with special reference to hierarchy and span of control
- 53 एक औपचारिक संगठन म पन्सोपान सिद्धान्त का परीक्षण कीजिए । इसके लाभ क्या हैं ?
Examine Hierarchy as principle of formal organisation What are its merits ?
- 54 पदसोपान क्या है ? पन्सोपान सिद्धान्त व प्रमुख गुरा एवं दोषा की विवेचना की जाए ।
What is hierarchy ? Discuss the merits and demerits of the principle of hierarchy
- 55 निर्देश की एकता तथा नियंत्रण म विस्तार क्षेत्र अवधारणाओंकी सोनाहरण विवेचना की जाए ।
Discuss and illustrate the concepts of Unity of Command and Span of Control
- 56 मुख्य निष्पादक स आप क्या समझते हैं ? उसके कार्यों का विश्लेषण कीजिए ।
What do you understand by Chief Executive ? Analyse his functions
- 57 किसी आधुनिक संगठन के मुख्य कार्यपालक के कार्यों की विवेचना कीजिए एवं संगठन के संचालन म उनकी भूमिका का मूयांकन कीजिए ।
Discuss the functions of the Chief Executive in a modern organisation and evaluate his role in running the organisation
- 58 मुख्य कार्यकारी की राजनीति के नेता एवं प्रशासन के प्रधान दोना व काय सम्पन्न करने पडते हैं । इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा महा प्रबंधक के रूप म मुख्य कार्यकारी के कार्यों की विवेचना कीजिए ।
Chief Executive has to do duties both of a political leader and head of the Administration Clarify this statement and describe the functions of the Chief Executive as a General Manager

59 प्रशासन में मुख्य प्रशासक के क्या कर्तव्य हैं ? भारतीय प्रशासन के सदस्य में प्रधान मंत्री कहां तक मुख्य प्रशासक की स्थिति में गिना जा सकता है ?
 What are the duties of a General Manager in Administration ? How far can the Prime Minister in India be said to correspond to a General Manager in relation to Indian Administration ?

60 एक मुख्य अधिकारी के कार्य कौन कौन से हैं ? संगठन में लाइन और स्टाफ के सम्बन्ध में उदाहरण दीजिए ।

What are the functions of the Chief Executive ? Examine and clarify this statement in the context of line and staff in the organisation

61 नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र के सिद्धान्त का वर्णन कीजिए तथा प्रशासन में इसके महत्व को समझाइए । उन बातों की भी विवेचना कीजिए जो नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र पर सीमा निर्धारित करती हैं ।

Discuss Span of Control and its significance in administration Also describe the factors which set a limit to Span of Control

62 कार्य के विभाजन से क्या क्या समझते हैं ?

What do you understand by the Division of Work ?

63 विभिन्न कार्यपद्धतियों का प्रशासन पर नियंत्रण रखने के विभिन्न उपलब्ध विभिन्न विधियों के तरीकों का परीक्षण कीजिए । (1983)

Examine the various methods available to an executive to exercise control over the administration

अध्याय 4 (सूत्र और स्टाफ—गुलिक, उर्लिक और मूने के योगदान के विषय में सम्बन्ध सहित)

64 सूत्र एवं स्टाफ की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए । संगठन के सदस्यों में उनकी भूमिका एवं सम्बन्ध का स्पष्ट कीजिए । (1980)

Explain the concepts of Line and Staff Discuss their role and relationship in an organisation

65 बर्नार्ड के अनुसार एक कार्यकारी अधिकारी के प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं ? स्टाफ और लाइन दोनों कार्यो का पूरा करने में क्या भूमिका निभाते हैं ।

What according to Barnard are the functions of the Executive ? What role do the staff and line play in the discharge of these functions ?

66 आधुनिक संगठनों में स्टाफ के बढ़ते हुए महत्त्व का कारण बतलाइए । एक विकासशील संगठन में स्टाफ-लाइन सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए ।

(1984)

Account for the growing importance of staff in modern organisations Comment upon staff and line relationship in developing organisation

- 67 आधुनिक संगठनों में स्टाफ का बढ़ते महत्व का कारण समझाएँ।
वे घटते हुए हैं कि वह कारण समझाएँ।

Comment upon line staff relations in modern organisations and account for the diminishing importance of the line

- 68 आधुनिक संगठनों में स्टाफ के बढ़ते हुए महत्व का कारण बताएँ।
स्टाफ लाइन विरोधों के कुछ क्षेत्रों की ओर सतर्कता कीजिए।

Account for the growing importance of staff in modern organisations and also point out some major areas of staff line conflict

- 69 संगठनों में लाइन और स्टाफ के मध्य विरोधों के कारण बताएँ।
आधुनिक संगठनों में स्टाफ के बढ़ते हुए महत्व के लिए उपायों का प्रकाश डालिए।

Account for line and staff conflict in organisations Mention some of the factors responsible for the growing importance of staff in modern organisation

- 70 एक आधुनिक संगठन में स्टाफ और लाइन के प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं? अभी हाल में स्टाफ की अपेक्षा स्टाफ अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? What are the major functions of staff and line in a modern organisation? Why has staff become more importance than line in recent years?

- 71 प्रशासन विज्ञान के विषय में गुलिक और उर्विक के विचारों की समीक्षा कीजिए।

Discuss the views of Gullick and Urwick on the Science of Administration

- 72 संगठन सिद्धान्त के गुलिक और उर्विक के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

Critically evaluate the contribution of Gullick and Urwick to the Theory of Organisation

- 73 सूत्र और मंत्रणा अभिकरणों को समझाएँ। क्षत्रों के बीच सम्बन्ध सुधराने के उपाय भी बताएँ।

Explain Line and Staff agencies Suggest methods of improving the relationship between two

- 74 (a) स्टाफ और लाइन में क्या अंतर है? यह भी स्पष्ट कीजिए कि स्टाफ और लाइन के बीच अंतर किस प्रकार से कम हो रहा है?

Distinguish between Staff and Line and state how the difference between the two are diminishing

- 74 (b) सूत्र व मंत्रण के बीच सही सम्बन्ध स्थापित करना प्रबंध के सबसे कठिन क्षत्रों में एक है। इसका कारण बताइयें तथा सुधार के उपाय भी बताइये। (1985)

The tight adjustment between Line and Staff constitutes one of the most difficult areas of management. Trace the causes of this phenomenon and suggest remedial measures

अध्याय 5 (वैज्ञानिक प्रबंध, टेलर तथा फोलेट का योगदान)

- 75 साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट और एच. एच. फोलेट द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धान्त की समीक्षा में योगदान कीजिए। (1984)

Critically examine the Scientific management principle of Organisation as developed by F W Taylor and H Fayol

- 76 फोलेट के अनुसार शासन के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। (1983)
Discuss the main elements of administration according to Fayol

- 77 प्रबंध विज्ञान का टेलर और मयो के योगदानों को तुलना कीजिए। क्या आपका मत है कि वे एक दूसरे को पूरक हैं? (1981)

Compare and contrast the contributions of Taylor and Mayo to the science of management. Do you think they supplement each other?

- 78 सांख्यिकीय मैनेजमेंट मूवमेंट के प्रशासकीय विचारधारा तथा प्रशासकीय प्रक्रिया में योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। (1980)

Critically examine the contribution of Scientific Management movement to administrative thought and administrative process

- 79 एफ. डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं को यथासंभव बतलाइये। इनकी क्या प्रमुख आलोचना थी? (1982)

Bring out the salient features of Scientific Management as propounded by F W Taylor. What were the criticisms against it?

- 80 एफ. डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख सिद्धान्त कौन से हैं? इनके गुण एवं दोष बताइये। (1979)

What are the major principles of Scientific management enunciated by F W Taylor? What are their merits and demerits?

- 81 वैज्ञानिक प्रबंध मूवमेंट क्या था? इसके प्रमुख समर्थकों की भूमिका एवं योगदान की विवेचना कीजिए।

What was scientific management movement ? Discuss the role and contributions of some of its pioneers

- 82 टेनर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का आलोचना के प्रमुख आधारों की विवेचना कीजिये। क्या आपके मन में यह सिद्धांत सावदेशिक है ? (1978)

Discuss the major planks of attack on the scientific management principle propounded by Taylor. Do you think these principles are universal ?

- 83 संगठन की वैज्ञानिक प्रबंधात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह सिद्धांत कहाँ तक परम्परागत सिद्धांत की तुलना में एक सुधार है ? (1985)

Examine the Scientific Management theory of Organisation. To what extent is it an improvement upon the traditional theory ? —

अध्याय 6 (चेस्टर बर्नार्ड का संगठन विश्लेषण)

- 84 चेस्टर बर्नार्ड के प्रशासन सम्बन्धी विचारों का विवेचन कीजिए। (1980)
Discuss Chester Barnard's ideas on administration

- 85 सांगठनिक विश्लेषण में चेस्टर बर्नार्ड के योगदान पर एक निबन्ध लिखें। (1985)

Write an essay on the contribution of Chester Barnard to organisational analysis

- 86 संगठन में निष्पात्क के कार्यों के मद्देन में चेस्टर बर्नार्ड के विचारों को स्पष्ट कीजिए। (1980)

Discuss the ideas of Chester Barnard on the functions of the executive in the organisation

अध्याय 7 (हाथन प्रयोग—अनुभविक संगठन की अवधारणा अभिप्रेरण—एटन मयो भक्त शरर निवट के योगदान के विशेष सन्दर्भ में अनुशासन)

- 87 हाथन प्रयोग क्या है ? इन प्रयोगों के कुछ शोध निष्कर्षों पर प्रकाश डालिए।

What were Hawthorne experiments ? Discuss some of the research findings of these experiments

- 88 हाथन प्रयोग क्या थे ? प्रा एटन मयो ने वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा को किस प्रकार सशक्त किया ?

What were Hawthorne Experiments ? How did Prof E Mayo revise the concept of Scientific Management ?

- 89 हाथन प्रयोगों की मानवीय सम्बन्धों के आन्दोलन में महत्त्व में व्याख्या कीजिए। (1980)

Discuss the Hawthorn experiments with reference to the Human Relations Movement

90 हाथन प्रयोगों की क्या मुख्य विशेषताएँ थीं? संगठन के औपचारिक सिद्धान्त पर इनका क्या प्रभाव पड़ा? (1984)

What were the principal features of Hawthorne Experiments? In what way did they influence the formal theory of organisation?

91 एल्टन मेयो के इस सिद्धान्त की समीक्षा कीजिये कि संगठन में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मानवनातिक सम्बन्ध हैं। (1983)

Evaluate Elton Mayo's theory that the most important factors in organisation are psychological relations

92 हाथन प्रयोग क्या थे? इन शोधन प्रशासनिक प्रबंध आयोजना का किस प्रकार प्रभावित किया है?

What were the Hawthorn experiments? How has the Hawthorn research effected the studies in administrative management?

93 मानव सम्बन्ध उपगम में आप क्या समझते हैं? प्रा एल्टन मेयो ने प्रबंध में मानव सम्बन्धों की जानकारी को किस प्रकार आगे बढ़ाया?

What do you understand by Human Relations Approach? How did Prof E Mayo further our understanding of Human Relations in Management?

94 प्रो एल्टन मेयो की शोधन अनौपचारिक संगठन के साथ व्यापार के विषय में हमारे अन्तर्दृष्टियों का किस प्रकार बढ़ाया?

How did researches of Prof E Mayo add to our insights in the working of informal organisation?

95 हाथन प्रयोग क्या थे? उनका महत्त्व समझाइयें।

What were Hawthorn experiments? Discuss their importance

96 एक अनौपचारिक संगठन की अवधारणा समझाइयें। यह एक औपचारिक संगठन की कार्यप्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करता है?

Discuss the concept of informal organisation How does it influence the working of a formal organisation?

97 हाथन प्रयोग तथा प्रो एल्टन मेयो की शोधने संगठन व्यवस्था को समझने में हमारे ज्ञान में किस प्रकार वृद्धि की है?

How did Hawthorne experiments and researches of Prof E Mayo added to our understanding of Organisational behaviour?

98 अनौपचारिक संगठन का सामाजिक मानवनातिक सिद्धान्त समझाइयें। क्या आप यह मानते हैं कि मन प्रशासनिक यथाथ का समझने में हमारी सहायता की है?

(1981)

Discuss the Socio psychological theory of Informal Organisations. Do you think it has helped in understanding the administrative reality?

- 99 डाल्टन मकग्रगर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एक्स व सिद्धांत वाई की मुख्य धारणाओं का विश्लेषण करें। भारत जैसे देश के लिए कौनसा सिद्धांत अधिक उपयुक्त है? (1981)

Analyse the major assumptions of Theory X and Theory Y as propounded by Douglas Mc Gregor. Which theory is more applicable to a country like India?

- 100 मकग्रगर का प्रबंध के मानव पक्ष से क्या अभिप्राय है? क्या आप समझते हैं कि वाई सिद्धांत की अपेक्षा एक्स सिद्धांत आज के बड़े संगठन में कम संपत्तिपूर्ण है? (1985)

What does Mc Gregor mean by Human side of the Enterprise? Do you think Theory X is less relevant than Theory Y in the modern large scale organisations?

- 101 अभिप्राय के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अभिप्राय तथा मनोबल का सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए। (1980)

Discuss theories of motivation. Bring out the relationship between motivation and morale.

- 102 मजना एवं हर्जबर्ग के विषय में मकग्रगर के मुख्य सिद्धान्तों का विश्लेषण करें। (1982)

Analyze the major theories of motivation with special reference to Maslow and Herzberg.

- 103 अभिप्राय के सिद्धांत में अब्राहम मजलो के योगदान को समझाएं। (1980)

Explain the contribution of Abraham Maslow to the theory of motivation.

- 104 अभिप्राय से आप का अभिप्राय क्या है? लोक प्रशासन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों की अभिप्राय में किस वृद्धि की जा सकती है? (1979)

What do you understand by Motivation? How can we increase the motivation of employees working in public administrative organizations?

- 105 उपररणा के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? इस सन्दर्भ में डाल्टन मकग्रगर के एक्स और वाई सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए।

What are the various theories of motivation? Examine Douglas Mc Gregor's theories X and Y in this regard.

- 106 उपररणा की परिभाषा कीजिए और मजलो और मकग्रगर के विचारों की विवेचना कीजिए।

Define Motivation and comment upon the views of Maslow and McGregor

- 107 प्रेरणा की परिभाषा दीजिए तथा कुछ महत्वपूर्ण उपरक सिद्धांतों की चर्चा करत हुए मेकग्रगर के योगदान का परीक्षण कीजिए।

Define motivation and discuss some of the theories of motivation with special reference to the contributions of McGregor in this field

- 108 प्रबंध में उत्प्रेरणा और मनोबल का क्या महत्व है? इन सम्बन्ध में अस्तुतः किय गये विभिन्न दृष्टिकोणों को समझाये। (1985)

What is the significance of motivation and morale in management? Discuss different approaches presented in this regard

- 109 मनोबल का परिभाषित कीजिए। मनोबल को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं?

Define Morale What are the factors influencing the morale?

- 110 मनोबल को नष्ट या प्रभावहीन बनाने वाले कारणों का उल्लेख कीजिए।

Describe the causes which destroy or undermine morale

- 111 कैसे मनोबल न कि बल मात्र सेवा शर्तों के नियम निर्धारण से प्राप्त सबका मर्ममानकारी राजनैतिक तटस्थता तथा अनुशासन बनाए रखा जा सकता है? उदाहरण सहित समझाइये।

How morale and not mere framing of rules in service conditions can ensure integrity political neutrality and discipline amount the Civil Servants? Discuss with illustrations

- 112 भारत के सन्दर्भ में मनोबल को प्रभावित करने वाले तत्वों की परीक्षा कीजिए।

Examine the factors influencing morale in India

- 113 मनोबल के परिणामों पर एक लेख लिखिए।

Write an essay on The Consequences of Morale

- प्रश्न 8 (प्रशासनिक व्यवहार-निर्णय प्रक्रिया एवं साइमन)

- 114 प्रशासनिक व्यवहार पर एक निबंध लिखिए।

Write an essay on Administrative Behaviour

- 115 प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया के विषय में हरबर्ट आसिमन के विचारों का विवेचन कीजिए।

Discuss the view of H. Simon on Administrative Decision Making

- 116 प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में निहित विभिन्न स्तरों को समझें और यह बतायें कि प्रत्येक स्तर पर कौन-कौन सी साधन-विधियाँ एवं अर्थव्यय निर्णय प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हो सकती हैं?

Explain the various stages in process of administrative decision making. What precautions can help in sound decision making at every stage?

- 117 हर्बर्ट साइमन के निम्नलिखित प्रक्रिया प्रतिमान (मॉडल) का परीक्षण कीजिये और प्रशासनिक निम्नलिखित प्रक्रिया में तथ्य सूची भाजन एवं प्रकाश डालिये।
Examine the Herbert Simonian model of decision making and comment upon fact value dichotomy in administrative decision making.
- 118 हर्बर्ट साइमन के निम्नलिखित सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।
Critically analyse the decision making theory of Herbert Simon. (1980)
- 119 हर्बर्ट साइमन के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएँ कौन सी हैं?
Discuss the various stages in administrative decision making according to Herbert Simon. (1979)
- 120 प्रशासनिक निम्नलिखित प्रक्रिया में अवैयक्तिक अवस्था और चयन के स्तरों पर तथ्य सूची भाजन की समस्या की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये। उत्तर का उदाहरण संश्लेषित करें।
Critically examine the problem of fact value dichotomy at the level of intelligence design and choice in administrative decision making. Illustrate your answer. (198)
- 121 प्रशासनिक निम्नलिखित प्रक्रिया के अध्ययन के बारे में हर्बर्ट साइमन के योगदान की व्याख्या कीजिये।
Discuss Herbert Simon's contribution to the study of decision making process in Public Administration. (1984)
- 122 हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित प्रक्रिया के मुख्य चरणों को समझाएँ। क्या साइमन के निम्नलिखित सिद्धांत के विरुद्ध कोई आलोचनाएँ हैं?
Explain the main stages of decision making discussed by Herbert Simon. Are there any criticisms against Simon's decision making theory? (1981)
- 123 हर्बर्ट साइमन द्वारा वर्णित प्रशासनिक निम्नलिखित प्रक्रिया में तथ्य सूची भाजन पर टिप्पणी कीजिये।
Comment upon Fact Value Dichotomy in administrative decision making as pointed out by H. S. Simon.
- 124 हर्बर्ट साइमन की पुस्तक 'एडमिनिस्ट्रेटिव बिहवियर' में उल्लिखित विचारों का संक्षेप प्रस्तुत कीजिये।
Summarise in brief the main ideas of Herbert Simon contained in his book 'Administrative Behaviour'.

- 125 प्रासासनिक निर्णय प्रक्रिया में अन्वेषण व्यवस्था और चयन के स्तरों पर तथ्य और विभाजन की समस्या का परीक्षण कीजिये। उत्तर को सोच-समझ कर स्पष्ट कीजिये। (1981)
Critically examine the problem of Fact Value dichotomy at the levels of intelligence design and choice in administrative decision making. Illustrate your answer
- अध्याय 9 (प्रबंध की अवधारणा और उसकी प्रविष्टियाँ)**
- 126 आधुनिक प्रबंध विचारों के विकास का इतिहास वर्तमान दृष्टि में विकास के प्रमुख चरणों पर प्रकाश डालिए।
Trace the evolution of modern management thought and comment upon the major landmarks of this evolution
- 127 प्रबंध विकास विषय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए और उसकी वर्तमान स्थिति तथा भावी सम्भावनाओं की ओर संकेत कीजिए।
Write a brief essay on Management Development pointing out its present status and future prospects
- 128 प्रबंध के प्रति मानव-सम्बन्ध दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। प्रबंध के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है ?
Examine the Human Relation Approach to management. How does it mark a departure from scientific approach to management ?
- 129 एक प्रबंध निर्णय का जिन स्तरों से गुजरना पड़ता है उनमें से कुछ को वर्तनाच्य। प्रत्येक स्तर की समस्याओं पर भी प्रकाश डालिए।
Trace some of the stages through which a managerial decision has to pass. Discuss the problems confronted at each stage
- 130 प्रबंध में आधुनिक सहायक तकनीकें एवं उपकरणों एवं लोक प्रशासन में उनके प्रयोग पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
Write a detailed note on the modern aids to management and their application in Public Administration
- 131 प्रबंध कार्य में आधुनिक सहायताओं से आप क्या समझते हैं ? विस्तार पूर्वक बताने कीजिए। (1985)
What do you understand by Modern Aids to Management ? Discuss in detail

अध्याय 10 (सत्ता)

- 132 सत्ता की अवधारणा समझाएँ। प्रशासन में उसका क्या भूमिका है ? सत्ता को विभिन्न परिसीमाओं की शक्तियाँ कीजिए।
Explain the concept of Authority. What is its role in administration ? Discuss the various limits to Authority
- 133 किसी संगठन में प्राधिकार के विभिन्न स्तरों को समझाएँ तथा उन

परिसीम आ का दशा यानक भीतर प्रधिकार का काम करना पड़ता है। (1983)

Explain the various sources of Authority in an organisation and bring out the limitation within which it has to function

- 134 सामन का उद्गामी सत्ता से क्या अभिप्राय है ? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक सत्ता की सीमाएँ विवक्षित कीजिए। (1981)

What does Simon mean by Bottom up Authority ? Discuss the limits of administrative authority in a democratic system

प्रश्न 11 (नेतृत्व)

- 135 प्रशासनिक संगठन में नेतृत्व का क्या महत्त्व है ? प्रशासन में नेतृत्व निर्माण के लिए उचित सुझाव दीजिए।

Discuss the importance of leadership in Administrative Organisation Suggest ways of ensuring leadership in Administration

- 136 एक प्रशासनिक नेता के कार्य की कौन सी हैं ? प्रशासनिक नेतृत्व का प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय सुझाए।

What are the functions of an Administrative leader ? Suggest some methods to make administrative leadership effective

- 137 एक संगठन में प्रशासनिक नेतृत्व के कार्यों की समीक्षा कीजिए। (1981)

Examine the functions of Administrative leadership in an organisation

- 138 एक प्रशासनिक नेता के कार्य और भूमिका की विवेचना कीजिए। उसे क्या करना चाहिए यदि—

(अ) उसके अधीनस्थ कर्मचारी यह अनुभव करते हैं कि उनका शोषण हो रहा है।

(ब) उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की यह मान्यता है कि नेतृत्व अधिनायकवादी है।

(स) उनसे सहयोगी यह आरोप लगाते हैं कि वह गुटबन्दी में विश्वास करता है। (1979)

Discuss the functions and role of an administrative leader What should he do if

(a) his juniors feel that they are being exploited ?

(b) his subordinate think that the leadership is authoritarian ?

(c) his colleagues allege that he is partisan ?

- 139 प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में प्रशासनिक नेतृत्व का भूमिका निम्नलिखित है ? हरबर्ट साइमन के इस विषय में किए गए विचारों का विवेचन कीजिए।

What role does administrative leadership play in administrative decision making ? Discuss the ideas of H Simon in this regard

- 140 (A) संगठन के नेतृत्व के विभिन्न सिद्धान्तों की समीक्षा कीजिए। प्रशासकीय नेतृत्व और प्रशासकीय स्थितियों की नेतृत्व भूमिकाओं में किस प्रकार भिन्न हैं? Critically examine the various theories of organisational leadership. How does administrative leadership differ from leadership roles in other non administrative situations?
- 140 (B) एक प्रबंधकारी नेता के कार्यों का परीक्षण कीजिए। नेतृत्वाना सामाजिक कार्य में मनोबल तथा प्रेरणा सम्बन्धी समस्याओं को किस प्रकार प्रभावित करती है? Examine the functions of a managerial leader. How does leadership style effect the morale and motivating problems of group working?
- 141 नेतृत्व के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों के मुख्य तत्वों की विवेचना करें। इनमें से किस सिद्धांत को आप अधिकतम रूप से यथार्थवादी मानते हैं व क्यों? Discuss the important elements of major theories of leadership. Which theory do you consider to be most realistic and why? (1982)
- 142 नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांतों की विशेषताएं बताइए। (1980) Examine the salient features of important theories of leadership.
- 143 नेतृत्व की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। (1980) Critically examine the concept of leadership. Give in brief the features of various theories of leadership.
- 144 एक प्रशासकीय नेता के कार्य कौन-कौन से हैं? नेतृत्व निर्णय निर्माण प्रक्रिया को किस तरह प्रभावित करता है? (1979) What are the functions of an administrative leader? How does leadership influence decision making process?
- 145 नेतृत्व के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के मुख्य तत्वों की विवेचना करें। इनमें से किस सिद्धान्त को आप अधिकतम रूप से यथार्थवादी मानते हैं व क्यों? (1982) Discuss the important elements of major theories of leadership. What theory do you consider to be most realistic and why?
- अध्याय 12 (पर्यवेक्षण और नियंत्रण)**
- 146 पर्यवेक्षण और नियंत्रण में अन्तर बतालाइए। एक संगठन में ये दोनों प्रशासनिक प्रक्रियाओं के रूप में किस प्रकार व्यवहार में आते हैं? (1985) Distinguish between supervision and control. How do the two operate as administrative processes in an organisation?

- 147 संगठन प्रक्रियाओं के रूप में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के मध्य अंतर समझाएँ और एक पर्यवेक्षक तथा नियंत्रक के कार्यों पर भी प्रकाश डालिए।

Distinguish between Supervision and control as processes in an organisation Also comment upon the functions of a supervisor and a controller

- 148 नियंत्रण की परिभाषा दीजिए। एक नियंत्रण व्यवस्था सत्ता के द्वारा किस प्रकार प्रयोग में लायी जाती है? समझाकर लिखिए।

Define Control How does control system become operative through authority?

- 149 एक पर्यवेक्षक के कार्यों की विवेचना कीजिए। अधीनस्थ कर्मचारियों के विकास के लिए आप कौन-कौन सी पर्यवेक्षक तकनीकें प्रस्तावित करना चाहेंगे?

Discuss the functions of a supervisor What supervisory techniques would you recommend for subordinate development?

- 150 पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के मध्य अंतर बतलाइए। किसी भी संगठन में इन दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ सम्भव बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

Distinguish between Supervision and Control What should be done to make the two processes comparable in an organisation?

- 151 नियंत्रण के विस्तार पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए।

Write an essay on the Expansion of Control

अध्याय 13 (समन्वय)

- 152 समन्वय की परिभाषा दीजिए तथा लोक प्रशासन में इसका महत्त्व निर्धारित कीजिए। आधुनिक संगठनों में समन्वय किन-किन रीतियों से उपलब्ध किया जाता है?

Define Co ordination and indicate its significance in Public Administration How is co ordination achieved in modern organisation?

- 153 सहयोग तथा समन्वय के मध्य अंतर बतलाइए। एक संगठन में समन्वयकर्ता के काम भी समझाएँ।

Distinguish between co operation and co ordination Also discuss the functions of a co ordinators in an organisation

- 154 समन्वय, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के बीच अंतर समझाएँ। एक प्रशासकीय संगठन के व्यवहार में ये तीनों क्रियाएँ किस प्रकार एक दूसरे को आच्छादित करती हैं और अंतर नियंत्रण को जगमगाता है?

Distinguish between Co ordination Control and Supervision
How the three overlap and interact in the working of an administrative organisation ?

- 155 समन्वय से आप क्या समझते हैं ? किसी बड़े संगठन में समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाता है ? (1983)

What do you mean by co ordination ? How is co ordination effected in a large scale organisation ?

- 156 समन्वय एक गृहक क्रिया नहीं है अपितु यह कक्षागत है जो प्रशासन की सभी अवस्थाओं में चल रही चाहिए। (यूमान)। इस कथन के सन्दर्भ में किसी संगठन में समन्वय का सुनिश्चित कराने के लिए जिस मशीनरी एवं साधनों की आवश्यकता है उतका विवेचन कीजिये। (1982)

Co ordination is not a separate activity but a condition that should penetrate all phases of Administration (Neuman)
In the light of this statement discuss the machinery and methods necessary for securing Co ordination in an Organisation

- 157 समन्वय से आप क्या समझते हैं और यह प्रशासन में किस प्रकार प्राप्त किया जाता है ? इस कथन पर टिप्पणी कीजिये कि समन्वय के पथ में बहुत सी बाधाएँ हैं।

What is co ordination and how is it secured in Administration ? Comment on the observation that the path of co ordination is best with difficulties

अध्याय 14 (सम्प्रपण अथवा सदेशवाहन)

- 158 सम्प्रपण की परिभाषा दीजिये तथा इसके बाधक एवं सहायक तत्वों का विवेचन कीजिये।

Define Communication Discuss the hinderances conditions conducive for effective communications

- 159 आधुनिक प्रबंधन में कौन-कौन सी बातें सम्प्रपण को प्रभावी एवं साहस्य बनाती हैं ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये।

What makes communication effective and purposeful in modern management ? Give examples

- 160 संचार की परिभाषा दीजिये। आधुनिक संगठन में संचार बनाना सम्पूर्ण क्यों हो गया है ? (1980)

Define Communication Why has communication assumed importance in the modern organisation ?

- 161 सरकारी प्रशासन में एक सही सम्प्रपण व्यवस्था के लक्षण आपका विचार क्या क्या होना चाहिए ? इस व्यवस्था के मांग में क्या बाधाएँ हैं ? (1982)

What in your view should be the characteristics of a sound

communicational system in governmental administration ?
What are the barriers to such a system ?

- 167 मन्वार प्रशासनिक संगठन की रचना क्या है। उचित उदाहरण सहित इस कथन की विवेचना कीजिये। (1984)

Communication is the blood stream of administrative organisation Discuss giving suitable examples

अध्याय 15 (लोक सम्पर्क)

- 163 लोक सम्पर्क से आप क्या समझते हैं ? प्रशासन के क्षेत्र में इसका महत्त्व उचित कीजिये।

What do you understand by Public Relations ? Point out its significance in the field of administration

- 164 वर्तमान प्रशासन में लोक सम्पर्क के कार्य एवं महत्त्व की व्याख्या कीजिये। Discuss the functions and importance of public relations in modern administration

- 165 लोक सम्पर्क की परिभाषा कीजिये। सूचना प्रचार और लोक सम्पर्क में विभेद कीजिये।

Define the Public Relations Distinguish between Publicity Propaganda and Public Relations

- 166 लोक सम्पर्क वस्तुतः कार्य और कारण का सावधानीपूर्वक सकलित किया गया ऐसा विश्लेषण है जिसे आचार व्यवहार में मार्गदर्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस कथन के सन्दर्भ में लोक सम्पर्क के अर्थ और महत्त्व का विवेचन कीजिये। उन्हें संगठित करने का सबसे अच्छा तरीका बतलाइए ? (1982)

Public relation is really carefully compiled analysis of cause and effect used as a guide to conduct In the light of this statement discuss the meaning and importance of Public relations Which is the best method of organizing them ?

अध्याय 16 (केन्द्रीकरण व विकेन्द्रीकरण)

- 167 केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण का अर्थ बताइए तथा इनके लाभ व दोषों पर प्रकाश डालिए।

Define Centralisation and Decentralisation and discuss their advantages and disadvantages

- 168 प्रतिनिधित्व एवं विकेन्द्रीकरण में क्या अंतर है ? मुख्य कार्यपालक द्वारा शक्तियाँ के प्रतिनिधित्व की क्या सीमाएँ हैं ? (1981)

How do you distinguish between delegation and Decentralisation ? What are the limitations to delegation of administrative powers by the Chief Executive ?

- 169 विकेन्द्रीकरण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिये।

Write an short essay on Decentralisation

- 170 कर्तव्य और विकर्तव्य व निर्धारक तत्वा पर एका टालिय ।
Describe the determining factors of Centralisation and Decentralisation
- अध्याय 17 (प्रत्यायोजन)
- 171 प्रत्यायोजन क्या है ? संगठन में प्रत्यायोजन के क्या सिद्धांत तथा सामए हैं ? (1985)
What is delegation ? What are the principles and limits of delegation in an Organisation ?
- 172 प्रत्यायोजन का परिभाषा दायित्व । प्रत्यायोजन का वैज्ञानिक बनाने के लिए आप क्या-क्या सावधानिया बरतने के सुझाव देंगे ?
Define Delegation What precautionary measures you will recommend to make delegation scientific ?
- 173 कार्यो के प्रशासकीय प्रत्यायोजन में जा कठिन या अनुभव का ताता है उनका परामर्श दायित्व । प्रत्यायोजन का वैज्ञानिक बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जान चाहिए ?
Examine the difficulties experienced in the process of generous delegation of administrative function What measures should be taken to make delegation scientific
- 174 प्रत्यायोजन एवं समन्वय का परिभाषा दायित्व । विरोधा आचरण की संगठनात्मक स्थिति में एक प्रत्यायोजन एवं समन्वयकता का दिन दिन कठिनाया का सामना करना पड़ता है ?
Define Delegation and Co-ordination What difficulties have a Delegator and Coordinator to confront in an organisation situation of conflicting behaviour ?
- 175 प्रत्यायोजन समन्वय तथा पर्यवेक्षण का परिभाषा दायित्व और प्रत्येक स्थिति में उनका कुछ समस्याओं पर विचार व्यक्त दायित्व ।
Define Delegation Co-ordination and Supervision and discuss some of the problems involved in each case
- 176 प्रत्यायोजन का अर्थ दनाय व उसके गुण-दोष का समान्य दायित्व । प्रत्यायोजन तथा विकेंद्रिकरण में भेद बताए ।
Explain Delegation and analyse its advantages and limitations Distinguish it from Decentralisation
- 177 कार्यो के प्रशासकीय प्रत्यायोजन में जा कठिनाया अनुभव का ताता है उनका परामर्श दायित्व । प्रत्यायोजन का वैज्ञानिक बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जान चाहिए ?
Examine the difficulties which are experienced in the process of generous delegation of administrative function What measures should be taken to make delegation scientific ?

178 प्रत्याधिकरण से आप क्या समझते हैं ? एक बड़े संगठन में इसकी आवश्यकता का स्पष्टीकरण कीजिये ।

What do you understand by Delegation ? Explain its need in a big Organisation

अध्याय-18 (सहभागी प्रबंध समूह गतिशीलता)

179 सहभागी प्रबंध की परिभाषा दीजिये । इस प्रकार के प्रबंध में अंतर्निहित जोखिमों और खतरों की विवेचना कीजिये । (1981)

Define participative management Discuss the dangers and risks in-herent in it

180 सहभागी प्रबंध की परिभाषा दीजिये तथा उन घटकों जिनका विकास सहभागी प्रबंध को विकसित एवं वाधित करते हैं ?

Define participative management and comment on the factors that promote and inhibit participative management

(1979)

181 एक सहभागी प्रबंध व्यवस्था का विकसित कराने के लिए प्रबंध को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनकी विवेचना कीजिये । (1979)

Discuss the obstacles the management has to encounter in developing a pattern of participative management

182 एक संगठन में सहभागी प्रबंध प्रबंधकीय व्यवहार का क्या योगदान देता है ? सहभागी प्रबंध की सीमाएं भी समझाइयें ।

How does Participation Management contribute to the growth of managerial practice in an organisation Discuss its limitations also

183 अनौपचारिक संगठन के सन्दर्भ में समूह संचयन की अवधारणा की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिये ।

Critically examine the concept of Group Dynamics in relation to informal organisation

अध्याय 19 (प्रबंध के आधुनिक प्रत्याघत आटोमेशन साइबरनेटिक्स पट एवं सी पी एम)

184 समूह गतिकी से आप क्या समझते हैं ? समूह गतिकी के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षिप्त समीक्षा कीजिये । (1980)

What do you understand by Group Dynamics ? Give a brief review of theories of group dynamics

185 प्रबंध कार्य में आधुनिक सहायताओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिये । Write a brief essay on Modern Aids to Management

(1981)

186 पट एवं सी पी एम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिये ।

Write a brief essay on PERT and C P M

द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न एवं टिप्पणियाँ।

- 187 एक मुख्य कार्यपालक द्वारा किन शक्तियाँ का प्रतिनिधान किया जा सकता है तथा किन का नहीं किया जा सकता है? प्रतिनिधान एवं विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट करें। (1979)
 What powers can and can not be delegated by the Chief Executive to his subordinates? Distinguish between delegation and decentralization
- 188 प्राधिकार एवं सम्प्रेषण प्रत्ययों के सम्बन्ध में चर्चर बर्नार्ड के मुख्य विचारों की विवचना कीजिये। (1979)
 Explain the salient ideas of Chester Barnard on the concepts of authority and communication
- 189 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखें — (1979)
 (क) प
 (ख) समूह गत्यात्मकता।
 Write notes on the following
 (a) PERT
 (b) Group Dynamics
- 190 निम्न में से किन्हीं दो विज्ञानों के प्रशासनिक सिद्धान्तों के क्षेत्र में योगदान का भक्षित उल्लेख करें — (1979)
 (क) एटन मयो
 (ख) लूथर गुलिक
 (ग) डागलस मैक ग्रेगर
 (घ) हेनरी फ़्याल
- 191 हाथन प्रयोग का प्रशासनिक विचारों के विकास में योगदान का व्याख्या कीजिये। (1980)
 Examine the major contributions of the Hawthorne experiments to the development of administrative thought
- 192 निम्न में से किन्हीं दो विषयों पर टिप्पणियाँ लिखें - (1980)
 (क) प
 (ख) प्रबन्ध विकास
 (ग) कम्प्यूटर का उपयोग
 (घ) महत्वागीय प्रबन्ध
- 193 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये - (1981)
 (क) सम्प्रेषण की बाधाएँ
 (ख) समूह गतिकी
 (ग) निष्कट का योगदान
 (घ) उपररणा पर मेजलो के विचार

194 निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें - (198)

- (अ) पट
- (ब) प्रवर्गवादी ग्रन्थिगम
- (ग) मनोबल
- (द) प्राधिकार

Write short notes on any two of the following

- (a) PERT
- (b) Behavioural Approach
- (c) Morale
- (d) Authority

195 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिय - (1983)

- (अ) प्रबंध में भागीदारी
- (ब) सूत्र एवं स्टाफ
- (स) लिंकट का योगदान
- (द) प्रयायोजन

Write short notes on any two of the following

- (a) Participative Management
- (b) Line and Staff
- (c) Contribution of Likert
- (d) Delegation

196 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिय - (1984)

- (अ) समन्वय
- (ब) केंद्रीकरण जो विकेंद्रीकरण
- (स) उपरक्षण पर मेजला के विचार
- (द) प्राधिकार

Write short notes on any two of the following -

- (a) Co-ordination
- (b) Centralisation and Decentralisation
- (c) Maslow on Motivation
- (d) Authority

197 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिय (1985)

- (अ) निर्णय-प्रक्रिया
- (ब) औपचारिक व अनौपचारिक संगठन
- (स) समूह गतिकी
- (द) जन संपर्क ।

Write short notes on any two of the following

- (a) Decision Making
- (b) Formal and Informal Organisation
- (c) Group Dynamics
- (d) Public Relations